

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj)

दिल्ली सल्तनत

(1200 से 1526 ई० तक)

डॉ० आर. के. सवसेना
इतिहास विभाग
मुंबई विश्वविद्यालय
जयपुर

पंचशील प्रकाशन, जयपुर

© पार० के० सक्सेना

प्रकाशक : पञ्चशील प्रकाशन
फिल्म कालोनी, जयपुर-302003

संस्करण : 1986

मूल्य : एक सौ पच्चीस रुपये

मुद्रक : शीतल प्रिन्टर्स,
फिल्म कालोनी, जयपुर-302003

DELHI SULTANAT

By : Dr. R. K. Saxena

Rs. 125.00

दो शब्द

दिल्ली सल्तनत का अध्ययन स्वयं में ही रुचिकर है, क्योंकि दो विभिन्न और विरोधी सम्यताएँ एक दूसरे के निकट आते हुए न केवल संघर्ष-रत होती हैं अपितु स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करने की चेष्टा करती हैं। फिर ये अध्ययन देश-काल के बहुआयामी परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से किया जावे तो शासन के उद्देश्य और उसका क्रियात्मक रूप अधिक स्पष्ट हो जाता है।

प्रस्तुत रचना इसी आधार पर इल्बरियों के उदय से अफगानों के अन्त तक के भारतीय इतिहास का अध्ययन है जो भौतिक ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है। राजनीतिक इतिहास के अतिरिक्त इसमें सल्तनतकालीन संस्थाओं, सुल्तानों और अमीरों तथा सुल्तानों और खलेमा-वर्ग के बीच होने वाले संघर्षों के अतिरिक्त जनसाधारण और शासक वर्ग के बीच सम्बन्धों पर भी प्रकाश डाला गया है। अन्तिम अध्याय में समकालीन इतिहासकारों के ग्रन्थों की समीक्षा की गई है जो साधारण पुस्तकों में नहीं मिल पाती है।

लेखक आशा करता है कि विद्यार्थी और अध्यापक वर्ग के लिये यह पुस्तक लाभकारी सिद्ध होगी। इस रचना को मैं अपने स्वर्गीय पुत्र संजय व पत्नी सरोज की स्मृति में सादर समर्पित करता हूँ।

लेखक, श्री मूलचन्द गुप्ता, प्रोफ़ाईटर, पंचशील प्रकाशन, जयपुर का भारतीय है जिन्होंने अत्यधिक शीघ्रता से इसे प्रकाशित कर पाठकों तक पहुँचाया।

आर. के. सक्सेना

विषय-सूची

पन्नाय

पृष्ठ

1. तुर्कों सत्ता की स्थापना

1-31

दिल्ली मल्लनत, तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की दशा, गौरी के आक्रमण के समय राजनीतिक स्थिति, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, धार्मिक दशा, उत्तरी भारत में तुर्कों सत्ता की स्थापना के लिये उत्तरदायी तत्व—भूमिका, ग्रहिणा और नम-सिद्धान्त, सामाजिक दुर्बलता, राजनीतिक कारण, सामन्तवाद, सैनिक कारण, नैतिक गुण, युद्ध क्षमता, सगठन, रक्षारमक युद्ध, योग्य नेतृत्व, युद्ध-नीति, बौद्धिक एकाकीपन, धार्मिक कारण, धर्म में गिरावट ।

कुतुबुद्दीन ऐबक (1206-1210 ई.)—प्रारम्भिक जीवन, गौरी का सहायक, गौरी की मृत्यु के समय ऐबक की स्थिति, ऐबक की कठिनाइयाँ व उनका समाधान, वैवाहिक सम्बन्ध की नीति, हिन्दू सरदार, ऐबक का मूल्यांकन, प्रारामशाह ।

2. इल्तुतमिश

32-87

इल्तुतमिश (1211-1236 ई.)—नान सम्बन्धी विवाद, प्रारम्भिक जीवन, इल्तुतमिश की समस्याएँ, ताज और धमीरो के बीच सघर्ष, मंगोल आक्रमण तथा इल्तुतमिश, बंगाल-विजय, हिन्दू राजाओं से सघर्ष, खलीफा द्वारा उसके पद की स्वीकृति, इल्तुतमिश की मृत्यु, इल्तुतमिश का चरित्र व उपलब्धियाँ ।

रुक्नुद्दीन फिरोजशाह (1236 ई.)—ताज और धमीर-वर्ग में सघर्ष, रजिया (1236-40 ई.)—रजिया का धमीरो से सघर्ष व उसका पतन, रजिया का चरित्र व मूल्यांकन, मुईजुद्दीन बहरामशाह (1240-42 ई.), अलाउद्दीन मसूदशाह (1242-46 ई.), नासिरुद्दीन महमूद (1246-1266 ई.) वशावली, सिंहासना-रोहण, सुल्तान और धमीर वर्ग के सम्बन्ध, रायहान, वकीलदार, नाइब के रूप में बलबन के कार्य

— गयासुद्दीन बलबन (1266-87 ई.)—प्रारम्भिक जीवन, बलबन की समस्याएँ, बलबन का राजत्व सिद्धान्त तथा ताज के गौरव

की पुनः स्थापना, बलवन और तुर्क अमीर, सेना का पुनर्गठन, प्रशासनिक उपाय और शासन संगठन, मंगोल आक्रमण व सीमान्त नीति, बलवन के अन्तिम दिन, बलवन का मूल्यांकन, सुल्तान कंकुबाद और शमसुद्दीन फयूमर्स (1287-90 ई.) ।

3. इल्खरी तुर्कों के अन्तर्गत राज्य

88-131

राज्य का विस्तार, राज्य का स्वरूप, सुल्तान व खलीफा, प्रशासन का विकास, सुल्तान की कठिनाइयाँ, सुल्तान के अधिकार तथा कर्तव्य, वजीर- व अन्य मन्त्री, प्रान्तीय व स्थानीय शासन का विकास, मुक्तियों का वर्गीकरण तथा अधिकार, इक्ताओं का विभाजन, मुक्ति का सैनिक उत्तरदायित्व, मुक्ति तथा राजस्व, सैनिक संगठन, वित्तीय व्यवस्था, खल्जी क्रान्ति, जलालुद्दीन का उत्कर्ष, खल्जियों की उत्पत्ति, खल्जी क्रान्ति की महत्ता ।

4 खल्जीकालीन भारत

132-226

जलालुद्दीन फिरोज खल्जी (1290-96)—सिंहासनारोहण, जलालुद्दीन फिरोज के विचार और भावनाएँ, कार्य और पद विस्तारण, राजधानी दिल्ली में प्रवेश, सुल्तान जलालुद्दीन की उदार शासन नीति से सरदारों तथा अमीरों में असन्तोष, मलिक खज्जू का विद्रोह, ठगी का दमन, अमीरों का पड़यन्त्र, सिद्दी मौला का पड़यन्त्र, वैदेशिक नीति, मंगोलों के विरुद्ध अभियान, सुल्तान का भतीजे से मिलन और वह, जलालुद्दीन फिरोजशाह का मूल्यांकन । अलाउद्दीन खल्जी (1296-1316 ई.)—प्रारम्भिक जीवन, दिल्ली में अलाउद्दीन का राज्यारोहण और नियुक्तियाँ, अलाउद्दीन की समस्याएँ, अलाउद्दीन द्वारा जलालुद्दीन के परिवार का विनाश, अमीरों का दमन, खल्जियों का राजत्व सिद्धान्त, अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार, गुजरात व जैसलमेर की विजय, राजपूताना की विजय—रणायम्भीर की विजय, चित्तौड़ विजय, पद्मिनी की कहानी, मालवा पर विजय, सिवाना की विजय, जालौर की विजय, राजपूताना सम्बन्धी कोई नीति नहीं, राजपूताना के अभियानों की विशेषता व राजपूतों की पराजय के कारण दक्षिण की विजय, आक्रमण के उद्देश्य, देवगिरि की विजय, वारंगल की विजय, ह्योयसल राज्य पर विजय, मावर का अभियान, देवगिरि का तीसरा आक्रमण, दक्षिण की विजय का स्वरूप व प्रभाव, दक्षिण के अभियानों की सफलता के कारण, अलाउद्दीन तथा मंगोल, मंगोल आक्रमण का प्रभाव, अलाउद्दीन

के समय के विद्रोह—जालौर का विद्रोह, धकतखा का विद्रोह, मलिक उमर तथा मगूखा का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह, विद्रोह के कारण तथा उन्मूलन के उपाय, हिन्दुओं के प्रति व्यवहार, खल्जी साम्राज्य का स्वरूप, अलाउद्दीन की पुनिस एव गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था, अमीर वर्ग से सम्बन्ध (सगठन), अमीर वर्ग का स्वरूप (तुक), खल्जी मुल्तान व अमीर वर्ग, अलाउद्दीन के राजस्व सुधार, राजस्व सुधारों का प्रभाव, सैनिक सुधार, आर्थिक सुधार व बाजार व्यवस्था, साक्षान्त सम्बन्धी नियम, विभिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में बाजार नियन्त्रण, बाजार नियन्त्रण की समीक्षा, अलाउद्दीन के अन्तिम दिन तथा मृत्यु, अलाउद्दीन का मूल्यांकन, अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी—शिहाबुद्दीन उमर और मलिन काफूर, कुतुबुद्दीन मुबारकशाह, नासिरुद्दीन खुत्तरो शाह ।

5. तुगलककालीन भारत

227-308

गयासुद्दीन तुगलक (1320-25 ई)—नाम तथा जातीय उद्भव, उसकी कठिनाइयाँ, आन्तरिक व्यवस्था, राजकोष की दशा में सुधार, अमीरों और दरबारियों को मन्तुष्ट करना, दानशीलता, शासन सम्बन्धी सुधार, सैनिक व्यवस्था, हिन्दुओं के प्रति नीति, साम्राज्य विस्तार—वारगन पर आक्रमण व विजय, जाजनगर पर आक्रमण, मंगोल आक्रमण, गुजरात अभियान, बगाल अभियान, अफगानपूर की बुधटना व गयासुद्दीन की मृत्यु, मूल्यांकन ।
 मुहम्मद बिन तुगलक (1325-1351 ई)—राज्यारोहण, राजत्व सिद्धान्त व धार्मिक विचार, मुल्तान की नीतियाँ व प्रयोग—कृषि उन्नति का प्रयास, राजधानी परिवर्तन, साकेतिक मुद्रा का चलाना, साम्राज्य विस्तार, मंगोल आक्रमण, खुरासन की विजय याजना, कराजल पर आक्रमण, दक्षिण भारत, राजपूताना, विद्रोह तथा साम्राज्य का विघटन, मुहम्मद तुगलक का अरिष्ट व मूल्यांकन ।

—फीरोजशाह तुगलक (1351-1388 ई)—जन्म तथा बाल्य-काल, फीरोज का राज्याभिषेक, क्या फीरोज अपहरणकर्ता था ? क्या फीरोज अनिच्छा से गद्दी पर बैठा था ? अहमद अयाज रथाजा जहाँ का विद्रोह, फीरोज की कठिनाइयाँ, फीरोज का आन्तरिक शासन—राजस्व व्यवस्था, खराज तथा उसर, जकात, जज़िया, तरवत, खम्स, सिचाई व्यवस्था, राजस्व नीति के परिणाम, परापकार के कार्य, शिधा, नगर व मार्ग-

जनिक निर्माण कार्य, दास, सैन्य संगठन, धार्मिक नीति, युद्ध, आक्रमण व विद्रोह—बंगाल व उड़ीसा, नगरकोट व सिन्ध, विद्रोह व उनका दमन, अन्तिम दिन और मृत्यु, चरित्र, मूल्यांकन व तुगलक वंश के पतन में उसका उत्तरदायित्व, फीरोज के उत्तराधिकारी—गयासुद्दीन तुगलक, शाह द्वितीय, सुल्तान अबूबकर, अलाउद्दीन सिकन्दरशाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह, तैमूर का आक्रमण और उसका प्रभाव—तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण, तैमूर के आक्रमण के कारण, तैमूर के आक्रमण का प्रभाव, तैमूर के आक्रमण के अस्थायी प्रभाव, तुगलक शासक व अमीर वर्ग—सुल्तान गयासुद्दीन व अमीर वर्ग, सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक व अमीर वर्ग, सुल्तान फीरोजशाह, तुगलक व अमीर वर्ग, तुगलक शासक व उलेमा वर्ग—गयासुद्दीन तुगलक व उलेमा वर्ग, मुहम्मद बिन तुगलक व उलेमा वर्ग, फीरोज तुगलक व उलेमा वर्ग ।

6:

अफगानकालीन भारत

309-348

सल्तनत का विघटन-सैयद वंश (1414-1451 ई.)—खिज्रखां-अमीरों को इनाम और नियुक्तियाँ, खिज्रखां के शासनकाल की घटनाएँ, खिज्रखां के अभियान, खिज्रखां की मृत्यु, उसका मूल्यांकन, मुबारक शाह—खिज्रखां द्वारा मनोनयन, मुबारकशाह के शासन काल की मुख्य घटनाएँ, जसरथ का विद्रोह, दोआब खालियर पर अलपखों का आक्रमण, मेवात में विद्रोह, घयाना और खालियर, मुबारक की हत्या, मुबारक का मूल्यांकन मुहम्मद-शाह, अलाउद्दीन आलमशाह । लोदी वंश (1451-1526 ई.) बहलोल लोदी, कठिनाइयाँ—शर्की शासक का विद्रोह, बहलोल के प्रारम्भिक कार्य—जौनपुर के शर्कियों से युद्ध, युद्ध के कारण, युद्ध की घटनाएँ, मालवा पर आक्रमण, बहलोल का चरित्र, शासन-नीति, मृत्यु और मूल्यांकन । सिकन्दरलोदी : आलमखां लोदी, ईसाखां लोदी और बारबक शाह के विरुद्ध अभियान, सिकन्दर की समस्याएँ, सिकन्दर की विजयें—बिहार से युद्ध, मध्य भारत, नागीर, सिकन्दर का शासन प्रबन्ध, न्याय तथा राजस्व विभाग, धार्मिक नीति, सिकन्दर की मृत्यु और उसका मूल्यांकन. इब्राहीम लोदी—राज्यारोहण, जलाल से संधर्ष, खालियर विजय, इब्राहीम और राणासंगा, अमीरों से संधर्ष, मियाँ हुसैन फर्गूली, इस्लामखां का विद्रोह, पूर्व में विद्रोह, दौलतखां का विद्रोह, बाबर का आक्रमण व पानीपत का युद्ध, लोदी वंश का पतन, इब्राहीम लोदी का मूल्यांकन, अफगानों का प्रभुसत्ता का सिद्धान्त—सैयदवंश

का प्रभुसत्ता का सिद्धान्त, लोदी वंश का प्रभुसत्ता का सिद्धान्त
 अमीर वर्ग व ताज के बीच संबंध—सुल्तान खिज़्रखा व अमीर
 वर्ग, सुल्तान मुबारक शाह व अमीर वर्ग, सुल्तान मुहम्मदशाह
 व अमीर वर्ग, सुल्तान अलाउद्दीन खालजशाह व अमीर वर्ग,
 अमीर वर्ग व लोदी वंश—सुल्तान बहलोल लोदी व अमीर वर्ग,
 सुल्तान सिकन्दर लोदी व अमीर वर्ग, सुल्तान इब्राहीम लोदी व
 अमीर वर्ग ।

7 सल्तनतकालीन उत्तर-पश्चिम सीमा-नीति

पृष्ठभूमि, मगोल, इल्बरी सुल्तान व उत्तर-पश्चिमी सीमा नीति,
 खल्जी सुल्तान व उत्तर पश्चिमी सीमा-नीति, मगोल आक्रमण
 के प्रभाव ।

8 केन्द्रीय प्रशासन का विकास

359

भूमिका, सुल्तान, सुल्तान की कठिनाइया, सुल्तान के अधिकार
 तथा कर्तव्य, मन्त्री, बजीर—दीवान-ए-बजारत, दीवान-ए-
 धारिज, दीवान-ए-इशा, दीवान-ए-रसालत-राज्य के छोटे
 विभाग—बकील-ए-दर, विभिन्न कारखाने, अमीर-ए-ह्राजिव,
 नकोब, सरजादार, बरीद-ए-मुमालिक, दीवान-ए-बन्दर-गान
 सैनिक संगठन—भूमिका, तुर्की भादशं, विभाग भर्ती, सैनिक
 संगठन, अधिकारी, वेतन, साज-मजजा, दुर्ग, युद्ध-संगठन
 भू-राजस्व—इस्लामी मान्यता, दाम-वशीय भू-राजस्व व्यवस्था,
 खल्जी वशीय भू-राजस्व व्यवस्था, तुगलक-कालीन भू-राजस्व
 व्यवस्था, लोदी वशीय भू-राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था—
 भूमिका, इस्लामी विधि, व्यवस्था, मुह्तसिव, पुलिस, प्रांतीय
 प्रदालतें, दण्ड विधान कर व्यवस्था तथा मुद्रा—जकात तथा
 सदाक, कर की वमूली, धर्म-निरपेक्ष कर (सम्स), खिराज,
 जजिया, मुद्रा ।

9 मुख्य स्रोतों का सर्वेक्षण

451-4

मिर्जाज-उस-सिराज व तवकात-ए-नासिरी—ग्रन्थ का विश्लेषण,
अमीर खसरो-खसरो का जीवन, साहित्यिक रचनाएँ, ऐतिहासिक
 रचनाएँ, इतिहासकार के रूप में खसरो, मियाउद्दीन बरनी—
 बरनी का जीवन, बरनी का चरित्र, बरनी की रचनाएँ—
तारीख-ए-फोरोजशाही, विषय वस्तु, फतवा-ए-जहाँदारी, बरनी
 की शैली, बरनी की कमियाँ, शम्स सिराज अफ़कीफ—जीवन व
 रचनाएँ, एसामी (फुनुहुस्नलानीन)—आरम्भिक जीवन, विषय
 वस्तु, लेखन शैली, एसामी की कमियाँ, इम्ने वस्तुता (रेहना) ।
 सर्वमे ग्रन्थ

48.

तुर्की सत्ता की स्थापना

दिल्ली सल्तनत—1206 से 1526 ई. तक के युग को 'सल्तनत काल', 'दिल्ली सुल्तनत' अथवा 'साधारण भाषा में 'दिल्ली सल्तनत' की संज्ञा से पुकारा जाता है। 1206 ई. से 1290 ई. के बीच दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को गुलाम-वंश से जाना जाता है परन्तु न तो वे एक वंश के थे और न ही सुल्तान बनने के समय इनमें से कोई गुलाम ही था। ये सभी सुल्तान तुर्क थे और तीन अलग-अलग वंशों से सम्बन्धित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 'कुतबी' शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 'शम्शी' व गयासुद्दीन बलबन ने 'बलबनी' राजवंश की स्थापना की थी। इसी तरह इन विभिन्न वंशों के संस्थापक सुल्तान बनने के पहले अपनी दासता से मुक्ति पा चुके थे। इस आधार पर इनको गुलाम-वंश के सुल्तान कहना न्यायसंगत नहीं होगा। प्रो. हबीब व निजामी¹ इस वंश के शासकों को 'प्रारम्भिक तुर्क सुल्तान' कहते हैं, जो अधिक उचित है।

1290 ई. में खल्जियों ने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार जमा लिया और तीस साल तक (1290-1320 ई.) प्रभुसत्ता का उपयोग किया। जलालुद्दीन फीरोज खल्जी व अलाउद्दीन खल्जी इस वंश के प्रमुख शासक हुए। यद्यपि यह ठीक है कि खल्जी-वंश का कार्यकाल सल्तनत काल में सबसे न्यून रहा परन्तु उपलब्धियों के आधार पर वे किसी प्रकार से भी पीछे नहीं थे। साम्राज्य-विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्र में जो प्रयोग इस वंश के राज्यकाल में हुए उनका इससे पहले कहीं नामो-निशान तक नहीं था।

1320 ई. में गयासुद्दीन ने अन्तिम खल्जी सुल्तान, नासिरुद्दीन खुसरो शाह को अपदस्थ कर तुगलक-वंश की स्थापना की जिसने 1414 ई. तक शासन किया। गयासुद्दीन का शासन-काल यद्यपि केवल पांच वर्ष (1320-25 ई.) ही रहा, परन्तु उसके उत्तराधिकारी मुहम्मद तुगलक व फीरोज तुगलक ने 1325 ई. से 1388 ई. तक शासन किया और अपनी योजनाओं और शासन-आदर्श से अनेक श्लाघनीय परिवर्तन किये। फीरोज के निर्वल उत्तराधिकारियों का लाभ उठाकर सैय्यद-वंश ने शासन की वागडोर अपने हाथ ले ली।

1. हबीब व निजामी, दिल्ली सल्तनत, (संपादित), पृ. 168

1414 ई से 1451 ई तक दिल्ली सल्तनत का अधिकारी संव्यद-वश रहा, जिसका पहला सुल्तान खिद्य खा बना। संवदो का राज्यपाल तुगलकी व लोदीयो के बीच एक अवश्यम्भावी परन्तु अत्यन्त बेजोड कडी के रूप में ही रहा जिसकी उपलब्धिया नगण्य थीं।

1451 ई में बहलोल लोदी ने, लोदी वश की स्थापना की जो 1526 ई में मुगल सम्राट बाबर द्वारा मुगल-वश की स्थापना तक बना रहा। इसमें तीन सुल्तान बहलोल लोदी (1451-89 ई), सिकन्दर लोदी (1489-1518 ई) व इब्राहीम लोदी ने (1518-26 ई.) शासन किया। अन्तिम लोदी सुल्तान पानीपत के प्रथम युद्ध (1526 ई) में न केवल बाबर द्वारा पराजित हुआ अपितु युद्ध-क्षेत्र में मारा गया। इस प्रकार से तराइन के युद्ध (1192 ई) में अत्यन्त रूप से जन्मित दिल्ली सल्तनत पानीपत के युद्ध के आघात को सहन न कर सकी और उसकी तथा उसके अन्तिम शासक की अन्त्येष्टि इस ऐतिहासिक मैदान में सम्पन्न हुई। यद्यपि शेरशाह ने 1540 ई में इसे पुनर्जीवित किया और 16 वर्षों का (1556 ई) तक जीवन-दान दिया परन्तु व्यावहारिक रूप में 1200 ई से 1526 ई तक का काल ही सल्तनत-युग के कार्य-कलापो का युग माना जाता है।

तुर्क-आक्रमण के समय भारत की वशा

महमूद गजनवी के भारत पर अन्तिम आक्रमण (1027ई.) तथा मुहम्मद गोरी के प्रथम आक्रमण (1175 ई) के बीच यद्यपि 148 वर्षों का अन्तर था परन्तु इसके बाद भी गजनवी और गोरी वश के समय के भारत में कोई अन्तर नहीं आ पाया था। विभिन्न राजवशों में प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण परिवर्तन अवश्य हुए, परन्तु केवल वश भयवा नाम-परिवर्तन के प्रतिरिक्त कोई ऐसी बात नहीं जिससे यह निर्णय लिया जा सके कि भारतीयों ने महमूद के आक्रमणों से कुछ सीखा है।

राजनैतिक दृष्टा—महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ऐसा अनुभव होता था कि यह देश विभिन्न राष्ट्रों का एक समूह-मात्र था जो प्रत्येक दृष्टि से स्वतन्त्र थे। यद्यपि इनमें से अनेक राज्य न केवल क्षेत्र और साधनों के आधार पर महमूद के राज्य से विनाश और सम्पन्न थे परन्तु आपसी प्रतिस्पर्धा और फूट इतना पर कर चुकी थी कि भारतीय राज्यों के लिए यह सम्भव न हो सका कि आपातकाल में भी एकजुट होकर अन्तु के विरुद्ध संगठित मोर्चा ले सकें। इसी कारण वे महमूद और मुहम्मद गोरी की सेनाओं के सामने घराशायी होने चले गये।

गजनवी के समय उत्तरी भारत में सुल्तान और सिंध में दो मुसलमानी ज्य थे। स्वभाविक रूप में इनकी महानुभूति गजनवी और मध्य एशिया के भी राज्यों से थी और उन्हीं से वे प्रेरणा लेते थे। व्यावहारिक रूप में ये स्वतन्त्र

राज्य थे और प्रचलित मान्यताओं के अनुसार खलीफा को अपना अधीक्षक मानते थे ।

शेष भारत में हिन्दूशाही-राज्य चित्तौड़ नदी से हिन्दूकुश तक फैले हुए थे, जिनमें जयपाल का राज्य तुलनात्मक आघार पर अधिक महत्वपूर्ण था । गजनी से आने वाले आक्रमणकारियों का पहला प्रहार उसे ही झेलना पड़ा । 986-87 ई. में उसने सुबुक्तगीन का साहस और सफलता से विरोध किया, परन्तु केवल चार वर्ष बाद ही 991 ई. में उसे उसके हाथों पराजय का मुँह देखना पड़ा । 1001 ई. में उसने पेशावर के निकट महमूद गजनवी की सेनाओं का डटकर मुकाबला किया परन्तु पराजित होने के साथ ही साथ अपने अनेक सम्बन्धियों के साथ बन्दी बना लिया गया । महमूद ने उसकी राजधानी वैहन्द को लूटा और जयपाल ने महमूद से संधि करना ही उचित समझा । जयपाल इन लगातार पराजयों से इतना अधिक अपमानित अनुभव करता था कि उसने स्वयं को चित्तौड़ में जला दिया । जयपाल के बाद आनन्दपाल त्रिलोचनपाल आदि के समय में यह संघर्ष बराबर चलता रहा, परन्तु महमूद गजनवी के पैर यहाँ पर जमते चले गये ।

पंजाब के उत्तर में कश्मीर का राज्य था जहाँ शासन की सत्ता रानी विद्या के हाथों में थी । वह यद्यपि योग्य स्त्री थी परन्तु आंतरिक विद्रोहों के कारण शक्तिहीन थी । 1003 ई. में उसकी मृत्यु के बाद शासन सूत्र लोहर-वंश के हाथों में चला गया । इस प्रकार गजनवी के आक्रमण के समय कश्मीर में लोहर-वंश सत्तारूढ़ था । इस वंश के शासक हर्ष (1089 -से 1101 ई.) ने अपनी अदूरदर्शिता व अधार्मिक कार्यों से राज्य भर में अशांति का वातावरण पैदा कर दिया था ।

कन्नौज में प्रतिहार-वंश सत्तारूढ़ था । धर्मेन्द्र और नागभट्ट के समय में यह राज्य उत्तरी-भारत में शक्तिशाली राज्य था, परन्तु पड़ोसी राज्यों में निरन्तर संघर्ष और दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश से वर्मनस्य के कारण महमूद गजनवी के समय तक इसकी शक्ति छिन्न-भिन्न हो चुकी थी और इसके अधीन प्रदेश इसका लाभ उठा कर स्वतन्त्र हो गये थे जिनमें बुन्देलखण्ड के चन्देल, मालवा के परमार व गुजरात के चालुक्य प्रमुख थे । रही-सही शक्ति मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमणों की मार से अपनी अन्तिम साँसें गिन रही थी । इसलिए राज्यपाल महमूद गजनवी के आक्रमण (1019 ई.) का मुकाबला करने में असफल रहा ।

बंगाल में पाल-वंश का राज्य था जिसका कन्नौज के साथ निरन्तर संघर्ष चलता रहता था । महमूद के आक्रमण के समय यहाँ का शासक महीपाल प्रथम था, परन्तु वह अत्यन्त दुर्बल शासक था । सूदूरपूर्व में स्थिति होने के कारण बंगाल अपनी इस दुर्बलता को छिपा सका और क्योंकि तुर्क उत्तरी-भारत की राजनीति में ही अधिक फाँसे रहे इसलिए वे आरम्भ में बंगाल की ओर ध्यान न दे सके । गुजरात, मालवा व बुन्देलखण्ड के भी स्वतंत्र राज्य थे जिनमें बुन्देलखण्ड का राज्य दूसरे राज्यों की अपेक्षा

शासक जयचन्द की पुत्री संयोगिता ने बलपूर्वक विवाह करके उसने उसके रोप को अर्जित किया। पृथ्वीराज अपने समय का महान् साहसी योद्धा था और उसने अन्य राजपूत राज्यों को अर्थात्कित कर रखा था, परन्तु चारणों के यश-बखान के कारण वह अत्यधिक दम्भी हो गया था। इसी कारण मुहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उसे भकेले ही लड़ना पड़ा। राजपूत शासक मेंढ पर बैठे हुए प्रतिद्वन्द्वियों के बीच निर्गुणात्मक युद्ध को देखते रहे और अपनी पराजय की वारी की प्रतीक्षा करते रहे। कन्नौज का गहड़वार-वंश उत्तरी भारत में अत्यधिक विस्तृत था और मुहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जयचन्द वहाँ का शासक था। पृथ्वीराज से अपने अपमान का बदला चुकाने के प्रति वह जागरूक था और उस पर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि स्वयं कमजोर होने के कारण वह असहाय था, इसीलिये उसने मुहम्मद गौरी को आक्रमण के लिए आमन्त्रित किया था। समकालीन इतिहास में हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिल पाया है जिससे इसकी सत्यता को अर्थात् जावे। सम्भावना यही है कि चारणों ने पृथ्वीराज के गौरव को बढ़ाने के लिए ही ऐसी दन्त-कथाएँ जोड़ दी हों। मजूमदार व रायचौधरी¹ के इस विचार में अधिक सत्यता मालूम पड़ती है कि "इस देश पर किया गया आक्रमण पंजाब के गजनवियों पर मुहम्मद की पूर्ण विजय का प्रायः एक अनिवार्य परिणाम था।"

उत्तरी भारत में इन दो-राजपूत-राज्यों के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड का चन्देल वंश व कलचुरी का चेदि वंश भी थे, परन्तु इनकी शक्ति नगण्य थी। उत्तरी भारत से हटकर पूर्व में बंगाल का सेन वंश महत्वपूर्ण था। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन ने उत्तरी बंगाल के कुछ प्रदेशों को छोड़कर समस्त बंगाल और बिहार पर अपना अधिकार जमा लिया था। उत्तरी भारत की तरह ही पूर्व के राज्यों में आपसी फूट थी जिसके कारण उनमें निरन्तर संघर्ष चलता रहता था। दक्षिण भारत पहले की ही तरह उत्तरी भारत की राजनीति से पूर्णतया उदासीन था।

इन राजपूत राज्यों में एक विशिष्ट सामंत व्यवस्था थी। प्रत्येक राज्य जागीरों में बंटा हुआ था जो उसी वंश के विभिन्न सदस्यों के अधिकार में थीं। डा. अस्तैकर ने इन सामंतों के दायित्व का वर्णन करते हुये लिखा है कि इन्हें (1) शिलालेखों में शासक के नाम का उल्लेख करना पड़ता था, (2) परम्परागत शाही समारोहों में अपनी उपस्थिति दिखानी पड़ती थी, (3) नियमित रूप से खराज भेजना पड़ता था, (4) त्योहारों व पुत्रियों के विवाह पर उपयुक्त उपहार देने पड़ते थे और (5) एक निश्चित संख्या से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। परन्तु दिल्ली-सल्तनत के समय तक इन दायित्वों की अवहेलना की जाने लगी थी जबकि सामंतों द्वारा निजी सेना की भर्ती, नये कर लगाने और बसूल करने के अधिकार मिल जाने के कारण विकेन्द्रीयकरण अधिक प्रबल हो

1. मजूमदार, रायचौधरी व दत्त, मध्यकालीन भारत, भाग II पृ. 2

चुका था। राज्य के उच्च पदों पर इस जमींदार-प्रभिजात वर्ग के एकाधिकार के कारण राजा की शक्ति क्षीण हो गई थी और उसी अनुपात में इनकी शक्ति में बढ़ोतरी हुई थी।

प्रो हबीब व निज़ामी ने लिखा है कि¹ 'जब तुर्क भारतीय रगमच पर उपस्थित हुये तो सामंतशाही अपने अंतिम और अपने इतिहास के सबसे विताजनक चरणों में पड़ापंछ बन चुकी थी तथा उपमानशाही का व्यवहार को आधार मिल गया था। अधिकांश बड़े बड़े सामंतों के अपने अधीनस्थ जमींदार थे जैसे सामंत, ठाकुर रावत इत्यादि ' जिनके अधीन उनके अंगन सामंत थे।' यह राजनीतिक प्रणाली उन युग के सामाजिक संगठन के दोष प्रतिबिंबित करती थी।

सामाजिक दशा—सामाजिक आधार पर भारत की दशा अच्छी न थी। हिन्दुओं में समन्वयकारी प्रवृत्ति का अन्त हो चुका था और विदेशियों की आत्मसात करने की उनकी क्षमता समाप्त हो चुकी थी। जातियों और उपजातियों का बनना, स्थिरता की निरन्तर गिरती हुई स्थिति और अर्थात्मिक आधार-विचार इसके प्रमाण थे। परम्परागत चार वर्णों के प्रतिरिक्त समाज का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा था जिसे 'अन्त्यज' कहते थे। इनमें चमार, जुलाहे, मछिरे, टोकरी बुनने वाले, शिकारी आदि आते थे, जिनका समाज के किसी वर्ण में स्थान न था। इनमें भी नीचे हादी ब्राह्मण, चाण्डाल, बघाटू आदि लोगों का वर्ग था जो भोटे रूप से सफाई का काम करते थे, परन्तु इन्हें नगरो और गावों के बाहर ही रहना पड़ता था। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि ये वर्ग सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिये इस्लाम स्वीकार करने के प्रति आकर्षित हो, क्योंकि कम से कम सैद्धान्तिक आधार पर इस्लाम में समानता अवश्य थी।

बेश्यों और शूद्रों के साथ भी इसी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। इनकी धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ने का अधिकार न था और यदि अलबदनी के कथन पर विश्वास किया जावे तो ऐसे अपराधियों की जवान काट ली जाती थी। इस जातिप्रथा के कारण समाज का जो विभाजन हुआ उसमें ऊँच-नीच की भावना अत्यधिक प्रबल थी, जिसने समाज में विष घोल दिया था और इसी कारण एक-दूसरे के प्रति घृणा की भावना में अफसोस भर बना लिया था।

अलबदनी के विवरण से स्पष्ट है कि समाज में अनेक ऐसी कुरीतियाँ विद्यमान थीं जो अन्दर ही अन्दर से छोड़ने समाज को और अधिक भ्रष्ट करने में जुटी थीं। बाल-विवाह, बट्ट विवाह एक साधारण सी बात थी जो प्रत्येक वर्ग में विद्यमान थी, परन्तु इसके साथ ही पति की मृत्यु के बाद जो स्त्री की दुर्दशा होती थी उसमें उच्च वर्गों में सती प्रथा प्रचलित हो गई थी। विधवा-विवाह समाज के उच्च वर्ग में अनाल्पविद्य था। समाज के जिम वर्ग को नेहल्ल देना था यदि वही इस प्रकार

1. हबीब व निज़ामी, पृ. 118

की कुप्रथाओं का शिकार हो तो समाज की स्थिति का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है।

गोरी के आक्रमण के समय सामाजिक अवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ पाया था। परिवर्तन के नाम पर स्थिति बद से बदतर हो गई थी और जटिलता ने अधिक घर कर लिया था। भारतीय समाज में मुसलमानों के तत्त्व ने समावेश कर लिया था और ये छोटी-छोटी वस्तियों में देश के विभिन्न भागों में बस चुके थे। बनारस और वहराइच में इनके मकबरे और मस्जिद थे जिससे सहज ही में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये शान्तिपूर्ण ढंग से इन प्रदेशों में रह रहे थे। यद्यपि यह ठीक है कि राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से इनका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से इनकी सद्भावना और सहानुभूति अपने सहधर्मी आक्रमणकारियों के साथ थी, जो भौतिक व मनोवैज्ञानिक रूप में उनके लिये सहायक थी।

आर्थिक दशा—आर्थिक दृष्टि से भारत सम्पन्न था और उसकी ये अत्यधिक सम्पन्नता ही उसके लिये अभिशाप सिद्ध हुई। विस्तृत व उपजाऊ भू-प्रदेश तथा विदेशों से उन्नत व्यापार इसके प्रमुख कारण थे। तटीय नगरों की समृद्धि का कारण कुछ तो विदेशी बणिकों का यहाँ बस जाना था, जो पश्चिमी एशिया के अभिकांक्ष व्यापार पर नियन्त्रण रखते थे। अरब व्यापारियों ने चीन और दक्षिणपूर्वी एशिया से व्यापार भी बढ़ा दिया था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बन्दरगाह जैसे-कम्बे, घाना, सुपारा आदि विदेशी व्यापार के प्रमुख केन्द्र थे। आर्थिक सम्पन्नता के इस विशाल सागर में आर्थिक असमानता व्याप्त थी क्योंकि देश की सम्पत्ति कुछ विशेष वर्गों के हाथों में थी, ग्रथवा मंदिरों में संचित थी। मन्दिरों की संचित सम्पत्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि नगरकोट के मन्दिर से महमूद गजनवी को इतनी अधिक लूट मिली थी कि जितने भी ऊँट उसे मिल सके उन सब पर इस लूट की लाद दिया गया और फिर भी लूट बची रह गयी। जिसे पदाधिकारियों ने आपस में बाँट लिया। लूट में 30 गज लम्बा व 15 गज चौड़ा श्वेत चाँदी का एक घर भी मिला जो अमोरों के घर के समान था तथा जिसकी तह बनाई जा सकती थी। सोमनाथ का मन्दिर तो अपने ऐश्वर्य में अद्वितीय था जिसमें रत्नजड़ित मूर्तियाँ थीं और सोने तथा चाँदी के घण्टे थे। सोमनाथ की प्रतिमा के कमरे में कोई प्राकृतिक रोगानी का प्रवन्ध न था परन्तु रत्नों की ज्योति इतनी अधिक थी कि अंधेरे का कभी आभास भी नहीं होता था।

यद्यपि आर्थिक दृष्टि से भारत सम्पन्न था और मन्दिर इस समृद्धि और सम्पन्नता के केन्द्र थे, परन्तु इस धन की रक्षा करने का कोई प्रवन्ध नहीं किया गया था। सम्भवतः हिन्दुओं की ये धारणा बन गई थी कि ईश्वर स्वयं धमन्धि आक्रान्ताओं के विरुद्ध अपनी रक्षा कर सकेंगे जैसा कि सोमनाथ पर महमूद के

आक्रमण के समय उन्होंने गोष्ठा था, हमनिये इनकी रक्षा का कोई समुचित प्रबंध नहीं किया गया था।

धार्मिक दशा—धार्मिक आचार पर भी गिरावट स्पष्ट थी और ऐसा होना स्वाभाविक भी था। समाज में जब इतनी धार्मिक महान ची तो धर्म का प्रचलन रह जाना नितान्त असम्भव था। मन्दिर और बौद्ध-विहार पवित्रता के केन्द्र न रहकर अनाचार और भोग-विलास के प्रदूषण बन चुके थे। मन्दिरों में देवदानियों की प्रथा न इनकी अप्टाचार और अनैतिक क्रिया-कलापों का अनायास बना दिया था और देवत्व की प्राप्ति में ये निर्विरोध पथ रहे थे। बौद्ध-विहार भी किसी प्रकार न पीछे नहीं थे। शिक्षा-संस्थाएँ भी इस अप्टाचार से मुक्त नहीं थीं। चित्रमण्डला के विद्यालय में जब एक विद्यार्थी के पास शराब की बोतल पायी गई तो मालूम हुआ कि वह उसे एक शिक्षुगी में प्राप्त हुई थी। यहाँ तक भी इस गिरावट की सम्भवतः गहन क्रिया जा सकता था परन्तु यह यही तक सीमित न थी। विद्यार्थी को दण्ड देने के सम्बन्ध में भी विद्यालय के परिचारकों में मतभेद खड़ा हो गया। यदि इस अनाचार का पक्ष-विपक्ष हो सकता है तो गिरावट का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। धार्मिक और शिक्षण-संस्थाओं में इस प्रकार की अनैतिकता और अनाचार का विद्यमान होना समाज की अनैतिकता का कारण और परिणाम दोनों ही था। यह सम्भव है कि जन-मायारण इस अनैतिकता से अलग-अलग रहा हो, परन्तु शासक और शिक्षित-वर्ग भी यह अनैतिकता देश को दुर्बल बनाने के लिये पर्याप्त थी। दार्शनिकों की सामर्थ्य सम्प्रदाय लोकप्रिय होते जा रहे थे जिनमें सुरापान, मादक-पदार्थों के अनुयायियों की धार्मिक क्रियाओं में सम्मिलित थे। वास्तविकता यह थी कि धर्म की मूल भावना का गला घोट दिया गया था और इसके स्थान पर धार्मिक बर्मेकाण्ड और अन्धविश्वास-जनित क्रायता में स्थान ले लिया था। इन्हीं-असौरे ने हमका एक रोचक चित्र इस प्रकार दिया है—

"भारत में यह मूर्ति (सोमनाथ की) सबसे बड़ी थी। जब भी चन्द्र-ग्रहण होगा था तो हिन्दू इस मन्दिर की यात्रा करते थे और लाखों आदमी यहाँ एकत्रित होते थे।" "समुद्र में जो ज्वार-भाटा आता है उसका अर्थ यह है कि समुद्र मूर्ति की पूजा करने आना है। इस मन्दिर में बहुमूल्य मेट लड़ाई जाती थी। इसमें सेवकी की भी बहुमूल्य मेट मिलती थी। इस मन्दिर को दस हजार गांव दिने दिये थे और यहाँ उत्तम प्रकार के बहुमूल्य रत्नों का भण्डार था। भारत के लोग गंगा नदी पर बड़ा विश्वास करते हैं।" "सोमनाथ और गया के बीच दो सौ परसग का अन्तर है, परन्तु मूर्ति के स्थान के लिये प्रतिदिन गंगाजल लाया जाता था। पूजा करने के लिये प्रतिदिन एक हजार ब्राह्मण मन्दिर में उपस्थित रहते थे। वे ही लोगों को दर्शन कराते थे। यात्रियों के टाकी और सिर धू देने के लिये तीन सौ माई तैयार रहते थे। मन्दिर के द्वार पर साठे तीन सौ मनुष्य भजन

गाते हुये नाचा करते थे। इनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन नियत वृत्ति दी जाती थी। जब महमूद ने भारत में मूर्तियों को खण्डित किया तो हिन्दू लोग कहा करते थे कि सोमनाथ उन मूर्तियों से रुष्ट है। यदि वह सन्तुष्ट होता तो उन प्रतिमाओं को कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता था। जब महमूद ने यह बात सुनी तो उसने निश्चय किया कि सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ने के लिये अभियान किया जावे। उसका विश्वास था कि जब हिन्दुओं को ज्ञान होगा कि उनकी प्रार्थनाएं और उनके शाप असत्य और व्यर्थ हैं तो वे इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे।¹

धर्म और समाज की ये स्थिति भारत की सांस्कृतिक विलासिता के लिये भी उत्तरदायी थी। कला और साहित्य इसी स्थिति के प्रतिरूप थे। स्थापत्य-कला, मूर्ति-कला, चित्रकला आदि में से इसी प्रवृत्ति की दुर्गन्ध आती थी। साहित्य में 'कुटिनी-मत्तम' और 'अमय-मत्रक' (वेश्या की आत्मकथा) उस समय के साहित्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

सैनिक दृष्टि से भी भारत पिछड़ा हुआ था। भारतीय सैनिक अब भी आक्रमक युद्ध नीति की अपेक्षा, रक्षात्मक नीति ही अपनाये हुये थे। उनके घस्र-घस्र भी परम्परागत थे और वे उन्हीं पर निर्भर थे। उत्तर-पश्चिम सीमा की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था, न तो वहाँ किलों का ही निर्माण किया गया था और न ही चीनियों की तरह कोई रक्षा-दीवार ही बनाई गई थी।

इस प्रकार राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक धार्मिक, नैतिक व सैनिक दृष्टि से भारत अत्यन्त दुर्बल था। उसकी इस स्थिति का कारण था कि उसने विदेशियों से कभी कुछ सीखने का प्रयत्न ही नहीं किया। इसलिये भारतीयों में अज्ञानता और दम्भ पनपे और वे अपनी उन्नति के प्रति असावधान हो गये। इस स्थिति का वर्णन महमूद गजनवी के साथ आये हुये विद्वान अलबरूनी ने बड़े ही तीखे ढंग से किया है। उसने लिखा है कि, "भारतवासी विश्वास करते हैं कि उनके देश के अतिरिक्त और कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं है, उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं है..... जो कुछ वे जानते हैं, उसे दूसरे को बताने में स्वभावतः वे संकोचशील हैं, और वे इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि वे अपने ही लोगों में भी अन्य जाति के लोगों को न बताएँ और किसी विदेशी को तो कदापि न बतायें।"¹

इस प्रकार एक ऐसा वातावरण विद्यमान था जिसने आक्रमणकारियों को ग्रामन्वित किया और क्योंकि वे तुलनात्मक आघार पर युद्ध-शैली में प्रवीण थे इसलिये उनका सफल होना स्वाभाविक था।

1. इलियट एवं हाउसन, वही, पृ. 338-39

उत्तरी भारत में तुर्कों-सत्ता की स्थापना के लिए उत्तरदायी तत्व

सूचना—तुर्कों के आक्रमण के पहले भी भारत एक बड़ी धनेक जातियों के आक्रमणों का शिकार हुआ। गण्डो, कुषाणों और हूणों की तरह तुर्कों के बारे में भी वही समझा गया कि वे मध्य-एशिया की दूसरी जातियों की तरह ही पत्राज पर अपना नियंत्रण बढाना चाहते हैं। सतत के दक्षिण में बसे हुए उत्तर-भारत के राज्य भी यह पूरी तरह नहीं भ्रष्ट मक कि तुर्कों को भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। वे वही समझ पाये कि दूसरी मध्य-एशिया की जातियों की तरह महमूद गजनवी और उसकी सेनाएं भी वहां के जीवन में आगमन हो जावेंगी। महमूद की मृत्यु के बाद विघेपरर इसके उत्तराधिकारियों की उत्तरी भारत में विशेष रुचि न होने व कारण, उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर सतर्क रहने की आवश्यकता ही नहीं समझी गयी। इसीलिए अब बारहवीं शताब्दी के अन्त में मुहम्मद गोरी के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण उत्तर-पश्चिम की ओर से हुआ जो भारत व्यापक रूप से इस आक्रमण का सामना करने के लिये उत्तर ही अंतपर या जितना कि वह महमूद गजनवी के आक्रमण के समय था। 11 वीं व 12 वीं शताब्दी में जिस प्रकार वे तुर्कों में पराजित हुए, वह अस्थायिक था। हिन्दुओं के अनेक राज्य गजनवी और गोरी राज्यों की तुलना में किसी प्रकार से कम न थे, उनकी सैनिक शक्ति तुर्कों की तुलना में अधिक भी थी, उनकी शक्ति भी कम न थी और शौर्य तथा साहस की दृष्टि से भी वे किसी प्रकार आक्रमणकारियों से कम न थे, परन्तु इन सब के होते हुए भी उनकी पराजय हुई यह बड़ी ही अचिन्त रहती है। इसका उत्तर विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार से दिया है और किसी ने एक कारण पर तो किसी ने दूसरे कारण पर अग्रिम बल दिया है।

अहिंसा और कर्म-सिद्धान्त— इस मृत्यु की ओर अग्रिम अहित, समाजोप इतिहासकारों के मन में बसा दिया है, क्योंकि तुलनात्मक में लेकर बरती और कर्म-सुरभिर तक के इतिहासकारों ने इन कारणों को बृद्ध विचारने की कोई चेष्टा ही नहीं की। इन कारण सामुहिक इतिहासकारों ने तुर्कों की विजय अथवा हिन्दू राजाओं की पराजय के जो विभिन्न कारण बताये हैं वे सम्भया को समझने के लिये दृष्टिकोणों पर आधारित हैं और ऐसी स्थिति में सामाजिक है कि उनमें अन्तर्गत हो। सम्भया कुछ इतिहासकार भारत में व्याप्त अहिंसा और कर्म-सिद्धान्तों को प्रमुक्तता देते हैं, तो दूसरे सामाजिक व्यवस्था तथा अति-भेद के अन्तरो को हिन्दुओं की दमनीय स्थिति का मुख्य कारण बताते हैं। यह ठीक है कि अहिंसा के सिद्धान्त ने समाज के एक वर्ग में हिंसात्मक प्रवृत्तियों के लिये छूटा पैदा कर दी थी और कर्म के सिद्धान्त ने उन्हें अग्रिम आध्यात्मिक और अग्रमंथ बना दिया था, परन्तु इन आधारों पर उनकी पराजय की अचिन्त करना उनका ही अग्रमण होना जितना कि रोमन साम्राज्य के पतन में ईसाई-धर्म के अग्रमण की उत्तराधारी मानना। शौर्य ही समाजों में पतन के अनेकाले कारण विद्यमान थे, जिन्होंने जीवन-शक्ति

की भकभौर दिया था । जिस प्रकार से वगैर ईसाई-धर्म के अनुयायियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद भी रोमन साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी था, उसी प्रकार से हिन्दुओं का वगैर अहिंसा और कर्म के सिद्धान्तों के तुर्कों के सम्मुख पराजित होना निश्चित था ।

सामाजिक दुर्बलता—सामाजिक दुर्बलता के अन्तर्गत जाति-व्यवस्था, ऊँच-नीच की भावना ने समाज पर एक विनाशक प्रभाव डाला था । इसने समाज को असाध्य अवरोधों से छोटे-छोटे वर्गों में बांट दिया था, उनके चुनाव के क्षेत्र को सीमित कर दिया था, वर्गीय गुण-विशेषताओं को प्रोत्साहन दिया था और समान राष्ट्रीय चेतना पर कुठाराघात किया था, परन्तु इस आधार पर इसका समाधान निकालना एक अत्यधिक जटिल समस्या का साधारण हल ही है, जिसको घटनाओं की कसौटी पर खरा उतारना सम्भव नहीं है । जाति-व्यवस्था का व्यापक रूप विद्यमान होते हुये भी चन्द्रगुप्त मौर्य ने सैल्युकस को पराजित किया था और स्कन्दगुप्त तथा यशोधर्मन ने हूणों को खदेड़ दिया था; विजयनगर राज्य ने लगभग दो शताब्दियों (1336 से 1556 ई.) तक मुसलमानों की सेनाओं के प्रवाह को रोके रखा था और मरहटे मुगल साम्राज्य की कद्र पर शक्तिशाली राज्य को स्थापित करने में समर्थ हुये थे । यदि जाति व्यवस्था के बाद यह सब सम्भव था तो उत्तरी भारत के हिन्दुओं में प्रचलित जाति-व्यवस्थाओं को इसका अपवाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है । प्रो. निजामी यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जाति व्यवस्था ने राजपूत-राज्यों (हिन्दू-राज्यों) की सैनिक शक्ति को दुर्बल किया क्योंकि युद्ध करना एक विशेष वर्ग का कर्तव्य समझा गया । उन्होंने लिखा है कि, “भारतीयों की पराजय का मुख्य कारण उनकी सामाजिक अवस्था और अन्यायपूर्ण जाति भेद थे जिन्होंने उनके सम्पूर्ण सैनिक-संगठन को अरक्षित और दुर्बल बना दिया ।” जाति-भेद और वन्वनों ने सामाजिक और राजनैतिक एकता की भावना को पूर्ण नष्ट कर दिया ।” इसका अर्थ है कि इसके कारण समस्त हिन्दू राज्यों की सैनिक शक्ति कम हो गई थी और उन्हें ‘युद्ध-हेतु तत्पर राज्य’ (Nations in arms) के सिद्धान्त से विमुक्त कर दिया था । प्रथमतः यह आज मान्य नहीं है कि सैनिक केवल एक विशेष-वर्ग (क्षत्रियों) में से ही भर्ती किये जाते थे, क्योंकि राजतरंगणी¹ में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जबकि क्षत्रियों के अतिरिक्त ब्राह्मण सैनिक, सेना में भोजूद थे । कल्हाण² ने लिखा है कि, “समस्त सेना भाग खड़ी हुई और केवल ब्राह्मण कल्याण राजा जो युद्ध-कला में निपुण था शत्रु से लड़ता हुआ मारा गया ।” कौटिल्य³ भी वैश्यों और शूद्रों को सेना में भर्ती करने का अनुमोदन करता है और

1. कल्हाण-राजतरंगणी, नाम आठ, पृ० 1345

2. वही, पृ. 1071

3. अर्थशास्त्र, I.X, अध्याय 2

उनके शौर्य की प्रशंसा करना है। इसके प्रतिरिक्त 'मुद्र-हेतु तत्पर राज्य' का मिथ्या मतलब से फाँसीकी भाँति भी देन है और उसको 11 वीं धारा 12 वीं कानूनी के सम्बन्ध में लागू करना उचित नहीं है। यह स्वीकार करना भी उचित है कि जाति-धरा न हम विचार के विकास में प्रशस्तोप पैदा किया कि मुद्र करना प्रथम देश की सुरक्षा करना एक विशेष वर्ग का उत्तरदायित्व न होकर प्रत्येक वर्ग का कार्य है।¹ क्योंकि इस प्रकार की योजना मध्यकाल में उन देशों में भी विद्यमान नहीं की जहाँ भारतीय नस्ल की जाति व्यवस्था नहीं थी। मध्यकालीन यूरोप में मुद्र का वाप एकमात्र यूरोपीय सम्मान ही करने में। भारत की तरह यूरोप में भी 18 वीं शताब्दी के अन्त तक जनसमुदाय न प्रत्येक स्वामियों के मुद्रों में अन्त-बन्ध ही प्राप्त किया था।

राजनीतिक कारण इस प्रकार हिन्दू राज्यों की पराक्रम के तात्कालीन कारणों की रूप की जाँच में बाध करने हैं—राजनीतिक कारण व सैनिक कारण। राजनीतिक कारणों में यह ज्ञान केवल सैनिक दृष्टिकोण से होता कि भारतीयों का वाप एक ऐसा काल था जब सभी छोटे राज्यों का समाहार चलन ही रहा था। मुद्र-प्रतिहारों के अन्त में बाद सम्पूर्ण उत्तरी-भारत अन्तक छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया था। इनमें से कुछ की स्थापना सांख्यिक योजनाओं में की थी तथा कुछ राज्यों के सरकारी न स्थापित किये थे, जिनकी सीमाएँ प्रायः दिन-ब-दिन बढ़ती थी तथा सबसे बड़ा प्रतिफल यह था कि वे सर्वत्र ही आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी थे। प्राचीन और मध्य-युगीन परिस्थितियों में राजनीतिक एकाता की स्थापित करना न तो साधारणतया सम्भव ही था और न ही प्राथमिक। उत्तरी भारत के इस विभाजन के बाद भी अनेक ऐसे राज्य थे जो उत्तरी और पश्चिमी के राज्यों से शक्ति, समृद्धि, विचार और सैनिक-बल में किसी प्रकार कम न थे। परन्तु दुर्भाग्य यह था कि इनकी दुर्बलता का कारण एक संगठित राज्य का अभाव नहीं बलितु इनकी गिरावट पारम्परिक प्रतिस्पर्धा व अशुभा थी। इसी कारण वे एकजुट होकर अशुभ का सामना कर सकने में असमर्थ रहे। मेरा चिन्तने का यह बलन कि भारत, भारत के भारत को संगठित रूप में पाया जाता तो सम्भवतः उत्तरी भारत-विचार विन्धु नहीं की जाया तक ही दूर गया होता, किसी प्रकार से भी मुद्रमय दिन कामि, महामुद्र चलनी व मुद्रमय सोरी पर काम लागू नहीं होता है। इस पारम्परिक प्रतिस्पर्धा और विरोध का प्राकृत्यकारियों में दूर तक अन्त, क्योंकि विरोध शक्ति का अर्थ एक शक्तिशाली पक्षी राज्य की तुलना में हम सर्वोपरि विधा जाता था।

साधारणतया—यह विपत्तियों की प्रवृत्ति मरि नहीं तक सीमित रहती ही भी सम्भवतः कुछ प्राणा यथी, परन्तु इनके अन्तर ही अन्तर ऐसे विनाशकारी तत्वों की उदयना किन्हीं राज्यों के अन्तों के प्रतिरिक्त उत्तरी जीवन-शक्ति को ही विशेष

1. सर्वेण विन्धु, अन्त 1930, पृ 158

दिया। गुप्त-युग के समय से ही उत्तरी भारत में सामन्तवादी प्रवृत्तियाँ उभर रही थी और ग्यारहवीं शताब्दी में ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गयी थीं। इसका परिणाम निकला कि पहले ही उत्तरी भारत जो अनेकों राज्यों में बंट चुका था अब इस प्रवृत्ति के कारण अनेक छोटे-छोटे भू-भागों में बंट गया, जिनके स्वामी नगण्य सामन्त अथवा जागीरदार थे। प्रत्येक सामन्त अथवा जागीरदार अपने कुल के सम्मान में वृद्धि तथा जागीर में बढ़ोतरी करना अपना प्रमुख कर्तव्य समझता था। यद्यपि ये सामन्त अपने प्रदेशों में परोक्ष स्वशासन के अधिकारों का उपभोग करते थे, परन्तु उसके बाद भी उनका यह कर्तव्य था कि युद्ध के समय वे अपने स्वामी की सैनिक रूप में सहायता करेंगे। इनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा अत्यधिक थी और जब कभी आन्तरिक अथवा बाहरी कारणों से स्वामी की शक्ति का ह्रास होता था तो सामन्त अथवा जागीरदार या तो स्वयं को स्वतन्त्र घोषित कर देते थे अथवा घासपास के जागीरदारों को अपनी स्वामिभक्ति अन्तरणा करने के लिये बाध्य कर स्वयं की शक्ति में वृद्धि कर लेते थे। अधिकतर हिन्दू राज्य इस अस्थिर आधार पर संगठित थे। ऐसे सामन्तों अथवा जागीरदारों से मिलकर बनी हुई राजा की सेना विभिन्न अलग-अलग टुकड़ों की जोड़कर बनायी गयी ऐसी सेना होती थी जिसमें एकता, अनुशासन नेतृत्व और सैन्य-संवाहन का पूर्णतया अभाव होता था। इन गुणों के न होते हुये यह आशा करना कि हिन्दू राज्य तुर्कों के विरुद्ध सफलता प्राप्त कर लेंगे, केवल पत्थर में से पानी निकालने के समान था। यह ठीक है कि विभिन्न छोटे-छोटे जागीरदारों और हिन्दू राजाओं ने तुर्कों का कठोर मुकाबला किया, परन्तु न तो वे संगठित रूप में कभी एक मोर्चा बना सके और न ही वे सेना के आधार-भूत दोषों को ही दूर करने में समर्थ हुये।

सैनिक कारण—सेना की ये अव्यवस्था हमें हिन्दुओं की पराजय के दूसरे कारण के निकट लाती है। बी. ए. स्मिथ ने ठीक ही लिखा है कि, “शौर्य तथा मृत्यु के आलंगन में वे (हिन्दू) आक्रमणकारियों के समान थे, परन्तु युद्ध की कला में वे निश्चित ही उनसे निम्न थे।” युद्ध में सफलता के लिये मोटे रूप से तीन तत्व आवश्यक हैं—नैतिक गुण, संगठन व साज-सामान तथा नेतृत्व। इस आधारों पर हिन्दुओं तथा आक्रमणकारियों के बीच किसी प्रकार की तुलना करना कठिन है, क्योंकि समकालीन इतिहासकारों ने जो विवरण छोड़ा है वह इकतरफा है, परन्तु इसके बाद भी उनसे किसी प्रकार के अनुमान निकालना सम्भव है।

नैतिक गुण—नैतिक गुणों के अन्तर्गत हिन्दुओं में साहस, शक्ति व संकल्प की कमी न थी परन्तु उनके विरोधियों में इन गुणों की मात्रा अधिक थी। यह सर्वमान्य है कि आदिकालीन सभ्यता ये साहस, आत्म-त्याग व व्यक्तिगत स्वार्थों को समुदाय के स्वार्थों में निहित करने के गुण स्वाभाविक थे और उनको कृत्रिम साधनों से पुष्पित व पल्लवित करने को कोई आवश्यकता ही अनुभव नहीं की गई थी।

एक सम्य और सम्पन्न वर्ग इन गुणों के विकास के लिए उपयुक्त आधार नहीं होना और निश्चय ही हिन्दू, तुर्कों से इस क्षेत्र में आये थे। तुर्कों के इस विद्युद्देव के साथ उन पामिक उत्साह कूट-कूट कर भरा हुआ था और वे इस्लाम में नये समर्थकों को लाने के लिए आतुर थे। विजय के द्वारा इस्लाम को फैलाने की इस प्रवृत्ति ने उनके जोग को उभारा और वे शहीदों के रूप में स्वयं को समर्पित करने के लिए तत्पर हो गये। मॉलिवर कामबेल ने लिखा है कि "सबसे भ्रष्टा सैनिक वह है जो यह जानता है कि वह किस कारण लड़ रहा है तथा इस उद्देश्य से पूर्णतया जुड़ा है।" इस्लाम और उसकी प्रतिष्ठा को फैलाने की भावना ने तुर्कों को वह प्रेरणा प्रदान की जिसकी हिन्दुओं में कमी थी। तुर्क यह समझते थे कि वे ईश्वरीय प्राज्ञाओं से युद्ध कर रहे हैं तथा ईश्वर की अनुकम्पा उनके पक्ष में है। हिन्दुओं में इस प्रकार की कोई प्रेरणा-शक्ति न थी जिसके बशीभूत हो वे युद्ध करें। राष्ट्रीयता और देश-भक्ति की भावनाएँ अभी अज्ञान-मग्न थीं और धर्म की उदारता उन्हें एव कट्टर अतहिष्णु के रूप में नहीं डाल पाई थी। यह ठीक है कि वे धार्मणकारियों से जिन्होंने उनकी सम्पत्ति को लूटा हो, मन्दिरों को अपवित्र किया हो तथा उनकी ममस्त प्रिय वस्तुओं को परो तले रोटा हो, धार्मिक लुब्ध थे। परन्तु इसके बाद भी वे ऐसे सजजन तत्व नहीं थे जो उनके आपसी मतभेदों की मुसा नके प्रथवा इन बिनागकारी शक्तियों को रोकने के लिए एकजुट करने में समर्थ हों। सक्षिप्त म हिन्दुओं में एक एम आदर्श की कमी थी जिससे वे निरन्तर प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

प्रो के ए. निजामी पामिक प्रेरणा को तुर्कों की सफलता का कारण नहीं मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि, "तुर्कों की सफलता का कारण मुसलमानों के पामिक जोश में तत्ताम करना अनतिहासिक होगा।" यह ठीक है कि सूट की तातता और राज्य-विस्तार की आकांक्षा भी तुर्कों के लिए प्रेरणादायक तत्व थे, परन्तु इन सब को इस्लाम रूपी सीमेन्ट ने दृढ़ता प्रदान की थी। शारीरिक शक्ति और ताज-सज्जा से वहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक विचार हैं, जो सैनिकों को युद्ध तथा उसमें विजय भी प्राप्त करने के लिए सर्व्व तत्पर रख सकते हैं। मध्य-युग आस्था और धर्म का युग था और उसे नकारना स्वयं को आधुनिक से भी अधिक आधुनिकतम साबित करने का निरर्थक प्रयास है। मध्ययुग को मध्ययुग के मापदण्डों के आधार पर ही भाका जा सकता है और यदि उस पर आधुनिक युग की मांगों को लागू करने का प्रयास किया गया तो इतिहास को केवल भूटनाना होगा। आज हम धर्म-निरपेक्ष राज्य की बात को स्वीकार करते हैं, परन्तु मध्ययुग में इस धर्म-निरपेक्षता का कहीं नामो-निशान भी नहीं था और विशेषकर इस्लाम में जो धर्म होने के साथ ही सरकार को चलाने की एक पद्धति भी है। इस युग में धर्म का प्रभाव न प्रस्वामाधिक था, न तिरस्कृत और न ही आज के युग की भांति हानिकारक। मध्ययुग में यदि व्यक्ति में से धर्म को निकाल दिया जावे तो यह उसके प्रति अन्याय होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह युग के साथ न्याय नहीं कर सकेगा। यदि तुर्कों में

धार्मिक भावना थी तो हिन्दुओं और ईसाइयों में भी यह भावना मौजूद थी, अन्तर केवल इतना था कि प्रत्येक की परिस्थितियों और उदारता के अनुपात में इनमें न्यूनता अथवा अधिकता आ गई थी। इस्लाम की इस धार्मिक प्रेरणा को हम दोष के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपितु यह उस युग की चारित्रिक विशेषता थी। 11 वीं शताब्दी के सल्जुक तुर्कों और 15 वीं शताब्दी के आटोमन-तुर्कों के उदाहरणों से यह सिद्ध हो जाती है, जिन्होंने उस बाइजन्टाइन साम्राज्य को बरबाद करने और अन्त में समाप्त करने में पूर्ण सफलता पाई जो भारत में व्याप्त राज-नैतिक और सामाजिक व्यवस्था की कमियों से मुक्त था।

नैतिक गुणों में हिन्दुओं की ये निम्नता धीरे-धीरे स्पष्ट होती गयी। जयपाल (1001 ई.) और प्रानन्दपाल (1008 ई.) ने महमूद का कठोर विरोध किया परन्तु जब महमूद ने भटिण्डा के शासक के विरुद्ध एक निर्णयात्मक विजय प्राप्त की तब अधिकतर हिन्दू शासक उसकी इस विजय से कांप उठे। उनका उत्साह मंग हो चुका था और वे आक्रमणकारी से डर कर जंगलों में भाग जाते थे। भीमपाल ने चन्देला शासक को सुल्तान महमूद के सम्बन्ध में जो पत्र लिखा वह इसका अकाट्य प्रमाण है।

युद्ध क्षमता—इस क्षेत्र में भी दोनों की तुलना करना सम्भव नहीं है। यद्यपि दोनों के ही द्वारा एक ही प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, परन्तु साज-सामान के क्षेत्र में वे एक-दूसरे से विल्कुल भिन्न थे। हिन्दू-सेना का मुख्य अंग हाथी थे और हिन्दू शासक उन पर अत्यधिक विश्वास करते थे। अनेक अवसरों पर हाथी तुर्कों के तीरों से घायल होकर पीछे भागते थे और अपनी ही सेना को अव्यवस्थित कर देते थे अथवा वे युद्ध-स्थल से भाग खड़े होते थे जिससे सेना को यह सन्देह हो जाता था कि राजा भाग गया है और वे भी ऐसी स्थिति में भाग खड़े होते थे। इस प्रकार हाथी-सेना रक्षक की अपेक्षा भक्षक हो जाती थी।

इसके साथ ही हिन्दू राजा हाथी के हौदे में ही बैठकर युद्ध का संचालन करते थे जिसके कारण शत्रु-पक्ष उनको आसानी से पहचान कर उनको ही अपना केन्द्र बिन्दु मानकर टूट पड़ते थे। बाहिर ने मुहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध हाथी के हौदे में बैठकर युद्ध किया और शत्रु ने इसका लाभ उठाकर उसके हौदे को आग लगा दी और उसी के साथ सेना में भगदड़ मच गई। दूसरी बार 1008 ई. में जब महमूद गजनवी आनन्दपाल के विरुद्ध युद्ध कर रहा था और ऐसा जान पड़ता था कि हिन्दू विजित होंगे उसी समय फरिश्ता के अनुसार¹, “अन्धानक राजा का हाथी तीरों की बौछार से बेकाबू हो गया और युद्ध-क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। इस स्थिति ने हिन्दू सेना में आतंक फैला दिया और अपने सेनापति के पलायन को देख वे स्वयं

भी भाग खड़े हुए।" वास्तविकता यह है कि हागियो का युद्ध में भाग लेना सिद्धान्त गलत नहीं था, बल्कि हागियो पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना घातक था। यदि युद्धों में हागियो की अनुपयोगिता सिद्ध हो गई होती तो गमासुद्दीन बलबन अपने पुत्र बुगराखा की बगाल से नियमित रूप में हाथी भेजने का आदेश न देता और न ही लोदी सुल्तानों के समय में हस्ती-सेना पर बल दिया जाता।

हिन्दुओं के विपरीत तुर्क आक्रमणकारी घुड़सवार सेना पर अधिक विश्वास करते थे। युद्ध-क्षेत्र की व्यापकता और भू-भाग की विशेषता को ध्यान में रखते हुए निश्चित ही तुर्कों को अपनी द्रुत-गामी घुड़सवार सेना से लाभ था। तुर्कों घुड़सवार उस समय समस्त एशिया में सर्वश्रेष्ठ थे और जैसाकि प्रो० निजामी ने लिखा है कि, "उस युग में गतिशीलता तुर्कों सैनिक-संगठन का मूल आधार थी। वह युग घोड़ों का युग था और अद्वितीय गतिशीलता तथा शस्त्र-सुसज्जित घुड़सवार-सेना उस समय की आवश्यकता थी।" सर जदुनाथ सरकार ने भी लिखा है कि, "सीमा पार के इन आक्रमणकारियों के शस्त्रों और घोड़ों ने उनको भारतीयों पर विवादरहित सैनिक श्रेष्ठता प्रदान की थी।" तुर्क, घोड़ों की पीठ पर बैठे हुये और गतिशील रहते हुए भी धनुष का प्रयोग कर लेते थे, जबकि हिन्दू एक स्थान पर खड़े होकर ही अथवा भागते हुए, धनुष का प्रयोग करने में समर्थ थे। स्वभाविक था कि तेज घोड़ों पर से खनाये जाने वाले तीरों की मार अधिक प्रभावशाली थी। सुबुक्तगीन ने जयपाल को जिस सरलता से अपनी घुड़सवार सेना के आधार पर पराजित किया वह निस्सन्देह इस क्षेत्र में हिन्दू घुड़सवार-सेना की कमजोरी को प्रमाणित करती है। घुड़सवार सेना की तेज गति के कारण ही तुर्क आक्रमणकारी आकस्मिक आक्रमण की रणनीति को लागू कर सके और एक साथ एक नहीं अनेक दिशाओं से आक्रमण करने में सफल हुए। इस आकस्मिक रणनीति के आधार पर वे कभी पीछे हटने अथवा भागने का प्रदर्शन करते थे, परन्तु दूसरे ही क्षण वे फिर आघातक आक्रमण कर बैठते थे। महम्मूद गजनवी और मुहम्मद गोरी ने इस आकस्मिक आक्रमण की नीति का सुलकर प्रयोग किया और हिन्दू शासक इसको देखकर भगाकर रह गये।

संगठन—संगठन के क्षेत्र में भी हिन्दू, तुर्कों के बराबर न थे। तुर्क केवल एक नेता के नेतृत्व में लड़ते थे तथा उसकी आज्ञाओं का अविनाश्य पालन करते थे। इस आधार पर सहायक ताबकों के बीच आज्ञाकारिता की भावना को स्थापित कर उनमें स्थिति के अनुसार ताज-मेल बैठकर एक गठित मोर्चा बनाना अधिक आसान था। इसके विपरीत हिन्दू राजाओं का सैनिक-संगठन सामन्ती-प्रथा पर आधारित था जिसमें प्रत्येक सैनिक टुकड़ी राजा की अपेक्षा अपने सामन्त की अधिनायक मानकर केवल उसकी आज्ञाओं को ही शिरोधार्य करने के लिए तत्पर रहती थी। स्थिति कभी-कभी इतनी गम्भीर हो जाती थी कि सामन्तों में आपसी प्रतिस्पर्धा होने के कारण एक समाहित विजय, पराजय में परिवर्तित हो जाती थी। युद्ध-क्षेत्र

एक सामन्त अपने प्रतिद्वन्द्वी की रण-कुशलता को देखकर तथा उससे सम्भावित नाभों की कल्पना कर ऐसी विरोधी नीति अपनाता था जिसमें उसे पराजय का मुंह खे ही देखना पड़े परन्तु अपने विरोधी की उन्नति न हो सके। ऐसी वेमेल सेना में एकता, नेतृत्व और आदेशों की एकरूपता की कल्पना करना भी निरर्थक है। यह ठीक है कि जयपाल, आनन्दपाल व पृथ्वीराज ने आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघ बनाये थे और ये संघ यद्यपि संख्या की दृष्टि से प्रभावशाली भी थे परन्तु युद्ध-क्षेत्र में संख्या की अपेक्षा गुणों और गति का ही अधिक महत्व होता है और हिन्दू शासकों ने इसमें अपनी अद्योषता का परिचय दिया। विभिन्न प्रशिक्षण और विभिन्न संगठन के होते हुये उन्हें समुचित रूप में एक संशक्तिशील सेना का रूप देना कठिन था। तुर्क आक्रमणकारी यद्यपि विभिन्न नस्लों और वर्गों के थे, परन्तु फिर भी वे एक सेनापति के नेतृत्व में अनुशासित होकर युद्ध करने के महत्व को जानते थे तथा प्रशिक्षण के आधार पर भी उनमें एक-समान प्रवृत्तियाँ थीं।

रक्षात्मक युद्ध—राजपूतों की रण-नीति में यह भी बड़ी कमी रही कि उन्होंने सदैव ही रक्षात्मक नीति अपनाई। हिन्दुओं ने ब्यूह-रचना के आधार पर सदैव ही रक्षात्मक नीति अपनाई, जबकि तुर्क आक्रमणकारी आक्रामक आधार पर युद्ध करते रहे। तुर्क सामरिक दृष्टि के महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार करने का प्रत्यक्ष प्रयत्न करते थे जिसके कारण हिन्दुओं को पहाड़ी प्रदेशों में रक्षात्मक युद्ध-नीति अपनानी पड़ती थी, जो अधिक कष्टदायक थी। तुर्कों को परेशान करने का एक अच्छा साधन गुरिल्ला (छापामार) युद्ध-नीति हो सकती थी परन्तु हिन्दू इसका सफलतापूर्वक उपयोग न कर सके। वे ये भूल गये कि विजय के पूर्वाभास की नैतिक शक्ति आक्रामक नीति अपनाने में निहित होती है। जयपाल के अतिरिक्त किसी भी हिन्दू शासक ने न तो आक्रमणकारी नीति का पालन किया और न ही अपनी विजय के पूर्ण लाभ उठाने का प्रयत्न ही किया, जैसा कि गुजरात के शासक मूलराज की मन्हिलवाड़ा और पृथ्वीराज चौहान की तराइन के प्रथम युद्ध की विजयों से साबित होता है। यह मानना तो उचित न होगा कि तुर्कों ने कोई ब्रुटियाँ नहीं की परन्तु आक्रमणकारी नीति से लाभ यह हुआ कि उनकी छोटी-मोटी गलतियाँ इस नीति के आवरण में ढंक गई और वे विजय की दिशा में उचित दिशा प्राप्त करने में समर्थ रहे।

योग्य नेतृत्व—हिन्दुओं में योग्य नेतृत्व का अभाव रहा। डा. पी. सी. चक्रवर्ती ने लिखा है कि, "नेतृत्व के क्षेत्र में प्रतिद्वन्द्वियों में जितना विरोध था उतना विरोध और कहीं नहीं देखता।" जयपाल, आनन्दपाल व पृथ्वीराज में शौर्य और व्यक्तिगत साहस की कोई कमी न थी, परन्तु उनमें रणनीति और सामरिक

महत्व के गुणों का अभाव था। यह आश्चर्यजनक है कि यदि उनके लिये चीनियों की तरह उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बड़ी दीवार बनाना सम्भव न था तो कम से कम दरों के किनारे पर दुर्गों का निर्माण करके आक्रमणकारियों की गति और दूसरी ओर से प्राप्त होने वाली सहायता को पूरी तरह काट तो सकते थे। निस्सन्देह पृथ्वीराज एक योग्य सेनापति था जिसने तुर्कों के आक्रमण के पहले पर्याप्त ख्याति प्राप्त करली थी परन्तु माटा ने उसकी प्रशंसा कर उसे अत्यधिक अहमी बना दिया था और वो अपनी योग्यता में आवश्यकता से अधिक विश्वास करने लगा था। तराइन के प्रथम युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त करने के बाद उसने उस स्थिति का लाभ न उठाते हुए मुहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया। बड़े ही धाराम से सरहिन्द के किले पर घेरा डाला। इससे अधिक सोचनीय स्थिति यह रही कि उसने मुहम्मद गोरी के पुन लौटने की स्थिति का सामना करने के लिए कोई सावधानिया नहीं अपनाई। यह ठीक है कि जब दूसरे ही वर्ष मुहम्मद गोरी एक विशाल सेना के साथ लौटा तो पृथ्वीराज ने दृढ़ता और साहस से उसका विरोध किया परन्तु उसका शीर्ष उसकी युद्ध के प्रति उपेक्षा की कमी को पूरा नहीं कर सकता था।

पृथ्वीराज एक योग्य सेनापति था परन्तु मुहम्मद गोरी की तुलना में वह फीका पड़ता था। महमूद गजनवी का तो किसी यशस्वी सेनापति से मुकाबला ही नहीं हुआ। हिन्दुओं के विरोध में दोनों ही तुर्क सेनापति न केवल योग्य थे, अरिष्ट अपने अनुभव और कर्मठता से अपनी कमियों को पूरा करने में समर्थ थे, वे अपने सैनिकों को लूटमार का प्रलोभन देकर तथा धर्म के प्रति उनके कर्तव्य की भावनाओं को उभारकर उन्हें युद्ध के लिए प्रेरणा प्रदान करते थे। पाश्चिमी रणनीति से परिपूर्ण उन्होंने अपनी सैन्य व्यवस्था में समय की भाग के अनुसार ऐसे परिवर्तन कर लिये थे जो उनके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुये। मध्यकालीन युद्धों का नियंत्रण बहुत हद तक सेनापति के व्यक्तित्व और उसकी योग्यता पर निर्भर करना था और इसमें कोई दो मत नहीं कि हिन्दू-पक्ष इस क्षेत्र में तुर्क-पक्ष का मुकाबला नहीं कर सकता था। महमूद गजनवी और मुहम्मद गोरी इस क्षेत्र में जहाँ आगे थे और इसीलिये वे आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने इतने कम सैनिकों के साथ भारत के बड़े प्रदेशों पर जिस आसानी से अधिकार कर लिया। इसीलिये डा यू एन. घोषाल ने लिखा है कि, "महत्त्व यह है कि भारतीय अपनी परम्परागत रणनीति की नवीन परिस्थितियों में ढालने में अपने सामाजिक व भौगोलिक एकाकीपन के कारण असफल नहीं हुये अपितु इस कारण असफल हुये कि उनमें पर्याप्त प्रतिभा-सम्पन्न नेताओं की कमी थी।"

युद्ध-नीति—तुर्कों की युद्ध-नीति हिन्दुओं की तुलना में श्रेष्ठ थी। मुहम्मद गोरी आज के इस नियम को जानता था कि अश्व-सेना के युद्ध में वही पक्ष विजयी होता है जो अन्त तक एक सुरक्षित टुकड़ी को रक्ष सकता है। तराइन के दूसरे युद्ध

में उसने इस नियम का सहसा आक्रमण (shock tactics) की नीति से तालमेल बँठाकर इसको प्रमाणित किया। फरिश्ता ने लिखा है कि, “युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चलता रहा और जब शत्रु-पक्ष सहसा आक्रमण की नीति से थक चुका था तब मुहम्मद ने स्वयं 12,000 चुने हुए घुड़तवारों का नेतृत्व कर अपने विरोधियों पर भीषण आक्रमण किया और शत्रु के खेमे को ध्वंस और नरसंहार से रंग दिया। इस प्रकार तराइन का दूसरा युद्ध हाइडास्पीज के युद्ध की तरह मुख्यतः सेनापतियों के बीच युद्ध था जिसमें विजय शीर्ये की अपेक्षा कुशल नेतृत्व की सहचरी थी।” हिन्दू अपनी सेना को परम्परागत तीन भागों में बाँटते थे—केन्द्रीय भाग, दाहिना भाग और बायाँ भाग। सब ही भाग एक ही वार युद्ध करने में जुट जाते थे और शत्रु-पक्ष की बकावट का किसी प्रकार से भी लाभ उठाने में असमर्थ थे।

बौद्धिक एकाकीपन—इसके अतिरिक्त ऐसा अनुभव होता है कि भारत ने कभी भी युद्ध-प्रणाली अथवा दूसरे क्षेत्रों में दूसरों से कभी कुछ सीखने का सोचा ही नहीं। मेगस्थनीज के आधार पर स्ट्रैबो ने लिखा है कि, “भारतीयों ने केवल चिकित्सा-शास्त्र के अतिरिक्त किसी दूसरे क्षेत्र में विशुद्ध ज्ञान-प्राप्ति का कोई प्रयास ही नहीं किया।” कौटिल्य ने भी इसका अनुमोदन किया है कि भारतीयों में पुरानी ग्रहण-शक्ति समाप्त होती जा रही थी। ग्यारहवीं शताब्दी तक आकर प्रत्येक स्तर पर संकुचित विचारों का होना उत्तरी-भारत की विशिष्टता बन गई। अलबरूनी ने इस दृष्टिकोण का श्रेष्ठ सार देते हुए लिखा है कि, “भारतवासी विश्वास करते हैं कि उनके देश के अतिरिक्त और कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं है, उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं है………जो कुछ वे जानते हैं, उसे दूसरों को बताने में स्वभावतः वे संकोचशील हैं, और वे इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि वे अपने ही लोगों में भी अन्य जाति के लोगों को न बताएं और किसी विदेशी को तो कदापि न बताएं। उनका ज्ञान अस्त-व्यस्त है, इसमें कोई तर्क संगत क्रम नहीं है………वे दूसरों से सीखने का भी कोई प्रयास नहीं करते हैं। वे इतने दंभी हैं कि अगर तुम उन्हें खुरासान अथवा फारस में किसी विज्ञान अथवा विद्वान का कहो तो वे तुम्हें अज्ञानी के साथ ही मिथ्याभाषी भी समझेंगे।” यह निराशाजनक मानसिक प्रवृत्ति जिसने कुछ सीखने और कुछ भूलने के गुण को त्याग बोरबोर्गस जाति की विशिष्टता………बौद्धिक भावशून्यता की कदएाजनक स्थिति रोगलक्षण के साथ ही पतन का कारण भी थी। ईसा की पहली शताब्दी में टेशियास ने अपने देशवासियों को ये चेतावनी दी थी कि वे राईन और डेन्यूब नदी के दूसरी ओर रहने वाली बर्बर जाति से घृणा न करें क्योंकि उनमें ऐसे तात्विक गुण हैं जिनको सम्यक् रोमन आसानी से सीख सकते हैं। रोमन लोगों ने उसकी चेतावनी की ओर कोई ध्यान न दिया जिसका परिणाम हुआ कि बलवान और बर्बर जाति ने कुछ ही समय में रोमन साम्राज्य को तहस-नहस कर दिया। हिन्दुओं ने भी ठीक वही गलती दोहराई। उन्होंने स्वयं

को एकाकीपन और ऐंठन क शिकजे म इस बुरी तरह जकड लिया कि वे विदेशिया के प्रति उदासीन रहे, उनक सैन्य-कौशल और शस्त्र विधान से अपरिचित रहे और इस्लाम की भावना म अनभिज्ञ रहे। निश्चलता ने सडन पैदा की और सडन ने सकट। इमरसन की ये मान्यता सत्य के निकट है कि कोई बाहरी शक्ति एक घाघान म ही किसी का सदनन करने अथवा रौंदने में असमर्थ है जब तक कि वह आन्तरिक सडन स स्वय विनाश के लिए तत्पर न हो।¹

धार्मिक कारण—दुन प्रमुख कारणो के अतिरिक्त यहाँ की धार्मिक सम्पन्नता का सदुपयोग न करना भी हिन्दुओं की पराजय का कारण था। भारत म साक्षात्ता के साथ ही फलो कपडा, मसाला व मोतियो का बाहुल्य था। कश्मीर व अगूर और केसर गुजरात और वारंगन के मूनी कपडे, मलाबार के मसाले और दक्षिण के राज्या के मोती अधिक प्रसिद्ध थे। मलाबार और गुजरात के बन्दरगाहो स विदेशो से व्यापार होना था। चीन, जावा मुमात्रा, अरब आदि पूर्वी प्रदेशा और दक्षिण-पूर्वी और पश्चिमी प्रदेशो से व्यापार के कारण काफी धन संचित हो चुका था जिसका प्रमाण राजाओ और राज दरबारा तथा मन्दिरों की वैभवता थी। धन की अधिकता स्वय अपन म कोई दुर्बलता का कारण नहीं था बल्कि इस धन का पूरी तरह सदुपयोग न किया गया। अपेक्षाकृत इसके कि इसस सैन्य शक्ति बढ़ाकर देश को सुरक्षित किया जाता, यह राज्यों और मन्दिरा की शोभा बढ़ाता रहा और इसीलिए मन्दिर तुकों व आक्रमण के विन्दु बन।

धर्म मे गिरावट—धर्म म गिरावट भी हिन्दुओं के पतन का कारण मानी जाती है। हिन्दू धर्म न समार के सम्मुख व्यक्ति का आदर्श, नैतिक और सामाजिक जीवन रक्खा है। इसक अतमत धर्म का अर्थ कर्मच्य है जो किसी व्यक्ति का मपार और उससे आगे मानवता के लिए उपयोगी बनता है। इसीलिए हिन्दू धर्म एक धार्मिक अर्थ, एक दर्शन एर ईश्वर अथवा एक देवता की मूर्ति पूजा पर आधारित नहीं है। हिन्दू धर्म की ये उदारता उसक गिरावट का कारण बनी। ब्राह्मणा व धार्मिक एकाधिपत्य न जन-माधारण की धर्म म अलग कर दिया और हिन्दू धर्म विभिन्न सम्प्रदायों म बट गया। इससे धर्म की एकता नष्ट होने व साथ ही कर्म-काण्ड और मूर्ति-पूजा का महत्व बट गया, वाम-मार्ग और तान्त्रिकवाद पनप और धर्म म विघ्न खलता आ गयो। जब धार्मिक एकता ही नहीं रही तो सामाजिक एकता भी छिन्न भिन्न हो गई और सकटकालीन स्थिति म जब विदेशी भारत के द्वार खटखटा रहे थ तब भी धर्म व नाम पर सब हि दुषो क लिये एक जुट होना सम्भव न हो सका। ऐसी स्थिति म जब तुक धर्म को एक साथ तलवार और डान बनाकर आगे बढ रहे थे तब हिन्दुओं का इस प्रकार म विभाजित और विमुक्त हाना न तो न्याय-संगत था और न ही देग और धर्म के हित ही म था। ऐमे बेमेन और विरोधी

वातावरण में पराजय के अतिरिक्त किसी और परिणाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

इस प्रकार राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और आर्थिक कारण हिन्दुओं की पराजय के कारण बने। इसीलिए डॉ. आर. सी. मजूमदार ने लिखा है कि, “शत्रु की तुलना में हिन्दुओं के पास श्रेष्ठ और विस्तृत आसनों के होते हुए भी एक इतने प्राचीन और विस्तृत देश का इतनी शीघ्रता से पतन हो जाने का मुख्य कारण उसकी आन्तरिक गिरावट का परिणाम ही सम्भव है, न कि विदेशी आक्रमण जो उसके परिणाम तो थे परन्तु कारण नहीं।”

अनेक इतिहासकार ये स्वीकार नहीं करते हैं कि राजनीतिक एकता का अभाव और जन-साधारण की उदासीनता हिन्दुओं की पराजय के प्रमुख कारण थे। वास्तविकता यह है कि इनको बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है। हमने इन पृष्ठों में ये अध्ययन किया है कि हिन्दुओं के अनेक राज्य आक्रमणकारियों के राज्यों से क्षेत्र और साधन में कहीं अधिक थे और फिर किसी भी देश में समस्त जन-साधारण का युद्धों में भाग लेना सम्भव ही नहीं था। हिन्दुओं का कठोर संघर्ष और उनके आरम्भिक पतन के बाद भी लगातार तुर्कों से संघर्ष करते रहना इन कारणों के महत्व को कम कर देता है। इसी प्रकार गिरती हुई धर्म, समाज व नैतिकता की स्थिति को भी बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है। वास्तव में, तान्त्रिकवाद ने अपेक्षाकृत इसके कि जन-साधारण की धार्मिक भावना को दुर्बल किया, उनमें धार्मिक भावना को अधिक प्रबल किया और तुर्कों से मुकाबला करने की शक्ति को प्रज्वलित किया। सामाजिक व्यवस्था यद्यपि जटिल थी परन्तु इसी जटिलता ने हमारी संस्कृति को बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिये यद्यपि राजनीतिक और सांस्कृतिक दुर्बलता को नकारा तो नहीं जा सकता परन्तु इनको पराजय के प्रमुख कारणों में स्वीकार कर लेना भी सम्भव नहीं दिखता।

इस आधार पर यह माना जा सकता है कि सामन्तवाद और पारस्परिक प्रतिस्पर्धा पर आधारित भारत की राजनीतिक स्थिति किसी विदेशी आक्रमणकारी का सामना करने का सामर्थ्य नहीं रखती थी, परन्तु वह हिन्दुओं की पराजय का एकमात्र कारण भी नहीं थी। वह हिन्दुओं में एकता, उत्साह और सजगता पैदा नहीं कर सकी जो कि उनकी अन्य बुराइयों को ढक देती परन्तु स्थिति इतनी असहायता की भी नहीं थी, क्योंकि राष्ट्र की आत्मा का मूल आधार वहाँ के लोगों की मान्यताएं होती हैं। इस कारण यह कहना अधिक उचित है कि भारतीय सभ्यता में दुर्बलताएं तो थीं परन्तु वह पूर्णतया शक्तिहीन भी नहीं थी। भारतीय सभ्यता की दुर्बलता इससे स्पष्ट होती है कि वह तुर्कों के सफल आक्रमणों में कोई बाधा न डाल सकी और उसकी शक्ति इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि लगातार पराजयों के बाद भी वह आक्रमणकारियों से संपर्कित रही और फिर भी जीवित रही।

इस तरह हमारी मान्यता है कि हिन्दुओं की पराजय में आन्तरिक दुर्बलताओं ने पृष्ठ-भूमि तैयार की और तुर्कों की सैनिक शक्ति, रणनीति और

धार्मिक उत्साह ने उसमें पूरा आहूति का काय किया और विजय थी को धरने में व सफल हुये ।

१६. कुतुबुद्दीन ऐबक (1206-1210 ई)

1206 ई में 1290 ई के काल को फारसी इतिहासकारों ने मुइज्जी कुतबी शम्सी और बलबनी वंश में बाटा है । यद्यपि वंश वृत्त की दृष्टि से यह विभाजन ठीक है परन्तु शासन की विभिन्न परिस्थितियों के पीछे जो निरंतरता है वह इस विभाजन में नहीं मिल पाती है । आधुनिक विद्वानों ने उक्त पठान गुताम वंश आरम्भिक तुर्कों सुल्तान तुक ममलूक और इल्बरी वंश कह कर पुकारा है । क्योंकि वे निश्चित रूप से पठान नहीं थे और गद्दी प्राप्ति के पूर्व दासना में मुक्ति पा चुके थे इसलिए इन्हें पठान अथवा गुलाम वंश के कहना उचित न होगा । तुक ममलूक अथवा इल्बरी तुक की तुलना में केवल ममलूक शब्द अधिक उपयुक्त है क्योंकि इल्तुतमिश इल्बरी तुक या परन्तु कुतुबुद्दीन इल्बरी तुक नहीं था । इसके साथ ही हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते की बलबन इल्बरी तुक या अथवा नहीं । यह ठीक है कि इस युग के तीनों राज्य सस्थापक—कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश व बलबन ममलूक शब्द की कसौटी पर खरे उतरते हैं अर्थात् वे गुताम व्यक्ति जो स्वतंत्र माता पिता की सन्तान थे । इस आधार पर इन शासकों को आरम्भिक तुक सुल्तानों के नाम से पुकारना ही अधिक उचित होगा ।

आरम्भिक जीवन—कुतुबुद्दीन, ऐबक नामक तुक जनजाति का था । बचपन में ही निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूपी ने उसे एक दास के रूप में खरीदा था । तुर्कों में अपने गुलामों को योग्य बनाने की एक परम्परा थी । काजी कूपी ने सुल्तान निशान अथवा शासक को पहचानने की अत्यधिक क्षमता थी और कुतुबुद्दीन ने ऐसे गुण विद्यमान थे जिसके कारण काजी ने अथ दासों की तुलना में उसे अत्यधिक स्नेह से पाला और उसकी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था अपने पुत्रों के समान की । काजी के त्रिये कुतुबुद्दीन की यथोचित शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करना पूजोनिवेश था जिसे उसे लगाय गये धन की अपेक्षा कई गुना लाभ प्राप्ति की आशा थी । उस समय में उच्च सैनिक शिक्षा व विद्यालयी शिक्षा प्राप्त तुक दासों का अत्यधिक मूल्य था जिससे कि कुछ वास्तविक अनुभव के पश्चात् उक्त जिम्मेदार पदा पर नियुक्त किया जा सके । ऐबक ने इल्तुतमिश को 1197 ई में खरीदा और वही इल्तुतमिश चार वर्ष के अपने काल में ही ग्वात्रियर का राज्यपाल (अमीर) बना । इसी प्रकार इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन बलबन को 1232 ई में खरीदा और वही बलबन चार वर्ष में सिंहासन की वास्तविक शक्ति बन गया । काजी कूपी की देखरेख में कुतुबुद्दीन ने सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीखा और शीघ्र ही वह कुरानखवा (कुरान का पाठ करने वाला) के नाम से प्रसिद्ध हो गया । सम्भवतः काजी की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्रों ने ऐबक का गजनी में बंधन किया जहाँ उस

मुईजुद्दीन मुहम्मद गोरी ने खरीदा। ऐबक ने अपनी योग्यता और बुद्धिमता से मुहम्मद गोरी को भी प्रभावित किया और शीघ्र ही वह अमीरे खाखूर (शाही अश्वशाला का अधिकारी) बन गया जो उस समय में एक महत्वपूर्ण पद माना जाता था। इसके पश्चात् उसकी लगातार पदोन्नति होती रही जिसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है।

गोरी का सहायक—1192 ई. में ऐबक ने तराइन के दूसरे युद्ध में सक्रिय भाग लिया। तत्पश्चात् उसे कुहराम और समाना का प्रशासन सौंपा गया और यहीं से भारत में उसका राजनीतिक जीवन आरम्भ होता है। गोरी के लौट जाने के बाद उसने अजमेर व मेरठ के विद्रोहों को दबाया व दिल्ली को अपने अधिकार में किया। 1194 ई. में जब गोरी ने कन्नौज के शासक जयचन्द से चन्दवार नामक स्थान पर युद्ध किया, ऐबक गोरी के साथ था। तत्पश्चात् उसने गुजरात की राजधानी अन्हिलवाण को लूटा, बुन्देलखण्ड के शासक परमुद्दीन को पराजित किया और उसके कालिंजर, मुहोवा व खजुराहो के प्रदेशों पर अधिकार किया। सम्भवतः उसने राजस्थान के कुछ प्रदेशों पर भी अधिकार किया परन्तु इनके बारे में समकालीन स्रोतों में पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है। इस प्रकार ऐबक ने अपने स्वामी गोरी को भारत में न केवल विभिन्न प्रदेशों को जीतने में सहायता दी अपितु समय-समय पर उन जीते हुये प्रदेशों पर अपना आधिपत्य बनाये रखने के साथ ही नये प्रदेशों को जीतकर राज्य-विस्तार भी किया।

गोरी की मृत्यु के समय ऐबक की स्थिति—यह संदिग्ध है कि गोरी ने तराइन के युद्ध के बाद ऐबक को अपने भारतीय साम्राज्य का वाइसराय बनाया अथवा नहीं? प्रो० हबीबुल्ला के अनुसार, "दिल्ली के निकट इंदरपत में कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में एक अधिकृत सेना नियुक्त की गई जिसे मुईजुद्दीन के प्रतिनिधि की भांति कार्य करना था।" इसी प्रकार फख्खे मुदविबर का लेखक भी यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि खोखरों के दमन के बाद गोरी ने ऐबक को वाइसराय बनाया था। उसे मलिक का पद दिया गया था और उसे गोरी के भारतीय साम्राज्य का बली-अहद (उत्तराधिकारी) नियुक्त किया गया था। प्रो० हबीब व निजामी यह स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार दोनों ही मत ऐसी परिस्थिति को पूर्वव्यापी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं जो बहुत बाद में सामने आई। तराइन के युद्ध और खोखरों के अभियान के बाद ऐसी स्थिति नहीं थी कि ऐबक आसानी से वाइसराय के पद को प्राप्त कर सकता क्योंकि पृथ्वीराज एकमात्र भारत का सम्राट नहीं था। अनेक ऐसे शासक थे जो पृथ्वीराज की तरह ही गोरी से लोहा ले सकते थे। इसलिये अधिक उचित यह मालुम पड़ता है कि ऐबक ने कठिन संघर्ष के बाद ही इस प्रकार के अधिकार प्राप्त किये होंगे।

ऐसा अनुभव होता है कि गोरी ने अपने भारतीय साम्राज्य की व्यवस्था की कल्पना अपने अधीन तीन स्वतन्त्र अधिकारियों के रूप में की थी, क्योंकि उसे अपने

कुतुबुद्दीन अयबक गोर के किसी जनजातीय सरदार की योग्यताओं में विश्वास नहीं रह गया था। उसकी मृत्यु अचानक हो गयी थी इसलिये वह प्रशासन की कोई निश्चित रूपरेखा भी तैयार नहीं कर सका था। ऐसी स्थिति में उसके तीनों विश्वामपाय दामो—यल्दोज, कुबाचा और ऐबक ने अपने-आपको एक समान स्थिति में पाया। इसी तरह से गोरी की मृत्यु के बाद बिहार तथा बंगाल में मुहम्मद बख्तियार खल्जी की स्थिति थी। उसने पूर्वी प्रदेश में एक स्वतन्त्र अधिकारी के रूप में ही कार्य किया और वो किसी भी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन नहीं था क्योंकि तिब्बत के अधिपति के अन्त में जब वह अपनी घातरी सामें गिन रहा था तब उसने अपने स्वामी के रूप में गोरी को ही याद किया और ऐबक की कही चर्चा भी नहीं की। यदि वह बच गया होता तो सम्भवतः वह ऐबक के लिए एक चुनौती होता। वास्तविकता यह है कि गोरी ने अपनी मृत्यु के पहले अपने किसी दास को मुक्त नहीं किया था और न ही उसने कोई प्रशासन की रूपरेखा ही तैयार की थी। ऐबक को भारत में तथा यल्दोज की गजनी में अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात प्रतिद्वन्द्वी पक्षों की मनगढ़त बात है जिससे वे सत्ता के संघर्ष में अपनी स्थिति की वैधानिकता को सिद्ध कर सकें। गोरी की मृत्यु ने यल्दोज, कुबाचा और ऐबक को शक्ति-संघर्ष में पूरी तरह स्वतन्त्र छोड़ दिया जिससे कि योग्यता उनके अधिकार को अन्तिम रूप दे सके। यदि मुहम्मद बख्तियार खल्जी व बहाउद्दीन तुग़लक़ जीवित होते तो ऐबक के विषे चुनौतियाँ और अधिक विकट रूप धारण कर लेती।

गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने ऐबक को दिल्ली से बुलाया तथा मद्रमुता ग्रहण करने की प्रार्थना की। यह सम्भवतः इसलिये किया गया था कि दिल्ली की तुलना में लाहौर अधिक सतरे में था। ऐबक ने स्थिति को समझकर अपना मुख्यालय लाहौर स्थानान्तरित कर दिया। लाहौर के अमीरों द्वारा ऐबक को आमंत्रित करना यह स्पष्ट करता है कि वह गोरी के दासों में सबसे योग्य था।

अधोपचारिक रूप में 17 जीकाद 602 हि (26 जून 1206 ई.) को राज्याभिषेक हुआ, जबकि उसकी सत्ता की मान्यता और दासता से मुक्ति 1208-09 ई. में प्राप्त हुई। इसका कारण गोरी राजनीति की जटिलताएँ थीं। इसीलिये राज्याभिषेक के समय उस समय की प्रचलित परिपाटी के अनुसार न तो उसने अपने नाम का स्तुतवा ही पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाये। इस अवधि में वह केवल मलिक व मियहसालार की पदविद्या ही धारण कर सन्तुष्ट रहा। 1208 ई. गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया लेकिन उस समय तक ऐबक अपनी शक्ति को दृढ़ कर चुका था। सम्भवतः उसे इसी समय दासता से भी मुक्ति मिली। कानूनी रूप में उसकी स्थिति कुछ भी नहीं थी, परन्तु वास्तविकता यह है कि 1206 ई. में लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर उसने गोरी के भारतीय प्रदेश पर एक स्वतन्त्र सुल्तान की तरह व्यवहार करना आरम्भ कर दिया।

ऐवक की कठिनाइयाँ व उनका समाधान—ऐवक यद्यपि लाहौर को राजधानी बनाकर गौरी के भारतीय साम्राज्य का अधिकारी बन गया था, परन्तु इससे उसकी कठिनाइयों का अन्त न होकर आरम्भ होना था। उसकी सबसे चुनौती-पूर्ण समस्या मुहम्मद गौरी के दासों की ओर से थी जो उसी के समान उसके दास थे और सम्मानित पदों पर आसीन होने के साथ ही महत्वाकांक्षी भी थे। इनमें से मुल्तान और उच्छ का सूबेदार नासिरुद्दीन कुवाचा तथा गजनी का स्वतन्त्र शासक ताजुद्दीन यल्दोज प्रमुख थे। यल्दोज की एक पुत्री का विवाह ऐवक से हुआ था तथा वह ऐवक और उसके भारतीय राज्य को अपने अधीन मानता था। कुवाचा ने यल्दोज की एक पुत्री तथा ऐवक की एक बहन से विवाह किया था और वह भी दिल्ली की गद्दी का दावेदार था। इन दोनों में क्योंकि यल्दोज की महत्वाकांक्षाएं अधिक उग्र थीं और साथ ही साथ मध्य-एशिया की राजनीति में इतने प्रभावपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे कि ऐवक को सबसे पहले यल्दोज से लोहा लेना पड़ा।

स्वारिज्मशाह के दबाव के कारण यल्दोज को गजनी छोड़कर भागना पड़ा और उसने पंजाब पर आक्रमण किया। ऐवक यह सहन करने के लिए तत्पर नहीं था कि उसकी राजधानी के निकट के प्रदेश मुल्तान पर यल्दोज आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर ले। इसलिये ऐवक ने उसका विरोध किया तथा पराजित कर पंजाब छोड़ने के लिए बाध्य किया। परन्तु गजनी उस समय आरक्षित था और यह सम्भावना थी कि स्वारिज्मशाह उसको अपने अधिकारक्षेत्र में ले ले इसलिए गजनी के नागरिकों ने ऐवक को आमन्त्रित किया। ऐवक ने इस निमन्त्रण का लाभ उठा कर गजनी पर अधिकार कर लिया। दुर्भाग्य से ऐवक यहाँ भोग-विलास में लिप्त हो गया जिसके कारण वह गजनी की जनता की सद्भावना खो बैठा। उन्होंने यल्दोज को पुनः आमन्त्रित किया और ऐवक केवल चालीस दिन तक गजनी पर शासन करने के बाद भारत लौट आया। यद्यपि ऐवक का ये अभियान असफल रहा परन्तु इस असफलता के बाद भी उसे यह लाभ हुआ कि वह दिल्ली के स्वतन्त्र अस्तित्व को बनाये रखने में सफल रहा। यल्दोज ने इसके बाद उसे कभी परेशान नहीं किया। इसका दूसरा लाभ यह हुआ कि वह अपनी दासता के कलंक को धो सकने में समर्थ हुआ। उसने गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से जो, यल्दोज के भय से फिरोजकोह में दिन काट रहा था, दासता-मुक्ति-पत्र प्राप्त कर लिया। इस प्रकार वह कानूनी रूप में सुल्तान कहलाने का अधिकारी हो गया क्योंकि शरा के अनुसार दास सुल्तान बनने का अधिकारी नहीं है।

वैवाहिक सम्बन्ध की नीति—ऐवक ने अपनी शक्ति दृढ़ करने के लिए शक्तिशाली तुर्की सरदारों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की नीति अपनाई। उसने नासिरुद्दीन कुवाचा के साथ अपनी दो बहनों का विवाह किया (एक के बाद दूसरी) तथा ताजुद्दीन यल्दोज की लड़की से स्वयं ने विवाह कर लिया। बिहार के

गवर्नर इस्तुतमिश, जिसको उसने स्वयं खरीदा था, के साथ उसने अपनी एक लडकी की शादी कर दी। इस प्रकार से उसने तुर्की सरदारों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध कर उन्हें अपने पक्ष में किया तथा अपनी स्थिति को दृढ़ किया।

हिन्दू सरदार—ऐवक के सामने दूसरी समस्या हिन्दू सरदारों की थी। मुहम्मद गोरी ने इन्हें दुर्बल अवश्य बना दिया था परन्तु वह इनकी शक्ति को पूरी तरह कुचल नहीं पाया था। गोरी की मृत्यु की सूचना पाते ही इन्होंने भारत से तुर्की सत्ता को उत्साह फेंकने का प्रयत्न किया। कालिंजर के चन्देल शासक परमार्दी को कुतुबुद्दीन ने 1202 ई. में पराजित किया था। वहाँ के नये शासक त्रिलोक्य वर्मन ने अपनी राजधानी कालिंजर के स्थान पर अजयगढ़ बनाई और 1206 ई. तक उसने कालिंजर को तुर्कों से छीन लिया। उसने 'कालजराधिपति' की पैतृक उपाधि धारण की। फिर उसने उत्तरी बघहेलखण्ड पर अधिकार किया और तुर्कों के दक्षिण की ओर के मार्ग को रोक दिया।

तुर्कों ने गहड़वार शक्ति को 1193-94 ई. के चन्दावर के युद्ध में काफी हानि पहुँचाई थी, परन्तु उनकी शक्ति का शान्त न हो पाया था। 1197 ई. में मात्र 19 वर्ष की अवस्था में हरीश चन्द्र शासक बना। डा. त्रिपाठी ने 'द हिस्ट्री ऑफ द गहड़वार डायनेस्टी' में लिखा है कि इस बालक के लिए चारों ओर से तुर्की प्रदेशों से घिरे होने के कारण सम्भवतः अपनी स्वतन्त्रता को अधुण्य बनाये रखना सम्भव नहीं था, परन्तु इसके बाद भी उसने फर्रुखाबाद व बदायूँ के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। डा. ए. के. शीवास्तव¹ के अनुसार जोनपुर से मिर्जापुर तक का प्रदेश उसके अधीन था और सम्भवतः बनारस पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया था। इतिहासकार मिनहाज बनारस को इस्तुतमिश की प्रारम्भिक विजयों में गिनाता है। ऐसा अनुभव होना है कि या तो तुर्क बनारस के विरुद्ध अभियान में असफल रहे अथवा हिन्दुओं ने उन्हें शीघ्र ही वहाँ से निकाल भगाया। इसी का बदला लेने के लिए ही इस्तुतमिश ने अपने प्रारम्भिक वर्षों में बनारस के विरुद्ध अभियान किया।

इसी प्रकार परिहारों ने तुर्कों से ग्वालियर का प्रदेश पुनः विजित कर लिया। यद्यपि 'ग्वालियर नामा' में 1231 ई. तक परिहार शासकों का विस्तृत विवरण मिनता है परन्तु दुर्भाग्यवश 1220 ई. के पहले का परिहारों का कोई मिश्रण नहीं मिल पाया है। मलयवर्मदेव के 1220 से 1232 ई. तक के कुछ सिक्के मिल पाये हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि 1231-32 ई. तक परिहार वंश वहाँ राज्य कर रहा था। इस्तुतमिश ने 1231-32 ई. में मलयवर्मदेव से ग्वालियर को छीन रशिदुद्दीन को वहाँ नियुक्त किया था। अनेक छोटे-छोटे राज्यों ने मुल्तान को वापिक

कर देना बन्द कर दिया था। रणथम्भौर का शासक गोविन्दराज ऐसा ही शासक था।

ऐवक ने इन विद्रोही हिन्दू राजाओं का दमन करने का प्रयास किया परन्तु वह इसमें सफल नहीं हो पाया क्योंकि यल्दीज का भय काफी साकार था और उसके रहते हुए इस ओर ध्यान देना उचित न होता।

बंगाल के इक्ता (सूबा) ने भी ऐवक को परेशान किया। अलीमर्दान खां ने बंगाल के शासक इख्तियारुद्दीन का वध करके शासन की सत्ता स्वयं अपने हाथों में ले ली थी, परन्तु खल्जी सरदार उससे छुड़ा करते थे। उन्होंने उसे बन्दी बना लिया, तथा मुहम्मद शेरार को इस शर्त पर शासक बनाया कि वह दिल्ली की आधीनता स्वीकार नहीं करेगा। बंगाल के प्रदेश का इस प्रकार हाथों से निकल जाना ऐवक को रुचिकर नहीं लगा। सौभाग्यवश अलीमर्दान खां कैद से भागकर ऐवक की शरण में पहुंचा। ऐवक ने इस आन्तरिक कलह का लाभ उठाकर अपने एक विश्वसनीय सरदार कैमाज रुमी को सेना सहित बंगाल भेजा और वह पुनः अलीमर्दान खां को बंगाल का सूबेदार बनाने में समर्थ हुआ। अलीमर्दान खां ने वायदा किया वह ऐवक के अधीन रहेगा तथा उसे वापिक कर भेजता रहेगा।

कुतुबुद्दीन जब इन समस्याओं को सुलझाने में ही व्यस्त था तब ही ग्रधानक नवम्बर 1210 ई. लाहौर में जोगान (आधुनिक पोलों की तरह एक खेल) खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण काठी का हरना उसके सीने में घुस गया जिससे तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में ही 4 नवम्बर, 1210 ई. को दफना दिया गया और इल्तुतमिश ने उसकी कब्र पर एक साधारण सा स्मारक बनवा दिया।

ऐवक का मूल्यांकन—1192 से 1210 ई. तक के कुतुबुद्दीन के क्रियाशील जीवन की गतिविधियों को हम मोटे रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं—1192 से 1206 ई. तक जब मुहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में वह उत्तरी भारत की सैनिक गतिविधियों में व्यस्त रहा, 1206 से 1208 तक जबकि वह अनीपचारिक सत्ताधिकार सहित राजनयिक कार्यों में जुटा रहा (स्वामी अथवा सेनापति), और 1208 से 1210 तक का काल जो उसने स्वतन्त्र शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा बनाने में व्यतीत किया।

इन तीनों ही युगों में कुतुबुद्दीन ने स्वयं को एक योग्य व कर्मठ सैनिक सिद्ध किया जो कि उसकी बड़ी विशेषता थी। उत्तरी भारत की विजयों में उसका योगदान मुहम्मद गोरी से किसी प्रकार कम न था। जैसा कि प्रो. हबीब व निजामी¹ ने लिखा है कि, "मुईजुद्दीन योजना करता था और निर्देशन करता था और ऐवक

उमकी योजनाए कार्यान्वित करता था। ऐसे समय, जबकि मध्य एशिया के अधिपति बार-बार मुईजुद्दीन के कार्यों में बाधक मिद्ध हो रहे थे, ऐबक ही या जिसने भारत-वर्ष में अपने स्वामी की प्रसाध्यादी नीति चलाई।" प्रो. हबीबुल्ला ने भी इसी प्रकार लिखा है कि, "इस पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है कि मुईजुद्दीन को भारत की सफलताओं का मुख्य श्रेय ऐबक के अथवा परिश्रम और स्वामीभक्त सेना को था।"

ऐबक में व्यावहारिक बुद्धि के साथ ही कूटनीतिज्ञता की भी कमी न थी। उसने यह अनुभव किया कि सर्वप्रथम उसे भारत के तुर्की राज्य को मध्य-एशिया की राजनीति से दूर कर उसे गजनी के अधिपत्य से मुक्त रखना उसकी पहली आवश्यकता है। इसीलिये उसने यत्नोद्गम की और सबसे अधिक ध्यान दिया। इस क्षेत्र में उसने न तो यन्दोद्गम की सघोषता ही स्वीकार की और न ही उस पंजाब में प्रवेश ही करने दिया। इसके विपरीत एक बार तो उसने गजनी की भी सघोषता कर लिया। यदि मध्य एशिया देता तो वह गजनी को भी भारतीय राज्य का भग बना लेता। ऐसा न होता ही उसके लिए अधिक हितकर मिद्ध हुआ, क्योंकि ऐसी स्थिति में भारत भी मध्य-एशिया की राजनीति का एक भग बन जाता और स्वार्थिज्मशाह की लालसा का शिकार बन कर अन्त में नष्ट हो जाता। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को न केवल एक स्वतन्त्र रूप ही दिया अपितु उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को कायम भी रखा। उसने अपने दूसरे प्रतिद्वन्द्वियों—कुवाचा, अलीमर्दानखा के साथ जिस प्रकार कुशलता का व्यवहार किया, वह उसकी व्यावहारिक बुद्धि व कूटनीतिज्ञता का प्रमाण है। यदि उसने कुशल व्यवहार न किया होता तो सम्भवतः तुर्की राज्य छोटी-छोटी जागीरों में विभक्त होकर स्वयं के नाश को आमन्त्रित करता। कुतुबुद्दीन ने इस व्यवहार-कुशलता के कारण ही अन्य तुर्की सरदारों पर अपनी श्रेष्ठता को स्थापित कर एक नवीन साम्राज्य की नींव रखी। प्रो. हबीबुद्द व निजामी ने लिखा है कि "वह मुईजुद्दीन द्वारा शामिल भारतीय प्रदेशों की स्वतन्त्र राज्य की मान्यता दिवाने के उद्देश्य पर काम करता रहा और वह भी ऐसे समय में जबकि गजनी से सम्बन्धीन तक मुईजुद्दीन (मुहम्मद गोरी) के साम्राज्य का प्रत्येक भाग एक अनिश्चित बानावरण से गुजर रहा था, क्योंकि स्वर्गीय सुल्तान के अधिकारियों में घराबक महत्वाकांक्षे उभर रही थीं। जिन अनिश्चित परिस्थितियों से होकर गोरी साम्राज्य गुजर रहा था उसमें यह उपलब्धि कुछ कम नहीं है।"

कुतुबुद्दीन अपनी दिल्ली और बौद्धिक विशेषताओं के लिए भी प्रसिद्ध था तथा दान देने में वह बड़ा ही उदार था। इतिहासकार विनहाऊ¹ ने उसकी अत्यधिक प्रशंसा लिखी है। वह कहता है, "सुल्तान कुतुबुद्दीन दूसरा हाकिम था। सर्वशक्ति-

1 इलियट एंड गारतमन, हिन्दू आरु इस्लाम, एम टोम्ब काई इन्स हिस्टोरियन्स, पृ 217

माम ईश्वर ने उसको ऐसा साहस और घोदायं प्रदान किया था कि उसके समय में उसकी समानता करने वाला पूर्व से पश्चिम तक कोई नहीं था। उसकी उदारता ने उसे 'लख बख्श' की उपाधि से सुशोभित किया।" फरिश्ता का कथन है कि जब जनसाधारण किसी व्यक्ति के असीमित दान की प्रशंसा करते थे तो वह उसे 'अपने समय का ऐवक' कहते थे। प्रो. हबीबुल्ला ने भी लिखा है कि, "उसमें एक तुर्क का साहस और एक ईरानी की उदारता तथा सुसभ्यता मिश्रित थी।" परन्तु इसके साथ ही हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि उसने लाखों व्यक्तियों की हत्या भी की तथा मन्दिरों और धर्म स्थानों का ध्वंस भी किया। इतिहासकार मिनहाज ने लिखा है कि "उसकी उदारता निरन्तर चला करती थी और इसी प्रकार उसका हत्या कार्य भी कभी बन्द नहीं होता था।"

कुतुबुद्दीन जब तक युद्धों में व्यस्त रहा तब तक उसने अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया। परन्तु जब युद्ध की स्थिति समाप्त हो गयी तो उसने अपनी समस्त जनता के प्रति न्याय व उदारता प्रदर्शित की। फख्र मुदव्विर ने लिखा है कि यद्यपि उसके सैनिक विभिन्न जातियों के थे परन्तु फिर भी किसी सैनिक का यह साहस नहीं कि वह किसी किसान के घास का एक तिनका, रोटी का टुकड़ा, बकरी या चिड़िया लेता या उसके घर पर बलात् अधिकार करता। अबुल फजल¹ ने भी यद्यपि महमूद गजनवी की निर्दोष व्यक्तियों का रक्त बहाने के आधार पर कटु आलोचना की है परन्तु ऐवक के सम्बन्ध में उसने लिखा है कि, "उसने भले और महान् कार्य किये।"

ऐवक को इतना समय नहीं मिल पाया कि वह कला अथवा साहित्य की ओर ध्यान दे सके क्योंकि पूर्णरूप से स्वतन्त्र सुल्तान बनने के बाद वह लगभग दो वर्ष ही जीवित रहा। फिर भी उसने अपने अल्पकाल के शासन में मुस्लिम स्थापत्य-कला को आरम्भ किया। अनेक हिन्दू मन्दिरों को तुड़वाकर उसने कुब्बात-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। मार्शल के अनुसार दिल्ली विजय के उपलक्ष में तथा पर्सी ब्राउन के अनुसार इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से उसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसी प्रकार अजमेर में अठ्ठाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद भी मन्दिर की आधारशिला व अन्य ध्वस्त मन्दिरों की सामग्री से बनाई गई थी। कुतुवमीनार का आरम्भ भी कुतुबुद्दीन ने अपने पुत्र कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की पुण्य स्मृति में किया था। साहित्य में भी ऐवक को रुचि थी और उसके दरबार में हुसैन निजामी नाम का प्रसिद्ध इतिहासकार मौजूद था।

कुतुबुद्दीन ने इस प्रकार एक दास की साधारण स्थिति से उठकर सुल्तान बनने से अपनी योग्यता का परिचय दिया परन्तु इसके बाद भी उसे भारत का प्रथम तुर्की सुल्तान मानने में कुछ हिचकिचाहट है। समकालीन इतिहासकार मिनहाज

1. प्रो. हबीब व निजामी, दिल्ली सुल्तानत (उद्धृत), पृ. 180

(मिनहाजुसमिराज) तथा हसन निजामी उसे एक स्वतन्त्र प्रमुसता सम्पन्न शासक मानते हैं परन्तु इसके विरोध में दूसरे विद्वान उसको इस प्रकार स्वीकार नहीं करते हैं। चौदहवीं शताब्दी में घाने वाले विदेशी यात्री इब्नबतूता ने उसे प्रथम तुर्की स्वतन्त्र सुल्तान नहीं माना है और फीरोज तुगलक का जो उसने दिल्ली सुल्ताना की सूची दी थी उसने भी उसका नाम नहीं बताया है। एडवर्ड चापमन का कथन है कि स्वतन्त्र सुल्तान होने की तरह उसने घपन नाम के सिक्के नहीं ढलवाये। डा. त्रिपाठी का भी कथन है कि उसके नाम के सिक्के अथवा खुतबा पढ़वाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिल पायी है। डा. त्रिपाठी के अनुसार समकालीन इतिहासकारों के द्वारा केवल औपचारिकता के आधार पर खुतबा पढ़वाने अथवा सिक्के ढलवाने की बात लिख दी गई है। इसलिये 1206 ई. में लाहौर में शक्ति प्राप्ति के बाद भी शासन में कोई भूलभूल परिवर्तन नहीं आया क्योंकि उसने न तो शासकीय उपाधियाँ ही धारण की और न ही घपन नाम के सिक्के ढलवाये। 1208 ई. तक कुतुबुद्दीन कानूनी आधार पर दास ही था। इस आधार पर डा. त्रिपाठी ने लिखा है कि 'भारत में मुस्लिम सम्प्रदाय का इतिहास इन्तुतमिश से आरम्भ होता है।'

इन सब विद्वानों की इस धारणा को बनाने में इब्नबतूता का दिल्ली के सुल्ताना में नाम न गिनाना एक मुख्य आधार है। परन्तु जैसा कि डा. ए. के. शीवास्तव¹ ने लिखा है कि इब्नबतूता ने केवल दिल्ली के सुल्तानों की सूची तैयार की थी न कि लाहौर के सुल्तानों की और क्योंकि कुतुबुद्दीन का राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था परिणामस्वरूप दिल्ली के सुल्तानों की सूची में उसके नाम का न होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार सिक्का का प्राप्त न होना अथवा खुतबा न पढ़वाने के प्रमाण न मिलना ऐतिहासिक तथ्य हैं परन्तु इनको निर्णय का आधार बनाना अधिक उचित नहीं होगा क्योंकि अगर कुतुबुद्दीन एक स्वतन्त्र प्रमुसता सम्पन्न शासक नहीं था तो आखिर वह क्या था? 1206 ई. में अपने स्वामी शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी के मरण के बाद कुतुबुद्दीन केवल कानूनी रूप में ही दास था। उसने नवजात तुर्की सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में ले ली और सर्वोच्च शक्ति का स्वामी बन बैठा। गियामुद्दीन मुहम्मद से कानूनी रूप में दासता में मुक्ति प्राप्त कर उसने भारत में स्वतन्त्र तुर्की राज्य की स्थापना की जिसका गजनी से कोई सम्बन्ध नहीं था। डा. त्रिपाठी स्वयं स्वीकार करते हैं कि उसकी सर्वोच्च सेवा भारत की गजनी की सर्वोच्चता से मुक्त करना था जो लयभंग दो शताब्दियों से चली आ रही थी। इस प्रकार से उसने भारत में एक स्वतन्त्र तुर्की राज्य की स्थापना के लिए आधारशिला रखी है। डा. त्रिपाठी इस प्रकार से भारत में कुतुबुद्दीन की स्वतन्त्र स्थिति को स्वीकार करते हैं। डा. मुहम्मद अजीज अहमद² ने अपनी टर्किश अम्पायर ऑफ देहली में लिखा है कि

1 ए. के. शीवास्तव, वही, पृ. 79

2. मुहम्मद अजीज अहमद, अपनी टर्किश अम्पायर ऑफ देहली, पृ. 73

कुतुबुद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत में मुस्लिम राज्य की आधारशिला रखी।

आरामशाह (1210-1211 ई.)

कुतुबुद्दीन की अचानक मृत्यु पर उसके सरदारों ने उसके पुत्र आरामशाह को लाहौर में गद्दी पर बैठाया। इतिहासकार मिनहाज ने तबकात-ए-नासिरी¹ में आरामशाह के अध्याय में उसे कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र बताया है, परन्तु कुछ ही पंक्तियों के पश्चात् वह लिखता है कि "कुतुबुद्दीन के तीन पुत्रियाँ थी जिनमें से दो का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ और तीसरी का विवाह इल्तुतमिश के साथ सम्पन्न हुआ था।" आरामशाह का इसमें कोई सन्देह नहीं है। इससे यह आभास होता है कि स्वयं मिनहाज समकालीन इतिहासकार होते हुए भी आरामशाह की तादात्म्यता (Identity) की कम जानकारी रखता था। अबुल फजल उसे कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई स्वीकार करता है परन्तु उसके प्रमाण अत्यधिक शिथिल है। रेवर्टों उसे कुतुबुद्दीन का दत्तक पुत्र मानता है। ताज-उल-मातिर का लेखक हसन निजामी यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विस्तृत विवरण देता है, परन्तु आरामशाह के बारे में पूरी तरह मौन है। इस आधार पर हमारे लिए यह सम्भव नहीं हो पाया है कि हम आरामशाह की वस्तु-स्थिति की जानकारी कर सकें।

आरामशाह के लाहौर में गद्दी पर बैठाने से दिल्ली के नागरिक सहमत नहीं थे। परिस्थितियों की माँग थी कि दिल्ली सल्तनत का नेतृत्व एक योग्य और कुशल व्यक्ति के हाथों में सौंपा जावे। इसलिए उन्होंने ऐबक के दामाद और बदायूँ के सूबेदार, इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बनाने के लिये आमन्त्रित किया। इल्तुतमिश ने आरामशाह को पराजित कर सुल्तान का पद ग्रहण किया। आरामशाह या तो मार डाला गया अथवा बन्दी के रूप में वह मर गया। उसका शासन-काल केवल आठ मास ही रहा।

इल्बरी तुर्क

भारामशाह को पराजित करन पर मुल्तान शम्शुद्दीन बऊद्दीन प्रमुल मुजफ्फर अल्तमिश (इल्तुनमिश) ने दिल्ली के सिंहासन पर एक नये राजवश की स्थापना की जिमको साधारणतया हम प्रथम इल्बरी वश की सजा से पुकारते हैं। इस राजवश की 1266 ई में नामिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ समाप्ति हुई जब गियासुद्दीन बलबन ने द्वितीय इल्बरी वश की स्थापना की और जो 1290 ई के लखी विद्रोह के कारण समाप्त हुआ।

इल्तुनमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठते समय स्वतन्त्र मुल्तान की समस्त शतों को पूरा करता था। यद्यपि वह गुशाम का गुलाम था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ने उसे खरीदा था, परन्तु फिर भी अपनी योग्यता के कारण उसने अपने स्वामी कुतुबुद्दीन से पहले दासना से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। इसलिये गद्दी पर बैठते समय वह दाम न होकर एक स्वतन्त्र व्यक्ति था। इसके साथ ही वह इस्लाम की इस मान्यता को 'शक्ति ही राजपद की मद्दतरी है' पूरा करता था। शक्तिशाली होने के साथ ही वह भारामशाह से अधिक योग्य व अनुभवी भी था जो कि उस समय की परिस्थितियों में मूल शर्त थी। दिल्ली के अमीरों का, जो ध्यावहारिक रूप में मिल्तन के प्रभावशाली भग थे, उस समय प्राप्त था और उन्होंने ही उसे आमंत्रित भी किया था। तुर्कों शासन की स्थापना में भी उसका विशेष योगदान था और फिर कुतुबुद्दीन उसे 'पुत्र' कह कर पुकारता था। उस युग में बदायूँ का 'इक्ता' भी केवल मन्नाबित उत्तराधिकारी को ही दिया जाता था और क्योंकि कुतुबुद्दीन ने इल्तुनमिश को यह इक्ता दिया था, इसका अर्थ था कि वह उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था। इसलिये परिस्थितियों तथा अपनी योग्यता और मेनाश्री के आधार पर और प्रचलित इस्लामी मान्यताओं के आधार पर वह गद्दी का उचित उत्तराधिकारी था। ऐसे समय में जब कि वशानुगत अधिकार की परम्परा स्थापित नहीं हुई हो, केवल शक्ति और योग्यता ही शासक को चुनने की कसौटिया हो, इल्तुनमिश इन पर पूरी तरह खरा उतरता था। इस आधार पर यह मानना कि उसने गद्दी को हथियाया था अथवा उसने अवैध रूप से इस प्राप्त किया था, उचित न होगा। वह दिल्ली का पहला मुल्तान था जिसे मुल्तान-पद की स्वीकृति किमी गौर के शासक से न मिलकर खलीफा से प्राप्त हुई थी।

नाम सम्बन्धित विवाह—समकालीन और बाद के लेखकों ने इस शम्सी-वंश के संस्थापक के नाम का उच्चारण विभिन्न तरीकों से किया है। ईलियट ने 'अस्तमिश', एल्फिन्स्टन ने 'अस्तमिश' व रैवर्टों ने 'ईयल्लिमिश' कह कर पुकारा है। वार्टहोल्ड का यह मत है कि वास्तव में उसका नाम 'इल्लुतमिश' अर्थात् 'राज्य का स्वामी' है। उनके मत की पुष्टि 'ताजुलमन्नासिर' की पीटर्सवर्ग विश्वविद्यालय में सुरक्षित 829 हिजरी की पांडुलिपि से होती है जिसमें 'उ' की मात्रा लगी हुई मिलती है। उनके मत की पुष्टि समकालीन फारसी साहित्य से भी होती है जिसमें 'इल्लुतमिश' का उच्चारण किये बगैर तुक नहीं मिल पाती है। 'एन्साइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम' ने हिकमत बयूर के मत को मानते हुये इसका उच्चारण 'इलेतमिश' किया। इन विभिन्न उच्चारणों के कारणों के बारे में प्रो. हवीन भी मौन है और इल्लुतमिश के अतिरिक्त किसी दूसरे उच्चारण को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि समकालीन ग्रन्थों में दिये पदों और सुल्तान के शिलालेखों से उसका तालमेल न हो। इसलिये समकालीन विद्वान व सुल्तान स्वयं जिन प्रकार से इसका उच्चारण करते थे उसको ध्यान में रखकर 'इल्लुतमिश' ही कहना अधिक उचित होगा।

प्रारम्भिक जीवन—इल्लुतमिश इल्वारी-तुर्क था। उसका पिता ईलम खान अपने कबोले का प्रधान था। वह सुन्दर होने के साथ ही बुद्धिमान भी था, इसीलिये वह अपने परिवार के व्यक्तियों को ईर्ष्या का शिकार था। इसी कारण उसका पिता उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था, परन्तु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक बार घोड़ों की दौड़ दिखाने के बहाने उसके भाइयों ने उसे एक गुलामो के व्यापारी के हाथों बेच दिया। वह लगातार दो बार इस तरह बेचा गया और अन्त में जमालुद्दीन मुहम्मद के हाथों पड़ा, जो उसे बेचने के लिये गजनी ले गया। अपने आकर्षक व्यक्तित्व व योग्यता के कारण मुहम्मद गोरी ने उसे तथा एक दूसरे दास को एक हजार स्वर्ण मुद्राओं में खरीदना चाहा, परन्तु जमालुद्दीन महमूद ने इस मूल्य पर देने से मना कर दिया। गोरी ने गजनी में उसके क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी। कुछ समय बाद कुतुबुद्दीन ने भी उसे देखा और प्रभावित होने के कारण उसे खरीदना चाहा। परन्तु क्योंकि गजनी में रोक के कारण यह सम्भव नहीं था इसलिये उसे दिल्ली ले जाया गया, जहाँ ऐबक ने उसे तथा उसके साथी दास को एक लाख जीतल में खरीद लिया।

इल्लुतमिश की शिक्षा-प्राप्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, परन्तु इतना निश्चित है कि उसे कुतुबुद्दीन ने उत्तम शिक्षा दिलवाई थी। आगरे में उसे 'सरजानदार' (शाही अंगरक्षको का सरदार) जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया और शीघ्र ही वह उन्नति करता हुआ 'अमीरे-शिकार' के पद पर पहुँच गया। 1200 ई. में ग्वालियर की विजय के बाद उसे वहाँ का 'अमीर' बनाया गया।

इसके बाद उसे बरन (बुलन्दशहर) का 'इक्ता' मिला और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण बदायूँ का इक्ता मिला जो सम्भावित उत्तराधिकारी को दिया जाता था। कुतुबुद्दीन ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। 1205-1206 ई. में मोहम्मद गौरी के साथ लोखरो की दवाने में उसने जिस साहस और कौशल का परिचय दिया, उसमें प्रसन्न हो गौरी ने उसे दासता से मुक्त करने के आदेश भी दिये। यह एक अनन्य सम्मान था, क्योंकि इस समय तक गौरी ने अपने वरिष्ठ दामों जैसे ऐबक, कुवाचा अथवा यल्दीज को भी दासता से मुक्त नहीं किया था।

इल्तुतमिश की समस्याएँ—इल्तुतमिश बड़ो ही असाधारण परिस्थितियों में मुल्तान बना था। चारों ओर से वह प्रतिद्वन्द्वियों से घिरा हुआ था जिनमें गजनी में यल्दीज, मुल्तान में कुवाचा और लखनौती में अलीमर्दान प्रमुख थे।

यल्दीज मुहम्मद गौरी के भारतीय प्रदेशों पर अपनी अधिकार मानता था। ऐबक के समय भी उसने यह दावा किया था और ऐबक को उससे युद्ध करना पडा था। गजनी में चालीस दिन शासन करने के बाद ऐबक को उसे छोड़ने के लिये बाध्य होना पडा था, यदि यल्दीज अपने दामाद ऐबक से युद्ध कर सकता था तो इल्तुतमिश में लोहा लेने में उसके सामन कोई दगावट नहीं थी। वह इल्तुतमिश को गजनी के एक सूबेदार के रूप में ही भारत के तुर्की राज्य का शासन करते हुए देखना चाहता था।

सिन्ध और मुल्तान के सूबेदार नामिस्दीन कुवाचा ने ऐबक की मृत्यु होत ही स्वयं को स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया। इल्तुतमिश की कठिनाइयों का लाभ उठाकर उसने—अटिम्हा—मुहराम—तया—सरस्वती—पर भी अधिकार जमा लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का वहनोई होने के नाने वह दिल्ली का भी दायेदार हो सकता था।

इसके अतिरिक्त दिल्ली के अनेक छोटी-म-तुर्क सरदार इल्तुतमिश को गद्दी के लिये आमंत्रित करने के विरोधी थे। ये तुर्की सरदार इल्तुतमिश के लिये किसी समय भी घातक सिद्ध हो सकते थे। इसी समय बंगाल और बिहार के शासक अलीमर्दान खा न दिल्ली से अपने प्रदेशों की दूरी का लाभ उठाकर व सल्तनत की तरत स्थिति को देखकर स्वयं को स्वतन्त्र घोषित कर दिया।

हिन्दू-राजपूत सरदार सल्तनत की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर तुर्कों परतन्त्रता के बोझ को उतार फेंकने के लिये आतुर थे। जालौर, रणथम्भौर व खानिपर स्वतन्त्र हो गये थे और दोभाव को तुर्की आधिपत्य में रखना कठिन हो रहा था।

इन कठिनाइयों को अधिक बोझिल बनाने का नाम—मंगोल आक्रमणों के भय से पूरा किया। भारत पर सल्तनत काग में पहनी बार मंगोलों के नेता खोजगो के नेतृत्व में आक्रमण की प्रबल सम्भावनाएँ दिखाई देने लगीं।

इस प्रकार इल्तुतमिश के मामले कठिनाइयों का अन्वार था और दिल्ली का राज्य एक अन्वित फौजी जागीर की भांति था जिसमें स्थायित्व का पूर्णतया अभाव था और जिसे केवल शक्ति के आधार पर ही बनाये रखा जा सकता था। इल्तुतमिश ने अपनी विलक्षण शक्ति, कौशल और माहस के आधार पर न केवल इसे बनाये रखा अपितु इसके साथ ही इसे एक स्वरूप भी प्रदान किया।

ताज और अमीरों के बीच-संघर्ष

1. तुर्क अमीरों का दमन—इल्तुतमिश के सम्मुख तत्कालीन प्रमुख समस्या दिल्ली के अमीरों की थी। आरामशाह को पराजित करने के बाद जब वह गद्दी पर बैठा तो अनेक तुर्की मरदारों ने उसे सुल्तान मानने से इन्कार कर दिया। वे उसकी जगह पर प्राचीन राजवंश के किसी सदस्य को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। इल्तुतमिश ने इन कुतबी (कुतुबुद्दीन के समय के) और मुइज्जी (मुइज्जुद्दीन मुहम्मद गौरी के समय के) अमीरों को दिल्ली के निकट जूद के युद्ध में पराजित किया और उनमें से अधिकांश को मौत के घाट उतार दिया। शेष न इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। भावष्य में तुर्की अमीरों के विशोहों को रोकने के उसने कूटनीति से काम लेकर बहून-से तुर्क अमीरों को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करके उन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों में नियुक्त कर दिया।

2. यल्दोज का दमन—इल्तुतमिश के प्रतिद्वन्द्वियों में ताजुद्दीन यल्दोज प्रमुख था, क्योंकि वह स्वयं को मुहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी मानने के कारण भारतीय साम्राज्य को गजनी का एक भाग मानता था और इसलिये इल्तुतमिश को अपने अधीन स्वीकार करना था। यदि इल्तुतमिश इस स्थिति को स्वीकार कर लेता तो वह गजनी के एक मूवेदार के रूप में ही भारत का शासन कर सकता था। परन्तु वह न तो इस मातहत स्थिति को स्वीकार करने के लिये तैयार था और न ही इस समय इस स्थिति में था कि वह यल्दोज को मुंह तोड़ उत्तर ही दे सके। इसलिये उसने बड़ी कूटनीति का प्रदर्शन किया और यल्दोज द्वारा उसे अपने अधीन मानते हुये छत्र, दण्ड आदि राजविन्दों को उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया। ठहरो, और स्थिति का अध्ययन करो' की नीति अपनाकर वह ऐसे अवसर की तलाश में रहा जब वह इस छद्म आवरण को उतार फेंके।

शीघ्र ही उसे अवसर भी मिल गया। 1215 ई. में ख्वारजियों ने यल्दोज को पराजित कर उसे वहाँ से भागने के लिये बाध्य किया। वह भागकर लोहीर आया जहाँ उसने फुवाचा के कुछ प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने खानेश्वर तक अपना अधिकार जमा लिया और पुनः दिल्ली की गद्दी पर अपने अधिकार का दावा प्रस्तुत किया। इल्तुतमिश के लिये ये दोहरी भार थी, क्योंकि अगर यल्दोज पंजाब में अपनी शक्ति संगठित कर लेता तो इल्तुतमिश के लिये दिल्ली की रक्षा करना अत्यधिक कठिन हो जाता। दूसरी ओर यल्दोज अपने दिल्ली के दावे को

पुन दोहरा रहा था। इल्तुतमिश के मामले यल्दोज का संसंग्य विरोध करने के प्रतिरिक्त कोई चारा न था। 1215-16 ई में तराजुन के मैदान में दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें यल्दोज की पराजय हुई। यल्दोज को कैद कर लिया गया तथा बदायूँ में जाया गया जहाँ उसका वध कर दिया गया। प्रो. हबीब ब निजामी¹ के अनुसार इल्तुतमिश को इससे दो लाभ हुए। उनके अनुसार, "उमकी मता ललकारने वाला सबसे भयकर शत्रु का विनाश और गजनी में अंतिम रूप में सम्बन्ध विच्छेद जिसके फलस्वरूप दिल्ली का स्वतन्त्र अस्तित्व निश्चित हो गया।"

कुवाचा का अन्त— इल्तुतमिश ने अब अपने दूसरे प्रतिद्वन्द्वी कुवाचा की ओर ध्यान दिया। कुवाचा, इल्तुतमिश की तरह ही मोहम्मद गौरी का दास था। मिमहाजुत सिराज के अनुसार वह बुद्धिमान, चतुर, अनुभवी व विवेकशील व्यक्ति था और मैत्रिक तथा प्रशासनिक जानकारी रखता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की दो पुत्रियों से विवाह करने के कारण उमने उसे तग नहीं किया परन्तु इल्तुतमिश उमका कोई सम्बन्धी नहीं था। वह स्वयं को इल्तुतमिश में श्रेष्ठ समझता था। इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठने के समय की परिस्थितियों का लाभ उठाकर उमने सरहिन्द, सरस्वती, भटिण्डा और लाहौर तक अपना अधिकार जमा लिया था। इन कारण वह उत्तर-पश्चिम व पंजाब में इल्तुतमिश का प्रबल विरोधी हो चुका था। वह पंजाब को अपने अधिकार से छोड़ने के लिये तैयार न था। यल्दोज ने कुवाचा से लाहौर छीन लिया और थोड़े ही समय में इल्तुतमिश से पराजित होने के कारण कुवाचा में पुन उम पर अधिकार कर लिया, तब भी वह अपनी व्यस्तता के कारण कुवाचा की ओर ध्यान न दे सका। 1217 ई में यल्दोज के मय में मुक्त होकर उमने कुवाचा के प्रदेशों पर आक्रमण किया और कुवाचा लाहौर से भाग खड़ा हुआ। उमका पीछा किया गया और चिनाव पर स्थित मसूरा के निकट उसे पराजित कर इल्तुतमिश ने उमने अपनी अधीनता मनवाई। मुल्तान, कच्छ, सिन्ध आदि के प्रदेश कुवाचा के अधिकार में ही रहे परन्तु लाहौर का प्रदेश उमने छीनकर, इल्तुतमिश ने अपने लड़के नामिद्दीन महमूद को वहा का शासक नियुक्त किया।

यद्यपि कुवाचा ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परन्तु व्यावहारिक रूप में 1227 ई तक वह इल्तुतमिश का प्रतिद्वन्द्वी बना रहा। इस बीच मंगोलों के नेता चंगेजखा तथा ह्वारिज्मशाह के पुत्र जलालुद्दीन मगवर्नी के बीच पंजाब, सिन्ध-भागर के दोआब के ऊपरी भाग में जो मध्य चलता उसके कारण कुवाचा की शक्ति अधिक क्षीण हो गई। मंगोल 1221 ई में अपने विरोधी जलालुद्दीन मगवर्नी का पीछा करते हुये सिन्ध नदी तक आ गये व ओर लगभग चार वर्ष तक पंजाब का प्रदेश मंगोल आक्रमणकारियों, कुवाचा,

जलालुद्दीन मंगवर्नी और खोज्जर जाति के बीच संघर्ष का रण-क्षेत्र बना रहा। यद्यपि मंगोल 1224 ई. में पुनः खुरासान लौट गये परन्तु जाते-जाते कुवाचा के प्रदेश मुल्तान पर आक्रमण कर उन्होंने कुवाचा की प्रतिष्ठा को एक और आघात लगाया। पहले ही उन्होंने उसके प्रदेश को काफी लूटा और तहस-नहस किया था। रही-सही कमी खलिजियों ने पूरी कर दी और सीमान्त के प्रदेशों में कुवाचा के लिये एक नया सिर-दर्द पैदा कर दिया। परिणाम यह हुआ कि कुवाचा की स्थिति बड़ी कमजोर हो गई।

इल्तुतमिश ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने स्वयं सरहिन्द के मार्ग से उरुख पर आक्रमण किया तथा दूसरी सेना के साथ लाहौर के प्रांतीय शासक ने मुल्तान पर घावा बोला। कुवाचा इस दोहरे आक्रमण से घबरा गया। उसने निचले सिन्ध में स्थित भक्कर के किले में शरण ली। इसका परिणाम हुआ कि मुल्तान ने आत्म-समर्पण किया व दो माह सत्ताइस दिन के घेरे के पश्चात् उरुख पर भी इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। कुवाचा ने अलाउद्दीन मसूद बहरामशाह को मुल्तान की सेवा में भेज सम्मानजनक सन्धि करने का प्रस्ताव रक्खा, परन्तु इल्तुतमिश पूर्ण आत्मसमर्पण के अतिरिक्त किसी शर्त को स्वीकार करने के लिए तत्पर न था। कुवाचा को अंका थी कि उसके साथ भी यस्तोज जैसा व्यवहार न किया जावे इसलिये उसने नाव से सिन्धु नदी पारकर अपनी जान बचाने का प्रयास किया परन्तु दुर्भाग्य ने उसका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। सम्भवतः नाव डूब जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इल्तुतमिश का एक और प्रतिद्वन्द्वी समाप्त हो गया। उसने मुल्तान और सिन्ध को दिल्ली राज्य में मिला लिया। दूसरे अनेक महत्वपूर्ण किलों को जीतकर उसने पंजाब और सिन्ध में अपनी स्थिति दृढ़ की और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की पश्चिमी सीमाओं को मकरान तक ले गया। निचले सिन्ध में देबल के शासक मलिक सिनानुद्दीन ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने इससे आगे अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि उससे मंगोलों के भगडा होने की सम्भावना हो सकती थी।

मंगोल-आक्रमण तथा इल्तुतमिश—इल्तुतमिश के राज्यकाल में पहली बार 1221 ई. में मंगोल आक्रमणों की सम्भावना ने एक नये संकट को जन्म दिया। मंगोलों का नेता चंगेज खाँ ख्वारिज्म के शासक अलाउद्दीन मुहम्मद को पराजित कर उसके पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करता हुआ सिन्धु नदी के तट तक आ गया। इस कारण पंजाब, सिन्ध सागर के दोआब का ऊपरी भाग मंगवर्नी, कुवाचा, मंगोलों और खोज्जर जाति के बीच संघर्ष का रणक्षेत्र बन गया। चंगेज खाँ ने इल्तुतमिश के पास अपना दूत इस आशय से भेजा जिससे कि मंगवर्नी को दिल्ली से कोई सहायता न मिल सके। इल्तुतमिश इस नयी कठिनाई में फँसने के लिए तैयार न था इसलिये उसने यह ध्यान रक्खा कि उसकी कार्यवाहियों से मंगोलों को उसके

विरुद्ध कोई आपत्ति का मोका न मिले। दूसरी ओर मगवर्नी ने अपने दूत आइनुल-मुल्क के द्वारा इल्तुतमिश से प्रार्थना की कि वह उसे कोई ऐसा स्थान दे दे जहाँ वह कुछ समय के लिये रह सके। इल्तुतमिश बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति में था। एक शरणार्थी मुस्लिम शहजादे को मुस्लिम राज्य में सुल्तान द्वारा सहायता की प्रार्थना को ठुकरा देना एक अपवाद था परन्तु दूसरी ओर उसे शरण देकर चंगेज की क्रूरता तथा बर्बरता को निमित्तित करना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी। इसलिए इल्तुतमिश ने जलानुद्दीन के दूत का वध करवा दिया तथा यह विनम्र संदेश भेजा कि उमने प्रदेश में ऐसा कोई अनुकूल जलवायु वाला प्रदेश नहीं जो उसे निवास के लिए दिया जा सके। उसने उमने पजाब को खाली कर देने की भी प्रार्थना की और इसको शिथिल करने के लिए उमने एक सेना के साथ मगवर्नी के विरुद्ध बूच भी किया। मगवर्नी युद्ध करना नहीं चाहता था इसलिये वह बलाला की ओर चला गया।

तत्पश्चात् मगवर्नी ने कुवाचा की ओर ध्यान दिया। उसने कुवाचा पर आक्रमण कर उसे सुल्तान के दुर्ग में लुटेर दिया। उसने पजाब और सिन्ध पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की और इस प्रकार कुवाचा की शक्ति को काफी हानि पहुँचाई। उसी समय उसे सूचना मिली कि खुरासान में उसके समर्थकों की संख्या बढ़ रही है, इसलिये वह 1224 ई में अपने कुछ अधिकारियों को भारत में छोड़ पश्चिम लौट गया।

जब तक मगवर्नी भारत में रहा तब तक इल्तुतमिश ने उसे कोई महायत्ना नहीं दी और जब तक चंगेज मर जा जीवित रहा (1227 ई), तब तक उमने सिन्ध नदी के पश्चिम में राज्य-विस्तार की कोई नीति नहीं अपनाई। यदि इल्तुतमिश ने मगवर्नी की महायत्ना की होनी तो स्वाभाविक था कि चंगेज मर दिल्ली सल्तनत पर प्रथम ही आक्रमण करता और मन्त्र-स्थापित दिल्ली सल्तनत के लिए चंगेज-मर्के आक्रमणों का सफल प्रतिरोध करना असम्भव था। भारत का तुर्की राज्य सम्भवतः चंगेज सा के सामने अकाल मृत्यु का शिकार होता। इस प्रकार इल्तुतमिश की दूर-दक्षिणा ने न केवल तुर्की राज्य की रक्षा की अपितु मंगोलों के आक्रमण से पजाब में उत्पन्न परिस्थितियों का लाभ उठाकर वहाँ दिल्ली सल्तनत की जड़ों को मजबूत कर दिया।

बगाल-विजय—कुतुबुद्दीन ऐबक के नैतिक समर्थन से अमीरुद्दीन सा ने बगाल में अपनी सत्ता स्थापित की थी। इस कारण वह कुतुबुद्दीन का अधीनता मानता था। ऐबक की मृत्यु के पश्चात् उसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। वह इतना अधिक अत्याचारी सिद्ध हुआ कि दो वर्ष के शासन के पश्चात् ही उमने अमीरों ने उसकी हत्या कर दी और उसके स्थान पर इब्राहिमुद्दीन एमाज खान् की शासक बनाया (1211 ई), जिसने गंगामुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और एक स्वतंत्र शासक की भाँति शासन करने लगा। इल्तुतमिश इस समय अपनी

पश्चिमी सीमा की समस्या में इतना अधिक उलझा हुआ था कि वह गयासुद्दीन की ओर कोई ध्यान न दे सका। उसने इल्तुतमिश की व्यस्तता का लाभ उठाकर बिहार को अपने राज्य में मिला लिया तथा जाजनगर, तिरहुत, बंग और काम रूप के राजाओं से कर वसूल किया।

पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करने के बाद इल्तुतमिश ने बंगाल, बिहार की ओर ध्यान दिया। दक्षिण बिहार को जीतकर वह गंगा नदी के किनारे आगे बढ़ा। गयासुद्दीन उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा परन्तु उसने आत्मसमर्पण करना ही अधिक उचित समझा। उसने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करली तथा भारी हरजाना भी दिया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया और वह वापिस आ गया। इल्तुतमिश के लौटते ही गयासुद्दीन ने मलिक जानी को पराजित कर बिहार से भगा दिया तथा पुनः एक स्वतंत्र शासक की भाँति व्यवहार करने लगा। इल्तुतमिश ने इसके विरुद्ध तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की किन्तु अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को जो अवध का सूबेदार था, सतर्क कर दिया और सुझवसर पाते ही आक्रमण के आदेश भी दिये। गयासुद्दीन ने तुरंत कार्यवाही न करने का कारण इल्तुतमिश की कमजोरी समझा और वह पूर्व की ओर एक अभियान पर निकल गया। नासिरुद्दीन महमूद ने यह अच्छा अवसर देख उसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण किया। गयासुद्दीन अपनी राजधानी की रक्षा के लिए वापिस लौटा परन्तु युद्ध में हारा गया। इस प्रकार 1226 ई. में बंगाल दिल्ली सल्तनत का एक इक्ता (सूबा) बन गया। 1229 ई. में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद मलिक इस्तयारुद्दीन ब्रह्मा खल्जी ने बंगाल पर पुनः अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने एक बार फिर उसे पराजित कर बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। इस बार उसने बंगाल और बिहार की व्यवस्था के लिए अलग-अलग दो अधिकारियों की नियुक्ति की। बंगाल और बिहार के प्रदेश उसकी मृत्यु तक दिल्ली सल्तनत के अंग बने रहे।

हिन्दू राजाओं से संघर्ष—कुतुबुद्दीन ऐबक हिन्दू राजाओं की ओर ध्यान न दे सका था। इल्तुतमिश भी 1225 ई. तक पश्चिमी सीमा की सुरक्षा तथा तुर्क शमीरों की समस्या में इतना अधिक उलझा हुआ था कि वह इस ओर ध्यान न दे सका। हिन्दू राजाओं ने इस बीच तुर्कों की सत्ता को समाप्त करने का प्रयत्न किया। चंदेलों ने कालिंजर और अजयगढ़ को जीत लिया, प्रतिहारों ने खालियर, नरवर और भाँसी पर अपना अधिकार जमा लिया तथा चौहानों ने रणम्भीर को अपने प्रभाव-क्षेत्र में ले लिया। जालौर के चौहानों ने दक्षिण-पश्चिमी राजपूताने के अधिकांश भाग को हथिया लिया और भट्टी राजपूतों ने अलवर आदि के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। राजपूताना की तरह ही बदायूँ, कन्नौज व कटेहर के प्रदेशों ने भी तुर्कों परतंत्रता के जूड़े को उतार फेंका।

इतुनमिश ने हिंदू राजाओं के प्रति आक्रमणकारी नीति अपनाई और कम से कम ऐसे प्रदेशों को पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास किया जो पहले तुर्कों के राज्य के अंग रह चुके थे। उमन 1226 ई. में राणपपुर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और अगले वर्ष 1227 ई. में शिवालिक प्रदेश में मंडोर पर भी अपना अधिकार जमा दिया। तत्पश्चात् उसने 1230 ई. के पूर्व जालौर, अजमेर, ब्याना, तहनगढ़ व सांभर पर अधिकार कर लिया।

1231 ई. में उमन खालिजर पर आक्रमण किया क्योंकि परिहार शासक मंगलदेव ने दिल्ली के अधिकार को मानने से इंकार कर दिया था। लगभग ग्यारह महीने तक दुर्ग का घेरा चलता रहा। मुतान ने दुर्ग जीतने के लिए शाही डर पर धर्मोपदेश की व्यवस्था की जिससे दुर्ग का जीतने में आने वाली कठिनाई का आसानी में अनुमान लगाया जा सकता है। दुर्ग न जीतने तक इसी प्रकार के धर्मोपदेशों की व्यवस्था की जाती रही जिनकी संख्या लगभग 95 थी। अन्त में 26 मई 630 हिजरी (12 मई 1232 ई.) को मंगलदेव भाग निकला और दुर्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया। विजय की खुशी में अधिकारियों को खिन्नभन प्रदान की गई। इतुनमिश ने मुमरतुद्दीन तायसी को खालिजर दुर्ग के गहना का पद दिया तथा उसे कालिजर और चदेरी के प्रदेशों का सूटन का आदेश दिया।

तायसी ने 1233-34 ई. में कालिजर और उसके आस-पास के प्रदेशों पर आक्रमण किया। बदल शासक दुर्ग की सुरक्षा अपने अधिकारियों को सौंप कर भाग गया। लगभग पचास दिन तक तायसी उसके प्रदेश में सूटपाट करता रहा और उस लगभग एक लाख पच्चीस हजार जीतल प्राप्त हुए।

इसके बाद इतुनमिश ने 1234-35 ई. में मानवा पर आक्रमण किया। भिनमा के दुर्ग और नगर पर अधिकार कर लिया गया। वहां उसने एक मंदिर का जो 300 वर्ष से बंद था, विध्वंस किया। फिर वह उज्जैन की ओर बढ़ा जहां उमन हिंदुओं के प्रसिद्ध महाबाल के मन्दिर को नष्ट किया तथा विभमाजान की प्रतिमा को दिल्ली ले गया। परंतु यह मानवा की विजय न होकर मात्र सूटपाट थी। दोआब में उमन बदायूँ, कन्नौज, बनारस, कटर और बहराइच को पुनः जीता। इस प्रकार इतुनमिश ने तुर्की सत्ता को पुनः स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया।

यह सत्य है कि उसे गृहिणीता और धार्मिकों के विरुद्ध कोई सफलता नहीं मिली परन्तु हमके बाद भी जिन परिस्थितियों में उसने तुर्की सत्ता पुनः स्थापित करने का प्रयास किया वह प्रशंसनीय है। जब वह शासक बना तो यह सम्भावना अधिक थी कि सल्तनत के टुकड़ टुकड़े हो जावेंगे और अन्ततोगत्वा उसका विनाश पूरा हो जावगा परन्तु उमन जिस दूरदर्शिता से आन्तरिक व बाहरी शत्रुओं का ध्यान किया वह उसकी कूटनीतिज्ञता की परिचामक है। राजपूतों की शक्ति पर वह

अंकुश अवश्य लगा सका परन्तु उनकी शक्ति का पूर्ण दमन नहीं कर पाया। पूरी तरह से राजपूतों की शक्ति को उन परिस्थितियों में नष्ट करना सम्भव भी नहीं था, जबकि वह स्वयं चारों ओर से कठिनाइयों से घिरा हो। बंगाल और सिन्ध से वह अपना आधिपत्य स्वीकार करवा कर ही सन्तुष्ट था।

खलीफा द्वारा उसके पद की स्वीकृति—18 फरवरी 1229 ई. को खलीफा ने इल्तुतमिश के लिये एक मानाभिपेक पत्र अपने राजदूत के द्वारा दिल्ली भेजा। इस पत्र के द्वारा खलीफा ने दिल्ली सल्तनत की स्वतन्त्र स्थिति को स्वीकार किया। इसका सीधा अर्थ था कि सुल्तान का अधिकार वैध बन गया और भारत के मुस्लिमों के लिए उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा करना धर्म-विरुद्ध हो गया। इस वैधानिक स्वीकृति से उसका व्यक्तित्व और अधिक निखर गया। यह कहना कठिन है कि खलीफा से मान्यता प्राप्त करने के लिए उसने स्वयं प्रार्थना की थी अथवा खलीफा ने स्वेच्छा से अपनी स्वीकृति दी थी। परन्तु इतना निश्चित है कि इस मान्यता ने उसके उन विरोधियों का मुँह बन्द कर दिया जो उसके गुलाम होने के आघार पर उसे सिंहासन का अधिकारी नहीं मानते थे। खलीफा जो समस्त मुस्लिम जगत का धार्मिक नेता था, उसके द्वारा इस मान्यता ने स्थिति में समुचित परिवर्तन कर दिया था और अब वह इस स्थिति में था कि सुल्तान के पद को वंशानुगत बना सके।

इल्तुतमिश की मृत्यु—1236 ई. में इल्तुतमिश ने बनियान के शासक के विरुद्ध अभियान किया परन्तु मार्ग में ही वह बीमार पड़ गया, जिसके कारण उसे दिल्ली लौटना पड़ा। अप्रैल 1236 ई. को उसकी मृत्यु हो गई।

✓ इल्तुतमिश का चरित्र व उपलब्धियाँ—इल्तुतमिश ने 1192 ई. में ऐबक के एक दास के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया और केवल बीस वर्ष के अल्पकाल में ही वह तुर्की साम्राज्य का अधिकारी बन गया। प्रो. हबीब व निजामी ने लिखा है, "निःसन्देह कई अन्य विशिष्ट मुहब्जि और कुतवी मलिक थे जिनके विषय में वह कहा करता था कि जब वह उन्हें अपने दरबार में खड़ा हुआ देखता था तो उसकी यह इच्छा होती थी कि वह अपने सिंहासन से उतर आए और उनके हाथ-पंर चूमे।" इससे यह स्पष्ट है कि उससे योग्य अथवा समान व्यक्तित्व के अमीर मौजूद थे और यदि वह सुल्तान बन सका तो यह केवल उसकी योग्यता ही थी। जिस समय वह गद्दी पर बैठा, राजनीतिक स्थिति इतनी तरल थी कि साधारण व्यक्ति के लिए उससे जूमना नितान्त कठिन था। एक ओर उसके पद को दो प्रबल प्रतिद्वन्द्वियों के द्वारा चुनीती दी जा रही थी तो दूसरी ओर हिन्दू राजाओं की यह भरपूर कोशिश थी कि नव-स्थापित तुर्की सल्तनत को उखाड़ फेंका जावे। मंगोलों के आक्रमण ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया था। इन विरोधी परिस्थितियों में उसका पथ-प्रदर्शन करने के लिये न तो कोई परम्पराएँ थीं और न ही मुहम्मद-गोरी जैसा कोई नेता। उसने मात्र अपनी योग्यता और दूरदर्शिता से

इन विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया और अपनी मृत्यु के समय जिस सल्तनत को उसने छोड़ा उसकी स्पष्ट रूपरेखा उभार चुकी थी। एक राजवंश की स्थापना के साथ वशानुगत उत्तराधिकार का सिद्धांत पूरी तरह जड़ जमा चुका था। साधारण लोगों के मन में यह भावना जम चुकी थी कि केवल उसके वंशज ही शासन करने के अधिकारी हैं। इसीलिए उसकी मृत्यु के 36 वर्षों बाद भी जब सीदी मौला के समर्थकों ने जलालुद्दीन के राज्यकाल में राज-विद्रोह किया तो उन्होंने उसके अधिकार को अधिक ठोस बनाने के लिए यह प्रस्ताव रखा कि उसका विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की पुत्री से कर दिया जावे।

इस्तुतमिश सुसभ्य था जिसने ईरानी रीति-रिवाजों को अपने राज दरबार में अपनाया। उसने विद्वानों और योग्य व्यक्तियों का यथोचित सम्मान किया। मध्य-एशिया में मगोल आतंक से पीड़ित अनेक विद्वानों व राज-पुरुषों ने उसके दरबार को सुरक्षित व उपयुक्त स्थान पाया। इसीलिये समकालीन विद्वान मिन्हाज-उस-सिराज, फखरुलमुल्क इसामी, निजामुल-मुल्क मुहम्मद जुनैदी, जो एक लम्बे समय तक उसका प्रधान-मन्त्री रहा, व मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी जैसे योग्य और विद्वान व्यक्ति उसके दरबार में उपस्थित थे। उसने दिल्ली में विभिन्न तालाब, मीनार, मस्जिदें बनवायीं। उसने कुतुबमीनार को पूरा कराया तथा होज-ए-शम्सी, शम्सी ईदगाह व जामा मस्जिद बनवायीं। जोधपुर राज्य के नागौर में उमन एक विशाल-काय दरवाजा बनवाया जिसे अतारिकिन का दरवाजा कहते हैं। कुतुब मस्जिद के पाम दिल्ली में उमर 1235 ई. में अपने मकबरे का निर्माण प्रारम्भ किया। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में उसने रचनात्मक कार्य किये। इसीलिये प्रो. निजामी ने लिखा है कि उसने दिल्ली को न केवल राजनीतिक व प्रशासनिक केन्द्र बनाया बल्कि उसे सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केन्द्र बनाया।

इस्तुतमिश धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। अपने प्रारम्भिक वर्षों में ही वह सूफी सतों के सम्पर्क में आ गया था और उनका प्रभाव उसके समस्त जीवन पर रहा। रात के समय वह काफी देर तक प्रार्थना और ध्यान में मग्न रहता था। वह सूफी सन्तों का जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख जलालुद्दीन तबरेजी, जेय बहाउद्दीन जकारिया आदि का बड़ा सम्मान करता था। परन्तु इस महज धार्मिक नीति का उसने साधारण रूप से उपयोग नहीं किया तथा समय-समय पर अपनी धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया। भिलसा नगर के पुराने मन्दिर को नष्ट कर तथा उज्जैन के महाकाल मन्दिर की मूर्तियों को तोड़कर उसने अपनी धार्मिक कट्टरता बताई। शिया मुसलमानों के प्रति भी उसका व्यवहार असहिष्णुतापूर्ण रहा। इसीलिये दिल्ली के इम्माइली-शियाओं ने उसे हिन्दी की मस्जिद में बल्ल करने का प्रयत्न किया। सुल्तान यद्यपि भाग कर जान बचाने में समर्थ हुआ परन्तु उसके बाद जिस प्रकार से उसके सैनिकों ने इम्माइलियों का क्रूरता से वध किया वह उसके निये शोभनीय नहीं था। युद्ध-काल में भी धर्म के प्रति वह अधिक भूकाय रहता

था जैसा कि ग्वालियर के अभियान से स्पष्ट होता है। परन्तु इस सब के बाद भी उसकी धार्मिक नीति कट्टर धार्मिक नेताओं के विचारों से प्रभावित नहीं थी। उसने आवश्यक मामलों के अतिरिक्त उलेमा-वर्ग से सलाह लेने की नीति नहीं अपनाई परन्तु रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते समय उसने उलेमाओं से सलाह लेना उचित समझा था।

परन्तु इल्तुतमिश की मुख्य सफलता भारत में नव-स्थापित तुर्की राज्य की सुरक्षा प्रदान कराने तथा उसे वैधानिक स्थिति दिलाने में है। प्रो. आर. पी. त्रिपाठी¹ के शब्दों में "भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास उसी से आरम्भ होता है।" ऐबक ने जिस कार्य को आरम्भ किया था, इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया। उसके गद्दी पर बैठते समय यक्षोज और कुवाचा ने उसकी प्रभुसत्ता को चुनौती दी थी और यदि इल्तुतमिश धर्म और दूरदर्शिता से काम नहीं लेता तो सम्भवतः दिल्ली सल्तनत गजनी की अधीनता में एक प्रान्तीय राज्य बन कर रह जाती। उसने उनकी शक्ति को समाप्त कर दिल्ली सल्तनत के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्थापित किया जिसका गजनी से कोई सम्बन्ध नहीं था। मंगोलों के आक्रमण तथा राजपूतों की स्वतन्त्र प्रवृत्ति पर अकुशल लगाकर उसने न केवल छीने हुये प्रदेशों पर पुनः तुर्की अधिकार को जमाया अपितु उसने सल्तनत को इन संकटों से उभार कर एक मूर्त-रूप भी प्रदान किया। प्रो. निजामी ने लिखा है कि, "ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति बनायी थी, इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा-शक्ति, एक दिशा, एक शासन-व्यवस्था और एक शासक-वर्ग प्रदान किया।" प्रो. हबीबुल्ला भी इसकी पुष्टि करते हुये लिखते हैं कि, "ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनायी। इल्तुतमिश निस्सन्देह, उसका पहला सुल्तान था।" इल्तुतमिश का कार्य निश्चित ही अधिक कठिन था, क्योंकि उसे न तो भारत के तुर्की सरदारों का नैतिक समर्थन ही प्राप्त था और न ही गोरी का समर्थन। ऐसी विरोधी परिस्थितियाँ म यदि उसने सल्तनत को मूर्त-रूप दिया तो यह उसकी सूझ-बूझ और योग्यता को प्रमाणित करती है। 1229 ई. में जब खलीफा ने उसे उसके पद की स्वीकृति दे दी तब उसकी वैधता अधिक प्रमाणित हो गयी। अब उसका अधिकार पूर्ण वैधानिक हो गया और जन्म अथवा पूर्व-पद के आधार पर जो आक्षेप उस पर लगाये जाते थे, समाप्त हो गये। इल्तुतमिश राजपद को अब अपने वंश में सुरक्षित रखने का अधिकारी हो गया था और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत में स्थायित्व व अविच्छिन्नता आ सकी। तथाकथित गुलाम वंश में उसका स्थान इन प्राप्तियों के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण था।

1. आर. पी. त्रिपाठी, सम आस्पेक्टस ऑफ मुस्लिम एरमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पृ. 24

रकनुद्दीन फीरोजशाह (1236 ई.)

इस्तुतमिश तुर्कों के उत्तराधिकार के अनिश्चित नियमों से परिचिन था और यह अनुभव करना था कि उसकी मृत्यु पर उत्तराधिकार के सपथ में दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व खतरे में पड़ जावेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिये एक मात्र रास्ता था कि वह अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर अमीरों से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ले। अतः उसने अपने बड़े लहके नासिद्दीन महमूद को त्रमण लाहौर, अथवा और बगाल का शासन नियुक्त किया। उसकी योग्यता और इस्तुतमिश का उसके प्रति कम्मान देखकर प्रत्येक अमीर यह समझता था कि वही उसका उत्तराधिकारी होगा। परन्तु मार्च-अप्रैल 1229 ई. में नासिद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई। इस्तुतमिश और दिल्ली मन्तनत के लिये यह बड़ा ही दुर्भाग्य था, इसलिये कि एक ओर तो उसके वशीय हितों पर आच धा रही थी और दूसरी ओर नवस्थापित तुर्कों राज्य के लिये यह एक कठिन चुनौती थी। उसका दूसरा पुत्र रकनुद्दीन फीरोज खानसी और बिनासी था तथा अल्पवयस्क पुत्रों के हाथों में राजसत्ता सौंपने के लिये यह समय उचित नहीं था। अतः उसने अपनी पुत्री रजिया को चुना। खानिखर पर आक्रमण करने के अवसर पर (1231 ई.) उसने शासन भार रजिया के हाथों सौंपा था और जिम कुशलता से उसने अपने दायित्व को निभाया था उसमें उसकी योग्यता में कोई गंजा नहीं रह गई थी। उसने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर मुद्रा पर अपने नाम के साथ ही उसका नाम भी अंकित करवाया। इस अवसर पर उसके कुछ अमीरों ने रजिया के स्त्री होने के नाते उसका विरोध किया मगर उसने उन्हें ये कहकर शान्त कर दिया कि, "मेरे पुत्र भोग-विलास में पन्न हैं..... मेरी मृत्यु के उपरान्त तुम्हें ज्ञान हो जावेगा कि उसके समान शासन कोई अन्य नहीं कर सकेगा।" परन्तु अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले वह फीरोज को लाहौर में ले आया, जिससे यह आभास होता है कि वह अपने अन्तिम समय में फीरोज को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। प्रो. निजामी ने इसे स्वीकार करते हुये चार तथ्यों को प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार—(1) अपने अन्तिम समय में बीमार पड़ने पर वह फीरोज को लाहौर में अपने साथ ले आया था, (2) मिनहाज को उद्धरित करते हुये उन्होंने लिखा है कि, "यह इसलिए किया गया क्योंकि जनता की दृष्टि उस पर लगी थी और नासिद्दीन महमूद के बाद वही सुन्तान का ज्येष्ठ पुत्र था," (3) इसी समय सम्भवतः इस्तुतमिश के नाम के साथ फीरोज के नाम का भी मिक्का चलाया गया। (4) मन्त्रों और अमीरों द्वारा फीरोज को निर्विवाद रूप से सुन्तान स्वीकार करना इस्तुतमिश के अन्तिम वर्षों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करता है। इस प्रकार मंगलवार, 29 श्रावण, 633 हिजरी (मई 1236 ई.) को फीरोज का राज्याभिषेक हुआ।

ताज और अमीर-वर्ग में सपथ—रकनुद्दीन फीरोज विलासी और अयोग्य था तथा उसकी मा, शाह तुर्कान शूर सिद्ध हुई। मिनहाज ने लिखा है "वह

मोग-विलास में डूब गया और अनुचित रूप से राज्य के धन को नष्ट करने लगा। वह विलास और दुराचार में इतना व्यस्त हो गया कि राज-काज की उपेक्षा होने लगी और सब ओर गड़बड़ी फैलने लगी। उसकी मां शाही परिवार की स्त्रियों आदि पर अत्याचार करने लगी और अपने पुत्र की विलासिता का लाभ उठाकर शासन की शक्ति का स्वयं उपभोग करने लगी। मिनहाज ने लिखा है कि, "शाह तुर्कान के पति की जीवित अवस्था में ही सारी पत्नियाँ उसके घृणा करती थीं..... उसने उनसे बदला लेना शुरू किया और उनमें से कई का वध करवा दिया..... उसने सुल्तान के युवा पुत्र कुतुबुद्दीन को अन्धा करवाकर मरवा दिया।" अमीरों को इसके बाद फीरोज और उसकी मां में कोई विश्वास नहीं रहा। अमीर और प्रान्तीय इत्तादार अब अत्यधिक असन्तुष्ट थे और इसीलिये अनेक स्थानों पर विद्रोह की तैयारियाँ होने लगी। मिनहाज ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है कि, "इन क्रान्तियों के कारण सब ओर बड़े-बड़े लोगों के हृदय में बैर भाव उत्पन्न हो गया। मृतक सुल्तान के पुत्र मलिक गियासुद्दीन मुहम्मदशाह ने, जो रुकनुद्दीन से छोटा था, अवध में विद्रोह कर दिया। जब लखनौती का कोप राजधानी को जा रहा था तो उसने यह छीन लिया और अन्य कई कस्बे लूट लिये। बदायूँ के सूबेदार मलिक इज्जुद्दीन मुहम्मद सालारी ने विद्रोह कर दिया। मुल्तान के सूबेदार मलिक इज्जुद्दीन कबीर खाँ ने, हांसी के सूबेदार मलिक सैफुद्दीन ने, लाहौर के सूबेदार मलिक अलाउद्दीन ने पड़यन्त्र कर विद्रोह का भण्डा खड़ा कर दिया। इन लोगों का दमन करने के लिये दिल्ली से सुल्तान रुकनुद्दीन ने सेना सहित कूच किया, परन्तु उसका मन्त्री निजामुलमुल्क जुनेदी भयभीत होकर कौलूगढ़ी के पास उसको छोड़ गया और फिर कोल की ओर जाकर वह बदायूँ के इज्जुद्दीन सालारी से मिल गया। फिर ये दोनों मलिक जानी और कोची साथ हो गये। सुल्तान रुकनुद्दीन कुहराम की ओर कूच करता रहा।" बदायूँ, मुल्तान, हांसी, लाहौर के इत्तादारों ने मिलकर विद्रोह किया और फीरोज को सिंहासन से उतारने के लिये वे अपनी सेनाओं सहित दिल्ली की ओर बढ़े। इस सम्मिलित विद्रोह की सूचना पाकर फीरोज के अधिकांश सैनिक जो उसके साथ कुहराम की ओर जा रहे थे उसका साथ छोड़कर विद्रोही हो गये। सुल्तान को मजबूर होकर दिल्ली की ओर लौटना पड़ा।

जब फीरोज कौलूगढ़ी पहुँचा तो उसने देखा कि विद्रोहियों ने उसकी मां को बन्दी बना लिया है और रजिया को उसके स्थान पर सुल्ताना बना दिया है। ऐसा माना जाता है कि रजिया ने फीरोज की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर जुम्मे (शुक्रवार) की नमाज के समय लाल वस्त्र पहनकर जनता के सम्मुख गयी और न्याय की मांग की। उसने इत्तुतमिश की इच्छा की याद दिलाई, "शाह तुर्कान के अत्याचारों को गिनाया और सम्भवतः यह वायदा भी किया कि शासक बनने पर यदि वह अयोग्य सिद्ध हो तो उसका सिर काट लिया जावे। दिल्ली की जनता ने उसका साथ दिया और उसे सुल्ताना मान लिया। गद्दी पर बैठकर उसने अपनी

सेना को फीरोज के विरुद्ध क़ीलूगडी भेजा। वे फीरोज को बन्दी बनाकर दिल्ली ले आये जहाँ कारागार में नवम्बर 1236 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। उसने 6 मास व 29 दिन शासन किया।

फीरोज को गद्दी पर बँठाने और हटाये जाने से हमें उस समय में ताज और अमीरी की शक्ति का आभास होता है। फीरोज को गद्दी पर बँठाने में तुर्क सरदारों का हाथ था और मुल्तान पद से हटाने में भी इन्हीं अमीरों और इत्तादारों ने सक्रिय भाग लिया था। इन्तुमिश ने अपनी शक्ति के आधारे पर अमीरों और इत्तादारों को अपने वश में कर रखा था और इस प्रकार में मुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि की थी परन्तु फीरोज विलामी और अकमैश मुल्तान निकला और स्वाभाविक रूप से अमीरों की शक्ति में उसकी कीमत पर, वृद्धि हुई। अतः अमीर अधिक शक्तिशाली हो गये और उन्होंने फीरोज को गद्दी से हटाने में भी निर्णायक भूमिका निभाई। दोनों बार उनका हस्तक्षेप सफल रहा। इससे उनका उत्साह और आत्म-विश्वास बढ़ा। रजिया को मुल्तान बनाने में क्योंकि प्रान्तीय इत्तादारों का कोई हाथ न था इसलिये वे अचिन्तित थे, जिसमें रजिया को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वास्तव में परिस्थितियों ने कुछ इस प्रकार का मोड़ लिया था कि इत्तादार राजधानी के अमीरों के साथ मुल्तान के चयन में अपने अधिकार की भावना रखे थे क्योंकि वे भी अमीरों के समान ही शक्ति के प्रतीक थे। राजधानी के अमीरों और इत्तादारों का ये रवैया मुल्तान की प्रतिष्ठा को कम करने वाला तथा तुर्कों मिद्वाना के अनुसार मुल्तान की अविभाज्य प्रभुता के लिये चुनौती थी। मुल्तान रजिया अमीरों के इस अतिक्रमण को सहन करने के लिये तत्पर नहीं थी, इसलिये उनका सम्पूर्ण शासनकाल अमीरों और इत्तादारों के साथ संघर्ष करने में ही व्यतीत हुआ। आरम्भिक दौर में ताज का पल्ला भारी रहा लेकिन अन्त में अमीरों की विजय हुई और वे रजिया को गद्दी से अलग करने में समर्थ हुए।

रजिया (1236-40 ई.)

नासिरुद्दीन महमूद की आकस्मिक मृत्यु (1229 ई.) के समय ही इन्तुमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और इस दिशा में उसने निश्चय पर अपने नाम के साथ ही उसका नाम भी अंकित करवाया था। परन्तु अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में उसने सम्भवतः अपने दूसरे लड़के इकनुद्दीन फीरोज को उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। इकनुद्दीन का शासन लगभग सात महीने ही रह सका और रजिया ने शक्ति जियायी। रजिया के राज्यारोहण से अनेक नये तत्व उभरे। सर्वप्रथम उसने इस्लामी परम्पराओं का उल्लंघन कर शायक के रूप में एक स्त्री को सत्कार किया। इस नाम एक स्त्री को शासक बनाने का अधिकार नहीं देता है। परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि रजिया के चुनाव में पहली बार दिल्ली सल्तनत की जनता ने निर्णय लिया था और

जनता ही उसके समर्थन और शक्ति का मुख्य आधार बनी रही। दिल्ली में रहते हुये उसे जनता का विश्वास प्राप्त होता रहा और इसीलिये उसके वहां रहते हुये उसके विरुद्ध कोई विद्रोह सफल नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त जैसाकि मिनहाज ने लिखा है कि उसने जनता से यह समझौता किया था कि यदि वह अयोग्य सिद्ध हो तो उसे पदच्युत कर दिया जावे। तुर्कों ने भी शासक के रूप में उसे स्वीकार कर अपने संतुलन तथा कठिन परिस्थितियों में स्वस्थ निर्णय लेने की योग्यता को साबित किया।

रजिया के राज्यारोहस में मुख्य भूमिका क्योंकि जनता ने निभाई थी इसलिये प्रान्तीय इत्तादार ये अनुभव करते थे कि अनेक अधिकारों की उपेक्षा की गई है। वे स्वयं को शासक के चयन में अत्यधिक महत्वपूर्णा इकाई मानते थे, और इसलिये इस उपेक्षा के कारण उन्होंने आरम्भ से ही रजिया का विरोध करना आरम्भ किया।

इस विरोध का आरम्भ बजीर निजामुलमुल्क जुनैदी से शुरू हुआ जबकि उसने रजिया को मुल्ताना मानने से मना कर दिया। बजीर के इस पहल को लाहौर के इत्तादार मलिक अलाउद्दीन जानी, हाँसी के मलिक सैफुद्दीन कूची, मुल्तान के मलिक ईजुद्दीन कबीर खाँ और बदायूँ के मलिक ईजुद्दीन मुहम्मद सालारी का समर्थन मिला। उन सबने मिलकर रजिया का विरोध करने का निश्चय किया और दिल्ली की ओर रवाना हुये। रजिया के लिये इनका विरोध करने के अतिरिक्त कोई चारा न था और क्योंकि ये इत्तादार शक्ति के आधार पर शासक के चयन के अधिकार को पुनः प्राप्त करने की नीति के लिये दृढ़-संकल्प थे, इसलिये रजिया ने प्रथमतः शक्ति के आधार पर ही इनका विरोध करने का निश्चय किया। वह सेना लेकर राजधानी से बाहर निकली और यमुना नदी के किनारे अपना शिविर लगाया। छुटपुट के युद्ध से कोई लाभ नहीं निकला और उसने कूटनीतिज्ञता से विद्रोहियों के नेताओं में फूट डालने का सफल प्रयास किया। उसने बदायूँ के इत्तादार मलिक सालारी और मुल्तान के इत्तादार मलिक कबीर खाँ ऐयाज को अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने बजीर जुनैदी तथा अन्य मलिकों को बन्दी बनाने का वायदा किया। इन मलिकों को जब इस पड़घन्ना की सूचना मिली तो उनका एक-दूसरे में विश्वास समाप्त हो गया और वे भाग खड़े हुये। उनका पीछा किया गया। मलिक सैफुद्दीन कूची और उसका भाई फखरुद्दीन पकड़े गये और कारागार में उनका बंध कर दिया गया। लाहौर का इत्तादार, मलिक अलाउद्दीन जानी को हत्या कर दी गई और उसका कटा हुआ सिर दिल्ली लाया गया। बजीर जुनैदी जान बचाकर सिरमूर की पहाड़ियों में भाग गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। इंडियन हिस्टारिकल पवार्टरली के अनुसार, "उन्हें इस प्रकार पराजित कर उसने एक हानिकारक संविधानीय परम्परा का विकास रोका," जिसमें इत्तादार शासक की नियुक्ति में सक्रिय भाग के अधिकारी बनना चाहते थे।

इस सरल और सगठित विद्रोह को समाप्त करने के बाद रजिया वास्तविक रूप में शासन की अधिकारिणी बनी। शासक की शक्ति को सुदृढ़ करने तथा भविष्य में ऐसे पड़यंत्रों से शासक की रक्षा करने हेतु उसने अपने विश्वासपात्रों को उच्च पद देने की तुर्कों की परम्परागत नीति को अपनाया। उसका उद्देश्य शासन से तुर्की गुलाम-सरदारों के प्रभाव को समाप्त कर एक ऐसे नये वर्ग को जन्म देना था जो उसकी कृपा पर निर्भर रहने के कारण उसके प्रति पूर्ण स्वामिभक्त बना रहे तथा तुर्क सरदारों की शक्ति को सतुलित करता रहे। उसने खानाभा मुहाज्जिदीन को वजीर, मलिक संफुद्दीन को सेना का प्रधान और मलिक इजुद्दीन कबीर खा का लाहौर का इत्तादार बनाया। मलिक-ए-कबीर इल्तुतमिश की पत्नी को 'अमीर-ए-हाजिब' व इल्तुतमिश की भतिज्जा का इत्तादार बनाया। ये दोनों ही रजिया की कृपा से इन महत्वपूर्ण पदों पर पहुँच पाये थे। ये दोनों ही रजिया के कृपापात्र थे परन्तु इन दोनों ने ही रजिया के पतन में मुख्य भूमिका निभाई। सम्भवतः कृतज्ञता तुर्क दास अधिकारियों का स्वभाव नहीं था। उसने जलालुद्दीन याकूब नामक एक ऐबीसीनियन को 'अमीर-ए-भाखूर' (अश्वशाला का प्रधान) नियुक्त किया। तुर्क मलिकों ने इस पर आपत्ति प्रकट की क्योंकि याकूब ऐबीसीनियन का और पूर्वकाल में यह पद केवल तुर्कों के लिये ही सुरक्षित था। सम्भवतः इसी कारण वह तुर्क मलिकों की ईर्ष्या तथा घृणा का शिकार बना। इसीलिये उन्होंने रजिया पर याकूब से प्रेम करने का आरोप लगाया है, जो इतिहास सगत नहीं जान पड़ता है। रजिया ने तुर्की गुलाम सरदारों के अकारिणों को समाप्त करने के लिये ही उसे यह पद दिया था जो शक्ति की तुलना में सम्मान का अधिक स्रोतक था। रजिया ने इस प्रकार विद्रोहों तटों का दबाकर अपनी राजनीतिक दूरदक्षिता का परिचय दिया और जैमाकि मिनहाजि ने लिखा है कि, "सल्तनती से देवल तक समस्त मलिकों और अमीरों ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली।"

इसके बाद रजिया ने रणयाम्भोर के विरुद्ध अपनी सेना भेजी परन्तु मलिक कुतुबुद्दीन को इसमें कोई सफलता नहीं मिली। चौहानों ने इसका लाभ उठाकर समस्त उत्तर-पूर्वी राजपूताना को हड़प लिया तथा वे लूटमार करने के लिए दिल्ली तक घावा बोलने लगे। खालिफ के विरुद्ध भेजा गया अभियान भी असफल रहा।

रजिया ने तत्पश्चात् शासन की शक्तिशाली बनाने और मुल्तान के सम्मान में वृद्धि करने की दिशा में कदम उठाये। उसने यह अनुभव किया कि बर्गर पदों का त्याग किये हूये ये सम्भव नहीं होगा। इसलिये उसने पदां त्याग दिया और मदन

1. ऐमीन कच बिगई तुर्क का जिसे इल्तुतमिश ने खरीदा था। इल्तुतमिश की मृत्यु के समय 'मिर छत्रवार' (शाही छत्र उठाने वालों का मुख्य अधिकारी) था।

2. मिनहाज-उस-सिफा, तज्जय-ए-नासिरी, पृ 187

कपड़े पहनकर दरबार लगाना शुरू किया, वह सार्वजनिक रूप से हाथी की सवारी करने लगी। शासन के कार्य को वह स्वयं देखने लगी तथा राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर गैर-तुर्कों को नियुक्त करने लगी। रजिया की ये कार्यवाहियाँ मलिकों को अप्रिय थीं क्योंकि वे अब तुर्की-राज्य में ही दूसरी श्रेणी के समझे जाने लगे थे। अतः उन्होंने रजिया को सिंहासन से हटाकर अपनी शक्ति को कायम रखने के लिए पड़यन्त्र प्रारम्भ किये।

रजिया का अमीरों से संघर्ष व उसका पतन—रजिया के शासन के तीसरे वर्ष तक अमीरों, मलिकों आदि की पड़यन्त्रकारी कार्यवाहियाँ तेज हो गईं। इस पड़यन्त्र के मूल में यह भय भी सन्निहित था कि रजिया केवल सन्देशवाहक स्थिति में भी किसी भी अमीर की हत्या करवा सकती है। 1238 ई. में उसने खालियार के हाकिम जियाउद्दीन जुनैजी को दिल्ली बुलाया और क्योंकि उस पर विद्रोही होने की शंका-मात्र थी परन्तु फिर भी उसने उसकी हत्या करवा दी। इस घटना से वे सब लोग जिनको यह भय था कि उन पर भी इसी प्रकार की शंका की जा सकती है, बहुत आतंकित थे इसलिये वे स्वयं की रक्षा हेतु रजिया के विरुद्ध गुप्त रूप से विद्रोह की तैयारी करने लगे। एक अन्य घटना से भी तुर्क सरदार रजिया के अधिक विरोधी हो गये थे। रजिया ने लाहौर-मुल्तान के हाकिम ऐयाज के असफल विद्रोह के बाद (1239 ई.) उसे यद्यपि क्षमा कर दिया था परन्तु उसे केवल मुल्तान की हाकिमी ही सौंपी थी। जब गजनी के भगोड़े सरदार सैफुद्दीन ने मुल्तान पर आक्रमण किया, ऐयाज को निकाल दिया तो रजिया ने ऐयाज के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

तुर्क सरदार और अमीर अब यह समझने लगे कि उन्हें भी किसी आक्रमणकारी के विरुद्ध केन्द्रीय सहायता नहीं मिल पायेगी। इसलिये उन्होंने संगठित होकर रजिया के विरुद्ध आक्रमण की योजना बनाई। पड़यन्त्र में दिल्ली और 'बहुल' (चालीस सरदारों का गुट) सरदार सम्मिलित थे। 'अमीर-ए-हाजिब' इस्तियासुद्दीन एतमीन, लाहौर का इक्तादार कबीरखां, ऐयाज व भटिण्डा का इक्तादार इस्तियासुद्दीन अल्तूनिया इस पड़यन्त्र में प्रमुख थे। ये यह जानते थे कि दिल्ली के नागरिक रजिया के प्रति वफादार थे और महलों में उसकी सचेतता के कारण भी कोई पड़यन्त्र सफल नहीं हो सकता था, इसलिये इसकी सफलता के लिए रजिया को राजधानी से दूर ले जाना आवश्यक था। इस आशय से 1240 ई. में लाहौर के इक्तादार कबीरखां ने विद्रोह किया, लेकिन रजिया ने इस तत्परता से इस विद्रोह को दबाया कि अन्य पड़यन्त्रकारी कबीरखां की सहायता के लिए नहीं पहुँच सके। कबीरखां पराजित हुआ और रावी नदी पार कर सोदरा की ओर भाग गया। रजिया ने उसका पीछा किया और सोदरा के पार मंगोलों का प्रदेश होने के कारण कबीरखां के सामने आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहा। रजिया ने उससे लाहौर का प्रदेश छीन लिया और अब उसके पास केवल मुल्तान की इक्तादारी ही रह गयी।

प्रो निजामी की मान्यता है कि कबीरखाने ने समुक्त रूप में पठयन्त्र में कोई भाग नहीं लिया था। कबीरखाने ने अन्य इत्तादारों के विद्रोह का पूर्वाभास कर उनसे घागे निकल जाने का निश्चय किया, इसीलिये अन्य पठयन्त्रकारी जो उसकी नीति से अनभिज्ञ थे, उसकी सहायता करने में असमर्थ रहे।

रजिया के विरुद्ध वास्तविक विद्रोह कबीरखाने के विद्रोह के बाद ही धारम्भ हुआ। उसे राजधानी वापिस आये हुए कठिनाई से दस ही दिन हुये थे कि भटिण्डा के इत्तादार भल्लूनिया ने विद्रोह किया जो 'घमीर-ए-हाजिब' एतगीन का घनिष्ठ मित्र था और रजिया का हृषापान था। रमजान की गर्मी की परवाह न करते हुए रजिया एक विशाल सेना लेकर निकल पड़ी। तबरहिन्द नामक स्थान पर पहुँचने पर तुर्क घमीरो ने रजिया को घोखा दिया। उन्होंने उससे विश्वासपान जमालुद्दीन याकूत का वध कर दिया और रजिया को बन्दी बनाकर भल्लूनिया के सरक्षण में तबरहिन्द के कारागार में डाल दिया (अप्रैल 1240 ई.)। पठयन्त्रकारी अब दिल्ली की ओर चले और इस बीच रजिया के स्थान पर इल्तुतमिश के तीसरे लहके मईजुद्दीन बहरामशाह को गद्दी पर बैठाया जिसका निर्णय वे पहले ही ले चुके थे। पठयन्त्रकारियों के नेता एतगीन को दिल्ली पहुँचने पर उसे 'नाइब ए-मुमलकन' बनाया गया और उससे यह आशा की गई कि इस नये पद के आधार पर वह शासन पर नियन्त्रण रखेगा। सुल्तान बहरामशाह एतगीन के व्यवहार से अत्यधिक असन्तुष्ट था, अतः उसने दो माह के अन्दर ही उसका वध करवा दिया। भल्लूनिया को एतगीन की हत्या के बाद विद्रोह करने पुरस्कार पाने की कोई आशा न रही।

रजिया ने इस स्थिति का लाभ उठाकर भल्लूनिया से विवाह कर लिया। भल्लूनिया इससे अपना पुरस्कार पाने की इच्छा की पूर्ति होते देख रहा था, और रजिया स्वतन्त्रता तथा गद्दी-प्राप्ति के मूर्त रूप की कल्पना कर रही थी। सोधर, राजपूत और जाटो को सम्मिलित करके भल्लूनिया ने एक सेना एकत्रित की और रजिया के साथ दिल्ली की ओर बढ़ना धारम्भ किया। बहरामशाह से असन्तुष्ट सरदार जैसे मलिक सालारी और करानुश भी इसमें सम्मिलित थे। मिनहाज ने उनके अन्त का वर्णन इस प्रकार किया है - 'रबीउल-अव्वल 638 हि (सितम्बर-अक्टूबर 1240 ई.) में मुइजुद्दीन बहराम ने सेना सहित उनके विरुद्ध बूच किया और सुल्ताना रजिया तथा मलिक भल्लूनिया पराजित हुये। जब वे भागते हुए कैयल के निकट पहुँचे तो उनकी बन्दी हुई सेना ने उनका साथ छोड़ दिया और हिन्दुओं द्वारा पकड़े जाने के पश्चात् वे मार डाले गये। वे 24 रबीउल-अव्वल को पराजित हुए और अगले दिन रजिया शहीद हुई।' मिनहाज के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष, 6 मास व 6 दिन तक शासन किया।

रजिया का पराभव वास्तव में तुर्की सैनिक सरदार-वर्ग की विजय थी। इस विजय में अनेक परिस्थितियाँ तुर्की घमीरो के पक्ष में थीं। उनकी सैन्य शक्ति रजिया

से कहीं अधिक थी, रजिया के जितने विश्वासपात्र थे उन्होंने भी रजिया के साथ विश्वासघात किया। अल्लूनिया के विद्रोह को दबाने के लिए जब रजिया तबरहिन्द पहुंची तो तुर्की अमीरों ने उसके साथ घोखा कर उसे बन्दी बना लिया तथा अल्लूनिया के संरक्षण में कारावास में डाल दिया। चहल के सरदारों में रजिया के विरुद्ध गठजोड़ बन जाना उसकी पराजय के लिये काफी उत्तरदायी था। रजिया को प्रतिद्वन्द्वी दल तैयार करने में भी केवल आंशिक सफलता ही मिल सकी। इसके अतिरिक्त उसका नारीत्व ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी, जिसने उसकी बौद्धिक और मानसिक योग्यताओं पर अंकुश लगा रक्खा था। कट्टर मुसलमान एक औरत को मर्दाने रूप में सहन नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने विरोधी तुर्की सरदारों का साथ दिया।

रजिया का चरित्र व मूल्यार्कन—दिल्ली की सुल्ताना बनने वाली वह एकमात्र स्त्री थी जिसमें मिनहाज के अनुसार 'वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक शासक में होने चाहिए।' परन्तु मिनहाज ने आगे लिखा है कि 'वे सभी श्रेष्ठ गुण उसके किस काम के थे?' उसका यह संकेत था कि रजिया की एकमात्र दुर्बलता उसका स्त्री होना था। मिनहाज के इस कथन को स्वीकार करना उचित नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि समस्त शासनकाल में रजिया ने स्त्री होने के बावजूद भी किसी स्त्री-दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। वह योग्य, कुशल कूटनीतिज्ञ तथा राज्य के हितों को पूरी तरह समझती थी और उन्हीं की पूर्ति करना अपना कर्तव्य मानती थी। उसने सुल्तान के सम्मान और ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयत्न किया और जब आरम्भिक वर्षों में उसे इस क्षेत्र में सफलता मिलने लगी तो मलिकों तथा अमीरों का उसका विरोधी हो जाना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे शक्ति को अपने सामने अपने हाथों से निकलते हुए देख रहे थे। रजिया के विरुद्ध सनातनी मुसलमानों और अमीरों को उकसाने के लिये उन्होंने उसके चरित्र पर लांछन लगाना आरम्भ किया। इतिहासकार इसामी इसमें आगे था परन्तु जैसाकि प्रो. निजामी¹ ने लिखा है कि, "अविवाहित इसामी के नारी-द्वेषी विचारों पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता।" रजिया की अमीर-विरोधी नीति ही इसके लिए मूल आधार थी।

मोटे रूप से रजिया के काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथमतः 1236 से 1238 ई. तक जब वह निरन्तर सफल रही और उसने तुर्क अमीरों की शक्ति पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की। इस क्षेत्र में उसे गैर-तुर्की अमीरों का एक स्वतन्त्र दल बनाने में भी आंशिक सफलता मिली। इसके साथ ही उसने कुछ सम्मानित पद अपने विश्वासपात्रों को दिये जो इस काल में उसके प्रति स्वामिभक्त थे।

1238 ई. में मंगोलों ने प्रति धरनाई गई नीति में उमकी योग्यता को प्रमाणित कर दिया। ख्वारजम के राज्यपाल मलिक हुसैन कालिग ने, जिसके प्रदेशों पर मंगोलों ने अधिकार कर लिया था, जब उससे सैनिक सहायता की मांग की और इसके लिए अपने पुत्र को भी दिल्ली भेजा तब रजिया ने उसके प्रति सहानुभूति प्रवण्य प्रकट की परन्तु सैनिक सहायता देने से मना कर दिया। इस प्रकार अपने पिता की तरह वह दिल्ली सल्तनत को सम्भावित मंगोल आक्रमणों से बचाने में सफल हुई।

1238 से 1240 ई. के दूसरे काल में रजिया के विरुद्ध विद्रोहों की गति दतनी अधिक तीव्र हो गई कि उसे वह सभालने में असमर्थ रही। मलिक और धर्मोरो का ये अनुभव कि उगे दिल्ली में रहते हुए पराजित करना नितान्त असम्भव है इसका प्रमाण है कि राजधानी में वह कितनी अधिक शक्तिशाली थी। इसीलिए विद्रोहिया ने उसे दिल्ली के बाहर पराजित करने का पड्यन्त्र रचा। रजिया मभवत उनकी राजधानी के बाहर भी पराजित कर देनी परन्तु उमके तुर्कों सरदारों ने उसके साथ विश्वासघात कर उसे बन्दी बना लिया। रजिया का पतन मुख्यतः इसलिये हुआ कि वह तुर्कों धर्मोरो के हाथों बठपुतली शासक बनकर रहने के लिये तैयार नहीं थी।

मुईजुद्दीन बहरामशाह (1240-42 ई.)

रजिया के पतन के पश्चात् मलिकों और धर्मोरो ने अपनी योजनानुसार बहरामशाह को 11 शम्बाल 637 हिजरी (5 मई 1240) को गद्दी पर बैठाया। उसने मुईजुद्दीन की उपाधि धारण की। मुईजुद्दीन को गद्दी पर बैठाना तुर्कों सरदारों की विजय का प्रतीक था। रजिया की नीति से तुर्कों सरदार यह सोच सके कि सुल्तान के हाथों शासन के सम्पूर्ण अधिकार रहने से उनकी अपनी शक्ति और मत्ता को बनाये रखना सम्भव नहीं है, इसलिये शासक को दिखावे के लिए इस सर्वोच्च पद पर आसीन कर राज्य की समस्त शक्तियां उन्हीं में से किसी एक को सौंप दी जावें। सुल्तान के पद की समाप्ति में उन्हें 'मिल्लत' के विरोधी होने की सम्भावना थी। इस आधार पर बहरामशाह को सुल्तान इस शर्त पर बनाया गया कि वह शासन की समस्त शक्तियां 'नायब-ए-ममलकत' अथवा 'नायब' को सौंप दे जो इसका उपभोग करे। नायब का पद भारतीय इतिहास के सदम में बिल्कुल नया था। सर्व-प्रथम रजिया के विरुद्ध पड्यन्त्र करने वालों के नेता एतगीन को यह पद दिया गया था। साथ ही वजीर के पद पर मुईजुद्दीन बना रहा। इस प्रकार अब सत्ता के लिये तीन दावेदार खड़े हो गये—सुल्तान, नायब व वजीर।

सुल्तान मुईजुद्दीन बहरामशाह यद्यपि स्वभाव से सरल और स्पष्टवादी था और अन्य सुल्तानों की तरह दिखावटी शान-शौकत में विश्वास नहीं करता था, परन्तु इसके साथ ही वह भत्याचारों व रक्तपात करने वाला शासक भी था। सुल्तान

बनने के दो माह पश्चात् ही उसने यह सिद्ध कर दिया कि तुर्की सरदारों की यह मान्यता कि वह शक्ति विहीन सुल्तान की तरह शासन करता रहेगा, नितान्त भूल थी। शासन के क्षेत्र में भले ही वह अयोग्य हो, परन्तु इसके बाद भी वह शासन का वास्तविक अधिकारी था और अपने इस अधिकार को वह सहज ही भे गंवाने को तैयार नहीं था। इसलिये उसके तथा तुर्की सरदारों के बीच संघर्ष अनिवार्य था।

नायब के पद पर नियुक्ति के साथ ही एतगीन ने शासन की शक्ति अपने हाथों में ले ली। अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिये उसने बहरामशाह की एक तलाकशुदा बहन से निकाह कर लिया। उसने अपने महल के प्रागे नीवत बजाने व हाथी रखने की भी व्यवस्था की। यह दोनों विशेषाधिकार केवल सुल्तान के ही थे और इसलिये बहरामशाह को उसका व्यवहार न केवल अनुचित अपितु सुल्तान की मर्यादा के विरुद्ध लगा। उसने शाही महल में धार्मिक गोष्ठी के समय उसकी हत्या करवा दी। वजीर पर भी आक्रमण किया गया, परन्तु वह बच निकला। तुर्की सरदारों में से एक प्रभावशाली सरदार की हत्या महत्वपूर्ण बात थी, परन्तु तुर्कों ने परिस्थिति-वश इसकी प्रतिक्रिया नहीं बताई क्योंकि इसी समय रजिया और अन्तूनिया दिल्ली पर अधिकार करने हेतु उस ओर बढ़ रहे थे।

एतगीन का बध करवाने पर भी बहरामशाह को शासन-शक्ति प्राप्त नहीं हुई। एक और तो वजीर मुईजुद्दीन जीवित था जो अपने पर किये गये घातक हमले को न भूला था, और दूसरी ओर 'अमीर-ए-हाजिव' बदरुद्दीन संकर रूमी ने नायब के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति न होने का लाभ उठाकर शासन के समस्त अधिकार हड़प लिये थे। वह सुल्तान से पूछे बिना आदेश देने लगा और वजीर को भी दबाकर रखने लगा। वजीर और सुल्तान दोनों ही बदरुद्दीन की इस बढ़ती हुई शक्ति से ईर्ष्या करते थे और स्वाभाविक रूप में एक दूसरे के श्रविक निकट आ गए। उसने सुल्तान के कान भरने शुरू किये तथा सुल्तान, बदरुद्दीन का बध करने के लिए पड़यन्त्र रचाने लगा। बदरुद्दीन भी किसी प्रकार से पीछे नहीं था और वह भी सुल्तान को हटाकर उसकी जगह उसके किसी भाई को गद्दी पर बैठाने का प्रयास करने लगा। इसके लिए उसने दिल्ली के बड़े-बड़े सरदारों, अमीरों और मलिकों की सहायता प्राप्त करने के लिए अग्रस्त, 1241 में एक सभा बुलाई जिसमें प्रधान काजी जलालुद्दीन कासानी, काजी कबीरुद्दीन, शेख मुहम्मद सामी आदि उपस्थित थे। सभा काजी सदरुलमुल्क के यहाँ हुई। उसने ही वजीर को भी इसमें सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया, परन्तु क्योंकि वजीर, बदरुद्दीन की बढ़ती हुई शक्ति से अत्यधिक शंकित था इसलिये उसने तुरन्त पड़यन्त्र का भण्डाफोड़ कर दिया और सुल्तान ने अचानक आक्रमण कर पड़यन्त्रकारियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पड़यन्त्रकारी श्रविक शक्तिशाली थे इसलिये सुल्तान ने यह उचित नहीं समझा कि उनका सामूहिक रूप में बध करा दिया जावे। इस आधार पर वह जनता के

आश्रीश को निमंत्रित करने के नियम तैयार नहीं था। अतः सुल्तान न उन्हें दूरस्थ स्थानों पर भेज देना उचित समझा। बाजी जलानुद्दीन का उसका पद स हटा दिया गया तथा बदरुद्दीन मकर को बदायूँ भेज दिया गया। जब लगभग चार माह बाद वह बगैर अनुमति के सिन्धी लौट आया तो सुल्तान न उसे बन्दी बनाकर उसका तथा ताजुद्दीन अली मूमवी का वध करवा दिया।

इन दोनों तुर्कों सरदारों का वध स अमीर और अधिक भयभीत हुए और धीरे धीरे उनका तथा सुल्तान के बीच अविश्वास की खाई और अधिक गहरी होन लगी। बजीर अब बदला लेने के लिए अधिक सत्रिय हो गया और उसने उलेमा वग म व्याप्त असंतोष का लाभ उठाया। उलेमा वग सुल्तान स इसलिय ताराज था कि उसने उनके कई नेताओं को दण्डित किया था। बजीर किसी अवसर की तलाश म था और मंगोलों के आक्रमण (1241 ई) न उस यह अवसर दिया 1241 ई में मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण कर लाहौर को घेर लिया। उन्होंने हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया तथा नगर को खूब सूटा। यह स्थिति सल्तनत के लिए खतरनाक थी। इसम तुर्की सरदारों के हित पर भी आच आ रही थी अतः उन्होंने सुल्तान क साथ मिलकर मंगोलों का विरोध करना उचित समझा। बजीर भी इस सेना के साथ गया। भाग म उसने तुर्की सुल्तान से बदला लेने की अपनी योजना की कार्यावधि करना चाहा। उसन एक और तो सुल्तान को अमीरा के विरुद्ध भड़काया और उसस आशा चाही कि वह उन सबका वध कर दे। उसन घोषे से इस प्रचार का आदेश भी सुल्तान से प्राप्त कर लिया। बजीर ने इस आदेश को सरदारों और अमीरा के सम्मुख रख दिया। उसस सरदार सुल्तान के विरोधी हो गये और उसका साथ छोड़ दिल्ली की ओर रवाना हो गये। सुल्तान न शेखुल इस्लाम सईद बुतुबुद्दीन को उन्हें शान्त करने क लिए भेजा परंतु विद्रोही बहराम शाह को गद्दी से हटान क लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। सुल्तान ने युद्ध के अतिरिक्त कोई चारा न देखकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। लगभग तीन मास तक राजधानी म युद्ध चलता रहा। अंत म उसका वध कर दिया गया।

तुर्क सरदार इज्जुद्दीन विशनुखाँ न दिल्ली म सबसे पहले प्रवेश कर महल पर अपना अधिकार जमाया और स्वयं को सुल्तान घोषित करवा दिया। अथ तुर्की सरदार उस सुल्तान मानन के लिए तैयार नहीं थे। यह तय किया गया कि इज्जुद्दीन पीरोज के पुत्र अलाउद्दीन मसूदशाह को सुल्तान बनाया जावे।

इस प्रकार एक बार फिर ताज और अमीरा के बीच संघर्ष म अमीर विजयी हुए। बहरामशाह न ताज की प्रतिष्ठा बनाय रखन क लिय अमीरा की शक्ति पर अनुश्रुत लंगान का जो प्रयत्न किया उसम वह निरन्तर अक्षम रहा। यह स्पष्ट हुआ गया कि राज्य की वास्तविक शक्ति तुर्की सरदारों म निहित थी और सुल्तान केवल नाम मात्र का सुल्तान बनकर ही रह सकता था। परंतु दसक साथ ही यह भी स्पष्ट

हो गया कि तुर्क सरदार आपस में एक दूसरे प्रति अत्यधिक ईर्ष्यालु थे, और उनमें कोई इतना शक्ति सम्पन्न नहीं था कि वह स्वयं को सरदारों से सुल्तान स्वीकार करवा सके। इसलिये सुल्तान का पद इल्तुतमिश के एक बंशज को दिया गया।

अलाउद्दीन मसूदशाह (1242-46 ई.)

अलाउद्दीन मसूदशाह को सुल्तान इस शर्त पर बनाया गया था कि वह स्वयं राज्य की शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। इसके लिये उन्होंने नायब के पद को पुनः स्थापित किया और गोर से भागकर आये हुये एक शरखार्थी, कुतुबुद्दीन हसन को यह पद दिया। परन्तु क्योंकि वह तुर्की सरदारों के दल का नहीं था, इसलिये अब इस पद का कोई वास्तविक महत्व नहीं रहा। अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत बनाने के लिये उन्होंने दो उपाय किये—प्रथमतः उन्होंने इल्तुतमिश के दो बेटों—नासिरुद्दीन और जलालुद्दीन को बन्दी बना लिया जिससे कि राजवंश का कोई दूसरा दावेदार खड़ा न हो सके और सुल्तान को बनाने-दिगाड़ने में वे इन दोनों बन्दीयों का उपयोग कर सकें, एवं द्वितीय उन्होंने समस्त ऊँचे पदों को इस प्रकार से अपने में बाँट लिया कि सुल्तान को स्वेच्छाचारिता का कोई अवसर ही नहीं मिल पावे।

अलाउद्दीन मसूदशाह इल्तुतमिश के पुत्र फीरोजशाह का पुत्र था। उसे भी इस शर्त पर सिंहासन सौंपा गया था कि वह राज्य की शक्ति का प्रयोग नाइव के माध्यम से ही करेगा। मलिक कुतुबुद्दीन को, जो गोर से भागकर आया हुआ एक शरखार्थी था, यह पद दिया गया। परन्तु क्योंकि वह तुर्की सरदारों के दल का नहीं था इसलिये 'नाइब' के पद का कोई वास्तविक महत्व नहीं रहा, अन्य पदों पर तुर्की सरदारों को नियुक्त किया गया परन्तु साथ ही साथ कुछ नये सरदार भी अब उच्च पद प्राप्त करने में सफल हुये, जो यह संकेत देता है कि तुर्की सरदारों का गुट आपसी द्वेष के कारण दुर्बल हो रहा था। इसका लाभ उठाकर वजीर मुहज्जबुद्दीन ने राज्य की सम्पूर्ण सत्ता हथिया ली। उसने कोयल के इक्ता को अपनी जागीर में मिला लिया तथा अपने द्वार पर नौबत की व्यवस्था की और एक हाथी बाँधने लगा। उसने तुर्की अमीरों को बहरामशाह के विरुद्ध भड़काया था, परन्तु अब वह तुर्कों के अवि-कारों को सीमित करना चाहता था। इसीलिए उन्होंने उसके विरुद्ध पड़यन्त्र कर दिया और अक्टूबर 1242 ई. में उसकी हत्या कर दी। उसके स्थान पर नज्मुद्दीन अलू बक्र को वजीर बनाया गया। इसी समय अन्य महत्वपूर्ण पदों का भी पुनः वितरण किया गया, जिसमें 'अमीर-ए-हाजिब' का पद बलबन को मिला।

सुल्तान ने इसके बाद अमीरों की सहमति से अपने चाचा के पुत्रों, जलालु-द्दीन और नासिरुद्दीन को बन्दीगृह से मुक्त कर क्रमशः कन्नौज और बहराइच को राज्यपाल बनाया। वे अपने-अपने प्रदेशों में शान्तिपूर्वक कार्य करने लगे। परन्तु इसने एक नई समस्या को जन्म दिया। अब आवश्यकता पड़ने पर सरदार इल्तुतमिश

के परिवार ने दो राजकुमारों में से किसी एक को गद्दी का दावेदार बनाकर उसका स्वयं के हितों में उपयोग कर सकते थे। बलबन ने इसका पूरा लाभ उठाया। उसने धीरे-धीरे तुर्कों सरदारों का नेतृत्व प्राप्त कर लिया और शासन की सत्ता को अपने हाथों में करने का सफल प्रयास करने लगा।

मुल्तान ने यद्यपि दिल्ली और अराकान के प्रदेशों में शान्ति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, किन्तु दूरस्थ प्रदेशों के सूबेदारों ने उसके आधिपत्य को मानने में इन्कार कर दिया। बंगाल और बिहार के सूबेदार तुगानशाँ ने स्वतन्त्र रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। मुल्तान का हाकिम अयाजी दिल्ली की अधीनता मानने को तैयार नहीं था क्योंकि मंगोलों और बरलुगों के विरुद्ध दिल्ली की सहायता प्राप्त न होने पर भी उसने स्वयं की रक्षा कर ली थी। ऐसी स्थिति में जब कि वह दिल्ली से अलग हो चुका था, मंगोल अधिकारी मगूता उसके छिन्न-भिन्न राज्य पर आक्रमण कर उसकी सत्ता को ही समाप्त कर देना चाहता था। अयाजी-वंश के श्रेय लाग पुन दिल्ली सल्तनत की सत्ता को स्वीकार करना चाहते थे। बलबन इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मुल्तान को मंगोलों के विरुद्ध कूच का परामर्श दे रहा था परन्तु वह मंगोलों के साथ युद्ध करना नहीं चाहता था। उसका उद्देश्य था कि वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे जिससे कि मुल्तान की सेना को देख मगूता स्वयं भाग जावे। बलबन ने घटना-चक्र को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि जब मुल्तान की सेना लाहौर के निकट पहुँची तो मंगोल उच्च का घेरा उठाकर भाग खड़े हुये। इस अभियान में यदि एक और लाहौर, मुल्तान और उच्च दिल्ली के आधिपत्य में आ गये तो दूसरी ओर तुर्कों सरदारों में बलबन का व्यक्तित्व निखर उठा। किन्तु बलबन अपने साथी तुर्क सरदारों की ईर्ष्या से परिचित था, इसलिये जब उसने मुल्तान को गद्दी से हटाने का पदयन्त्र रचा तब उसने समस्त तुर्क सरदारों का विश्वास प्राप्त कर ही इसको पूर्ण करना चाहा। मिनहाज ने लिखा है, "सेना के बेकार लोगों का एक दल था जो शन-शन मुल्तान तक पहुँच गया था और उन लोगों ने उसमें बुरी आदतें डाल दी थीं। उसने मलिकों की हत्या तथा उन्हें बन्दी बनाने के विषय में सोचना आरम्भ कर दिया और इसका निश्चय कर लिया। इसके सारे सदगुण दुर्गुण बन गये थे और वह भोग-विलास तथा शिकार में लिप्त हो गया था।" इन परिस्थितियों में सब और विद्रोह होने लगे। अमीरों और मन्त्रियों ने इन्तुमिश के पौत्र नासिरुद्दीन को शासन सम्भालने को आमन्त्रित किया। मुल्तान के विरुद्ध पदयन्त्र में बलबन का प्रमुख हाथ था, परन्तु समझदारी से काम लेते हुये उसने स्वयं के लिये कोई भाग नहीं रक्की। ऐसा अनुभव हो रहा था कि समस्त अमीर और मलिक ही इस कार्य में आगे हैं। 23 मुहर्रम, 644 हिजरी (10 जून 1246) को मुल्तान को समस्त परिवार सहित बन्दी बना लिया गया, और सम्भवतः उसे कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार चार वर्ष, एक मास व एक

दिन शासन कर अलाउद्दीन मसूदशाह के स्थान पर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया ।

नासिरुद्दीन महमूद (1246-1266)

वंशावली—नासिरुद्दीन महमूद शम्सुद्दीन इल्तुतमिश का पौत्र था न कि लड़का, जैसा कि भ्रमवश कहा गया है । इसामी जिसके पूर्वज दिल्ली दरवार में अधिकारी थे, इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट है । जब इल्तुतमिश के पुत्र शाहजहाँ नासिरुद्दीन का निधन हुआ उसने अपनी मृत्यु के पश्चात् एक पुत्र छोड़ा जो उसकी मृत्यु के पश्चात् उत्पन्न हुआ था । फरिश्ता का कथन है 'सुल्तान शम्सुद्दीन के ज्येष्ठ पुत्र का नाम नासिरुद्दीन था । जब वह (शाहजादा नासिरुद्दीन) लखनौती में मर गया तो इस पुत्र (सुल्तान नासिरुद्दीन) का जन्म हुआ, जो शाहजादा नासिरुद्दीन का सबसे छोटा पुत्र था । अपने मृतक पुत्र के प्रति स्नेह के फलस्वरूप इल्तुतमिश ने उसका वही नाम रखा ।'

सिंहासनारोहण—सबकात-ए-नासिरी¹ के लेखक मिनहाज सिराज के अनुसार "सुल्तान मुहजुद्दीन नासिरुद्दुनिया बख्तुद्दीन (नासिरुद्दीन महमूद) दिल्ली के हरे महल में रविवार, 23 मुहर्रम, 644 हिजरी (10 जून, 1246 ई.) को गद्दी पर बैठा । यह बड़ा शुभ दिन था । शाहजादे और सामन्त, मुखिया और बड़े लोग संयद और विद्वान दुरन्त ही प्रसन्नता पूर्वक अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने के लिये एकत्रित हुए और सबने अपने-अपने पदानुसार उसको राज्यारोहण पर बधाइयाँ दीं । मंगलवार, 25 मुहर्रम को फिरोजी महल में उसने दरवार लगाया तो लोगों ने एक स्वर से उदार, गुणवान और सौम्यमूर्ति शाहजादे का सुल्तान पद पर अभिनन्दन किया । उसके न्यायप्रिय शासन से सारे भारत को सुख और संतोष हुआ ।" नासिरुद्दीन महमूद के सुल्तान बनने के समय से राज्य शक्ति के लिए जो संघर्ष सुल्तानों और तुर्की सरदारों में चल रहा था, वह समाप्त हो गया । सुल्तान ने स्वयं कभी शासन नहीं किया । वह शक्ति का अनुयायी रहा । तुर्की सरदार शक्तिशाली थे और बलबन उनका नेता था । उसने राज्य की शक्ति उन्हें और उनके नेता को सौंप दी । यह कहा जाता है कि सुल्तान नासिरुद्दीन महत्वाकांक्षाओं से रहित और धर्म परायण था ।

सुल्तान और अमीर वर्ग के सम्बन्ध—अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि एक सुल्तान के रूप में नासिरुद्दीन में तात्कालीन जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य आवश्यक गुण नहीं थे और वे अपने प्रधानमंत्री बलबन के बलवृत्ते पर ही उसकी नीका पार लगीं ।

1. इलिषट एण्ड टाउसन, भाग दो, वही, पृ. 250

डा ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि, "बलबन के रूप में उसको ऐसा निपुण और दूरनिश्चयी मन्त्री मिला, जो स्वामी के शासन के आरम्भ से अन्त तक राज्य की आन्तरिक और बाह्य नीति का कुशलता पूर्वक संचालन करता रहा।"

नासिरुद्दीन महत्वाकांक्षी नहीं था, उसमें परिस्थितियों से समझौता करने का विवेक था। वह यह जानता था कि तुर्की सरदारों की नाराजगी मोल लेने पर पिछले सुल्तानों का क्या हाल हुआ था। इसीलिए उसने अपने शासन में तुर्की सरदारों की शक्ति का विरोध करने का दुस्साहम नहीं किया। बलबन जो 'बहल' का नेता था उसके हाथों में शासन-सत्ता सौंपकर वह केवल एक बठपुतली शासक की भूमिका निभाता रहा। इसामी ने उसकी प्रवृत्ति पर व्यंग्यात्मक रूप में लिखा है कि, "वह बिना तुर्की सरदारों की पूर्ण आज्ञा के कोई मत व्यक्त नहीं करता था और बिना उनके आदेश के अपने हाथ-पैर तक नहीं हिलाता था। वह बिना उनकी जानकारी के न पानी पीता था न सोता ही था।" प्रो निजामी ने अनुसार आरम्भ-समर्पण पूर्ण था।

नासिरुद्दीन के गद्दी पर बैठने से सुल्तान और अमीरों के बीच संपर्क समाप्त हो गया और इसका कारण था कि सुल्तान ने शासन करने की अपेक्षा शासन की शक्ति को हस्तान्तरित करने की नीति अपनाई और ऐसी स्थिति में दोनों के बीच कोई संपर्क का कारण बचा ही नहीं। शासन का ऐसी स्थिति में बड़े मुचाह रूप से चलना स्वाभाविक था। डा ए. एन श्रीवास्तव¹ ने लिखा है कि, "बलबन जो सुल्तान के राज्याभिषेक के दिन से ही प्रधान मन्त्री का काम करता आया था, 1249 ई में नादव-ए-मुमालिकत बनाया गया। उसी वर्ष उसने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन के साथ कर दिया, जिससे उसकी स्थिति और अधिक दृढ़ हो गयी।" अन्य तुर्की अमीरों की तुलना में उसने अधिक महत्व प्राप्त कर लिया। अब वह राजशक्ति का एकमात्र भोक्ता था। उसने इसका उपयोग अपने सम्बन्धियों की स्थिति सम्मानित करने तथा सल्तनत की नींव सुदृढ़ करने में किया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि वह बठपुतली शासक न था। यह विचार तर्कमगत भी लगता है कि नासिरुद्दीन महमूद कोई "गुडिया शासक" नहीं था बल्कि एक योग्य शासक था जिसका तुर्की सरदारों पर काफी प्रभाव था और जिसने शासन संचालन में शक्ति और कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया। इस मत के समर्थन में डा अबध बिहारी पाण्डेय का तर्क है कि, "नासिरुद्दीन के राज्य काल की घटनाओं की विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कम से कम सन् 1255 ई तक निश्चय ही नासिरुद्दीन शासन संचालन में काफी प्रभाव रखता था और बाद के काल की घटनाओं का विस्तृत विवरण प्राप्त न होने

पर भी बलबन के शासन काल की घटनाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उस समय भी उसका प्रभाव नगण्य नहीं था।”

मिनहाजुस सिराज लिखता है कि, “जब वह बहुराइच का शासक था तब उसने स्थानीय हिन्दू राजाओं के विरुद्ध अनेक युद्ध किए और अपने कुशल शासन संचालन द्वारा उसने ऐसी शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित की जिससे वहां की जनता सुखी एवं समृद्ध हो गई। उसकी कीर्ति एवं शासन की सफलता की वाक चारों ओर फैल गई और इसलिए जब सरदार तथा अमीर अलाउद्दीन से असंतुष्ट हो गए तो उन्होंने गुप्त पत्र भेजकर नासिरुद्दीन को राज्यारोहण के लिए आमन्त्रित किया। इस बात से प्रकट है कि नासिरुद्दीन युद्ध एवं शासन दोनों में ही योग्य था और इसके लिए ख्याति प्राप्त कर चुका था। वह दिल्ली स्त्री वेष में आया। इससे विदित होता है कि वह न केवल महत्वाकांक्षी बरन कार्य साधने में चतुर था। जब वह दिल्ली आ गया तब वह निबिरोध सुल्तान घोषित कर दिया गया। इससे भी अनुमान होता है कि वह केवल कुरान की प्रतिलिपियाँ तैयार करने में लगा रहने वाला व्यक्ति ही न रहा होगा।”

सिराज ने आगे लिखा है कि, “राज्यारोहण के बाद उसने किसी को भी सहसा वकील अथवा नायब-ए-मुमालिकात का पद नहीं दिया, क्योंकि वह अपने पूर्ववर्ती शासकों के काल की घटनाओं से परिचित था। उसने उलुग खाँ तथा अहमद-उद-दौला को पुराने पदों पर रहने दिया और अन्य अमीरों के पदों में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। नासिरुद्दीन ने तीन वर्ष तक सभी सरदारों के कार्यों का निरीक्षण करने के पश्चात् जो उन्हें सबसे योग्य था उसे वकील अर्थात् 'नायब-ए-मुमालिकात' का पद प्रदान किया। यह पद देने के बाद भी सुल्तान ने अपने हाथ कटा नहीं दिए। इसी कारण यह सम्भव हो सका कि चार वर्ष बाद 1253 ई. में वह अपने नायब को विश्वासपूर्वक पदच्युत कर हांसी का हाकिम नियुक्त कर सका। जिस व्यक्ति को 1253 ई. में शासन भार सौंपा गया, उसकी अयोग्यता सिद्ध होने पर नासिरुद्दीन के विरुद्ध नहीं बरन् उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध सैनिक प्रदर्शन किया गया और नासिरुद्दीन उस समय भी इतना सबल था कि उसने नए नायब को बदायूँ भेज कर फिर पुराने नायब को वापस बुला लिया। इस प्रकार प्रारम्भिक वर्षों में सैनिक अभियानों में सुल्तान बराबर बलबन के साथ युद्ध-क्षेत्र में गया और वहां से वह रणनीति का निरीक्षण एवं संचालन करता रहा। इन सब घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि नासिरुद्दीन अपने पूर्ववर्ती शासकों की भांति सरदारों के हाथ की कठपुतली न होकर वास्तविक शासक था।”

फरिश्ता लिखता है कि, “वह अपने पिता के सिंहासन को अलंकृत करने के लिए अपने वंश के अतिरिक्त अपनी शूरवीरता, योग्यता, विद्वता एवं अपने अनेक अन्य सदगुणों के कारण विशेष रूप से उपयुक्त था।” उसने बीस वर्ष तक केवल

बलबन की कृपा पर शासन नहीं दिया वरन् अपनी योग्यता के बलबूते पर और बलबन उसका सेवक ही रहा न कि स्वामी ।" बलबन की मुल्तान के रूप में सफलता को भी उसके ताइब की सफलता के साथ जोड़ दिया गया । इसका कारण यह था कि, "इस्तुतमिश के मत के अनुसार उसके सभी बेटे राज्य करने के लिए प्रयोग्य थे इसलिए नासिरुद्दीन को भी प्रयोग्य ही मान लिया गया और इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि 1232-1236 ई में नासिरुद्दीन इतना छोटा था कि उसको राज्य देने का प्रश्न ही नहीं उठता था । नासिरुद्दीन जब बड़ा हुआ तो अपने प्रपत्नी योग्यता का परिचय देना शुरू किया । फलतः वह मुल्तान पद के लिए निर्वाचित किया गया । उसने अपने दीर्घ शासन में ऐसी कोई दुर्बलता नहीं दिखाई जिसके कारण उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति मुल्तान बनाया जाता । 1255 ई में मुल्तान के हटाए जाने की सम्भावना हो सकती थी, उसके भाई अलानुद्दीन ने इसी भाशा में यह विश्वास कर लिया कि वह स्वयं उसका उत्तराधिकारी होगा । परन्तु विद्रोही सरदारों ने नासिरुद्दीन से लोहा लेने का साहस नहीं किया । इस भाँति यह प्रमाणित हो जाता है कि नासिरुद्दीन एक योग्य शासक था जिसके हाथ में शासन की वास्तविक शक्ति थी ।"¹

इस्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात् विगत दशक (1236-1246) में राजवंश के चार राजकुमार सिंहासन पर चिटाए गए और तत्पश्चात् पदच्युत कर मार डाले गए । सोलह वर्षीय इस युवक के लिए एक चेतानी थी । शम्सी मलिक ही उसके विशेष समर्थक थे । वे ही उसके लिए एक मात्र खतरे का स्रोत थे । वह उनकी बात मानने के लिए विवश था क्योंकि उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था ।

इसामी "उसने सेना के सरदारों की सद्भावना प्राप्त करने का प्रयत्न किया और अन्न करण से वह उसका शुभ चिंतक था ।" उसने पूर्ण रूप से आत्म-नमर्पण कर दिया था । वह एक मुक्त शासक की भाँति राज्य करता था (प्रयत्न एक मुक्त शासक की भाँति व्यवहार करता था) न कि पहले की तरह आतंकित (शहजादों) की भाँति ।

मिनहाज ने प्रथम पन्द्रह वर्षों की घटनाओं का वर्णानुसार वर्णन किया है ।

"शासन के पहले वर्ष में बहाउद्दीन बलबन ने पश्चिमोत्तर सीमा पर मैनिफ प्रदर्शन का निश्चय किया । वहाँ किसी शत्रु से युद्ध नहीं करना था किन्तु खोखरो के सरदार ने मंगोलों का मार्गदर्शन किया था, किन्तु इस कारण कि दिल्ली शासन सिन्ध नदी की सीमाओं की रक्षा करने में असमर्थ था ।" सेना ने 1246 ई. में दिल्ली से प्रस्थान किया । 10 मार्च 1246 को रावी नदी पार की और राजकीय पनाकाए मोहरा नदी के निकट गार्ड गार्ड । सेना के लिए कोई खास सामग्री एक-

श्रित न की जा सकी। 15 मार्च 1247 को सुल्तान सोदरा नदी से वापस लौट पड़ा।

शासन का दूसरा वर्ष मंगोलों में गृह-युद्ध चल रहा था। कन्नौज में एक हिन्दू सरदार ने तलसंदा का सुदृढ़ दुर्ग बना लिया था। सुल्तान ने उससे युद्ध कर उसे जीत लिया। वहाँ से बलवन को मार्च, 1248 ई. में दल्की और मल्की के विरुद्ध भेजा गया जो यमुना और कालिंजर के बीच के प्रदेश का स्वामी था। उसने सुबह से शाम तक शत्रुओं का मुकाबला किया परन्तु यह समझकर कि उसके लिये और अधिक विरोध करना सम्भव नहीं है, वह रात में दुर्ग से निकल कर भाग गया और इस प्रकार एक सुदृढ़ दुर्ग बलवन के हाथ लग गया। 20 मई, 1248 ई. को सेनाएं वापिस दिल्ली आ गईं।

शासन के तीसरे वर्ष में सुल्तान ने एक शक्तिशाली सेना सहित रणथम्भौर पर आक्रमण करने तथा मेवात पर्वतीय प्रदेश और बाहूरदेव के प्रदेश को लूटने और विध्वंस करने के लिये भेजा। मिनहाज के विवरण से स्पष्ट है कि अभियान असफल रहा। जब बलवन एक ओर युद्ध कर रहा था, तभी दूसरी ओर वहाउद्दीन ऐबक को हिन्दुओं ने पराजित कर मार डाला। पराजित सेना 18 मई 1249 ई. को दिल्ली पहुँची।

शासन के चौथे वर्ष में (1249-50 ई.) बलवन ने अपनी लड़की का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया। सुल्तान ने उसे 'नायब-ए-मुमालकात' बनाया तथा उलूग खाँ की उपाधि दी, बलवन की यह उन्नति बहुत ही शीघ्र हुई थी। बलवन के साथ ही दूसरे अमीरों को भी सम्मानित किया गया। सैफुद्दीन ऐबक को 'अमीर-ए-हाजिब' नियुक्त कर 'कशलीखाँ' की उपाधि दी गई। इसी प्रकार मलिक ताजुद्दीन तबरखाँ और अलाउद्दीन अयाज रेहानी को भी ऊँचे पद दिये गये परन्तु इन सब में बलवन को ही अत्यधिक सम्मान मिला था। मिनहाज ने लिखा है कि बलवन की इन आरम्भिक उपलब्धियों के कारण अन्य तुर्की अमीर उससे ईर्ष्या करने लगे।

रायहान, बकीलदार 1251 ई.— बलवन के विरुद्ध पड़यन्त्र किये जाने लगा तथा उसके अपदस्थ करने के प्रयास किये गये जिसमें पड़यन्त्रकारी सफल भी हुये। इस दल में सुल्तान की माँ के अतिरिक्त तुर्की सरदार व भारतीय मुसलमान भी थे। ऐसा अनुभव होता है कि सुल्तान नासिद्दीन भी अन्त समय में पड़यन्त्रकारियों के साथ ही गया था, इस दल का नेतृत्व रायहान कर रहा था। इनके कहने से सुल्तान नासिद्दीन ने बलवन को 'नायब-ए-मुमालकात' के पद से हटा दिया और उसे अपने इक्का हाँसी में जाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात् उसे नागौर भेज दिया गया। बलवन ने सुल्तान की आज्ञाओं का पूर्ण पालन किया और चुपचाप राजधानी की घटनाओं को देखता रहा। रायहान स्वयं 'बकीलदार' बना और शासन की समस्त शक्तियों को अपने हाथों में केन्द्रित कर लिया। उसने अपने विश्वासपात्रों को राज्य

के उच्च पदों पर नियुक्त किया और बलवन के समस्त सम्बन्धियों को उनके पदों से हटाकर शक्तिहीन कर दिया, मलिक मुहम्मद निजाम जुनेदी को बजीर बनाया व मिन्हाज के स्थान पर शमशुद्दीन को मुख्य काजी के पद पर नियुक्त किया। भटिण्डा तथा मुल्तान की भूबेदारी शेरखा की जगह अर्सेलाखा को प्रदान की गयी।

परन्तु रायहान अधिक समय तक अपने पद पर न रह सका क्योंकि तुर्कों सरदार ये सहन नहीं कर सकते थे कि वे एक भारतीय मुसलमान के द्वारा शासित हो। इसलिये अनेक तुर्क अमीर जो रायहान के साथ ही गये थे वे पुन बलवन ने आकर मिल गये और रायहान के विरुद्ध पक्षपात करने लगे। 1254 ई में इक्तादारों की सहायता से बलवन ने एक सेना इकट्ठी की। वह भटिण्डा से दिल्ली की ओर बढ़ा। रायहान ने बलवन की गतिविधियों की जानकारी कर मुल्तान के माय दिल्ली से बाहर निकला। दोनों ही सेनायें समाना आ गयीं और क्योंकि दोनों ही युद्ध करने के लिये तत्पर न थे इसलिये ममकौने की बातचीत शुरू हुई। रायहान ने यद्यपि मुल्तान को युद्ध करने की सलाह दी, परन्तु मुल्तान देख रहा था कि अधिकतर तुर्क अमीर बलवन के साथ हैं इसलिये उसने रायहान की सलाह को न माना। मुल्तान स्वयं अपनी प्रवृत्ति से शक्ति के साथ रहना पसन्द करता था इसलिये भी वह युद्ध नहीं करना चाहता था। स्पष्ट था कि रायहान की अपेक्षा बलवन इस समय अधिक शक्तिशाली था। अतः मुल्तान ने बलवन से समझौता कर उसे पुन 'नाइब' बनाया और रायहान को अपदस्थ कर पहले उसे वदायू और फिर बहराश्च भेज दिया। इस प्रकार रायहान लगभग एक वर्ष तक शक्तिशाली रहा, रायहान के पतन में मुख्य रूप से तुर्कों अमीरों का हाथ था जो भारतीय मुसलमानों को हिन्दुप्रा की तरह से घृणा की दृष्टि देखते थे।

रायहान के पतन के पश्चात् बलवन ने निर्विवाद सत्ता का उपभोग किया। बलवन ने पुन अपने समर्थकों और विषवासपात्रों को महत्वपूर्ण पद दिये। यद्यपि अधिकतर सरदारों ने बलवन की सत्ता को स्वीकार किया परन्तु इसके बाद भी यदि किसी ने विरोध का साहस किया तो बलवन ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया जैसा कि मलिक कुतुबुद्दीन हसन के साथ किया था जिसने बलवन द्वारा मुल्तान के छत्र के प्रयोग का विरोध किया था।

नाइब के रूप में बलवन के कार्य—अपने 'नाइब' के काल में बलवन के सम्मुख दो उद्देश्य थे—अपनी स्थिति की दृढ़ करना तथा दिल्ली मन्तनत की रक्षा करना। इनमें पहला उद्देश्य ही मुख्य था और दूसरा पहले की प्राप्ति के लिये साधन-मान था। इन कार्यों को करने के लिये वह लगातार प्रयत्नशील रहा और धार्मिक रूप में सफल भी हुआ।

पूर्व में बगाल का मुबा दिल्ली मुल्तानों के लिये एक समस्या ही रहा था। बलवन के नाइब के काल में भूबेदार तुगलखा ने दिल्ली के विरुद्ध विद्रोह करके स्वयं

को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। परन्तु उड़ीसा में जाजनगर के शासक से पराजित होने पर उसने बलबन से सहायता मांगी। बलबन ने ये अच्छा अवसर देखा और तमरखाँ के नेतृत्व में एक सेना भेजी। परन्तु जब तक वह बंगाल पहुँचा तब तक उड़ीसा की सेना वापिस जा चुकी थी। बलबन के इशारे पर तमरखाँ ने तुगानखाँ से लखनौती को छीन लिया। तुगानखाँ को लखनौती का गवर्नर बनाया गया और बंगाल को दिल्ली के अधीन कर लिया गया। तत्पश्चात् 1255 ई. में तुगानखाँ के एक उत्तराधिकारी यूजबक-ए-तुगरिलखाँ ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। परन्तु 1257 ई. में वह कामरूप के शासक से युद्ध करता हुआ मारा गया और बंगाल को पुनः दिल्ली के अधीन कर लिया गया। लगभग 1260-61 ई. में कड़ा के इक्तादार अर्सलाखाँ ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और फिर यह नासिरुद्दीन के समस्त राज्यकाल में दिल्ली के अधीन न किया जा सका।

उत्तर-पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमणों, बनियान के शासक सैफुद्दीन की महत्वाकांक्षाओं और किरलूखाँ जैसे सरदारों के विद्रोहों ने सल्तनत की स्थिति अत्यन्त कमजोर बना दी। सिन्ध और मुल्तान पर सल्तनत का अधिकार डीला-डाला रहा और मंगोलों ने लाहौर तक अपना अधिकार कर लिया। 1259 ई. में मंगोल शासक हलाकू के साथ समझौता हो जाने पर ही उधर शान्ति स्थापित हो सकी।

बलबन को अनेक आन्तरिक विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा। पश्चिम में खोखर, मेवात में मेव, दोआब और बुन्देलखण्ड में हाने वाले विद्रोहों ने बलबन को अधिक व्यस्त रखा। इसके साथ ही राजपूतों के विद्रोह भी उसके लिये समस्या थे। बलबन को प्रत्येक वर्ष ही किसी न किसी दिशा में विद्रोहों के दवाने के लिये जाना पड़ता था। अपने इन प्रयत्नों के बाद में भी वह रणवम्भौर, बालियर व बूंदी को जीतने में असफल रहा। जाजनगर और कामरूप के शासकों से तुर्की सेनायें पराजित हुईं।

इस प्रकार 'नाइब' की दृष्टि से बलबन ने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किये। तुर्की श्रमीरों की प्रापसी प्रतिस्पर्धा और ताज के सम्मान में कमी आ जाने के कारण दिल्ली सल्तनत का प्रभाव अत्यधिक क्षीण हो गया था। बलबन के लिये यही कार्य यथेष्ट था कि उसने दिल्ली सल्तनत को नष्ट होने से बचा लिया तथा उसके प्रभाव को कायम रखने के लिये लगातार प्रयत्नशील रहा। परन्तु इन सब असफलताओं के बाद भी वह अपनी स्थिति को दृढ़ करने में पूर्ण सफल हुआ।

1265 ई. में सुल्तान नासिरुद्दीन का अकस्मात् देहान्त हो गया। इसामी के अनुसार बलबन ने सुल्तान को विष दिया था और फरिश्ता लिखता है कि उसने हल्लुतमिश के समस्त बंशजों का वध कर दिया जिससे कि वह निर्विरोध सुल्तान बन सके। प्रो. निजामी ने लिखा है कि बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को मरवा

दिया था क्योंकि बसबन उससे लगभग 20-25 साल धातु में बना था और ये अनुभव बताता था कि धातु के आधार पर मुल्तान के ज़ीते-जी वह शासक न बन सकेगा। इसलिये उसने गद्दी प्राप्त की ज़री में ऐसा किया था। प्रो. ह्यूबुसला की मान्यता है कि मुल्तान की मृत्यु प्राकृतिक रूप में हुई थी, और क्योंकि उसके कोई सन्तान न थी अतएव बसबन स्वयं मुल्तान बन गया।

यमासुद्दीन बसबन (1261-87 ई.)

बहाउद्दीन बसबन ने एक नये राजबसा की नींव डाली, यद्यपि इस्लामिया के बहा के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्ध थे। मुल्तान मसूदशाह और मुल्तान नासिद्दीन महमूद दोनों ही उनके दादाद थे। नासिद्दीन की एक पुत्री के जन्म के पुत्र कुतुरासा का विवाह हुआ था। मुल्तान नासिद्दीन के समय में वह नाहब या और अन्तर्गत रूप से शासन की सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग करता था।

मुल्तान नासिद्दीन की मृत्यु के सम्बन्ध में हमारे पास कोई समकालीन अभिलेख नहीं है। बरन्ती पुरी तरह से चीन है तथा 'तारीख-ए-मुबारकशाही' के अनुसार मुल्तान की मृत्यु बीमारी के कारण हुई। अधिकतर सम्प्रकाशीन इतिहासकारों ने इसे स्वीकार किया है परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि इस्लामिया के उत्तराधिकारियों का मूकोब्बेदन किस प्रकार हुआ। तारीख-ए-मुबारकशाही के विरोध में इब्नबतूता और इलामी का स्पष्ट मत है कि नाहब बसबन ने मुल्तान को विजय दिया था। बसबन की निगाह नहीं पर थी, वह स्पष्ट है और इस आधार पर उसके द्वारा मुल्तान की हत्या की अधिक सम्भावना है।

प्रारम्भिक जीवन—बहाउद्दीन बसबन तुर्किस्तान की इस्फारी ज़मि का था। उसका पिता दस हजार परिवारों का मान था। मंगोलों ने युवावस्था में ही उसे पलटकर बगदाद में खलाजा अमासुद्दीन बसरी के हाथों बंध दिया था। खलाजा उल्लेख 1232-33 ई. में दिल्ली लाया। निम्नहूक के अनुसार इस्लामिया की बहाउद्दीन पठान भा गया और उसी के कारण ही समस्त तुर्क दास खरीद लिये गये। इस्लामिया ने कुछ समय पश्चात् उसे 'सामाबार' के पद पर नियुक्त किया और वह 'विहारगल' (घानीस) के दक्ष में सम्मिलित कर लिया गया। अपनी योग्यता के आधार पर राजशा के प्रशासनकाल में वह 'अमीर-ए-शिकार' बनाया गया। राजशा के विरुद्ध पदच्यन में उसने बहाउद्दीनशाह का पक्ष लिया और उसने मुल्तान बनने पर उसे 'अमीर-ए-घासुर' का पद प्रदान किया। 'अमीर-ए-हाजिब' मलिक बदरुद्दीन हकी की उस पर नियुक्त किया भी जिसके कारण उसे देवाही का इजना मिला। मुल्तान बहाउद्दीनशाह के विरुद्ध उसने मसूदशाह का पक्ष लिया और पुरस्कार स्वरूप उसके मुल्तान बनने पर उसे हसी का इजा प्रदान किया गया। जब यज़ीर मुहम्मदुद्दीन और तुर्की सरदारों में भयंदा हुआ और मुहम्मदुद्दीन की हत्या कर धनु वक को यज़ीर बनाया गया, तो बसबन की 'अमीर-ए-हाजिब' का पद प्राप्त हुआ। धनु वक

बहुत सरल प्रकृति का व्यक्ति था। इसलिए बजीर का पद महत्वहीन हो गया था, और क्योंकि 'नायब-ए-ममलकत' के पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी इसलिये अब बलबन का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रह गया था। इस कारण बलबन को अपने इस सम्मानित पद से स्वयं की शक्ति को बढ़ाने का अच्छा अवसर मिला। बलबन ने तुर्की सरदारों का ध्यान पारस्परिक झगड़ों से हटाकर राजपूतों और मंगोलों की ओर लगाया और धीरे-धीरे राज्य की समस्त शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित करने में लग गया। मसूदशाह को गद्दी से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में उसने सक्रिय भाग लिया था, इसलिये सुल्तान ने राज्य की समस्त शक्ति उसे सौंप दी। वह सुल्तान का प्रतिनिधि 'नायब-ए-ममलकत' बन गया। अगस्त 1249 ई. में उसने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दिया। इस अवसर पर उसे 'उलूग खां' की उपाधि प्राप्त हुई। बीस वर्ष (1246-1266 ई.) के समय में उलूग खां से गयासुद्दीन बलबन का खिताब धारण कर गद्दी प्राप्त करने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। अप्रत्यक्ष रूप से प्रमुखता को धारण किये वगैर वह वास्तविक शासक था और किसी भी प्रतिद्वन्द्वी को सहन करने के लिये तत्पर नहीं था। फरिश्ता ने लिखा है कि, "खुलेआम या गुप्त षडयन्त्रों से उसने शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के अधिकांश वंशजों को, जिन्हें वह सिंहासन के लिए प्रतिपक्षी समझता था, मार डोला।" इसामी भी इसकी पुष्टि करता है। 1266 ई. में सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु पर वह शासक बन गया। 1287 ई. में अपनी मृत्यु तक वह अद्भुत योग्यता और शक्ति से शासन करता रहा। धरनी ने 'तारीख-ए-फीरोजशाही' में लिखा है, "सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को राज्य-कार्य का अनुभव था। तत्पश्चात् वह सुल्तान बन गया। जब गद्दी उसे प्राप्त हुई तो उसने उसे और अधिक सम्मानित बना दिया। उसने शासन की व्यवस्था की। जो राज-संस्थाएं हिल चुकी थीं अथवा नष्ट हो चुकी थीं उन्हें पुनः स्थापित किया। सरकार की प्रतिष्ठा और सत्ता स्थापित हो गई और कठोर नियमों के कारण सब लोगों के हृदय में उसका अतंक बैठ गया।"

बलबन की समस्याएं—बलबन को राजगद्दी जिस आसानी से मिल गई थी उतनी आसानी से उसे सुरक्षित रखना सम्भव नहीं था। राजसत्ता की गरिमा मोटे रूप से लुप्त प्रायः हो चुकी थी और स्वयं बलबन इसके लिए उत्तरदायी था, परन्तु वह सुल्तान बनने पर इस स्थिति को स्वीकार करने को तत्पर नहीं था। तुर्क सरदारों अथवा 'बहल' के सदस्यों की शक्ति समाप्त किये वगैर वह स्वयं को सुरक्षित नहीं रख सकता था। इसके अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण करना भी आवश्यक था, क्योंकि सुल्ताना रजिया के बाद लगातार अयोग्य और कठपुतली शासकों के कारण शासकीय व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी और चारों ओर विद्रोह तथा षडयन्त्रों का बोलबाला था। धरनी ने सल्तनत की हालत और उसकी समस्याओं का बड़ा-बड़ाकर बर्णन किया है जिससे कि वह बलबन की सफलताओं के

आधार पर उसकी श्रेष्ठता को साबित कर सके, परन्तु इसके बाद भी इतना तो निश्चित है कि उसके सुल्तान बनते समय सल्तनत की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी और मुल्तान के सामने घनेक ऊटिल समस्याएँ थी—

1. सुल्तान को प्रतिष्ठा व चहुँप का बत—बलबन ने मुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के कार्य को प्राथमिकता दी। उसने अनुभव किया कि ताज अथवा सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित किम बगैर शासन और सिंहासन के प्रति भये अथवा थडा प्राप्त करना सम्भव नहीं था, जो एक व्यवस्थित शासन के लिए आवश्यक शर्त थी। इसमें घमीर और विशेषकर चहुँप (बात्मीम) का दम अधिक् त्रियाशील था और बलबन ने भी सुल्तान बनने के पहले अपनी शक्ति को बढ़ाने तथा मुल्तान की पर्यादा और सम्मान को समाप्त करने में इसका समुचित उपयोग किया था। मुल्तान बनने के बाद परिस्थिति बिल्कुल बदल गई थी और वह यह देखने में समर्थ था कि 'चहुँप' के मदस्य सुल्तान की कीमत पर उन्हीं साधनों और तरीकों का उपयोग करें जो शक्ति प्राप्त करने में उनसे किये थे। उनकी शक्ति को स्वयं की रक्षा के लिए नष्ट करना जरूरी था। मलिक और घमीरों को वह यह बतसा देना चाहता था कि सुल्तान का वद उनकी पट्ट व के बाहर है और सुल्तान तथा उनमें किसी प्रतिस्पर्धा का प्रश्न ही नहीं है। इस आधार पर वह शक्ति के दिखावे से उन पर यह प्रभाव छोड़ना चाहता था कि वे सुल्तान के प्रति निष्ठावान बने रहें और ताज का ईरानी परम्परा के अनुसार सम्मान करें। शक्ति के दिखावे की असफलता के बाद वह नये शक्ति का उपयोग करने में भी नहीं हिचकिचायेगा, और यदि चहुँप के दल ने मुल्तानो को बनाने और सिंहासने की नीति बनाये रखी तो वे उनके कोपभाजक बनेंगे।

2. कानून और व्यवस्था—बलबन की दूसरी समस्या कानून और व्यवस्था की स्थापना थी। बलबन यह अनुभव करता था कि सुल्तान का मूयाकन राज्य में शानि और व्यवस्था के आधार पर ही किया जावेगा। इस क्षेत्र में उसके समक्ष चार समस्याएँ थी—दिल्ली का निकटवर्ती प्रदेश, दोघाव का प्रदेश, व्यापारी मार्गों की सुरक्षा तथा कटेहर के विद्रोही। बलबन के निये कानून और व्यवस्था का प्रश्न राज्य के अस्तित्व का प्रश्न था, इसलिये इसका तारकालिक समाधान निकालना आवश्यक था।

बरनो ने लिखा है कि बलबन ने अपने शासन के प्रथम वर्ष में पहली तीन समस्याओं की ओर अपनी शक्ति लगाई। दिल्ली के निकटवर्ती प्रदेशों में मेव जाति के लोग बसे हुए थे जो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की प्रयोग्यता तथा नासिद्धीन की दुर्बलता के कारण अत्यधिक शक्तिशाली और बेतकाम हो गये थे। उनके आतंक का अनुमान बरनो ने इस कथन में लगाया जा सकता है कि, "नगर के पश्चिमी द्वार दोपहर की नमाज के बाद बंद कर दिये जाते थे और उसके पश्चात् किसी

व्यक्ति को उधर की ओर से नगर के बाहर जाने का साहस नहीं होता था।" दोपहर की नमाज के पूर्व भी मेव लोग पानी मरने जाने वाली दासियों को सताते थे और उनके कपड़े छीन कर नग्न कर दिया करते थे। उनके भय से दिल्ली के नागरिकों का सोना हराम था। बलवन ने इस अव्यवस्था को देख बर्ष भर उनको दवाने और दिल्ली के आसपास के जंगलों को इनसे खाली कराने में लगाया। बरनी ने लिखा है, "बहुत सारे मेवाती तलवार के धाट उतार दिये गये। सुल्तान ने गोपालगौर में एक दुर्ग बनवाया और अनेक धाने स्थापित किये। इन चौकियों पर अफगानों को नियुक्त किया और उनके निर्वाह के लिये कर-रहित भूमि प्रदान की। सुल्तान ने अपनी तलवार के बल से अल्लाह के अनेक व्यक्तियों को (अर्थात् मुसलमान) शत्रु के आक्रमणों और बलात्कारों से बचाया।"

राजधानी को मेवों से सुरक्षित करने के बाद बलवन ने दोआब की ओर ध्यान दिया। दोआब में विद्रोहियों और लुटेरों की गतिविधियों के कारण आतंक फैला हुआ था। उसने दोआब के नगर और प्रदेश ऐसे अमीरों को दिये जिनके पास आवश्यक धन था और उन्हें आदेश दिया कि ऐसे समस्त गांवों के लोगों को जो सरकार विरोधी हैं नष्ट कर दिया जावे तथा उनके स्त्रियों और बच्चों को दास बना लिया जावे। अमीरों ने जंगल कटवा दिये, विद्रोहियों का विनाश किया और अराजकता फैलाने वालों को मृत्यु के धाट उतार दिया।

दोआब की समस्या के हल के बाद उसने अबध की ओर ध्यान दिया। इस क्षेत्र में कंपिल, पटियाली और भोजपुर डाकुओं के झुंडे थे, जिन्होंने हिन्दुस्तान की ओर से होने वाले व्यापार को बिल्कुल ठप्प कर रक्खा था। बलवन स्वयं पांच प्रथवा छः माह इस क्षेत्र में रहा और नृशंस रूप में डाकुओं का संहार किया। तीनों ही स्थानों पर दूढ़ दुर्ग और विशाल भस्त्रियों का निर्माण कराया और इनको अफगानों के सुपुर्द कर दिया। दुर्गों के पास की भूमि अफगानों को दे दी गई जिससे कोई कर वसूल नहीं किया जाता था। बलवन की इस नीति से शान्ति और व्यवस्था कायम हो गई तथा हिन्दुस्तान से व्यापार पुनः शुरू हो गया। इसीलिए 60 वर्ष बाद बरनी ने सन्तोपपूर्वक लिखा कि मार्ग डाकुओं से मुक्त हैं।

जिस समय बलवन दोआब व अबध में व्यस्त था तब उसे लगातार यह सूचना मिलती रही कि कटेहर में विद्रोहियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ये बद्रायू और अमरोहा के क्षेत्रों में लूटमार करते थे। इन प्रदेशों के इत्तादारों ने विद्रोहियों को दवाने का प्रयत्न किया परन्तु उसमें कोई सफलता न मिल सकी। अतः बलवन ने निश्चय किया कि वह व्यक्तिगत रूप में इनका अंत करेगा। वह कम्पिल और पटियाली से वापस दिल्ली लौटा और अपनी सेना के प्रमुख भाग के साथ कटेहर की ओर चल दिया। उसने यह खबर फैलाई कि वह शिकार के लिये पहाड़ियों की ओर जा रहा है। बलवन सेना के साथ कटेहर की ओर बढ़ा। बरनी के विवरण से

ऐसा मान्य पड़ता है कि सुल्तान न समस्त पुरुष धावादी का नरसंहार करने के आदेश दिये थे परन्तु प्रो. निजामी इसे 'बोरो बकवास' मानते हैं क्योंकि बनबन बहा किमाना को बानुधा के घातक से बचाने के लिये ही गया था। यदि फरिश्ता के विवरण को ठीक माना जावे तो, "विद्रोहियों के रक्त की धाराएँ बहने लगीं। प्रत्येक गाँव और जगन्ना के समीप छात्रों के डेर लगे और सड़ने वाली भाषों की दुर्गन्ध गंगा नदी के तट तक पहुँची" उम समय से जलालुद्दीन खल्जी के शासन काल के घत एक कटेहर में किसी विद्रोही ने मर न उठाया।"

इनके पश्चात् बरनी के अनुसार, "सुल्तान ने जुद्ध के पर्वतो में अभियान करने का निश्चय दिया। मेना को गाय लेकर उमने उम और प्रयाग किया, उम क्षेत्र का लूट लिया और सैनिकों न बड़ी सख्या में छोड़े छोन लिये जिमसे मेना में छोड़े का मृत्य घटकर तीस या चालीस तक रह गया।"

3. दयनीय आर्थिक स्थिति—सल्तनत की स्थिति अधिक बुराब थी। राज्य के विभिन्न भाग उपद्रवों के केन्द्र थे और राजकोष का एक बड़ा भाग इनकी दवानों में व्यय किया जाता रहा था। इत्तादारों की स्वतन्त्र प्रवृत्ति और तुर्कों शमीरों की स्वैच्छाचारिता ने राजकोष की स्थिति अधिक नाजुक कर दी थी। हिन्दुओं के युद्धों के कारण राजकोष को काफी हानि उठानी पड़ी थी। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अप्रव्यय ने इसकी खोलना कर दिया था और सुल्तान मामिदुद्दीन महमूद की दान प्रवृत्ति ने रही सही बसर पुरी कर दी। बरनी ने लिखा है कि, "राजकोष खाली हो गया, शाही दरबार में घन तथा घोड़ों का अभाव हो गया। शाही गुलाम खान बन गये और राज्य का धन और शक्ति उन्होंने आपस में बाँट ली। बनबन के लिये यह समस्या भी गम्भीर थी क्योंकि राजकोष के रिक्त होने पर शासन को अक्षम बनना अपने आप में एक बुराई प्रमास होना।"

4. मंगोलों का भय—मंगोलों के आक्रमण का भय दिल्ली सल्तनत पर सदैव महराता रहता था। खान नदी पर दिल्ली के इतने निकट उनकी उपस्थिति सुल्तान के लिये चिन्ता का विषय था और उन्हें रोकने के लिये यदि समयानुसार प्रयास नहीं किये गये तो वे किसी भी समय सल्तनत का आविर्भाव हो सकते थे। उनकी बर्बरता ने इस समस्या को और अधिक गम्भीर बना दिया था।

5. राजपूत राज्यों की घृणीतियाँ—राजपूताना और बुन्देलखण्ड के स्वतन्त्र राजपूत राज्य तुर्कों जूए को उत्तार फेंकने पर तुले हुये थे और वे पून हिन्दुस्तान पर अपना मत्ता को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थे। परन्तु उनकी सबसे बड़ी गम्भीरता थी कि वे एक मान्य शत्रु के विशद भी शत्रु को, आपसी मन-भेद मुलाकर,

एकजुट नहीं कर पाये थे। बलबन के लिये उनकी शक्ति एक चुनौती थी और तुर्की सल्तनत की सुरक्षा के लिये उनको दवाना एक आवश्यक शर्त थी।

इस प्रकार बलबन चारों ओर से अनेक कठिनाइयों से घिरा पड़ा था। ऐसी विकट समस्याओं के होते हुए सुल्तान के लिए राज्य विस्तार की अपेक्षा उसे संगठित करना ही अधिक श्रेयकर था और बलबन यद्यपि साम्राज्यवादी भावनाओं से परिपूर्ण था, परन्तु फिर भी व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए उसने न केवल मंगोलों के आक्रमणों से सल्तनत को सुरक्षित रखा अपितु भेवातियों का दमन किया, राजपूत राजाओं के विद्रोह को दबामा और अन्ततोगत्वा ताज की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की।

बलबन का राजत्व सिद्धान्त तथा ताज के गौरव की पुनः स्थापना—बलबन सम्भवतः दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व सम्बन्धी अपने विचारों को विस्तृत रूप से प्रकट किया। ताज की गरिमा में वृद्धि करने तथा अमीरों के संघर्ष से बचने के लिये यह आवश्यक था, परन्तु जैसा प्रो. निजामी ने लिखा है कि इसके पीछे उसकी हीनता की भावना भी थी जिसके कारण वह राज्यहंता के कलंक को धो डाले और सरदारों को यह विश्वास दिला दे कि वह दैवेच्छा से ही सुल्तान बना है न कि किसी हथियारे के विष भरे प्याले अथवा छुरे से। इसका कारण यह था कि संभवतः उसे दासता से कमी मुक्ति मिली ही नहीं थी और इस आधार पर वह कानूनी रूप में शासक नहीं बन सकता था। अपनी इसी अयोग्यता को छिपाने के लिये ही वह 'दैवेच्छा' की आड़ में अपनी सत्ता का वैधानिकरूप साबित करने के लिये लालायित था।

बलबन के राजत्व सिद्धान्त की अनेक विशेषताएँ थीं जिसके पीछे फारस का आदर्श अधिक सक्रिय था, क्योंकि वहाँ राजत्व उच्चतम स्तर को प्राप्त हो चुका था। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिविम्ब (जिल्ले अल्लाह) है और उसका स्थात केवल पैगम्बर के पश्चात् है। सुल्तान को कार्य करने की ऐरिया और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इसका स्पष्ट अर्थ था कि सुल्तान की शक्ति का स्रोत अमीर वर्ग न होकर केवल ईश्वर है और इसलिये वह अपने कार्यों के लिये उसी के प्रति उत्तरदायी है। बलबन इस आधार पर अपनी निरंकुश राजसत्ता को पवित्र जामा पहनाकर जनसाधारण या अमीरों की आलोचना के अधिकार से ऊपर रखना चाहता था। उसने अपने पुत्र बुगराखाँ से कहा भी था कि, "सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है।" उसकी यह धारणा थी कि सुल्तान की विशेष स्थिति ही उसके नागरिकों को उसकी आज्ञा-पालन करने के लिये बाध्य कर सकती थी।

अपने बहामुमत् बलक की छिपान के लिये उमर अपनी बंसावली विरदोमी की रचना 'साहनामा' व अरबीय पात्र अफ़्सीयाव से जोड़ी और राज्य के समस्त जगंजागिया व परिवारों के विषय में जान कराई। वह अफ़्सीय परिवार के व्यक्ति से न ता मिलना ही चाहता था और न ही उन्हें शासन के किसी उच्च पद पर नियुक्त बनने क पत्र म था। चिन्ती व एक धनी व्यापारी परखदावनी, न मुगलन से मिस्त क लिये अपनी मगलन मगलति की बाजो लगा दो परन्तु बघोवि- वह अफ़्सीय वय का वा इमतिग बलवन न उमर मिलना अपनी मर्दाश के विरुद्ध समझा। उनसे इमतिग महिगो नामक एक नय मुसलमान को अमरांहा वा 'मुसलिक' नियुक्त किये जान पर दरबारिया को बहुत डंटा।

दिरशादटी मलि-मर्दाश को भी वह राज्य का महत्वपूर्ण अंग मानना था और इमतिग फारस के रहन-महन और दरबारी परम्पराओं को उसने अपनाया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह वहा की परम्पराओं से अव्यधिक प्रभावित था। राज्यारोहाम के बाद उमर अपने पौत्रों के नाम फारम व सराटो की भाति क़ैनुवाद, कुंमुसरो आदि रखे। फारम के शासनो को तरह ही उसने 'तिजदा' (घुड़ों पर बैठ कर शीघ्र नवाना) और 'पेयोष' (परल मयज) की अभिवादन की रीतियाँ प्रारम्भ की, उन्हे और मदानक व्यक्ति को अग्ररथक बनाया, जो सिहासन के दोनों तरफ चमचमाती हुई मशी तलवारें लिये खड़े रहते थे। विहासन के पीछे केवल कुछ विश्वसनीय अमीर बैठते थे और अन्य लोगों को खड़े रहने के आदेश थे। दरबारियों के लिये दरवाज पीना निषिद्ध कर दिया गया और उन्हे विशेष वस्त्र पहनकर ही दरबार में आने के आदेश दिये गये। सुल्तान ने किसी के सामने न बनी धस्वाभाविक हूयें प्रकट किया और न कभी अपना दुःख। कभी भी वह न दरबार में हाता था और न ही किसी दरबारी की में हिम्मत थी कि वह दरबार में हूये अथवा मजाक कर ले। जब उसे अपने मरने के पत्र और उत्तराधिकारी मरमुद की मृत्यु की सूचना दरबार में मिली, वह बर्गर विचलित हूयें राज्य-कार्य करता रहा, यद्यपि एकान्त में वह उसके लिये वृद्ध-वृद्ध कर रीता था। प्रो. जिजामी ने लिखा है कि, "इन व्यक्तित्व व्यक्तियों ने उसके भीतर बैठे मनुष्य को हूया कर ही मरिनु के मुस्तान की दिनचर्या मिटा न सके।"

समाराहो के मगल दरबार की शान-शीरन देखने सामक शोने भी और विद्वेषों से आने वाले राजदूत दले देखकर अवाक रह जाते थे। इरानी ने लिखा है कि, "इन समाराहो के नई दिन बाद एक लोम दरबार की सजावट के बारे में अर्चा किया करते थे।" जब सुल्तान साहद निकलता तो मदानर सैनिक नयी तनवारें लेकर उठने माप चलते थे और ओर-ओर से 'विहिमल्ला! विहिमल्ला' (इगदर के नाम से) कहते थे। प्रो. जिजामी का मत है कि शक्ति और मत्ता के इस प्रदर्शन का प्रभाव सरजरो और जनसाधारण पर पडा और उनसे मन में मुगलन के प्रति अब और पावन बंट गया और अत्यन्त उद्वेग को भी आशाकारी बना

दिया। निश्चित ही बलबन ने इस सत्ता शक्ति और शान-शौकत के प्रदर्शन से सुल्तान की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी की।

बलबन और तुर्क अमीर—बलबन, सुल्तान बनने के पहले 'चालीस सरदारों' के गुट (तुर्कानि चिह्नजगमबी) का सक्रिय सदस्य रहा था, इसलिये वह भलीभांति जानता था कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा तथा उसके वंश की सुरक्षा उस समय तक सम्भव नहीं है जब तक कि ये गुट शक्तिशाली है। सुल्तान की निरंकुशता के मार्ग में भी यह गुट बड़ी बाधा था, इसलिए उसने इस गुट को नष्ट करने का संकल्प किया और फिर सभी सम्भव साधनों का प्रयोग किया चाहे वह हत्यारे का छुरा हो अथवा जहर का प्याला।

सर्वप्रथम उसने इस गुट की महत्ता को समाप्त करने लिये निम्न कोटि के तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना आरम्भ किया, जिससे कि वो इनके समानान्तर नये दल को खड़ा कर सके जो उसकी कृपा पर निर्भर हो। तदुपरान्त उसने इस गुट के सदस्यों का दमन करने तथा जनसाधारण की दृष्टि में उनका महत्व गिराने के लिये उन्हें कठोर दण्ड दिये—अबदायुं के इक्तादार, मलिक बकबक को जो 'चालीस' का सदस्य था, अपने एक नीकर को कोड़ों से पीटकर मारने के अपराध में जनसाधारण के सम्मुख उसे कोड़ों से पीटकर मार डालने के आदेश दिये। वह केवल इससे ही सन्तुष्ट नहीं था अपितु उन गुप्तचरों को भी जो मलिक के दुर्व्यवहार की सूचना उस तक नहीं पहुँचा सके थे, उन्हें कस्बे के दरवाजे पर लटकाकर प्राणदण्ड दिया। इसी प्रकार अबघ के इक्तादार हैबसखां को शराब के तरे में अपने दास का बंध करने के अपराध ने 500 कोड़े लगाये जाने का आदेश दिया। उसने विधवा को धन देकर यद्यपि मुक्ति पाई, परन्तु वह इतना अधिक लज्जित हुआ कि आजन्म वह अपने घर के बाहर नहीं निकला। बलबन ने कठोरता का व्यवहार करते हुये उन सरदारों को भी मृत्यु-दण्ड दिया जो युद्ध में पराजित हो वापिस आ जाते थे। अबघ के इक्तादार अमीनलां को फांसी पर लटकवा दिया क्योंकि वह बंगाल के विद्रोही शासक तुगरिल वंग से पराजित होकर लौटा था। यदि इक्तादारों के साथ इस प्रकार का कठोर व्यवहार किया जा सकता था तो साधारण अमीरों के साथ किये गये व्यवहार का सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता है। प्रो. ह्यूबुल्ला ने न्याय की प्रशंसा की है और निसन्देह वह जनसाधारण के प्रति न्यायपूर्ण नीति का पालन करता था, परन्तु प्रभावशाली अमीरों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार तो उनके प्रभाव और सम्मान को नष्ट करना ही हो सकता था। अपने वंश के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिये वह किसी भी साधन को अपना देने के लिये तत्पर था। प्रो. निजामी ने लिखा है कि, "व्यक्ति और व्यक्ति के झगड़ों में बलबन न्यायपूर्ण था, परन्तु जब कभी व्यक्ति और राज्य-हित में टकराव होता अथवा उसके व्यक्तित्व या वंश के हितों से सम्बन्धित प्रश्न उठ खड़ा होता तो वह निष्पक्षता के सभी सिद्धान्तों को त्याग देता था।" इसी आधार पर उसने अपने

घबरे भाई जेदया को, जो कीमान्त प्रदेशों का सुवेदार था, नियुक्त करवा दिया क्योंकि वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। इसी प्रकार अन्य अमीरों को भी उमर अनेकानेक आरोप लगाकर पदच्युत कर दिया और जेल में डाल दिया अथवा मरवा डाला।

बलबन ने इस तरह 'तुर्कि विद्रोहवादी' के गुट को नष्ट कर सुल्तान की प्रतिष्ठा और शासन को अवरुध पुनर्स्थापित किया परन्तु जिस प्रकार उसने इनको नष्ट किया, उससे भारत में तुर्की मूल्य में योग्य व्यक्तियों का परामर्श हो गया। जो निजामी का मत है कि बलबन न अपने अथवा ने हितों की रक्षा के लिये तुर्की अमीरों के हितों को लेशमात्र भी परवाह नहीं की। उसने तुर्की अमीरों की प्रतिभा को अपनी दुरी तरह से कुचल दिया कि जब अल्तौ, सिहासन के लिये उनके प्रतिद्वन्द्वी बनकर सामने आये तब वे बिलमुत्न विरिमत और अशुभ्य हो पराजित कर दिये गये। प्रारम्भ में तुर्की सत्ता के पतन के लिये बलबन ने उपरवायितों के सम्पर्क नहीं किया अतः अतः—

सेना का पुनर्गठन—बलबन की निरकुशता और राज्य की सुरक्षा को बनाने रमने के लिये सेना का गठन करना वह आवश्यक समझता था। इसके साथ ही क्योंकि इस्तुतमिश के समय की परम्पराओं की गति मन्द पड़ गई थी इसलिये वह और भी आवश्यक हो गया था। अरबी ने इस पुनर्गठन का विस्तृत विवरण दिया है जिसके अनुसार—(1) बलबन ने सैनिकों की सुख्या को बढ़ाया, उनके वेतन के अर्धे दिये जाने वाले भाषा में वृद्धि की और उन्हें सुती और सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न किया, केन्द्रीय दल में अनेकों अनुभवशील व वफादार सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की; (2) सेना को अर्ध व पुनर्गठन रखने के लिये उसने सैनिक अभ्यास पर धन दिया और सैनिकों में वह अन्तर एक हजार पुहमवार और एक हजार पैदल सैनिकों को लेकर शिकार के दलाने रेवादी की ओर निकल जाता था, (3) उत्तम अत्यन्त विरमणीय और ईमानदार व्यक्तियों को सेना को व्यवस्था के लिये नियुक्त किया। 'काबी ए-लम्बर' के पद पर अमीर खुसरो के ताना इमादतपुरक की नियुक्ति लिये सुल्तान और अना दोहों का ही विश्वास प्राप्त था। उसे अमीर के साक्षिक नियन्त्रण से भी मुक्त कर दिया जिससे कि वह धन की कमी का अनुभव न करे। बलबन की सेना की व्यवस्था या अथ इमादतपुरक को ही है, वह स्वयं अभियानों की योजना बनाता था और अन्तिम दिन तक मृत्यु रहता था। अभियान की योजना अथवा लक्ष्य अथवा अथवा वह एक वर्ष पहले ही अपने सैनिक अधिकारियों को सेना तैयार रखने के आदेश दे देता था। युद्ध के लिये आवश्यक अस्त्र आदि तैयार करने का कार्य कारखानों को भी दिया जाता था, सेना के युद्ध के समय वह यह ध्यान रखता था कि शरीर और अशुभ्य व्यक्तियों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचे।

सेना के इस पुनर्गठन का कार्य बगैर शम्सी सैनिक-जागीरदारों की व्यवस्था किये हुये अबूरा रह जाता इसलिये उसने इस ओर ध्यान दिया। अपने शासन के चौथे वर्ष में उसने यह निश्चित रूप से अनुभव किया कि शम्सी अमीर सुल्तान के प्रति पूर्ण तरह स्वामिभक्त नहीं हैं और वे अपनी सुदृढ़ स्थिति के कारण सेवा किये बगैर ही जागीरों का उपभोग कर रहे हैं। उसने इनकी एक सूची तैयार करवाई। इससे यह मालुम कि पढा अकेले दोआब में ही लगभग दो हजार सैनिकों की 'इक्ताए' मिली हुई थीं, परन्तु उनमें से अधिकतर या तो मर चुके थे अथवा वृद्ध होने के कारण सैनिक सेवा करने के अयोग्य थे। उनके स्थान पर उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों ने 'दीवान-ए-अर्ज' के गुप्त सहयोग से अपना अधिकार कर लिया था और बगैर सेवा किये ही जागीरों का उपभोग कर रहे थे। यद्यपि ये जागीरें उन्हें सैनिक सेवाओं के बदले में दी गई थीं परन्तु अब वे इन पर अपना पंतुक अधिकार मानते थे। बलबन के लिये यह असह्य था क्योंकि यह अनुबन्ध की शर्तों के विरुद्ध था जिसमें सैनिक सेवा प्रथम और महत्वपूर्ण शर्त थी।

बलबन ने इस दिशा में सतर्कता से कार्य शरम्भ किया। उसने समस्त शम्सी अमीरों की जागीरों को तीन वर्गों में विभक्त किया—(1) पहले वर्ग में वृद्ध और अशक्त लोग रखे गये। इनकी भूमि राज्य ने ले ली और इन्हें जीवनयापन के लिये बीस अथवा तीस टंक दिया जाने लगा; दूसरे वर्ग में उनको रक्खा गया जो सैनिक सेवा के योग्य थे और उन्हें उनकी सेवा के अनुसार वृत्ति दी जाने लगी। उनकी जागीरें यद्यपि वापिस नहीं ली गईं परन्तु यह अंकुश लगा दिया गया कि उनकी वृत्ति के अतिरिक्त जागीर से बाकी प्रायः सरकारी कर्मचारी वसूल करेंगे; तीसरे वर्ग में उन विधवाओं और अनाथों को रक्खा जो जागीर के बदले अपने प्रतिनिधियों द्वारा सैनिक सेवा करवाते थे। इनकी जागीर वापिस ले ली गईं परन्तु इनके निर्वाह की व्यवस्था कर दी गई।

बलबन की इन कठोर आज्ञाओं से बरनी के अनुसार, "प्रत्येक मोहल्ले में हाहाकार मच गया।" अनेक वृद्ध पुरुष और विधवा स्त्रियां सुल्तान के भिन्न कोतवाल फलकदीम की आश्रय में पहुँचे और सुल्तान से सिफारिश करने की प्रार्थना की। बरनी ने लिखा है कि कोतवाल को गम्भीर और उदास मुद्रा में देख सुल्तान ने इसका कारण पूछा और उसने कहा, "मैंने सुना है कि आरिज सब वृद्ध पुरुषों को सेवा-निवृत्त कर रहा है और सरकार उन जागीरों को वापिस ले रही है। मैं वृद्ध और निर्बल हूँ। प्रलय के अन्तिम दिन का ध्यान कर मैं अपने भाग्य के विषय में दुःखी हो रहा हूँ कि क्या वृद्ध लोग ईश्वर की अनुकम्पा से वंचित हो जावेंगे।" सुल्तान, कोतवाल का आशय समझ गया और बरनी स्पष्ट लिखता है कि "समस्त इक्तादारों के अधिकार जैसे के जैसे बने रहने दिये गये।" परन्तु प्रो. [हबीबुल्ला का कथन है कि केवल वृद्ध इक्तादारों से सम्बन्धित आदेश ही वापिस ले लिये गये, शेष पर सम्भवतः कार्यवाही की गई।

प्रशासनिक उपाय और शासन संगठन—बलबन का शासन उस समय की भाग के अनुसार प्रथम-नागरिक और प्रथम-सैनिक था। प्रत्येक अधिकारी से यह भाशा की जाती थी कि वह कृत्य तथा कृत्यकार का धनी होगा। बलबन ने शासन का नियन्त्रण अपने हाथों में ही रक्खा और अधिकतर नियुक्तियाँ वह स्वयं करने तथा कथवा उसकी अनुमति से ही जान लीं। सम्राज्य में एक नए मुसलमान की साधारण पद की नियुक्ति पर उसका ध्यान जा सकता था जो हमसे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह किस प्रकार नियुक्तियों पर कड़ी दृष्टि रखता होगा। वह इस बात से अनकं था कि किसी भी व्यक्ति के हाथों में अधिक शक्ति एकत्र न हो पावे। इसीलिए उसने बजोर में सैनिक व आर्थिक अधिकार छीन कर उसकी शक्ति पर अग्रभूत लया दिया। इन अधिकारों के छिन जान से उसे यह विश्वास हो गया कि वह (बजोर) राजसत्ता की हृदय में अथवा छीनने की बात मात्र भी नहीं करेगा। इसके साथ बलबन के चरित्र की ये विशेषता थी कि वह अधिकारियों की नियुक्ति केवल उच्च वंश के व्यक्तियों में से ही करता था।

प्रशासनिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में उसके विचारों की झलक उसके द्वारा अपने पुत्रों को दिये गये दो व्याख्यानो में मिलती है। उसने सत्ताह दी थी कि—

1. शासन के ऐसे नियम बनाना चाहिये जिनसे दुर्बलों की शक्तियों के रक्षा की जा सके।

2. शासन न तो अति नरम हो और न ही अधिक उदार। कर इतने अधिक न हों कि उनके भार से जनता निर्धन हो जावे और न ही इतने कम हों कि जनता उद्विग्न हो जावे।

3. शासन आवश्यकतानुसार अनाज की उपयुक्त उपज का प्रबन्ध करे।

4. शासन के आदेश दृढ़ता से लागू किये जावें और उसके निर्णय में बार-बार परिवर्तन न किया जावे।

5. राज्य की अर्थ-व्यवस्था योजनाबद्ध हो। भाग का भाग सच किया जावे और सैन्य सकटकालीन समय में लिये सुरक्षित रक्खा जावे।

6. शासन व्यापारियों को समृद्ध और सन्तुष्ट रखे।

7. शासन सेना को उचित समय पर बतन दे तथा सैनिकों को प्रसन्न व सन्तुष्ट रखे।

इन सिद्धान्तों के आधार पर बलबन ने ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापित किया जो न केवल सुदृढ़ थी अपितु जन-साधारण के लिये शान्ति और न्याय की जननी थी। बलबन यद्यपि अक्रुशेन व्यक्तियों से घृणा करता था और अमीरों के प्रति कठोर था, परन्तु इसके बाद भी बरनी के विवरण से स्पष्ट है कि वह साधारण नागरिकों के प्रति दयालुता का व्यवहार करता था।

निरंकुशता और कठोर नियमों को लागू करने के लिये बलबन ने आवश्यक समझा कि गुप्तचर व्यवस्था को पूर्ण किया जावे। इस उद्देश्य से उसने राज्य के प्रत्येक प्रदेश में गुप्तचरों की नियुक्ति की जो कि उसे अपने-अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं से अवगत कराते रहते थे। उसने अपने पुत्रों, सम्बन्धियों, इत्तादारों और प्रत्येक सैनिक व सरकारी कर्मचारियों की गतिविधियों को जानने के लिये इनकी नियुक्ति की। वह 'बरीद' (गुप्तचर अधिकारी) की नियुक्ति बड़ी छान-बीन के बाद ही करता था। यदि कोई गुप्तचर बलबन को समयानुसार जानकारी नहीं पहुँचा पाता तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता था। वदायूँ के 'बरीद' का वध कर उसकी लाश को लटकवा दिया गया क्योंकि वह मलिक बकबक द्वारा अपने दास को मारने की सूचना सुल्तान को समय पर न दे पाया था।

तुगरिल का विद्रोह (1279 ई.) व उसका दमन—बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य सदैव ही अस्थिर रहा था। नासिरुद्दीन महमूद के समय अरसलान खाँ, जो लखनौती का गर्वनर था, ने अपने को स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया। बलबन के राज्यारोहण के समय उसके पुत्र और उत्तराधिकारी तातार खाँ ने उसे 63 हाथी भेंट किये। तातार खाँ के बूढ़े तुगरिल खाँ लखनौती का इत्तादार बनाया गया। वह बलबन का एक योग्य व साहसी दास था। इसामी के अनुसार तुगरिल ने बलबन के शासन के आठवें वर्ष (1275 ई.) में विद्रोह किया और बरनी ने इस विद्रोह को बलबन के पन्द्रहवें अथवा सोहस्रवें वर्ष बताया है। परन्तु ये दोनों ही मान्य नहीं हैं। अधिकतर यह विद्रोह 1279 ई. में हुआ था।

तुगरिल खाँ के विद्रोही होने में उसका जाजनगर का सफल अभियान प्रोत्साहन का प्रमुख कारण था। उसने वहाँ से अपार सम्पत्ति और हाथी प्राप्त किये परन्तु बलबन को कोई भेंट न भेजी। उसका ख्याल था कि सुल्तान बूढ़ा हो चुका है और मंगोलों की समस्या में व्यस्त है, इसलिये उसकी ओर ध्यान न दे सकेगा। उसने 'सुल्तान मुगीसुद्दीन' की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलाये और खुतवा पहनाया। तुगरिल खाँ के इस विद्रोह से बलबन को बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि यदि एक दास सफलता से विद्रोह कर सकता था तो समस्त शाही तुर्क दास प्रणाली ही बेकार हो जाती। इसलिये उसने अवध के इत्तादार अमीन खाँ को तुगरिल खाँ के विरुद्ध भेजा। परन्तु अमीनखाँ पराजित हुआ। बलबन ने शीघ्रित होकर अमीन खाँ को ग्रयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया।

बलबन ने दूसरी सेना बहादुर नामक अपने एक विश्वसनीय अधिकारी के नेतृत्व में भेजी परन्तु यह भी पराजित हुई। बलबन ने उसे भी मृत्यु दण्ड देना चाहा परन्तु बहादुर के मित्रों ने उसकी वीरता को प्रमाणित कर उसे केवल दरवार से निर्वासित करने तक ही दण्ड को सीमित रखवाया।

बलबन के सम्मान को यह दूसरा अध्याय था। 80 वर्ष की अवस्था में (1280-81 ई.) जब मंगोलों के आक्रमण का भय समाप्त भी नहीं हुआ था तब

उमर तुग़रिल का दमन करने के निचे भी स्वयं मृत्यु करने का दिवस्य किया। उत्तरी-पश्चिमी सीमा की सुरक्षा का प्रबन्ध कर तथा दिल्ली का प्रबन्ध क्रोधवान् अहमदशाहीन को सौंपकर-बहु एक बड़ी सना क साथ बंगाल की ओर बढ़ा। यहाँ की परशाह न करने हुये वह पूर्व की ओर मूष करता गया। प्रथम पहुँचकर उमरने अग्रभाग का साथ सैनिक भर्ती किए तथा सेना स बंगाल की ओर बढ़ा।

मध्य मुल्तान क घान की भूचना पाकर तुग़रिलवा हज़ारी नगर की ओर भाग गया। उमरका म्यत्न था कि बख्तन बग़ाव की जलनायु मे परेशान होकर कुछ समय बाद दिल्ली लौट जायगा, तब वह लखनौती पर पुन शपना अधिकार कर लया। बख्तन लखनौती पहुँचा और बड़ा अपनी सेना की पुन व्यवस्था कर सुनार-गाव की ओर चर दिया। परन्तु तुग़रिल लौं का कही पता न चला। हज़ारी नगर के 120 मील निकट पहुँचन पर भी वह तुग़रिलवा के छिपने के स्थान का पता न चला। उमर अग्रिम दलों को अवकाश पना लगाने के निचे भेजा। अन्त मे मलिक मुहम्मद शेर अन्दाज़ ने अचानक ही अन्दाज़ बेबने वाले लोगों से उसके छिपने के स्थान का पता लगा लिया। अपने चाचीग साधियों के साथ उमरने तुग़रिल लौं के निबिर् पर आक्रमण किया। तुग़रिलवा इम अचानक आक्रमण से घबरा गया और यह समझकर कि ये मुल्तान की सेना का आक्रमण है, वह पीछे की नदी पीठ पर बँहकर भाग खड़ा हुआ। मलिक मुकद्दर नामक एक सैनिक अधिकारी ने उल्ला पोछा किया और उसका शिर काट लिया। ज़ाने मे मुल्तान की सेना भी पहुँच गई और तुग़रिल लौं की सेना मल्ट कर दी गयी तथा अनेको नो बन्दी बना लिया गया। बख्तन उन सभी बन्दीयों को लेकर लखनौती पहुँचा।

लखनौती पहुँचकर पुन्य बाजार ने दोनों ओर दो मील मे काशी के लख्तन गगारे गये और तुग़रिललौं क समर्थकों को उन पर लाँव दिया गया। प्रो. निज़ामीय बरनो को उद्धृत करते हुये लिखते हैं कि, "मैंने कुछ अधिकारियों से सुना है कि दिल्ली के किसी शासक ने इतनी भारी सहाय मे मृत्युदण्ड नहीं दिया था जैसे बख्तन ने लखनौती मे दिया।" बख्तन ने अपने कुछ पुत्रराज्य को बंगाल का इल्कादार नियुक्त किया और बाजार का दण्ड दियाते हुये उसे उदाह दी कि वह दिल्ली के शासन के प्रति निष्ठावान बना रहे चाहे वह किसी भी वष का ही अग्रवषा उसके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जायेगा। दिल्ली लौटकर उमरने दिल्ली के उन समस्त सैनिकों को भी जिन्होंने तुग़रिललौं का समर्थन किया था, मर करने की धांता दी परन्तु काशी की सहाह पर उमरने साधारण सैनिकों को भाग कर दिया और पदाधिकारियों को अपमानित करके निकाल दिया।

बख्तन यद्यपि विजय प्राप्त कर दिल्ली लौटा था परन्तु इस विद्रोह को दबाने मे उसे स्वयं तीन वर्ष लग गये थे। यदि उमात्त अनिवातों का कार्यवाह

निकाला जावे तो इसमें लगभग छः वर्ष से भी अधिक समय लगा था। केवल अरबध से ही दो लाख नये सैनिकों की भर्ती की गई थी। इससे स्पष्ट है कि सैनिकों की अधिक संख्या इस विजय में एक प्रभावपूर्ण कारण रही होगी। इसके अतिरिक्त यदि बंगाल के प्रदेश के विद्रोह को दबाने में ही इतना अधिक समय लग सकता है, तो उस आधार पर, बलबन के समस्त सैनिक सुधारों के बाद, उसकी सेना के संगठन का अनुमान लगाया जा सकता है। इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल के शासकों का दमन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। बलबन ने जब इस समस्या का सामना किया तो यह अधिक स्पष्ट हो गया कि उसके सैनिक पूर्वकालीन शासकों की अपेक्षा कितने अधिक निकम्मे थे। बलबन भाग्यवान था कि उसके समय में सल्तनत को चुनौतियों का सामना न करना पड़ा और अपनी बुद्धिमानी और दूर-दर्शिता से उसने साम्राज्यवादी नीति नहीं अपनाई अन्यथा राज्य की दयनीय सैनिक अवस्था का भंडाफोड़ हो जाता।

मंगोल आक्रमण व सीमान्त नीति—सुल्तान इल्तुतमिश के समय से भारत पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोलों के आक्रमण आरम्भ हो गये थे और वे लाहौर तक के प्रदेश तक लूटमार किया करते थे। 1242 ई. में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर उसे लूटा था। किन्तु उसके तुरन्त बाद उनके नेता शोगताई की मृत्यु के कारण मंगोल आक्रमण रोक दिये गये और वे वापिस चले गये। बलबन के समय में मंगोलों द्वारा भारत पर विजय का कोई खतरा नहीं था परन्तु फिर भी उनके आक्रमणों का भय सदैव बना रहता था। इस कारण बलबन ने सीमान्त प्रदेशों को और विशेष ध्यान दिया। बलबन के नायब-ए-मुमलकत के काल में उसका खेचरा भाई शेरखाँ सीमा की रक्षा के लिये उत्तरदायी था। बरनी के विवरण के आधार पर प्रो. हबीबुल्ला शेरखाँ को एक महान योद्धा बताते हैं जिसने मंगोलों को अतंकित कर रक्खा था। इसके विपरीत प्रो. निजामी का कथन है कि बरनी ने मिनहाज की 'तबकाले नासिरी' नहीं पढ़ी थी इसलिये उसे शेरखाँ के सम्बन्ध में भ्रम हो गया। मिनहाज ने किसी ऐसे युद्ध का वर्णन नहीं किया है जिसमें शेरखाँ ने मंगोलों से युद्ध किया हो, अपितु इसके विपरीत वह मंगोलों की सेवा करने को तत्पर हो गया था। बलबन उस पर विश्वास नहीं कर सकता था इसलिये उसे उच्छ और मुल्तान के बदले दिल्ली के निकट जागीर दी गई जिससे कि उस पर सरलता से ध्यान रक्खा जा सके। परन्तु जब बलबन के राज्यारोहण के समय तथा अगले चार-पाँच वर्षों तक शेरखाँ दिल्ली नहीं आया तो बलबन को उसकी महत्वाकांक्षाओं के प्रति अधिक सन्देह हो गया और उसने उसे विप दिलावा दिया। मिनहाज के वर्णन से यह अधिक स्पष्ट है कि बलबन के राज्यकाल के आरम्भिक वर्षों में मंगोलों के आक्रमण नहीं हुये।

1270 ई. में बलबन लाहौर गया और सीमा की सुरक्षा के लिये उसने विधिवत नीति अपनाई। जिन मार्गों से मंगोल भारत पर आक्रमण करते थे उन

पर मुहम्मद दुर्ग बनायाये गए तथा मौलिक छावनियाँ स्थापित की गईं। इन दुर्गों में अलिपुरा, तिरवा, अबाहर, भटनर चादि प्रमुख थे।

उसी वर्ष मंगल उत्तरी-पश्चिमी सीमा की दो भागों में बाटा गया। साहौर मूलान और दौवानपुर का क्षेत्र साहजादा मुहम्मद की और मुगल, तमलान तथा उरुद का क्षेत्र साहजादा बुगरासा को दिया गया तथा उनके साथ एक गति-माना सेना रखी। मलनीवी में बुगरासा की विपुक्ति के बाद समस्त पश्चिमी क्षेत्र का इलाकाधिकार मुहम्मद को सौंप दिया गया। साहजादा मुहम्मद बनबन का ज्येष्ठ पुत्र था और बनबन ही समस्त साम्राज्य उसी में ही केन्द्रित थी। यह घोष्य मैनापति के प्रतिरिक्त एक सुवर्ण और साहित्य में रुचि रखने वाला साहजादा था। मिनहाज बनबन की हरमाम्बर प्रमाणा करते हुए भी उसे मस्कृति और ज्ञान का आभयदाता नहीं कहता है। इसके विपरीत साहजादा के दरबार में अमीर सुतरी और अमीर इमन जैसे विद्वान थे। पारसी के प्रसिद्ध विद्वान जेय सारी को भी उसने आशरित्त किया था परन्तु वह अपनी कृपाकृत्या के कारण नहीं आ गया था।

1285 ई. में मुहम्मद ने मुघरा जनजातियों के विरुद्ध कृष किया। इसी समय मंगोल अधिकारी-सुभर-ने-लीन-कुबार-प्रशासकद्वियों सहित उस पर आक्रमण कर दिया। मंगोलों ने पारसी गतिविधियों को दनना मुष्य रखता कि मुहम्मद की उसकी जानबारी न हो पावी। मंगोलों के आघातित विकर बहुधने पर उत्तरे अधिकारियों ने उसे क्षयस लौट जाने की सलाह दी तथा मंगोलों से युद्ध करने का उत्तरदायित्व स्वयं उठाने की पेशकश की। परन्तु मुहम्मद ने इसे साहजादों के लिये प्रशोचनीय मानकर स्वयं युद्ध का मन्वामन करना ही उचित मयमा। मंगोल सेना ने फिर जाने के कारण वह युद्ध करणा हुमा मारा गया। अमीर मुनरो को इस युद्ध में बन्धी बना लिया गया और बहो मुबित्त से उगने छुटकारा पाया। बरनी के अनुसार मंगोल साहजादा की तात अपने हाथ से जाना चाहते थे परन्तु मुहम्मद के समुद ने काफी धन देकर उसे सरीद दिया।

साहजादे की मृत्यु के बाद उसके जेटे-संयुक्तों ने ब्रह्मी-की कमान सम्भाल ली और सीमांत की चौकसी पहले के समान ही दुरु बनी रही। मंगोलों के विरुद्ध बनबन की गणना कोई कीर्तिसात नहीं थी। यह सारीर तक के प्रदेश को अपने अधिकार में रख मरा तथा मंगोलों को ब्यास नदी के दूरीर और के शट तक ही रखने में सफल हुआ। न तो स्वयं बनबन ने कभी ब्यास नदी के पश्चिमी प्रदेश पर आघातण किया और न ही वह मंगोलों के जय को मरदा के लिये समोपन कर सार।

बनबन के अन्तिम दिन—साहजादा मुहम्मद की मृत्यु के आघात की बनबन अधिक गमम तज-गहन न कर सार। उसकी मृत्यु के सात ही बनबन अपने बस के

विनाश के साथे स्पष्ट देल रहा था। बरनी लिखता है कि सुल्तान दिन भर राजकार्य में व्यस्त रहता था परन्तु रात्रि के समय वह फूट-फूटकर रोता था, शोकसंतप्त होकर अपने कपड़े फाड़ डालता था और अपने सिर पर मिट्टी फेंका करता था।

बलवन को स्वयं अधिक समय तक जीने की आशा न थी इसलिये उसने युगराखां को लखनौती से बुलाकर अपने पास उठरने का आग्रह किया। परन्तु युगरा खां केवल दो या तीन माह तक ही रहा और जैसे ही उसके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ, वैसे ही वह उसकी अनुमति लिये बगैर लखनौती चला गया। बलवन का स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जा रहा था, इसलिए अपनी मृत्यु से तीन दिन पूर्व उसने दिल्ली के कोतवाल गुलिकुल अमरा, स्वाजा हसन बसरो, प्रधानमंत्री तथा दूसरे अधिकारियों को बुलाकर मुहम्मद के लड़के कैखूसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और फिर तीन दिन बाद वह मर गया।

बलवन का मूल्यांकन—बलवन की मृत्यु के पश्चात् तीन वर्ष में ही उसके वंश का अन्त हो गया। नाइब व सुल्तान के रूप में लगभग 41 वर्ष तक उसने जिस पीढे को सींचा था उसकी मृत्यु के बाद उसका इतनी शीघ्रता से समाप्त होना एक आश्चर्यजनक घटना थी। इसके लिए बहुत अंशों तक वह स्वयं उत्तरदायी था। प्रो. निजामी ने उसकी दुर्बलताओं का यथोचित विश्लेषण किया है। प्रो. निजामी के अनुसार बलवन सुल्तान को 'जिन्दी अल्लाह' अथवा पृथ्वी पर ईश्वर की छाया तथा सुल्तान के हृदय को ईश्वर का अंग मानता था। बलवन के दावे और उसके उत्तराधिकारियों के चरित्र को आंका जावे तो इसमें केवल विरोधाभास के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व नहीं मिल पायेगा। सुल्तान कैकबाद ने बलवन की नीति का पालन कर, तुर्क दास अधिकारियों की हत्या के सिलसिले को बनाये रक्खा और फलस्वरूप खलजियों ने धीरे-धीरे उनके पदों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। स्थिति यहां तक पहुंची कि अलाउद्दीन खल्जी ने तुर्क दास अधिकारियों के समस्त वंशजों को बन्दी बनाकर हत्या कर दी। इसी के साथ बलवन का वंश यद्यपि नष्ट हो गया, परन्तु दिल्ली सल्तनत बच सकी। प्रो. निजामी ने इसी आधार पर बलवन के कार्यों का मूल्यांकन किया है।

बलवन की दुर्बलताओं का अध्ययन करने के पहले बरनी के अनुसार इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि उसने अपनी शक्ति से समस्त राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाये रक्खा जो कि किसी भी शासक का प्रथम उत्तरदायित्व है। परन्तु प्रो. निजामी लिखते हैं कि, "यद्यपि बलवन ने एक पुलिसमैन की भांति शांति और व्यवस्था स्थापित करने के कर्तव्यों की पूर्ति की, परन्तु उसके समय का एक भी कानून या नियम नहीं मिलता जिसके कारण बलवन को याद किया जावे। विद्रोहियों में सबसे अधिक शान्त और दृढ़ जलालुद्दीन खल्जी ने तुर्की-गुलाम सरदारों के शासन को उलट दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि बलवन की व्यवस्था कितनी दुर्बल और कीड़ों के द्वारा खाई हुई हो चुकी थी।"

प्रो निजामी के अनुसार बलबन की प्रतिश्रियावादी-प्रवृत्ति-नेताम की सपना इति धार्मिक प्रवृत्तियाँ । बलबन ने तुर्कों की श्रेष्ठता प्रथवा उच्च कुल के दाधार पर त्रिम प्रकार भारतीय मुसलमानों और हिन्दुओं को सम्मानित पदा में प्रवेश कराया वह पालक सिद्ध हुआ । वह यह नहीं समझ सका प्रथवा समझना नहीं चाहता था कि भारत में इनके निम्न वर्गों का इस्लाम धर्म ग्रहण कर रहे हैं, धार्मिक समय तक यह महत्त्व करने की उत्पत्ति नहीं रह कि राज्य के समस्त उच्च पद इस्लाम समर्थकों में ही रहना तुर्क दासों के लिए ही सुरक्षित है । इसके प्रतिरिक्त इनके हिन्दू पारसी भाषा सीख रहे थे और इनके माध्यम से शासन नये क्षेत्रों में नये प्रयोग कर इनका सम्भावित लाभ उठा सकता था । विशेषकर भू राजस्व के क्षेत्र में क्योंकि तुर्क पूर्णतया अनभिज्ञ थे और अपनी परम्परा और सामाजिक भावदण्डों के अनुसार प्रशासन की प्रवृत्ति सैनिक कार्यों को करना परिभाषित मानते थे, ऐसी स्थिति में हिन्दू दुर्भावपूर्ण विधिको का उपयोग कर राज्य को धार्मिक दृष्टि प्रदान की जा सकती थी । परन्तु बलबन ने पुरानी शासन प्रणालियों की ही बनावट रखी जो समय की भांग का पुरा करने में निराल्प अनुपयोगी थी । इस सन्दर्भ में डा ए एल श्रीवास्तव का यह कथन अधिक ठीक मानस्य पड़ता है कि, "उत्तम रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था । उगम व्यवस्था कायम करने की शक्ति थी, नयी चीजों का आविष्कार करने की नहीं ।"

बलबन की दूसरी बड़ी दुर्बलता सना के विषय में थी । सुगरता को अगल का इत्ताहार नियुक्त करते समय उसने उमे दिन्ली के सुल्तान के प्रति स्वाधीनता बन रहने की मलाह दी थी । धरनी के अनुसार "दिन्ली का शासक केवल धरनी लगाम हिलाकर ही लक्ष्मीती पर विजय प्राप्त कर सकता है ।" फिर भी सुगरता के विरुद्ध दो अभियान सफल रहे और यह निर्विवाद है कि उत्तक दोनों ही अभियान की पूर्ण तैयारी के साथ भेजा होगा । तीसरे अभियान का स्वयं उसने नेतृत्व किया और इसके लिए प्रथम से ही ताब नये सैनिकों की भर्ती की । अभियान में लगे छ वर्षों ही इस बात का प्रयास है कि उत्तको सैनिक व्यवस्था कितनी कमजोर थी । बलबन ने राजपूत शासकों के विरुद्ध भी कोई अभियान नहीं किया और न ही मगोला के विरुद्ध कोई सफलता प्राप्त की, यद्यपि उसने सीमापार पर अपने योग्यतम अधिकारियों और अत्यन्त कुशल सैनिकों को तैनात किया था । यह कहना कि मगोल धरनी अधिक संस्था के कारण विजयी हुये यद्यपि उचित है परन्तु बलबन जो सर्वत्र ही मगोला के आक्रमण के भय के कारण साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का होने के बाद भी साम्राज्यवादी नीति नहीं अपना सका, मगोलों पर अधिक सैनिकों की नियुक्ति कर सकता था, पर नहीं कर सका । इसका कारण बताया जाता है कि उसने समय में सैनिक अधिकारियों की कमी थी । मध्य-एशिया में मगोला का प्रभाव बढ़ जाने के कारण तुर्क भारत में कम संस्था में आने लगे थे और बलबन केवल तुर्कों के प्रतिरिक्त किसी दूसरी नस्ल के व्यक्ति को निम्न पद तक देने की

तैयार नहीं था। यह कमी उस शासन प्रणाली में और अधिक उभर उठी जिसमें सब सैनिक अधिकारी ही प्रशासनिक अधिकारी होते थे। स्वाभाविक रूप से जब तुर्कों की आवश्यकता कम हो गई तो इसका प्रभाव सैनिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ना अवश्यम्भावी था। बलबन, अलाउद्दीन खल्जी की तरह अपनी भावसिद्धि दासता के दायरे से न निकल पाया और निष्ठा तथा योग्यता को नियुक्ति की कसौटी न बना पाया।

बलबन ने किसी राजपूत शासक के विरुद्ध भी युद्ध करने का कोई खतरा न उठाया। अपनी इस दुर्बलता को छिपाने के लिए उसने सर्वद्वेषी सम्भावित मंगोल की शक्ति का वहाना किया। परन्तु शासक होने के नाते उसे ये जानकारी होनी चाहिए थी कि मंगोलों का खूबखार नेता हलाकू उसके सिंहासनारोहण के एक वर्ष पहले ही काल का प्राप्त हो चुका था तथा फारस का मंगोल शासक, इलखा, भारत के लिए कोई खतरा पैदा करने में असमर्थ था। यदि मंगोलों के एक सीमान्त अधिकारी ने सीमान्त-रक्षक, मुहम्मद को पराजित कर मार डाला तो इसमें उसकी योग्यता की अपेक्षा सैनिक बाहुल्यता थी और उसके लिए स्वयं बलबन उत्तरदायी था।

बलबन ने राजसत्ता के दैवी सिद्धान्त को प्रतिष्ठित कर प्रत्येक दिशा के आधार पर सुल्तान की श्रेष्ठता को स्थापित करने का हर सम्भव प्रयास किया और अपने अन्दर बँठे हुए मनुष्य की हत्या करके भी उसने उसे बनाये रखना चाहा, परन्तु इसके बाद भी वह जनसाधारण में सुल्तान की गरिमा को चिरस्थायी न बना सका। धर्म के प्रति भक्ति-भाव रखते हुए भी और धार्मिक प्रवचनों के समय गद्गद हो आसू बहाने के बाद भी वह एक संप्रभु-सुल्तान की भाँति अपने अधीनों पर काबू न पा सका और उनके लिये उसे जहर का प्याला अथवा हत्यारे के छुरे का सहारा ही लेना पड़ा। "बलबन साधारण ही बात समझने में असमर्थ रहा कि एक व्यक्ति अथवा अल्पसंख्यक वर्ग की शक्ति और क्षमता पर राज्य को स्थायी रूप देना नितान्त असम्भव है और इसी कारण उसकी मृत्यु के तीन वर्ष के भीतर ही उसके वंश की कङ्क पर खलजियों ने एक नये राजवंश की स्थापना की।

बलबन की शासन व्यवस्था में अनेक दोष होने के बाद भी उसकी महत्ता को ठुकराया नहीं जा सकता। जिस निम्न-स्थिति में उठकर उसने सुल्तान का पद प्राप्त किया वह इस बात को प्रमाणित करती है कि उसमें योग्यता और दूरदर्शिता के गुण कूट-कूट कर भरे हुये थे। भाग्य ने उसका साथ दिया और प्रत्येक बार जब जब उसने सुल्तान के विरुद्ध किसी गुट का साथ दिया अथवा स्वयं किसी गुट का निर्माण किया, तब-तब भाग्य-लक्ष्मी ने उसे विजय के सेहरे से विभूषित किया। जिन परिस्थितियों में वह सुल्तान बना था उसमें उसका क्रूर और कठोर होना स्वाभाविक था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद से यदि परिस्थितियों का अवलोकन किया जावे

तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके प्रयोग्य उत्तराधिकारियों के समय दिल्ली सल्तनत मृतप्राय हो गया था। बंगाल और बिहार विद्रोही हो रहे थे, राजपूत शासक तुर्कों जुए को उबार फेंकने पर सघट थे, दिल्ली के शासक ही विद्रोहियों और सुटेरों की उद्दता सम्य जीवन की सोमाघो को साथ चुकी थी, उत्तर-पश्चिमी सोमाघों के दरवाजो पर मगोल लगातार दस्तक दे रहे थे और 'तुर्कान-ए-हिंदूजगानी' स्वयं को शासक निर्माता मानते थे। शासन के प्रति भय और सम्मान की भावना नष्ट हो चुकी थी। ये सभी परिस्थितिया इतनी विषम थीं कि यदि इन पर विजय प्राप्त न की जाती तो सम्भवतः भारत में मुस्लिम राज्य अपने बाल्यकाल में ही मौत का श्रास बन जाता। बलबन को इन सभी परिस्थितियों का हल ढूढ निकालना आवश्यक था और उसने जिस पंथे और साहस के साथ एक काम-बलाक और व्यावहारिक हल निकाला वह निश्चित ही सखनन को बनाये रखने में सहायक सिद्ध हुआ। यदि उसके बाद उसके उत्तराधिकारी भी उतने ही योग्य होते तो उनके वंश का पतन इतना शीघ्र न हुआ होता। यह ठीक है कि उसने अपने उत्तराधिकारियों की पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं किया और बुधरा या नितान्त भारतीय और विलासप्रिय बन गया, परन्तु मुहम्मद को उसने जिस रूप में उत्तराधिकारी के लिये तैयार किया था सम्भवतः वह योग्य पिता का योग्य पुत्र साबित होता, परन्तु उसकी अकाल मृत्यु ने राज्य को नितान्त निस्वहाय रूप में छोड़ दिया। फिर निरकुलता स्वयं में ही शासन-उत्पत्ति और शासन-विश्वास में सबसे बड़ी बाधक है और प्रायः योग्य निरकुल शासकों के बाद प्रयोग्य उत्तराधिकारियों को ही जन्म देती है। इस्लामिज्म की योग्यता के बाद भी उसके उत्तराधिकारी प्रयोग्य निकले और उसके सब किये-कराये पर अपनी फिर गया। वही बात बलबन के बाद दोहरायी गयी परन्तु मुस्लिम साम्राज्य की नींव दहने वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि बलबन ने अपनी व्यवस्था से सन्धी शासन के लिये पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया था।

सामान्य मायदण्डों के आकार पर बलबन कठोर और कुर सामक सिद्ध होता होता है और विशेषकर यदि आज के सदर्भ में उसे धाका जावे तो वह नृशम मानस्य पढता है। परन्तु ऐसा निर्णय लेते समय हम उस समय की परिस्थितियों को क्लृप्त मुना देते हैं। राज्य में सुटेरों और विद्रोहियों ने शासक फँसा रक्सा था, इकादार स्वतन्त्र शासकों की उद्दता व्यवहार कर रहे थे और नुस्खान तथा राजनीतिज्ञा घूल में मिल चुकी थी, तुर्कों प्रमोरां और मुल्तानो के बीच सघर्ष ने राज्य को जदें खोशली कर दी थी—इन परिस्थितियों में निरकुलता के प्रतिरिक्त कोई चारा ही नहीं था। यह सम्भव है कि उसने बटेहर और पकय के लोगों के साथ शक्ति कठोर और कुर व्यवहार किया हो, परन्तु उससे भी अधिक यह ठीक है कि बरनी ने हिन्दुओं के प्रति किये गये व्यवहार को बदा-बदा कर बिसा हो क्योंकि वह उसने भारतानुभूति अनुभव करता था। बलबन को ये श्रेय है कि उसने एक और तो

विद्रोहियों का दमन किया और दूसरी ओर सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और उस स्थिति को समाप्त कर दिया जिनमें तुर्की अमीर सुल्तान पर हावी रहते थे। इसीलिये प्रो. हबीबुल्ला ने लिखा है कि, "बलबन का एकमात्र और महानतम कार्य राज्य में वादशाहत को पुनः श्रेष्ठतम स्थात प्रदान करता था। इस क्षेत्र में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा आरम्भ किये गये कार्य की पूर्ति की।" बलबन ने इसके लिये भले ही हत्यारे के छुरे अथवा विप के प्याले को अपनाया हो परन्तु वह तुर्की अमीरों की शक्ति को नष्ट करने में सफल हुआ और सुल्तान को स्वयं अपनी शक्ति का केन्द्र बना दिया। अब सुल्तान को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं थी, अपितु सब ही अब उस पर निर्भर थे। बलबन ने अमीरों को कितना अधिक लचीला बना दिया था इसका अनुमान बरनो¹ के इस कथन से लगाया जा सकता है, "कि उसकी मृत्यु से दुःखी हुये अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सर पर धूल उड़ाई। वे सभी अर्थी के पीछे कश्गिस्तान तक नंगे सर गये और उन्होंने उसकी मृत्यु में प्राचीन और सम्मानित परिवारों के पतन के चिन्ह देखे।" इससे यह स्पष्ट है कि बलबन की कठोरता के बावजूद भी उसके सरदार उससे स्नेह करते थे अथवा उसकी अनुपस्थिति को स्वयं के लिए खतरनाक मानते थे।

बलबन ने यद्यपि मंगोल-आक्रमणों के भय को समाप्त नहीं किया, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि उसने मंगोलों की सफलता के मार्ग को बन्द कर दिया। उसने कम से कम सीमान्त प्रदेशों के लिए एक वैज्ञानिक नीति आरम्भ की जो खल्जियों के समय में अधिक विकसित होकर अलाउद्दीन खल्जी की सफलता में अधिक सक्रिय सिद्ध हुई। यदि उसने सल्तनत को एक सुदृढ़ रूप न दिया होता तो सम्भवतः अलाउद्दीन मंगोलों का सफल प्रतिरोध करने तथा उत्तरी और दक्षिणी भारत को विजित करने में सफल न हो पाता। इसी में बलबन की सफलता निहित है।

अन्त में हम कह सकते हैं कि निस्सन्देह, वह अपने वंश के अधिकार को दिल्ली के सिंहासन पर सुरक्षित रखने में असफल रहा, परन्तु वह दिल्ली सल्तनत के अधिकार और प्रभाव को स्थायित्व प्रदान करने में अवश्य सफल हुआ। बलबन में कमियाँ रहीं परन्तु जो सफलताएँ उसने प्राप्त कीं, उनके कारण 1205 से 1290 ई. तक के काल में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है।

सुल्तान कैकुबाद और शमसुद्दीन वयूमर्स (1287-1290 ई.)

बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बड़े पुत्र मुहम्मद के पुत्र कंसुसरव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन दिल्ली का कोतवाल फयसुद्दीन मुहम्मद

मिलते ही मंगोल सेना पीछे लौट गई। कुछ मंगोल वन्दी बनाकर भार डाले गए। बाद में निजामुद्दीन ने छल-कपट द्वारा सुल्तान से उन मंगोलों (जिन्हें नव मुस्लिम कहते थे) के बंध के आदेश प्राप्त कर लिए जो पहले इस्लाम स्वीकार कर वहाँ बस गए थे।

जब कैकुवाद दिल्ली में गद्दी पर बैठा तो उसके पिता बुगरा खाँ ने लखनौती में 'सुल्तान नासिरुद्दीन' का खिताब धारण कर सुल्तान होने की घोषणा कर दी। उसने अपने नाम का सिक्का और खुत्वा प्रचलित किया। पिता और पुत्र में पत्ताचार होता रहता था। बुगरा खाँ इस बात को जानता था कि उसका पुत्र भ्रष्ट जीवन व्यतीत कर रहा है। निजामुद्दीन स्वयं कैकुवाद का अंत करने के उद्देश्य से उसके मलिकों और अमीरों की हत्या करवा रहा है। वह अपने पत्नों में संकेतों और परोक्ष सुझावों द्वारा इस विषय की ओर कैकुवाद का ध्यान आकर्षित करता रहता था। लेकिन कैकुवाद अपने पिता के परामर्शों की परवाह नहीं करता था। इसलिए जब उसे शासन करते दो वर्ष हो गए तो बुगरा खाँ ने स्वयं अपने पुत्र को देखने का निश्चय किया।

जिन परिस्थितियों में पिता और पुत्र की भेंट हुई उसके बारे में अमीर खुसरौ कहता है कि बुगरा खाँ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से लखनौती से कूच किया। जब वह बिहार पहुँचा तो कैकुवाद भी उसका सामना करने के लिये आगे बढ़ा। बरनौ कहता है कि, "कैकुवाद ने एक विद्याल सेना सहित अपने पिता से भेंट करने की पहल की। जब बुगरा खाँ अपने पुत्र के निकट पहुँचा तो उसने सैनिक उद्देश्य त्याग दिए और उसका कूच एक सामाजिक भेंट में बदल गया।" उसने अपना 'दवीर' शमशुद्दीन, कैकुवाद के पास इस सन्देश के साथ भेजा कि, "दिल्ली का राज्य मेरा है किन्तु चूँकि वह मेरे पुत्र को प्राप्त हो गया है इसलिए उसे अपने पिता से युद्ध नहीं करना चाहिए। मेरे लिए लखनौती ही पर्याप्त है जो मेरा पैतृक अधिकार है।" कैकुवाद ने उत्तर दिया कि, "उसने सिंहासन अपने पिता के लिए सुरक्षित रखा है और मंगोलों से उसकी रक्षा की है।" दूसरे दिन बुगरा खाँ ने अपना सचिव एक संदेश सहित भेजा परन्तु नाव अभी नदी के बीच में ही थी कि कैकुवाद ने एक तीर चलाया और सचिव निराश होकर वापिस लौट आया।

बुगरा खाँ अपने पुत्र के व्यवहार को देखकर बहुत दुःखी हुआ, किन्तु वह जान गया कि यह सब कुछ निजामुद्दीन की चालों का परिणाम है। उसने एक स्नेह-पूर्ण पत्र लिखा जिसमें अपने पुत्र से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। बुगरा खाँ ने अपना छोटा पुत्र कैकाउस को, कैकुवाद के पास भेजा और कैकुवाद ने अपना पुत्र, वयूमस अपने पिता के पास भेजा। इस बीच निजामुद्दीन बराबर यह प्रयत्न करता कि पिता-पुत्र में युद्ध छिड़ जाए। उसने कैकुवाद से यह आग्रह किया कि वह अपने

पिता से दरबार की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करावे। बुगरा खाँ ने अत्यन्त धैर्य का परिचय दिया और दरबारी शिष्टाचार को पूरा बरतते हुए भी, निजामुद्दीन की योजनाएँ विफल कर दीं।

कंकुवाद (सिंहासन पर) एक भाव शून्य भव्यता और शाही उदासीनता से बैठा रहा। उसने पिता ने भुक्त कर भूमि स्वयं करने हुए सिंहासन के निकट भाकर उसके पैरों में घपना सिर रस दिया। अंत में उमका धैर्य टूट गया। वह रोता हुआ अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा जिसे देखकर सबका हृदय पसीज उठा। उसने अपने पिता को सिंहासन पर बैठा दिया। जब सारे समारोह समाप्त हो गये, तो बुगरा खाँ ने सलतनती लौटने का निश्चय किया। उसने मलिकों की उपस्थिति में कंकुवाद को यह शिक्षा दी कि वह प्रामोद-प्रमोद में जीवन व्यतीत न करे। विदा होत समय उसने कंकुवाद के कान में धीरे से यह कहा कि निजामुद्दीन से पीछा छुड़ाने।

कुछ समय तक कंकुवाद ने मघपान और शिकार को त्याग दिया लेकिन भारी सख्सा में चित्तकर्षक युवतियों ने, जो सर्वत्र उसके साथ रहती थीं, एक ही सप्ताह में उसे अपने पूर्व स्वभाव पर लौटा लाई। अत्यधिक विषय-भोग से उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया तथा वह बीमार हो गया। उसने निजामुद्दीन की मुस्तान जाने का आदेश दिया किन्तु भाँति-भाँति के बहाने बनाकर वह जाने में देर करता रहा। तुर्क अधिकारियों को उचित अवसर मिल गया और उन्होंने विष देकर निजामुद्दीन की हत्या कर दी।

जब निजामुद्दीन मार डाला गया तो कंकुवाद ने समाना के मलिक फीरोज खल्जी को बुलाया और उसे बरन का राज्यपाल और 'भारिचे ममालिक' नियुक्त कर 'शाइस्ता खाँ' की उपाधि दी। मलिक फीरोज (मुस्तान अलालुद्दीन खल्जी) ने अपने भाई शिहाबुद्दीन तथा भली गुरशास्य (अलाउद्दीन खल्जी) सट्टित बलबन की अनेक वर्षों तक सेवा की थी। मंगोलों के विरुद्ध अनेक युद्धों में उसे ख्याति प्राप्त हुई थी।

कंकुवाद की पक्षाघात ने घर दबोचा। जिस समय कंकुवाद पंगे शरीर लिए कीलूगढ़ी के राज महल में असहाय पड़ा था, मलिक बच्छन और मलिक सुर्खाने उसके पुत्र कैमुन को राजगद्दी पद बैठाया। बलबन के पुराने अधिकारी उसका समर्थन करते थे। उन्हें उंचे पद, उपाधियाँ, जागीरें प्राप्त हुईं। इस बालक मुस्तान को 'बबूतरा ए-नासिरी' पर से जाया जाता था। अब यही दरबार बन गया था तथा अमीर और बड़े-बड़े लोग उसकी सेवा में उपस्थित हुआ करते थे। खल्जियों की गैर-तुर्क समझा जाता था, इस कारण अलालुद्दीन खल्जी की सेनापति के पद की नियुक्ति से तुर्क सरदार असंतुष्ट हो गए। मलिक बच्छन और मलिक सुर्खाने शासन में तुर्कों की श्रेष्ठता कायम रखने के लिए सभी गैर-तुर्क सरदारों को बल करने की योजना

बनाई जिसमें सबसे पहला नाम जलालुद्दीन खल्जी का था। जलालुद्दीन अपनी सेना को लेकर दिल्ली के निकट पहुँच चुका था। उसके सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश करके सुल्तान और कोतवाल फखरुद्दीन के बच्चों को पकड़ लिया। उसके पश्चात् सुल्तान के संरक्षक की नियुक्ति का प्रश्न उपस्थित हुआ। फखरुद्दीन और सुल्तान के मतीजे मलिक छज्जू ने इस पद को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। तब जलालुद्दीन खल्जी स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया। परन्तु यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकती थी। तीन माह के पश्चात् जलालुद्दीन ने क्यूमस उर्फ सुल्तान जमसुद्दीन का वध कर दिया। कंकूवाद को एक खल्जी सरदार ने उसकी चादर में लपेट कर यमुना नदी में फेंक दिया। इस प्रकार, दलबल के उत्तराधिकारियों का अन्त हुआ और उनके साथ-साथ तुर्कों की श्रेष्ठता का भी समय समाप्त हो गया।

इल्बरी तुर्कों के अन्तर्गत राज्य

कुतुबुद्दीन ऐबक से बयूस (1206-1290 ई.) तक के काल को साधारणतया प्रारम्भिक तुर्क मुल्तानो अथवा इल्बरी बग के नाम से जाना जाता है। इस काल में शासन का स्वरूप, राजत्व मिद्वान् अथवा प्रशासन का जो विकास हुआ वही सामयिक परिवर्तनों के साथ समस्त सल्तनत काल में बना रहा। मुल्तानों की अपनी रूचि अथवा भुकाव के आधार पर ही इनमें परिवर्तन हुये और कभी-कभी तो ये परिवर्तन इतने अधिक उग्र थे कि ऐसा भ्रम होने लगता था कि शासन और उसकी सस्यामों का ढाँचा धामूल-चूल रूप में बदल गया हो। अलाउद्दीन खल्जी व मुहम्मद तुगलक के परिवर्तन इसी श्रेणी में आते हैं।

राज्य का विस्तार—मुहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत में मुल्तान कुतुबुद्दीन ने जिस राज्य की बागडोर सम्माली, मोटे रूप से घड़ी प्रदेश इस 84 वर्ष के शासनकाल में सल्तनत के अधिकार-क्षेत्रों में बने रहे। मुहम्मद गोरी ने जिन प्रदेशों पर अधिकार किया था, व्यावहारिक रूप में वही प्रदेश इस काल में सल्तनत के अधीन रहे। यदि कोई परिवर्तन हुआ भी तो उसके फलस्वरूप राज्य-सीमाएँ बढ़ने की अपेक्षा सिकुड़ ही गईं। समस्त काल में हिन्दू शासकों ने तुर्कों के परतन्त्रता के जुए को उतार फेंकने का प्रयत्न किया और इसीलिये प्रत्येक मुल्तान को एक ही प्रदेश को अनेक बार जीतने का प्रयत्न करना पड़ा। ऐसी स्थिति में नये प्रदेशों को जीतने की नीति अपनाते का कोई प्रश्न ही नहीं था। यदि प्रश्न था तो केवल यही कि पूर्वाधिकारियों से प्राप्त राज्य को उस प्रकार सुरक्षित रखा जावे। इसीलिये इस युग में राज्य की सीमाएँ घटती-बढ़ती रही। लेकिन इसके बाद भी इनकी उत्तरी सीमाएँ उत्तर में हिमालय की तराई को छूती थीं जिसके अन्तर्गत उत्तरी बंगाल, उत्तरी बिहार, बुन्देलखण्ड का कुछ भाग, खालिबर, रणथम्भौर, अजमेर तथा नागपुर सम्मिलित थे और जैसलमेर के उत्तरी भाग में होती हुई आगे चलकर सिन्ध को गुजरात से अलग करती थीं। पूर्व में ढाका और बंगाल का आधा भाग इस राज्य के अग थे। उत्तरी-पश्चिमी सीमा साधारणतया कैलाश नदी तक थी, परन्तु कभी-कभी ये सिन्धु नदी व्यास नदी तक ही रह जाती थी। अधिकतर मुल्तान, सिन्ध और लाहौर इस काल में सल्तनत के अग बने रहे। नमक की पहाड़ियों का प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब के उत्तरी-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी के कोने

दिल्ली राज्य के बाहर ही रहे। इन सीमाओं के अन्दर भी अनेक हिन्दू सामन्त स्वतन्त्र रूप से राज्य करते थे जिनमें बुन्देलखण्ड, राजपूताना व दोआब के प्रदेश प्रमुख थे। इन्हें इस काल में पूर्णतया अधीन नहीं किया जा सका। इसीलिये अपने राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत भी प्रारम्भिक तुर्क निरंकुशता का उपभोग नहीं कर पाये।

राज्य का स्वरूप—प्रारम्भिक तुर्क सुल्तानों के समय में राज्य के स्वरूप का अध्ययन अत्यन्त सीमित ही जावेगा इसलिये अधिक उचित होगा कि सम्पूर्ण सल्तनत काल में इसका अध्ययन किया जावे। सल्तनत अन्य इस्लामी राज्यों की तरह इस्लामी सिद्धान्तों का अंग थी। यह एक ऐसा राजतन्त्र था जिसका प्रतिपादन पैगम्बर मुहम्मद ने नहीं किया था। समय के साथ यह अनुभव किया जाने लगा कि पैगम्बर के पद-चिह्नों पर चलकर कानून व व्यवस्था को बनाये रखना सम्भव नहीं है। इसके लिये ईरानी शासकों की पद्धति ही अधिक उपयुक्त होगी जिससे कि लोगों से शासक के आदेशों का पालन करवाया जा सके। इस प्रकार इस्लाम में उस राजत्व सिद्धान्त का प्रवेश हुआ जो पैगम्बर के आदेशों से विल्कुल भिन्न था।

सल्तनतकालीन राज्य के स्वरूप के सम्बन्ध में इतिहासकारों में अत्यधिक मतभेद है। आज की मांग को ध्यान में रखते हुये कुछ इतिहासकार यह सिद्ध करने पर तुले हुये हैं कि सल्तनत का स्वरूप आज के समान ही था और यदि उसमें कुछ अन्य तत्व थे तो वे उस समय की परिस्थितियों में आवश्यक थे। परन्तु इस बाहरी आवरण के पीछे विवाद का प्रमुख बिन्दु यह है कि सल्तनत का स्वरूप धर्म-तन्त्र (Theocracy) था अथवा नहीं।

समस्या के समाधान-हेतु यदि एक मात्र सल्तनत का ही अध्ययन किया गया तो परिणाम एक तरफा हो जावेगा। ऐसी स्थिति में अधिक उपयोगी होगा कि समकालीन राज्यों के आदेशों और उनकी कार्य-पद्धति का भी अध्ययन किया जावे जिससे तुलनात्मक आधार पर स्थिति की द्विवेचना करना सम्भव हो सके।

1206 से 1526 ई. के बीच न केवल दिल्ली सल्तनत को उत्थान तथा पतन हुआ अपितु इस काल में दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्य तथा उत्तरी भारत में मालवा, गुजरात व राजपूत राज्य भी इसी प्रक्रिया के शिकार हुये। ऐसी स्थिति में यदि सल्तनत की तुलना किसी समकालीन हिन्दू राज्य से की जाये तो अध्ययन अधिक उपयोगी व प्रभावपूर्ण होगा।

विजयनगर के सम्राटों और तुर्क सुल्तानों के बीच अनेकों ऐसे आदर्श थे जो समान थे। सुल्तानों की तरह ही विजयनगर के सम्राट भी राज्य में सर्वश्रेष्ठ थे और उन्होंने धर्म-शास्त्रों के आधार पर ही शासन को व्यवस्थित करना आवश्यक समझा। सम्राट, समकालीन शासकों की तरह ही धर्म के अधीन था और राज्य धर्म का एक अंग था। सम्राट न्याय का श्रोत था और उसकी व्यवस्था के लिये उत्तरदायी था।

सम्राट निरकुश भी था और यद्यपि धर्म के निषेधादेश तथा देश की परम्परायें उस पर प्रकुश का काम करती थीं परन्तु फिर भी सम्राट की तानाशाही को रोकने के लिये समुचित व्यवस्था नहीं थी। यदि इस 'धर्म' को 'शरा' की सजा दी जावे तो सम्भवतः हमें विजयनगर के हिन्दू सम्राटों और सुल्तानों के बीच कोई विशेष भेद नहीं दिख पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही राज्य निरकुशता तथा धर्म पर आधारित थे।

इसी प्रकार सल्तनत की तरह विजयनगर का राज्य भी सैनिक शक्ति पर आधारित था और उत्तरी-भारत में सुल्तानों के अभियानों की तरह विजित प्रदेशों में लूटमार करना अथवा उनको जला देना एक साधारण सी नीति थी। इसी प्रकार सल्तनत तथा विजयनगर में सलाहकारों अथवा मन्त्रियों की प्रमुखता थी। विजयनगर में इन्हें सभा या मन्त्रिमण्डल कहा जाता था तो सल्तनत काल में इन्हें 'मजलिस-ए-ग्राम' व 'मजलिस-ए-खास' कह कर पुकारा जाता था जिन्हें बरनी 'दीवान-ए-खास' कहता है। 'फतवा-ए-जहादारी' में बरनी ने स्पष्ट लिखा है, "शासन की बगैर स्वामिभक्त सेवकों के शरियत के अनुसार चलाना नितान्त असम्भव है।" इसी प्रकार विजयनगर के सम्बन्ध में भी यह स्पष्ट है कि यदि सम्राट बगैर मन्त्रियों की मन्त्रणा के अथवा उनके परामर्श के विरुद्ध कार्य करता है तो वह शीघ्र ही शत्रु-राजाओं का कोप-भाजक बनेगा। इस प्रकार दोनों ही उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में मन्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था।

हिन्दू धर्म-तन्त्र राज्यों की यह विशेषता रही कि ये धर्म पर आधारित थे परन्तु यह धर्म प्रकटित अथवा उद्घाटित सत्य (Revealed Truth) नहीं था। यह नीति-परक (Ethical) तथा मान्य रिवाजों अथवा दस्तूरो का सम्मिश्रण था जिसमें कि सनातनियों और गैर-सनातनियों को मनुष्यत्व रखने की क्षमता थी। इसके साथ ही इसमें व्याख्या की लचक मौजूद थी। इसका एक मात्र उद्देश्य ऐसे बानावरण व परिस्थितियों को जन्म देना था जिसमें समस्त लोग अपने-अपने धर्म और रीति-रिवाजों का पालन करते हुये शान्तिमय ढंग से जीवन व्यतीत कर सकें। इसी कारण विजयनगर राज्य ने समस्त धर्मों के प्रति उदार अथवा सहिष्णु नीति अपनाई। इसके अतिरिक्त विजयनगर राज्य द्वारा इस नीति को अपनाने के अन्य कारण भी थे। प्रथमतः हिन्दू धर्म, धर्मान्तरित (Proselytizing) नहीं है। जन-साधारण को इसे स्वीकार करने के लिये प्रोत्साहन देना इसमें सम्भव नहीं है और दूसरे लिये उनके धर्म स्वीकार करने के लिये चाप्य करने का कोई प्रयत्न ही नहीं उठता है। इसी आधार पर राज्य के द्वारा धर्म-परिवर्तन के लिये प्रयत्न करना, दबाव डालना अथवा दूसरे प्रलोभन देना राज्य की नीति के अंग स्वीकार नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त धर्म-शास्त्रों में कहीं पर भी ऐसे कानूनों का समावेश नहीं है जो गैर-हिन्दुओं के प्रति कूल हों। विजयनगर ही नहीं, अपितु दूरगरे हिन्दू राज्यों में भी इसी प्रकार की सहिष्णुता की नीति अपनाई। पश्चिमी घाट पर

जब सोमनाथ के मन्दिर पर किये गये आक्रमण की याद ताजा थी, तब भी गुजरात के शासक ने 1053 ई. में मुसलमानों को अहमदाबाद में एक मस्जिद के निर्माण की आज्ञा दी थी। इसी प्रकार गुजरात के चालुक्य शासक सिद्धराज ने जब यह सुना कि अग्नि पूजकों (पारसियों) की उत्तेजना से हिन्दुओं ने एक मस्जिद को ध्वंस कर 80 मुसलमानों का बघ कर दिया है तो शासक स्वयं वहां पहुंचा, अपराधियों को दण्डित किया तथा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिये आर्थिक सहायता दी। गुजरात के व्यापारियों ने भी शासक की नीति अपनाकर मुक्त-हस्त से दान दिया।

इस विवरण से हमें यह अनुभव होता है कि हिन्दू शासकों और सुल्तानों के राज्य-आदर्श समरूप थे और दोनों ही व्यवस्थाओं में शासक न्याय का स्रोत था जो धार्मिक कानूनों के अनुसार ही कार्य करता था। दोनों ही व्यवस्थाओं में शासक तानाशाह अथवा निरंकुश था परन्तु फिर भी महत्वपूर्ण विषयों पर वह अपने मन्त्रियों अथवा परामर्शदाताओं से मंत्रणा करता था। दोनों में ही धार्मिक परामर्श-दाताओं के रूप में ब्राह्मणों अथवा उलेमाओं का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण व प्रभावशाली था, क्योंकि दोनों में ही धार्मिक कानून श्रेष्ठ थे। इस आधार पर दोनों ही धर्मतन्त्र थे।

इस अन्तिम कथन के सन्दर्भ में यह विवेचन करना आवश्यक है कि वास्तव में सल्तनत एक धर्मतन्त्र अथवा धर्म-प्रधान राज्य था अथवा नहीं। डा. त्रिपाठी और मुहम्मद अशरफ यह स्वीकार करते हैं कि मुस्लिम राज्य एक धर्मतन्त्र था। समस्त संस्थायें जिनको सुल्तानों ने अपनाया अथवा विकसित किया मात्र कानून के सहायक के रूप में ही थीं। परन्तु डा. कुरेशी की यह मान्यता है कि शरा की श्रेष्ठता ने कुछ विद्वानों में भ्रमात्मक धारणा उत्पन्न कर दी है कि सल्तनत एक धर्मतन्त्र अथवा धर्म-प्रधान राज्य था। डा. कुरेशी की यह मान्यता अधिक अर्थपूर्ण नहीं है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम राज्य के प्रत्येक पहलू की प्रशंसा करने तथा उसको न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है। परन्तु जब प्रो. ह्यूब वे कहते हैं कि भारत में मुस्लिम राज्य किसी प्रकार से धर्म-तन्त्र नहीं था अपितु उसका आधार धर्म-निरपेक्षता था, तो निश्चित ही इस कथन का आलोचनात्मक अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है।

इसके विवेचन के पहले यह अधिक उचित होगा कि हम धर्म-तन्त्र (Theocracy) की परिभाषा जान लें तथा फिर उस कसौटी पर सल्तनत को कसें। आक्सफोर्ड कोश के अनुसार थियोक्रैसी ग्रीक शब्द 'थियोस' से निकला है जिसका अर्थ है 'ईश्वर'। प्रत्यक्ष-रूप से यदि एक राज्य ईश्वर द्वारा अथवा प्रोहि-त-वर्ग के द्वारा शासित किया जाता है तो वह धर्म-तन्त्र है। चैम्बर्स कोश ने, एक ऐसे राज्य को जिसमें ईश्वर सर्वोच्च शासक स्वीकार किया जावे और राज्य के नियम मनुष्य मात्र के अध्यादेश न होकर ईश्वरीय आज्ञायें हों, धर्मतन्त्र की संज्ञा दी है।

ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से पुरोहित वर्ग उस ईश्वरीय भाज्ञाम्रो को लागू करने का एक साधन मात्र होगा ।

इन परिभाषाम्रो से धर्मतन्त्र के तीन तत्व स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं (1) पुरोहित वर्ग की उपस्थिति, (2) ईश्वरीय कानून की प्राथमिकता, (3) प्रख्यापित अथवा घोषित (Promulgate) करने वाला शासक । इन्हीं तीन कसौटियां पर हम सल्तनत काल में राज्य के स्वरूप का अध्ययन करेंगे और तब ही कोई निर्णय कर सकेंगे कि वह धर्म तन्त्र या अथवा नहीं ।

डा कुरैशी सल्तनत के शासन में किसी उलेमा-वर्ग की उपस्थिति स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार धर्म तन्त्र का विशेष गुण है कि उतने उलेमा अथवा पुरोहित वर्ग का शासन में सक्रिय हाथ हो परन्तु मुस्लिम राज्य की शासन व्यवस्था में ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है । विधिवेत्ता सामान्य वर्ग में सम्बन्धित थे और सामान्य नृटियों से उन्मुक्त भी नहीं थे । यह ठीक है कि सल्तनत काल में कोई बशानुगत अथवा अभिविक्त उलेमा-वर्ग नहीं था और यह भी ठीक है कि विधि-शास्त्री सामान्य नृटियों से उन्मुक्त नहीं था । इन्हें बतूता जैसा व्यक्ति मुहम्मद तुगलक द्वारा काजी नियुक्त किया गया था, परन्तु इन्हें बतूता का उदाहरण एकमात्र प्रपवाद है और फिर वह भारत में मौलाना बशीरुद्दीन के नाम से ही अधिक जाना जाता था । मौलाना शब्द ही स्वयं में सम्पूर्ण नीति को स्पष्ट कर देता है । इन्हें बतूता के प्रतिरिक्त सब ही विधिशास्त्री धर्मतत्त्वज्ञ थे । इस वर्ग को उलेमा की सजा से सम्बोधित किया जाता था । धर्म के क्षेत्र में वे कट्टर थे तथा सुन्तानों पर उनका अधिक प्रभुत्व था । उनकी शिक्षा तथा शास्त्र-सम्मतता के सम्बन्ध में डा मुसूफ हुसैन की धारणा है कि मदरसे इस काल में ऐसे केन्द्रों के रूप में उभर आये थे जिन पर धर्म के पूर्वाग्रह की छाप स्पष्ट थी । मुख्य रूप से ये मदरसे धर्म विज्ञान के क्षेत्र में कट्टरता के केन्द्र थे और इसके बाद भी इनकी राज्य की ओर से अधिक सहायता दी जाती थी ।

इन मदरसों के शिक्षार्थियों में से ही विधिशास्त्री, सुल्तान के सनाहकार व शरा की व्याख्या करने वालों की नियुक्ति की जाती थी । इन्हें हुसैन के अनुसार शरा की रक्षा के प्रमुख दो स्वरूप हैं—शरा के ज्ञान का प्रचार तथा राज्य में इसके नियमों को कानूनी रूप देना । प्रथम के लिये आवश्यक था कि राज्य में एक ऐसा वर्ग हो जो अध्ययन व प्रस्थापन के प्रति समर्पित हो । दूसरे की पूर्ति के लिए इस वर्ग में से ही सुन्तान के सलाहकारों की नियुक्ति होना आवश्यक था । यह वर्ग जो इस प्रकार से शरा के प्रति समर्पित था उलेमा कहलाता था और इनमें से चुने जाने वाला व्यक्ति 'शैख-उल इस्लाम' की सजा से सम्बोधित किया जाता था । वह उलेमा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था । उसका यह कर्तव्य था कि वह सुन्तान को ऐसी समस्त बातों की जानकारी दे जो उसके अनुसार इस्लाम के प्रतिबन्धन हो ।

सुल्तान के पास उसकी सलाह को मानने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बलाकर्मन ने इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यद्यपि इस्लाम में कोई राज्य का पुरोहित-वर्ग नहीं है, परन्तु इसके बाद भी हम उलेमाओं के रूप में उनका श्रेणीबद्ध प्रतिरूप देखते हैं। इनमें से ही प्रान्तों के सदर, मीर अबदल, मुपती और काजियों की नियुक्ति की जाती थी। देहली और आगरा में ये वर्ग कट्टरपन्थी थे। सुल्तान को अपने अनुसार चलाना ही इसका कर्तव्य था। इसकी पुष्टि इसी से हो जाती है कि दिल्ली सल्तनत में केवल अलाउद्दीन खल्जी व मुहम्मद तुगलक ही ऐसे शासक थे जो इनके प्रभाव से मुक्त रहे। अतएव यह स्वीकार करना कठिन है कि दिल्ली सुल्तानों पर उलेमा-वर्ग का प्रभाव नहीं था।

सल्तनत को यदि दूसरी कसौटी पर कसा जाये तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वह पूर्णरूपेण ईश्वरी कानूनों की प्राथमिकता पर आधारित थी। शरा इसका मूलाधार था। स्वयं डा. कुरेशी स्वीकार करते हैं कि शरा, कुरान पर आधारित है और कुरान पंगम्बर मुहम्मद के माध्यम से ईश्वरीय आज्ञाओं का संकलन है। कुरान और हदीस पर ही सम्पूर्ण इस्लामी कानून आधारित है। यही कानून समस्त मुस्लिम राज्यों में वास्तविक सम्प्रभु हैं। इस प्रकार से सलतन्त काल के सम्पूर्ण कानून शरा पर आधारित हैं, जो मानवीय अनुभवों की अपेक्षा ईश्वरीय उद्घाटित है और किसी प्रकार से इन्हें धर्म-निरपेक्ष कानून कहना कठिन है।

डा. कुरेशी का यह कथन कि शरा की श्रेष्ठता ने कुछ विद्वानों में इस भ्रमात्मक विचार को जन्म दिया है कि सल्तनत एक धर्म-तन्त्र थी, स्वयं में विरोधाभासी है। ये धार्मिक कानून राज्य के बहुमत के लिये हानिकर थे परन्तु फिर भी इनको लागू किया जाता था। इन्हीं के अन्तर्गत जो नियोग्यतायें उनको अनुभव करनी पड़ती थी उनका पुनः वर्णन निरर्थक है क्योंकि वे सर्वविदित हैं। बरनी ने स्वयं उनका विवरण दिया है और उस विवरण से बहुमत वर्ग की स्थिति का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। 'जिम्मी', 'खरगुजर' व 'जजिग' इस समस्त स्थिति के शोतक हैं।

हम आज यह अनुभव करते हैं कि इस प्रकार के कानून जो बहुमत वर्ग के लिये हानिकारक थे, किसी प्रकार से सल्तनत काल में नहीं होने चाहिये थे। मध्यकालीन विचारक व सुल्तान भी इन्हें यदि न्यायपूर्ण नहीं मानते थे, तो कम से कम वे यह अनुभव अवश्य करते थे कि इन्हें लागू करना अत्यधिक कठिन है। इसीलिये जब उलेमा तथा अमीरों ने सुल्तान इल्तुतमिश पर दबाव डाला कि वह शरा के नियमों को लागू करे तो उसने समय का बहाना ले इसे लागू करना स्थगित कर दिया। बलबन और अलाउद्दीन खल्जी ने इसी आधार पर अपनी असमर्थता बताई। सम्भवतः सुल्तानों के इसी अनुभव से लाभ उठाकर बरनी ने यह प्रतिपादित किया कि यदि मान्यता प्राप्त कानूनों को लागू करना सम्भव न हो तो उनके स्थान

पर दूसरे कानूनों का निर्माण किया जावे। उसके अनुसार सुल्तान का यह धर्म है कि वह इन पवित्र कानूनों को यथाशक्ति लागू करे परन्तु यदि किन्हीं परिस्थितियों के कारण इनको लागू करना सम्भव न हो तो बुद्धिमान व विद्वानों की सहायता से वह समयानुसार नये कानूनों का निर्माण कर उन्हें लागू करे। बरनी इन कानूनों को "जवाबित" की सजा देता है।

परन्तु ध्यान यह है कि कितने सुल्तानों ने इस प्रकार के नियमों का निर्माण किया तथा कितने इन नियमों को लागू करने का साहस कर सके। शरा इसी समय मसूत सल्तनत काल में श्रेष्ठ बनी रही। बरनी के विवरण में नये नियमों के बनाने का विवरण बहुत कम मिल पाया है। यदि सुल्तानों ने इस प्रकार के नियमों का निर्माण किया होना तो बरनी इस प्रकार के विवरण को देने में बर्भी नहीं चूकता। हिन्दू विधि इसके विरोध में बर्भी भी ईश्वरीय उद्घाटित नहीं रही। यह मानव अनुभव पर आधारित है। हिन्दू समाज में धर्म का स्वरूप अत्यधिक विस्तृत रहा है। 'मीमांसा' में स्पष्ट है कि धर्म एक दिशा-युक्त गति है जिसमें निश्चित ही लाभकारी परिणाम निहित हैं। केवल इसी आधार पर हिन्दू धर्म को धर्म-तन्त्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि हिन्दू विधि भी उसके अनेक वर्गों के लिये प्रतिकूल है, परन्तु इसके बाद भी उनमें किसी प्रकार से गैर-हिन्दुओं के लिये नियेषाज्ञा के तत्व नहीं मिल पाते हैं।

इस पृष्ठभूमि में हमें सुल्तान अथवा शासक की भूमिका को आकाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक मात्र वही इन नियमों को अपने राज्य में लागू करने के लिये उत्तरदायी था। मसूतनत काल के अधिकतर शासक किसी प्रकार से अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक नहीं थे। वे शासन के प्रति उत्साहीन नहीं थे और ऐश्वर्य-पूर्ण जीवन यापन करने के आदी थे। अधिकतर वे धनपट्ट थे और यदि उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई भी थी तो वह अत्यन्त अपूर्ण थी। वे न तो इस्लामी विधि से भिन्न थे और न ही उसको लागू करने में रुचि ही रखत थे। पीरोज तुगलक जो कि इस्लामी विधि से परिचित था उसने इसे लागू करने का प्रयास किया, परन्तु अमफल रहा। इसी के फलस्वरूप, तुगलक वंश का पतन और प्रान्तीय राज्यों का उदय हुआ। इसलिये सुल्तान सदैव इसके लिये प्रयत्नशील रहे कि वे ऐसी शासन-ध्वस्त्या करें जिससे कम से कम बिद्रोह न हो। वास्तविक रूप में वे व्यावहारिक शासक थे जो अपने राज्य में शान्ति स्थापित रखने के लिये सक्रिय थे।

परन्तु अनेकों ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिन्होंने उन्हें इस्लामी विधि को लागू करने के लिये बाध्य किया, चाहे इस प्रकार की नीति शासन कार्य को संचालन रूप से चकाने में हानिकारक ही क्यों न हो। समयान्तीन इतिहास लेखकों ने सुल्तानों की प्रयत्ना कर उनकी इस्लाम के संरक्षक के रूप में चित्रित किया।

उन्होंने उनके मिथ्याभिमान को कुरेद कर कठोरता से इस्लामी-विधि को लागू करने के लिये प्रेरित किया। सुल्तान स्वयं को मूर्तिभंजक की भूमिका के लिये उत्तरदायी मानने लगे और वे मुस्लिम अल्पमत को सुरक्षित रखने के हिमायती बन गये। इस आधार पर वे बहुमत को इस्लाम स्वीकार करने के लिये अनेक प्रकार से लुभाने लगे और यदि इससे उनके उद्देश्यों की पूर्ति न हुई तो वे उन पर दबाव डालने में भी नहीं हिचकिचाये। इस्लाम में अपनी आस्था को प्रमाणित करने के लिये वे गैर-मुस्लिमों के साथ अभद्र व्यवहार करने में भी नहीं चूके।

इसके अतिरिक्त उलेमा-वर्ग सदैव ही इस बात के लिए सतर्क थे कि सुल्तान न केवल इस्लामी विधि को त्यागने का प्रयत्न न करे, अपितु वह कठोरता से अपने नागरिकों पर उसे लागू भी करे। उलेमाओं का प्रभाव इतना अधिक था कि शक्तिशाली सुल्तान केवल उनकी विचारधारा के प्रति उदासीनता दिखाने के अतिरिक्त उनका मूलोच्छेदन करने का साहस नहीं कर सकता था। शक्तिहीन सुल्तानों ने यही उचित समझा कि उनका हित इसी में निहित है कि वे उलेमाओं द्वारा निर्धारित नीति को स्वीकार करें।

शरा को लागू करने का सबसे मुख्य कारण था कि सुल्तान इसको लागू किये वगैर स्वयं को गद्दी पर सुरक्षित नहीं रख सकते थे। क्योंकि अलाउद्दीन तथा नासिरुद्दीन खुशरवशाह की नीति से उलेमा वर्ग अत्यधिक असन्तुष्ट था इसलिये गियासुद्दीन तुगलक ने स्वयं को शरा का संरक्षक घोषित किया। डा. त्रिपाठी ने लिखा है कि इस्लामी की दुहाई दी जाने लगी क्योंकि इसी आधार पर वह गद्दी प्राप्त कर सकता था। मुहम्मद तुगलक की नीति से भी उलेमा वर्ग असन्तुष्ट था और इसीलिए बरनी के अनुसार फीरोज के सिंहासनारोहण पर शेख नासिरुद्दीन चिराग ने उसे वचनबद्ध किया कि वह इस्लामी विधि के अनुसार शासन चलायेगा। फीरोज ने इसका कठोरता से पालन किया और धर्म को ही अपने राज्य का आधार बनाया। कुछ समय पश्चात् जब अमीर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो जफरनामा के अनुसार उसका एक मात्र उद्देश्य मूर्तिपूजा को समाप्त करना ही था। अकबर की सहिष्णुता की नीति ने उलेमा-वर्ग को क्रुद्ध कर दिया था इसीलिए जहांगीर के सत्तारूढ़ होते समय उससे यह वचन लिया गया कि वह इस्लाम की रक्षा करेगा। अकबर की मृत्यु के तुरन्त पश्चात् मुल्ला शाह अहमद ने राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया कि वे जहांगीर के शासन के आरम्भक वर्षों में ही अकबरकालीन नीति में पूरी तरह हेर-फेर करवाले ग्रन्थवा वाद के वर्षों में इसमें परिवर्तन करवाना कठिन होगा।

इस प्रकार यदि हम उलेमाओं का प्रभाव अथवा शरा को लागू करने अथवा सुल्तानों की गतिविधियों का मूल्यांकन करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि मध्यकाल में राज्य का स्वरूप धर्मतन्त्र ही था।

परन्तु इसके बाद भी हम इस तथ्य से भागने का प्रयास करते हैं। वर्तमान युग में मानव के श्रृंखलों में ग्रामूल-चूल परिवर्तन आ चुका है। विज्ञान और धर्म-निरपेक्षता के युग में धार्मिक असमानताएँ व उत्पीड़न इतना अधिक असंगत लगता है कि हमें यह विश्वास कराया जाता है कि जून में भी इस प्रकार की स्थिति कभी विद्यमान ही नहीं थी। भारत सरकार ने धर्म-निरपेक्षता को अपना आधारभूत सिद्धान्त स्वीकार किया है। सामाजिक क्षेत्र में भी धार्मिक विवादों से दूर रहने का प्रयत्न किया जाता रहा है और ये सब इतना स्वाभाविक है कि यह सोचा जाता है कि युगो-युगों से इसी प्रकार की स्थिति चली आ रही है।

परन्तु मध्ययुग आज के युग से नितान्त भिन्न था। जब तक हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करेंगे तथा अपने आज के विचारों, दृष्टिकोणों को मध्ययुग पर थोपने के प्रयास को निलाजली नहीं दें, तब तक मध्ययुग परिप्रेक्ष्य अथवा सदशं को सही ढंग से समझना कठिन होगा। आज मुहम्मद तुगलक के द्वारा न्याय विभाग में योग्यता के आधार पर नियुक्त करने की नीति का कोई विरोध नहीं करेगा, परन्तु उस समय में सुल्तान की इस नीति को सुनकर प्रसिद्ध सूफी मन्त्र शेर शिहाबुद्दीन इतने क्रुद्ध हो गये कि उन्होंने अपना जूता उतार कर सुल्तान के मुख पर फेंका था, जैसाकि श्री मेहदी हुसैन ने लिखा है। बरनो को भी उस समय सुल्तान का समर्थन करने के लिए बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ता और न ही उलेमा सुल्तान को जालिम कहते जैसाकि एनुलमुल्क मुल्तानी के सुल्तान-विरोधी सैनिक अधिकारियों के सम्बोधन से पता चलता है। तैमूर को दिल्ली में नूतन और बत्तेग्राम का आदेश देते समय अपने सैनिक अधिकारियों को ये निर्देश न देना पड़ता कि उलेमा और मध्ययुग के लोगों का आदर किया जावे और उन्हें किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुँचाई जावे। सुल्तान सिक्न्दर लोदी को उलेमाओं के निर्णय पर धोषन ब्राह्मण को केवल इसलिये जिन्दा जलवाने की आवश्यकता न होनी कि उगने इस्लाम और हिन्दू धर्म को समान बताया था और इस्लाम को स्वीकार करने से मना कर दिया था। आज कोई एक भवन के निर्माण के लिए दूसरे भवन को तुहवाकर उसकी सामग्री का उपयोग करना अनुचित समझेगा क्योंकि यह अधिक महंगा पड़ेगा, परन्तु मध्ययुग में मन्दिरों को तुहवाकर उनकी सामग्री से मस्जिदों का निर्माण करना एक साधारण बात थी।

ये उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि मध्ययुग, वर्तमान युग से नितान्त भिन्न था। आधुनिक युग मोटे रूप में वैज्ञानिक व विवेचनत्मक परिपक्वता का युग है। मध्ययुग में बुद्धिवाद, अभिवोध, धर्म-निरपेक्षता व वैज्ञानिक विवेचन का कहीं नामानिधान तक नहीं था। मध्ययुग के सम्पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस युग में धर्म ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सरकार तथा राजनीति इससे प्ररूने रहे हो ऐसा सोचना भ्रमात्मक होगा। इसके लिए हमें किसी प्रकार से क्षमा अथवा खेद व्यक्त करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मध्ययुग में वे सब अच्छी और

दुरी बातें विद्यमान थीं जो कि प्रत्येक युग में हुआ करती हैं। यदि एक ओर धर्मान्ध उलेमाओं ने वातावरण को दूषित किया तो दूसरी ओर हमारे पास सूफी सन्तों की भी कमी नहीं है जिन्होंने अपने स्पर्श से इस वातावरण को पवित्रता प्रदान करी। यदि धर्म के नाम पर नृशंसता अपनाई गई तो इसी ने मानव की अनेक लुप्त परन्तु श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को उभारा। मध्ययुग में यदि धर्म के नाम पर एक ओर निर्मम व निष्ठुर व्यवहार किया गया तो दूसरी ओर ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है जब मुक्तहस्त से दान देने अथवा साधारण वर्ग के जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयास किये गये। मध्ययुग ने ही मिजामुद्दीन शीलिया, कबीर और गुरुनानक जैसे विशुद्ध मन्त्रों को जन्म दिया जिनकी स्मृति आज भी पूरी तरह ताजा है।

इस आधार पर मध्ययुग की अपनी विशेषताओं को अलग कर यह कल्पना करना कि उस समय की परिस्थितियाँ तथा वातावरण आज ही के समान था स्वयं मध्ययुग को तिरस्कृत करना है। स्वाभाविक रूप में मनुष्य का वर्तमान उसके भूत-काल सम्बन्धी विचारों पर अपनी अमित छाप छोड़ता है, परन्तु इसी सत्य से इतिहासकार को सदैव ही सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि ऐसा न हुआ तो इतिहास-लेखन में विषयनिष्ठता (Objectivity) समाप्त हो जावेगी और वह केवल हमारी मनोभावनाओं का एक अधूरा चित्र बनकर रह जायेगी। भूत की गलतियों के सम्दर्भ में यदि वर्तमान में उसे पुनः न दोहराने का दृढ़ निश्चय किया जावे तब ही इतिहास की सार्थकता सम्भव हो सकेगी।

अन्त में हम कह सकते हैं कि युगों-युगों से यह अनुभव किया जाता रहा है कि अपूर्ण मानव कभी भी पूर्ण कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता जो प्रत्येक वर्ग को सन्तुष्ट कर सके। यदि धर्मतन्त्र किसी वर्ग विशेष के लिए पक्षपातपूर्ण था तो निश्चित ही यह किसी दूसरे वर्ग के लिए लाभदायक भी था। इस तथ्य पर पर्दा डालकर यह स्वीकार करना कि मध्ययुगीन राज्य का स्वरूप वर्तमान युग की मान्यताओं से भी अधिक वर्तमान था, उचित न होगा।

सुल्तान व खलीफा

इस्लाम 'शरीयत' प्रधान है। प्रत्येक इस्लाम समर्थक इसके अधीन है। इसलिए सभी मुसलमान शासक शरीयत के अधीन हैं और उसी के अनुसार कार्य करना उनका कर्तव्य है। दिल्ली के सुल्तान भी शरीयत के कानून के अधीन राजनीतिक प्रधान थे जिनका कर्तव्य इस्लाम और पवित्र कुरान के कानूनों के अनुसार शासन करना था। क्योंकि इस्लाम के कानूनों का पालन करना और उसी के अनुसार शासन चलाना उनका कर्तव्य रहा, इसलिये सुल्तानों की नीति पर धर्म और उसके प्रवर्तक उलेमा-वर्ग का प्रभाव किसी न किसी रूप में बना रहा।

दिल्ली सुल्तानों में से अधिकांश शासकों ने स्वयं को खलीफा का 'नाइव' कहा। केवल अलाउद्दीन खल्जी ने इसकी नकारा और कुतुबुद्दीन मुबारकशाह खल्जी

ने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की। मुहम्मद तुगलक ने शासन के प्रथम पन्द्रह वर्षों तक खलीफा की कोई मान्यता नहीं दी परन्तु बाद में यह मानकर कि उसकी समस्त विफलताओं का कारण एक-मात्र खलीफा की अप्रमत्तता तथा उलेमा वर्ग का अग्रगण्य ही है उसने खलीफा को अपने प्रधान मान लिया। सुल्तानों ने खलीफा को केवल नाम-मात्र का ही प्रधान माना था। सुल्तानों द्वारा स्वयं को खलीफा का नाइब पुकारने की नीति से उनकी व्यावहारिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा और वे स्वतन्त्र शासकों के समान ही शासन करते रहे। खलीफा की नाममात्र का प्रधान मानने से वे एक ओर तो अपने को खलीफा का प्रतिनिधि बता सकने में समर्थ हुए और उसी के साथ समस्त मुस्लिम जनता और प्रभावशाली उलेमा-वर्ग का विश्वास प्राप्त करने में भी सफल हो गये।

सुल्तान तथा खलीफा के सम्बन्धों को लेकर विद्वानों में अधिक मतभेद है। वे ये स्वीकार करते हैं कि सैद्धान्तिक आधार पर सल्तनत खिलाफत का एक अंग था। इस सदर्भ में दिल्ली सुल्तानों द्वारा खलीफा के नाम के सिक्कों की डलवाने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रो. अरनाल्ड ने लिखा है, "जिम प्रकार पैगम्बर खुदा का प्रतिनिधि, उसी प्रकार खलीफा पैगम्बर का प्रतिनिधि, और सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि था।" बर्गर खलीफा के प्रतिशापत्र के मुस्लिम जगत का कोई शासक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं कर सकता था। प्रो. क्रूरशी भी यही स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार इस्लाम की पूर्वी सीमाओं में अरबासी खिलाफत की स्थिति असन्दिग्ध थी, और कोई शासक बर्गर खलीफा की स्वीकृति प्राप्त नये हुए स्वयं को वैधानिक शासक नहीं कह सकता था। अजोब अहमद को भी यह मान्यता है कि सल्तनत काल में खलीफा की उपाधि व्यावहारिक रूप में स्वीकार किया जाता रहा। उनकी स्वीकृति सुल्तान की वैधानिक मान्यता के लिए आवश्यक थी।

यह धारणायें बताती हैं कि मुगल राज्य के उत्थान के पहले समस्त भारत के राजनैतिक संगठन का एक मात्र आधार खलीफा की प्रभुता थी तथा भारत में 'पैन-इस्लाम' का विचार बिलम्बित था। इन सदर्भ में हमारे सामने यह समस्या है कि दिल्ली सुल्तानों ने अपनी वैधानिक संप्रभुता के लिये अरबासी खिलाफत की मत्ता को कहाँ तक स्वीकारा और किस सीमा तक उन्होंने अपने राज्य को खलीफा के राज्य का एक अंग-मात्र माना।

बाह्य वंश तथा खलीफा—सल्तनत काल में इस्तुतमिष प्रथम सुल्तान या जिंगने बगदाद के खलीफा से खिलाफत (साम्राज्य की वैधानिकता प्रदान के लिये स्वीकृति-पत्र) प्राप्त की थी। 22, रवी-उन-प्रख्त 1229 ई. को खलीफा (अबू अफर मन्सूर फल मुम्तनासिर बिल्बाह) के प्रतिनिधि दिल्ली आये और सुल्तान को खिलाफत देने के साथ ही उनके सम्बन्धियों और मन्त्रियों को भी सम्मानित किया। डॉ. त्रिपाठी ने लिखा है, "इन स्वीकृति के न केवल सल्तनत को स्थापित की

कल्पना से बांध दिया अपितु कानूनी रूप में खलीफा द्वारा स्वीकृति को मान्य ठहराया। इल्तुतमिश ने 'नासिर अमीर-उल-मोमीन' की नयी उपाधि धारण की जिसका अर्थ था कि वह स्वयं को 'अमीर-उल-मोमीन' (घबशासी खिलाफत) का सहायक स्वीकार करता है। इसका ये अर्थ लगाना उचित न होगा कि उसने अपने राज्य को खिलाफत का एक अंग धरवा खलीफा को अपना अधिराज (Suzerain) स्वीकार कर लिया। बंगाल के गियामुद्दीन को जिसने उसके समान ही खलीफा से खिलफत प्राप्त की थी, उसने आधीन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इसका अर्थ था कि 'नासिर अमीर-उल-मोमीन' की उपाधि धारण करना केवल एक औपचारिकता से अधिक नहीं था जिसको कि तुर्कों ने महमूद गजनवी के समय से अपना लिया था। ये मात्र पुराने समय की एक स्मृति थी जबकि वास्तव में तुर्क खलीफा के सहायक थे और खिलाफत अपने अस्तित्व के लिये उन पर निर्भर थी।

दास वंश के अन्य शासकों के व्यवहार से भी इसकी पुष्टि होती है। एक पुरानी स्मृति को जीवित रखने के लिये ही उन्होंने इस प्रकार की नीति अपनाई थी। यदि ऐसा न होता तो हलाकू द्वारा 1258 ई. में खलीफा और खिलाफत को असम्मानित करने के बाद भी उसका भारत में भव्य स्वागत न किया जाता। यदि खलीफा को वास्तव में मुस्लिम जगत का अधिराज स्वीकार किया गया होता तो उसके विध्वंसक को निश्चित ही दिल्ली सुल्तान शत्रु मानते तथा उसका स्वागत नहीं करते। मुल्तानों में खलीफा के प्रति कोई लगाव नहीं था इसीलिये उन्होंने भावनाओं की अपेक्षा राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिक उपयोगी समझा। खलीफा का नाम केवल मुद्राओं में अंकित किया जाता रहा।

खल्जी वंश तथा खलीफा—जलालुद्दीन खल्जी के राज्य काल में भी इसी प्रकार की मुद्रायें ढाली जाती रहीं। खलीफा मुस्तसिम की मृत्यु ही चुकी थी परन्तु फिर भी उसका नाम उसी प्रकार से मुद्राओं पर अंकित किया जाता रहा। स्वयं के लिये उसने सुल्तानों की परम्परागत उपाधि को ही चुना। उसके समय में घटित सिद्दी मोला की घटना ने खिलाफत की मिथ्या-भावना को और अधिक स्पष्ट कर दिया। सिद्दी मोला और उसके समर्थकों ने जलालुद्दीन के विरुद्ध पड़यंत्र रच उसे अपदस्थ करने की योजना बनाई। सिद्दी मोला स्वयं शासक बनने का इच्छुक था परन्तु उसके समर्थक उसे खलीफा बनाना चाहते थे। यदि अब्बासी खिलाफत को वास्तव में सुल्तानों की प्रेरणा व शक्ति का स्रोत समझा जाता तो निश्चित ही सिद्दी मोला के समर्थक उसको खलीफा बनाने की नहीं सोचते। वरन् भी ऐसे लोगों की भर्त्सना करने से नहीं चूकता। उसने इसके विरोध में जलालुद्दीन द्वारा सिद्दी मोला के बध की कटु आलोचना की है। इसका अर्थ था कि खलीफा कभी भी भारत का वैधानिक शासक स्वीकार नहीं किया गया था। साधारण वर्ग के लिये खलीफा भारतीय राजनीति में अर्थहीन था।

मलाउद्दीन खन्नी ने 'यामिन-उल-गियानत-धमोहत-उल-मोमीन' की उपाधि धारण की, परन्तु वास्तविकता यह है कि उसके बाल शव इस प्रकार की उपाधि धारण करना एक सामान्य की बात ही नहीं थी। यह केवल तुर्कों के उम्मेदवार शहीद की प्रतीक थी। यद्यपि मलाउद्दीन ने खमी भी खलीफा की उपाधि धारण करने का विचार नहीं किया परन्तु खमीर तुमरो उसे अपने युग का खलीफा ही सम्बोधित करना है। खमीर तुमरो इस्लामो परम्पराओं से पूर्णतया निज था। वह उस खमी की अपने युग का खलीफा नहीं कहता, यदि वास्तव में भारत का राज्य सिंहासन का एक अंग होता। अथवा खमीर तुमरो का अखिराज तथा मजमून हकि का खीन समझा गया होगा। यह उस समय खीर भी स्पष्ट ही जान है अथवा मलाउद्दीन ने अन्धकार के पाठ्य कारण के पास में खूटनीति सम्बन्धों को बनाये रखने में अविश्वस्यता दिखाई। इससे स्पष्ट होता है कि मुल्तान शासनार्थक रहन की अथवा राजनीतिक मामलों को अविश्वस्यता देते थे।

खुतुबुद्दीन मुबारक शाह खमीर में तो स्वयं की खलीफा घोषित किया। उसल 'गियानत उल-ग्याह, खमीर-उल-मोमीन, ईमाम-उल-आमम' आदि की उपाधिया धारण की। वह केषल इसमें ही समुष्ट नहीं हुआ अथवा अपने अपने खमीर राजधानी दिल्ली को दाखल गिनाहत की सजा भी दे जाती। लेकिन इस सब के बाद भी उलेमाओं ने उसकी किसी प्रकार के गिनाह नहीं की और खमीर तुमरो ने दिल्ली को दाखल सिंहासन करने में कोई हिंसाकार नहीं दियाई। खीरोज तुममक जेदे धार्मिक प्रवृत्ति के शासक ने उसने मजबूरी की भरभारत करनाही तथा मुल्तान तुममक ने उसकी तीर्थ-यात्रा कर उनके पादुको को चूम। यही नहीं अथवा अपने इज्जत बतुला की इसकी समुचित व्यवस्था के लिये विद्युक्त किया। यदि गिनाहत वास्तविक रूप में मुल्तानों ने अखिराज अथवा उनकी शक्ति का एकमात्र योन हीनी तो इन समस्त घटनाओं का घटना निदान अथम्भव था।

तुगलक बहा तथा खलीफा—तुगलक नामकी एक खलीफा ने सम्बन्धों का विवेचन करने के पहले यह अथवा अथवा होता कि इन भारत में गिया मत की गतिविधियों का अध्ययन करें, क्योंकि तुगलकों की नीति उमने अथवा प्रभावित थी। आग में गिया मत का अथवा खलीफा मुबारकिद (872-892 ई.) के खान में हुआ और उस से अथवा तुगलकों के बाल एक गिया तथा खमीर मन में अथवा होता रहा। उन अथवा में गिया अथवा अथवा की अथवा के अथवा के अथवा को अथवा अथवा कर दिया और उनको गतिविधियों के अथवा ही तुगलक नामकी ने अथवा बार अथवा गिनाहत का अथवा गिया जो कि अथवा खमीर वल का प्रतीक थी।

खमीर तुममक अथवा अथवा खमीर मुबारक शाह के अथवा अथवा खमीर अथवा का गिया था, स्वयं की खलीफा घोषित करने की अथवा भी नहीं मजबूत था।

सुल्तान बनने के लिए उसे जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उनसे वह पूरी तरह सजग था और वह यह भी जानता था कि यदि उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तो उसे भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसलिये उसने केवल 'नामिर अमीर-उल-मोमीन' की उपाधि ही धारण की।

विवेकी सुल्तान होने के नाते मुहम्मद तुगलक ने खलीफा के नाम की अर्थ-हीनता को भली प्रकार से जान लिया था। इसके अतिरिक्त क्योंकि वह मिस्र के ममलूक सुल्तान अलनासिर, फारस के अलखनीद अबू व ट्रान्स-आक्सोनिया के चंगनाई तमाशिरिन से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहता था इसलिये उसके निये खलीफा से सम्बन्ध रखना सम्भव ही नहीं था। इन तीनों ही देशों में खलीफा का अर्थ विभिन्न और विरोधी रूपों में स्वीकार किया जाता था। इसलिये उसने अपने सिक्कों पर एक ओर कलमा तथा दूसरी ओर अल-मुजाहिद-फौसवील अल्लाह तथा प्रथम चार खलीफाओं के नाम ही अंकित कराये। छोटे मूल्य के सिक्कों पर उसने 'अल-सुल्तान-जिल्ली अल्लाह' अर्थात् सुल्तान ईश्वर की छाया है, अथवा "ईश्वर सुल्तान का समर्थक है" अथवा "जो सुल्तान की आज्ञापालन करता है वह ईश्वर की आज्ञा पालन करता है" अंकित करवाये।

परन्तु इन सब पवित्र उद्घोषणाओं के बाद भी उसके विरुद्ध होने वाले विद्रोहों और पड़यत्नों में कोई अन्तर न आया। इनमें प्रमुखतः दो वर्ग सक्रिय थे—अधिकारी वर्ग तथा उलेमा वर्ग। अधिकारी वर्ग उससे इसलिये असन्तुष्ट था क्योंकि वह शासन के केन्द्रियकरण में विश्वास करता था जिसके फलस्वरूप उनके अधिकारों में कटौती हुई थी। उलेमा वर्ग उससे इसलिए असन्तुष्ट था क्योंकि उसने उन्हें दान आदि देकर मरकरी पदों को स्वीकार करने के लिये बाध्य किया था। इस प्रकार उसकी अविवेकपूर्ण नीति ने इन विभिन्न वर्गों को उसके विरुद्ध संगठित होने का अवसर दिया।

उलेमाओं ने मुहम्मद तुगलक के विरोध में घृणित प्रचार किया। उन्होंने कहा कि सुल्तान ने इस्लाम के विरुद्ध विद्रोह किया है और काफिरों का साथ देकर स्वयं अपने जीवन से वंचित हो गया है। बरनी के अनुसार सुल्तान को मुन्नी धर्म, पैगम्बर व कुरान में अविश्वास हो गया है। उलेमाओं का साधारण वर्ग पर अधिक प्रभाव था इसलिये चारों ओर मुल्तान का विरोध किया जाने लगा। आरम्भ में सुल्तान पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बरनी के अनुसार सुल्तान का कथन था, "मैं इन विद्रोहों से तनिक भी व्याकुल नहीं हूँ। मुझे इस चर्चा का ज्ञान है कि मेरे द्वारा अत्यधिक रक्तपात की नीति के कारण ही ये विद्रोह हो रहे हैं, परन्तु मैं इस चर्चा के आधार पर अथवा विद्रोहों के होने पर 'सियासत' त्यागने के लिए तत्पर नहीं हूँ।"

मुहम्मद तुगलक अपनी नीति पर दृढ़ रहा। शीघ्र ही उसने अनुभव किया कि उसकी दमनकारी नीति विद्रोहों को कुचलने में असफल रही है। उलेमाओं द्वारा

क्याकि उससे विरुद्ध नगानार बिष उगमा जा रहा है इसलिये उमने एक प्रतिघोषात्मक बराम उठाया। उमने यह सोचा कि यदि अन्वासी खिलाफत से बह मयुर सम्बन्ध बनाने ना साधारण बराम उमने मुद्दी बराम का प्रवर्तक मानने को तत्पर हो जावेगा।

इस नीति के साधारण पर उमने अन्वासी खलीफा को गोजधीन आरम्भ की जिससे कि साधारण बराम उसका विनाश मे परिचित हो जावे। ईद और जुम्मे (शुक्रवार) की नमाज को एक बार बन्द कर दिया और फिर उन्हें पुन चालू किया जिससे कि मुसलमान उसके नये बिचारों से अवगत हो जावे। खलीफा के नाम से मिक्ने दलवाये ब उसी के नाम मे सुबा पढा गया। खलीफा मे खिलफत (श्राविक बराम) प्राप्त की। इस अवसर पर जब खलीफा के प्रतिनिधि दिन्ना आये तो उमने अत्यन्त बिनश्रता का व्यवहार किया तथा उनके प्रति अत्यधिक सम्मान दिलाया।

सुल्तान की ये सम्भन कार्यवाहिदा उससे विरोधियों से छिपी नहीं रही। जलेमा-बराम यह अनुभव करने लगा कि यह प्रतिकारक नीति है और जिस बराम की आद मे उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध प्रचार किया था, सुल्तान उसी माध्यम से उन्हें विफल करने का प्रयास कर रहा है।

सुल्तान की इस नीति से उसकी राजनैतिक स्वतन्त्रता अथवा स्थिति मे कोई अन्तर नहीं पडा। यह मान लेना कि इन नीति के साधारण पर सुल्तान पेन-इस्ताम (इस्लामी एकता) का समर्थक हो गया नितात अपारम्भक होगा। मुहम्मद तुगलक की इस नीति तथा इसकी प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'पेन-इस्ताम' का बिचार निवना अघिक खोखला था। वह तो केवल खलीफा का नाम जलेमाओ द्वारा बिये गये प्रचार के विरोध मे काम लेने के लिए ही उत्पन्न था। खलीफा के नाम का उपयोग करने के बाद भी विद्रोहो मे किसी प्रकार की कमी नहीं आयी, जिससे यह स्पष्ट है कि मुसलमान अथ अन्वासी खिलाफत के प्रति कोई आस्था नहीं रखने थे। यदि ऐसा होता तो खलीफा का समर्थक होने के बाद मुसलमानो के विद्रोहो मे निश्चित ही कमी आ जाती।

मुहम्मद तुगलक ने अपनी जल्दबाजी और खलीफा के नाम की निष्पलता का अनुभव किया। तत्पश्चात् जब खलीफा का प्रवीण बिपातुदीन मुहम्मद दिल्ली आया तब सुल्तान ने सोचा कि उसे स्वयं खलीफा घोषित कर दिया जावे। इस प्रकार खलीफा को अपने आधीन कर बह मुस्लिम जगत को यह सिखाया भाहता था कि वह सुन्नी मत का कठोर समर्थक है। परन्तु इससे बह असफल रहा और अपनी असफलता को देख उमने पुन शक्ति से विद्रोहो को दवाने की नीति अपनाई।

मुहम्मद तुगलक ने खलीफा के सम्बन्ध मे एक परिपाटी छोरी थी और फीरोज तुगलक अपना अनराधिकार पक्ष कमजोर होने के कारण दसका परित्याग

करने में असमर्थ था। उसके चुनाव में क्योंकि उलेमा वर्ग ने सक्रिय भाग लिया था, इसलिये उसने यह अधिक उचित समझा कि खलीफा के साथ मधुर सम्बन्ध रखे जावें। उसका मत था कि वगैर खलीफा की अनुमति के कोई भी भारतीय शासक सुरक्षित नहीं है।

इस समय उत्तरी भारत में शिया मतावलम्बियों की गतिविधियाँ अधिक घातक हो गई थीं। फीरोज तुगलक ने जो मुहम्मद तुगलक के विरुद्ध प्रचार के परिणामों से परिचित था, अधिक उचित समझा कि इनकी गतिविधियों को, भयानक रूप धारण करने के पहले ही, कुचल दिया जाने। इसके लिए उसने उलेमाओं को प्रसन्न रखना ही ठीक समझा। उसने उनसे अपने कार्यों की अनुमति प्राप्त की तथा सुन्नी धर्म को ही राज्य धर्म के रूप में स्वीकार करने की नीति अपनाई।

फीरोज ने दो बार खलीफा से खिलअत प्राप्त की। खुतवे में पिछले सुल्तानों के नाम के साथ ही कुतुबुद्दीन मुबारकशाह खल्जी का नाम भी लिया जाने लगा। यह आश्चर्यजनक है कि फीरोज जैसे धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ने एक ऐसे सुल्तान का नाम खुतवे में रक्खा जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। यदि खिलाफत का कोई अस्तित्व अथवा प्रभाव शेष होता तो सम्भवतः फीरोज मुबारकशाह खल्जी का नाम खुतवे में नहीं रखता।

फीरोज द्वारा ढलवाये गये सिक्कों पर 'अल हकीम अल मुताजिद' तथा 'अल मुतवाकिल' के नाम अंकित हैं। अल मुताजिद व अल मुतवाकी के नाम उनकी मृत्यु के बाद भी सिक्कों पर अंकित करवाये जाते रहे। खलीफाओं के नाम सिक्कों पर अंकित करवाने का अर्थ यह नहीं था कि फीरोज ने खलीफा को अपना अधिराज स्वीकार कर लिया है अपितु यह केवल एक परिपाटी का पालन था।

संव्ययों व लोदियों के सिक्कों के लेख अर्थहीन है। इन लेखों का प्रयोग केवल सिक्कों की सजावट के लिए किया गया था। उन्होंने अबसर अपने पूर्वजों के ठपों के अनुभाग (ऊपरी हिस्सा) का उपयोग किया और इसलिये लेख अथवा आख्यान एक दूसरे में मिल गये। इन दोनों ही वंश के शासकों ने कभी भी अग्वासी खिलाफत के साथ कोई घनिष्ठता नहीं दर्शाई।

शेरशाह ने मुहम्मद तुगलक के आख्यानों से प्रेरणा प्राप्त की। उसने अपने सिक्कों पर कलमा तथा प्रथम चार खलीफाओं के नाम अंकित करवाये। यही शैली उसके उत्तराधिकारी इस्लामशाह व मुहम्मद आदिलशाह के समय में भी अपनाई जाती रही। इनसे केवल यही परिणाम निकलता है कि वे एक परिपाटी का ही पालन कर रहे थे।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दिल्ली सुल्तानों ने ही केवल अग्वासी खिलाफत के नाम को अपने साथ सम्बद्ध किया, परन्तु इस सम्बद्धता के आधार पर उन्होंने न तो खलीफा को अपनी शक्ति का स्रोत अथवा अधिराज

सुल्तान की कठिनाइयाँ—सम्पूर्ण सल्तनत काल युद्ध और अशान्ति का काल रहा और सुल्तान स्वयं को कभी भी सुरक्षित स्थिति में नहीं समझ पाये। इसके अनेक कारण थे। प्रथमतः तुर्कों अमीर एक दूसरे से द्वेष रखते थे। तुर्क अमीर आपस में एक जैसे स्तर का उपभोग करते आ रहे थे और इसलिये वे शक्ति को हथियाने के प्रति अधिक उत्सुक थे। यदि अमीरों ने कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के समय कोई कठिनाई खड़ी न करी तो इसका एक मात्र कारण था कि सुल्तान ने स्वयं को अमीरों से अधिक योग्य सिद्ध कर दिया था और अमीरों ने यह अनुभव किया कि सुल्तान के साथ सहयोग करने में ही उनके अधिकार सुरक्षित रह सकेंगे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने शक्ति को हथिया लिया, और रेवर्टों के अनुसार कठपुतली शासक बनाने की नीति अपनाई। अमीर अपने में से किसी एक को सुल्तान बना भी सकते थे परन्तु वो ये सहन करने को तैयार नहीं थे कि उनमें से एक सुल्तान के पद को सुशोभित करे। इसलिये जब इजुजुद्दीन ने प्रभुसत्ता के चिन्ह धारण करने शुरू किये तो अमीरों ने उसका विरोध किया और रेवर्टों के अनुसार उसे अपने दावे को छोड़ना पडा। डा. त्रियाठी का यह मत है कि इल्तुतमिश के राजघराने में ताज और अमीरों के बीच सत्ता हथियाने का संघर्ष ही प्रमुख वैधानिक आकर्षण है, अधिक युक्तियुक्त नहीं लगता क्योंकि इस समय नक ताज ने अमीरों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बलबन के मन्त्रीपद के काल में इसका बोध हो चुका था और इसलिये उसने अपने व्यक्तिगत सम्मान से सुल्तान को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया। अपने समर्थकों का एक शक्तिशाली दल संगठित कर वह स्वयं सुल्तान बन बैठा। बलबन के द्वारा नासिरुद्दीन महमूद को विप देने के मत से हम नहमत न भी हों परन्तु इतना निश्चित है कि वह सुल्तान के जीते जी सत्ता का वास्तविक अधिकारी बन चुका था। बलबन के द्वारा गद्दी हथियाने के इस दृष्टान्त ने सल्तनत काल में एक परम्परा स्थापित कर दी और अनेक सुल्तान इसी नीति से प्रभुसत्ता के स्वामी बन बैठे।

इल्बरी अथवा प्रारम्भिक तुर्क सुल्तानों की दूसरी कठिनाई देशी और विदेशी मुसलमानों के बीच बढ़ती हुई कटुता थी। इस्लाम स्वीकार करने के बाद देशी मुसलमान (नये मुसलमान) स्वयं को तुर्कों के समान ही समझते थे और प्रशासन में उनके प्रतिद्वन्द्वी थे। उन्होंने स्वयं को एक दल में संगठित कर लिया। पहली बार नासिरुद्दीन महमूद के समय में यह दल इमामुद्दीन रायहान के नेतृत्व में उभरा और लगभग एक वर्ष तक सत्ता का उपभोग भी करता रहा, परन्तु शीघ्र ही तुर्क सचेत हो गये और यह दल शक्तिहीन कर दिया गया।

सुल्तानों की तीसरी कठिनाई थी कि वे मध्य-एशिया के किसी सम्मानित-शामक-वंश से सम्बन्धित नहीं थे। इसलिये उनमें कोई वंश की प्रतिष्ठा नहीं थी। प्रारम्भिक तुर्क सुल्तान मुहम्मद गोरी की नीकरशाही के उपज थे। क्योंकि गोरी

अन्य सुलाभ के उपायों के जब अनुत्पत्ति का मुक्तान बना तो स्वाभाविक रूप से उसे अपने सह-राजा के साथ कुछ समझौता करना पड़ा। इनका अर्थ राज की पुच्छभूमि व अमीरा की शक्ति को मान्यता देना था। बलबन ने अमीरों की शक्ति का पूर्णतया विनाश कर दिया क्योंकि वह उनका अनासक्तान को सहन करने के लिये हीमार नहीं था। वह वह अनुभव करना था कि मुल्तान की प्रतिष्ठा का पुनरर्थापित करने के लिये मुल्तान की शक्ति का दान करना एक आवश्यक बात है। अपने बहानुगत अधिकार की निम्नता का गम्यकर ही उनमें स्वयं को अस्वीकार्यता का बोध होता था और ईरानी दरबार की मात्र सज्जा व परिपाटियों को अपनाकर मुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। इन प्रकार उनमें अपनी हीमता की क्षिणिकर मुल्तान को मर्दापित किया।

मुल्तान के अधिकार तथा कर्तव्य— मुल्तानों को इन कठिनाइयों के विवेचन के बाद उनके अधिकारों और कर्तव्यों का व्यक्त आवश्यक है। शासन में मुल्तान कार्यपालिका का सम्पत्त, सेनाध्यक्ष विधि निर्माता व मुख्य न्यायाधीश था। राज्य की समस्त शक्ति का उनके हाथों में केन्द्रित थी और वह सम्पूर्ण प्रजा का शासक ही नहीं बल्कि मुस्लिम वर्ग का धार्मिक नेता भी था। मुस्लिम विधि-शास्त्रियों के अनुसार उनके निम्न कार्य थे—(1) इस्लाम की सुरक्षा करना, (2) प्रजाजनो के विषयों और मतभेदों को निपटाना, (3) इस्लाम के प्र-प्रदेशों की रक्षा करना तथा धार्मिकों के लिये आनायास को सुरक्षित रखना (4) फौजदारी कानूनों को लागू करना तथा उन्हें बनाये रखना, (5) मुस्लिम राज्य को सीमाओं को आक्रमण-कारियों के विरुद्ध दृढ़ बनाना, (6) नागरिकों के विरुद्ध निहाय छेड़ना, (7) राज्य-करों को एकत्रित करना, (8) राज्य कोष को सुपात्रों को सत्ता बढीया भावि देना, (9) ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जो उसे न्यायिक व मार्गदर्शक कार्यों को पूरा करने में सहायक थे तथा (10) मार्गदर्शक मामलों पर राजी निगरानी रखना और व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा लोगों की दशा की जानकारी रखना।

मुल्तान की उस अधिकार-सूची को देखकर स्पष्ट ही में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह पूर्णतया स्वैच्छाकारी था, जिस पर कोई प्रतिबन्ध न था और जिसके आदेश ही कानून थे। डा. कुरैशी¹ ने ठीक ही किया है कि, “मुल्तान मार्ग-जतिक मामलों का नियन्त्रण करता है, अधिकारों की रक्षा करता है, दण्ड-विधान को लागू करता है। वह एक ऐसा ध्रुव तारा है जिसके चारों ओर आसन व्यवहार काटता है।” व्यावहारिक रूप में मुल्तान द्वारा इन अधिकारों का स्वैच्छापूर्वक उपयोग करना मदिग्ध है। उसकी शक्ति पर अनेक प्रकार के अक्षुभ्य थे।

वह अपनी प्रजा के आधिकार व धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। मुस्लिम और हिन्दू दोनों को अपनी-अपनी विधि-व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी

1. आई एच कुरैशी, द एशियाटिक सोसैटी ऑफ इंडिया काट्टा देहली, पृ. 49

सुल्तान के हस्तक्षेप को स्वीकार करने को उत्तर न थे। इसके साथ ही इस्लाम-समर्थकों की संख्या कम होने के कारण उन्हें स्थानीय शासन में हस्तक्षेप का कम ही अवसर मिल पाता था। अमीरों की शक्ति सुल्तान की निरंकुशता पर अधिक प्रभावशाली थी और यदि डा. कुरैशी के मत को स्वीकार किया जावे तो, "यूरोप में किसी भी सामन्त ने शाही शक्ति को इतना अंकुशित नहीं किया जितना कि भारत के अमीरों ने किया था।" बलबन को छोड़कर इस काल में समस्त शासकों पर ये अंकुश धने रहे। वही केवल एक ऐसा इल्बरी हुआ जिसने मनमाने ढंग से शासन किया परन्तु इसके बाद भी उसने धार्मिक अंकुश को ठुकराने को कोशिश नहीं की।

वजीर व अन्य मन्त्री—सुल्तान अपने कार्यों को पूरा करने के लिये वजीर व अनेक मन्त्रियों की सहायता लेता था। शासन का इतना भार उठाना किसी भी शासक के लिये सम्भव नहीं था और फिर मुस्लिम विविशास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया था कि स्वयं ईश्वर ने भी पैगम्बर को अपने अनुयायियों से सलाह लेने का आदेश दिया था। परन्तु कहीं पर भी उनको जनता के प्रतिनिधियों के रूप में अथवा जनता के प्रति उत्तरदायी होने के रूप में नहीं दर्शाया गया था। वे केवल सुल्तान की इच्छा पर ही नियुक्त किये जाते थे और उसकी इच्छा तक ही अपने पद पर बने रहते थे। सुल्तान उनके परामर्श को इसलिये नहीं सुनते थे कि वे इसके लिए वाध्य थे अपितु इसलिये कि वे इसे बुद्धिमत्तापूर्ण नीति मानते थे और क्योंकि मन्त्रियों को अपने विभाग से सम्बन्धित दीर्घकालीन अनुभव हुआ करता था और वे अपने विभाग की बारीकियों से भिन्न थे। मन्त्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी, क्योंकि इल्बरी वंश के समय में तुर्कों की संख्या काफी कम थी इसलिये मन्त्रियों को एक से अधिक कर्तव्यों का निर्वहण करना पड़ता था और इसी कारण उनके कर्तव्यों की सूची में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं थी। सुल्तान के मन्त्रियों में वजीर के अतिरिक्त तीन मन्त्री प्रमुख थे—दीवान-ए-आरिज, दीवान-ए-इंशा व दीवान-ए-रसालत। कुछ सुल्तानों के समय में नायब-ए-मुमालिकात का नया पद भी स्थापित किया गया था।

वजीर (दीवान-ए-बजारत)—समस्त युग में वजीर का पद स्थायी रूप से बना रहा। इल्तुतमिश के समय में वजीर का पद अधिक निखरा। उसके प्रथम वजीर को निजामुल्मुल्क की उपाधि से सम्बोधित किया जाता था। वह एक योग्य सैनिक था परन्तु उसका दूसरा वजीर फखरुल्मुल्क एक वयोवृद्ध व्यक्ति था जिसका अर्थ था कि इल्तुतमिश ने सैनिक गुरों की अ्येक्षा अनुभव और योग्यता पर अधिक बल दिया था। इस आधार पर डा. त्रिपाठी का मत है कि इल्तुतमिश के समय में वजीर का स्वरूप स्पष्टतः प्रमाणित नहीं हो पाया था। इल्तुतमिश के कमजोर उत्तराधिकारियों के समय में वजीर की शक्तियों में वृद्धि हुई और उसी अनुपात में शासन की शक्ति में कमी आई। बहरामशाह व अलाउद्दीन मसूदशाह के शासन काल

मं वजोर् न अत्यधिकं शक्तिं प्राप्तं कर ली घोर इमीनिये अमीर घादि उसके विरोधी हो गये ।

मुस्लिम राजनीतिक विचारको ने वजोर् के पद को अत्यधिक महत्व दिया है । हा विपाठो क अनुसार वजोर् क वगैर कोड भी राज्य म्यायी और समृद्ध नही हो सकता । मुन्दन वजोर् चार प्रशासनिक विभागो के अध्यक्ष न स एक था परन्तु वजोर् होने क नाल दूमरो की अपेक्षा उनका एक अधिक सम्मानित था । उनका विभाग दीवान न वजायन कहा जाता था । मुन्तान का प्रमुख सलाहकार होने क नाल मुन्तान उमक निय सुवभ था ।

वजोर् क सामान्य कार्यों का वर्योर् छावाबुल मुन्क न इस प्रकार दिया है— राजा या भनी प्रकार जानता है कि अभियानो का महत्व किस प्रकार किया जाव अन्य प्रदेशो का किस प्रकार विजित किया जाव लकिन देश को समृद्ध बनाता थाय तकवित करना, अधिकारियो व कामचारियो को नियुक्त करना, कारखानो म वस्तुषा का लेखा जोखा रखना सेना और कलाकारा का एकत्र करना, धर्मपरायण लोगों और विद्वानो को देखभाल करना तथा उन्हें वृत्ति देना विधवाओ और मनाया की रक्षा करना, कार्यालयो को संपठित करना और उनकी प्रभावशीलता को बनाय रखना घादि ।

इस उन्वी सूची स यह स्पष्ट है कि वह शासन का कर्णधार था, परन्तु इन सामान्य उत्तरदायित्व के प्रतिरिक्त उसका निकट का सम्बन्ध वित्त मन्त्रालय में ही था । इस आधार पर लयाव लगाने, कर-व्यवस्था को उचित रूप म बनाये रखने क तिम ही वह अधिक सक्रिय था । क्योंकि उसका कार्य-क्षेत्र अधिक व्यापक था इसलिए उसकी महत्वता क लिये नाइब वजोर् व लता परीधा के लिये मुबारिक-ए मुबारिक व मुस्तफी ए मुमानिक हुमा करते थे । राजस्व विभाग के प्रतिरिक्त वह राज्य की समस्त शासन-व्यवस्था पर नजर रखता था । मुन्तान क बाद वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था ।

जब कभी नाइब का पद स्थापित हुमा तब सदैव ही वह वजोर् से अधिक शक्ति का उपयोग करता रहा । बहरामशाह के समय म इतनापछीन ऐतमीन और नासिर्दीन महमूद के समय म बलबन इस पद पर रहे । जब बलबन स्वयं मुन्तान बना तो वह नाइब को किसी भी रूप म शक्तिशाली देखने की तैयार न था इसलिए नाइब उन्ही अधिकारो का उपयोग करता रहा जिनको बलबन ने उस दिया था ।

वीवान-ए-घाजिज—यह राज्य की सला का अध्यक्ष था । क्योंकि दिल्ली सल्तनत मुख्यत एक सैनिक शासन था, इसी से इस पद की महत्ता आती जा सकती है । उसका प्रमुख कार्य सैनिको को भर्ती करना, उनकी माल-सज्जा तथा युद्ध-बासन को देखना था । यही सैन्य का वेतन-सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकारी की भी था । घाजिज पदेन रूप म प्रधान सेनापति नहीं था क्योंकि अनेक अभियानो में उसे सेनापति के गद्दामक क रूप म भेजा जाता था ।

दीवान-ए-इंशा—शाही घोषणाओं और पत्रों के मसविदे (प्रारूप) तैयार करना इस विभाग का कार्य था। इसी के द्वारा सुल्तान के फरमान जारी किये जाते थे। यह विभाग केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन के बीच कड़ी या थोर इसलिये इसके अध्यक्ष 'दबीर-ए-मुमालिक' को बड़ी ही सतर्कता से काम करना पड़ता था और विशेषकर उस समय जबकि सल्तनत के विभिन्न भागों में पड़यन्त्र करना एक साधारण सी बात थी। प्रो. हबीबुल्ला के अनुसार 'फतहनामा' लिखने का काम भी इनी विभाग के अन्तर्गत होता था।

दीवान-ए-रसालत—इस विभाग के कार्य-क्षेत्र के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। प्रो. हबीबुल्ला की मान्यता है कि यह विभाग विदेशी मामलों से सम्बन्धित था। अतः उसका कार्य-क्षेत्र कूटनीतिक पत्र-व्यवहार और विदेशों में राजदूतों को नियुक्त करने तथा विदेशों के राजदूतों की सुख-सुविधा का ध्यान रखने का था। डा. कुरैशी¹ का मत है कि इस मन्त्रालय का सम्बन्ध धार्मिक विषयों से था और धार्मिक व्यक्तियों तथा विद्वानों को जो वृत्ति दी जाती थी, उसकी व्यवस्था इस विभाग द्वारा की जाती थी। डा. ए. एल. श्रीवास्तव, प्रो. हबीबुल्ला के मत को मानते हैं क्योंकि सल्तनत काल में एक ही काम के लिये दो अधिकारियों का रखना उचित नहीं मालूम पड़ता है। धार्मिक कार्यों के लिये सदर-उस-सुदर था इसलिये इस मन्त्रालय के अन्तर्गत यह कार्य सम्भव नहीं मालूम पड़ता है।

इन चार मन्त्रालयों के अतिरिक्त काजी मुमालिक का विभाग भी अत्यन्त महत्वपूर्ण था। वह न्याय-विभाग का अध्यक्ष था और इसी के साथ धर्म सम्बन्धी कार्यों की भी देखभाल करता था। इस अन्तिम स्थिति के संदर्भ में उसे सदर-उस-सुदर कहा जाता था। राज्य का दान-विभाग उसी के अधीन होता था। धार्मिक पुरुषों जैसे मुल्ला-मौलवियों, साधु-सन्तों, धनार्थी और अपाहिजों को दान आदि देने की व्यवस्था वही करता था। जन-साधारण को धर्मन्यायी बनाये रखने के कार्य की देखभाल भी वही करता था। इस विभाग का सम्पूर्ण धन केवल मुस्लिम जनता के लाभ के लिये ही खर्च किया जाता था।

इनके अतिरिक्त राज्य में अनेक अधिकारी थे, जिनमें वकील-ए-दर शाही महल और सुल्तान के व्यक्तिगत सेवकों का प्रबन्ध करता था। इस आदार पर वह सुल्तान के अधिक निकट था और अप्रत्यक्ष रूप से सुल्तान को प्रभावित करता था। उसके बाद अमीर-ए-हाजिव था जो दरबारी औपचारिकता को लागू करता था। वह अमीरों और अधिकारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार क्रमबद्ध रखता था तथा दरबारी उत्सवों की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी था। वह सुल्तान और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों तथा जनता के बीच मध्यस्थ का काम भी करता

था। तकीब खौर मरजादार भी मन्वपूर्णा अधिकारी थे। प्रमुख नकीब राजकीय जोसाबाधा (जूलूम) व धर्म चलना था और उमक पीछे इनक उमके सहयोगी हुआ करते थे। य मुल्तान की उपस्थिति की जोर जोर से धोरणा किया करते थे। मरजादार मुल्तान व धरमरनको का प्रमुख था। उमक सहायक क रूप में अनेक जादार नया करते थे। वरीद म मुमातिक मुल्तान क गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी था। उमको मन्वना क निय बाकिया नवीम, चकर नवीस व बाकिया निगार नामक सहायक अधिकारी हुआ करते थे। य अत प्रधान क माध्यम से मुल्तान का सभी सूचनाओं और घटनाओं की जानकारी देते थे। अथ अधिकारिया में अमीर म अख्तार (अधिकाशा का अध्याप) शाहीनकीत (नियम का अध्याप) आदि हुआ करते थे।

इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि इस काल में एक निश्चित तथा व्यवस्थित शासन प्रणाली का जन्म न हो सका परन्तु फिर भी एक ऐसी व्यवस्था बहुर स्थापित हो सकी जो सल्तनत को बनाये रखने में सक्षम रही।

गुप्तचर व्यवस्था—प्रशासन का स्वरूप सैनिक होने का कारण गुप्तचर व्यवस्था का इसमें अत्यधिक महत्व था। बलबन की मरवना का मुख्य आधार ही गुप्तचर व्यवस्था थी। उसने अपने पुत्रो इक्ताशरी सैनिक व प्रशासनिक अधिकारिया—सभी पर गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे। गुप्तचरो के साथ बठोरता व व्यवहार का अनुमान इसी में लगाया जा सकता है कि प्रथम के इक्ताशर हैबतखाने ने जब अपने एक दास को जान से मार दिया तब गुप्तचर द्वारा इसकी सूचना न दिये जाने पर उसे मृत्यु दण्ड दिया गया। गुप्तचरो को यह सुविधा थी कि वे सुल्तान से सीधा सम्पर्क कर सकते थे परन्तु हमके बाद भी किसी गुप्तचर को खुले रूप में दरबार में सुल्तान से मिलने की आज्ञा नहीं थी। सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था बलबन के शासन का मुख्य आधार थी।

प्रांतीय व स्थानीय शासन का विकास

दिल्ली सल्तनत अपने स्थापना-काल के धारम्भिक वर्षों में मुख्य रूप से विस्तार और सुरक्षा की अतिव समस्याओं में उलझी हुई थी और वे समस्याएँ सम्पूर्ण 13वीं शताब्दी में बनीं रहीं, ऐसी स्थिति में शासन के सैनिक स्वरूप व अतिरिक्त किसी दूसरे स्वरूप की कल्पना भी नितान्त अभास्यक होगी। प्रशासन का स्वरूप सुरक्षा की स्थापना के बाद ही उभर सकता था और सल्तनत अपने अस्तित्व को बनाये रखने में इसकी तन्मय थी कि सुल्तानों ने इनको योजनावद्ध करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। यह उनका प्रथा दुष्क्रियण था कि जल्द ही दुश्चरणा की अपेक्षा विस्तारण को अधिक महत्व दिया। साम्राज्य के विस्तार के साथ ही एक कदम से शासन को सुव्यवस्था करना और भी अत्यन्त हो गया और विशेषकर मध्ययुग में जबकि शक्ति शासन की महचरी थी तथा द्रुतपति के आवागमन के साधनों का अस्तित्व लाभ प्राप्त का था।

समस्या के निराकरण हेतु केवल यही विकल्प सुल्तानों के सम्मुख था कि राज्य को छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जावे और इसके लिये उन्होंने अपनी मातृभूमि तथा फारस के शासकों के आदर्श पर इकाइयां बनाना उपयोगी समझा जो कि पहले से ही पंजाब में गजनवियों द्वारा स्थापित की जा चुकी थीं, तथा जिनसे भारतवा भी अपरिचित नहीं थे। खलीफाओं ने भी अपने बृहत राज्य को विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर रक्खा था और उन्हें अमीरों अथवा आमीलों (गवर्नर) के नेतृत्व में रखा था। नवागन्तुक तुर्कों के लिये उसी व्यवस्था को जिससे कि वे परिचित थे, अपना लेना सहज स्वाभाविक था। इसलिये ऐसे क्षेत्रों में जो कि पूर्ण-रूपेण एक बिजेता के कार्य-क्षेत्र में आते थे उन्होंने फारस की संस्थाओं को स्वीकार किया तथा बाकी क्षेत्रों को उन्होंने अछूता ही छोड़ दिया। सल्तनत काल में आवश्यक प्रशासन व्यवस्था अथवा भू-राजस्व में उन्होंने कोई श्लाघनीय परिवर्तन नहीं किया। यह आशा करना कि तुर्क आक्रमणकारी शासन के प्रतिदिन के विवरण से भिन्न होंगे, दुराशा मात्र थी और यदि यह स्वीकार कर भी लिया जावे तब भी क्या ये सम्भव था कि उनको सैनिक कार्यों से मुक्ति दे प्रशासकीय कार्यों में लगाया जावे। इसके अतिरिक्त शासन की व्यवस्था न तो किसी निश्चित अवधि में ही और न ही व्यक्ति-विशेष के नेतृत्व में की गई। नवस्थापित तुर्की राज्य की मानव शक्ति (man-power) अत्यधिक सीमित थी और इसलिये समस्त साम्राज्य के विभिन्न भागों में एक ही प्रकार के प्रशासन को लागू करना सम्भव ही नहीं था। इसी आधार पर प्रारम्भिक तुर्क वंशजों के समय में प्रान्तीय शासन केवल एक ढीला-ढाला ढांचा बना रहा जिसका आधार मात्र सैनिक अधिकार था। प्रारम्भिक तुर्कों को शासन-व्यवस्था मूलरूप से प्रयोगों की एक शृंखला थी जो शासन में व्यापक रूप धारण करने में असमर्थ रही।

इन परिस्थितियों में तुर्कों ने अबासिद खलीफाओं की संस्थाओं को अपनाकर राज्य को विभिन्न भागों में बांट दिया और जैसा कि खलीफा के समय में प्रचलित था, उसी आधार पर इन भागों को अधिकारियों, (गवर्नरों) के अधीन रख दिया। ये योग्यता तथा शासकों की शक्ति के अनुपात में अधिकारों का उपयोग करते थे। स्वाभाविक है कि दूरस्थ प्रान्त के अधिकारी अधिक दूरी के कारण अधिक अधिकारों का उपयोग करते थे और साधारण रूप से उनका व्यवहार अर्ध-स्वतन्त्र शासक के समान होता था। अधिकारों के उपयोग की इस विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही विधि-शास्त्रियों ने गवर्नरों को दो वर्गों में विभाजित किया है। मावर्दी के अनुसार ये असीमित अधिकार वाले तथा सीमित अधिकार वाले गवर्नर थे, जो इमारत-ए-खास व इमारत-ए-आम की संज्ञा से सम्बोधित किये जाते थे।

मुक्तियों का वर्गीकरण तथा अधिकार—इमारत-ए-आम के अधिकारों की विवेचना करने पर हम कह सकते हैं कि उनके प्रमुख कार्य ये थे—वे समस्त

प्रान्त व सैनिक काम राज के प्रति उत्तरदायी व त्रिभुके अलगमें सैनिको के वेतन को निश्चित करना तथा विभिन्न म्याना पर नियुक्ति करना 2. काजिदा को सत्तोनीत करना 3. हाजिदा व गवका की याथा क निव मात्र-भाषान की व्यवस्था करना तथा उह भेजना, भुखवार तथा ईर की मावत्रमिण नमात्रों का नतुल करना 4. हाजिदा व विभुद जिहाद बनना तथा नुट की मर्मात को सैनिका म बाटना तथा नुट म न 1/5 भाग मरकारी कोर व निव मरगिन रखना 5. मावत्रमिण सुरक्षा का अनुदरक्षण (maintenance) तथा आध्यात्मिक मामला को विनी नवाचार स मुदरिण रखना 6 करो तथा नृयो का नमाना व नर वसून करव दाना की नियुक्ति करना तथा 7 पुसिम की व्यवस्था करना भी शान्ति व्यवस्था तथा मावत्रमिण याचार को बनाम रखना ।

सर्वनर के इन अधिकारो की विवचना से यह अनुमान लगा लेता है कि सर्वजनिकशाही सामक से विनी प्रकार से नीति-मगत नहीं होगा । असीमिन अधिकार वने सर्वनर न केवल सामन धर्मिणु धार्मिक-नृयो व प्रति भी उत्तरदायी वे असीमि जहाँ एक धोर उहें प्रसाहन की व्यवस्था करनी पडती थी वहा दूसरी धोर धार्मिक नैतिक जीवन व हाजिदा को माथा को मुन तुबिया की जुटाना तथा काफिलो के विषय जिहाद की घोषणा करना उनका वत्तव्य माना जाता था । यवादि धर्म सम्बन्धी मामला मे स्वय सलीका सर्वधेष्ठ या इमानिये यह अनुक कापो माथा मे शिवाशील था । उन समय की परिस्थितियो मे यह सम्बन्धय था यवादि धर्म-निरपेक्ष राज्य की वत्पना का मुसलम जगत मे जग भी नहीं हो पाव था । इस धार्मिक अनुक के प्रतिरिक्त प्रसासकीय अनुषो की भा कमी नहीं थी । विवि-नेताओं की मान्यता है कि ऐसा सर्वनर भी सलीका द्वारा निर्धारित विधे सैनिको के वेतन म वृद्धि नहीं कर सकता था धोर यदि अत्यावश्यकता के कारन कोई बदोतरी वर भी दी गई हो तो यह वेतन अर्थाई भी जव तक कि सलीका द्वारा इसकी स्वीकृति प्राप्त न कर ती जाये । सर्वनर के ये अधिकार-क्षेत्र म था कि वह सैनिका के तपक पुत्रो को धार्मिक वृत्ति प्रदान कर दे अथवा सैनिको को स्वतन्त्र रूप से मुस्करा प्रदान करे । विसीय धेव मे सर्वनर को सामन के सत्त तथा सैनिको के वेतन के पश्चात् समस्त सत्त को सलीका को प्रेषित करनी पडती थी परन्तु वास्तविकता यह थी कि प्रान्तों की धाय सामन-व्यवस्था के लिये अपर्याप्त थी धोर सर्वनरों को वैश्वीय कोश से धन लेना पडता था । परन्तु इससे धार्मिक सत्तिय अनुक उत्पना स्वय की नियुक्ति से सम्बन्धित था । यदि सर्वनर की नियुक्ति स्वय सलीका के हाथो हो हुई हो तो यह सलीका की मूल्य के बाट को अनेक पद पर सत्तोनीत रहता था, परन्तु यदि यह किमी असीमित अधिकार-युक्त दसीर के द्वारा नियुक्त किया गया हो तो सलीर के अणदरम होन अथवा उत्तरी मुरुपु पर सर्वनर को लेवना भी ममान कर दिया जाता था, यदि इन बीच उत्तरी नियुक्ति को वृष्टि सलीका द्वारा प्राप्त न कर ती गई हो ।

सीमित अधिकार वाले गवर्नर इतने विस्तृत अधिकारों का उपभोग नहीं करते थे। उसे केवल सैनिकों की देखरेख करना, विद्रोहियों तथा अपराधियों को दंडित करना तथा गृह-सुरक्षा के अधिकार प्राप्त थे। उसे न्याय प्रद्वन्द्व में हस्तक्षेप करने अथवा करों की उगाही का अधिकार न था। नमाजों का नेतृत्व करना अथवा जनता के आध्यात्मिक नेता के रूप में कार्य करने का उसका अधिकार नहीं था। काजी व राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति भी स्वयं सुल्तान द्वारा होती थी इसलिये इनमें भी उसका प्रभाव शून्य ही था। फौजदारी मामलों में भी उसके अधिकार अत्यधिक सीमित थे, क्योंकि ऐसे समस्त मामले जिनमें धार्मिक कानूनों का उल्लंघन होता था वे सभी काजी के न्याय-क्षेत्र में माने जाते थे। दूसरे फौजदारी मामलों में वे तब ही हस्तक्षेप कर सकते थे जब कि अपकृत (aggrieved) पार्टी उसके सम्मुख अपनी शिकायत प्रस्तुत करे। अपील सम्बन्धी मामलों में वह केवल उसी समय हस्तक्षेप कर सकता था जबकि कोई निर्णय घोषित कर दिया गया हो।

इन दो श्रेणियों के गवर्नरों के अतिरिक्त विधि-शास्त्रियों ने एक तीसरे प्रकार के गवर्नरों का भी विवेचन किया है और इसको 'इमारत-ए-इस्तिला' कहा जाता था। ये वे गवर्नर थे, जिन्होंने अनाधिकार रूप में यह पद प्राप्त कर लिया था। ऐसे व्यक्ति को कानूनी गवर्नर स्वीकार करने के लिये विधि-शास्त्रियों ने कुछ शर्तों को पूरा करने पर महत्त्व दिया है, जो कि एक प्रकार से खलीफा तथा उसके बीच एक अनुबन्ध था। अपने अनाधिकार को बंध स्वीकार करवाने हेतु उसे निम्न शर्तों को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी—

1. समस्त मुस्लिम सम्प्रदाय के धार्मिक नेता के रूप में खलीफा के सम्मान और बंध को सुरक्षित रखना;

2. सार्वजनिक रूप में खलीफा के प्रति समर्पण प्रदर्शित करना;

3. खलीफा द्वारा धार्मिक पदों पर (काजी और ईमाम) मनोनीत व्यक्तियों का सम्मान करना;

4. इस्लाम के साधारण मामलों में सहायता करना;

5. धार्मिक कानूनों के अन्तर्गत लगाये गये करों को न्यायोचितता व निष्पक्षता की जांच करना;

6. फौजदारी न्याय पर निगाह रखना तथा सर्व-साधारण को सच्चे धर्म के प्रति निष्ठा रखना तथा बर्जित चीजों से दूर रखना।

इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विधि-शास्त्रियों ने गवर्नर की समस्त कार्यवाहियों के लिये कुछ कानूनी प्रतिबन्ध लगा रखे थे, तथा साथ ही अनाधिकार को कानूनी रूप देने के लिये भी उचित शर्तें विद्यमान थीं। परन्तु वास्तविक रूप में ये समस्त वर्गीकरण केवल सैद्धान्तिक था क्योंकि गवर्नरों के अधिकार उनकी व्यक्ति योग्यता, खलीफा की शक्तिहीनता अथवा प्रान्ती की केन्द्र से दूरी के आधार पर घट-बढ़ जाती थी।

सल्तनत काल में तीनों ही प्रकार के गवर्नर विद्यमान थे। लखनौती अपनी धन्यता तथा दूरी के कारण अधिक समय तक एक स्वतन्त्र गवर्नर के समरूप अधिकारी के हाथ में ही रहा। बलबन ने तुग़लक के विद्रोह को दबाने के बाद भी बगाल को प्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकार-क्षेत्र में नहीं लिया और वह अपने पुत्र बुगरा खा को एक अर्ध-स्वतन्त्र गवर्नर के रूप में नियुक्त कर ही मन्तुष्ट रह्य। बलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों से वार्षिक कर प्राप्त कर ही सतोप किया और उन्हें आन्तरिक शासन में स्वतन्त्र छोड़ दिया। बलाउद्दीन बगाल के कंबाउस द्वारा उसके अधिराज्य (suzerainty) की स्वीकृति पर सतोप कर तीसरे वर्ग के गवर्नरों के पद की मान्यता दी।

इसतामों का विभाजन—नयाकथित प्रान्तों की सख्या व मुल्तानों से सम्बन्ध उनके द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति तथा समकालीन परिस्थितिया का परिणाम था। समस्त सल्तनत काल में राज्य-विस्तार की निरन्तर प्रक्रिया चलती रही और उसी के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्था में परिवर्तन होता रहा। इल्तुतारी तुर्क मुख्य रूप से अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के प्रयत्न में लगे रहे, क्योंकि तुर्की-परतन्त्रता के जूए की सत्ता केंद्रों के निये सन्तु प्रयत्न चलते रहे थे। बलबन जैसे शासक को भी आ राज्य विस्तार के लिये अपितु इच्छुक था, अपनी पूर्वी सीमा पर बगाल में बुगरा खा को रखकर सन्तुष्ट रहना पडा। अपने राज्य में होने वाले विभिन्न उपद्रवों का दबाने में उसकी शक्ति का ह्रास हो गया। बलाउद्दीन के सत्ता प्राप्ति के साथ ही पुरानी नीति का बहिष्कार कर साम्राज्यवादी नीति को अपनाया और राजपूताना, गुजरात, मालवा आदि के कुछ भाग साम्राज्य के अन्तर्गत लिये। दक्षिण के हिन्दू शासकों में अपना आधिपत्य स्वीकार करवा कर तथा उन्हें कर दे राज्य बनाकर ही उसे सतोप करता पडा। बरनी के अनुसार उसने मलिक काफूर को स्पष्ट आदेश दिया था कि वह दक्षिण के शासकों से वार्षिक कर प्राप्त करे तथा रामदेव और च्चदेव के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे। उसने राजा रामचन्द्र देव को एक प्रकार से दक्षिण के प्रदेशों का आइसराय भी नियुक्त किया और उसकी मृत्यु के बाद कुछ समय तक मलिक काफूर भी दक्षिण में रहा। मुबारक शाह तन्त्री ने अपने पिता की नीति का परिष्कार कर दक्षिण के राज्यों पर प्रभावपूर्ण अधिकार जमाने के लिये मुस्लिम गवर्नरों की नियुक्त की।

प्रथम दो तुग़लक शासकों ने मुबारक शाह की नीति का अत्यन्त कठोरता से पालन कर दक्षिण की प्रशासकीय व्यवस्था में आमूल-मूल परिवर्तन किया जो राज्य के लिये फायदा मिद्ध हुआ। दक्षिण पर प्रभावपूर्ण अधिकार बनाये रखने के लिये ही मुहम्मद तुग़लक ने देवगिरी की अपनी राजधानी बनाने का प्रयोग किया और इस प्रयोग की असफलता के साथ ही बरनी के अनुसार दक्षिण का प्रदेश उसके हाथों से निकल गया। जीवन-मर्यन्त वह अपने साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों का दमन करने में असफल रहा। औरंगजेब तुग़लक का विपटन की प्रविधा पर अकुल लगाने में असमर्थ

रहा और सल्तनत केवल पंजाब, मुल्तान और दोआब में ही सीमित होकर रह गई। उसके प्रयोग्य उत्तराधिकारियों के समय में विघटन की प्रक्रिया पूर्ण हुई।

इस आधार पर हम यह परिणाम निकालते हैं कि सल्तनत काल में प्रशासकीय प्रयोजन के लिये निम्न तीन प्रकार के प्रदेश थे:—

1. मुल्तान, पूर्वी पंजाब तथा दोआब, 2. गुजरात, मालवा बिहार व बंगाल, 3. करद राज्य जो नाममात्र के लिये सुल्तान के आधिपत्य को मानते थे।

तीन प्रकार के प्रदेशों ने निम्न तीन ही प्रकार के प्रान्तों को जन्म दिया—

1. प्रान्त जो छोटे थे तथा जिन पर सुल्तानों का निरीक्षण व नियन्त्रण अधिक था। इन कथाकथित प्रान्तों के गवर्नरों को 'वली' व 'मुक्ति' कहते थे तथा वे इमारत-ए-आम के अधिकारों का उपभोग करते थे।

2. दूसरी श्रेणी में वे प्रान्त थे जो केन्द्र से दूर स्थित थे और इसीलिये सुल्तानों के व्यक्तिगत निरीक्षण से मुक्त थे। इनके गवर्नरों को 'वली' व 'नायब' कहते थे, तथा कभी-कभी उन्हें सल्तान की संज्ञा से भी विभूषित किया जाता था। ये इमारत-ए-खास के अधिकारों का उपभोग करते थे। कभी-कभी दूरस्थ प्रदेशों के गवर्नर वगैर केन्द्र द्वारा नियुक्त किये हुये गवर्नर के पद को हथिया लेते थे। ऐसे गवर्नर अपहरणकर्ता की श्रेणी में आते थे और क्योंकि सुल्तानों के पास इनकी गवर्नर स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था, इसलिये वो इन्हें अपनी स्वीकृति दे देते थे।

3. तीसरी श्रेणी में स्वायत्त राज्य थे जो सुल्तान को वार्षिक कर चुकाते थे।

दूसरी श्रेणी के प्रदेश वास्तविक रूप में राज्य के अन्तर्गत राज्य थे। बंगाल, दक्षिण व गुजरात इसी श्रेणी में थे। अलाउद्दीन के राज्य काल में बंगाल एक ऐसा दण्डात्मक प्रदेश माना जाता था जहाँ ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी जिनकी उनकी लोकप्रियता के आधार पर केन्द्र के निकट रखना खतरनाक था। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने अफर खाँ को इसी आधार पर बंगाल भेजा था। कभी-कभी बंगाल के गवर्नर सुल्तान की उपाधि भी धारण कर लिया करते थे अथवा वे अर्ध-स्वतन्त्र शासक के रूप में रहते थे, जैसा कि बलबन के समय में तुगरा खाँ के उदाहरण से स्पष्ट है। बंगाल के शासन को व्यवस्थित करने के लिये ही इसे मुहम्मद तुगलक के समय निम्न तीन भागों में बाँट दिया गया था :—

- (1) सतगाँव (2) सोनारगाँव (3) लखनौती

लखनौती में वायसराय के समरूप अधिकारी था जो सब में श्रेष्ठ माना जाता था। दक्षिण के राज्य अलाउद्दीन खलजी के समय में स्वायत्त राज्य थे परन्तु मुहम्मद तुगलक के समय में दक्षिण के प्रदेशों को चार भागों में विभाजित कर

दिया था और इन चारों भागों (देवगिरी याबान, तलगाणा व द्वारममुद्र) के विद्युत् सुरू-उठान मुल्क परबलिस उल मुल्क मुमुष वधारा व अजीज कवर का नियुक्त किया गया था। देवगिरी का मुख्यालय बनाकर इस एक वजीर के अन्तर्गत रक्ता जिमकी सहायता के नियमक नायब वजीर नियुक्त किया गया। इमादुल मुल्क मुल्तानी का वजीर बनाया गया व धरावहर को नायब वजीर बनाया गया। देवगिरी का वजीर चहरा प्रदेश व गवतरी में अष्ट था तथा तलगाणा के समान ही वह वायसराम के समरूप था।

स ननन कात में छान प्रदेशों की ही मर्याद अधिष्ठ थी जिस पर मुल्तान का पूरा प्रभुत्व था। 13 वीं शताब्दी में दोषाद व प्रदेश का मरठ बाग व काल नामक प्रान्तों में विभाजित किया गया था। बरनी न लिखा है कि अलाउद्दीन ने इनका शिन्नी व समरूप ही मानकर इनका केन्द्र के राजस्व विभाग के अन्तर्गत रक्ता। इनके पश्चात् कन्नौज और कडा व। गंगा के पार अमरोहा तथा सम्भल से बदायूँ के पूर में अथवा और अथवा के दक्षिण-पूर्व में जोन्पूर था। इनके अतिरिक्त गारम्पुर निरहृत के प्रदेश थे जिनमें अलिम बगाल का प्रदेश था। दिल्ली के पश्चिम में सरहिन्द, समाना, हाँसी, लाहौर, क्षीपालपुर व मुल्तान के प्रदेश थे। ये तीन अलिम प्रदेश सीमा प्राप्त थे और इनको केवल अनुभवों और वायव्य मन्त्रियों के अधीन ही रक्ता था। गुजरात और मालवा के प्रदेशों को अधिकतर इयारत ए ग्रास के अधीन रक्ता जाना था। इन प्रान्तों को सीमाओं का कोई निश्चित विवरण नहीं था इसलिए दो प्रान्तों से लगे सीमाओं व गाँवों की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती थी।

सनवाहीन इतिहासकारों ने नहीं पर भी प्रान्त शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्हीं 'इत्ता' व 'विनायत' शब्दों के द्वारा ही राज्य व विभाजन को दर्शाया है। प्रो ह्यूबोल्ता का मत है कि इत्ता का शाब्दिक अर्थ भाग अथवा अक्ष है जिसमें कई प्रतीयमानत (Secmiagly) तकनीकी अर्थ निहित हैं और उसी के स्पष्टीकरण के आधार पर स्थानीय शासन का स्वरूप निश्चिन हो सकता है। राज्य के विभाजन के रूप में इत्ता शब्द का प्रयोग सम्भवतः मध्य एशिया में प्रचलित था, जिसको कि तुर्कों ने अपना लिया। रेवर्टी ने "जागीर" के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया है परन्तु यह उचित नहीं है क्योंकि जागीरदार अपनी जागीर में अपत्यस रूप से शासन होता था, जबकि इत्तामा पर मुल्तान का अधिकार प्रभावपूर्ण रहता था। प्रो कुरेशी का कथन है कि, "मुक्ति" (इत्ता का अधिकारी) शब्द का प्रयोग किसी भी गवर्नर के लिए किया जाता था परन्तु बली शब्द केवल सहाधारण शक्ति-युक्त गवर्नरों के लिए सुरंगित था। ऐसे गवर्नरों की सख्या अत्यधिक सीमित थी क्योंकि सल्तनत कात में अधिकतर इत्तामा का प्रबन्ध सीमित अधिकार वाले गवर्नरों के द्वारा ही किया जाता था।

वरनी के अनुसार सल्तनत काल में गवर्नर तत्त्वतः (मौलिक) रूप में परिष्कृत सैनिक पटुता वाला व्यक्ति ही होता था तथा वह अपने इक्ता (प्रान्त) के प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी था। प्रान्त के लोगों का गवर्नर के अत्याचारी व्यवहार के विरुद्ध सुल्तान से अपील करने का अधिकार था जो कि उसकी दुष्टता पर सबसे प्रभावशाली अंकुश था। डा. यू. एन. डे के अनुसार सुल्तान को गवर्नर को वापिस बुलाने का अधिकार था तथा वह उसे किसी दूसरे प्रान्त में नियुक्त कर सकता था, परन्तु इस प्रकार से बुलाया जाना असम्मानजनक समझा जाता था और सुल्तान शक्ति के आधार पर ही अपने इन आदेशों का पालन करवाना पड़ता था।

मुक्ति, साधारणतया अपने इक्ता में ही रहता था परन्तु राजधानी के निकट के इक्ताओं में अनुपस्थित-मुक्तियों के अनेकों उदाहरण हैं और ऐसे इक्ताओं में नायवों के द्वारा प्रशासन चलाया जाता था जो कि कभी-कभी केन्द्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त किये जाते थे। जैसे इल्लुतमिश ने कन्नौज के नायव को नियुक्त किया था। हिन्दू खां अपने नायव के द्वारा ही उच्छ के शासन की व्यवस्था करता था। बलबन, जब वह अमीर-ए-हाजिव था अथवा बाद में जब वह नायव-ए-ममालिकत बन गया तो उसकी उपस्थिति केन्द्र में स्वाभाविक थी और ऐसी स्थिति में उसके हांसी और सिवालिक के इक्ताओं का प्रबन्ध किसी नायव के द्वारा ही किया जाता रहा होगा। 1253 ई. में उसकी वरखास्तगी पर महमूद के अल्पायु पुत्र को हांसी का मुक्ति नियुक्त किया गया और ऐसी स्थिति में प्रशासन को चलाने के लिए किसी नायव की आवश्यक ही नियुक्ति की गई होगी। बड़े क्षेत्रफल के इक्ताओं में स्वयं मुक्ति महत्वपूर्ण नगरों व सीमा-बीकियों पर नायवों की नियुक्ति करता था। बंगाल में गनगूरी का हिसामुद्दीन एवाज द्वारा व्यवस्था करना इसका उदाहरण है। मुक्ति को अपने अधिकारियों को भूमि देने का अधिकार था, जैसा कि अबक के मुक्ति से बख्तियार को एक सैनिक इक्ता प्रदान किया था। सुल्तान की तरह ही मुक्ति माफी की भूमि दे सकता था। प्रो. हबीबुल्ला ने लिखा है कि मिनहाज-उस-सिराज को बलबन द्वारा इतने गांव प्रदान किये गये थे जिनसे 30,000 जीतल की आय होती थी।

यद्यपि मुक्ति के वेतन अथवा पारिश्रमिक का कोई विवरण नहीं मिलता है परन्तु इतना अवश्य निश्चित है कि उसे राजस्व का कोई भाग मिलता रहा होगा। सल्तनत काल में अनेकों उदाहरण मिलते हैं, जब मुक्ति ने न केवल निकट के हिन्दू प्रदेशों को जीत कर अपने इक्ता को बढ़ाने का प्रयास किया हो अपितु उन्होंने निकट-स्थित इक्ताओं को विजित कर अथवा उनकी कुछ भूमि को हथिया अपनी ग्रामदनी बढ़ाने का प्रयास किया। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि मुक्ति का वेतन समस्त राजस्व के आधार पर ही निर्भर था। गयासुद्दीन तुगलक ने ये आदेश दिये थे कि यदि कोई मलिक अथवा अमीर अपने पद के अनुलाभ के अतिरिक्त इक्ता

की अपेक्षा प्रशासनिक गवर्नरों का महत्व बढ़ने लगा, यहां तक कि अलाउद्दीन के समय तक प्रशासनिक अधिकारी इतने शक्तिशाली हो गये थे कि वे उसके उन्नत सुधारों को भी लागू करने में समर्थ थे। इसी प्रकार राजस्व अधिकारी यद्यपि मुक्ति के अधीन थे परन्तु दीवान-ए-बजारत उनके कार्यों का निरीक्षण करता था जिसको वे नियमित रूप से आय और खर्च का हिसाब भेजते थे। यदि मुक्ति वजीर के दफ्तर को सन्तुष्ट करने में असमर्थ रहता तो उसके साथ भद्र व्यवहार किया जाता था जब तक कि वो गवर्नर की हुई राशि का भुगतान न कर दे। मुहम्मद तुगलक ने इसके निचे दीवान-ए-मुस्तखरिज नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी।

समकालीन लेखकों के विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि मुक्ति, इक्ता की आय से शासन तथा सैनिक व्यय निकाल कर अतिरिक्त धन केन्द्रीय कोष में जमा करता था अथवा नहीं, परन्तु सल्तनत काल में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह अनुमान होता है कि वह अतिरिक्त धन को केन्द्रीय कोष में भेजता था। लाहौर और सुल्तान के मुक्ति को मुईजुद्दीन ने 1204 ई. में आदेश भेजे गये थे कि वो अपने राजस्व का वकाया जमा करे। इसी प्रकार से बलबन के काल में शाहजादा मुहम्मद, जो सिन्ध का वायसराय था, प्रति वर्ष अपने पिता के पास स्वयं राजस्व लाता था। अलाउद्दीन खल्जी ने भी जलालुद्दीन से अवध और कड़ा की अतिरिक्त आय से खन्देरी पर आक्रमण करने हेतु घोड़ों और नये सैनिकों को भर्ती करने की आज्ञा मांगी थी।

मुक्ति का सैनिक उत्तरदायित्व—मुक्ति एक सैनिक टुकड़ी भी रखता था जिससे इक्ता में शान्ति व्यवस्था बनाई रखी जा सके तथा सीमाओं की रक्षा की जा सके। केन्द्र के द्वारा उसकी इस सैनिक टुकड़ी की कमी भी मांग की जा सकती थी और मुक्ति द्वारा उसकी पूर्ति न किये जाने पर यह विद्रोह के समान माना जाता था। यद्यपि यह ठीक है कि प्रत्येक मुक्ति के लिए सैनिक सेवा करना अनिवार्य था परन्तु वास्तविकता यह है कि ऐसी सेवा के लिए केन्द्र के निकट स्थित मुक्तियों को ही आमंत्रित किया जाता था।

मुक्ति तथा राजस्व—राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था के सम्बन्ध में हमें सर्वप्रथम यह अध्ययन करना पड़ेगा कि इक्ता तथा केन्द्रीय शासन के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध थे। बरनी के विवरण से हमें यह अनुभव होता है कि मुक्ति, केन्द्र को एक निश्चित धन-राशि वार्षिक रूप में प्रेषित करता था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के समय में यह स्पष्ट आदेश था कि वित्त विभाग किसी भी इक्ता से राजस्व की बढ़ोतरी 1/10 अथवा 1/11 से अधिक न बढ़ावे। यह आदेश केवल अधिशेष राजस्व से ही सम्बन्धित था। इसका अर्थ था कि वचत अथवा अधिशेष राजस्व एक निश्चित राशि थी और इसलिये उसकी केन्द्र द्वारा प्राप्ति में बढ़ोतरी की जा सकती थी। डा. डे के अनुसार उस समय की परिस्थिति में यही उचित व्यवस्था थी

भया कि यदि एक निश्चित राशि मुक्तिया से प्राप्त न की जाती तो सम्भवतः वे सम्मन वसूल की हुई राशि का खच कर देन और ऐसी स्थिति में अधिपति राजस्व या तो नाम मात्र का बचता अथवा बिल्कुल नहीं बचना ।

किसान तथा इत्ता के अधिकारियों के बीच सम्बन्ध के बारे में भी बरतों के द्वारा गयामुलेन के समय के विवरण से कुछ जानकारी मिलती है । सुल्तान ने यह आदेश दिया कि मुलियाओं को मजबूर कर दिया जावे कि वे किसानों के राज्य द्वारा निर्धारित राजस्व से अधिक वसूल न करें । उनका अर्थ है कि किसानों से रियाया ज्ञान वाता राजस्व एक निश्चित छन राशि था । अलाउद्दीन के राज्यकाल का खोटेकर इबकि दिल्ली के निकटवर्ती प्रदेशों को मीर के शीप राजस्व के अधीन कर लिया गया था सम्भवतः शेष सल्तनत युग में किसानों से कबूत निश्चित राजस्व ही वसूल किया जाता रहा था ।

कबूत के हिसाब आदि की जाच के तिम एक साहिब ए-ओवान नामक अधिकारी की नियुक्त की गई थी जिस साधारण रूप में 'खाजा' की सजा में सम्बोधित किया जाता था । वह एक प्रवीण लबाकार (एकाउण्टेंट) होता था जो बजौर की विचारणा पर सुल्तान द्वारा नियुक्त किया जाता था । उसका यह उत्तरदायित्व था कि वह सला बही (एकाउंट) की तयार करे तथा मुख्यालय की विस्तृत विवरण प्रस्तुत करे । वह मद्दातितक आघार पर मद्यपि मुक्ति के अधीन था परन्तु व्यवहारिक रूप से सुल्तान द्वारा नियुक्त किये जान तथा बजौर से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने के कारण इत्ता में उसकी उपस्थिति मुक्ति के अधिकारों पर एक प्रकार से अनुग्रह थी । खजा की महत्त्वता के लिये मुस्लिम व कारकून व आमित आदि द्वारा करते थे ।

बरीद—एक वृहद राज्य की सुव्यवस्थित रूप में चलान के तिम तथा सुल्तान की इत्ताओं और स्थानीय अधिकारियों की गतिविधियाँ में प्रवणत कराय रखने के लिये बरीदों का होना आवश्यक था । ये बरीद अथवा खबर-नवीसों को मोट रूप में दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—एक वे जो बतमान पत्रिकाओं के रिपोटर के अनुरूप थे जो राज्य की नियमित पत्र प्रेषित करत रहत थे तथा दूसरे वे जिनको विशेष रूप से किसी निशान के लिये नियुक्त किया गया था ।

सूचनाओं के संचारण हेतु उचित व्यवस्था विद्यमान थी जिसकी कि विदित यात्रियों ने भूरि भूरि प्रशंसा की है । इमन बटून ने लिखा है कि सिंध से दिल्ली तक सरकारी वागज पहुँचने में केवल पाँच दिन का समय लगता था जिनको पार करने में साधारण यात्री लगभग पन्द्रह दिन लिया करते थे । संचारण की व्यवस्था दो प्रकार की थी—

- (1) प्रचारण (रिले) कन्ड प्रत्येक चार दुदह पर स्थापित थे
- (2) प्रत्येक कुदह की एक चौथाई दूरी पर चौकियाँ स्थित थीं ।

प्रत्येक चौकी पर आदमी तैनात रहते थे, जिससे वे पत्र पाते ही दूसरी चौकी पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँचे। प्रत्येक डाक लेजाने वाले के पहुँचने की घोषणा उसके हण्डे पर बंधी हुई घण्टियों से मिल जाती थी। इस प्रकार के दस व्यक्तियों के समूह को जो प्रत्येक चौकी पर तैनात थे, 'धावाह' कहते थे। ये व्यवस्था धोड़ों के माध्यम से संचारण की व्यवस्था से द्रुत थी, जिसको 'उलाध' कहते थे।

सुल्तान के वरीद जो समस्त राज्य में फैले हुये थे उसे प्रत्येक प्रकार की सूचना से अवगत कराते रहते थे। वे विदेशियों के आगमन से लेकर बाजार में प्रचलित गप्प की सूचना सुल्तान तक पहुँचाते थे। राज्य के सैनिक अभियानों के संचारण के लिये विशेष व्यवस्था की जाती थी। मुहम्मद तुगलक ने इसके अतिरिक्त संकेतों के संचारण की व्यवस्था कर रखी थी, जिसके अन्तर्गत बड़े-बड़े कस्बों में ढोल बजाकर दूरस्थ प्रदेशों की संकट-सूचना सुल्तान तक शीघ्रातिशीघ्र पहुँचा दी जाती थी। इसके साथ ही एजेंटों और गुप्तचरों की व्यवस्था थी जो केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक प्रकार की सूचना पहुँचाते थे। हम यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि इस संचारण व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्तिगत पत्रों को ले जाने की व्यवस्था थी अथवा नहीं। इस सम्पूर्ण व्यवस्था से एक परिणाम स्पष्ट है कि समस्त अधिकारी, मुक्ति से लेकर कारनून तक, इन वरीदों की उपस्थिति से आतंकित रहते थे तथा उनके अधिकारों पर ये एक सक्रिय अंकुश था। सुल्तान मुक्तियों की नियुक्ति करते समय साधारणतया वरीदों की भी नियुक्ति करते थे, जैसा कि बलबन ने झुगरा खां को समाना के इक्ता में नियुक्त करते समय वरीदों की नियुक्ति की थी जिससे कि वे वहाँ की स्थिति के बारे में उसे जानकारी भेजें।

प्रो. हवीबुल्ला के अनुसार इक्ता की न्यायिक व्यवस्था मुक्ति के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी अथवा उसके किसी प्रकार के न्याय सम्बन्धी कार्य नहीं थे। अपने इक्ता में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के अतिरिक्त जो मुख्य रूप से शहरों अथवा गांवों तक ही सीमित थी, उसे किसी विशेष प्रकार की व्यवस्था इस क्षेत्र में नहीं करनी पड़ती थी।

मीरलेण्ड के अनुसार इक्ताओं को सम्भवतः 14 वीं शताब्दी में "शिक" में बाँट दिया गया था, जैसे मुहम्मद तुगलक ने दक्षिण को चार शिकों में विभाजित किया था। घरनी ने मुहम्मद तुगलक के समय में इस शब्द का प्रयोग एक प्रशासकीय इकाई के रूप में किया है। फीरोज तुगलक के समय में 'शिक' एक निश्चित रूप में उभर आया जबकि हमें समाना, हिसार-फिरोजा, सरहिन्द, वयाना, ग्वालियर, मेवात आदि के शिकों का वर्णन मिलता है। इससे यह अर्थ निकलता है कि शिक एक छोटी प्रशासनीय इकाई थी जिसमें अनेकों परगने (कस्बे) हुषा करते थे। बड़ी इकाई को विलायत की संज्ञा दी जाती थी। लोदियों के समय में शिक की अपेक्षा "सरकार" शब्द का प्रयोग किया जाने लगा।

‘शिक’ के अधिकारी शिकदार का शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व था। इनके अनिच्छित बरतों व अनुमान उसे राजस्व एवं शिक बरने में धारमौल की सैनिक महायत्ना करना तथा विद्रोही मुकद्दमों और जमींदारों को कुचलना भी उसका अधिकार-क्षेत्र था। मलाजिक तथा सादात सौदा को जो गाँधी की शमील मिली हुई थी उसका प्रत्येक अधिकारी भी रक्षा करना तथा इतना ध्यान करना कि वे किसी प्रकार से सरकारी अधिकारियों द्वारा उन्वीहित नहीं किये जा रहे हैं। उनका वर्तन था : सम्भवतः शिकदार को अपने प्रदेश में एकत्रित किये हुये राजस्व का कुछ भाग मिलना था जिससे कि वो अपने अनन्त सैनिकों को रख सके तथा समय पर राजस्व एवं शिक बरने का महायत्ना दे सके। प्रत्येक शिक में एक फौजदार भी रहता था।

शिकदार व फौजदार का महायत्न क-स्य में धारमौल, मुहरिफ, खजानदार और काजी आदि थे। धारमौल मुख्य रूप से राजस्व इकट्ठा करने के प्रति उत्तरदायी था। मुहरिफ हिंसाग्र रक्षता था। कोनवान कस्बों का एक प्रमुख अधिकारी था परन्तु वह शिकदार के अधीन था। उसका महायत्न कस्बों की प्रहारा पर निरंतर था।

शिक में छोटी इकाई परगना प्रथमता कम्बा हुआ करती थी। समयमौल इतिहासकारों ने बरतने प्रथमता कम्बा की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं दी है। उन्होंने दोनों कम्बों को वर्गीकृत करने में प्रयुक्त किया है।

राज्य की सबसे छोटी इकाई गान हुआ करती थी। पुरानी व्यवस्था के आधार पर ही गान सल्तनत काल में बिलकुल झूठे रहे और प्रमाणित मुक्ति, मुहरिफ, खत व फौजारी आदि के द्वारा इनकी व्यवस्था चलती रही। अन्तर्देशीय खजनों के शासन काल में उनको राजस्व एकत्रित करने का कार्य में मुक्त कर दिया गया और उन्हीं के साथ उनके समस्त अनुसूक्त (perquisites) जो इस पर से सम्बन्धित थे समाप्त हो गये, परन्तु उनके बाद भी वे मुक्तियाँ के रूप में कार्य करते रहे और इन आधार पर गान में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के प्रति उत्तरदायी बने रहे।

दस सम्भव विवरणों के बाद भी हम यह अनुभव करते हैं कि सल्तनत-वासीन इतना व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्ण सामग्री न मिलने के कारण यह विवरण अधूरे हैं। मुगलशासीन शासन की तरह ही यह इस समय के बरतनों के सम्बन्ध में कोई वन प्रथमता लेख प्राप्त नहीं हो पाये हैं, इसलिये यह केवल अनुमान प्रथमता परिकल्पना (hypothesis) है।

सैनिक संगठन—मुगलानों की शक्ति उनकी सैनिक-शक्ति पर निर्भर थी इसलिये प्रत्येक मुगलान सैनिक व्यवस्था की ओर समुचित ध्यान देना था। ऐसा करना आवश्यक भी था, क्योंकि एक ओर तो इन धारमिषक तुर्क मुगलानों के समय

में हिन्दू और राजपूत राजाओं से लगातार संघर्ष चल रहा था और दूसरी ओर सीमाओं पर मंगोल-आक्रमणों का भय बना रहता था ।

इन परिस्थितियों के होते हुये भी कोई स्थायी सेना की व्यवस्था हमें नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिये कि उस समय में स्थायी सेना रखने के विचार का जन्म ही नहीं हो पाया था । प्रत्येक सुल्तान अपने अमीरों और प्रान्तीय सूबेदारों के द्वारा रक्खी जाने वाली सेना पर निर्भर करता था, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाता था । परन्तु यह व्यवस्था सम्भवतः राजधानी के आसपास प्रदेशों तक ही लागू होगी क्योंकि दूरस्थ प्रान्तों से सैनिकों को बुलाना व्यावहारिक नहीं दिखता है । अभियानों के समय रास्ते में पड़ने वाले अथवा दूसरे प्रदेशों के सैनिकों को अभियान में सम्मिलित होने के आदेश भेज दिये जाते थे । सुल्तान की रक्षा के लिये राजधानी में कुछ अंगरक्षक अवश्य थे जिनकी संख्या सल्तनत के विस्तार के साथ ही बढ़ती गई और कालान्तर में इसी ने स्थायी सेना का रूप ले लिया । इस प्रकार यह निश्चित है कि 1290 ई. तक कोई स्थायी सेना नहीं थी ।

सर्वप्रथम बलबन ने सैनिक संगठन को व्यवस्थित करने की दिशा में ध्यान दिया । लेफ्टीनेंट कर्नल गौतम ने लिखा है कि, "गयासुद्दीन बलबन सुल्तानों में प्रथम सुल्तान था जिसने अपूर्व लगन के साथ सेना का पुनर्गठन किया । उसने कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किया, लेकिन पहली बार अत्यन्त कठोरता व सतर्कता बरती । उस काल के सन्दर्भ में, जब धर्मतन्त्र सशस्त्र सेनाओं से ही शक्ति प्राप्त करता था, बलबन ने अनुभव किया कि एक स्थायी सरकार के लिये एक शक्तिशाली सेना प्रथम आवश्यकता है । अपने शिक्षण-काल व बाद में सफल अभियानों के दौरान उसने सुदृढ़ किलेबन्दी का महत्त्व समझा । इसीलिये उसने सीमा के किलों पर तुर्की दस्तों को नियुक्त किया, पुराने किलों की मरम्मत करवाई और सामरिक स्थलों पर नये किले बनवाये । इन्हीं से वह मंगोलों की घुसपैठों को रोकने में सफल हुआ ।"

उसने राज्य को 'इक्ताओं' में विभाजन किया तथा प्रत्येक के लिये 'मुक्ति' नामक अधिकारी की नियुक्ति की जो अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को अपनी सैनिक टुकड़ी भेजने के लिये उत्तरदायी होता था । इन टुकड़ियों की सैनिक कुशलता का निरीक्षण करने के लिये प्रांतीय आरिज होते थे । मुक्तियों को अपने क्षेत्र से प्राप्त आय का एक बड़ा भाग बेतन के रूप में दिया जाता था । उत्तरी भारत में समाना, लाहौर, सरहिन्द, भटिंडा, हांसी, नागौर, सुनम, ग्वालियर, बयाना, भण्डावर, अमरोहा, कोल, बुलन्द शहर, कड़ा, माणिकपुर और सम्भल प्रमुख सैनिक कमानें थीं । ये किसी निश्चित पद्धति पर आधारित न थीं और न ही इनका क्षेत्रफल समान ही था । प्रत्येक मुक्ति अपनी योग्यता और शक्ति के आधार पर अधिकारों का उपभोग करता था ।

सेना में चार प्रकार के सैनिक इस्तेमाल करते थे। प्रथम वह सैनिक थे जो मुल्तान के झगरहाफ़ के रूप में थे। इन्होंने यहाँ गुलाम से इस्तेमाल किया था। इस सेना को खान खान पुकारा जाता था। इनके सैनिक जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है मुक्ति के सैनिक थे। सम्भवतः प्रथम रूप में मुल्तान के निरीक्षण के लिए उपस्थित की जाती थी परन्तु साधारणतया इस नियम का बहिष्कार ने खान खान किया जाता था। तृतीय व सैनिक थे जो खान प्रस्थापनी रूप में युद्ध के समय भर्ती किए जाते थे। खान व सन्तमान स्वयं मरकब व जो खान जिहाद (धर्म युद्ध) के लिए मना में सम्मिलित कर लिये जाते थे और इन्हें युद्ध की लड़ाई में ही मिला मिलता था।

सेना के मुख्य भाग में युद्धसवार गना हुल्लि सना व पैदल सना थे। युद्ध सवार सना के अधिकारी नाई रूप में अनुभवों और बफ़ादार चुकें ही इस्तेमाल करते थे। भारत में खान के बाद कुछ मुल्तानी ने भी युद्ध में हाथियाँ का प्रयोग करना शुरू कर दिया था परन्तु हाथियाँ को रक्षता केवल मुल्तान का विशेषाधिकार था। इनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग था जिसका अधिकारी साहना ए-लीन कहा जाता था। हाथियों का युद्ध करने की भी शिक्षा दी जाती थी। पैदल-सैनिक पादक कहलाते थे परन्तु इस युद्ध में उनका अधिक महत्व नहीं था।

मुल्तान समस्त सेनाओं का मनापति था परन्तु वह आवश्यक नहीं था कि वह प्रत्यक्ष अभियान का नेतृत्व करे। अधिकतर से खान किसी विश्वामयान को अभियान का नेतृत्व सौंप देता था और बहिन अभियानों में वह सैन्य से ही सवको दिया प्रदान करता था। बख़रम ने तुगरिलसा के विपक्ष प्रयोगों को अभियान का नेतृत्व सौंपा था और लगभग असफलताओं के बाद ही उसने स्वयं नेतृत्व सम्भाला था। यह आवश्यक नहीं था कि केवल सैनिक अधिकारी ही अभियानों का नेतृत्व करें अतः प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसके लिये नियुक्त किया जाता था। सम्भवतः यह है कि उस समय में सैनिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों में कोई अन्तर नहीं था। मुल्तान के बाद खोदान ए फ़ारिज ही ध्यावहारिक रूप में सना की व्यवस्था करता था और वहीं प्रथम वेतल खाता भी था। सना की सम्पूर्ण व्यवस्थाओं की पूर्ति वह मुल्तान से अनुभवित प्राप्त कर पूरी करता था। इस क्षेत्र में वह वित्त विभाग के नियन्त्रण में नहीं था।

सम्भवतः ये सही मार सैनिक-सेवा के बचते में जागीर देना की प्रथा पर मुठारामान किया। उनके समय तक इस प्रथा का अर्थव्यवस्था दुष्प्रयोग किया जात लगा था जिससे राज्य को अधिक हानि थी। बख़रम ने समस्त बूटों, विपदाओं और सैनिक-सेवा के अयोग्य व्यक्तियों से जागीरें छीनने का आदेश दिया। इससे बचन उनका नष्ट देखने से जान की व्यवस्था की गई। वे सोचें जो कि राज्य की सेवा करने के योग्य थे उनके पास उनकी जागीरें रहने दी गई, परन्तु उन जागीरों में

लगान वसूल करने का काम राज्य के अधिकारियों को दे दिया गया । वे इन लोगों को राजस्व वसूल कर जागीरदारों को नकद वेतन देने के आदेश दिये गये । परन्तु बलवन की यह सुधार-योजना व्यर्थ हो गयी क्योंकि कोतवाल फखरुद्दीन की अनुमय विनय के आघार पर उसने असहाय व्यक्तियों को उनकी जागिरों वापिस कर दीं । बलवन की इस योजना का महत्व इसी में है कि उसने अलाउद्दीन खलजी के सामने एक ऐसी नवीन नीति रखी, जिसके आघार पर सेना को शक्तिशाली बनाया जा सकता था ।

वित्तीय व्यवस्था—मुस्लिम विधि-वेत्ताओं ने मुस्लिम राज्य के समस्त राजस्व को धार्मिक तथा धर्म-निरपेक्ष भागों में बांटा है । इस विभाजन के अन्तर्गत प्रमुखतः पांच निम्न कर थे—(1) खिराज, (2) उश्र, (3) जजिया, (4) खम्स और (5) जकात । खिराज गैर-मुसलमानों पर भूमि-कर था जो उपज के 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया जाता था । उश्र भी एक प्रकार का भूमि-कर था जो मुसलमानों के अधिकार में होने वाली भूमि से वसूल किया जाता था और जिसकी सिंचाई प्राकृतिक साधनों से की जाती थी । ऐसी भूमि से उपज का 1/10 भाग वसूल किया जाता था परन्तु यदि सिंचाई मनुष्य-कृत साधनों से होती थी तो उपज का 1/20 भाग ही कर के रूप में लिया जाता था । जजिया कर गैर-मुसलमानों पर धार्मिक कर था । इस्लाम के अनुसार गैर-मुसलमानों को इस्लामी राज्य में रहने का अधिकार न था । इस कर को देने के बाद ही वे राज्य में रहकर सुल्तान से संरक्षण और जीवन सुरक्षा प्राप्त कर सकते थे । इसके लिये गैर-मुसलमानों (हिन्दुओं) को तीन अलग-अलग वर्गों में बांटा गया था और प्रत्येक से अलग-अलग राशि ली जाती थी । स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, साधु आदि इससे मुक्त थे । खम्स भी राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत था । काफिरों के विरुद्ध युद्ध में प्राप्त लूट के घन का 1/5 भाग राजकोष में जमा कर दिया जाता था और शेष 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था । जकात कर मुसलमानों पर धार्मिक कर था जो केवल धनवान मुसलमानों से ही वसूल किया जाता था । यह उनकी आय का 2½% होता था । इस घन को केवल मुसलमानों के हित के लिये ही व्यय किया जाता था ।

इन साधनों के अतिरिक्त राज्य की आय में आयात कर, आवकारी कर, खानों और टकसालों पर कर, व्यापारिक वस्तुओं पर कर आदि थे । सुल्तानों की आय का सम्भवतः सबसे बड़ा स्रोत हिन्दू प्रदेशों की लूट थी । इल्तुतमिश अपने पूरे राज्य-काल में हिन्दुओं के विरुद्ध अभियानों में व्यस्त रहा और इसलिये राजस्व प्रणाली की ओर समुचित ध्यान न दे सका । उसने समस्त राज्य 'इक्ताओं' में बांटकर तुर्की अमीरों को उनके निर्वाह तथा सेवा के बदले में दे दिया । कुछ भाग उसने स्वयं के लिये रख लिया था जिससे कि उसके खर्चों की पूर्ति हो सके । निश्चित ही यह भाग

अधिक था। स्वाभाविक रूप से इस व्यवस्था से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके समय में वित्त व्यवस्था अधिक दृढ़ नहीं रही होगी। उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय इस स्थिति में किसी सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बलबन के समय में राज्य की आय के माधनों में और अधिक कटौती हो गई, क्योंकि मंगोल आक्रमण के भय से अपने दूरस्थ प्रदेशों की जीतने की नीति का परित्याग कर दिया। ऐसी स्थिति में जब कि युद्ध में प्राप्त लूट, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, समाप्त हो गई और दूसरी ओर मेना के स्थल में बढ़ोतरी हो गई इसलिये बलबन ने राज्य के सीमित साधनों में आय बढ़ाने के लिये नैतिक जागीरों को समाप्त करने की नीति अपनाई। परन्तु यहाँ पर भी खोजवाज फखरुद्दीन की प्रार्थना पर बलबन को जागीर जप्त कर नकद बेतन देने के आदेश का वापिस लेना पड़ा। इन आशय पर बलबन के समय की वित्त व्यवस्था निश्चित ही असमर्थोपजनक रही होगी।

मुल्तानों ने इस सीमित आय को भी मनमाने ढंग से खर्च किया और अधिकतर तो राज्य की कीमत पर अपने लक्ष्यों को पूरा करते रहे। राज्य को सुरक्षित रखने और उसी के साथ अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने के प्रतिरिक्त उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहा। कल्याणकारी राज्य को बनाना का उस समय जन्म भी नहीं हो पाया था और मुल्तान इस दिशा में कोई प्रयोग करने के लिये भी तैयार न थे।

खल्जी क्रांति

अलाउद्दीन का उद्धार—तथ्यगत 40 वर्ष के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शासन के बाद बलबन के भाग्य में एक असन्तुष्ट शासक के रूप में ही मृत्यु निश्ची थी। अपनी मृत्यु के पहले अपने खोजवाल फखरुद्दीन, खाना हुआ बसरी और खोज से शहीद शाहजादा मुहम्मद के पुत्र कंसुसरो के उत्तराधिकार की देखभाल की थी। परन्तु अन्तिम समय में नैतिक सत्कोच राजनीति को सहचरी नहीं है और इसीलिये बलबन की मृत्यु के बाद बुगराखा के पुत्र कंसुवाद की मुईनुद्दीन की उपाधि देकर मुल्तान घोषित किया गया और दुर्भाग्यवश इसका नेता बलबन का मित्र और दिल्ली का खोजवाल फखरुद्दीन ही था। दिल्ली की गद्दी पर बुगराखा का अधिक अधिकार था परन्तु अपने अपने पुत्र के सिंहासनासन्न होने का विरोध नहीं किया उसने स्वयं खोजवाली में नासिरुद्दीन मुहम्मद बुगरा शाह की उपाधि पारण कर बंगाल की गस्ताखान रूप में ले ली थी। फखरुद्दीन के पटवन्त से ही कंसुसरो की मुल्तान में ज दिया गया था।

17 अथवा 18 वर्षों के पुत्रक जिसने अपनी इतनी उम्र में कमी रूपवती सुवर्ती की और दुष्टि न हाली और न ही कमी मदिरा पान किया हो, एकाएक

गद्दी की प्राप्ति ने उसके संयम का बांध तोड़ दिया और वह भोग-विलास में डूब गया। फखरुद्दीन के दामाद महत्वाकांक्षी निजामुद्दीन ने सारी शक्ति हथिया ली। उसकी आकांक्षाएं अत्यधिक बढ़ गईं और जैसा चरनी ने लिखा है कि वह सोचने लगा कि, "सुल्तान बलवन बड़ा सजग और सतर्क भेड़िया था और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसका पुत्र जो शासन कर सकता था वह भी मर चुका है। चुगराखां की लखनौती से ही सन्तोष है। अब साम्राज्य की जड़ें दिन प्रतिदिन निर्बल होती जा रही हैं। भोग-विलास में लिप्त होने के कारण सुल्तान शासन की ओर ध्यान नहीं देता है। यदि मैं शहीद शाहजादे के पुत्र कँखुसरो से मुक्त हो जाऊँ तथा सुल्तान के इर्द-गिर्द रहने वाले अमीरों को दूर कर दूँ तो दिल्ली का राज्य मेरे हाथ में आ जावेगा।" निजामुद्दीन की महत्वाकांक्षाएं ही उसकी मृत्यु का कारण बनीं जैसाकि हमने पिछले अध्याय में देखा।

निजामुद्दीन की मृत्यु पर मुईजुद्दीन ने समाना के इत्तादार तथा दरबार के सरजानदार जलालुद्दीन फ़ीरोज खल्जी को बुलाया तथा उसे शायस्ता खां की उपाधि दे धारिज-ए-मुमालिक के पद पर नियुक्त किया। बलवन के दो अमीर—मलिक ऐतमार कच्छन व मलिक ऐतमार मुर्खा को बारवक व बकील-ए-दर के पद पर नियुक्त किया। इस नयी व्यवस्था के आधार पर शासन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। जलालुद्दीन खल्जी मोटे रूप से एक जन्मजात सैनिक था जिसने सीमाओं पर मंगोलों का विरोध किया था। अनुभवी और परिस्थितियों को सही रूप से ताड़ने के गुण के कारण तुर्क अमीर उससे घृणा करते थे। इसी समय सुल्तान लकवा या भ्रंशघात से पीड़ित हो गया और उसके वचाव की कोई संभावना नहीं रही। दिल्ली के अमीर दो विरोधी झल में बंट गये। तुर्क गुट के नेता ऐतमार कच्छन तथा ऐतमार मुर्खा थे। दूसरे गुट का नेतृत्व जलालुद्दीन खल्जी के हाथों में था जिसे जनसाधारण तुर्क मानने को तत्पर नहीं थे, तुर्क और तथाकथित गैर-तुर्कों में शक्ति के लिये संघर्ष चलने लगा। मुईजुद्दीन के नाबालिग पुत्र को गद्दी पर बंठाकर तथा जलालुद्दीन को 'नाइब' बनाकर कुछ समय के लिये समस्या का समाधान ढूँढा गया। राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर तुर्कों को ही नियुक्त किया गया। डा. के. एस. लाल का मत है कि इस प्रकार राजसत्ता बलवन के बंश में ही बनी रहती। डा. लाल ने आगे लिखा है कि, "यह चाल पुराने तुर्क अमीरों की थी जो कि जलालुद्दीन की योग्यता से ईर्ष्यालु थे। उनके अनुसार तुर्क राज्य में गैर-तुर्कों का कोई स्थान न था और इसलिये उन्होंने उनको अपबन्ध करने की नीति अपनाई।" जलालुद्दीन का नाम इत सूची में सबसे प्रमुख था। उसे मलिक घुमद चप के द्वारा इसकी जानकारी मिली और ऐसी स्थिति में दिल्ली को सुरक्षित न मानकर वह अपने अनुयायियों सहित चरनी के अनुसार वहारपुर की ओर चल

दिया। चारा (धार्मिक बुनन्दमहर) स उमने धपने जाति-माइयो और मित्रो को बुताकर एक अक्तिशाली गुट बना लिधा।

तुर्की गुट के पास बब गोन की अधिक समय न था और इसने जलालुद्दीन के बध की योजना बनाई परन्तु एतमार कच्छन स्वय ही इमका भिकार हुभा। कच्छन क बध न दाना गुनो म आपसो द्वग को और अधिक भडका दिया। जलालुद्दीन क पुत्र नेजी के साथ दिल्ली की घाट बटे तथा बगैर किसी बठिन बिरोध क दानव मुल्तान शमशुद्दीन प्रादि को बहारपुर ल धाये। एतमार सुर्खा का भी बध कर दिया गया।

वासक मुल्तान के बधहरण को दिल्ली की साधारण जनता पचा न सकी। इल्बगी तुर्को क प्रति त्रि-होन लगभग 80 वर्ष तक उन पर शासन किया था उनकी स्वाभिमतिक जाग उठी और वे धपन मुल्तान को मुक्त करवाने के लिये तत्वर हो उठे। वे यह महन वरन म असमर्थ ये कि खलशो उन पर शासन करें। मलिक-उल-उमरर न लिये पुत्र जलालुद्दीन के बडा ब-बध के रूप म ये उनको जीवन-रक्षा हेतु दिल्ली के नागरिको की योजना को असफल कर दिया। धनेर तुर्को धमोर धपन पत्र श्री पननक्षीय स्थिति को देकर खलिजयो से जा मिले।

शमशुद्दीन पर अधिकार, मईनुद्दीन क अयधत (राजवा) से पीडित होने तथा तुर्को धमोरो की शक्ति कृचरन के बाद जलालुद्दीन पूर्णरूपेण शक्ति-मम्पस था। उसन कोत्र ही मुईनुद्दीन का बध करवा दिया (1 करवरी 1290) और इन प्रकार तात्र पर धपना एकाधियार जमा लिया। परन्तु इसने बाद भी वह तात्र पहनने को तैयार नहीं था। शमशुद्दीन को सुल्तान घोषित कर उसने बलवन के भतीजे मलिक छज्जू से सारभक का पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। परन्तु मलिक छज्जू इसकी धपेधा कडा की जागीर म अधिक हनि रक्षता या और जब जलालुद्दीन ने उमे यह प्रदान कर दी तो वह उस और चला गया। कुछ समय तक जलालुद्दीन शमशुद्दीन को दरबार मे खाता रहा और विधिवत सिंहासन पर धामीन करता रहा परन्तु प्रत्येक को यह स्पष्ट था कि यह व्यवस्था अधिक् समय तक चलेगी। शत्रु और मित्र जलालुद्दीन के चारा और महराने सगे। कठपुतली शासक के साथ वह कीलूगदी धा गया और उसे बन्दीगृह मे डाल स्वय का राज्याभिषेक कराया। बरनी के अनुमार कुछ समय बाद शमशुद्दीन की मृत्यु बन्दीगृह मे ही गई।

दिल्ली के नागरिक म जलालुद्दीन की इस कार्यवाही के प्रति अ्याप्त असन्तोष था। बरनी के अनुसार जलालुद्दीन इस असन्तोष के कारण राजधानी दिल्ली मे प्रवेश करने का माहस न कर सका। नागरिको को तुर्क शासन की समाप्ति अधिक् प्रसर रही थी और उससे भी खलिजयो का शासक के रूप मे प्रतिष्ठा न क्योंकि वे खलिजयो का गौर-मुर्क मानने से।

खल्जियों की उत्पत्ति—जलालुद्दीन का विरोध मुख्य रूप से उसके गैर-तुर्क होने के कारण था, परन्तु इतिहासकार इसको स्वीकार नहीं करते हैं। निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है कि खल्जी चंगेजखाँ के दामाद कुलीजखाँ के वंशज थे। कुलीजखाँ के अपनी पत्नी के साथ अच्छे सम्बन्ध न थे परन्तु साथ ही वो खुले रूप में इस आधार पर अपने श्वसुर मंगोल शासक चंगेजखाँ से सम्बन्ध भी बिच्छेद नहीं कर सकता था। कुछ समय बाद अपने 30,000 अनुयायियों के साथ गैर व जुरिस्तान के प्रदेश में आकर बस गया। उसके अनुयायियों को कलजी अथवा कुलीज पुकारा जाने लगा जो विगड़कर खल्जी बन गया। गैर के शासक के भारत-अभियान के समय अनेकों खल्जी उसके साथ यहाँ आये जिनमें जलालुद्दीन के पूर्वज तथा मालवा का सुल्तान महमूद प्रमुख थे। निजामुद्दीन के अनुसार 'सलजूकनामः' भी खल्जियों के तुर्क ही स्वीकार करता है।

परन्तु निजामुद्दीन की बातों पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि आरम्भ में वह यह भी लिखता है कि ह्वारिजम की घाही सेनाओं के साथ खल्जियों ने युद्ध किया था। इसका अर्थ हुआ कि खल्जी, चंगेजखाँ के पहले भी विद्यमान थे। फरिश्ता के लेखों में भी इसी सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है। उसके अनुसार गजनी के आरम्भिक इतिहास में अक्सर खल्जियों का विवरण मिलता है और इस प्रकार वे चंगेजखाँ के पूर्वज थे। निजामुद्दीन अहमद से अपनी तालमेल बैठाने को वह आगे लिखता है कि सम्भवतः कलीजखाँ स्वयं खल्जी कबीले का था और जलालुद्दीन खल्जी तथा सुल्तान महमूद कलीजखाँ के प्रत्यक्ष वंशज थे। बदायूनी इस सिद्धान्त की कटु आलोचना करता है। उसके अनुसार खल्जी और कलीज में कोई प्रत्यक्ष एकरूपता नहीं थी। इसके विरोध में फरिश्ता तथा बदायूनी, निजामुद्दीन के दूसरे सिद्धान्त कि खल्जियों की उत्पत्ति जपहट के पुत्र से हुई थी, स्वीकार करते हैं।

डा. के. एस. लाल¹ के अनुसार इस सम्बन्ध में बरनी की अनिश्चितता अव्याह्येय है। बरनी के पिता तथा चाचा एक लम्बे समय तक सुल्तानों की सेवा में थे और स्वयं बरनी राज्य के अनेकों प्रभावशाली अमीरों से घनिष्ठ था। इसके अतिरिक्त अपने इतिहास-लेखन में उसने अनेक समकालीन तथा पूर्वजों के ग्रन्थों का अध्ययन भी किया था। इस आधार पर वह ऐसी स्थिति में था कि खल्जियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमाणात्मक जानकारी दे सके। सम्भवतः उसने जान-बूझकर अथवा इसको गौरव मानकर सत्यता को जानने का प्रयास ही नहीं किया। इसके साथ ही वंशावलिओं में बरनी की कोई रुचि नहीं थी क्योंकि उसने तुगलकों की उत्पत्ति के बारे में इसी प्रकार की अस्पष्टता दिखाई है। बरनी के विवरण से इतना अवश्य स्पष्ट है कि खल्जियों का तुर्कों से अलग एक भिन्न नस्ल का होने के कारण कोई स्वागत नहीं किया गया।

1. के. एस. लाल, हिस्ट्री ऑफ़ द एल्जीज, पृ. 9

डा. सात के अनुसार समस्या के निष्पन्न अध्ययन से यह स्पष्ट है कि खल्जी तुर्क थे। अफगानिस्तान की हलमन्द नदी के दोनों घोर की भूमि को 'खल्ज' कहते थे और उन क्षेत्र के निवासी वास्तान्तर में खल्जी नहे जाने लगे। इनको आनावटोम कबोले इस क्षेत्र में घनादि काग से रहते घले घा रहे थे और ऐसी स्थिति में पूर्ण निश्चितता के साथ यह कहना कि खल्जी किसी कबोले से सम्बन्धित न थे प्राम्भव है। दसवीं शताब्दी का भूगोलवेत्ता इब्न हूबल खल्जियों को तुर्क वर्ण का मानता है। उनके अनुसार वे हिन्दुस्तान और सिजिस्तान के मध्य काफी समय से बसे हुए थे और उनका आचार विचार, पहनावा व रीति-रिवाज तुर्कों जैसे थे। इनके अतिरिक्त फारसदेश जिसने अपनी रचना 'तारीख अ-फारसदीन मुबारकशाह' 1206 ई. में पूरी की लगभग 64 तुर्की कबोली की सूची देता है जिसमें तुर्क गुज, खल्जी तातार आदि हैं। वह तुर्की कबोलो के बारे में मूल्यांकन जानकारी देता है जिससे यह मालूम पड़ता है कि उसे उनके बारे में प्रगाढ़ जानकारी थी। मिनहाज-अस मिराज' भी सबरान-अ-नामिरी में लिखता है कि खल्जी ख्वारजिम के शासकों की सेना में मौजूद थे और उन्होंने गौर व गजनी के अनेक युद्धों में भाग लिया था। रेवर्टी भी यह स्वीकार करता है कि खल्जी तुर्की कबोले के थे। बेरहाल्ट जो कि मध्य एशिया के इतिहास का एक महान् विद्वान माना जाता है, वह भी खल्जियों को तुर्क ही स्वीकार करता है जो चौथी शताब्दी में दक्षिणी अफगानिस्तान में आकर बस गये थे।

इस आधार पर यह निर्विवाद है कि खल्जी तुर्क ही थे। अफगानिस्तान में एक लम्बे समय तक रहने के कारण उन्होंने वहाँ के रीति-रिवाजों को अपना लिया था। इन्होंने जो उनका आधिपत्य इसलिये बुरा लगा कि इनका परिवर्तन से उन परिस्थितियों पर आपात हुआ जिनमें वे रहने के प्रयत्न हो चुके थे। इसीलिये डा के एस सात ने 'हिस्ट्री आफ द खल्जीज' में लिखा है कि, "हम खल्जियों के राज्यारोहण के कारण व्याप्त आश्चर्य का स्पष्टीकरण जनता की परम्परावादिता में खोजना चाहिये, न कि खल्जियों और इल्खारियों की जातीय विभिन्नता में। दोनों एक ही मूल के थे।"

खल्जी शान्ति की महत्ता—डा. सात के अनुसार खल्जी शान्ति अनेक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण थी। इनके अनेक दूरगामी परिणाम हुए। उनके अनुसार, "इसमें न केवल एक नवीन युग की स्थापना हुई, अपितु इसने अनवरत विजयों, ब्रूटनीड में प्रसाधारण प्रयोगों और अतुलनीय साहित्यिक गतिविधियों के एक युग की जन्म दिया। खल्जी माही शासन में सम्बन्धित नहीं थे अपितु इसके विपरीत वे सर्वहारा वर्ग के थे और उनके राज्यारोहण से इस मिश्रण-धारणा की समाप्ति हो गई कि प्रभुसत्ता पर विधेयाधिकार-प्राप्त वर्ग का ही एकाधिपति है। खल्जी विद्रोह आदर्शक रूप से तुर्की आधिपत्य के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का

विद्रोह था, गीर और गजनी से प्रेरणा प्राप्त करने वालों के विरुद्ध उन लोगों का विद्रोह था जो दिल्ली से प्रेरणा लेते थे। इस क्रान्ति ने सर्व-साधारण के रक्त के आधिपत्य को शाही-रक्त पर प्रतिस्थापन किया और ऐसे अनेक उच्चवर्गीय तुर्कों को स्तम्भित कर दिया जिनके लिये भारत में जन्मित अथवा अन्य मुसलमान उनसे निम्न श्रेणी के थे।¹

डा. लाल ने आगे लिखा है कि, "भारतीयों के लिये यह सत्ता-परिवर्तन कोई नई घटना नहीं थी। निरन्तर और अनापेक्षित सत्ता-परिवर्तन ने उनके हृदय में किसी भी वंश के लिए सदभावनाओं का गला घोट दिया था और यदा-कदा यदि उनमें किसी वंश-विशेष के लिये कोई सदभावनाएँ मौजूद भी थीं, जैसा कि इल्वरी वंश के लिये, तो वे परिस्थितियों की मांग के अनुसार इतको हस्तान्तरित करने में भी नहीं हिचकते थे। इसलिये सत्ता का यह हस्तान्तरण उनके लिये महत्वहीन ही था, क्योंकि सत्ता पुनः विदेशियों के हाथों में ही रही।"

डा. लाल ने आगे लिखा है कि, "जलालुद्दीन को सिंहासन न तो वंशाधिकार, न चुनाव और पड़यन्त्र ही से प्राप्त हुआ था। इल्वरियों से खल्जियों के पक्ष में यह सत्ता हस्तान्तरण राज्य-विप्लव के द्वारा हुई थी और केवल शक्ति के आधार पर ही वे इसे अपने पास बनाये रखने में समर्थ रहे थे। खल्जियों ने न तो जनता, न ही शमीर वर्ग और न ही उलेमा-वर्ग का समर्थन प्राप्त किया। राज्य के लिये जो भी उन्होंने प्राप्तियाँ कीं अथवा नहीं परन्तु उन्होंने मुस्लिम जगत को यह स्पष्ट कर दिया कि बिना किसी धार्मिक समर्थन के राज्य न केवल जीवित रह सकता है अपितु कर्मठ होकर कार्य भी कर सकता है—यह एक अभूतपूर्व सत्य था।"

इसके अतिरिक्त 'इण्डो-मुस्लिम' इतिहास की गाथाओं में खल्जी वंश का अभूतपूर्व महत्त्व रहा क्योंकि इससे विजयों की एक अनवरत शृंखला आरम्भ हुई। प्रथम बार खल्जी शासक देश के सुदूरतम कोनों में मुस्लिम सेनाओं को ले गये। यहां के स्वतन्त्र शासकों को अधीनस्थ किया तथा बाह्य आक्रमणों पर भी अपनी तीव्री नजर रखी। डा. लाल¹ के अनुसार "यदि अलाउद्दीन ने कठोर उपायों का आश्रय न लिया होता तो भारत मंगोलों के हाथों में चला गया होता।"

इसके साथ ही अलाउद्दीन के कुछ सुधार मध्ययुगीन इतिहास में अभूतपूर्व थे। यद्यपि इन सुधारों का जीवन अल्पकालीन रहा परन्तु फिर भी उनकी सफलता में कोई शंका नहीं है। शक्ति जो कि खल्जियों के शासन का मूलाधार थी राजनीति रूपी तन में नासूर सिद्ध हुई और इसीलिये यह (शक्ति) अलाउद्दीन के आधार को स्थायित्व देने में असमर्थ रही।

खल्जीकालीन भारत

जलालुद्दीन फीरोज खल्जी

सिंहासनारोहण—मलिक फिराज जलालुद्दीन 13 जून 1290 ई (689 हि) को गद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठने के पश्चात् उमर सुतान जलालुद्दीन फीरोज शाह खल्जी की पत्नी फागु की थी। जलालुद्दीन का राज्याभिषेक कीलूगढ़ी में हुआ था इसलिए उसने कीलूगढ़ी का ही अपनी राजधानी बनाया। उसके पश्चात् जलालुद्दीन ने दिल्ली में एक नवीन राज्य बंध की स्थापना की। जिस 'देह' खल्जी बंध ने सुतान तुक से क्याकि तारीख ए फतहद्दीन मुबारक शाही के लेखक फतहद्दीन रावटी 'वॉयॉन्ड' आदि विभिन्न विद्वानों ने उन्हें तुक माना है। अफगानिस्तान में हजमन्द नदी के घाटी के प्रदेश का 'खल्जी' के नाम से पुकारा जाता था। उस प्रदेश में जाकर जो जातियाँ बस गयीं उन्हीं जातियों को 'खल्जी' पुकारा जान लगा। उन्हीं जातियों में से ही सुतान जलालुद्दीन के वंशज भी थे जो कि 200 वर्षों से भी अधिक समय तक 'हेलमन्द नदी की घाटी के प्रदेश' में रहे थे। इसी कारण से उनका रहन सहन तथा रीति रिवाज अफगानों की तरह से ही हो गए थे। जब वे लोग भारत में आए तो अफगान उन्हें अफगान ही समझा जान लगा था।

खल्जियों के तुक होने हुए भी शासन व्यवस्था विद्यत इरावरी तुकों की शासन व्यवस्था से एक दृष्टि में भिन्न नहीं थी। भारत में तुकों की घण्टना समाप्त होने का मुख्य कारण दिल्ली के सिंहासन पर खल्जी बंध का आधिपत्य ही था।

जलालुद्दीन फीरोज के विचार और भावनाएँ—जलालुद्दीन के स्वामाधिक नम्रता अपने विराधियों के प्रति सम्मान के विषय में मुता तो कुछ ही समय के पश्चात् नागरिक जलालुद्दीन फीरोज के विराध करन की बजाय उनकी प्रशंसा करने लगे। वेता कि बरनो कहता है 'नामा और पदा की आशा में वे लोग पहले तो किञ्चकृत हुए उससे सम्भोजा करने के लिए धार्ये और सुतान ने उनका सौहार्द प्राप्त करने की अपनी वास्तविक उत्कठा का उन्हें विश्वास दिला दिया।' इस समय सुतान जलालुद्दीन फीरोज की धारु 'गमन' मत्तर वर्षों में अधिक हो चुकी थी। इस समय इस धारु में सुतान की शान्ति प्रिय और दयालु पाकर लाया की

अत्यधिक आश्चर्य हुआ। सुल्तान एक निष्कपट और निष्ठावान हृदय का व्यक्ति था जो कि सत्ता से प्रभावित नहीं हुआ था तथा सभी व्यक्तियों की दृष्टि में वह एक सीधा-सादा संत के समान था।

इस समय परिस्थितियों की यह मांग थी कि शाही सत्ता का दृढ़ता तथा कठोरता से पालन किया जावे क्योंकि बलवन अपनी कठोर दण्ड नीति के कारण ही साम्राज्य में शान्ति स्थापित कर सका था इसलिए कानून तथा सुरक्षा स्थापित करने के लिए तथा नये राजवंश के प्रति सभी निष्ठाओं को एक ही धारा में मिलाने के लिए परिस्थितियों की यह मांगें थी कि सत्ता का दृढ़ प्रयोग किया जाये, क्योंकि पूर्वी प्रांतों में बलवन के आतंकपूर्ण तरीकों के बावजूद भी दिल्ली की सत्ता समाप्त हो चुकी थी। सुल्तान बलवन के दयनीय अन्त ने राजमुकुट की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाया था, तथा परिस्थितियों के अनुसार इस समय अधिक प्रभावशाली उपायों की आवश्यकता को महसूस कराया। इस समय परिस्थिति के अनुसार एक शासक के लिए भावुकतापूर्ण दयालुता अच्छी नहीं थी जिसका कि मूल दायित्व पश्चिमी बंगाल से मंगोलों को मार भगाना और सल्तनत का प्रसार आरम्भ करना था।

कार्य तथा पद वितरण—जलालुद्दीन ने कौलगाड़ी को एक नवीन नगर का रूप दिया। उसने मुइजुद्दीन के महल को पूरा करवा कर उसे आकर्षक खुदाई तथा खेवों से सजाया। सुल्तान ने यमुना के किनारे एक अति सुन्दर उद्यान लगवाया तथा बाजार खोले गए। सुल्तान की यह इच्छा थी कि दिल्ली के लोग अपने विशाल भवन वहाँ पर निमित्त करवाएं।

सुल्तान ने जनता का विश्वास थोड़े से समय में ही अपनी चारित्रिक श्रेष्ठता, उदारता और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण प्राप्त कर लिया था। उसने प्रारम्भ में जनता की भलाई के लिए बहुत से अच्छे कार्य किये। इन्हीं कार्यों के द्वारा उसने अधिकांश लोगों की घृणा को स्नेह में बदल दिया था। उसने सबसे पहले एक बहुत ही भव्य दरवार का आयोजन किया। उस उस दरवार में उसने शाही परिवार के सभी सदस्यों, क्रान्तिकालीन सैनिकों तथा अन्य सरदारों तथा ग्रामीरों को शाही उपहारों और विभिन्न पदों तथा पदवियों से पुरस्कृत किया। सुल्तान ने बजीर का पद स्थाया खातिर को दिया तथा दिल्ली के कोतवाल का पद मलिक-उर-उमरा फखरुद्दीन को दिया तथा मनिकपुर के हाकिम पद पर मलिक छज्जू को पूर्ववत् बना रहने दिया गया। ये सभी लोग बलवनी वंश के समर्थक थे। इन सभी व्यक्तियों की सुल्तान जलालुद्दीन ने उदारता-पूर्वक अपने-अपने पद पर ही रहने दिया। सुल्तान ने इहत्तयारुद्दीन जो कि उसका बड़ा बेटा था उसे राजधानी के ही निकटवर्ती क्षेत्र का शासक नियुक्त कर खान-ए-खाना की पदवी दी। सुल्तान ने अपने दूसरे बेटे हिसामुद्दीन को अर्कली खाँ की पदवी दी। कुछ समय बाद अर्कली खाँ को सुल्तान का हाकिम नियुक्त किया और सीमा-रक्षा का भार उसी पर डाला।

इसी प्रकार सुल्तान न तीसरे बेटे को कइरा की उपाधि दी। उसने ताजुल-मुल्क की उपाधि अपने चाचा का दी तथा अलाउद्दीन और मुईजुद्दीन (जा अलमास बेग के नाम से प्रसिद्ध थे) सुल्तान के भतीजे थे उन्हें अमीर-ए-तुजक तथा आसुर बेग (हूपरि) का पद दिया गया। वायेश खान की उपाधि सुल्तान क भाई मलिक खामोश को दी गई तथा आरिज ए मुमालिक (युद्धमंत्री) का पद उसे सौंपा गया। नायब बादशह के पद पर सुल्तान ने अपने एक सम्बन्धी मलिक अहमद चप को नियुक्त किया। इन पदा के अतिरिक्त अन्य दूसरे पदों के वितरण में सुल्तान न खल्जी तथा गैर खल्जी दोनों ही वर्गों के लोगों का ध्यान म रखा। उसने फकीर मन्दर मलिक खुर्रम को तथा हाजिब-ए-आस मलिक नासिरुद्दीन कुहरामी का बनाया। दादबेग या ग्यायकतर्त मलिक फयसुद्दीन कूची को बनाया गया। अमीर-ए-मिकार मलिक हिरत-मार का बनाया गया। शाहना-ए-पीस का अहमद मलिक नासिरुद्दीन राना को दिया गया।

इस प्रकार सुल्तान न अपने इन कार्यों से सभी का अपने आधीन कर लिया। इससे सभी अमीरों तथा जनता में शांति की लहर दौड़ गई तथा बोलगडी के वैभव से सभी लोग प्रभावित होने लगे तथा इन प्रकार धीरे-धीरे इच्छा तथा अनिच्छा से नये सुल्तान की आधीनता स्वीकार कर ली।

राजधानी दिल्ली में प्रवेश—सबका अपने आधीन करके तथा सभी को प्रभावित करके अब सुल्तान जलालुद्दीन राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर सकता था। जब दिल्ली के कोतवाल न सुल्तान को आशवासन तथा आमन्त्रण दिया, सुल्तान ने उसे स्वीकार करके दिल्ली में प्रवेश करने का निश्चय किया। लेकिन सुल्तान अत्यधिक भावुक था क्योंकि जब वह बलबन क साल महल के द्वार पर पहुँचा तो उसने पुरानी बातें याद करके तथा भावुक होकर अपने घोड़े से उतर कर उसी तरह से सिर को झुकाया जिस तरह से कि वह बलबन के जीवन काल में उसके मामने झुकाया करता था। अब सुल्तान ने बलबन के महल में प्रवेश किया तो वह बलबन के दश की दयनीय दशा का स्मरण करके घामू बहाने लगा। उसने अपनी पगड़ी उतार कर आँसु की श्रृंखला ली। इस प्रकार से सुल्तान के भावुक आचरण को देखकर दिल्ली के बड़े बड़े लोग बहुत प्रभावित हुए लेकिन युवा सरदारों तथा अमीरों को उसका भावुक आचरण सुल्तान पद की प्रतिष्ठा के प्रतिफल लगा।

सुल्तान जलालुद्दीन की उदार शासन नीति से सरदारों और अमीरों में असन्तोष—इस प्रकार सुल्तान जलालुद्दीन की उदार शासन नीति से सरदार और अमीर वर्ग में अत्यधिक असन्तोष फैल गया तथा वे लोग विभिन्न अवसरों पर सुल्तान की नीति की कटु आलोचना करने लगे तथा तरह-तरह के पक्षपात करने लगे। इस प्रकार कई बार जलालुद्दीन इनके पक्षग्रन्थों में पसा। क्योंकि सभी सरदार तथा अमीर वे नहीं चाहते थे कि उनका सुल्तान इनका भावुक हो, क्योंकि उनका

कहना था कि वही व्यक्ति सुल्तान बनने के लायक है जो कि शत्रुओं को दण्ड दे सके तथा मित्रों को समुचित पुरस्कार दे सके। जो ये नहीं कर सकता वह सुल्तान बने रहने के योग्य नहीं है और इस प्रकार के सुल्तान के प्रति निष्ठा रखने से कोई लाभ नहीं है। उनका कहना था कि सुल्तान को दलबन्ध की नीति पर ही चलना चाहिए क्योंकि वह कभी भी अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को नहीं भूलता था तथा आवश्यकता पड़ने पर कठोर से कठोर दण्ड देता था। सुल्तान जलालुद्दीन की उदारता को अमीर लोग उसकी कायरता समझते थे। उनका कहना था कि सुल्तान का क्षमाशील स्वभाव तथा सरल आचरण को वे उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं मानते थे। उनका यह विचार था कि सुल्तान को शासन करने में हमेशा सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए।

जब सुल्तान ने मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन किया तथा दमन के पश्चात् सुल्तान ने विद्रोहियों के साथ सम्मानित मेहमानों जैसा व्यवहार किया जबकि, सुल्तान को चाहिये था कि सभी विद्रोहियों का वध करवा दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यही कारण था कि सुल्तान जलालुद्दीन का यह व्यवहार अमीरों को बहुत बुरा लगा। उसके पश्चात् सुल्तान अपनी राजधानी फीलूगडी में जाकर अपने शासन कार्य में व्यस्त हो गया, लेकिन सुल्तान के कार्यों की आलोचना अमीरों तथा बड़े लोगों में चलती रही। अमीरों और सरदारों का कहना था कि अच्छे शासक में सैनिकोचित गुणों का होना अत्यधिक आवश्यक है।

धरनी के अनुसार—“सुल्तान जलालुद्दीन को न तो राज्य करना आता है और न ही उसमें सुल्तान की सी शान ही है। इसलिए लोग उससे डरते नहीं हैं। सुल्तान का कार्य मुगलों (मंगोलों) से युद्ध करना था। परिस्थिति के अनुसार यही कार्य उसके लिए उपयुक्त था, लेकिन अमीरों तथा सरदारों का कहना था कि सुल्तान शासन के विषय में कुछ भी नहीं जानता है। उनके अनुसार शासक में दो प्रकार की योग्यताओं का होना आवश्यक था। पहली शासक शासकोचित खर्च करे तथा अपनी उदारता दिखाए, दूसरे शासक में शान और कठोरता का होना बहुत आवश्यक है जिससे कि लोग उसे आतंकित रहें। जब सुल्तान में ये गुण होंगे तभी वह शत्रुओं को पीछे हटा सकता है तथा विद्रोहों तथा विद्रोहियों का दमन कर सकता है। इन दोनों ही गुणों का सुल्तान जलालुद्दीन में अभाव है। जब भी सुल्तान के सामने किसी अपराधी को उपस्थित किया जाता है तो सुल्तान उसे किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं देता है और उसे यह शपथ लेकर के मुक्त कर दिया जाता है कि वह भविष्य में फिर ऐसा कार्य नहीं करेंगे। सुल्तान अपने पास बैठे हुए लोगों से इस प्रकार कहता था कि मैं लड़ाई के मैदान में लोगों का वध कर सकता हूँ, लेकिन किसी बंधे हुए अपराधी को नहीं मरवा सकता हूँ क्योंकि यह कार्य मेरी भावना के प्रतिकूल है।”¹

अमीरों के एक पहचान का बरतन करते हुए बरती—अमीर लोग मुल्तान जलालुद्दीन के विरुद्ध बहुत ही असफल तथा विद्रोहपूर्ण भाषा का प्रयोग करते थे। एक दिन मलिक साजुद्दीन बूची की हवेली की बूची में एक गोष्ठी हुई थी। वहाँ पर सभी अमीर शरार के नशे में मग्न थे तथा अपनी सपन सों बँठे। वे लोग जलालुद्दीन से कहने लगे, 'तुम मुल्तान बनने के योग्य हो, यह जलालुद्दीन मुल्तान बनने के योग्य नहीं है।' इस तरह से सभी अमीर नशे में मग्न होकर बातें करने लगे। एक अमीर कहने लगा "मैं शिकार करन के छाकू से मुल्तान के टुकड़े कर दूंगा।" इसी प्रकार से दूसरे अमीर ने अपनी तलवार निकालकर कहा 'मैं अपनी तलवार से मुल्तान के टुकड़े-टुकड़े कर दालूंगा।' इस प्रकार की बातचीत में मालूम पड़ता है कि सरदार और अमीर जलालुद्दीन की नीति से असन्तुष्ट थे और न ही उन्हें मुल्तान से किसी भी प्रकार का भय था। मुल्तान के रूप में जलालुद्दीन की नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन उसके विभिन्न कार्यों के प्रकाश में ही किया जा सकता है। इसलिए मुल्तान जलालुद्दीन के कार्यों की समीक्षा करने से पूर्व उनके शासनकाल की समस्त घटनाओं पर दृष्टिपात करना अत्यधिक आवश्यक है।

मलिक छगजू का विद्रोह (1290 ई.)—मुल्तान के विरुद्ध सरदार तथा अमीर लोग राजधानी में तथा राजधानी के बाहर पहचान रखने लगे तथा धीरे-धीरे विद्रोह करते लगे। राज्यारोहण के दो माह पश्चात् ही कदा मनिपुर का हाकिम मलिक छगजू ने विद्रोह कर दिया।

जैसाकि डा के. एस. शार ने लिखा है—अमाध्य तत्व जलालुद्दीन की नज़रता का लाभ उठाने में पीछे नहीं रहे।¹ मलिक छगजू ने जो कि बलबन का भतीजा था विद्रोह करके दिल्ली की ओर चल पड़ा। उसने सफेद छत्र को धारण किया तथा अपने नाम का 'सुतवा' पहनाया। अनेक अमीर जो कि मुल्तान जलालुद्दीन से असन्तुष्ट थे वे सभी मलिक छगजू के पक्ष में हो गए जिसमें अमथ का जागीरदार मलिक अमीर खली सरजानदार भी था जो बलबन के एक दास का पुत्र था। मलिक छगजू ने मुल्तान 'मुघोसुद्दीन' की उपाधि धारण की तथा सिंहासन पर अपना अधिभार स्थापित करने के लिए वह दिल्ली की ओर चल पड़ा। उसे पूर्ण धारा थी कि दिल्ली के लोग उसके साथ अवश्य मिल जायेंगे। इस प्रकार मलिक छगजू के विद्रोह ने मुल्तान जलालुद्दीन को सक्रिय कर दिया। उसने बीनगुदी में अपने बड़े बेटे खान-ए-खाना को प्रतिनिधि नियुक्त किया तथा स्वयं विद्रोह को दबाने के लिए चल दिया। उसने अपने पुत्र अकरी खा को सेना के अधिभार दमते के साथ पहले ही आगे भेज दिया जो कि बाड़ से भरी कनी नदी को पार करके शत्रुओं पर दूट पड़ा। इस तरह के प्राकृतिक हमले में मलिक छगजू खबरों गया तथा भाग खड़ा हुआ, वहाँ से भी उसका पीछा किया

1. के. एस. शार, दिल्ली का एक द शत्रु, पृ. 19

गया तथा उस गढ़ी में उसे बन्दी बना लिया गया जहां पर कि उसने आश्रय लिया था। बन्दी बनाकर अर्कली खाँ विद्रोही छज्जू खाँ और अमीरों को लेकर बदायूँ सुल्तान के पास पहुंच गया। इससे खुश होकर सुल्तान ने अर्कली खाँ को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया। उसके पश्चात् उसने विद्रोहियों का निर्णय करने के लिए एक विशेष दरवार का आयोजन किया, उस दरवार में तत्कालीन परिपाटी के अनुसार ही विद्रोहियों को अत्यधिक दयनीय स्थिति बनाकर दरवार में सुल्तान के सम्मुख पेश किया गया। "उन विद्रोहियों के कन्धे पर जूथा रखा गया तथा हाथों को बंदन के पीछे की ओर बांधा गया। उनके सारे शरीर को धूल तथा कूड़े से सान दिया गया और उनके कपड़ों को मलिन बना दिया।" जब सुल्तान के सामने इस स्थिति में विद्रोही आए तो सुल्तान उनकी इस दुर्दशा को देखकर विलख-विलख कर रोने लगा तथा उसने आज्ञा दी कि इसी समय सभी बन्धकों को बन्धन से मुक्त कर दिया जाय। उन्हें सभी को नहलाकर तथा साफ कपड़े पहनाकर उसके सम्मुख पेश किया जाय। बरनी ने लिखा है—“सुल्तान ने सभी बन्धियों को अपने निजी निवास पर बुलवाया तथा मेहमानों की भाँति सभी बन्धियों का स्वागत किया गया और उनके लिए शराब भंगवाई गई। जब सुल्तान ने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया तो उन लोगों ने नजरें भी ऊपर नहीं उठाई और चुपचाप खड़े रहे थे। सुल्तान ने उन्हें सान्त्वना दी तथा उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया। सुल्तान ने उनसे कहा कि आप लोगों ने जो तलवारें उठाई थी वह अपने पुराने हितैषी का समर्थन करने के लिए उठाई थीं। इससे आपने ईमानदारी का ही काम किया था वेईमानी का नहीं किया था।”¹

जब सुल्तान ने बन्दी अमीरों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया तो इस व्यवहार के कारण सल्जी अमीर खुश नहीं थे। वे सुल्तान के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। उनका कहना था कि सुल्तान को शासन करना नहीं आता है। उसे कई लोगों ने समझाया। मलिक अहमद चप जो कि सुल्तान के काफी निकट था, उसने कहा कि आप विद्रोहियों के प्रति ऐसा व्यवहार न करें क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार सुल्तान की प्रतिष्ठा तथा राज्य की सुरक्षा दोनों के विरुद्ध है क्योंकि इससे अन्य लोगों को भी विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार से सुल्तान ने विद्रोहियों को बिना किसी दण्ड दिए मुक्त कर दिया तथा मलिक छज्जू को मुल्तान भेज दिया तथा वहाँ पर उसे सभी सुविधाएं दे दी गईं, लेकिन उसे अर्कली खाँ के नियन्त्रण में रहने के लिए कहा गया।

डा. पाण्डेय ने लिखा है, “इस प्रकार जलालुद्दीन द्वारा विद्रोहियों के प्रति अपनाई गई नीति सफल हुई क्योंकि भविष्य में उन लोगों ने फिर कभी विद्रोह करने की कोशिश नहीं की।

ठगी का दमन—सुल्तान जलालुद्दीन की नरम नीति का लाभ उठाकर दिल्ली

म तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में ठगा और डाकुओं ने सूतमार मचा रखी थी तथा उन्होंने जनता को बहुत ही ज्यादा प्रभत कर दिया था। वे बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार करने लगे थे। उन्हें शान्त करने के लिए सुल्तान को यह भावश्यक हो गया कि वह तुरन्त कार्यवाही करे लेकिन जब इन्हें बन्दी बनाकर सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने उन्हें चोरी न करने का उपदेश दिया तथा कोई भी दण्ड नहीं दिया। सुल्तान ने उनसे शपथ ली कि भ्रष्ट वे कभी भी चोरी नहीं करेंगे। यह शपथ दिलाकर उन्हें छोड़ दिया। इस पश्चात् इन्हीं ठगा म म एक ठग ने लगभग एक हजार ठगों को पकड़वाया तो भी सुल्तान ने उन्हें दिल्ली से दूर बगाम में छोड़वा दिया और किसी भी तरह का कोई भी दण्ड उन्हें नहीं दिया गया। केवल उन्हें यह चेतावनी दी गई कि फिर वे दिल्ली के निकट नहीं आयेगे। इस तरह के सुल्तान के व्यवहार के कारण सभी भ्रमीर सुल्तान से नाराज हो गए तथा वे सोचने लगे कि ऐसा व्यक्ति सुल्तान बनने के कदापि योग्य नहीं है जो कि भ्रष्टाचारियों के साथ इतनी उदारता का व्यवहार करे। क्योंकि ममस्त सल्तनत काल में भ्रष्टाचारियों के साथ इतनी उदारता का व्यवहार नहीं किया गया था।

डा पाण्डेय ने लिखा है कि—'सुल्तान ने ठगों को पकड़ने में जो मुस्लोदी दिखाई उससे वे डर गए और उसकी भ्रष्टाचार उदारता से प्रभावित होकर वे या तो वहीं दूसरी जगह चले गए या फिर उन्होंने अपना वह कार्य छोड़ दिया था जो कि उन्होंने रोटी कमाने के लिए अपनाया था।' तरकामीन इतिहासकारों के वर्णन से यह पता लगाना कठिन है कि इस नीति के कारण ठगों का उत्पात नथमुच बन्द हुआ था नहीं। लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन की उदारता के दुष्परिणामों का उल्लेख इस प्रकार नहीं नहीं किया है कि ठगों का जोर बहुत बढ़ गया। इस बात से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सुल्तान की उदारता से ही प्रभावित होकर ठगों ने ठगों छोड़ दी थी।

भ्रमीरों का पडपन्य—सुल्तान जलालुद्दीन के सामाजिक स्वभाव के कारण सभी लोगों के मन से राजदण्ड का डर तिकल चुरा था। जिसके कारण सामन्त प्रपमानजनक बातें खुलकर करने लगे थे, वे लोग जगह जगह गोष्ठियाँ करने लगे थे तथा इन गोष्ठियों के माध्यम से सुल्तान के विरुद्ध पडपन्य रचे जाने लगे थे। एक दिन सभी भ्रष्ट सुट्ट भ्रमीरों ने मलिक ताजुद्दीन कूची की हवेली में एक गोष्ठी की जिसमें सुल्तान के लिए भ्रष्ट ही भ्रष्ट तथा विद्रोहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया। सभी भ्रमीर शराब के नशे में बहक रहे थे। कोई कह रहा था कि जलालुद्दीन तो सुल्तान बने रहने के योग्य है ही नहीं, इसकी जगह ताजुद्दीन सुल्तान बनने के योग्य है। यह भी कहा गया कि भ्रष्ट अलिखियों में कोई सुल्तान बनने योग्य है तो प्रहमद अप ही है, जलालुद्दीन नहीं। उनमें एक भ्रमीर ने कहा—'मैं जलालुद्दीन को इस तरह से काट डालूंगा जैसे ककड़ी खीरा हो।

इस तरह के विद्रोहपूर्ण शब्द जब सुल्तान जलालुद्दीन के कान में पड़े तो उसे बहुत श्रेय प्राया क्योंकि वह पहले भी कई बार ऐसी बातें सुन चुका था लेकिन

उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस वार जब उसने ऐसी बातें सुनी तो वह सहन नहीं कर सका और उसी समय उसने शराबी अमीरों को बुलाया और बुलाकर फटकारा तथा अपनी तलवार को जमीन पर फेंक कर ललकारा और सामन्तों से कहा कि, 'क्या तुम में से कोई भी तलवार उठाकर मेरे साथ ईमानदारी से लड़ सकता है।' जब सभी अमीरों ने देखा कि सुल्तान का मिजाज विगड़ रहा है उन्हें अपने भविष्य के बारे में आशंका होने लगी, उनमें से एक चापलूस तथा विनोदी स्वभाव के अमीर ने कहा कि शराबी लोग शराब पीकर हास्यास्पद बातें करते हैं। आप तो हमारे पिता के समान हैं, हम ऐसे सुल्तान का बध कभी नहीं कर सकते। जब नसरतशाह ने इस प्रकार के शब्द सुल्तान से कहे तो सुल्तान की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए और उसने सभी सामन्तों को माफ कर दिया। माफी के पश्चात् सुल्तान ने "हुष्ट अमीरों को अपनी-अपनी जागीर में भेज दिया तथा यह आदेश दिया कि वे लोग एक वर्ष तक वहीं पर ठहरें और नगर में प्रवेश न करें।" सभी अमीरों को इस प्रकार की चेतावनी दे दी गई कि अब वे लोग कभी भी सुल्तान को श्रद्धा करने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर फिर उन्होंने इस तरह का कोई कार्य किया तो उन्हें अक़ली ख़ाँ के सुपुर्द कर दिया जायेगा जिसके कि कठोर दण्ड विधान से सभी अच्छी तरह से परिचित थे।

सीद्दी मौला का पड़यन्त्र—सुल्तान जलालुद्दीन के विरुद्ध दूसरा पड़यन्त्र सीद्दी मौला के नेतृत्व में हुआ था। इस समय सुल्तान ने क्रोधवश पहली बार सुल्तान ने "साधारण निर्ममता" का व्यवहार किया। सीद्दी मौला फारस का एक दरवेश था जो कि बलबन के शासन काल में दिल्ली में ही बस गया था। उसने अजोधन के शेख फरीदुद्दीन गज-ए-शाकर से दीक्षा ली थी। उन्होंने उसे राजनीति के मामलों से दूर रहते हुए आध्यात्म चिन्तन का उपदेश दिया था। जब सीद्दी मौला दिल्ली में आए तो उनके पास सुल्तान से असन्तुष्ट बड़े-बड़े अमीर आने लगे। ये सभी अमीर सुल्तान से किसी न किसी कारण से असन्तुष्ट थे। शाहजादा खान-ए-खाना भी मौला के पास आता था। सीद्दी मौला गरीब लोगों को भोजन कराने में मुक्त हस्त से व्यय किया करता था। उसने एक खानकाह (मठ) भी बनवाया था। उसी मठ में ही निर्धनों को भोजन कराने की भी व्यवस्था थी। डा. के. एस. लाल के अनुसार "सीद्दी मौला के खानकाह में तथा उनके नेतृत्व में एक पड़यन्त्र चल रहा था जिसका कि मुख्य कारण सुल्तान की श्रायु थी जो कि सत्तर वर्ष से भी अधिक हो चुकी थी, ऐसी स्थिति में वह कभी भी मृत्यु का आलिंगन कर सकता था। इस समय सुल्तान के दोनों ही बेटे सिंहासन पर आसन्न गड़ाए बैठे थे। वे अपनी स्थिति सुल्तान के जीते जी ही सुदृढ़ कर लेना चाहते थे। इसलिए राजधानी में दो दल बन गए थे। एक दल अक़ली ख़ाँ के नेतृत्व का था, दूसरा दल खान-ए-खाना के नेतृत्व में था जिसने कि सीद्दी मौला से गठबंधन कर लिया था। ये दोनों दल एक दूसरे के

प्रतिद्वन्दी हो गए थे।¹ इस साल के अनुसार "इस बात पर सन्देह करने क पूरा कारण है कि खान ए खाना सीद्दी मौला क खानकाह का पूरा व्यय करता था।" मुल्तान के एक गुप्तचर के द्वारा ही मुल्तान को सीद्दी मौला के खानकाह की पूर्ण स्थिति का ज्ञान हुआ था। जैसे ही मुल्तान को पूर्ण पडहय-न की जानकारी का बोध हुआ उसने तुरन्त ही सभी पडहयनकारिया को गिरफ्तार कर लिया और बेडियों में धमोटे कर मुल्तान क ममस्य पेश किया गया। मुल्तान क ममस्य जाकर उन्होने धपन आपको निर्णय बनाया। मुल्तान ने उन्हें धपना धपराध स्वीकार करने के लिए कड़ा लेकिन उद्दान उस स्वीकार नहीं किया। उन दिनों इस प्रकार की प्रथा नहीं थी कि धपनाधिया को मार पीटा कर उनका धपराध स्वीकार कराया जाय। जब धपराधिया न किमी भी प्रकार स धपना धपराध कबूल नहीं किया तो मुल्तान न आदेश दिया कि बुरहानपुर एक बड़ी प्राग जसाई जाय तथा धपराधिया को उन प्राग पर रोककर मच्चाई मालूम की जाय। जब मुल्तान ने धपराधियों का इस प्रकार का दण्ड दिया तो काजियो न कहा कि धग्नि परीशा शरियत (कानून) के खिलाफ है। मिक एक आदमी के साक्षी के भायार पर किसी को राजद्रोह का धपराधी नहीं माना जाता। काजियो के विरोध करने स मुल्तान ने धग्नि परीशा को त्याग दिया। उसन जो सन्देहास्पद धमीर थ उन्हें विभिन्न स्थाना पर भेज दिया और उनकी ममस्य सम्पत्ति को जहन कर लिया गया। जिन्होने मुल्तान के वध का इत्तरदारित्व ममाना था, उन्हें कठोरता से दण्डित किया गया। उसने काजी जलाल काशानी को बदायूँ के काजी के पास भेज दिया। तत्पश्चात् सीद्दी मौला को बेडिया और जजोरा से जकड कर मुल्तान के सामने लाया गया। जैसे ही मुल्तान ने उसे देखा, देखते ही वह पागल सा हो गया और उसने ओधोन्मत्त होकर शैल झडूबकर तुमी जाँ कि धपन साधियों के साथ उस समय कहाँ पर उपस्थित था, मुल्तान ने उससे कहा, "ए दरवेशा, मौला से मेरा बदला लो।" उन दरवेशो में से एक दरवेश मौला के ऊपर धुरी तरह झपटा तथा उसने उत्तरे से उसे कई जगह से काट डाला। इसी समय धर्कनी ला जो कि महल की छत पर था उसने वहीँ से एक महायन का सबेरा किया। महायत ने सकेत पाते ही हाथी को मौला के ऊपर चडा दिया और उन कुचनवा दिया।

मुल्तान ने अभी तक सामारण आदमियों के ही पडहय-न एव धर्बध कायों का सामना किया था, उसने उन्हें समा न करने पर भी अधिक् कठोर दण्ड नहीं दिया था। लेकिन अब मुल्तान का पाला एक उच्च कोटि क सम्म से पडा था जो कि केवल माधुता एव सिद्धि होने का दिसावा करना था तथा धन और धरती प्राप्त की चेष्टा हत्या द्वारा करता था इसी प्रकार के लोग मुस्लिम मनाज के आदर्श

निर्माता थे। इस प्रकार की घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि “सुल्तान के विरुद्ध एक पद्धत्यन्त रचा गया था जिससे सीढ़ी गम्भीरता पूर्वक सम्बद्ध था।”

वैदेशिक नीति—सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने शासन काल में स्वयं दो अभियान किये—

1. रणथम्भौर अभियान—सीढ़ी नीला के काण्ड के कुछ समय बाद ही खान-ए-खाना की सन्देशास्पद भृत्यु की धोखा की गई। अर्कली खां को युवराज बना दिया गया। जब 1291 में सुल्तान ने रणथम्भौर पर आक्रमण किया, उस समय अर्कली खां संरक्षक बन कर दिल्ली में ही रहा। रणथम्भौर का मजबूत दुर्ग जिसके लिए बलबन भी कई बार प्रयास करने के बावजूद भी जीतने में असमर्थ रहा था। सुल्तान जलालुद्दीन ने इस पर अधिकार करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये। उसने सर्वप्रथम भाँई पर आक्रमण कर दिया तथा उस पर अपना अधिकार कर लिया। उसके पश्चात् एक दल मालवा की ओर भेजा। उसने सफल धावे से लूट का काफी माल प्राप्त किया। भाँई पर आक्रमण करने में सुल्तान ने अपनी धार्मिक महिष्णुता का परिचय दिया। उसने वहाँ के मन्दिरों की तथा मूर्तियों की प्रशंसा की लेकिन साथ ही उसने उनके विनाश की आज्ञा दे दी। ब्रह्मा की दो विशाल मूर्तियाँ जो कि “एक हजार मन से अधिक थी टुकड़े-टुकड़े कर डाली गई। असंख्य टुकड़ों में उन्हें विभाजित कर उन्हें दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवेश द्वारों पर डाले जाने के लिए अधिकारियों में बाँट दिए गए।” भाँई तथा मालवा का विनाश करने के पश्चात् सुल्तान रणथम्भौर की ओर बढ़ा। उस समय रणथम्भौर के दुर्ग का राणा किले की स्थिति को सुदृढ़ करके आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार था। सुल्तान युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। उसने मगरवी, सावरत, और गरगच जैसे युद्ध यन्त्रों के निर्माण की आज्ञा दी। इसके पश्चात् स्वयं सुल्तान ने किले के चारों ओर का निरीक्षण किया। जब सुल्तान ने दुर्ग का भली-भाँति निरीक्षण कर लिया तो उसने दुर्ग की सुदृढ़ता को देखकर यह अनुमान लगाया कि यह सुदृढ़ दुर्ग बहुत से मुसलमानों के बलिदान के नहीं जीता जा सकता है। सुल्तान इस दुर्ग का मूल्य एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता था। उसने सोचा कि इस दुर्ग को हस्तगत करने में उसे बहुत से मुसलमानों के जीवन की प्राणति देनी पड़ेगी। वह भावुकता में बह गया कि बहुत से मुसलमानों की विधवाएँ और अनाथ बच्चे उसके सामने आकर के खड़े हो जायेंगे और इस प्रकार यह लूट एक कष्टता में परिवर्तित हो जायेगी। इस प्रकार भावुकता में बह कर सुल्तान ने घेरा उठा लिया और अगले ही दिन दिल्ली की ओर प्रयाण किया। अभी जलालुद्दीन को गद्दी पर बैठे एक ही वर्ष हुआ था तथा खलिजियों के विरोधी अचसर की तलाश में थे। ऐसे समय में उसने राजधानी से बहुत दिनों तक बाहर रहना उचित नहीं समझा और

सेना का पैग उठाकर सिन्धी गोटन की छात्रा दे दी। इस पाप्यम का विद्वता गुण मल है कि जब मुल्तान जलानुदीन ने दुर्ग की भरोसा दीवारा को देखा तथा राजपूता की शक्ति का अनुमान लगाया तो यह सोचा कि दुर्ग पर आगानो से प्रविष्टार नहीं किया जा सकता है। बरनी के अनुसार मुल्तान ने मुसलमानों को बचाने का लिए ही पैग उठाया था। लेकिन यह बात उचित प्रतीत नहीं होती है क्योंकि अगल मुल्तान को मुसलमानों को ही बचाने की शक्ति होती तो वह विजय अभियान को इतना ही लिये तैयार क्यों दे देता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इस बात से हम मान्य होना है कि खलजियों से लड़ने का काम मुल्तान की मानसिक दुर्बलता नहीं थी बल्कि उस समय की राजनसिद्ध परिस्थिति और मतिव्यथा व्यवस्था थी।¹

मगोनों के विरुद्ध अभियान—1292 ई. में हुलाकू के पीछे अशुल्कान ने 15 तुमाता 150000 सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण किया तथा धीरे धीरे वह मुल्तान तक बढ़ आया। जब मुल्तान को इसकी सूचना मिली तो वह भी अपनी विशाल सेना को लेकर अशुल्कान पहुंच गया तथा नदी के पूर्वोत्तर पर मगोनों का मार्ग रोकने के लिए पड़ाव डाल दिया। लेकिन किसी तरह से मगोना की सेना का एक बड़ा टुकड़ा नदी पार करने में समर्थ हो गया। मुसलमानों ने उन पर भीषण युद्ध करते उन्हें पराजित कर दिया। पराजित करने के पश्चात् हुजारा मगोनों को युद्ध में बंदी बनाया गया। बाद में दोनों पक्षों में सन्धि हो जाने पर अशुल्कान अपने देश को वापस चला गया। लेकिन कथमना व एक पुत्र उलूखना ने भारत में ही ठहरे का निश्चय कर लिया। उनका अपन मगोरा तथा सैनिकों को भी भारत में ही रोक लिया।

बरनी उलूखना तथा उनके सभी साथी कलमा परकर मुख्यमाल हो गए। सुल्तान ने अपनी एक पुत्री का विवाह उलूखना से कर दिया। सुल्तान ने उनके रहने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी। उन्होंने कौत्तरी गियासपुर इलाक़ा (इलाहाबाद) तथा ताजुशा में उनके रहने का प्रबंध कर दिया गया। लेकिन बलांग प्रतिक समय तक भारत में रहा। एक सके क्योंकि तगर के महान्त वहाँ की जलवायु उनको अनुकूल नहीं हुई इसलिए वे सब अपने परिवार सहित स्पेदेह लौट गए। उनके कुछ मुनिवध लोग ही भारत में रहे गए। तगर के जिस हिस्से में वे लोग रहने थे वह मुगलपुर कहलाता था।

मुल्तान का सतीजे से मिलन और बंध—मुल्तान जलानुदीन को अपने पुत्र चरा द्वारा गान हुआ कि अलाउद्दीन खदेरी नहीं तथा बलिक उलूखन देवविरी पर आक्रमण करने बड़ा की बहुत धन राशि प्राप्त करने कायम मोट रहा है। उस समय सुल्तान मगोरा पर था। जब सुल्तान ने अलाउद्दीन की विजय के बारे में

सुना तो वह बहुत खुश हुआ क्योंकि वह सोच रहा था कि उसका भतीजा इस बार भी लूट का सारा सामान उसके चरणों में अर्पित कर देगा, जैसा कि उसने भिलसा विजय के समय किया था। यह सोच कर सुल्तान ने भतीजे की विजय के उपलक्ष्य में अनेक उत्सव मनाए और अपना निजी दरबार लगाया। उसमें अपने सभी विश्वस्त सलाहकारों को ही बुलवाया और उनसे राय ली कि उसे राजधानी लौट जाना चाहिए या अलाउद्दीन से मिलने जाना उचित होगा। अहमद चप जो कि उस समय नायब वारवक था जो कि बहुत ही बुद्धिमान तथा व्यवहारिक व्यक्ति था उसने सुल्तान से यह निवेदन किया कि बुद्धिमान लोगों का यह विचार है कि घन और संघर्ष या संघर्ष और घन दोनों का आपस में परस्पर सम्बन्ध है। अलाउद्दीन ने आपकी अनुमति के बिना ही विदेश में जाकर युद्ध किया तथा वहां पर कोश प्राप्त कर लिया है, अभी वह उन विद्रोहियों तथा उत्पातियों से घिरा हुआ है जो कि मलिक छज्जू के समर्थक थे। अहमद चप ने कहा, इस समय जितनी जल्दी हो सके हमें चन्देरी की ओर प्रयाण कर देना चाहिए। उसका सामना करके उसे आगे बढ़ने से रोक देना चाहिए। ऐसा करने से जब वह अपने रास्ते में सेना देखेगा तो लूट का सारा माल उसके सैनिकों में वितरित कर देगा। उसकी जागीर भी बढ़ा दी जाय और वहां से अलाउद्दीन को सम्मान पूर्वक दिल्ली लाया जाय, लेकिन सुल्तान ने इस परामर्श को नहीं माना। उसने दूसरे अमीरों की सलाह पर दिल्ली लौटने का निश्चय कर लिया। इधर अलाउद्दीन ने एक कपट पूर्ण योजना बनाई और एक कपटभरा पत्र जलालुद्दीन को लिखा, जिसमें कि उसने डरने का अभिनय किया कि मैं आपके सम्मुख उपस्थित होने का साहस नहीं कर सकता, अगर आप पत्र द्वारा आश्वासन करें तो मैं आपके सम्मुख उपस्थित होने का साहस कर सकता हूँ। उसने पत्र में यह भी लिखा कि वह लूट का भारी घन और हाथी, घोड़े सुल्तान को भेंट करना चाहता है। जब इस प्रकार का पत्र सुल्तान को मिला तो सुल्तान ने अपने हाथ से एक स्नेह पूर्ण पत्र लिखा और अपने विश्वस्त कर्मचारियों के साथ कड़ा भेज दिया। जब वे पत्र लेकर कड़ा पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि अलाउद्दीन और उसकी सेना सुल्तान के विरुद्ध है, लेकिन सुल्तान तक इस बात की सूचना उसके कर्मचारी नहीं पहुंचा सके क्योंकि बर्षा आ जाने से सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। अलाउद्दीन को इस बात की पूरी आशा थी कि लूट का माल लेने के लिए सुल्तान अपने कुछ आदमियों को लेकर जहर आया और उसी समय उसे समाप्त कर उससे छुटकारा पा लिया जायेगा।

इस प्रकार से अलाउद्दीन की कपट पूर्ण चाल सफल हुई। उसने अपने भाई अलमास वेग को पत्र लेकर सुल्तान के पास भेजा। जब अलमास वेग ने अपने भाई का पत्र सुल्तान को दिखाया तो वृद्ध सुल्तान जो कि निष्कपट था, उसने अलमासवां को कड़ा की ओर रवाना कर दिया। उसने अलाउद्दीन से यह कहलवाया कि वह कहीं भी न जाये। उसने अलमास की खुशी में खूब नौबतें बजवाई तथा अलाउद्दीन

और सभी ओर घुमाया गया तथा अरब में अतंक फैलाने के लिए इस सिर की प्रदर्शनी की गयी। इस प्रकार सुल्तान जलालुद्दीन का अन्त करके कड़ा में पड़यन्त्र-कारियों ने शाही छत्र को अलाउद्दीन के ऊपर लगा कर उसे सुल्तान घोषित कर दिया।

जलालुद्दीन फिरोज शाह का मूल्यांकन—जलालुद्दीन एक सफल सैनिक नेता, शासक एवं वीर योद्धा था। उसने गद्दी पर बैठने के पश्चात् उदारवादी नीति से काफी सफलता प्राप्त कर ली थी डॉ. पाण्डेय का कथन है —“जलालुद्दीन पहला शासक था जिसने उदारता को शासन की आधारशिला बनाने का प्रयास किया।” उसने गद्दी पर बैठने से पूर्व तथा बाद में अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी। वह निरर्थक रक्तपात नहीं बहाना चाहता था, इसी कारण उसने रणधूम्रभोर के दुर्ग से अपने घेरे को उठा लिया था और मंगोलों से मित्रता पूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये थे। वह शासन का आदर्श कठोरता को नहीं मानता था। डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव ने भी सुल्तान को निरंकुशता के उस युग में उदारवादी और समन्वयकारी नीति को प्रयोग में लाने वाला माना है। सुल्तान कायर नहीं था यह निश्चित है, क्योंकि सल्तनत की उत्तर-पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा उसने समुचित रूप से की थी। उसने मंगोलों को पराजित कर उन्हें सन्धि के लिए बाध्य किया और दिल्ली में शान्तिपूर्वक बसने के लिए तत्पर किया।

डॉ. के. एत. लाल ने लिखा है कि, “ऐसा अक्रुशल शासक निश्चित ही दिल्ली की गद्दी के अयोग्य था और कभी भी कोई व्यक्ति राजमुकुट धारण करने के लिए इतना अयोग्य सिद्ध नहीं हुआ जितना खल्जी वंश का यह संस्थापक।” परन्तु इसके दाव भी उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा है कि, “एक शासक के रूप में असफल होने पर भी फीरोज एक भद्र पुरुष और अपने समय का एक अत्यन्त पवित्र मुसलमान था।”

अलाउद्दीन खल्जी (1296-1366 ई.)

प्रारम्भिक जीवन—1296 ई. में अपने श्वसुर व चाचा जलालुद्दीन खल्जी का वध कर अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शिहाबुद्दीन मसूद के ज्येष्ठ पुत्र अलीगुरशास्य को नये खिताब से गद्दी पर बैठाने से पहले उसके चाचा जलालुद्दीन का कटा हुआ सिर भाले की नोक पर उसके शिविर में घुमाया गया जिससे कि सैनिक उसकी मृत्यु से परिचित हो जावें। अलाउद्दीन ने सुरन्त दिल्ली पर अधिकार करने की तैयारियाँ की और अमीरों के माध्यम से नये सैनिकों की भर्ती की जाने लगी। अलाउद्दीन को मृत सुल्तान के पुत्र अकली खाँ से अत्यधिक भय था जो इस समय सुल्तान का गवर्नर था। उसमें अद्वितीय सैनिक प्रतिभा थी और स्वयं अलाउद्दीन उसके इस गुण से प्रभावित था। अलाउद्दीन का सौभाग्य था कि अकली खाँ ने कोई प्रतिकारात्मक नीति नहीं अपनाई और वह मुल्तान में ही बना रहा।

मलाउद्दीन बर्मा के कारण दिल्ली पर एकदम आक्रमण नहीं कर सका परन्तु उसने दिल्ली की घोर प्रत्यान क्रिया और मार्ग में लोगों को अपनी घोर मिताने के लिए घन लुटाया गया। घन लुटान में उसने वही ही महदयता म काम लिया और यदि बरनी के विवरण को स्वीकार किया जावे तो मजलिक की सहायता से प्रत्येक मजिल पर पाच मन सोन के तार लुटाये जाते थे। कुछ ही समय म चारा और मलाउद्दीन की इम महदयता का समाचार फैल गया और असख्य नाग इसकी प्राप्ति के लिये इकट्ठे होन लगे। सोन की चमक न हत्या के पाप को ढक दिया।

मलाउद्दीन जब दिल्ली की घोर बढ रहा था तब ही मुल्तान रकनुद्दीन न दिल्ली से नाजुद्दीन कूची आखूर बेग ममीर मरी, ममीर कला, हिरनमार आदि की मलाउद्दीन की सेना क विरुद्ध भेजा, परन्तु वे दारा पहुँच कर शत्रु से मिल गये। मलाउद्दीन ने इनको खूब सोना लुटाया और यदि बरनी की बात को स्वीकार किया जावे तो इन ममीरा और मलिको को 20 स 50 मन तक सोना दिया गया।

दूसरी घोर जब मलिक-ए-जहा की सफलता की कोई आशा न रही ता उसने अपने बडे पुत्र मर्कली खा की एक पत्र लिखा कि, "तुम्हारे होते हुए मैंने अपने सबसे छोटे पुत्र की गद्दी पर बँठाकर अपराध किया है। मलिक और ममीर उसकी आज्ञाभा की अवज्ञा करते हैं और उनम से बहुत सारे मलाउद्दीन से मिल गये हैं। तुम शीघ्र आकर अपने पिता का सिंहासन ग्रहण करो।" मर्कली खा न इसकी कमी गम्भीरता से नहीं लिया और क्याकि वह जानता था कि ममीरो तथा मलिको के मलाउद्दीन के साथ मिल जाने के बाद वहाँ जाना निरर्थक होगा।

मलाउद्दीन भागे बढता हुआ यमुना नदी तक पहुँच गया जहा उसने ममीरो म सोना लुटाकर और अधिक ममीरो को अपनी घोर मिला लिया। यमुना म बाढ जाने के कारण वह कुछ समय दहा रुका और फिर बाढ उतरने ही उसने यमुना पार की और दूसरे तट पर अपना शिविर गाढ दिया। रकनुद्दीन इब्राहीम ने उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी की परन्तु युद्ध के पहले उसकी सेना का एक बडा भाग मलाउद्दीन के पक्ष मे चला गया। उनका पक्ष अत्यधिक निर्बल हो चुका था और उसने ऐनी स्थिति देखकर गद्दी अछ्छा ममना कि वह भाग निकले। मलिक ए-जहा, सिलफाँ और अहमद चण आदि को लेकर वह गजनी दरवाजे से मुल्तान की घोर भाग गया।

दिल्ली में मलाउद्दीन का राज्यारोहण और नियुक्तियाँ—20 अक्टूबर सन् 1296 ई को विजयी मलाउद्दीन ने एक विद्याल संना के साथ दिल्ली मे प्रवेश किया। वह दौलतखान ए-जुलूम मे गद्दी पर बँठा। बीशाक-ए-लाग (तान महल) को, वहा पहले बलबन रहता था, उसने अपनी निवास स्थान बनाया। मलाउद्दीन के

नाम का खुतबा पढ़ा गया और सोने के सिक्के ढाले गये। जनसाधारण को उदारता से उपहार दिये गये और कुछ समय के लिए चारों ओर मस्ती का आलम छा गया। सेना को पुरस्कार-स्वरूप 6 माह का वेतन दिया गया। अलाउद्दीन की दानवीरता ने लोगों के मस्तिष्क से अलालुद्दीन के हत्याकांड को भुला दिया। अलाउद्दीन ने जलाली भूमियों को राज्य के ऊँचे-ऊँचे पद देकर, उनका समर्थन प्राप्त किया। जलालुद्दीन का प्रसिद्ध ख्वाजा जहान (प्रधान मन्त्री) ख्वाजा खातीर अपने पूर्वपद पर स्थाई कर दिया गया। काजी सद्र-ए-जहां आरिफ को काजी-ए-मुमालिक (मुख्य न्यायाधीश) नियुक्त किया गया। मलिक उम्दातुलमुल्क को दीवान-ए-इंशा (राज्य सचिव) नियुक्त किया गया और उसके दो लड़कों, हमीजुद्दीन और एजुद्दीन, में से पहला दरबार के निरीक्षकों में सम्मिलित कर लिया गया और दूसरा पत्र व्यवहार विभाग का अधीक्षक बना दिया गया। संय्यद अजल को शंखुल इस्लाम के पद पर बना रहने दिया गया, नुसरत खान जलेशरी दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया गया व मलिक फखरुद्दीन कूची दादवेग-ए-हजरत (राजधानी का न्यायाधीश) बना। सुल्तान जलालुद्दीन के एक अमीर मलिक आबाजी को शाही पशु-शाला का अधीक्षक (अखूर बेग) बनाया गया। हिजाबुद्दीन जफर खान, जो बाद में अपने पद के योग्य सिद्ध हुआ, युद्ध मन्त्री (आरिज-ए-मुमालिक) नियुक्त किया गया। जियाउद्दीन बरनी का चाचा मलिक अताउलमुल्क कड़ा का सूबेदार नियुक्त किया गया, जबकि उसका पिता मुईलमुल्क वारन का। मलिक जूना अपने पुराने पद नायब वकील-ए-दर के पद पर बना रहा।

अलाउद्दीन की समस्याएँ—अलाउद्दीन जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने अनेक तत्कालीन एवं दूरगामी समस्याएँ उपस्थित थी।

अलाउद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके गद्दी हथियाई थी, इसलिए अनेक जलाली मरदार उसे हत्यारा मानकर गद्दी से अपदस्व करना चाहते थे जिनमें अहमद चप अग्रणी था।

मुल्तान और सिन्ध में अकली खान ने अपना स्वतन्त्र शासन स्थापित कर लिया था।

सीमान्त पर मंगोलों के आक्रमण का भय पहले की तरह ही बना हुआ था।

पंजाब में गकखर उद्भूट हो रहे थे। बंगाल बलबन के वंश के उत्तराधिकारियों के कब्जे में था। बिहार और उड़ीसा में स्वतन्त्र हिन्दू और मुस्लिम राज्य स्थापित हो गये थे। मालवा, उज्जैन और बुन्देलखण्ड पूर्ण स्वतन्त्रता का उपभोग कर रहे थे। अवध, बनारस और गोरखपुर के प्रदेशों में मुस्लिम सत्ता क्षीण और दुर्बल थी। अलाउद्दीन ने देवगिरी को विजय किया था, किन्तु उसके लौटते ही यादवों ने अपनी खोई हुई स्थिति प्राप्त कर ली थी। वारंगल, द्वारसमुद्र तथा चोल, चेरों और पाण्ड्यों द्वारा शानित शक्तिशाली राज्य मुस्लिम आक्रान्ताओं

से परिचित थे। गुजरात में राज्य पर बघेलों का शासन था। निलौद और रणथम्भौर के राज्य दिल्ली सल्तनत के लिए लक्ष्मण की पकड़ी थे। इस प्रकार देश की राजनैतिक स्थिति अस्त-व्यस्त और अशांत हो गई।

जलालुद्दीन के मरने की खबरों और अव्यवस्था का बोधवाना हो गया था। अलाउद्दीन ने सुल्तान कुटिलता और साहस से काम लिया और सभी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक समाधान किया। उसने प्रजा को अपने पक्ष में किया, गद्दी के दावेदारों को तब्त किया, विद्रोही मन्तव्यों तथा अमीरों का दमन किया तथा दूरदूरी प्रदेशों में अल्पसंख्यक की शक्ति स्थापित की। उसने बड़े-बड़े शासन प्रशासकों को, नये-नये राज्यों की जीतकर सल्तनत की शक्ति और गौरव में वृद्धि की। विदेशी आक्रमणों से राज्य की रक्षा की तथा पिन्डी साम्राज्यवाद और विदेशी विरक्तता का निवृत्त किया।

अलाउद्दीन द्वारा जलालुद्दीन के परिवार का विनाश—दिल्ली पर अपने अधिकार जमाने के बाद अलाउद्दीन ने अपने पहले जलालुद्दीन खानों के जीवित पुत्र को गद्दी के दावेदार हो सकते थे उनको मर्यादा करने की नीति अपनाई। अर्कली खाँ और ककनुद्दीन इब्राहीम सभी मुल्तान में स्वतन्त्र थे और यह सम्भावना भी कि वे किसी दिन भी अलाउद्दीन के लिए एक बिन्दु समस्या खड़ी कर सकते हैं। मुल्तान अलाउद्दीन ने सबसे पहले इन्हीं की ओर ध्यान दिया और अपने विद्वानों के साथ खाँ के अकार खाँ की 30-40 हजार सैनिकों सहित मुल्तान की ओर नवम्बर 1296 में भेजा। मुल्तान को घेर लिया गया और फिर कुछ समय बाद अमीरों ने अर्कली खाँ का साथ छोड़कर मुल्तान की सेना का पक्ष में लिया। अर्कली खाँ के पास सम्पत्ति करने के अनिश्चित कोई दूसरा चारा न था, अतः उसने मध्यस्थता के लिए अपने एक विद्वानों की मुल्तान की सेना में भेजा। अर्कली खाँ और ककनुद्दीन इब्राहीम उत्तम खाँ के अखिर में पहुँचे, जहाँ उनके साथ सम्मानित व्यवहार किया गया। दोनों महाराजों और जलालुद्दीन के परिवार के अन्य लोगों के साथ सुल्तानी सेना दिल्ली की ओर बढ़ी परन्तु मार्ग में ही मुल्तान के आदेशानुसार दोनों ही महाराजों, अहमद खाँ तथा अलाउद्दीन के दासों सहित अल्पसंख्यकों को पकड़ा कर दिया गया। तत्पश्चात् इन्हें हथौड़े के कोषकाल से मौर किया गया जिससे महाराजों और उनके पुत्रों की हत्या करता ही। जलालुद्दीन की स्त्री अर्कली-अहमद और अन्य बघेलों को अहमद खाँ के साथ दिल्ली में बन्दी बनाकर रखा गया।

अमीरों का दमन—अब जलालुद्दीन के परिवार से निवृत्त अलाउद्दीन एक ओर से बिल्कुल अनुप्राप्त था। उसने अब जलालुद्दीन के अमीरों की ओर ध्यान दिया क्योंकि वे किसी भी समय उसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकते थे। मुल्तान की विजय के बाद 1297 ई में नुसरतखा की बन्दी कराया गया जिसने सबसे पहले अमीरों से उच्च सम्पत्ति की हथियारा को मुल्तान में उन्हें अपने पक्ष में करने के लिये

पुरस्कार-स्वरूप दी थी। तुसरतख्त की इस नीति से राजकीय पुनः धन-धान्य से पूर्ण हो गया।

1297 से 1299 के बीच मंगोलों के दो आक्रमणों को विफल कर अलाउद्दीन ने अपनी शक्ति का प्रमाण दिया। उसने उन सभी जमानी भ्रमियों को दण्डित किया जो सोने की चमक से अपने स्वामी का साथ छोड़ उससे आ मिले थे। अलाउद्दीन यह समझता था कि यदि ऐसे भ्रमीर मृत सुल्तान के प्रति स्वामीभक्त नहीं हो सकते हैं तो उनकी निष्ठा संदिग्ध है और वे उसके प्रति कभी भी वफादार न होंगे। उसने उनकी सम्पत्ति, जागीर, पद आदि जल कर लिये, अनेकों को बंधा करवा दिया तथा कारागार में डाल दिया। परन्तु अलाउद्दीन ने उन भ्रमियों के साथ उचित व्यवहार किया जिन्होंने उसके सोने और चाँदी को ठुकरा दिया था तथा उसका पक्ष लेने से मना कर दिया था। इनमें मलिक कुतुबुद्दीन, मलिक नासिरुद्दीन और मलिक जलाल प्रमुख थे। गद्दी के दावेदारों और जलाली भ्रमियों का विनाश करने के बाद अलाउद्दीन ने चँत की साँस ली और 1299 ई. में उसकी सेनायें विजय अभियानों के लिए मुक्त हो गईं। इस बीच केवल मुल्तान के अभियान के अलाउद्दीन ने और कोई सैनिक अभियान नहीं किया था।

खल्जियों का राजत्व सिद्धान्त—इल्वरी तुकों ने राजत्व के सिद्धान्तों में न केवल फारस के राजत्व सिद्धान्तों को अपनाया अपितु साथ ही साथ उन्होंने उन तत्वों को भी जन्म दिया जो भविष्य में दिल्ली सल्तनत के साथ जुड़े रहे। उन्होंने चुनाव के सिद्धान्त को वंशानुगत सिद्धान्त के साथ मिलाने का प्रयास किया परन्तु राजनैतिक अनुभवहीनता और उस समय की राजनीतिक स्थिति के कारण वे किसी निश्चित हल को नहीं निकाल पाये। डा. त्रिपाठी के अनुसार वे साधारण वर्ग पर केवल यह प्रभाव छोड़ सके कि तुर्क-जन्मजात शासक हैं और प्रमुसत्ता पर उनका अधिकार है।

इल्वरी तुकों की इस चारणा का रीर-तुकों ने विरोध किया। खल्जी विद्रोह ने इस इल्वरी कुलीनतन्त्र का अन्त कर दिया। यदि खल्जियों ने ताज की गरिमा को विकसित होने दिया होता तो सम्भवतः सैनिकवाद के तत्व समाप्त हो जाते और शाजाकारिता, अधिकार और कर्त्तव्यों की परम्परा निरन्तर उठती। डा. त्रिपाठी ने लिखा है कि, “खल्जी विद्रोह ने राज्य के प्रशासनिक-पक्ष को समाप्त कर, सैनिक-पक्ष की भयानक परिपाटी को स्थापित किया जिसने दिल्ली सल्तनत की जीवन-शक्ति को निस्सार बना दिया।”

खल्जी विद्रोह का आघार सैनिक शक्ति था। मंगोलों के विरोध में उन्होंने जो सफलता प्राप्त की थी उससे वे अधिक महत्वाकांक्षी हो गये थे। बंगाल में स्वतन्त्र शक्ति के उपभोग करने में इल्वरी कुलीनतन्त्र उनके लिये बाधक था और इसलिये वे ऐसे अवसर की तलाश में थे जब वे इस कुलीनतन्त्र को अलग कर अपनी

थोष्टना स्थापित कर सकें। कैकूबाद की बीमारी ने उन्हें यह श्रवण दिया और अमीरो ने यह निर्णय लिया कि बयूमर्म को सुल्तान बना कर मलिक छज्जू को उसका सरदर बना दिया जावे। परन्तु मलिक छज्जू ने सरदर बनने की अपेक्षा कडा की सूबेदारी को अधिक महत्व दिया। इसलिये जलालुद्दीन सल्जी को बयूमर्म के 'नाइब' के रूप में नियुक्त किया गया। डा त्रिपाठी का मत है कि, 'यद्यपि इस व्यवस्था में कुछ लाभ अवश्य थे, परन्तु इसकी मुगद प्रथम दूरदर्शितापूर्ण कहना उचित न होगा।'

यद्यपि इस व्यवस्था के आधार पर बलबन के वश के प्रति सम्मान अवश्य दिखाया गया, परन्तु एक, तीन वर्ष के बालक को गद्दी पर बैठाने का प्रयोग अधिन समय तक चलना सम्भव नहीं था। जलालुद्दीन ने तीन महीने तक बयूमर्म के नाम पर राजसत्ता का उपभोग किया। तुर्क तथा सल्जी दोनों इस काल में एक दूसरे पर शक करते थे। तुर्कों ने जलालुद्दीन के वध की असफल योजना बनाई और जलालुद्दीन ने प्रतिक्रिया फलस्वरूप सुल्तान बयूमर्म की हत्या कर सत्ता को दृष्टिया लिया।

इस विद्रोह प्रथम हत्या ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया कि मुगल सैनिक की तुलना में जनमत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि जनमत के विरोध के कारण ही जलालुद्दीन 12 महीने तक राजधानी में जाने का साहम न कर सका। इस काल में वह किलोखेरी से ही शासन करता रहा। उसकी अग्रियता इससे भी स्पष्ट है कि जब बलबन के भतीजे मलिक छज्जू ने विद्रोह किया तो दिल्ली की जनता जलालुद्दीन के विरुद्ध छज्जू का स्वागत करने के लिये तैयार हो गई।

जलालुद्दीन ने यह प्रकटा समझा कि अपने विरोधियों के साथ उदार व्यवहार करके उन्हें जीत ले। उसने उनके प्रति विनम्रता दिखाई। बरनी के अनुसार जब वह बलबन के किले में गया तो बाहर ही भाटक पर घोड़े से उतर पड़ा और सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया। बरनी ने लिखा है कि वह कहता था कि, "वह उन सिंहासन पर बंभे बंभे बैठ सकता है जिसके सामने भय और सम्मान से वह घटो झटा रहा करता था।"

जलालुद्दीन ने दया व नम्रता से शासन चलाने की नीति अपनाई इसलिये नहीं कि वह कमजोर था अपितु उसका राज्य-भ्रातृर्ष ही इस प्रकार का था। परन्तु इस नीति से लोग उसमें श्रद्धा करने लगे। रणायम्भर के विरुद्ध अग्रियता ने उसके सैनिक गुणों को भी घो दिया और जलालुद्दीन ने इसका लाभ उठाकर उसका वध कर दिया।

जलालुद्दीन ने समय में सैनिकवाद व हितैषी शासन के बीच जो मध्य बन रहा था वह समाप्त हुआ और जलालुद्दीन सल्जी ने गता को प्राप्त कर राजसत्ता के क्षेत्र में नये तत्व जोड़ दिये।

वरनी ने अलाउद्दीन और बयाना के काजी मुगीसुद्दीन के बीच हुये वार्तालाप का जो वर्णन दिया है उससे अलाउद्दीन के राजस्व सिद्धान्त पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। गद्दी पर अपनी पकड़ को दृढ़ करने के बाद उसने बलबन की तरह सुल्तान की निरंकुशता पर बल दिया। उसने भी इस बात को दोहराया कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और इसलिये उसकी आज्ञा ही कानून है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य के मामलों में वह ऐसे ही आदेश देता था जिन्हें वह लोकहितकारी समझता था चाहे वे कानून के अनुसार हों अथवा नहीं। वह आवश्यक नहीं समझता था कि इस क्षेत्र में उलेमाओं से किसी प्रकार का परामर्श करे अथवा धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर दे। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि राज्य धर्म से नेतृत्व ले, इसलिये उसने न तो इस्लाम की दुहाई दी और न ही खलीफा के नाम का प्रयोग किया। दिलावे मात्र के लिये वह खिलाफत के प्रति श्रद्धांजली अर्पित करता रहा, वरनी के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है। उसने काजी मुगीसुद्दीन को दिये गये उत्तर का वर्णन इस प्रकार किया है, "मौलाना मुगीस, न मुझे कुछ ज्ञान है और न मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, तब भी मैं मुसलमान पैदा हुआ था तथा मेरे पूर्वज पीढ़ियों से मुसलमान रहे हैं। उन विद्रोह को रोकने के लिये जिनमें हजारों जीवन नष्ट हो जाते हैं, मैं अपनी प्रजा को ऐसे आदेश देता हूँ जो मैं उनकी और राज्य की भलाई के लिये उचित समझता हूँ। मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो मैं राज्य के लिये लाभदायक और परिस्थितियों के अनुकूल समझता हूँ। मैं नहीं जानता कि 'शरा' उनकी आज्ञा देता है अथवा नहीं। मैं नहीं जानता कि 'क्यामत' (अन्तिम निर्णय) के दिन खुदा मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा।" स्पष्ट है कि अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने धर्म का प्रभाव राजनीति पर स्वीकार नहीं किया अपितु धर्म को राज्य के नियन्त्रण में ले आया और ऐसे तत्वों को जन्म दिया जिनसे कम से कम सिद्धान्तः राज्य असाभ्यप्रदायिक आघार पर खड़ा हो सकता था। पर इससे यह परिणाम निकालना कि वह इस्लाम विरोधी था किसी आघार पर ठीक न होगा। डा. त्रिपाठी के अनुसार उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो इस्लाम-विरोधी हो अथवा इस्लामी देशों की मान्य प्रथाओं के विरोध में हो। वास्तविकता यह है कि वह भारत के बाहर इस्लाम का समर्थक ही माना जाता था। यद्यपि वरनी ने इसका खण्डन किया है परन्तु अमीर खुसरो के विवरण से इसकी पूरी तरह पुष्टि होती है। इसी प्रकार यदि उलेमाओं के द्वारा दी गई सलाह यदि उसके आदर्शों से मेल खाती थी तो वह निस्संकोच उसे स्वीकार करने को भी तत्पर रहता था। काजी मुगीसुद्दीन द्वारा हिन्दुओं के प्रति किये जाने वाले व्यवहार की परिभाषा क्योंकि उसके अनुकूल थी इसलिये उसने उसे स्वीकार कर लिया। धर्म के आघार पर यदि राजनैतिक निरंकुशता को बनाये रखने में सहायता मिलती हो तो वह उसे मान्य थी। परन्तु यह मान्यता धर्म का प्राबल्य साबित करने की अपेक्षा उसकी राजनीतिक

धारणाओं की पुष्टि के रूप में ही थी। घर्म राज्य के अधीन था न कि राज्य घर्म के। इस प्रकार उसके शासन-व्यवस्था में उलेमाओं के प्रभाव को नष्ट कर दिया परन्तु यदि उसे भारतीय राजाओं के विरुद्ध मुसलमानों की घर्मान्धता का लाभ उठाने की आवश्यकता अनुभव हुई तो उसने उनकी धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित कर उसका पूरा लाभ उठाया।

मलाउद्दीन ने इस प्रकार राज्य की नीति-निर्धारण में किसी व्यक्ति अथवा दल-विशेष की सहायता नहीं ली। उसने अमीरों को इतना आतंकित कर दिया था कि राज्य में केवल दिल्ली के कौनवाला मला-उल-मुन्क के अतिरिक्त किसी दूसरे अमीर का साहस न था कि वो उसे सलाह दे सके। अमीरों की स्थिति उनके स्वामिभक्त सेवकों जैसी रह गयी। उनकी वह शक्ति जिसके आधार पर वे इल्बरी वध के शासकों को अपनी मर्जी के अनुसार गद्दी पर बैठाते अथवा उतारते थे समाप्त हो गई। मलाउद्दीन ने स्वयं को सर्वोपरि बना लिया। उसके समय में शासन का केन्द्रियकरण पूर्णता पर था और निरंकुशता अपनी चरम सीमा को छू रही थी। इस क्षेत्र में उसकी तुलना सहज ही में फ्रांस के शासक लुई चौदहवें से की जा सकती है।

चित्तौड़ की विजय के पश्चात् मलाउद्दीन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज घोषित कर उसे राज्य चिन्ह प्रदान कर दिये। परन्तु शासन के अन्तिम समय में इन्तबतूता के अनुसार मलिक काफूर से प्रभावित हो अथवा अपने पुत्र की आरामदेह प्रवृत्ति को देखकर उसने अपने चतुर्थ पुत्र (आयु 5 अथवा 6 वर्ष) शहाबुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी नामजद किया। एक अल्पवयस्क को नामजद करना और विशेषकर उस समय जबकि उसके तीन वयस्क पुत्र जीवित हों, किसी प्रकार से खलजी अथवा मुस्लिम वर्ग के हित में नहीं था।

परन्तु नामजदगी एक सर्वमान्य सिद्धान्त था और मलिक काफूर की सहायता से इसे प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृति भी मिल गई थी। परन्तु मुस्लिम अमीर इससे प्रमत्त नहीं थे और जब मलिक काफूर ने प्रमुसत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया तो मलाउद्दीन की मृत्यु के केवल 36 दिन के अन्दर ही उसका वध कर दिया गया। अमीरों ने मुबारकशाह को धारम्भ में शासक शहाबुद्दीन का नावब नियुक्त किया, परन्तु 64 दिन की रीजेन्सी में ही अपने प्रभाव और अमीरों के सहयोग से उसने इन नवाब को उतार प्रमुसत्ता को प्राप्त कर लिया।

मुबारकशाह का 4 वर्ष का अल्पकालीन राज्य प्रमुसत्ता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना थी। शक्तिशाली मलाउद्दीन जिस कार्य को करने में असमर्थ रहा वह उसने कर दिखाया। वह पहला सुल्तान था जिसने सिलाफन से सम्पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद कर दिये और इस प्रकार किसी भी बाहरी शक्ति की अधीनता की भावने से दिल्ली सल्तनत को स्वतन्त्र कर दिया। वह इससे ही गन्तुष्ट न था अपितु उसने

स्वयं को महान् ईमाम घोषित किया। इस प्रकार उसने प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत को पूर्ण सत्ताधारी बना दिया।

डा. त्रिपाठी ने लिखा है कि इस प्रकार खल्जियों ने न तो जातीय श्रेष्ठता न ही चुनाव अथवा खलीफा की स्वीकृति से प्रनुसत्ता प्राप्ति के अधिकार का दावा किया। उनका आधार एक मात्र शक्ति था और इसीलिए मुस्लिम प्रनुसत्ता के विकास में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। खल्जियों ने प्रनुसत्ता के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण योगदान दिये—प्रथमतः प्रनुसत्ता किसी विशेष वर्ग की वषीती नहीं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार-क्षेत्र में है यदि वह योग्य व शक्तिशाली हो और द्वितीय प्रनुसत्ता धार्मिक वर्ग के सहयोग के बगैर भी अक्षुण्य रक्षी जा सकती है।

अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार—अलाउद्दीन की आकांक्षाएँ साम्राज्यवादी थी। स्वतन्त्र राज्यों को जीतकर उनको अपने अधीन करना अथवा उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवा कर वापिक खिराज वसूल करना उसकी साम्राज्यवादी नीति का उद्देश्य था। उसने 'सिकन्दर द्वितीय' की उपाधि धारण की थी और वह सम्पूर्ण विश्व को जीतने के स्वप्न देखता था। अपने मित्र, दिल्ली के कोतवालअला-उल-मुल्क को सलाह को मानकर उसने अपनी विजय योजना को भारतीय सीमाओं तक ही सीमित रखा। बरनी ने लिखा है कि अला-उल-मुल्क ने कहा था, "आपके सामने दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। सबसे पहले आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम तो हिन्दुस्तान की विजय है जिसमें रणाथम्भीर, चित्तौड़, चन्देरी, मालवा, धार और उज्जैन नामक राज्य हैं। फिर शिवालिक से जालौर तक का और मुल्तान से दमरीला तक को, पालम से लाहौर तथा दीपालपुर तक का प्रदेश है। इन सब प्रदेशों का ऐसा दमन होना चाहिये कि फिर वहाँ विद्रोह का नाम भी सुनाई न दे।" उत्तरी भारत में उसकी नीति राज्यों को अपने अधीन करने की रही।

गुजरात व जैसलमेर की विजय—1299 ई. में उलुगखां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात को विजित करने के लिए एक अभियान भेजा गया। सुल्तान ने एक ऐसा दूरस्थ प्रदेश जिसकी विजय में किसी तुर्की सेना को सफलता नहीं मिली थी क्योंकिर चुना और विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उस तक पहुँचने का मार्ग दिल्ली सत्ता के बाहर वाले प्रदेशों में होकर निकलता हो (मालवा अथवा राजपूताना) सुल्तान ऐसे कठिन अभियान का खतरा मोल लेने के लिए तैयार न था जब तक कि उसे विजय का पूरा विश्वास न हो। प्रो. निजामी का विचार है कि गुजरात के मंत्री माधव ने सुल्तान को उसकी सफलता का विश्वास दिला दिया था और इसलिए अलाउद्दीन को इसमें कोई हिचक नहीं रही।

सुल्तान की सेनाओं ने राजपूताना में बनास नदी पारकर रदोसा के दुर्ग को जीत लिया और फिर गुजरात के प्रदेश में घुसकर खूब लूटमार की तथा आसक फैलाया। अचानक आक्रमण से बचेरा राजा कर्ण (राय करन) बचरा गया और

सुरक्षा के लिए अपनी बेटी सहिन देवगिरि के शासक रामचन्द्रदेव के यहाँ भाग गया। उसका पीछा किया गया और उसका बंधन तथा पटरानी कमलादेवी प्राप्तमणकारियों के हाथ लगे। अलाउद्दीन ने कमलादेवी से विवाह कर लिया। प्राप्तमणकारियों ने राजधानी अन्हिलवाहा के प्रतिरिक्त गुजरात के अन्य नगर लूटे। सामनाय का मन्दिर जिसका कुमारपाल (1143-74 ई.) ने जीर्णोद्धार कराया था पुन लूटा गया। श्री निजामी ने अमीर खुसरो को उद्भूत करते हुये लिखा है कि, "उन्होंने सोमनाथ का मन्दिर प्रतिष्ठित जवा की ओर झुका दिया—तुम यह कह सकते हो कि मन्दिर ने पहले नमाज पढ़ी और फिर स्नान किया।" मुसलमानों ने मन्दिर की सबसे बड़ी मूर्ति को खण्डित कर दिल्ली पहुँचा दिया जहाँ उसे मुसलमानों के पैरों तले रीढ़े जाने के लिए डाल दिया गया। उसके पश्चात् मुसलमानों ने खवायत की ओर बूच किया और जहाँ के मनादूम व्यापारियों को लूटा। यहीं पर उसे काफूर नामक दाय हाथ लगा जो आगे बनकर साम्राज्य का 'मलिक नायब' बना।

जिस आसानी से गुजरात का प्रदेश दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आ गया था उसमें यह प्रकट होता है कि या तो शासक कर्ण अपनी जनता में अत्यधिक प्रिय था अथवा उसका प्रशासन विकृत हो चुका था। समकालीन इतिहासकार उनके इस पलायन का कोई विवरण नहीं देते हैं किन्तु इसमें लिखता है कि जब राजा कर्ण ने अपने मन्त्रियों से सलाह की तो उन्होंने ऐसी स्थिति में जबकि शत्रु तलवार निकाले द्वार पर खड़ा हो, भाग जाने के प्रतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं बताया। तुर्कों के दापम जान के बाद वह पुन अपने प्रदेश की जीत ले। करिष्ता ने लिखा है कि, "राय कर्ण दक्षिण में देवगिरी के शासक रामदेव की शरण में गया किन्तु कुछ समय पश्चात् उसने बगलाना की ओर बूच किया जो गुजरात का दक्षिणवर्ती प्रदेश है और रामदेव की महायना में जहाँ प्रतिष्ठित हो गया।" अलपखा को गुजरात का गवर्नर बनाया गया और विशयी सेना दिल्ली की ओर लौटी।

रास्ते में जालौर के निकट लूट के माल के विभाजन को लेकर मुस्लिमों के अधिकारियों, उलूखी और नुसरतखा, तथा नये मुसलमानों (भारत में बसे हुये मगोल) के बीच मतभेद हो गया क्योंकि मगोल लूट के माल को सम्पित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उलूखी व नुसरतखा के सेमे को घेर कर उन्हें मारने की नीति अपनाई परन्तु नुसरतखा की सनकता से वे भाग नभे हुए। परन्तु इसके बाद भी उन्होंने नुसरतखा के भाई मलिक ईजुद्दीन और अलाउद्दीन के एव भाजे की हत्या कर दी। मगोलों के नेता मुहम्मदशाह और कामरुने मागकर रणयम्भोर के शासक हम्मीर देव के यहाँ शरण ली और यलचन तथा बुर्राकराय कर्ण के पास भाग गये। सेना के दिल्ली पहुँचन पर अलाउद्दीन ने इनके घरराय का बदना इनके परिवारों से लिया। स्त्रियों को अपमानित किया गया और बच्चों के टुकड़े-टुकड़े करवा दिये

गये। बरनी ने लिखा है कि, "पुरवों के अपराधों के लिए स्त्रियों और बच्चों को दण्डित करने की प्रथा का आरम्भ इसी वर्ष से हुआ।"

राजपूताना की विजय—गुजरात जाते समय ही अलाउद्दीन की सेनाओं ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। तारीख-ए-भासूमी को उद्धृत करते हुए डा. ए. के. श्रीवास्तव ने 'खल्जी सुल्तानस इन राजस्थान' में लिखा है कि अलाउद्दीन की सेनाओं ने 1299 ई. में गुजरात जाते समय इस प्रदेश पर आक्रमण किया था। इन आक्रमण की चारण अथवा मुस्लिम इतिहासकारों ने कोई जानकारी नहीं दी है। सम्भवतः यह एक साधारण घावा था जिसमें अलाई सेना ने लूटमार के अतिरिक्त कोई विशेष कार्यवाही नहीं की। डा. के. एस. लाल के अनुसार सेना ने जैसलमेर के किले पर अधिकार कर लिया और अनेक हिन्दुओं को मौत के घाट उतार दिया। किले पर 200 सैनिक छोड़ शेष सेना गुजरात की ओर चली गयी।

रणथम्भौर की विजय—जैसलमेर की विजय न तो नियोजित ही थी और नही महत्त्वपूर्ण, परन्तु राजपूताना के दूसरे प्रदेशों की विजय कठिन होने के साथ ही अधिक प्रभावपूर्ण भी थी। मोटे रूप से उत्तरी भारत और उसमें भी राजपूताना पर अधिकार सल्तनत काल में शासकों के मूल्यांकन की कसौटी रही है और अलाउद्दीन जो कि विश्व-विजय के स्वप्न देख रहा था उसके लिए दिल्ली के निकटस्थ प्रदेश को स्वतन्त्र छोड़ देना उसकी नीति में समुचित ठीक नहीं बैठती थी। अलाउद्दीन ने इसके लिए रणथम्भौर को अपना पहला लक्ष्य चुना।

रणथम्भौर के दुर्ग पर आक्रमण के अनेक कारण थे। अमीर खुसरो इस सम्बन्ध में मौन है। बरनी ने लिखा है कि, "सुल्तान ने इस दुर्ग पर अधिकार करने का वृद्ध निश्चय कर-लिया-क्योंकि-यह-दिल्ली के अधिक-निकट-था।" अलाउद्दीन इस सुदृढ़ दुर्ग को राजपूतों के हाथों में छोड़कर सल्तनत के लिये एक मिरदद बनाने रखने को तैयार नहीं था। इसामी इस सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट है। उसके अनुसार नवीन मुसलमानों के दो नेता मुहम्मदशाह तथा कामरु ने-जालौर के निकट विद्रोह के बाद राणा हम्मीरदेव के यहां शरण ली थी और क्योंकि राणा अपने शरणाधियों को सुल्तान को लौटाने के लिए तैयार नहीं था इसलिए दोनों के बीच युद्ध एक आवश्यकता के रूप में खड़ी हो गई। खलूगज़ा के द्वारा भेजे गये दूतों को हम्मीर ने मसम्मान वापस भेज दिया और उत्तर दिया कि, "हे खान, मेरे पाम पर्याप्त धन और सैनिक हैं और मैं किसी से भगड़ा करना नहीं चाहता परन्तु युद्ध से भी नहीं डरता हूँ। शरणाधियों को वापस करने में असमर्थ हूँ।" 'तारीख-ए-किला रणथम्भौर' के लेखक हीरानन्द कायस्थ ने भी हिन्दू कवियों और इतिहासकारों के अनुसार नवीन मुसलमानों को शरण देना ही आक्रमण का प्रमुख कारण बताया है। इसके साथ ही वह यह भी स्वीकार करता है कि अलाउद्दीन उस अपमान का बदला चुकाना भी चाहता था जिसको जलालुद्दीन खल्जी ने अक्षफल होकर मचा था। 'हम्मीर महाकाव्य'

तथा 'हुम्मीराबाग' भी दरगाहों के न सौदने के कारण वो ही प्रमुखता देते हैं परन्तु 'हुम्मीर हट' और 'हुम्मीर रातो' इन कारण के साथ ही यह भी बताया है कि मुल्तान की मराठा बेकम, चिक्का के मुहम्मदशाह ने धनुषित सम्बन्ध से और उसने हुम्नाम के विपक्ष घोषा रिखा था। मुल्तान की जब इनका पता चला तो मुहम्मदशाह हुम्मीर की कारण में चला गया। उसे दंडित करने के लिए ही एण्ड-एम्पीर पर आक्रमण करने का निश्चय किया गया। 'हारीश-उ-किना एण्ड-एम्पीर' का विषय भी इसी घटना को दूबगी गन्ध प्रस्तुत करता है परन्तु आशार्थ होती के पत्र ही है। इस प्रकार बुद्ध के लिए पुच्छुमि तैयार हो गई। वास्तविकता यह है कि अन्त इन्फे से कोई भी कारण न भी होना तब भी युद्ध अन्तर्ग्रन्थी का तबोकि प्रभावहीन की साक्षात्कारी नीति के साक्षात्कारी माय में हुई की तरह गटर् रहा था।

1299-1300 ई में अलाउद्दीन ने जल्द सा तथा युगल का भी इनके निम्ने निम्नक किया। दोनो खानों ने अलाउ पर आधिपत्य कर लिया। अन्तर्ग्रन्थ दुर्ग को घेर लिया गया। घेरे के दौरान एक दिन जब नुसरतशाह एन साई की मुखाई का निरीक्षण कर रहा था तबो दुर्ग के 'मगरवी' द्वारा छोड़ा गया एक पथर उसे लगा और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। अन्तरी वेना में इसने काफी हकनम मच गई। हुम्मीर ने इसका खास उदाहर अन्त-मरह हजारा अन्तारीशियो महित दुर्ग में निकल कर उलूग खा पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर भागत की और बना दिया।

उलूगखा को पराजय और नुसरतशा की मृत्यु अन्तर्ग्रन्थी के निम्ने अन्तर्ग्रन्थ भी। अन्तर्ग्रन्थी की पराजय का नदना हो वेना दूर रहा, अब तो यह पराजय स्वयं अपने दुर्ग पर एक तथाका की और अन्तर्ग्रन्थी ने अब स्वयं इस प्रतिपात की कमान सम्भली। उसने अपने आधिपत्यो की तिनपट में एकजित होने के आदेश दिये। वहीं पर अब वेना एकजित की जा रही थी तबो उस पर अन्तर्ग्रन्थी ने प्रणु-पाणन बाद किया परन्तु मोभाग्य से वह बच गया। दिल्ली से हुमीर मोला के विद्रोही होने के अन्तर्ग्रन्थी लगातार मिल रहे थे। परन्तु अन्तर्ग्रन्थी बन्दे एण्ड-एम्पीर को विजित निम्ने हुए दिल्ली न सौदने पर अतिबद्ध था। दुर्ग का घेरा अन्तर्ग्रन्थी एक गात तक चलता रहा परन्तु राग्या हुम्मीर पर इसका कोई प्रभु नहीं दिखाई देना था। अन्त में अन्तर्ग्रन्थी के आदेशों का निर्वारण कर दुर्ग की ऊर्खाई तक पहुंचने की योजना बनाई। मंगिकों में वारों में विद्रोह व रेल अन्तर्ग्रन्थी की नीव तैयार की और उन पर 'अर्षन' का निर्वासन किया गया। दुर्ग में अन्तर्ग्रन्थी को जाने लगा और अन्तर्ग्रन्थी में दुर्ग में पावर और अन्तर्ग्रन्थी कर 'अन्तर्ग्रन्थी' को तन्त्र विजे जने का प्रयास किया जाता रहा। अन्त में अन्तर्ग्रन्थी की दीवारों को ऊर्खाई तक पहुंच गई। अन्तरी उता से अन्तर्ग्रन्थी इस अन्तर्ग्रन्थी से घाते घाते परन्तु वे जगने

में भी असमर्थ थे क्योंकि अलाउद्दीन ने भागे सैनिकों पर तीन वर्ष के वेतन का दंड लागू किया था और इसे कठोरता के साथ लागू कर रहा था ।

दूसरी ओर दुर्ग में इतने लम्बे समय तक घेरा रहने के कारण खाद्य-सामग्री समाप्त हो रही थी । अमीर खुसरो ने खजाइन-फुतुह में लिखा है कि, "लोग एक घने (अनाज) के बदले दो घने सोना तक देने को तैयार थे, किन्तु फिर भी अनाज नहीं मिलता था । पानी तथा हूरियाली के अभाव में किला कांटों का रेगिस्तान हो गया था ।" इन परिस्थितियों में राजपूती परम्परा के अनुसार जीहर रचा गया और दूसरे दिन हम्मीर अपने सैनिकों के साथ दुर्ग से बाहर आकर शत्रु पर दूट पड़ा परन्तु युद्ध में मारा गया । शरणागत मुहम्मदशाह और काबरू ने भी हम्मीर के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर युद्ध किया । मुहम्मदशाह पकड़ा गया परन्तु धावों की वेदना से तड़फते हुए भी उसने अलाउद्दीन के दया के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सुल्तान ने उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया । वह उसकी वीरता को नहीं भूल सका और समुचित रूप से उसका अन्तिम संस्कार करवाया । हम्मीर के दो मन्त्री—रणमल तथा रतनपाल जिन्होंने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात कर अलाउद्दीन का पक्ष ग्रहण किया था, उसने उन्हें मरवा डाला क्योंकि वे किसी समय भी उसके प्रति भी विश्वासघात कर सकते थे । इसामी के अनुसार राज-परिवार का कोई भी सदस्य जीवित बन्दी न बनाया जा सका ।

रणथम्भौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया और अमीर खुसरो के खजाइन-फुतुह के अनुसार, "समस्त नगर मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा लूटा गया । बहरदेव (वाग्भट्ट) का रम्य मन्दिर भूमिसात कर दिया गया । अनेक पवित्र मन्दिर तथा भव्य इमारतें धूरि-धुसरित कर दी गईं ।" रणथम्भौर का दुर्ग और भाँई का प्रदेश उलूग खां को देकर सुल्तान दिल्ली लौट आया । बरनी ने लिखा है कि, "उलूगखां नागरिकों से क्रुद्ध था और उसने उनके अनेक सरदारों को रणथम्भौर से निकाल दिया था । इस कार्य ने लोगों के हृदय में उलूगखां के प्रति अत्याधिक घृणा उत्पन्न कर दी जिससे कि उलूगखां नगर में जाने का साहस न कर सका उपनगर में ही ठहरा रहा ।" छः माह बाद दिल्ली लौटते समय मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई ।

रणथम्भौर की विजय के बीच अलाउद्दीन को तीन विद्रोहों का सामना करना पड़ा जिनका उल्लेख अगले पृष्ठों में किया गया है ।

वारंगल पर आक्रमण; चित्तौड़ विजय—1302-03 ई. में अलाउद्दीन ने वारंगल के अभियान के साथ ही चित्तौड़ के अभियान की भी तैयारी की परन्तु उसकी अकाल मृत्यु से वह इसका नेतृत्व न कर सका । जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर कूच किया तो उसने कड़ा के गवर्नर मलिक छप्पू को उस ओर भेजा । इस अभियान की बहुत ही कम जानकारी मिल पाई है, परन्तु फरिश्ता लिखता है

कि मालवा अधिकार क्षय में होने के कारण खलजी सेना ने बगाल से होकर कूच किया होगा। सेना के वारगल पहुँचने तक वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गई थी और सेना को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सुल्तान ने उस वापस बुला लिया। अभियान में कोई सफलता नहीं मिली। परंतु डा के एस लास का मत है कि 1303 ई में वारगल पर किया गया आक्रमण वस्तुतः बगाल पर किया गया आक्रमण था जहाँ शमसुद्दीन ने स्वयं का सुल्तान घोषित कर दिया था तथा अपने नाम का सिक्का भी चलाय था। परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। डा लास का मत उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए अधिक माय्य है।

राजस्थान की विजय से उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने मध्यकालीन राजपूत वंश में श्रेष्ठतम चित्तौड़ के मुहम्मद वंश पर आक्रमण किया। वंश की मान मर्यादा के प्रतिरिक्त अलाउद्दीन के लिये दिल्ली का निकट इस शक्तिशाली राज्य को स्वतंत्र रूप में सहन करना सम्भव न था। सुल्तान की साम्राज्यवादी नीति की भी यह चुनौती थी कि वह इस प्रदेश पर अपना अधिकार जमाय। यदि परम्पराओं पर विश्वास किया जावे तो राणा रतनसिंह की अग्रत रूपवती रानी पद्मिनी इसका तात्कालिक कारण थी और अलाउद्दीन उसे अपने वंश में करना चाहता था। परंतु डा धार सी मजूमदार के अनुसार समकालीन इतिहास अथवा अभिलेखा में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

चित्तौड़ का दुर्ग अपनी ऊँचाई और विशालता के कारण अजेय माना जाता था। अमीर खुसरो ने लिखा है कि दुर्ग हिन्दुओं के लिये भय का जहाँ प्रत्येक दिशा में मोते और हरे चरे मदान थे हिन्दू शासकों की तुलना में उसका (राय) सिंहासन सातवें आकाश से भी ऊँचा था। उसने प्रागे लिखा है कि सोमवार 28 जनवरी 1303 ई. (8 जमादी उन आबिर 702 हि.) का अलाउद्दीन एक विशाल सेना सहित चित्तौड़ विजय के लिये दिल्ली से रवाना हुआ। सम्भवतः अमीरों और बेरब नियों को पार करता हुआ वह किले तक पहुँचा और उसे घेर लिया। राणा रतनसिंह ने मान माह तक आक्रमणकारियों का मुकाबला किया परंतु अन्त में अगस्त 1303 ई. में किले पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन को इसमें काफी कठिनाई अनुभव करनी पड़ी थी और अमीर खुसरो के विवरण से स्पष्ट है कि दुर्ग पर दो सीध आक्रमण विफल हुये थे। पड़ोसी राजपूत राजाओं ने राणा रतनसिंह की सहायता की या नहीं इसके बारे में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता परंतु अनुमान है कि राजपूताने में वंश परम्परा के आधार पर राजपूतों में पूट थी इसलिये सम्भवतः राणा को अनेके ही सल्लियों की सेना का सामना करना पड़ा था। युद्ध भीषण था इसका प्रमाण हम 1460 ई के एक शिलालेख में मिलता है जिसमें राणा के अधीनस्थ सरदार उदधी ने अपने मात पुरों सहित इसमें जान गवाई थी। राजपूतों

परम्पराओं के अनुसार राणा रतनसिंह ने स्त्रियों द्वारा जीहर रचने के बाद शत्रु पर भीषण प्रहार किया था और युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। परन्तु इसामी और अमीर खुसरो ने लिखा है कि राणा ने अपनी पराजय के पश्चात् आत्मसमर्पण कर दिया। प्रो. निजामी जीहर की घटना को बाद की मनगढ़न्त घटना मानते हैं। उनके अनुसार अमीर खुसरो ने राणथम्भीर के जीहर का उल्लेख किया है और यदि चित्तौड़ में भी यह हुआ होता तो वह जरूर ही इसका भी वर्णन करता।

राजपूतों ने अलाउद्दीन का कड़ा मुकाबला किया था क्योंकि दुर्ग पर अधिकार करने के बाद अमीर खुसरो के अनुयाय 'लगभग 30,000 हिन्दुओं को सूखी घास की तरह काटल कर दिया गया। कर्नल टाड के अनुसार सुल्तान वहाँ कुछ दिन ठहरा और इन दिनों में एक कट्टर मुसलमान की तरह उसने मन्दिरों और कला के दूसरे नमूनों को धूरि-धूसरित किया। चित्तौड़ का नाम खिज्मवाद रखा गया और उसे अपने पुत्र खिज्मखां को सौंप कर सुल्तान दिल्ली लौट गया, क्योंकि इस समय तक मंगोलों के आक्रमण शुरू हो गये थे।'

खिज्मखां कुछ समय तक चित्तौड़ में रहा, परन्तु राजपूतों ने उसे चैन नहीं लेने दिया। 1311 ई. में उसे दिल्ली बुला लिया गया और जालौर के कान्हड़ देव के भाई मालदेव को चित्तौड़ सौंपा गया जिसने जालौर के घेरे के समय सुल्तान की घातक दुर्घटना से रक्षा की थी। परन्तु राजपूतों ने मालदेव को भी तंग किया। रतनसिंह के एक वंशज हम्मीरदेव ने मालदेव पर दबाव बनाये रखा और उसने हम्मीर देव को सन्तुष्ट करने के लिये अपनी एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। परन्तु इसके बाद भी राजपूतों के प्रयत्नों में कोई कमी न आई। 1321 ई. में मालदेव की मृत्यु के बाद हम्मीर देव ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया।

पद्मिनी की कहानी—समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो, बरनी तथा इसामी इस कहानी के प्रति मौन हैं। 1540 ई. में पहली बार मलिक मुहम्मद जायसी ने 'पद्मावत' में इस प्रसंग का वर्णन किया। उसने अपने रूपक में 'चित्तौड़' 'शरीर' के लिये, 'राजा' 'मस्तिष्क' के लिये, 'सिंहलद्वीप' 'मन' के लिये पद्मिनी 'ज्ञान' के लिये और 'अलाउद्दीन' 'वासना' के लिये प्रयुक्त किये जैसा कि वह स्वयं मानता है। 'पद्मावत' की रचना के इस आधार पर ही रानी पद्मिनी की कहानी बनी। बाद में राजपूताना के अनेक कवियों ने उस पर गाथायें लिखी तथा अनेक इतिहासकारों ने इसको स्वीकार किया।

पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण राजा रतनसिंह की सुन्दर और विदुषी पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था जो कि सिंहलद्वीप की राजकुमारी थी और जिसे राय ने बारह वर्ष के प्रणय के बाद प्राप्त किया था। अलाउद्दीन चित्तौड़ को आठ वर्ष के घेरे के बाद भी उस पर अधिकार न कर सका था। उसने युक्ति से राय को बन्दी बना लिया

श्रीरं पधनी क उस सोपन पर श्री राय का मुक्त करन की शर्त रखी। राजपूतो न श्री मुक्ति न राय निहा और 1600 पारबिया म सशस्त्र राजपूत बँडकर दिल्ली पहुँचे और उस समय बाहर जूदकर राय को मुक्त कर सुरक्षित बितौड़ ले घाते ।

पद्मावत' व इम प्रसंग न धनका रूप धारण कर लिखे । कुछ लेखको के अनुसार राणा क्षिपी नही गया था बल्कि वह सन्नात के खेमे में ही कैद पर रहा त राजपूता न उमे छुडा दिया । उमी प्रकार राजपूत भाटी ने जो दिल्ली के इतिहास के बारे म कृष्ण जातधारी रावते वे उन्नीसे दसे पयन्त किया और ऐतिहासिक नय्य। म कई परिवर्तन कर दिखे । राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहासकार डा. गोरीशंकर हीराचन्द्र घोषा ने इमका इत्यन्त स्टुड प्रकाशयन किया और वे इस निर्माण पर पहुँचे कि इमम सन्धना का धम नही है । उनका कहना है कि पलानीन इतिहासकारों मे मे एत' ने भी इमका सर्वेण नही किया है । बाद के इतिहासकारों न पद्मावत को आधार बनाकर इनकी सत्य दक्षिने का प्रयत्न किया । डा ए एन शोकासतव ने अनुसार 'बदलि इम सन्धन मे अनेक घटनायें सम्पित हैं परन्तु कथ्य न। मुख्य कथानक सत्य प्रतीत होता है । डा राय ने पलावर्दीन के चरित्र को कायकता और हिन्दू क्षिपी के प्रति उगकी कमजोरी को ध्यान में रखते हुये काली के आधार को सत्य मानने की सुझावना प्रकट की है । अन्त मे वही कहा ना सन्ना दे कि इन कहानी को पूर्णतया असत्य कहकर टास देना उचित नहीं है बरबस ऐतिहासिक तथ्य दखे प्रमी तक सत्य प्रमाणित करने में सफल नही हो पाये हैं ।

मासवा पर विजय—1305 ई तक भारत के अनेक शासक पलावर्दीन की प्राधीनता मान उते खराब मेजते लगे थे । इम समय तक उसने अपनी सेना को पुनर्गठित कर बलिभानी बना लिया था तथा उसकी धार्मिक व्यवस्था भी सन्तोषजनक थी इसलिये उसकी मासवा, सिवाजा और जालौर पर धाक्रमण करने की नीति अपनाई ।

मानवा के शासक राय महलक देव के पाल लक्ष्मण लीग से बालीस हुवार मुदमवार तथा बारी सख्या में पैदल सैनिक थे । उसका मंत्री हरनन्द कोडा एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ ही साथ साहसी योडा भी था । पलावर्दीन ने समस्त-अपने एक अधिकारी प्राइनुतमुल्क को 10,000 घूडसवारों के साथ मासवा विजय को भेजा । महलक देव तथा कोडा ने इस सेना से युद्ध किया परन्तु दोनों युद्ध में मारा गया और महलक देव भागकर बाण्डू चला गया । प्राइनुतमुल्क ने बाण्डू को घेर लिया परन्तु शासक पर वह किसी प्रकार का प्रभाव डालने में असमर्थ रहा । कूटनीति से काम लेकर अपने एक विषयामधारी की सहायता से किने से प्रवेस पा लिया । अचानक धाक्रमण कर उसने शासक की हत्या कर दी और इन प्रकार नवम्बर 1305 मे माहू पर सुल्तान का अधिकार हो गया । समके पश्चात् उज्जैन,

घार, चन्देरी आदि को भी जीत लिया गया और मालवा को दिल्ली राज्य में मिला लिया गया।

सिवाना की विजय—अमीर खुसरो के अनुसार सिवाना का प्रदेश दिल्ली से लगभग 100 फर्संग की दूरी पर था। इसलिये अलाउद्दीन ने स्वयं इस अभियान का नेतृत्व संभाला। इससे अधिक महत्वपूर्ण कारण यह मालुम पड़ता है कि सिवाना का शासक शीतलदेव एक साहसी योद्धा था तथा उसके पास एक सुदृढ़ दुर्ग था। अनेक राजपूत शासक उसका लोहा मानते थे। जुलाई 1309 ई. में सुल्तान की सेना ने दिल्ली से कूच कर इसे घेर लिया, 'मंजनीकों' और 'पाषेवों' का निर्माण किया गया परन्तु उसके बाद भी कोई अधिक सफलता नहीं मिल पाई। लगभग दो माह तक राजपूतों ने आक्रमणकारियों का सामना किया परन्तु अन्त में अलाउद्दीन की सफलता मिली। शीतलदेव जालौर भागने की तैयारी करता हुआ घेर लिया गया और मारा गया। कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना के प्रशासन के लिये नियुक्त कर अलाउद्दीन दिल्ली लौट आया।

जालौर की विजय—जालौर सिवाना से केवल 50 मील दूर था। वहाँ का शासक कान्हणदेव एक साहसी योद्धा था। डा. के. एस. लाल ने लिखा है कि अलाउद्दीन ने 1304 ई. में जालौर से अपना आधिपत्य स्वीकार करवाया था परन्तु डा. दशरथ शर्मा की खोजों के आधार पर यह निश्चित परिणाम निकलता है कि 1304 ई. में अलाउद्दीन जालौर पर अधिकार करने में सफल नहीं हुआ था क्योंकि जालौर के शासक ने गुजरात से 1305 ई. में लौटते हुये नुसरत खाँ पर आक्रमण किया था।

डा. के. एस. लाल के अनुसार 1311 ई. में जालौर पर आक्रमण का प्रमुख कारण उसकी स्वतन्त्रता को समाप्त करना था, क्योंकि अलाउद्दीन के लिये यह असह्य था कि राजपूताना के अन्य राज्यों द्वारा उसकी आधीनता मानने के बाद भी जालौर स्वतन्त्र रूप से रह सके। राजपूत इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन 1304 ई. में नुसरत खाँ पर किये गये आक्रमण को भूल न पाया था। 1311 ई. में जालौर पर आक्रमण किया गया। छत्ती सेनाओं को पहले तो कई स्थानों पर पराजय का मुँह देखना पड़ा परन्तु बाद में दिल्ली से अधिक कुमुक मिल जाने पर जालौर को विजित किया जा सका। यह निश्चित है कि जालौर का युद्ध भयानक तथा काफी समय तक चला था। इस युद्ध में कान्हणदेव मारा गया तथा उसके वधे हुये सम्बन्धियों को कत्ल कर दिया गया। केवल कान्हणदेव का एक भाई मालदेव जीवित बचा। अलाउद्दीन ने प्रसन्न हो उसे चित्तौड़ की सूबेदारी प्रदान की।

जालौर के निकट मन्दिरों को तोड़ा गया। अलाउद्दीन ने जालौर में सींगिर के प्रसिद्ध दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण कराया।

जालौर की विजय के साथ अलाउद्दीन ने राजपूताना पर अपना अधिकार कर लिया था। डा. के. एस. लाल ने लिखा है कि, "जालौर के समर्थन के साथ

ही राजपूताना के तदभव सभी राज्य एक के बाद एक अधिकार में ले लिए गए। जैसलमेर, रणथम्भौर, चित्तौड़, सिवाना और जालौर तथा उनसे सभी रिवाजों—भूमी, मण्डौर और टोक मय विहित की जा चुकी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जोधपुर (मारवाड़) भी कल्पवृक्ष के अधीन था, यद्यपि हमने अधिष्ठित विषय जान का स्पष्ट उल्लेख नहीं है तथापि म 1358 (1301 ई.) के वादुमा (जोधपुर) के एक क्लानेस में जोधपुरीयुग (दिल्ली) के अन्तर्गत (अवाउद्दीन) की क्लानेस का उल्लेख बनाया गया है।" इस प्रकार 14वीं शताब्दी के अन्त तक क्लानेस राजपूताना पर अपना अधिकार ब्रह्माने म समूचे हूमा या पान्नु इस तत्त्वता की लिए विषय अधिकांश स्थायी मानना उचित है।

राजपूताना क्लानेस की नीति नहीं—अवाउद्दीन की प्रस्तावित धर्म-व्यवस्था व राज्य की सामाजिक व्यवस्था की नीति विलुप्त स्पष्ट थी और इसी प्रकार अखिल म विहित द्वारा राज्यों के सम्बन्ध में भी कोई सुविधा नहीं थी परन्तु राजपूताना के सम्बन्ध में हमें कोई ऐसी नीति नहीं दिखाई पड़ती है। प्रो पी पी सक्सेना ने 'हिन्दी कल्पवृक्ष' में लिखा है कि, 'न तो अवाउद्दीन की सामाजिक नीति और न इतिहासकारों की टोकण्डा हमें उसकी राजस्थान क्लानेस की नीति स्पष्ट करती है। यह ऐसा कोई राज नहीं कर सकता था जो दिल्ली का साम्राज्य बनाने और यह निश्चय ही राज्यों की मुद्रा पर चल सकता था। किन्तु इनके परे हम नहीं कह सकते हैं कि साम्राज्य के साम्राज्य में विषय की योजना और-और सामाजिक नीति की नीति और म उनके धर्मव्यवहारिक समझ कर स्थापन किया गया। रणथम्भौर या जालौर का प्रदेश साम्राज्य में मिला गया तथा और उनके सामाजिक विषयों के अन्तर्गत लाया गया। किन्तु चित्तौड़ में ही तीन हजार राज्यों का नरहरार केन्द्र बिन्दु हुआ और राजस्थान के अन्य प्रदेशों की शाही राजपूतों के अन्तर्गत लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। राजस्थान के तीन विभाग हुए पर विषय प्रत्यक्ष करने में भी एक जन-द्वारा हुई और यहाँ से कोई उल्लेखनीय सम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई।" इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि अवाउद्दीन किसी ऐसे प्रदेश की जिससे उसे कुछ सामाजिक धर्मव्यवस्था नीतिक लाभ न हो, योजनाबद्ध करने के लिये तैयार न था।

प्रो सक्सेना ने लिखा है कि जब कभी कोई राज अवाउद्दीन के दरबार में गया और कुछ समय के लिये अवाउद्दीन के अधीन किसी राज्य अधिकारों के अन्त में रहा तो भी अवाउद्दीन केवल अपने सामाजिक लक्ष्यों के अन्तर्गत ही गया। जब कभी क्लानेस के किसी अधिकारों को राजपूताना के किसी प्रदेश में किसी राज्य अधिकांश राज्यों को उखाड़ फेंकने में सफलता मिली तब भी क्लानेस ने वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को भंग करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। यह राजपूताना के किसी राज्य को अवाउद्दीन के रूप में छोड़ने की नीति से प्रभावित रहा और उसके अपने अधिकारियों ने जो भी कुछ कर या रखना उनसे बहुत किया, वह उनके ही सम्पत्ति था। इनके साथ ही हमें यह धर्मव्यवस्था तब भी व्याप्त में रखना चाहिये

कि अलाउद्दीन के समय में राजपूताना को वो महत्व नहीं था जो कालान्तर में हो गया। राजपूताना के राजपूत शासकों के बीच आपस में गहरी फूट थी और इसलिये न तो मिलकर अलाउद्दीन के विरुद्ध ही कोई योजना बना सकते थे और न ही उससे मिलकर किसी संयुक्त अभियान की सोच ही सकते थे। अलाउद्दीन भी राजपूत राज्यों की अपेक्षा दक्षिण के समृद्ध राज्यों की ओर अधिक आकर्षित था।

प्रो. सक्सेना का मत पूरी तरह से स्वीकार कर लेना सम्भव नहीं दिखाई देता क्योंकि राजपूताना की विजय अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति के लिये आवश्यक थी। यह कल्पना करना कि एक सुल्तान जो विश्व-विजय कर दूसरा सिकन्दर बनने के स्वप्न देखता हो और जो अपने कोतवाल अलाउलमुल्क की सलाह पर विश्व-विजय को छोड़ पहले भारत की विजय के लिये उद्यत हो गया हो वो राजपूताना पर अधिकार करने का प्रयत्न नहीं करेगा? यह और भी अवश्यम्भावी चीखता है जब दिल्ली के इतने निकट राजपूत तुर्की जुग को उतार फेंकने के लिये कटिबद्ध हों। अलाउद्दीन के मम्भुत्र दो ही विकल्प थे—या तो वो राजपूतों की साम्राज्यवादी नीति को स्वीकार कर ले और उन्हें एक स्वतन्त्र और विरोधी शक्ति के रूप में जीते दे अथवा उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर साम्राज्य के लिये इस अनवरत खतरे को सदैव के लिये कुचल दे। अलाउद्दीन ने निश्चित ही दूसरा विकल्प चुना और यद्यपि वो सदैव के लिये राजपूत शक्ति को कुचल देने में सफल नहीं रहा परन्तु उसको यह सफलता कम नहीं थी कि वो अपने राज्यकाल में इस संभावित विरोधी शक्ति से साम्राज्य को सुरक्षित रखने में समर्थ रहा। एरणम्भोर के 1300 ई. के अभियान से लेकर 1311 ई. के जालौर अभियान तक इसी नीति के अन्तर्गत उसने राजपूताना के राज्यों पर आक्रमण किए। परन्तु अलाउद्दीन को इन आक्रमणों में कोई विशेष लूट नहीं मिल पाई अपितु जन-हानि अधिक उठानी पड़ी इसलिये उसने सम्पूर्ण राजपूताना को जीतने के दुराग्रह को छोड़ दिया। लेकिन यह नीति उसने तब ही अपनाई जब उसने राजपूताना के उन प्रदेशों पर अपना दृढ़ अधिकार जमा लिया जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। शक्तिशाली राज्यों को अलाउद्दीन के सामने धरागाथी होते देख छोटे राज्यों ने उसकी प्रभुता को मानने में ही अपना भला समझा। इस प्रकार अलाउद्दीन की नीति मोटे रूप से सफल हुई। राजपूतों पर अपनी नृशंसता की छाप छोड़ने के लिये तथा भविष्य में उनको विद्रोह के रास्ते से अलग रखने के लिये उसने नर-संहार में कोई कसर नहीं छोड़ी। चित्तौड़ में तीस हजार हिन्दुओं को अमीर खुसरौ के अनुसार, 'सूखी घास की तरह कटवाने' के पीछे उसका यही प्रयोजन था।

वरनी ने राजपूताना की विजय के बाद अलाउद्दीन द्वारा की गयी व्यवस्था का वर्णन दिया है। उसके अनुसार साम्राज्य के चारों ओर प्रान्तों का नियन्त्रण विश्वसनीय मलिकों और स्वामिभक्त अधिकारियों के हाथ में सौंपा गया।

रणथम्भोर, चित्तौड़ मण्डलगढ़, चन्देरी, सिवाना और जालौर की सरकारें बमबोर थी और अलाउद्दीन ने इन सरकारी कौन्ठार राज्यपालों के नियंत्रण में रखा। भायन म फलखतुल्ल, चित्तौड़ में मलिक अबूमुहम्मद तथा चन्देरी में मलिक तमर इसी नीति के अन्तर्गत नियुक्त किये गये थे।

राजपूताना के अभियानों की विशेषता व राजपूतों की पराजय के कारण— अलाउद्दीन व राजपूताना के अभियानों की विशेषता रही कि ये सदैव ही रक्त-रजित रहे। रणथम्भोर व जालौर तक के घरा की यही गाथा रही। उन परिस्थितियों में, जिनका विवरण किया जा चुका है, इसके प्रतिरक्त कोई धारा भी नहीं था। राजपूतों की अपनी स्वतन्त्रता प्रिय थी और वे उसका मूल्य अपने रक्त से चुकाने की भी तत्पर थे तो दूसरी ओर यह सुन्तान की प्रतिष्ठा के प्रतिफूँव था कि वह अपनी सेनापति का वापस बुला ले। प्रश्न केवल लोहे की लोह से काटने का था और राजपूत ही नहीं, यदि कोई दूसरी शक्ति भी अलाउद्दीन का इन्हीं साधनों से विरोध करती तो अलाउद्दीन भी इसका प्रति उत्तर इसी रूप में देता। प्रो के एत साल ने लिखा है कि, “प्रत्येक किले के सामने रक्त-रजित युद्ध हुये” “कभी-कभी एक ही दुर्ग के सम्मुख वर्षों तक सपर्यं चलना रहा और उमका अन्त लोगों के असाध्य संहार और जोहर की अग्नि में तिनकों के विनाश से होता था।”

राजपूतों की पराजय के कारण—राजपूतों की पराजय के लिये उनका चरित्र और मनोभावना काफी हद तक उत्तरदायी थीं। डा. के एत. साल ने लिखा है कि, “राजपूत युद्ध-भूमि में मरना अत्यधिक सौभाग्यशाली और सम्मानपूर्ण मानता था। बीरता उसकी रग-रग में भरी हुई थी तथा वह छल और बपट से घृणा करता था। जहाँ तक तुर्कों का प्रश्न है, अदम्य साहस उसका पहला और छल दूसरा स्वभाव था। उसके लिये, मृत्यु एक महान् दुर्भाग्य थी। वह जीवित रह कर विजय के पना का समास्वादन करने के लिये अत्यधिक तत्पर था। अतः वह सदैव ही विजय की आकांक्षा करता था। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिये साधन गौण थे। इस प्रकार राजपूत युद्ध में नूद पड़ता था, परन्तु तुर्क जातिम का अन्दाजा लगा कर ही युद्ध करता था। राजपूत उन्मत्त होकर युद्ध करता था और तुर्क युद्ध-कौशल में। राजपूत युद्ध में कूटनीति का भूलन विरोधी था, किन्तु कूटनीति तुर्कों की सहचरी थी तथा उनकी सफलता की कुजी थी।”

अलाउद्दीन खल्जी की तुलना में राजपूत राज्यों के साधन अत्यधिक सीमित थे। औषकतर-रीगस्तानों प्रदेश होने के कारण पानी और रसद की कठिनाई उनके लिये एक अभिशाप थी। अलाउद्दीन के पास न केवल दोमाब और उत्तरी भारत का उपजाऊ प्रदेश था परन्तु साथ ही साथ उस दाक्षिण व अभियाना में अपार सम्पत्ति भी साथ लगती रहती थी। इन साधनों के आधार पर राज्य की सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना सरल था। रणथम्भोर के पतन में रसद की कमी एक कारण था।

राजपूतों की पराजय का तीसरा कारण था कि उनके दुर्गों के अन्दर की स्थिति सन्तोपजनक नहीं थी। घेरे के समय दुर्ग में साधारण जनसमूह की संख्या सैनिकों से अधिक रहती थी और ऐसी स्थिति में दुर्ग को व्याघ्र-सामग्री का शीघ्र ही समाप्त हो जाना स्वाभाविक था। जिस पहाड़ी पर दुर्ग स्थित होता था उसको शत्रु घेरकर कुमुक प्राप्ति के समस्त साधनों को आसानी से बन्द कर सकता था। चित्तौड़ और जालौर के किलों के पतन का एक कारण यही था। इसके साथ ही राजपूतों में जाति-भेद और रुढ़िवादिता भी एक ऐसी कमी थी जिसको वे असाधारण स्थिति में भी भूल नहीं पाये। आक्रमणकारी उनकी इस कमजोरी से परिचित थे और इसीलिये वे अक्सर मिलने पर या तो उनके खाद्यान्नों को अपवित्र कर देते थे अथवा पानी को दूषित करने में भी नहीं चूकते थे। रणथम्भौर में देशद्रोहियों से मिलकर आक्रमणकारी ने इसी नीति को अपनाया था।

राजपूतों की पराजय इसलिये भी हुई कि वे विकसित युद्ध-प्रणाली से विल्कुल अज्ञात रहे। वे युद्धों की पुरानी रीति-नीति से इतने अधिक चिपके रहे कि जब एक सुशिक्षित सेना से उन्हें मुकाबला करना पड़ा तो उन्हें अनुभव हुआ कि वे कितने अधिक पिछड़े हुये हैं। राजपूत मध्य एशिया में मंगोलों द्वारा विकसित युद्ध-कला से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। तुर्क आक्रमणकारी इसके विरोध में इस विकसित रणनीति को न केवल जानते थे अपितु उसको पूरी तरह से ग्रहण कर चुके थे क्योंकि आये दिन मध्य एशिया में उन्हें इन मंगोलों से लोहा लेना पड़ता था। इस के आघार पर वे आक्रामक आक्रमण, सैनिकों को शत्रु की दृष्टि से छिपाना, मिथ्या पलायन तथा अचानक लौटकर आक्रमण करने में वे सिद्ध-हस्त थे। सत्त्वियों के पास इसके अतिरिक्त 'गरगच' और 'मंजनीक' जैसे युद्ध यन्त्र थे। दूसरी ओर राजपूत अपने हाथियों पर ही निर्भर थे और हाथियों का इन शस्त्रों के सामने अधिक समय तक टिके रहना सम्भव नहीं था। यह कहना कि हाथी युद्ध के लिये पूरी तरह अनुपयोगी हो गये थे उचित न होगा, क्योंकि तुर्क भी हाथियों का उपयोग सीख गये थे। परन्तु राजपूतों का पूरी तरह हाथियों पर निर्भर रहना उचित नहीं था। इसके साथ तुर्कों के पास जो सुशिक्षित अश्वसेना थी और जो उनका मुख्य आघार थी उसका राजपूतों के लिए मुकाबला करना कठिन था। पुनः राजपूतों को शासन सामन्त प्रथा पर आधारित था और युद्ध के समय अधीन सामन्त अपनी सैनिक टुकड़ी को लेकर शासक की सहायता के लिए आ जाता था। यद्यपि जाति-वन्धन के कारण वे शासक की सहायता करते थे परन्तु तुर्कों में ये सामन्ती प्रथा और जाति-वन्धन की कड़ियां अधिक मजबूत थीं और साथ ही तुर्क मुल्तान उन पर प्रभावशाली अंकुश लगाये रखने में भी समर्थ रहे थे।

राजपूतों में एकता की भावना की भी कमी थी। विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में भी वे एक दूसरे से एक जुट होकर लड़ने में अयत्न रहे। प्रत्येक राजपूत शासक अपने ही मामलों में इतना अधिक लिप्त रहता था कि वह दूसरों के

लिये पूर्णतया उदासीन था। स्वल्जियो ने इसका पूरा लाभ उठाया और एक के बाद एक राजपूत शासक को घराशाही करने में सफल हुये। सिवाना और जालौर के पारस्परिक सम्बन्ध राजपूत शासकों की एक दूसरे के प्रति उदासीनता का उत्कृष्ट उदाहरण है। सिवाना के आक्रमण के समय जालौर के राज्य ने, जो केवल सिवाना से 50 मील दूर था, किसी भी प्रकार की महायत्ना नहीं की। इसका परिणाम हुआ कि सिवाना के पतन के पश्चात् अलाउद्दीन के लिए जालौर पर अधिकार करना अधिक सरल और सुगम हो गया।

राजपूतों की इन कमजोरियों के कारण अलाउद्दीन सम्पूर्ण राजपूताना पर अपना अधिकार जमाने में सफल हुआ परन्तु फिर भी इस प्रदेश में उसकी विजय अस्थायी ही रही। राजपूतों ने अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त गवर्नरों को तग किया तथा पुनः अपने प्रदेशों पर अधिकार करने के लिये सतत प्रयत्नशील रहे। रणथम्भौर पर अधिकार होने के लगभग छ महीने बाद जब उलूगखा रणथम्भौर छोड़ कर चला गया तो उसके बाद रणथम्भौर अलाउद्दीन के अधिकार में रहा अथवा नहीं यह निश्चित नहीं है। विजय के शीघ्र बाद ही जालौर भी स्वतन्त्र हो गया। चित्तौड़ के प्रदेश को भी अलाउद्दीन को अपने एक राजपूत विश्वामपात्र मालदेव, को ही सीपना पडा और यद्यपि उसने राजपूतों की हर सम्भव तरह से दबाये रखने का प्रयत्न किया परन्तु इसके बाद भी मालदेव चित्तौड़ में रहते हुए राजपूतों की ओर से निश्चिन्त न हो पाया। इस प्रकार राजपूतों का मर्घ्य लगातार चलता रहा और अलाउद्दीन उन्हें पूरी तरह अपने आधीन करने में कोई स्पष्ट सफलता प्राप्त न कर सका।

दक्षिण की विजय—अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति की पूर्ण बगैर दक्षिण की जीते हुये सम्भव नहीं थी। कौनवाल अलाउल्मुल्क की दी गई सलाह को स्वीकार कर वह सबसे पहले भारत के प्रदेशों को जीतने के लिये न केवल लालाचिन अपितु बहिदर भी था। अलाउद्दीन के पहले समस्त सुल्तानों का ध्यान केवल उत्तरी भारत, अथवा जिसको उम्र समय में 'हिन्दुस्तान' कहा जाता था, तक ही सीमित था क्योंकि शासन के विस्तार की अपेक्षा उसका दृष्टिकोण ज्यादा आवश्यक था। इसके प्रतिरिक्त जब तक सीमाओं की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था न कर दी जावे तब तक उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण जीतने का प्रयास करना दूरदर्शितापूर्ण नहीं होता। बलबन इन सीमाओं पर व्यापक दृष्टि लोगों के आक्रमण के भय से ही दिखी, छोड़ सकने में असमर्थ रहा। अलाउद्दीन के काल तक और विशेषकर 14वीं शताब्दी के आरम्भ से मगोल आक्रमणों की गति और कठोरता कम हो गई थी और इसके बाद भी बलबन की वैज्ञानिक सीमा-नीति को अन्वय रूप में कार्यगिवन कर अलाउद्दीन ने इस ओर की समुचित व्यवस्था कर दी थी जो मगोलों के नूफानी आक्रमणों से मोहा ले सकता थी। इससे साथ ही 1306-07 ई तक अलाउद्दीन ने मोटे रूप

से उत्तरी भारत के अधिकतर राज्यों का दमन कर दिया था और उसकी शक्ति का विरोध करने का साहस किसी में बाकी न रह गया था। उसके कठोर शासन के कारण राज्य में शान्ति और व्यवस्था थी, विद्रोह के कारणों का उन्मूलन किया जा चुका था और सुल्तान के पास एक बड़ी और शक्तिशाली सेना थी जिसको किसी क्षेत्र की विजय में लगाना आवश्यक था अन्यथा यही उसकी विरोधी बन सकती थी। इन समस्त कारणों के आधार पर अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय की नीति अपनाई।

उस समय दक्षिण भारत में चार शक्तिशाली व सम्पन्न राज्य थे। विन्ध्याचल पर्वत के दक्षिण-पश्चिम में यादवों का देवगिरि का राज्य था (आधुनिक महाराष्ट्र) जहाँ का शासक रामचन्द्रदेव अपने वन और यश के कारण प्रसिद्ध था। देवगिरि (आधुनिक दौलताबाद) उसकी राजधानी थी। दक्षिण-पूर्व में तैलंगाना का काकतीय राज्य था जिसकी राजधानी वारंगल थी। तैलंगाना के दक्षिण-पश्चिम में होयसल राज्य था जिसका शासक वीर वल्लाल तृतीय था और द्वारसमुद्र उसकी राजधानी थी। सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य था जिसकी राजधानी मद्रुरा थी। मुस्लिम इतिहासकार इस राज्य को मावर (मलाबार) राज्य के नाम से जानते थे। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय यहाँ सुन्दर पंड्या और वीर पंड्या में अपने पिता की गद्दी के लिये संघर्ष चल रहा था।

आक्रमण के उद्देश्य—दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने में अलाउद्दीन के अनेक उद्देश्य थे जिसमें दक्षिण से वन प्राप्त करना प्रमुख था क्योंकि इससे उसकी अनेक समस्याओं का समाधान सम्भव था। ए.ए. के. एस. सास ने लिखा है कि, "सभी विजेताओं को प्रेरणा प्रदान करने वाले वन के लालच और गौरव की जालसा ने उसे भी एक के बाद एक दक्षिण के सभी राज्यों पर आक्रमण करने की प्रेरणा दी।" 1296 ई. के दक्षिण के प्रथम अभियान ने उसे सुल्तान बनाया था और अब वहाँ की लूट और धन-प्राप्ति उसे सुल्तान बनाये रखने में सहायक हो सकते थे। इसमें कोई दो मत नहीं कि दक्षिण के राज्यों के पास अतुल सम्पत्ति थी और अलाउद्दीन के पहले किसी भी मुसलमान आक्रमणकारी ने इसे हाथ भी न लगाया था। दक्षिण की सम्पन्नता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक विदेशी यात्री ने इस भाग में सोने और चाँदी के बाहुल्य को प्रमाणित किया है। अलाउद्दीन द्वारा दक्षिण के राज्यों की लूट-भार के बाद भी मुहम्मद तुगलक को वहाँ से अतुल सम्पत्ति मिल सकी और उसके बाद भी अन्दुर रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की सम्पत्ति और सम्पन्नता के बारे में जो विवरण दिया उससे उस प्रदेश में प्राप्त सम्पत्ति का सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता है। इस सम्पत्ति की प्राप्ति से अलाउद्दीन के अनेक हित सिद्ध हो सकते थे। वह अपनी विशाल सेना का जिनमें फरिश्ता के अनुसार 4,75,000 छुड़सवार थे, पोषण दीक ढंग से कर सकता

था तथा अपने शासन-सम्बन्ध के लक्षों की प्रावश्यकता को भी निभा सकता था। इसके साथ ही उसको यह लाभ भी था कि वो सेना को व्यस्त रख सकता था अन्यथा यही सेना उसके लिये निरद्वंद्व बन सकती थी।

अलाउद्दीन केवल दक्षिण की सम्पत्ति लूट कर ही सन्तुष्ट होने वाला सुल्तान न था। दक्षिण भारत के राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार कराने और उन्हें वापिक कर देने के लिए बाध्य करना भी उसका उद्देश्य था जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती थी। हाँ पूरा एन डे ने हम उद्देश्य पर अधिक बल दिया है। उनके अनुसार, "अलाउद्दीन दक्षिण और सुदूर दक्षिण के राज्यों को अधीनस्थ राज्य बनाने के लिये पूर्ण सोच-विचार कर निश्चिन्त की गयी नीति का पालन कर रहा था जिन्होंने ये राज्य उनकी प्रभुसत्ता को स्वीकार करें, उसे वापिक कर दें और प्रत्येक तरह से उसके अधीनस्थ राजाओं की भाँति व्यवहार करें।" अलाउद्दीन एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ था और यह भली-भाँति जानता था कि दिल्ली और दक्षिण के राज्यों के बीच अश्विक दूरी होने के कारण और विशेषकर ऐसी स्थिति में जब आवागमन के साधन नाम-मात्र के हों, दक्षिण की राज्य में मिलाकर उन पर शासन करना नितान्त असम्भव होगा। इसलिये वह इससे सन्तुष्ट था कि दक्षिण के राज्य उसकी अधीनता स्वीकार कर उसे वापिक कर दिया करें। इस आधार पर उसने दक्षिण के राज्यों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। दक्षिण की विजयों का श्रेय मनिफ काफूर को है, जिसे गुजरात से एक गुलाम के रूप में खरीदा गया था और जो अपनी योग्यता से 'नाइब' के पद की प्राप्ति कर सका था।

देवगिरि की विजय—1296 ई में अलाउद्दीन द्वारा देवगिरि पर पहला आक्रमण किया गया था और उस समय देवगिरि के शासक रामचन्द्रदेव ने पराजित हो यह स्वीकार किया था कि वह प्रतिवर्ष एलिचपुर की प्राय भेजा करेगा। अलाउद्दीन के 1296 ई में शासक बनने के बाद वह 1304 ई तक हम प्राय को बराबर भेजता रहा। परन्तु 1305 अथवा 1306 ई में उसने इसे दिल्ली भेजना बन्द कर दिया। प्राय की न भेजने के पीछे सम्भवतः रामचन्द्रदेव के पुत्र प्रवरदेव (सिंहदेव) का हाथ था जो इसे अपमानजनक समझता था। यदि इतामो के विवरण को स्वीकार किया जावे तो रामचन्द्रदेव ने इसकी सूचना अलाउद्दीन को दे दी थी। यह भी सम्भव था कि रामचन्द्रदेव ने सुल्तान को सेवा की 1303 ई. में चारगल के अभियान की प्रफलता की देखकर तथा मगोल-आक्रमणों में उसकी व्यस्तता का लाभ उठाकर इस प्रकार की नीति अपनाई हो। अलाउद्दीन अपने एक करद राज्य द्वारा इस वचन-सूत्र की नीति को महन कर राज्य की हानि को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। इगलिये उम्मे 1307 ई. में मलिक काफूर के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों को दे उसे देवगिरि पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। गुजरात के सूबेदार अलपखा और मालवा के सूबेदार आर्देन-उल-मुल्क की काफूर की सहायता

करने के भी आदेश भेजे। प्रो. निजामी ने 'खलाइन-उल-फुतुह' के आधार पर यह लिखा है कि अलाउद्दीन ने यह भी आज्ञा दी थी कि राय और उसके परिवार के किसी व्यक्ति को हानि न पहुँचाई जावे। अमीर खसरो के ग्रन्थ देवलदेवी-खिखलां से पता चलता है कि कमलादेवी ने जो इस समय अलाउद्दीन की पत्नी थी, उससे अपनी पुत्री देवलरानी को दिल्ली जाने की प्रार्थना की थी। देवलरानी व उसके पिता कर्णदेव इस समय देवगिरि के शासक रामचन्द्रदेव की शरण में थे जिसने वगलाना का प्रदेश उसे स्वतन्त्र रूप से शासन करने के लिए दे दिया था।

इस प्रकार देवगिरि पर आक्रमण की भूमिका तैयार थी। मलिक काफूर मालवा को पारकर सुल्तानपुर पहुँचा। राजा कर्ण ने अपनी पुत्री को काफूर को सौंपने से मना कर दिया और लगभग दो माह तक वह उसका सफलतापूर्वक सामना करता रहा। मलिक काफूर ने राजा कर्ण को पराजित करने का उत्तरदायित्व अपने सहयोगी अलपखों को सौंपा और स्वयं देवगिरि की ओर चला। राजा कर्ण ने अलपखों का भी सफलता से सामना किया। इसी समय उसे देवगिरि के राजकुमार शंकरदेव (सिंहनदेव) का देवलरानी से विवाह करने का प्रस्ताव तथा सहायता का आश्वासन मिला। इससे पहले राजा कर्ण ने स्वयं के वंश को एक मराठा वंश से अधिक प्रतिष्ठित मानकर प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। परन्तु इस समय परिस्थितियाँ विल्कुल भिन्न थीं इसलिये उसने इसे स्वीकार कर देवलरानी को सुरक्षा-हेतु कुछ सैनिकों के साथ देवगिरि की ओर भेज दिया। अलपखों ने राजा कर्ण को पराजित कर उसे देवगिरि की ओर भागने के लिए बाध्य किया और जब वह उसका पीछा कर रहा था तब अचानक रास्ते में उसके सैनिकों को देवलरानी का काफिला मिल गया। देवलरानी को छीनकर उसे दिल्ली भेज दिया गया जहाँ उसका विवाह शाहजादा खिखलां से कर दिया गया। अलपखों इसके बाद मलिक काफूर से जाकर मिल गया।

मलिक काफूर लूट-भार करता हुआ देवगिरि पहुँचा। सम्भवतः रामचन्द्रदेव को काफूर के आने की खबर न लगी। अपनी शक्तिहीन और अस्तव्यस्त सेना को लेकर उसने काफूर का सामना किया परन्तु पराजित हुआ तथा अपने आत्म-समर्पण करना ही अधिक उचित समझा। उसका पुत्र शंकरदेव युद्ध-क्षेत्र से भाग निकला। काफूर ने देवगिरि को लूटा तथा इस लूट के साथ वह रामचन्द्रदेव तथा उसके अनेक सम्बन्धियों को दिल्ली ले गया। अलाउद्दीन ने उनके साथ बड़ी उदारता का व्यवहार किया और उसे 'राय-रायन' की उपाधि दी। छः माह पश्चात् उसने उसे एक लाख सोने के टंका और नवसारी के जिले को देकर उसके राज्य में वापिस भेज दिया।

डा. के. एस. लाल के अनुसार, "अलाउद्दीन का इस प्रकार अस्वस्थता का व्यवहार एक गहरी कूटनीतिज्ञता थी। अलाउद्दीन को दक्षिण में अब एक-एक सहयोगी मिल गया था जो सुल्तान को उसकी भावी योजनाओं में सहायता करेगा।

उन्होंने आगे लिखा है कि अलाउद्दीन ने राजा रामचन्द्रदेव के रूप में विजय के अपने एक स्तम्भ को देवगिरि में पुनः स्थापित कर दिया।" बरनी के विवरण के आधार पर डा. खाल ने पुनः लिखा है कि, "शासक रामचन्द्रदेव अलाउद्दीन के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु था। उसकी दया और उदार व्यवहार के कारण वह ममस्त जीवन दिल्ली सुल्तान के प्रति तावेदार (आज्ञाकारी) बना रहा, वही उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया तथा जीवनभरमन्त वह दिल्ली को नियमित रूप से कर भेजता रहा।" यह इसमें प्रमाणित होता है कि रामचन्द्रदेव ने मलिक काफूर को सुदूर दक्षिण के अभियानों में सम्मिलित नहीं किया।

वारगल की विजय—देवगिरि के आक्रमण की सफलता ने उसे तैलगाना पर पुनः आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अलाउद्दीन 1303 ई. में किये गये अपने विफल आक्रमण को भूला नहीं था इसलिए उसने मलिक काफूर को इस अभियान के लिए नियुक्त करने के पहले विशेष आदेश दिये थे। इन आदेशों का श्री निजामी ने विस्तृत वर्णन दिया है और साथ ही इससे अलाउद्दीन की दक्षिण-सम्बन्धी नीति भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। बरनी के आधार पर उन्होंने लिखा है कि, "तुम एक सुदूर प्रदेश में जा रहे हो। वहाँ बहुत समय तक न रहना। वारगल पर विजय प्राप्त करने के लिये तुम अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर राय हद्रदेव को पराजित करना। किन्तु यदि राय अपनी कोप, हाथी और घोड़े समर्पित कर दे और भविष्य में एक निश्चिन्त खराज देने का वचन दे तो यह व्यवस्था स्वीकार कर लेना।" अलाउद्दीन ने स्पष्ट आदेश दिया था कि वह राय को अपने सम्मुख उपस्थित करने अथवा उसे दिल्ली लाने की जबरदस्ती न करे।

इन आदेशों के साथ 31 अक्टूबर, 1309 ई. को मलिक काफूर ने तैलगाना की ओर बूच किया। बरनी के विवरण के आधार पर मलिक काफूर देवगिरि होता हुआ तैलगाना की ओर बढ़ा। श्री निजामी अमीर खुसरो के विवरण के आधार पर इसकी स्वीकार नहीं करते हैं। उनका तर्क है कि बरनी ने घटनाओं के बहुत समय बाद लिखा जबकि अमीर खुसरो का समकालीन वर्णन हम भिन्नता है। श्री निजामी के अनुसार तैलगाना जाते समय देवगिरि जाने की आवश्यकता ही नहीं थी।

मलिक काफूर अमूदपुर, खदार, बीजागढ़, सरवार होता हुआ जनवरी 1310 ई. में तैलगाना की राजधानी वारगल के निकट पहुँचा। वारगल के दुर्ग के दो परकोटे थे जिसके चारों ओर खाई थी। पहला परकोटा मिट्टी का तथा दूसरा पत्थर का था। प्रतापहर देव ने रावतों की मादारी दुर्ग का मोर्चा सम्भलवाया। दुर्ग की ऊँचाई के बराबर 'सावात' व 'गर्ग' बनाये गये। लगभग एक महीने से अधिक समय के बाद मादारी दुर्ग को जीत लिया गया। प्रतापहर देव के लिये अब अधिक समय तक सपर्य करना सम्भव नहीं था और उसने सधि करने की इच्छा से अपनी

एक सोने की मूर्ति बनवाकर और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर काफूर के पास भेजी। काफूर संधि के लिये राजी हो गया।

बरनी के विवरण से ऐसा आभास होता है कि प्रतापसूदरदेव ने कितने ही वर्षों के संचित कोप के अतिरिक्त 100 हाथी, 7000 घोड़े और अनेक बहुमूल्य रत्न उसे दिये। अमौर खुसरो ने भी यद्यपि कीई निश्चित धन-राशि देने का विवरण नहीं दिया है परन्तु लूट में प्राप्त माल का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसको 1000 ऊंटों पर लादकर दिल्ली लाया गया। इस समस्त सम्पत्ति में सम्भवतः विख्यात कोहनूर हीरा भी था। काफूर मार्च में दिल्ली की ओर चला जहाँ 23 जून, 1310 को उसका अलाउद्दीन द्वारा स्वागत किया गया तथा दक्षिण की लूट को सुल्तान के समक्ष प्रदर्शित किया गया।

होयसल राज्य पर विजय—बारंगल के अभियान के केवल पाँच माह बाद ही काफूर को नवम्बर 1310 ई. में द्वारसमुद्र तथा मावर की विजय के लिये भेजा गया। होयसल राज्य का शासक इस समय वीर बल्लाल तृतीय था। होयसल वंश का उत्तर में यादवों तथा दक्षिण में चोलों से लगातार संघर्ष चलता रहता था इसलिए काफूर की विजय अधिक सुलभ हो गई। कटीहून, धरगांव होती हुई फरवरी 1311 ई. के आरम्भ में सेना देवगिरि पहुँची जहाँ रामचन्द्रदेव ने उसका स्वागत किया तथा सीमान्त सेनाध्यक्ष परशुराम को काफूर की सहायता करने के आदेश दिये। रसद और शस्त्रों की सुविधा से काफूर की अधिक सहायता मिली। यादव-राज्य के दक्षिणी सीमान्त अधिकारियों से उसे मार्ग आदि के बारे में भी उपयोगी जानकारी मिली। जिस समय काफूर होयसल राज्य की सीमा पर पहुँचा उस समय शासक वीर बल्लाल तृतीय वीर पांड्य और सुन्दर पांड्य के बीच गृह-युद्ध में वीर पांड्य की सहायता के लिये गया हुआ था। यह सूचना पाकर काफूर ने तुरन्त उसकी राजधानी द्वारसमुद्र पर आक्रमण कर दिया। वीर बल्लाल तुरन्त लौटकर आया। अपनी सहायता के लिये वह वीर पांड्य को एक सैनिक टुकड़ी भी साथ ले आया था। परन्तु इसके बाद भी वीर बल्लाल, काफूर का मुकाबला करने में असमर्थ रहा। अपने सरदारों की सलाह के विरुद्ध उसने कुछ छुट-पुट युद्धों के बाद संधि करना अधिक उचित समझा। अंततोगत्वा उसने काफूर के सम्मुख धातन-समर्पण कर दिया। उसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, चापिक कर भेजना स्वीकार किया और काफूर को हाथी, घोड़े और अपनी समस्त सम्पत्ति अर्पित कर दी। प्रो. निजामी ने समकालीन स्रोतों के आधार पर लिखा है कि वीर बल्लाल ने अपने पास पवित्र जनेऊ के अतिरिक्त कुछ भी न रखने का वचन दिया था। उसने मावर राज्य में शाही-सेना के मार्ग-दर्शन करने का भी उत्तरदायित्व सम्भाला।

मावर का अभियान—मुस्लिम इतिहासकारों ने पांड्य राज्य को मवार राज्य के नाम से सम्बोधित किया है। यह प्रदेश समुद्र-तट पर स्थित था और

दिल्ली से लगभग 12 मास की यात्रा करने के बाद ही यहाँ पहुँचा जा सकता था। यह मान्यता कि सुन्दर पाड्य ने अपने भाई से पराजित होकर अलाउद्दीन से उसके विरुद्ध सहायना मागी थी, अमीर खुसरो ने विवरण से अमान्य प्रमाणित होता है। जैसाकि प्रो निजामी लिखत हैं कि काफूर न दोनों भाइयों पर ही आक्रमण किया था।

होपमल राज्य में कुछ दिन ठहरने के बाद काफूर ने 10 मार्च, 1311 ई को मजार की ओर बूच किया। वीर पाड्य ने खुले में युद्ध करना हितकर नहीं समझा और इसलिये किले में बन्द रहकर ही शत्रु का विरोध किया। काफूर का वीर पाड्य के विरुद्ध कोई अधिक कठिनाई का सामना न करना पडा, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच युद्ध छिदा होने के कारण दोनों ही भागने के विषय में सोच सकते थे। काफूर ने वीर पाड्य के प्रमुख स्थान वीर चोला पर आक्रमण किया। वीर पाड्य वहाँ से भाग निकला तथा कामरम पहुँचकर कुछ सैनिक और धन एकत्रित किया और फिर कदूर (कन्नार) भाग गया। वहाँ भी सुरक्षित अनुभव न करने के कारण वह जगना की ओर भाग गया। वीर पाड्य ने वीर चोला से भागने पर अपने 20,000 मुख्यतः सैनिकों ने आत्म-समर्पण किया। अतः काफूर ने कदूर से कुछ खजाना तथा 120 हाथी लूटे और वीर पाड्य का पीछा करता करता वह बरमनपुरी (ब्रह्मपुरी) अथवा आधुनिक चिदमपुरम पहुँचा। यहाँ उसने 'विंग महादेव' के सोने के मन्दिर को लूटा और मूर्तियों के टुकड़े-टुकड़े कर डाले।

इसके पश्चात् वह वापिस लौटा और सुन्दर पाड्य की राजधानी मदुरा को घेर लिया। सुन्दर पाड्य राजधानी छोड़ भाग गया। काफूर को न तो वीर पाड्य और न ही सुन्दर पाड्य हाथ लग थे इसलिये उसने क्रोध में आकर लूटमार करना तथा मन्दिरों को नष्ट-ध्वस्त करने की नीति अपनाई। काफूर सम्भवतः रामेश्वरम् तक गया और उसने उस मन्दिर की पवित्रता को समाप्त किया। फरिश्ता का कथन है कि उसने वहाँ एक मस्जिद का भी निर्माण किया था। परन्तु प्रो निजामी अमीर खुसरो के वर्णन पर इसकी स्वीकार करने के लिये तत्पर नहीं है। उनके अनुसार मस्जिद की कहानी बाद के समय की मालुम पडती है।

अप्रैल 1311 ई में काफूर अत्यधिक सम्पत्ति लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुआ। बेरनी और अमीर खुसरो ने विवरण से यह स्पष्ट है कि धन की दृष्टि से काफूर का यह आक्रमण सबसे सफल आक्रमण था।

देवगिरि पर तीसरा आक्रमण—रामचन्द्रदेव की 1311 ई में मृत्यु के बाद उसका पुत्र शकरदेव (सिधनदेव) देवगिरि की गद्दी पर बैठा। सिधनदेव दिल्ली के प्रमुख को मानने के लिये तत्पर नहीं था। शासक बनने ही उसने एक स्वतन्त्र शासक के समान व्यवहार करना शुरू किया। अतः काफूर को पुन 1313 ई. में देवगिरि पर आक्रमण करने के लिये भेजा गया। इत्तामी का यह कथन कि सिधनदेव

वगैर युद्ध किये ही देवगिरि खाली कर दिया, अधिक विश्वसनीय नहीं है। सम्भवतः उसने काफूर का विरोध किया और युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया।

दक्षिण की विजय का स्वरूप व प्रभाव—अलाउद्दीन ब्याबहारिक शासक था और यह समझता था कि दक्षिण के राज्य जो कि राजधानी से अत्यधिक दूर हैं उनको दिल्ली सल्तनत में मिलाना घातक सिद्ध होगा। जहाँ पहुंचने में महीनों लग जाते थे ऐसे प्रदेशों को राज्य में मिलाकर आये दिन के विद्रोह और पड़पन्थों को आमन्त्रित करने के अतिरिक्त और कोई परिणाम न था। अतः उसने इन राज्यों को केवल करदा राज्य की स्थिति में रखा जहाँ से जो अर्धीनता मनवाने के साथ ही प्रति वर्ष खराज ले सके तथा प्रशासन के उत्तरदायित्व आदि से मुक्त रहे। उसे अपने साम्राज्य में रखी हुई विशाल सेना के खर्च के लिये घन की आवश्यकता थी और वह घन उसने खराज के रूप में दक्षिण के प्रदेशों से प्राप्त कर लिया। डा. के. एस. लाल ने इस सन्दर्भ में लिखा है कि, "दक्षिण से प्राप्त सब घन जब हस्तगत कर लिया गया तो दिल्ली सल्तनत में इन राज्यों को मिलाना केवल कठिनाइयाँ आमन्त्रित करना था। राजपूताना के लगातार युद्धों ने उसको विजित प्रदेशों को राज्य में मिलाने की नीति की हानियों से अवगत करा दिया था और पुनः वो गलतियाँ अब वो दक्षिण में दुहराने के लिये तैयार न था।"

इस क्षेत्र में भी उसकी नीति पूरी तरह सफल नहीं कही जा सकती। देवगिरि और द्वीपसमूह राज्यों ने निस्सन्देह उसकी सत्ता को मान लिया परन्तु तैलंगाना के शासक प्रतापरुद्रदेव का व्यवहार सर्वदा शंकापूर्ण रहा और वीर पांड्य ने अन्त तक उसकी अर्धीनता को नहीं स्वीकारा।

अलाउद्दीन की दक्षिण-विजय को स्थायी भी नहीं माना जा सकता क्योंकि मलिक काफूर को देवगिरि पर दुबारा आक्रमण करना पड़ा तथा शासक शंकरदेव (मिहलदेव) से पुनः युद्ध करना पड़ा, तैलंगाना और कर्नाटक पर आक्रमण करने पड़े और दक्षिण पर प्रभुत्व बनाये रखने के लिये देवगिरि को सैनिक छावनी बनाना पड़ा। इससे यह स्पष्ट है कि दक्षिण के राज्य विजेता के जाते ही पुनः सल्तनत के प्रभाव से मुक्त होने के लिये प्रयत्नशील हो जाते थे। इसीलिये मुबारकशाह खल्जी और मुहम्मद तुगलक को दक्षिण को अपने अधीन करने के लिये प्रयत्न करने पड़े। अलाउद्दीन की सफलता इसी में रही कि उसने अवकाश दक्षिण को अपने प्रभाव क्षेत्र में कर लिया।

दक्षिण-विजय के और भी प्रभाव पड़े। डा. के. एस. लाल ने लिखा है कि "इसने भावी सेनापतियों और जहजदों के लिये एक प्रभावकारी सोपान का काम किया और मुगल शासक के अनेक सेनानायकों जैसे महाबतखाना आदि ने इसी क्रम को जारी रखा।" जब कभी अलाउद्दीन की नीति के विरुद्ध दक्षिण को राज्य में मिलाने की नीति अपनाई गई तभी उसके परिणाम अत्यन्त घातक सिद्ध हुये।

इसके अतिरिक्त दक्षिण के अभियानों में इन राज्यों की प्रजा, सरकार और सस्कृति को काफी हानि हुई। खराज देने और नूट के कारण राजकीय रिक्त हो गया और इसलिये दक्षिण के राज्यों को प्रशासनिक व्यय तथा खराज देने के लिये राज्यशरो को बढ़ाना पडा और स्वाभाविक था कि इससे सामान्य लोगों को अधिक बन्ट उठाने पड़े। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से मलिक काफूर ने दक्षिण के कुछ प्रदेशों में मन्दिर आदि गिराने की नीति अपनाई उसके कारण वहाँ के लोगों को और निराशा हुई क्योंकि इस प्रकार की नीति उन्होंने पहली बार खल्जी शासकों के अधीन ही देखी थी। इसको प्रतिश्रिया अवश्यम्भावी थी। डा. मजूमदार ने लिखा है कि, 'उनके लिये आक्रमणकारी की विशाल शक्ति के मामले उस समय तो आत्म-समर्पण के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था, लेकिन उनके दिलों में असन्तोष निश्चिन्त रूप से घर कर गया था जिसकी अन्तिम अभिव्यक्ति राजनीतिक परिणाम के रूप में विजयनगर राज्य के उत्कर्ष में हुई।'

दक्षिण के अभियानों के सफलता के कारण—दक्षिण के अभियानों की सफलता उस समय की राजनीतिक अव्यवस्था में अधिक निहित है। दक्षिण का प्रदेश प्राकृतिक-सीमाओं के आधार-पर एक-मेलग ही इकाई था परन्तु उत्तरी भारत की तरफ दक्षिण में भी छोटे छोटे राज्य थे और उनमें भी परस्पर शत्रुता थी। वीर पाड्य की वीर बेल्लाल को सहायता करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जबकि दक्षिण के राज्यों ने इस प्रथम मुक्त आक्रमणकारी के विरुद्ध कोई भयुक्त मोर्चा तैयार करने की नीति अपनाई है अपितु वे एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमणकारी की सहायता के लिये तत्पर हो गये। देवगिरी के शासक रामचन्द्रदेव ने मलिक काफूर की सहायता की और वल्लाल ने मावर के अभियानों में अलाई सेना का मार्ग दर्शन किया। जब स्वयं दक्षिण के शासक इन प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमणकारी से मिलने की तैयार थे, तो विजय का कार्य निश्चित रूप से सरल हो ही जाना चाहिये था।

दक्षिण के राज्य एक दूसरे के प्रबल विरोधी भी थे और आपस-में ही एक दूसरे के प्रति लड़ने में लगे रहते थे। 1296 ई. में जब अलाउद्दीन ने पहली बार देवगिरि पर आक्रमण किया तब रामचन्द्रदेव का पुत्र शकरदेव (सिंहनदेव) सेना के अधिकांश भाग के साथ होयसल राज्य के विरुद्ध युद्ध करने गया हुआ था। जिस समय काफूर ने 1311 ई. में होयसल राज्य पर आक्रमण किया उस समय वीर बल्लाल पाड्य राज्य के गृह युद्ध में व्यस्त था। पाड्य राज्य के आक्रमण के समय वहाँ मुन्वर पाड्य व वीर पाड्य में गृह-युद्ध चल रहा था। जब दक्षिण के राज्य इस प्रकार से स्वयं अपने झगड़ों में उलझे हुये हो तब बाहर के आक्रमणकारी के लिये विजय न केवल सरल अपितु सुनिश्चित भी हो जाती है।

अलाउद्दीन की सैनिक क्षमता और मलिक काफूर का नेतृत्व भी किसी प्रकार से कम उत्तरदायी नहीं था। यह काल मोटे रूप में घुड़सवारों का काल था

श्रीर एक अच्छी घुड़सवार सेना युद्ध में विजय के लिये निर्यायिक तत्व थी। अलाउद्दीन सैनिक और तुर्कीस्तान की अच्छी नस्ल के घोड़ों का उपयोग करते थे क्योंकि उन्हें दक्षिण के राज्यों की तुलना में वे सहज ही प्राप्त थे। दक्षिण के राज्यों के पास भी घुड़सवार सेना अवश्य थी परन्तु न तो उनके घोड़ों की नस्ल उच्च किस्म की थी और न ही वे इसमें पूरी तरह दक्ष ही थे। अलाउद्दीन घुड़सवार सैनिकों की महत्ता को जानता था इसीलिये उसने मलिके काफूर को वारंगल अभियान के समय सैनिकों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने की सलाह दी थी। उसने उसे सलाह दी थी कि, "यदि कोई शमीर थोड़े दास या थोड़े अपने पास रखना चाहे तो उन्हें उसी के पास छोड़ देना।" "यदि किसी का घोड़ा किसी कारणवश नष्ट हो गया हो तो उसे शाही अस्तबल से अच्छा घोड़ा प्रदान करना।"

डा. के. एस. लाल ने लिखा है कि, "तुर्क प्रबल घोड़ा होते थे और इसके साथ ही उनमें घमोस्साह और लूट का लोभ भी विद्यमान था। अनुशासन, युद्ध-कीशल और युक्तियों में उत्तरी सेनाएं दक्षिणी सेनाओं से श्रेष्ठ थीं। शारीरिक बल में भी दक्षिण के सैनिक उत्तर के सैनिकों की तुलना में नगण्य थे।" इसके अतिरिक्त मलिक काफूर के कुशल नेतृत्व ने इनको इस प्रकार संजोया था कि विजय उसी की होना स्वाभाविक थी।

इन कारणों के अतिरिक्त दक्षिण के राज्यों की आक्रमणकारियों के प्रति उदासीनता भी उनकी पराजय का कारण था। उनकी गुप्तचर व्यवस्था अत्यधिक कमजोर थी और उन्हें शत्रु के शाने तक की जानकारी नहीं मिल पाती थी। वे युद्ध के समय उसी समय तत्पर हुये जब कि काफूर ने उनकी राजधानियों के फाटक खटखटाये।

इस प्रकार अलाउद्दीन ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर-पश्चिम में सिन्ध नदी से उसके राज्य की सीमा थी, परन्तु 1306 ई. के पश्चात काबुल और गजनी तक का क्षेत्र उसके प्रभाव में आ गया था। पूर्व में अवध उसकी सीमा थी। उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में विष्णुचल तक का क्षेत्र उसके राज्य का अंग था। राजपूताना, गुजरात, मालवा पर उसका एकाधिकार था। दक्षिण में पांड्य राज्य के अतिरिक्त अन्य तीन राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार तुर्क सुल्तानों में वह पहला शासक था जिसने इतने विस्तृत राज्य को स्थापित किया हो।

अलाउद्दीन तथा मंगोल—खल्जियों के समय उत्तर-पश्चिम से मंगोलों के आक्रमण पुनः एक शाश्वत खतरा बन गये। मंगोलों का अन्तिम आक्रमण लगभग 1292 ई. में हुआ था परन्तु जलालुद्दीन खल्जी ने इसमें कोई सम्मानजनक प्रदर्शन नहीं किया था और यदि शमीर खुसरो की बात को स्वीकार किया जावे तो उसने मंगोलों से सन्धि करना ही अधिक हितकर समझा और अपनी एक पुत्री का विवाह

मंगोल नेता उलगू मे कर दिया। अलाउद्दीन के गद्दी पर बैठने तक मंगोल अधिक शक्तिशाली हो गये थे और गजनी तथा उनके अधिकार में होने के कारण उनको-
शाक्रमण के दृष्ट आघात मिल गये थे।

मंगोलों के नेता जोगेजसा की मृत्यु के बाद यद्यपि मंगोलों की विभिन्न शाखायें आपस में एक दूसरे की प्रतिद्वन्द्वी थीं परन्तु फिर भी वे एशिया में एक महान् शक्ति थे। इन शाखाओं में ईरान के इल-खानों और ट्रांस-आक्सियाना के चंगताइयो में विशेष प्रतिद्वन्द्विता थी और दोनों मध्य-एशिया में ही नहीं अपितु भारत में भी एक दूसरे के विरोधी थे। दूसरे इस काल तक आकर मंगोलों ने लूट-मार के कार्य के अतिरिक्त विजेताओं की भूमिका स्वीकार कर ली थी और वे अब साम्राज्य विस्तार के लिये भी प्रयत्नशील थे। मंगोल-आक्रमणों के समय अफगान तथा खोश्वर जानिया भी उनमें मिल जाती थीं और इस प्रकार मंगोलों की समस्या और अधिक गहन हो जाती थी।

अलाउद्दीन के समय में मंगोलों का प्रथम आक्रमण 1297-98 ई. में कादर के नेतृत्व में हुआ। बरनी 1296 ई. में भी एक आक्रमण बताता है परन्तु अमीर खुसरो ने 1297-98 ई. को ही पहला आक्रमण गिना है। मंगोलों ने पंजाब में प्रवेश करके लाहौर के समीपवर्ती प्रदेशों को लूटा तथा कसूर के मकान जला दिये। अलाउद्दीन ने उलूगवा को इनके विरुद्ध भेजा जिन्होंने मंगोलों को जालन्धर के निकट पराजित किया। अमीर खुसरो के अनुसार लगभग बीस हजार मंगोल युद्ध में मारे गये और अनेकों की बन्दी बना लिया गया जिन्हें दिल्ली लाकर हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया।

मंगोलों का दूसरा आक्रमण 1295 ई. में सलदी के नेतृत्व में हुआ। अमीर खुसरो ने इसका वर्णन नहीं किया है परन्तु बरनी ने लिखा है कि मंगोलों ने उत्तर-पश्चिमी भाग पर आक्रमण करके सिबिस्तान (सिन्ध प्रदेश का उत्तरी भाग) पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने जफरवा के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसने मंगोलों को बुरी तरह पराजित किया। सलदी तथा अनेक मंगोल स्त्री-पुरुषों की बन्दी बना लिया गया और उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। जफरवा की इस विजय से मंगोल घातकृत हो गये परन्तु अलाउद्दीन उसकी वीरता से शक्ति हो गया। ऐसा प्रामाण्य सगता है कि अलाउद्दीन इसके बाद जफरवा की हत्या करने की भी सोचने लगा। उलूगवा भी जफरवा के प्रति ईर्ष्यान्वु था और सम्भवतः इसी समुक्त ईर्ष्या के कारण ही अगले मंगोल आक्रमण में जफरवा मारा गया।

1299 ई. के अंत में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया। इस समय कुतलुग खाना उनका नेता था। मंगोलों का उद्देश्य दस बार विजय प्राप्त करके शासन करना था इसलिए उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले नगरों को न तो लूटा और न ही किसी दुर्ग पर अधिकार किया। मंगोलों के साथ इस समय लगभग दो लाख सैनिक

थे । मंगोल जल्दी-जल्दी कूच करते हुए दिल्ली के निकट तक पहुंच गये । इसामी ने लिखा है कि अलाउद्दीन को केवल एक या दो सप्ताह का समय मिला । उसने अलाउल्मुल्क से परामर्श किया । उसने सुल्तान को सलाह दी कि मंगोलों से युद्ध करना उस समय तक टाला जावे जब तक कि उनके पास खाद्य-सामग्री की कमी न पड़े जावे और वे इसकी तलाश में न निकल पड़ें । परन्तु अलाउद्दीन ने उनका शक्ति से विरोध करना ही उचित समझा । बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने कहा, “वह दिल्ली की संप्रभुता को किस प्रकार सुरक्षित रख सकता है यदि वह आक्रमणकारी का मुकाबला करने से भयभीत होगा ? शत्रु दो हजार कोस की यात्रा कर उससे युद्ध करने आया है । यदि वह एक ऊंट की पीठ के पीछे छिपेगा तो भविष्य की पीढ़ियां उसके बारे में क्या कहेंगी ? यदि वह कायरता का अपराधी होगा और मंगोलों को कूटनीति अथवा वातचीत से पराजित करने का प्रयास करेगा तो वह किसी को अपनी शक्ति दिखाने का अथवा हरम में प्रवेश करने का साहस कैसे करेगा । नहीं, चाहे जो हो जावे मैं कल तीरी से कीली की ओर कूच करूंगा । कुतलुग श्वाजा से युद्ध करूंगा और देखूंगा कि ईश्वर किसे विजय प्रदान करता है ।” अलाउल्मुल्क से उसने कहा कि, “हम दोनों में से जो कोई—चाहे वह या मैं—विजयी हों, तुम द्वारों और कोपामारों की कुंजियों के साथ विजय का अभिवादन करना और उन कुंजियों को उसके चरणों पर रखकर उसके आशाकारी सेवक हो जाना ।” दूसरे दिन सुल्तान स्वयं अपनी सेना को लेकर कीली के मैदान में पहुंच गया । उलूगखां तथा जफर खां के साथ एक शक्तिशाली सेना को भेजने के अतिरिक्त सुल्तान ने स्वयं 12,000 कुशल सैनिकों को लेकर युद्ध-भूमि की ओर प्रयाण किया । सुल्तान स्वयं नसरतखां के साथ मध्य में रहा तथा जफरखां को दाहिनी ओर व उलूगखां को बायीं ओर रक्खा । जफरखां ने जल्दी में मंगोलों के वाम पक्ष के विरुद्ध तैयार रहने के बदले उस पर आक्रमण कर दिया । मंगोलों का वाम-पक्ष तिनत्र-वितर हो गया और वे भाग लड़े हुए । केन्द्र पर भी उनका आक्रमण विफल रहा । भागते हुये मंगोलों का जफरखां ने पीछा किया और अपनी उग्रता के कारण अपने साथियों को छोड़ केवल एक हजार सैनिक ही उसके साथ रह गये । मंगोलों ने अच्छा अवसर देख तार्गी के नेतृत्व में उसे घेर लिया । मंगोलों की संख्या लगभग दस हजार थी परन्तु जफरखां ने भागने की अपेक्षा युद्ध करना ही अपनी मर्यादा के अनुसार समझा । इसामी लिखता है कि उसने तार्गी के लगभग आधे सैनिकों को हताहस कर दिया । इसी बीच मंगोलों ने उस पर भीषण प्रहार कर उसे मार डाला । जफरखां की वीरता का प्रमाण इसी से मिलता है कि जब उनके छोड़े पानी नहीं पीते थे तो वे कहते थे कि, “क्या तुमने जफरखां की परछाईं को देखा है जो तुम पानी नहीं पीते ।” युद्ध की घटनाओं से ऐसा मालूम पड़ता है कि शत्रु से घिरे जफरखां को सुल्तान तथा उलूगखां ने कोई सहायता नहीं पहुंचायी क्योंकि सुल्तान जफरखां की वीरता से शक्ति था और उलूगखां उसकी बढ़ती हुई शक्ति से ईर्ष्या

करता था। इसीलिए डा के एस. सास ने लिखा है कि, "वह परिस्थिति का व्यंग था कि किसी ने भी युद्ध के नायक जफरखा की बोरता की प्रशंसा नहीं की। इसके विपरीत सुल्तान ने उस पर अन्धाधुन्ध लड़ाई करने और बिना आदेश के शत्रु का पीछा करने का आरोप लगाया। आन्तरिक रूप से अलाउद्दीन उमकी मृत्यु से प्रसन्न था और उमने उसकी मृत्यु को दूसरी शुभ घटना माना जो मंगोलों की पराजय में कम महत्वपूर्ण नहीं थी।" मंगोल वापिस लौट गये परन्तु कुतलुग ख्वाजा सम्भवत इससे इतना अधिक अस्त था कि उमकी कुछ ही समय में मृत्यु हो गई।

मंगोलों का चौथा आक्रमण उस समय हुआ जब अलाउद्दीन चित्तौड़ के घेरे से वापिस दिल्ली लौटा ही था। उसकी दिल्ली की सेना अपर्याप्त थी और एक बड़ी सेना तैलगाना की और गई हुई थी। इस आक्रमण का नेता तरगी था। उसके पास लगभग 1,20,000 घुड़सवार थे और वह पहले के आक्रमण की तरह ही दिल्ली की ओर शीघ्रता से बढ़ा। अलाउद्दीन इस स्थिति में न था कि मंगोलों से पहले के ममान ही खुले मैदान में युद्ध करे। इसलिए उसने सीरी के दुर्ग में शरण ली जहाँ वह दो महीने तक मंगोलों से घिरा रहा। मंगोलों ने घेरा इतना बठोर कर रक्खा था कि अलाउद्दीन को उत्तर-पश्चिम तथा पूर्व से कोई सैनिक सहायता न मिल सकी। परन्तु मंगोल घेरा ढालकर किलों को जीतने की कला में दक्ष नहीं थे और इसलिये तीन महीने बाद वे वापिस लौट गये। सम्भवत उनके लौट जाने में मध्य एशिया की राजनीति भी उत्तरदायी थी। जाते-जाते उन्होंने दिल्ली तथा घासपान के क्षेत्रों को भी लूटा।

तरगी के इस आक्रमण ने अलाउद्दीन को सचेत कर दिया। उसने सीरी के किले को अधिक दृढ़ किया, दिल्ली के किले की मरम्मत करायी और उसने सीरी की ही अपनी राजधानी बनाया। उत्तर-पश्चिम की सीमाओं को दृढ़ किया तथा बहा पर पुराने किलों की मरम्मत करवाने के अतिरिक्त कुछ नये किलों का निर्माण कराया। उमने सीमान्त-प्रदेशों के लिए एक अलग सेना नियुक्त की तथा सेना की संख्या में वृद्धि की।

यदि एक और अलाउद्दीन अधिक सतर्क हो गया था तो दूसरी ओर मंगोल भी अपने पलायन का बदला लेने के लिए अधिक सक्रिय थे। 1304-05 ई में अली बेग और तार्ताक के नेतृत्व में 50,000 मंगोलों ने आक्रमण किया। साहीर के उत्तर की ओर बढ़ते हुये शिवालिक पहाड़ियों को पार किया और अमरोहा तक पहुँच गये। दीपायलपुर के हाकिम गाजी तुगलक ने मंगोलों को भारी क्षति पहुँचाई। अलाउद्दीन ने भी मलिक काफूर को उसकी सहायता के लिए भेजा। वापिस जाती हुई सेना पर आक्रमण किया गया जिसमें अलीबेग और तार्ताक को जीवित पकड़ लिया गया तथा उन्हें दिल्ली लाकर कत्ल कर दिया गया। मंगोलों ने सिरो को सीरी के किले की दीवार में चुनवा दिया गया। यदि फरिखा के विवरण को

स्वीकार किया जावे तो लगभग आठ हजार मंगोलों के सिरों को सीरी की बीवार में चुनवाया गया था। इस युद्ध के बाद ही गाजी मलिक तुगलक को पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर सीमा-रक्षा का उत्तरदायित्व उसे सौंपा।

अगले वर्ष मंगोलों ने अली बेग और तातक की हार का बदला लेने के लिए आक्रमण किया। इस बार मंगोलों ने स्वयं को तीन दलों में बाँटकर आक्रमण की योजना बनाई थी। प्रथम दल का नेतृत्व कवक तथा दूसरे और तीसरे दल के नेता इक्वाल व ताइबू थे। मुल्तान और सिन्ध के प्रदेशों में होते हुये तथा वहाँ लूट-मार करते हुये वे समाना और कुहराम आ पहुँचे। यहाँ से वे नागीर की ओर बढ़े। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में उनके विरुद्ध एक सेना भेजी जिसमें गाजी तुगलक व आइनुलमुल्क जैसे सैनानी थे। आगे आली नामक स्थान पर कवक की सेना से मुल्तान की सेना का सामना हुआ। कवक पराजित हुआ और उसे बन्दी बना लिया गया। मुल्तान की सेना ने मंगोलों का पीछा किया तथा हजारों की संख्या में उन्हें या तो मार डाला गया अथवा बन्दी बना लिया गया। बरनी ने लिखा है कि, अनेक मंगोलों को हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा दिया और वदायूँ द्वार के सामने उनकी खोपड़ी की एक मीनार बनाई गई। फरिश्ता का कथन है कि लगभग पचास अथवा साठ हजार मंगोलों में से केवल तीन अथवा चार हजार मंगोल ही जीवित बच कर जा सके। फरिश्ता का लेख अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, परन्तु इतना निश्चित है कि मंगोलों को भारी पराजय का मुँह देखना पड़ा और काफी संख्या में उनकी स्त्रियों और बच्चों को बन्दी बना लिया गया।

बरनी के अनुसार कवक, इक्वाल और ताइबू ने अलाउद्दीन के समय में विभिन्न अवसरों पर आक्रमण किये थे। इस प्रकार 1306 ई. के बाद भी मंगोलों के आक्रमण होते रहे। परन्तु इसामी और अमीर खुसरौ के आघार पर यह अन्तिम आक्रमण था। डा. के. एस. लाल इसे अन्तिम आक्रमण मानते हैं।

इस प्रकार अलाउद्दीन के समय में मंगोलों के सबसे अधिक आक्रमण हुये। मंगोल आक्रमणों की जितनी अधिकता थी, सम्भवतः अलाउद्दीन का विरोध भी उतना ही दृढ़ था। अलाउद्दीन की क्रूरता तथा उसकी सैनिक तैयारियों से मंगोल इतने भयभीत थे कि उन्होंने उसके तथा उसके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारकशाह के समय तक पुनः आक्रमण करने का साहस नहीं किया। यही नहीं बल्कि फरिश्ता के अनुसार सीमा-रक्षक गाजी तुगलक ने काबुल, गजनी और कन्धार तक आक्रमण किये और मंगोलों की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशों को लूटा। बरनी के अनुसार देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो गई और मुल्तान की अन्य प्रदेशों की विजय करने के लिये पर्याप्त अवकाश मिल गया।

मंगोल-आक्रमणों का प्रभाव—अलाउद्दीन के राज्यकाल में मंगोलों के सबसे अधिक आक्रमण हुये और यह स्वाभाविक था कि सत्तनत पर इसके प्रभाव पड़े हों।

अलाउद्दीन ने यद्यपि आरम्भ में अन्न तथा बलबन की नीमाग्न नीति का ही पालन किया परन्तु फिर भी उमने उम नीति को नये क्षितिज प्रदान किये। वह यह समझता था कि दिल्ली का वह सुल्तान जो अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाता वह शासन करने के अयोग्य है इसलिए सुल्तान बलबन की नीति को न केवल और अधिक मजबूत रूप दिया अपितु उसे और अधिक वैज्ञानिक भी बना दिया। इसी आधार पर उमने उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर न केवल पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई अपितु नये दुर्गों का भी निर्माण करवाया। मगोलों के रास्ते में जो मैनिफ शक्ति पड़ती थी उनको भी मुद्दुड किया और ममूत स्थानों पर मुद्दुड-यन्त्रों को भारी संख्या में जमा किया गया। मगोलों के आक्रमणों को रोकने के लिए ही सैनिक संगठन को अधिक विशाल और मजठिन बनाया।

इस विशाल सेना के गठन ने राज्य को दो तरह से प्रभावित किया। एक ओर तो वह मगोलों के आक्रमण का मफलता में सामना कर सका और दूसरी ओर इस सेना ने राज्य-विरोधी तन्त्रों को कुचलने में उमने महापता दी। तत्पश्चात् उमने इसी विशाल सैनिक संगठन का उपयोग उत्तरी और दक्षिणी भारत को जीतने में किया।

इस विशाल सेना की रख-रखाव ने अलाउद्दीन की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 3,70,000 घुड़मवारों के खर्च का भार वहन करना राज्य के लिये सरल नहीं था। इसलिये अलाउद्दीन ने एक ओर तो राजस्व को दर बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया और दूसरी ओर न केवल करों की वसूली में कठोरता दिखाई अपितु जागीरों की भी जम्नी कर ली। जागीरों को जम्न कर वेतन का नकद धन में भुगतान करना एक बरदान था परन्तु उमके उत्तराधिकारी इस नयी नीति को लागू न रख सके।

राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये अलाउद्दीन ने अपने कर्मचारियों के लिये वाजार नियन्त्रण की व्यवस्था की। यद्यपि इसमें वेतन भोगियों को सुविधा अथवा हर्ष परन्तु ममस्त लोगों के जीवन-स्तर को ऊचा उठाने में वह अममर्य रहा। लेकिन इसके बाद भी वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मफल हुआ। यह ठीक है कि शासक होने के लिये उमने उनके भौतिक जीवन को सुधार कर जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी चाहिये थी, परन्तु उम समय में अलाउद्दीन से इस भाग की आशा करना अर्थ था, क्योंकि उम काल तक राज्य के इस अर्थव्यवस्था का जन्म भी नहीं हो पाया था। इस प्रकार अलाउद्दीन का प्रशासनिक ढांचा अर्द्ध-मैनिफ ही बना रहा और केवल मैनिफ-शक्ति पर ही आधारित था।

अलाउद्दीन ने मगोलों के साथ त्रिम शूरता व कठोरता की नीति का प्रदर्शन किया और हज़ारों की संख्या में उन्हें बल कर दिया अथवा हाथों के पैरों के नीचे

कुचलवा दिया उससे सुल्तान की शक्ति और निर्दयता का आतंक छा गया और जन-साधारण तथा शमीर उससे भयभीत हो विद्रोह का नाम भी भूल गये ।

इस प्रकार अलाउद्दीन की मंगोल प्रणवा सोमांत नीति पूरी तरह सफल रही । उसने विशुद्ध सैनिक शक्ति के रूप में ही इसका समाधान निकालने की नीति अपनाई और सम्भवतः कोई दूसरा समाधान था भी नहीं और उसमें वह पूर्णतया सफल रहा ।

अलाउद्दीन के समय के विद्रोह—अलाउद्दीन के शासन के प्रथम पाँच वर्षों में चार विद्रोह हुये और यद्यपि वे सब ही असफल रहे परन्तु उनसे उसने कारणों व उनके दमन की नीति को निकालने में सफलता पाई । इसी कारण उसके शासन के अगले 15 वर्षों में कोई विद्रोह नहीं हुआ ।

जालौर का विद्रोह, 1299 ई.—सबसे पहला विद्रोह जालौर के निकट सकरुा नामक स्थान पर हुआ । इस समय उलूगखां और नुसरतखां के नेतृत्व में सेना यापिस दिल्ली लौट रही थी । इसामी के अनुसार सैनिक गुजरात की लूट से अधिक मालामाल हो गये थे । वरनी ने लिखा है कि शरा के अनुसार जब उनसे लूट का पाँचवाँ भाग माँगा गया तो वे अधिक उत्तेजित हो गये । सम्भवतः इस भाग को वसूल करने के लिए जो उनको दंड दिये गये उनसे निराश होकर उन्होंने विद्रोह की नीति अपनाई । इनमें नवीन मुसलमान सबसे आगे थे, क्योंकि वे सम्पत्ति में से किसी भाग को भी देने को तैयार न थे । विद्रोहियों ने नुसरतखां के भाई मलिक ईजुद्दीन को जो उलूगखां का 'अमीर-ए-हाजिब' था, मार डाला । उन्होंने उलूगखां के खेमे पर भी आक्रमण किया परन्तु वह नहाने के लिये बाहर गया था इसलिये बच गया । अलाउद्दीन का एक भाजा वहाँ सो रहा था और विद्रोहियों ने उसे उलूगखां समझकर उसका बंध कर दिया । उलूगखां, नुसरतखां के खेमे में भाग गया । विद्रोही नुसरतखां के खेमे के सामने इकट्ठे हो गये परन्तु नुसरतखां ने बुद्धिमानों से काम ले युद्ध के नगाड़े बजाने की आज्ञा दी जिनको सुनकर स्वामीभक्त सैनिक यह मानकर कि अचानक किसी हिन्दू शासक ने आक्रमण कर दिया है, एकजित हो गये । नवीन मुसलमान भाग खड़े हुये । उनमें से मुहम्मदशाह व कामरु ने रणधम्भीर के शासक हम्मीरदेव के यहाँ शरण ली और यत्नक तथा बुराक गुजरात के राजा कर्ण के यहाँ चले गये । यद्यपि पड़यन्त्रकारी भाग गये किन्तु दिल्ली में उनके स्त्रियों तथा बच्चों को बन्दी बना लिया गया और उन्हें उनके संरक्षकों के बदले में प्राणों की आहुति देनी पड़ी । वरनी के अनुसार बच्चों के टुकड़े-टुकड़े करवाकर उन्हें उनकी माताओं के सिरों पर रखवाया गया । इसके पहले कभी भी पुरुषों के अपराध के बदले उनके स्त्रियों और बच्चों को दंड नहीं दिया गया था । अलाउद्दीन के इस कठोर दंड-व्यवस्था से दिल्ली के लोग दंग रह गये ।

अकतखां का विद्रोह—1300 ई. अलाउद्दीन के भतीजे अकतखां ने विद्रोह किया । जब अलाउद्दीन रणधम्भीर के अभिधान के लिये जा रहा था तब मार्ग में

वह शिकार के लिये रुका। वह अपने कुछ सैनिकों के साथ था, तब अकतखा ने अकानक अपने सैनिकों सहित उस पर तीर बरमाने शुरू कर दिये। अलाउद्दीन ने अपने गोड़े को ढाल बनाकर अपनी रक्षा की परन्तु भीषण ही भूछिन होकर गिर गया। उसके पैदल सैनिक उसके चारों ओर घटा बनाकर खड़े हो गये और जब अकतखा पास आया तो उन्होंने एक ओर तो उसका सामना किया और दूसरी ओर सुल्तान के मरने की चिल्ला-चिल्लाकर घोषणा शुरू की। अकतखा ने इसे मच मानकर देर करना ठीक नहीं समझा और छेम म जाकर उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। परन्तु जब उसने सुल्तान के 'हरम' में प्रवेश करना चाहा तो हरम के रक्षक मलिक दोनार ने उसे रोक दिया। इतने में अलाउद्दीन होश में आ गया और अपने सैनिकों को लेकर छेमे में पहुँच गया। सुल्तान को जीवित देखकर अकतखा भाग खड़ा हुआ किन्तु उसका पीछा किया गया और उसका गिर काट कर सुल्तान के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। अकतखा के छोटे भाई कुतलुगखा की भी हत्या कर दी गई और उन सभी व्यक्तियों को जो अपराधी थे बठोर दंड दिया गया।

मलिक उमर तथा मगूला का विद्रोह—तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन की बहन के पुत्रों ने किया। मलिक उमर बदायूँ और मगूला अवध का सूबेदार था। जब अलाउद्दीन रणथम्भौर के घेरे में ब्यस्त था तब उन्होंने विद्रोह कर दिया। उनका विद्रोह असफल रहा और उन्हें बन्दी बनाकर सुल्तान के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और उसकी आज्ञा से उनका वध करवा दिया गया।

हाजी मौला का विद्रोह—1301 ई. में चौथा विद्रोह दिल्ली में हाजी मौला ने किया। हाजी मौला दिल्ली के भूतपूर्व कोतवाल फखरुद्दीन का मुक्ति प्राप्त दास था जो बरतोल नामक कस्बे का 'शहना' था। सम्भवतः कीली के युद्ध के कुछ समय बाद कोतवाल अलाउलमुल्क की मृत्यु हो चुकी थी। अलाउद्दीन ने उसके स्थान पर दिल्ली में बंयाद तिमिजी को और सीरी में अलाउद्दीन अयाज को नियुक्त किया था। दूसरा कोतवाल नियुक्त करने की आवश्यकता इसलिये अनुभव की गई कि सुल्तान सीरी में एक नया महल और नगर का निर्माण करवा रहा था।

जब अलाउद्दीन रणथम्भौर के अभियान में ब्यस्त था तब मिर्ही मौला ने विद्रोह की योजना बनाई। उसने दिल्ली के कोतवाल तिमिजी के घर जानकर, उसे धोखे से बाहर बुला उसका वध कर दिया। उसके बाद उसने इसी प्रकार घूर्णता से अयाज की भी हत्या करनी चाही परन्तु क्योंकि अयाज की पहचान की सूचना मिल चुकी थी इसलिये वह बच गया। हाजी मौला ने सुल्तान के लाल किले, कोषागार आदि पर अधिकार कर लिया और इन्तुमिष के एक बहाज शाहिन्शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। परन्तु सुल्तान का एक स्वामीभक्त सरदार हमीदुद्दीन इस विद्रोह को समाप्त करने में सफल रहा तथा हाजी मौला उसके समर्थकों तथा शाहिन्शाह का उसने वध कर दिया।

विद्रोह के कारण तथा उन्मूलन के उपाय—अलाउद्दीन इन लगातार विद्रोहों से परेशान था और इनके कारणों को ढूँढ निकालना चाहता था। रणथम्भौर के घेरे के समय ही उसने बरनी के अनुसार अपने विश्वासपात्रों से मंत्रणा की और अन्त में इस निर्णय पर पहुँचा कि विद्रोहों के मुख्यतः चार कारण थे—

1. सुल्तान अपनी प्रजा के भले व दुरे कार्यों की जानकारी नहीं रखता है;
2. शराब की दावतों के कारण अमीर एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं। वे बड़ी निर्भीकता से बातें करते हैं और पारस्परिक समझौता कर पड़यंत्रों की योजना बनाते हैं;

3. मलिकों और अमीरों की परस्पर एकता, सहानुभूति और रिश्तेदारी जिसके कारण वे अपने में से किसी एक को दंडित किये जाने पर सब संगठित हो जाते हैं तथा

4. सम्पत्ति के कारण उन्हें विद्रोह और पड़यंत्र करने के लिये शक्ति व समय मिल जाता है। इसलिये यदि उनके पास धन न हो तो वे जीविका कमाने में ही इतने व्यस्त रहेंगे कि उन्हें विद्रोह, पड़यंत्र के लिये समय ही नहीं मिल पावेगा।

विद्रोह के इन कारणों को ढूँढ निकालने के बाद सुल्तान ने दिल्ली आकर उनके सम्बन्ध में चार अध्यादेश जारी किये—

अलाउद्दीन ने सम्पत्ति को ज्वत करने को प्राथमिकता दी। उसने आदेश निकाला कि समस्त भूमि अथवा गाँव जो 'मिल्क' (राजकीय अनुदान), 'इनाम' (पुरस्कार) अथवा 'बक्फ' (वर्माय) में दिये गये थे उन्हें खालसा कर लिया जावे। इस आदेश का कठोरता से पालन किया गया और लोगों से ऐसी भूमि आदि छीन ली गयी। इस आदेश से यह लाभ हुआ कि सम्पत्ति छिन जाने से लोग जीविका को जुटाने में अधिक व्यस्त रहने लगे और विद्रोह आदि के लिये फुसंत ही न मिल सकी। बरनी ने लिखा है कि, "दिल्ली में केवल मलिक, अमीर, राज्य कर्मचारी, हिन्दू मुल्तानी व्यापारी और हिन्दू साहूकार के प्रतिरिक्त अन्य घरों में सोना नाम मात्र के लिये ही रह गया।"

अलाउद्दीन ने दूसरे अध्यादेश के अनुसार समस्त राज्य में गुप्तचर व्यवस्था को अत्यधिक संगठित रूप दिया। 'बरीद' (गुप्तचरों का अधिकारी) और मुनहिस (गुप्तचर) उसे निरन्तर सूचना देते थे। ये सूचनायें मुख्य रूप से अमीरों के घरों की तथा बाजार में सम्बन्धित थीं। अमीरों के घरों की प्रत्येक घटना की जानकारी सुल्तान को दी जाती थी। उसका गुप्तचर विभाग कितना क्रियाशील और सफल था, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अमीर अपने घरों में काँपते थे तथा आपस में बातचीत करने की अपेक्षा संकेतों से बातचीत करना अधिक ठीक समझते थे।

तीसरे अध्यादेश के द्वारा अलाउद्दीन ने शराब और भाँग जैसे मादक द्रव्यों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया। दिल्ली में शराब पीना विलकुल बन्द कर दिया गया और इन दिशा में सुल्तान ने स्वयं शराब पीना छोड़ दी। यदि बरनी का विवरण अतिरिक्त न माना जावे तो 'शराब केंदने के कारण वर्षा की तरह कीचड़ हो गई।' व लोग जो सरकार से लाइसन्स ले शराब बेचते थे उन्हें दिल्ली के बाहर कर दिया गया। सुल्तान ने शराब की दावतों का निषेध कर दिया और अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे अमीरों को यह चेतावनी दे दें कि शराब पीना बिलाना व उसे बचना राज्य के विरुद्ध अपराध है। वे लोग जिनमें आत्म सम्मान था उन्होंने सुल्तान के डर में शराब पीना छोड़ दी, परन्तु इसके बाद भी दूसरे लोग चोरी छिप घाम की गाटिया में चमड़े के थैलों में भरकर शराब दिल्ली के बाहर स लाने में न चूके। सुल्तान ने इनके लिये बटोर दण्ड की व्यवस्था की। उसने यदायू दरवाजे के बाहर कुएँ खुदवाकर ऐसे लोगों को इनमें केंद्र देने का आदेश दिया जो इन नियमों का उल्लंघन करते थे। शराब दिल्ली के आसपास के 20 घण्टा 25 मील की परिधि में मिनना अत्यन्त कठिन थी। जब सुल्तान ने यह अनुभव किया कि पूरी तरह से शराब पीना बन्द करना अत्यन्त कठिन है तो उसने नियमों को कुछ लचीला बना दिया। इन नियमों के अन्तर्गत व्यक्तियों को अपने घरों में शराब बनाने व पीने की अनुमति दे दी गई परन्तु वे किसी भी स्थिति में तो भावार्जनिक रूप में इसे बना सकते थे, न ही बेच सकते थे और न ही शराब की दावता को आयोजित ही कर सकते थे। अलाउद्दीन के उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह पर्याप्त था।

चौथे अध्यादेश के द्वारा अलाउद्दीन ने अमीरों की दावतों, पारस्परिक मेज-जोत तथा विवाह सम्बन्धों पर रोक लगा दी। सुल्तान की आज्ञा के बिना वे एक दूसरे के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते थे, आपस में मिल-जुल नहीं सकते थे और न ही जनता के निकट सम्पर्क में आ सकते थे। आदेश का पालन कठोरता से किया गया और अमीरों को आतंकित करे रखा। अलाउद्दीन के इन नियमों की सफलता इससे स्पष्ट है कि जब तक वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से दुर्बल नहीं हुआ तब तक उसके राज्य में कोई विद्रोह नहीं हुआ।

हिन्दुओं के प्रति व्यवहार—अलाउद्दीन का हिन्दुओं के प्रति व्यवहार का लेकर इतिहासकारों में अत्यधिक मतभेद है। वे जो कि अलाउद्दीन को धर्मांध प्रमाणित करना चाहते हैं, अपना आधार काजी मुगीसीद्दीन के उग बार्तालाप की बताते हैं जिसके आधार पर उसने हिन्दुओं को 'शराज मुजर' बताया है। बरनी जिसने इस विवरण को दिया है सम्भवतः यह भूल गया कि हजरत मुहम्मद अपने जीवन में कभी किसी हिन्दू से मिले ही नहीं और फिर हजरत मुहम्मद की हदीसों के यह विवरण सुन्नी हदीसों के सम्बन्ध में उनके किसी ऐसे आदेश का उल्लेख नहीं

मिल पाता है। वरनी ने काजी मुगीस के माध्यम से अपनी साम्प्रदायिकता को खुल कर रक्खा है चाहे वो ऐतिहासिक हो अथवा नहीं।

अलाउद्दीन ने काजी मुगीसुद्दीन की सलाह को स्वीकार इसलिये नहीं किया कि वह धार्मिक आधार पर उसके अपने विचारों के अनुकूल थी अपितु इसलिये कि हिन्दू अधिक घनाढ्य थे और इस आधार पर वे विद्रोह करने की क्षमता रखते थे। अलाउद्दीन का उद्देश्य इस विद्रोहात्मक प्रवृत्ति को पूरी तरह कुचल देना था इसलिये उनको निर्धन बना देना उसने लिये अवश्यम्भावी था। इसके अतिरिक्त मंगोलों के आक्रमणों को रोकने और साम्राज्यवादी नीति को सक्रिय रूप में लागू करने और फिर प्रशासन को चलाने के लिये धन की आवश्यकता थी और इस धन की पूर्ति में राजस्व को बढ़ाना आज के मापदंड से भले ही ठीक न हो परन्तु उस समय में इसके अतिरिक्त कोई चारा न था। राजस्व के बढ़ाने का भार स्वाभाविक रूप से हिन्दुओं पर ही पड़ना था क्योंकि वे ही अधिकतर भूमि से सम्बन्धित थे। अलाउद्दीन का उद्देश्य किसानों के पास केवल इतना धन छोड़ने का था जिससे वे जीवन-यापन कर सकें तथा खेती छोड़ कर न भाग जावें। इन्हींलिये उसने एक और तो भूमि का राजस्व पचान प्रतिशत कर दिया और इसके साथ ही अनेक दूसरे कर भी लगाये तथा दूसरी ओर खुत, चौधरी और मुकद्दमों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। सर बूजले हेग ने लिखा है कि, "सम्पूर्ण राज्य में हिन्दुओं को निर्धनता तथा पीड़ा के निम्न स्तर पर पहुँचा दिया गया और यदि कोई एक वर्ग अन्य वर्गों की तुलना में दयनीय था तो वह पतृक आधार पर निर्धारित करने और उसे वसूल करने वाले पदाधिकारियों का था जिसका पहले सबसे अधिक सम्मान था।" यदि वरनी के विवरण को स्वीकार किया जावे तो इस वर्ग के लोगों को विवाह में कोई अपनी पुत्री देने की तैयार न था। डा. के. एस. लाल भी ये स्वीकार करते हैं कि, "अलाउद्दीन का व्यवहार निस्सन्देह अत्याचारपूर्ण था।"

हिन्दू किसानों की निर्धनता के कारण अलाउद्दीन पर हिन्दुओं-हिन्दुओं पर अत्याचार करने वाले शासक का भ्रम होता है। परन्तु क्या अलाउद्दीन धर्म से इतना अधिक प्रभावित था कि वह उसकी वलिवेदी पर अपने साम्राज्य की आहुति दे दे। उम जैसे व्यावहारिक शासक में यह अपेक्षित न था कि वह अपनी प्रजा के बहुसंख्यक वर्ग को अप्रसन्न कर दे और वे इतने उत्पीड़ित हो जावें कि विद्रोह करने के लिये उद्यत हो जावें। परन्तु उसे यह भी विश्वास हो गया था कि "जब तक हिन्दुओं को निर्धन नहीं बनाया जावेगा तब तक वे विद्रोह करना बन्ध नहीं करेंगे।" डा. लाल के अनुसार अलाउद्दीन समस्त लोगों को इसलिये निर्धन बनाना चाहता था कि उनके मुँह से विद्रोह का शब्द नहीं निकले। इस आधार पर उमका उद्देश्य राजनीतिक था। परन्तु सर बूजले हेग पुनः लिखते हैं कि, "उनके पश्चात् अलाउद्दीन ने हिन्दुओं के लिये विशेष नियम बनाये जिनमें कुछ धर्म के

शाधार पर कुछ मर्यादा के साधारण पर भी कुछ उनके दोषों में विशेष करने के कारण थे।" डा राय न 'द हिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रांक द इन्डियन पीपुल' में लिखा है कि 'सलाहदीन ने मध्य विभिन्नता को राजनीतिक था।" परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि मुल्तान न हिन्दुओं और मुसलमानों में पारस्परिक किया था। डा राय के अनुसार सलाहदीन न विभिन्नता को मुसलमानों के कुछ विशेषाधिकार खोल दिये थे, परन्तु हिन्दुओं की प्राणिक एक वर्ग विशेष के साधारण पर कुछ भी देने वाली विधायता और तिरस्कारपूर्ण समझौताबद्ध विधि में से जान की कोई सम्भावना ही नहीं थी।" इस साधारण पर यह निष्कर्ष गृह्य ही न निकाला जा सकता है कि डा राय सलाहदीन की इस कठोरता के पीछे राजनीतिक और धार्मिक कारणों की स्वीकार करते हैं।

डा एन. ई. के अनुसार सलाहदीन की कर-व्यवस्था का साधारण प्रत्यक्ष विस्तृत था और वसति इगत हिन्दुओं और किसानों की सम्पत्ति को मध्य कर दिया था परन्तु तुलनात्मक दृष्टि से यह नीति धार्मिक कठोर नहीं थी। उनका यह कहना कि, "बरनी का यह बताने कि विधायता के कारण मुत, चौकरी और मुकदमों की विधायता मुसलमानों के यहाँ नाम करने जाती थी, पूर्णतया बकवास है।" यद्यपि यह ठीक है कि बरनी का विवरण अतिरिक्त है परन्तु हिन्दुओं को सामान्य धार्मिक व सामाजिक विधि को देकर यह मान लेना कि सलाहदीन का उनके प्रति व्यवहार कठोर नहीं था उचित नहीं मान्य प्रतीत है। इस सम्बन्ध में डा राय का विचार ही साथ के अधिक निकट है कि सलाहदीन ने धार्मिक और राजनीतिक साधारण पर इस प्रकार की नीति अपनाई थी।

खल्जी साम्राज्य का स्वरूप—समीर दर्प व उत्तमा से सम्बन्ध

खल्जी साम्राज्य पूर्णतः शैववादी धर्म का जितने निरन्तरता का कुछ साधनप्रति है कही शक्ति था। ऐसी रूपरेखा में सत्यापनकारी राज्य की कल्पना करना भी निरन्तर भ्रम होनी। खल्जी साम्राज्य और प्रशासन का यह स्वरूप सलाहदीन के मालिक काल में उत्तरा जिसमें मुल्तान ही शासन की पुत्री था।

शासन में मुल्तान की स्थिति, सम्पीण्य तथा केन्द्रित और प्रांतीय शासन की व्यवस्था सम्पूर्ण काल में ही एक जैसी बनी रही निश्चय विषे सम्भाव्य देवता अधिक उपयोगी होया।

सलाहदीन की पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था—एक नदित पुलिस व्यवस्था तथा योग्य गुप्तचर विभाग कुशल शासन के लिये प्रावश्यक तत्व हैं। मुल्तान में पुलिस व्यवस्था का सम्बन्धित प्रमाण विधा। कोलवाल पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी था। यह पद उत्तरदायित्व पूर्ण था। उसके अधिकार वृद्ध थे। उसका काम न केवल नागून और व्यवस्था की रक्षा करना था अपितु वह मुल्तान का महत्वपूर्ण मामलों में परामर्शदाता था। मुल्तान की अनुपस्थिति में वह उसके इरम का मरदाक था। सलाहदीन का प्रथम फौजवाले मुसलमान था जिससे जलता

आतंकित थी। उसके पश्चात मलिक अलाउलमुल्क को कोतवाल बनाया गया। अलाउद्दीन उसकी सलाह का बहुत आदर करता था।

अलाउद्दीन ने पुलिस-विभाग में सुधार किये तथा कुछ नये पद निमित्त किये जिन पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। 'दीवान-ए-रियासत' नामक एक नये पद को आरम्भ किया गया जिससे कि वह व्यापारियों पर नियन्त्रण रख सके। इसी प्रकार से 'शहना' नामक अधिकारी भी था जो व्यापारियों की गति-विधियों पर ध्यान रखता था। अलाउद्दीन ने 'मुहत्सिव' नामक अधिकारी की नियुक्ति कर उसे जन-साधारण के आचरण की देखभाल के लिये उत्तरदायी बनाया।

यदि एक ओर पुलिस व्यवस्था ने लोगों के व्यवहार में सुधार किया तो दूसरी ओर कठोर गुप्तचर व्यवस्था ने उन्हें आतंकित भी किया। गुप्तचरों की व्यवस्था कोई नवीन कार्य नहीं था क्योंकि गुप्तचर व्यवस्था ही निरंकुश शासन की आधार है। सल्तनत काल के आरम्भ में भी यह व्यवस्था विद्यमान थी परन्तु अलाउद्दीन के समय में इसको अधिक कुशल और कठोर बना दिया गया। बरनी लिखता है कि, "यदि सुल्तान अपने लोगों की स्थिति के बारे में अज्ञानी है तो वो उनकी सम्पत्तों के साधनों के निर्माण में भी असमर्थ होगा।"

गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी 'बरीद-ए-मुनालिफ' था जिसके अधीन अनेकों 'बरीद' हुआ करते थे। इनको कस्बों, बाजारों व प्रत्येक आबादी वाले स्थानों में नियुक्त किया जाता था। इनकी यह जिम्मेदारी थी कि राज्य में घटित प्रत्येक घटना की जानकारी वे सुल्तान तक पहुंचावें। हा. कुरैशी के अनुसार जब कभी बरीद सुल्तान को महत्वपूर्ण सूचनायें पहुंचाने में असफल पाये जाते तो उन्हें उसका भुगतान अपने जीवन से करना पड़ता था। बरीद के पद पर अत्यन्त ईमानदार और निष्ठावान व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था परन्तु कभी-कभी विद्वानों को भी सार्वजनिक कर्तव्य के अन्तर्गत इन पदों को स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जाता था। शासन का कोई क्षेत्र बरीद द्वारा भेजने वाली जानकारी के बाहर नहीं गिना जाता था। वास्तव में बरीद सल्तनत की आंख और कान थे जिनसे सुल्तान को राज्य की प्रत्येक घटना की जानकारी मिलती थी। बरीदों के अतिरिक्त 'मुन्ही' भी हुआ करते थे जो सुल्तान को छोटे तथा बड़े लोगों से सम्बन्धित प्रत्येक छोटी-बड़ी बात से सूचित रखते थे। बरनी के अनुसार 'मुन्ही' को किसी भी व्यक्ति के घर में जाने की अनुमति थी और वे छोटे से छोटे अपराध को करने से भी लोगों की रोक सकते थे। अलाउद्दीन के गुप्तचर विभाग की कठोरता का अनुमान बरनी के विवरण से लगाया जा सकता है। बरनी ने लिखा है कि, "कोई व्यक्ति उसकी (अलाउद्दीन) जानकारी के बगैर इधर-उधर हिल भी नहीं सकता था। अमीरों, मलिकों अथवा राज्याधिकारियों के घरों में जो भी बातें होती थीं उनकी सूचना

मुन्तान के पान पहुँचा दी जाती थी। सूचनाओं की उपेक्षा नहीं की जाती थी। गुप्तचरो के भय के कारण घमोरो ने ऊँचे स्तर में वान करना बन्द कर दिया था। यदि उनको कुछ कहना होता तो वे मकानों में मगभ्रा देते थे। दिन और रात वे इन तबखोरों के भय से कांपते रहते थे। ऐसा कोई शब्द मुह से नहीं निकालने दे और न ही कोई ऐसा काम ही करते थे जिसके कारण उन्हें फटकार सहनी पड़े भयवा दण्ड का भागी होना पड़े।" बरनी ने आगे लिखा है कि, "यदि एक घमोरी आवश्यकता में अधिक पानी भी पी लेता था तो इसकी जानकारी मुल्तान को पहुँचा दी जाती थी।"

बरनी का विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है परन्तु इसमें से कम से कम उस कठोरता की गन्ध आती है जो अलाउद्दीन के सम्पूर्ण राज्यकाल में विद्यमान थी। उसन घमोरो को इतना अधिक आतंकित कर रखा था कि वे 'विद्रोह' का उच्चारण ही भूल गये थे और किसी प्रकार उसके प्रयोग से बचकर सम्मानित जीवन विताने के लिये प्रयत्नशील थे। अलाउद्दीन की सफलता में जहाँ प्रथम सैनिक शक्ति का प्रथम स्थान है वहाँ गुप्तचर व्यवस्था भी किसी प्रकार से कम उत्तरदायी नहीं है।

डाक व्यवस्था—अलाउद्दीन ने डाक-व्यवस्था को भी अधिक कुशल बनाने का प्रयास किया। अलाउद्दीन की डाक-व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इब्नबतूता ने दिया है। बरनी भी लिखता है कि जब कभी मुन्तान दूरस्थ प्रदेशों में अभियान भेजता था तो वह सेना के गन्तव्य स्थान तथा राजधानी के बीच चौकियाँ स्थापित करता था जहाँ घुड़मवार (उनाक) व पायक (धावा) तैनात रहते थे। तिलपन, जो कि दिल्ली से पहली मजिल थी, से प्रत्येक घण्टे अथवा 1/6 कोस की दूरी पर अधिकारी, घुड़मवार आदि नियुक्त किये गये थे। ये अधिकारी प्रतिदिन अथवा प्रत्येक तीसरे दिन सेना के समस्त समाचार मुन्तान को पहुँचाते थे। इन बतूता द्वारा मुबारकशाह खतजो के वर्णन से मालुम पड़ता है कि अलाउद्दीन ने डाक-व्यवस्था को पूर्णतया व्यवस्थित किया था। कभी-कभी राजधानी में इन चौकियों का सम्बन्ध टूट जाता था जैसाकि मलिक काकूर के बरगन के अभियान के समय हुआ था। अलाउद्दीन को लगभग आलीशान दिन तक सेना की कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी परन्तु ऐसी स्थिति अत्यन्त असाधारण ही होती थी। चौकियों की कुशल-कार्य प्रणाली के कारण ही मुल्तान की हाजी मौना के विद्रोह की सूचना तीसरे दिन ही मिल गई थी। चौकियों की कार्य-कुशलता के कारण ही मुबारक शाह की देवगिरि से दिल्ली तक केवल सात दिन में पहुँचाना सम्भव ही सच था। बरनी के विवरण से मालुम पड़ता है कि मुल्तान को अपने दूरस्थ प्रदेशों पर निगाह रखने में चौकियों से अत्यधिक सहायता मिली थी।

घमोरी वर्ग से सम्बन्ध (संगठन)—घमोरी वर्ग के संगठन के अध्ययन की आवश्यकता इसलिये महत्वपूर्ण है कि इन वर्गों की गतिविधियाँ अध्ययन काल में

निर्णायक थीं। इल्तुतमिश के राज्य-काल में 'तुर्कान-ए-बिहालगानी' (बालीस सरदारों का गुट) और खलजियों के समय में 'बारवार सरदार' प्रमुख शक्तिशाली दलों में संगठित थे। इसके अतिरिक्त भी जातीय आधार पर बने हुये अनेक दल थे जिनमें अदीसिनियन, खोरासानी, अफगान दूसरों दलों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे। ममकालीन इतिहास में इस वर्ग की उत्पत्ति के आधार अत्यधिक अस्पष्ट है। डा. अशरफ ने 'लाइफ एण्ड कण्डिशन आफ द पिपुल आफ हिन्दुस्तान' में पहली बार इस वर्ग की उत्पत्ति के सम्बन्ध में खोज की और मोटे रूप से इसे उलेमा व उमराहों की श्रेणी में बांटा। साधारण रूप से इन्हें 'अहल-ए-कलम' (बुद्धिजीवी) व 'अहल-ए-तेग' (सैनिक) की संज्ञाओं से सम्बोधित कर सकते हैं। इन दो वर्गों के अतिरिक्त डा. अशरफ ने बारह वर्गों को बताया है परन्तु ये सब उन दो वर्गों की तुलना में नगण्य व शक्तिहीन थे।

अमीर वर्ग का उत्थान आकस्मिक था और इसमें वे सब परिस्थितियाँ निहित थीं जिनके कारण दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। मुहम्मद गोरी की पृथ्वीराज पर विजय के पश्चात् हिन्दुस्तान में साम्राज्य स्थापना का कार्य केवल मुहम्मद गोरी के ही पौरुष अथवा रण-कुशलता का परिणाम न था अपितु उत्तरी-भारत की ये विजय-नीति अमीरों के सहयोग से ही पूरी हो पाई थी जिन्होंने उनके नाम पर विभिन्न प्रदेशों को विजित किया था। यही वर्ग सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था। इस वर्ग के प्रत्येक सदस्य ने सुल्तान अथवा किसी अमीर के दास के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया और अपनी स्वामीभक्ति से अमीर का पद प्राप्त किया। तत्पश्चात् अपनी निजी प्राप्तियों से मलिक व खान की उपाधियाँ प्राप्त कीं। इनकी व्यक्तिगत श्रेणी, इनकी उपाधियाँ व इक्ता (सूबा) मराठिव पर आधारित थीं। ये इक्ता तथा शासकीय पद वंशानुगत न थे अपितु सुल्तान की इच्छा पर छीने जा सकते थे। अमीरों का राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार न था और उनके पास केवल सुल्तान के प्रति स्वामिभक्ति अथवा स्वतन्त्र शासक रहने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। इसलिये ही डा. अशरफ का मत है कि, "उनकी स्थिति एक भाड़े के नौकरशाही जैसी दमनीय थी जिसका सुल्तान की अनुपस्थिति में बने रहना सम्भव नहीं था।"

अमीर वर्ग में दूसरा स्थान उलेमाओं का था जो कि अपने में ही एक अभिन्न जाति थी, परन्तु उनको अमीर वर्ग का एक अंग स्वीकार करना उचित न होगा, क्योंकि सल्तनत काल की राजनीति में उनका सक्रिय योगदान नहीं था। राजनीति में वे केवल सहयोगी थे और साधारणतः सुल्तान और अमीर वर्ग के बीच मध्यम में वे शक्तिशाली दल का ही पक्ष लेते थे। इसके अतिरिक्त सल्तनत काल के प्रथम तीन वंशों (इल्तरी तुर्क, खलजी व तुगलक) के समय में समय-समय पर अमीर वर्ग में नये तत्वों के समावेश ने उनके संगठन को अत्यधिक प्रभावित किया

और कतिपय पुराने वर्गों को समाप्त कर नये वर्गों की स्थापना की। इन परिवर्तनों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने तथा उनके संगठन पर पड़े प्रभाव की जानकारी के लिए तीनों वर्गों के समय में इस वर्ग का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है।

प्रो हबीब का यह मत सत्यता के अधिक निकट है कि 13 वीं शताब्दी में भारतीय-तुर्की-दास-नौकरशाही समुक्त-कुटुम्ब की आरम्भिक स्थिति में थी। धर्मोत्तर वर्गों के सदस्य अधिकतर तुर्कों के यद्यपि खन्जी और ताजिकों का वर्ग भी अर्धपूर्ण था। क्योंकि तुर्कों को मुहम्मद गौरी की सरक्षता प्राप्त थी इसलिए उनको हिन्दु-स्तान के उपजाऊ और सम्पन्न प्रदेशों को अपना कार्य क्षेत्र बनाने की अनुमति मिल गई थी और खन्जियों की सरक्षता की अनुपस्थिति में खदेड़ दिया गया था तथा आसाम, बंगाल, बिहार आदि के दूरस्थ-प्रदेशों में जाने के लिये बाध्य कर दिया गया था। ये जानीय संगठन तुर्कों धर्मोत्तर वर्गों का विशिष्ट लक्षण था जो मुल्तान मुहजुद्दीन बंक्रुबाद के शासन के अन्त तक बना रहा।

इन्वरी तुर्कों के धर्मोत्तर वर्गों के बाद दूसरा शक्तिशाली वर्ग विदेशियों का था जिनको ताजिक कह कर पुकारते थे। ये आरम्भ से ही दरबार में प्रतिभाशाली पदों पर प्राप्ति में थे। मध्य एशिया की गतिविधियों तथा मंगोल आक्रमणकारियों के कारण अनेकों राजवंशों के राजकुमार तथा परिवार व्यवसाय की खोज में हिन्दुस्तान आ गये थे और इत्तुतमिश तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा सम्मानित व्यवहार प्राप्त करने में सफल हुये थे। मलिक फीरोजशाह, मलिक बलबलुद्दीन, मलिक इजाजुद्दीन इसी प्रकार के राजकुमारों के जो इत्तुतमिश के धर्मोत्तर वर्गों में सम्मिलित थे। सिराज ने खन्जुद्दीन फीरोजशाह के समय में तुर्कों सैनिकों द्वारा अनेक ताजिकों के बंधन में आने किया है जिससे यह स्पष्ट है कि उनके समय में ताजिकों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई थी। यह ठीक है कि इत्तुतमिश ने उत्तराधिकारियों के समय में अनेक ताजिकों को अल्पदंड कर दिया था या परन्तु फिर भी मुल्तान नासिरुद्दीन के समय में वे अनेकों महत्वपूर्ण पदा पर थे और तुर्कों धर्मोत्तरों के साथ मिलकर वे इमाजुद्दीन रहेयान के पतन में सक्रिय थे।

हिन्दू जो कि कर देने वाले धर्मोत्तर में और दरबार में समय-समय पर उपस्थित होते थे यद्यपि उनकी संख्या घटती थी परन्तु उनका राजनैतिक योगदान नगण्य था। राय बनुज, जिनमें बलबलु को तुगलक के पकड़ने में सक्रिय सहायता दी थी, के साथ किये गये सम्मानपूर्ण व्यवहार से यह स्पष्ट है कि बलबलु ने हिन्दू कर देने वालों को शान्तिमय ढंग से बने रहने की नीति अपनाई थी। मुल्तान मुहजुद्दीन बंक्रुबाद के राज्य-काल में हिन्दू राय और राजा अगणित थे। बंक्रुबाद की मृत्यु के बाद जब मुल्तान जलालुद्दीन ने कबा के विद्रोही मलिक अज्जू के विरुद्ध सेना भेजी थी तो राय बीरम देव कौटिल तथा राय भीम देव ने बलबलु के वंश के प्रति निष्ठा के कारण मलिक अज्जू की सहायता की थी।

अमीरों का एक अन्य वर्ग एविसिनियन्स का था जो कि तुच्छ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में मलिक कमयाज रुमी अरब का मुक्ति था। इसी प्रकार नासिरुद्दीन कुवाचा का एक अमीर मलिक सिनान-उद-दीन था जो सिन्ध और देबल का मुक्ति था। रजिया के राज्यकाल में एविसिनियन अमीर विशिष्टता प्राप्त कर सके परन्तु जमालुद्दीन याकूत की घटना से स्पष्ट हो गया कि इल्बरी तुर्क ये सहन नहीं कर सकते थे कि कोई विदेशी अमीर उनके शासक के साथ इतने घनिष्ठ सम्बन्ध रखे। उसके पतन के साथ ही दरवार से एविसिनियन प्रभाव कुछ समय के लिये समाप्त हो गया यद्यपि सुल्तान अलाउद्दीन मसूदशाह के समय में उन्हें थोड़े समय के लिये पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकी।

इल्बरी तुर्कों के उत्तरकालीन समय में नये मुसलमान जो कि पहले मंगोल थे उनका भी प्रभाव बढ़ा और बलवन के समय इनमें से कुछ सम्मानित पदों पर आसीन थे। सुल्तान कैकूबाद के राज्यकाल में अनेकों उच्च पद इन्हें प्राप्त हुये परन्तु इल्बरी तुर्क इनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से इतने भयभीत थे कि इनमें से अधिकतर का उन्होंने वध कर दिया।

अफगान अमीरों की उत्पत्ति भी इल्बरी तुर्कों के समय में आरम्भ हुई और उन्होंने मुहम्मद गौरी की सैनिक कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लिया। पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध के समय उसकी सेना में 12,000 अफगान घुड़सवार उपस्थित थे। मलिक मुहम्मद लोदी उनका नेता था और मुहम्मद गौरी ने उसके भाई को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अफगानों को आश्रय दिया और उनमें से अनेकों को अमीर बनाया। इल्तुतमिश तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय में अफगान अमीरों की कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, परन्तु पुनः बलवन के समय में अफगान सैनिकों की संख्या लगभग 3,000 तक पहुँच गई। बलवन को अफगानों पर अत्यधिक विश्वास था और इसलिये जलाली का नव-निर्मित दुर्ग विजय करने के बाद उसने उसे अफगान अमीर के सुपुर्द कर दिया।

खलजी अमीर वर्ग की विशेषता जातीय-संगठन थी। यद्यपि जलालुद्दीन खलजी ने पुराने तुर्की अमीरों को सन्तुष्ट करने का भरसक प्रयास किया परन्तु तुर्की अमीरों ने समय-समय पर खलजियों को अपदस्थ करने का भरसक प्रयास किया। जलालुद्दीन ने इसलिये राज्य के महत्वपूर्ण पद अपने सम्बन्धियों को ही दिये। जलालुद्दीन के राज्यकाल में नये मुसलमानों को अधिक संरक्षण मिला। अनेकों नये मुसलमान जो कि इल्बरी तुर्कों के समय में पदासीन थे जलालुद्दीन ने उन्हें उनके पदों पर बने रहने दिया तथा शासन के दूसरे वर्ष में अनेकों नये मुसलमान अमीर बनाये गये। 1291-92 ई. में अददुल्ला के आक्रमण के समय सुल्तान ने उसके साथ एक समझौता किया और अपनी एक पुत्री का विवाह उलगू नामक नये मुसलमान के साथ कर दिया। अनेकों को सुल्तान ने जागीरें व इत्ता प्रदान किये और वे

कीलोखेदी, ग्यासपुर आदि मोहल्लों में बस गये। मलिक छज्ज के विद्रोह को दबाने में इन नये मुसलमान अमीरों ने मशिय भाग लिया था।

अलाउद्दीन ने बलबन की तरह इस व्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन किया और प्रत्येक ऐम वर्ग को जिसने पुन अपनी शक्ति स्थापित करने का प्रयास किया उसे कुचल दिया। उनमें न केवल इल्बरी तुर्कों के अमीर-वर्ग को जो जलालुद्दीन के समय में आंशिक मन्सखता प्राप्त किये हुए थे, शामिल किया अपितु जलालुद्दीन के समस्त खन्जी समर्थकों का भी अन्त कर दिया। तत्पश्चात् उनमें मगोल अमीरों के सर्वनाश के लिए विधिवत कदम उठाये।

अलाउद्दीन के समय में धर्म-परिवर्तित हिन्दू अमीर वर्गों के एक प्रमुख अंग थे। इनमें से अधिकतर ने एक दास के रूप में जीवन आरम्भ किया था और शर्त-शर्त अपनी स्वामीभक्ति में अमीर का पद प्राप्त किया था। मलिक काफूर-खुगरो खा, मलिक अहमद, मलिक अहमद आदि का उर्यान ऐसे ही हुआ। अलाउद्दीन ने खन्जी अमीरों के विरुद्ध सन्तुलन बनाये रखने के लिये इस वर्ग को प्रोत्साहित किया। मुल्तान बुलुचुद्दीन मुबारकशाह के समय में भी अमीरों का ये वर्ग शक्ति-सम्पन्न रहा, परन्तु अपने विरोधियों का समुचित नाश कर शक्ति-प्राप्त करने की मृग-तृष्णा में इन्होंने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया।

अफगान अमीर वर्ग ने जिसने इन्वरो तुर्कों के समय में कुछ मान्यता प्राप्त की थी, खन्जियों के समय में इन्होंने और प्रगति की। अलाउद्दीन खन्जी ने उन्हें अमीर वर्ग में दीक्षा दी। खन्जियों के समय में मलिक इस्लामुद्दीन अफगान व अन्दुल करीम शेरशानी प्रमुख अफगान अमीर थे।

तुगलकों के आगमन तक जाति पर आधारित अमीर वर्ग के संगठन का सिद्धान्त पूर्णतया बहिष्कृत हो गया था। अतएव तुगलक भारत के लिए स्वयं विदेशियों जैसी स्थिति में थे और खन्जियों के पहले उनकी गणना कुलीन वर्ग में नहीं थी। इसके अतिरिक्त वे पुराने खन्जी अमीरों पर ही आश्रित थे क्योंकि उनकी प्रयत्नों में वे सत्तारूढ़ ही पाये थे। मुहम्मद तुगलक की शासन के आधार को अधिक विस्तृत और प्रसारित करने की नीति भी इसके लिए उत्तरदायी थी और इसलिए उनमें हिन्दू, मगोल, अरब व योगसनी लोगों को प्रोत्साहित किया। इस प्रोत्साहन के बाद भी उसने किसी भी वर्ग को अपने विरुद्ध अगठित होने का प्रयत्न नहीं दिया। इसी कारण उनकी मृत्यु के समय अमीर वर्ग एक विण्ड के समान था जिसमें विभिन्न नस्ल और जाति के लोग सम्मिलित थे। इस अमीर वर्ग ने एकमत से पीरोज तुगलक को उसका उत्तराधिकारी चुना।

पीरोज तुगलक ने अमीर वर्ग की इस स्वामिभक्ति का समुचित आदर किया और प्रत्येक को मन्तुष्ट करने के लिए वेदों अमीर वर्ग को जन्म दिया। भाग्यवश ये व्यवस्था मन्तोपपूर्व सिद्ध हुई, क्योंकि उनके स्वामिभक्त अधिकारियों ने अपने

स्वार्थों की श्रेयक्षा राज्य के स्वार्थों को प्राथमिकता दी। इस प्रकार से जातीय आघार पर अमीर वर्ग के निर्माण को सुल्तान के प्रति स्वामिभक्ति के सिद्धान्त में बदल दिया गया।

तुगलकों के राज्यकाल में अमीर वर्ग के संगठन के सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि आरम्भ में जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तब अधिकतर वही अमीर वर्ग बना रहा, जो अलाउद्दीन खल्जी व उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारकशाह के समय में था। यही वर्ग मुहम्मद तुगलक और फीरोज तुगलक के समय में भी प्रभावपूर्ण बना रहा। गयासुद्दीन तुगलक ने न केवल पुराने खल्जी अमीरों को आश्रय प्रदान किया अपितु वे समस्त अमीर जो कि बलबन के समय के थे और इस समय भी जीवित थे, उनका बयोचित सम्मान किया।

मुहम्मद तुगलक ने पुराने अमीर वर्ग में तीन अभिन्न तत्व और जोड़ दिये। प्रथमतः उसने विदेशियों में मुख्यतः खुरासानी और अरबों को आश्रय प्रदान किया। उसने उनको राज्य में ऊँचे पद दिये और उनको 'अजीज' अथवा प्रिय संज्ञाओं से सम्बोधित किया। खुरासानी अमीरों में मलिक अलाउल-मुल्क, मलिक संजर, शेखजादा दमिश्की आदि प्रबिक प्रसिद्ध हैं। दूसरा तत्व अफगान अमीरों का था। मलिक इस्तयारुद्दीन अफगान पहले की ही तरह मुहम्मद तुगलक के शासन में सम्मानित पदों पर आसीन रहा। बहराम अफगान और मलिक साहू लोदी उसके प्रमुख अफगान अमीर थे। उसके उत्तराधिकारी फीरोज तुगलक ने भी मुहम्मद की नीति का अनुसरण किया और अफगानों को संरक्षण प्रदान किया। मलिक अफगान, मलिक दाऊदखान अफगान, मलिक मुहम्मदशाह अफगान आदि प्रमुख अफगान अमीर थे। तीसरा तत्व हिन्दू अमीरों का था जो कि मुहम्मद तुगलक के समय में राज्य कार्यों में सक्रिय सहयोगी था। बरनी ने अनेकों हिन्दू उच्च अधिकारियों की सूची दी है। रतना जिसको कि सुल्तान ने 'अजीम-उल-सिन्ध' की उपाधि दी थी संबोधित है। घरा की मुहम्मद तुगलक ने देवगिरि का नायब वजोर नियुक्त किया था और बहरन उसके समय में गुलबर्ग का मुक्ति था। सुल्तान फीरोज के समय उसकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति से हिन्दू अमीरों की स्थिति सर्वथा महत्वहीन हो गयी और केवल इने-गिने ही हिन्दू अमीर रहे।

मंगोलों को भी तुगलकों के समय में सम्मानित स्थान मिला। मुहम्मद तुगलक और फीरोज तुगलक दोनों ही ने उनको संरक्षण प्रदान कर ऊँचे पदों पर नियुक्त किया। मलिक मुअज्जम, अमीर अहमद इकबाल आदि इस समय के प्रमुख मंगोल अमीर थे।

अमीर वर्ग का स्वरूप (तुर्क)—अमीर वर्ग को अनेक विद्वानों ने जागीरदारी की संज्ञा से सम्बोधित किया है। अमीर वर्ग उन व्यक्तियों के वर्ग की ओर संकेत करता है जो सुल्तान अथवा सम्राट के अधिकारी थे तथा साथ ही साथ जो

हैं जैसे राज्य का एक निश्चित भाग (प्रान्त); राज्य का एक अनिश्चित भाग (क्षेत्र); समुचित रूप से राज्य; एक विदेशी प्रदेश आदि। बली अथवा गवर्नर केवल नौकरशाही (bureaucratic) की स्थिति में था और शासक के नाम पर वह जिस भी प्रदेश का शासन संचालित करता था उसमें उसके अपने निहित स्वार्थ विद्यमान थे।

'खिलायत' और 'बली' के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में 'इक्ता' और 'मुक्ति' शब्द सल्तनत कालीन इतिहासकारों ने बड़े ही खुले रूप से प्रयोग किये हैं। फारसी साहित्य में इक्ता शाब्दिक अर्थ उस जागीर से है जो सैनिक सेवा के बदले में प्रदान की जावे। इनके वृत्तान्तों में भी इसका वही अर्थ दृष्टिगोचर होता है, परन्तु इसके साथ ही यह जानना भी आवश्यक है कि 'इक्ता' विभिन्न क्षेत्रफल के थे और सुल्तान ने सैनिक अथवा प्रशासकीय सेवाओं के अतिरिक्त अनेकों आधारों पर 'इक्ता' प्रदान किये थे, जैसे दरगाहों, पीर और फकीरों की मजार अथवा वार्षिक व साहित्यिक पुरुषों को उनके निर्वाह-हेतु अथवा पवित्र स्थानों को सुरक्षित बनाये रखने हेतु दिये गये थे। 'इक्ताओं' के ये भोगी 'मुक्ति' की संज्ञा से सम्बोधित नहीं किये जाते थे। 'मुक्ति' केवल वही थे जो निर्विवाद रूप से किसी एक भू-खण्ड (इक्ता) के अधिकारी थे और जो इसका शासन सुल्तान के नाम पर करते थे तथा आवश्यक रूप से सुल्तान द्वारा निश्चित सैनिक संहथा से उसकी सहायता के लिए सर्वद्व तत्पर रहते थे। मुक्तियों की स्थिति जागीरदारी अथवा नौकरशाही श्रेणी की थी जो तुर्की अमीर वर्ग के स्वरूप को समझने में अत्यधिक सहायक होगी।

प्रारम्भ में तुर्कों के अमीर, अमीर वर्ग भिन्न-गुण-प्रजोत्पत्ति (heterogeneous) अथवा विजातीय था। यद्यपि इसमें 13वीं शताब्दी में इल्खरी तुर्कों की अधिकता थी क्योंकि सुल्तान जो कि स्वयं इल्खारी तुर्क थे उन्होंने अपने समाजाति वालों को संरक्षण प्रदान किया था। पैतृक तथा सुव्यवस्थित अमीर वर्ग की अनुपस्थिति में इन्होंने स्वामीभक्ति अथवा व्यक्तिगत सेवा के आधार पर ही अपने दासों में से अमीरों को चुनने की नीति अपनाई थी। बदलती हुई परिस्थितियों में खलजी और तुगलक वंश के शासकों के समय में इसने पैतृक स्वरूप धारण कर लिया था जिसका एकमात्र आधार इस वर्ग के अपने अधिकारों की अपेक्षा केवल सुल्तान का संरक्षण मात्र था। यद्यपि यह सत्य है कि अमीर वर्ग का सम्पूर्ण इतिहास ताज से अपने अधिकारों को स्वीकार कराने का संघर्ष रहा, परन्तु इसके बाद भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यूरोप की तरह भारत में अमीर वर्ग की बढ़ोतरी में राजतन्त्र की शक्तिहीनता अथवा पतन किसी प्रकार से उत्तरदायी थी। ताज सर्वद्व ही प्रभुसत्ता और शक्ति का स्रोत बना रहा और अमीर वर्ग ने इसी से शक्ति प्राप्त की। वे शासकीय ढांचे के अंग थे और उसके बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं था। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि अमीर वर्ग का अस्तित्व तथा उनकी शक्ति ताज पर ही आधारित थी।

इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुक्ति नौकरशाही व्यवस्था के केवल एक अंग मात्र थे। वे सुल्तान के द्वारा नियुक्त किये जाते थे तथा वही उनका स्थानान्तरण, पदच्युत करने तथा उनको दण्डित करने का एकमात्र अधिकारी था तथा वे राजस्व विभाग के कठोर नियन्त्रण में रहते थे। ये समस्त लक्षण यूरोप की जागीरदारी व्यवस्था के किसी प्रकार से भी अंग नहीं थे।

इस प्रकार से इन दोनों व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस स्थिति में हैं कि उनमें समानताओं व विभिन्नताओं को जानकर यह निष्कर्ष निकाल सके कि दोनों व्यवस्थाएँ किसी सीमा तक एक दूसरे के समान्तरण थीं अथवा एक दूसरे के समरूप थीं।

प्रथमतः यूरोप में जागीरदारी प्रथा का जन्म शासक की शक्तिहीनता का परिणाम था परन्तु भारत में तुर्की अमीर वर्ग की उत्थिति मूलतः सुल्तान के शक्तिशाली होने के कारण हुई। परिस्थितियों-वश यूरोप के शासकों ने वाध्य होकर अपनी शक्ति को अमीर वर्ग के साथ विभाजित कर उसका उपयोग करना हितकर समझा परन्तु भारत में तुर्की सुल्तानों ने राज्य और शासन के आधार की अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अमीर वर्ग का निर्माण किया। इस वर्ग के निर्माण के पश्चात् भी सुल्तान उत्साहपूर्वक अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहे और अमीर वर्ग के प्रभुसत्ता में भागीदारी के प्रत्येक प्रयत्न को असफल कर दिया। यदि इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित तुर्की राज्य अधिक समय तक जीवित रहता तो यह सम्भावना हो सकती थी कि अमीर वर्ग को दी गई अमुख्य (minor) शक्ति स्थायी अधिकारों में परिवर्तित हो जाती, परन्तु इल्तुतमिश का राज्य स्थापित परिपाटियों अथवा साधारणजन की इच्छा की अपेक्षा शक्ति पर आधारित था और केवल शक्ति के आधार पर ही इसे बनाये रखना सम्भव भी था परन्तु इसका आन्तरिक संगठन इस प्रकार का था कि शक्ति द्वारा बनाये रखना सम्भव नहीं था और इसीलिये इसका पतन हुआ।

इसके अतिरिक्त अनेकों क्षेत्रों में तुर्क कालीन पद्धति अपनी प्रतिरूप यूरोपीय पद्धति से भिन्न थी। तुर्की पद्धति में वे सब विशेषाधिकार न थे जिनका उपयोग यूरोपीय जागीरदार करते चले आये थे। छद्म, दूर्वेश, ध्वज अथवा नक्कारा रखने की अनुमति जिन्हें हम विशेषाधिकार अथवा मरातिव कह सकते हैं वास्तव में विशेषाधिकार न थे क्योंकि इनसे इनके धारण करने वाले को कोई आर्थिक लाभ न था। इसके अतिरिक्त ये मरातिव उनकी कुशल सेवाओं की स्वीकृति में दिया गया सम्मान था। एक प्रकार से ये राज्य के द्वारा प्रदान किये गये अधिकार थे जबकि यूरोपीय पद्धति में इन प्रकार की सुविधायें राज्य के विच्छेद प्राप्त की गई थीं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय पद्धति में जागीरदारों अथवा ताल्लुकेदारों को दी गई वे सुविधायें उनके भूमि प्राप्ति पर आधारित थीं और इसलिये स्थानीय थीं, जबकि सल्तनत कालीन

व्यवस्था में इन सुविधाओं का आधार राज्य पद की प्राप्ति थी और इमलिय ग्रमीरो के स्थानान्तरण तथा पदोन्नति का उनको विशेष सुविधाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तुर्की ग्रमीरो वर्ग को दो गई विशेष सुविधायें का उनका दिये गये 'इक्ता' से कोई सम्बन्ध नहीं था।

इस प्रकार इस विवेचन के पश्चात् हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि तुर्क-कालीन ग्रमीरो वर्ग का स्वरूप प्रमुखतः नौकरशाही था। इसमें कुछ समानतायें यूरोपीय जागीरदारी की भी थी परन्तु वे काफी बदले हुए रूप को लिये हुई थीं। यह भेद सम्भवतः इसलिये था कि 13वीं व 14वीं शताब्दी का भारत समकालीन यूरोप से काफी भिन्न था। इसके प्रतिरिक्त तुर्की ग्रमीरो वर्ग अभी अपनी शंशक अवस्था में ही था तथा भारत में उसकी पृष्ठ-भूमि नाम-मात्र की थी। तुर्क शासन जो मध्य एशिया की विशेषकर मिस्र की नौकरशाही से अधिक परिचित थे, वे साधारण स्थिति में अपने स्वार्थ की रक्षा-हेतु उसी व्यवस्था को भारत में लागू करने के प्रतिरिक्त और कुछ करने में असमर्थ थे। वारम्बार वश और राजनैतिक परिवर्तनों के कारण वे सदा अपनी परिपक्वता को प्राप्त न कर सके। इस तरह से तुर्ककालीन ग्रमीरो वर्ग का स्वरूप जागीरदारी की अपेक्षा नौकरशाही पर अधिक आधारित था।

खल्जी सुल्तान व ग्रमीरो वर्ग—बलबन के उत्तराधिकारी कंकूबाद की प्रशासनिक असफलता ने ग्रमीरो वर्ग की दो भागों में बाँट दिया। एक के नेता मलिक फखरुद्दीन और मलिक छद्दजू थे और दूसरे दल का नेता जलालुद्दीन फीरोज था। 1290 ई. में कंकूबाद का एक खल्जी ग्रमीरो द्वारा बंध किये जाने पर जलालुद्दीन एक प्रकार से सर्वोच्च बन गया।

तुर्की ग्रमीरो खल्जियों को नहीं चाहते थे। दिल्ली में जनमत कंकूबाद के बंध के विरुद्ध था और उसको बड़ी मुश्किल से कोनवाल फखरुद्दीन की सहायता से शान्त किया गया। मलिक छद्दजू भी जलालुद्दीन के विरुद्ध पहलवन्न रचने में व्यस्त था। ऐसी स्थिति में जलालुद्दीन ने अनुभव किया कि इल्वारी ग्रमीरों का दल अब भी शक्तिशाली है और उसको किसी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिये उसने सुल्तान बयूसन के काल में उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त करने की नीति अपनाई। स्वाज्ञा खातिर को बजीर बनाया गया और फखरुद्दीन को दिल्ली का कोनवाल नियुक्त किया गया। मलिक छद्दजू को बडा व माणिकपुर के मुक्ति का पद दिया। इसके साथ उन खल्जी ग्रमीरो को जिनकी सहायता से वह सुल्तान बन सका था उच्च पदों पर नियुक्त किया।

सुल्तान की ये समझौते की नीति 'इल्वारी ग्रमीरो' ने उसकी कमजोरी के रूप में भाँकी और इसलिये उन्होंने मलिक छद्दजू व दूसरी बार सिद्दी मौला के नेतृत्व में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किये। यद्यपि दोनों ही विद्रोह दबा दिये गए परन्तु यह स्पष्ट हो गया कि ग्रमीरो वर्ग जलालुद्दीन का विरोधी था।

अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन का वध कर गद्दी प्राप्त की। जलालुद्दीन ने उसे मलिक छज़्जू के बाद कड़ा का गवर्नर नियुक्त किया था परन्तु वह इससे सन्तुष्ट होने वाला नहीं था। 1292 ई. में भिलसा को लूटने के पश्चात् अलाउद्दीन को अवध की जागीर भी दी गई। उसे 'आरिज-ए-मुमालिक' का पद भी दिया गया जिस पद पर रहते हुए जलालुद्दीन ने सत्ता हथियाई थी, परन्तु वह इन सबसे सन्तुष्ट नहीं था। खलजी क्रान्ति से अलाउद्दीन ने यह सीखा था कि शासन-प्राप्ति के लिये वंश परम्परा की अपेक्षा शक्ति ही एक मात्र आधार है। 1296 ई. में उसने इसी आधार पर अपने उपकार-कर्ता जलालुद्दीन का वध कर दिया।

अलाउद्दीन की इस योजना में इल्बरी अमीर सबसे अधिक सक्रिय थे। इनमें मलिक अला-उल-मुल्क व उसके भाई अल्मास बेग से अधिक सहायता मिली थी। परन्तु जलालुद्दीन के अनायास वध से सुल्तान के खेमे में भगदड़ मच गई। इसका लाभ उठाकर मलिका जहान ने अपने सबसे छोटे लडके को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 'जलाली' अमीरों ने अपने स्वार्थ के कारण उसे कोई सहयोग नहीं दिया और 'अलाई' अमीरों ने अलाउद्दीन की अपेक्षा अरकली खां का पक्ष लेने में अपना ज्यादा हित देखा। अलाउद्दीन ने एक ओर तो इन 'जलाली' अमीरों में फूट डलवाने की कोशिश की और दूसरी ओर वह उनकी शक्तिविधियों के प्रति बिल्कुल उदासीन रहा। परन्तु यह नीति केवल कुछ समय के लिये ही अपनाई। जैसे-जैसे वो स्वयं को सुरक्षित अनुभव करने लगा, वैसे ही वैसे अमीरों के प्रति अधिक कठोर हो गया।

अलाउद्दीन ने सबसे पहले जलाली अमीरों को कमजोर बनाने के लिये अपने निकट सम्बन्धियों व स्वामीभक्त सेवकों को एक नये अमीर वर्ग के रूप में संगठित किया, परन्तु शासन की वास्तविक शक्ति स्वयं तथा अपने चार सम्बन्धियों (उलुग खां, नुसरत खां, अलप खां व अफर खां) में ही केन्द्रित रखी क्योंकि सत्ता-प्राप्ति में इनसे ही सहायता मिली थी। धीरे-धीरे जब उसने अपनी विजय योजना लागू की तो उसे और अधिक अमीरों की आवश्यकता अनुभव हुई और उसने ऐसे इल्बरी अमीरों को जिन्होंने उसकी सहायता की थी, सम्मानित पद देना आरम्भ किया। अला-उल-मुल्क को इसी नीति के अन्तर्गत दिल्ली का कोतवाल बनाया गया। परन्तु इन अमीरों को उच्च पद देने के बाद भी वह इनके प्रति सतर्क रहा जिससे कि वे विद्रोह करने की सोच भी न सकें।

अलाउद्दीन ने जिस प्रकार सत्ता प्राप्त की थी उन्हीं साधनों को अपनाकर अन्य भी सत्ता प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील हुये। उसने यह अनुभव किया कि शक्ति-सम्पन्न और घनाहुय अमीर विद्रोह कर रहे हैं इसलिये इनकी शक्ति को समाप्त करना जरूरी है। अफतखां, अमीर उमर व मंगूखां के विद्रोह इसके प्रमाण थे और इसलिये उसने इनकी शक्ति को समाप्त करने के लिये कठोर नियम बनाये।

अमीरो को 'मिल्क', इनाम व भ्रदरारतें (पेगान) के रूप में जो जागीर दी गई थी उन्हें जन्म कर लिया। केवल 'इक्ता' के रूप में अर्थात् काम के बदले जो जागीर दी गयी थी उन्हें अमीरा के अधिकार में रहने दिया। स्वाभाविक रूप में अमीरो की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। उसने स्वयं शराब पीना बन्द कर दिया व अमीरो की शराब की दावता पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया। अमीरो के पारिवारिक सम्बन्धों पर नियन्त्रण लगा दिया व सुल्तान की अनुमति के बगैर प्रापसी बंवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने पर रोक लगा दी।

इन आदेशों का पालन कराने के लिये उसने गुप्तचर विभाग का सगठन किया। ये सुल्तान की आज्ञा व कान व जो उस छोटी से छोटी घटना की सूचना देते थे। इस नीति का परिणाम निकला कि अमीर सुल्तान से अत्यधिक आतंकित हो गये और विद्रोह का उच्चारण ही भूल गये।

अमीरा के प्रति अलाउद्दीन की नीति में विशेषता यह भी थी कि उसने अमीरों की एक नयी श्रेणी बनाई जिस पर कि वह विश्वास कर सकता था। मलिक काफूर इसी श्रेणी में से था और सुल्तान के द्वारा अधिक सम्मानित किये जाने के कारण दूसरे अमीर उससे ईर्ष्या रखते थे। मलिक काफूर भी यह जानता था। वह यह भी समझता था कि उसके मरक्षक के अन्त के बाद अमीर उसे अपदस्थ कर देंगे। इसलिए उसने ऐसे अमीरा को मार्ग से अलग करने की विधिवध योजना आरम्भ की। शरफ कँनी और मलिक कवाम-उल-मुल्क अलदबीर के दो पुत्रों को उनके पदा से अलग करना इसी नीति का प्रमाण है। अलपना को भी इसी आजार पर अपदस्थ किया गया था। मलिक काफूर इनकी जगह ऐसे अमीरों की नियुक्ति कर रहा था जो उनके प्रति स्वामी-भक्त थे।

अलाउद्दीन की मृत्यु पर उसने स्वयं सत्ता अपने हाथों में ली क्योंकि वह अनुभव करता था कि अमीरो के द्वारा इसका विरोध किया जावेगा। इसलिये उसने गहामुद्दीन को जो केवल पांच वर्ष का था, यह कहकर उत्तराधिकारी घोषित किया कि सुल्तान अन्तिम समय में उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। यह आश्चर्य है कि बरनी और अमीर खुमरो दोनों ही इस घटना के बारे में पूरी तरह से मौन हैं। अधिक सम्भावना है कि मलिक काफूर ने सुल्तान के नाम पर इस प्रकार की घोषणा की हो। मलिक काफूर के वध के साथ ही उन अमीरों को अधिक मन्तोप मिला जो अलाउद्दीन के प्रति स्वामी-भक्त थे। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने गद्दी पर बैठने के बाद यह अनुभव किया कि अलाउद्दीन द्वारा अमीरा पर लगाई गई पाबन्दियाँ उसने हित में नहीं हैं। इसलिए उसने उन्हें रद्द कर दिया। अमीर पुनः शक्तिशाली हो गये जिसका परिणाम तुगलक वंश के शासक गयामुद्दीन तुगलक द्वारा नये वंश की स्थापना में निकला।

अलाउद्दीन के राजस्व सुधार

सल्तनत काल में अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने राजस्व सुधारों की ओर ध्यान दिया और उनमें परिवर्तन कर भू-राजस्व व निर्धारण और एकत्रीकरण

में नया प्रयोग किया। इस नये प्रयोग के अनेक कारण थे जिनमें शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना, मंगोलों के आक्रमणों से राज्य को सुरक्षित रखने के लिये एक विशाल और सुसंगठित सेना की व्यवस्था करना तथा साम्राज्यवादी नीति को सफल बनाना; राज्य में विद्रोहों को कुचल देना तथा शमीरों की शक्ति पर अंकुश रखना था। इनके अतिरिक्त डा. यू. एन. डे ने लिखा है कि अलाउद्दीन राज्य और किसानों के बीच के वर्ग की शक्ति को तोड़ देना चाहता था जो राज्य की कीमत पर अपने स्वार्थों की पूर्ति में अधिक व्यस्त था और राज्य की वगेर अनुमति के अपने प्रभाव-क्षेत्र में वृद्धि कर लेता था और इस प्रकार भूमि के भाग पर अधिकार कर स्वयं अधिक सम्पन्न और शक्तिशाली हो जाता था। अलाउद्दीन के राजस्व सम्बन्धी सुधार मोटे रूप से इसी वर्ग से सम्बन्धित थे जिसे मोरलैण्ड ने 'प्रतिनिधि' और बरनी ने खुत, चौधरी और मुकद्दमों की संज्ञा दी है।

इस क्षेत्र में ही सुधार करने के लिये अलाउद्दीन के पास एक विशेष कारण था, जो इसी वर्ग से सम्बन्धित था। अलाउद्दीन के पहले मुख्य रूप से 'सामूहिक कर निर्धारण' पद्धति ही थी जिसके अन्तर्गत गांवों के एक समूह का कर-निर्धारण एक निश्चित धन-राशि पर होता था जो परम्पराओं के अनुसार निश्चित कर दी जाती थी। यह धन राशि इकट्ठा करने का काम खुत, चौधरी अथवा मुकद्दम किया करते थे। जब तक ये निश्चित धन-राशि का भुगतान करते थे, तब तक सुल्तान को विधि-सम्मत इनके कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार न था। परन्तु सुल्तान इसके लिये अवश्य उत्तरदायी था कि वे कार्य उचित रूप से कर रहे हैं। खुत, चौधरी और मुकद्दम अपने-अपने क्षेत्र से सरकारी भाग नकद या अनाज के रूप में एकत्रित कर उसे प्रान्तीय या केन्द्रिय खजाने में जमा करा दिया करते थे तथा अपने कार्य के लिये कमीशन प्राप्त करते थे। इस ठेकेदारी व्यवस्था में ऊपरी तौर पर कम बुराई दिखती है, परन्तु वास्तविकता यह है कि इसके अन्तर्गत ये अधिकारी अपने क्षेत्र से अधिक से अधिक वसूल कर केवल निश्चित धन-राशि राज्य में जमाकर, शेष का स्वयं उपभोग करते थे। बरनी ने इनकी सम्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुये लिखा है कि, "वे अच्छे घोड़ों पर सवार होते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, ईरानी धनुषों का प्रयोग करते हैं, आपस में युद्ध करते हैं.....उनमें कुछ कर वसूल करने वाले अधिकारियों के पास तक नहीं आते चाहे उन्हें बुलाया जावे, चाहे न बुलाया जावे और कर वसूल करने वालों की कोई परवाह नहीं करते हैं।" यह स्थिति अधिक समय तक नहीं चल सकती थी। डा. यू. एन. डे, ने लिखा है कि, "सम्भवतः विद्रोहों ने इस समस्या को प्रमुख बना दिया था, परन्तु ये सुधार एक ऐतिहासिक क्रम का परिणाम थे और अलाउद्दीन उनको कार्य-रूप में परिष्कृत करने का साधन मात्र बना।" अलाउद्दीन ने इसके साथ ही वटाई-पद्धति के क्षेत्र में राज्य के भाग की भी वृद्धि की।

भूमि अनुदानों की समाप्ति—इस आधार पर अलाउद्दीन ने राजस्व मुघारों की ओर बंदम उठाया। उसने सबसे पहले उस वर्ग पर आयमण किया जिन्हें इनाम, पेंशन आदि के रूप में पिछले सुल्तानों से भूमि प्राप्त हुई थी और जो बगैर किसी सेवा के उसका उपभोग करते चले आ रहे थे। ये भूमि-अनुदान अथवा राजस्व-प्रदेश वशानुगत नहीं थे, पर शासन की बमजोरी से इन लोगों ने ऐसी भूमि पर वशानुगत अधिकार जमा लिये थे।

अलाउद्दीन के एक आदेश के अनुसार ऐसी समस्त भूमि छीन ली गई। सुल्तान ने आदेश दिया कि समस्त भूमि जो लोगों के पास मिरक (सम्पत्ति), इनाम व वकफ (उपहार) के रूप में है उन्हें वापिस लेकर खालसा में मिला लिया जावे। आ के एस साल के अनुसार सम्भवतः सारी भूमि जप्त न की गई हो क्योंकि भूमि-अनुदान की पद्धति अलाउद्दीन के समय में पूर्णतया त्वांगी नहीं गई थी। डा प्र. एन डे कि मान्यता है कि ऐसा नहीं था कि व्यक्तियों के पास ऐसी भूमि न रही हो, परन्तु अलाउद्दीन ने पहले ऐसे व्यक्तियों से भूमि छीनी और फिर उसको पुनः वितरित की। उसने योग्यता तथा राज्य-सेवा के आधार पर व्यक्तियों को भूमि दी। डा त्रिपाठी ने भी लिखा है कि ऐसा करने में उसका उद्देश्य "ऐसी सभी भूमियों के बारे में जिनके अधिकार को वह ठीक नहीं मानता था, निर्णय लेने, उन्हें समाप्त करने अथवा पुनः अपनी शर्तों पर अन्य व्यक्तियों को देने के सुल्तान के अधिकार को स्थापित करना था।" अलाउद्दीन के इस मुघार के कारण एक ओर तो वशानुगत मरदारों का प्रभाव कम हुआ, राज्य ने भूमि बहुत कम मात्रा में और फिर केवल उपयुक्त व्यक्तियों को दी जिनसे वह राज-सेवा प्राप्त करने में समर्थ हुआ और साथ ही खालसा भूमि बढ़ जाने से राज्य की धन में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त राज्य ने नगद बेतन देने के रूप में एक नया प्रयोग किया और न केवल इस आधार पर सेवकों की अधिक स्वामीभक्त बनाया अपितु राज्य के बढ़ते हुये फालतू के खर्चों पर जिनसे राज्य को कोई लाभ न था अकुश लगाया।

सम्पत्ति छीनना—अलाउद्दीन का दूसरा प्रहार सुत, चौधरी और मुकद्दमों पर हुआ जो पंतुक आधार पर लगान अधिकारी थे। ये अधिकारशतः हिन्दू थे और स्वामाधिक रूप से प्रभावित होने चाहिये थे। ये वर्ग एक ओर तो निरिक्त राशि से अधिक राशि किमानों से वसूल करता था और दूसरी ओर राज्य के अनेक करों को देना टाल देता था। किसानों से अधिक वसूल किया हुआ धन वे स्वयं हथिया लेते थे। इस दोहरे लाभ के कारण वे अधिक धनाढ्य हो गये थे और राज्यादेशों का उल्लंघन करते थे। उसने उनके लगान वसूल करने के अधिकार को छीन लिया और उनके विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया। उसने उन्हें साधारण किसानों की स्थिति में ला खड़ा किया और उनसे साधारण किसानों की तरह ही भूमि-कर वसूल किया जाने लगा। अन्य कर भी उनसे लिये जाने लगे तथा उनकी सेवाओं के

बदले में उन्हें धन दिया जाने लगा। अलाउद्दीन ने इसके अतिरिक्त दूध देने वाले जानवरों पर चराई-कर तथा आवास कर भी लागू किया। बरनी ने चराई-कर में दी गई छूट का वर्णन नहीं किया है परन्तु फरिश्ता के विवरण से मालुम पड़ता है कि उसने दो जोड़ी बैल, एक जोड़ी नैस, दो गायें और बारह बकरियां तथा भेड़ें चराई-कर से मुक्त कर रखी थीं। यदि इस कथन को स्वीकार किया जावे तो अलाउद्दीन के राज्य में चरागाह-भूमि की कोई कमी न थी। फरिश्ता की बात को अस्वीकार करते हुये डा. के. एस. लाल ने लिखा है कि, "अलाउद्दीन ने केवल ऐसे पशुओं की छूट दी थी जो कृषि के लिये अनिवार्य थे।" इतनी बड़ी मात्रा में छूट देना सम्भव नहीं था क्योंकि ये श्राय का साधन थीं।

प्रो. निजामी ने लिखा है कि, "अलाउद्दीन को 'चीघरियों', 'खुतों' और 'मुकद्दमों' का दमन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई जिन्हें उनकी वास्तविक या छिपी सम्पत्ति से शीघ्र ही वंचित कर दिया गया। उनका आज्ञापालन इस सीमा तक पहुंच गया कि नगर के राजस्व विभाग का एक सिपाही बीस 'खतों', 'मुकद्दमों' और 'चीघरियों' की गर्दन एक साथ बांधकर उन्हें लात और घूंसे मारकर 'खराज' वसूल करता था। गांव के हिन्दू (मुखिया) के लिये यह असम्भव था कि वह अपना सर उठाए। हिन्दुओं के घरों में सोना, चांदी, 'टंके', 'जीतल' तथा अन्य फालतू सामग्री (जो विद्रोह का कारण होती है) नहीं रह गई।"

भूमि की पैमाइश—अलाउद्दीन ने 'खराज' अथवा पैदावार का भाग भूमि-कर के रूप में वसूल करना शुरू किया। पिछले सुल्तानों ने यह कर कितनी मात्रा में लगाया था इसकी समुचित जानकारी नहीं है परन्तु अनुमानतः यह उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। अलाउद्दीन ने इस भाग को 1/2 के रूप में लागू किया और इस हेतु राज्य की भूमि को नपवाने की वैज्ञानिक पद्धति पहली बार सल्तनत काल में आरम्भ की। इसके लिये 'विस्वा' को इकाई माना गया और प्रत्येक व्यक्ति को जो खेती करता था इस नाप के आधार पर निश्चित भाग कर के रूप में देना पड़ता था। सुल्तान इस कर को उपज के रूप में ही लेना पसन्द करता था।

अलाउद्दीन की यह व्यवस्था समस्त राज्य में लागू करना सम्भव न था। यह केवल दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी जहां से सरकारी कर्मचारी किसानों से सीधा कर वसूल कर लिया करते थे। अवध, बिहार, गोरखपुर, बंगाल, पश्चिमी पंजाब, गुजरात और सिन्ध इसके अन्तर्गत नहीं आते थे।

अलाउद्दीन की व्यवस्था के कारण बरनी के अनुसार राजस्व मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों में अष्टाचार बढ़ा। अलाउद्दीन ने इसको रोकने के लिये पहले तो वेतन में वृद्धि की परन्तु जब इससे कोई लाभ न निकला तो उसने कठोर दण्डों का सहारा लिया। बरनी के विवरण से मालुम पड़ता है कि, "पांच सौ अथवा एक हजार टंका के लिये एक लगान अधिकारी को वर्षों जेल में पड़े

रहना पड़ता था और एक परिवारी किसी से भी रिश्तत के रूप में एक टका भी लेने का साहस न करता था। प्रजा भी भयभीत थी।" उसने कर वसूल करने में भी कठोरता से काम लिया और यदि किसी पटवारी की बही में एक जीतल भी बकाया निकल जाता तो वह उसे जेल में डाल देता था। अलाउद्दीन की इस कठोरता का अनुमान इसी में लगाया जा सकता है कि उसके उत्तराधिकारी मुबारक शाह न राज्यारोहण के समय लगभग सत्रह में छठारह हजार व्यक्तियों को जेल में मुक्त किया था। यह सख्या अनिश्चित हो सकती है, परन्तु उसके बाद भी यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के अपराध में हजारों व्यक्ति जेल में डाल दिये जाते थे। अलाउद्दीन पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त कर सका होगा यह तो शक्यापूर्ण है परन्तु सब भी अपने कठोर नियमों से उमन उसमें काफी अधिक मात्रा में सफलता प्राप्त की थी।

राजस्व सुधारों का प्रभाव—अलाउद्दीन अपने कठोर राजस्व नियमों के आधार पर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रहा। विद्रोहों की भावनाओं का ही अन्त करना तथा राज्य की आय में वृद्धि करना उसके राजस्व सुधारों की धुरी थे और निश्चित ही वह इन दोनों की प्राप्ति में सफल हुआ था। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या ये व्यवस्था प्रजा और राज्य के हितों के अनुकूल थी? इस सन्दर्भ में सब ही इतिहासकार ये स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था प्रजा हित में नहीं हो सकती। अलाउद्दीन ने किसानों से उनकी उपज का 75 से 80 प्रतिशत कर के रूप में वसूल किया जो सामान्य आधार पर अत्यधिक बोझिल था। इसके देने के बाद शेष भाग में किसान मुश्किल से अपना निर्वाह करने में समर्थ होता था। ऐसी स्थिति में उनकी खुशहाल रहना केवल एक कल्पना ही हो सकती थी। पुनः वह यह भी जानता था कि यदि उसने उत्पादन में वृद्धि की अपेक्षा कृषि में किसी प्रकार के सुधारों का समावेश किया तो इसका लाभ उसे स्वयं न मिलकर राज्य को प्राप्त होगा क्योंकि कर की मात्रा अत्यधिक थी। इसलिये वो निरस्तही होकर परम्परागत आधारों पर ही किसी प्रकार से लेती करता था। इस सन्दर्भ में डा. जे. एस. लाल ने लिखा है कि, "मध्ययुगीन भारत के मुसलमान शासकों पर भारतीय जनता की निर्धन बताने का आरोप ठीक षर्य में लगाया जा सकता है।" डा. एन. डे ने लिखा है कि, "सम्भवतः इस व्यवस्था ने किसानों की भौतिक स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला क्योंकि बड़े हुये करों के बाद भी न तो कोई विद्रोह हुआ और न ही किसान भूमि को छोड़कर भागे। यह भी कहा जाता है कि जब किसानों ने अपने ऊपर भ्रष्टाचार करने वालों (खुत, चौधरी और मुकद्दम) के साथ भी श्रुता का व्यवहार देना तो उन्हें एक अप्रत्यक्ष सन्तुष्टि हुई।" सैद्धांतिक आधार पर ये ठीक है कि न तो विद्रोह ही हुये और न ही किसान भूमि छोड़कर भागे परन्तु प्रश्न यह है कि अतिरिक्त भूमि छोड़कर वे क्या कर सकते थे? उन समय न तो औद्योगिक विकास ही हो पाया था और न ही शहरों (कस्बों) में मध्यम-वर्ग

का ही उदय हुआ था जिसके आधार पर वे जीविका कमा सकें। इन दोनों के न होते हुये भूमि पर निर्भर रहना ही उनके पास एक मात्र विकल्प था, जिसे वे केवल आपत्तिकालीन परिस्थितियों को छोड़कर आसानी से त्यागने के लिये तत्पर नहीं थे। कस्बों में केवल अमीर वर्ग व निम्नतर वर्ग (सिक्क) ही रहते थे और यद्यपि किसान का वर्ग भी निम्न हो गया था परन्तु वो इस निम्न वर्ग को छोड़कर निम्नतर वर्ग में सम्मिलित होने के लिये तत्पर नहीं था। दूसरे यद्यपि किसान को अप्रत्यक्ष रूप से सन्तोष मिला कि उस पर अत्याचार करने वालों को अपने किये का फल भुगतना पड़ रहा है परन्तु इस खोजबी सन्तुष्टि पर वह कितने समय तक अपनी आवश्यकताओं को टाल सकता था अथवा उनसे समझौता कर सकता था। डा. डे. का केवल यह अनुमान है जिसमें अधिक सार्थकता नहीं है। इसी प्रकार प्रो. इफान हबीब ने लिखा है कि, “गांवों में दो वर्गों के परस्पर भगड़ों का लाभ उठाकर अलाउद्दीन ने जान-बूझकर शक्तिशाली के विरुद्ध निर्बल का समर्थन लेकर न्यायोचित कार्य किया।” प्रो. निजामी की मान्यता है कि यह उसी अवस्था में ठीक है जब शक्तिशालियों का अर्थ निम्न-कोटि या अभिजात वर्ग या मुखिया से लगाया जावे। विद्वान लेखक का यह तर्क अधिक रुचिकर नहीं लगता क्योंकि इसमें शक्तिशाली वर्ग अर्थात् खुत, चौबरी और मुकद्दमों आदि के विशेषाधिकारों की समाप्ति पर अधिक बल दिया गया है परन्तु किसानों पर जो बोझिल कर लाद दिया गया था उस और कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अतः ऐसा अनुभव होता है कि अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था ने जनता की खुशहाली की कीमत पर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की।

सैनिक व्यवस्था

सम्पूर्ण सल्तनत युग में शक्ति ही राजसत्ता की चिर सहचरी रही। यह बात संवंधा दूसरी है कि इसका कार्यकाल आवश्यकता से अधिक बना रहा अन्यथा आरम्भ में प्रत्येक राज्य की स्थापना केवल शक्ति पर ही आधारित रहती है। तुर्कों ने लगभग 325 वर्षों तक इसकी राज्य का अविभाज्य आधार बनाये रक्खा इसमें ही थोड़ी-बहुत खराबी थी। शक्ति का आधार सेना है और अलाउद्दीन जैसा शासक जो कि स्वयं महत्वाकांक्षी था वो इस स्रोत को छोड़कर अपने स्वयं के लिए असमय विनाश को आमंत्रित नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त उसकी निरंकुशता, आन्तरिक विद्रोह का दमन और मंगोलों के आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा भी ऐसी गहन समस्याएं थी जिनका हल केवल शक्ति द्वारा ही सम्भव था। बरनी ने लिखा है, “बादशाहत दो स्तम्भों पर आधारित होती है—एक स्तम्भ शासन है और दूसरा विजय। ये दोनों ही सेना पर निर्भर हैं इसलिये बादशाहत सेना है और सेना बादशाहत है।”

अलाउद्दीन ने इस आधार पर सेना को व्यवस्थित तथा शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। इस दिशा में उसने केन्द्र में एक स्थायी सेना को रखने तथा

उसे नकद वेतन देने की नीति प्रपनाई। दोनों ही क्षेत्रों में वह सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने इस वैज्ञानिक पद्धति को प्रपनाया। उससे पहले सुल्तान सेना के लिये अपने अधीन, मलिकों और इक्तादारों पर निर्भर रहा करते थे। इसका यह अर्थ लगाना कि इक्तादारों की सैनिक टुकड़ियों का भ्रत कर दिया गया था उचित न होगा। अलाउद्दीन ने सेना-मन्त्री, धारिजे मुमात्तक को सैनिक-भर्तों का उत्तरदायित्व सौंपा और इस क्षेत्र में उसने उसे वित्त-मन्त्री के अकुशो में भी मुक्त कर दिया। इन व्याप्यी सैनिकों को राजकीय बोध स नकद रूप में वेतन का मुगाना किया जाने लगा। उनके शस्त्रों, वेप-भूषा और रसद आदि की व्यवस्था राज्य के द्वारा ही की जाती थी तथा उनकी नियुक्ति और पदोन्नति सुल्तान पर निर्भर थी।

प्रत्येक सैनिक के पास दो तलवारें, एक खजर, एक तुर्की बमान और अनेक अस्त्री किम्म के तौर होने थे। काठी में लगी हुई तलवार को रकाब की तलवार कहा जाता था और दूसरी तरफ की तलवार कहलाती थी। कई घुड़मवार रई की बड़ी (जेकेट) पहनते थे तथा शरीर के दूसरे अंगों की रक्षा के लिये नी समुचित व्यवस्था की जाती थी जिसमें बजब और सिर-रक्षक अधिक महत्वपूर्ण थे। घोड़ों पर इस्पात की एक झूज लटकी रहती थी और यदि बारबोसा के बयन को स्वीकार कर लिया जावे तो यह झूज इनकी हन्की होती थी कि घोड़े चीगान के खेज में माग ले सकते थे।

युद्ध के अवसर पर सैनिकों द्वारा अपने बदले किमी दूसरे व्यक्ति को भेजने में रोकने के लिये अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुनिया लिखने की व्यवस्था आरम्भ की। इसमें उनकी धामु, जानि, गाव तथा पहचान के लिये नाक, कान, भौंह आदि की विशिष्ट जानबारी लिखने पर बल दिया। इसी प्रकार सैनिक अस्त्रे घोड़ों के बदले टट्टन न भेज सकें अथवा एक ही घोड़े को बार-बार निरीक्षण के लिये प्रस्तुत न कर सकें, इसके लिये घोड़ों को दागना भी आरम्भ किया। अलाउद्दीन के पहले किसी दूसरे सुल्तान ने इन कार्यों को आरम्भ नहीं किया था।

अलाउद्दीन ने दुर्गों की महत्ता को जानते हुये दुर्गों की ओर ध्यान दिया। मंगोलों द्वारा किये गये 1303 ई के आक्रमण के बाद उसने पुराने दुर्गों की अरम्भ न नये दुर्गों के निर्माण के आदेश दिये। खरनी के अनुसार दुर्गों के चारा ओर काटेदार बृज व आदिमा दूर-दूर तक लगा दी जाती थी जिससे कि शत्रु के अश्वारोही सेजों में दुर्गों की ओर न अड पायें। दुर्गों में रसद आदि की समुचित व्यवस्था रहती थी जिससे कि अधिक समय तक शत्रु का सफलता से सामना किया जा सके। इन दुर्गों में उसने अपने विश्वस्त अधिकारियों के अधीन सगक्त सैनिक टुकड़ियों को रख छोडा था।

दुर्ग में साधारणतया एक अधिकारी हुमा करता था जिसे कोतवाल कहते थे। उसी के पास दुर्ग की आबिया रहती थी। कभी-कभी दुर्ग-अधिकारी और

कोतवाल अलग-अलग व्यक्ति होते थे। मंगूखां के कब्ज़ पर आक्रमण के समय मुखलीसुद्दीन कोतवाल था परन्तु दुर्ग अधिकारी एक खोजा था। कोतवाल के अतिरिक्त दुर्ग में कुछ मुफरिद हुआ करते थे। सम्भवतः ये इन्जीनियर थे जो दुर्गों का निर्माण करने व उनकी सुरक्षा की व्यवस्था बनाने के प्रति उत्तरदायी थे।

अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को नकद वेतन देना आरम्भ किया परन्तु सम्भवतः यह नीति केवल उन सैनिकों पर ही लागू की गयी जिन्हो को केन्द्रीय सरकार के द्वारा ही भर्ती किया जाता था। प्रान्तों में भर्ती की गई सेना को अब भी पहले की ही तरह भूमि की आय से ही वेतन दिया जाता था। बरनी के द्वारा दिये गये अमात्मक विवरण से सैनिकों का वेतन सम्बन्धी विवाद उठ खड़ा हुआ है।

डा. लाल के अनुसार अलाउद्दीन के समय में एक मुरातब सैनिक को प्रति वर्ष 234 टंक वेतन के रूप में दिये जाते थे। सरकारी आघार पर मुरातब सैनिक वह था जो कि पेशेवर रूप में सैनिक हो तथा जिसको निरीक्षण के पश्चात् सेना में नियुक्त किया हो। सैनिक के पास एक घोड़ा होना आवश्यक था और ऐसे सैनिक को प्रति वर्ष 234 टंक दिये जाते थे। यदि उसके पास एक अतिरिक्त घोड़ा हो, जो निश्चित रूप से उसकी कार्यक्षमता को बढ़ायेगा, तो उसको इस अतिरिक्त घोड़े के 78 टंक प्रति वर्ष मिलते थे और जो दो अस्पा कहलाता था उसे 312 टंक प्रति वर्ष मिलते थे। 234 टंक उसके वेतन के रूप में और 78 टंक अतिरिक्त घोड़े को रखने के। क्योंकि उसे अतिरिक्त भत्ता मिलता था इसलिए सुल्तान दो घोड़े रखने पर जोर देता था। साधारण सैनिक को जो एक घोड़ा ही रखता था उसे एक अस्पा कहा जाता था और प्रति वर्ष 234 टंक वेतन के रूप में मिलता था। बरनी के अतिरिक्त दूसरे समकालीन इतिहासकारों के विवरण से भी इसी की पुष्टि होती है कि एक घोड़ा रखने वाले सैनिक को प्रति वर्ष 234 टंक मिलते थे और एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 78 टंक अतिरिक्त प्रतिवर्ष दिए जाते थे। परन्तु डा. आर्द. एच. कुरेशी इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। डा. कुरेशी ने फरिश्ता के मत को स्वीकार करते हुए सैनिकों के तीन विभिन्न वेतनमान बताये हैं, जिनमें सैनिकों को 234, 156 व 78 टंक दिये जाते थे। उसके अनुसार मुरातब, सवार व दो अस्पा को क्रमशः 234, 156, 78 टंक प्रति वर्ष वेतन दिया जाता था। उनके अनुसार सवार सैनिक दो अस्पा सैनिक से श्रेष्ठ था क्योंकि सवार अपने पराक्रम से एक सौ मंगोलों को खदेड़ सकता था जबकि दो अस्पा केवल दस मंगोलों को बन्दी बना सकता था।

डा. कुरेशी के मत को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। प्रथमतः हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आघार पर यह प्रमाणित किया जा सके कि मुरातब सैनिक एक वरिष्ठ अधिकारी था। यदि ऐसा होता तो बरनी कम से कम उसकी स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी देता। इसके विपरीत यह अधिक सत्य

है कि मुरातब एक साधारण सैनिक (घज़ल-ए-जिहाद) था जिसको 234 टक प्रति वर्ष मिलते थे। इसके प्रतिरिक्त बरनी ने कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि दो घस्या सैनिकों में सबसे निम्न था शयबा सवार दो घस्या से श्रेष्ठ सम्माना जाता था। 'सवार' शब्द का प्रयोग बरनी ने केवल शयवारोही के मन्दमं में ही किया है। उसका मतलब केवल यही था कि भारतीय सैनिक इतना शक्तिशाली एवं कुशल हो गया था कि वह दस मुद्दबन्दो बना सकता था। साधारणतया 10 को मुद्द-बन्दो बनाना, 100 को खदेहन से कहीं अधिक कठिन था। बरनी का प्रतिशयासिपूर्ण वर्णन केवल भारतीय सैनिकों की श्रेष्ठता को ही बनाता है। इस प्रकार से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि एक सैनिक को 234 टक शयबा 19½ टक प्रतिमाह मिलते थे और एक प्रतिरिक्त घोड़े के रखने पर 4¾ टक और दिया जाता था।

मलाउद्दीन की सैनिक व्यवस्था सुदृढ़ थी इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसे पुनः बाराणस के प्रसफ़्त अभिमान का अनुभव न करना पडा और मंगोलों को निरन्तर खदेहने के साथ ही वह दक्षिण भारत पर भी अपना अधिकार जमाने में सफल हुआ।

वार्षिक सुधार व बाजार व्यवस्था—मलाउद्दीन ने राज्य की सुरक्षा-हेतु एक शक्तिशाली सेना की व्यवस्था की तथा उसे नकद वेतन देना आरम्भ किया। एक घोड़ा रखने वाले सैनिक को 234 टक प्रतिवर्ष तथा एक प्रतिरिक्त घोड़ा रखने वाले पर 78 टक प्रतिरिक्त दिया जाना निश्चिन किया। बरनी के अनुसार "यदि इतनी बड़ी सेना (4,75,000 घुडसवार) की साधारण वेतन भी दिया जाता तो मबित घन पाच शयबा छ' वर्ष में ही समाप्त हो जाता।" उसने मत्रियों में सलाह करी और उन्होंने सुझाया कि वस्तुधो ने मूल्य घटा दिये जाने पर एक घुडसवार इतने वेतन में भी निर्वाह कर सकेगा। मलाउद्दीन के चरित्र की विशेषता थी कि वह अपने मत्रियों की सलाह को यदि वो उसके विचारों के अनुकूल हो तो स्वोकार कर लेता था। इसलिये उसने सेना के व्यय में कमी करने के लिये सैनिकों के वेतन में कमी की परन्तु वह इसके लिये सतत मनकं रहता था कि सैनिक सुविधा से रह सकें। मलाउद्दीन ने देवगिरि में प्रत्यधिक सम्पत्ति लूटी थी और उसके बाद उसे दक्षिण के राज्यों से वार्षिक कराज भी मिलता था परन्तु यह सब घन सेना के व्यय की पूर्ति करने में असमर्थ था। इसलिये उसने एक और तो समस्त सोने और चांदी के भाराव पीने के बर्तनों को तुडवा डाला तथा दूसरी ओर राजाव तथा दूसरे करों में वृद्धि करने के बाद भी सैनिक खर्चों को पूरा करना मुश्किल दिलाई दिया। इसलिये उसने पाम सैनिकों का वेतन कम करने तथा साथ ही वस्तुधो के मूल्य में कमी करने के प्रतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। डा. के. एन. लाल ने लिखा है, कि यह "गणित की एन साधारण गणना और साधारण वार्षिक सिद्धान्त था। क्योंकि उसने सैनिकों के

वेतन को कम करके निश्चित करने का निर्णय किया था, अतएव उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य को भी कम करके निश्चित किया।”

डा. यू. एन. डे ने इसके विपरीत एक अन्य विचार को प्रतिपादित किया है। डा. डे के अनुसार, “अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मूल कारण सैनिकों के वेतन में कमी करना न था अपितु वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोकना था।”

उनके अनुसार अलाउद्दीन ने अपने एक सैनिक को 234 टंक प्रतिवर्ष दिये जब कि अकबर ने तावीनान (सैनिक) को 240 रुपये प्रतिवर्ष और शाहजहां ने 200 रु. प्रतिवर्ष दिये। इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपने सैनिक को अकबर के सैनिक से 6 रुपये कम और शाहजहां से 34 रुपये प्रतिवर्ष अधिक दिये। इस आधार पर अलाउद्दीन द्वारा दिया गया वेतन किसी प्रकार से कम न था। डा. यू. एन. डे के अनुसार अलाउद्दीन के समय तक दिल्ली का एक साम्राज्य की राजधानी के रूप में विकास हो चुका था तथा इस कारण दिल्ली व्यापार और वाणिज्य का केन्द्र बन चुकी थी। अलाउद्दीन की स्थायी सेना भी दिल्ली ही में रहती थी और उसके साथ ही राज्य के अमीरों का भी अधिक मात्रा में यही निवास-स्थान था। स्वाभाविक था कि जनसंख्या दिल्ली में केन्द्रित हो रही थी। इसके साथ ही मुद्रा में बढ़ोतरी के कारण (नकद वेतन दिये जाने के कारण) वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाना निश्चित था। व्यापारियों की सामान्य मनोवृत्ति भी मूल्य बढ़ाने में उत्तरदायी थी, क्योंकि वे वस्तुओं को संग्रह कर उनकी अप्रति के तथाकथित आधार पर मूल्य वृद्धि के लिये उत्सुक रहते थे। इन कारणों से वह वस्तुओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि को रोकना चाहता था। डा. डे के अनुसार “अलाउद्दीन का उद्देश्य व्यापारियों द्वारा चालाकी के विभिन्न उपायों के प्रयोगों से वस्तुओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि को रोकना था, न कि उनके सामान्यतया प्रचलित मूल्यों में कमी करना।”

कुछ आधुनिक इतिहासकार यह मानते हैं कि बाजार-नियन्त्रण करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य मानवीय था। वह अपनी समस्त प्रजा को उचित मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध कराना चाहता था। इस विचार का आधार ‘इकलमजालिन’ में वर्णित शेख हमीदुद्दीन तथा अलाउद्दीन के बीच हुआ वार्तालाप है। परन्तु डा. पी. ने शरण अपनी पुस्तक ‘स्टडीज इन मेडिवाल हिस्ट्री’ में लिखा है कि, “यदि उसने लोगों को सम्पन्न तथा प्रसन्न रखने का प्रयास किया होता तो यह उसकी उस नीति का विरोधाभास होता जिसके आधार पर उसने लोगों को आर्थिक क्षेत्र में अत्यन्त दयनीय बनाने के लिये अपनाई थी और जिसे बाजार-नियन्त्रण के एक वर्ष पहले ही लागू किया गया था।” इसके साथ ही जिस कठोरता के साथ बाजार-नियन्त्रण को लागू किया गया था और जिस प्रकार लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा उसको देखते हुये यह उचित नहीं मालूम पड़ता कि उसने लोगों को भलाई के लिये बाजार-नियन्त्रण की नीति अपनाई थी।

कुछ लेखकों का यह भी विचार है कि मलिक काफूर के द्वारा देवगिरि से लाई सम्पत्ति के कारण मुद्रा-स्फीति आई जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई। यह विचार डा. पी. शरण (स्टोज इन मेडिवल हिस्ट्री) के अनुसार इतिहास-संगत नहीं है, क्योंकि मलिक काफूर का देवगिरि का अभियान बाजार-नियन्त्रण के कई वर्षों के बाद हुआ था। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि बाजार-नियन्त्रण में अलाउद्दीन का उद्देश्य केवल राजनीतिक था जिसके अघोर पर वो कम खर्च में एक शक्तिशाली सेना रखना चाहता था।

अलाउद्दीन के बाजार नियन्त्रण के सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न यह उठता है कि ये पूरे साम्राज्य पर लागू किये गये थे अथवा केवल दिल्ली तक ही सीमित थे। बरनी के विवरण से यह आभास होता है कि यह केवल दिल्ली में ही लागू किया गया था। परन्तु बरनी 'फतवा ए-जहादारी' में कहीं-कहीं 'नगर' की जगह पर 'नगरी' शब्द का भी प्रयोग करता है जिसमें यह भ्रम होने लगता है कि दिल्ली के अतिरिक्त भी लागू किया गया था। फरिस्ता के विवरण से यह लगता है कि ये व्यवस्था देश के दूसरे भागों में भी लागू थी। परन्तु डा. के एस साल ने यह प्रमाणित कर दिया है कि बाजार नियन्त्रण दिल्ली तक ही सीमित था। उनके अनुसार (1) बरनी की 'तारोख-ए-फीरोजशाही' में 'दीवान-ए-रियासत' तथा 'शहना-ए-महो' नामक अधिकांशिया का उल्लेख मोटे रूप से दिल्ली के मन्दिर में किया गया है। राज्य के दूसरे भागों में 'शहना-ए-महो' अथवा बाजार के दूसरे अधिकांशियों के नाम का कोई विवरण नहीं मिल पाया है।

2 बरनी ने यह भी लिखा कि वस्तुएँ कम मूल्य पर खरीदी जाकर दूरी जगहों पर ऊँचे मूल्य में बेची जाती थीं। यदि सम्पूर्ण राज्य में बाजार-नियन्त्रण किया गया होता तो दिल्ली तथा दूसरे भागों में भावों में किसी प्रकार का अन्तर न होना चाहिये था और ऐसी स्थिति में एक जगह से खरीदकर दूरी जगह ऊँचे मूल्य पर बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

3 बरनी ने लिखा है कि दिल्ली में मूल्यों की कमी के कारण दूर-दूर से विद्वान, कारीगर व अन्य पेशेवर लोग दिल्ली में आकर बस गये थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि सभी दूर दिल्ली के समान ही मूल्य कम होने तो ऐसे व्यक्तियों को राजधानी में आकर बसने की आवश्यकता नहीं होती।

4 बरनी के ही विवरण से इसकी और अधिक पुष्टि होती है। उसने लिखा है कि, "उन वर्षों में जब वर्षों के अभाव के कारण अनाज जैसी स्थिति बन जाती थी तब दिल्ली में कोई अनाज नहीं होता था। सरकारी गोदामों अथवा दुकानदारों के गोदामों के कारण मूल्य विलकुल नहीं बढ़ पाता था।" इसी के साथ उसने एक अन्य स्थान पर लिखा है कि "इन नियमों के कारण वस्तुएँ दिल्ली में सस्ती हो गई और अनेक वर्षों तक मन्ती रहीं।"

5. प्रत्येक व्यापारी को 'शहना-ए-मरडी' के यहाँ अपने को पंजीकृत करना पड़ता था। ये इसलिये कि यदि सब ही दूर एक जैसा मूल्य होता तो व्यापारियों को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने में कोई रुचि नहीं होती। परन्तु क्योंकि बाजार-नियन्त्रण दिल्ली से ही सम्बन्धित था इसलिये व्यापारी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये उन प्रदेशों में जा सकते थे जहाँ बाजार पर नियन्त्रण न हो। इसी को रोकने के लिये अलाउद्दीन ने उनके दिल्ली में रहने और पंजीकृत करने पर जोर दिया।

6. सुल्तान ने 'सराय-ए-अदल' में स्थित कपड़ा-बाजार में कपड़ा लाने के लिये व्यापारियों को तीस लाख टंक अग्रिम रूप में दिये। इससे यह स्पष्ट है कि व्यापारी दूसरी जगहों से महंगा कपड़ा खरीद कर उसे दिल्ली में सुल्तान द्वारा निश्चित दरों पर बेचने में असमर्थ थे और इसीलिये इसको खरीदने के लिये इतनी राशि अग्रिम रूप में देनी पड़ी। यदि नियन्त्रित मूल्य दिल्ली के बाहर भी प्रचलित होते तो न तो कपड़ा खरीदने के लिये अग्रिम धन ही देना पड़ता और न ही इस बात की व्यवस्था करनी पड़ती कि दिल्ली से बाहर के प्रदेशों में कपड़ा न जा सके।

7. व्यापारियों की बेईमानी को रोकने के लिये समय-समय पर छोटे-छोटे गुलामों को मन्डियों में भेजा जाता था और बेईमानी करने की स्थिति में उनको अनुपातित दण्ड भी दिये जाते थे। चरनी के विवरण से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की दण्ड-व्यवस्था का सम्बन्ध केवल दिल्ली से ही था। दूसरी ओर हमें कहीं पर भी प्रान्तीय राजधानियों में इस प्रकार की कठोर कार्यवाही का विवरण नहीं मिल पाया है। ये मानना कि केवल दिल्ली के व्यापारी ही बेईमानी करते थे तथा अन्य ईमानदार थे, मानव व्यवहार के आधार पर तर्क-संगत नहीं दीखता है। इससे हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि बाजार नियन्त्रण केवल दिल्ली में ही लागू था।

खाद्यान्न सम्बन्धी नियम—अलाउद्दीन ने यह अनुभव किया कि जीवन की आवश्यक वस्तुएँ अन्न के सस्ते होने पर ही सस्ती हो सकती हैं इसलिये उसने सबसे पहले अनाज की दरों को निश्चित किया। चरनी के अनुसार ये इस प्रकार थीं—

गेहूँ	प्रति मन	7½ जीतल
जी	"	4 "
धान	"	5 "
उड़द	"	5 "
चना	"	5 "
मोठ	"	3 "

प्रो. अशहूर अब्बास रिजवी ने 'खल्जी कालीन भारत' में उस समय के विनिमय व तेल के आंकड़ों के सम्बन्ध में लिखा है कि 'आज के हिसाब से उस

समय का मत 12 म 14 सर व बीच का था और एक टक म 46 म 48 जीत होते थे। इसी प्रकार स उत्तम अपन पहल नियम व अल्पत दूसर खाद्यान्ना के भाव भी निश्चित किय जा इस प्रकार से थ—

शहर	प्रति सर	1 $\frac{1}{2}$ जीत
गुड		1 $\frac{3}{4}$
मक्यान		$\frac{1}{3}$

दूसरे नियम व अल्पत उमने मलिक कबूल को शहना ए मडी निमुक्त किया। उसको यह व्यवस्था करनी थी कि मडी म अनाज स्वाधी रूप से मस्ता रह।

तीसरे नियम व अनुसार सुल्तान न सरकारी गोशामा म अनाज दक़्तदो करने के आदेश दिय। एक अनुसार खाउसा तथा दोभाव स मराज (राजस्व) अनाज के रूप म वसूल किय जान की व्यवस्था की गई। यह भी आदेश दिया गया कि भायन तथा उसकी विलायता म राजकीय हिस्सा का आधा भाग अनाज के रूप मे लिया जावे और सब भायन म जमा कर लिया जाव। फिर उस बजारो के हाथ लिनी भेजा जाव। एमी स्थिति म दिनी म इतना अनाज पहुच जाता था कि वहा कोई ऐसा मुहला न था जहा दो तीन घर सरकारी अनाज म न भरे हो। वर्षा न होने की स्थिति म अथवा बजारो द्वारा अनाज पहुचान म देरी की स्थिति में सरकारी गोशामा मे अनाज निकालकर मण्डी म भेज दिया जाना था निमे वहा सरकारी भावा पर प्रजा को आवश्यकता के अनुसार बेच दिया जाना था। भायन म सरकारी गोशामा म व्यापारियों को अनाज बेच दिया जाना था। इस प्रकार न तो कभी कमी पडता थी और न ही अनाज क भावा म एक दाम की ही बढ़ोतरी हानी थी।

चौथे नियम के अनुसार गल्ल का परिवहन करने वाले व्यापारी शहना ए मडी मलिक कबूल के अधिकार म रक्त गय। सुल्तान न आदेश दिया कि य सब उसकी प्रजा समझ जायेंगे। वह उनक मरहूमा (सरदारो) को बंदी बनाकर अपन मानन रखसगा और उन समय तक नही छाडगा जब तक वे उन पर लगाई गड शर्तें पूरी न करें। उन्हें एक दूसर की जमानन लेकर एक मरहू म परिवर्तित करना था। उह अपनी स्थिया बच्च सम्पत्ति और मवेशो वमुना नदी के किनारे स्थित गावा म रखन थ और मलिक कबूल को उनकी गतिविधियों की निगरानी करन के नियम एक शहना निमुक्त करना था। सामान्य समय म य इतना गन्ना लिना म लान थ कि सरकारी गोशामो को दून की आवश्यकता भी नहीं पडती थी।

पाचवें नियम क अनुसार मुनाफामोरो को बिलकुल बन्द कर दिया गया। दोभाव क अधिकारिया का य त्रिगिन रूप म देना पडता था कि वे किसी को मुनाफामोरो न करन देंगे। यदि किसी अधिकारी के क्षत्र म मुनाफामोरो पकडी जाती तो उन राज्य की ओर से दंडित किया जाता था। इसी प्रकार मुनाफामोरो

का इकट्ठा किया हुआ गल्ला ज्वस्त कर लिया जाता था और उसे भी कठिन दंड दिया जाता था। बरनी के अनुसार किसी व्यापारी के लिये यह असम्भव था कि वह एक मन गल्ला भी मुनाफाखोरी के लिये इकट्ठा कर सके अथवा सरकारी दर से अधिक मूल्य पर उसे बेच सके।

छठे नियम के अनुसार देश के समस्त राजस्व अधिकारियों से यह लिखा गया जाता था कि वे व्यापारियों को खेत से ही अनाज राज्य द्वारा निर्धारित कीमत पर नकद मूल्य के बदले दिलवा देंगे और किसानों को अनाज अपने घर न ले जाने देंगे। दोग्राव के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के आदेश थे, जिससे कि किसान मुनाफाखोरी के लिये अनाज को अपने घर ही न ले जा पावें। उन्हें आदेश था कि दोग्राव के प्रदेश से खराज कठोरता से बसूल किया जावे।

सातवें नियम के अनुसार सुल्तान को मंडी में गल्ले के भावों के बारे में प्रतिदिन तीन मूल्यों से जानकारी दी जाती थी। प्रथम शहना-ए-मंडी, द्वितीय बरीद (गुप्तचर अधिकारी) तथा अंतिम 'भुनहियो' (गुप्तचर)। यदि बरीद, गुप्तचर तथा शहना-ए-मंडी की सूचनाओं में कोई अन्तर होता तो शहना-ए-मंडी को कठोर दण्ड दिया जाता था। अधिकारी-वर्ग ईमानदारी से काम करता था, क्योंकि उसे एक ओर तो यह मालुम था कि सुल्तान के तीन सूत्रों से सूचना मिलती है और दूसरी ओर सुल्तान ने इसके लिये कठोर दण्ड निर्धारित किये हैं। यदि बर्पा न होने पर शहना-ए-मंडी एक-दो बार यह निवेदन करता कि अनाज का भाव आधा जोतल बढ़ा दिया जाये तो उसे दण्ड-स्वरूप बीस वैंत लगाये जाते थे।

बरनी के अनुसार बर्पा न होने की स्थिति में प्रत्येक मोहल्ले के पंसारी को उस मोहल्ले की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिदिन केन्द्रीय मंडी से गल्ला दिया जाता था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंडी से कोई व्यक्ति एक दिन में आधा मन गल्ले से अधिक नहीं खरीद सकता था। ग्रामीर वर्ग तथा विशिष्ट व्यक्तियों को, जिनके पास अपनी भूमि या गांव नहीं होता था, उन्हें उन घर निर्भर व्यक्तियों के अनुपात में केन्द्रीय मंडी से गल्ला लेने की अनुमति थी।

अलाउद्दीन के अनाज मंडी के लिए बनाये गये नियमों के विवरण के आधार पर हमें अनेक तथ्य स्पष्ट होते हैं। सर्वप्रथम उसने अनाज के मूल्य की दरें काफी घटा कर निश्चित की थीं। इसके साथ ही उसने अनाज-मंडी और सरकारी अनाज-विश्री-केन्द्र स्थापित किये जहाँ से जनसाधारण और व्यापारी अनाज खरीद सकते थे। द्वितीय, अकाल आदि के समय अन्न को उपलब्ध कराने के लिए राजकीय अनाजार स्थापित किये गये थे जहाँ से अनाज की पूर्ति की जा सकती थी। इसके साथ ही उसने यह भी नियम बनाया कि अकाल के दिनों में एक निश्चित परिमाण में ही अनाज खरीदा जा सकता था। यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार का कोई बन्धन न था। तृतीय, इस समस्त व्यवस्था को ठीक रूप से चलाने के लिये

बड़ी मुस्या में बाजार-अधिकारियों की नियुक्ति की गई। शहना-ए-मदो, बरीद व मुनही इसी प्रकार के अधिकारी थे जो एक घोर तो मदी में मूल्यों तथा दूसरे नियमों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी थे तथा दूसरी घोर सुल्तान की प्रतिदिन स्वतन्त्र रूप से मदी में प्रचलित भावा की जानकारी देते थे। इस प्रकार सुल्तान बाजार की सही स्थिति की जानकारी रखने में समर्थ था। उस व्यवस्था से न तो कर्मचारी ही असावधान रहते थे घोर न ही व्यापारी बाजार के नियमों का उल्लंघन कर पाते थे।

विभिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में बाजार नियन्त्रण

(अ) कपड़ा बाजार—मलाठहीन की नीति केवल अनाज के मूल्यों को निर्धारित करने में सफल होना कठिन था। इसलिये अनाज के साथ ही दूसरी आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारण न केवल आवश्यक अपितु इसकी पूरक भी थी। इसलिये उसने कपड़ा, धी, तेल, शक्कर आदि चीजा का भी बाजार नियन्त्रित किया जिसके अन्तर्गत पाँच नियमों को लागू कर उन भी बंदोबस्त बना दिया। बरनी ने 'तारीख-ए-फीरोजशाही' में कपड़े के बाजार का विस्तार से वर्णन किया है। उसके अनुसार पहले नियम के अन्तर्गत एक 'सराय-ए-अदल' स्थापित की गई। बदायू दरवाजे के अन्दर 'कूशके सब्ज' (हरा राजमहल) के पास इसका निर्माण किया गया। सुल्तान ने आदेश निकाला कि प्रायक वस्तु जो व्यापारी लावें उन्हें इसी 'सराय-ए-अदल' में लावें। ये यहाँ के अतिरिक्त किसी घर या अन्य बाजार में न ले जाई जावें। यदि कोई व्यापारी इस आदेश का उल्लंघन करता अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक पर वस्तु को बेचता तो न केवल उसका माल जब्त कर लिया जाता था अपितु उसे बंदोबस्त भी दिया जाता था। इस नियम के अनुसार एक 'टके' से लेकर उस हजार 'टका' मूल्य की प्रत्येक वस्तु इस सराय-ए-अदल में ही लाई जानी थी। यह बाजार सूर्योदय से दोपहर की मजाज तक खुला रहता था।

बरनी दूसरे नियम में वस्तुओं की सरकारी मूल्य की सूची देता है, परन्तु उसकी सूची में एक भूत रह गई है। रेशमी कपड़ों के सम्बन्ध में यह मूल्य की जानकारी तो देता है परन्तु उसके साथ नाप का कोई उल्लेख नहीं करता है। यह सम्भव है कि एक मानक नाप रहा हो घोर बरनी ने ये समझकर कि यह गव को मानुम ही है उसको निश्चय उचित नहीं समझा। उसके अनुसार 'मुज्जे दिनी' 16 टक, 'मुज्जे बीनला' 6 टक, महाकौरी (उत्तम) 3 टक, बुदं (उत्तम) का नाप आर्यों वाला 6 जीतल था। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति 40 गज मापारण प्रमाण, 20 गज उत्तम, रुई का, बजा, सूती कपड़ा, खरीद, सक्कर, धा, 1 अन्य वस्तुओं के नाप भी बरनी ने दिये हैं जिसके अनुसार मिथी 2½ जीतल प्रति सेर, चीनी 1½ जीतल प्रति सेर, भूरी खांड 1 जीतल में तीन सेर, धी 1 जीतल में 1½ सेर, सरसों का तेल एक जीतल में तीन सेर। अन्य वस्तुओं का मूल्य इसी सूची के आधार पर लगाया जा सकता है।

तीसरे नियम के अनुसार अलाउद्दीन ने दिल्ली तथा साम्राज्य के सभी व्यापारियों को आदेश दिया कि वे 'दीवान-ए-रियासत' के दफ्तर में अपना पंजीकरण करायें। समस्त व्यापारियों के लिये नियम बनाये गये। दिल्ली में जो व्यापारी इसके पहले तक मान आयात किया करते थे उनसे यह लिखित रूप में लिया गया कि वे प्रत्येक वर्ष वही वस्तुयें उतनी ही मात्रा में लाते रहेंगे और उन्हें 'सराय-ए-अदल' में सरकार द्वारा निर्धारित भाव पर ही बेचेंगे।

चौथे नियम के अनुसार अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को बीस लाख टंक दिये जिससे कि वे विभिन्न प्रदेशों से कपड़ा आदि ला सकें और सरकारी भाव पर सराय-ए-अदल में बेच सकें। जब सामान्य रूप से व्यापारियों का कपड़ा न पहुँच पाता था तो इस तरह से कपड़े लाकर मूल्य को स्थायी बनाये रखा जाता था।

पाँचवाँ नियम बहुमूल्य वस्तुओं के बेचने से सम्बन्धित था जिनकी साधारण जनता को आवश्यकता नहीं होती थी। ये वस्तुएँ किसी भी व्यक्ति को उस समय तक नहीं बेची जा सकती थीं जब तक कि 'परवाना नवीस' व्यक्तियों की प्राय को आंक कर उसके लिये परमिट न दे दे। परवाना नवीस सर्व्व यह ध्यान रखता था कि किसी ऐसे व्यक्ति को परमिट न मिले जो 'सराय-ए-अदल' से कम मूल्य पर इन कीमती चीजों को खरीद कर दूसरी जगह उन्हें मनमाने मूल्य पर बेच दे।

(ब) घोड़ों, दासों व भवेशियों के बाजार—बरनी के अनुसार घोड़ों, दासों तथा दूसरे भवेशियों के भावों को सस्ता करने के लिए अलाउद्दीन ने चार नियम लागू किये—(i) किस्म के अनुसार मूल्य निश्चित करना, (ii) व्यापारियों और पूंजीपतियों का बहिष्कार, (iii) दलालों के साथ कठोरता व (iv) मुल्तान द्वारा बार-बार जाँच बढ़ताल।

पहले नियम के अनुसार सेना के लिए घोड़ों को तीन भागों में बाँटा गया। प्रथम श्रेणी 100 से 120 टंक, द्वितीय श्रेणी 80 से 90 टंक व तृतीय श्रेणी 60 से 70 टंक निश्चित किये गये। टट्टू का मूल्य 10 से 25 टंक तक रक्ता गया।

दूसरे नियम के अनुसार अलाउद्दीन ने यह प्रतिबन्ध लगाया कि कोई भी व्यापारी अथवा धनी न तो स्वयं घोड़ा खरीद सकता था और न किसी अन्य द्वारा खरीदा हुआ घोड़ा ले सकता था। उसने यह भी आदेश दिया कि कोई व्यापारी बाजार में घोड़ों के निकट न जावे। प्रमुख घोड़ों के दलालों की छान-बीन की गई और दोषी दलालों को व्यापारियों सहित बन्दी बनाकर दूरस्थ किलों में भेज दिया गया।

तीसरे नियम के अनुसार उसने बड़े-बड़े दलालों को कठोर दण्ड दिया। इसका कारण था कि घोड़ों के बड़े दलाल बाजार के हाकिमों के बराबर होते थे

घोर यदि उनको कठोर दण्ड न दिया जाता तो वे दोनों तरफ से घन लेकर क्रय-विश्रय में महापता करना बन्द न करते।

बांधे नियम के अनुसार घोड़ों के दमाल घोड़ों सहित प्रत्येक खालीम दिन प्रथवा दो महीने बाद सुल्तान के समक्ष लाये जाते थे और सुल्तान उनके साथ अत्यन्त कठोर व्यवहार करता था। बरनी ने लिखा है कि दलाल सुल्तान के सम्मुख उपस्थित होने के बंदे मृत्यु को सम्मत्ता करते थे। बरनी का विवरण अतिरिक्त ही सक्ता है परन्तु इतना निश्चित है कि इनके साथ किया गया व्यवहार अत्यन्त कठोर रहा होगा। बाजारों में गुप्तचर भी नियुक्त किये जाते थे और उनको रिपोर्टों में किसी बात की उपेक्षा नहीं की जाती थी। इन नियमों को कठोरता से लागू करने पर दो वर्षों में घोड़ों का मूल्य स्थिर हो गया।

बरनी ने लिखा है कि दासों और भवेशियों के सम्बन्ध में भी ऐसे ही नियम बनाए गए जैसे घोड़ों के सम्बन्ध में लागू थे। अन्तर केवल इतना था कि घोड़ों की भांति राज्य का सरोकार एक अन्तिम ग्राहक के रूप में नहीं था और व्यापारियों का निश्चित सीमा के अन्दर व्यापार करने की आज्ञा दे दी गई थी।

सामान्य बाजार—अलाउद्दीन ने इन वस्तुओं के अतिरिक्त प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु का भी मूल्य निर्धारित किया जैसे टोप, भोजे, सुई, मिट्टी के बर्तन, पान आदि। अलाउद्दीन दुकानदारों की प्रवृत्ति को जानता था और यह भी समझता था कि जब तक इनके साथ कठोर और क्रूर व्यवहार नहीं किया जावेगा तब तक वे अपनी बेईमानी, घृष्टता को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने वाणिज्य मन्त्री के रूप में याकूब मज्जीर को चुना। याकूब एक और तो दुकानदारों के द्वारा करी जाने वाली कार्यवाहियों से पूरी तरह परिचित था और दूसरी ओर ईमानदार व विश्वसनीय होने के साथ ही अत्यधिक कठोर और पापाण-हृदय भी था। बरनी के अनुसार, "बृद्ध और युवा सभी व्यक्ति यह मानते थे कि याकूब मज्जीर की भांति कठोर व्यक्ति वाणिज्य मन्त्रालय में कभी नहीं हुआ है।" याकूब ने प्रत्येक बाजार में एक 'शहना' अर्थात् अध्यक्ष नियुक्त किया, जिनको आदेश दिया गया कि वह मूल्य-सूची लागू करने के अनिर्दिष्ट उन वस्तुओं के उचित मूल्य की भी व्यवस्था करे जो सूची में नहीं थे। वह कई बार बाजार-भावों की जांच-पड़ताल करता था और यदि कोई दुकानदार मूल्य-सूची में दिये गए भावों से अधिक दाम ले लेता था तो उसे अत्यधिक कठोर दण्ड दिया जाता था। उस कठोरता के कारण दुकानदारों ने अपने भाव कम कर दिये। परन्तु इनके साथ ही वे वस्तुओं को कम तोल सकने थे। इसके लिए सफूद किसी की जांच किया करता था और यदि कोई दुकानदार सम्मान तोलने में पूरा तोल न देता था तो बरनी के अनुसार तोल से दुबने मार के धराबर उस दुकानदार के शरीर से मांस कटवा लिया करता था। इस नाप-तौल तथा भावों की जानकारी के लिये वह कम उम्र के गुनामों को बाजार सामान सरोदने के लिए भेजा करता था।

दुकानदार स्वयं सुल्तान की कठोरता से आतंकित थे तथा बाजार के अधिकारियों को क्योंकि दण्ड देने के विस्तृत अधिकार दिये गये थे इसलिए कोई व्यापारी, सरदार अथवा धनवान व्यक्ति भी कानूनों को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। इस आतंक के फलस्वरूप बाजार व्यवस्थित हो गया।

बाजार-नियन्त्रण की समीक्षा—अलाउद्दीन की बाजार-व्यवस्था उसके लक्ष्य की पूर्ति में सफल रही। वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने में अलाउद्दीन का एक उद्देश्य कम वेतन पर अधिक सेना रखने का था। अलाउद्दीन की सेना बड़ी ही नहीं अपितु शक्तिशाली भी थी क्योंकि इस सेना ने न केवल मंगोलों को खदेड़ने में सफलता प्राप्त की परन्तु साथ ही साथ दूरस्थ प्रदेशों को भी विजित किया जिनको विजय करने की नीति अलाउद्दीन के पहले किसी सुल्तान ने सोची भी नहीं थी। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन की बाजार-नियन्त्रण नीति से सभी वस्तुएँ राज्य द्वारा निश्चित मूल्य पर बेची जाती रहीं। यह व्यवस्था अलाउद्दीन के अन्तिम समय तक बनी रही। बरनी ने लिखा है कि, “जब तक अलाउद्दीन ने शासन किया तब तक वस्तुओं के मूल्य न तो बढ़े और न हो गये बल्कि सर्वदा निश्चित बने रहे।”

दिल्ली के नागरिकों को भी इससे लाभ था क्योंकि उन्हें सामान्य मूल्य पर सभी वस्तुएँ प्राप्त हो जाती थी और बेईमानी की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। वस्तुओं की कोई कमी न थी और अनाज इतना इकट्ठा हो गया था कि अलाउद्दीन की मृत्यु के तीस वर्ष बाद भी वह राजकीय मंडारों में उपलब्ध था। दिल्ली के नागरिकों की भावनाओं का आभास हमीद कलन्दर के शब्दों से होता है। उसने कहा था कि, “व्यक्ति उसके (अलाउद्दीन खलजी) भकवरे पर श्रद्धा प्रकट करने जाते थे, उसकी कब्र पर धागे बांधते थे, दुआएँ मांगते थे और उनकी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती थीं।” अलाउद्दीन की व्यवस्था निश्चित ही सफल रही। डा. के. एस. लाल जहाँ अलाउद्दीन की व्यवस्था में अनेक दोष निकालते हैं, वे भी ये स्वीकार करते हैं कि, “अलाउद्दीन के शासन का वास्तविक महत्व वस्तुओं के मूल्यों के कम करने में नहीं है, बल्कि बाजार में मूल्यों को निश्चित रखने में है, जो अपने युग का एक आश्चर्य था।” उन्होंने आगे लिखा है कि, “अलाउद्दीन के समय की भांति किसी अन्य सुल्तान के समय में मंगोलों के इतने आक्रमण नहीं हुए और न ही सल्तनत युग में विजयों की इतनी विस्तृत नीति ही अपनाई गई। इन परिस्थितियों में यह तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने सभी सुबार सेना के लाभ के लिये किये थे। इसके अतिरिक्त भारत के कितने सुल्तानों ने सेना की तुलना में किसानों व व्यापारियों की समृद्धि की ओर ध्यान दिया? आवश्यकता, धार्मिक उत्साह और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित विजय से प्राप्त यश उनके लिए किसानों और व्यापारियों को अधिक समृद्ध बनाने वाले कानूनों की तुलना कहीं अधिक आकर्षक था और अलाउद्दीन इस क्षेत्र में अपवाद न था।”

अलाउद्दीन की इस सफलता के बाद भी यह स्पष्ट है कि यह व्यवस्था न तो जन-साधारण के हित में थी, न ही राज्य के अन्तिम हितों की पूर्ति में सहायक और न ही स्थायी। इस व्यवस्था से किसानों को कोई लाभ न था। किसानों की स्थिति अलाउद्दीन के नियमों के कारण अत्यन्त दयनीय हो गई। मोरलैंड ने लिखा है कि अलाउद्दीन के राजस्व नियम सम्पन्न मध्यम वर्ग के कुचलने के लिए थे, किसानों की कुचलने के लिये नहीं परन्तु डा. के. एस. साल इसमें सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार यह ठीक है कि अलाउद्दीन के नियमों ने भूमि-पतियों को सेवक की स्थिति में ला दिया परन्तु इससे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। जिन किसानों को अपनी पैदावार का आधा भाग लगान के रूप में देना पड़ता हो तथा इसके प्रतिरिक्त कुछ धन्य कर भी देने पड़ते हो, और फिर उसे अपना शेष अनाज सरकारी व्यापारियों को सस्ती दरों पर बेचने के लिए बाध्य किया जाता हो तो ऐसी विरोधी परिस्थितियों में किसानों के लिये सुखी अथवा सम्पन्न रहना सम्भव ही नहीं था। ये ठीक है कि किसानों को अपना अनाज शहर के बाजार में ले जाने की मुश्किल से छूट मिल जाती थी अथवा उन्हें वहाँ के मध्यस्थों और दलालों के प्रत्याचार का शिकार नहीं होना पड़ता था परन्तु जिस कीमत पर ये नाम मात्र की सुविधायें मिलती थी वह कीमत वही अधिक थी। बाजार चुनने की स्वतन्त्रता के न होने पर तथा लाभ का प्रतिशत अत्यन्त कम होने की स्थिति में यह कल्पना करना भी कि किसान सुखी एवं सन्तुष्ट होगा निरर्थक है।

अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से व्यापारी वर्ग का सन्तुष्ट रहना सम्भव नहीं थीसता। यह ठीक है कि अलाउद्दीन ने व्यापारी-वर्ग द्वारा जो अधिक लाभ कमाने, कम तोलने अथवा विभिन्न उपायों से श्रेष्ठांशों को छलने के आदी हो गये थे उस पर अनुशासनात्मक दृष्टि से दृष्टि डाली और उनमें इसके लिये लागू किया वे किसी प्रकार से अनुपादिक नहीं कहे जा सकते। कम तोलने पर शरीर में दोगुना मास बढ़वाने की आज्ञा देना किसी प्रकार से न्याय-संगत नहीं था। इसके प्रतिरिक्त उसने व्यापारियों को बाध्य किया कि वे वस्तुएँ राजधानी लायें तथा बेचें और इसके लिये उसने उन्हें एक दूसरे के लिये तथा उनके परिवार के सदस्यों को बन्धक के रूप में रखना इससे व्यापारियों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यदि इसके बाद भी व्यापारी व्यापार करते रहे तो इसका एकमात्र कारण उनकी विवशता तथा सरकारी दण्ड का भय था। दूसरी ओर राजधानी में वस्तुओं के भाव कम होने के कारण व्यापारी वहाँ अपनी वस्तुएँ लाना पसन्द नहीं करते थे। इसलिए अच्छी और बहु-मूल्य वस्तुओं का बाजार में घाना बन्द हो गया। राजधानी में उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था क्योंकि जो भी इन वस्तुओं का उपभोग करने में समर्थ थे उन्हें या तो अधिक रूप में इतना पशु बना दिया गया था कि वे इन्हें खरीद न पायें अथवा उन्हें इनके सदृश्य वस्तुएँ कम मूल्य पर राज्य की मदों में मिल जाती थीं।

इसके अतिरिक्त क्योंकि वस्तुओं के भाव राज्य द्वारा निर्धारित किये गये थे और राज्य का उद्देश्य वस्तुओं को सस्ता बेचना था इसलिये स्वाभाविक है कि लाभ का प्रतिशत अधिक नहीं रहता होगा। इसका यह अर्थ लगाना नितान्त भूल होगी कि लाभ का प्रतिशत अत्यधिक होना चाहिये। हमारा विचार केवल यह है कि व्यापार में इतना लाभ अवश्य मिले जिससे कि व्यापारी को अपनी लागत का उचित लाभ मिल सके और व्यापार को यथोचित प्रोत्साहन मिल सके। अलाउद्दीन के बाजार-नियन्त्रण में इन दोनों ही बातों का अभाव था। ऐसी स्थिति में व्यापार के पनपने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

कारिगरो को भी इस व्यवस्था से लाभ न था क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं अधिक से अधिक उत्पादन मूल्य के ऊपर नाम मात्र के लाभ पर ही विक्रय करती थी, यदि अलाउद्दीन ने उत्पादन मूल्य को अपना आधार बनाया हो। ऐसी स्थिति में कलात्मक वस्तुओं के बनाने के गृह-उद्योग को और भी धक्का लगा होगा क्योंकि इन वस्तुओं के निर्माण में माल लगाने से कहीं अधिक परिश्रम का मूल्य होता है जो कि सुल्तान आंकने के लिये तत्पर न था।

राज्य कर्मचारी भी इससे प्रसन्न नहीं थे क्योंकि साधारण मूलों पर भी उन्हें कठोर दण्ड दिया जाता था। सुल्तान की कठोरता के कारण कर्मचारी भी जनता के प्रति अत्यधिक कठोर हो गये और वे इतने अप्रिय हो गये कि लोग उन्हें महामारी से भी अधिक खतरनाक समझते थे।

इस प्रकार अलाउद्दीन के बाजार-नियन्त्रण ने एक ऐसी जीवन-प्रणाली को जन्म दिया जो सर्वसाधारण की मनोभावनाओं के प्रतिकूल थी। विलासिता और और वैभव के अभ्यस्त अमीर अलाउद्दीन के तीरस नियमों और उनसे सम्बद्ध दण्डों से ऊब गये थे और ज्यों-ज्यों सुल्तान अवस्था के कारण राज्य के कार्यों की देख-भाल में शिथिल पड़ने लगा, वैसे ही वैसे उसके स्वामीभक्त सरदार उससे विलग हो नियमों का उल्लंघन करने की दिशा में तत्पर होने लगे। अलाउद्दीन ने अपने सुधारों की धुरी सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति को निश्चित किया और यद्यपि ये धुरी राज्य के उपा-काल में तो उसे दृढ़ता प्रदान कर सकने में समर्थ हुई परन्तु राज्य की संख्या में उसे स्वयं यह अनुभव होने लगा कि जो उपलब्धियाँ उसने अर्जित की हैं वे सुप्त होने लगी हैं। यह यह भूल गया कि राज्य के गैर-सैनिक नागरिक रक्षा की दूसरी शक्ति हैं और उन्हें भी सन्तुष्ट रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि सैनिकों को।

अन्त में हम यह कह सकते हैं कि अलाउद्दीन की बाजार-नियन्त्रण की नींव इतनी कमजोर थी कि उसकी मृत्यु के साथ ही उसे भी उसकी कद्र में दफना दिया गया। यह अपेक्षित भी था क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन न तो इतना योग्य था कि वह वह इस ताने-बाने को सुरक्षित रख सके और न ही उसकी इच्छा

अथवा इन नियमों की आवश्यकता ही थी। साम्राज्यवाद का अध्याय अलाउद्दीन के साथ ही समाप्त हो गया था और मंगोल आक्रमणों का तूफान भी शान्त हो रहा था। इसलिये जब एक बड़ी सेना को रखने की आवश्यकता ही नहीं रही तब बाजार-नियन्त्रण भी अनुपयोगी हो गया। बाजार नियन्त्रण आपत्काल की उपज थी और उसके समाप्त होत ही इन नियमों का जोखलापन भी स्पष्ट हो गया। डा. पी. सरण ने 'स्टडीज इन मेडिवाल इंडियन हिस्ट्री' में लिखा है कि, "मुल्तान की सम्पूर्ण नीति केवल एक ही निष्कर्ष को स्पष्ट करती है कि यह पूर्णतया तर्कहीन और बनावटी थी तथा आर्थिक मिद्वान्तों का प्रकट रूप से उल्लंघन थी।"

अलाउद्दीन के अन्तिम दिन तथा मृत्यु

अलाउद्दीन के अन्तिम दिन कष्ट-मय बीते। तबीन मुसलमानों ने जो उसकी नीति से नितान्त असन्तुष्ट थे उसका वध करने का पथग्रन्थ रचा परन्तु मुल्तान को उसकी मूचना मिल गई। उसने लगभग 20 से 30 हजार का वध करवा दिया और उनके बीबी-बच्चों के साथ भी अनुचित व्यवहार किया। अलाउद्दीन बुद्धि और शरीर से अब एक चुका था और वह अत्यधिक सन्देशपूर्ण प्रवृत्ति का हो गया था। इसलिये उसने अपने सभी योग्य सरदारों को दिल्ली से दूर भेज दिया परन्तु उसके बाद भी वह अपने परिवार पर नियन्त्रण न रख सका। हरम पथग्रन्थों का केन्द्र बन गया।

लिज्जत्वा की पत्नी मलिका-ए-जहान अपने पति से उदासीन हो, अपने भाई अलपला के साथ मिलकर नायब काफूर की शक्ति को तोड़ने में लग गई। फरवरी 1312 ई. में लिज्जत्वा का विवाह अलपला की एक पुत्री से कर दिया गया और लिज्जत्वा को मिहामन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। 1313 ई. में काफूर के देवगिरि के अभियान में जाने के कारण मलिका-ए-जहान व अलपला राजधानी में प्रभावशाली हो गये। इस समय मलिका-ए-जहान ने अपने दूसरे पुत्र शादीवा का विवाह अलपला की दूसरी पुत्री से कर दिया और लिज्जत्वा का विवाह देवल देवी से कर दिया।

अलाउद्दीन इन घटनाओं की बड़ी मतर्कता से देख रहा था और यह अनुभव कर रहा था कि सत्ता उसके हाथों से निकल रही है। इसलिये उसने अपने विश्वासपात्र मलिक काफूर को 1315 ई. में दक्षिण से वापिस बुला लिया। परन्तु मलिक काफूर में स्वामीभक्ति अब तक काफी कम हो चुकी थी इसलिये उसने यह देखकर कि मुल्तान का समय निकट था गया है स्वयं अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसने मुल्तान को विश्वास दिलाया कि लिज्जत्वा, मलिका-ए-जहान व अलपला उसके शत्रु हैं तथा इनके रहने हूये उसे शान्ति मिलना सम्भव नहीं है। उसने अलपला को मर्हल हो म मार दिया, मलिका-ए-जहान को कैद कर लिया व लिज्जत्वा को पहने अनरोहा भेजा तत्पश्चात् खालियर के किले में कैद कर दिया

गया। मलिक काफूर अब सर्वोसर्वा था। केन्द्र में इन कुचकों को देखते हुये गुजरात-चित्तौड़ व देवगिरि में विद्रोह होने लगे। गुजरात में छलपखों की सेना ने विद्रोह किया परन्तु काफूर उसको दबाने में असमर्थ रहा। चित्तौड़ में हम्मीरदेव ने मालदेव को चुनौती दी और देवगिरि में रामचन्द्रदेव के दामाद हरपालदेव ने तुकों को बाहर निकाल कर अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। अलाउद्दीन अपनी छात्रों के सामने अपने साम्राज्य को विघटित होते देखता रहा और सम्भवतः इसी मानसिक पीड़ा के कारण 5 जनवरी, 1316 ई. को उसकी मृत्यु हो गई।

अलाउद्दीन का मूल्यांकन

अलाउद्दीन ने सल्तनत काल के शासकों में स्वयं को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सिद्ध किया। एक नगण्य स्थिति से उठकर वह सुल्तान बना और इसके लिये उसने उन सभी साधनों का उपयोग किया जो सत्ता-प्राप्ति में सहायक हो सकते थे। अपने संरक्षक व चाचा जलालुद्दीन के वध से आरम्भ होकर ये नवीन मुसलमानों की हज़ारों की संख्या के वध में समाप्त हुये। उसके लिये साध्य से ही साधन की श्रेष्ठता स्थापित होती थी। उसका विश्वास आतंक, भय, रक्तपात, कठोरता तथा अनुशासन में था और इन्हीं आधारों पर उसने सत्ता की नींव रखी थी। दया, क्षमा, सहिष्णुता के गुणों का उसमें पूर्णतया अभाव था।

परन्तु अलाउद्दीन एक कर्मठ सैनिक, कूटनीतिज्ञ, महान विजेता तथा एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। भिलसा व देवगिरि के अभियानों में उसने अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया जिसे उसने रणथम्भौर और चित्तौड़ विजय कर प्रमाणित किया। मंगोलों के विरुद्ध सफल अभियान कर उसने अपना पराक्रम व कूटनीतिज्ञता दर्शाई। दक्षिण के प्रदेशों को पहली बार सल्तनत के प्रभाव क्षेत्र में लाकर उसने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का परिचय दिया। यह उसने उस समय किया जब दिल्ली पर मंगोलों के तूफान के बादल मंडरा रहे थे। परन्तु इसके साथ एक व्यावहारिक शासक होने के नाते वह समझ सका कि दक्षिण के इन प्रदेशों पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करना सम्भव न होगा इसलिये उसने इन राज्यों को करद-राज्यों की श्रेणी में रक्खा।

शासन-प्रवन्ध के रूप में भी अलाउद्दीन ने अपनी श्रेष्ठता कई आधारों पर सिद्ध की। उसने अनेक नये प्रयोग किये और कम से कम उसके जीवन-काल में वे सफल रहे। उसने एक शक्तिशाली सेना का संगठन किया और उसके वेतन का भुगतान नकद रूप से आरम्भ किया। सेना के व्यय को वहन करना अत्यधिक कठिन था परन्तु सेना को रक्षना परमावश्यक था इसलिये उसने बाजार-नियन्त्रण की नीति अपनाई और राजस्व की मात्रा काफी बढ़ा दी। उसने स्थायी सेना रखने, घोड़ों को दायने, सैनिकों का हुलिया लिखने आदि की व्यवस्था की। इस क्षेत्र में यह पहला सुल्तान था जिसने इन सुधारों को लागू किया हो। साथ ही वह पहला

सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की नीति अपनाई थी।

अलाउद्दीन की सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि उसका शासन और राज्य शक्ति एवम आतंक पर आधारित था इसलिये उसकी मृत्यु के बाद चार साल ही के समय में यह नष्ट हो गया। यदि अलाउद्दीन इसके लिये उत्तरदायी था तो उसके उत्तराधिकारियों को भी उनके उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। कोई भी कठोर व व्यवस्थित शासन के लिये दुर्बल सुल्तानों के समय में अधिक समय तक बने रहना सम्भव ही नहीं था। परन्तु इसके बाद भी उसके सिद्धान्त जीवित रहे और बाद के शासकों ने उन्हें अपनाकर लाभ उठाया।

अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी

शिहाउद्दीन उमर और भक्ति काफूर—सुल्तान अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात् काफूर परिस्थितियों का स्वामी हो गया। उसने मृत सुल्तान के दरबार के दूसरे दिन राज्य के सभी अमीरों तथा अधिकारियों को बुलाकर सुल्तान का एक जाली उत्तराधिकार पत्र दिखाया। इसमें नाबालिग उमरखा को सिद्दासन के लिए नामजद किया गया था। अमीरों ने सुल्तान के मुहर वाले दस्तावेज को आदेश स्वीकार किया। बालक उमरखा शिहाउद्दीन उमर खरजी के नाम से गद्दी पर बिठा दिया गया। काफूर स्वयं उसका संरक्षक बनकर राज्य-कार्य करने लगा। काफूर गद्दी हड़पना चाहता था। उसकी नीति यह थी कि भूतपूर्व सुल्तान के सभी महजरादों का एक-एक करके वध कर दिया जावे। नपुंसक होने पर भी काफूर ने सुल्तान की मा से विवाह कर लिया। फिर उसने मनिब मम्बूल को खालियर में नियुक्त कर उस महजरादे निःशस्त्रा की आँखें निकाल लेने का काम सौंपा। इस नृशम कार्य के लिए उसे ऊँचा पद देने का वचन दिया गया, तथा दूसरे महजरादे शादी खा के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया गया। एक उस्तरे से उसकी आँखें खरबूजे की पाक की तरह निकाल ली गईं। इनकी मा मलिका ए-जहां के आभूषण और सम्पत्ति छीन कर उसे खालियर भेज दिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन के अन्य दो पुत्रों को भी अपना करके काफूर स्वयं को अब पूर्ण सुरक्षित समझ रहा था। सुल्तान शिहाबुद्दीन उमर को वह बालक की तरह सिद्दासन पर बैठा देता था और उच्च अधिकारियों तथा अमीरों को अपनी उपस्थिति में दरबार में खड़ा कर अलाउद्दीन की तरह ही सम्बोधित किया करता था। वह अपने मित्रों में साथ अलाउद्दीन के सभी वंशज और उसके समय के अधिकारियों को मार्ग से हटाने के उपायों विचार-विमर्श किया करता था।

लेकिन काफूर की योजनाएँ उसके मन में ही रह गईं क्योंकि वह पंतीय दिन तक ही सत्ता का उपयोग कर सका। उसकी उद्वेगना तथा शक्ति के दुरुपयोग करने से पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी सुरक्षा के लिए चिन्तित हो गए और वे उसके विरुद्ध षडयन्त्र रचाने लगे।

काफूर ने मृत-सुल्तान के पुत्र मुबारकशाह को भी अन्धा करने की कोशिश की परन्तु वह काफूर से भी अधिक तेज निकला। उसने हत्यारों को सुल्तान अलाउद्दीन की याद दिलाकर उनकी खूब भावनाओं को उकसाया और न केवल अपनी जीवन-रक्षा ही करने में समर्थ हुआ अपितु काफूर की हत्या करने के लिये प्रेरित कर सका। इन्होंने दूसरे पदाति सैनिकों से मिलकर 11 फरवरी 1316 ई. को काफूर का अन्त कर दिया।

कुतुबुद्दीन मुबारकशाह

काफूर की हत्या के बाद मुबारकशाह को बन्दी ग्रह से मुक्त कर उसे शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बनाया। दो माह के अल्पकाल में ही मुबारकशाह ने शिहाबुद्दीन को अन्धा कर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। मुबारकशाह, 18 अप्रैल, 1316 ई. को कुतुबुद्दीन मुबारकशाह के नाम से सुल्तान बना। अपने राज्याभिषेक के समय अमीरों और मलिकों को अनेक उपाधियाँ तथा उपहार दिये गये।

सुल्तान ने अलाउद्दीन के कठोर नियमों को समाप्त कर अमीर-वर्ग को अपनी ओर मिला लिया। बाजार-नियन्त्रण सम्बन्धी कठोर दण्डों को हटा दिया। अमीरों की ज्वत् की हुई भूमि को लौटा दिया गया तथा उनके वेतनों में बढ़ोतरी की गई। हसन नामक सामान्य दास को जिस पर सुल्तान की विशेषाङ्कना थी, खुसरो खाँ की उपाधि से विभूषित किया तथा उसे मलिक नायब के इक्ता और वेतन दिया गया। फिर थोड़े समय बाद उसे अपना बजीर बना लिया। सुल्तान के इस व्यवहार से अन्य अमीर असन्तुष्ट थे क्योंकि वे एक सामान्य गुलाम की पदोन्नति इतनी शीघ्रता से होते हुये नहीं देख सकते थे।

सुल्तान बनने के बाद लगभग दो वर्ष तक वह बड़ी तत्परता और निष्ठा से कार्य करता रहा परन्तु तत्पश्चात् वह विलासिता, व्यभिचार आदि में बुरी तरह फँस गया और स्वाभाविक था कि शासन शिथिल और अव्यवस्थित हो गया।

उसके समय की घटनाओं में 1316 का गुजरात अभियान पहली घटना है। इस वर्ष नाजी मलिक तुगलक और एतुल्मुल्क मुल्तानी को गुजरात विजय के लिये भेजा गया। अलाउद्दीन के अन्तिम समय से ही गुजरात पर खलजियों का अधिकार समाप्त हो चला था। सुल्तान ने अपने श्वसुर जफरखाँ को गुजरात का हाकिम नियुक्त किया था और उसने शासन को इतनी अच्छी तरह व्यवस्थित किया कि कुछ ही समय में वह वहाँ अत्यन्त लोकप्रिय हो गया। उसकी लोकप्रियता सुल्तान के लिये असहनीय थी, अतः सुल्तान ने उसका बध करवा दिया और उसकी जगह पर हिंसामुद्दीन को गुजरात का हाकिम नियुक्त किया। हिंसामुद्दीन न तो लोकप्रियता ही प्राप्त कर सका और न ही शासन को व्यवस्थित कर पाया। अतः सुल्तान ने उसके स्थान पर बहीउद्दीन कुरैशी को हाकिम बनाकर भेजा।

1318 ई. में सुल्तान स्वयं देवगिरि के शासक हरपालदेव का विद्रोह दवाने के लिये गया। मुसरोसा भी सुल्तान के साथ था। सुल्तान ने बिना किसी प्रतिरोध के देवगिरि पर अधिकार कर लिया तथा हरपालदेव को बन्दी बना लिया। सुल्तान ने उसके साथ नृशमता का व्यवहार करके उसकी जिन्दा ही खाल सिलवा ली। मलिक यकलीसा को देवगिरि का शासक नियुक्त किया। उसके विद्रोह करने पर उसे बन्दी बनाकर दिल्ली बुलाया गया जहाँ उसके नाक, कान काट दिये गये।

इसके बाद सुल्तान के दिल्ली लौटने समय ही रास्ते में उसके चाचा ने उसके विरुद्ध पडयन्त्र किया। बरनी लिखता है कि, "उसने देवगिरि के कुछ विद्रोहियों को अपनी ओर मिलाकर यह पडयन्त्र रचा कि जब सुल्तान अपनी स्त्रियों के साथ मदिरा पान और भोग विलास में ग्रस्त घाटी सागीन से गुजरे तो उसके सिलहदारों, जादागों और पायकों की अनुपस्थिति में कुछ सवार नंगी तलवारों लिए हुए उसकी स्त्रियों के बीच में घुस जायें और सुल्तान कुतुबुद्दीन की हत्या कर दें। फिर मलिक अमदुद्दीन, जो सुल्तान का भाई और राज्य का उत्तराधिकारी था, उस स्थान पर छत्र धारण करे।" लेकिन एक पडयन्त्रकारी ने भेद को खोल दिया और सागीन घाटी के पहाड़ पर मलिक अमदुद्दीन, उसके भाइयों तथा सहायक पडयन्त्रकारियों को रातों-रात बन्दी बनाकर शाही शिविर के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली की ओर भागे बढ़ते हुए सुल्तान ने खालियर में आदेश भिजवाया कि लिज्जता, शादी खाँ और जिहाबुद्दीन को (जिन्हें पहले से ही घन्घा किया जा चुका था) कत्ल कर दिया जावे। उनकी माताओं तथा स्त्रियों को दिल्ली बुलाकर उन्हें भी कत्ल करा दिया गया।

शारम्भिक मफलताओं ने सुल्तान सुवारक की बुद्धि खराब कर दी और अमदुद्दीन के पडयन्त्र ने उसे मन्देही प्रवृत्ति का बना दिया। वह व्यवहार में क्रूर एवं शासन में उदामीन हो गया। मुसरोसा अपने दुराचार तथा व्यभिचार के कारण सुल्तान की निगाहों में चढ़ना गया। उसके प्रभाव में आकर सुल्तान ने अनेक सरदारों को अपमानित किया। उसने मलिक तबर को दरबार से निष्कासित कर दिया। उसने मलिक तुन्वगायगदा के मुह पर, जो मुसरोसा की ओर से सुल्तान को सावधान करना चाहता था, चाँटे मारे और उसका पद तथा टुकना जल कर दिया। सुल्तान ने सुमरो खाँ पर विश्वास कर लिया कि अमीर उसके विरुद्ध पडयन्त्र रच रहे हैं। सुल्तान का मुसरोसा से प्रेम दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया। उसने अपने भाई लिज्जता की विधवा पत्नी देवक देवी से विवाह कर लिया। वह बहुत ही कामुक बन गया, उसे नग्न स्त्री पुरुषों की सगन पसन्द थी।

डा ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में "मनुष्य को चरित्रहीन पतन की घरम सीमा पर पहुँचा देने वाले घृणित आचरण उसके दैनिक जीवन में प्रमुख स्थान पाने लगे। बहुधा वह स्त्रियों जैसी वेग-भ्रूया धारण कर तथा शरीर को चमक-दमक वाले

गहनों से सजाकर वेश्याओं के साथ नगर में निकल पड़ता और सरदारों के घरों में नाचता फिरता था। उसके पदाधिकारियों एवं सामन्तों ने इसका विरोध किया था परन्तु उसके विरोध का कोई परिणाम नहीं निकला।”

सुल्तान पर खुसरोखा का प्रभाव बढता गया। वह सुल्तान की हत्या करके गद्दी ड़डपने के पडयन्त्र रचने लगा। तरह-तरह के बहाने बनाकर उसने सुल्तान के चारों ओर अपने विश्वसनीय और सजातीय लोगों को नियुक्त करवा दिया। जियाउद्दीन ने सुल्तान को खुसरोखा की ओर से सावधान किया, पर उसने अपने शिक्षक की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। खुसरो का पडयन्त्र पूरा हुआ और तारीख-ए-मुबारकशाही के लेखक के अनुसार, “सुल्तान कुतुबुद्दीन का 26 अप्रैल, 1320 की रात्रि को वध कर दिया गया। पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार खुसरो खाँ के गमर्थक महल में घुस आए। उस समय खुसरोखाँ सुल्तान के पास ही बैठा हुआ था। सुल्तान ने कोलाहल सुनकर खुसरोखाँ में पूछा कि महलों में नीचे और कैसा हो रहा है। तो खुसरोखाँ ने उत्तर दिया कि कुछ थोड़े खुल गए हैं और लोग उन्हें घेर कर पकड़ रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में सुल्तान को पडयन्त्र का बोध हो गया। वह अपने अन्तःपुर की ओर भागा। खुसरोखाँ ने दौड़ कर उसके केश पीछे में पकड़ लिए। सुल्तान ने खुसरोखाँ को जमीन पर गिरा दिया, पर इसी समय हत्यारं पडूच गए और एक ने सुल्तान का सिर काट लिया। मध्य रात्रि को ही दरवार लगाया गया। अमीरों तथा सरदारों से बलात् स्वीकृति लेकर “खुसरोखाँ नासिरुद्दीन” की उपाधि धारण कर गद्दी नशीन हुआ। उसका विरोध करने का माहम किसी में भी डमलिये नहीं था क्योंकि वह मृत सुल्तान कुतुबुद्दीन की कृपा से लगभग 40,000 बरवारियों की सेना इकट्ठी कर चुका था और ये सब सैनिक उसके निष्ठावान समर्थक थे।”

नासिरुद्दीन खुसरो शाह

खुसरो शाह धर्म परिवर्तित मुसलमान था इसलिए उसे गुजराती हिन्दू सैनिकों का पूरा समर्थन प्राप्त था। जब वह सुल्तान बना तो उसने शाही हरम और अमीरों तथा सरदारों की स्त्रियों को उनके मजातियों में वाट दिया। खुसरोशाह ने हिन्दू प्रभुत्व की स्थापना करनी चाही। अतः उसने बरवारियों को जो उसके सजातीय थे ऊँचे पद दिये, इस्लाम धर्म के प्रति घृणापूर्वक व्यवहार किया। उसने राजमहल के अन्दर हिन्दू देवी देवताओं की स्थापना की, मन्जिदों में मूर्तियाँ स्थापित की और कुरान को इन मूर्तियों का आसन बनाया।

धरनी के इस विवरण में अतिशयोक्ति जान पड़ती है, लेकिन इस बात में सन्देह नहीं कि उसने इस्लाम का पराभव और हिन्दू धर्म को पुनः स्थापित करना चाहा। इन कारण खुसरो के विरोधियों की मंदा बढने लगी। तुर्कों अमीरों और भारतीय मुसलमानों का लम्बे समय में चल रहा संघर्ष उग्र हो गया। अतएव अमीरों को लम्बे समय तक नियन्त्रण में रखना असम्भव था, क्योंकि वे सब शासकीय जाति

के थे। वे विजेता खुसरो और बरबारियों के निम्न कुल के होने के कारण अस्पृश्य घृणा करते थे। ऐसे समय में गाजी मलिक तुगलक ने जो कि दीपालपुर का सूबेदार तथा सीमारक्षक था, इस स्थिति से लाभ उठाना चाहा। अस्तित्व भलाई सरदारों में से एक मलिक फखरुद्दीन जूना ने जो कि गाजी मलिक का पुत्र था, उसने राजधानी से अपने पिता को सारे समाचार लिख भेजे। वह स्वयं भी अपने समर्थकों सहित वहाँ जा पहुँचा। इस प्रकार गाजी मलिक ने दुर्गचारी खुसरो तथा इस्लाम के शत्रुओं से प्रतिशोध लेने की नीति अपनाई। उसने सेना को लेकर दिल्ली को घेर ब्रूच किया। साम्राज्य के अधिकतर सरदार गाजी मलिक के साथ ही गए। इनमें में केवल मुल्तान का हाकिम ही तटस्थ रहा। मार्ग में ममाना के सूबेदार मलिक यक़लबी ने उसका मुकाबला किया, लेकिन वह पराजित हुआ और अपने ही घादमियों द्वारा उसे मार दिया गया। मिरसा के निकट खुसरोशाह के भाई हितामुद्दीन ने गाजी मलिक का मुकाबला किया पर वह भी बुरी तरह पराजित हुआ।

खुसरोशाह फखरुद्दीन जूनाला के दिल्ली में चले जाने के बाद ही स्थिति को माप चुका था। वह युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने गाजी मलिक का सामना करने के लिए अपने सैनिकों को अग्रिम बैठन दिया, लेकिन फिर भी नैतिक रूप से प्रतीत ये सैनिक गाजी मलिक के सम्मुख नगण्य थे। सैन्य संचालन में अनुभवहीनता और अनुशासन के अभाव के कारण खुसरो के पक्ष की पराजय प्रारम्भ से ही निश्चिन थी। जब राजधानी के निकट स्वयं खुसरोघाट और गाजी मलिक की सनाए आमने-सामने हुई तो प्रारम्भ में खुसरो को कुछ सफलता मिली लेकिन अन्त में वह बुरी तरह पराजित हुआ और उसका बध कर दिया गया। खुसरो के समर्थकों को ब्रूच कर उनकी भी इसी प्रकार की दुर्गति की गई। इस प्रकार राजधानी के अमोरों तथा सरदारों ने राजमहला को चावियाँ गाजी मलिक को सौंप दी। तब बृद्ध गाजी ने शासक का पद ग्रहण करने में सकोच करते हुये अलाउद्दीन के परिवार के किसी जीवित सदस्य की जानकारी चाही। अमोरों और सरदारों ने बताया कि अलाई बश का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है। गाजी से सत्ता सम्भालने की प्रार्थना की गई तो वह अनमने मन से गद्दी पर बैठने को सहमत हो गया। गाजी मलिक "गयामुद्दीन तुगलक शाह" के नाम से 8 फरवरी, 1320 को गद्दी पर बैठा। इस प्रकार खलजी वंश का पतन तथा तुगलक वंश का उदय हुआ।

तुगलककालीन भारत

गयासुद्दीन तुगलक (1320-25 ई.)

नाम तथा जातीय उद्भव—गयासुद्दीन तुगलक ने एक नये वंश की नींव डाली परन्तु यह कहना कि तुगलक किसी वंश अथवा नस्ल का नाम था, भूल होगी। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा में स्पष्ट लिखा है कि तुगलक उसका व्यक्तिगत नाम था, जाति नहीं। अफीफ ने भी इसकी पुष्टि की है। उसके अनुसार तुगलक इस वंश के प्रथम शासक का नाम था। फिर इसकी पुष्टि मुहम्मद बिन (पुत्र) तुगलक अर्थात् तुगलक का पुत्र से होती है।

इधनवतुता के अनुसार तुगलक तुर्कीस्तान व सिंध के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में बसने वाले करीना कबीले के थे, परन्तु करीना शब्द की नस्ली तथा शब्द-व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं हो पाई इसलिए इसको स्वीकार करना सम्भव नहीं है। प्रो. निजामी करीना को मिश्रित जाति का मानते हैं जिनके पिता तातार व माताएँ भारतीय थीं। फरिश्ता के अनुसार गाजी तुगलक का पिता मलिक तुगलक बलबन का एक तुर्क दास था जिसने एक स्थानीय जाट परिवार की स्त्री से विवाह किया था। उनका पुत्र गाजी तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के मिह्रासन पर बैठा।

तुगलक के भारत में आने की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाई है। क्योंकि समकालीन इतिहास में तुगलक के भारत में आने की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए यह अनुभव होता है कि उसका जन्म भारत में ही हुआ होगा। सर्वप्रथम हमें तुगलक की जानकारी जलालुद्दीन खल्जी के समय में मिलती है जब उसे सुल्तान के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी योग्यता से वह प्रगति करता गया और 1305 ई. में अलाउद्दीन ने उसे दीपालपुर का सूबेदार और सीमा-रक्षक नियुक्त किया। तुगलक ने मुल्तान फिर दीपालपुर के राज्यकाल के रूप में प्रशासनीय सेवायें कीं और मंगोलों की सीमा के अन्तर्गत क्षेत्रों से भी राजस्व वसूल किया। अलाउद्दीन के शासनकाल में यद्यपि वह विशिष्ट अमीरों में से था परन्तु इसके बाद भी उसने मलिक काफूर की क्रूरता के विरुद्ध कुछ नहीं किया जो अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों का अन्त कर शासन को स्वयं हथियाना चाहता था। खुशारवशाह के समय में वह अपने पद पर बना रहा। तत्पश्चात् उसने खुशारवशाह

को समाप्त कर दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया और 8 मिनम्बर 1320 ई. को मुल्तान बन गया।

उसकी कठिनाइयाँ—गद्दी पर बैठने के समय गयासुद्दीन के सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं। अनाउद्दीन की व्यवस्था पूर्णतया ध्वस्त हो चुकी थी और रही सही कमी मुबारकशाह खल्जी और खुशरवशाह ने पूरी कर दी थी। दोनों ही मुल्ताना ने अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिए सैनिकों में मुक्त-हस्त से धन बाँटा था जिसके कारण काफ़ी खाली हो गया था। मरदारा और दरबारियों में धन लोलुपता, विलासिता और अकर्मण्यता बूट बूट कर खा गयी थी। पर तब दुसरे अधिक महान समस्या सूबेदारों और अधीन शासकों को दिल्ली के अधीन रखने की थी। सिंध नाममात्र के लिए दिल्ली के अधीन था। वहाँ के शासक उमर न यट्टा और निचल सिंध पर अधिकार कर लिया था। गुजरात से ब्राह्मणमुक्त का बुना तैम के बाद वहाँ विद्रोह होने लगा तथा व्यवस्था स्थापित करने के सब प्रयत्न निष्फल रहे थे। राजपूताना में चित्तौड़ जागीर और जालौर पर राजपूतों के आक्रमण बढ गए थे। बंगाल पहले से ही दिल्ली में तनत के लिये एक समस्या प्राप्त था और अब मानवा तथा बुन्देलखण्ड में भी जगह जगह विद्रोह होने लगे थे।

दक्षिण के राज्या ने दिल्ली की अधीनता को उतार फेंकने के प्रयत्न आरम्भ कर दिये थे। तैमगाना के शासक प्रतापरुद्र देव ने स्वयं को स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया था और उसने पश्चिमी घाट पर अपने राज्य का विस्तार भी कर लिया था। इसी प्रकार होयसल प्रदेश भी दिल्ली की सत्ता से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील था।

इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक के सामने आन्तरिक और बाहरी समस्यायें मुह फाटे खड़ी थीं। गयासुद्दीन यद्यपि मुख्य रूप से एक सैनिक था परन्तु फिर भी उसने अपने प्रशासकीय अनुभवों के व्यक्तित्व गुणों से इन समस्याओं का समाधान निकाला तथा जनता को शांति और सृष्टि प्रदान की। कुछ ही समय में ऐसा अनुभव होने लगा जब अलाउद्दीन पुनर्जीवित हो गया हो।

आन्तरिक व्यवस्था—गयासुद्दीन के लिये प्रमुख समस्या थी कि वह रिक्त राजकोष को भरे। इस दिशा में उसने राजस्व मुधार की ओर ध्यान दिया। वह यह अनुभव करता था कि न तो अलाउद्दीन के बटोर नियम और न ही उसके उत्तराधिकारियों की उदारता उस समस्या को हल कर सकती। अतः उसने प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में मसुलत अथवा मध्यवर्ती मार्ग को अपनाया।

उसने तीन स्तरों पर इसका समाधान करने की नीति अपनाई—अर्थात् मुत्ताओं (प्रांतीय राज्यपाल), मुकद्दमों (गाव के मुखिया) के किमान। क्योंकि मोटे रूप से किमान भूमि से अधिक सम्बन्धित था इसलिए बगैर उनकी स्थिति को मुधारें हुए आर्थिक स्थिति को मुधारना सम्भव नहीं था। उसने यह आदेश दिया

कि किसानों से इस प्रकार व्यवहार किया जावे कि वे अधिक समृद्ध हो विद्रोह के लिए उत्सुक न हों और न ही उनसे इतना राजस्व वसूल किया जावे कि वे इसके बोझ के कारण खेती छोड़ने के लिए बाध्य हो जावें। अलाउद्दीन की कठोर राजस्व नीति ने किसानों की कमर तोड़ दी थी और उनकी कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो गई थी। खेती से होने वाले लाभों से वंचित किये जाने पर उन्हें उसकी उन्नति में कोई रुचि नहीं रह गई थी। कर के बोझ ने उन्हें दरिद्र और अर्पण बना दिया था। मुकद्दम आदि भी क्योंकि अपने परम्परागत अधिकारों से वंचित कर दिये गये थे इसलिए उनकी स्थिति भी दयनीय थी। इन दोनों की खराब स्थिति का प्रभाव आनुपातिक रूप में मुक्ताओं पर पड़ना भी स्वाभाविक था।

गयासुद्दीन ने सबसे पहले किसानों के कर का बोझ हल्का करने के लिये अलाउद्दीन की नपाई की नीति को त्याग कर उसकी जगह साभेदारी का नियम लागू किया। इससे दो लाभ हुये। प्रथम इससे किसान को यह विश्वास हो गया कि खेती की उन्नति में उसका लाभ भी निहित है। दूसरे फसल की आंशिक अथवा पूर्ण खराबी का ध्यान रखा गया। प्रो. निजामी¹ ने लिखा है कि, "यह आवश्यक नहीं रह गया था कि संकट की स्थितियों का विचार किया जावे या उन क्षेत्रों में अन्तर किया जावे जिनमें फसल हुई या जिनमें नहीं हुई।"

बरनी राज्य की मांग के हिस्से के बारे में स्पष्ट नहीं है। उसने लिखा है कि, सुल्तान ने आज्ञा दी कि इत्का के दसवें अथवा ग्यारहवें भाग से अधिक कर निश्चित न करें। यदि उसके इस कथन को स्वीकार कर लिया जावे तो इसका अर्थ होगा कि राजस्व के रूप में केवल 1/10 अथवा 1/11 भाग वसूल किया जाने लगा। परन्तु सुल्तान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये इसे मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि सुल्तान यद्यपि किसानों को राहत पहुंचाने के पक्ष में था परन्तु साथ ही साथ वह राज्य की अर्थ व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना चाहता था 1/10 अथवा 1/11 भाग वसूल कर आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना तितान्त असम्भव था। अधिकतर यह सम्भावना थी कि उसने भूमि कर के रूप में परम्परागत उपज का 1/5 भाग लेना निश्चय किया हो। इससे उसके दोनों ही उद्देश्य पूरे हो जाते थे। उसने इसके साथ ही यह शर्त भी लगा दी हो कि एक साल में कर में 1/10 अथवा 1/11 से अधिक की वृद्धि न हो, यदि ऐसा करना सम्भव हो। इस नियम की पूर्ति बरनी के उस कथन से होती है जिसके अनुसार सुल्तान ने आदेश दिया था कि भूमि कर धीरे-धीरे और थोड़ा-थोड़ा बढ़ाया जावे क्योंकि अचानक बढ़ोतरी से खेती नष्ट हो जावेगी तथा समृद्धि में रुकावट आ जावेगी। सुल्तान ने अपने अधिकारियों को बार-बार कर बढ़ाने के विरुद्ध आगाह किया, क्योंकि इससे किसान जोत में रुचि लेना कम कर देंगे अथवा नई भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे।

विमानों की सुविधा देने के पश्चात् उक्त भूकदमा की शोर ध्यान दिया । उक्त धनामुद्रीन की नीति में साम्या नहीं थी कि इस वर्ष को सामान्य क्रियाएँ के स्तर पर रहना जावे । इसमें विपर्यय यह सीमित धावाएँ पर उक्त परम्परागत परिधारा के इन क पक्ष में था । इसलिए उसने उक्त का शोर परराष्ट्रों का यह मुक्त कर दिया परन्तु साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान दिया कि वे इन की प्रविष्टता में बाधा न दिशा न इन जावे शीर सागन में परिधारा का भी न भूले । इसमें परराष्ट्र उक्त मुक्त (पहलगा) के भूमि कर समूह करके में सामान्य व्यवहार में नियम को बनाए शीर विमानों को उक्त धनावाचारा में बचान में निश्च भी समी उपाय लागू किए ।

धनामुद्रीन में इन मुधारों में निश्चिन्त शी राजस्व को बढ़ाया पर तु वह उच्चारी प्रका के धाधार पर भू राजस्व को इकट्ठा करने की दृष्टि में प्रारम्भ की पूर्ण तरह में उगाह सका पर्याय राजस्वको क पक्ष देने पर ही धारणाएँ हुई थे । परन्तु धना पर भी उक्त इन पर प्रकृत महान का सकल प्रयत्न किया । उक्त रहना था कि व ईमानदारी में काम करते हुए अपने पद के हक (समान पर 1/20 या 1/22 प्रपथा 1/10 या 1/15 भाग) का लक्ष्य कर करते थे । उक्त महापक्ष भी अपने वेतन के प्रतिशत 1/2 प्रतिशत या 1 प्रतिशत धन महान में से करते थे किन्ती भी दत्ता में इनमें परिधि नहीं ।" शी विमानों में लिखा है कि "यदि वे इन नियम का अल्पन करें तो उन्हें बोन मार मार कर उनका प्रकृत दूर कर उनका अल्पन करना या शीर पूरा कर समूह करना था ।" शी विमानों में उक्तकी नू व्यवस्था का अनुधारन करते हुए लिखा है कि उक्त साथ में नियम की अल्पन साके में नियम को धीरे धीरे लागू किया तथा विमानों के हिसाब का समुचित अल्पन किया शीर धनापुनः कर बढ़ाने की नीति को ध्यायकर विमानों को उक्त तथा विस्तृत सेती से उक्त वाले लामा की गारटी थी ।

गोरतैरु ने धनामुद्रीन की भू राजस्व व्यवस्था के सम्बन्ध में लिखा है कि, 'राजस्व में धनामुद्रीन का सागन अल्पनशील रहा, कि वह कोई नवीन परम्परा साम्य में कर मना । यह वह नीति-निर्धारक ही था । यदि वह मूलभूत रूप में मैनिष था इसलिए दत्तक सना का पूर्ण ध्यान दिया । उसके बाद अर्थात् ध्यान विमानों की उत्पत्ति पर था । उनका धारणा को कि किसान अपनी भूमि को जोड़ने के साथ ही सागनों में वृद्धि कर सेती योग्य भूमि को जोड़ने में साह को कोशिश करें' " उक्त धनाधार महान की अल्पान शीर धनापुनः वृद्धि हितकर नहीं थी । राज्यों के पत्रन में कुम्भट दो ही कारण उत्तरदायी होते हैं— (1) अल्पधिकतमान तथा (2) राज्य की बढ़ती हुई माग । यह पत्रन पूरे मूदेदानों अथवा बर्माचारियों द्वारा ही पत्रपत्रा है ।"

राजकीय की दत्ता में सुधार—राजकीय करने के लिए अल्पन अनेक कदम उठाये—

(1) उसने खुसरोखां द्वारा लुटाये गये धन को बसूल किया। उसका ये विचार था कि राजकोष का धन जनता का था जिसे केवल जनता के हितों में ही खर्च किया जा सकता था। उस पर व्यक्तिगत रूप से खुसरोखां का कोई अधिकार न था, उसने पहले तो नर्मई से इसे बसूल करने की नीति अपनाई। उसकी यह नीति अधिकतर सफल रही और चरनी के अनुसार अधिकांश लोगों ने धन लौटा दिया। परन्तु जिन लोगों ने वहानेबाजी अथवा आनाकानी की, उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया गया। इसमें अमीर, शेख अथवा भौलवियों तक को न छोड़ा गया। शेख निजामुद्दीन अलिया तक से खुसरोखां द्वारा प्राप्त किये धन को लौटाने के लिये कहा गया, परन्तु वह इसे देने में असमर्थ था, क्योंकि वह धन उसने गरीबों और फकीरों में पहले ही बाँट दिया था। चरनी के अनुसार लूटी हुई धन सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने के सम्बन्ध में एक वर्ष के परिश्रम से राजकोष पहले के समान फिर मालामाल हो गया।

(2) गयामुद्दीन ने उन मलिकों तथा अमीरों को जिनको उसने इत्ताएँ दी थीं, सेना के लिए कुछ देने की सलाह दी। उसने कहा, “वह तुम्हारे हाथ की बात है कि अपने पास से सेना को कुछ दो या न दो, परन्तु सेना के लिये जो कुछ निश्चिद् हो चुका है यदि उसमें से तुम कुछ आशा रखते हो तो फिर तुम्हें अमीरी व मलिकी का नाम नहीं लेना चाहिये।”

(3) उसने इत्तादारों के साथ कठोर व्यवहार करके उनसे खराज आदि का हिस्साव पूर्णरूप से लेना शुरू किया। वे इत्तादार जो अपने इत्ता अथवा विलायत के खराज में से अत्यधिक धन अपने पास रख लेते थे उन्हें दण्डित करने के आदेश दिये। कभी-कभी अपहरण का धन उनके परिवारों वालों तक से बसूल किया जाता था।

अमीरों और दरबारियों को सन्तुष्ट करना—गयामुद्दीन ने नस्ल के आधार पर तुर्की अमीरों का सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। उसने अलाई परिवार के लिये सुख से रहने की व्यवस्था की और वे अमीर जिन्होंने उसके विरुद्ध खुसरोखां का पक्ष लिया था उसने उनको उनके पदों पर रहने दिया जिससे कि वे सन्तुष्ट रहें। उसने अलाउद्दीन के वंश की लड़कियों के विवाह करवाये तथा उन लोगों को दण्डित किया जिन्होंने पिछले राजवंश की महिलाओं के साथ प्रत्यान्वार किये थे। गयामुद्दीन की नीति का यह उदार पक्ष था। इस उदार नीति के बाद भी जो अमीर उसके विरोधी रहे उनके साथ उसने कठोरता की नीति अपनाकर उनको जागीरें व पद छीन लिये।

दानशीलता—गयामुद्दीन ने अपनी दान देने की प्रवृत्ति के आधार पर भी लोकप्रियता प्राप्त की। प्रत्येक सप्ताह वह जनता तथा विशेष व्यक्तियों को उनकी श्रेणी के अनुसार ईनाम देता था। परन्तु यहाँ पर भी वह सदैव ही मध्यम मार्ग की

नीति अपनाता था। वह न तो इतना अधिक देना था कि लोग अपय्य करें और न ही इतना कम देना था कि उनकी आवश्यकतामें ही पूरी न हों। अपनी इस नीति के कारण उस एक ऐसा वर्ग मिल सका जो उसके प्रति बकादार था तथा उसकी महायता के लिए सर्वद प्रस्तुत था।

शासन सम्बन्धी सुधार—गयासुद्दीन ने शासन के सम्बन्ध में उदार सिद्धान्तों को अपनाया। उसने अलाउद्दीन के समय के कठोर दण्डों को ममाप्त कर दिया, परन्तु इसके बाद भी वे लोग जो सरकारी धन का गवन करते थे अथवा मराज में से अत्यधिक राशि स्वयं रख लिया करते थे अथवा चोरी आदि करते थे उनको कठोर दण्ड दिये जाते थे। उसने न्याय व्यवस्था को भी ठीक किया और यदि दरती के विवरण का स्वीकार किया जावे तो उसके राज्यभूत में भेडिया और बकरी एक ही घाट पानी पीते थे। उसने शरा के नियमों के पालन के लिए काजियां, मुफ्तियों और मुह्तमियों को विशेष आदेश दिये और स्वयं भी एक सच्चे मुमनमान की तरह (शासक होने पर भी) जीवन यापन करता रहा।

उसने डाक-विभाग में भी सुधार किये। डाक को शीघ्रता में पहुँचाने के लिये उसने प्रत्येक 3/4 मील पर डाक-चौकियां स्थापित कीं और इन चौकियों पर घुड़मवार और घोषक (तेज चलने वाले) तैनात किये। इसी प्रकार से उसने सबके ठीक करार्यों तथा पुलों और नहरों का निर्माण कराया जिससे यातायात में सुविधा हो गई।

सैनिक व्यवस्था—वित्त-व्यवस्था के बाद सुल्तान ने सैनिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। अलाउद्दीन के समय का सैनिक संगठन समाप्त हो चुका था। गयासुद्दीन स्वयं एक सैनिक था और उस क्षेत्र का अनुभव होने के कारण वह सैनिकों की प्रवृत्ति को समझता था। इसलिए उसने उनके साथ पुत्रवत् व्यवहार करने की नीति अपनाकर उन्हें मनुष्ट रक्षकों का यथामन्त्र प्रयास किया। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं था कि वह सैनिकों के अनुशासन में किसी प्रकार की छील देना चाहता था। उसने अलाउद्दीन के समय में प्रचलित सैनिकों का हुलिया निखने तथा घोड़ों को दाग लगाने के नियम को कठोरता से लागू किया। सैनिकों द्वारा कायरता दिखाने पर अपवा मुद्द-क्षेत्र में जाने के लिए बहानेबाजी करने पर वह उनको कठोर दण्ड देना था। प्रो निजामी का मत है कि दो वर्षों में ही उसने सेना को इतना संगठित कर लिया था कि वह उसको सुदूर दक्षिण के अभियानों पर भेजने की मोच मक्ता था।

हिन्दुओं के प्रति नीति—गयासुद्दीन ने हिन्दुओं के प्रति अपनी उदार नीति का परिचय नहीं दिया। हिन्दुओं के प्रति उसका दृष्टिकोण रहा कि उनको न तो इतना निर्धन बनाया जावे कि वे खेती-बाड़ी छोड़ जावें और न ही उनके पास इतना धन छोड़ा जावे कि वे विद्रोह करने की तत्पर हो जावें। सुल्तान की इस नीति के कारण यद्यपि हिन्दू पहले के शासन की तुलना में अधिक सम्पन्न हो गये परन्तु इसके

वाद भी जो निकटता सुल्तान तथा हिन्दुओं के बीच हो जानी चाहिए थी वह न बन पाई। यद्यपि यह ठीक है कि उसने अन्य सुल्तानों की तरह हिन्दुओं के साथ नृशंसा का व्यवहार नहीं किया, परन्तु इसके साथ ही यह भी ठीक है कि उसने उनको उनके मान्य अधिकार भी नहीं दिये। उसने उन्हें उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जो अलाउद्दीन के समय में थी, अन्तर केवल इतना था कि वो आर्थिक रूप में अलाउद्दीन की तरह उनका शोषण नहीं करता था।

साम्राज्य विस्तार

वारंगल पर आक्रमण व विजय—प्रशासन के गठन के बाद गयासुद्दीन ने विद्रोही प्रदेशों की ओर ध्यान दिया। तेलंगाना के शासक प्रताप रूद्रदेव ने स्वयं को स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिल्ली को भेजे जाने वाले वापिक खराज को बन्द कर दिया था। गयासुद्दीन ने अपने पुत्र उलूगखां को 1321 ई. में इस अभियान का नेतृत्व सौंपा। सम्भवतः सुल्तान का उद्देश्य उस प्रदेश पर अधिकार करना था। अलाउद्दीन की तरह वह वापिक खराज लेने से सन्तुष्ट नहीं था। उलूगखां महाराष्ट्र होता हुआ देवगिरि पहुंचा जहाँ उसने कुछ नये सैनिकों की भर्ती की। तत्पश्चात् वह बगैर किसी रोक-टोक के तेलंगाना की राजधानी वारंगल पहुंच गया और दुर्ग की घेराबन्दी कर दी।

इसामी के अनुसार लगभग छः मास तक घेरा चलता रहा और कोई सफलता हाथ न लगी। उलूगखां ने प्रदेश को नष्ट करने तथा दुर्ग की सेना की आवश्यकताएं पूरे करने वाले सभी साधनों को नष्ट कर दिया। दूसरी ओर रक्षक-सेना यह मानकर कि दिल्ली से इतनी दूर अधिक समय तक घेरा चलाना सम्भव न होगा, दुर्ग की रक्षा करती रही। परन्तु दुर्ग में रसद की व्यवस्था अधिक समय तक न कर सकने की स्थिति में प्रताप रूद्रदेव पुनः खराज चुकाने के लिए तत्पर हो गया, यदि उलूगखां घेरा उठाकर चला जावे। परन्तु उलूगखां केवल सत्ता स्वीकार कराने से सन्तुष्ट नहीं था, वह तो उस प्रदेश पर अधिकार जमाना चाहता था इसलिये संधि की बातचीत को ठुकरा दिया। उलूगखां द्वारा सन्धि को ठुकराने का यह सम्भावित कारण हो सकता है कि प्रताप रूद्रदेव ने इसी प्रकार का वायदा अलाउद्दीन से भी किया था, किन्तु बाद में खराज भेजना बन्द कर दिया था। दूसरे यदि वारंगल पर पूर्ण विजय प्राप्त किये बगैर सन्धि कर ली जाती तो दक्षिण के राज्य इसे अजेय मानकर पुनः विद्रोह करते रहते और फिर दक्षिण की ओर अभियान का अध्याय आरम्भ होता।

इतने अधिक समय तक घेरा चलने के कारण सुल्तान को उलूगखां की निष्ठा में सन्देह होने लगा। इन्बन्तता के अनुसार उसे यह सन्देह होने लगा कि उसका पुत्र विद्रोह की योजना बना रहा है। परन्तु बरनी और इसामी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, यद्यपि दोनों ही को उलूगखां से कोई सहानुभूति नहीं थी। इन्बन्तता

का कहना है कि उलूगखा ने जानबूझकर अपने मित्र उबेद द्वारा यह झूठा कहवाह फैलवा दी कि सुल्तान की मृत्यु हो चुकी है जिससे सेना और सरदार उसके साथ ही जावें। परन्तु इसका परिणाम उल्टा हुआ। उसकी सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रताप रुद्रदेव से समझौता कर लिया और ऐसी स्थिति में उलूगखा सेना के साथ दिल्ली की ओर चला। जब वह देवगिरि पहुँचा तो उसके छोटे भाई महमूदखा ने जो बड़ा का राज्यपाल था, विद्रोहियों को बन्दी बना लिया तथा उन्हें दिल्ली भेज दिया जहाँ उन्हें बँडोर दण्ड दिया गया। दिल्ली में दूसरी सेना भर्ती करके उलूगखा के पास भेजी गई तथा उसे आदेश दिया गया कि वारगल की विजय पूरी करे। इस दूसरी सेना के भेजने से यह सिद्ध होता है कि इल्जवतूता का आरोप गलत था और गयासुद्दीन की उसकी स्वाभिक्ति में कोई मन्देह नहीं था। इस बार उलूगखा ने दिल्ली के साथ सखार व्यवस्था बनाये रखने की उचित व्यवस्था की।

प्रताप रुद्रदेव इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। परन्तु फिर भी अपनी पुरानी नीति के अनुसार वह इस बात का प्रयत्न करने लगा कि शत्रु को धका कर वापस लौटाने के लिए बाध्य करे। इस बार भी घेरा पाच महीने तक चलता रहा। जब दुर्ग में रमट की समाप्ति होने लगी तब राय ने आत्मसमर्पण का निश्चय किया। उसने उलूगखा के पास दून भेजकर सुरक्षा की याचना की और दुर्ग छोड़ने का प्रस्ताव रक्खा। उलूगखा ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया और कदखा के सरदारों में उसे उसके सम्बन्धियों तथा आश्रितों सहित दिल्ली भेज दिया गया। डा. बी. पी. सक्सेना के अनुसार या तो राय की मृत्यु कारागार में हुई अथवा उसने आत्महत्या कर ली। डा. आर. सी. मजूमदार का मन है कि राय को छोड़ दिया गया था और उसने या तो एक साधारण अधीन शासक के रूप में अपना जीवन समाप्त किया अथवा एक स्वतन्त्र शासक के रूप में उसकी मृत्यु हुई।

गुट्टी, कुत तथा मावार की विजयें वारगल अभियान के पश्चात् हुईं। गुट्टी के शासक गंगीदेव ने उलूगखा के सामने समर्पण किया और फिर मदुरा पर भी अधिकार कर लिया गया।

तैलगाना को दिल्ली राज्य में मिला लिया गया और उसकी राजधानी वारगल का नाम बदल कर सुल्तानपुर रक्खा गया। तैलगाना के राज्य को अनेक प्रशासनिक द्वाकाओं में बाँट दिया गया तथा मोटे रूप में हिन्दू अधिकारियों को उनके पद पर रहने दिया। उलूग खा ने अपनी उदार नीति से सुल्तानों की नीति के विरुद्ध मन्दिर आदि तोड़ने की नीति नहीं अपनाई। इतना हीते हुए भी तैलगाना पर दिल्ली का अधिकार हावाबोल ही रहा।

जाजनगर पर आक्रमण—तैलगाना के सफल अभियान के बाद 1324 ई में उलूगखा ने जाजनगर (उड़ीसा) पर आक्रमण किया। यह अभियान वहाँ के शासक भानुदेव द्वितीय को दण्ड देने के लिए किया गया था, क्योंकि उसने तैलगाना

के शासक प्रताप रुद्रदेव की सहायता की थी तथा गोंडवाना से संधि की थी। राय ने उलूगखां का विरोध किया और अन्त में पराजित हुआ। उलूगखां ने हाथियों के अतिरिक्त लूट में अत्यधिक धन प्राप्त किया जो दिल्ली भेज दिया गया। गयासुद्दीन ने इस विजय के लिए उलूगखां को सम्मानित किया।

मंगोल आक्रमण—दक्षिण अभियान पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हो पाया था कि मंगोलों ने शीरमुगल के नेतृत्व में उत्तरी-पश्चिमी सीमा के द्वार छटाखटाये। समाना के राज्यपाल, गुरजास्य, ने सुल्तान को सूचित किया कि मंगोलों की दो सेनायें सिन्ध नदी पार कर आगे बढ़ रही हैं। सुल्तान ने तुरन्त ही मलिक शादी, नायब वजीर के नेतृत्व में समाना की शीर सेना भेजी जिसने मंगोलों को पराजित किया तथा अनेक को बन्दी बना लिया।

गुजरात-अभियान—गुजरात की स्थिति अलाउद्दीन की मृत्यु के समय से ही ढावांडोल थी। गुजरात केवल नाम-मात्र के लिए ही दिल्ली सल्तनत का अंग था। गयासुद्दीन के समय गुजरात में विद्रोह हुआ परन्तु समकालीन साधनों से न तो इसके नेता के नाम की ही जानकारी मिल पाई है और न ही स्थान की। केवल इत्सामी इस और संकेत करता है। विद्रोह होते ही सुल्तान ने मलिक शादी को इसके विरुद्ध भेजा। विद्रोही दुर्ग में छिपे हुए थे। कुछ समय तक दोनों के बीच छुटपुट झड़पें हुईं, परन्तु बाद में दुर्ग वालों ने घोखे से मलिक शादी की हत्या कर दी। दुर्ग वालों ने इसके लिए छद्म बेश में गायकों तथा नृत्य करने वालों को भेजा था।

बंगाल-अभियान—बंगाल का दूरस्थ प्रदेश सर्व्व से ही सुल्तानों के लिए सरदर्द रहा है। बलबन ने बड़ी कठिनाई से इस पर अधिकार किया था। बलबन के पश्चात् किसी सुल्तान ने बंगाल पर अधिकार करने का प्रयत्न नहीं किया। अतः बंगाल एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में बना रहा। गयासुद्दीन के समय वहाँ तीन भाइयों में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। बंगाल के शासक गयासुद्दीन बहादुर ने अपने दोनों भाइयों को हराकर बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया था। सबसे छोटे भाई नासिरुद्दीन ने गयासुद्दीन बहादुर के विरोध में सुल्तान से सहायता मांगी। सुल्तान ने बंगाल में हस्तक्षेप करने का यह अश्रद्धा अवसर देखा। उसने स्वयं अभियान का नेतृत्व सम्भाला। अपने पीछे शासन की व्यवस्था के लिए उसने तीन व्यक्तियों—उलूगखां, शाहीन व अहमद अयाज की एक राजसी-परिपद बना दी।

सुल्तान की सेनाओं ने गयासुद्दीन बहादुर को पराजित किया तथा उसे बन्दी बना लिया। उसके स्थान पर नासिरुद्दीन को लखनौती का शासक बनाया गया। उसने दिल्ली की अधीनता स्वीकार की। सतगाँव तथा सुनारगाँव लखनौती से अलग कर तातारखों के अधीन रखे गये। इत्सामी के अनुसार बंगाल से लौटते समय सुल्तान ने तिरहुत (मिथिला) पर आक्रमण किया। राजा हरसिंहदेव जंगलों में भाग गया। उसका पीछा करते हुए सुल्तान की सेना भी जंगल में भटक गई। अन्त में तिरहुत पर अधिकार कर लिया गया और इसे अहमदखाँ के अधिकार में रखवा गया। सुल्तान इसके बाद दिल्ली की ओर लौटा।

आफगानपुर को दुपेटना व यथामुद्दीन की मृत्यु—गयापुरीन जब यहाँ पर तिरहुत व अभियान में लौटा तो आफगानपुर में एक नरकी का मण्डप बनाकर उसमें स्थापन की तैयारी की जाने लगी। ऐसा विश्वास किया जाता था कि मुन्नाव का उदर में प्रबल दुग्ग समय मृत नहीं है। इसलिये कुछ पदों का लक्षण वगैरह उद्देश्य इस मण्डप में विश्राम करने। शिष्टाचार के बाद जोखन परना गया। सरती ने किया है कि जब मन्त्र व शरीर अथवा हाथ धोने व शिष्टाचार करने को विधान को बिना ही आचार्य व पुत्रों के रोने पर गिने। कुत्तान बिना मण्डप के नीचे बंटा था। इसकी छत अस्थान गिर पड़ी और उन्नी के साथ मृत्यु का तथा पाच मपवा छ। अन्ति कुचन वर मर गये।

उस घटना को लेकर काफी बड़ा विवाद है और यह शरा की जाती है कि उन्नीयाँ का अथवा पितर की हत्या में हाथ था। सरती का विश्राम इतना अधिक है कि उसमें किसी प्रकार का निष्कथ निकालना सम्भव नहीं है। उन्नीयाँ उन्नीयाँ का शरीर मानना है। उसका तर्क है कि एक बार बहराम शाहवा ने राजी मन्त्र को सम्बोधित करते हुये कहा था कि यदि वह राज बहने को तैयार नहीं है तो उनके पुत्र का अर्थ किया जायेगा। उन्नीयाँ का उत्तर यह है कि पिता और पुत्र में पतल में ही एक दूसरे के प्रति अभिधात था। इसकी मृष्टि वह उन्नीयाँ के तैयारना के अभियान में करता है जब कि उस पर पिता के विरुद्ध विद्रोही होने की शरा की गई थी। वह वह मन्त्र करना चाहता है कि उन्नीयाँ में आरम्भ से ही अथवा पिता के प्रति विश्रामात का दुर्गुण विद्यमान था। उन्नीयाँ यह भी कहता है कि खेल निजापुरीन भीलिया ने समाधि की अवस्था में उसे मुत्तान करने का आशीर्वाद दिया था क्योंकि अपने खेल की शर्तों को ऊपर दिया था। इसी के साथ यह भी कहा जाता है मेल न कहा था कि 'तुम्हें दिल्ली दरमस्त' अर्थात् दिल्ली अभी दूर है। इससे यह आशय निकलता है कि यथामुद्दीन जीवित दिग्गी नहीं लौट पायेगा। वह यह भी बताता है कि मुत्तान उन्नीयाँ व रण्ड का अर्थ। उसने आचार्य महत्वा में दास लरीदे थे, परन्तु इन सब आरोपों के बाद उन्नीयाँ यह स्पष्ट कहता है कि मण्डप का निर्माण मुत्तान के आदेशानुसार किया गया था।

इसामी के विवरण के अनुसार मण्डप के निर्माण में उन्नीयाँ ने पत्र की थी जबकि उन्नीयाँ का विवरण इसके बिलकुल विपरीत है। इसामी लिखता है कि इस मण्डप का निर्माण उन्नीयाँ ने प्रयोग के देकर अथवा अथवा की विश्राम और मण्डप के नाम करने के कारण ही उन्नीयाँ ने उसे कुत्तान करने पर अथवा बतौर बताया था जिससे उन्नीयाँ की सहायता मन्त्र होती है। इसामी यह भी लिखता है कि कुत्तान ने अभियान में लौटने पर उन्नीयाँ का सद्भावना के आश्रित नहीं किया था, क्योंकि उसे बगल और तिरहुत में उन्नीयाँ के प्रतिबन्ध करने समाचार मिले थे।

बतूता और इसामी के विवरण से ऐसा अनुभव होता है कि गयासुद्दीन की मृत्यु में उलूगखाँ का सक्रिय हाथ था।

इन्हें बतूता और इसामी के विवरण को स्वीकार करने के पहले इनका परीक्षण करना आवश्यक है। सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि बतूता ने घटना के घटने के आठ साल बाद अपना विवरण लिखा और स्पष्ट है कि उसने अपना विवरण सुनीसुनाई बातों पर ही आधारित किया होगा क्योंकि वह स्वयं उस समय भारत में नहीं था। इसामी तो स्पष्ट स्वीकार करता है कि उसने सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ही घटना का विवरण प्रस्तुत किया है। दोनों ही ने क्योंकि सुनी-सुनाई बातों पर विवरण लिखा इसलिए उनका दोषारोपण कम घजनी हो जाता है। इन्हें बतूता ने अपने विवरण का आधार शैख रुकनुद्दीन को बताया है जो एक धार्मिक व्यक्ति था तथा मुहम्मद तुगलक (उलूगखाँ) से उसके सम्बन्ध अच्छे थे। शैख रुकनुद्दीन ने इस घटना के सम्बन्ध में एक विदेशी को अपना विश्वासपात्र बनाया, यह स्वयं में आश्चर्य है। अधिक सम्भावना यह है कि बतूता ने अपने विवरण को प्रमाणिकता देने के लिये एक धर्म-निष्ठ व्यक्ति का नाम जोड़ दिया हो।

इन्हें बतूता के अनुसार सुल्तान के आदेश पर ही जंगी हाथी उसके सामने दौड़ाने का आदेश दिया गया था। इसामी इसके विरुद्ध अनेक हाथियों की दौड़ के कम्पन के कारण मण्डप के गिरने की बात कहता है। इसामी उलूगखाँ पर हाथी दौड़ाने का आरोप नहीं लगाता यद्यपि वह यह आरोप लगाकर उलूगखाँ को और अधिक दोषी ठहरा सकता था। उसके अनुसार हाथियों की दौड़ सुल्तान के आदेश पर ही हुई थी। इसामी के द्वारा उलूगखाँ पर आरोप न लगाने से उलूगखाँ का पक्ष और अधिक मजबूत हो जाता है।

इसके बाद भी तुगलक आन्दोलन से लेकर मुहम्मद तुगलक के राज्यारोहण तक की समस्त घटनाओं का अध्ययन करें तो सम्भवतः हमारा निष्कर्ष अधिक ठोस हो सकेगा।

नासिरुद्दीन खुसरुखाँ के अमीर-ए-आखूर के रूप में उलूगखाँ अपने को ठीक रूप से संयोजित नहीं कर सका और इसलिये अपने पिता के पास दीवालपुर चला गया। उसके बाद उसने युद्ध में सक्रिय भाग लिया जिससे प्रसन्न होकर उसके पिता ने उसे उलूगखाँ की उपाधि दी। तैलंगाना के दोनों अभियानों का नेतृत्व उसे सौंपा गया। यदि उसकी स्वामिभक्ति में सुल्तान को शंका होती तो उसे दक्षिण से वापस बुला लिया जाता। अन्त में बंगाल के लिये कूच करते समय सुल्तान ने उसे राजसी परिपद में सम्मिलित किया। यदि सुल्तान को उलूगखाँ पर किसी प्रकार की शंका होती तो वो उसे उस परिपद में न रखता। इसके अतिरिक्त वह उत्तराधिकारी घोषित कर ही दिया गया था और इस लिये इस दिशा में उसे कोई चिन्ता न थी।

इन मंत्र के अनिर्दिष्ट सुलान यथासुहीन की हत्या व मारे व दिन बाद पर वरुण अधिक जन दिया जाता है वरुण है कि सुलान तथा जन निजासुहीन ओषिषा व द्रामधिक वदुना थी और यथाकि शल और उन्मत्त क मन्त्राय यपुर व इमन्त्रिये मन्त्राय और समनं दुष व मन्त्राय प्रवश्य द्रियि रहु होए । परंतु ये द्रियि मन्त्राय सुलान क राज्यागेह्या क मन्त्र नही व यथाकि मय ही समनारीन संगन यह मन्त्र है कि उह मय उलमया अपन पिता का महापत्र था । यथा व द्रामिवाय क मय मय और उन्मत्तय व द्रियिपता वही म य विप्रमय मया मन्त्रय नही है इनक मन्त्र था यह मन्त्राय करत कि विप्रती मन्त्रिवा ना श्रेय धनवहीन राजवार्ति म उन्मत्तय करेया प्रवश द्रियि मन्त्रय उन्मत्तय हीया यथाकि य मन्त्रिवा राजवार्ति व प्रविपूर व और सुलानो वार्ति थे मन्त्रय यथा उतरो वपने यानका म विपेय मन्त्राय दिवान क विप्रय था ।

श्री निजामी उनकया को विदु-रत्या म निर्योप मानत है । उनके अनुयाय इनके तीन कारण हैं—(1) राजगता प्रह्लाद करने व द्राम सुलान व उतरो याना के मन्त्राय स्त-पुत्र बने रहे । यदि उन्मत्तय का इमन कोई ह्राप होया तो इन मन्त्रायो ना इनकपुत्र बना रहना सम्भव न होया । (2) उनके उत्तराधिकार को न तो उनक किसी ओषिष नई व प्रवश विभी धर्मोर ने ही चुनीनी थी । हमारे पास एया कोई प्रमत्त भी नही है जिसके साधार पर हूय यह वहु मने कि सुम्पन विज सुयवद न धर्मोरो को इमान धारि देन उन्हें धरनी और मिना दिया हो । यदि उतका इमन कोई ह्राप होया तो स्वाभाविक रूप क दिनी व विभी वश के द्वारा उत पर यहा इविवाये का धारोप नमाया जाता । (3) उन्मत्तयो स्वभावतः अपने परिवार के सदस्यो के प्रति दयालु और स्नेहपुत्र था ।

इन प्रकार हमारे पास कोई ऐसे प्रमाण नहीं है जिनके साधार पर विदु ह्या म उन्मत्तयो को योगी उद्धारया जा सके ।

सुन्याकृत—यथासुहीन सुलानक ने एक साधारण सैनिक की स्थिति में उदरक सुलान का मन्त्र प्राप्त किया लेकिन उसके बाद भी व ओ समने कभी मानसिक गतुवन ही जाया और न ही उसका जीवन धमकीरित ही हुआ । धारमसे वे धात तक अपने जीवन के मूय्य एक अंते ही बन रहे और सुलान हीने व बाद भी उनम कोई रहु वरत न था जाया । कही और धाराय के धर्मिमान ने वह सुकत व और उतने वह प्रकृत किया कि धाराय का दुष्कर्मन मन्त्राय ही जाये । यथासुहीन धम शौर और प्राति विज सुलानका था । यह इस्लाम के नियमो का पावन करता था तथा धार्मिक धर्मिना व मन्त्राय करता था । हिन्दुओं के प्रति वह अनिर्णय भी रहा परंतु फिर भी अपने मूलव स्वकार नहीं किया । मंदिर धर्मिवायो व समय वह हिन्दुओं व मंदिर धारि को मन्त्र करे थे भी नहीं पूजा ।

गयासुद्दीन की सफलता उसके एक सफल शासक तथा योग्य सेनापति होने में निहित है। उसने अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात् जो अच्यवस्था उत्पन्न हो गई थी उसे ठीक किया और इस समस्त कार्य में उसने मध्यम मार्ग को समित नीति अपनाई। एक ओर उसने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की तथा लगान अधिकारियों को पूरी सुविधायें पुनः दी तो दूसरी ओर उसने अष्टाचार को उखाड़ फेंकने का श्लाघनीय प्रयास भी किया। किसानों को सरकारी अधिकारियों के नियम-अच्यवहार से सुरक्षित करने के लिये नियम बनाये तो साथ ही साथ कृषि के प्रोत्साहन के लिये उसने नहरों और पुलों का भी निर्माण करवाया। सैनिक के रूप में भी उसने जिस विजय-नीति को अपनाया वह पूरी तरह से सफल रही। इन प्रकार अपनी विजयों और सफल प्रशासन में उसने सुल्तान और शासन की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। वह न केवल नई नीतियों और सिद्धान्तों को जन्म देने वाला था, अपितु एक अवस्थापक व संगठनकर्ता के रूप में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान था। बरनी ने लिखा है कि साम्राज्य के सभी शहरों में अपने शासन को स्थापित करने के लिये वह सभी कुछ जो मुल्तान अलाउद्दीन ने इतने अधिक रक्तपात, कुटिल-नीति आदि से किया वह उसने बर्गर किसी कुटिलता, कठोरता अथवा रक्तपात से प्राप्त कर लिया।

मुहम्मद-बिन-तुगलक (1325-1351 ई.)

राज्यारोहण—गयानुद्दीन तुगलक की मृत्यु के तीन दिन बाद फरवरी, 1325 ई. में उनूगना (जूनाखा) मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से तुगलकाबाद में सुल्तान बना। साधारणतया उसे मुहम्मद तुगलक के नाम से ही जाना जाता है। 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहने के बाद उसने दिल्ली में प्रवेश किया। सभी वर्गों ने उसका स्वागत किया और उसने भी उदारतापूर्वक अपनी प्रजा में मोने और चांदी के टंके लुटाये तथा अमीरों में महत्वपूर्ण पदों को बाटा। मुहम्मद तुगलक का निर्विरोध गद्दी प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि उसके तीन जीवित भाई थे और अपने पिता की मृत्यु में उसकी भूमिका सदिग्ध थी।

मध्य-युग के शासकों में मुहम्मद तुगलक का चरित्र और कार्य अत्यन्त विवाद-स्पद हैं। इसका कारण यह नहीं कि उसके सम्बन्ध में कुछ लिखा नहीं गया अपितु अत्यधिक लिखा गया और इस अति ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। उसके समकालीन इतिहासकारों में इसामी, बरनी व इब्न-बतूता जैसे मौलिक विद्वान थे जिन्होंने विस्तृत विवरण छोड़ा है, परन्तु उसके बाद भी उसके विभिन्न कार्यों की तिथियाँ अथवा उनका क्रम ही निश्चित हो पाया है, उद्देश्यों की बात तो अलग है। बरनी ने जो कुछ भी अपनी स्मृति और दृष्टियों में लिखा उससे स्थिति और भी जटिल हो गई।

मुहम्मद तुगलक का चरित्र बड़ा ही रोचक है और उससे भी अधिक आकर्षक उसकी विभिन्न योजनाओं की सफलता व असफलता है जितने समकालीन

इतिहासकारों को भावपूर्ण में डाल दिया। अपनी विद्वानों में वह समस्त मुस्लिमों की तुलना में अतिशय ही और विषयों पर एकाधिकार उनकी विशेषता थी। अपने पिता से उनमें एक बृहत् साम्राज्य प्राप्त किया था और अपने पौत्रों से उनमें बुद्धि भी की थी परन्तु मान दम वर्षों में वह साम्राज्य लुप्त हो गया और दिल्ली की नीमाएँ पहले की प्रथमा नहीं प्रथिब सिद्ध बई। अपने पिता से भरा-पूरा खजाना पाने के बाद भी उसे धार्मिक सबक का सामना करना पड़ा। पूर्व-मुस्लिमों के समुचित दृष्टिकोण से ऊपर उठकर उसने धर्म-भेद को अलग रख केवल योग्यता को नियुक्तियों की कसौटी बनाया और धार्मिक मान्यताओं को राजकीय क्षेत्र में न धुमने दिया, परन्तु इन सब रचनात्मक गुणों के होते हुए भी जन-साधारण उसमें प्रमत्तुष्ट हो रहा, उसने उसके विश्व लयानार विद्रोह किये और सुल्तान इनमें इतनी बुरी तरह उलझ गया कि अन्त में एक अगफल करार दे दिया गया।

राजत्व सिद्धान्त में धार्मिक विचार—मुहम्मद तुगलक की राजनीतिक मान्यताएँ व धार्मिक विचार उस युग से ऊपर थीं और इन्हीं के आधार पर उसकी नीतियाँ और परियोजनाओं की प्रावना स्वाभाविक है।

(1) सुल्तान प्रसाधारण रूप से मुझ-बुझ वाले व्यक्तित्व का स्वामी था और इसलिए वह परम्परागत और रुढ़िवादी समाधान से मन्तुष्ट न था अतः वह ऐसे दृष्टिकोण से घृणा करता था।

(2) राजनीतिक दृष्टिकोण से वह भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित करना चाहता था। उत्तर तथा दक्षिण की पृथक्ता का विचार उसे प्रमान्य था। सम्भवतः सम्राट प्रथोक के बाद वह पहला मानव था जो प्राकृतिक सीमाओं से परे उत्तर और दक्षिण की एक इकाई की कल्पना कर सकता था। उसका दक्षिण में राजधानी बनाने का प्रयोग एमी का मूर्तरूप था जिससे कि सांस्कृतिक रूपों में तेजी से किया जा सके। दिल्ली और दोनाबाद (देवगिरि) भौतिक रूप में एक ही राज्य के रूप में उभरने लगे और वहीं-मही दूरी को जो शनादिया से मकीलुना पर टिकी हुई थी व्यापारिया, विद्वानों, कवियों और रहस्यवादियों ने पाट दी।

(3) सुल्तान अन्ते समय मुहम्मद तुगलक ने मध्य-एशिया के राजनीतिक जीवन में शून्यता अनुभव की और उसमें इस शून्यता को समाप्त करने का विचार किया। खुदमान की विजय योजना जो उसने बनाई वह इस 'महान साम्राज्य के युग' की पृष्ठ-भूमि थी। उसकी महत्वाकांक्षा का वर्णन करते हुए बरनी ने लिखा है कि, "समस्त मसूर उसके राजकोष का कर दाता बन जाता और मसूर के लोग अपने प्रादेशों के अधीन हो जाते और उसके नाम का भिक्का सम्पूर्ण बने

हुये संसार में प्रचलित हो जाता तो भी यदि कोई कहता कि भूमि का कुछ भाग किसी द्वीप पर या एक कमरे के बराबर कुछ भाग किसी देश में उसके नियन्त्रण में नहीं है तो उनके नदी-मगान हृदय तथा विश्व-विजयी भावना को उस समय तक शांति नहीं मिलती जब तक वह द्वीप या वह छोटे कमरे बराबर स्थान उसके अधिकार में न आ जाता ।" वह सिक्न्दर के साथ ही साथ सुल्तान की प्रतिष्ठा प्राप्त करने का इच्छुक था । उसका विश्वास था कि सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा है इसीलिये उसने अपने सिक्कों पर 'अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह' (सुल्तान ईश्वर की छाया है) अंकित कराया था । वह प्रजा से अपनी आज्ञाओं को पालन करवाना अपना अधिकार मानता था और उनमें किसी प्रकार की अवज्ञा को स्वीकार करने के लिये तत्पर न था । उसने बरनी से कहा था कि, "मैं सुदेह तथा विद्रोह, अव्यवस्था और पड़यन्त्र की आज्ञा के आघार पर कठोर दण्ड देता हूँ । मैं आज्ञा की लेशमात्र भी अवज्ञा होने पर उन्हें मृत्यु-दण्ड देता हूँ और मैं तब तक इसी प्रकार कठोर दण्ड देता रहूँगा जब तक या तो मैं स्वयं नष्ट नहीं हो जाता अथवा प्रजा ठीक नहीं हो जाती तथा विद्रोह और अवज्ञा नहीं छोड़ देती है ।"

(4) भारत की राजनीतिक व सांस्कृतिक पृथकता का विचार उसे खलता था । वह बाहरी संसार के साथ राजनयिक व आर्थिक सम्पर्कों में विश्वास करता था । इस आर्थिक खाई को पाटने के लिये उसने 1340-41 में अनेक करों में छूट दी । उसकी राजनीतिक दृष्टि भारत की सीमाओं से निकलकर मिस्र और चीन तक को अपने में लपेटे हुये थी । प्रो. हबीब व निजामी का विचार है कि सुल्तान के उदय के साथ ही बाहरी विश्व के साथ भारत के कूटनीतिक सम्बन्धों के क्षेत्र में एक नये चरण का सूत्रपात हुआ और एशिया के विभिन्न भागों से प्रतिनिधियों का आना-जाना आरम्भ हुआ । ईराक, खारजम और चीन के शिष्टमण्डल उसके इस दृष्टिकोण की पूर्ति करते हैं । सम्भवतः समस्त सल्तनत काल में विभिन्न देशों के शिष्टमण्डलों का भारत आना उसकी अपने राज्यकाल की विशेषता है ।

(5) धर्म के क्षेत्र में भी सुल्तान के विचार स्वतन्त्र व मौलिक थे । विवेक उसकी कुंजी थी और वह केवल उन्हीं विचारों को मानने के लिये तत्पर था जो बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हों । उसने उलेमा-वर्ग की शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया और क्योंकि उलेमा-वर्ग इसे अपना अधिकार मानता था इसलिये उनका रुष्ट हो जाना स्वाभाविक था । जियाउद्दीन बरनी इसी उलेमा-वर्ग का सदस्य था जो राजनीति में प्रतिक्रियावादी और धर्म में रूढ़िवादी था । बरनी सुल्तान के राजनीति में नव-प्रवर्तक व धर्म में प्रगतिवादी विचारों को पचाने में असमर्थ था, इसलिये उसने सुल्तान पर अनेक दोषारोपण किये । उसने सुल्तान पर पैगम्बर की परम्पराओं व 'इदीस' में विश्वास ली बैठने का आरोप लगाया है, परन्तु इन्बतूता यह स्पष्ट कहता है कि सुल्तान निरन्तर लोगों को नमाज नियमित

रूप से पढ़ने के प्रति सचेत करता रहता था और इसका उल्लंघन करने वाली को दण्डित करता था। सुल्तान धर्म-सम्बन्धी विवाद न केवल उलेमाओं से प्रपितु गैर-मुस्लिम विद्वानों और जैन साधुओं से भी करता था। जैन साधु जिनप्रभा मुरी जैसे विद्वानों को उसका मरक्षण प्राप्त था। उसकी वैचारिक-स्वतन्त्रता इतनी अधिक थी कि वह जैन साधुओं के निकटतम सम्पर्क में रहने के बाद भी उनके प्रतिमा सिद्धान्त से प्रद्युता रहा।

(6) सुल्तान नमाज और इस्लाम के नियमों को नियमपूर्वक पूरा करता था, परन्तु साथ ही साथ वह दूसरे धर्मों के प्रति भी पूर्ण सहिष्णु था। वह हिन्दू का पहला सुल्तान था जो हिन्दुओं के होली के त्यौहार में भाग लेता था। प्रत्येक योगी धर्म मुस्लिम धर्मधारियों के साथ उसके साम्राज्य में धूमते थे, परन्तु उसने इस पर कभी आपत्ति नहीं उठाई। विविध-जातीय भयवा विरोधी धार्मिक समूह और व्यक्ति बड़ी मर्यादा में उसके राज्य में स्वतन्त्रतापूर्वक इमीलिये विचरण कर सके तथा पनप पाये कि सुल्तान ने बौद्धिक स्वतन्त्रता का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने पालीताना के धनुजय तथा पिस्नार-के मन्दिरों में गया और पालीताना के मन्दिर में उसने जैन सभ के नेता के उपयुक्त भक्ति के वृद्ध विधान पूरे किये। उसने एक नई बस्ती 'बस्ती उपग्रय' (साधुओं के ठहरने के लिये धर्मशास्त्र) के निर्माण के लिए भी आदेश दिये। सम्भवतः सुल्तान की इसी धार्मिक भावना ने इसामी जैसे कट्टर व्यक्ति को उसकी विधर्मों बहने के लिये प्रेरित किया।

(7) मुहम्मद तुगलक राजकीय सेवाओं के लिये योग्यता को एकमात्र कसौटी स्वीकार करता था। इमीलिये उसने निम्न वर्ग के लोगों को यदि वे प्रतिभावान हों तो शासन के उच्च पदों पर नियुक्त करने की नीति अपनाई। बरनी जिसे निम्न वर्ग के लोगों से अत्यधिक घृणा थी लिखता है कि, 'सुल्तान इस प्रकार बान करता था जैसे उसे मनुष्यों से भी ज्यादा भूतियों से घृणा थी। फिर भी मैंने उसे एक गर्व के पुत्र नजवा की इतनी पदोन्नति इस सीमा तक देवी है कि वह धनेक मलिकों से ऊंचा उठ गया।' बरनी को आश्चर्य था कि सुल्तान ने नाई, बावर्ची और जुलाहे के पुत्रों को राज्यपाल के पद तक नियुक्त किया है जो कि केवल बड़े-बड़े खानों और बज्जीरों के लिये सुरक्षित था। सुल्तान ने इन निम्न कुल के लोगों को जो सम्मानित पद दिये थे वे स्वयं बरनी के अनुसार उन व्यक्तियों को दिये गये थे जो शिक्षित और कुशल थे। इसीलिये बरनी लिखता है कि मनुष्यों के व्यक्तियों को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिये। सुल्तान की इस नीति ने उन गिने-चुने कुलीन परिवारों के हितों पर प्रथान किया जो वे मानते थे कि राज्य के समस्त उच्च और सम्मानित पदों के केवल वे ही एकमात्र अधिकारी हैं।

(8) सुल्तान का विश्वास था कि प्रशासन को विस्तृत आधार देकर ही यह अपनी सत्ता की नींव मजबूत बना सकता है। किसी वर्ग-विशेष पर सत्ता की

आधारित करना दूसरे वर्गों को अपने विरुद्ध निमन्त्रित करने के समान था और फिर वर्ग-विशेष स्वयं को शासन के लिये अल्पव्यंभावी मानने लगता था। फलस्वरूप जितने अधिक लोगों को शासन में भाग लेने दिया जावे शासन उतना ही दृढ़ होगा। इसका अर्थ था कि यदि मुस्लिम-वर्ग को प्रशासन में उच्च पद दिये जावें तो उसी के साथ समान रूप से हिन्दुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जावे। इस नीति के आधार पर उसने हिन्दुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। उसकी नीति यहीं तक सीमित न थी अपितु उसने हिन्दू विद्वानों को संरक्षण दिया। प्रो. निजामी ने शिहाबुद्दीन अल उमरी के कथन के आधार पर लिखा है कि, "सुल्तान के दरबार में एक हजार अरबी, फारसी तथा हिंदी के कवि थे।"

इस प्रकार मुहम्मद सुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने समय से ऊपर उठकर उन विचारों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जो निष्पक्ष रूप से प्रगतिवादी थे, परन्तु दुर्भाग्य से समकालीन इतिहासकार पूर्णतया विरोधी और प्रतिक्रियावादी विचारों के थे और ऐसी स्थिति में उनके लिये सम्भव भी नहीं था कि वे सुल्तान के मौलिक विचारों को उचित रूप में रख सकें। इसीलिये उन्होंने सुल्तान की भरपूर निन्दा की है। बरनी के 'इल्म-ए-हदीस' व 'इल्म-ए-तावारीख' की समानता के विचार को उसकी रुढ़िवादिता ने निगल लिया।

सुल्तान की नीतियाँ व प्रयोग—सुल्तान नवीन अन्वेषण करने वाला एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिये सबसे पहले सूबों की आय व व्यय का हिसाब रखने के लिये एक रजिस्टर तैयार करवाया। उसने सूबेदारों को आदेश दिया कि वे नियमित रूप से अपने-अपने सूबों का हिसाब भेजा करें। उसका उद्देश्य था कि साम्राज्य के सभी प्रदेशों में लगान व्यवस्था एक ही समान हो और कोई भी गाँव लगान देने से मुक्त न रह जावे। समकालीन विवरण से यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि सुल्तान ने इस रजिस्टर से क्या लाभ उठाया तथा विभिन्न श्रेणी की भूमियों के उत्पादन व विभिन्न स्थानों पर प्रचलित मूल्यों का ध्यान किस प्रकार रखा था।

अपने शासन के आरम्भिक वर्षों में सुल्तान ने दोआब के प्रदेश में कर बढ़ाने की योजना बनाई। इसका सम्भवतः कारण केवल यही था कि वह राजकोष की आय बढ़ाना चाहता था और दोआब का प्रदेश केन्द्र के लिये सुरक्षित था। परन्तु इस प्रयोग के वर्णन में तिथियाँ नहीं मिल पाई हैं और केवल पूर्वापर (Suquenco) के आधार पर ही इसकी जानकारी सम्भव है। बरनी¹ ने इसका विवरण देते हुये लिखा है कि, "सुल्तान की पहली योजना जिसके फलस्वरूप प्रजा का विनाश हुआ तथा राज्य में अशान्ति हुई यह थी कि सुल्तान मुहम्मद के हृदय में यह बात आई

जि दोघाब के मध्य की विलायत का खराब एक के स्थान पर दस और बीस लेना चाहिये। सुल्तान की उपयुक्त योजना क कार्यान्वित कराने में कुछ और भी कठोर व्यवहार (प्रतिरिक्त कर) जारी कर दिये गये। कुछ नवीन कर भी लागू किये गये, जिनके फलस्वरूप प्रजा की कब्र टूट गई। उन व्यवहारों को इस गटोरता से बसूल किया गया कि निम्नस्वरूप तथा निर्धन प्रजा का पूरातया विनाश हो गया। धनी प्रजा, जिसके पास धन-सम्पत्ति थी, विद्रोही बन गई। दूर-दूर की विलायतों की प्रजा को दाघाब की प्रजा के विनाश के समाचार से यह भय हुआ कि वही उनसे भी उसी प्रकार का व्यवहार न किया जाय, जो दाघाब वालों में किया गया। इस भय से इन्होंने विद्रोह कर दिया और जयना म धुस गये।'

बरनी ने घागे लिखा है कि, "दोघाब में कृषि की कमी, वहाँ की प्रजा क विनाश, व्यापारियों की कमी तथा हिन्दुस्तान की अस्तित्वों से अनाज के न पहुँचने के कारण देहली तथा देहली के आस-पास एक दाघाब में घोर अन्धकार पड़ गया। "..... वह अन्धकार कई वर्ष तक चलता रहा।"

बरनी के विवरणों में ऐसा लगता है कि खराब (भूमि कर) दस या बीस गुना अधिक कर दिया गया। बरनी ने प्रत्येक स्थान पर 'यके व देत्र' (अर्थात् दस गुना) का प्रयोग कई स्थानों पर किया है और प्रत्येक स्थान पर यह शब्द अतिशयोक्ति सूचक शब्द ही है। श्री ह्यूडीवाला का विचार है कि बरनी ने सम्भवत 'यके व देत्र बिम्न' लिखा हो और नकल करने वालों ने 'यके व देत्र व यके व बिम्न' बना दिया हो। दोनों के अर्थों में अत्यधिक अन्धकार है क्योंकि पहले का अर्थ 1/10 या 1/20 है और दूसरे का अर्थ दस गुना अथवा 20 गुना है। फरिश्ता के अनुसार कर में वृद्धि तीन या चार गुना कर दी गई थी, जब कि आन्दोलन बाउन के अनुसार यह वृद्धि बहुत माघारण थी। डा ए. एल श्रोवस्तव ने लिखा है कि सुल्तान अपनी आय में 5% से 10% तक वृद्धि करना चाहता था और उसने भूमि-कर न बढ़ा कर केवल मकानों और चारागाहों पर कर लगाया था। वदायूनी भी स्वीकार करता है कि कर दुगुना हो गया। वास्तविकता यही मानना पड़ती है कि कर में वृद्धि हुई तो घोर स्याभाविक रूप में उग चड़े हुये कर के कारण लोगों को परेशानी हुई होगी।

इसी समय जब कि कर बढ़ाया गया था अभी दोघाब में अन्धकार पड़ गया। अतएव किसानों ने कृषि करना छोड़ दिया और जंगलों में भाग गये। अनेक किसानों ने चोरी-दकैतो का पेशा अपना लिया। लगान अधिकारियों ने बड़ी कठोरता से कर बसूल करना शुरू किया जिनके फलस्वरूप अनेक स्थानों में विद्रोह हो गये। इस अभावपूर्ण स्थिति के समय ही सुप्रभय 1329 ई. के आस-पास ही सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन की जिससे किसानों की दशा और भी अधिक शोचनीय हो गई। मोरलैण्ड ने लिखा है कि, "कर-वृद्धि का परिणाम वैसे ही प्रतिकूल पड़ रहा था,

तब भी जो कुछ अन्न किसानों के खाने-पचने के बाद बचता था उस वे दिल्ली के बाजारों में बेच दिया करते थे। अब क्योंकि दिल्ली का बाजार ही नहीं था इसलिये बाकी अनाज को बेचने की नई समस्या खड़ी हो गई। बाजार न होने के कारण अधिक अन्न उपजाने में कोई लाभ की गुंजाइश नहीं थी। अतः किसानों ने कम भूमि पर ही खेती करना शुरू की जिससे लगान कम देना पड़ा। अतः राजकोष में लगान की रकम में पहले से भी अधिक कमी आ गई।”

मोरलैण्ड¹ ने आगे लिखा है कि, “सन् 1332 में सुल्तान दिल्ली वापस आया। राजधानी अभी दक्षिण में ही थी। उसने देखा कि कर-वृद्धि ने दिल्ली और दोआब को बरबाद कर दिया था। अनाज के गोदाम जला दिये गये थे और गांवों में कृषि-योग्य पशु दिखाई नहीं देते थे। जिन किसानों का काम केवल खेती करना और लगान देना था वे अब विद्रोह पर उतारू हो चुके थे। वे भयंकर गरीबी में जीवन घसीट रहे थे। तभी बादशाह के विद्रोह-दमन के आदेशों ने कोड में खाज का काम किया। कितने ही व्यक्ति मार डाले गये और कितनों की ही आंखें फोड़ दी गईं और हम यह कह सकने की स्थिति में हैं कि जब सुल्तान दौलताबाद से लौटा तो उसने समस्त प्रदेश को उजाड़, जनहीन तथा पहले से भी खराब अवस्था में छोड़ा।”

सुल्तान ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिये बीज, बेल आदि दिये तथा लिचाई के लिये कुएं आदि की व्यवस्था की परन्तु इनसे कुछ लाभ न हुआ क्योंकि सहायता पहुंचाने में काफी देर हो चुकी थी और किसान इतने पीड़ित हो चुके थे कि इस सहायता का उपयोग उन्हें अपनी तात्कालीन कठिनाइयों को दूर करने में किया।

डा. ईशवरी प्रसाद सुल्तान द्वारा बढ़ाये गये कर को अनुचित नहीं मानते क्योंकि दोआब का प्रदेश उरजाऊ था, अलाउद्दीन ने भी इसी प्रदेश में कर-वृद्धि की थी और सुल्तान के उत्तराधिकारी फीरोज के द्वारा लगाया गया राजस्व-कर मुहम्मद तुगलक के समय के भूमि-कर से कम नहीं था। इसके अतिरिक्त वास्तविकता यह है कि किसानों को कर-वृद्धि से कम बरिद अकाल पड़ जाने से अधिक कठिनाई अनुभव हुई और जब सुल्तान को स्थिति की जानकारी हुई तो उसने किसानों को हर सम्भव सहायता पहुंचाई।

सुल्तान की योजना सैद्धान्तिक आधार पर ही गलत नहीं थी परन्तु प्रत्येक देश में प्रत्येक समय बड़े हुये करों का विरोध किया जाता रहा है। सैद्धान्तिक आधार पर ठीक होने के बाद भी जिस कठोरता से इसे लागू किया गया था वह

1. मोरलैण्ड, इल्लसू. एच. : द एग्प्रिवियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इण्डिया, पृ. 62

वर्चित नहीं कहा जा सकता। जब अकाल की स्थिति पैदा हो गई तो सुल्तान को वर-वसुली में हीन देनी पारहिं थी। जब किसान येती छोड़कर भागने लगे तो उनकी दुर्दशा का अनुमान लगाकर सुल्तान को उनके प्रति महाभूमि शिपायी चाहिये थी। परन्तु क्या सुल्तान विद्रोहों के बाद भी दम सुनम रात को न गमक सका था ? हने डमक थोड़ी आता है। सम्भवतः सुल्तान के पदाधिकारी उतावे दब जाने की सम्भावित आशंका के कारण उन्हे किसानों की दुबारा बनाने में द्विचकते में और स्थिति बहा तक पहुँच गई होगी कि सुल्तान को वस्तु-स्मित की जानकारी हो न हो और ऐसी स्थिति में विजय अथवा महाभूमिपूर्ण होने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न। प्रश्न यह है कि आसिर सुल्तान ने अपने अधिकाधिको को इतना मजबूत क्या किया ? हम केवल यह कह सकते हैं कि भारत के मध्यकालीन इतिहास में 14वीं शताब्दी विप्लवना का युग था और सुल्तान मुहम्मद तुघलक ने इस विप्लवना के साथ तुलनात्मक आधार पर कहीं अधिक थे। उस आधार पर सुल्तान को दोष-मुक्त नहीं कर रहे, शक्ति समकालीन इतिहासकारों ने जो दोष बहा चर्चा-कर बताया है उसकी तीव्रता की न्यूनता उचित सदर्भ में देखते या प्रयास-भाव कर रहे हैं।

कृषि-उत्पत्ति का प्रयास—सुल्तान ने कृषि की उत्पत्ति तथा उन्हे भू-भाग को कृषि-योग्य बनाने के लिये एक नया विभाग खोला जिसे 'दीवान-ए-कोही' की उपा दी गई। इसके लिये को 'ममीर-ए-कोही' कहा जाता था। प्रयोग के लिये लगभग 60 वर्ग मील का एक भू-खण्ड चुना गया। लगभग 100 बिड़दा-निगुल किमी गये और राज्य की धोर में कृषि-मुधार तथा फसलों के मुधार के लिये 70 लाख रुक दिये गये। फसलों को बारी बारी से बोया गया और लगभग तीन साल तक लगातार यह प्रयोग किया जाता रहा। परन्तु सब ही अत्यवस्थित दब ते था और रही-सही बनी कर्मचारियों की अयोग्यता और बेईमानी ने पूरी कर दी। जित भू-खण्डों पर फस लगाया गया था वे अधिकतर खेती के अयोग्य थे और सुल्तान की मुजरत और दक्षिण में अस्तित्व का लाभ उठाकर कर्मचारियों ने मनमाने दब से अपने पैट नरे। स्वाभाविक रूप में योजना असफल हुई।

योजना के असफल होने का पहला कारण था कि जित भू-खण्डों को चुना गया था वह दस प्रयोग के लिये अपूर्ण नहीं था, (2) प्रयोग एकदम नया था और सुल्तान को सब दस ओर ध्यान देना चाहिये था परन्तु सुल्तान ऐसा न कर सका और राज्य कर्मचारी इसे सही दब से चला न पाये, (3) तीन साल का काल अत्यधिक कम था जिससे ऐसे प्रयोग के परिणाम को माया नहीं की जा सकती थी और (4) निर्धारित धन का दुरुपयोग किया गया। मोरलैण्ड ने लिखा है कि, 'योजना की असफलता को वर्षों की अत्यधिक बनी के साथे मर दिया जाता है, परन्तु वास्तव में वर्षों की कमी के कारण योजना उतनी असफल नहीं हुई जितनी प्रशासनिक गलतियों के कारण।'

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सुल्तान के द्वारा किया गया यह अनूठा और मौनिक प्रयोग असफल रहा जिसमें उसकी कम गलती होते हुये भी उसे दोषी ठहराया गया, परन्तु इसके बाद भी इस प्रयोग का विशेष महत्व है। मोरलैण्ड ने लिखा है कि भारतीय इतिहास में पहली बार यह प्रकट हुआ कि खेती और खेती के तरीकों को सुधारना भी राज्य के कर्तव्यों के अन्तर्गत आते हैं। यह पहला अवसर था जब सरकार की ओर से न केवल सही दिशा दिखाई गई अपितु सरकारी कोष से काफी धन भी खर्च किया गया। इसने इस बात पर बल दिया कि जोती जाने वाली भूमि को बराबर जोता जावे परन्तु साथ ही खाली पड़ी हुई भूमि को भी जोत के अधीन लाया जावे। हमें क्योंकि समस्त सल्तनत काल में कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है जिसके आधार पर यह प्रमाणित किया जा सके कि मुहम्मद तुगलक के पहले भी इस प्रकार से विचार किया गया था, इसलिये इस प्रकार की नीति का श्रेय मुहम्मद तुगलक को जाता है। योजना की महत्ता इसी में है कि इसने राज्य के कार्यों को अधिक विस्तृत बना दिया और उसका यह उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया कि भूमि व कृषि में सुधार उसके कर्तव्यों में है।

राजधानी परिवर्तन—सुल्तान का दूसरा प्रयोग राजधानी को दिल्ली से देवगिरि ले जाना था और इस सम्बन्ध में समकालीन इतिहासकारों ने इतना अधिक विरोधी विवरण छोड़ा है कि उससे सही स्थिति की जानकारी करना काफी कठिन है। परन्तु इसके बाद भी उन्ही के विवरण से इस प्रयोग के मूल तत्व निकालना सम्भव हो पाया है। सुल्तान के उद्देश्यों के बारे में समकालीन इतिहासकारों ने विभिन्न विवरण दिया है। बरनी के अनुसार देवगिरि, (दौलताबाद) दिल्ली की तुलना में उसके राज्य के मध्य में स्थित था जिससे गुजरात, लखनौती, सतगांव, सुनारगांव, तेलंग, मादर, द्वारसमुद्र तथा कम्पिला बरावरी की दूरी पर थे। परन्तु बरनी का भौगोलिक ज्ञान त्रुटिपूर्ण होने के बाद भी उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बरनी यह भूल गया कि यदि दिल्ली से देवगिरि पर नियन्त्रण नहीं रखा जा सकता था तो देवगिरि से दिल्ली पर नियन्त्रण रखना भी उतना ही कठिन था। फिर भी बरनी के कथन में इतनी सत्यता अवश्य है कि सुल्तान इससे दक्षिण पर 'प्रभावशाली प्रशासनिक नियन्त्रण रखना चाहता था।'

इद्वनवतुता इस राजधानी परिवर्तन के प्रयोग के पांच साल बाद भारत आया। मुहम्मद तुगलक के इस प्रयोग का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को दंडित करना था क्योंकि वे सुल्तान को गालियों और कलंक से पूर्ण पत्र लिखा करते थे। वतुता की यह बात अधिक तर्क-संगत नहीं लगती क्योंकि 14वीं शताब्दी निरंकुशता की शताब्दी थी और सुल्तान एक नहीं अनेक आधार पर उनको दंडित कर सकता था। इसके साथ ही उसने लिखा है कि सुल्तान ने दिल्ली-निवासियों से उनके घर तथा निवास-स्थान खरीद लिये तथा उनको उनका मूल्य चुका दिया। एक दंडात्मक कार्यवाही के साथ सम्भवतः इस प्रकार की सहृदयता मेल नहीं खाती

घोर फिर यदि यह एक दहात्मक कार्यवाही ही थी तो क्यों कर सुल्तान ने दिल्ली से दोननाबाद जाने के लिये नागरिकों को रास्ते में मुदिघायें प्रदान की ? प्रो निजामी का मत है कि, 'पत्र फेंकने की घटना यदि सत्य भी हो तो वह देवगिरि निष्प्रभण का परिणाम रही होगी न कि कारण ।

इसामी के अनुसार सुल्तान दिल्ली के लोगों को सन्देश की दृष्टि में देगना था और वह उनकी शक्ति क्षीण करने के लिये मजाराष्ट्र ल जाना चाहता था । इसामी इस दृष्टि में सचेतन यह भिन्न करना चाहता है कि सुल्तान और जनता के बीच द्वेष भाव था और सुल्तान अपने प्रत्येक कार्य में इसी वैश्व-भाव से प्रेरित हुआ । परन्तु इसामी की यह बात ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं उतरती ।

यह अधिक सम्भव है कि जब बहाउद्दीन गुरगास ने विद्रोह किया और सुल्तान ने उसके विरुद्ध अभियान किया तब या उसके तुरन्त बाद सुल्तान ने यह अनुभव किया कि दक्षिण में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ से गफलतापूर्वक निपटन के लिये एक सशक्त प्रशासन केन्द्र की आवश्यकता है । उसके सलाहकारों ने इसके लिये उर्जेंन का मुभाव रखा परन्तु सुल्तान को क्योंकि देवगिरि के प्रति आकर्षण था इसलिये उसने इसकी चुना ।

प्रो निजामी यह स्वीकार नहीं करते हैं कि यह प्रशासनिक प्रयास में दुबकी या अथवा नवीनता के लिये सनकी उन्माद था । सुल्तान ने योजना लागू करने के पहले इसके प्रत्येक पक्ष पर पूरी तरह विचार किया था और फिर एक ऐसे सुल्तान द्वारा जिसे सम्भवतः समस्त दिल्ली के सुल्तानों में दक्षिण का सबसे अधिक अनुभव था । इसलिये इसे सुल्तान की जस्टबाजी का कदम अथवा उसके पागलपन की सूझ बहना उचित न होगा ।

प्रो हबीब न सुल्तान के इस प्रयोग का एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है । उनके अनुसार मुहम्मद तुगलक की अपने समकालीन लोगों की तुलना में दक्षिण का अधिक ज्ञान था और मुस्लिम साम्राज्य की सुरक्षा व सुदृढ़ता के लिये यह यह मानता था कि जब तक दक्षिण भारत को जो उत्तर भारत की ही तरह साम्राज्य का 'स्वदेशी' जामा न पहना दिया जावे तब तक राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता है । दक्षिण में शक्तिशाली हिन्दू राज्य थे और वे किसी भी समय संगठित हो मुस्लिम राज्य को विन्ध्याचल के पार लदेह सकते थे । इसी सन्दर्भ में उसने अपने पिता के काल में वारंगल पर असफल आक्रमण भी किया था क्योंकि वह जानता था कि वारंगल के राज्य का अस्तित्व रहते हुये, देवगिरि की स्थिति को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है । इसी कारण सुल्तान बनने पर उसने वारंगल पर दूसरा सफल आक्रमण किया और देवगिरि की तरह वारंगल को भी अपने प्रभारों का शौच दिया । परन्तु राजनैतिक रूप में इसका समाधान निकालने के बाद भी सामाजिक रूप में इसका हल निकालना भी आवश्यक था । उसने यह

अनुभव किया कि दक्षिण के लिये दिल्ली की जनना एक उत्तम सामाजिक और आर्थिक इकाई होगी और इसलिये वह उसे वहाँ ले जाना चाहता था। किन्तु यह पर्याप्त नहीं था। जब तक एक व्यापक-प्रचार नहीं किया जावे तब तक मुस्लिम नामाजिक व धार्मिक केन्द्र दक्षिण में स्थापित नहीं किये जावें तब तक उसकी योजना असफल रहेगी। इसलिये रहस्यवादी भी प्रचार तथा उपदेश के लिये भेजने जरूरी थे। इसीलिये दो भूकियो और मन्तो को भी वहाँ ले गया जो उसके इस उद्देश्य की पूर्ति करते। डा. मेहदी हुसैन का भी यह विचार है कि सुल्तान दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केन्द्र बनाने के लिये राजधानी वहाँ ले जाना चाहता था।

गार्डनर ब्राउन का कहना है कि, "मुहम्मद बिन तुगलक केर जयारोहण के साथ साम्राज्य के आकर्षण का केन्द्र उत्तर से दक्षिण हो गया। पंजाब लगभग सो वर्षों से मंगोलों द्वारा विनाश के कारण अपना महत्व खो चुका था। जब मुहम्मद तुगलक ने अपना दक्षिण-प्रयोग क्रियान्वित किया तो वास्तव में उसने केवल कतिपय आर्थिक शक्तियों के एक एजेंट की भूमिका निभायी। ये आर्थिक शक्तियाँ उस समय देश के जीवन में प्रभावशाली थीं और उनकी मांग थी कि राजधानी का स्थानान्तरण एक ऐसे क्षेत्र में किया जावे जो आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध हो ताकि एक अग्रिम भारतीय ज्ञान के ढाँचे को स्थायित्व दिया जा सके। जब हम सभी समकालीन और आधुनिक व्याख्याओं पर विचार करते हैं तो यह प्रतीत होता है कि दक्षिण-प्रयोग मूल रूप में राजनैतिक आवश्यकताओं का परिणाम था। एक ऐसे साम्राज्य के लिये, जिनमें भावार और बंगाल जैसे सुदूर क्षेत्रों में निरन्तर विद्रोह और विप्लव होते रहते थे, स्थिति का मुकाबला करने के लिये इसके अतिरिक्त दूसरा और कोई प्रभावपूर्ण उपाय नहीं था जिसके लिये कि सुल्तान प्रयत्न करता।"

डा. मेहदी हुसैन और प्रो. निजामी के अनुसार मुहम्मद तुगलक दो राजधानियाँ बनाना चाहता था—दिल्ली तथा दौलताबाद, परन्तु समकालीन इतिहासकारों के लेखों से इसकी स्पष्ट पुष्टि नहीं होती है। 730 हिजरी और 731 हिजरी में ढाले गये दो सिक्के मिले हैं जिनमें एक पर दिल्ली की 'तख्तगाहे देहली' और दूसरे पर दौलताबाद की 'तख्तगाहे दौलताबाद' लिखा गया है, जिससे यह परिणाम निकाला जाता है कि दौलताबाद को केवल इसका प्रशासनिक नगर बनाया गया था।

परिपालन—योजना की कई चरणों में लागू किया गया। सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद के रास्ते पर प्रत्येक दो मील पर सराएँ बनवाई तथा मार्ग के दोनों ओर वृक्ष भी लगवाये। सबसे पहले सुल्तान, उसकी माँ तथा अमीरों और मलिकों सहित सम्पूर्ण शाही घराना और उसके बाद छः कारवाँ बनाकर लोगों को वहाँ भेजा गया। सुल्तान ने दौलताबाद में लोगों के लिये खाने पीने और रहने की मुफ्त व्यवस्था की।

याहिया सरहन्दी के इस विचार के विरोध में बरनी का कथन है कि सम्पूर्ण जनता को दीलताबाद जाने के लिये बाध्य किया गया था। बरनी के अनुसार, 'ऐसा भीषण विनाश हुआ कि नगर के मकानों, महलों या मुहल्लों में एक भी कुत्ता या बिल्ली तक दिखाई न देते थे।' इब्नबतूता लिखता है कि, "मुल्तान के आदेश पर जब मोर की गई तो उमने गुलामों को एक लगड़ा और एक ग्रन्था व्यक्ति प्राप्त हुआ। लंगड़े को मार डाला गया और ग्रन्थे की घमोट कर दीलताबाद ले जाया गया जहाँ उसकी केवल एक टांग ही पहुंची थी।" उसने आगे लिखा है कि, "मुझे एक विश्वस्त सूत्र में ज्ञान हुआ है कि मुल्तान एक रात्रि को अपने राजभवन की छत पर चढ़ा और उसने शहर की ओर देखा तो उसे न तो प्राण दिखाई दी न धुआँ और न ही कोई चिराग। तब उसने कहा कि अब मेरा हृदय प्रसन्न है और मेरी आत्मा को शान्ति है।"

समकालीन इतिहासकारों ने इस विरोधी विवरण को अपने-अपने दृष्टिकोण से लिया है। बरनी और इसामी विशिष्ट वर्ग से सम्बन्धित थे इसलिये उन्होंने इस वर्ग की होने वाली कठिनाइयों को बढ़ा-चढ़ा कर लिखा है। बरनी मुहम्मद तुगलक की उदार नीति से अत्यधिक नाराज था इसलिये उसने इस प्रकार से लिखा है और इसामी को पारिवारिक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था (उसके पिता की रास्ते ही में मृत्यु हो गई थी।) प्रो. निजाभी¹ यह मानते हैं कि सम्पूर्ण जनता को दिल्ली छोड़ने के लिये बाध्य नहीं किया गया था अपितु अमीर, उलेमा, जेज आदि को ही बहा जाने के आदेश दिये गये थे। 1327 व 1328 ई के दो मस्जिद गिलालेखों से भी यह आनकारी मिलती है कि हिन्दू इस सम्पूर्ण अवधि में शान्तिपूर्वक रहे। इसी प्रकार डा. मेहदी हुसैन² भी यह मानते हैं कि, 'दिल्ली राजधानी न रहा हो—ऐसा कभी नहीं हुआ और इस कारण वह न कभी आवादी-रहित हुआ और न निर्जन।' डा. ईश्वरी प्रसाद और वृन्जले हेग बरनी और बतूता के विवरण को प्रतिरजित मानते हुए भी इस मत के पोषक हैं कि मुल्तान ने दिल्ली की समस्त जनता को दीलताबाद जाने के लिये बाध्य किया था।

जनता की प्रतिक्रिया—मुल्तान ने दिल्ली से दीलताबाद की 40 दिन की यात्रा के लिये प्रत्येक प्रकार की सुविधा पहुचाने का प्रयत्न किया था, परन्तु साधारणतया लोग अपने घरों की छोड़कर एक दूरस्थ और अनजाने प्रदेश में जाकर बसने के लिये तत्पर नहीं होते हैं। ये तथ्य 14वीं शताब्दी में और अधिक प्रमाण रखता था जब आवागमन के साधन अत्यधिक सीमित होने के बाद ही प्रसुरित भी थे। पिछले लगभग एक सौ साठ वर्षों से दिल्ली राजधानी थी और वहाँ के नागरिक व सांस्कृतिक जीवन चलन ढंग से ही विकसित हो चुका था। मुहम्मद तुगलक की इस योजना ने दिल्ली के 'खानवाहों' और उसके सांस्कृतिक केंद्रों को उजाड़

1. हबीब व निजाभी, पृ. 437

2. मेहदी हुसैन, तुगलक आदलेखी, पृ. 145

दिया था। सुल्तान ने साधु-सन्तों तक को बाल पकड़-पकड़ कर दीलतावाद भेजा था और क्योंकि इन लोगों का साधारण जनता पर अधिक प्रभाव था इसलिये इन्होंने सुल्तान को अलोकप्रिय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली की साधारण जनता सुल्तान के रोप से पूरी तरह परिचित थी, इसलिये न चाहते हुये भी उसे नीपण गर्मी के दिनों में जो लम्बी यात्रा करनी पड़ी थी उससे कष्ट कई गुना बढ़ गये थे। ऐसी स्थिति में सुल्तान के प्रति प्रत्येक वर्ग में तीव्र प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था।

दीलतावाद पहुँचने पर भी सुल्तान शान्ति से नहीं बैठ सका। एक ओर तो देहगिरि (दीलतावाद) की जलवायु सुल्तान और लोगों के अनुकूल नहीं थी और दूसरी ओर साम्राज्य के उत्तरी भागों में शासन व्यवस्था विगड़ने लगी। मंगोल पुनः क्रियाशील हो गये और सुल्तान के गवर्नर बहुराम एवा ने भी विद्रोह कर दिया। दो घाव में कर-वृद्धि न केवल असफल हो गई अपितु उसके कारण विद्रोह पनपने लगे। अतः सुल्तान ने 1335 ई. में ही लोगों को अपनी इच्छानुसार दिल्ली वापिस जाने की आज्ञा दे दी थी। लोगों को पुनः अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। बरनी ने लिखा है कि राजकोष का घन बगैर किसी प्राप्ति के बन्नाद हुआ और योजना पूरी तरह असफल रही। सुल्तान ये न समझ सका कि मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए दिल्ली अधिक उपयुक्त स्थान था। अग्र्यवस्थित दक्षिण भारत की तुलना में व्यवस्थित उत्तर भारत दिल्ली सल्तनत के लिए अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण था।

परिणाम—प्रो. निजामी¹ ने राजधानी परिवर्तन के प्रयोग को दो आधारों पर आंका है अर्थात् तात्कालिक व दूरवर्ती। उन्होंने लिखा है कि, "उसका तात्कालिक प्रभाव सुल्तान के विरुद्ध व्यापक असन्तोष था, जिसने सदैव के लिए जनता का विश्वास खो दिया तथा अपनी यातनाओं के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध कटुता उनके मन में अनेक दशकों तक बनी रही।" दूसरे आधार पर सुल्तान के इस प्रयोग ने उत्तर और दक्षिण को विभाजित करने वाली सीमाओं को तोड़ दिया। यद्यपि इससे सल्तनत की प्रशासनिक शक्ति का दक्षिण में प्रसार न हो सका परन्तु सांस्कृतिक संस्थाओं का प्रसार हुआ। बरनी के इस कथन पर कि, "दीलतावाद के चारों ओर मुसलमानों की कब्रें नजर आती थीं।" प्रो. निजामी ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि इन कब्रों ने उत्तर के निवासियों के दिल दक्षिण की भूमि से जोड़ दिये और इसी कारण बहमनी राज्य का उदय सम्भव हो सका।

सांकेतिक मुद्रा का चलाना—सुल्तान ने लगभग 1329-30 ई. में सांकेतिक मुद्रा चलाई। सुल्तान ने चाँदी के 'टंका' के स्थान पर तबि अथवा कांसे के सिक्के

दलवाये और इनकी चादी के टका के बराबर मूल्य का घोषित किया। सांकेतिक मुद्रा चीन तथा ईरान में 13वीं शताब्दी में बनाई गई थी और यद्यपि यह ईरान में अमफल रही परन्तु चीन में इसको पूर्ण सफलता मिली थी।

बरनी के अनुसार क्योंकि मुल्तान की उदारता और विदेशों पर विजय प्राप्त करने की योजनाओं में राजकोष खाली हो गया था इसलिए उसने दिवालियेपन को दूर करने के लिए यह पुक्ति अपनाई। यद्यपि यह ठीक है कि खुरासान और काराचिन की नीतिया के फलस्वरूप आर्थिक दबाव अवश्य पड़ा था परन्तु यह मानना कि मुल्तान दिवालिया हो चुका था उचित नहीं है क्योंकि हमें यह पूर्ण जानकारी है कि प्रयोग के असफल होने पर मुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के बढने और चादी के सिक्के दिये थे।

यह भी स्वीकार किया जाता है कि चादी की कमी के कारण मुल्तान ने यह प्रयोग किया। इस कारण में मर्यादा अवश्य है, क्योंकि नेलसन राइट से हमें भानूम पहना है कि बंगाल के अनिश्चित चाँदी की पूर्ति के साधन छोड़े थे और दक्षिण भारत से लाई गई सम्पत्ति समाप्त हो गई थी। ऐसी स्थिति में मिश्रित धातु का प्रयोग मुल्तान के लिए जरूरी हो गया था।

सम्भवतः मुल्तान एक नया प्रयोग भी करना चाहता था। मुल्तान के चरित्र की विशेषता थी कि वह मौलिक समस्याओं के अस्थायी समाधान से मन्तुष्ट नहीं होता था। जब भी कभी कोई कठिनाई सामने आती तो वह उसके समाधान के लिए सैद्धान्तिक समाधान निकालने का प्रयत्न करता था और चाँदी की कमी एक विशेषव्यापी मौलिक समस्या थी जिसका सैद्धान्तिक समाधान उसने सांकेतिक मुद्रा में निकाला था।

मुल्तान ने 1330 ई. में बरनी के अनुसार तांबे के और फरिस्ता के अनुसार पीतल के सिक्के जलाये। प्रारम्भ में तो ये धाराम से चने परन्तु छोटे ही दिन बाद गड़बड़ी पैदा होने लगी। लौम यह वहीं समझ गये कि केवल राजाज्ञा से तांबा और चाँदी बराबर नहीं हो सकते हैं। साधारण लोगों के लिए तांबा, तांबा ही या और चाँदी, चाँदी हो थी। उनका यह भ्रम था कि मुल्तान इस प्रकार से उनकी चाँदी को अपने त्रिभुज राजकोष में रखना चाहता है और उसके बढने यह तांबे के टुकड़े दे रहा है। अतः वे इसने प्रति किसी प्रकार से स्वयं के मनाभावों को ठीक न कर गये।

प्रभाव—सांकेतिक मुद्रा का विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूप में विभिन्न प्रभाव पड़ा। बरनी के अनुसार प्रत्येक हिन्दू का घर टकमाल बन गया, जहाँ बहुलायन में नकली सिक्के बनाये जाने लगे। परन्तु हिन्दू ही क्यों मुसलमान भी इस सोच से बचिन नहीं रहे होते और जो भी नकली सिक्के बना सकता था, उसने उन्हें बनाया। मुल्तान टकमाल पर एकाधिनार नहीं रख सका और न ही ऐसी धातु का प्रयोग किया जो आमानी में उपलब्ध न हो।

मुहम्मद हबीब¹ ने लिखा है कि, "टकसाल के पास सिक्कों के लिए एक विनियम प्रकार के कांसे की मिश्रित धातु थी, जिसे कसौटी पर सरनता से पहचाना जा सकता था। किन्तु कांसे के सिक्कों में धातुओं के अनुपात का भेद सुनार न जान सके।" उस समय लोग जब सोने या चांदी के सिक्के लेते थे तो वे कसौटी पर उसकी परख करते थे तथा तौलते थे। सुल्तान यह नमश्कता था कि जनता नये सिक्कों के साथ भी वही व्यवहार करेगी और इस प्रकार से असली और नकली सिक्कों की पहचान सम्भव होगी परन्तु जनता ने उस विषय में उसे निराश किया और परिणाम हुआ कि असली सिक्के अधिकाधिक नकली सिक्कों में मिल गये।

जनता ने चांदी जमा करना शुरू कर दी और अपनी समस्त आवश्यकतायें सांकेतिक मुद्रा से खरीदने लगे। विदेशी व्यापारी अपनी वस्तुएं बेचते समय तो चांदी के सिक्के स्वीकार करते थे परन्तु भारतीय वस्तुओं को खरीदते समय सांकेतिक मुद्रा का ही प्रयोग करते थे। इसके फलस्वरूप देश का व्यापार चौपट होने लगा और चारों ओर अव्यवस्था ही अव्यवस्था दिखाई देने लगी।

खुत, चौधरी और मुकद्दमों ने भू-राजस्व का मुगलान सांकेतिक मुद्रा में करना शुरू किया। इससे वे पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली व सम्पन्न बन गये। हठीले स्वभाव के व्यक्तियों ने जाली प्रतीक मुद्रा से हथियार तथा युद्ध-सामग्री खरीदना शुरू की।

सुल्तान ने तीन अथवा चार साल में ही सांकेतिक मुद्रा का चलन बन्द कर दिया। लोगों को आदेश दिया गया कि वे इस मुद्रा को राजकोष में जमा करा दें तथा इसके बदले सोने और चांदी के सिक्के ले लें। फलस्वरूप राजकोष के सामने इन सिक्कों का ढेर लग गया और सुल्तान ने इनके बदले चांदी व सोने के सिक्के दिये। राजकोष को सुल्तान के इस प्रयोग से काफी हानि उठानी पड़ी।

सुल्तान की योजना सैद्धान्तिक आधार पर ठीक होने पर भी पूरी तरह असफल रही। डा. मेहुदी हुसैन का यह विचार ठीक लगता है कि सुल्तान का प्रयोग सामूहिक रूप से अच्छा और राजनीतिज्ञतापूर्ण था, परन्तु व्यावहारिक रूप में उसने वे सब सावधानियां नहीं धरतीं जो ऐसे प्रयोग के लिए आवश्यक थीं। उसने टकसाल पर एकाधिकार नहीं रखता अथवा जालसाजी को रोकने के लिए सक्रिय कदम नहीं उठा सका। जनता भी इस योजना की विफलता में कम उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि एक ओर तो वह सुल्तान के प्रयोजन को न समझ पाई और दूसरी ओर द्वेषभाव के कारण वह इसके अच्छे पक्ष को देखने में असमर्थ रही। सुल्तान ने न तो जाली सिक्का ढालने वालों का पता लगाने की ही कोशिश की और न ही उनका दण्डित करने की व्यवस्था की और इसलिये योजना असफल रही।

1. हबीब व निजामी, वही, पृ. 441

मंगोल आक्रमण

मुहम्मद तुगलक के समय में मंगोलों का एक आक्रमण 1327-28 ई में हुआ। टान्स-आक्सियाना के मंगोल नेता अलाउद्दीन तार्माशीरीन ने एक बड़ी सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया। डा मेहदी हुसैन की यह मान्यता है कि मंगोल नेता गजनी के निकट अमीर खोबन से पराजित होकर एक शरणार्थी की तरह भारत आया था और सुल्तान ने उसे 5,000 दीनार देकर वापिस भेज दिया। परन्तु इसामी के कथन से मालुम पड़ता है कि सुल्तान की एक सेना ने मेरठ के निकट उसका मुकाबला किया और उसे पराजित कर वापिस जाने के लिये बाध्य किया। प्रो. निजामी भी यह मानते हैं कि सुल्तान के समय में मंगोलों का यह पहला और अन्तिम आक्रमण था। मंगोलों के वापिस चले जाने के बाद सुल्तान ने उत्तर-पश्चिम सीमा की सुरक्षा की ओर अनुचित ध्यान दिया। इसामी के अनुसार सुल्तान ने कलनूर (पंजाब) तथा पेशावर को अपने अधिकार में कर लिया और वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की।

साम्राज्य विस्तार

मुहम्मद तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का अत्यधिक विस्तार हुआ। अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की तरह उसने विजित राज्यों को दिल्ली में सम्मिलित करने की नीति अपनाई। इसामी ने लिखा है कि मंगोलों के जाने के बाद उसने पंजाब के पेशावर और कलनूर को अपने राज्य में मिला लिया।

खुरामन की विजय योजना—1327-28 में मंगोलों के वापिस चले जाने के बाद सुल्तान ने खुरासान-विजय की योजना बनाई। उसने लगभग 3,70,000 सैनिकों को एकत्र किया और उन्हें एक वर्ष का अग्रिम वेतन भी दिया। मध्य-एशिया और ईरान की अल्पवस्थित परिस्थितियाँ और सुल्तान के दरबार में खुरासान से भागकर आये हुए अमीरों का प्रोत्साहन इस योजना के लिए उत्तरदायी तत्व थे। परन्तु यह योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी। सुल्तान ने सेना को भग कर दिया। मध्य एशिया की परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया था और सुल्तान के लिए सम्भव न था कि वह एक बड़ी सेना के वेतन का मुगतान लम्बे समय तक करता रहे। सुल्तान की इस योजना में राज्य को आर्थिक हानि उठानी पड़ी और सेना से निकाले गये सैनिकों ने प्रमत्तोप पैदा किया। योजना मूल आधार पर भी दोषपूर्ण थी क्योंकि एक तो इतने दूरस्थ प्रदेश को जीतना काफी कठिन था और दूसरे यदि जीत भी लिया जाता तो उसे अपने अधिकार में रखना उससे भी अधिक कठिन था।

नगरकोट की विजय—यह दुर्ग पंजाब में कागडा जिले में था। सुल्तान ने पहली बार सल्तनत काल में इसे जीतने की नीति अपनाई। सुल्तान साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से इन पर अधिकार करना चाहता था। 1337 ई में सुल्तान ने

उसे जीत लिया, परन्तु अपनी अधीनता स्वीकार करवा कर पुनः इसे वहाँ के हिन्दू शासक को लौटा दिया।

कराजल पर आक्रमण (1337-38 ई.)—यह राज्य हिमालय की तराई में स्थित प्राधुनिक कुमायूँ जिले में था। फरिश्ता लिखता है कि सुल्तान का लक्ष्य कराजल की विजय नहीं अपितु चीन की विजय था। बरनी इसे ईराक और खुरासान की विजय का प्रथम चरण मानता है। परन्तु प्राधुनिक इतिहासकार इन मतों को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रो. निजामी का कहना है कि क्योंकि हिमालय खुरासान अभियान के मार्ग में बाधक नहीं था इसलिए बरनी का कथन मान्य नहीं है। अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि सुल्तान का उद्देश्य उन पहाड़ी राज्यों को अपने अधीन करना था जहाँ पर अधिकांश विद्रोहियों ने शरण ले रक्की थी।

सुल्तान ने अपने भानजे खुसरो मलिक के साथ लगभग 10,000 सेना कराजल की ओर भेजी। सेना ने जिषा पर अधिकार कर लिया और सुल्तान ने उसे अपने साम्राज्य में मिलाने के प्रतीक-स्वरूप एक काजी की वहाँ नियुक्ति की। सुल्तान ने खुसरो मलिक को जिषा से आगे न बढ़ने की चेतावनी दी थी परन्तु अपनी सफलता से प्रफुल्लित खुसरो ने इनकी अवज्ञा कर तिब्बत की ओर बढ़ना शुरू किया। पहाड़ी निवासियों ने पत्थरों के खड फेंककर सेना को काफी परेशान किया और रहीं-सही कसर बर्पा व बीमारी ने पूरी कर दी। बरनी के अनुसार केवल दस व्यक्ति जीवित लौटे परन्तु इतनबतूता इनकी संख्या केवल तीन बताता है।

यद्यपि खुसरो मलिक की विपत्ति के लिये सुल्तान दौपी नहीं ठहराया जा सकता है परन्तु फिर भी सुल्तान होने के नाते उसे परिणाम भुगतने पड़े। राजकीय को भारी क्षति पहुँची और लोगों में सुल्तान की आस्था में कमी आई। ऐसा माना जाता है कि चूँकि पहाड़ के नागरिक तराई के भाग में खेती करते थे इसलिए उन्होंने सुल्तान से सन्धि कर ली और उसे कर देना स्वीकार किया।

दक्षिण भारत—सुल्तान ने अपने समय में तेलंगाना और पांड्य राज्य के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। अपने शासन के आरम्भिक वर्षों में बहाउद्दीन गुर्गासप के विद्रोह ने उसे दक्षिण के अन्य भागों को भी अपने अधिकार में करने का अवसर दिया। गुर्गासप ने कम्पिली में शरण ली। वहाँ का शासक अलाउद्दीन खल्जी के समय देवगिरि के अधीन था परन्तु अलाउद्दीन द्वारा देवगिरि की विजय के बाद उसने स्वयं को स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया था। सुल्तान के समय में वहाँ के शासक कम्पिलीदेव ने विद्रोही की शरण दे सुल्तान के आक्रोश को जकसाया और सुल्तान ने आक्रमण करने के आदेश दिये। कम्पिलीदेव युद्ध में मारा गया तथा उसके राज्य को दिल्ली में मिला लिया गया। अपनी मृत्यु के पहले उसने गुर्गासप को द्वारसमुद्र के शासक वीर बल्लाल के गहाँ भेज दिया।

वीर बलान न मुसलम की रक्षा करन का प्रयत्न किया परंतु धमकत रहा। सुल्तान न उस पराजित कर द्वारसमुद्र का अधिकांश भाग उससे छीन कर दिल्ली राज्य में मिला लिया। प्रो निजामी व अनुवार सुल्तान ने दक्खिन क निकट काउन (मिर्गद) को भी नाग नाथक में छीत लिया था। इन विजयो क कारण दक्षिण भारत क कुछ भाग को छोड़कर अब सभी प्रदेश मुहम्मद तुगलक क अधिकांश में आ गये।

राजपूताना—मुहम्मद तुगलक को राजपूताना में कोई सफलता नहीं मिली। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ क शासक हम्मीरदव न उसे पराजित किया और राजपूत स्यानों के अनुसार सुल्तान पचास लाख टके देकर ही स्वयं को मुक्त करा सका। ज्ञा मेहदी हुसैन व ज्ञा ईश्वरी प्रसाद इस राजपूत विवरण को प्रसवीकार करत हैं क्योंकि किसी भी ममकालीन इतिहासकार न इसका विवरण नहीं दिया है।

इस प्रकार मुहम्मद तुगलक ने साम्राज्य विस्तार करन में सफलता प्राप्त की। परंतु सुल्तान की यह सफलता म्यायी नहीं रही। दस वर्षों में ही उसके विस्तृत साम्राज्य का विघटन आरम्भ हो गया। उसके अन्तिम समय में उसके राज्य की सीमाएँ अनाउद्दीन मल्की के राज्य की सीमाओं में अधिकांश न रही। इस प्रकार वह राज्य विस्तार में तो सफल रहा परन्तु उस अपने काजू में न रख सका। भारत का एक विस्तृत भू प्रदेश होना यातायात की अनुविधाएँ और एक लम्बे समय तक राजनीतिक एकरा क अभाव न उसकी असफलताओं में योगदान दिया।

विद्रोह तथा साम्राज्य का विघटन

मुहम्मद तुगलक के समय अनेक विद्रोह हुए। इनमें से अधिकांश उसकी दमन-नीति के कारण थे, परन्तु कुछ विद्रोह महत्वाकांक्षी मरदारों ने भी किये। इनका परिणाम साम्राज्य के विघटन क रूप में निकरा। ये विद्रोह निम्न थे—

(1) 1326-27 ई. में गुलबर्गा के निकट मागर के जागीरदार बहाउद्दीन गुर्मास्य न किया। 1327 ई. में सुल्तान न उसे दक्खिन क निकट पराजित किया और मागर तक उसका पीछा किया। गुर्मास्य भाग कर कम्पिनी क हिन्दू शासक कम्पिनीदेव के महा पट्टे च गया। सुल्तान न कम्पिनी पर आक्रमण के लिये सेना भेजी और राजा युद्ध में मारा गया। परन्तु अपनी मृत्यु क पहले उसने गुर्मास्य को द्वारसमुद्र क होम्सल शासक वीर बलान की शरण में भेज दिया। वीर बलान न दिल्ली की सेना का मुकाबला किया, परन्तु अपनी स्थिति कमजोर देखकर उसने गुर्मास्य का बाही सेना को सौंप दिया। मुहम्मद तुगलक न गुर्मास्य की सान में भूषा भरवाकर उसे साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण शहरों में घुमवाया और उसके शरीर के मांस को चावल क साथ पकाकर उसका परिवार क लोगों के पास साने से भेजा।

(2) इसी वर्ष (1327-28 ई.) उब्ध सिंध और सुल्तान क सूबेदार आइबा उदें किन्नुवा न विद्रोह किया। वह सीमा पर तैनात था इसलिए उसका

विद्रोह राज्य के लिए खतरनाक था। सम्भवतया इस विद्रोह का कारण था कि किश्लूखां ने दौलताबाद जाने से मना कर दिया था और जिस व्यक्ति ने उसको सुल्तान का सन्देश दिया था उसका उसने वध कर दिया था। सुल्तान को जैसे ही उसके विद्रोह की सूचना मिली वह दक्षिण से उत्तर की ओर चला और उसे परास्त कर दिया। किश्लूखां भाग खड़ा हुआ, परन्तु पकड़ा गया और उसका वध कर दिया गया।

(3) 1327-28 ई. में ही गयासुद्दीन बहादुर ने बंगाल में विद्रोह किया। सुल्तान के सीतेले भाई बहरामखां ने उसे परास्त किया और उसकी खाल में भूसा भरवाकर सुल्तान के पास भेज दिया। परन्तु बहरामखां की बंगाल में शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उसके पश्चात् विभिन्न सरदारों में भगड़े शुरू हो गये। अन्त में सुल्तान के वफादार अमीर सरदार अली ने लखनौती पर अधिकार करके सुल्तान से किसी सूवेदार को भेजने की प्रार्थना की। परन्तु जब ऐसी व्यवस्था न हो सकी तो उसने स्वयं को सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया। बाद में मलिक हाजी इलियास ने उसका वध करके लखनौती पर अधिकार कर लिया और सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से स्वतन्त्र शासक बन बैठा। सोनारगांव पर भी उसने अधिकार कर लिया। मुहम्मद तुगलक बंगाल की ओर ध्यान न दे सका और वहाँ शमसुद्दीन का स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गया।

(4) सुनम और समाना में किसान-जागीरदारों ने विद्रोह किया परन्तु सुल्तान ने इसे दबा दिया और नेताओं को दिल्ली से जाकर मुसलमान बना लिया गया।

(5) 1338 ई. में कड़ा के सूवेदार मिजाम ने विद्रोह किया और सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतन्त्र शासक बन गया। परन्तु अबध के सूवेदार ने उसे पराजित किया और उसकी खाल में भूसा भरवाकर सुल्तान के पास भिजवा दिया।

(6) 1338-39 ई. में बीदर के सूवेदार नसरतखां ने विद्रोह किया। परन्तु उसकी पराजय हुई और उसने आत्मसमर्पण किया।

(7) 1339-40 ई. में गुलबर्गा में अलीशाह ने विद्रोह किया परन्तु वह पराजित हुआ और उसे गजनी भेज दिया गया। वहाँ से लौटने पर उसका वध कर दिया गया।

(8) 1340-41 ई. में अबध के सूवेदार आईन-उल-मुल्क ने विद्रोह किया। सुल्तान ने उसे दौलताबाद का सूवेदार नियुक्त किया था। इससे उसे यह सन्देश ही गया की सुल्तान उसे बरबाद करना चाहता है। इसलिये उसने सुल्तान के आदेश की अवज्ञा कर विद्रोह कर दिया। वह पराजित हुआ परन्तु सुल्तान ने उसकी योग्यता और निष्ठा को देख उसे क्षमा कर दिया।

(9) सुल्तान में शाहू अफगान ने सूवेदार का वध कर विद्रोह किया परन्तु जैसे ही सुल्तान पहुँचा वह पहाड़ों की ओर भाग गया।

(10) 1334-35 ई. में सैय्यद अहसान शाह ने मलाबार में विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने जो सेना उसके विरुद्ध भेजी वह उसके साथ मिल गयी। अतः

सुल्तान स्वयं दक्षिण की ओर गया। परन्तु इसी समय वारंगल में प्लेग फैल गया जिसका स्वयं सुल्तान भी शिकार हुआ। उसी समय लाहौर में विद्रोह हो गया और दिल्ली तथा मालवा में भ्रकाल पड़ गया। सुल्तान को मजबूर होकर वापिस घाना पडा। अहसान शाह ने मदुरा में एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया।

(11) सुल्तान की बीमारी का लाभ उठाकर जब वह वारंगल से ही वापस आ गया था, तब मलाबार के हिन्दुओं ने इसका लाभ उठाकर विद्रोह कर दिया। हिन्दू इससे पहले भी तैलंगाना में स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। यद्यपि मुस्लिम आक्रमणों के कारण तैलंगाना का राजवंश नष्ट हो गया था परन्तु फिर भी विभिन्न स्थानों पर हिन्दू सामन्त शक्तिशाली थे। इनमें से एक प्रोत्थ नायक था जिसने नत्तिराज जैसे सम-विचारों से सहायता लेकर मुस्लिम सेनाओं को अनेक स्थानों से खदेड़ दिया और पूर्वी गोदावरी जिले में एकपन्ती नामक स्थान पर एक स्वतन्त्र हिन्दू राज्य की स्थापना की। परन्तु 1330-35 ई के बीच उनकी मृत्यु हो गई। उनके उत्तराधिकारी काप्य नायक ने होयसल राज्य के धीर बल्लाल में सहायता लेकर तैलंगाना पर आक्रमण किया। तैलंगाना में नियुक्त मुस्लिम सूबेदार, मलिक मकबूल को उन्होंने मगा दिया और इस प्रकार 1335 ई में सम्पूर्ण तैलंगाना में एक हिन्दू राज्य की स्थापना हो गई। उसने मदुरा के नवीन स्वतन्त्र मुसलमानी राज्य के कुछ भाग पर भी अधिकार कर लिया और इस प्रकार काची में भी हिन्दू राज्य की स्थापना में सफलता प्राप्त की।

(12) इसी प्रकार का भ्रान्दोलन कृष्णा नदी के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट पर भी चल रहा था। यहां के भ्रान्दोलन का नेतृत्व चालुक्य सोमदेव कर रहा था। उसे पूर्वी तट के नेता प्रालय वेम की भी सहायता मिल रही थी। उसने कम्पिली के मुसलमान सूबेदार मलिक मुहम्मद को निकालकर उस पर अधिकार कर लिया। ऐसे समय में मुहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को कम्पिली का सूबेदार और नायब सूबेदार बनाकर भेजा। (मुहम्मद तुगलक ने इनको कम्पिली की विजय के बाद दिल्ली ले जाकर मुसलमान बना लिया था) परन्तु इनकी पराजय हुई। बाद में कम्पिली पर मुसलमानों का अधिकार हो गया परन्तु हिन्दू इसे स्वतन्त्र कराना का प्रयत्न करते रहे। अन्त में हरिहर और बुक्का पुन हिन्दू धर्म स्वीकार करने के बाद 1336 ई में विजयनगर राज्य की नींव डाली। इस प्रकार कृष्णा नदी के दक्षिण का प्रदेश दिल्ली सल्तनत के हाथों से सर्व्व के लिए निकल गया।

(13) 1341 ई में एक नये मुसलमानी राज्य की नींव पड़ी। यह बहमनी राज्य कहलाया। सुल्तान ने कुतुबुगवा की शैलतावाद से हटाकर तथा अजीज हिमार को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दो भूलों की थीं। कुतुबुगवा एक योग्य सूबेदार था। अजीज हिमार ने सुल्तान की इच्छा के अनुसार विदेशी मुसलमानों में से अनेकों का वध कर दिया। इस कारण गुजरान के अमीरों ने विद्रोह किया। परन्तु यह दबा दिया गया। तत्पश्चात् शैलतावाद में विद्रोह हुआ। वहां विद्रोहियों ने

इस्माइल को नासिरुद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान ने इस विद्रोह को दबा दिया। परन्तु इसी बीच दौलताबाद में भी विद्रोह हो उठा। सुल्तान के लिये कठिनाई थी कि अगर वो एक ओर विद्रोह को दबाता तो दूसरी ओर विद्रोह गुरु हो जाता था। इसी कश्मकश में न तो वो गुजरात के दूसरे विद्रोह को दबा सका और न ही बहुमनी राज्य की स्थापना को ही रोक सका।

(14) गुजरात में पुनः विदेशी अमीरो ने विद्रोह कर दिया था। उसी के कारण मालवा, बरार और दौलताबाद में भी विद्रोह हुये थे। प्रारम्भ में नायब वजीर ने विद्रोह को दबा दिया परन्तु जब सुल्तान दौलताबाद में था तब तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक भीषण विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं गुजरात गया। तागी एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा परन्तु अन्त में उसकी पराजय हुई और वह भागकर सिन्ध चला जहाँ पहले से ही विद्रोह हो रहा था। सुल्तान ने गुजरात के विद्रोह को दबाया और फिर सिन्ध की ओर गया। मार्ग में सुल्तान बीमार पड़ गया और घट्टा के निकट 20 मार्च, 1351 ई. को उसकी मृत्यु हो गई। वदायूनी ने लिखा है कि, "सुल्तान को उनकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गयी।"

इस प्रकार मुहम्मद तुगलक के गद्दी पर बैठने के समय से ही अन्त तक विद्रोह होते रहे। सम्भवतया इतने विद्रोह और किमी सुल्तान के समय में नहीं हुये थे। सुल्तान ने इनमें से अनेक विद्रोहों को दबाया परन्तु बाद में धन की कमी और विभिन्न युद्धों में सैनिक शक्ति के अपव्यय के कारण वह उनमें से अनेकों को दवाने में असफल रहा। मुहम्मद तुगलक के समय इन विद्रोहों ने साम्राज्य को खोल्ला कर दिया जो तुगलक वंश के पतन के लिए कारण बना।

मुहम्मद तुगलक का चरित्र व मूल्यांकन

मध्यकालीन भारत में मुहम्मद तुगलक का चरित्र और उसके कार्य विवाद का विषय रहे हैं। विवाद उसके सम्पूर्ण चरित्र को लेकर नहीं है अपितु उसके चरित्र की क्रूरता, उसके दुराग्रह व उसके कार्यों की असफलता में उसके उत्तरदायित्व को लेकर है। विवाद सम्भवतः इमलिये खड़ा हुआ कि ममकालीन इतिहासकारों ने उसके बारे में कोई निश्चित मत प्रकट नहीं किया।

सब ही इतिहासकार उसके व्यक्तिगत गुणों के बारे में एकमत हैं। सल्तनत-काल में कोई ऐसा शासक न हुआ जिसे सरबी, फारसी पर उस जैसा एकाधिकार हो। गणित, नक्षत्र-विज्ञान, भौतिक-शास्त्र, दर्शन व चिकित्साशास्त्र में वह अद्वितीय था। स्वयं विद्वान ही नहीं अपितु वह विद्वानों का संरक्षक भी था। वह मुक्त हृदय से दान करता था और लगभग 40,000 गरीब प्रतिदिन शाही भोजनालय से भोजन प्राप्त करते थे। उसका नैतिक जीवन सैद्धान्तिक था और उसमें सुल्तानों में पाये जाने वाले मामान्य श्रवण नहीं थे। स्त्री-सम्बन्धी मामलों व शराब के क्षेत्र में वह रुढ़िवादी था। स्वयं शराब न पीता था और दूसरों को पीने से रोकने के लिए प्रयत्नशील रहता था। अपने सम्बन्धियों के प्रति वह सहृदय था और उनका सम्मान करता था।

मुल्तान एक योग्य सैनिक था जिसने शाहजादा काल में वारंगल पर अभियान कर अपने योग्यता का परिचय दिया था। शासक बनने के बाद भी उसने जिस वृहत् साम्राज्य का निर्माण किया वह उसकी रण-कौशलता का परिचायक है। उसके गजबाल में धनक विद्रोह हुये परन्तु मुल्तान जहाँ-जहाँ गया उसे सफलता ही मिली। यह ठीक है कि उसने अपने जीवन-काल में ही अनेक दूरस्थ प्रदेशों को लो दिया परन्तु इसके बाद भी उसकी सैनिक योग्यता में इससे कमी नहीं आयी, कारण कि उसने ऐसी परिस्थितियाँ का निर्माण कर लियी थी जिन पर न तो वह काबू ही था मगर और न ही स्वयं ध्यान दे सका। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय सैनिक अभियानों में ही व्यतीत किया और उनमें वह सफल भी रहा।

मुल्तान पर यह आरोप लगाया जाता है कि अपने पिता से एक वृहत् साम्राज्य मिलने और स्वयं द्वारा उसमें बढ़ोतरी करने के बाद भी केवल दस माल के बाद ही वह साम्राज्य अल्पविक्रम सीमित होकर रह गया। परन्तु अपने अन्तिम समय में उसने दिल्ली सल्तनत द्वारा सीधे प्रशासित क्षेत्र की सीमाएँ अपनी ही छोटी जितनी अलाउद्दीन खल्जी की मृत्यु के समय थीं। दिल्ली के अन्तर्गत 23 मुख्य प्रान्तों की शासन व्यवस्था करना और उस समय जबकि यातायात के साधन नहीं के बराबर हों सम्भव नहीं दीवता। विदेशीय प्रवृत्तियों को अकाल और प्लेग ने बढ़ावा दिया और परिणाम विद्रोहों तथा स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना में निकला।

मुल्तान की स्थिति का सही अनुमान हम तीन आधार पर कर सकते हैं। प्रथम, किमी भी मुल्तान के समय इतने अधिक विद्रोह नहीं हुये जितने उसने समय में हुये थे और उसने उनका सामना कर अनेकों को दबा दिया था। इससे यह स्पष्ट है कि उसकी समस्त कमियों के बाद भी उसके पास स्वाभिमत अधिकारियों का समूह रहा होगा। इसके अनिर्दिष्ट विद्रोहियों की सफलता उन क्षेत्रों तक ही सीमित थी जिन्हें अलाउद्दीन खल्जी की मृत्यु के बाद जीता गया था। इसका अर्थ था कि अलाउद्दीन ने उन प्रदेशों को अपने राज्य में न मिलाकर दूरदर्शिता दिखाई थी परन्तु मुहम्मद तुगलक यह समझने में असमर्थ रहा था।

दूसरे हमें किसी भी समकालीन इतिहासकार से यह जानकारी नहीं मिलती कि उसकी हत्या का कभी प्रयत्न किया गया था। सल्तनतकाल में मुल्तान की हत्या कर देना साधारण सी बात थी और एक नहीं अनेकों अवसरों पर इस प्रकार किया गया था। मुहम्मद तुगलक की हत्या का पहलव रचना अथवा हत्या करना अधिक उचित भी होता क्योंकि उसने राज्य से अमूल्य ऐसे व्यक्ति अवश्य होंगे जो जिनके पास मुल्तान से बदला लेने के लिये ठोस वैयक्तिक कारण रहे होंगे। यह भी कहीं नहीं मिलता है कि मुल्तान ने अपनी सुरक्षा हेतु पहले शासकों की तुलना में अतिरिक्त उपाय अपनाये थे।

अन्तिम बात यह है कि मुहम्मद तुगलक ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था और दो दिन तक सिन्ध में सेना बगैर किमी मुल्तान के ही रही

परन्तु फिर भी किसी सैनिक अथवा अधिकारी ने न तो कोई विद्रोह ही किया और न ही किसी ने स्वयं को सुल्तान बनाने का ही प्रयास किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सुल्तान के लोग उसके प्रति वफादार थे अन्यथा सल्तनत काल में अमीर व अधिकारी इस तलाश में रहते थे कि केन्द्रीय सत्ता की दुर्बलता का लाभ उठाकर वे स्वयं शक्ति-सम्पन्न हों। कुछ अल्पसंख्यक ही फीरोज के लिये समस्या खड़ी कर सकते थे, परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ और फीरोज उसका उत्तराधिकारी चुन लिया गया। बंगाल और दक्षिण स्वतन्त्र हो गये परन्तु उत्तरी भारत के सभी विद्रोहों को कुचल दिया गया।

इन बातों पर सहमत होने के बाद भी मुख्य प्रश्न उसके चरित्र, व्यवहार व व्यक्तित्व का है। डा. मेहदी हुसैन यह मानते हैं कि सुल्तान की असफलता जनता के असहयोग और परिस्थितियों के कारण थी। परन्तु अधिकतर इतिहासकार इसकी स्वीकार करने को तत्पर नहीं हैं, उनके अनुसार उसका उत्तम चरित्र, दुराग्रह, व्यावहारिक बुद्धि की कमी उसकी असफलता के मुख्य कारण थे। सुल्तान की योजनायें सैद्धान्तिक आधार पर ठीक थीं, परन्तु एक ओर तो वे समय से आगे थीं और इसलिये साधारण लोगों की समझ के बाहर थीं और दूसरी ओर उसमें इतना धैर्य नहीं था कि वो उनको शान्ति से क्रियान्वित करे। विद्वान होने के बाद भी वह घोर तानाशाह भी था और अवज्ञा को सहन करने के लिये तत्पर न था। इसलिये सुल्तान संयम खोकर कठोर दण्ड देता था और फिर अपने स्वयं की अधीरता और जल्दबाजी को दूसरों के सिर थोपकर क्रूर बन जाता था। उसका यही चारित्रिक दोष उसकी असफलता के लिये उत्तरदायी बना।

मुहम्मद तुगलक के बारे में मुख्य विवाद उसकी क्रूर और आत्म-विरोधी प्रकृति का है। इब्नबतूता लिखता है कि, "मुहम्मद तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जो उपहार देने तथा रक्त बहाने में अन्य सभी से अधिक रुचि रखता है। उसके द्वार पर किसी निर्धन को धनवान बनते हुये अथवा जीवित व्यक्ति को मृत्यु के मुख में जाते हुए किसी भी समय देखा जा सकता है।" बरनी ने भी लिखा है कि, "सुल्तान ने निरपराध मुसलमानों का रक्त बतनी क्रूरता से बहाया कि सर्वदा उसके महल के दरवाजे से बहता हुआ खून का दरिया देखा जा सकता था।" इस आधार पर बरनी और बतूता ने उसे रक्त-पिपासु बताया है। इन समकालीन विवरणों के आधार पर बाद के इतिहासकार उसमें पागलपन का अंश भी बताते हैं। इनके अनुसार उसके समस्त गुणों के साथ ही उसमें किसी भी प्रकार से निर्णय का अभाव नहीं था और इस आधार पर वह ऐसे काम कर बैठता था जो पागलपन के निकट थे। निस्सन्देह उसने साधारण अपराधों के लिये अमानवीय दंड दिये और नृशंस हत्याएँ भी कीं। परन्तु इस आधार पर हम उसे क्रूर अवश्य कह सकते हैं परन्तु क्रूरता और पागलपन में काफी अन्तर है और आवश्यक

नहीं कि दूर व्यक्ति पागल ही हो। डा. ए. एल. श्रीवास्तव उसे पागलपन के दोष से सर्वथा मुक्त मानते हैं। उनके अनुसार, "मुहम्मद तुगलक साधारण अपराधों के लिये मृत्यु-दण्ड इसलिये नहीं दिया करता था कि वह पागल था बल्कि इसलिये कि उसमें साधारण और भीषण अपराधों में अन्तर समझने की विवेकपूर्ण बुद्धि न थी।

बरनी ने जो उसका साथ लगभग सत्रह वर्ष तक रहा, उसे 'विरोधी तत्वों का मिश्रण' कहता है। यदि बरनी के पूरे विवरण को ध्यान से देखा जावे तो ऐसा लगता है कि बरनी शोचनीय अतर्कान्ध का भिकार था और अपेक्षाकृत इसके कि उसने सुल्तान की विपरीत तत्वों का माना है, अपने पृष्ठों में स्वयं की मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रतिबिम्बित किया है। यह सुल्तान की नीतियों का ही परिणाम था कि पद योग्यता के आधार पर दिये जाने लगे, अनेक नवोन आदेश जारी किये गये, अमीरों के वर्ग में मिश्रित जन समूह से नियुक्तियाँ की गईं, पंगम्बर की प्रकटित पुस्तकों और परम्पराओं के प्रति सदेह की मनोवृत्ति पंदा की गई जिसने चारों ओर घराबकता फैलाई और प्रतिष्ठित अमीरों की स्थिति ढावाडोल कर दी। ऐसा लगता है कि बरनी सुल्तान की इन बातों को पचा नहीं पाया और इसीलिये उसने सुल्तान की निन्दा की है। परन्तु बरनी की यह मनोदशा अधिक समय तक नहीं रहनी है। जैसे ही वह पुनः मुहम्मद तुगलक के युग से सौटता है और अकस्मात् अपनी वर्तमान दयनीय दशा के प्रति सबग होता है तभी उसके मनोभावों की स्थिति बदल जाती है। वह लिखता है,¹ "मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मैंने प्रतिष्ठा और पदवी का उपयोग किया। उसके समान सुरक्षक तथा उपकारी प्रशंसा का पात्र है।" तब वह उसकी भव्यधिक प्रशंसा करता है। प्रो. निजामी² ने लिखा है कि, "जब बरनी वर्तमान में है तो मुहम्मद बिन तुगलक के लिये उसके मन में प्रेम है। जब वह भूतकाल में है तो उसके पास उसके लिये घृणा के अतिरिक्त कुछ नहीं है।" इस तरह बरनी की मनोदशा लगातार प्रस्थिर है और उसी के अनुसार उसने अपने सुरक्षक की मनोस्थिति का चित्रण किया है। बरनी की यह मनोदशा समझने के बाद ही सुल्तान के चरित्र की समझने का प्रयत्न किया जा सकता है। डा. मेहरोत्रा हुसैन भी लिखते हैं कि, "मुहम्मद तुगलक के विरोधी गुण उसके जीवन के विभिन्न अवसरों पर प्रकट हुये और उसके लिये स्पष्ट कारण भी थे।"

मुहम्मद तुगलक की विभिन्न असफलताओं के बाद भी इतिहास में उसका अलग ही व्यक्तित्व बरक़ान है। डा. ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि, "मध्य-युग में

1. बरनी, शरीफ-ए-दीरौज़ग़ाही, पृ. 466

2. हवीज निजामी, वही, पृ. 473

अपना सिर रख दिया। अफीफ ने लिखा है कि "खुदाबन्दजादा ने सुल्तान फीरोज का सिर अपनी गोद में रख लिया और सुल्तान तुगलकशाह व सुल्तान मुहम्मद शाह का ताज फीरोज को पहना दिया।"

क्या फीरोज अपहरणकर्ता था—फीरोज द्वारा इस प्रकार सत्ता-प्राप्ति में पहली विचारणीय बात यह है कि क्या फीरोज सिंहासन का अपहरणकर्ता था अथवा क्या सिंहासन पर उसका न्यायोचित अधिकार न था? डा. आर. सी. जीहरी ने समकालीन स्रोतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि फीरोज अपहरणकर्ता था। (घ) उनके अनुसार बरनी के अतिरिक्त किसी समकालीन इतिहासकार ने मुहम्मद तुगलक के द्वारा फीरोज को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की बात नहीं लिखी है। यद्यपि बदायूनी ने इस बात की चर्चा की है परन्तु एक ओर तो बदायूनी ने अपने ग्रन्थ की रचना 16वीं शताब्दी में की और दूसरे उसने बरनी के ही विवरण के आधार पर लिखा इसलिये उसे अधिक मान्यता देना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वयं बरनी फीरोज शाह का प्रशंसक था इसलिये उसने दाबर मलिक व मुबारकखान के विरुद्ध फीरोज के पक्ष को दृढ़ करने के लिये इस प्रकार की मनगढ़न्त कहानी जोड़ दी थी। डा. जीहरी¹ का कथन है कि यदि मुहम्मद तुगलक ने फीरोज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया होता तो सुल्तान मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के तुरन्त बाद तथा अपने आप ही फीरोज का राज्याभिषेक हो जाता और अमीरों अथवा मलिकों को उसको चुनने की आवश्यकता नहीं होती। (ब) यदि फीरोज मुहम्मद तुगलक के द्वारा अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया होता तो खुदाबन्दजादा बेगम फीरोज के विरुद्ध अपने पुत्र दाबर मलिक के अधिकार की माँग न करती। इसके साथ ही यह भी तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि अमीरों ने दाबर मलिक के अधिकार की उपेक्षा उसके अयोग्य होने के आधार पर की थी। उन्होंने यह युक्ति नहीं रखी थी कि सुल्तान ने फीरोज को मनोनीत किया। (स) फीरोज जिसे समस्त इतिहासकार मुहम्मद तुगलक के प्रति अत्यधिक आशाकारी मानते हैं, यदि मनोनीत किया गया होता तो गद्दी पर बैठने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न दिखाता। इसीलिये वूल्जले हेग ने कहा है कि क्योंकि फीरोज यह जानता था कि वह मुहम्मद तुगलक का उत्तराधिकारी नहीं है अतः उसने गद्दी पर बैठने में आनाकानी की। (द) इसके अतिरिक्त यदि मुहम्मद तुगलक ने फीरोज को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया होता अथवा मृत्यु शय्या पर उसकी इस प्रकार की इच्छा होती तो निश्चित ही समकालीन इतिहासकार अफीफ इस तथ्य को लिखने में न चूकता। (प) अन्त में यद्यपि मुहम्मद तुगलक ने गद्दी छोड़कर कावा जाने का विचार किया था परन्तु उस स्थिति में भी उसने शासन सूत्र फीरोज के हाथों में नहीं

इसीनिचे वह उसे प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र से भिन्न करना चाहता था। समय-समय पर वह उसे अपने साथ अभियानों में भी ले जाता था। 1340-41 ई में ऐन-उल-मुल्क मुल्तानी के विद्रोह के समय फीरोज उसके साथ था। 1346 में जब मुहम्मद बिन तुगलक गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिये गया तो उसने फीरोज को नायब प्रतिशासक (वाइस-रीजेन्ट) नियुक्त कर दिल्ली में रक्खा। इस पद पर वह लम्बे समय तक रहा।

फीरोज का राज्याभिषेक—घट्टा के निकट सोढा नामक स्थान पर जब मुहम्मद बिन तुगलक की 20 मार्च 1351 ई को मृत्यु हुई तब फीरोज शाही शिविर में मौजूद था। शाही खेमे में घोर निराशा व्याप्त थी क्योंकि न तो सैनिकों को तगी के विरुद्ध कोई नेतृत्व दे सकता था और न ही उन्हें सुरक्षित रूप में दिल्ली पहुँचाने में ही कोई समय था। तगी के विरुद्ध अभियान में भर्ती किये गये मंगोल शाही शिविर को लूटने में लगे थे। शाही खेमे में यदि कोई चीज देखने को मिलती थी तो यह केवल अव्यवस्था ही थी। ऐसी स्थिति में शाही खेमे में उपस्थित अमीरों, मलिकों व विशिष्ट व्यक्तियों ने फीरोज को उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय लिया। शेख नासिरुद्दीन अलवी बिराग-ए-देहलवी व कलौषा अलमुस्लिमिर दिल्ली के वंशज ग्यासुद्दीन ने इमरें मन्त्रिय भाग लिया। अमीरों के इस प्रकार एकमत होने पर भी फीरोज मुल्तान बनने के लिये आनाकानी करता रहा। अफीक ने इमका वखान बरते हुये लिखा है कि: "तातारलाने, जो सबसे अधिक वृद्ध था, गड़े होकर जबरदस्ती फीरोज को गद्दी पर बँठा दिया। मुल्तान ने नमाज पढ़ी, ईश्वर से महायत्ना की प्रार्थना की और राजमुकुट धारण किया।" डा त्रिपाठी¹ ने लिखा है कि अमीरों ने अपने निर्णय को पुष्ट करने के लिये यह घोषणा की कि मुहम्मद तुगलक ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 23 मार्च 1351 ई. को फीरोज इस प्रकार मुल्तान बना।

फीरोज के गद्दी प्राप्त करने के बाद पहला विद्रोह मुल्तान ग्यासुद्दीन की पुत्री व मुहम्मद तुगलक की बहन खुदावन्दजादा के रूप में सामने आया। खुदावन्दजादा ने अपने पुत्र बाबर मलिक के अधिकार की पुष्टि की तथा उसके होते हुये फीरोज के अधिकार को अनुचित बताया। अमीरों तथा मलिकों ने मलिक सफ़ुद्दीन के माध्यम से, जो बड़ा ही स्पष्टवादी था, खुदावन्दजादा को यह कहला भेजा कि "यदि उनके अयोग्य पुत्र को मुल्तान बनाया गया तो हमारे लिये न तो कोई सुरक्षा के लिये घर ही मिलेगा और न ही हमें प्रपन्न रहने के लिये स्त्री तथा वस्त्रे ही मिलेंगे। यदि तुम स्वयं की सैनिकों से रक्षा चाहती हो तो हमारे निर्णय को स्वीकार करो। नायब बारखन के पद से तुम्हारे पुत्र को मुशोमित किया जावेगा।" खुदावन्दजादा मन मसोस कर गई। फीरोज मुल्तान बन गया और उसने अन्नपुर में जाकर खुदावन्दजादा के घरों में

1. डा. वी त्रिपाठी—मय आत्मेन्द्र्य आक मुक्तिम एडमिनिस्ट्रेशन, पृ. 65

अपना सिर रख दिया। अफीफ ने लिखा है कि "खुदाबन्दजादा ने सुल्तान फीरोज का सिर अपनी गोद में रख लिया और सुल्तान तुगलकशाह व सुल्तान मुहम्मद शाह का ताज फीरोज को पहना दिया।"

क्या फीरोज अपहरणकर्ता था—फीरोज द्वारा इस प्रकार सत्ता-प्राप्ति में पहली विचारणीय बात यह है कि क्या फीरोज सिंहासन का अपहरणकर्ता या अथवा क्या सिंहासन पर उसका न्यायोचित अधिकार न था? डा. आर. सी. जौहरी ने समकालीन स्त्रोतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि फीरोज अपहरणकर्ता था। (अ) उनके अनुसार बरनी के अतिरिक्त किसी समकालीन इतिहासकार ने मुहम्मद तुगलक के द्वारा फीरोज को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की बात नहीं लिखी है। यद्यपि वदायूनी ने इस बात की चर्चा की है परन्तु एक और तो वदायूनी ने अपने ग्रन्थ की रचना 16वें शताब्दी में की और दूसरे उसने बरनी के ही विवरण के आधार पर लिखा इसलिये उसे अधिक मान्यता देना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वयं बरनी फीरोज शाह का प्रशंसक था इसलिये उसने दावर मलिक व मुबारकला के विरुद्ध फीरोज के पक्ष को दृढ़ करने के लिये इस प्रकार की मनगढ़न्त कहानी जोड़ दी थी। डा. जौहरी का कथन है कि यदि मुहम्मद तुगलक ने फीरोज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया होता तो सुल्तान मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के तुरन्त बाद तथा अपने आप ही फीरोज का राज्याभिषेक हो जाता और अमीरों अथवा मलिकों को उसको चुनने की आवश्यकता नहीं होती। (ब) यदि फीरोज मुहम्मद तुगलक के द्वारा अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया होता तो खुदाबन्दजादा बेगम फीरोज के विरुद्ध अपने पुत्र दावर मलिक के अधिकार की माँग न करती। इसके साथ ही यह भी तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि अमीरों ने दावर मलिक के अधिकार की उपेक्षा उसके अयोग्य होने के आधार पर की थी। उन्होंने यह युक्ति नहीं रखी थी कि सुल्तान ने फीरोज को मनोनीत किया। (स) फीरोज जिसे समस्त इतिहासकार मुहम्मद तुगलक के प्रति अत्यधिक आजाकारी मानते हैं, यदि मनोनीत किया गया होता तो गद्दी पर बैठने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न दिखाता। इसीलिये वृत्जले हेग ने कहा है कि क्योंकि फीरोज यह जानता था कि वह मुहम्मद तुगलक का उत्तराधिकारी नहीं है अतः उसने गद्दी पर बैठने में आनाकानी की। (द) इसके अतिरिक्त यदि मुहम्मद तुगलक ने फीरोज को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया होता अथवा मृत्यु क्षण पर उसकी इस प्रकार की इच्छा होती तो निश्चित ही समकालीन इतिहासकार अफीफ इस तथ्य को लिखने में न चूकता। (घ) अन्त में यद्यपि मुहम्मद तुगलक ने गद्दी छोड़कर कावा जाने का विचार किया था परन्तु उस स्थिति में भी उसने शासन सूत्र फीरोज के हाथों में नहीं

अपित्तु फीरोज, मलिक बबीर व ब्रह्मद भयाज के हाथों में समुक्त रूप से छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। इन आघातों पर फीरोज को न्यायोचित अधिकारी मानना उचित न होगा।

प्राथमिक इतिहासकारों ने बरनी के विवरण में आघात पर यह विचार व्यक्त किया है कि "समुक्त मुस्लिम जनमत" के आघात पर फीरोज सत्तारूढ़ हुआ था। परन्तु सुदावन्दजादा का विरोध तथा फीरोज के द्वारा उसको शांत करना और बट्टा से देहली की यात्रा के बीच उस पर किये गये आघात यह बताते हैं कि फीरोज की गद्दी पर बैठने के बाद भी न तो उसे समस्त शिविर के लोगों ने सुल्तान स्वीकार किया था और न ही उसको अपदस्थ करने के प्रयास की ही छोड़ा था। बरनी स्वयं यह स्वीकार करता है कि सुदावन्दजादा के समर्थकों ने लगभग पाच बार फीरोज की हत्या करने का प्रयास किये थे। सौरत-ए-फीरोज शाही में भी पद्यन्यकारियों के नाम दिये बगैर इन प्रयासों का विवरण मिलता है। लेखक केवल यही कहता है कि ये पद्यन्यकारी सुल्तान के सम्बन्धी थे। डा. जोहरी² ने लिखा है कि फीरोज इनको दण्डित करने का साहस न रखता था सम्भवतः इसलिये कि ये सुयोजित थे तथा अपराधी परिणामों को मुगतने के लिये काफी शक्तिशाली थे। यह भी सम्भव हो सकता है कि फीरोज का पक्ष दुर्बल था और यदि उसने इन पद्यन्यकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की होती तो यह एक असुलत घटना की ख्याति देने के बराबर होती।

क्या फीरोज अनिच्छा से गद्दी पर बैठा था?—बरनी के विवरण से ऐसा आभास होता है कि फीरोज स्वयं सिंहासन पर बैठने के लिये उत्सुक नहीं था बल्कि अमीरों और मलिकों द्वारा बाध्य किये जाने पर गद्दी पर बैठा था। परन्तु अब इस विचार को अधिक मान्यता नहीं दी जाती है। डा. यू. एन. डे ने यह निष्कर्ष किया है कि फीरोज बहुत सन्चरित्र नहीं था। यह झराव पीता था और नाच-गाने, विशेषकर गाना सुनने का शौकीन था। ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि उसमें महत्वाकांक्षों नहीं थी बल्कि मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद सिंहासन के उत्तराधिकार के लिये जो विभिन्न गृह युद्ध हुए थे, फीरोज उनमें से एक गृह में था। प्रभावशाली उलेमा-बर्ख और इस्नाम के कट्टर समर्थक जो मुहम्मद तुगलक की नीति से असन्तुष्ट थे फीरोज के पक्ष में थे और वह भी बड़ी सावधानी से उनका समर्थन प्राप्त करता रहा। यद्वा से दिल्ली आते समय वह सभी सुन्नी सन्तों की मजार के दर्शन के लिये गया। उसने जीवित धर्माधिकारियों को सम्मान प्रदान किया और मर्दब बहु सुत्रियों के प्रति सद्भावना दिखाता रहा। जब उसे गद्दी पर बैठने के लिये आमन्त्रित किया गया, उस अवसर पर यद्यपि उसके समर्थकों की संख्या काफी थी परन्तु फिर भी उसकी स्थिति सुनिश्चित नहीं थी। उसके सकोच का यही कारण था अन्यथा उसने

कट्टर सुन्नी-वर्ग का समर्थन प्राप्त कर सिंहासन को प्राप्त करने की लालसा की थी। डा. डे ने लिखा है कि, “उसकी अरुचि और संकोच का कारण राज्य के सभी वर्गों से अपने लिये समर्थन प्राप्त करने की अनिश्चितता का परिणाम था।” डा. डे ने पुनः लिखा है कि, “सुल्तान मुहम्मद के एक पुत्र था जो उस समय शिकार पर गया था और जिसका फीरोज ने अपने अमीरों की सहायता से वध करवाकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया।” वरनी और अफीफ फीरोज के कृपा-पात्र थे और उन्होंने एक और तो उसके विरुद्ध लिखने का साहस नहीं किया और दूसरी ओर ऐसी मन-गढ़न्त कहानियों को जोड़ दिया जिनसे फीरोज का पक्ष दृढ़ किया जा सके। डा. डे का मत तर्क-संगत है क्योंकि ऐसे संकट के समय में जब कि सेना थटा में थी उस समय फीरोज को चुनना, जिसमें कोई सैनिक-प्रतिभा नहीं थी, उपयुक्त नहीं था। फिर वह अपने समस्त राज्य-काल में उलेमा-वर्ग पर निर्भर रहा। ये तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि फीरोज ने धार्मिक वर्ग और मुहम्मद तुगलक की नीतियों से असन्तुष्ट वर्ग से सांठगांठ कर गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया और उसमें वह सफल हुआ।

अहमद श्याज ख्वाजा जहाँ का विद्रोह—जब फीरोज थटा से दिल्ली की ओर बढ़ रहा था तो उच्छ में उसे सूचना मिली की वजीर ख्वाजा जहाँ ने एक छः अथवा सात वर्ष के बालक को सुल्तान मुहम्मद तुगलक का पुत्र घोषित कर 1 अप्रैल 1351 ई. को ग्यामुद्दीन महमूद की उपाधि से सुल्तान घोषित कर दिया है। ख्वाजा ने अनेक अमीरों जैसे आजम-ए-मुल्क, हिसामुद्दीन आदि का अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया परन्तु उन्होंने फीरोज के प्रति अपनी आस्था दिखाई। यह देखकर कि फीरोज क्षीणताशीघ्र दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, ख्वाजा ने धन आदि वांटकर लगभग बीस हजार घुड़सवारों की सेना फीरोज के विरोध के लिये तैयार कर ली। उसने फीरोज के पास दूतों को भेजकर यह सन्देश पहुँचाया कि, “सल्तनत व राज-सत्ता दिवंगत सुल्तान के परिवार में ही है इसलिये वह राज्य की सुरक्षा में ‘नायब’ का उच्च पद स्वीकार कर ले।” फीरोज ने शेर, उलेमाओं, मलिक, खान आदि को सलाह के लिये एकत्रित किया जिन्होंने फीरोज को इसके विरोध में सलाह दी।

ख्वाजा जहाँ ने सुल्तान फीरोज का विरोध करने की नीति अपनाई, परन्तु एक के बाद एक उसके सहायक सुल्तान से जा मिले। मलिक मकबूल द्वारा ख्वाजा का पक्ष छोड़ जाने पर उसने सुल्तान के सम्मुख आत्मसमर्पण करना अधिक उचित समझा जिससे कि वह उसे समुचित परिस्थितियों की जानकारी दे सके। ख्वाजा ने सुल्तान को जानकारी दी कि सुल्तान मुहम्मद तुगलक की मृत्यु तथा फीरोज और तातारख़ा के लापता होने की सूचना पाकर तथा मंगोलों की उग्र गतिविधियों को ध्यान में रखकर उसने सल्तनत की सुरक्षा के लिये यह कदम उठाया था। फीरोज

ने राजा की मायु को देखते हुये उसे समाना की जागीर दे दी जिसे वह अपने अन्तिम वर्ष ईश्वर-भक्ति में व्यतीत करे। परन्तु सम्भवत उसी के इशारे पर समाना पहुँचने के पहले ही शेरशा ने स्वाजा की हत्या कर दी। उसने सहायकों को भी दण्डित किया गया तथा बरनी के अनुसार उन सब का वध कर दिया गया।

हा प्रार पी त्रिपाठी, प्रो श्रीराम शर्मा तथा ब्रूजले हेग बालक को मुहम्मद तुगलक का पुत्र स्वीकार करते हैं जबकि डा. ईश्वरी प्रसाद, ए. सी बनर्जी आदि उसे मुल्तान मुहम्मद तुगलक का पुत्र स्वीकार नहीं करते हैं। प्रागा मेहदी हुसैन का मत है कि मुल्तान मुहम्मद तुगलक के दो पुत्र थे जिनमें से एक वही बालक था जो स्वाजा के द्वारा मुल्तान घोपित किया गया था।

फीरोज की कठिनाइयाँ—मुहम्मद तुगलक के अन्तिम वर्षों में ही तुगलक साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा था। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्यों की स्थापना से वह प्रदेश तुगलकों के हाथ से निरन्त चुका था। बगाल ने सल्तनत के परन्तवता के जूटे को उतार फेंका था और पट्टा से फीरोज के दिल्ली की ओर चलने पर सिन्ध का प्रदेश भी स्वतन्त्र हो गया था। इस प्रकार सल्तनत की सीमाएँ पंजाब, दिल्ली, दोम्राव, प्रवष, बिहार का कुछ भाग, मालवा तथा गुजरात में संकुचित हो गयी थीं।

इससे भी अधिक गहन समस्या आन्तरिक शासन से सम्बन्धित थी। बरनी¹ ने लिखा है कि, “कुछ लोगों का भ्रकाल के कारण विनाश हो गया और कुछ व्यापक रोगों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गये। कुछ लोगों ने कठोर दण्ड (मृत्यु दण्ड) के कारण प्राण त्याग दिये। कुछ लोग घर-बार छोड़कर दूर-दूर के स्थानों को चले गये और परदेश तथा दीनता स्वीकार कर ली। कुछ लोग पर्वतों तथा जंगल के प्राचलों में घुस गये।” राज्य की गिरती हुई आर्थिक स्थिति फीरोज के लिये एक चुनौती थी। इसके साथ ही अधिकांश मुस्लिम-बर्ग मुहम्मद तुगलक की धार्मिक नीति और व्यवहार में उसके विरोध में हो गया था। फीरोज के लिये इन समस्याओं का हल निवाहना एक कठिन कार्य था।

फीरोज ने स्वयं की कमियों को ध्यान में रखते हुये यह प्रयत्न करना भी ठीक नहीं समझा कि वह उन प्रदेशों से पुन दिल्ली की अधीनता स्वीकार करवाये जो उससे मुक्त हो गये थे। इसलिये बची हुई सीमाओं की सुरक्षा करना, राज्य के नागरिकों में सन्तोष उत्पन्न करना, राज्य की आर्थिक सम्पन्नता स्थापित करना तथा मुस्लिम-बर्गों को सन्तुष्ट करके उनकी सहानुभूति प्राप्त करना उसके उद्देश्य रहे। वह स्वयं यद्यपि कुशल शासन-प्रबन्धक नहीं था, परन्तु योग्य व्यक्तियों को खोज निकालने की क्षमता उसमें अद्वितीय थी और फिर वह उनमें विश्वास कर अधिकार

प्रदान करता था तथा उनसे वफादारी प्राप्त कर सकता था। इसलिये उसका समस्त शासन-काल सम्पन्नता की दृष्टि से अत्यन्त सफल रहा। दिल्ली के सुल्तानों में वह एकमात्र शासक रहा जिसने अपनी प्रजा की भलाई के लिये सतत प्रयत्न किया। इस दृष्टि से वह एक अपवाद ही था। विभिन्न दृष्टिकोणों से अपने समय से आगे होते हुये और जन-कल्याण का आदर्श रखते हुये भी उसकी इच्छा एक आदर्श मुसलमान बनने की रही। इसीलिये उसकी धार्मिक नीति सुन्नी मुसलमानों के समर्थन उलेमा वर्ग से प्रभावित व हिन्दुओं के प्रति असहिष्णुता की रही।

फीरोज का आन्तरिक शासन

राजस्व व्यवस्था—फीरोज की सत्तारूढ़ होते समय राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। मुहम्मद तुगलक के प्रयोगों के कारण खजाना खाली था और रही-सही कसर विद्रोहों को दवाने के खर्च ने पूरी कर दी थी जिनकी उसके शासन के अन्तिम वर्षों में बढ़ी सी लग गई थी। मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद बगीर खाना जहाँ ने अपने समयकों में घन अर्द्धि जुटाकर स्थिति को और भी दयनीय बना दिया था। अफीफ¹ ने लिखा है कि राजकोष का घन खत्म करने के बाद उसने सोने और चांदी के बर्तन अपने समयकों में बाँटे। अफीफ² ने लिखा है कि फीरोज को शत्रु से दिल्ली तक के मार्ग में अपने सैनिकों का भुगतान करने के लिये साहूकारों से धन उधार लेना पड़ा था।

फीरोज इस आर्थिक संकट के प्रति जागरूक था। सबसे पहले उसने अपने पक्ष को दृढ़ करने के लिये जिस सम्पत्ति को विभिन्न व्यक्तियों को दिया गया था उसे उनके पास ही रहने दिया और शरा के अनुसार शासन करने का आश्वासन दिया। शरा के अनुसार उसने केवल चार कर लगाये जिनको मोटे रूप से जकात, खराज, जजिया व खम्म कहते हैं।

शरा का पालन करते हुये उसने उन समस्त उपकरणों (Cesses) को रद्द कर दिया जिनकी उसमें आशा नहीं दी गई थी। फतुह्हात-ए-फीरोज शाही के अनुसार उसने राज्य की आय खराज, उसर, जकात, जजिया, खम्म व शरकत पर आधारित की। सीरत-ए-फीरोज शाही में ऐसे रद्द उपकरणों की संख्या 25 बताई गई है जबकि फतुह्हात-ए-फीरोज शाही में इनकी संख्या 26 है। काजी नसरुल्लाह ने शाही फरमान के आधार पर इन शर-कानूनी उपकरणों को रद्द होने की घोषणा की। डा. आर. जी. जौहरी³ के अनुसार, "इन उपकरणों की मनसूबी के कारण राज्य को प्रतिवर्ष तीस लाख टंक का नुकसान उठाना पड़ा।" अफीफ ने उपकरणों के रद्द करने की

1. अफीफ-तारीख-ए-फीरोजशाही, पृ. 52-53

2. वही, पृ. 61

3. आर. जी. जौहरी-फीरोज तुगलक, पृ. 94

तिये 1375-76 ई में बताई है परन्तु यह इसलिये मान्य नहीं है कि सरित्त-ए-फीरोज शाही, जिसको लिखकर 1371 ई में ही पूरा कर दिया गया था, इन उपजों की समाप्ति का विवरण देती है। इसलिये निश्चित ही ये उस तिये के पहले रह किये गये होंगे।

खराज तथा उसर—खराज का शाब्दिक अर्थ भूमि पर लगाया गया कर है। शरा के अनुसार यह उपज के 1/5 भाग में कम अथवा 1/2 भाग से अधिक नहीं हो सकता। बरनी के अनुसार उसने खराज व जजिया उत्पत्ति के आधार पर वसूल करने का आदेश दिया। बटाई, अत्यधिक वसूली व काल्पनिक हिमाब-कितान को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वह उसी निश्चित कर से सन्तुष्ट रहना था जिसे किसान बिना किसी आपत्ति, कठिनाई तथा बढोरता से दे सकता था। परन्तु अफीफ़ ने लिखा है कि, "सुल्तान ने राज्य-कर नये सिरे से निश्चित करने का विचार करके ख्वाजा हुमायूँद जुनैद को इस कार्य के लिये नियुक्त किया।" छ वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद राज्य की आय 6 करोड़ 75 लाख तक निश्चित किया गया जो फीरोज के सम्पूर्ण राज्यकाल में बना रहा।

इस प्रकार बरनी तथा अफीफ़ के विचारों में विरोध है। डा. आर. सी. जोहरी² बरनी के विवरण को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि जजिया उपज के अनुपात में वसूल नहीं किया जा सकता था। यह केवल प्रति व्यक्ति निश्चित कर था। अफीफ़ स्पष्ट लिखता है कि ख्वाजा ने राज्य में घूम-घूमकर अपने निरीक्षण के आधार पर कर निश्चित किया था इसलिये बरनी का विवरण मान्य नहीं है। माय हो कि राज्य की आय सुल्तान के समस्त राज्यकाल में एक जैसी ही बनी रही इसलिये उपज के आधार पर जो कि विभिन्न फसलों के बोये जाने पर प्रत्येक वर्ष भिन्न हो सकती थी इसलिये इसको अपनाया सम्भव न था। डा. जोहरी का स्पष्ट मत है कि फीरोज ने अनुवातिक खराज की अपेक्षा निश्चित खराज लेने की नीति अपनाई थी जो पुराने लेखे-जोने पर आधारित थी। उसर उपज का 1/10 भाग था जो मुसलमानों से वसूल किया जाता था।

जकात—जकात एक धार्मिक तथा सम्पत्ति कर था। इस्लाम के प्रति-प्राधार-भूत सिद्धान्तों में जकात एक था। प्रत्येक मुसलमान के लिये ईश्वर पालन करना एक फर्ज था। इसके धार्मिक गुणों तथा एकत्रित भ्रौर बाटने के सम्बन्ध में जो कड़े नियम थे उनके कारण भारत में यह एक धार्मिक कर के रूप में समाप्त हो गया था। इसके बदले यह सर्वनाधारण से चुगी कर के रूप में वसूल किया जाने लगा। यह स्पष्ट नहीं है कि इसे किस प्रकार से एकत्रित किया जाता था अथवा बाटा

1 बर्नी-बही, पृ. 94

2. आर. सी. जोहरी-बही, पृ. 97

जाता था। अफ्रीफ के विवरण से केवल यह जानकारी मिल पाई है कि फीरोज सराय-ए-बदल पर इसे चुंगी कर के रूप में लेता था। कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के नाते वह इसे मुस्लिम-वर्ग के लाभ के लिये ही खर्च करता था। अफ्रीफ ने लिखा है कि, "दिल्ली में एकत्रित किये गये जकात में से सुल्तान ने दरिद्र मुसलमानों को जिनको अपनी अनेक कन्याओं का विवाह सम्पन्न करना था प्रतिदिन एक टंका अनुदान देता था।" मकबরों, मस्जिदों आदि की मरम्मत में भी जकात का एक बड़ा भाग खर्च किया जाता था।

जजिया—एक मुस्लिम राज्य में गैर-मुस्लिमों (जिम्मियों) द्वारा जीवन-रक्षा के बदले दिये जाने वाले कर को जजिया कहते थे। यह भी माना जाता है कि विघर्ष होने के नाते उनसे इस्लाम के राज्य की सुरक्षा में सहयोग की आशा नहीं की जा सकती थी। इस सैनिक के बदले में उनसे जो कर वसूल किया गया वह जजिया कहलाया। फीरोज ने जजिया वसूल करने में विशेष रुचि ली। 'फतूहात-ए-फीरोजशाही' में वह इसे जजिया-ए-हुनूद (हिन्दू) कहता है। अपने राज्यकाल में वह 40 टंका, 20 टंका व 10 टंका प्रति वर्ष क्रमशः धनी, मध्यम व गरीब हिन्दू वर्ग से वसूल करता था। फीरोज तुगलक के समय में पहली बार ब्राह्मणों से भी ये कर वसूल किया जाने लगा। ब्राह्मणों ने इसका प्रतिरोध किया तथा आत्मदाह की भी धमकी दी। डा. आर. सी. जौहरी के अनुसार फीरोज कर वसूल करने के लिए कटिबद्ध था और इसलिए दिल्ली के हिन्दू अमीरों ने उनकी ओर से इस कर को चुकाने की जिम्मेदारी उठाई। फीरोज ने केवल यह रियायत (छूट) दी कि ब्राह्मणों से पचास-पचास जीतल के मूल्य के दस टंका ही लिये जावें।¹

तरकत—ऐसी सम्पत्ति जो किसी व्यक्ति के द्वारा बर्गर उत्तराधिकारी के छोड़ी गई हो तरकत कहलाती थी। इस प्रकार की सम्पत्ति राज्य में मिला ली जाती थी। ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आय नगण्य ही रही होगी क्योंकि फीरोज इस प्रकार की सम्पत्ति को मृतक व्यक्ति के निकट सम्बन्धी का दे देता था। परन्तु एमादुलमुल्क की 12 करोड़ की सम्पत्ति में से फीरोज ने 9 करोड़ की सम्पत्ति राज्य में मिला ली। यह केवल एक अपवाद था।

खम्स—लूट में प्राप्त धन को खम्स कहते थे। शरा के अनुसार इसका 1/5 भाग राज्य का तथा 4/5 भाग सैनिकों का माना जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन ने इसके विपरीत 4/5 भाग राज्य में लेना आरम्भ कर दिया। फीरोज ने शरा के नियम के अनुसार यह आदेश दिया कि 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जावे और केवल 1/5 भाग ही राज्य-कोष में जमा कर दिया जावे। जाजुनगर के अभियान के बाद उसने इसी आधार पर लूट के माल का बंटवारा किया था।

सिचाई व्यवस्था—सिचाई की सुविधा की शीर फीरोज ने ध्यान दिया। डा. शार सी जौहरी व धनुमार, गयामुद्दीन न जिस नीति को प्रारम्भ किया था फीरोज के शासनकाल में उसका फलन हुआ। फीरोज ने पाच बड़ी नहरों का निर्माण कराया। इनमें से एक 150 मील लम्बी नहर यमुना नदी में हिसार तक बनावी गई। दूसरी 96 मील लम्बी सतलज से घग्घर तक जाती थी। तीसरी नहर मिरमौर की पहाड़ियों के निकट से शुरू होकर हार्मा तक जाती थी। चौथी नहर घग्घर से फीरोजाबाद तक और पाँचवीं यमुना नदी से फीरोजाबाद तक जाती थी।

यद्यपि ये नहरें आज की तुलना में प्रारम्भिक व्यवस्था में थीं जिनका मुख्य उद्देश्य उस द्वारा नव निर्मित शहर हिमाल फीरोजा व फीरोजाबाद तक पानी पहुँचाना था। परन्तु फिर भी इनके कारण कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई। बरनो ने लिखा है कि 'श्रव जन के कारण मोठ तथा तिल के स्थान पर गन्ना गेहूँ तथा चने बोये जाने लगे अजीर नींबू व आम उगने लगे। इस भू भाग में इतनी अधिक उत्तम वस्तुएँ उगने लगी कि बाहुल्य के कारण बिकने के लिए दिल्ली में जाने लगी। फीरोज की इस व्यवस्था के कारण ही अफ्रीक के अनुसार अकेले दोघाव में 52 गाव नये बस गये तथा हासी, समाना और जिन्द के शिक और इत्तामा में इनकी संख्या चार गुनी बढ़ गई। फीरोज को इससे अनिश्चित लाभ यह भी हुआ कि उसने इन प्रदेशों से सिचाई कर लेना प्रारम्भ किया जो इन प्रदेशों से लगभग दो लाख टक प्रतिवर्ष वसूल किया जाता था।

फीरोज को बाग लगाने का बड़ा चाव था। सुतान ने दिल्ली के बाग पाम लगभग 1200 बाग खगाये जिनमें फलों की खेती जान लगी। अगूर इतनी अधिक मात्रा में पैदा किये जाने लगे कि वे 1 जीनल प्रति सेर क हिसाब से बिकने लगे। इन बागों से राज्य को प्रति वर्ष 80 हजार टका की आय थी।

राजस्व नीति के परिणाम—यद्यपि फीरोज की राजस्व नीति कट्टर इस्लामी सिद्धान्त पर आधारित थी जिसमें जजिया जमा घृणापूर्ण कर सम्मिलित था तथा जागीरों को पुन देने की व्यवस्था की गई थी परन्तु फिर भी उसकी नीति से उपज में वृद्धि हुई अथवा किसी की फसला को पैदा किया जाने लगा और वस्तुओं के बाहुल्य से उनकी कीमत गिर गई। अनाज कपड़ा फल तथा जीवन की आवश्यकताएँ इतनी सस्ती हो गई थीं कि लोग अलाउद्दीन के समय के सस्तापन को भूल गये। अलाउद्दीन का सस्तापन नक्ली अथवा कृत्रिम था परन्तु फीरोज के समय में सस्तापन स्वाभाविक था तथा प्राथमिक कारणों पर आधारित था। अनाज का भाव प्रति मन केवल 8 जीनल था तथा एक सेर धी दो से प्रदाई जीनल में खरीदा जा सकता था। मिठाईया अत्यधिक सस्ती थीं क्योंकि एक सेर चीनी का मूल्य केवल 3 से 3½ जीनल

था। अफोफ¹ ने लिखा है कि, "प्रजा के घरों में इतना अनाज, धन, घोड़े एवं सम्पत्ति एकत्रित हो गई कि इसका उल्लेख सम्भव नहीं। प्रत्येक के पास सोना, चाँदी एवं सम्पत्ति हो गई। प्रजा में, स्त्रियों में से कोई ऐसी स्त्री न थी जिसके पास आभूषण न हों। प्रजा में से प्रत्येक के घर में सुन्दर विछीने, अच्छे पलंग, अत्यधिक वस्तुएं एवं धन सम्पत्ति एकत्र हो गई थी।" अफोफ² ने आगे लिखा है कि, "इस प्रकार देहली राज्य के शहर तथा कस्बों के सभी लोगों को सुख तथा शान्ति प्राप्त थी। सभी वस्तुएं सस्ती थीं और प्रत्येक सामग्री का बाहुल्य था। लोग इतने सुख में थे कि निर्धन लोग भी अपनी पुत्रियों का विवाह अल्पावस्था में कर देते थे।" डा. आर. सी. जौहरी ने लिखा है कि, "अफोफ का यह विवरण अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण है। प्रथमतः यह सम्पन्नता केवल नहरों के आस-पास के क्षेत्रों तक ही सीमित रही होगी। राज्य के दूसरे भागों में लोगों का भाग्य उसके राज्यकाल के पहले की ही तरह रहा होगा। यह कहना अनुचित है कि कोई स्त्री ऐसी न थी जिसके पास आभूषण न हों तथा कोई घर ऐसा न था जो अनाज तथा जीवन की दूसरी आवश्यकताओं से परिपूर्ण न हो।" केवल यही कहा जा सकता है कि फीरोज के राज्यकाल में लोगों की भौतिक स्थिति में सुधार हुआ था।

परन्तु फीरोज की व्यवस्था में दो मूल दोष रहे। फीरोज के समय में जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी और जागीरदारों से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे किसानों की भलाई के प्रति जागरूक रहेंगे। यह स्थिति उस समय और अधिक गम्भीर हो जाती है जब उस समय जागीरें केवल राज्य के बड़े पदाधिकारियों को ही नहीं बल्कि सभी महत्वपूर्ण सैनिक और अलैनिक पदाधिकारियों को भी दी जाती थीं। दूसरे भूमि को ठेके पर लेने वाले पेशेवर व्यक्ति भी किसानों से अधिक धन वसूल करते थे। ऐसी स्थिति में किसान की दशा अधिक अच्छी नहीं रही होगी। परन्तु इन दो दोषों के होते हुए भी फीरोज के समय में प्रजा सम्पन्न व सुखी थी।

परीपकार के कार्य—फीरोज ने बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए एक रोजगार का दफ्तर स्थापित किया। उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह प्रत्येक मोहल्ले में घूमकर ऐसे प्रतिष्ठित लोगों का पता लगावे जो गरीबी के कारण परेशान थे। सुल्तान क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पूर्वजों की जानता था अतः वह उन्हें किसी कार्य में लगा देता था। अफोफ ने लिखा है कि, "यदि कोई अहले कलम (विद्वान) से सम्बन्धित होता तो उसे कारखाने में दाखिल कर दिया जाता। यदि कोई

1. अफोफ, तारीख-ए-फीरोजशाही, पृ. 99-100

2. एच. ए. रिजवी, तुगलककालीन भारत, भाग 2, पृ. 121

3. आर. सी. जौहरी, वही, पृ. 109

महत्वपूर्ण कारकून होता तो वह खानेजहा को सौंप दिया जाता।" अफ़ीफ़¹ ने पुनर्निश्चिन्ता है कि, "बहुत कम लोग बेकार रह गये थे। जहाँ-वहीं भी इन बेकारों को किसी को सौंपा जाता, वहाँ उसकी जोखिका का उत्तम प्रबन्ध हो जाता। इस प्रकार बहुत से लोगों को व्यवसाय प्राप्त हो गया।"

फीरोज़ ने 'दीवान-ए-ख़ैरान' नामक एक विभाग की स्थापना भी की जो फीरोज़ाबाद की मस्जिद के निकट स्थित था। सैय्यद अमीर-ए-मीरान नामक व्यक्ति जो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था इसका अधिकारी नियुक्त किया गया। यह विभाग मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को धार्मिक सहायता देता था और निर्वन मुसलमान लड़कियों के विवाह को व्यवस्था करता था। सुल्तान ने ऐसी कन्याओं के पिताओं को तीन श्रेणियों में बाँटा। प्रथम श्रेणी को 50, द्वितीय श्रेणी को 30 व तृतीय श्रेणी को 25 चांदी के टका देने का आदेश दिया। अफ़ीफ़ लिखता है कि, "सुल्तान की दया तथा उदारता से कई हजार मुसलमान कन्याओं का विवाह हो गया।" फीरोज़ ने दिल्ली के निकट एक ख़ैरती अस्पताल भी बनवाया। दीवान-ए-ख़ैरान व ख़ैरानी अस्पताल (दारुल इफ़ा) के खर्च के लिए अनेक समृद्ध गाँव दिये गये।

शिक्षा—फीरोज़ स्वयं विद्वान था और विद्वानों का सम्मान करता था। वह विशेषकर इस्लामी शिक्षा तथा उसके अध्ययन में रुचि रखता था। फीरोज़ ने पुराने मदरसों को मरम्मत करवाई तथा कई नये मदरसों को स्थापित किया। उसके द्वारा स्थापित मदरसों (स्कूल) में सबसे प्रसिद्ध दिल्ली में होजख़ास के पास 'मदरसा-ए-फीरोज़शाही' था। इन मदरसों में इस्लामी कानून, धर्मशास्त्रों तथा हदीस की शिक्षा दी जाती थी। यह मदिनह है कि इनमें नक्षत्र-शास्त्र इतिहास अथवा चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। डा. आर. सी. जोहरी² के अनुसार प्रो. निजामी को ये मान्यता है कि इनमें इन शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी केवल अनुमान अथवा अन्दाज़ा है।

फीरोज़ ने ज्वालामुखी के मन्दिर के पुस्तकालय में से प्राप्त 1300 संस्कृत के ग्रन्थों में से कुछ का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। इनमें से एक का नाम 'दलायते-फीरोज़शाही' था जो दर्रंग और नक्षत्र विज्ञान-से-सम्बन्धित था। डा. एन. बी. राय का यह विचार है कि ये अनुवाद फीरोज़ की उदार तथा बंद-साम्प्रदायिक नीति के परिणाम थे, डा. आर. सी. जोहरी को माय्य नहीं है। उनके अनुसार किन्तु इका व्यावहारिक पुन्य था इमोलिये फीरोज़ ने इनका अनुवाद करवाया था।

1 एच ए ए रिजवी, तुग़लक़ कालीन भारत, भाग 2, पृ 136

2 आर सी जोहरी, वही पृ 155

फीरोज स्वयं एक लेखक था जिसने 'फतुहात-ए-फीरोजशाही' की रचना की। यह विद्वानों को भी संरक्षण देने में आगे था। इसी कारण दरबाने 'फतवा-ए-जहांदारी', 'तारीख-ए-फीरोजशाही' व 'सन-ए-मुहम्मदी' को लिखा। शम्से-सिराज अफीफ ने 'तारीख-ए-फीरोजशाही' व चार अन्य ग्रन्थों की रचना की। एक अन्य विद्वान् वे 'परित-ए-फीरोजशाही' लिखी। इनके अतिरिक्त उसके समय के अन्य विद्वानों में भीलाना अहमद धानेश्वरी, मौलाना कमालुद्दीन, एन-उल-मुल्क मुल्तानी तथा अब्दुल मुक्तदौर प्रसिद्ध हैं। अफीफ के अनुसार फीरोज विद्वानों को सहायता के रूप में 36 लाख टंका देता था। कुरान के शिक्षकों को 200 से 1000 टंका और साधारण शिक्षकों को 400 से 700 व विद्यार्थियों को 100 से 300 टंका प्राप्त होता था।

१०८

नगर व सार्वजनिक निर्माण कार्य—ऐसा कहा जाता है कि फीरोज ने लगभग 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। इनमें सम्भवतया वे गांव भी सम्मिलित थे जो पहले उजड़ गये थे परन्तु फीरोज की छपि-सुविधा के कारण पुनः बस गये थे। उसके द्वारा बसाये गये नगरों में फतेहाबाद, हिसार फीरोजा, फीरोजपुर, जीनपुर व फीरोजाबाद प्रमुख थे। फीरोज को आधुनिक फीरोज कोटला कहलाने वाला फीरोजाबाद नगर अधिक प्रिय था और वह अक्सर वहाँ ठहरता था। फरिश्ता ने लिखा है कि, "फीरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सरायें, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नान-गृह, 10 स्तम्भ तथा 150 फूल बनवाये थे।" उसने अशोक के दो स्तम्भों को भी दिल्ली मंगवाया जिनमें से एक खिंज्राबाद और दूसरा मेरठ के विकट से लाया गया था।

फीरोज ने नई इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की व्यवस्था की। उसने पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत करवायी। अपनी आत्मकथा 'फतुहात-ए-फीरोजशाही' में उसने लिखा है कि उसने दिल्ली की जामा-मस्जिद, शम्सी-तालाब, अलाई तालाब, जहाँन-पनाह, इल्तुतमिश का मदरसा तथा अनेक मकबरों और समाधियों की मरम्मत-करायी।

दास—फीरोज को दासों बहुत शौक था। उसने समस्त इक्तियों के अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे अच्छे दासों को चुनकर उन्हें दरवार में भेजें। इसलिए जब प्रति वर्ष मुक्ति दरवार में आते तो वे अपनी स्थिति के अनुसार सुल्तान की रुबि के दासों को चुनकर लाते थे। इस प्रकार उसके समय में दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुँच गई। उसके पहले अलाउद्दीन ने ही केवल 50,000 दास एकत्र किये थे। जब दासों की संख्या काफी अधिक हो गई तो उसने उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग और एक पृथक अधिकारी की नियुक्ति की। दासों की शिक्षा-दीक्षा की पूर्ण व्यवस्था की और उनमें से अनेक को दीपालपुर, हिसार फीरोजा आदि भेज दिया और उनका इक्तियों में ही प्रवर्ध कर दिया। अन्य दास

जो दिल्ली में बचे थे उनका वेतन 10 टका से लेकर 100 टका तक निश्चित किया। यह स्पष्ट नहीं है कि यह वेतन प्रति मास या अथवा छठे मास चौथे मास दिया जाता था। कुछ दासों को उसने कुरान पढ़ने कण्ठस्थ करने आदि में लगे दिया। अनेकों को विभिन्न प्रकार के शिल्पों की शिक्षा दिलवाई गई तथा उन्हें राजकीय कारखानों में नियुक्त कर दिया।

फीरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक मिद्ध हुआ। इससे शाही व्यय में अनावश्यक रूप में वृद्धि हुई और य बाद में राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे जिससे तुगलक वंश का पतन हुआ। अफीफ¹ ने लिखा है कि अन्न में उपयुक्त दासों ने सुल्तान फीरोजशाह के पुत्रों के सिर काट कर दरबार के सामने लटका दिये।

सैन्य संगठन—फीरोज ने गद्दी पर बैठने के बाद अपने एक विश्वासपात्र एमादुद्दुल्लाह का आरिज ए मुमानिक नियुक्त किया। उसे सना की भर्ती रख रखाव आदि के पूर्ण अधिकार प्रदान किये। फीरोज की सेना में 80 से 90 हजार घोड़ सवार थे जिनको वेतन का मुगतान जागीर के रूप में किया जाता था। ये एक तरह की स्थायी सना थी जिसे बजीही सेना कहते थे। इसके अतिरिक्त गैर बजीही (irregular troops) सैनिक थे जिनको लूट के हिस्से के साथ ही कुछ धन एक मुक्त दिया जाता था। अभियान की समाप्ति के बाद इन गैर बजीही सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया जाता था। इनके पास अपने घोड़े बर्तियाँ व अस्त्र शस्त्र होते थे और इसके लिए उन्हें राज्य की ओर से अग्रिम धन दिया जाता था।

सैनिक व्यवस्था न केवल ढीली थी अपितु भ्रष्ट भी थी। इलिया लिसने तथा घोड़ों को दामन की नीति त्याग दी गई थी। बरनी² ने लिखा है कि, अनेक सैनिक अपने दासों से बच तथा सम्बन्धी अन्न (सना व निरीक्षण तथा नई भर्तियाँ) के समय प्रस्तुत कर देते हैं और उनका वेतन स्वयं ले लेते हैं। निरीक्षण के समय कम मूल्य के घोड़ों को प्रस्तुत करना नया उन्हें स्वीकार करा लेना बड़ी साधारण बात थी। डा जोहरी ने लिखा है कि अधिकतर सैनिक वापिक निरीक्षण को टाल दिया करते थे। जब यह सूचना सुल्तान तक पहुँचती थी तो वह भी इस सुनी अनसुनी कर देता था। यह अव्यवस्था इतनी अधिक घट कर गई थी कि एक अवसर पर स्वयं सुल्तान ने एक सैनिक को इसलिए एक टका दिया कि वह अधिकारी को रिश्वत देकर अपने घोड़े की स्वीकृति ले ले। मुगतान ने रही सही अव्यवस्था सैनिक सेवा को वशानुगत कर के पूरी कर। एक व्यक्ति के पश्चात् उसका पुत्र दामाद अथवा गुजाम

1 एड ए ए रिजवी बहा ९ 114

2 बने १ 19

सेना में स्थान प्राप्त करने का अधिकारी था।¹ ऐसी स्थिति में सेना के शक्तिशाली होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

धार्मिक नीति—धार्मिक नीति के क्षेत्र में फीरोज ग्रीरंगजेब का आदिप्रारूप (prototype) था। इस्लाम के राजनीतिक व धार्मिक सिद्धान्तों से श्रोतश्रोत फीरोज ने भारत को एक इस्लामी राज्य में परिवर्तित करने का उद्देश्य निश्चित किया। राज्य-नीति के प्रत्येक क्षेत्र में उसने इस्लामी नियमों को लागू करने का भरसक प्रयत्न किया। इस्लाम की विशेषता है कि यह धर्म के साथ ही शासन-पद्धति भी है। इस्लाम में राजनीति मात्र राजनीति नहीं और धर्म मात्र धर्म नहीं है। इसलिए उस समय की गतिविधियों का अर्थ निकालते समय इस्लाम के इन मूलभूत आधारों का ध्यान रखना आवश्यक है। फीरोज ने कट्टर सुन्नी-धर्म, जिनके सहयोग से वह गद्दी पर बैठा था, का समर्थन प्राप्त करने के लिये इस्लाम के सिद्धान्तों को अपने राज्य की नीति का आधार बताया। क्योंकि वह स्वयं इस्लामी कानूनों में पारंगत नहीं था इसलिए उलेमा-धर्म से सलाह लेना और उसी पर निर्भर करना उसके लिए आवश्यक हो गया। फीरोज ने इस्लामी कानूनों को किस प्रकार लागू किया इसका विवरण उसने स्वयं फतूहात-ए-फीरोजशाही² में इस प्रकार दिया है, "ईश्वर को बहुत धन्य है कि उसने तुच्छ फीरोज को मुन्नत के पुनर्स्थापन, विद्वानों के निराकरण, निपिद्ध के खंडन तथा हराम की बातों रोकने और (इस्लाम के लिए बताई गई) अनिर्वास्य बातों को रोकने की शक्ति प्रदान की.....ईश्वर की अनुकम्पा से मैंने यह निश्चय कर लिया कि मुसलमानों का रक्त एवं मौमिन (धर्मनिष्ठ मुसलमान) की मान-मर्यादा पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहे। जो कोई शरा के मार्ग से विचलित हो उसे कुरान के आदेश तथा काजी के न्याय के अनुसार व्यवहार किया जाये।"

फीरोज ने कट्टर सुन्नी होने के नाते शरा के नियमों का न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में पालन किया अपितु उसने उन समस्त रीति-नीतियों को बन्द कर दिया जो शरा-विरोधी थी। इसके अन्तर्गत उसने सोने और चांदी के बर्तनों का प्रयोग बन्द कर दिया और धातुओं तथा मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग आरम्भ किया। इसी प्रकार उसने रेक्षमी वस्त्रों की खिलभूत आदि देना बन्द कर दी और उन पर उन चित्रों के बनाने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया जो शरा-विरोधी थे। दीवारों और महलों में जो चित्र बनवाये गये थे उन्हें भी मिटवा दिया। सुल्तान ने आदेश दिया कि मुसलमान स्त्रियों मजारों के दर्शन के लिये न जावें क्योंकि शरा के अनुसार स्त्रियों को बाहर जाने की मनाही है।

सुल्तान स्वयं को एकमात्र मुसलमानों का शासक मानता था और हिन्दुओं को 'जिम्मी' मानता था। उसने लिखा है कि, "मैंने अपनी काफिर प्रजा को पैगम्बर

1. एस. ए. ए. रिजवी, वही, पृ. 126

2. फतूहात-ए-फीरोजशाही (अनुवादित रिजवी) पृ. 326-28

का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और यह घोषणा की कि जो भी अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम स्वीकार करेगा उसे जजिया से मुक्त कर दिया जावेगा।” जजिया को कठोरता से वसूल करने के अतिरिक्त उसने उड़ीसा के जगन्नाथ-मन्दिर तथा नगरकोट के मन्दिर को जिस प्रकार नष्ट किया वह उसकी कट्टरता के प्रमाण हैं। फरिश्ता ने लिखा है, “सुल्तान ने ज्वालामुखी की मूर्तियों को तोड़ दिया, उनके टुकड़ों को गाय के मांस में मिलाया और उसके गन्ध के घंले बनाकर ब्राह्मणों के गले में लटकवा दिये तथा मुख्य मूर्तियों को विजय-चिन्ह की भाँति मदीना भेज दिया।” दिल्ली के आसपास के मन्दिरों को गिराने में भी उसने कोई कसर नहीं रखी। वह स्वयं ‘फतूहात-ए-फीरोजशाही’ में लिखता है कि उसने किस प्रकार मलूहा (ओल्हाता के निकट) के हिन्दू मन्दिर व पवित्र कुंड को नष्ट कर उनके स्थान पर किस प्रकार तुगलकपुर व सालारपुर की स्थापना की। गोहाना के मूर्तिपूजकों को मार्वाजनिव रूप से जिन्दा जलवा दिया तथा भविष्य के लिए यह चेतावनी दी कि हिन्दू लोग एक मुस्लिम राज्य में इस प्रकार (मूर्तिपूजा) के इस्लाम-विरोधी कार्य सार्वजनिक रूप में न करें। अफ़ीफ़ा ने लिखा है कि सुल्तान ने दिल्ली के एक ब्राह्मण को केवल इसलिये जिन्दा जलवा दिया कि वह अपने घर में मूर्तिपूजा करता था तथा एक मुस्लिम स्त्री को हिन्दू धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया था। फीरोज पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया वर वसूल किया। ब्राह्मणों के द्वारा आत्मदाह की धमकी देने के बाद भी उसने उन्हें पूर्णतया इस वर से मुक्त नहीं किया। इसलिए सा. आर सी मजूमदार ने लिखा है कि, “फीरोज इस युग का सबसे धर्मान्ध सुल्तान था और इस क्षेत्र में मिन्दर लोदी तथा औरंगजेब का अप्रसर था।”

फीरोज की ये धर्मान्धता केवल हिन्दुओं तक ही सीमित नहीं थी। शिवा-वर्ग के प्रति भी उसने कट्टरता का व्यवहार किया। ये लोग जनमाधारण को शिवा धर्म की ओर आमन्त्रित करते थे तथा कुरान को उचित सम्मान नहीं देते थे। फीरोज के लिये यह असहनीय था। फीरोज ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया। फतूहात ए-फीरोजशाही में वह स्वयं लिखता है कि, “मैंने उन सबको बन्दी बना लिया। जो लोग कट्टर थे, उनका मैंने वध करा दिया। अन्य लोगों के प्रति दण्ड देकर, भय दिला कर, सुले आम घनादर करके कठोरता दिखाई। उनकी पुस्तकों को सुले आम जलवा दिया।”

फीरोज ने खलीफा में दो बार अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति ली, स्वयं को खलीफा का नायब पुकारा और अपने लिक्को पर खलीफा का नाम भी अंकित कराया। फीरोज इस आधार पर कट्टर मुगलमानों और उलेमा-वर्ग की सहानुभूति

प्राप्त करने में समर्थ हुआ क्योंकि इन्हीं के समर्थन से वह सुल्तान बना था और इन्हीं की सहानुभूति से वह गद्दी पर सुरक्षित रह सकता था ।

फीरोज की धर्मान्धता की नीति राज्य के लिये हानिकारक सिद्ध हुई । बहु-संख्यक हिन्दू प्रजा और शिया-वर्ग उसकी नीति से पूर्णतया असन्तुष्ट थे और फीरोज ये भूल गया कि राज्य का स्थायित्व जन-साधारण की सहानुभूति और सद्बुद्धि पर ही सम्भव है । उसने जिस कठोरता से हिन्दुओं का दमन किया वह किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता । अपनी इस धर्मान्धता के कारण यद्यपि वह मुस्लिम जगत में अत्यन्त लोकप्रिय हो गया परन्तु भारत के बहुसंख्यक हिन्दुओं से वह किसी प्रकार का भी सम्मान प्राप्त न कर सका । यह ठीक है कि जिस युग में फीरोज था वह युग इस प्रकार की कठोरता और धर्मान्धता को अस्वीकार नहीं करता था परन्तु फीरोज को राज्य और अपने वंश के हितों में इस प्रकार की नीति अपनाना किसी प्रकार से उचित न था ।

युद्ध, आक्रमण व विद्रोह

मुहम्मद तुगलक के शासन काल में बंगाल व दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत की अधीनता से मुक्त हो चुका था । फीरोज ने दक्षिण भारत को जीतने का कोई प्रयत्न नहीं किया और अमीरो की पेशकश को यह कहकर टाल दिया कि वह मुसलमानों का रक्त बहाने के लिये तत्पर नहीं है । बंगाल के प्रदेश को जीतने का उसने प्रयत्न किया परन्तु असफल रहा । उसने राजपूताना को जीतने अथवा उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया । इस प्रकार फीरोज की नीति साम्राज्य विस्तार की नहीं रही । वह केवल दिल्ली सल्तनत के वे प्रदेश जो उसके अधिकार में थे उन्हें ही संगठित करने में लगा रहा । फीरोज ने न तो कभी सेना को पुनः शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया यद्यपि उसके पास इसके लिये धन की कमी न थी और न ही उसने कभी अपनी सैनिक प्रतिभा का ही परिचय दिया । अपनी कमजोरी को छिपाने के लिये उसने इस्लाम के नियमों को अपना कवच बनाया परन्तु हिन्दुओं के विरुद्ध उसने कवच को तेंग के रूप में बदल कर उनके मन्दिरों आदि को नष्ट करने में कोई हिचकिचाहट न दिखाई ।

बंगाल व उड़ीसा—फीरोज के समय बंगाल का शासक शमसुद्दीन हाजी इलियास शाह था । उसने तिरहुत, बिहार को अपने अधीन कर तथा बनारस और गोरखपुर पर धावे करके फीरोज को आक्रमण के लिये उकसाया था । इस कारण 1353 ई. में फीरोज ने बंगाल पर आक्रमण किया । हाजी इलियास इस समय गोरखपुर की ओर व्यस्त था । जैसे ही उसने आक्रमण का सुना वैसे ही वह गोरखपुर के अभियान को छोड़कर बंगाल की ओर बढ़ा । क्योंकि फीरोज ने इस बीच उसकी राजधानी पांडुआ पर अधिकार कर लिया था । अतः इलियास ने इकदला के किले में शरण ली । फीरोज ने किले को घेर लिया परन्तु वह उसे जीतने में असमर्थ

रहा। फीरोज ने कूटनीति से काम ले यह दिखावा किया कि वह घेरे को उठाकर वापिस लौट रहा है और लगभग 14 घीन वह अपनी सेना को हटा लाया। इलियास ने उसका पीछा किया परन्तु फीरोज ने पूर्व-निश्चित नीति के आधार पर उसमें युद्ध किया और उसे पराजित कर पुनः भागने के लिये बाध्य किया। इलियास ने फिर इकदला के दुर्ग में शरण ली।

इलियास के पलायन के बाद विजेताओं ने लगभग 44 हाथी, इलियास की छतरी व बड़ी मात्रा में घोड़ों को प्राप्त किया। अफोफ लिखता है कि इलियास केवल सान सैनिकों के साथ युद्ध-क्षेत्र में भाग निकलना था प्रतिशयोक्तिपूर्ण मालूम पड़ता है। इमो प्रकार यह कहना की लगभग 1,80,000 बगाली इस युद्ध में मारे गये थे और फीरोज ने प्रत्येक बगाली के सिर के लिये एक चाँदी का टका दिया था उचित नहीं मानलूम पड़ता। सोरत-ए फीरोजशाही मूल बगालियों की मर्यादा केवल 60,000 बताती है जो डा जोहरी के अनुसार मान्य नहीं है।¹

फीरोज ने युद्ध बन्द कर दिल्ली की ओर बूच किया जहाँ वह 1 सितम्बर, 1354 ई. को पहुँचा। इलियास ने पुनः बगाल पर अधिकार कर लिया परन्तु साथ ही उसने अपने प्रतिनिधि भेजकर मुल्तान से सधि कर ली और दिल्ली तथा सखनौती (बगाल) के बीच की सीमायें निर्धारित कर लीं।

1359 ई. में फीरोज ने पुनः बगाल पर आक्रमण किया। पूर्वी बगाल के एक दिवंगत मुल्तान का दामाद जफरखा ने उससे सहायता मागी। फीरोज ने यह अच्छा बहाना देखकर पुनः बगाल पर आक्रमण करने की नीति अपनाई। इस समय तत्कालीन इलियास की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र पिकन्दर बहा का शासक था। उसने भी इकदला के किले में शरण ली। फीरोज ने किले को घेर लिया परन्तु वह पुनः इसे जीतने में असमर्थ रहा। इस प्रकार फीरोज के बगाल के दोना अभियान असफल रहे।

बगाल से लौटते समय वर्षा ऋतु के कारण फीरोज-जौनपुर में ठहरा हुआ था। यहाँ पर उसने यात्रियों द्वारा जाजनगर में रहने वाले सन्यास जति के लोगों की सम्पन्नता आदि के बारे में सुना। फीरोज ने इस विवरण को सुनकर जाजनगर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। डा जोहरी² के अनुसार जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध मन्दिर को ध्वस्त करना व हिन्दुओं को दण्डित करना आक्रमण के मुख्य उद्देश्य थे। मार्ग में जनता के विरोध को समाप्त करता हुआ फीरोज कटक तक पहुँच गया। उड़ीसा का शासक भानुदेव तृतीय भाग गया परन्तु उसके सैनिकों ने फीरोज का विरोध किया। उन्हें परास्त करता हुआ मुल्तान जगन्नाथ के मन्दिर तक

1. आर. सी. जोहरी, वही, पृ. 51

2 वही, पृ. 70

पहुँच गया। उसने मन्दिर और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। महमूद गजनवी की तरह मूर्ति को जमीन पर फेंककर अपमानित किया गया। मुस्लिम सैनिकों ने जगन्नाथ देव के आसपास की मूर्तियों को खोदकर इसी प्रकार अपमानित किया। मूर्तियों के टुकड़े दिल्ली ले जाये गये जिससे कि उनको मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जावे और मुसलमान नमाज के समय आते-जाते उनको अपने पैरों के नीचे रौंथ सकें। तत्पश्चात् राजा ने आत्मसमर्पण किया और प्रति वर्ष कुछ हाथी भेंट स्वरूप भेजने का वचन दिया।

नगरकोट व सिन्ध—फीरोज ने 1363 ई. में कांगडा में स्थित नगरकोट पर आक्रमण किया। नगरकोट के राजा रामचन्द्र ने मुहम्मद तुगलक के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था परन्तु उसके अन्तिम दिनों में फैली हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर पुनः स्वतन्त्र हो गया था। सुल्तान का उद्देश्य उसे पुनः अपने अधीन करने की प्रपेक्षा ज्वालामुखी के मन्दिर को ध्वस्त करना था। फीरोज के दरबारी इतिहासकार राजा के अवसङ्गत्त को आक्रमण का कारण बताते हैं परन्तु इसका कोई विवरण नहीं देते हैं। फरिश्ता के अनुसार राजा रूपचन्द्र ने दिल्ली तक के प्रदेशों को लूटा था और फीरोज उसको इसके लिये दण्डित करना चाहता था। यह कारण रहा था अथवा नहीं इसका स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है, परन्तु फीरोज यह अपना कर्तव्य समझता था कि वह हिन्दुओं तथा उनके मन्दिरों को अपमानित करे इसलिये ही उसने आक्रमण किया। छः महीने के घेरे के बाद राजा ने आत्म-समर्पण किया। फरिश्ता ने लिखा है कि, 'सुल्तान ने ज्वालामुखी की मूर्तियों को तोड़ दिया और उनके टुकड़े राय के मांस में मिलाये और उसके गन्ध के थैले बना कर श्राद्धार्थों के गले में लटकवा दिये।'

सिन्ध—फीरोज ने तत्पश्चात् सिन्ध पर आक्रमण किया। किसी भी सम-कालीन इतिहासकार ने इस आक्रमण की तिथि नहीं दी है। अफीफ के विवरण से ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1365 ई. में ही सिन्ध पर आक्रमण किया गया था। फीरोज 90,000 घुड़सवार और 400 हाथियों की एक विशाल सेना लेकर सिन्ध की ओर बढ़ा। उस समय सिन्ध दो भागों में बँटा था—एक भाग सिन्धु नदी पर दिल्ली की ओर दूसरा भाग उसके दूसरे किनारे पर था। सिन्ध के शासक जाम, बावनियां ने 4 लाख पैदल व 20,000 घुड़सवार से उसका मुकाबला किया। दोनों पक्षों में छुट-मुट भड़पें होती रही। जाम, बावनियां खुले युद्ध को टालता रहा यहाँ तक कि शाही खेने में घनाज की कमी पड़ने लगी तथा घोड़ों में महामारी फैल गई जिसके कारण फीरोज की तीन-चौथाई सेना का सर्वनाश हो गया। सेना की ऐसी स्थिति को देखकर फीरोज ने वापिस लौटना अच्छा समझा। मार्ग में वह कच्छ के रत में फँस गया। रत से निकलने पर वह रेगिस्तान में फँसा और बड़ी ही कठिनाई से छः माह के पश्चात् वह गुजरात पहुँच सका। यहीं पर

उस बहमनी-बघ के विराधी सरदार बहराम का दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का निमन्त्रण मिला परन्तु सुल्तान न उसे अस्वीकृत कर दिया ।

फीरोज ने दिल्ली से कुमुक भगवाकर पुन सिन्ध पर आक्रमण करने की योजना बनाई । घट्टा को घेर लिया गया । जाम तथा बाबनिमा ने इस बार फीरोज क आधिपत्य को स्वीकार किया । सुल्तान न उन्हें अपने परिवारो के साथ दिल्ली चाने का आदेश दिया । घट्टा को बाबनिया क भाई को प्रदान किया गया जिसने सुल्तान को चार लाख टका भेंट किये तथा प्रतिवर्ष वापिक कर भेजना भी स्वीकार किया । पतहखा को सिन्ध का गवर्नर नियुक्त कर फीरोज दिल्ली लौट आया ।

विद्रोह व उनका दमन—फीरोज के राज्यकाल म उसकी बहन सुदाब-द जादा के पदयन्त्र के अतिरिक्त तीन विद्रोह हुये । इनमे पहला विद्रोह गुजरात के सूबेदार शमसुद्दीन दामगानी ने किया क्योंकि वह सुल्तान को अपने वायदे के अनुसार राजस्व भुक्वाने म असमथ था । यह विद्रोह असफल हुआ तथा दामगानी का सिर काटकर दिल्ली भेज दिया गया । दूसरा विद्रोह इटावा के जमींदारो ने किया परन्तु यह असफल रहा । तीसरा विद्रोह कटेहर के शासक खडकू ने किया । उसने वदायू के सूबेदार सैयद मुहम्मद और दो सैयद बघुम्रा का वध कर दिया, फीरोज यह सहन नहीं कर सकता था । वह स्वय इस विद्रोह को दबाने के लिये गया । फीरोज के आन की खबर सुनकर खडकू कुमायू की पहाडियो म भाग गया । फीरोज ने क्रुद्ध हो उसकी प्रजा से उसके अपराध का बदला लिया । हजारो हिंदुओ का वध कर दिया गया तथा 23,000 हिंदुओ को पकडकर उन्हें जर्बदस्ती मुसलमान बना लिया गया । सुल्तान इतन दण्ड से ही सन्तुष्ट न था । उसने एक अफगान अधिकारो को नियुक्ति कर उसे आदेश दिया कि वह इसी प्रकार पाच वर्ष तक कटेहर को बरबाद करता रहे ।

इस प्रकार सिन्ध के अतिरिक्त फीरोज के अभियान असफल रहे । बगाल पर दो बार अभियान करन क बाद भी उस कोई सफलता नहीं मिली । जाजनगर व नगरकोट की विजयें साधारण थीं एव उनसे राज्य विस्तार भी नहीं हुआ । इस प्रकार फीरोज इस क्षेत्र म असफल रहा ।

अन्तिम दिन और मृत्यु

फीरोज के अन्तिम दिन कष्टमय रहे । 1374 ई म उसके बड लडके पतहखा की मृत्यु हो गई । उसके दूसरे पुत्र जफरखा की भी मृत्यु हो चुकी थी । इन दोनो की मृत्यु के बाद उसका एकमात्र उत्तराधिकारी मुहम्मदखा बचा था । सुल्तान लगभग 80 वर्ष का हो चुका था । पहले से ही स्वय श्रामन करन मे उसकी रुचि नहीं थी और रही-सही बसर उसकी वृद्धावस्था न पूरी कर दी थी । सुल्तान ने शासन की समस्त शक्ति अपने वजीर खानेजहां के हाथों म छोड रखी थी ।

परन्तु खानेजहां स्वयं सिंहासन की आकांक्षा रखता था और मुहम्मदलां उसके रास्ते में एकमात्र रीड़ा था। खानेजहां ने उसके वध का एक असफल प्रयास किया। शाहजादा मेवात के सरदार कोका चौहान के यहां भाग गया। 1387 ई. में शाहजादा ने सुल्तान के साथ सत्ता का उपयोग करना आरम्भ किया और सुल्तान ने उसे 'नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह' की उपाधि दी। परन्तु शाहजादा विलासप्रिय था। गुजरात में विद्रोह की सूचना पाकर भी उसने उसे दवाने का कोई प्रयास नहीं किया बल्कि भोग-विलास में डूबा रहा। उसके व्यवहार से सरदार असन्तुष्ट हो गये और उन्होंने विद्रोह कर दिया। दो दिन तक राजधानी में युद्ध होता रहा। विद्रोहियों ने राजमहल पर अधिकार कर लिया और सुल्तान फीरोज को पालकी में बँठाकर युद्ध करने वालों के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। सुल्तान को देखते ही सैनिक उसके साथ हो गये और शाहजादा मुहम्मद भाग गया। उसे पकड़ कर उसका वध कर दिया गया। सुल्तान ने अपने बड़े पुत्र फतहखां के पुत्र तुगलकशाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इन विषय परिस्थितियों के बीच 20 सितम्बर 1388 ई. को सुल्तान की मृत्यु हो गई।

चरित्र, मूल्यांकन व तुगलक-वंश के पतन में उसका उत्तरदायित्व

समकालीन इतिहासकार फीरोज के शारीरिक आकृति के प्रति मौन हैं। अफीक के बर्णन से केवल इतनी जानकारी मिल पाती है कि वह गौर-वर्ण, मध्यम कद का व हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति था। गयासुद्दीन तुगलक व मुहम्मद तुगलक के अत्यधिक लाड़-प्यार के कारण वह अधिक आराम-प्रिय युवक हो गया था जो कि विलासी होने के साथ ही शराव आदि का व्यसनी था। टांक कन्या के साथ जिन परिस्थितियों में उसने विवाह किया वह इसके लिये काफी प्रमाण हैं। उस समय की सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुये भी उसका शराव का व्यसन उसके चरित्र पर एक बड़ा घब्बा था क्योंकि वह अपने समय का सच्चा मुसलमान समझा जाता था और उसके बाद भी इस्लाम में वजित वस्तुओं का उपभोग करता था। बंगाल के दूसरे अभियान के समय तातारख़ां की घटना यह प्रमाणित करती है कि वह अवसर की बग़ैर परवाह किये हुये किस प्रकार शराव पीने में डूब जाता था।

इन दुर्गुणों के होते हुये भी फीरोज उदार, दयालु व अपने सम्बन्धियों के प्रति स्नेहशील था। अपने भाई मुहम्मद तुगलक के प्रति आज्ञाकारिता, सुदाव-न्दजादा के प्रति उसकी उत्कण्ठा तथा अपनी हिन्दू माता के सम्बन्धियों के प्रति उसकी सहृदयता उसके चरित्र की इस विशेषता को बताते हैं। अपने सीतेले भाइयों—मलिक इब्राहिम, मलिक कुतुबुद्दीन के साथ उसके मधुर सम्बन्ध थे। अपने पुत्रों के प्रति उसका असीम स्नेह था और सम्भवतः उसके इस लगाव ने लाभ की अपेक्षा हानि अधिक पहुँचाई।

फीरोज विद्वान तथा कला-प्रेमी था। फीरोज ने इस्लामी ज्ञान व साहित्य की बढ़ोतरी में प्रबल योगदान किया। विद्वानों को सरक्षण देकर तथा मदरसों को उदारता से दान आदि देकर फीरोज ने अपनी इस प्रवृत्ति का परिचय दिया। यद्यपि यह ठीक है कि उसके काल में अमीर खुमरो अथवा अमीर हुसैन जैसे साहित्यानुरागी नहीं हो सके परन्तु इसके बाद भी इतिहास, इस्लामी कानून, धर्म-शास्त्र तथा चिकित्सा-शास्त्र में जिन पुस्तकों की रचना हुई वे फीरोज की साहित्य के संरक्षक के रूप में लड़ा करने के लिये प्रयाप्त हैं। नवीन इमारतों के निर्माण, नये नगरों की स्थापना आदि में जो उसने रुचि दिखाई यद्यपि वह गुणात्मक आधार पर अधिक उपयुक्त नहीं थी परन्तु सखात्मक आधार पर वह पिछले सुल्तानों से कहीं अधिक थी। वास्तविकता यह है कि इस क्षेत्र में वह समस्त सुल्तानों में श्रेष्ठ था।

फीरोज में सैनिक प्रतिभा नहीं थी और न कभी उसने स्वयं को एक योग्य सेनापति ही मिद्ध किया। वरन् फीरोज की तुलना ईरान के रूस्तम, जमशेद आदि में करता है परन्तु यह अनिश्चिततापूर्ण है। यद्यपि फीरोज एक राजपूत माता और तुर्की पिता की संतान था परन्तु न तो उसमें राजपूत शौर्य था और न ही तुर्की संन्यवाद। बगाल के दो अभियान, उड़ीसा, नगरकोट और सिन्ध पर आक्रमण उसके सैनिक क्षोभलेपन को प्रमाणित करते थे। सुल्तान युद्ध की अन्तिम घड़ों तक लड़ने के लिये कभी तत्पर न रहता था। अभियानों की शीघ्रताशीघ्र समाप्त करने की नीति के आधार पर फीरोज ने पलायनवाद को अपनाया। यह फीरोज का सौभाग्य था कि सैनिकवाद के उस युग में भी शान्तिप्रिय फीरोज लगभग 37 वर्ष शासन कर सका।

फीरोज की सफलता अपने राज्य और प्रजा को सम्पन्न बनाने में थी। इस आधार पर वह पहला सुल्तान था जिसने साम्राज्यवादी नीति की अपेक्षा अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति को अधिक महत्व दिया। सभी इतिहासकार ये स्वीकार करते हैं कि फीरोज के समय में राज्य सम्पन्न था तथा प्रजा सुखी और मज्जु थी। अफीक का सम्पन्नता सम्बन्धी विवरण अतिरिक्त हो सकता है परन्तु इतना फिर भी निश्चिन्त है कि वस्तुएँ अत्यधिक सस्ती थीं और बहुतायत में प्राप्त भी थीं। उसकी नहरों, बागों व्यापारिक सुविधाओं तथा राजस्व सुधारों ने राज्य की आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने के साथ ही साधारण लोगों की स्थिति में भी सुधार दिया था। पुल, बाघ, कुएँ नगरों और नये भवनों का निर्माण कर फीरोज ने शासक के उत्तरदायित्व को पूरा किया। बेरोजगारों की सहायता 'दीवान-ए-शरत', शहराती अस्पताल की स्थापना उनकी कर्तव्यपरायणता की ओर इशारा करते हैं। मदरसों की स्थापना और शिक्षा के क्षेत्र में किये गये उपकारी कार्य फीरोज के शासक के रूप में किये गये कार्यों में महत्वपूर्ण थे। परन्तु इन सब की महत्ता उस समय

काफी कम हो जाती है जब यह स्पष्ट होता है कि इनमें से अधिकांश का उद्देश्य केवल मुस्लिम प्रजा की भलाई करना ही था। परन्तु इसके बाद भी यह नहीं नकारा जा सकता कि वह पहला सुल्तान था जिसने शासकों के कर्तव्यों को निभाने का प्रयास किया। इसीलिये डा. त्रिपाठी ने लिखा है कि, “जनता के लिये शासक की कसौटी वह भौतिक समृद्धि है जिसे वह देख अथवा अनुभव कर सकती है।”

फीरोज के समय में आर्थिक सम्पन्नता थी परन्तु इसमें उसका अपना श्रेय अधिक नहीं है। वह स्वयं तो अपनी विवेक-रहित उदारता के कारण शासन चलाने में असमर्थ था परन्तु उसकी विशेषता थी कि वह बाबर की तरह मनुष्य के चरित्र का कुशल पारखी थी। बेईमान व्यक्तियों को माफ कर देना अथवा स्वयं उदारतावश में झप्टाचार को पतनाना एक अच्छे शासक के गुण नहीं कहे जा सकते परन्तु इसके बाद भी अपने अधिकारियों को चुनकर उन पर पूर्ण विश्वास करना तथा उन्हें विस्तृत अधिकार दे देना उसकी सफलता के आधार थे। यद्यपि यह नीति सफल रही परन्तु यह राज्य के अन्तिम हित में नहीं थी। इसीलिये बूहजले हेग ने लिखा है कि, “अच्छी युक्ति से निकाली गई नीति भी उसके दुर्बल उत्तराधिकारियों के हाथों में शक्ति को सुरक्षित न रख सकी और न ही उस भयंकर आघात को सहन कर सकी जो उसकी मृत्यु के दस वर्षों में ही राज्य को लगा, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि उसकी विकेन्द्रीयकरण की व्यवस्था उसके योग्यतम उत्तराधिकारी को भी कठिनाई में डालने में समर्थ थी और इसीने उसके वंश के पतन की गति को अधिक तेज कर दिया।”

फीरोज ने शासन में उलेमा वर्ग को अत्यधिक हस्तक्षेप करने के अधिकार को देकर राज्य की जड़ों को खोखला बना दिया। वह स्वयं को एक वर्ग विशेष का शासक मानता था और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से शासन में दोष उत्पन्न हो जाते थे। उलेमा-वर्ग ने सुल्तान को इस बात के लिये प्रेरित किया वह ‘दाहल-हर्ब’ को ‘दाहल इस्लाम’ में परिवर्तित कर दे। ऐसे वातावरण में जब शासन किसी विशेष-वर्ग के लिये किसी विशेष-वर्ग के द्वारा चलाया जावे तब शासन की अपेक्षा कुशासन होने की अधिक सम्भावना रहती है और यह बात फीरोज पर लागू थी। डा. यू. एन. डे ने लिखा है कि, “उलेमा-वर्ग के समर्थन ने एक ऐसे सिद्धान्तहीन और स्वार्थी व्यक्तियों के वर्ग को प्रोत्साहन दिया जिन्होंने दम्भपूर्ण व्यवहार किया और मुस्लिम आत्म-नैतिकता के संरक्षक होने का दिखावा किया। इन सभी ने मिलकर ऐसी परिस्थिति बना दी जिसमें राज्य का विघटन आवश्यक दिखाई देने लगा।” फीरोज ने जो प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई उसने उत्पन्न असन्तोष ने राज्य और वंश को ही भस्म कर दिया और यह सब उसकी मृत्यु के दस वर्ष के अन्दर ही घटित हो गया।

फीरोज की एक अन्य प्रसफलता एक सुसंगठित सेना का निर्माण न करने में थी। मध्ययुग में शक्ति ही राज्य की सहचरी थी और उसी के आधार पर शासन, सुल्तान तथा वंश की सुरक्षा निर्भर थी। फीरोज इस बात को भूल गया कि भारत में राज्यों और वंशों का उदयान तथा पतन इसी पर आधारित है। उसने इस क्षेत्र में जिनकी छूट दी वह न तो नीति सगत थी और न ही समयानुसूल। पंतुक आधार पर सैनिकों की सेवा में लेना, बूढ़े और दुर्बल व्यक्तियों को मानवता के आधार पर सैनिक-सेवा में रहने देना अथवा सैनिकों में जागीरों का वितरण करना तथा सैनिकों के वार्षिक निरीक्षण में ढील देना भले ही मानवीय आधार पर उचित हो पर शासन को चलाने और बनाये रखने के लिये ये अभिशाप थे जिसका प्रायश्चित्त उसको तथा उसके निर्वल उत्तराधिकारियों को करना पड़ा। ऐसी अव्यवस्था किसी वर्ग विशेष को सन्तुष्ट अवश्य कर सकती थी परन्तु दुर्भाग्य से यह वर्ग अत्यधिक अल्पमत में था और अल्पमत की महानुभूति शासन को अधिक समय तक पसीट सकने में असमर्थ थी। फीरोज ने अपनी सैनिक अयोग्यता का छुपाने के लिये तो मुसलमानों का रक्त न बहाने का जो बहाना बनाया वह इतना शिथिल मिट्टी हुआ कि उसमें न तो अपनी अयोग्यता और न ही शासन की जर्जर अवस्था के छिपा सका। इसके साथ ही उसने राज्य में दासों के रूप में जो परजीवी (parasite) पाले थे उन्होंने रही सही बसर पूरी कर दी और वे सुल्तान को प्रतिष्ठित अथवा प्रपदस्थ करने की प्रक्रिया में लग गये। इस प्रकार अपनी सैनिक और प्रशासकीय क्षमता के कारण न तो दिल्ली सल्तनत की कोई गरिमा को पुनः स्थापित कर सका और न ही उसको जीवित रखने के लिये आवश्यक तत्वों को ही जुटा सका।

फीरोज के उत्तराधिकारी

सुल्तान फीरोजशाह तुगलक की मृत्यु के बाद साम्राज्य की रही-सही संकुचितता और अधिक सिंक्रुड गई तथा राज्य महत्वहीन होन लगा। सुल्तान में इतनी सामर्थ्य न था कि वह साम्राज्य को खोये हुये प्रमुख को पुनः स्थापित करे और बाकी बसर उसकी निर्वल और उदार नीति में पूरी कर दी। इसका एक ही परिणाम सम्भव था कि राज्य छिन्न-भिन्न होन लगा। सुल्तान की कमजोरी का लाभ उठाकर प्रान्तीय शासक स्वतन्त्र होने का प्रयास करने लगे और साधारण जनता के हृदय में सुल्तान के प्रति जो आस्था और राज के प्रति भय था वह समाप्त होने लगा स्थिति इतनी गिर चुकी थी कि एक समय जब साम्राज्य उत्तर के एक छोर में लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था और जिसने बर्बर मंगोल को बर्सेस लौटने के लिये मजबूर किया था वह सल्तनत तैमूर के एक झटके को सहन करने में असमर्थ। तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत पगु हा गई और उसी के साथ दिल्ली के निक्टवर्ती और दूरस्थ प्रदेशों में व्यवस्था का स्थान अव्यवस्था न ले लिया।

गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय (1388-89)—फीरोजशाह के दो उत्तराधिकारी थे। उसके पुत्र सुल्तान मुहम्मद का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था किन्तु सुल्तान फीरोज के दासों ने उसे सिरमूर भागने के लिये बाध्य कर दिया। सुल्तान के दूसरे लड़के का विधिवत राज्याभिषेक नहीं हुआ था और फीरोज के दासों ने उसे सुल्तान की मृत्यु के दिन गद्दी पर बैठाने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार तुगलक द्वितीय 'गयासुद्दीन' के खिताब से गद्दी पर बैठा। तारीखे-ए-मुबारक शाही में लिखा है कि, 'सुल्तान अनुभवहीन नवयुवक था जो शासन करने से अनभिज्ञ था। उसमें संकटों का मूल्यांकन करने की क्षमता न थी'..... अतः गद्दी पर बैठने के बाद राजकार्यों को छोड़ वह भोग-विलास में लिप्त हो गया। उसके अनैतिक और उद्दण्ड आचरण से सल्तनत के उच्च पदाधिकारी और अमीर रुष्ट हो गए और वह शीघ्र ही पड़यन्त्र का शिकार बन गया। पड़यन्त्रकारी महलों में घुस गए और उन्होंने भागते हुए सुल्तान का पीछा कर उसका सिर काट डाला। यह घटना 19 फरवरी 1389 को घटित हुई। दिल्ली के सरदारों ने मृत सुल्तान के चचेरे भाई जफरखान के पुत्र अबूबकर को सुल्तान घोषित किया।¹ थाह्या विन सिरहिन्दी² ने आगे लिखा है कि "ईश्वर की शक्ति कितनी आश्चर्यजनक है कि वह जिस द्वार से एक बादशाह को मुकुट और सिंहासन सहित वैभव के साथ बाहर लाता है पलक मारते ही उसका शीश काटकर उसी द्वार से उसको फेंक देता है।"

सुल्तान अबूबकर और सुल्तान नासिरुद्दीन मुहम्मद—सुल्तान अबूबकर ने राजधानी पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, किन्तु फीरोज के पुत्र मुहम्मद के लोगों ने समाना में 24 अप्रैल, 1389 को उसे सुल्तान घोषित कर दिया। सहायक अमीरों और सरदारों के बल पर मुहम्मद ने दिल्ली के समीप आकर डेरा डाल दिया और गृह-युद्ध अब निश्चित दिखने लगा।

अबूबकर और सुल्तान नासिरुद्दीन मुहम्मद का संघर्ष—सुल्तान मुहम्मद समाना गया और दोबारा सिंहासनारूढ़ हुआ (4 अप्रैल, 1389) "समाना के 'सादा' अमीर तथा पहाड़ी क्षेत्र के सब मुकद्दम उससे आ मिले।" वह दिल्ली गया किन्तु सभी फीरोजी दास उसके विरुद्ध थे और इसलिए वह भाग उठा। जलेशर में पहुँच कर उसने लगभग 50,000 सैनिक इकट्ठे किये। अगस्त 1389 में वह दिल्ली की ओर बढ़ा परन्तु पराजित हुआ। इससे यह स्पष्ट हो गया कि फीरोज के दास मुहम्मद के विरोधी थे। उसके आदेशानुसार उन समस्त फीरोजी दासों को जो दिल्ली के बाहर थे कत्ल कर दिया गया। सुल्तान के दूसरे लड़के हुमायूँखान का जनवरी 1390 ई. का दिल्ली पर आक्रमण पुनः असफल रहा। इससे एक गतिरोध

1. एस. ए. ए. रिजवी, वही पृ., 208

पंदा हो गया। दिल्ली के भ्रमोर अरबूबकर को सुल्तान स्वीकार करते थे किन्तु क्षेत्रीय अधिकारी सुल्तान मुहम्मद के पक्ष में थे। अरबूबकर न जलेशर की ओर कूच किया तो मुहम्मद ने उसी समय दिल्ली की ओर बढ़ा और परिणाम निकला कि अरबूबकर को दिल्ली की रक्षा के लिए वापिस लौटना पड़ा।

इस समय तक फीरोजशाही दास अत्यधिक सट्टा में अरबूबकर के विरोधी हो चुके थे तथा वे सुल्तान मुहम्मद को सुल्तान के पद पर देखने के इच्छुक थे। इसीलिये उन्होंने मुहम्मद के प्रति अपनी स्वामिभक्ति अर्पित की। अरबूबकर के लिए यह सम्भव न था कि वो फीरोजी दासों को वो सब सुविधाएँ उपलब्ध कराये जिनका फीरोज-शाह ने कभी आश्वासन दिया था। फीरोजी दासों के बढ़ते हुए प्रभाव और उनके लगातार दबाव से तंग आकर अरबूबकर मेवात में बहादुर नाहर के कोटला दुर्ग में शरण लेने के लिये भाग गया। सितम्बर 1390 ई. को मुहम्मद के पनायत की सूचना मिली और तीन दिन के भीतर दिल्ली पहुँच गया। सुल्तान मुहम्मद ने सबसे पहले फीरोजी दासों से शाही हाथी छीनकर उन्हें पुराने महाकतों को सौंपा। दासों ने अनुभव किया कि उनका सत्ता के दिन समाप्त हो चुके हैं। उनमें से अधिकतर अपने परिवारों सहित बहादुर नाहर के कोटला भाग गए। बाकी दासों को, जो अब भी नगर में थे, तीन दिन के अन्दर चले जान का आदेश दिया गया। राजधानी फीरोजी दासों से मुक्त कर दी गई। दाम भाग कर अरबूबकर के साथ मिल गए। बहादुर नाहर भी उनके पक्ष में था। सुल्तान मुहम्मद से राजकुमार हुमायूँ और इस्लामशा को अरबूबकर तथा फीरोजी दासों का दमन करने के लिए भेजा। मुकाबला हुआ और अरबूबकर तथा बहादुर नाहर ने सुल्तान की आधीनता स्वीकार कर ली। "तारीखे-ए-मुबारकशाही" के अनुसार अरबूबकर को बन्दी बनाकर अमरोहा भेज दिया गया जहाँ बन्दीगृह में ही उनकी मृत्यु हो गई। सुल्तान ने बहादुर को क्षमा कर दिया।

सुल्तान दिल्ली लौट आया किन्तु शोभाब के जमींदारों के विद्रोह ने उनकी विजयों पर पानी फेर दिया। इटावा के जमींदार नरसिंह के विद्रोह को तो दबा दिया गया परन्तु दुस्लाम खा के विश्वामघान ने सुल्तान को बहुत परेशान किया और अन्त में उसे प्राणदण्ड दिया गया। सबसे भयंकर विपत्ति तो मेवात में बहादुर नाहर के विद्रोह से उठानी पड़ी। वह दिल्ली के निकटवर्ती प्रदेशों पर आक्रमण करने लगा। सुल्तान ने अश्वस्थ और दुर्बल होने पर भी, सुल्तान ने सेना का नेतृत्व किया और बहादुर नाहर को कोटला के दुर्ग में शरण लेने के लिए बाध्य किया। सुल्तान ने वहाँ भी उसका पीछा किया और ताहिर् भाग कर जहर के पर्वत-प्रदेश में छिप गया। तत्पश्चात् सुल्तान राजधानी लौट आया। उसका रोग बढ़ता ही गया और अन्त में जनवरी, 1394 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। सुल्तान के शव को हीज खास पर उसके पिता के मकबरे में दफना दिया गया। तारीखे मुबारकशाही के

अनुसार सुल्तान नासिरुद्दीन मुहम्मद के शासनकाल की अवधि छः वर्ष सात मास थी। नासिरुद्दीन ने क्रियाशीलता का परिचय दिया लेकिन यह सल्तनत का दुर्भाग्य था कि वह रोगी होने के कारण अधिक जीवित न रह सका।

अलाउद्दीन सिकन्दरशाह—सुल्तान मुहम्मद का द्वितीय पुत्र राजकुमार हुमायूँ सुल्तान अलाउद्दीन शाह का खिताब धारण कर 22 जनवरी, 1394 ई. को दिल्ली में गद्दी पर बैठा। ख्वाजा-ए-जहां को वजीर बनाया गया और उसने अपने पिता के अन्य अधिकारियों को उन्हीं के पुराने पद पर पुनः नियुक्त किया। सुल्तान सिकन्दरशाह रम्य हो गया और 7 या 8 मार्च 1394 ई. को उसकी मृत्यु हो गई। तारीखे-मुबारकशाही के अनुसार उसका शासनकाल केवल एक माह सोलह दिन रहा। मृतक सुल्तान का जनाजा दिल्ली लाया गया और वदर के मकबरे में हौजखस्त निकट दफन किया गया।

नासिरुद्दीन महमूदशाह—अलाउद्दीन सिकन्दरशाह की मृत्यु के बाद सुल्तान का छोटा भाई नासिरुद्दीन महमूदशाह सुल्तान बना। नासिरुद्दीन के गद्दी पर बैठने के समय की परिस्थितियों से यह अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है कि 1387 ई. से 1394 ई. के बीच दिल्ली सल्तनत कितना सिकुड़ गया था। ख्वाजा-ए-जहां दिल्ली छोड़ने के पहले बड़ी मुश्किल से वहां के अमीरों और अधिकारियों को इस बात के लिए राजी कर पाया था कि वे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूदशाह को अपना नया सुल्तान स्वीकार करेंगे। प्रो. निजामी ने इस समय के तीन अधिकारियों का विवरण दिया है। ये निम्न थे—मुकर्रबुलमुल्क जो सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, अब्दुर्रजीद मुल्तानी जो वारसक बनाया गया तथा मलिक दौलतयार दबीर जो 'अर्जे ममालिक' बना। बड़े-बड़े प्रान्तों ने दिल्ली की अधीनता के जुए को उतार फेंका था और समस्त प्रदेश में केवल अव्यवस्था और अवज्ञा के अतिरिक्त कुछ ढूँढ निकालना सम्भव न था। ऐसी स्थिति में ख्वाजा-ए-जहां ने यह अधिक उचित समझा कि अधिकारियों को अलग-अलग प्रान्त आवंटित कर दिये जावें और उन्हें वहां शासन करने का अधिकार दे दिया जावे। इसका स्पष्ट कारण था कि दिल्ली सल्तनत में अब वह शक्ति शेष न थी जिसके आधार पर वह हिन्दुओं को नियन्त्रित कर सके। इन सब का परिणाम निकला कि जीनपुर के शर्की राज्य की स्थापना हुई। केवल यही नहीं अपितु उत्तर में खोखरों ने तेजी से विद्रोह आरम्भ कर दिये और गुजरात, मालवा और खान देश में स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। यदि साम्राज्य के इन प्रदेशों में इस प्रकार की अव्यवस्था व्याप्त थी तो दिल्ली भी किसी प्रकार से अशुभ न था। दिल्ली में अमीरों के दल ने स्वयं को गठित कर विभिन्न प्रत्याशियों का पक्ष लिया। एक दल फीरोज तुगलक के पौत्र नुसरतखान को गद्दी पर बैठाना चाहता था तो दूसरा दल महमूदशाह की गद्दी का अधिकारी मानता था। इन विभिन्न दलों में प्रमुख आधार पर बहादुर नाहर, मल्लू इकबाल और

मुकर्रबखा काफी सक्रिय थे। इस सघर्ष में प्रान्तीय दक्तादार और अन्य अधिकारी तटस्थ रह कर गतिविधियों पर पूरी तरह से निगाह जमाये हुये थे और ऐसे अवसर की तलाश में थे जब वे अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकें। पंजाब का सूबेदार यह मनसूबे बाँधने लगा कि दिल्ली की भ्राजकता का लाभ उठाकर वह उसके जुए को उतार फेंके तथा अपने वंश की स्वतन्त्र सत्ता की पंजाब में स्थापित कर सके। स्थिति इतना हास्यास्पद थी कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार दो सुल्तान दिखने लगे—नासिरुद्दीन दिल्ली में सुल्तान था और नुसरतखा फीरोजाबाद में स्वयं को सुल्तान मानता था। एक साथ इन दो सुल्तानों के होने से भूमिओं ने सबसे अधिक लाभ उठाया। कभी वे एक सुल्तान का तो कभी दूसरे सुल्तान का पक्ष ग्रहण कर लेते थे और दोनों ही से अपनी स्वार्थ-पूर्ति करते थे। दोनों नगरों के मुमलमान एक दूसरे का वध करने पर तुले हुये थे परन्तु कोई भी पक्ष विजयी होकर उभर न पाया।

ऐसी अव्यवस्था के समय (1397 ई.) यह सूचना मिली कि तैमूर ने सिन्ध नदी पार कर उच्छ को घेर लिया है। इस आक्रामक विजयी के गिरने का परिणाम निकला कि विभिन्न दल अत्यधिक शीघ्रता से अपनी-अपनी स्थिति बदलने लगे। मल्लूखा ने नुसरतखा से गठजोड़ कर लिया। सुल्तान महमूद, मुकर्रबखा व बहादुर नाहर दिल्ली में ही जमे रहे। अलग-अलग दलों में मध्यं शुरू हुआ और साथ ही वे आपस में एक दूसरे की शक्ति का अन्त करने पर उतारू हो गये। मल्लूखा ने विश्वासघात कर नुसरतखा पर आक्रमण कर दिया जिससे मजबूर होकर वह पानीपत में तावारना के साथ जा मिला। मल्लूखा ने अब मुकर्रबखा के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की जिसका परिणाम एक भीषण युद्ध में निकला जो लगभग दो महीने तक चलता रहा। दोनों के बीच मरदारों के माध्यम से मन्धि हुई, परन्तु कोई भी अपने वचन को निभाने के लिए तैयार न था। वे केवल उचित अवसर की तलाश में थे। मल्लूखा ने अचानक मुकर्रबखा पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। मुकर्रबखा पर इस आक्रमण में सुल्तान का एक हाथ भी फट गया।

नासिरुद्दीन मसूदशाह ने शासन को सगठित करने का पुनः प्रयत्न किया, परन्तु तैमूर के आक्रमण ने सल्तनत में एक नया संकट पैदा कर दिया। आक्रमण के समय सुल्तान नासिरुद्दीन महमूदशाह और सुल्तान नुसरतशाह भाग खड़े हुए। तैमूर ने लौट जाने पर मार्च 1399 ई. में नुसरतशाह ने पुनः दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। परन्तु यह अधिकार अधिक समय तक न रह सका। मल्लू इकबाल ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। 1401 ई. में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद उसके मिन गया। सुल्तान का दिल्ली में स्वागत किया गया, लेकिन शासन का अधिकार इकबाल के हाथों से रहा। सुल्तान महमूद, इकबाल के व्यवहार से तंग आ गया और उसने उसके विरुद्ध सभ बनाने की कोशिश की परन्तु असफल रहा।

तत्पश्चात् वह कन्नौज में रहने लगा। एकदाल और सुल्तान महमूद अब एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी हो गये। 1405 ई. में मुल्तान के शासक खिज्जख़ां पर आक्रमण किया परन्तु पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया। महमूद ने अब चैन की सांस ली क्योंकि उसका एक प्रबल विरोधी मर चुका था। दौलतख़ां लोदी के द्वारा आमन्त्रित किये जाने पर वह पुनः दिल्ली आया परन्तु दिल्ली पर अधिकार करने के बाद भी वह अपनी विवेकहीनता से कोई लाभ न उठा सका। वह पुनः भोग-विलास में डूब गया और शासन के प्रति उदासीन हो गया। इसी बीच 1412 ई. में उसकी मृत्यु ही गई। अमीरों ने दौलतख़ां को अपना प्रधान चुना। दौलतख़ां ताज को स्वीकार करने लिए तत्पर न था। वह केवल एक ऐसे सैनिक वर्ग का मुखिया ही बना रहा जो के विरोधी वातावरण में अपनी रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा था। सैनिक शक्ति संगठित कर दौलतख़ां ने कटेहर के हिन्दू सरदारों को अपने अधीन किया। उसे इसी बीच समाचार मिला कि इब्राहीम शर्की ने कन्नख़ां की कालपी के किले में घेर लिया है परन्तु वह अब भी इतना शक्तिशाली न था कि कन्नख़ां की सहायता कर पाता। इस समय तैमूर के कृपा-पात्र मुल्तान के शासक खिज्जख़ां ने दिल्ली पर आक्रमण किया और लगभग चार माह के घेरे के बाद दौलतख़ां ने मजदूर होकर आत्मसमर्पण किया। खिज्जख़ां ने दिल्ली पर अधिकार के बाद सैयद वंश की स्थापना की और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में एक नयी कड़ी जुड़ गई।

तैमूर का आक्रमण और उसका प्रभाव—तैमूर का जन्म 1336 ई. में ट्रांस आक्सियाना प्रदेश समरकन्द से लगभग 50 मील दूर दक्षिण की ओर केश नामक स्थान पर हुआ था। वह अमीर तुरगे का बेटा तथा हाजी बरलास का भतीजा था। वह जब 33 वर्ष का था उस समय चंगतार्ई तुर्कों का नायक बन गया था। उसने धीरे-धीरे कुछ ही समय में ख्वारिज्म, तुकिस्तान और फारस पर अधिकार कर लिया। जब वह हर अभियान में सफल रहा तो अपनी निरन्तर विजयों से उत्साहित होकर तैमूर ने अपनी सेना का रुख भारत की ओर कर दिया। भारत में तैमूर के आक्रमण का उद्देश्य यहाँ की अतुल घन सम्पदा को लूटना ही था।

जफराना के अनुसार—इस आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ विधर्मियों का विनाश था न कि लूट थी। इसी प्रकार से जफरनामा के लेखक सरफुद्दीन यजदी के शब्दों में, "तैमूर ने सिर्फ धार्मिक युद्ध करने की इच्छा से प्रेरित होकर ही मुल्तान की ओर प्रयाण किया था।"

भारत में आक्रमण से पहले यहाँ की सही स्थिति का पता लगाने के लिए पहले उसने अपने पौत्र पीरमुहम्मद के अधीन एक सेना भेजी थी। जिसने कि सिन्ध नदी को पार करके उच्छ तथा मुल्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने दीपालपुर तथा पाकापतन पर भी कब्जा करके सतलज नदी के किनारे जाकर तैमूर की प्रतीक्षा करने लगा। इधर तैमूर ने पंजाब में सभी खोखरों का दमन किया

तथा सतलज नदी के किनारे पर अपने पौत्र से आकर मिला। वहाँ के रास्ते में लगभग सभी नगरों को उसने लूटा और लूटता हुआ बंयल जा पहुँचा जहाँ से उसने दिल्ली पर आक्रमण करने की एक योजना बनाई।

तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण—दिल्ली आक्रमण की योजना बनाकर तैमूर न दिल्ली के लिए बूझ किया। वह अनेक नगरों की बुरी तरह रोदता हुआ दिल्ली से केवल छ मील की दूरी पर पहुँच कर उसने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि अपने भोजन तथा जानवरों के चारों ओर प्रवेश करें आम ताम के सभी प्रदेशों को लूट लिया जाय। इस लूट में लगभग एक लाख हिन्दुओं को बन्दी बनाया गया। जब वे दिल्ली के निकट पहुँचे तो जहानशाह मुलेमानशाह आदि अमीरों ने तैमूर को यह सलाह दी कि जिन एक लाख हिन्दुओं को अब तक बन्दी बना लिया गया है उन्हें तनवार के घाट उतार दिया जाय। इस प्रकार अमीरों का राय मानकर तैमूर ने आदेश दे दिया कि सभी काफिर बन्दीयों को बंध कर दिया जाय। उसी समय लगभग एक लाख हिन्दू सैनिक बन्दीयों को खटालन मौन के घाट उतार दिया गया उन्हें इतनी बुरी तरह मौन के घाट उतारा जैसे कि गाजर मूली की तरह उन्हें काट दिया गया। इस प्रकार का नर संहार करके कठोर दिन इंसान ने सना को युद्ध के लिए सुसज्जित करना शुरू कर दिया तथा सना को ब्यूह रचना का प्रशिक्षण भी भर्ति दिया गया। उस समय सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह की सना भी प्रकार से सुसज्जित थी लेकिन फिर भी वह तैमूर की सना के आगे नहीं टिक सकी। सुल्तान की सेना में उस समय लगभग 10 हजार अनुभवी घुड़सवार 40 हजार पैदल सैनिक तथा बख्शा से सुसज्जित 125 हाथी थे। तमूर की मना ने पहले की परम्परा अनुगार ब्यूह की रचना की।

17 सितम्बर को दाना ही पक्षा में अत्यन्त भयंकर युद्ध हुआ अन्त में सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार से तैमूर ने 18 सितम्बर, 1398 ई. में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात् तैमूर की सेवा में राजधानी के सभी लोगों ने उपस्थित होकर दया की भीषण मांगी। तैमूर ने उन्हें क्षमा करके जीवन दान देना स्वीकार कर लिया लेकिन उसकी सना ने जनता पर बहुत से अत्याचार करना शुरू कर दिया। जैसे ही जनता ने उनके अत्याचारों का प्रतिरोध किया तो तैमूर ने लूटन तथा नरसंहार का आदेश दे दिया। इस प्रकार जो भय के दिल्ली को लूटा। हजारों नर नारियाँ तथा बच्चों को गुलाम बनाया गया। उन्होंने दिल्ली में जो निवासी बच गए वे उन्हें मुसलमान बना लिया उनकी बरोंहों संपत्ति नष्ट कर दी गई। इस प्रकार लगभग पाँच दिन तक लूट तथा नरसंहार का यह कार्यक्रम चलता रहा। उसने भारत में सभी सिन्धिया तथा वारोगरों का चुन चुन कर समरकन्द भेज दिया। वहाँ पर उसने एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया।

तैमूर भारत में रहने के लिए नहीं आया था बल्कि उसे सिर्फ भारत की सम्पदा में ही रुचि थी। उसे बटोर कर वह वापस चला गया लेकिन भारत को बहुत ही अस्त व्यस्त कर गया। उसने दिल्ली के बाद फिरोजाबाद को उजाड़ा उसके पश्चात् (1 जनवरी, 1399 ई.) में लूटमार करके लगभग 9 जनवरी को वह हरिद्वार की ओर बढ़ा। उसके बाद उसने जम्मू कश्मीर को लूटा तथा भारी संख्या में सभी जगह नरसंहार करते हुए वह वापस लौट गया। उसने वापस जाते समय लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का शासन खिज्रखां को सौंप दिया। इस प्रकार से अपार धन राशि प्राप्त करके तथा भारत को दयनीय हालत में छोड़कर के 19 मार्च, 1399 ई. के आसपास तैमूर सिन्धु के उस पार चला गया, इस समय भारत की इतनी अधिक दयनीय हालत हो गई थी कि पहले कभी भी किसी भी आक्रमणकारी द्वारा इस प्रकार की हालत नहीं हुई थी।

तैमूर के आक्रमण के कारण—जिस समय भारत में तैमूर ने आक्रमण किया था उस समय सुगलक वंश भी पतन की ओर अग्रसर हो रहा था तथा तुर्क साम्राज्य की दशा शोचनीय हो गई थी। तैमूर के आक्रमण के मूल में निम्न कारण निहित थे।

(1) जब तैमूर ने भारत में अपार धनराशि के विषय में सुना तो उसका मन भारत में आने के लिए लालायित हो गया। वह एक लुटेरा था जो स्वयं को भारत विजेता का गौरव प्रदान करना चाहता था।

(2) तैमूर ने उस समय भारत में फैली अराजकता का पूरा लाभ उठाया। क्योंकि उस समय सल्तनत की राजनैतिक स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय हो गई थी। वह इस स्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहता था इसलिए उसने लाभ उठाने के लोभ से भारत पर आक्रमण किया था।

(3) उस समय भारत की विशाल धनराशि को लूट का हाल तैमूर अनेक आक्रमणकारियों द्वारा सुन चुका था। जब वह भारत की सम्पन्नता से पूरी तरह अवगत हो गया तो वह भी भारत को लूटने के लिए बुरी तरह लालायित होने लगा और भारत विजय की योजना को बनाने की तैयारी में लग गया।

(4) तैमूर का भारत विजय का मुख्य कारण धर्म का प्रचार करना भी था। वह धर्मन्धि था तथा मूर्ति पूजक सभी हिन्दुओं को नष्ट कर इस्लाम का प्रचार करना चाहता था तथा गाजी की उपाधि धारण करना चाहता था।

तैमूर के आक्रमण का प्रभाव—तैमूर जिस उद्देश्य को लेकर भारत में आया था उसे तो वह पूरा नहीं कर सका लेकिन लूटमार करके वह अपने प्रधान उद्देश्य में अवश्य सफल हो गया। क्योंकि वह धर्मन्धि होने के कारण भारत में हिन्दुओं को समाप्त करके इस्लाम धर्म का प्रचार करने आया था उसने लाखों हिन्दुओं को कत्ल किया लेकिन फिर भी वह हिन्दू धर्म का पूर्ण रूप से विनाश नहीं कर सका लेकिन भारत से विपुल धन सम्पत्ति को लेकर ही लौटा।

तैमूर के आक्रमण के अस्थायी प्रभाव

(1) तैमूर के आक्रमण से दिल्ली शासन छिन्न-भिन्न हो गया। देश में चारों ओर अराजकता छा गई। तैमूर के प्रबल प्राफ्त से प्रांतीय शासक अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र हो गए। देश में कई छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य हो गए तथा पूरा देश कई टुकड़ों में विभाजित हो गया।

(2) जिस समय तैमूर ने आक्रमण किया उस समय तुगलक वंश का भवन लडखड़ा रहा था, लेकिन तैमूर के आक्रमण ने उसे लडखड़ाते भवन को धाराशाही कर दिया। फिरोज तुगलक तथा उसके उत्तराधिकारियों ने तुगलक वंश को जितना नष्ट होने से बचाया था तैमूर ने आक्रमण ने उसको पूर्ति कर दी तथा लडखड़ाना हुआ भवन धाराशाही हो गया।

(3) तैमूर के अथाह धन लूट के ले जाने के कारण भारत की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय हो गई। सम्पूर्ण देश भीषण भवर में फस गया था। तैमूर के लूटमार तथा भीषण हत्या काण्ड से पूरे देश में भ्रान्तक छा गया था। चारों ओर नरसंहार के पश्चात् लाशों के सड़ने से महामारी तथा दूसरी बीमारीया फैल रही थी। इससे भारतीयों का रहा सहा मनोबल समाप्त होने लगा था। अकाल पढ़ने से जनता की कमर और भी टूट गई थी।

(4) पंजाब पर अधिकार करके तैमूर ने खिज्रखा की पंजाब का शासक बनाया। जब तुगलक वंश का पतन पूर्ण रूप से हो गया तो खिज्रखा ने ही दिल्ली पर अधिकार कर भारत में संयुक्त वंश की नींव डाली।

(5) तैमूर धर्मान्ध था तथा वह हिन्दुओं का विनाश करना चाहता था, इसी कारण से हिन्दू और मुसलमानों में परम्परागत धार्मिक द्वेष और भी ज्यादा बढ़ गया था। दो शताब्दियों से साथ रहने के कारण जो आपस में सद्भावना उत्पन्न हुई थी वह एक भटके में ही समाप्त हो गई। क्योंकि अब हिन्दू मुस्लिम अपने-आप को अलग-अलग समझने लगे थे।

(6) तैमूर के आक्रमण ने दूसरे आक्रमणकारियों का मार्ग और भी ज्यादा सुगम कर दिया था। इससे वावर के लिए भारत पर आक्रमण करने का मार्ग एकदम सुगम हो गया था। इसके द्वारा भारत की एकता और शक्तियों को भारी आघात लगा था।

(7) तैमूर के आक्रमण से भारत और एशिया की कला का सम्मिश्रण हुआ क्योंकि जब तैमूर भारत में आया, जाते समय वह अपने साथ बहुत से कलाकारों तथा नारीगरो को साथ ले गया था जिन्होंने कि समरकन्द को एक बहत ही सुन्दर शहर बना दिया था।

तैमूर के आक्रमण के प्रभाव भारत में स्थाई नहीं थे बल्कि अस्थायी थे क्योंकि "तैमूर भारत में आधी की भाँति आया था तथा तूफान की भाँति लौट गया था।"

तुगलक शासक व अमीर-वर्ग

सुल्तान ग्यासुद्दीन व अमीर-वर्ग—अलाई वर्ग के संयुक्त प्रयत्नों से जो क्रान्ति हुई उससे नव-स्थापित तुगलक वंश के ढांचे में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं आया। सुल्तान ग्यासुद्दीन अमीरों की सर्व-सम्मति से गद्दी पर बैठा था। सम्भवतः यह 'सम्पन्न कार्य' (Tait accompli) था जिसके अनेक कारण थे। प्रथमतः ग्यासुद्दीन स्वयं एक सम्मानित व वृद्ध अलाई अमीर था जिसने मंगोलों के विरुद्ध अनेक युद्धों में अपनी कौशलता प्रदर्शित की थी; द्वितीय उसके ही खुसरोखा के शासन का उन्मूलन करने के लिये अलाई अमीरों का प्रभावशाली संगठन गठित किया था और तृतीय उसने अपने सैनिक गुप्तों और अनुभवों के आधार पर ही खुसरोखा के पतन को साकार किया था। इसलिये डा. एस. वी. पी. निगम ने 'नोविल्टी अन्डर द सुल्तानस् आफ् दहली' में लिखा है कि, "इस प्रकार एक राजवंश से दूसरे राजवंश के हाथों में सत्ता आने से अमीर-वर्ग में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया जैसा 1290 ई. में खल्जी क्रान्ति के बाद आया था।" इसका कारण स्पष्ट था कि ग्यासुद्दीन ने खल्जी अमीर-वर्ग के विरुद्ध संघर्ष न करके उन लोगों के विरुद्ध संघर्ष किया था जिन्होंने अनैतिक उपायों से सत्ता पर अधिकार कर लिया था। स्वाभाविक था कि ऐसी भूमिका के अन्तर्गत सुल्तान और अमीरों के सम्बन्ध अच्छे रहें।

ग्यासुद्दीन ने सत्ता-प्राप्ति पर समस्त महत्वपूर्ण पदों पर अलाई-अमीरों को बनाये रखा स्वयं को 'समकक्षों में प्रथम' की स्थिति में ही रखा। यद्यपि यह स्थिति उसके राज्यकाल में उचित रही परन्तु उसके उत्तराधिकारी मुहम्मद बिन तुगलक के समय में यह अनेक कठिनाइयों का कारण बनी।

उसके राज्यारोहण से अलाई-अमीरों ने बँन की साँस ली। क्योंकि खुसरोखा के शासन काल में वे अत्यधिक पीड़ित, प्रताड़ित और अपमानित हो चुके थे। उसने पुराने अलाई अमीरों को पुनर्स्थापना करने उन्हें सम्मान देने की और विशेष ध्यान दिया। अलाउद्दीन के समय के बचे हुये समस्त पुराने अमीरों को इत्का आदि प्रदान किये तथा उनके साथ निष्ठावान सहयोगियों जैसा व्यवहार किया। उसने न केवल अलाई-अमीरों को ही सन्तुष्ट किया अपितु इल्वारी सरदारों को भी सम्मानित किया। स्वाजा खातिर व स्वाजा मुहज्जब जैसे वयोवृद्ध इल्वारी सरदार ऐसे ही व्यक्ति थे। उसने उन्हें न केवल वृत्ति और इनाम आदि ही प्रदान किये अपितु प्रशासन के सम्बन्ध में भी उनसे सदाकदा परामर्श लेता रहा।

डा. निगम के अनुसार, "इससे स्पष्ट है कि सुल्तान ने अमीरों के प्रति उदार नीति का अनुसरण किया। सामन्वस्यपूर्ण नीति का परिणाम निकला कि सुल्तान और अमीर-वर्ग के बीच सौहार्दता बनी रही और लगभग चार वर्ष व चार माह के शासन-काल में कवि उवैद के 1321 ई. के विद्रोह को छोड़कर किसी दूसरे विद्रोह की बात सुनाई ही नहीं दी। इसको भी आसानी से दबा दिया गया।

सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक व अमीर-वर्ग—मुहम्मद बिन तुगलक के समय में अमीरों और सुल्तान के बीच वह सौहार्दता जो ग्यासुद्दीन के समय में थी नहीं रह सकी। सम्भवतः मुहम्मद की रीति-नीति ने अमीर-वर्ग में असन्तोष उत्पन्न कर दिया। अपने शासन के आरम्भ में उसने अमीरों को विभिन्न सम्मानित पदों पर नियुक्त किया तथा वे जो कि उसके घनिष्ठ सहयोगी थे उनको इत्का प्रदान किये। कुन-मिलाकर उसने अपने पिता के समय की व्यवस्था को उसी प्रकार बनाये रखा।

इसके कुछ समय बाद सुल्तान ने (उन उग्र भुषारों व योजनाओं की शृंखला आरम्भ की जिनके बारे में विद्वानों में गहन मतभेद है) डा. निगम ने लिखा है कि, 'सभी विद्वान सहमत हैं कि सुल्तान की प्रवृत्ति ही एकमात्र राज्य की कायापालट के लिये उत्तरदायी थी जिसमें अमीर-वर्ग ने असफलता से उसके असहनीय नियन्त्रण को भङ्ग करने का प्रयास किया।'

समकालीन इतिहासकारों की दृष्टि में, जो माघारणतया रुढ़िवादी विचारधारा के थे, सुल्तान स्वयं अमीरों के इस विरोध के लिये उत्तरदायी था। परन्तु सुल्तान के गतिशील व्यक्ति के आलोचनात्मक अध्ययन से ऐसा अनुभव होता है कि यह कथन केवल अर्थ-सत्य ही था। सुल्तान का लालन-पालन एक अत्यन्त बौद्धिक बाल्यावरण में हुआ था और सौभाग्य से उसे अमीर सुसरो तथा अमीर हुसैन जैसे विद्वानों की सगुणि प्राप्त थी। वह ताकिबों से प्रभावित था तथा कवि उर्वद और अलीमुद्दीन के विचारों से सामीप्य रखता था कि प्रत्येक विचार जो तर्क की कसौटी पर धरा न उतरे त्याग्य है। डा. निगम का मत है कि यह भारतीय इस्लाम का विभिन्न दर्शन-ग्रहण (eclecticism) करने की शुरुआत थी और सुल्तान इस विचार को अमीर-वर्ग में भर देना चाहता था। परन्तु अमीर-वर्ग बौद्धिक क्षमता में बहुत पिछड़ा हुआ था और इसलिये सुल्तान तथा अमीरों में नहीं पट सकी। अमीर वर्ग सुल्तान की योजनाओं का मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे और अमीरों लिये उनमें उनको सफल बनाने की उत्कण्ठा भी कम रही।

अपनी योजनाओं को लागू करने में सुल्तान ने अमीर-वर्ग का सहयोग चाहा परन्तु इसमें उन्होंने उसकी पूरी तरह निराश किया। इसमें सुल्तान का भी दोष था। यदि वह प्रमुख अमीरों को प्रशामन में समुचित महत्त्व देना और फिर उनसे मलाह लेता तो सम्भवतः उसकी योजनाएँ ठीक ढंग से लागू हो जाती। लेकिन जैसा डा. निगम ने लिखा कि ये योजनाएँ उसी तरह असफल हुईं जिस तरह कि "सभी अच्छी योजनाएँ बुरे ढंग से लागू किये जाने पर असफल हो जाती हैं।" आघारभूत रूप में सुल्तान की योजनाओं में कोई कमी न थी। राजधानी-परिवर्तन, साकेतिक मुद्रा बनाना अथवा दीक्षाव में कर की बढोतरी किमी प्रकार से अत्यावहारिक नहीं थीं परन्तु अमीर-वर्ग की अदूरदर्शिता और बुरे ढंग से लागू

करने की विधि के कारण उन योजनाओं से वांछित फल न निकल सके। इन असफलताओं से सुल्तान ने मानसिक संतुलन खो दिया और वह तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में असफल रहा। वह यह स्वीकार न कर सका कि संसार में असंभव जंसी भी कोई चीज है। कुपित होकर उसने अमीरों तथा साधारण लोगों को समान रूप से कठोर दंड देने शुरू कर दिये।

सम्पूर्ण शासनकाल में अमीरों का विद्रोह इस वंचारिक संघर्ष का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त अमीरों को यह बात भी खटकती थी कि वह उसके पिता के समय की अमीरों की प्रभावपूर्ण स्थिति में रहोबदल करे। अमीर सुल्तान को 'समकशों में प्रथम' मानने के आदी हो गये थे परन्तु सुल्तान उनसे यह चाहता था कि वे उसे पृथ्वी पर ईश्वर की छाया समझें और इल्चरी तथा खल्जी अमीरों की तरह पूर्ण-आत्मसमर्पण कर दें। यह विचार कोई नया नहीं था लेकिन अमीर-वर्ग वह मानता था कि तुगलक उनके संयुक्त सहयोग व प्रयत्नों के कारण ही सत्ताखंड हुये हैं इसलिये वे ताज से कोई निम्न स्थिति स्वीकार करने के लिये तत्पर नहीं थे। वास्तविक शक्ति और संप्रभुता में भागीदारी के संघर्ष के कारण ही मलिक बहराम, मलिक बहाउद्दीन गुशतिप तथा एतुल्मुल्क मुल्तानी के विद्रोह हुये। इस प्रकार अमीरों में असन्तोष की शुरुआत हुई। अमीर यह आशा करते थे कि गयास के बेटे के प्रशासन में न केवल उन्हें बराबरी का समझा जावेगा अपितु उन्हें सम्मानित पद भी प्रदान किये जावेंगे। सुल्तान न तो उन्हें समानता का दर्जा देने के लिये ही तत्पर था और न ही वह सम्मान जो साधारणतया इन पदों से संलग्न रहता है।

सुल्तान ने झुकना और समझौता करना सीखा ही नहीं था। सुल्तान व मुल्तान के मुक्ति मलिक बहराम के बीच जो पत्र-व्यवहार 1533-34 ई. में हुआ उससे इसकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है। मलिक बहराम ने अपने विद्रोह के समय शाही सेना से टक्कर लेने के पहले जो पत्र सुल्तान को लिखा था उसका आशय इस प्रकार था। उसने लिखा था,¹ "मूर्ख लोगों की बातों में भाकर सुल्तान ने अपने इस हितैषी पर संदेह किया है। यदि सुल्तान राजधानी को लौट जावे तो मैं समादर समर्पण कर दूंगा व नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष निश्चित कर भेजाता रहूंगा। पर यदि सुल्तान उसके प्रदेश पर आक्रमण करने कि जिद करता है जिस प्रकार अफरातियाब (तुरान का शासक) ने ईरान पर आक्रमण किया था तो उसे यह स्पष्ट होना चाहिये कि जब तक इस भूमि पर खूस्तम है तब तक अफरातियाब का क्या भय हो सकता है" सुल्तान ने इस पत्र का उत्तर अत्यन्त कठोरता से दिया जो इस प्रकार है, "हे भाग्यवान तथा बुद्धिमान ! ईश्वर ने जिन्हें तरक्की बरूशी है, उनका विरोध न कर। मुझे ईश्वर ने हिन्दुस्तान प्रदान किया है।

मैं जब किसी वृक्ष को अपनी सीमा से अधिक सिर उठाये देखता हूँ तो मैं उसका सिर कुल्हाड़ी से काटकर उसके स्थान पर दूसरा वृक्ष लगा देता हूँ। यदि तू अपने प्राण चाहता है तो मेरा विरोध न कर। यदि तेरा भाग्य तुझ उचित भाग दशन करे तो तू वहाँ पर चना जा। मुझ से युद्ध करने वाला बचकर नहीं जाता। यदि तू मुगला के राज्य में भागना चाहेगा तो मैं वहाँ में भी तुझ निकान लाऊंगा। यदि तू आशाकारिता स्वीकार कर लेगा तो बच जावेगा भ्रमना तुझ अपने जन धन से हाथ धोना पडगा।

तानाशाही का ये रवैय 14वीं शताब्दी में कोई नया विचार नहीं था परन्तु यह ग्यासुद्दीन तुगलक द्वारा उदाहरण से पूरी तरह भिन्न था जो भमीरा को सम्मान देता था तथा उनके साथ समानता का व्यवहार करता था। इसके साथ ही सुल्तान ने सदेह पात्र पर ही कठोर दण्ड देने की जो नीति अपनाई उससे भमीर विद्रोह के लिये तत्पर हुये। सुल्तान यद्यपि इन घटनाओं से परेशान था परन्तु उसने इनकी रोकथाम के लिये कोई सत्रिय प्रयास नहीं किया। उसके सामने प्रलाउद्दीन खन्वी का उदाहरण था जिसने विद्रोहो को रोकने का प्रयास किया परन्तु सुल्तान उससे भी कुछ सीखने को तयार न था।

भमीरा के इस विद्रोही रवैये के लिये उसने भमीर वग में नये तबो के समावेश करने की नीति अपनाई। उसने भमीर वग में भफगाना हिन्दुओं तथा भगोना को स्थान देना शुरू किया। उसकी इस नीति का विवरण देते हुये डा के एम अशरफ¹ ने लिखा है कि सुल्तान ने यह अनुभव किया कि तुर्की सरदारा में अनेक कमियां हैं। इसलिये उसने भारत के बाहर के मुस्लिम प्रदेशो से भमीरो की भर्ती करना शुरू की। सुल्तान ने उत्तरदायी और महत्वपूर्ण पदो पर विदेशियो की नियुक्ति की। सुल्तान की इस नीति के कारण पुराना भमीर वग सुल्तान क प्रति सदेह करने लगा क्योंकि इस तरह से सुल्तान ने उनके प्रभाव और आकाशाभा को सीमित कर दिया था। ऐसा अनुभव होता है कि सुल्तान ने इस वग का निर्माण सम्भवत असंतुष्ट ग्यासी भमीरों के विरुद्ध प्रति सन्तुलन करने के लिये किया था। इस पुराने भमीर वग की शक्ति इसमें निहित थी कि ये वग अपने स्थानीय प्रभाव के कारण हिन्दू राजाओं स्थानीय अधिकारियों व जमीदारो को अपने पक्ष में करके सुल्तान के विरुद्ध एक सघपकारी शक्ति को जुटा सकता था। विदेशी भमीरों के साथ इस तथ्य का प्रभाव था परन्तु सुल्तान उनकी निष्ठा पर विश्वास कर सकता था क्योंकि वे अपनी स्थिति के लिये एकमात्र सुल्तान के सरक्षण पर निर्भर थे। विदेशियों को ये सरक्षण यद्यपि देशी भमीरों की कीमत पर प्रदान किया गया था परन्तु उनमें इतना साहस न था कि वे सुल्तान का विरोध

1 डा के एम अशरफ—साइफ एब्द कबीर—स ऑफ द पियुल ऑफ हिन्दुस्तान पृ 91

कर सकें। देशी अमीर इन विदेशियों को अपना प्रमुख शत्रु मानते थे। वास्तविकता यह है कि सल्तनत और जुलोनतन्त्र के परम्परागत वंशानुगत सिद्धान्त में लगातार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें पुराने अमीर अपने परम्परागत अधिकारों की रक्षा के इच्छुक थे जबकि सुल्तान पैतृक उत्तराधिकार तथा शक्ति को समाप्त कर नये अमीरों का निर्माण कर रहा था। पुराने अमीरों का यह विचार था कि यदि राजसत्ता परम्परागत पैतृक आधार पर आधारित है तो अमीर-वर्ग का निर्माण भी उसी सिद्धान्त पर आधारित होना चाहिये। अमीर सुल्तान की नीति से क्षुब्ध थे और विदेशियों के प्रति उनकी शत्रुता ने हत्याओं का रूप धारण कर लिया। खान-ए-जहां अहमद ग्याज द्वारा मलिकुल-तुज्जार का वध इसी प्रक्रिया का प्रमाण है क्योंकि अहमद इस बात से अधिक डरे रहता था कि सुल्तान ने एक विदेशी को बजीर बनाने का वचन दिया है।

सुल्तान ने इन नये अमीरों में से अनेक को अपना सम्बन्धी बना लिया था। उसने मलिक संफुद्दीन, शराफुल मुल्क व शेखजादा विस्तामी के साथ अपनी बहनों का विवाह सम्पन्न किया था।¹ वह इन्हें 'अजीज' कह कर पुकारता था। इसके अतिरिक्त उसने महत्वपूर्ण इत्ता भी इन नये अमीरों को दिये। शमसुद्दीन बदखशी व अलाउलमुल्क को क्रमशः अमरोहा व लहरी के इत्ता दान किये गये क्योंकि इन्होंने पुराने वर्ग के अमीर ऐनुलमुल्क के विरुद्ध सुल्तान की सहायता की थी।

सुल्तान ने मंगोलों को भी संरक्षण दिया। दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए राजधानी परिवर्तन का जो प्रयोग किया गया था उसकी असफलता के बाद सुल्तान ने 'तब-मुसलमानों' के प्रति समन्वय की नीति अपनाई जिससे कि मंगोलों के आक्रमण पुनः न हो। इसीलिए उसके शासन के अन्तिम वर्षों को छोड़कर केवल तरमाशरीन के आक्रमण को छोड़कर मंगोलों का कोई विकट आक्रमण नहीं हुआ। प्रत्येक वर्ष मंगोल दरबार में आते थे और सुल्तान उन्हें उपहार तथा इत्ता प्रदान कर सम्मानित करता था। इसके बाद भी सुल्तान के शासन के अन्तिम वर्षों में मंगोलों ने बहुत उत्पात मचाया। सुल्तान का शासनकाल अफगानों के उत्थान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि दरबार में उनका प्रभाव नगण्य था परन्तु फिर भी अनेक अफगान अमीरों का उत्थान उसके शासनकाल में हुआ।

इन विदेशी तत्वों को संरक्षण प्रदान करने में सुल्तान ने पुराने अमीर-वर्ग के अधिकारों का तिरस्कार किया जिनकी संख्या काफी अधिक थी। स्वाभाविक रूप में वे इत्ताओं में अधिक प्रभावशाली थे। यद्यपि दरबार में विदेशी अमीरों की तुलना में उनकी स्थिति दयनीय हो गई परन्तु फिर भी उन्होंने इत्ताओं आदि में अपनी दृढ़ स्थिति को नहीं त्यागा और इसी कारण उनमें से अनेकों ने लखनौती,

1. एस. बी. पी. निगम, नोबिलिटी अन्ड द सुल्तान् ऑफ देहली, पृ. 81

माबर व देवगिरि आदि में स्वतन्त्र शासन स्थापित कर लिये। इन विद्रोहों को न कुचल पाने के कारण सेना तथा भ्रमीर-वर्ग का उत्साह भग हो गया। चांगो और तथा प्रत्येक प्रान्त में भ्रमीरो ने विद्रोह किया परन्तु इसके बाद भी सुल्तान सत्यता को न समझ सका। जैसे-जैसे इन विद्रोहों से प्रशासन अस्त-व्यस्त होने लगा वैसे ही वैसे सुल्तान का मानसिक सन्तुलन बिगड़ता गया और वह अधिक दूरता दिखाने में लगा। जीवन के अन्तिम वर्षों में उसकी समस्त रचनात्मक शक्ति विद्रोहों को कुचलने तथा राज्य की दुर्जेय शक्ति—जनसाधारण—को ध्वाने की दिशा में मुड़ गई। उमने सुदृढ़ राज्य के इस आधारभूत सिद्धान्त को नहीं सीखा कि यह भय पर आधारित न होकर विश्वास पर आधारित होना है।

इसके पश्चात् भी यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि उसके राज्यकाल में एक के बाद एक विद्रोह होते रहे परन्तु शाही खेमे में इल्वारियों तथा खलजियों की तरह कभी कोई विद्रोह नहीं हुआ। राजधानी इस प्रकार के विद्रोहों से असुख्य रही। राजधानी में उसके भ्रमीरों तथा सेना ने उसके प्रति थडा तथा निस्वार्थ सेवा के प्रमाण दिये। सुल्तान इन दूरस्थ विद्रोहों के कारण हैरान था और वह गम्भीरता से इस समस्या के सम्बन्ध में मनन भी करता था परन्तु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई समझौता करने को तत्पर न था। सुल्तान यह भी सहन नहीं कर सकता था कि शक्तिशाली भ्रमीर उसकी नीतियों का विरोध करें।

इसके साथ ही सुल्तान के शासनकाल में हरम का प्रभाव नगण्य था जो कि इल्वारों व खलजियों के कार्यकाल में अधिक प्रबल व प्रभावपूर्ण था। यद्यपि सुल्तान के चार जीवित भाई तथा चार बहिनें थीं जिनका विवाह प्रभावशाली भ्रमीरों से सम्पन्न हुआ था। परन्तु न तो उसके भाइयों अथवा बहनों ने कोई विद्रोह ही किया और न ही सुल्तान ने इनके प्रति किसी कठोर नीति को लागू किया। इसी प्रकार से दास भी अप्रभावपूर्ण रहे।

इन सब के बाद भी सुल्तान मुहम्मद तुगलक ने हिन्दुओं को भी शासन में सक्रिय रूप से जोड़ लिया। धरमो ने उन हिन्दुओं के नाम की सूची प्रस्तुत की है जो राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त थे। धारा नामक एक हिन्दू को सुल्तान ने देवगिरि के नायब वजौर के पद पर नियुक्त किया था। बहरन उसके समय में गुलबर्ग का मुक्ति था। इसी प्रकार में रतन नामक हिन्दू भी सुल्तान का कृपा-पात्र था।

इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सुल्तान के राज्यकाल में एक ओर तो सुल्तान तथा भ्रमीर-वर्ग में और दूसरी ओर भ्रमीरों के विभिन्न वर्गों के बीच लगातार संघर्ष बना रहा। उसने भ्रमीरों के पंतुक अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया तथा अपने पिता के समय उन्हें जो सुल्तान से बराबरी का दर्जा

मिल पाया था उसको जड़-मूल से समाप्त करने पर उद्यत हो गया। उसे जब अमीरों में अपने प्रति स्वामिभक्ति की कमी नजर आई तो उसने अमीर-वर्ग के हाँचे में परिवर्तन कर नई श्रेणियों को ला खड़ा किया जो एकमात्र उसकी कृपा पर निर्भर थे। उसने अपने आदेशों तथा योजनाओं को लागू करने के लिए हर उचित साधन को अपनाया और जब किसी कारण से उसके आदेश अथवा योजनायें क्रियात्मक रूप न ले सकीं तो उसने वगैर किसी भाप-दण्ड के अमीरों को कठोर दण्ड देने शुरू किये। इस तरह उसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे अमीर विद्रोही हो गये और इनका तांता सा लग गया। सुल्तान का मानसिक सन्तुलन विद्रोहों को न दबा सकने के कारण बिगड़ने लगा। यद्यपि वह गर्भीरता से इनके कारणों पर मनन करता था परन्तु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही कि वह सिद्धान्तों के साथ किसी प्रकार का समझौता करने को तत्पर न था। इसी बीच घट्टा के निकट उसकी अचानक मृत्यु हो गई।

सुल्तान फीरोजशाह तुगलक व अमीर वर्ग—मुहम्मद तुगलक की मृत्यु से शाही खेमे में अतर्क फैल गया। अमीरों ने मलिक फीरोज (फीरोजशाह तुगलक) के नेतृत्व में घेरे को उठाकर शीघ्र राजधानी की ओर वापिस चलने का निर्णय किया। क्योंकि लौटती हुई सेना चारों ओर से संकटों से घिरी हुई थी इसलिये अमीरों ने फीरोज तुगलक को दिवंगत सुल्तान का 'अमीर-ए-हाजिब' का सुल्तान घोषित कर दिया। अमीरों की इस कार्यवाही का मुहम्मद तुगलक की बहन खुदावन्दजादा ने विरोध किया क्योंकि उसके अपने पुत्र, दावर मलिक के होते हुए फीरोज का सुल्तान चुना जाना गैरकानूनी और अनुचित था। अमीरों ने कह दिया कि इन विपम परिस्थितियों में एक अयोग्य बालक को सुल्तान स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्राट सहयोग न मिलने के कारण खुदावन्दजादा का प्रस्ताव खत्म हो गया। खेमे में उपस्थित उलेमाओं ने फीरोज के निर्विरोध निर्वाचन को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

यद्यपि फीरोज के सुल्तान चुने जाने का खेमे में सब ही ने स्वागत किया परन्तु राजधानी में एक मिश्रित प्रतिक्रिया दिखाई दी। खान-ए-जहाँन अहमद अयाज ने, जिसका अमीरों पर काफी प्रभाव था, एक सात साल के संदिग्ध बालक को दिवंगत सुल्तान का पुत्र बता कर सुल्तान घोषित कर दिया। अमीरों ने उसके इस चुनाव को बड़ी अनिच्छा से स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे कि वह अपने चुनाव की स्वीकृति उन अमीरों से नहीं ले पायेगा जो शिविर में थे। बजीर खान-ए-जहाँन भी इस चुनाव से परेशान था क्योंकि अहमद अयाज ने इतने महत्वपूर्ण मामले में उससे सलाह न ली थी। खान-ए-जहाँन की यह कार्यवाही उचित न थी और विशेषकर जबकि फीरोजशाह से उसके घनिष्टता के सम्बन्ध थे। अफीफ ने लिखा है कि बजीर को ये गलत सूचना मिली की तातारखां तथा अमीर-ए-हाजिब फीरोजशाह जापता हैं अथवा मर चुके हैं। इसलिये मातम का समय बीतने पर उसने गद्दी को

वालो रखने की अपेक्षा इस नीति का अपनाया और इस प्रकार एक जघन्य अपराध किया। दूसरी ओर क्योंकि मुहम्मद तुगलक ने अपने जीवनकाल में फीरोज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था इसलिए फीरोज का गद्दी पर बैठना एक सम्पन्न-कार्य (fast accompli) था। क्योंकि यह तथ्य सर्वविदित था इसलिए अनेक प्रभाव-शाली अमीरा ने अहमद अयाज का पक्ष छोड़ सुल्तान से जा मिले। डा निगम¹ ने लिखा है कि "इस सम्पूर्ण घटना का महत्व इसी में है कि एक बार फिर अमीर शासक के चुनाव में सक्रिय हो उठे। सौभाग्य से अहमद अयाज की सहायता न मिलने से अराजकता की टालना सम्भव हो सका।"

फीरोज का शांतिमय ढंग से गद्दी प्राप्त करना एक आश्चर्यजनक घटना थी क्योंकि इसके पहले बगैर विद्रोह, पटयन्त्र अथवा खून धराबी के गद्दी प्राप्त करना एक अनहोनी बात थी। परन्तु इसका अत्यधिक महत्व इस बात में था कि इससे एक उदार नीति का श्रीगणेश हुआ जो समायोजना तथा सद्भावना पर आधारित थी। सुल्तान ने नस्ल की श्रेष्ठता को त्याग कर मन्सूबों, अफगानों तथा नये धर्म-परिवर्तित हिन्दुओं में से, जिन्होंने मुहम्मद तुगलक के समय विशिष्ट सेवाएँ की थी, अमीरों को चुना।

फीरोज की इस उदार नीति के कारण नस्ल के आधार पर अमीर-वर्ग का समोजन अनुपस्थित रहा और इसने अपने आप में अमीरों पर ऐसे अवरोध पैदा कर दिये जो 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में निरंकुश शासन को चलाने के लिए आवश्यक थे। सुल्तान के ममस्त शासनकाल में कोई एक अमीर-वर्ग उभर कर ऊपर न आ सका और सम्भव इसी कारण फीरोज लगभग चालीस वर्ष के लम्बे समय तक शान्तिमय ढंग से शासन करता रहा।

फीरोज ने पिछले सुल्तानों के विरोध में अमीरा के साथ अत्यन्त उदार व्यवहार करना आरम्भ किया। उसने उन पर लगे हुए प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये, उनकी गतिविधियाँ पर न तो घब गुप्तचर रहे और न ही उन्हें साधारण अथवा गम्भीर अपराधों पर दण्ड ही दिया जाने लगा। अमीर अपने ढंग से धन अर्जित करने, सैनिक कर्तव्यों की अपेक्षा करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिये गये और ऐसी स्थिति में उन्हें सुल्तान के साथ शक्ति स्पर्धा करने की आवश्यकता अनुभव ही नहीं हुई क्योंकि उनकी समस्त आकांक्षाएँ बगैर किसी कठिनाई के पूरी हो रही थीं। फीरोज ने केवल यह आग्रह किया था कि वे प्रजा को किसी प्रकार से उत्पीड़ित न करें। फीरोज की ये नीति निश्चिन्त रूप से राज्य के हित में न थी। शर्न-शर्न राज्य की कीमत पर अमीर वर्ग के स्वार्थ पनपते रहे जिसका स्वाभाविक परिणाम निकला कि राज्य में अष्टाचार पनपा, सैनिक शक्ति निर्धन हो गई और राज्य का अन्त स्पष्ट दिखाई देने लगा।

फीरोज ने न केवल जागीर प्रथा को पुनर्जीवित किया अपितु अमीरों के वेतन, भत्तों में भी बढ़ोतरी की। अफीफ ने लिखा है कि बजीर का वेतन 13 लाख टंक निश्चित किया गया और इसी तरह से अन्य पदाधिकारियों को 8, 6 व 4 लाख टंक प्रतिवर्ष दिये जाने लगे। मुहम्मद तुगलक की अमीरों के स्थानान्तरण की नीति को त्याग दिया गया और जब तक अमीर अपने क्षेत्र से नियत आय केन्द्र को भेजते रहे तब तक उन्हें अछूता छोड़ दिया गया। अमीरों द्वारा दी जाने वाली भेंटों का भी धन मुजरा दिया जाने लगा। प्रत्येक अमीर अब एक छोटे-मोटे सुल्तान के समान ऐश्वर्य से जीवन विताता था जिसके पास दिखावे के रूप में भी कोई काम न था। सुल्तान ने पदों को भी वंशानुगत करके रखी-सही व्यवस्था को दृढ़-भिन्न कर दिया। अपने बजीर खान-ए-जहान मकबूल की मृत्यु के बाद उसने उसके पुत्र को बजीर के पद पर नियुक्त किया और राज्य का सारा काम उसके हाथों में सौंप दिया। यह नीति केवल उच्च वर्ग के अमीरों के लिये ही नहीं अपितु साधारण अमीरों व राज्य कर्मचारियों पर भी लागू थी।

फीरोज के राज्यारोहण के साथ ही साहसिक सैनिक कार्यवाहियां मृत-प्राय हो गयीं। अमीरों के लिए अब 'अनुभव की कोई ऐसी कठिन पाठशाला' नहीं रही जहां वे सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। उन्हें स्वयं का भविष्य सुरक्षित दिख रहा था और साथ ही वंशानुगत नियुक्तियों के आधार पर अपने उत्तराधिकारियों अथवा सम्बन्धियों की भी चिन्ता न थी। फलस्वरूप वे न केवल अधिक अकर्मण्य हो गये अपितु अधिक उदासीन भी रहे। राज्य प्रतिभाओं के आधार पर खोजला हो गया क्योंकि फीरोज की व्यवस्था में उनका स्थान ही नहीं था। इसी कारण मंगोलों को पराजित करने वाली सलतनत की सेना तैमूर के आक्रमण को सहन करने में भी असमर्थ रही।

इस विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित न होगा कि अमीरों और सुल्तान के बीच कोई मनमुटाव नहीं रहा अथवा अमीरों ने सुल्तान के विरुद्ध कोई षडयन्त्र नहीं रचा अथवा अमीरों में आपस में भी कोई अनबन नहीं रही। फीरोज के राज्यारोहण को स्वाजा-जहान अहमद अयाज व फिर खुदाबन्दशादा की ओर से जो चुनौती मिली तथा उसका वध करने की जो योजना बनाई गई वह इस बात को प्रमाणित करती है कि फीरोज के विरुद्ध भी आरम्भिक वर्षों में अमीरों ने पहले की ही तरह षडयन्त्र रचे थे। फीरोज के समय में अमीरों में भी प्रतिस्पर्धा व मनमुटाव था इसका उदाहरण ऐनुल्मुल्क व बजीर खानेजहान के बीच सम्बन्धों से स्पष्ट है। सुल्तान जो सदैव ही अमीरों के आपसी झगड़े में शक्तिशाली का पक्ष लेता था। यहां पर भी उसने बजीर का पक्ष लेकर ऐनुल्मुल्क को जागीर देकर राजधानी से बाहर भेज दिया परन्तु साथ ही उसने ऐनुल्मुल्क को शांत बनाये रखने के लिये उसकी जागीर का प्रदेश बजीर के कार्य-क्षेत्र से अलग कर दिया। जब

खानेजहान का पुत्र जूनशाह वजीर बना तो अमीरो के गुटों की गतिविधिया बढ गईं और दरबार में स्पष्ट रूप से दो गुट दिखाई देने लगे—एक वजीर का तथा दूसरा राजकुमार मुहम्मदखा का। फीरोज ने दासों की भी अधिक सख्या में डकट्टा करके तथा उन्हें सम्मानित स्थिति प्रदान करके एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो अमीर न होने हुए भी अमीरो की शक्ति प्राप्त करने के लिए सात्तायित ही उन्हें जिसका परिणाम उनके निर्बल उत्तराधिकारियों को भुगतना पडा।

इस प्रकार फीरोज के समय में यद्यपि ऊपरी सतह पर सब कुछ अत्यधिक शान्त और व्यवस्थित दिखाई देता था परन्तु अन्दर ही अन्दर फीरोज की अमीरो के प्रति उदार नीति सल्तनत की जड़ें खोखली कर रही थी।

तुगलक शासक व उलेमा-वर्ग

गयामुद्दीन तुगलक व उलेमा-वर्ग—गयामुद्दीन के शासनकाल में काजी कमालउद्दीन सद्द ए-अहम व काजी शमसुद्दीन राजधानी के काजी के पद पर थे। परन्तु दोनों की ही उसने राज्यकाल में कोई सक्रिय गतिविधि नहीं रही। सुल्तान के सम्बन्ध शेष निजामुद्दीन अश्लिया से अच्छे नहीं थे क्योंकि सुल्तान ने खुमरोबा द्वारा दिये गये पाच लाख टक की माँग की जो कि उसने शेष को भेजे थे। परन्तु क्योंकि शेष ने उसी समय वह धन अपने अनुयायियों में बाँट दिया था इसलिये वह लौटाने में असमर्थ था।

डा. एम. बी. निगम ने 'नोबिलिटी अण्डर द सुल्तानम' में लिखा है कि, गयामुद्दीन और शेष निजामुद्दीन अश्लिया के बीच मतभेद का दूसरा कारण था कि सुल्तान ने काजी जलालुद्दीन के कहने पर महजर से यह निर्णय करवाना चाहा कि शेष के खनकाह में जो 'शम' का पाठ होना है वह शरा-सगत है अथवा नहीं। सुल्तान क्योंकि इसमें पराजित हुआ इसलिए अपने शासन के अन्त तक उसने शेष के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने की नीति को त्याग दिया।

मुहम्मद बिन तुगलक व उलेमा-वर्ग—मुहम्मद तुगलक स्वतन्त्र बौद्धिक विचारों का था इसलिए वह प्रशासन में उलेमा-वर्ग के अनुदेशों को लागू करने के लिए तत्पर नहीं था। इसी कारण वह उलेमा-वर्ग में अप्रिय रहा। डा. एम. बी. निगम ने बरनी को उद्धरित करते हुये लिखा है कि, "इससे अधिक निन्दनीय क्या हो सकता है कि सुल्तान मुसलमानों की हत्या का आदेश देते समय शरा व कुरान की पूर्ण उपेक्षा कर दे। पवित्र मुसलमानों की हत्या का आदेश देते समय सुल्तान इस बात पर तनिक विचार नहीं करता था कि ईश्वरीय पुस्तकों और पैगम्बर की एक लाख 24 हजार कही हुई बातों में मुसलमानों के मारने पर निषेध है।" बरनी ही नहीं अपितु दूसरे समकालीन इतिहासकार भी सुल्तान की इस निष्ठुर नीति का विरोध करते हैं। इन्हनवतूता ने सुल्तान की निष्ठुरता पर क्षोभ प्रकट किया है क्योंकि वह शरा की परवाह न करते हुये स्वेच्छाचारों का चरण करता था।

इब्नबतूता ने उलेमा-वर्ग पर सुल्तान के अत्याचारों के कई उदाहरण दिये हैं परन्तु यदि इन घटनाओं का विश्लेषण किया जावे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस वर्ग के लोगों को जो भी दण्ड दिये गये वे निश्चित प्रपराओं के लिये ही दिये गये थे। दूसरी ओर इब्नबतूता ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत करता है कि जिनसे यह सिद्ध होता है कि सुल्तान न्याय करने के प्रति अत्यधिक सजग था। डा. निगम ने लिखा है कि, “न्याय करने में वह उलेमा-वर्ग तथा साधारण लोगों में कोई भेद नहीं करता था और इसीलिये कहीं पर उसे ‘सुल्तान-ए-कातिल’ और कहीं उसे ‘सुल्तान-ए-आदिल’ के उपनामों से सम्बोधित किया गया है।”

यद्यपि सुल्तान उलेमा-वर्ग के आचरण व रहन-सहन का कठोर आलोचक था परन्तु अपने व्यक्तियुत जीवन में वह अत्यन्त पवित्र और धर्मनिष्ठ मुसलमान था जो नियमित रूप से नमाज पढ़ता था तथा इस्लामी त्यौहारों को शान-शोक से मनाता था। वह न केवल अपने दैनिक जीवन में शरा के नियमों का पालन करता था अपितु यह अपेक्षा करता था कि साधारण लोग भी शरा के अनुसार ही आचरण करेंगे। शरा के नियमों को लागू करने के लिये उसने कठोर आदेश भी निकाला। शरा के नियमों को मंग करने वाले अथवा जुम्मे (शुक्रवार) की नमाज में अनुपस्थित मुसलमानों को कठोर दण्ड दिये जाते थे। एक बार एक मुसलमान को नमाज न पढ़ने पर मृत्यु दण्ड दिया गया। शरा के आघार पर ही उसने यह आदेश दिया कि इसमें बजित करों को लागू न किया जावे। वास्तविकता यह है कि वह न्याय के क्षेत्र में उलेमा-वर्ग तथा साधारण वर्ग में कोई अन्तर न करता था। परन्तु इसके साथ ही वह इस वर्ग के लोगों के कल्याण के लिये सदैव सजग था और उनका सम्मान करता था। इब्नबतूता को उसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और अनेक अवसरों पर उसे उपहार भेजे थे। इब्नबतूता स्वयं लिखता है कि सुल्तान ने रुकुनूद्दीन को जो खलीफा से उसके लिये खिलअत लाया था किस प्रकार बहुमूल्य उपहार दिये। इसी प्रकार वजीर तिरमिजी, नासिरुद्दीन, इमाम अज्जुद्दीन को उसने उपहार प्रदान किये। स्वयं स्वर्जा जियाउद्दीन बरनी उसका ‘नदीम’ था।

इन उपहारों तथा उपकारों के अतिरिक्त सुल्तान ने उन्हें राजनीतिक पदों पर भी नियुक्त किया। इब्नबतूता के शब्दों में, “उसकी यह नीति थी कि वह फकीरों, शेरों, सूफियों तथा अन्य सम्मानित व्यक्तियों को राज-सेवा में नियुक्त करता था इसका कारण था कि इस्लाम के आलिमों (विद्वानों) तथा सम्मानित व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी राजकीय पद प्राप्त नहीं कर सकता था।” शेख मुईजुद्दीन की गुजरात के बजारत के पद पर इसी नीति के अन्तर्गत नियुक्ति की गई थी।

अपने शासन के अन्त में जब वह धट्टा में था तो उसने शेख नासिरुद्दीन जो शेख निजामुद्दीन औलिया का खलीफा था तथा अन्य सन्तों को आमन्त्रित किया परन्तु उसने उनका यथोचित सम्मान नहीं किया क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वे सुल्तान को अपदस्थ करने के एक पड़यंत्र में लिप्त थे। इसी प्रकार शेख कुतुबुद्दीन

मुनवर को निजामुद्दीन औलिया का खलीफा या सुल्तान ने उसे 'इनाम' तथा दो गाव प्रदान किये जिन्हें उसने लेने से मना कर दिया। अन्त में बड़ी कठिनाई से उसने 2000 टक स्वीकार किये जिन्हें शेर ने तुरन्त ही गरीबों में बटवा दिये। इसी प्रकार सुल्तान ने शेर फखरुद्दीन की धार्मिक शक्ति के बारे में अत्यधिक प्रशंसा सुन रखी थी इसलिये सुल्तान ने देवगिरि राजधानी परिवर्तन के समय शेर का सहयोग चाहा पर सुल्तान को उनका स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त न हो सका। सुल्तान ने शेरों, सन्तों और धर्माचार्यों को देवगिरि चलने के आदेश दिये परन्तु उन्होंने इसे अपने 'खानकाह-जीवन' में हस्तक्षेप मानकर चलने में अनमयता दिखाई। सुल्तान इससे नाराज हो गया और यह मानकर कि उनकी इस अवज्ञा से विद्रोह की वृत्ति है, उसने उन्हें देवगिरि चलने के लिये बाध्य किया। सुल्तान की इस नीति ने उसे उलेमा-वर्ग में अत्यधिक अलोकप्रिय बना दिया।

डा. निगम ने लिखा है कि वस्तुतः सुल्तान धर्मनिष्ठ था और यह विश्वास करता था कि सुल्तान होने के नाते उसका कर्तव्य है कि वह लोगों के कल्याण के प्रति सजग रहे तथा लोगों को कुरान और शरा के अनुसार आचरण करने के लिये बाध्य करे। इन नियमों को लागू करने में उसने सर्वसाधारण के विचारों को कोई मान्यता न दी और उलेमा-वर्ग उसकी नीतियों का विरोध करने का साहस न कर सका। उलेमा-वर्ग ने सुल्तान से दान और उपहार पाने की लालसा में उसके सामने कभी स्पष्ट बात नहीं रखी। बरनी स्वयं लिखता है कि, "यद्यपि यह शरा और हृदास में परागत था परन्तु सुल्तान से भौतिक लाभों की आशा में उसने उनके रक्तरेजित कार्यों के विरुद्ध कभी सत्य को रखने का प्रयास नहीं किया।" स्थिति इतनी गम्भीर थी कि अपनी जान और माल की रक्षा के लिये तथा सुल्तान की कृपा-प्राप्ति के लिये उलेमा-वर्ग ने सुल्तान ने गंर-कानूनी कार्यों के पक्ष में अप्रमाणित पूर्वोदाहरण को प्रस्तुत किया जो उसके विचारों से भेद खाती है।

फीरोज तुगलक व उलेमा-वर्ग—फीरोज के शासन काल में उलेमा-वर्ग पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में सफल हुआ। फीरोज की रुचि और विचार मुहम्मद तुगलक से बिलकुल विपरीत थे। धर्मनिष्ठा उसमें इतनी अधिक थी कि धर्मान्यता और धर्मनिष्ठा में कोई अन्तर ही न था। घटा में उलेमा-वर्ग की सहायता में ही उसे गद्दी प्राप्त हुई थी इसलिये उन्हें विशेष रूप से सम्मानित करना उसकी नीति रही। अपनी धार्मिकता में वह स्वयं स्वीकार करता है कि उलेमा, सूफियों और फकीरों को सम्मान देना उसकी भावना बन गयी थी। इस नीति के कारण उलेमा-वर्ग भी उसका प्रबल समर्थक बन गया था। इसके प्रतिरिक्त जैसा डा. एस. बी. पी. निगम ने लिखा है कि, "उसने हिन्दुओं को इस्लाम स्वीकार करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें जजिया से मुक्त करने की नीति भी अपनायी।" उलेमा-वर्ग की सलाह पर ही उसने ब्राह्मणों पर कर लगाया तथा उसे कठोरता से वसूल किया।

शासन भी शरा के अनुसार चलाया जाने लगा । 1375-76 ई. में अपने दरबारी-उलेमा की सलाह पर ही उसने आदेश निकाला कि शरा में जिन करों को उगाने की अनुमति नहीं दी गई है उन्हें समाप्त कर दिया जावे । ऐसे करों की एक शम्ची सूची बनाई गई जिसे काजी नसरउल्ला ने जनता के सामने पढ़ कर सुनाया । डा. निगम ने लिखा है कि, “धार्मिकता के ऐसे प्रदर्शन ने सुल्तान को अपनी मुस्लिम प्रजा में अधिक लोकप्रिय बना दिया परन्तु इसने सुल्तान की हिन्दुओं के प्रति नीति को प्रभावित किया जिनको उलेमाओं की धर्मान्धता के कारण अत्यधिक तकलीफ अनुभव करनी पड़ी ।” अफीफ ने उस आंखों देखी घटना का वर्णन किया है जब फीरोज ने एक ब्राह्मण को दरवार में जिन्दा जलवा दिया क्योंकि वह सार्वजनिक रूप में पूजा-पूजा करता था । हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उसके पास जाते थे । उसने एक मुस्लिम स्त्री को हिन्दू धर्म में परिवर्तित कर लिया था । फीरोज शरा का संरक्षक होने के नाते यह सहन नहीं कर सकता था कि उसके राज्य में इस प्रकार गैर-इस्लामी कार्यवाहियाँ हों ।

उसने दरवार में उलेमा-वर्ग के सदस्यों को ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्त कर तथा उन पर अपनी कृपाओं की घोषणा कर उनकी शक्ति तथा सम्मान में वृद्धि की । काजी जलालुद्दीन किरमानी को ‘दारुलकजा’ का अध्यक्ष नियुक्त कर पूरे साम्राज्य के धार्मिक अनुदानों के नियन्त्रण की ज़ुम्मेदारी उसे सौंप दी । इसी प्रकार खुदाबन्दजादा किवामुद्दीन तिरमिजी को सुल्तान ने छत्र, ‘दूरवाप’ तथा बादशाही चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया । उसके भतीजे मलिक सैफुलमुल्क सुल्तान ने ‘अमीर-ए-शिकार’ के पद पर नियुक्त किया । सैफुलमुल्क पैगम्बर मुहम्मद के बंश से सम्बन्धित था । सुल्तान ने अशरफ-उल-मुल्क जो एक उच्च बंश से सम्बन्धित था ‘नायब बकील-ए-दर’ नियुक्त किया । इसी प्रकार अलाउद्दीन सैयद रसूल-ए-दाद पर सुल्तान की अति कृपा थी । साम्राज्य के प्रान्तों और अन्य भागों में भी उलेमा-वर्ग सम्मानित किया गया तथा उन पर शाही कृपा बनी रही । इस कारण डा. निगम ने लिखा है कि, “यह कोई आश्चर्य नहीं है कि उलेमा-वर्ग समस्त राज्य-काल में सुल्तान का प्रबल समर्थक बना रहा ।

जीवन तथा प्रशासन के सम्बन्ध में सुल्तान का यह दृष्टिकोण कोई नई चीज न थी क्योंकि अपने बाल्यकाल से ही वह ऐसे वातावरण में पला था जो पूर्णतया धार्मिक था । उसका चाचा ग्यासुद्दीन तुगलक जो दीपालपुर का मुक्ति था स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और शेर तथा सन्तों की मजारों पर दर्शन हेतु अक्सर जाया करता था । अफीफ ने फीरोज का मूल्यांकन करते हुये लिखा है कि, “सुल्तान वास्तव में एक ‘शेख’ था जिसने ताज धारण कर लिया था ।” अफीफ की यह धारणा कि सुल्तान फीरोज तुगलक के समय में राज्य की नीति सहिष्णुता पर आधारित थी । घटनाओं के आधार पर किसी प्रकार से खरी नहीं उतरती । डा.

निगम के अनुमार सुल्तान ने हिन्दुओं तथा शियाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया वह वास्तव में सहिष्णुता का खण्डन अथवा प्रतिवाद है।”

सुल्तान इन प्रकार से न केवल धार्मिक नियुक्तियों को धर्म के मापदण्ड पर अपितु न्यायिक पदों की नियुक्ति में भी धार्मिक मापदण्डों को आधार मान बैठा था। सुल्तान ने तरनी की सैद्धान्तिक कसौटी को कि मुस्लिम राज्य में मुघ्री विद्वानों के अतिरिक्त किसी दूसरे का स्थान नहीं है, त्रियात्मक रूप में लागू करने का प्रयत्न किया।

इस प्रकार यदि हम सल्तनत युग की प्रथम दो शताब्दियों में उलेमा-वर्ग के राजनैतिक प्रभाव का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होगा कि उलेमा-वर्ग का प्रभाव प्रत्येक शासक की रुचि पर निर्भर था। बलबन और फीरोज तुगलक जैसे सनातनी सुल्तानों के समय में उलेमा-वर्ग राजनीति में अधिक सक्रिय हो गया परन्तु अलाउद्दीन और मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में इन सुल्तानों ने उलेमा-वर्ग के हस्तक्षेप को राजनीति में कदापि स्वीकार नहीं किया। परन्तु इसके बाद भी किसी न किसी रूप में उलेमा-वर्ग ने अपने समय की राजनीति को प्रभावित किया। इसका कारण था कि उस काल में राजनीति और धर्म को एक दूसरे से अलग करना नितान्त असम्भव था। यह उपर्युक्त ही कहा गया है कि इस्लाम एक धर्म होने के साथ ही शासन की एक पद्धति भी है जिसे हम ‘धर्म-राज्य’ (Church state) की सजा से सम्बोधित कर सकते हैं। इस्लाम में राजनीति केवल राजनीति नहीं और धर्म केवल धर्म नहीं। इसलिये यदि हम तुर्की सुल्तानों की राजनीतिक गतिविधियों अथवा सैनिक विजयों को यथेष्ट रूप में समझने का प्रयास करें तो इस्लामी राज्य के इस आधारभूत सिद्धान्त को धीरे धीरे ध्यान देना होगा। यह ठीक है कि तुर्कों के धार्मिक तथा विजेताओं के उद्देश्यों को अधिक महत्व न दिया जावे परन्तु इसके साथ ही उन्हें पूर्णतया मुलाया भी न जावे। उन्हें इस काल्पनिक आधार पर पूरी तरह छोड़ भी न दिया जावे कि आक्रमणकारी केवल विजयों और राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति से ही प्रेरित हुये थे।

इस समस्त विवरण के बाद यह स्पष्ट है कि यद्यपि सुल्तानों ने उलेमा-वर्ग को हर सम्भव तरह से मरक्षण दिया परन्तु फिर भी ये वर्ग अमीर-वर्ग की तरह शासन बनाने अथवा उसे अपदम्य करने की भूमिका प्राप्त न कर सका। इसका एकमात्र कारण था कि सल्तनत अब भी एक सैनिक राज्य था। जिनकी रक्षा केवल एक कुशन सैनिक-राजनीतिज्ञ के द्वारा ही सम्भव थी, और क्योंकि उलेमा-वर्ग में ये गुण न थे इसलिये वे सुल्तानों के भाग्य-निर्णय के पीछे रह गये।

अफगानकालीन भारत

तुगलक साम्राज्य के पतन के बाद अनेक स्वाधीन राज्यों ने जन्म लिया जिनकी शक्ति क्रमशः बढ़ती गई। संथयदों ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया लेकिन उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे सल्तनत के विघटन को रोक पाते। दिल्ली का जो थोड़ा सा राज्य शेष रहा था उस पर भी पड़ोसी स्वतन्त्र राज्य निगाह गड़ाए हुए थे और वे उसे हड़प जाना चाहते थे। क्रुद्ध प्रदेशों को तो उन्होंने हथिया ही लिया था।

15वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध राजनैतिक विखंडलता का युग रहा यद्यपि 15वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध में लोदी सुल्तानों के उदय के साथ ही राजनैतिक विघटन को अन्त करने के प्रयास आरम्भ हुये जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के समय में मूल-रूप धारण किया। 15वीं सदी में भारतीय इतिहास की यह विशिष्टता रही है कि इस काल में कोई केन्द्रीय मुस्लिम सत्ता नहीं रही। इस युग के स्वाधीन राज्यों में अधिकांश मुस्लिम राज्य थे जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में हिन्दू राज्यों को दवाने अथवा समाप्त करने का प्रयास किया। इस युग की दूसरी विशेषता यह रही कि इसमें हिन्दू व मुसलमान निकटतम सम्पर्क में आए जिससे मेल-जोल बढ़ा। प्रायः इस समय लोगों का दृष्टिकोण साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर राजनैतिक रूप धारण कर सका। इस कारण हिन्दू और मुसलमान राजनैतिक सुविधा की दृष्टि से, धार्मिक विशेष अथवा सद्भाव से ऊपर उठकर एक दूसरे के शत्रु अथवा मित्र बने। इस प्रकार राजनैतिक सम्बन्धों का प्रभाव सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र पर भी पड़ा तथा हिन्दुओं और मुसलमानों में एक पड़ोसी से सम्बन्ध स्थापित होने लगे। हिन्दू और मुसलमान सन्तों के पास दोनों धर्मों के लोग जाने लगे। सन्तों की बाखी में दोनों धर्मों के लोगों में एकता स्थापित करने की प्रवृत्ति को अधिक बढ़ावा दिया। इस तरह 15वीं शताब्दी का अपना ही अलग महत्त्व है।

सल्तनत का विघटन—सैय्यद वंश (1414-1451 ई.)

खिज़्रखा (1414-21 ई.)—सल्तनत कालीन समस्त राजवंशों में खलिज्यों के बाद संथयदों का शासन काल सबसे कम अर्थात् सैंतीस वर्ष ही रहा किन्तु उसका इतिहास न तो खलिज्यों की निर्भिक साम्राज्यवादी सफलताओं और न तुगलकों की

भाति नवीन प्रशासनिक प्रयागों द्वारा विभूषित था¹ फिर भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यह एक विभाजन है जो भारतवर्ष के पतन की ओर बढ़ते हुये चरणों का सूचक है। तंमूर ने भारत से लौटते समय मलिक सुलेमान संय्यद के पुत्र खिज्जा को मुल्तान की ज़ागीर तथा इसके अधीन प्रदेश सौंप दिये थे। दिल्ली में तरल राज-नैतिक स्थिति से लाभ उठाकर खिज्जा ने 1414 ई में दौलतखा को हराकर दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। किन्तु उसने बादशाह की उपाधि अपने लिए ग्रहण नहीं की। उसने अपनी उपाधि 'रायाते आला' रखी। यह सम्भवत एक कूटनीतिक चाल थी क्योंकि खिज्जा तंमूर से इतना अधिक घातकित था कि वह शाह की उपाधि धारण कर तंमूर की ओर से किसी आपत्ति की आमन्त्रित करने का इच्छुक न था। खिज्जा के उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलवाए व तंमूर के उत्तराधिकारियों के प्रभुत्व को नकारा। खिज्जा के उत्तराधिकारियों ने अपने सिक्कों में तुगलकों का नाम हटा दिया और स्वयं को 'नायबे अमीरुल मौमिनीन' घोषित किया। 1428 ई में मुबारक शाह ने अपना नाम सिक्का ढाला और संय्यदों ने राजस्व के सभी प्रतीकों का उपयोग प्रारम्भ कर दिया।

अमीरों को इनाम और नियुक्तियाँ—4 जून 1444 ई में सिर्री के किले में खिज्जा ने अनेक नियुक्तियों तथा उपाधियों प्रदान की। उसने मलिकुशक मलिक तुहफा को ताजुलमुल्क की उपाधि दी तथा उसे अपना वज़ीर बनाया। सुयदुरमाहात संय्यद सलीम को सहारनपुर की इक्ता दी मलिक अदुरहीम को अलाउलमुल्क की उपाधि प्रदान की गई। उसे मुल्तान एवं पतहपुर की शिख सौंपी गई। मलिक सरीब को 'अहना-ए-शहर' नियुक्त किया तथा नायबे मेवत² बनाया। मलिक खेरुद्दीन सानी अरिजे मुमालिक तथा मलिक कालू को 'अहना-ए-फीज' नियुक्त किया। मलिक दाउद को दबीर का पद प्रदान किया। इश्तियारखा को दोआब के मध्य का शिक दिया गया। मुल्तान महमूद के दामो की उमने पदों पर बने रहने दिया।

खिज्जा के शासनकाल की घटनाएँ—खिज्जा के गद्दी पर बैठने के समय तक फीरोज के शक्तिहीन उत्तराधिकारियों के युग में साम्राज्य विघटित हो चुका था। तंमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली-साम्राज्य की सीमाएँ प्रांतीय अधिकारियों की लिप्सा के कारण बहुत सीमित हो चुकी थीं और उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गयी थी। राजधानी में विभिन्न दल संघर्ष-रत थे। दोआब प्रदेश बलवन के समय से ही विद्रोहों का प्रमुख केन्द्र रहा था। कटेहर, कर्नाज एवं बदायू के जमींदारों ने कर देना बन्द कर दिया। राजधानी के निकट भेयाती लोगों ने भी कर देना बन्द

1. हबीब व निरामी, दिल्ली मुल्तान, पृ. 538

2. मुल्तान की अनुपस्थिति में राजधानी का काम सम्भालने वाला अधिकारी।

कर दिया था। उत्तरी सीमा पर खोखर, मुल्तान तथा लाहौर में उपद्रव हो रहे थे, अर्द्ध-सत्य लुटेरी जातियों को भी दवाना सैन्यदलों के लिये काफी कठिन था।

खिज़्रख़ां के अभियान—खिज़्रख़ां ने सात वर्ष उद्दण्ड तत्वों को दवाने तथा विद्रोहों को कुचलने में लगाये। वदायूँ, इटावा, पटियाला, ग्वालियर, वयाना, कम्पिल, चंदवार, नागौर और मेवात ऐसे अशांत क्षेत्र थे। यहाँ अर्ध-स्वतन्त्र स्थानीय सरदारों के एक नये वर्ग ने भौगोलिक स्थिति का पूर्ण लाभ उठाया और अपनी दुराग्रही क्रियाओं द्वारा केन्द्रीय सत्ता को दूर रखा। पूर्व में ताजुलमुल्क और पश्चिमी क्षेत्र में जीरक ख़ां को उत्तरदायी बनाकर खिज़्रख़ां ने इस स्थिति से निपटने का प्रयत्न किया। खिज़्रख़ां ने परिस्थितियाँ पर विजय पाने की कोशिश की पर वह असफल ही रहा। उसके सात वर्ष के शासनकाल में कोई विलक्षण घटना नहीं घटी। दिल्ली राज्य और अधिक सिकुड़ गया और सल्तनत का प्रभाव दिल्ली के इर्द-गिर्द कुछ जिलों तक ही सीमित हो गया। तारीख-ए-मुबारक शाही के अनुसार खिज़्रख़ां के वजीर ताजुलमुल्क ने 1414-15 ई. में कटेहर की ओर प्रयाण किया तथा सम्पूर्ण प्रदेश को रौंद डाला। स्थानीय विद्रोहियों में सबसे भयंकर खोखर थे जिनसे खिज़्रख़ां के उत्तराधिकारी को विशेषकर कई युद्ध करने पड़े। खिज़्रख़ां को अनेक घावे करने पड़े लेकिन कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ। सरहिन्द के हक़िम मलिक तुगान रईस ने दो बार विद्रोह किया और दोनों ही बार पराजित हुआ।

इस प्रकार खिज़्रख़ां अपने सात वर्ष के शासनकाल में सैनिक अभियानों में व्यस्त रहा—कटेहर, इटावा, खोर, ग्वालियर, वयाना मेवात, वदायूँ आदि स्थानों पर उसने आक्रमण किए परन्तु इनका कोई परिणाम न निकला। 13 जनवरी, 1421 ई. को खिज़्रख़ां के प्रभावशाली वजीर ताजुल मुल्क की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु भी हो गई।

खिज़्रख़ां की मृत्यु; उसका मूल्यांकन—खिज़्रख़ां अत्यन्त कर्मठ शासक था जो निम्न स्तर से उठकर केवल अपनी योग्यता से दिल्ली का शासक बन पाया था। दिल्ली सिंहासन-विरोधी तत्वों में जकड़ा हुआ था। कटेहर तथा मेवात के क्षेत्रों ने कठिन प्रशासनिक समस्याएँ प्रस्तुत की, एवं क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के कारण विद्रोहियों के विरुद्ध कोई निर्णायक कार्यवाही नहीं की जा सकी। वह सौभाग्यशाली था कि उसे स्वामिभक्त वजीर ताजुलमुल्क जैसे निर्भीक योद्धा का सहयोग प्राप्त हुआ। एक असफल तथा प्रभावशाली शासक न होते हुए भी तत्कालीन इतिहासकार उसे एक न्यायी और परोपकारी सुल्तान मानते हैं। उसने एक सच्चे सैन्यदल का सा जीवन व्यतीत किया, कभी आवश्यक रूप से रक्तपात नहीं किया और न ही शत्रुओं के दमन के लिए नृशंस कार्य करने से आदेश ही दिए।

फरिश्ता लिखता है कि, उसके शासन में जनता प्रसन्न और संतुष्ट थी इस कारण युवा और बुद्ध, दास और स्वतन्त्र नागरिक सभी ने उसकी मृत्यु पर काले

बपडे पहन कर दुब प्रकट किया।" डा. ए. एल श्रीवास्तव के अनुसार "खिजला ने आए दिन होने वाले विद्रोहों का दमन करने के लिए कठिन सघर्ष किया, किन्तु उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि विश्वासघाती सामन्तों के साथ विद्रोहियों जैसा बर्ताव करता और उन्हें पूर्णतया कुचलता। इसलिए उसने समझौते की नीति अपनाई।

मुबारक शाह (1421-33 ई.) खिजला द्वारा मनोनयन—खिजला ने पश्चिमी क्षेत्र का नेतृत्व अपने पुत्र मलिक मुबारक को 1415 ई. में प्रदान किया था, किन्तु अपनी मृत्यु के केवल तीन दिन पहले ही उसने उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। सभी महत्वपूर्ण भूमियों और मलिकों ने इसे स्वीकार किया। खिजला की मृत्यु पर जनता ने फिर से उसके प्रति निष्ठा को शपथ उठाई और 22 मई, 1421 को यह विधिवत् गद्दी पर बैठा।

मुबारक शाह के शासन काल की मुख्य घटनाएँ—मुबारक के शासन काल में सबसे पहले उत्तरी सीमा प्रान्त में जसरथ खोखर और तुगान रईम का विद्रोह हुआ।

जसरथ का विद्रोह—जसरथ खोखर जनजाति के सरदार शेखा का पुत्र था। वह सियालकोट के निकट रहता था। तैमूर के लौटते समय तो तुलम्बा और दीपालपुर के बीच जसरथ ने उसका विरोध किया किन्तु शीघ्र ही अपने दुस्साहसी कार्य के लिये पछताया और शेख के पास भाग गया। जब तैमूर के तूफानी आक्रमण ने उत्तरी भारत के जर्जर राजनैतिक ढांचे को ढकड़ोर दिया तो जसरथ ने इसका लाभ उठाया लाहौर पर अधिकार कर लिया। जैसे ही उसने खिजला की मृत्यु का समाचार सुना वैसे ही उसने व्याम और सतलज नदियों की पार कर राय कमलुद्दीन मैन पर आक्रमण कर दिया। राय फिरोज पराजित होकर भाग गया। तत्पश्चात् जसरथ ने लुधियाना में सतलज नदी पर स्थिर अख्बर की सीमा तक के प्रदेशों को लूटा।

जसरथ में निरन्तर वृद्ध करते हुए सर हिन्द के दुर्ग तक पहुँच गया (जून, 1421 ई.) लेकिन भूमि मलिक मुल्तान शाह ने किले की रक्षा की और जसरथ उस पर अधिकार करने में असफल रहा। जब जसरथ के विद्रोह का समाचार मुल्तान को मिला तो वह सरहिन्द की ओर बढ़ता हुआ समाना के निकट कोहली तक पहुँच गया। जसरथ, मुल्तान के घाते का समाचार सुनकर सरहिन्द का घेरा उठा कर लुधियाना लौट आया। शाही सेना के द्वारा पीछा किया जाने पर जसरथ पहाड़ों में भाग गया। विजयी मुल्तान ने जसरथ का घत्यन्त मजबूत पर्वतीय स्थान नष्ट कर दिया। तत्पश्चात् लूट का सामान लेकर मुबारक शाह लाहौर पहुँचा (दिसम्बर-जनवरी, 1421-22 ई.) व मलिक महमूद हमन को किले की रक्षा के लिये नियुक्त कर वह दिल्ली लौट आया। दिल्ली लौटने पर उसे समाचार मिला

कि रावी नदी पार करके जसरथ ने लाहौर पर चढ़ाई कर दी है। जसरथ ने लगभग 35 दिन तक मुकाबला किया, परन्तु बाद में कालानोर होता हुआ वह पहाड़ों में भाग गया। जसरथ फिर भी चुप नहीं बैठा तथा अपनी शक्ति का संचय करता रहा। उसने जालन्धर के दृढ़ किले पर अधिकार करने की चेष्ट की लेकिन विफल रहा। 1432 ई. में पौलाद के विरुद्ध अभियान करते हुए शाही सेना समाना के क्षेत्र में पहुंची तो जसरथ पुनः पर्वतीय प्रदेश में चला गया और जुलाई-अगस्त, 1432 ई. में जसरथ ने पुनः लाहौर को घेर लिया। नुसरतखां के हाथों युद्ध में पराजित होकर उसे फिर लौट जाना पड़ा।

दोआब—मुबारक शाह के समय दोआब में पुनः विद्रोह उठ खड़े हुए। सुल्तान ने इनका दमन करने के लिये 1423 ई. में कोहर पर चढ़ाई की। उस समय महाबतखां ने जो कि खिज्रखां से आतंकित था सुल्तान के समक्ष आत्मसमर्पण किया तब सुल्तान ने उसे सम्मानित किया। कोहर के बाद सुल्तान ने गंगा पार कर राठोड़ों के इलाके पर आक्रमण किया और अनेकों को तलवार के घाट उतार दिया। सुल्तान ने इटावा पर आक्रमण किया और राय सरवर के पुत्र ने आधीनता स्वीकार करवाई। तत्पश्चात् सुल्तान अप्रैल-मई, 1423 ई. में वापिस दिल्ली आ गया।

ग्वालियर पर अलप खां का आक्रमण—जिस समय पंजाब की स्थिति विद्रोहात्मक थी उसी समय धार के शासक अलप खां ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। सुल्तान उससे युद्ध के लिए तुरन्त आगे बढ़ा, मार्ग में बयाना के सरदार से उसने खराज जसूल किया और तब अलप खां की ओर बढ़ा। अलप खां ने चम्बल के घाटों को सुरक्षित कर लिए, किन्तु मुबारक ने एक आरक्षित स्थान से अचानक नदी पार कर ली। महमूदहसन खां भी सुल्तान से मिल गए। उन्होंने अलप खां का सामान लूटा तथा उसके कुछ सैनिक भी पकड़े गये जिन्हें जंजीरों से बांध कर सुल्तान ने उन्हें मुक्त कर दिया। दूसरे दिन अलप खां ने सन्धि का प्रस्ताव रखा। सुल्तान ने उसे स्वीकार किया। अलप खां ने ग्वालियर को छोड़ देने तथा सुल्तान को खराज देने का वचन दिया। सुल्तान कुछ दिन वहां की स्थिति सुधारने के लिए रुका और फिर मई 1424 ई. में दिल्ली लौट आया।

सुल्तान ने नवम्बर-दिसम्बर, 1424 ई. में कोइल पर पुनः आक्रमण किया। जब वह गंगा के तट पर पहुंचा तो राय हरसिंह ने आत्मसमर्पण कर उसकी आधीनता स्वीकार कर ली। चूंकि उसने तीन वर्ष से कर नहीं चुकाया था, अतः कुछ समय के लिए उसे रोक लिया गया। इसके बाद सुल्तान ने गंगा पार की और आसपास के विद्रोहियों को दण्डित कर कुमायूं की पहाड़ियों की ओर बढ़ा। तब उसने कंपिल के पास गंगा पार की और कन्नौज की ओर चला, किन्तु अकाल तथा मेघासियों के विद्रोह के कारण आगे नहीं बढ़ सका।

मेवात में विद्रोह—मेवातियों के विद्रोह करने पर सुल्तान ने उनके विरुद्ध कृष किया। उसने उनके प्रदेश में लूटमार की। मेवातियों ने स्वयं अपनी भूमि नष्ट कर दी और जहरा के दुर्गम स्थान में शरण ली। सुल्तान की सेना में रसद की कमी हो गई तथा बिना किसी उपलब्धि के वह दिल्ली लौट आई। एक वर्ष पश्चात् सुल्तान ने फिर मेवात पर आक्रमण किया, विद्रोही जलू और बहू ने परेशान होकर आत्म-समर्पण किया और सुल्तान ने उन्हें क्षमा कर दिया।

बयाना और ग्वालियर—मुबारक शाह बयाना की ओर बढ़ा। घोहदोखी का पुत्र मुहम्मद खान, जो बयाना का अमीर था पहाड़ी पर स्थित दुर्ग में सुरक्षित होकर बैठ गया। सोलह दिन तक उसने घेरे का सामना किया किन्तु 31 जनवरी 1427 ई. को पीछे के एक मार्ग से सुल्तान पहाड़ी पर चढ़ गया। जब मुहम्मद खा को इसकी सूचना मिली तो उसने आत्म-समर्पण कर दिया। नकद, बहुमूल्य सामग्री, शस्त्र, घोड़े और साज-सज्जा जो दुर्ग में एकत्रित किए गए थे। सभी समर्पित कर दिए गए।

तत्पश्चात् मुबारक ग्वालियर होता हुआ 1427 ई. में दिल्ली लौटा। अक्टूबर—नवम्बर, 1427 ई. में सुल्तान को सूचना मिली कि इब्राहीम शर्की एक विशाल सेना लेकर कालपी की ओर बढ़ रहा है। इब्राहीम शर्की काली नदी के किनारे-किनारे होता हुआ इटावा के अन्तर्गामी प्रदेश, बुरहानपुर तक पहुंच गया। मुबारकशाह ने चन्दवार में यमुना पार कर शत्रु से लगभग 8 मील की दूरी पर डेरे डाले। 20 दिन तक छोटी-मोटी झड़पों के बाद शर्की शासक ने युद्ध छोड़ा, किन्तु पराजित हुआ और उसे अपने देश लौट जाना पड़ा। विजयी सुल्तान दिल्ली लौट आया।

1429-30 ई. में सुल्तान ने ग्वालियर तथा हाथीकान्त पर आक्रमण किया। लूट का भाल लेकर अब सुल्तान दिल्ली की ओर लौटा तो मार्ग में संय्यद मलीम रोग ग्रस्त होकर मर गया। संय्यद मलीम लिज्जत के प्रभावशाली अमीरों में से था। उसकी मृत्यु के बाद सब परगने और इत्ते उसके दोनों पुत्रों को दे दिए गए। शब्बाल मास में संय्यद के पुत्रों द्वारा महकाने पर संय्यद मलीम का गुलाम, पीलाद तवरहिन्द के दुर्ग में घाया और विद्रोह की तैयारी करने लगा। विद्रोह का समाचार पाने ही सुल्तान ने संय्यद के दोनों पुत्रों को बन्दी बना लिया। जहरय खोलर ने पुनः युद्ध छेड़ दिया और वह एक बड़ी सेना लेकर लाहौर पर घेरा डालने के लिए बढ़ा। शेख अली सुल्तान की सीमा में प्रवेश कर गया। लगभग इसी समय पीलाद ने सरहिन्द के किले से निकल कर राय फिरोज पर आक्रमण किया। युद्ध में राय फिरोज मारा गया और विजयी पीलाद उसका सिर काट कर ले गया। अब सुल्तान ने 1432 ई. में सरवर-उल-मुल्क (मलिक-मरुफ) को सुल्तान का प्रान्तपति नियुक्त किया और विद्रोहियों से लोहा लेने के लिए आदेश दिये। शेखअली और जहरय तो

पेछे हट गये लेकिन पोलाद सरहिन्द के किले में डटा रहा। सरवर की सफलता ने सुल्तान की ईर्ष्या को और अधिक बढ़ा दिया। पोलाद का विद्रोह अब और अधिक नहीं चल सका, क्योंकि अमीरों ने सरहिन्द पर अधिकार कर लिया था। पोलाद मारा गया और उसका कटा सिर मीरा-ए-सदर के हाथ राजधानी में सुल्तान के पास भेज दिया गया।

मुबारक की हत्या—19 फरवरी, 1434 ई. को जब सुल्तान शुक्रवार की नमाज की तैयारी कर रहा था तभी मीटा सद्र (मीरा-ए-सदर) ने धोखे से उन अमीरों को जो दादशाह की रक्षा के लिए तैनात थे, हटा दिया। हत्यारे बहाना बनाकर अन्दर घुस गये और कांगू के पीछे सिद्धपाल (सिधुआ) ने सुल्तान का सिर काट डाला। मुबारक शाह ने, 13 वर्ष 3 मास तथा 16 दिन तक राज्य किया।

मुबारक शाह का मूल्यांकन—मुबारक शाह सैय्यद वंश का सबसे योग्य सुल्तान था किन्तु उसका सारा समय विद्रोहों को दबाने में व्यतीत हुआ। अतः वह शासन सुधारों की ओर ध्यान नहीं दे सका। उसने भी अपने पिता की तरह उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। मुबारक शाह का कार्यकाल निरन्तर आन्तरिक विद्रोहों और शत्रुओं के साथ संघर्ष में बीता। वह इस संघर्ष में सफल हुआ। मुबारकशाह की यह बड़ी चारित्रिक दुर्बलता थी कि वह सफल और योग्य सेनानायकों के विरुद्ध ईर्ष्यालु हो जाता था।

✽ **मुहम्मदशाह**—मुबारकशाह की मृत्यु के पश्चात् उसका भतीजा मुहम्मद शाह, मुहम्मदशाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। अपने शासन के लगभग 6 माह तक वह अपने प्रभावशाली वजीर सरवर-उल-मुल्क के हाथ की कठपुतली बना रहा। सरवर ने समस्त कौष, हाथियों और शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। नए सुल्तान से उसने खाने-जहाँ की उपाधि प्राप्त की, और अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों की उच्च पदों पर नियुक्त किया। शीघ्र ही कुछ सरदारों ने इस महत्वाकांक्षी वजीर की हत्या कर दी। सुल्तान मुहम्मदशाह को अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला लेकिन वह अपनी लापरवाही और उदासीनता के कारण इस अवसर से लाभ नहीं उठा सका। अतः शीघ्र ही देश में विभिन्न भागों में उपद्रव होने लगे। सुल्तान विलासी और अयोग्य सिद्ध हुआ। उसके शासनकाल में दिल्ली का साम्राज्य अत्यधिक सीमित हो गया। मुहम्मद शाह ने बहलोल लोदी के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उसे खान-ए-खाना की उपाधि से विभूषित किया। इब्राहीम शर्की के दाद जौनपुर के शासक महमूदशाह शर्की का दबाव निरन्तर बढ़ने लगा और सुल्तान मुहम्मद ने इस विरोध को कम करने के लिये अपनी पुत्री बीबी राजी का विवाह शर्की शासक के साथ कर दिया।

राजपद का प्रभाव इतना क्षीण हो गया था कि अमीर, सुल्तान की सत्ता की उपेक्षा करने लगे थे। जसरथ खोखर ने बहलोल लोदी को सल्तनत की गद्दी

हथियाने के लिये उकसाया। बहलोल ने अफगानों का एक दल नगठित कर दिल्ली की ओर कूच किया। परन्तु वह दिल्ली लूटने में असमर्थ रहा और उसे वापस लौट जाना पड़ा। दिल्ली साम्राज्य की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई, अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये और राजधानी के आसपास के अमीर भी राजमक्ति को तिलाजली दे प्रतिरोध की तैयारी में लग गये। 1445 ई. में मुहम्मदशाह जब मरा तो सैय्यद वंश अपनी अन्तिम सासे गिन रहा था।

अलाउद्दीन अलमशाह—मुहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र अलाउद्दीन अलमशाह दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया गया। मलिक बहलोल तथा अन्य सभी अमीरों ने उसके प्रति लिप्ठा दिखाई। लेकिन शीघ्र ही यह अनुभव किया गया कि वह अपने पिता से भी अधिक अयोग्य था। अलाउद्दीन के समय में दिल्ली साम्राज्य केवल दिल्ली शहर और आसपास के कुछ गावों तक ही सिकुड़ कर रह गया था। बहलोल लोदी ने केन्द्रीय शासन की दुर्बलता का पूरा लाभ उठाया। सुल्तान ने बदायूँ में रहना शुरू कर दिया। सुल्तान ने अपने बजीर हामिद खाँ का वध करने का प्रयत्न कर भारी मूल की। हामिदखाँ ने बहलोल को दिल्ली आकर गद्दी पर अधिकार करने के लिए निमन्त्रित किया। मलिक बहलोल ने सुल्तान के पास इस आशय का एक सन्देश भेजा कि वह केवल उसकी भलाई के लिए ही प्रयास कर रहा है। अलाउद्दीन ने उत्तर में लिखा कि मेरा पिता तुम्हें पुत्र कहा करते थे और मुझे अपनी थोड़ी जरूरतों के लिए कोई चिन्ता नहीं है, इसलिए मैं बदायूँ के परगन से ही सन्तुष्ट हूँ और साम्राज्य तुम्हें दे रहा हूँ। बहलोल लोदी ने सुतवे से अलमशाह का नाम हटा दिया और 19 अप्रैल, 1451 ई. को सार्वजनिक रूप से दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। इस प्रकार दिल्ली साम्राज्य की बागडोर सैय्यद वंश के हाथों से निकलकर अफगानों के हाथों में चली गई। अलाउद्दीन अलमशाह की मृत्यु बदायूँ में ही 1478 ई. में हो गई। भारतीय इतिहास में वह राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ भी योगदान न दे सका। सैय्यदों का राज्यकाल दिल्ली में इतिहास में एक आवश्यक बहो व रूप में ही रहा।

लोदी वंश (1451-1526 ई.)—सल्तनत कालीन शासन में लोदी वंश अन्तिम था। अल्तिज्यों की तुलना में इसकी आयु अधिक थी तथा उत्तर कालीन तुगलकों तथा सैय्यदों की तुलना में इसकी प्राणिया सम्मानजनक थी।

✓ **बहलोल लोदी (1451-1489 ई.)—**राज्यारोहण के बाद सुल्तान अलाउद्दीन अलमशाह अपने बजीर, हामिदखाँ, (हमीदखाँ) से झगड़ कर दिल्ली छोड़कर बदायूँ रहने लगा था। पीछे से हमीदखाँ ने बहलोल को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आमन्त्रित किया। फरिश्ता में ऐसा प्रतीत होता है कि उसके दो राज्या भिदेक हुए। एक सुल्तान अलाउद्दीन के पत्र व्यवहार के पूर्व और दूसरा उसके पश्चात्।

कठिनाइयाँ—वास्तव में बहलोल ने दिल्ली के जित सिंहासन पर अधिकार किया वह फूलों की सेज नहीं था। वहाँ अनेक समस्याएँ थीं जिनका कुशलता और दृढ़ संकल्प से समाधान करना जरूरी था। सैन्यद परिवार के एक शासक की उपस्थिति बहलोल के लिए बड़ी चुनौती थी। सुल्तान अलाउद्दीन ने राज्य त्याग दिया था। फिर भी लोदी शक्ति उस समय तक स्थिर नहीं हो सकती थी, जब तक वह बदायूँ में मौजूद था। कुछ ऐसे सरदार भी थे जो कि अब भी उसे अपना वैध शासक मानते थे और लोदी आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तत्पर न थे। जौनपुर के शर्की शासक का सैन्यद, सुल्तान का दामाद होने के कारण स्थिति और अधिक जटिल बन गई थी, क्योंकि वह दिल्ली सल्तनत पर अपना वैध अधिकार मानता था। इसके अतिरिक्त हमीद खाँ का विरोधी दल भी था। इस प्रकार सभी दिशाओं में अपने शत्रुओं से घिरे हुए बहलोल को अत्यन्त सतर्कता से प्रागे बढ़ना था।

कोप नियंत्रित करना तथा राजधानी में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करना उसकी दो अन्य तत्कालीन समस्याएँ थीं। कोप की रक्षा करने और दुर्गों आदि का प्रबन्ध करने के लिए उसने अफगान सैनिक भेजे और सभी सामरिक महत्व के स्थानों पर अफगान सैनिक तैनात किए। इस प्रकार दिल्ली तथा उसके चारों ओर शान्ति स्थापित करने में वह सफल हुआ। दिल्ली में अपनी स्थिति सुरक्षित कर उसने पंजाब की ओर ध्यान दिया।

शर्की शासक से विद्रोह—सुल्तान अलाउद्दीन के अमीर जो बहलोल के शत्रु थे उन्होंने शर्की शासक को आमन्त्रित किया। इस संधर्ष में दूसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण सुल्तान महमूद शर्की की पत्नी थी। वह सुल्तान अलाउद्दीन की पुत्री थी और बहलोल के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए अपने पति को उकसाया करती थी। 1450 ई. में शर्की शासक एक विशाल सेना सहित दिल्ली की ओर चला और राजधानी को घेर लिया। उस समय बहलोल सरहिन्द में था। इस आक्रमण का समाचार पाकर वह वापस लौटा। शर्की शासक ने फतह खाँ और दरिया खाँ लोदी को, बहलोल को पानीपत के पश्चिम में रोकने के लिए भेजा। दिल्ली से सत्रह मील दूर दोनों सेनाएँ आमने-सामने आईं। बहलोल की सेना शर्की सेना की आधी से भी कम थी, लेकिन फिर भी उसने शर्की सेना का सामना किया तथा भागती हुई सेना का पीछा करके भारी मात्रा में लूटमार की। इस विजय ने बहलोल की प्रतिष्ठा बढ़ाई तथा उसके शत्रु भयभीत हो गए।

बहलोल के प्रारम्भिक कार्य—बहलोल ने विपन्न परिस्थितियों का सामना बढ़े धैर्य तथा दृढ़ता के साथ करना शुरू किया। उसने विश्वसनीय अफगानों को राज-कोष, अश्वशाला, हस्तिशाला, दुर्ग आदि की रक्षा के लिए तैनात किया। दिल्ली में निकटवर्ती प्रदेशों में भी उसने अपने विश्वासपात्रों को ही नियुक्त किया।

इस प्रकार चारों ओर बफादार अफगानों की नियुक्ति कर बहलोल ने हमीद खा के मित्रों के हौसले पस्त कर दिए और कुछ हद तक आलमशाह की सम्भावित गति-विधियों से भी मुक्त हो गया। इसके साथ ही बहलोल ने हमीद खा के मित्रों के हौसले पस्त कर दिए और कुछ हद तक आलमशाह की सम्भावित गतिविधियों से भी मुक्त हो गया। इसके साथ ही बहलोल ने भेवात और दोघाब के उपद्रवी क्षेत्रों का दौरा कर वहाँ के अधिकारियों को मुल्तान की आधीनता स्वीकार करने के लिये बाध्य किया। इस तरह दिल्ली से इटावा तक के प्रदेश सुल्तान बहलोल के आधीन मुल्तान ने इन प्रदेशों के हाकिमों को अपने-अपने पदों पर रहने दिया। इस प्रकार पंजाब में लेकर शर्की मन्तनन की पश्चिमी सीमा तक के सम्पूर्ण क्षेत्र बहलोल के अधिकार क्षेत्र में आ गया।

जीनपुर के शर्कियों से युद्ध—बहलोल के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना शर्कियों के साथ रुक-रुक कर लगभग 35 वर्ष तक चलना रहने वाला युद्ध था।

युद्ध के कारण—(1) शर्की सुल्तानों की संयुक्त वेगमें अपने पतियों को बराबर चकसाती रहती थी कि वे आक्रमण कर दिल्ली पर अपना अधिकार जमावें जिस पर उनका वैधानिक अधिकार था।

(2) शर्की सुल्तान अपनी संन्य-शक्ति के कारण अपनी वेगमों की सत्ता का स्वागत करते थे।

(3) बहलोल महत्वाकांक्षी था और दिल्ली सल्तनत के लोभे हुए प्रान्तों पर अधिकार पुनः करना चाहता था।

(4) दिल्ली सल्तनत और जीनपुर राज्य के बीच कोई स्पष्ट सीमा-रेखा नहीं थी, अतः सीमान्त पर भड़क उठने वाले सघर्ष भी विकराल रूप धारण कर लेते थे।

(5) पूर्वी क्षेत्र के हाकिमों की स्वामिमत्ति स्थिर न थी। ये कभी बहलोल से तो कभी शर्की सुल्तान से मिन जाते थे।

(6) शर्की सुल्तान संन्य-बन में बढें-चढे थे लेकिन बहलोल के हाथों पराजित होने के कारण उनके प्रतिशोध की भावना अधिक उत्पन्न हो जानी थी और वे इनकी पूर्ति के लिए पुनः युद्ध करने को तत्पर हो जाते थे।

(7) दोनों ही राज्यों की शक्ति न्यमन्य मन्तुलिन थी और घेष्टना की सिद्धता केवल दीर्घकालीन युद्ध से ही सम्भव थी।

युद्ध की घटनाएँ—इस दीर्घकालीन युद्ध का मूलपात शर्की सुल्तान महमूद शाह ने किया। समने 1452 ई में दिल्ली को घेरा। सुल्तान बहलोल ने तुरन्त दीघाजपुर में लौटकर युद्ध प्रारम्भ कर दिया। लेकिन बहलोल ने प्रारम्भिक विजय के बाद सन्धि करना अधिक उचित समझा। यह निश्चित हुआ कि जो कुछ भी

दिल्ली सुल्तान के पास है वही सुल्तान बहलोल के पास रहे और जो कुछ जौनपुर के शासक इब्राहीम के अधिकार में था, वही महमूद के अधिकार में रहे। इसके बाद दोनों सुल्तान अपनी-अपनी राजधानी लौट गए।

उपयुक्त सन्धि में यह भी तय हुआ कि शर्की हाकिम जूनाखां शम्सावाद का दुर्ग बहलोल को सौंप देगा और बहलोल पिछले युद्ध में पकड़े गए सात हाथी लौटा देगा। जूनाखां ने शम्सावाद देने से इन्कार कर दिया अतः बहलोल ने आक्रमण करके शम्सावाद छीन लिया और उसे अपने अनुयायी रायकरन को दे दिया। इस पर शर्की सुल्तान महमूद ने शम्सावाद पर चढ़ाई कर दी। इस तरह 1452 ई. में ही दोनों सुल्तानों के बीच तीन बार युद्ध हुआ। इसी बीच सुल्तान महमूद की मृत्यु हो गई। नए शर्की शासक मुहम्मद शाह और बहलोल के बीच सन्धि हो गई जिसमें यह निश्चय किया गया कि महमूद के प्रदेश मुहम्मद शाह के अधिकार में रहेंगे और सुल्तान बहलोल के अधिकार में जो कुछ है वह उसी के अधीन रहेगा। मुहम्मद शाह जौनपुर लौट गया और सुल्तान बहलोल दिल्ली चला आया। शम्सावाद जौनपुर के अधिकार में ही रहा।

इसी समय जौनपुर राजवंश में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। जब मुहम्मद शाह ने दूसरे शाहजादों के बंध की नीति अपनाई तो बीबी राजी ने उसे गद्दी से उतार कर हुसैन शाह को गद्दी पर बिठाया। सुल्तान हुसैन अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने लगा। 1462-66 ई. के बीच शर्की सुल्तान ने काफी शक्ति अर्जित कर ली और मेवात, इटावा, कोयल तथा वयाना में हाकिमों से अपनी अधीनता स्वीकार करली। 1466 ई. के आसपास सुल्तान हुसैन ने एक शक्तिशाली सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। बहलोल ने पुनः राजधानी की रक्षा की। दोनों सुल्तानों के बीच सन्धि हो गई। कुछ ही समय बाद सुल्तान हुसैन ने पुनः आक्रमण किया। लगभग इसी समय सुल्तान हुसैन की माँ बीबी राजी की मृत्यु हो गई। 1478 ई. में सुल्तान अलाउद्दीन आलमशाह की बदायूँ में मृत्यु हो गई और शर्की सुल्तान शोक प्रकट करने के लिए बदायूँ पहुँचा। फरवरी-मार्च 1479 ई. में फिर दोनों सुल्तानों में युद्ध हुआ। अन्त में कुतुबखां लोदी के प्रयत्नों से सन्धि हो गई और गंगा नदी दोनों राज्यों की विभाजन रेखा स्वीकार की गई। बहलोल के लिए यह सन्धि कड़वे घूँट के समान थी, अतः ज्योंही सुल्तान हुसैन वापस लौटा, बहलोल ने मौका देखकर उसका पीछा किया और शक्तियों की काफी सैन्य सामग्री लूट ली। शर्की शासक के घनेक अमीर जिनमें कुतलुगखां बजीर भी शामिल था बन्दी बना लिए गए। 1486 ई. के लगभग हुसैनशाह ने अवसर पाकर पुनः जौनपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन बहलोल ने मुबारकशाह को उधर भेजा और स्वयं भी जौनपुर की तरफ बढ़ा। सुल्तान हुसैन को फिर बिहार भाग जाना पड़ा। सुल्तान सिकन्दर लोदी के समय में हुसैनशाह ने पुनः जौनपुर पर कब्जा करने का प्रयत्न

क्रिया लेकिन उस इस बार बिहार से भी हाथ धोना पडा । इस तरह शर्की साम्राज्य का अन्त हो गया ।

मालवा पर आक्रमण—इस विजय न बहलोल की सत्ता विस्तार की महत्वाकांक्षा को अधिक तीव्र कर दिया और उसने अपना ध्यान मालवा की ओर लगाया जहाँ गयासुद्दीन खल्जी शासक था (1469-1501 ई.) । बहलोल न मालवा राज्य में अल्हानपुर उजाड डाला । खल्जी सुल्तान न चन्देरी के राज्यपाल को मिलासा और सारगपुर की सनाया सहित बहलोल क विरुद्ध कूच करने का आदेश दिया । बहलोल ने शत्रु की अधिक सख्या देखी और वापिस दिल्ली लौटने में ही अपना हित समझा ।

बहलोल का अरित्र शासन नीति मृत्यु और मूल्यांकन—बहलोल लोदी का जन्म अपने पिता की मृत्यु के बाद हुआ था । चाचा के सरक्षण में उसका पालन-पोषण हुआ था । यह अपने बश का योग्य शासक सिद्ध हुआ । बहलोल ने शासन को इस्लामी नियमों और सिद्धांतों पर आधारित किया । शांति शोकत की जगह उसने सादा जीवन बिताना शुरू किया और अपने शासन को उदार बनाया ।

सुल्तान बहलोल बहुत ही घमनिष्ठ तथा बीर एवं दानी शासक था । बहलोल का व्यक्तित्व अत्यन्त भद्र 'यायी उदार सरल तथा आडम्बरहीन था । वह प्रातःकाल जल्दी उठ कर लगभग दोपहर तक राजकीय कार्यों में लगा रहता था । अन्दुला के अनुसार वह जनता के आशेदन स्वयं सुनता था और यह काम अमीरा और वजीरों के लिये छोड़ता था । सारीसे बाऊदों का लखक उसके विषय में कहता है कि वह एक सरल और आडम्बरहीन शासक था । भोजन करते समय वह दरवानों को द्वार से हटा देता था । जो भी उसके पास आता उस समय भोजन करता था । वह कभी दरवारे घाम (साधारण दरवार) में भी मिहासन पर नहीं बैठा वह एक छोटा कानीन का उपयोग करता था । वह पांचा समय की नमाज जमात के साथ पढता था । रणभ्रम में शत्रु की मेना को देखकर शीघ्र घोड से उतर कर ईश्वर से इस्लाम व उसके समयको की कुशलता क लिए प्रार्थना करता था । इसके उपरान्त वह जब बादशाह हुआ तो कोई भी विरोधी उस पर विजय न पा सका ।

अपने नतृत्व के स्वभाविक गुणों के कारण बहलोल एक सफल शासक था । उसने रायकहन राजा प्रताप राजा बीरमिह राजा धाधू राजा बिलाक चन्द्र आदि राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया । डा ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि एक नये शासक वश के सस्थापक के रूप में तथा दिल्ली-साम्राज्य की क्षीण होनी हुई प्रतिष्ठा को पुन स्थापित करने के क्षत्र में बहलोल का इतिहास में उच्च स्थान है । निरन्तर मुडा में व्यस्त रहने के कारण वह शासन तंत्र की ओर ध्यान न दे सका परन्तु मुडा में उनकी अप्रुव विजयों ने हिन्दुस्तान में पुन इस्लामी शक्ति को स्थापित कर दिया ।

लगभग 38 वर्ष शासन करने के बाद राजधानी लौटते समय वह मार्ग में बीमार पड़ गया और 1489 ई. में उसकी मृत्यु हो गई, किन्तु मरने से पूर्व वह अफगान साम्राज्य को भारत में दृढ़ करने में समर्थ हुआ।

सिकन्दर लोदी (1489-1517 ई.)

सुल्तान बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र निजामखां सभी अमीरों की सहमति से 1/ जुलाई, 1489 ई. को गद्दी पर बैठा और उसने सिकन्दर शाह की उपाधि धारण की। निजामखां (सिकन्दर शाह) का राज्यारोहण विरोध नहीं हुआ। अफगान सरदारों ने यह कह कर निजामखां का विरोध किया कि उसकी मां सुनारिन है। कुछ सरदार वारवक शाह के पक्ष में थे और कुछ बहलोल के बड़े लड़के ख्वाजा बायजिद के सम्बन्धी आजम हुमायूँ को सुल्तान बनाना चाहते थे। मृतक सुल्तान की स्त्री ने जो कि सुनार की पुत्री थी, अपने पुत्र के दावे की प्रबल वकालत की और सरदारों के प्रति सद्ब्यवहार का वायदा किया। शीघ्र ही निजामखां के समर्थकों का एक दल बन गया और वह 17 जुलाई, 1489 ई. को सिकन्दर शाह के नाम से सुल्तान घोषित किया गया।

आलमखां लोदी, ईसाखां लोदी और वारवक शाह के विरुद्ध अभियान

सिकन्दर पहले रापरी की ओर गया जहाँ उसका भाई आलमखां लोदी, आजम हुमायूँ से जा मिला था। उसने रापरी और चंदवार के दुर्ग घेर लिए। आलमखां पटियाली भाग गया और उसने ईसाखां लोदी के वहाँ शरण ली। रापरी का शीघ्र पतन हो गया। इसे खानेखाना को दिया गया। तत्पश्चात् सुल्तान इटावा की ओर गया जहाँ उसे उस क्षेत्र पर अधिकार करने में कई महिने लगे। आलमखां ने समर्पण कर दिया, और सिकन्दर ने उसे क्षमा ही नहीं किया बल्कि एटा भी उसके अधिकार में रहने दिया। दूसरा महत्वपूर्ण सरदार जोदीख़ाँ था जो पटियाली में रहता था। ईसाखां लोदी युद्ध में पराजित हुआ और घावों के कारण तुरन्त मर गया। सिकन्दर ने पटियाली राय गरोश को सौंपा जिसने वारवक का पक्ष छोड़कर उससे मिल गया था। तत्पश्चात् सिकन्दर ने इस्माईलखां नूहानी को अपने भाई वारवक से सम्पर्क स्थापित कर आधीनता स्वीकार करवाने तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाने के लिए भेजा। वारवक ने इसे अस्वीकार किया और सिकन्दर ने स्वयं उसके विरुद्ध कूच किया। दोनों सेनाएं कन्नौज में एक दूसरे के सामने आईं। शेख मुहम्मद कुर्बान वारवक का सेनापति बन्दी बना लिया गया। सिकन्दर उस समय कठोर नीति के पक्ष में नहीं था। उसने उसे क्षमा कर दिया फिर उसने उसे अपनी ओर कर लिया और फिर वारवक से युद्ध कर उसे पराजित किया। वारवक बदायूँ भाग गया, किन्तु उसका पीछा किया गया और अन्त में उसने आत्म समर्पण किया। अब शाही परिवार के सदस्यों में केवल आजम हुमायूँ उसकी सत्ता का विरोधी रह गया था। सिकन्दर ने उसके विरुद्ध प्रस्थान किया और

उसे पराजित किया तथा कालपी महमूदसाँ लोदी को सौंपा। सम्भवत यह पहला श्रवण था जब सिकन्दर ने किसी विरोधी की उसके प्रदेश में पुष्टि नहीं की। सम्भवत उसने आजम हुमायूँ को कालपी पर शासन करने के प्रयोग्य समझा था।

सिकन्दर की समस्याएँ—यद्यपि सुल्तान सिकन्दर को काफी प्रशासनिक और सैनिक अनुभव प्राप्त था, क्योंकि वह बहलोल की अनुपस्थिति में राजधानी में रहकर केन्द्रीय शासन का संचालन भी कर चुका था, परन्तु फिर भी उसके सामने अनेक समस्याएँ थीं—

(1) उसके राज्यारोहण का इस कारण विरोध किया गया था कि उसकी माँ सुनारिन थी।

(2) अपने समर्थकों के बल पर वह सुल्तान तो बन गया, लेकिन विद्रोहिया और विरोधियों के होते हुए वह स्वयं सुरक्षित नहीं था। उनका दमन करके अपनी शक्ति संगठित करना आवश्यक था।

(3) शर्की लोदी वैमनस्य भी खतरनाक था। हुसैन शाह शर्की अपने छोटे हुए राज्य को वापस लेने पर तुला हुआ था, अतः जौनपुर क्षेत्र पर बठौर प्रशासनिक और सैनिक दृष्टि रखना भी जरूरी था।

(4) दक्षिण की आर-वज्जाना तथा खालियर के शासक लगभग अर्द्ध-स्वतन्त्र हो गये थे और वे सल्तनत के लिए खतरनाक थे।

(5) राजकोप लगभग रिक्त था क्योंकि बहलोल ने युद्धों पर काफी धन खर्च किया था। इसके साथ ही कई शासकों ने दिल्ली को नष्ट देना बन्द कर दिया था।

सिकन्दर की विजय—सिकन्दर लोदी कई स्थानों पर, वर्षों तक युद्ध करने के बाद भी वह दिल्ली साम्राज्य की सीमाओं का अधिक विस्तार नहीं कर सका। सिकन्दर के महत्वपूर्ण संधर्ष बिहार और मध्य भारत में हुए।

बिहार (हुसैनशाह शर्की) से युद्ध—शर्की-लोदी युद्ध की परम्परा सिकन्दर लोदी के समय में भी बनी रही। सिकन्दर का प्रथम प्रबल संधर्ष-हुसैन शाह शर्की से हुआ। हुसैन शाह एक अनुभवी व्यक्ति था। बारबक शाह और हुसैन शाह के बीच में यह अपवित्र समझौता हुआ था कि दोनों मिलकर सिकन्दर से युद्ध करेंगे और उसे पराजित कर हुसैन शाह पुनः जौनपुर का शासक बनेगा और बारबक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा।

सिकन्दर के लिए यह चुनौती सखटपूर्ण थी। उसने सर्वप्रथम, बारबक शाह को हराकर अपने अधीन बनाया। अब मुस्तान सिकन्दर ने हुसैन शाह से निर्णायक टक्कर लेने का निश्चय किया। उसने चुनार पहलवर शर्की मुस्तान के समर्थकों और स्थानीय जमींदारों का दमन किया। लेकिन उबड़-खाबड़ मांगों, रसद के प्रभाव

और रोग की प्रवृत्तता ने उसकी सेना को अस्त-व्यस्त कर दिया। सिकन्दर को इस तरह संकट-ग्रस्त देखकर जौनपुर के उपद्रवी जमींदारों ने हुसैनशाह शर्की को अपने पूर्वजों के राज्य पर पुनः अधिकार स्थापित करने के लिये आमन्त्रित किया। हुसैन शाह एक विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा, किन्तु बनारस के निकट खान-ए-खाना के हाथों पराजित हुआ। सुल्तान सिकन्दर ने पीछा करते हुए अन्त में हुसैन शाह को बिहार से बाहर खदेड़ दिया। हुसैन शाह लखनौती की ओर भाग गया और बंगाल के शासक के यहां शरण ली। शासक ने सुल्तान सिकन्दर के साथ यह सन्धि की कि दोनों शासक न तो एक दूसरे की सीमा पर आक्रमण करेंगे और न ही एक दूसरे के शत्रुओं की सहायता ही करेंगे। हुसैन शाह ने सम्पूर्ण जीवन लखनौती में ही बिताया। इस तरह 1495 ई. तक बिहार प्रान्त पूरी तरह सिकन्दर के अधीन हो गया।

मध्य भारत—साम्राज्य-विस्तार की दृष्टि से सिकन्दर लोदी का दूसरा संघर्ष ग्वालियर के मानसिंह से हुआ। ग्वालियर नरेश दिल्ली सुल्तान से संघर्ष मोल लेना नहीं चाहता था, पर साथ ही उसकी पूर्ण आधीनता स्वीकार करने को भी तैयार न था। उसकी यह घड़-स्वतन्त्र स्थिति और ग्वालियर के गढ़ की सुदृढ़ता सिकन्दर के लिए एक चुनौती थी।

सिकन्दर ने सबसे पहले ग्वालियर के करद राज्य धौलपुर पर आक्रमण किया। धौलपुर के शासक के उग्र विरोध के कारण यह युद्ध लगभग तीन वर्ष तक चलता रहा और तब 1504 ई. में धौलपुर पर सिकन्दर का अधिकार स्थापित हो सका। कुछ समय शान्त रहने के बाद सिकन्दर ने फरवरी-मार्च, 1505 में मुन्दरा-यल (मण्डरेल) के किले को घेरा। किले वालों ने सन्धि करके किला उसे समर्पित कर दिया। सुल्तान ने वहां मन्दिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया। इसके बाद वह लौटकर धौलपुर पहुंचा। वहां उसने किले की मरम्मत करवाई और विनायक देव के स्थान पर अफगान सरदार मलिक कमरुद्दीन को वहां का अधिकारी नियुक्त किया। 1506-7 ई. में चम्बल के किनारे छुटपुट युद्ध होते रहे लेकिन ग्वालियर नरेश की शक्ति को कोई विशेष क्षति नहीं हुई। आखिर सुल्तान वापस लौट पड़ा और उसने 1507 में अजमेरगढ़ तथा 1508 ई. में नटवर को जीतकर ही संतोष किया। मालवा के आन्तरिक झगड़ों का लाभ उठाकर उसने 1512-13 ई. में चन्देरी पर भी अपना अधिकार जमा लिया। उस समय चन्देरी का हाकिम बहजतखाँ था। सुल्तान ने एमादुलमुल्क को, चन्देरी की ओर इस आशय से नियुक्त किया कि वह बहजतखाँ की सहायता से चन्देरी तथा उस क्षेत्र में सुल्तान के नाम का खुतबा पढ़वाये। सिकन्दर लोदी की इन विजयों से उसकी ख्याति बढ़ गई, लेकिन ग्वालियर विजय की उसकी इच्छा पूरी न हो सकी।

नागौर (1509 ई.)—नागौर में इस समय अह-युद्ध की स्थिति थी और सिकन्दर के हस्तक्षेप से आशंकित होकर वहाँ के शासक मुहम्मदखाँ ने सुल्तान की

अधीनता स्वीकार करते हुए उसका नाम खुन्वे और सिक्के पर—अंकित—करा दिया। सिकन्दर ने रसुथम्मीर के किले पर भी अधिकार का प्रयत्न किया, पर इसमें असफल रहा।

सिकन्दर का शासन प्रबन्ध—सिकन्दर लोदी ने शासन की सुव्यवस्थित करने के लिए अनेक कदम उठाये—

(1) सुल्तान ने शासन प्रबन्ध का केन्द्रीकरण किया। अफगान सरदारों को सुल्तान की सत्ता स्वीकार करने के लिये बाध्य किया और इल्कादारों एवं जागीरदारों पर नियन्त्रण रखने के लिए ऐसी व्यवस्था की कि केन्द्रीय सरकार से उसका सीधा सम्पर्क और पत्र व्यवहार कायम रहे।

(2) सुल्तान ने शाही फरमान जारी करने की नीति अपनायी। जिस अमीर के नाम फरमान जारी होता वह अपनी राजधानी से 6 मील भ्रमण जाकर उसको स्वीकार करता था। यदि सुल्तान का आदेश होता तो वह वही उसे पढ़ता या श्रवण ले आता था। यदि फरमान के गुप्त रूप से पढ़ने का आदेश होता तो वह ऐसा ही करता था। शाही फरमानों को सम्पूर्ण राज्य में पढ़कर सुनाया जाता था जिससे जनता पर सुल्तान की शक्ति का प्रभाव बना रहे।

(3) सुल्तान ने अमीरों और सरदारों के हिसाब-किताब की जांच करने के लिए निरीक्षक नियुक्त किए और राजस्व के अपहरण या दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के लिए कठोर दण्ड निश्चित किये।

(4) सुल्तान ने गुप्तचर विभाग का कुशलता से पुनर्गठन किया जिससे कि साम्राज्य के सभी भागों की प्रत्येक सूचना सुल्तान को प्रतिदिन मिलती रहे। तारीखे बाऊबी के अनुसार उसके राज्यकाल में भनाज, कपडा तथा ममन्त वस्तुएं इतनी सस्ती थीं कि जिस किमी की घोड़ी बहुत रोजी हो जाती वह निश्चित होकर धाराम से जीवन व्यतीत कर सकता था।

(5) सुल्तान ने ग़बन के मामले में कठोर दण्ड की व्यवस्था की, जिससे कि सामान्य जनता और किसानों को राज्य कर्मचारियों के प्रत्याचारों से बचाया जा सके। तारीखे बाऊबी के अनुसार सुल्तान की मवारी के समय यदि कोई उत्पीड़ित व्यक्ति फरियाद करता था तो वह पीड़ित करने वाले का पना लगाकर फरियादी का कष्ट दूर करने में डिलाई नहीं करता था।

(6) सिकन्दर ने अमीरों को आदेश दिया कि वे दरबार में और दरबार के बाहर सुल्तान के प्रति सम्मानित व्यवहार करें। पद्यन्त्रकारी अमीरों को कठोर दण्ड देने के लिये समुचित व्यवस्था की गई। सुल्तान ने नैरकुश और स्वच्छाधारों शासन की स्थापना के लिये एक प्रकार की दुर्घ शासन प्रणाली अपनाई। अपने आइयों पर नियन्त्रण रखने के लिए उनके साथ विश्वसनीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की और सैनिक-छावणियों की स्थापना कर उमने जमींदारों पर अपनी नियन्त्रण बनाये रखा।

न्याय तथा राजस्व विभाग—सिकन्दर ने न्याय-व्यवस्था में विशेष रुचि दिखाई। सुल्तान स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश था तथा न्याय करने में उलेमा-वर्ग से सलाह लेता था। उसने शत्रु के अधिभूत पर न्याय की व्यवस्था की और यह व्यवस्था की कि अपराधियों का पता लगाने में किसी प्रकार का विलम्ब न हो। यद्यपि दण्ड कठोर थे तथापि सुल्तान उदार था और धर्म में मुसलमानों की कुछ पुण्य तियों पर अपराधियों की सजा या तो कम कर देता था अथवा उन्हें मुक्त कर देता था।

सिकन्दर ने अनेक आवश्यक कर समाप्त कर दिये और हर प्रकार से कृषि तथा व्यापार को उत्थत किया। उसने भूमि को नपवाया और उसी के आधार पर भूमि कर निश्चित किया। लेकिन व्यवहार में प्रायः भूमि की माप किए बिना ही काम चला लिया जाता था। सिकन्दर ने भूमि नापने के लिये 30 इंच का एक गज चलाया जो सिकन्दरी गज के नाम से प्रचलित रहा। सिकन्दर के प्रयासों से किसानों की दशा सन्तोषजनक हो गई थी। 1495 ई. में भीषण अकाल के समय भी जनता को अधिक कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सुल्तान ने अनाज पर से छुंड़ी समाप्त कर दी जिससे विभिन्न क्षेत्रों में अनाज का लाना लेजाना सरल हो गया। 1505 ई. में धारण आदि में भूकम्प आया और कई बार महामारियां फैलीं लेकिन सुल्तान ने जनता के कष्ट दूर करने में कोई हिलाई नहीं दिखाई। उसने धारण को भी राजधानी बनाया और वहाँ एक नगर की स्थापना की। सड़कों की मरम्मत कराकर उन्हें यात्रियों के लिये सुरक्षित किया।

धार्मिक नीति—सिकन्दर एक कट्टर मुसलमान शासक था जो शरा को लामू करना अपना पवित्र कर्तव्य मानता था। शरा में उसकी आस्था इतनी अधिक थी कि वह इस क्षेत्र में फीरोज तुगलक का दूसरा रूप था। अपने शहजादा-काल में ही उसने शानेश्वर के कुण्ड नष्ट करके इसका परिचय दिया था। सुल्तान बनने पर उसने विभिन्न मन्दिरों को नष्ट करने, मूर्तियों को लण्डित करने और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करने की नीति अपनायी। ताराकोट के उशालामुखी मंदिर की मूर्ति के टुकड़ों को उसने कसाइयों को मांस तोलने के लिये दिये। मथुरा में उसने हिन्दुओं को गमुना नदी में स्नान करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। उसने बोधन नामक हिन्दू को केवल इसलिए मृत्युदण्ड दिया कि वह हिन्दू धर्म को भी इस्लाम की तरह सच्चा धर्म बताता था। सिकन्दर लोदी के पक्ष में यह कहा जाता है कि यदि उसने हिन्दुओं पर ये प्रतिबन्ध लगाये तो मुसलमानों में भी प्रचलित कुप्रथाओं को रोकने का प्रयत्न किया। मुसलमान स्त्रियों के पीरों और सन्तों की मजारों पर जाने से रोक तथा मुहर्रम के ताजियों को इस्लाम विरोधी बताया। यदि यह नीति उसने 13वीं अथवा 14वीं शताब्दी में अपनाई होती तो सम्भवतः इतनी अधिक नहीं चुभती क्योंकि उस युग में यह नीति अत्यधिक साधारण मानी जाती थी परन्तु 15वीं शताब्दी के अन्त और 16वीं शताब्दी के आरम्भ में जब भारत में धार्मिक

वातावरण बदल चुका था और धार्मिक सहिष्णुता के विचार ने जन्म ले लिया था तब इस प्रकार की नीति अपनाना उचित नहीं था। सहिष्णुता के उस वातावरण में धार्मिक कट्टरता को अपनाना न केवल एक भूल थी अपितु दुराग्रह थी जिससे सिकन्दर लोदी को मुक्त नहीं किया जा सकता।

उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में कहीं भी इस्लाम की बातों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह मद्यपान भी करता था, कभी-कभी रोजे और नमाज की नागा भी कर देता था और संगीत आदि का भी प्रेमी था। इस द्वैध-नीति के आधार पर सिकन्दर लोदी की धार्मिक कट्टरता का औचित्य निकालना सम्भव नहीं है।

सिकन्दर की मृत्यु और उसका मूर्त्यञ्जन—नवम्बर 1517 ई में आगरा में सुल्तान बीमार पड़ गया, उसका रोग बढ़ता गया और 21 नवम्बर, 1517 ई को उसकी मृत्यु हो गई। उसने लगभग-18 वर्ष राज्य किया। वह हमेशा राज्य कार्य में व्यस्त रहता था। भोग विलास में उसकी रुचि नहीं थी। सिकन्दर शाह ने सफलता पूर्वक निरकुश शासन की स्थापना की और अपने पिता से प्राप्त राज्य को बढ़ाया और अनेक शासन सुधार कर अमीरे तथा जन-माधारण को मनुष्यत्व रखने का सफल प्रयास किया। लेकिन उसकी कट्टर धार्मिक नीति ने हिन्दुओं को राज्य का विरोधी बना दिया जो लोदी साम्राज्य के लिए अहितकर सिद्ध हुआ। जागीरों के प्रचलन में भी राज्य को हानि हुई। उसकी सफलता इसी में निहित है कि उसने विपन्न परिस्थितियों में न केवल अफगान शासन को दृढ़ किया अपितु अफगान राज्य का प्रसार भी किया। वह स्वयं कविता करता था तथा कवियों और विद्वानों की संगति में उसे प्रानन्द आता था। डा. पाण्डेय के अनुसार वह फीरोज की अपेक्षा अधिक योग्य सेनापति और एक सफल शासक सिद्ध हुआ।

इब्राहीम लोदी (1517-26 ई)

राज्यारोहण—सिकन्दर लोदी की मृत्यु के पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहीम 22 नवम्बर, 1517 को सिंहासन पर बैठा। किन्तु अमीर अब यह नहीं चाहते थे कि राजनैतिक सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केन्द्रित रहे। इसलिए उन्होंने साम्राज्य को इब्राहीम लोदी तथा उसके छोटे भाई जलालखा में बांटने की नीति अपनाई। जलालखा को शक्तियों का प्रदेश देने का निश्चय किया गया। इस तरह साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया। अमीरों का विचार था कि राज्य के इस विभाजन से दो मुख्य लाभ होंगे—

(1) दोनों ही शहजादे सन्तुष्ट रहेंगे और गृह-युद्ध टल जावेगा तथा

(2) दोनों शहजादे अपने-अपने क्षेत्र में सम्प्रभु सुल्तान रहेंगे। दोनों एक दूसरे की शक्ति को सन्तुलित करते रहेंगे और फलस्वरूप दोनों अपने-अपने क्षेत्र के अमीरों और सरदारों का समुचित आदर करेंगे तथा उन पर ही निर्भर रहेंगे। फारिस्ता के अनुसार अमीरों ने राज्य-विभाजन का निर्णय इसलिए लिया था कि वे इब्राहीम के व्यवहार और स्वभाव से अत्यधिक निम्न थे। शाहजादा जलाल अमीरों

के निर्णय से खुश था और उसने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया परन्तु इब्राहीम यह निर्णय पचा नहीं सका। वह समझता था कि विरोध करने पर अमीर उसे बन्दी बना लेंगे अतः उसने भी इसे स्वीकार करना ही अपने हित में समझा। जलालखां अपने क्षेत्र के अमीरों सहित राज्याभिषेक के लिये रवाना हो गया। इब्राहीम के राज्याभिषेक के समय रापरी के राज्यपाल, खाने जहां लोदी, ने इस व्यवस्था का विरोध किया क्योंकि यह अफगान राज्य के हितों में नहीं थी। इब्राहीम को खाने जहां की नीति रुचिकर लगी, क्योंकि यह उसकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप थी। इस पर अमीरों ने अपनी भूल सुधारने का प्रयत्न किया और यह निश्चय किया कि शहजादा जलाल को दिल्ली बुलाया जाए। हैबतखां को उसके पास भेजा गया परन्तु जलालखां को अमीरों के विचारों की जानकारी मिल चुकी थी इसलिये उसने आने से इन्कार कर दिया।

जलाल खां से संघर्ष छेड़ने के पहले सुल्तान इब्राहीम ने अब दूसरा कदम उठाया। जलाल अमीरों को अपनी ओर मिला लेने का प्रयत्न किया। उसने उन्हें उपहारों तथा भविष्य में भी पुरस्कारों का वचन देते हुए विश्वसनीय लोगों के साथ फरमान भेजे। जलाल के अमीरों ने जैसे बिहार के राज्यपाल दरिया खां मूहानी, गाजीपुर के जागीरदार नसीर खां तथा अवध और लखनऊ के राज्यपाल आदि ने उसका साथ छोड़ कर इब्राहीम का पक्ष ले लिया। इनके आधीन तीस से 40 हजार सैनिक थे। जलाल का अधिकार केवल कालपी में रह गया। इस अनुकूल परिस्थिति में इब्राहीम ने 29 दिसम्बर, 1517 ई. को अपना दूसरा राज्याभिषेक कराया।

जलाल से संघर्ष—जलाल यह स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने कालपी में अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी आरम्भ की। उसने सुल्तान जलालुद्दीन का खिताब धारण किया और अपना नाम खुत्बे में पढ़वाया। अपनी स्थिति सुदृढ़ कर वह ग्वालियर की ओर बढ़ा जहां आजम हुमायूँ सरवानी दुर्ग को घेरे था। आजम हुमायूँ के पुत्र फतह खां को जलाल ने अपना बजीर नियुक्त किया। उसने आजम हुमायूँ को अपनी ओर मिलाने के लिए सन्देश भेजा। उसने लिखा था कि 'मैं आपको अपने पिता और चाचा की तरह समझता हूँ। तुम जानते हो इसमें मेरा दोष नहीं है। सन्धि विच्छेद सुल्तान इब्राहीम ने किया है। एक ईमानदार मुसलमान होने के नाते, तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम न्याय का पक्ष लो।' इस संदेश से आजम हुमायूँ विचलित हो गया और वह जलाल खां की ओर मिल गया। यह निश्चय किया गया कि पहले जौनपुर की विलायत पर आक्रमण कर वहां से सभी विरोधी अमीरों को निकाल देंगे, इसलिए उन्होंने अवध पर आक्रमण किया। राज्यपाल लखनऊ की ओर भाग गया और उसने इस युद्ध के विषय में इब्राहीम को जानकारी भेज दी।

शव इब्राहीम मन्त्रिय हुआ। किमी भी सम्भावित सकट से सुरक्षा के लिए उमने मन्त्रों पहने कैंद में पड़े हुए अपने भाइयों—इस्माइल खा, हुसैन खा और शेख दीलत खा को हामी के किले में भेज दिया। तत्पश्चात् 6 जनवरी 1518 ई. को वह भोगाव की घोर चला तथा कन्नौज पर हमले की योजना बनाई। इब्राहीम की गतिविधियों को सुनकर भाजम हुमायू और उसका पुत्र फतह खा, जलाल का माय छोड़ कर इब्राहीम ने भी उन्हें समा कर सम्मान दिया। इन दोनों के विश्वासघात से बाध्य होकर जलाल कालपी की लौट गया। भाजम हुमायू और फतह खा की देखादेख पूर्वी क्षेत्र के अन्य अमीर जैसे सईद खा, शेखजादा फरूखी आदि जलाल का साथ छोड़कर इब्राहीम से घा मिले। सुल्तान इब्राहीम की शक्ति बहुत बढ़ गई और उसने भाजम हुमायू सरवानी, भाजम हुमायू लोदी तथा नसीरखा नूहानी जैसे प्रमुख अफगान सरदारों को एक शक्तिशाली सेना सहित जलाल के विरुद्ध भेजा। सेना के पहुंचने से पहले ही जलाल 30 हजार घुड़सवारों को लेकर आगरे पर आश्रमण के लिए निकल चुका था। नियामत खानून, इमादुन्मुल्क, मलिक बहुरहीन जिनबानी तथा जलाल के हरम से सम्बंधित अन्य बहुत से व्यक्ति कालपी के दुर्ग में ही छोड़ दिए गए थे। दिल्ली की सेना ने कुछ दिनों में कालपी को जीत लिया और युद्ध में लूट का भारी माल इब्राहीम के सैनिकों के हाथ लगा।

सुल्तान इब्राहीम ने मलिक आदम के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना आगरे की रक्षा के लिए भेजी। जलाल ने इस शर्त पर सुल्तान की आधीनता स्वीकार करनी चाही कि उसे कालपी का हाकिम बना दिया जाए, लेकिन इब्राहीम को यह शर्त मंजूर न थी। वह स्वयं इटावा से जलाल के विरुद्ध चल पड़ा। इस पर जलाल खानियर नरेश की शरण में चला गया और इब्राहीम द्वारा पीछा करने पर वहां से गढ़कटगा की घोर भागा। मार्ग में वह भीलों और गोहो के हाथों में पड़ गया, जिन्होंने उसे सुल्तान इब्राहीम के हवाले कर दिया। इब्राहीम ने जलाल को हासी के दुर्ग में भेज दिया गया, परन्तु अपने समर्थकों के कहने पर उसने मार्ग में ही उसका वध करवा दिया।

खालियर विजय—1517-18 ई में सुल्तान इब्राहीम ने खालियर को विजय कर अपने पिता के घघूरे कार्य को पूरा किया। भाजम हुमायू के नेतृत्व में एक सगठित सेना खालियर को जीतने के लिए भेजी। इसी समय खालियर के राजा मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। भाजम हुमायू ने दुर्ग को घेर लिया और विजय प्राप्त की। राजा मानसिंह के उत्तराधिकारी राजा विक्रमादित्य ने विवश होकर मन्त्रियों की जिसके अनुसार खालियर का दुर्ग और राज्य सुल्तान इब्राहीम के हवाले कर दिया गया और बदले में इब्राहीम ने उसे शम्शाबाद का हाकिम बना दिया।

इब्राहीम और राणासांगा—1517-18, मई में इब्राहीम और महाराणासांगा के बीच कई बार युद्ध हुए। दोनों के बीच मध्य के अप्रलिखित कारण थे।

(1) लोदी के प्रमुख क्षेत्र के विस्तार के लिए यह आवश्यक था कि वह मेवाड़ को अपने अधीन करता ।

(2) हिन्दू राज्य का विस्तार दिल्ली और आगरा के किसी भी सुल्तान को रुचिकर न लगता था । राणा सांगा की विस्तार-वादी प्रवृत्ति लोदी सुल्तान के लिए एक चुनौती थी । सांगा ने उत्तर में अपना राज्य बयाना के निकट तक बढ़ा लिया था ।

(3) मालवा पर अधिकार करने के लिये राणा सांगा और इब्राहीम लोदी दोनों ही प्रतिद्वन्द्वी थे ।

इन विभिन्न कारणों से राणा सांगा और इब्राहीम लोदी में संघर्ष अनिवार्य हो गया । राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार 1517 ई. में खातीली के मैदान में राणा सांगा तथा इब्राहीम लोदी के बीच घनघोर युद्ध हुआ । इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह से घायल हुआ । किन्तु विजय उसी के हाथ लगी । युद्ध में सांगा का एक हाथ कट गया और घुटने में तीर लगने से वह लंगड़ा हो गया । इब्राहीम अपनी भाग्यी सेना को रोकने में असफल होने के कारण स्वयं भी भाग खड़ा हुआ ।

इब्राहीम लोदी ने जलाल की ओर से निश्चिन्त होकर अपनी पराजय का बदला लेने के लिए, मियां माखन की अध्यक्षता में एक शक्तिशाली सेना भेजी । कुछ और भी अमीरों को उसके साथ भेजा गया जिसके फलस्वरूप लोदी सेना संगठित रूप में युद्ध नहीं कर सकी और आपसी द्वेष के कारण मियां हुसैन फरूखी तथा कुछ अन्य अमीर राजपूतों से मिल गए । धौलपुर के निकट दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ और लोदी सेना को पुनः खदेड़ दिया गया । इस पर सुल्तान इब्राहीम सेना लेकर पहुंचा और उधर दिव्रोही अफगान अमीर भी फिर से उसके साथ आ मिले । एक बार फिर घमासान युद्ध हुआ जो अनिर्णायक रहा । किन्तु कुछ समय बाद राणा सांगा ने चंद्रेरी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया, और इब्राहीम खोए हुए प्रदेश को वापस लेने के लिए कुछ न कर सका ।

अमीरों से संघर्ष—सबसे पहले सुल्तान के कोप का शिकार आजम हुमायूँ सरवान्नी बाना । उसने एक बार जलालखाँ का पक्ष लिया था लेकिन बाद में इब्राहीम के पक्ष में मिल जाने का गम्भीर अपराध कर चुका था । उस समय इब्राहीम ने उसे दण्डित नहीं किया । लेकिन वह हुमायूँ के विश्वास-घात को भूल नहीं सका था । जब जलाल खाँ फालपी तथा ग्वालियर दोनों ही स्थानों से बच निकला तो इब्राहीम को यह संदेह हुआ कि आजम हुमायूँ ने उसे पकड़ने में जान बूझ कर ढिलाई की है । उसे ग्वालियर के घेरे से वापस बुलाकर जेल में डाल दिया गया । कुछ समय बाद आजम हुमायूँ कैदखाने में ही मर गया या उसका वध करवा दिया गया । जब इब्राहीम ने आजम हुमायूँ को दण्डित किया, उस समय इब्राहीम ने

आजम पर न तो कोई निश्चित अभियोग लगाया और न ही उसे सफाई देने का अवसर ही दिया। इस काण्ड से अफगान अमीरो तथा मलिको में मुल्तान के प्रति सन्देह उत्पन्न हो गया।

मियाँ हुसैन फमूली—मियाँ हुसैन फमूली का वध इब्राहीम ने इसलिए कराया था कि हुसैन फमूली ने राणा सागा के पक्ष में हो जाने का अपराध किया था, लेकिन उस समय इब्राहीम ने तत्कालीन परिस्थिति के कारण दण्ड न दिया था क्योंकि इससे अमीरो में असन्तोष अधिक बढ़ सकता था। लेकिन बाद में शेरजादी के असन्तोष से लाभ उठाकर उसने हुसैन फमूली का वध करवा दिया।

इस्लाम खाँ का विद्रोह—जब आजम हुमायूँ को बन्दी बनाया गया तो उसके पुत्र इस्लाम खाँ ने कडा मलिकपुर में विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने जब दूसरे आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी तो उसे सूचना मिली कि आजम हुमायूँ, सईद खाँ लोदी आदि अमीर भी इस्लाम खाँ से मिल गए हैं। सुल्तान ने कुछ नवयुवक सेनापतियों के नेतृत्व में एक सेना भेजी किन्तु इसको कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल सकी। उसने शेरजादा फमूली आदि अमीरों को भी आक्रमण का आदेश दिया। विद्रोही इस दोहरे आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सके। शाही फौजें विजयी हुईं, इस्लाम खाँ रणक्षेत्र में ही मारा गया, सईद खाँ लोदी गिरफ्तार कर लिया गया और लूट का भारी माल सेना के हाथ लगा। अनेक अमीर बन्दी बना लिए गए। सुल्तान इब्राहीम इस विजय में बड़ा प्रसन्न हुआ।

पूरव में विद्रोह—इस्लाम खाँ के विद्रोह के दमन में अमीरो का विशेष हाथ था। इस विद्रोह के समय ही आजम हुमायूँ सरवानी और मियामुघा की मृत्यु बन्दीगृह में हुई थी। अतः उसके पुराने और शक्तिशाली अमीरो में सुल्तान के प्रति अविश्वास व्याप्त हो गया तथा उसके निरकुश रवैये की आलोचना की जाने लगी। सुल्तान ने सदिग्ध लोगों को पकड़कर बन्दीगृह में डाल दिया और कुछ को कष्टकारी मौत की सजा दी। परिणामस्वरूप दरिया खाँ नूहानी ने सुल्तान का भ्रमला लक्ष्य अपने को ही समझ कर विद्रोह कर दिया। किन्तु इसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसका बेटा बहादुर खाँ सभी विद्रोहियों का विश्वसनीय केन्द्र बिन्दु बन गया। बिहार के स्वतन्त्र शासक के रूप में उसने मुहम्मद शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के ढलवाये तथा खुतबा भी पढ़ाया। समूचे बिहार में उसने विद्रोह की लहर फैला दी। सुल्तान ने हाकिम नासिर खाँ नूहानी को विद्रोह के दमन के लिए भेजा किन्तु उसने भी बहादुर खाँ का पक्ष ले लिया। बहादुर खाँ ने सम्भल त्क प्रदेश पर अधिकार कर लिया और पूर्वी क्षेत्र के अफगान अमीर उसके साथ मिल गये।

दौलत खाँ का विद्रोह—अमीरों के पास अब आत्म-रक्षा के लिए विद्रोह के प्रतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं रह गया था। बिहार के विद्रोह से इब्राहीम बीखला गया था। उसने पजाब से दौलत खाँ खोदी को बुलवाया और जब उसने शक्ति हो

अपने पुत्र दिलावर खां को भेजा तो सुल्तान ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और बन्दी गृह की ओर संकेत करते हुए उसे दर्शाया कि अबजा का प्रतिफल इस रूप में दिया जाता है। बन्दी-गृह में डाल दिए जाने के भय से भयभीत होकर वह अपने पिता के पास भाग गया और उसे स्थिति से अवगत किया। दौलत खां ने इब्राहीम का विरोध करने के लिये पंजाब के सभी अमीरों और जागीरदारों का विश्वास प्राप्त किया। अपनी स्थिति को देखकर उमने काबुल के शासक बाबर को पत्र लिखकर भारत पर आक्रमण करने के लिये आमन्त्रित किया। यही नहीं, उसने अपने सहयोगी अमीरों से परामर्श करके बहलोल के पुत्र आलम खां को अलाउद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित किया और उसे भी 1522-23 ई. में बाबर के पास सहायता मांगने के लिए भेजा।

MCM

बाबर का आक्रमण व पानीपत का युद्ध—बाबर ने स्थिति की जांच करने के लिए अपने कुछ अमीर, आलम खां के साथ भेजे। इन अमीरों ने सियालकोट, लाहौर तथा अन्य क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और बाबर को इसकी सूचना दी। उसने भारत विजय के लिए 1524 में प्रस्थान किया। लाहौर पहुंचने पर आलमखां ने आग्रह किया कि, चूंकि मुगल उसके निमन्त्रण पर आए थे इसलिए दिल्ली पर अधिकार के पश्चात् उसे वह प्रदेश सौंप दिया जावे। आलम खां और मुगलों में मतभेद पैदा हो गया और उसने चालीस हजार सवारों सहित दिल्ली की ओर कूच कर उसे घेर लिया। जब इब्राहीम को इसकी सूचना मिली तो वह अस्ती हजार सैनिकों सहित चला। आलम खां ने घेरा उठा कर इब्राहीम से युद्ध करना उचित समझा। उसने रात में एक प्राकस्मिक आक्रमण किया और इब्राहीम की सेना को अस्त-व्यस्त कर दिया। किन्तु इब्राहीम ने, जो पांच या छः हजार सैनिकों सहित शिविर के बाहर ठहरा था, प्रातःकाल आलम खां की सेना पर आक्रमण किया। आलम खां पराजित हुआ तथा भाग गया और उसके अनेक सैनिक मार डाले गए।

इसी बीच बाबर लाहौर पहुंच गया था। दौलत खां और गाजी खां अपने वचन पर स्थिर नहीं रहे और उन्होंने भीतर ही भीतर बाबर को धोखा देकर मार डालने अथवा उसका साथ छोड़ देने की योजना बनाई। दिलावर खां ने ये भेद श्लोच दिया और दौलत खां को जेल में डाल दिया गया तथा उसके सूत्रे छीन कर दिलावर खां को दे दिए गए। इसी समय बल्ल की राजनीति ने पलटा खाया और बाबर को काबुल लौट जाना पड़ा। उसके पीठ फेरते ही स्थिति बदल गई। इब्राहीम पंजाब विजय के लिए बढ़ा और उधर दौलत खां भी पंजाब अधिकार के मनसूबों को बनाने लगा। आलम खां और गाजी खां के वेटे ने संयुक्त रूप से दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, परन्तु वे पराजित हुए। अफगानों के विश्वासघात ने बाबर को दुरी तरह क्षुब्ध कर दिया था। वह शीघ्र ही एक बड़ी सेना लेकर 1525 ई. में पंजाब में घुस पड़ा। उसने दौलत खां, गाजी खां आदि को पराजित

कर पंजाब पर अपना अधिकार दृढ़ किया, फिर दिल्ली की घोर बढ़ना शुरू किया। सुल्तान इब्राहीम भी उसकी सेना का सामना करने के लिए भागे बढा। बाबर की सेनाओं की छोटी-मोटी झड़पों में बाबर जीता और अनेक अफगान सरदार इब्राहीम का साथ छोड़कर बाबर के साथ जा मिले। अन्त में पानीपत के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ। 21 APR 1526

पानीपत का युद्ध—पानीपत का पहला युद्ध बाबर तथा इब्राहीम लोदी के मध्य हुआ। यह भारत के इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना है, जिसके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत का अन्त हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगलों ने लगभग 300 वर्ष तक राज्य किया। बाबर ने सावधानी से अपनी व्यूह-रचना की। उसने लगभग सात सौ गाड़ियों की कच्ची खाल की रस्सियों से जोड़कर शत्रु की अधिक संख्या के विरुद्ध अपने अग्रिम दस्ते को सुरक्षित कर रखा। प्रत्येक छ या सात गाड़ियों के पश्चात् एक छोटी गली थी जहाँ तोपखाने के दो विख्यात अधिकारियों को उस्ताद अली व मुस्तफा की देख-रेख में तोपची और गोलदाज सैनिक तैनात थे। यह सब तैयारी कर बाबर ने 21 अप्रैल, 1526 ई को प्रातः काल युद्ध आरम्भ किया। इस युद्ध में दोनों पक्षों के सैनिक जी तोड़ कर लड़े पर बाबर का पलड़ा लगातार भारी होता गया। मुगल रिजवं दस्तों और तोपचियों ने युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ लिया। अफगान सैनिकों में फैली गड़बड़ अतःक में परिवर्तित हो गई और सुल्तान इब्राहीम लोदी लगभग पाच छ हजार अनुयायियों के साथ युद्ध भूमि में काम आया। शेष सेना भाग निकली, तीसरा पहर होते-होते तक अफगान पूरी तरह पराजित हो चुके थे। हजारों अफगान सैनिकों की लाशों के बीच इब्राहीम के शव ने पानीपत का मैदान ढक लिया था। न्यामत उल्लाह ठीक कहता है कि, सुल्तान इब्राहीम के प्रतिरिक्त भारत का कोई सुल्तान रण-भूमि में नहीं मारा गया। दिल्ली सल्तनत ने जिसने 1192 ई में तराइन के युद्ध में जन्म लिया था, 1526 में पानीपत की रण-भूमि में मृत्यु को प्राप्त हुई।

लोदी वंश का पतन—बाबर की छोटी-सी सेना के आगे इब्राहीम की विशाल सेना न टिक सकी, क्योंकि—

(1) बाबर के सभी घुड़सवार सैनिक चुने हुए थे। बाबर की सेना पूरी तरह सगठित एवं रणकुशल थी, जबकि दूसरी ओर इब्राहीम की सेना, सैनिकों का एक जमपट मात्र थी जिसमें न तो कोई सगठन ही था और न ही अनुशासन।

(2) बाबर की युद्ध की तुलना-पद्धति से अफगान अपरिचित थे।

(3) लोदियों के पास बाबर के शक्तिशाली तोपखाने का मुकाबला करने का कोई साधन नहीं था।

(4) बाबर जन्मजात एक सैनिक नेता था। जबकि लोदी सेना में स्वयं इब्राहीम में भी सम्पूर्ण युद्ध पर नियन्त्रण करने की क्षमता नहीं थी।

(5) बाबर ने हमेशा व्यक्तिगत उदाहरण देकर सेना का मनोबल बनाए रखा ।

(6) लोदियों की सेना हमेशा बिना किसी निश्चित योजना के लड़ती थी । बाबर यह जानता था कि लोदी सेना विशाल होते हुए भी युद्ध योजना-बद्ध नहीं करती है ।

(7) बाबर ने गुप्तचर व्यवस्था का व्यापक उपयोग कर शत्रु-शिविर के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त करली थी, जबकि इब्राहीम ने सेना के गुप्तचर विभाग की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया ।

(8) भारतीय पक्ष को पुनः पराजय का मुंह हाथियों के इस्तमाल के कारण देखना पड़ा । हाथी, तोपों और तोड़ेदार बन्दूकों की भार से बेकार हो गए और उन्होंने अपने ही पक्ष को रौंद डाला ।

(9) इन्हीं सब कारणों से बाबर की विजय हुई । कम संख्या पर सन्तुलित दस्तों के कुशल नेतृत्व ने बाबर को विजयी बनाया जिसने एक नये राजवंश की नींव रखी ।

इब्राहीम लोदी का मूल्यांकन—वास्तव में सुल्तान इब्राहीम लोदी के विवेक-हीन कार्य ही लोदी साम्राज्य के पतन को इतना सन्निकट ले आये । इब्राहीम लोदी यद्यपि प्रतिभा-सम्पन्न सुल्तान था, परन्तु अपने चरित्र के कारण वह अपनी प्रतिभा का पूरा लाभ नहीं उठा सका । वह अफगान जाति के चरित्र को नहीं समझ सका और यह भूल गया कि अफगान जाति सुल्तान को केवल समानों में प्रथम स्वीकार करती थी न कि निरंकुश शासक । अफगान सरदार अपनी जागीरों को अपनी शक्ति से अर्जित मानते थे, लेकिन इब्राहीम यह स्वीकार करने को तत्पर न था । सिकन्दर लोदी भी एक निरंकुश शासक था, फिर भी उसने अपनी निरंकुशता का इस ढंग से प्रयोग किया कि अमीर असन्तुष्ट होते हुए भी पूर्ण विरोधी नहीं हुए । अमीर असन्तुष्ट अवश्य रहे, क्योंकि वे तो सुल्तान और अमीरों के बीच वहलोल जैसा सम्बन्ध ही चाहते थे । इब्राहीम लोदी यह समझने में असमर्थ रहा था । उसने अनुशासन और नियन्त्रण की नीति का अविवेकपूर्ण ढंग से अनुसरण किया जिसके फलस्वरूप चारों ओर विद्रोह होने लगे और अफगान राज्य की नींव हिल गई । बाबर ने अन्तिम झटका देकर अफगानों का महल धराशाही कर दिया । यदि अफगान कुछ कम स्वार्थी और अहंकारी होते अथवा इब्राहीम कुछ नीति-कुशल एवं उदार होता तो बाबर इतनी सरलता से भारत पर अधिकार न जमा सकता था ।

इब्राहीम में एक बड़ा दोष यह था कि वह किसी भी शक्तिशाली अमीर की उन्नति से अत्यधिक ईर्ष्यालु था । मेवाड़ के राणा सांगा को विरोध भी लोदी साम्राज्य के लिए महंगा पड़ा क्योंकि इनसे शाही सेना की शक्ति क्षीण होने के साथ ही हिन्दू, सल्तनत के विरोधी हो गए । सुल्तान ने दमनकारी नीति का अनुसरण

कर अपने चारों ओर शत्रु ही शत्रु पैदा कर लिये। उसका हठी और अकालु स्वभाव उस ले हुआ। फरिश्ता के शब्दों में वह मृत्यु पर्यन्त लड़ा और एक सैनिक की भाँति युद्ध में काम आया। इब्राहीम को पराजित कर वावर ने अपने नाम का श्रुतवा पढ़वाया। उसने हुमायूँ को यह आदेश देकर आगरा की ओर रवाना किया कि वो उस पर कब्जा कर इब्राहीम के खजाने पर अधिकार कर उस सैनिक को बाट दे।

✓ अफगानों का प्रभुसत्ता का सिद्धान्त 1591

सैय्यद वंश का प्रभुसत्ता का सिद्धान्त—तुगलक वंश ने पुनः एक नई विचार-धारा को जन्म दिया था। सिकन्दरशाह तुगलक की मृत्यु के बाद अमीर 15 दिन तक सुल्तान का निर्वाचन करने में असफल रहे।¹ अन्त में मुहम्मदशाह के पुत्र सुल्तान महमूद को (आयु 10 वर्ष) अमीरों ने सुल्तान चुना। एक अल्प आयु वाक को गद्दी पर बँठाने के कार्य को पहली बार सफलता मिली। सुल्तान महमूद की मृत्यु के बाद प्रभुसत्ता तुगलक वंश के हाथों से निकल गई थी परन्तु इसके बाद भी अनेक वर्षों तक नये शासक दीवतख़ाँ व खिज्मना ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वे तुगलकों के नाम में मुद्रा अंकित करवाते रहे जिससे कि वे तुगलक के प्रति जनसाधारण की सम्मानित भावनाओं और स्वयं द्वारा राज्य हड़पन की दरार का फायदा उठा सकें।

खिज्मना की स्थिति बड़ी ही हावाहोल थी। वह स्वयं मंगोलों की कृपा में सुल्तान बना था इसलिए वह उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता था, दूसरी ओर वह भारतीय मुसलमानों के विरोध से भी भयभीत था जिनमें मंगोलों के प्रति कोई सद्भावना शेष नहीं थी। इस दुविधा में उसने एक अजीब नीति अपनाई जिसका समरूप तुर्कों के भारतीय इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। सिक्के तुगलक के नाम में मुद्रित किये जाते रहे और खुतबा मंगोलों के नाम में पढ़ा जाता रहा, जिसके अन्त में उसका नाम भी था। खिज्मना द्वारा मंगोलों के अधिराज्य की स्वीकृति का यह परिणाम निकला कि अब खुतबे तथा सिक्कों से खलीफा का नाम समाप्त हो गया।

यह दुविधा अधिक समय तक नहीं चल सकी। खिज्मना के पुत्र ने मंगोलों और तुगलकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना समाप्त कर दिया। शाह सुल्तान की उपाधि धारण कर उसने स्वयं के नाम के सिक्के चलाए। मंगोलों के प्रति इस नीति का परिणाम हुआ कि उन्होंने सैय्यदों के विरोधी खोखरो का पक्ष ग्रहण किया और पुनः भारत पर आक्रमण करने की नीति अपनाई। अनेक स्थानों पर सैय्यदों के विरुद्ध विद्रोह होने लगे। इस प्रकार भारत और भारत के बाहर सैय्यदों की प्रभुसत्ता को सब ही ने अस्वीकार कर दिया। वास्तविकता में सैय्यदों का प्रभुसत्ता के क्षेत्र में

कोई सकारात्मक योगदान था ही नहीं। डा. त्रिपाठी¹ के अनुसार, "सैन्यद शासकों को गम्भीरतापूर्वक कभी प्रभुसत्ता-सम्पन्न-शासक स्वीकार ही नहीं किया गया।" अन्तिम शासक आलमशाह प्रशासकीय बुद्धि से हीन था इसलिए शीघ्र ही राजसत्ता वहलोल लोदी के हाथों में चली गई।

लोदी वंश का प्रभुसत्ता का सिद्धान्त—अफगानों के उदय के साथ दिल्ली की प्रभुसत्ता सम्बन्धी मान्यताओं में एक नया मोड़ आ गया। अफगान जातीय (कबीले) स्वतन्त्रता में विश्वास रखते थे और इस आधार पर जो यह स्वीकार करने को तत्पर नहीं थे कि प्रभुसत्ता अविभाज्य है जिसमें समस्त सम्बन्ध केवल राजा और प्रजा जैसे दो शब्दों में सीमित किये जा सकते हैं। अफगानों को तुर्कों, मंगोलों अथवा भारतीय मुसलमानों से किसी प्रकार की सहायता की आशा नहीं थी और ऐसी स्थिति में उन्हें केवल हमवतन लोगों की सहायता पर ही निर्भर रहना था। इस आधार पर लोदी सुल्तानों के लिए पूर्वाग्रह को तिलांजलि दे तुर्क अथवा ताजिकों की संस्थाओं को स्वीकार करना नीति संगत नहीं था। अफगानों का परिपाटियों में भी अदृष्ट विश्वास था, इसलिए वहलोल लोदी द्वारा शक्ति का अपहरण करने पर उन परिपाटियों को तोड़ना भी सम्भव नहीं था। उसने एक ऐसे राज्य-सिंहासन का निर्माण करवाने का विचार किया जिस पर वह अपने समस्त बन्धु-बान्धवों के साथ बैठ सके। क्योंकि इस प्रकार का सिंहासन बनवाना सम्भव नहीं हो सका इसलिए वह 30 अथवा 40 अफगानों के बैठने लायक सिंहासन बनवाकर ही सन्तुष्ट हो गया।

वहलोल के गद्दी पर बैठने के बाद उसे शर्की शासकों की चुनौती का सामना करना पड़ा। ये न केवल घनी व शक्तिशाली थे अपितु इन्हें लोदी-विरोधी तत्वों का समर्थन भी प्राप्त था। वहलोल ने इस चुनौती के समाधान के लिए रोह के अफगानों को आमन्त्रित किया जिससे कि वे राज्यवंश में भागीदार होने के साथ ही भारत में अफगान-सम्मान की रक्षा कर सकें। अनेक अफगान विभिन्न आशाओं को संजोये हुये वहलोल के निमन्त्रण पर उसका साथ देने को तत्पर हो गये।

वहलोल ने अफगान परिपाटियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं को अफगानों में से एक अमीर के समरूप ही माना। वह मात्र सुल्तान की उपाधि तथा अफगानों के नेतृत्व से सन्तुष्ट था। उसके समय में अफगान राज्य केवल कबीलों का एक संघ मात्र था जिसका नेता शासक था। राजत्व का यह विचार तुर्कों से बहुत कम मेल खाता था। यह बलबन और अलाउद्दीन के सिद्धान्तों से मेल नहीं खाता था और यहां तक कि यह इल्तुतमिश की विचारधारा से भी भिन्न था।

तुर्क निरंकुश थे और वे अपने सरदारों को अधीन कर्मचारी अथवा सलाहकारों से अधिक नहीं मानते थे। प्रभुसत्ता में बराबरी की धावेदारी अथवा साभेदारी

1. आर. पी. त्रिपाठी, सम शास्त्रेयस्य आक मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, पृ. 80-84

मे उनका विश्वास न था। वे प्रभुसत्ता में देवत्व और सुल्तान में ईश्वरीय छाया को स्वीकार करते थे। परन्तु लोदी सरदार सुल्तान को अपने में से ही एक सरदार स्वीकार करते थे और सुल्तान में देवत्व के अर्थ को मानने के लिए तत्पर न थे। उनका यह अनुभव था कि यदि उन्होंने अपने में से किसी एक को सुल्तान स्वीकार कर लिया तो उनकी स्थिति साधारण संवको जैसी हो जावेगी और उन्हें अपने ही परिवार के सदस्य के सम्मुख सिद्धा और जमीपोष करने के लिए बाध्य किया जावेगा। इस जातीय परम्परा के प्रतिरिक्त इसमें उनके व्यक्तिगत स्वार्थ भी थे। यदि सुल्तान उनकी शक्ति पर निर्भर न रहा तो उनके लिए बड़ी-बड़ी जागीरों का उपयोग करना अथवा अधिकारों को हथियाना भी सम्भव न हो सकेगा।

बहलोल ने अफगानों की इस जातीय विशेषता को ध्यान में रखते हुए उनके साथ समानता का व्यवहार किया और राजशक्ति में उन्हें साझेदार बनाया। वह दरबार में सिंहासन पर आसीन न होता था अपितु कालीन पर ही अफगान अमीरों के साथ बैठता था। अपने अमीरों को वह 'ममनद-ए-अली' (Exalted Lordship) कह कर सम्बोधित करता था। मुरताकी ने लिखा है कि, "यदि कोई अमीर बीमार हो जाता अथवा उससे रुष्ट हो जाता तो वह स्वयं उसके घर जाता, अपनी तलवार को अनुधत कर देता, और कभी-कभी अपनी साफे की पेटो को भी खोल देता था।" अमीरों की सद्भावना को जीतने के लिए वह हर प्रकार से प्रयत्नशील रहता था। वह अमीरों पर पूर्णतया आश्रित था, यहाँ तक कि प्रतिदिन किसी न किसी अमीर के घर से उसका भोजन आता था और घोड़े पर सवार होते समय कोई अमीर उसे अपना घोड़ा प्रस्तुत कर देता था। ऐसी स्थिति में अफगान साम्राज्य शासक के नेतृत्व में विभिन्न कबीलों का एक सभ मात्र था।

बहलोल के सम्बन्ध में ये विचार प्रो इक्तिहार हुसैन सिद्दीकी को मान्य नहीं है। उनके अनुसार यह ठीक है कि बहलोल अपने अमीरों के साथ उदार व शिष्ट व्यवहार करता था परन्तु इसका कारण अफगानों का प्रभुसत्ता का सिद्धान्त न होकर उस समय की परिस्थितियाँ थीं। बहलोल के लिए अपनी शक्ति की स्थापना में अफगानों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था और उमने इस तथ्य को समझकर अफगानों को अपनी ओर मिलाने के लिये ही इस प्रकार की नीति अपनाई अथवा वह स्वयं एक निरंकुश शासक था। उन्होंने लिखा है, "ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह मत सिद्ध नहीं होता कि उसके समय में दिल्ली सल्तनत अफगान जातियों का एक सभ राज्य था और इस कारण इस मत को इतिहास को गलत पढ़न का प्रयत्न समझ कर त्याग देना चाहिये।" बहलोल ने समस्त अफगानों को अपनी ओर मिलाने के लिए ही, इस प्रकार का व्यवहार किया, क्योंकि वह, अफगानों को, मिलाने के प्रतिरिक्त उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। बहलोल के समय की घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब कभी उसे अथवा मिला उसने समस्त विरोधियों को कुचलने का प्रयत्न किया, चाहे वे अफगान हो अथवा दूसरी जाति के जैसा कि सिवालकोट, लाहौर और दीपालपुर के अमीरों के उदाहरण से स्पष्ट होता है।

इसलिए यदि उसने यह नीति अपनाई तो वह केवल उसकी कूटनीतिज्ञता और दूरदर्शिता थी जिसका उसने लोदी वंश की स्थापना के लिए उपयोग किया।

प्रो. सिद्दीकी का मत तर्कमंगत है। वहलोल ने यदि अफगान सरदारों के साथ उदारता का व्यवहार किया तो इसका मूल कारण उस समय की राजनीति थी। वहलोल ने इस आधार पर अफगान संघ राज्य की स्थापना की अथवा नहीं यह विवाद-ग्रस्त हो सकता है, परन्तु इतना निश्चित है कि उसने अफगान सरदारों की स्वतन्त्रता और जातीय प्रकृति पर इतना अंकुश लगाये रखा कि उसकी मृत्यु पर अमीरों ने उसी के एक पुत्र को सुल्तान चुना और अपने में से किसी एक को सुल्तान बनाने की बात सोची भी नहीं। यही वहलोल की सफलता थी।

प्रो. त्रिपाठी के अनुसार वहलोल द्वारा इस प्रकार से एक संघ की स्थापना में लाभों की अपेक्षा हानियाँ अधिक थीं। यद्यपि इसने अमीरों द्वारा पड़यन्त्र की सम्भावना को न्यूनतम कर दिया परन्तु इसके साथ ही उन्हें अपने प्रभाव तथा शक्ति के सम्बन्ध में भी सतर्क कर दिया। वहलोल ने सुल्तान की कीमत पर अमीरों की शक्ति और सम्मान को बढ़ाया, ताज की प्रतिष्ठा को कम किया तथा राजत्व को केवल एक उन्नत अमीर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। उसकी इस कार्यवाही ने भले ही अफगानों को कुछ सन्तोष दिया हो, परन्तु दूसरे वर्गों की आसन में सुनवाई न होने की वजह से वे असन्तुष्ट हो गये। इस प्रकार से राज-पद की उसकी नींव इल्बारी तुकों की तुलना में गहरी अवश्य थी परन्तु उसकी धारणा अथवा संकल्पना उनकी तुलना में अधिक संकरुण थी।

इस कमी के दाद भी उसका प्रयोग हचिकर था। इसने अफगानों में स्वामि-भक्ति की जो भावना उत्पन्न की उससे वे यह अनुभव करने लगे कि यद्यपि वे प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के लिए परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से वे स्वयं अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। वहलोल ने निरंकुश राजत्व की भावना को मन्द करके वास्तविक रूप में इसे अमीरों की इच्छा के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पग उठाया था। अमीरों और सामन्तों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना निरंकुश व संवैधानिक राजत्व के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। उसने एक ऐसा श्रवसर प्रदान किया जबकि मुस्लिम राजतन्त्रवाद एक संवैधानिक रूप धारण कर सकता था। डा. त्रिपाठी के अनुसार अफगान अमीर आपसी द्वेषता, स्वार्थपरता, दलबन्दी, उदासीनता व अनभिज्ञता के कारण इसका लाभ न उठा सके।

वहलोल ने सिकन्दर को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। सम्भवतः अनुभव ने उसे अफगानों के प्रति अपनाये जाने वाले व्यवहार के लिए सतर्क कर दिया था। इसलिए उसने सिकन्दर को चेतावनी दी थी कि 'सूर' और 'नियाजी' अफगानों को उच्च पद न दे क्योंकि सूर अधिक महत्वाकांक्षी तथा नियाजी विश्वासघाती थे। यह इस बात का संकेत था कि अफगानों की एकरूपता अधिक समय तक बनाये रखना सम्भव न था।

सिकन्दर लोदी के लिए सनकंता से कार्य करना आवश्यक हो गया क्योंकि छ जीविन भाईयो के होते हुए उत्तराधिकार का सवर्ण छिड़ना अवश्यम्भावी था। बहुलोल लोदी ने स्वयं ही राज्य का बटवारा कर् बारबकशाह को जौनपुर का शासन दिया था। अफगान लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि राज्य केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित हो। उनके अनुसार एक से अधिक व्यक्ति इसके माभेदार हो सकते थे। इसके प्रतिरिक्त सिकन्दर लोदी की मा सुनार जानि की थी इसलिए इस आघार पर उसे शुद्ध अफगान स्वीकार करना भी अमम्भव था। अफगान जो कुतुबशा का वंशपरम्परा के आघार पर विरोध कर सकते थे वे सिकन्दर के भी किसी समय विरोधी हो सकते थे।

सिकन्दर विभाजित प्रभुत्व और मदिग्ध निष्ठा के परिणामों से सचेत था और इस आघार पर राजसत्ता में किसी के साथ साभेदारी करने की तत्पर नहीं था। यही नहीं अपितु वह मुस्लिम परम्परा व ईरानी विवेक से भी परे था। राज्य का विभाजन साम्राज्य के लिए ही नहीं अपितु अफगान शक्ति के लिए भी घातक था। इसके बाद भी उसने बारबकशाह को दो बार जौनपुर का शासन बनाया। परन्तु जब वह इसमें भी सन्तुष्ट न हो सका तो उसने जौनपुर को अपने अधीन कर लिया। बारबकशाह पर विजय के पश्चात् उसके प्रमुख सहायक मुबारक को बन्दी बना लिया गया। दुविधा में रखने हेतु उसने उसे दण्डित करने की अपेक्षा अत्यधिक सम्मान दिखाया, यहा तक कि उसको अपनी तलवार समर्पित कर प्रार्थना की कि वह स्वयं शासन क अयोग्य है और वह किसी को भी शासक बना सकता है। सिकन्दर के लिये यह सब नाटकीयता में अधिक नहीं था। अन्त में सिकन्दर ने उसे पराजित कर तथा अफगानों द्वारा फतहखान को शासक बनाने के गडगमन को विफल कर साम्राज्य की एकता को बनाये रखा।

यद्यपि उसने अफगानों की भावुकता को यथोचित सम्मान दिया और अपने पिता की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया परन्तु वह इस बात को समझना था कि भारतीय वातावरण में अफगानों की सस्थाएं अनुपयुक्त हैं। इसलिए उसने धीरे-धीरे प्रभुसत्ता की धारणा में परिवर्तन लाना आरम्भ किया। वह सरदारों को अधिक नियन्त्रण में लाने के लिये तत्पर हुआ। उसकी नीति कठोरता, अनुशासन और मुल्तान के विशेषाधिकारों पर बल देने की थी, परन्तु उसका यह अर्थ लगाना कि वह अकारण ही सरदारों को अपमानित करने पर तुला बैठा था, नितान्त भूल होगी। उसने सरदारों को सुल्तान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बाध्य किया, दरबार को नई साज-सज्जा प्रदान की तथा न्याय में छोटे-बड़े के भेद-भाव को समाप्त किया। प्रान्तीय अमीरों को अपनी राजधानियों से छ मील दूर आकर मुल्तान की आज्ञायें प्राप्त करने की परिपाटी चलाई और भवहूलना करने वाले अमीर को कठोर दण्ड दिया गया। मुरताकी ने लिखा है कि, "जिस विमी ने भी उसकी आज्ञायों का विरोध किया, उसने उसका मिर कटवा दिया अथवा उसे राज्य

से निष्कासित कर दिया।" जिन 22 अमीरों ने उसे सिंहासन से हटाकर उसके छोटे भाई फतहखान को सुल्तान बनाने का पडयन्त्र रचा था, उसने उन सबका वध करवा दिया अथवा उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया।

परन्तु इस प्रकार व्यवहार करते समय न तो वह अन्यायी था और न ही अन्वा-धुन्ध काम करता था। उसने अफगान अमीरों को केवल उसी समय दण्डित किया जबकि उनका अपराध सिद्ध हो जाता था अथवा अमीरों को उसने उसी समय अपदस्य किया जब उनका विश्वासघाती दृष्टिकोण पूर्णतया निखर उठता था। अपनी इस नीति के आधार पर उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। प्रो. सिद्दीकी ने लिखा है कि, "सिकन्दर लोदी पहला अफगान सुल्तान था जिसने एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न शासक की भांति व्यवहार किया और अपने सरदारों से पूर्ण आज्ञा पालन और अविभाजित स्वामीभक्ति की मांग की। उसकी चतुरता, उदारता, निरन्तर सफलताओं ने उसके सरदारों को पूर्ण वफादार और सुल्तान के प्रति आज्ञाकारी बना दिया। सुल्तान से बराबरी करने की उनकी भावना भी दब गयी।

सिकन्दर की इस व्यवस्था का भार उसके पुत्र इब्राहीम लोदी पर पड़ा। वह सर्व-सम्मति से शासक चुना गया था और उसके पराक्रम, योग्यता आदि में कोई जंका नहीं थी। उनके शासक बनने पर साम्राज्य के विभाजन की नीति की इतिश्री हो गई थी। फतहखान और खान-ए-जहां आदि प्रभावपूर्ण नेताओं ने साम्राज्य के विभाजन की नीति को अनुचित ठहराया था। उसके भाई जलालखान ने इसका विरोध किया परन्तु इब्राहीम ने उसको बन्दी बना कर उसका वध करवा दिया।

अपने प्रतिद्वन्द्वी को समाप्त कर इब्राहीम ने अफगान सरदारों की ओर ध्यान दिया जो कि उसकी नीति के विरोधी हो सकते थे। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि राजा का कोई सम्बन्धी नहीं होता तथा समस्त लोग केवल उसके सेवक मात्र हैं। सम्भवतः उसका अभिप्राय था कि कोई भी व्यक्ति जाति, कबीले अथवा ज्ञानक का सम्बन्धी होने के नाते किन्हीं विशेष अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है। अप्रत्यक्ष रूप में यह उसकी प्रभुसत्ता के सम्बन्ध में स्पष्ट धारणा थी। ये धारणा न केवल बलवान, अलाउद्दीन अथवा मुहम्मद तुगलक की विचारधारा से सामीप्य रखती थीं अपितु उससे भी अधिक विकसित थीं क्योंकि उसने कबीले के आधार पर मान्य समस्त मांगों को समाप्त कर दिया था। यह बहलोल लोदी के विचारों के पूर्ण विरोध में थी और अफगान सरदारों के लिए अप्रिय होने पर भी ठोस सिद्धान्त पर आधारित थी।

इस आधार पर उसने एक अत्यन्त सुशोभित सिंहासन पर बैठना चारम्भ किया तथा आदेश दिया कि सुल्तान के दरबार में उपस्थित रहने के समय कोई अमीर आसन ग्रहण नहीं करेगा। दम्भी अफगान सरदार जो बहलोल के साथ बराबरी का दावा करते थे वे इस आदेश से स्तम्भित थे। सम्पूर्ण वातावरण

बदल गया था और अमीरों को यह अनुभव होने लगा कि सुल्तान उन्हें में से एक अमीर न होकर वहीं अधिक श्रेष्ठ है। दम्भी अमीरों को इससे शिकायत थी, परन्तु सुल्तान ने उनकी कोई परवाह न की और पुराने अमीरों के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए उसने 'नियोजियों' को 'करमूलियों' की तुलना में प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई। पुराने अफगान सरदारों ने इस नीति का सशस्त्र विरोध आरम्भ किया। सैय्यदशा लोदी, इस्लामशाह बफ्तहन्ना के विद्रोहों को निर्दयता से कुचल दिया गया। यद्यपि इस सघर्ष में सुल्तान सफल भवश्य हुआ, परन्तु अकेले इस्लामशाह के विद्रोह को दबाने में ही उसे 10,000 श्रेष्ठ अफगान सैनिकों की बलि देनी पड़ी। इब्राहीम इसके बाद और अधिक उद्विग्न हो गया और मन्देहास्पद परिस्थितियों में की गई भाजम हुगायू और मिया भाऊ की हत्या ने अफगान अमीरों को और अधिक विरोधी बना दिया। अफगान अब उसका खुले रूप में विरोध करने लगे। उनको यह विश्वास होने लगा कि वे किसी प्रकार सुल्तान के विरुद्ध सफल नहीं हो पायेंगे। बिहार में नूहानी अत्यधिक दुविधा में थे और पंजाब के लोदियों ने अफगानों के प्रतिद्वन्द्वी मुगलों को आमन्त्रित करने में कोई शिथिल अनुभव नहीं की। स्वार्थपरता तथा बदले की भावना के नशे में वे अपने द्वितीयों को आक्रमण में असमर्थ रहे, जिसका अन्तिम परिणाम अफगान सत्ता की समाप्ति तथा एक नये राजवंश की स्थापना में हुआ।

मुल्तान इब्राहीम के समय में राजसत्ता के लिए जो सघर्ष चला उसमें सिद्धान्त कम और व्यक्तिगत आकांक्षाएँ, भय एक दृष्ट अधिक था। सुल्तान ने प्रकुशलता और अव्यवहारिकता से उन अमीरों को भी अपना विरोधी बना लिया जो सिकन्दर लोदी के समय में स्वामीभक्त थे। मुल्तान इब्राहीम भी तुर्कों के समान एक निरनुभू राजतन्त्र की स्थापना करना चाहता था, परन्तु अफगान सरदार समय की इस मांग को नहीं पहचान सके। डा त्रिपाठी का मत है कि जिम सिद्धान्त के लिए इब्राहीम ने सघर्ष किया वह ठोस था, परन्तु अवसर और साधन नितान्त त्रुटिपूर्ण थे। इब्राहीम का यह सिद्धान्त उसी के साथ नहीं दफनाया गया अपितु मुगलों के आगमन ने इसे और अधिक शक्ति प्रदान की।

सल्तनत काल में इस प्रकार में प्रभुसत्ता के क्षेत्र में कई प्रयोग हुए। बलबन ने बंश के गोरख तथा दरबारी शान को स्थापित किया तो अलाउद्दीन खलजी ने घर्म और राज्य को अलग-अलग कर दिया। तुगलकों के समय में भिन्न-भिन्न प्रयोग किये गये जिसमें मुहम्मद तुगलक व फीरोज तुगलक ने अपनी-अपनी मान्यताओं के आधार पर प्रभुसत्ता का स्वरूप निश्चित किया। लोदी बंश के समय में भी बहलोल ने त्रिन परिस्थितियों में प्रभुसत्ता की स्थापना की उसमें इब्राहीम ने आमून-बूल परिवर्तन कर एक नये ही स्वरूप को सामने रखा, जो ठोस होते हुए भी अफगानों द्वारा बाबर को आक्रमण का निमन्त्रण देने से न रोक सका। इस प्रकार प्रभुसत्ता के क्षेत्र में सल्तनत काल अनेक प्रयोगों को करता रहा।

अमीर-वर्ग व ताज के बीच संघर्ष (सैय्यद व लोदी वंश)

सुल्तान खिज्रखाँ व अमीर-वर्ग—खिज्रखाँ सैय्यद (1414-21 ई.) ने गद्दी प्राप्ति के बाद अमीरों को महत्वपूर्ण पद दिये। ताजुलमुल्क को वजीर तथा सैय्यदों के प्रधान, सैय्यद सलीम को सहारनपुर की जागीर, मलिक मुलेमान के दत्तक पुत्र अब्दुर रहीम को मुल्तान की जागीर, उस्तिथारखाँ को दोआब की जागीर तथा खैरुद्दीन को 'अरिज-ए-मुमालिक' का पद दिया।¹ इतिहास एण्ड साइंस

खिज्रखाँ के राज्यकाल में शान्ति स्थापित न हो सकी। एक स्थान में एक अमीर के विद्रोह को दबाया जाता तो दूसरे स्थान में विद्रोह खड़ा हो उठता था। उसका मारा समय तुगलकी अमीरों को दबाने में ही लग गया। राजधानी में अमीरों ने सुल्तान के विरुद्ध षड्यन्त्र किया। वजीर ताजुलमुल्क की सहायता से विद्रोही अमीरों को मृत्यु दण्ड दिया गया, परन्तु इसके बाद भी वह अमीरों को पूर्णतया कुचलने में असमर्थ रहा। उसने यह नीति अपनाई कि अमीरों से वलपूर्वक राजस्व का कुछ भाग वसूल कर लिया जावे और शेष राशि के लिये उनसे आश्वासन ले लिया जावे। अमीर ऐसा आश्वासन तो देते थे परन्तु वे उसे कभी पूरा करने की कोशिश ही नहीं करते थे। खिज्रखाँ इन सब कठिनाइयों का सामना नहीं कर सका और इसी बीच उसकी मृत्यु हो गई। खिज्रखाँ की विधेयता रही कि उसने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिये अमीरों के प्रति रक्तपात की नीति नहीं अपनाई।

सुल्तान मुबारक शाह व अमीर-वर्ग—मुबारक शाह अपने शासन के तेरह वर्षों (1421-34 ई.) में अमीरों के साथ उदारता का व्यवहार किया। उसने अमीरों के समर्थन के बदले उन्हें उनकी जागीरों और पदों पर पूर्ववत् रहने दिया।² इसके साथ ही सैय्यद वंश में पहली बार हिन्दू अमीरों को भी राज्य में उच्च पद दिये जाने लगे। बहादुर नाहर मेवाती के पौत्र जलू और कद्दू, दयाला के मुक्ति मुहम्मदखाँ ने उसके विरुद्ध विद्रोह किये। इसी प्रकार शर्की शासक और सुल्तान के बीच संघर्ष में भी अमीरों की भूमिका विनाशकारी रही। इसके बाद सभी वर्गों के अमीरों ने मिलकर सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया जिनमें जसरथ खोखर, मलिक युसूफ, हेनु भट्टी और शेरजादा अली प्रमुख थे। इमादुलमुल्क ने अमीरों के विद्रोह को दबाने में काफी सहायता प्राप्त की, परन्तु बीच ही में सुल्तान ने उसे वापस बुला लिया और उसकी जगह पर खैरुद्दीन खानी को नियुक्त किया। उसके बाद उसने सखरुलमुल्क को अमीरों के विरुद्ध भेजा। उसने जिस तत्परता से अमीरों का दमन किया उससे सुल्तान स्वयं शक्ति हो गया और उसे भी वापस बुला लिया। उसे बजारत का काम सौंपा गया तथा उसकी शक्ति पर अंकुश रखने के लिये अमीर कमालउलमुल्क को भी उसी विभाग में नियुक्त कर दिया। आपसी प्रतिस्पर्धा के

1. इतिहास एण्ड साइंस, जिल्द 4, पृ. 46-47

2. फरिश्ता, (फिरोज) जिल्द 1, पृ. 512

कारण सखरलमुल्क ने सुल्तान के विरुद्ध पदच्युत कर 19 फरवरी, 1414 ई को उसकी हत्या कर दी ।

सुल्तान मुहम्मद शाह व अमीर-बर्ग—मुबारक शाह की हत्या के बाद अमीरो ने मुहम्मद शाह (1434-45 ई) को सुल्तान बनाया । सखरलमुल्क ने क्योंकि पिछले सुल्तान की हत्या में सश्रिय भाग लिया था इसलिये उसने सम्पूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले ली और खानेजहा की उपाधि धारण की । उसने अपने समर्थक अमीरो को उच्च पद दिये । कमालउलमुल्क के लिये यह असहनीय था, इसलिये उसने खिज्रिया के परिवार के प्रति अपनी स्वामि-भक्ति दिखाकर सुल्तान की सहायता में एक विरोधी दल तैयार किया और मुबारक शाह के हत्यारों से बदला लेने की एक योजना बनाई ।¹ कमालउलमुल्क के साथ वे अमीर भी हो गये जो वजीर सखरलमुल्क की हिन्दुओं के प्रति उदार नीति के विरोधी थे । इस अभाव-घापी में दोनों दल ही एक दूसरे के प्रति पदच्युत करने लगे, जिनमें अन्त में कमालउलमुल्क ने वजीर सखरलमुल्क की हत्या कर सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली । परन्तु वह असफल रहा क्योंकि न तो वह कुशल प्रशासक ही था और न ही उसे सेना का समर्थन ही प्राप्त था । ऐसी स्थिति में अमीरो ने पुन विद्रोह करने प्रारम्भ कर दिये । इब्राहीम बर्की ने दिल्ली सल्तनत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और मालवा का शासक महमूद खलजी दिल्ली तक सेना लेकर आ गया । लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी ने ऐसी कठिन परिस्थिति में सुल्तान मुहम्मद शाह की सहायता कर उस सङ्कट में बचा लिया । सुल्तान ने बहलोल लोदी को 'फजन्द' पुत्र कहने लगा और उसे 'खानेखाना' की उपाधि दी । लोदियों ने इस स्थिति का लाभ उठाया और बहलोल ने दूसरे लोदी अमीरों की सहायता से दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रदेशों को हथिया लिया । सुल्तान शक्तिहीन था इसलिये उसने विधिवत इन प्रदेशों को लोदियों को ही दे दिये । बहलोल अब अपने आप को पञ्जाब का स्वतन्त्र शासक कहने लगा, यद्यपि खुनवा और सिक्के पर उसने अपने नाम का प्रयोग नहीं किया ।² इस अराजकता की स्थिति में मुहम्मद शाह की मृत्यु हो गई ।

सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह व अमीर-बर्ग—मुहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अमीरो ने उसके पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह को सुल्तान बनाया । अपने पाच वर्ष (1445-50 ई) के शासन काल में उसका अमीरो से लगातार संघर्ष चलता रहा । सुल्तान और वजीर हमीदखा दोनों एक दूसरे के विरुद्ध पदच्युत करने लगे । इस संघर्ष का बहलोल लोदी ने लाभ उठाया । हमीदखा ने बहलोल को आमन्त्रित किया कि वह सुल्तान का पद ग्रहण करे ।³ सुल्तान अमीरो के पदच्युतों से घबरा

1 इलिफ्ट एण्ड टाउन्स, जिल्द 4, पृ 81

2 ए बी पाट—एण्टे अफगान एम्पायर इन इन्डिया, पृ. 51

3 वही, पृ. 87

गया और अन्त में उसने 1447 ई. में वदायूँ जाकर शेष जीवन वहीं बिताने का निश्चय किया। कुछ अमीर सुल्तान की इस कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं थे। वास्तविकता यह है कि सुल्तान राजधानी में स्वयं को असुरक्षित अनुभव करता था इसलिये वदायूँ जाना अधिक उचित था, क्योंकि यह स्थान सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम था।

सुल्तान की इस नीति के कारण प्रान्तीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में बढ़ोतरी करने लगे। बहलोल लोदी ट्रे-पंजाब, दीपालपुर व सरहिन्द पर अपना अधिकार जमा लिया। अहमदशाँ मेवाती ने महरोली से लोदा सराय तक, दरियाखाँ ने सम्मल, ईसाखाँ ने कोल, कुतुबखाँ ने रापरी से भोगांव, इटावा व चांदवार आदि पर अधिकार कर दिल्ली की अधीनता से स्वयं को मुक्त कर लिया। दिल्ली सल्तनत में केवल दिल्ली से पालम तक का प्रदेश ही शेष बचा।

सुल्तान के वदायूँ चले जाने पर अब अमीर आपस में ही लड़ने लगे। वजीर हमीदखाँ के विरुद्ध ईसाखाँ, राजा प्रताप व कुतुबखाँ ने पड़थन्त्र रचा और उसकी हत्या की योजना बनाई परन्तु वजीर बच गया। हमीदखाँ ने यह सोचा कि मालवा अथवा जौनपुर के शासकों में से एक को सुल्तान बनाकर वह समस्त शक्ति का उपभोग करता रहे, परन्तु दोनों ने ही नाम-मात्र का सुल्तान बनने से मना कर दिया। वजीर हमीदखाँ ने ऐसी स्थिति में बहलोल लोदी को दिल्ली में आमंत्रित किया। उसने इसे स्वीकार कर दिल्ली आते ही समस्त पदों पर अफगान अमीरों को नियुक्त किया। अफगान अमीर अशरफ, अशिष्ट समझे जाते थे और बहलोल इन्हीं को हमीदखाँ के विरुद्ध खड़ा कर सारी शक्ति स्वयं हड़पना चाहता था। अफगान अमीरों ने एक दिन हमीदखाँ को बन्दी बना लिया और उसके बाद बहलोल लोदी को (1451-89 ई.) विधिवत् सुल्तान बनाया।

अमीर-व वर्ग लोदी वंश

सुल्तान बहलोल लोदी व अमीर-वर्ग—इल्वरी तुर्कों के समय से ही अफगान शासन में भाग लेते चले आ रहे थे। वे मुख्य रूप से सैनिक चौकियों पर नियुक्त थे। मुहम्मद तुगलक के समय में अफगान प्रान्तीय गवर्नर भी थे। फीरोज तुगलक ने मलिक बीर अफगान को विहार का गवर्नर नियुक्त किया था। संय्यद खिष्खाँ के समय में सुल्तान शाह लोदी एक प्रतिष्ठित अमीर था। उसी के समय में अफगानों के अनेक वर्ग भारत आये। दीलत खाँ दोआब का, मलिक अल्लाह दाद सम्भल के गवर्नर थे। इस प्रकार बहलोल लोदी के सुल्तान बनने के पहले अफगानों का दिल्ली राजनीति में अच्छा प्रभाव था।

बहलोल लोदी को आरम्भ में विभिन्न अमीर वर्गों के विरोध का सामना करना पड़ा। संय्यद अमीर-वर्ग भूतपूर्व संय्यद सुल्तान अलाउद्दीन अलाम शाह का पक्ष

बहलोल को अपहर्ता मानते थे। हमीदख़ाँ के समर्थक उसे पुनः वज़ीर बनाकर लाभ उठाना चाहते थे। तुर्की अमीर अफ़ग़ानों से घृणा करते थे और उन्हें केवल सैनिक बनने के योग्य ही मानते थे। तुर्की और अफ़ग़ानों में इतना अधिक वैमनस्य था कि खुतबा पढ़ने के समय मुल्ला कादान अफ़ग़ानों को बुरा-भला कहते थे और फिर खुतबा पढ़ते थे।¹ बहलोल को अफ़ग़ानों को नियन्त्रण में लाने में भी कठिनाई अनुभव हो रही थी, क्योंकि वे स्वतन्त्र प्रवृत्ति के थे और एक अफ़ग़ान के द्वारा दूसरे अफ़ग़ान के साथ स्वामी और सेवक के व्यवहार को पसन्द नहीं करते थे। उनके अनुसार ममस्त अफ़ग़ान सम्प्रदाय में बराबरी के अधिकारी थे।

सुल्तान और ज़ौनपुर के शर्की शासकों के बीच सघर्ष का लाभ उठाकर अमीर-बर्ग अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा हुआ था। तुर्की और सय्यद अमीरों ने सुल्तान का साथ दिया, जब कि अफ़ग़ान अमीर, सम्मल का गवर्नर दरयाखा लोदी और रापरी का गवर्नर कुतुबख़ा कभी सुल्तान के साथ तथा कभी शर्की शासकों के साथ हो जाते थे। शर्की शासकों में प्रथम युद्ध के समय (1452 ई.) शर्की शासक के सेनापति दरयाखा लोदी ने गुप्त रूप से बहलोल लोदी से मिलकर उराची विजय की सम्भव बनाया। मुबारिज ख़ाँ, कुतुब ख़ाँ और राजा प्रताप ने अनेक बार लोदियों और शर्कियों के बीच सघर्ष को बढ़ाया और फिर मध्यस्थता में भी सक्रिय भाग लिया। बहलोल ने अमीरों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया परन्तु पूर्णतया वह इसमें सफल न हो सका। अफ़ग़ानों के आत्माभिमान को बनाये रखने के लिये वह गद्दी पर नहीं बैठता था, बल्कि एक बहुत बड़े कालीन पर बैठता था। अफ़ग़ान अमीरों को उसने 'मसनद-ए-अली' कहकर सम्बोधित करना प्रारम्भ किया। इसी कारण अमीर उससे सन्तुष्ट रहे। यदि कोई अमीर उससे अपमान हो जाता तो वह स्वयं उसके घर जाता था, अपनी नलवार को धनुषधर कर देता था और कभी-कभी अपने साँके की पेटो को भी खोल देता देता था। वह अमीरों पर पूर्णतया आधिपत था, यहाँ तक कि प्रतिदिन किसी न किसी अमीर के घर से उसका भोजन आता था और छोटे पर सवार होते समय कोई अमीर उसे अपना चोटा देता था।²

सुल्तान सिकन्दर लोदी व अमीर-बर्ग—बहलोल लोदी की मृत्यु पर अमीरों के तीन दल बन गये। एक दल उसके पुत्र निजामखा, दूसरा दल उसके दूसरे पुत्र बारबक शाह और तीसरा दल उसके पुत्र आजम ख़ाँ का गद्दी पर बैठाने के पक्ष में थे। ईसाखा ने निजामखा का विरोध किया क्योंकि उसकी माँ हिन्दू स्त्री थी परन्तु ख़ानेज़ादा और ख़ानेख़ाना फ़र्ग़ली के समर्थन में निजामखा को सिकन्दर शाह लोदी के नाम से सुल्तान (1489-1517 ई.) बनाया गया।

1. आरख़ाने चौबे व श्रीवास्तव—मध्ययुगीन भारतीय समाज एवं सभ्यता, पृ 168

2. आर. के. सखेना—मस्तनतकालीन शासन-प्रणाली, पृ 24

सिकन्दर लोदी को जौनपुर के गवर्नर वारक शाह और कालपी के गवर्नर आजम हुमायूँ से डर था। इसलिये उनमें दूसरे अमीरों को सम्मानित कर उन्हें अपनी ओर मिला लिया। तत्पश्चात् उसने विरोधी अमीर आलम खाँ व ईसा खाँ के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की और उनको आत्मसमर्पण करने के लिये बाध्य किया। वदायूनी¹ ने लिखा है कि सुल्तान विरोधी अमीरों को दण्ड देने की अपेक्षा उनका केवल स्थानान्तरण कर देता था। अवध के गवर्नर अहमद खाँ, शिवपुर के गवर्नर अलीखाँ ने सिकन्दर के आदेशों का पालन नहीं किया, परन्तु फिर भी उन्हें दण्डित न किया गया और उनको केवल दूसरे स्थानों पर भेज दिया गया। इसके साथ ही वह अमीरों की गतिविधियों पर भी निगरानी रखता था, जिसका परिणाम निकला कि अमीरों के अधिकार काफी सीमित हो गये। उसने अमीरों के आचरण के लिये एक संहिता बनाई और आदेश दिया कि प्रत्येक अमीर शाही फरमान को प्राप्त करने के लिये अपने स्थान से 6 मील पैदल चलकर शाही फरमान को स्वीकार करे। उसने तत्त पर बैठना आरम्भ किया और अमीरों को ये आभास करवाया कि सुल्तान का पद उनसे ऊँचा है। निजामुद्दीन अहमद² ने लिखा है कि, "सिकन्दर लोदी की शक्ति इतनी बढ़ गयी थी कि यदि वह अपने किसी गुलाम को पालकी में बैठाकर अमीरों से उसे सम्मान प्रदर्शित करने को फहे तो अमीर बिना किसी हिचकिचाहट के उसके आदेश का पालन करेंगे।"

इन सब के बाद भी सिकन्दर, बहलोल द्वारा अमीरों की गमस्त सुविधाओं को सम्मस्त नहीं कर सका। अफगानों का कबीले का ढाँचा पहले जैसा ही बना रहा और वंशानुगत नियुक्तियाँ भी पूर्ववत् होती रहीं। ख्वास-खाँ के बाद उसका पुत्र मियांमुवा बजीर बना और कालपी में अहमद खाँ के बाद उसका बेटा जलाल खाँ वहाँ का उत्तराधिकारी बना। उसने अफगानों के सभी वर्गों के विशिष्ट अमीरों को बड़ी-बड़ी उपाधियाँ दीं।

सुल्तान इब्राहीम लोदी व अमीर-वर्ग—अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले सिकन्दर ने अमीरों को आमंत्रित किया। सम्भवतः वह खालियर पर आक्रमण की योजना बनाना चाहता था, परन्तु उसको पूरा करने के पहले ही 1517 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। उसके दोनों लड़के—इब्राहीम और जलाल वहाँ उपस्थित थे। अमीर वर्ग इब्राहीम से नाराज था क्योंकि वह उनके साथ अपने नौकरों जैसा व्यवहार करता था, परन्तु बड़ा होने के नाते गद्दी पर उसका अधिकार अधिक था। अमीर वर्ग यह नहीं चाहता था। उन्हें यह भी विश्वास था कि यदि वह सुल्तान बना तो उनके रहे-सहे अधिकार भी समाप्त हो जावेंगे, परन्तु उसको सुल्तान न बनाने की स्थिति में भयंकर गृह-युद्ध छिड़ जावेगा। इसलिये उन्होंने केन्द्रीय

1. वदायूनी, वही, जिल्द 1, पृ. 317

2. निजामुद्दीन अहमद, तबकात-ए-अकबरी, जिल्द 1, पृ. 338

शक्ति को कमजोर करने के लिये तथा उसी अनुपात में अपने स्वामी को पूरा करने के लिये यह योजना रखी कि साम्राज्य का विभाजन कर दिया जावे। जलाल खा को पुराना शर्की राज्य दे दिया जावे और शेय इब्राहीम के अधिकार में रहे।

इस निर्णय के लेते समय अनेक अमीर उपस्थित नहीं थे। साम्राज्य के विभाजन को वो अफगानों के विरुद्ध मानते थे। इनमें रापरी का गवर्नर खानेजहा नूहानी सबसे सक्रिय था। पुन अमीरों की सभा बुलाई गई जिसमें जलाल खा को भी बुलाया गया। यह निर्णय लिया गया कि जलालखा दिल्ली के सुल्तान के अन्तर्गत जौनपुर का प्रशासन चलाये। जलालखा के समर्थक इस प्रस्ताव को रखने के पहले ही जौनपुर चले गये थे। इसलिये उनमें इसको नहीं माना। स्वाभाविक रूप में अब दोनों के बीच गृह-युद्ध अवश्यम्भावी हो गया।

इब्राहीम लोदी ने अमीरों के समर्थन में जलालखा को पराजित कर बन्दी बना लिया और बाद में उम्मी हत्या कर दी गई। स्वयं को सुरक्षित करने के बाद इब्राहीम लोदी ने अमीरों की शक्ति को कुचलने की योजना बनाई। उसने अमीरों और साधारण वर्ग के लोगों में कोई भेद नहीं रखता और अमीरों को भी जनता की तरह दण्डित करने लगा। अमीर इस व्यवहार को सहन करने में असमर्थ थे क्योंकि बहलोल लोदी के बाद भी सिक्न्दर लोदी ने यद्यपि अमीरों के अधिकारों को सीमित अवश्य किया था परन्तु अमीरों की प्रतिष्ठा पर कोई धाच न धाने दी थी। इब्राहीम लोदी ने अमीरों के अधिकारों को अत्यधिक सीमित करने के साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार प्रारम्भ कर दिया था। ‘राज्या का मन्वन्धी नही होना।’ वदे से बडे अमीर को भी दरबार में खडा रहना पडता था। सुल्तान और अमीरों के बीच अविश्वास की खाई अधिक गहरी होनी चली गई और यद्यपि अमीर बाह्य रूप में उनके स्वामि-भक्त बने रहे, परन्तु अन्दर ही अन्दर वे उसके विनाश के लिए कार्य करने लगे।

इब्राहीम लोदी ने मियां मुझा, आजम हुमायू सरजाने तथा मिया हुसेन फर्गूली के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया उससे अमीर वर्ग इस निर्णय पर पहुँचा कि सुल्तान उनके साथ कोई समझौता करने को तत्पर नहीं है। अतः उसका विरोध करना ठीक था। आजम हुमायू को जलाल खा का साथ देने के कारण बन्दी बना लिया गया। उसने जलालखा का साथ छोड़कर उसका साथ देना प्रारम्भ कर दिया और यद्यपि वह सुल्तान के अत्यन्त स्वामि-भक्त सेवकों में गिना जाने लगा परन्तु फिर भी इब्राहीम ने उसको अपमानित किया। मिया हुसेन फर्गूली व मिया मुझा को भी बन्दी बना लिया गया। मियां मुझा के स्थान पर उसके लड़के को बजोर बनाया गया।

इब्राहीम की इस नीति के कारण आजम 'हुमायू के पुत्र इस्लाम खा ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए जो युद्ध हुमायू उसमें इब्राहीम का

सफलता अवश्य मिली परन्तु इसकी कीमत उसे 10,000 श्रेष्ठ अफगानों के रक्त से चुकानी पड़ी ।

सुल्तान अमीरों से सशंकित था, अतः उसने नवयुवक अमीरों को संरक्षण देना आरम्भ किया । उसने 'तूहानी', 'फमूली' आदि अफगानों को उपद्रवी मानकर 'नियाजी' और 'सुर' वर्ग के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की नीति अपनाई । ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे और इस प्रकार से समस्या का कोई समाधान निकल सका । अमीरों और सुल्तान के समन्वय मधुर नहीं बन सके । दूसरी ओर ~~पूर्वी क्षेत्र के अमीर जिन्होंने~~ इस्लामखां के विद्रोह को दबाया था, वे समझते लगे कि सुल्तान उनकी सहायता के बिना विद्रोहों को दवाने में असमर्थ रहेगा । कुछ समय समय बाद जब जेल में मियां भुआ और आजम हुमायूँ की मृत्यु हो गई तो अमीरों ने इसमें सुल्तान का हाथ अनुभव किया । दरियाखां तूहानी को शक था कि सुल्तान उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगा, इसलिए उसने विद्रोह कर दिया । उसका यह विचार था कि सुल्तान उसे खतरनाक समझता है इसलिए उसके साथ भी वह अपमानजनक व्यवहार ही करेगा । जब सुल्तान ने कुछ पुराने अमीरों को बन्दी बना लिया तब अमीर उससे और अधिक सतर्क हो गये और वे सोचने लगे कि उनके सामने विद्रोह करने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं है ।

विहार के दरियाखां ने विद्रोह किया और उसको दवाने के लिए सुल्तान ने पंजाब के गवर्नर दौलतखां लोदी को बुलाया । सुल्तान यह समझता था कि लोदी होने के नाते वह तूहानियों के विद्रोह को दवाने में उसकी सक्रिय सहायता करेगा ।² सुल्तान ने अपने फरमान में बुलाने का स्पष्ट कारण नहीं लिखा था, इसलिए दौलतखां को यह शंका हुई कि सुल्तान उसके साथ भी अन्य अमीरों की तरह दुर्व्यवहार करेगा । उसने दिल्ली की परिस्थिति को समझने के लिए पहले अपने पुत्र दिलावर खां को वहाँ भेजा । सुल्तान इससे अत्यधिक क्रोधित हो उठा और उसने आज्ञा दी कि दिलावरखां को दूसरे अमीरों की हालत, जो जेल में बन्द थे, दिखाई जावे । जब दिलावरखां वापस जा रहा था तो सुल्तान ने चेतावनी दी कि यदि उसका पिता भी उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा करेगा तो उसके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जावेगा । दिलावरखां के विवरण को सुनकर दौलतखां स्वयं स्तम्भित था, परन्तु निर्बल होने के कारण कोई कार्यवाही करने में असमर्थ था । अतएव उसने काबुल से वावर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिये आमंत्रित किया ।

अमीरों के दूसरे वर्ग ने आलम खां की अलाउद्दीन के नाम से सुल्तान धोषित किया और उसे इब्राहीम लोदी के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए वावर के

पाम भेजा, क्योंकि बिना महायत्ना के इब्राहीम से लोहा लेना सम्भव न था।¹ बाबर स्वयं ऐसे अवसर की तलाश में था। इसलिए पूरी तरह से आक्रमण की तैयारी कर वह नवम्बर, 1525 ई. में काबुल से रवाना हुआ और पंजाब पर अधिकार करने के बाद अगस्त, 1526 ई. में पानीपत के मैदान में पहुँच गया। सुल्तान को जब बाबर की गतिविधियों की जानकारी मिली, तो वह भी अपनी सेना सहित पानीपत पहुँच गया।

इब्राहीम लोदी ने अमीरों से मन्त्रणा की तथा उन्हें बहुमूल्य उपहार दिये। उसने आश्वासन दिया कि बाबर के विरुद्ध विजयी होने पर वह अमीरों को पुनः जागीरें प्रदान करेगा। अमीरों को सुल्तान के आश्वासनों पर कोई विश्वास नहीं रह गया था और इसीलिये वे युद्ध में पूरी तन्मयता से नहीं लड़े। इब्राहीम लोदी न केवल पराजित हुआ अपितु युद्ध-क्षेत्र में ही मारा गया। लोदी वंश में अब कोई ऐसा व्यक्ति न था जो अमीरों को पुनः संगठित कर राज्य-स्थापना का पुनः प्रयास करता। लोदी वंश की समाप्ति के साथ ही भारत में मुगल-वंश की स्थापना हुई।

1. ए बी पाण्डे, वही, पृ 202

सल्तनतकालीन उत्तर-पश्चिम सीमा-नीति

पृष्ठ-भूमि—भारत के प्राकृतिक आकार ने यहां की सुरक्षा की समस्या को काफी न्यूनतम कर दिया था और विशेषकर उस समय में जब विध्वंसकारक साधन सीमित थे। भारत की सीमाओं में विशेषकर उत्तर-पश्चिम सीमा की इसके इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि उत्तर-पश्चिम में हिन्दूकुश के पहाड़ों में खैबर, बोलन, कुर्रम, तोची और गोमल के दर्रे भारत को अफगानिस्तान, मध्य-एशिया तथा ईरान जैसे दूरस्थ प्रदेशों से जोड़ते थे। मोटे रूप से भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा कीर्ण की श्रेणियों, सुलेमान पर्वत तथा हिन्दूकुश और हिमालय की चोटियों से मिलकर बनी है। इस आधार पर विलोचिस्तान से कश्मीर तक की विस्तृत सीमा पर तुर्की-ईरानी नस्ल की बर्बर जातियां रहती थीं जिनकी बढ़ती हुई शक्ति भारत की सीमाओं से टकरायी और जिन्होंने भारत पर आक्रमण कर यहां की राजनीति को प्रभावित किया। विदेशी आक्रमणकारियों ने इसी ओर से भारत में प्रवेश किया। इस तरह उत्तर-पश्चिम सीमा-नीति के दो पहलू हैं—दर्रे की सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा दर्रे के पूर्व में पड़ने वाले कबाइली क्षेत्र में शान्ति बनाये रखना अथवा कबाइलियों का दमन करना।¹

उत्तर-पश्चिम सीमा-नीति के ये दो पहलू कोई नये नहीं थे, अपितु समय-समय पर इन्होंने विभिन्न रूप ले लिये थे। जब तक इस क्षेत्र के दोनों ओर के प्रदेश एक ही शासक के अधीन रहे तब समस्या सिकुड़ कर केवल इतनी ही रह गई कि आवागमन के मार्गों को सुरक्षित रखा जावे तथा कबाइलियों को सन्तुष्ट और नियन्त्रित रखा जावे। परन्तु जब इस सीमा अथवा क्षेत्र के दोनों ओर दो विभिन्न राजनीतिक शक्तियां उभर कर आईं, तब दोनों ओर के शासकों की विदेश-नीति को सीमा-नीति ने काफी प्रभावित किया। सीमा के विलकुल निकट एक आक्रामक और शक्तिशाली राज्य की स्थापना खतरे की घन्टी थी और उसका समाधान निकालना अत्यन्त आवश्यक था। समस्या के इसी पहलू ने महमूद गजनवी को पंजाब पर

अधिकार करने के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात् इसी आधार पर मुहम्मद गोरी ने गजनवियों की पंजाब से निकाल बाहर करने की नीति को अपना कर उस प्रदेश को अपने प्रभाव-क्षेत्र में लाने के लिए बाध्य किया।

दिल्ली सल्तनत के लिए उत्तर-पश्चिम सीमा की समस्या मुहम्मद गोरी को मृत्यु के बाद उठ खड़ी हुई, जब गोर का राज्य तितर-बितर हो गया और भारत में एक स्वतन्त्र तुर्की राज्य की स्थापना हुई। ख्वारिज्म-शासक ने गजनी को हस्तगत करके अपनी सीमायें सिन्धु नदी तक बढ़ा लीं। ख्वारिज्म-शासकों की ये कार्यवाही (जो मंगोलों के चंगेजखा के नेतृत्व में बढ़ने के कारण पैदा हुई) नव-स्थापित दिल्ली साम्राज्य के लिये एक महान् सफट थी। इससे न केवल मंगोल भारत की सीमाओं तक आ गये अपितु उनकी गतिविधियों ने तुर्कों को अपनी मातृभूमि में बिल्कुल अलग-थलग कर दिया। उनके लिए यह समस्या खड़ी हो गई कि यदि वे भारतीयों के द्वारा कददेह दिये गये तो उनके लिए अपनी मातृभूमि तक पहुँचना भी नितान्त असम्भव हो जायेगा। इसलिये वे अधिक सतर्क हो गये और मंगोलों के सम्भावित आक्रमण से सल्तनत की रक्षा के लिए तत्पर हुये। श्लुतमिष में लेकर मुहम्मद बिन तुगलक तक सभी मुन्तानों ने उत्तर-पश्चिमी सीमान्त समस्या के समाधान हेतु मैनिक्वादी नीति को अपनाया क्योंकि इसके अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा चारा न था। मंगोलों को खू खार प्रवृत्ति ने समस्या को और अधिक गम्भीर बना दिया।

मंगोल—मंगोल आनतायी भयकर रूप से बर्बर थे। हाषयें ने उनका वर्णन करते हुये लिखा है कि, "कृतुलखा के कण्ठ-स्वर की समानता पर्वतों में होने वाले वज्रनिर्घोष से की जाती है, उसके हाथ मानु के पंजों के समान थे और उनमें वह बाण की भाँति किसी भी आदमी के दो टुकड़े सरलता में कर सकता था। जाड़े के दिनों में वह विशाल सट्टी के पास नग्न सीता रहता था और प्रायः स निकले स्फुटियों की सनिक भी चिन्ता नहीं करता था। जागने पर प्रायः स पडे हुये दागों को कीड़ों का काटा हुआ समझता था। वह प्रतिदिन एक मेढ खाता था और प्रचुर मात्रा में 'कूमी' (घोड़ी का पकाया हुआ दूध) पीता था। मंगोलों की दृष्टि में मनुष्य के प्राणों का कुछ भी महत्व न था, अपने बच्चों की उन्हें कुछ भी चिन्ता नहीं रहती थी और अपनी पवित्रतम प्रतिज्ञाओं को भी वे निस्सकोच भंग कर देते थे तथा क्रुद्ध किये जाने पर अथवा प्रकृतिस्थ होने पर भी वे नृशंस प्रत्याचार करने में नहीं चूकते थे।" अमीर खुमरो ने भी मंगोलों का वर्णन करते हुए लिखा है कि, "ये निरन्तर 40 घण्टे तक घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा कर सकते थे। इनका शरीर काला और बदन पर सिर इस प्रकार से रखा था जैसे गर्दन ही न हो। इनकी आँखें अत्यधिक पैनी थीं और ऐसा लगता था कि वे तावे के घडे को बाँध देगी।" ऐसी बर्बर जानि से लोहा लेना आसान नहीं था। चंगेजखा इन्ही बर्बर मंगोलों में से एक

था जिसने गोबी के रेगिस्तान तथा एशिया के घास के मैदान की बर्बर जातियों को अपने नेतृत्व में संगठित कर विद्युत् वेग से मध्य तथा पश्चिम एशिया के देशों को रौंद डाला ।

इल्बरी सुल्तान व उत्तर-पश्चिमी सीमा नीति—मंगोल आक्रमणों की समस्या सल्तनत के लिये चंगेजखां के उत्थान से शुरू होती है । ख्वारिज्म के युवराज जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुये मंगोल चंगेजखां के नेतृत्व में सिन्धु नदी के तट तक आ गये । जलालुद्दीन सिन्धु नदी को पार कर सिन्ध-सागर दोआब में आ गया परन्तु चंगेज ने दूसरे तट पर रहते हुये खुलिज्यों के ईगराकी कबीले के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की क्योंकि उन्होंने जलालुद्दीन को उसके विरुद्ध सहायता दी थी । जलालुद्दीन ने यहां से अपना एक दूत भेजकर सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता की याचना की । इल्तुतमिश की स्थिति बड़ी ही दुविधापूर्ण थी । यदि वह मुस्लिम युवराज की प्रार्थना को ठुकरा देता है तो मुसलमान होने के नाते उसके लिये यह शोभनीय होगा, और यदि वह उसे शरण देना है तो चंगेजखां नव-स्थापित तुर्की राज्य को तहस-नहस कर देगा । इल्तुतमिश ने चंगेजखां से शत्रुता भोल लेना उचित नहीं समझा । उसने दूत का बच करवा दिया और मंगवर्नी के पास दिल्ली की जलवायु की अनुपयुक्तता का उत्तर भेज उसे भारत से जाने के लिये विनम्र संदेश भेजा ।

इल्तुतमिश से सहायता प्राप्त करने में असफल होने पर जलालुद्दीन मकीह-लाह की पहाड़ियों की ओर मुड़ा और वहाँ से अपने विश्वासपात्र सेनापति के साथ सेना की छोटी सी टुकड़ी खोखरों पर आक्रमण करने के लिये भेजी । खोखरों के नेता राय संजीन ने उसके सामने आत्मसमर्पण किया तथा अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया । अपने पुत्र के साथ उसने एक छोटी सी टुकड़ी जलालुद्दीन की सहायता के लिये भेजी । तत्पश्चात् जलालुद्दीन ने तासिद्दीन कुवाचा पर आक्रमण किया और उसे मुल्तान के दुर्ग में खदेड़ दिया । उसने पंजाब और सिन्ध पर अपना प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा की और इस प्रकार कुवाचा की शक्ति को काफी क्षति पहुंचाई । उसी समय उसे यह सूचना मिली कि खुरासान में उसके समर्थकों की संख्या बढ़ रही है, वह 1224 ई. में सिन्धु पार कर स्वदेश लौट गया और कुछ ही समय बाद उसकी हत्या कर दी गई । जलालुद्दीन के पश्चिमी पंजाब में रहने के डा. यू. एन. डे के अनुसार दो स्पष्ट प्रभाव पड़े—इसने कुवाचा की शक्ति को कुचल दिया जिससे इल्तुतमिश को उसे पराजित करना सरल हो गया तथा इसने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को विदेशी आक्रमणों के प्रति उजागर कर दिया । डा. डे ने लिखा¹ है कि, "इल्तुतमिश की मृत्यु के समय उत्तर-पश्चिमी सीमा की स्थिति उसके गद्दी प्राप्त करने के समय से किसी प्रकार भिन्न नहीं थी । कुवाचा के प्रदेशों पर

अधिकार करने के कारण दिल्ली सल्तनत की सीमाएँ मंगोलों के प्रदेश से जा टकराई जिन्होंने सिन्धु नदी के पश्चिमी तट पर अधिकार कर लिया था। इल्तुत-मिश के निबंदन उत्तराधिकारियों तथा दरबार के पदयन्त्रों के कारण स्थिति और अधिक खराब हो गई।”

इकनुद्दीन फीरोज शाह के शासन काल में सफ़ूद्दीन हुसैन कुलुंग ने उच्छ पर आक्रमण किया, परन्तु असफल रहा। मुल्ताना रजिया ने मंगोलों के प्रति अपने पिता की नीति अपनाई। उसने गजनी और बयाना के सूबेदार मलिक हुसैन कुलुंग को मंगोलों के विरुद्ध सहायता देने से इन्कार कर दिया, और इस प्रकार मंगोलों से दिल्ली सल्तनत को बचाये रखा। रजिया की मृत्यु के पश्चात् सम्भवतया मंगोलों और दिल्ली सल्तनत का व्यावहारिक सम्बन्ध समाप्त हो गया तथा मंगोलों ने सिन्धु नदी को पार कर पंजाब में प्रवेश किया। 1241 ई. में हिरयान, गोर, गजनी व तुर्किस्तान का मंगोलों का नेता बहादुर लाहर लाहौर तक पहुँच गया। लाहौर का पबनर मलिक इखतियारुद्दीन उसका सामना करने में स्वयं को असमर्थ पाकर दिल्ली की ओर भागा। मंगोलों ने लाहौर को लूटा और ध्वस्त किया। परन्तु मंगोलों ने शीघ्र ही लाहौर को वापसी कर दिया और उसके बाद खोखरो ने उसे जी मरकर लूटा। यद्यपि कुराकशखा ने खोखरो को खदेड़ दिया परन्तु वह लाहौर के र्बभव को पुनः स्थापित करने में असफल रहा।

अलाउद्दीन मसूदशाह के शासन काल में लाहौर के इत्ता की पुनः व्यवस्था की गई और इल्तियारुद्दीन उजबक-ए-तुगरिलता के नेतृत्व में इसे रखा गया। इस प्रकार लाहौर दिल्ली सल्तनत की सीमा-बन्धी बन गया। दिल्ली सल्तनत की सीमाएँ सिकुड़ कर रावी नदी के तट तक ही रह गईं और सिन्धु में भी उन्हें ऐसे ही अपमान को सहना पड़ा।

1245 ई. में मंगोलों ने मगूनह के नेतृत्व में उच्छ पर आक्रमण किया। उच्छ के नागरिकों ने दिल्ली सुल्तान से सहायता की याचना की जिसके फलस्वरूप उज्जयिनी को मंगोलों के विरुद्ध भेजा गया। उसने उच्छ से मंगोलों को खदेड़ कर सिन्धु में पुनः सुल्तान की मत्ता की स्थापना की। उज्जयिनी ने उच्छ और सुल्तान में शासन को व्यवस्थित कर उज्ज के क्राइलियो के विरुद्ध कूच किया, परन्तु इसी समय दिल्ली में सुल्तान मसूदशाह को अपदस्थ कर दिया गया था इसलिए वह शीघ्रता से दिल्ली लौट गया।

1246 ई. में पुनः मंगोलों ने आक्रमण किया और इस बार उन्हें 30,000 दिरहाम देकर वापिस लौटा दिया गया। 1247 ई. में मुल्तान बहादुर के नेतृत्व में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया और मुल्तान को लूटकर उहाँने लाहौर पर भी घावा बोला। लाहौर को लूटने के बाद वे वापस चले गये।

इस समय बलबन सुल्तान नामिद्दीन के नाइब के रूप में कार्य कर रहा था। उसने मंगोलों के साथ मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया। उसने

हसन कुलुंग की पौत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह करने का प्रयत्न किया और जमालुद्दीन खल्जी को इस हेतु भेजा। जमालुद्दीन का हलाकू ने यथोचित सम्मान किया और 1260 ई. में अपना एक प्रतिनिधि दिल्ली भेजा। इन प्रतिनिधियों के आदान-प्रदान ने सौहार्द्रपूर्ण वातावरण पैदा किया और यदि मिनहाज¹ की बात बात को स्वीकार किया जावे तो हलाकू ने अपने अधिकारियों को दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का आदर करने के लिये आदेश दिये।

जब बलबन स्वयं सुल्तान (1265 ई.) बना तो उसने उत्तर-पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिये कुछ ठोस कदम उठाये। इसका कारण था कि मिन्न में हलाकू की पराजय ने मंगोलों की शक्ति यद्यपि क्षीण कर दी थी, परन्तु वे अलग-अलग गुटों में बंट गये थे और किसी भी समय पुनः तथाकथित आशा के विरुद्ध दिल्ली की सीमाओं पर आक्रमण कर सकते थे।

सुल्तान ने आरम्भ में अपने चचेरे भाई शेरखां को सीमा की सुरक्षा के लिये नियुक्त किया। प्रो. हवीबुल्ला ने शेरखां को एक महान् योद्धा बताया है, परन्तु प्रो. निजामी का कहना है कि मिनहाज ने किसी भी ऐसे युद्ध का वर्णन नहीं किया है जिसके आधार पर यह स्वीकार किया जा सके कि शेरखां ने मंगोलों के विरुद्ध कोई सफलता प्राप्त की थी। इसके साथ ही साथ उसकी बफादारी सन्देहजनक थी जिसके कारण बलबन ने उसका बंध करवा दिया।

शेरखां की मृत्यु के बाद लगभग 1271-72 ई. में बलबन ने समस्त सीमा को दो भागों में बाँटा—पंजाब सीमा तथा सिन्ध-मुल्तान सीमा। मुल्तान सीमा जिसमें लाहौर, मुल्तान व दीपालपुर के क्षेत्र थे शहजादा मुहम्मद के नेतृत्व में रहे गये तथा सुर्नम, समाना और उख्ख का क्षेत्र शहजादा बुगराखां को सौंपा गया। प्रत्येक शहजादे के साथ 18 हजार घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना रखी गई। व्याप्त नई दिल्ली सल्तनत की सीमा रह गई। यद्यपि मंगोलों ने अनेक आक्रमण किये परन्तु शाही सेना ने उन्हें प्रत्येक बार पराजित कर वापिस लौटने के लिये बाध्य किया। बलबन ने इस सीमा की रक्षा के लिये अनेक नये दुर्गों का निर्माण कराया तथा पुराने दुर्गों की मरम्मत के लिये आदेश दिये। 1286 ई. तक शहजादा मुहम्मद ने मंगोलों का सफलता से सामना किया, परन्तु इसी वर्ष मंगोलों द्वारा अचानक धिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात् कंकुवाद को सीमारक्षक नियुक्त किया गया। कंकुवाद योग्य न था परन्तु फिर भी उसने दो बार मंगोलों का सामना किया और मंगोल लूट-मार करके वापिस लौट गये। बलबन के अन्तिम समय में जलालुद्दीन खल्जी को सीमारक्षक का पद दिया गया था, जो मंगोलों के साधारण आक्रमणों को रोकने में समर्थ रहा।

इस प्रकार इल्बरी तुर्कों के समय में (केवल इल्तुतमिश के राज्य-काल को छोड़कर) उत्तर-पश्चिमी सीमा रावी और व्यास नदी के बीच ही बनी रही। व्यास नदी सुल्तानों के प्रभाव-क्षेत्र में थी परन्तु रावी नदी उनके प्रभाव क्षेत्र से भ्रसंग ही रही। जब कभी मंगोलों ने व्यास नदी को पार करने का प्रयास किया तभी शाही सेनाओं ने उन्हें खदेड़ दिया। परन्तु इसके साथ ही सुल्तान की सेनाओं ने भी कभी मंगोलों का पीछा करते हुये रावी नदी को पार करने की कोशिश नहीं की।

इल्बरी तुर्क उत्तर पश्चिम में कोई प्राकृतिक सीमा को निश्चित नहीं कर पाय जहाँ से वे आक्रमणकारी को खदेड़ सकें। पश्चिमी पंजाब या तो मंगोलों के प्रभाव क्षेत्र में था अथवा वह तटस्थ प्रदेश माना जाता था। प्राकृतिक सीमा न होने के कारण ही इल्बरी तुर्क मंगोलों की धुसपेठ को न रोक सके और इसीलिये मंगोल कभी-कभी दिल्ली की सीमाएँ तक पहुँच जाते थे।

सल्जी सुल्तान व उत्तर-पश्चिमी सीमा नीति—सुल्तान बनने के पहले जलालुद्दीन खल्जी ने मंगोलों के विरुद्ध अपने सैनिक गुणों का परिचय दिया था। परन्तु सुल्तान बनने के बाद उसने उत्तरी पश्चिमी नीति के बारे में अपने पूर्वजा की ही नीति को अपनाया। सुल्तान और अहमद के बीच हुये वार्तालाप से यह स्पष्ट है कि उसके समय में दिल्ली सल्तनत की सीमा सुल्तान थी जो इल्बारियों की भी सीमा रही थी।

सुल्तान बनने पर उसने आक्रमणकारियों के प्रति शान्ति और मित्रता की नीति अपनाई तथा सीमा सुरक्षा के महत्व को भुला दिया।

1292 ई. में हलाकूखा के एक पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने एक बड़ी सेना के साथ पंजाब पर आक्रमण किया। स्वयं जलालुद्दीन उसका मुकाबला करने के लिये सिन्धु नदी के तट तक गया। बरनी लिखता है कि दोनों सेनाओं के बीच झड़पें हुईं। उसके अनुसार सुल्तान इन झड़पों में विजयी रहा, परन्तु मंगोलों और सुल्तान के बीच जो सन्धि हुई उससे बरनी के विवरण में शक होती है। जलालुद्दीन ने अब्दुल्ला को अपना पुत्र सम्बोधित किया और मंगोलों को भारत में बसने की आज्ञा दे दी। चंगेजखा के एक वंशज उलगू ने अपने 4,000 समर्थकों के साथ भारत में रहने का निश्चय किया और उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। बरनी के अनुसार सुल्तान ने अपनी एक लड़की का विवाह उलगूखा के साथ कर दिया।¹

सुल्तान जलालुद्दीन खल्जी के समय में भारत पर मंगोलों के भीषणतम आक्रमण हुये। भारत की सीमाओं की अस्थिर राजनीतिक स्थिति इनके लिये उत्तर दायी थी। चंगेजखा की मृत्यु के पश्चात् उसके साम्राज्य का बंटवारा हो गया था

1 बरनी, पृ. 219 (श. के द्वारा उद्धृत)

और आपसी युद्धों के कारण मंगोलों की शक्ति पहले की तुलना में क्षीण हो गयी थी परन्तु फिर भी मंगोल एशिया में एक बड़ी शक्ति थे। गजनी और काबुल उनके अधिकार में था जहाँ से वे आसानी से भारत पर आक्रमण कर सकते थे। इस समय में मंगोलों ने भारत पर विजय करने अथवा बदला लेने की भावना से आक्रमण किये थे।

मंगोलों का पहला आक्रमण 1296 ई. में कादरखां के नेतृत्व में हुआ। इस समय उसके नेतृत्व में लगभग एक लाख मंगोल थे। सिन्धु नदी को पार कर वह तेजी के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। उलूगखां व जफरखां के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने मंगोलों को जलन्धर के पास पराजित किया। लगभग 20,000 मंगोल युद्ध में मारे गये तथा अनेक पदाधिकारी, सैनिक आदि पकड़कर दिल्ली भेज दिये गये।

अलाउद्दीन के समय में मंगोलों का दूसरा आक्रमण 1299 ई. में हुआ जब कि उलूगखां व तसरतखां गुजरात की ओर गये हुये थे। सालदी सिन्ध के उत्तरी-पश्चिमी भाग तक पहुँच गया तथा सिबिस्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जफरखां ने उन्हें पराजित कर उनके नेता को बन्दी बना लिया।

इसी वर्ष (1299 ई.) ट्रांस-आक्सियाना के मंगोल शासक दवा ने अपने पुत्र कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में दो लाख मंगोलों की सेना को सलदी की पराजय का बदला लेने के लिये भारत पर आक्रमण करने के लिये भेजा। अलाउद्दीन इस समय विश्व-विजय की योजना तथा नये धर्म को चलाने के विचारों में इतना डूबा हुआ था कि मंगोलों के आने की उसे कोई जानकारी ही न हो सकी। मंगोल कीली तक पहुँच गये। स्थिति कितनी दयनीय थी इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कोतवान ने अलाउद्दीन को सलाह दी कि मंगोलों को घूस देकर वापिस लौटा दिया जावे। परन्तु अलाउद्दीन ने इसे अस्वीकार कर युद्ध करने की नीति अपनाई। कीली के मैदान में युद्ध हुआ। मंगोल जफरखां के शौर्य से बहुत प्रभावित हुये। जफरखां युद्ध में मारा गया परन्तु मंगोल पहले दिन के युद्ध से ही इतने भयभीत हो गये कि रात्रि को वे 30 कोस लौट गये और तत्पश्चात् भारत से चले गये। मंगोलों का चौथा आक्रमण उस समय हुआ, जब सुल्तान वित्तीह के युद्ध से वापिस लौटा ही था और उसकी एक बड़ी सेना वारंगल पर आक्रमण करने के लिये गई हुई थी। मंगोल नेता तार्गी ने 1,20,000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली को घेर लिया। घेरा इतना कठोर था कि वारंगल से लौटती हुई सेना इस घेरे को तोड़ने में असमर्थ रही। समाना, सुनम, दीपालपुर और मुल्तान की सेनायें भी अलाउद्दीन को कोई सहायता न पहुँचा सकीं। यदि तार्गी थोड़े दिन घेरे को और चलाता तो सम्भवतः दिल्ली में हाहाकार मच जाता।¹ परन्तु मंगोल खुले मैदान में

लढने के आदी ये और घेरे को अधिक समय तक चलाना उनके लिये सम्भव न था । फलस्वरूप दो गद्दीने के घेरे के पश्चात् मंगोलों ने दिल्ली और उसके निकटवर्ती प्रदेशों को लूटा और वापिस चले गये । इस आक्रमण ने सुल्तान को सचेत कर दिया । उसने सीरी के किले को दब किया, उसी को अपनी राजधानी बनाया तथा दिल्ली के किले की मरम्मत करवाई । उत्तर-पश्चिमी सीमा पर पुराने किले की मरम्मत करायी तथा उनमें मज्जिनिक आदि रखी । दीपालपुर और समाना में पृथक सेना रखी और उनके लिये पृथक् सूबेदार नियुक्त किये । मंगोलों के रास्ते में पडने वाले इस्लामों में अनुभवों व विश्वासपात्र अमीरों को नियुक्त किया जिनके अधीन रखायी सेना रखी गयी ।

ये कार्यवाही पूरी भी न हो पाई थी कि मंगोलों ने 1304 ई में अनी बेग और तार्ताक के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया । तार्ताक भी इसमें सम्मिलित था । सीमा के किलों को छोड़कर मंगोल अमरोहा तक आ गये । मलिक काफूर और गाजी मलिक ने उन्हें घासानी से रोक कर वापिस भागने पर मजबूर किया । भागती हुई सेना पर जबरदस्त आक्रमण किया गया और उनके नेता अली बेग व तार्ताक को बन्दी बना लिया गया । उन दोनों के सिरों को काटकर सीरी के किले की दीवार में चुनवा दिया गया ।

1306 ई में अनी बेग और तार्ताक की मृत्यु का बदला लेने के लिये मंगोलों ने कनक के नेतृत्व में आक्रमण किया । मलिक काफूर और गाजी ने मंगोलों का सामना किया और उनको पराजित किया । कनक को बन्दी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया । 1307 ई में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया परन्तु वे पराजित हुये और काफी बड़ी मर्दा में मंगोलों को बन्दी बना लिया गया । इसी समय गाजी मलिक को सीमारक्षक बनाया गया ।

1307-08 ई. में मंगोलों ने इकबालमन्द के नेतृत्व में आक्रमण किया । मंगोल पराजित हुये और अनेक मंगोल, स्त्रिया तथा बच्चे बन्दी बनाकर दिल्ली भेज दिये गये । दिल्ली में पुरुषों की हत्या कर दी गई तथा स्त्रियों तथा बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया । अलाउद्दीन के समय में यह मंगोलों का अन्तिम आक्रमण था । गाजी मलिक दीपालपुर और लाहौर की दिशा में मंगोलों को रोकने में सफल रहा ।

इस प्रकार मतलत्र, ब्याम व रावी नदियाँ सल्जो अधिकार में रही । रावी के दूमेरे तट का प्रदेश खलजियों के प्रभाव-क्षेत्र के बाहर था । मंगोलों को रोकने के लिये दीपालपुर, समाना, सुनम व लाहौर महत्वपूर्ण सीमा चौकिया थी । अरबी के अनुसार सीमारक्षक मलिक गाजी प्रत्येक सर्दी के मौसम में काबुल, गजनी और बन्धार तक छापे मारता था और मंगोलों के क्षेत्र में लूटमार करता था तथा कर भी बसूल करता था । मंगोलों की आक्रमणकारी शक्ति काफी नष्ट हो चुकी थी ।

तुगलक सुल्तान व उत्तर-पश्चिम सीमा-नीति—अलाउद्दीन सल्जो के बाद मंगोलों के आक्रमण कम हो गये । गयामुद्दीन तुगलक के समय में मंगोलों ने एक

आक्रमण किया। समाना के हाकिम गुर्शास्य ने सहायता की प्रार्थना की और दिल्ली से भेजी गई सेना ने मंगोलों को न केवल सीमाओं से खदेड़ दिया अपितु भारी संख्या में उन्हें बन्दी भी बनाया। मुहम्मद तुगलक के समय में 1327 ई. में मंगोलों ने तार्माशीरीन के नेतृत्व में आक्रमण किया और मुल्तान तथा लाहौर से लेकर दिल्ली तक के प्रदेश में लूटमार की। इत्तामी के अनुसार मंगोलों को मेरठ के निकट पराजित कर वापिस भेज दिया गया, परन्तु फरिश्ता के अनुसार मंगोलों को बहुमूल्य नेंट देकर वापिस किया गया था।

प्रो. निजामी के अनुसार मंगोलों का यह अन्तिम आक्रमण था। फीरोज तुगलक का शासन-काल मंगोलों के आक्रमणों से मुक्त रहा। इस समय तक मध्य-एशिया में मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और उनके नेता तिमूर ने वहाँ एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर मंगोल-प्रभाव को नष्ट कर दिया था। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में दिल्ली सल्तनत की अत्यन्त दुर्बल स्थिति होने के बाद भी मंगोल उसके लिये कोई खतरा उत्पन्न न कर सके।

मंगोल आक्रमणों के प्रभाव

मंगोल आक्रमणों ने अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली की राजनीति को प्रभावित किया। मंगोल एक बर्बर जाति थी और क्योंकि वे शक्ति के आघार पर दिल्ली सल्तनत में लूटमार करने और बाद के समय में अपना राज्य स्थापित करने के स्वप्न देखने लगे थे, इसलिये आवश्यक था कि उनकी शक्ति का मुकाबला शक्ति से किया जावे। फलस्वरूप इस्तुतमिश से लेकर मुहम्मद तुगलक तक सुल्तानों ने सैनिक शक्ति को बढ़ाने का हर सम्भव प्रयत्न किया।

इस सैनिक शक्ति में बढ़ोतरी के कारण राज्य का स्वरूप ही सैनिक हो गया और सुल्तानों ने केवल आक्रमणकारी से रक्षा के उत्तरदायित्व के अतिरिक्त अपने दूसरे उत्तरदायित्वों को भुला दिया। राज्य से यह अपेक्षित था कि वो 'लोक कल्याणकारी कार्यों' की ओर ध्यान देगा परन्तु ऐसा न हो सका। सल्तनतकालीन प्रशासन का स्वरूप सैनिक ही बना रहा।

सैनिक व्यय की पूर्ति के लिये राजस्व के साधनों को ढूँढ निकालना जल्द ही था और इसीलिये जैसे-जैसे मंगोलों के आक्रमणों की गति और शक्ति बढ़ती गई वैसे-वैसे राजस्व के नये साधनों को ढूँढ निकालने की गति में भी तेजी आई। अलाउद्दीन के समय राजस्व की बढ़ोतरी, बढ़ते हुये सैनिक-व्यय को पूरा करने की दिशा में एक कदम था। यह ठीक है कि अलाउद्दीन ने केवल मंगोलों के आक्रमणों को सफलता से रोकने के लिये ही राजस्व में बढ़ोतरी नहीं की थी, परन्तु यह भी ठीक है कि बढ़ोतरी में मंगोलों के आक्रमण भी महत्वपूर्ण कारण थे।

उत्तर-पश्चिमी समस्या के कारण अधिकतर सुल्तान विस्तारवादी नीति का अनुसरण नहीं कर सके। बलबन इन मंगोल आक्रमणों के भय से ही दिल्ली के

बाहर नहीं जा सका अन्यथा सल्तनत के विस्तार में वह अलाउद्दीन से किसी प्रकार पीछे न था। अलाउद्दीन खल्जी ने बलबन की वैज्ञानिक सीमा-नीति का लाभ उठाकर न केवल मंगोलों से टक्कर ली अपितु साम्राज्यवादी नीति को भी जमकर कार्यान्वित किया। मुहम्मद तुगलक ने भी अलाउद्दीन की नीति को अपनाना चाहा, परन्तु वह सफल न हो सका। इस असफलता में निश्चित ही मंगोलों का भय कम और उसकी चारित्रिक कमियों का योगदान अधिक था।

इस प्रकार सल्तनत युग के अधिकतर भाग में मंगोल-साम्राज्यों ने सुल्तानों को बड़ी ही दुविधा में रखा। सल्तनत का यह सीमाग्रह रहा कि मंगोलों की गति-विधियाँ मात्र लूट-मार तक ही सीमित रही और वे सल्तनत के किमी प्रदेश पर स्थायी रूप से अधिकार करने में असफल रहे।

केन्द्रीय प्रशासन का विकास

1192 ई. में मुहम्मद गेरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक कहा जा सकता है, क्योंकि इससे भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना सुनिश्चित हो गयी। परन्तु विजय को स्थायी बनाने के लिये एक व्यवस्थित शासन की भी आवश्यकता थी और भारत की तात्कालीन परिस्थिति में इसकी मांग और अधिक अनुभव की जाने लगी थी। तुर्कों द्वारा दिल्ली-सल्तनत की स्थापना एक ऐसे देश में की गयी थी जिसकी संस्कृति, शासन-तन्त्र और शासन की अनेकों समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण यहाँ की मान्यताओं से बिल्कुल भिन्न था और इसलिए एक उचित प्रशासन की स्थापना और भी अधिक आवश्यक हो गई थी। समस्या का समाधान यहीं पर नहीं था अपितु उन्हें एक ऐसे देश में शासन की व्यवस्था करनी थी जो उनके लिये सर्वथा नया था। यदि ऐसे समय में एक ऐसे देश में प्रशासन स्थापित करने का प्रश्न होता जो पूर्ण-रूप से इस्लामी मान्यताओं पर आधारित हो तो सम्भवतः उनको प्रशासन में कोई कठिनाई नहीं होती, परन्तु यहाँ तो ऐसा नहीं था। अतः अब इस क्षेत्र में उनके पास केवल दो ही विकल्प थे— राजपूतों के आदर्शों अथवा स्वयं की परम्परागत मान्यताओं के आधार पर प्रशासन की व्यवस्था करना।

यदि वे जल्दी में न होते तो सम्भवतः पूर्व-व्यवस्था में समयानुकूल रद्दीबदल कर लागू कर सकते थे। परन्तु क्योंकि वे नये थे, यहाँ की शासन-व्यवस्था से अपरिचित थे और साथ ही उन्हें इस प्रशासन के आदर्शों पर आधारित प्रशासन-तन्त्र को स्थापित करने में समय लगता, इसलिए उन्होंने इस्लाम पर आधारित प्रशासन-व्यवस्था को लागू करना ही अधिक उचित और उपयुक्त समझा।

इस्लामी मान्यताओं के आधार पर प्रशासन करने के विकल्प को चुनने के बाद समस्या का पूर्ण समाधान न हो सका। यह अनुभव किया जा रहा था कि पैगम्बर अथवा उसके तात्कालीन उत्तराधिकारियों के आदर्श पर चलकर शान्ति व व्यवस्था बनाये रखना सम्भव नहीं था। इसके विरोध में ईरान के सम्राटों के आधार पर शासन को व्यवस्थित कर जन-साधारण को सुल्तान की आज्ञाओं के अनुसार चलाना अधिक सरल दीखता था। इस आधार पर स्थिति अत्यधिक दुर्बिधापूर्ण थी,

क्योंकि यदि उन्होंने पंगम्बर की परम्पराओं का पालन किया तो राजतन्त्र और शासन-व्यवस्था को एक साथ मिलाना सम्भव न होना। इसके विपरीत ईरानी मन्नाटो के आदर्शों पर शासन को व्यवस्थित किया तो यह पंगम्बर विरोधी होता। इस्लामी देशों के शासकों ने इन दो विकल्पों में से ईरानी आदर्शों को ही चुना। इस तरह वे स्वयं की शक्ति की स्थापना के प्रति भी निश्चिन्त हो गये। इस्लाम में इस तरह राजतन्त्र अथवा राजपद के विचार का समावेश हो गया जो कि पंगम्बर के आदर्शों के विरोध में था। सुल्तान इसी का अंग बन गया।

सुल्तान

भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के पश्चात् शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण की जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर द्वारा 'बादशाह' की उपाधि धारण करने तक चलती रही। सुल्तान की उपाधि बड़ी ही अस्पष्ट थी और समय-समय पर इसका अनेकों अर्थों में प्रयोग किया जाता रहा था। कुरान में इसका प्रयोग केवल भाववाचक रूप में किया गया है जो शक्ति अथवा सत्ता की परिचायक है।¹ परन्तु प्रथम हिजरी शताब्दी के अन्त तक इसका प्रयोग प्रान्त के गवर्नर के रूप में किया जाने लगा था। धीरे-धीरे यह शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा जिनको खलीफा की ओर से शासन का अधिकार सौंपा गया हो। खिजाफत के विघटन के साथ जिन विभिन्न प्रान्तों के शासकों ने स्वयं को स्वतन्त्र घोषित कर दिया, उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। भारत में महमूद गजनवी के समय से ही इस उपाधि का उपयोग स्वतन्त्र शासक के लिए किया जाने लगा था। परन्तु केवल उपाधि धारण करने में समस्या का हल सम्भव नहीं था। सुल्तान की स्थिति सुरक्षित न थी। उसे अमीरों की वैमनस्यता के कारण अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

यदि अमीरों ने कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के समय कोई नई कठिनाई खड़ी न करी तो इसका एकमात्र कारण था कि सुल्तान स्वयं को योग्य नेता प्रमाणित करने में सफल रहे और अमीरों ने उनके साथ सहयोग करने में ही अपने स्वार्थों को सुरक्षित पाया।

सुल्तान की कठिनाइयाँ

इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात् अमीरों ने कठपुतली-शासक बनाने का प्रयास किया, क्योंकि वे यह सहन नहीं कर सकते थे कि उनमें से एक सुल्तान के पद को मुशोभित करे। इब्नजहीन ने जब प्रभुसत्ता के विन्ह धारण करना आरम्भ किये तो अमीरों ने इसका दुश्तापूर्वक प्रतिवाद किया और उसे अपने दावे का परित्याग करना पड़ा। हा त्रिपाठी का यह मत कि इल्तुतमिश के राजघराने में ताज और अमीरों

के बीच सत्ता हथियाने का संघर्ष ही प्रमुख वैधानिक आकषण है अधिक युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक रूप में इस समय तक ताज ने अमीरों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वे आपस में ही अपने स्वार्थों को सुरक्षित रखने हेतु संघर्षरत थे। बलबन के मन्त्रपद के काल में इसका बोध हो चुका था और इसलिए उसने अपने व्यक्तिगत सम्मान को बनाने के लिए सुल्तान को पृष्ठभूमि में रखा। इस काल में उसने अमीरों की शक्ति कम कर अपने अनुयायियों का एक नया दल बनाया और जब वह स्वयं शक्तिशाली हो गया तो उसने प्रभुसत्ता को स्वयं धारण कर लिया। बलबन के द्वारा गद्दी हथियाने की इस नीति ने सल्तनत-काल में एक परम्परा स्थापित कर दी और एक नहीं अनेकों शासक इसी आधार पर प्रभुसत्ता के स्वामी बन बैठे।

विदेशी और देशी मुसलमानों के बीच बढ़ती हुई कटुता सुल्तानों की कठिनाइयों का दूसरा कारण थी।¹ इस्लाम भंगीकार करने के पश्चात् ये नये धर्मावलम्बी स्वयं को तुर्कों के समान ही समझते थे। परन्तु तुर्क इन्हें निम्न मानकर प्रशासन में इनके साथ कोई सम्बन्धारी करने को तत्पर न थे। इसलिए इन्होंने स्वयं को एक दल में संगठित किया। पहली बार यह दल इमामुद्दीन रायहान के नेतृत्व में उभरा जब उसके प्रभाव में आकर नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कुछ समय के लिये सत्ता से अलग कर दिया। परन्तु यह प्रभाव क्षणिक सिद्ध हुआ और शीघ्र ही इस आपातकाल में तुर्कों ने संगठित हो रायहान की शक्ति का अन्त कर दिया। अला-उद्दीन के समय में मलिक काफूर का असफल प्रयास भी इसी दिशा में एक प्रयास था। नासिरुद्दीन खुसरोशाह द्वारा तुर्कों अमीरों का दमन कर स्वयं प्रभुसत्ता धारण करने का प्रयास इसकी पराकाष्ठा थी।

सुल्तानों की तीसरी कठिनाई थी कि वे मध्य एशिया के किसी सम्मानित शासकीय-वंश से सम्बन्धित नहीं थे और इसलिये उनमें कोई वंशीय प्रतिष्ठा नहीं थी। तथाकथित गुलाम-वंश मुहम्मद गौरी की नौरशाही की उपज था, क्योंकि उसके अनेक गुलाम थे, इसलिये इस्तुतमिश को स्वाभाविक रूप से अपने सह-दासों के साथ किसी प्रकार का समझौता करना पड़ा। इसका अर्थ था कि ताज की पृष्ठ-भूमि में अमीरों की शक्ति को स्वीकार किया गया था। बलबन ने उनकी शक्ति का भट्टियामेट कर दिया, क्योंकि वह उनके अस्खडपन को सहन करने के लिए तत्पर नहीं था। वह अनुभव करता था कि सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए गुलामों की शक्ति का दमन करना आवश्यक था। अपने वंशानुगत अधिकार की निम्नता को समझकर ही उसने स्वयं को अफीसीयाव का वंशज बताया और ईरानी दरवार की साज-सज्जा व परिपाटियों को अपनाकर सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित

किया। जलालुद्दीन खल्जी के नेतृत्व में खल्जी राज्य की स्थापना ने उस समस्त प्रतिष्ठा को धो दिया। जलालुद्दीन स्वयं को अरिज में अधिक नहीं मानता था और यदि वह सुल्तान बनाया गया तो केवल इसलिये कि वह परिपक्व था तथा दसमत्त सेवाओं में उसका योगदान अधिक था। परन्तु जलालुद्दीन की उदार नीति ने खल्जी अमीरों को सचेत कर दिया और उन्होंने अनुभव किया कि सुल्तान की उदार नीति उनके अस्तित्व के लिए घातक होगी, इसलिये अमीरों ने अलाउद्दीन का पक्ष लिया। यदि वह तानाशाही राजतन्त्र की स्थापना करने में सफल हुआ तो इसका एवमात्र कारण था कि वह जनसमूह के सहयोग को, जो अमीरों के योद्ध से पिम रहा था, जीतने में समर्थ हुआ। अलाउद्दीन को स्वयं प्रतिशोधात्मक दण्ड का भागी होना पड़ा जब उसके परिवार के साथ भी मलिके काफूर तथा नासिरुद्दीन खुसरोखा ने ठीक वंसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपने चाचा व हितैषी जलालुद्दीन के साथ किया था। खल्जियों के पश्चात् तुगलक सत्ताखंड हुए। गियासुद्दीन तुगलक अपनी भोज-स्वित्ता तथा योग्यता के लिए अधिक मान्य था। सैयद और लोदी सुल्तान पूर्णतया अपने अमीरों के सहयोग पर निर्भर थे। लोदियों के काल में सुल्तान की स्थिति इतनी गिर चुकी थी कि अमीर स्वयं को राज्य व ताज का भागीदार मानने लगे।

सुल्तान के अधिकार तथा कर्तव्य

सुल्तान की स्थिति की इस विवेचना के परवात् उसके अधिकार और उत्तर-दायित्वों की विवेचना करना आवश्यक है। शासन के क्षेत्र में सुल्तान कार्यपालिका का अध्यक्ष, सर्वोच्च सेनाध्यक्ष, विधि-निर्माता व मुख्य न्यायाधीश था। राज्य की समस्त शक्तियाँ उसके हाथों में केन्द्रित थीं और वह सम्पूर्ण प्रजा का शासक ही नहीं अपितु मुस्लिम वर्ग का धार्मिक नेता भी था।

मुस्लिम विधिशास्त्रियों के अनुसार सुल्तान के निम्न कार्य थे—

- (1) इस्लाम की सुरक्षा करना;
- (2) प्रजाजनो के विवादों और मतभेदों को निपटाना,
- (3) इस्लाम के भू-प्रदेशों की रक्षा करना तथा यात्रियों के लिये यातायात के साधनों को सुरक्षित रखना;
- (4) फौजदारी कानूनों को लागू करना तथा उन्हें बनाये रखना,
- (5) मुस्लिम राज्य की सीमाओं को धाकमणकारियों के विरुद्ध दृढ़ बनाना,
- (6) क्राफियों के विरुद्ध जिहाद छेड़ना,
- (7) राज्यकारों को एकत्रित करना;
- (8) सार्वजनिक कोप से गुप्तों को भत्ता आदि देना;
- (9) ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जो उसे न्यायिक व सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने में सहयोग दें;
- (10) सार्वजनिक मामलों पर कड़ी निगरानी रखना और व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा लोगों की दशा की जानकारी रखना।

सुल्तान की इस अधिकार-सूची को देखकर सहज ही में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सुल्तान पूर्णतया स्वैच्छाचारी शासक था जिस पर कोई प्रतिबन्ध न था और जिसके आदेश ही कानून थे। प्रो. कुरैशी¹ ने ठीक ही लिखा है, "सुल्तान सार्वजनिक मामलों का नियन्त्रण करता है, अधिकारों की रक्षा करता है तथा दण्ड-विधान को लागू करता है। वह एक ऐसा ध्रुव-तारा है जिसके चारों ओर शासन चक्कर फाटता है। अपने राज्य में वह ईश्वरीय संरक्षक है, उसकी छाया उसके सेवकों पर व्याप्त है, क्योंकि वह निषिद्ध बातों पर रोक लगाता है। वह अत्याचारियों का उन्मूलन करता है और कार्यों अथवा भयग्रस्त लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है।" पर व्यावहारिक रूप में सुल्तान द्वारा इन समस्त अधिकारों का स्वैच्छापूर्वक उपयोग करना संदिग्ध है। उसके अधिकारों पर एक नहीं अनेक प्रकार के अंकुश थे, जिनके अन्तर्गत ही उसे कार्य करना पड़ता था। पूर्ण निरंकुशता या तो तानाशाह के स्वप्न अथवा बुद्धिहीन की कल्पना में ही सम्भव है। प्रत्येक राजनीतिक शक्ति प्रत्येक काल में स्वयं अपने अस्तित्व के लिए राज्य में विद्यमान शक्तिशाली तत्वों के सहयोग पर निर्भर करती है और दिल्ली-सल्तनत इस आधारभूत तत्व से किसी प्रकार भी अक्षुण्ण नहीं रह सकती थी।

सुल्तान के विधि-निर्माण सम्बन्धी अधिकार अत्यधिक सीमित थे। वह अपनी प्रजा के व्यक्तिगत व धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करता था। दोनों की ही अपनी विधि-व्यवस्थाएँ थीं जिनमें वे, अपने प्राणों के मूल्य पर भी, हस्तक्षेप स्वीकार करने को तत्पर न थे। सुल्तान इस क्षेत्र में अपनी असहाय स्थिति से अवगत थे और यद्यपि वे हिन्दुओं के कुछ रीति-रिवाजों के प्रति खिन्न थे, परन्तु फिर भी उनमें हस्तक्षेप करना अविवेकपूर्ण समझते थे। दण्डभाव के कारण वे शरा का भी निरादर नहीं कर सकते थे। वे अपने घर्मावल्म्वियों की निष्ठा पर वहाँ तक ही विश्वास कर सकते थे जहाँ तक कि वे शरा का पालन कर रहे हों। इन निर्यातों का उत्प्लंघन करने पर मुसलमान विद्रोही हो सकते थे और सुल्तान स्वयं एक सफल विद्रोह के परिणामों से भिन्न था। नासिरुद्दीन खुशरवशाह को केवल इसी आधार पर सिद्दासन से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि उसने अपने स्वैच्छाचारी व्यवहार से मुस्लिम जनमत को क्रुद्ध कर दिया था।

सैद्धान्तिक आधार पर यह विचार तर्क-संगत दिखते हैं परन्तु व्यावहारिक रूप में सुल्तानों ने हिन्दुओं के प्रति इस प्रकार की नीति नहीं अपनाई। उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर जीवन को दूभर बना दिया। हिन्दु पवित्र स्थानों को अपवित्र करना अथवा धर्म के नाम पर उन पर अधिकार करना, कर लगाना आदि सिद्धान्त के आधार पर किसी प्रकार न्यायोचित नहीं ठहराये जा सकते। इस सम्पूर्ण

युग में इस्लाम राजधर्म बना रहा और सुल्तान इसी धर्म की रक्षा और व्यवस्था के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानता रहा। कुछ आधुनिक प्रगतिशीलवादी इतिहासकार इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं, क्योंकि उनके अनुसार धर्मतन्त्र राज्य की व्यवस्था का मूलाधार एक अभिपित पुरोहित वर्ग का होना आवश्यक है जो निश्चित ही सन्तत-काल में विद्यमान नहीं था। ईसाई अथवा यहूदी राज्य में अभिपित पुरोहित वर्ग की उत्पत्ति धर्मतन्त्र के अन्तर्गत थी न कि राज्य इस धर्मतन्त्र द्वारा जन्मित था। इसी प्रकार यह कहना कि क्योंकि हिन्दू कानून, हिन्दू धर्म पर आधारित है इसलिए हिन्दू राज्य भी धर्म-तन्त्र था किसी प्रकार न्याय-शायत नहीं है, क्योंकि हिन्दू धर्म आदर्श और सम्भव के बीच एक साध्य है। यह ईश्वरीय प्रवचन की प्रेषणा मानवीय अनुभव पर आधारित था जो कि इस्लाम की मान्यताओं में दृढ़ता पर भी नहीं मिलता। इसके साथ ही यह तर्क करना कि शरा की श्रेष्ठता किमी भी राज्य को धर्म तन्त्र नहीं बनाती, भ्रमात्मक है।¹ सल्तनत के साम्प्रदायिक चरित्र पर डा. ए. एन. श्रीवास्तव के विचार अधिक सुलभ लगते हैं जब वे लिखते हैं कि, "सल्तनत हिन्दू धर्म जैसे धर्म किसी धर्म को मान्यता नहीं देती थी, जिसके अनुयायी राज्य की आबादी के बहुसंख्यक भग थे। राजवंश तथा शासक-वर्ग इस्लाम के अनुयायी थे और सैद्धान्तिक दृष्टि से राज्य के सभी साधन इस धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए थे। प्रत्येक मुस्लिम राज्य में इस्लाम के शास्त्रीय कानून ही सर्वोच्च होते हैं, व्यवहार-विधि उनके अधीन होती है और वास्तव में उसी में लीन हो जाती है। यद्यपि मुस्लिम उलेमा निदिष्ट तथा वशानुगत नहीं थे किन्तु उतने ही धर्मान्वय व पक्षपातपूर्ण थे जितने कि पुरोहित हो सकते हैं और वे सदैव कुरान के कानूनों को कार्यान्वित तथा मूर्ति-पूजा और इस्लामद्रोह का मूनीच्छेदन करने पर जोर दिया करते थे। दिल्ली सल्तनत में शासकों का आचरण भी कुरान के नियमों द्वारा नियन्त्रित होता था। देश की समस्त जनता को मुसलमान बनाना, देशी धर्मों का मूनीच्छेदन करना तथा जनता को मुहम्मद का धर्म प्रगीकार करने पर बाध्य कर दार-उल-इब्र (गैर-मुसलमानों का देश) को दार-उल-इस्लाम (मुसलमानों का देश) में परिवर्तित करना था।"²

यद्यपि डॉ. श्रीवास्तव के विचारों में अधिक सत्यता है परन्तु फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हिन्दुओं पर कुठाराघात करने पर भी सुरतानों के लिए यह पूर्णतया सम्भव नहीं था कि उनकी भावनाओं की पूर्ण उपेक्षा कर दें। ऐसी स्थिति में शासन चलाना नितान्त असम्भव हो जाता और क्योंकि वे हिन्दुओं का समर्थन प्राप्त करने में असमर्थ थे इसलिए कम से कम मुसलमानों का पूर्ण समर्थन

1 ए. एन. डे, पृ. 34

2 ए. एन. श्रीवास्तव, भारत का इतिहास, पृ. 231-32

प्राप्त करने के लिए उलेमाओं को अपना विश्वासपात्र बनाये रखने की नीति उन्होंने अपनाई।

शासन को निर्बाध रूप से चलाने के लिए शासितों का सहयोग भी अवाञ्छनीय था। शासन की शक्ति एक व्यक्ति में केन्द्रित होना केवल एक कानूनी मिथ्या है। यथेष्ट सहयोग की अनुपस्थिति में किसी भी शासक के द्वारा अपनी आज्ञाओं को जनता पर थोपना सम्भव नहीं हो सकता और दिल्ली के सुल्तान इस तथ्य से पूर्णतया परिचित थे। इसीलिए राज्य के लाभ के लिए उन्होंने विभिन्न वर्गों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया। वे ये जानते थे कि उनका अनुभव और तकनीकी ज्ञान राज्य की सेवाओं के लिए उपादेय था और इसलिए उनकी उपेक्षा करना सम्भव नहीं था। सुल्तानों को अमीरों के सक्रिय सहयोग पर भी निर्भर रहना पड़ता था और अमीर-वर्ग भी अपने हितों की रक्षा हेतु सुल्तानों के साथ सहयोग करने को तत्पर था। उलेमा-वर्ग का मुस्लिमों पर प्रभाव होने के कारण सुल्तान उनके सहयोग को प्राप्त करने के भी इच्छुक रहते थे। सुल्तान की शक्ति अथवा शक्ति-हीनता के अनुपात में ही यह निश्चय करना सम्भव था कि उलेमा-वर्ग शासन पर किस रूप में हावी होती है। ब्रह्मचर, अलाउद्दीन खल्जी, तासिकुद्दीन तुगलक शाह व मुहम्मद तुगलक जैसे शासक भी हुए जिन्होंने उलेमाओं को शासन की नीतियों को प्रभावित न करने दिया।

इसके अतिरिक्त राज्य के अनेकों विभागों में ऐसे कर्मचारी भी थे जिनके तकनीकी ज्ञान के आधार पर उनका सहयोग लेना आवश्यक था। सुल्तान पूरी तरह से कृपकों के प्रति उदासीनता की नीति भी नहीं अपना सकते थे। इनके अतिरिक्त राज्य की निर्णायक शक्ति मुस्लिम योद्धाओं में निहित थी जो सुल्तान को भारत में इस्लाम का संरक्षक मानकर उसकी महिमा को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए अपना रक्त बहाने को तत्पर थे। सुल्तानों के लिए इन सबकी उपेक्षा कर सफलतापूर्वक शासन चलाना सम्भव नहीं था। यही कारण था कि जहाँ अलाउद्दीन खल्जी की अतंकित योजनाएँ इनके सहयोग से सफल हुईं वहाँ मुहम्मद तुगलक की लर्क-संगत योजनाएँ इनके असहयोग के कारण फ़ियान्वित न की जा सकीं। वस्तुतः जनसाधारण का विद्वेष कभी भी अकारगर सिद्ध नहीं हुआ।

सुल्तानों को अनेक कारणों से अमीरों और सरदारों के सक्रिय समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता था। डा. कुरैशी का कहना है कि यूरोप में किसी भी सामन्त ने शाही शक्ति को इतना अंकुशित नहीं किया जितना कि भारत के अमीरों ने किया था।¹ मुस्लिम राज्य को एक अन्य देशीय राज्य के मध्य अपने अस्तित्व को बनाये रखना था जो कि धीरे-धीरे उनके नियन्त्रण के प्रति समादेय (सामंजस्य) होता जा रहा था। इस परिस्थिति में सुल्तान अपने शक्तिशाली अमीरों को नाराज कर स्वयं

के लिए आपत्तियों को आमंत्रित करने की तैयार नहीं था, और विशेषकर जब इन अमीरों के कबिले के अनुयायियों की सहायता अधिक थी और वे स्वयं एक नये राजवंश को स्थापित कर सकते थे। इसीलिए जब भी सुल्तान शक्तिशाली होता अमीर उसी अनुपात में शक्तिहीन हो जाते और सुल्तान के शक्तिहीन होने पर अमीरों का शक्तिशाली होना स्वाभाविक ही था। यदि बहलोल लोदी अपनी पगड़ी अमीरों को समर्पित कर सत्ता को बनाये रख सका तो अनुभवहीन इब्राहीम लोदी को इनके विरोध के मूल्य के रूप में अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा। डा. फुरेशी का यह कथन कि अमीर सुल्तान के माध्यम से इस्लाम की सेवा करना चाहते थे नितान्त भ्रमात्मक है क्योंकि यदि इस्लाम की सेवा और इनके स्वार्थों के बीच कोई टकराव पैदा होता तो वे सर्व्व ही अपने स्वार्थों की पूर्ति के प्रति लालाचिंत रहते थे।

निर्वाचन के क्षेत्र में सुल्तानों द्वारा साधारण रूप ही अपनाया जाता रहा। राजधानी में अमीर, विद्वान्, उच्च प्रभावशाली जेम्मा किसी एक व्यक्ति को समर्थन दे उसे ही शासक घोषित कर देने थे और फिर ब्रह्मी जनता द्वारा निर्वाचन-मान-लिया जाता था। वस्तुतः चुनाव केवल नाममात्र का ही था क्योंकि प्रत्याशी पहले ही अपनी विजय अथवा शक्ति के आधार पर चुनाव का सुनिश्चित कर देता था। हमने केवल लाभ यही था कि सुल्तान को विधि-वेत्ताओं का समर्थन प्राप्त हो जाना था और उसकी स्थिति वैधानिक हो जाती थी।

निर्वाचित राजतन्त्र के उपसिद्धांत के अन्तर्गत किसी सुल्तान को अपदण्य करना एक तर्क-भंगत परिणाम था। अधिस्ततर विधिवेत्ता यह स्वीकार करते हैं कि यदि सुल्तान अपने दायित्वा को नहीं निभा पाता है तो उसे अपदण्य किया जा सकता है। सब ही विधिवेत्ताओं ने मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता की स्थिति में सुल्तान को हटाना स्वीकार किया है। निःसन्देह कभी कभी योग्य सुल्तान के विरुद्ध भी विद्रोह हुए परन्तु इनको कोई सक्रिय समर्थन नहीं मिला। साधारणतः पिछला सुल्तान ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर जाना था परन्तु कई बार उसकी इच्छा का ठुकराकर भी किसी अन्य व्यक्ति को शासन सौंप दिया जाता था।

अफगानों ने उत्तराधिकार के सम्बन्ध में एक नई नीति प्रारम्भ की। तुर्कों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। समय-समय पर निर्वाचन, मनोनयन, सफल क्रान्ति या वशानुगत अधिकार का प्रयोग किया जाता रहा था। चुनाव का अर्थ यही स्वीकार किया जाना था कि जनता नये सुल्तान के नाम को चुनवे में शामिल किये जाने का विरोध न करे। लेकिन लोदियों ने उत्तराधिकार के सम्बन्ध में अपनी परम्पराओं का पालन किया, जिसके अनुसार कबिले का प्रत्येक व्यक्ति नेता चुनने में भाग लेता था, परन्तु वह एक अथवा एकाधिक वंश विशेष से ही अपना नेता चुन सकता था। दिल्ली में अपनी शक्ति का स्थापना के बाद उन्होंने इसी परम्परा को निभाया। जब इस्लाम खां ने बहलोल लोदी को अपना

उत्तराधिकारी घोषित किया, तब अफगानों ने उसके निर्णय को अस्वीकार कर सम्भाव्य व्यक्तियों में से उनके पुत्र-दोषों को ध्यान में रख कर निर्णय करना चाहा। क्योंकि यह शान्तिपूर्ण ढंग से सम्भव नहीं हुआ इसलिए युद्ध हुआ और वहलोल को उसी समय सुल्तान स्वीकार किया गया जब वह पूर्णरूप से स्वयं को योग्य सिद्ध कर सका। वहलोल लोदी की मृत्यु पर निजाम खां को भी इसी प्रकार का सामना करना पड़ा। सिकन्दर लोदी उत्तराधिकार के सम्बन्ध में मौन था इसलिए अमीरों को चुनाव में पूरी छूट रही और इन्हीं के निर्णय को अन्त में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि अफगान-सामन्त उत्तराधिकारी का चयन राजवंश से ही करते थे, किन्तु वे अपनी बुद्धिनुसार सर्वाधिक उपयुक्त को ही चुनते थे। रक्त की शुद्धता, ज्येष्ठ पुत्र की वरिष्ठता, मनोनयन आदि का उन पर प्रभाव पड़ता था, किन्तु इससे उनके निर्वाचन-स्वातन्त्र्य पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था। सुल्तान को चुनने की ये विधि समय पर उचित व्यक्ति का चयन करने में समर्थ हो सकी।

सुल्तान की शक्ति पर इन अंकुशों के होते हुए भी उसके कुछ उत्तरदायित्व थे जो समयानुसार परिवर्तित होते रहते थे। वह न्याय-का-सर्वोच्च-अधिकारी था जिसको वह काजियों की सहायता से पूरा करता था। बलबन पहला शासक था जिसने गम्भीरता से इसकी ओर ध्यान दिया। दीपों को दण्डित करने में उसके लिए कुलीन-वंश से सम्बन्ध अर्थात्हीन था। अलाउद्दीन और काजी मुगिसुद्दीन के बीच हुए वातालाप से स्पष्ट है कि सुल्तान से न्याय के पर्यवेक्षण की आशा की जाती थी। इबन बतूता से यह जानकारी मिलती है कि मुहम्मद तुगलक सत्ताह में दो दिन दीवान-ए-खास में न्याय के लिए दरबार लगाता था।

न्याय के अतिरिक्त मध्यकाल के आरम्भिक वर्षों में सुल्तान का मुख्य कार्य सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना था। यह युग विद्रोहों और पड़यन्त्रों का युग था और आवागमन के अपर्याप्त साधनों ने सुरक्षा और विजय को अधिक जटिल बना दिया था। सुल्तान साधारणतया स्वयं महान् सैनिक नेता होते थे जो अधिकतर व्यक्तिगत रूप में अभियानों का नेतृत्व करते थे अथवा राजधानी से ही उसे दिशा प्रदान करते थे। अलाउद्दीन के समय में मलिक काफूर और गियासुद्दीन तुगलक के समय में जूना खां ने शासक के निर्देश के अनुसार सफल अभियान किये थे। सफल अभियानों तथा राज्य की सुरक्षा-हेतु एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी और इसलिए सुल्तान सदैव ही ऐसी सेना को बनाये रखने के लिए इच्छुक रहते थे।

सुल्तान इन कार्यों को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य की गतिविधियों की जानकारी हेतु गुप्तचरों की नियुक्ति करते थे। ये उनके प्रति ही उत्तरदायी थे। बलबन ने अपने पुत्र दुगराजा को समाना और सुनम् का इकादार नियुक्त करते समय गुप्त रूप से उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति

की थी। अलाउद्दीन खल्जी ने न केवल इनकी सहायता की अपितु कार्यक्षमता को इतना अधिक बढ़ाया कि वे राज्य की प्रत्येक गली और सड़क पर मिलते थे और यदि बरनी के कथन को स्वीकार किया जावे तो इनका इतना अधिक प्रातक या कि अमीर सकेतो में ही बातचीत करते थे। गुप्तचर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से समस्त जानकारी मुल्तान को पहुँचाते थे।

साराश में सुल्तान सम्पूर्ण शासन की धुरी था, और उनके अधिकार असीमित थे। परन्तु व्यवहारिक रूप में वह राज्य के समस्त प्रबन्ध मजलिस-ए-आम अथवा मजलिस-ए-खलवत के सम्मुख रहता था। इसमें उसके विश्वासपात्र अथवा उच्चाधिकारी ही हुआ करते थे। राज्य के चार मन्त्री भी इसमें भाग लेते थे। परन्तु इस समिति को न कोई बंधनिक मान्यता ही थी और न ही सुल्तान के लिए यह आवश्यक था कि वह इसको आमन्त्रित ही करे। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं था कि मुल्तान इसके निर्णयों को स्वीकार करे। यह केवल परामर्शक (सलाहकार) समिति ही थी लेकिन इसके बाद भी सुल्तान यह उचित समझते थे कि इसका परामर्श लें अथवा इनमें से किसी को व्यक्तिगत राय लें। बलबन ने अपने पुत्र मुहम्मद को ये सलाह दी थी कि वह सलाह किये बगैर कोई अभियान न करे। इसी प्रकार अलाउद्दीन खल्जी ने भी दिल्ली के कोतवाल की सलाह मानकर विश्व-विजय के विचार को त्याग दिया था। सुल्तान के दुर्बल होने पर इन सलाहकारों का शासन में प्रभाव बढ़ जाना स्वाभाविक था।

मन्त्री—मुस्लिम विधि-शास्त्रियों ने मन्त्री अथवा सलाहकारों की आवश्यकता का अनुभव आरम्भ से ही कर लिया था और इस बात पर बल दिया था कि स्वयं ईश्वर ने भी पैगम्बर को अपने अनुयायियों से सलाह लेने का आदेश दिया था। परन्तु धर्म-निरपेक्ष उभरती खलीफाओं के अन्तर्गत इस लोकतन्त्रीय व्यवस्था में अनेक परिवर्तन आ गये और अब्बासी खलीफाओं के नेतृत्व में ईरानी राजतन्त्र के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम विधिवेत्ता भी इस वातावरण से स्वयं को अछूता रखने में असमर्थ रहे। बा कुदशी यह स्वीकार करते हैं कि मुस्लिम विधि-शास्त्रियों की असफलता इस्लाम के प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर लोकतन्त्रीय व्यवस्था को स्थापित करने में अत्यधिक स्पष्ट है। इससे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यद्यपि मन्त्रियों की आवश्यकता नया प्रयोजन पर बल दिया गया था, परन्तु वहीं पर भी उनको जनता के प्रतिनिधियों के रूप में अथवा जनता के प्रति उत्तरदायी होने के रूप में कानूनी स्वीकृति नहीं प्रदान की गई थी। खलीफाओं अथवा परवर्ती सुल्तानों ने मन्त्रियों की नियुक्ति राज्य के सेवकों के रूप में नहीं अपितु निजी सेवकों के रूप में ही की तथा उन्हें प्रशासन का कार्य सौंपा था।

मन्त्री केवल सुल्तान की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रहते थे। मन्त्रियों का हित इसी में था कि वे सुल्तान को यह अनुभव करा दें कि वे योग्य हैं और इन

आधार पर राज्य के लिए अपरिहार्य हैं। सुल्तान उनके परामर्श को इसलिए नहीं सुनते थे कि वे इसके लिए बाध्य थे, अपितु इसलिए कि वे इसे बुद्धिमत्तापूर्ण नीति मानते थे और क्योंकि मन्त्रियों को अपने विभाग से सम्बन्धित दीर्घकालीन अनुभव हुआ करता था इसलिए वे बारीकियों से भिन्न थे। सुल्तान उनके अनुभव से लाभ उठा सकने में कोई हानि नहीं मानते थे पर आवश्यक नहीं था कि सुल्तान मन्त्रियों की सलाह के अनुसार ही कार्य करें प्रयत्न वे स्वयं के निर्णय को कार्यान्वित न करें। अलाउद्दीन मन्त्रियों की सलाह को उस सीमा तक ही महत्व देता था जिस सीमा तक उनके विचार उसकी नीति से मेल खाते हों। उसकी विशेषता थी कि वह जिस क्षेत्र में स्वयं दखल नहीं रखता था, उसमें वह मन्त्रियों की सलाह को स्वीकार कर लिया करता था। मन्त्रियों की स्थिति न्यूनाधि सुल्तान के सेवकों जैसी थी परन्तु उससे यह निष्कर्ष निकाल लेना कि वे प्रभाव-शून्य थे न्याय-संगत नहीं होगा, क्योंकि उनकी स्थिति तथा अधिकार मुस्लिम कानून के द्वारा परिभाषित थे जिन्होंने परम्पराओं ने पुनीतता प्रदान की थी। मन्त्रियों की महत्ता का आभास हमें नासिद्दीन बगराखा द्वारा अपने पुत्र मुईजुद्दीन कैकूबाद को दी गई सलाह से स्पष्ट होता है।

मन्त्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी और आवश्यकतानुसार इसमें अदल-बदल किया जाता था। मुस्लिम विधि-शास्त्रियों ने एक निरंकुश शासक के लिए शक्तिशाली वजीर के होने के विचार को स्वीकार किया है और इस बात पर बल दिया है कि विभिन्न राजकीय विभाग के अध्यक्षों को उसके निरीक्षण और निर्देशन में कार्य करना चाहिए। कानूननामा के अनुसार सरकार के चार स्तम्भ हैं—वजीर, काजी-ए-अस्कर, दफ्तरदार (वित्तमन्त्री) और निशानची (सेक्रेटरी)। मन्त्री इसके अतिरिक्त थे। महमूद गजनवी ने समानित शासकों से ये प्रशासकीय संस्थाएं अपनाईं। उसके समय में पाँच महत्वपूर्ण मन्त्री थे, जो कि समस्त प्रशासनिक व्यवस्था को देखभाल करते थे। सुल्तानों ने गजनवी संस्थाओं की अनेकों बातें अपनाईं और उन्होंने भी मन्त्रियों की नियुक्ति की जिनमें चार मन्त्री अधिक प्रनिष्ठित थे। गुलाम वंश के समय में क्योंकि तुर्कों की संख्या अत्यधिक कम थी इसलिए मन्त्रियों को एक से अधिक कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता था, और इसी कारण इनके कर्तव्यों की सूची में कोई स्पष्ट विभाजन रखा नहीं था। परन्तु जहाँ तक वजीर का प्रश्न है वह दिल्ली सल्तनत की स्थापना-काल से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। जब बलवन ने प्रशासन-तन्त्र का गठन किया तो उसने मन्त्रियों के बीच कार्य-विभाजन की नीति अपनाई जो सल्तनत काल में किसी न किनी रूप में विद्यमान रही। इसीलिए बलवन के तुरन्त बाद उसके पुत्र बगराखा को चार मन्त्रियों का स्पष्ट ज्ञान था। उसने अपने पुत्र कैकूबाद को भी चार मन्त्रियों की सहायता से शासन चलाने की सलाह दी थी। इन मन्त्रियों में वजीर का पद सबसे महत्वपूर्ण था।

वज्जीर

सत्तनत युग म वज्जीर का पद यद्यपि स्थायी रूप मे विद्यमान रहा परन्तु उसके कर्त्तव्यो और अधिकारा म समय समय पर परिवर्तन होते रहे। गुलाम वश के आरम्भ मे वज्जीर का पद था, परन्तु इल्तुतमिश के समय मे उसकी छवि अधिक निम्बरी। उसके प्रथम वज्जीर को निजामुलमुल्क की सजा से सम्बोधित किया जाता था और वह सैनिक अभियानो मे विशेष रूप से मन्विय था। इसका प्रर्थ था कि इल्तुतमिश ने गजनवी परम्पराओं को अघनाकर वज्जीर के चयन मे सैनिक प्रतिभा को उचित स्थान दिया था। परन्तु उसका दूसरा वज्जीर फखरुलमुल्क इसामी एक बयोद्वेद व्यक्ति था जिसका प्रर्थ था कि इल्तुतमिश ने सैनिक गुणों की अपेक्षा अनुभव और योग्यता पर अधिक वन दिया था। इस आधार पर डा प्रिपाठी का मत है कि इल्तुतमिश के समय मे वज्जीर का स्वरूप स्पष्टत प्रमाणित नहीं हो पाया था।¹

इल्तुतमिश के दुबल उत्तराधिकारियों के समय मे अनिवार्य रूप से वज्जीर की शक्तिया म वृद्धि हुई क्योंकि दोना की शक्ति व्युत्क्रमानुपाती (Inversely Proportional) है। वज्जीर स्वाजा मुहज्जब गजनवी शक्ति के इस केन्द्रीयकरण का प्रमाण है। बहरामशाह (1240-42 ई.) व अलाउद्दीन मसूदशाह (1242-46 ई.) के राज्यकाल म उनमे अत्यधिक शक्ति प्राप्त की और सम्भवत उसकी इस असीमित शक्ति ने ही राज्य के अमीरो, उलेमाओ आदि को उसके विरुद्ध कर दिया। सुल्तान की इच्छा के विरुद्ध भी अपने पद पर बने रहना उसकी कूटनीति की पराकाष्ठा थी। सुल्तान और वज्जीर की शक्ति की छीन-भपटी में जामन सुल्तान द्वारा शक्ति ग्रहण करने के पक्ष मे था क्योंकि वज्जीर के चुनाव मे अथवा उसके अघदस्य करने मे उसका कोई हाथ न था, जबकि सुल्तान का चुनाव अघप्रत्यक्ष रूप से उन्ही के द्वारा किया जाता था। परिणामस्वरूप उसकी गतिविधियों से तग आकर अमीरो ने उसका वध कर दिया।

बलबन के नाइब के कार्यकाल म वज्जीर नजमुद्दीन की शक्ति नगण्य हो गई क्योंकि उसने सुल्तान नासिरुद्दीन महसूद के समय म ममस्त शक्ति अपने हाथ म केन्द्रित कर ली थी। सुल्तान केवल नाम मात्र का शासक रह गया था। जब आठ वर्ष पश्चात् नासिरुद्दीन ने बलबन की शक्ति पर अकुश लगाना चाहा तो दुर्भाग्य से नया प्रत्याशी मुहम्मद निजामुलमुल्क जुनेदी अघसफल व अयोग्य सिद्ध हुआ। बलबन ने परिस्थितियों का लाभ उठाकर स्वय गद्दी प्राप्त कर ली।

नाइब के रूप मे बलबन ने अनुभव किया कि वज्जीर का पद अत्यन्त प्रभावशाली व प्रलोभक है, इसलिए किमी ऐसे व्यक्ति को देना उचित न होगा जो अत्यधिक कुशाग्र व अभिलाषी हो अथवा शक्तिशाली सैनिक नेता हो। इसलिए उसने स्वाजा

1 आट. पी. विगाठी, अम वाग्नेकृत आक मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, पृ 176

हसन जैसे शीशत श्रेणी के व्यक्ति को वजीर नियुक्त करना अधिक उपयोगी समझा। इसके बाद भी उसकी पैनी निगाहों ने शासन के प्रत्येक पक्ष को देखकर वजीर की शक्ति पर अनेक अंकुश लगा दिये और वह नाममात्र का अधिकारी ही रह गया।

खल्जियों के समय में भी वजीर की शक्तियों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जलालुद्दीन खल्जी ने एक नया प्रयोग किया। उसने तीन भूतपूर्व वजीरों—स्वाजा सातिर, स्वाजा मुहज्जब व जुनैदी को अपनी उपस्थिति में बैठने की आज्ञा देकर सम्मानित किया और उनसे न केवल महत्वपूर्ण मामलों में सलाह ली, अपितु उनके विचारों को पूर्ण सम्मान भी दिया। नित्य-क्रम के लिए उसने वजीर का पद मलिक शाही को दिया। समकालीन इतिहासकार इस सम्बन्ध में मोन हैं कि ये प्रयोग कितने समय तक चला अथवा इसके क्या परिणाम निकले।

अलाउद्दीन ने जब मलिक काफूर को अपना नायब वजीर नियुक्त किया तब ही उसकी नीति में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वही सुल्तान का वजीर स्वीकार किया जाने लगा। सम्भवतः उसकी सैनिक योग्यता इसमें निर्णायक तत्व थी और उसके पश्चात् यह अनुभव किया जाने लगा कि वजीर के पद के लिए सैनिक योग्यता एक निर्णायक शर्त है। शिहाबुद्दीन उमर और कुतुबुद्दीन मुबारकशाह के समय में अलाउद्दीन की परम्परा के अनुसार वजीर का पद सैनिक-नेता के हाथ में ही रहा और खुसरो खां (जो बाद में नासिरुद्दीन खुसरोशाह के नाम से सुल्तान बना) इस पद को सुशोभित करता रहा। डा. त्रिपाठी के अनुसार सम्भवतः उससे अधिक कोई दूसरा अयोग्य व्यक्ति इस पद पर सुशोभित नहीं हुआ था। नासिरुद्दीन मुबारकशाह ने अल्पकाल में अत्यधिक विवेक का परिचय दे मलिक वहीउद्दीन कुरैशी को अपना वजीर नियुक्त किया, जो कि बुद्धिमान था और इसने खल्जियों की नीति में एक स्वस्थ परिवर्तन किया।

गियासुद्दीन की नीति का जो कुछ भी अनुभव रहा हो परन्तु इतना स्पष्ट है कि उसके पुत्र मुहम्मद बिन तुगलक ने पुनः व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को लागू किया। उसने स्वाजाजहाँ को वजीर बनाया जो उसके सम्पूर्ण शासन-काल में अपने पद पर बना रहा। उसकी नियुक्ति ने इस पद में पुनः जान फूँक दी। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि वजीर के पद के लिए कोई प्रभावशाली सैनिक नेता होना आवश्यक नहीं है क्योंकि आजीवन उसने हाथ में न तो धनुष ही पकड़ा, न ही युद्ध किया, यहां तक कि वह कभी तेज घोड़े पर भी सवार नहीं हुआ था।

फीरोज तुगलक ने खान-ए-जहाँ मकबूल को वजीर बनाया जो स्वाजा जहाँ का नाइब रह चुका था। फीरोज को उसमें इतना विश्वास था कि वह समस्त राज-कार्य उसके हाथों में सौंपकर लम्बे समय तक राजधानी से अनुपस्थित रह सकता था। अपने शासनकाल के आरम्भिक छः वर्षों में वह केवल तेरह दिन ही राजधानी

बजीर

सल्तनत युग में बजीर का पद यद्यपि स्थायी रूप में विद्यमान रहा परन्तु उसके बर्तव्यों और अधिकारों में समय-मसमय पर परिवर्तन होते रहे। गुलाम बश के आरम्भ में बजीर का पद था, परन्तु इल्तुतमिश के समय में उसकी छवि अधिक निखरी। उसके प्रथम बजीर को निजामुलमुल्क की सजा से सम्बोधित किया जाता था और वह सैनिक अभियानों में विशेष रूप से सक्रिय था। इसका अर्थ था कि इल्तुतमिश ने गजनवी परम्पराओं को अपनाकर बजीर के चयन में सैनिक प्रतिभा को उचित स्थान दिया था। परन्तु उसका दूसरा बजीर फलहूलमुल्क इसामी एक वयोवृद्ध व्यक्ति था जिसका अर्थ था कि इल्तुतमिश ने सैनिक गुणों की अपेक्षा अनुभव और योग्यता पर अधिक बल दिया था। इस आधार पर डा त्रिपाठी का मत है कि इल्तुतमिश के समय में बजीर का स्वरूप स्पष्टतः प्रमाणित नहीं हो पाया था।¹

इल्तुतमिश के दुर्बल उत्तराधिकारियों के समय में अनिर्वाय रूप से बजीर की शक्तियों में वृद्धि हुई क्योंकि दोनों की शक्ति व्युत्क्रमानुपाती (Inversely Proportional) हैं। बजीर हवाजा मूहज्जब गजनवी शक्ति के इस केन्द्रीयकरण का प्रमाण है। बहरामशाह (1240-42 ई.) व अलाउद्दीन मसूदशाह (1242-46 ई.) के राज्यकाल में उसने अत्यधिक शक्ति प्राप्त की और सम्भवतः उसकी इस असीमित शक्ति ने ही राज्य के अमीरों, उलेमाओं आदि को उसके विरुद्ध कर दिया। सुल्तान की इच्छा के विरुद्ध भी अपने पद पर बने रहना उसकी कूटनीति की पराकाष्ठा थी। सुल्तान और बजीर की शक्ति की धीन-भपटी में जनमन सुल्तान द्वारा शक्ति ग्रहण करने के पक्ष में था क्योंकि बजीर के चुनाव में अथवा उसके अपदस्थ करने में उसका कोई हाथ न था, जबकि सुल्तान का चुनाव अग्रगण्य रूप से उसी के द्वारा किया जाता था। परिणामस्वरूप उसकी गतिविधियों से तग भ्रूकर अमीरों ने उसका बंधन कर दिया।

बलबन के नाइव के कार्यकाल में बजीर नजमुद्दीन की शक्ति नगण्य हो गई क्योंकि उसने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय में अमरत शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित कर ली थी। सुल्तान केवल नाम-मात्र का शासक रह गया था। जब आठ वर्ष पश्चात् नासिरुद्दीन ने बलबन की शक्ति पर अकुश लगाना चाहा तो दुर्भाग्य से नया प्रत्याशी मुहम्मद निजामुल्मुल्क जुनेदो असफल व अयोग्य सिद्ध हुआ। बलबन ने परिस्थितियों का लाभ उठाकर स्वयं गद्दी प्राप्त कर ली।

नाइव के रूप में बलबन ने अनुभव किया कि बजीर का पद अत्यन्त प्रभाव-शाली व प्रलोभन है, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को देना उचित न होगा जो अत्यधिक कुशाग्र व अभिनापी हो अथवा शक्तिशाली सैनिक नेता हो। इसलिए उसने हवाजा

1 आर. पी. त्रिपाठी, मन आस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, पृ. 176

हसन जैसे शीत श्रेणी के व्यक्ति को वजीर नियुक्त करना अधिक उपयोगी समझा। इसके बाद भी उसकी पत्नी निगाहों ने शासन के प्रत्येक पक्ष को देखकर वजीर की शक्ति पर अनेक शंका लमा दिये और वह नाममान का अधिकारी ही रह गया।

खल्जियों के समय में भी वजीर की शक्तियों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जलालुद्दीन खल्जी ने एक नया प्रयोग किया। उसने तीन भूतपूर्व वजीरों—स्वाजा खानिदर, स्वाजा मुहज्जब व जुनैदी को अपनी उपस्थिति में बैठने की आज्ञा देकर सम्मानित किया और उनसे न केवल महत्वपूर्ण मामलों में सलाह ली, अपितु उनके विचारों को पूर्ण सम्मान भी दिया। नित्य-क्रम के लिए उसने वजीर का पद मलिक शादी को दिया। समकालीन इतिहासकार इस सम्बन्ध में मोन हैं कि ये प्रयोग कितने समय तक चला अथवा इसके क्या परिणाम निकले।

अलाउद्दीन ने जब मलिक काफूर को अपना नायब वजीर नियुक्त किया तब ही उसकी नीति में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वही सुल्तान का वजीर स्वीकार किया जाने लगा। सम्भवतः उसकी सैनिक योग्यता इसमें निर्णायक तत्व थी और उसके पश्चात् वह अनुभव किया जाने लगा कि वजीर के पद के लिए सैनिक योग्यता एक निर्णायक शर्त है। शिहाबुद्दीन उमर और कुतुबुद्दीन मुबारकशाह के समय में अलाउद्दीन की परम्परा के अनुसार वजीर का पद सैनिक-नेता के हाथ में ही रहा और खुसरो खां (जो बाद में नासिरुद्दीन खुसरोशाह के नाम से सुल्तान बना) इस पद को सुशोभित करता रहा। डा. त्रिपाठी के अनुसार सम्भवतः उससे अधिक कोई दूसरा अयोग्य व्यक्ति इस पद पर सुशोभित नहीं हुआ था। नासिरुद्दीन मुबारकशाह ने अल्पकाल में अत्यधिक विवेक का परिचय दे मलिक वहीउद्दीन कुरेशी को अपना वजीर नियुक्त किया, जो कि बुद्धिमान था और इसने खल्जियों की नीति में एक स्वस्थ परिवर्तन किया।

गियासुद्दीन की नीति का जो कुछ भी अनुभव रहा हो परन्तु इतना स्पष्ट है कि उसके पुत्र मुहम्मद बिन तुगलक ने पुनः व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को लागू किया। उसने स्वाजाजहाँ को वजीर बनाया जो उसके सम्पूर्ण शासन-काल में अपने पद पर बना रहा। उसकी नियुक्ति ने इस पद में पुनः जान फूँक दी। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि वजीर के पद के लिए कोई प्रभावशाली सैनिक नेता होना आवश्यक नहीं है क्योंकि आजीवन उसने हाथ में न तो घनुष ही पकड़ा, न ही युद्ध किया, यहाँ तक कि वह कभी तेज घोड़े पर भी सवार नहीं हुआ था।

फीरोज तुगलक ने खान-ए-अहाँ मकबूल को वजीर बनाया जो स्वाजा जहाँ का नाइब रह चुका था। फीरोज को उसमें इतना विश्वास था कि वह समस्त राज-कार्य उसके हाथों में सौंपकर लम्बे समय तक राजधानी से अनुपस्थित रह सकता था। अपने शासनकाल के आरम्भिक छः वर्षों में वह केवल तेरह दिन ही राजधानी

म रहा था। उसकी इस अप्रबुध शक्ति का स्रोत जहाँ एक और सुल्तान का अडिग विश्वास था वहाँ दूसरी ओर उसकी गरिमा व व्यवहार कुशलता भी उत्तरदायी थी। बरनो का कथन है कि सुल्तान उसके काय से इनना प्रसन्न था कि वह अक्सर कहा करता था कि खान ए-जहाँ ही वास्तविक रूप में शासक है। डा. यू एन ड की मायता है कि खान ए जहाँ मकबूल की बजारत सम्पूर्ण मलनत के काल में बजीर की शक्ति की पराकाष्ठा बिंदु है।

मकबूल की मृत्यु के पश्चात् बजारत का उत्तरदायित्व उसके पुत्र को सौंपा गया। उसने अपने पिता की गरिमा और परम्पराओं को अक्षुण्ण रखा। एक क्षेत्र में वह अपने पिता से भी श्रेष्ठ था। उसका पिता स्त्रियाँ में रुचि रखता था तथा घन सम्बन्धी मामलों में भी उसकी ईमानदारी सिद्धि थी परंतु वह नितान्त ईमानदार था।

इस प्रकार से तुगलकों का राज्यकाल बजारत के लिए स्वर्णकाल था। फीरोज तुगलक के समय में तो सैद्धांतिक आधार पर बजीर अशराफ मुमालिक (आडिटर जनरल) जैम अपने विभाग के अधिकारी को नियुक्त प्रथवा पदच्युत कर सकता था। फीरोज के समय में बजीर की शक्ति और प्रभाव का अनुमान इसी से आका जा सकता है कि जब पदच्युतकारियों के सम्मुख बजीर खान ए जहाँ मकबूल को समर्पण करना पड़ा और उसका वध कर दिया गया तब ही उसी के साथ फीरोज ने परोक्ष रूप से शासक-पद का अधिकार भी कर दिया। अन्तिम तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में वकील ए सलतनत नामक एक नये पद का उद्भव हुआ जो एक नागरिक अधिकारी के साथ ही सैनिक अधिकारी भी था। आरम्भ में वकील ए सलतनत से यह आशा की जाती थी कि वह बजीर की सहायता करेगा लेकिन धीरे धीरे उसने बजीर की समस्त शक्तियाँ अपने हाथ में केंद्रित कर लीं। वकील का पद थोड़े ही समय रहा। परन्तु यह कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि ऐसे पद का सलतनत काल में अस्तित्व रहा था।

सैन्यदलों के समय में बजीर मुख्य रूप से एक सैनिक अधिकारी के रूप में उभरा। परन्तु इसके बाद भी वह वित्तीय उत्तरदायित्व में मुक्त नहीं हुआ। इसी सन्दर्भ में सैन्यदल सुल्तानों ने अपने बजीर ताजुमुल्क मिन्दर व मलिक दाऊद को सैनिक कार्यों के लिए नियुक्त किया। बजीर वास्तव में सेनाध्यक्ष के साथ ही वित्त मंत्री और आडिटर जनरल भी था। स्वाभाविक रूप में शक्ति का एक ही हाथ में केन्द्रीकरण होने के कारण वित्त-व्यवस्था को घाघात पहुँचा होगा और इसीलिए मुबारक शाह ने अन्त में ही आडिटर जनरल की नियुक्ति कर बजीर को एकमान वित्त की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा। बजीर शक्ति को इतनी आसानी से अपने हाथों से निकालते देसन को उद्यत नहीं था अतः उसने सुल्तान के विरुद्ध पदच्युत रथ उसका वध कर दिया अपने प्रत्यागी मुहम्मद शाह को गद्दी पर बठाकर उसने राज्य की समस्त शक्तियों का अन्वेषण रूप में उपयोग करना आरम्भ कर दिया।

सैन्यदलों के उत्तराधिकारी लोदी सुल्तान कबीले तथा प्रजातन्त्रीय परम्पराओं में पाले गये थे और इस कारण वे तुर्की-राजतन्त्र के साज-सामान के प्रति अधिक रुचि नहीं रखते थे। उनकी शासन-व्यवस्था उमय्या खलीफाओं से मिलती-जुलती थी। वे वजीर की अपेक्षा विभिन्न कबीलों के प्रमुखों से मिलकर शासन चलाने में विश्वास करते थे। प्रथम लोदी शासक बहलोल ने सम्भवतः किसी वजीर की नियुक्ति नहीं की तथा समस्त साम्राज्य कबीलों में विभाजित कर दिया। व्यावहारिक रूप में कबीलों के प्रमुख अपने क्षेत्र में पूर्णतया श्रेष्ठ व स्वतन्त्र थे। बहलोल का यह कार्य सत्ता-प्राप्ति के पश्चात् अफगानों के सहयोग को आमंत्रित करते हुए दिये गये वचनों के अनुसार था। डा. त्रिपाठी के अनुसार बहलोल का ये विचार समकालीन भारतीय परिस्थितियों के लिए उतना ही प्रतिकूल था जितना कि साम्राज्य की शासित करने के लिए अर्थात् शासन-मशीनरी थी। इसलिए उसके पुत्र सिकन्दर लोदी ने अपने पिता से कुछ भिन्न नीति अपनाई। शहजादा काल में ही शेख सैय्यद फरमूली उसका वजीर था और सम्भवतः मियां भुवा भी वजीर की शक्तियों का उपयोग करता था। इब्राहीम लोदी के आरम्भिक काल में मियां भुवा ही उसका वजीर रहा। एक ओर इब्राहीम लोदी का स्वभाव तथा दूसरी ओर मियां भुवा के द्वारा स्वयं को राज्य के कोष का एकमात्र अभिरक्षक मानने के कारण, सुल्तान ने उसे बन्दी बना लिया तथा वजीर का पद उसके पुत्र को सौंपा। अफगानों के समय में वजीर का पद अल्पदुष्य ही बना रहा।

दीवान-ए-बजारत—मुस्लिम राजनीतिक विचारकों ने वजीर के पद को अत्यधिक महत्त्व दिया है। उनको ये मान्यता है कि वजीर के बिना कोई भी राज्य स्थायी और समृद्ध नहीं हो सकता। मुख्यतया वजीर चार प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष में से एक था परन्तु वजीर होने के नाते दूसरों की अपेक्षा उसका पद अधिक सम्मानित था। उसका विभाग दीवान-ए-बजारत की सत्ता से-सम्बन्धित किया जाता था। सुल्तान का प्रमुख सलाहकार होने के नाते सुल्तान उसके लिए सुलभ था। सम्भवतः उसे एक निश्चित वेतन दिया जाता था क्योंकि आय अथवा राजस्व के रूप में आबंटन का कोई प्रमाण हमें नहीं मिल पाया है। मुहम्मद तुगलक के द्वारा कोल के इत्ता पर अधिकार करना अनुचित स्वीकार किया गया है। मुहम्मद तुगलक के समय वजीर के लिए राजदेय भूमि का विवरण मिलता है जो ईराक के समान विस्तृत थी। उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को भी वेतन के अतिरिक्त कुछ कस्वे अथवा गाँव प्राप्त थे जिनमें से निम्नतम को लगभग 10,000 टंक प्रतिवर्ष प्राप्त होते थे। प्रो. हवीदुल्ला का मत है कि इसमें असम्भाव्यता के अतिरिक्त अतिरिक्तता भी विद्यमान है, क्योंकि 13वीं शताब्दी में इसकी कल्पना करना भी अनात्मक होगा।¹

वजीर के सामान्य कार्यों का वरदान आदवुल मुक़्त न इस प्रकार किया है— राजा यह भली प्रकार जानता है कि अभियानों का किस प्रकार नेतृत्व किया जावे अथ प्रदेशों को किस प्रकार विजित किया जावे लेकिन देश को समृद्ध बनाना कोष एकत्रित करना अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना कारखाना मकानों का लेखा रखना घोड़ों ऊटों सचचरा और अन्य पशुओं की गणना करना सेनाओं और कलाकारों को एकत्र करना और वेतन बढ़ाना लोगों को सन्तुष्ट रखना धर्मपरायण और विद्वानों की देखभाल करना तथा उन्हें शक्ति देना विधवाओं और अनाथों की रक्षा करना सावजनिक मामलों का प्रशासन करना कार्यालयों को संगठित करना और उनकी प्रभावशीलता को बनाये रखना मक्षय में राज्य के समस्त कार्य व्यापार को व्यवस्थित करना उसकी शक्ति से परे है ।

इस लम्बी सूची से यह स्पष्ट है कि वह शासन का कण्ठधार या परतु इन सामान्य उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त उसका निकट का सम्बन्ध वित्त मन्त्रान्तर्ग से ही था । इस आधार पर लगान लगाने के व्यवस्था का उचित रूप में बनाये रखने के लिए ही वह अधिक सन्निवृत्त था । क्योंकि उसका कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक था इसलिए उसकी सहायता हेतु एक नाइब वजीर होता था । जैसा परीक्षा के लिए मुशरिक ए मुमालिक (महालेखाकार) मुस्तफी ए मुमालिक (महालेखा परीक्षक) नामक अधिकारी होते थे । मजूमदार लोगों को दिए गये तकावी जर्ण का लेखा जोखा रखता था और खजाने के दफ्तरे रखता था । जलालुद्दीन खल्जी के समय में दीवान ए वकफ नामक विभाग खोला गया था जो खर्च सम्बन्धी पत्रों को देखता था । इस नये विभाग के कारण प्रायः सम्बन्धी विभाग खर्च सम्बन्धी विभाग से पूरातया अलग हो गया तथा खर्च पर अब अपेक्षाकृत अधिक निरीक्षण सम्भव हो गया था । तत्पश्चात् यह एक अलग ही विभाग बना दिया गया । इसके अतिरिक्त अनाउद्दीन खल्जी ने दीवान ए मुस्तक़्हराज नामक विभाग की वित्त विभाग के अन्तर्गत स्थापना की जिससे कि अधिक भू राजस्व प्राप्त किया जा सके । मुस्तक़्हराज का काम था कि वह कर सगाहने वालों के नाम निकलने वाले बकाया को जानकारी करे तथा उन्हें वसूल करे । उसे दण्डिक अधिकार प्राप्त थे और ऐसा अनुभव होता है कि वह उनका प्रयोग करता था । तत्पश्चात् मुहम्मद तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की । यह विभाग बगर जोनी हुई भूमि को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता व राजकीय व्यवस्था देकर उपज के योग्य बनाता था ।

राजस्व विभाग सम्बन्धी नामों के अतिरिक्त वजीर साधारण रूप में समस्त शासन व्यवस्था पर नज़र रखता था । सावजनिक प्रशासन का कोई विभाग उससे बाहर नहीं था और सर्वाधिक शक्तिशाली नज़्दार् से नकर निम्न स्तरीय कृषक तक उमस और उसका सहायको न सम्पर्क रखते थे । स्वाभाविक रूप में यह माना जाता था कि उसने अपनी प्रत्येक नीति के लिए सुल्तान की पूरक स्था

कृति प्राप्त कर ली है। उसके कोई न्यायिक अधिकार न थे परन्तु वजीर होने के नाते सेना का संगठन और व्यवस्था उसके प्रभाव क्षेत्र में थी। वित्त मन्त्री होने के कारण वह वेतन वितरित करता था और कार्यों का आवंटन करता था। कभी-कभी वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करता था।

वह प्रशासनिक सेवकों की नियुक्ति व निरीक्षण करता था तथा व्यय के सम्पूर्ण मदों पर पूरा नियन्त्रण रखता था। वह अपने सहायकों के द्वारा हिसाब आदि की जांच करता था तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा अवैधानिक रूप में खर्च किये गये धन को बसूल करने का प्रयत्न करता था।

इस प्रकार से वह सुल्तान के बाद राज्य की शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था और यदि अफीफ के विचार को स्वीकार किया जावे तो, यदि कोई दीवान-ए-वजारत के कार्यों का विवरण प्रस्तुत करे तो उसे एक पुस्तक लिखनी पड़ेगी। परन्तु इसके बाद भी मावर्दी ने जिस 'वजीरूल तफवीज' की श्रेणियों को जन्म दिया था उसकी तुलना में सल्तनत काल के शक्तिशाली वजीर की भी शक्ति अत्यधिक न्यूनतम थी।

दीवान-ए-आरिज—राज्य के सेना-विभाग का अधीक्षक दीवान-ए-आरिज या दीवान-ए-अर्ज कहलाता था। दिल्ली-सल्तनत मुख्यतः एक सैनिक राज्य था जो केवल शक्ति के आधार पर ही सुरक्षित रखा जा सकता था। इससे हम इस विभाग की महत्ता का अनुमान लगा सकते हैं। आरिज ही अधिकांशतः सेना के अनुशासन और उसकी कार्यक्षमता के प्रति उत्तरदायी था। उसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना, उनकी सज-सज्जा तथा युद्ध-कुशलता को देखना था। वह घोड़ों का स्वयं निरीक्षण करता था तथा सैनिक को भर्ती करने के पहले उसका परीक्षण करता था। घोड़ों को दाने का उत्तरदायित्व भी उसी का था। युद्ध के समय वह अथवा उसका नाइव सैनिकों की रसद अथवा उनके आवागमन का प्रबन्ध करता था। युद्ध में प्राप्त हाथी अथवा लूट के माल की व्यवस्था करना भी उसी का कार्य था। सैनिकों की कार्य-कुशलता को देखने के लिए वह कभी-कभी मौन युद्ध की भी व्यवस्था करता था, जिससे कि वह प्रान्तीय इत्तादारों द्वारा भेजी गई सैनिक टुकड़ियों की कार्य-क्षमता को आंक सके।

आरिज को अधिकार था कि वह किसी सैनिक के वेतन में वढोतरी कर दे, और इसीलिए उसे वजीर के आर्थिक अंकुश से मुक्त कर रखा था। बलबन का आरिज इमादुलमुल्क स्वयं अपने मामलों से सैनिकों को पुरस्कृत करता था और अपनी इस कर्तव्यनिष्ठा के लिए वह सुल्तान की सराहना का पात्र था। बरनी के विवरण के अनुसार आरिज यदाकदा अपने सहायक अधिकारियों को आमन्त्रित कर उनसे सैनिकों के वेतन का दुरुपयोग न करने अथवा मुक्तियों के प्रतिनिधियों से धूस न लेने की प्रार्थना करता था। इससे यह अनुमान लगता है कि उस समय धूस लेने-

देने की प्रथा अधिक प्रचलित थी और यदि बरनी के विवरण को स्वीकार किया जावे तो स्वयं फीरोज तुगलक ने एक मंतिव को थोड़ा पास करवाने हेतु अधिकारी को एक टक रिश्त देने के लिए अपने पास से यह धन दिया था। सम्भवतः भूमि के आवंटन के रूप में वेतन प्राप्त होता था क्योंकि बरनी के अनुसार बलवन के धारित्र इमादुलमुल्क ने स्वयं के इत्ता में से सार्वजनिक कामों के लिए गाव दिये थे।

धारित्र पदेन यप प्रधान सेनापति नहीं था। अलाउद्दीन के समय काफूर द्वारा वारगल के अभिषात में धारित्र उसका महायुक्त बनाकर भेजा गया था। इसी प्रकार गियासुद्दीन तुगलक के समय में मुहम्मद तुगलक के साथ धारित्र महायुक्त के रूप में ही भेजा गया था। इसका प्रतिरिक्त सेना वा महासेनापति स्वयं सुल्तान होता था, इसलिए सामान्यतया धारित्र को शाही सेना का सेनापतित्व नहीं मीया जाता था। उसे सेना के किसी भाग का नेतृत्व दे दिया जाता था। दीवान-ए-धारित्र का मन्त्रालय इतना महत्वपूर्ण था कि कई बार सुल्तान स्वयं इस विभाग से सम्बन्धित अनेक कार्य किया करता था। अलाउद्दीन खल्जी इस मन्त्रालय पर निजी तौर से ध्यान देता था।

दीवान-ए-इशा—प्रो. हबीबुल्ला के अनुसार तीसरा मन्त्रालय शाही पत्र-व्यवहार का था। मिनहाज ने इसको दीवान-ए-अशरफ़ की मजा दी है जो साधारण रूप में 'दीवान-ए-इशा' पुकारा जान लगा। इसके अध्यक्ष को 'दबीर-ए-मुमालिक' कहा जाता था। शाही घोषणाओं और पत्रों के मसविदे तैयार करना इस विभाग का काम था। उसी के द्वारा सुल्तान के फरमान जारी होते थे। वह केन्द्रीय तथा प्रांतीय शासन के बीच कड़ी था इसलिए उसे बड़ी ही सतर्कता से काम करना पड़ना था और विशेषकर उस समय जबकि सल्तनत के विभिन्न भागों में पड़थान्त्र करना एक साधारण सी घटना थी। इन कार्यों को करने के लिए उसके पास अनेक सचिव होते थे जिनको दबीर कहते थे। इनके अध्यक्ष को 'मदरुन-मुद्क' कहते थे। सुल्तान के व्यक्तिगत दबीर को 'दबीर-ए-खास' कहा जाता था। उसका काम सुल्तान के साथ रहने के प्रतिरिक्त उसके पत्र-व्यवहार को व्यवस्थित करना था। पत्रहनामा लिखने का कार्य भी उसी का था। साहिब-ए-दीवान ए-इशा सुल्तान के अलिखित सम्पर्क में था तथा बड़ी अमस्त राजकीय रेकार्डें रखता था। क्योंकि दीवान-ए-इशा का कार्य अत्यधिक गुप्त प्रकृति का था इसलिए इसका अध्यक्ष बहुत ही विश्वमनीय पदाधिकारी होता था।

दीवान-ए-रसालत—चौथा मन्त्रालय दीवान-ए-रसालत कहलाता था। इतिहासकार इस मन्त्रालय के कार्यों के सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं। प्रो. हबीबुल्ला की मान्यता है कि वह विदेशी मामलों से सम्बन्धित था। अतः उसका कार्य-क्षेत्र दृष्टान्तिक पत्र-व्यवहार और विदेशों से आने वाले अथवा विदेशों में भेजे जाने वाले

राजदूतों से सम्बन्धित था । डा. फुरैशी का मत है कि इस मन्त्रालय का सम्बन्ध धार्मिक विषयों से था और धार्मिक व्यक्तियों तथा विद्वानों को जो वृत्ति प्रदान की जाती थी वह इसी विभाग द्वारा दी जाती थी । डा. आशीर्वादीलाल, प्रो. हृषीचुल्ला के मत को मानते हैं क्योंकि सल्तनत काल में एक ही काम के लिए दो विभिन्न पदाधिकारियों को रखना उचित नहीं दिखता है । धार्मिक आदि कार्यों के लिए सदर-उस-सुदूर हुआ करता था इसलिए इस मन्त्रालय का यह काम करना कठिन प्रतीत होता है । अलाउद्दीन खल्जी के समय में दीवान-ए-रियासत नामक विभाग को ही दीवान-ए-रसालत का रूप दे दिया गया था, जिसके अन्तर्गत ही वाजार-नियन्त्रण के नियमों को लागू किया जाता था । व्यापारियों को इसी विभाग में स्वयं को पंजीकृत करना पड़ता था । नाप-तौल की देखभाल करना और बेईमान व्यापारियों को दण्डित करना इसी का काम था । चुंगी-कर लगाने व बसूल करने का काम यही मन्त्रालय करता था । अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत का अधिकारी नियुक्त किया था जो कि अत्यन्त क्रूर था । डा. डे के अनुसार फीरोज तुगलक के शासन काल में इस विभाग की महत्ता बढ़ गयी थी ।

राज्य के छोटे विभाग—इन चार मन्त्रालयों के अतिरिक्त सल्तनत काल में अनेकों छोटे-छोटे विभाग थे जो मन्त्रालयों से मुक्त थे । प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के निरीक्षण में थे । इन विभागों में से घरेलू-प्रबन्ध व गुप्तचर विभाग अधिक महत्वपूर्ण थे और इस कारण सुल्तान इनके पदों पर नियुक्ति करते समय अधिक सतर्क रहता था । घरेलू प्रबन्ध अधिकतर अमीरों द्वारा व्यवस्थित किया जाता था । अमीर सुल्तान की सेवा करना स्वयं के लिए सौभाग्यशाली मानते थे ।

वकील-ए-दर—इनमें सबसे प्रमुख वकील-ए-दर था, जो शाही महल और सुल्तान के व्यक्तिगत सेवकों का प्रबन्ध करता था । सुल्तान के निजी सेवकों का वेतन चुकाना, शाही रसोईघर की व्यवस्था करना तथा शाही परिवार की समस्त भुख-सुविधा की देखरेख करना उसी का काम था । वकील-ए-दर ही घरेलू आवश्यकताओं की समस्त बातों को शाही स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता था और उसी के माध्यम से शाही आदेश दिये जाते थे । इसके लिए उसका एक पृथक सचिवालय होता था । यहाँ ही प्रत्येक आदेश पहले पंजीकृत किया जाता था तथा उस पर उसकी मोहर लगाई जाती थी । शाही परिवार का प्रत्येक अथवा घरेलू प्रबन्ध से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति उसके सम्पर्क में आता था । उसका प्रभाव अत्यधिक था इसलिए वह सुल्तान का नाइश समझा जाता था । उसका क्योंकि सदैव ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सम्बन्ध रहता था इसलिए एक असाधारण चतुर और व्यावहारिक व्यक्ति ही इस पद का निर्वाह कर सकता था । उसे सुल्तान की अपने अन्तर्गत समस्त बातों से पूरी तरह सूचित रखना होता था । उसे अत्यन्त सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनसे उसका काम पड़ता था उनका

मध्य सुल्तान से सम्पर्क था। सुल्तान की तनिक सी नाराजगी अथवा सन्देह के कारण उसे न केवल अपने पद से अपितु प्राणों तक से भी हाथ धोना पड़ सकता था। उसकी सहायता के लिए एक अन्य उच्चाधिकारी होता था जिस नाइब वकील ए-दर कहा जाता था। नाइब वकील ए-दर, हमीदुद्दीन को सूचना पर ही अलाउद्दीन खन्जी अकतला क पदयन्त्र से बच सकने में सफल हो पाया था।

विभिन्न कारखाने—घरेलू प्रबन्ध जैसी एक व्यापक संस्थान के लिए एक विशिष्ट आयोजन की आवश्यकता थी। इसक प्रबन्ध के लिए विभिन्न विभाग बनाय गये जिनको कारखाना की मज्जा दी गई थी। भिन्न भिन्न मुल्ताना क समय में कारखानों की संख्या आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न थी। अफीक क अनुसार फीरोज तुगलक के समय में इनकी संख्या 36 थी जिनको रातिवी (निश्चित वेतन वाले) व गैर रातिवी (अनिश्चित वेतन वाले) भागों के वर्गीकृत किया गया था। ऐसे कारखाने जो विगड़ने वाली अथवा विकारी (Perishable) वस्तुओं में सम्बन्धित थे रातिवी कहलाते थे तथा वे कारखाने जो कपड़ा, ड्रेस, खेम, फर्नीचर आदि से सम्बन्धित थे गैर रातिवी कहलाते थे।

अफीक ने फीरोज तुगलक के कारखाना का वर्णन करते हुये लिखा है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कारखाने में अपार धन व्यय किया जाता था। 36 कारखानों में कुछ रातिवी थे और कुछ गैर रातिवी। पीलखाना (गजखाला), पायगाह (अश्वशाला), मतबरक (रसोई), शराबखाना, शमालाना (दक्षिण का प्रबन्ध करने वाला कारखाना), घुनारखाना (ऊटखाना), सगखाना (बुत्ताखाना) भावदारखाना (जल क प्रबन्ध करने वाला) तथा इस प्रकार के अन्य कारखाने रातिवी थे। सुल्तान फीरोजशाह के राज्यकाल में प्रतिदिन इन रातिवी कारखाना पर अपार धन व्यय होता था। रातिवी कारखानों का व्यय (माल अस्वाब), हाशिए (निम्न वर्ग के कमचारी) तथा अन्य लोग के अतिरिक्त 1,6,000 चादी के टुक मासिक था। गैर रातिवी कारखाना में जैन जामदार खाना (बस्त्रों से सम्बन्धित विभाग), अकमखाना (पताकाओं का विभाग), फर्शखाना (फर्श आदि का विभाग), रक़ाबखाना (घोड़ा की जीन आदि में सम्बन्धित विभाग) तथा इसी प्रकार के अन्य कारखानों में प्रत्येक वर्ष नये सामान की तैयारी का आदेश रहता था। अफीक ने लिखा है कि, 'ठण्ड के दिना में पोशाकखाने में 6 लाख टुक खर्च होता था। गर्मी और बसंत ऋतु का खर्च अलग था। अन्तर्गत पर 80 हजार टुक खर्च किये जाते थे। इसके अतिरिक्त इस विभाग में काम करने वाले तथा कारकूनो का वेतन अलग से था। फर्शखाने पर दो लाख टुक खर्च किये जाते थे। - पोशाक के अफसर मलिक अली और मलिक ईशाक थे। "जिन विविध कारखानों को मासिक वेतन मिलता था, उनमें बहुत स कारकून थे जिन्हें प्रति मास नियमानुसार वेतन मिलता था। शाही तबले 5 अलग अलग स्थानों पर थे। इनके अतिरिक्त हजारों घोड़े दिल्ली के समीप चरा करते थे और वे सीह पज' कहलाते थे। ऊटखाना इसके पृथक् था और दक्कनाहन जिल में स्थित

था। वहाँ ऊँटों के रेवाड़ियों के लिए गांव दिये हुए थे। इनकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती थी, क्योंकि जब बड़े-बड़े सरदार दरवार में जाते थे तो अपने साथ विविध प्रकार के ऊँट, भैंट-स्वरूप लाया करते थे।”

प्रत्येक कारखाने को एक विशिष्ट अमीर के अधीन रखा गया था जो मलिक अथवा खान की श्रेणी का हुआ करता था। प्रत्येक कारखाने का एक मुत्सरिफ (अकाउन्टेन्ट) हुआ करता था, जो वरिष्ठ अधिकारियों को हिसाब आदि भेजता था। अन्तिम रूप में समस्त कारखानों का हिसाब, दीवान-ए-बजारस में लिपिबद्ध किया जाता था। फीरोज के समय में एवाजा अबुल हसनखान कारखानों का अधीक्षक था। उसके द्वारा ही विभिन्न कारखानों को आदेश दिये जाते थे।

फीरोज के शासन में जागीर के हिसाब की जांच की जाती थी। जब कोई जागीरदार अपनी जागीर से दरवार में आता था तो उसका हिसाब लेखा-विभाग में उपस्थित किया जाता था। वहाँ उसकी जांच की जाती थी और जांच के परिणाम से सुल्तान को सूचित किया जाता था। जो भी बाकी निकलता उससे उसके विषय में पूछताछ की जाती थी। इसके पश्चात् उसे तुरन्त अपनी जागीर में लौटने का आदेश दे दिया जाता था। कारखानों के प्रबंध (मोहरिर) प्रतिवर्ष के अन्त में लेखा विभाग में उपस्थित होते थे और अपने-अपने विभाग का गोलेशवार विवरण देते थे जिनमें बकाया राशन और माल बताया जाता था।

अमीर-ए-हाजिव

वकील-ए-दर के बाद परन्तु उसी श्रेणी का दूसरा अधिकारी अमीर-ए-हाजिव होता था जिसे 'अमीर-ए-हाजिव-ए-वारवक' भी कहा जाता था। वारवक विधिनायक अथवा दरबारी औपचारिकता को लागू करता था। वह अमीरों और अधिकारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित रखता तथा दरबारी उत्सवों की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखता था। वह सुल्तान और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों तथा जनता के मध्य, मध्यस्थ का काम भी करता था। उसके सहायक, हाजिव, सुल्तान तथा जनसाधारण के बीच खड़े रहते थे तथा प्रत्येक व्यक्ति हाजिव के माध्यम से ही सुल्तान से भेंट कर सकता था। जब तक वे सुल्तान से उसका परिचय न करा दें तब तक कोई भी सुल्तान से मिलने में असमर्थ था। सुल्तान की आज्ञाओं को प्राथियों अथवा अधिकारियों तक पहुंचाने का काम भी इसी विभाग के अन्तर्गत था। सुल्तान के सम्मुख समस्त प्रार्थना-पत्र इसी विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते थे, क्योंकि अमीर-ए-हाजिव का पद अत्यधिक सम्मानित था, इसलिये यह केवल किसी शहजादे अथवा सुल्तान के अनन्य विश्वासपात्र अमीर के लिये सुरक्षित रखा जाता था, यहाँ तक कि नाइब वारवक के पद पर भी सुल्तान के किसी सम्बन्धी अथवा मित्र को ही नियुक्त किया जाता था। उसका ये प्रमुख उत्तरदायित्व था कि प्रमुख दरबारी समारोहों अथवा उत्सवों की व्यवस्था

करें। कभी-कभी सुल्तान की अनुपस्थिति में नाइब वारक किसी अमीर के साथ राजधानी में सुल्तान के नायब के रूप में कार्य करता था। सदैव ही एक अथवा दो हाजिव सुल्तान की उपस्थिति में रहते थे। यहां तक कि जब वह अकेला ही अथवा अमीरों में विचार-विनिमय कर रहा होता तब भी एक या दो हाजिव उसकी सेवा में प्रस्तुत रहते थे। डा. कुर्रशी के अनुसार सम्भवतः इनको खास हाजिव की उपाधि से सम्बोधित किया जाता था। कुछ प्रमुख हाजिवों को 'सैयद-उल-हुज्जाब' आदि की उपाधि से विभूषित किया जाता था। हाजिव मुख्य रूप से प्रशिक्षित सैनिक होते थे और अक्सर उनको सैनिक अभियानों के नेतृत्व के लिये नियुक्त किया जाता था। जब सुल्तान स्वयं किसी अभियान का नेतृत्व करता था तो हाजिव उसके सेक्रेटरी के रूप में कार्य करता था। प्रमुख हाजिवों को सुल्तान मुद्र-समितियों में नियुक्त करता तथा उनकी सलाह को महत्व देता था। किसी एक हाजिव को सुल्तान की प्राप्त नोटों की सूची का कार्य सौंपा गया था।

नकीब

दरबारी समरोहों में नकीब नामक एक निम्न अधिकारी भी हुमा करता था। वे राजकीय शोभायात्रा (जुलूस) के आगे-आगे चलते थे और जोर-जोर से सुल्तान की उपस्थिति की घोषणा किया करते थे। इनका प्रमुख 'नकीब-उल-नक्वा' कहलाता था। यह दरबार के मुख्य-द्वार पर एक ऊँचे चबूतरे पर बैठता था, और प्रत्येक नव-आगन्तुक को छान-बीन करता था।

सरजादार

सरजादार भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जो सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख था। उसके सहायक के रूप में अनेकों जादार हुमा करते थे। वे अपने पौरुष, पराक्रम, दल तथा प्रभावपूर्ण शील-शौल के आधार पर चुने जाते थे। वे निश्चित ही कुशल सैनिक हुमा करते थे और जब कभी भी सुल्तान जनसाधारण के सम्मुख आता था तो वे उसके साथ उपस्थित रहते थे। सुल्तान माघारणतया दो सरजादार रखते थे, एक दायें तथा दूसरा बायें पक्ष के लिये और इन्हें क्रमशः 'सरजादार-ए-मेमन' व 'सरजादार-ए-मेसर' कहा करते थे। दलबन ने मिस्तानी सैनिकों को सरजादार के पद पर नियुक्त किया था और वह उन्हें 61 से 70 हजार जीतल प्रतिवर्ष वेतन के रूप में देना था। वे सुल्तान के साथ नगी, चमचमाती तलवारों को लिये उपस्थित रहते थे जो न केवल सुल्तान के वैभव को बढ़ाते थे, अपितु उसके व्यक्ति पर अचानक आक्रमणों से उसकी रक्षा भी करते थे। जादार साधारणतया परिक्षित स्वामी-भक्त दास हुमा करते थे।

बरीद-ए-मुमालिक

बरीद-ए-मुमालिक नामक अधिकारी सुल्तान के गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। उसके अधीन बाकीया-नबीस, खबर-नबीस व बाकिया निगार नामक सहायक अधिकारी हुमा करते थे। वे बरीद के माध्यम से सुल्तान को सभी

सूचनाओं और घटनाओं की जानकारी देते थे। राज्य के प्रत्येक केन्द्र में एक स्थानीय बरीद की नियुक्ति की जाती थी जो केन्द्र को हर घटना की जानकारी पहुँचाता था। क्योंकि उन दिनों में केन्द्रीय सत्ता के विरुद्ध दूरस्थ इलाकों के अधिकारियों द्वारा पदयंत्र करने की सम्भावना अधिक बनी रहती थी और आवागमन के साधन अत्यन्त सीमित और धीमी-गति के थे, ऐसी स्थिति में बरीदों की भूमिका को सहज ही में आंका जा सकता है। यदि बरीद किसी अधिकारी की अप्रिय घटना की सूचना देने में असफल रहता तो दण्ड के रूप में उसे अपने जीवन से इसका मूल्य चुकाना पड़ता था। सुल्तान बलबन इन बरीदों द्वारा भेजी गई सूचनाओं का आदर करता था और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सतर्क रहता था। बलबन ने अपने पुत्रों तक के लिये बरीदों की नियुक्ति की थी। यदि बरनी के कथन को स्वीकार किया जावे तो अमीर लोग इस विभाग से इतने अधिक आतंकित थे कि वे केवल इशारों में ही बात करते थे। यह यद्यपि अतिरंजित भी हो, परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि यह विभाग अत्यधिक सक्रिय था और सल्तनत युग में इसका महत्व अधिक था। ईमानदार तथा चरित्रवान व्यक्तियों को ही इस विभाग में नियुक्त किया जाता था। कभी-कभी विद्वानों को भी राजहित में उनकी इच्छा के विरुद्ध इस पद को स्वीकार करना पड़ता था।

ये समस्त पद यद्यपि मन्त्रियों की तुलना में गौण थे, परन्तु इनमें से प्रत्येक सुल्तान की व्यक्तिगत सुरक्षा, सम्मान अथवा उसके शासन से सम्बन्धित था। इसलिये ये सुल्तान के निकट सम्पर्क में आते थे। उसके विश्वासपात्र होने के कारण ये कभी-कभी मन्त्रियों से भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया करते थे।

दीवान-ए-बन्दगान

फीरोज तुगलक के समय में क्योंकि दासों की संख्या अत्यधिक थी इसलिये उनकी व्यवस्था करने हेतु एक पृथक विभाग खोला गया था। इसका अध्यक्ष 'अशहब-ए-दीवान-ए-बन्दगान' कहलाता था। दास आरम्भ से ही घरेलू प्रबन्ध के एक अभिन्न अंग थे और शासन चलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। प्रत्येक दास को निम्नतम श्रेणी से उठकर अपनी बुद्धि और योग्यता के आधार पर संघर्ष कर अपने लिये उचित स्थान बनाना पड़ता था। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत उन्हें अनेक अनुभव प्राप्त होते थे। दासों के साथ क्योंकि उचित व सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाता था, इसलिये प्रत्येक व्यक्ति किसी सम्मानित अमीर का दास होने में गर्व अनुभव करता था। इसके अतिरिक्त दास तथा स्वामी के मध्य एक व्यक्तिगत बाण्ड था जिसको परिपाटियों ने पवित्रता प्रदान की थी, इसलिये दासों को रखना मुस्लिम इतिहास में अब्बासिद खलीफाओं के समय से ही न्यायोचित माना जाता रहा है।

अलाउद्दीन खल्जी की सफलता का एक कारण उसके पास लगभग 50 हजार दासों का होना था जिनको उसने शासन के प्रत्येक भाग में नियुक्त कर तथा सैनिक प्रशिक्षण देकर एक संगठन का रूप दे दिया था। फीरोज के समय में

दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुँच गई थी। फीरोज ने अपने सेनाधिकारियों को आदेश दे रखा था कि वे युद्ध-बन्धियों के रूप में अधिक से अधिक बन्दी बनाकर तथा उनको प्रशिक्षित कर उसे प्रस्तुत करें।

फीरोज ने इनको विभिन्न कार्यों में लगा रखा था। व्यक्तिगत सरसक के रूप में इनकी काफी संख्या में खपत हो जाती थी। घरेलू प्रबन्ध अथवा प्रशासन का कोई ऐसा विभाग नहीं था, जिसमें दास न हो। इत्तामो तथा राजधानी में भी इनकी संख्या कम न थी। अफ्रीफ लिखता है, "जब सुल्तान फीरोजशाह किमी भ्रमर जाता था तो घनुर्घारी दास पृथक समूह बनाकर भागे-भागे चलते थे। हजार-हजार तलवार चलाने वाले, दास, 'बन्देगान भावदं' (युद्ध करने वाले दास), बाहुली (शिकार खेलने वाले दास) मैसो पर सवार होकर कुछ बन्दगाने हज़ारा तुर्की तथा अरबी घोड़ों पर सवार परिजनो सहित हज़ारों की संख्या में पृथक-पृथक बादशाह के पीछे चलते थे। परन्तु इसके बाद भी शासन इनको खपाने में असमर्थ रहा और इसलिये फीरोज ने इनको विभिन्न संस्थाओं में साधारण व धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेज दिया। अफ्रीफ ने फिर लिखा है, 'कुछ दास कुरान आदि धार्मिक पुस्तकों को कण्ठस्थ करने, अथवा धार्मिक अध्ययन करने अथवा पुस्तकों की प्रतिलिपि बनाने में लगे रहते थे। लगभग 12,000 दामो को विभिन्न शिन्पो की शिक्षा दी जाती थी। कुछ दासों को मक्का भेज दिया गया था जिसमें वे वहाँ मनन, प्रार्थना आदि में अपना जीवन व्यतीत करें।¹

दासों को खाना और कपड़े के अनिश्चित वेतन रूप में 20 से 125 टक नरुद दिया जाता था। प्रो० कुरेशी का मत है कि मुहम्मद तुगलक के निष्ठुर और अप्रिय व्यवहार के कारण सल्तनत में जो चारों ओर विद्रोहों ने अपना सर उठा रखा था, फीरोज इन्हीं दामों की महायत्ना से उनको शान्त करने में सफल हुआ। परन्तु डॉ० कुरेशी का यह मत अधिक तर्कमग्न नहीं है। उनके विचारों में विरोधाभास है, क्योंकि एक ओर तो उनका कथन है कि फीरोज के अन्तिम दिन इनके पदयन्त्रों से आच्छादित थे और इनमें से कुछ के कुकर्मों ने राज्य में अराजकता फैला दी थी और दूसरी ओर वे फीरोज तुगलक के समय की अराजकता को शान्त करने में दासों का योगदान स्वीकार करते हैं। मनुष्य चरित्र में आधारभूत विषमता का इनकी शीघ्रता से परिवर्तन होना स्वाभाविक नहीं है। फीरोज की दाम-प्रथा ने उसके दुर्बल उत्तराधिकारियों के विनाश को सन्निकट ला दिया, अधिक उचित है। डॉ० बनारसी प्रसाद ने लिखा है कि, "अन्ततोगत्वा, ये दाम एतने साहसी बन गये कि उन्होंने फीरोज के परिवार के शाहजादों के सिर बेहिचक काट डाले और उन्हें दरवार के दरवाजे पर लटका दिया।"

इस समस्त विवरण के आधार पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि समस्त सल्तनत काल में कोई ऐसा समय नहीं आया जब प्रशासन के कार्य में

स्थिरता आई हो। सुल्तानों ने नई व्यवस्था स्थापित करने की अपेक्षा पुरानी इस्लामी मान्यताओं के आधार पर ही शासन चलाना अधिक हितकर और उपयोगी समझा और केवल आवश्यकभावी परिवर्तन ही किये परन्तु इनका मूलाधार शरा अथवा हदीस होना आवश्यक था।

यह ठीक है कि सुल्तान एक निश्चित तथा व्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म नहीं दे सके, परन्तु उनकी इस न्यूनता का मूल्यांकन करते समय हमें आज के प्रशासकीय आदर्शों के आधार पर उनके प्रशासकीय आदर्शों की तुलना करना न्याय-संगत नहीं होगा। उचित मूल्यांकन तभी संभव है, जब हम सल्तनतकालीन व्यवस्था की समकालीन इस्लामी व्यवस्था से तुलना करें और फिर यह निष्कर्ष निकालें कि सल्तनत उस दिशा में किस प्रकार और क्योंकर गतिमान नहीं रही।

सैनिक संगठन

सूमिका—शक्तिशाली सैनिक संगठन को बनाये रखने की आवश्यकता निरन्तर अनुभव की जाती रही है। शक्ति का ह्रास सदैव ही राज्य के विघटन के लिये उत्तरदायी रहा है। यह आवश्यकता 13 वीं शताब्दी में अधिक अनुभव की जाती थी, क्योंकि उस युग में शक्ति ही राज-सत्ता की अविभाज्य सहचरी थी। यदि तुर्कों ने इसको प्राथमिकता प्रदान करी और राज्य स्थापना तथा उसको अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु सेना का समयानुकूल संगठन खड़ा किया, तो उन्हें इस आधार पर किसी प्रकार दोषी ठहराना उचित न होगा। साधारणतया प्रत्येक राज्य की स्थापना का आधार ही शक्ति रहा है और सल्तनत जैसे नव-जन्मित राज्य की भौगोलिक स्थिति ने इसे और भी अधिक आवश्यक बना दिया था।

सल्तनत की स्थापना एक ऐसे प्रदेश में हुई थी जहाँ के लोगों का धर्म व आचार-विचार तुर्की-विजेताओं से भिन्न था और स्वाभाविक रूप से दोनों में विरोधी प्रवृत्तियाँ आपेक्षित थीं। विजेता और विजित सदैव से ही विरोधी रहते आये हैं और यदि विजितों ने और विशेषकर राजपूतों ने विजेताओं के परतन्त्रता के जूड़े को उतार फेंकने का सतत् प्रयास किया तो यह भी आपेक्षित था। इस सतत् विरोध की पृष्ठभूमि में सेना संगठित करना और अधिक न्यायोचित हो गया। क्योंकि राजपूत तुर्कों को निकाल फेंकने के लिये कटिबद्ध थे, इसलिये उनकी शक्ति का विरोध केवल सेना के आधार पर करने के अतिरिक्त तुर्कों के पास कोई दूसरा चारा न था। राजपूतों के निरन्तर विरोध के अतिरिक्त धर्मियों तथा इस्लाम में दीक्षित अनुयायियों की विद्रोहात्मक प्रवृत्तियों ने सुल्तानों को सेना के संगठन को व्यवस्थित बनाने के लिये प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त उत्तर-पश्चिम से खूँखार मंगोलों के आक्रमणों की संभावना ने नव-स्थापित तुर्की राज्य की सुरक्षा के लिये इसको और अधिक आवश्यक बना दिया। क्योंकि मंगोल स्वयं में एक शक्ति थे, इसलिये शक्ति का प्रतिरोध केवल शक्ति के द्वारा ही संभव था।

तुर्कों ने इस आधार पर भारत के प्रत्येक तुक के मिथ्याभिमान को कुरेद कर उनको सम्मानित पदों पर आसीन कर प्रत्येक से बगर किसी भेद भाव के सैनिक-सेवा प्राप्त करने का प्रयास किया। तुर्कों के लिये यह आवश्यक भी था क्योंकि हिन्दुओं की सख्या अत्यधिक थी और उनको अकुशित करने के लिये प्रत्येक तुक का सहयोग आवश्यक था। योग्य अथवा अयोग्य का प्रश्न तो उस समय उठता जब मौंग की मात्रा खपत से कम होती। इसलिये तुर्कों ने सैनिक और असैनिक पदों में किसी प्रकार का भेद भाव किये बगर प्रत्येक तुक से एक ही साथ दोनों प्रकार की सेवाओं को प्राप्त किया। अपने आरम्भिक काल में इसी व्यवस्था के अंतर्गत सैनिक संगठन खड़ा किया गया परंतु जैसे-जैसे तुर्कों की स्थिति दृढ़ होने लगी वैसे ही कार्य विभाजन का विचार अधिक प्रभावशाली होता गया। विजताभा ने जैसे-जैसे प्रशासन का उत्तरदायित्व सम्भाला वैसे ही वैसे सेना एक वृत्ति अथवा व्यवसाय के रूप में उभर आयी।

तुर्की आदेश—सल्तनतकालीन सैनिक व्यवस्था का आधार तुर्की आदेश था जो कि दशमलव प्रणाली पर आधारित था। गजनवी शासक के समय में यही व्यवस्था बनी रही जिसको तुर्कों ने भी स्वीकार किया। जुगना खां ने अपने पुत्र ककूबाद को दृष्टांत देते समय अलग अलग श्रेणियों का विवेचन किया है। इसके अन्तर्गत एक सारखेत के अधीन 10 घुडसवार एक सिपहसालार के अधीन 10 सारखेत एक अमीर के अधीन 10 सिपहसालार एक मलिक के अधीन 10 अमीर और एक खान के अधीन 10 मलिक हुआ करते थे। इस प्रकार एक खान के अधीन 10 000 घुडसवार एक मलिक के अधीन 1 000 घडमवार व एक अमीर के अधीन 100 घुडमवार हुआ करते थे।¹ डा० ड के अनुसार यह सख्या अधिकारियों द्वारा सैनिकों की सख्या की अपेक्षा केवल अमीरवर्ग के श्रेणी विभाजन को बताती है। अमीर खुसरौ के बयान से भी मालुम पड़ता है कि ककूबाद के शासन में पांच सशस्त्र प्रसिद्ध सैनिकों ने एक लाख सेना का संचालन किया था।

राज्य की समस्त सना अमीरा बनिया व इत्तादारा की टुकड़ियों व मुल्तान के नेतृत्व में उसके व्यक्तिगत सैनिकों को मिलाकर बनी थी। राजधानी में स्थित सैनिकों को हूश ए-कलब की सना से सम्बोधित किया जाता था जिसमें मुल्तान के अमरदख (जानदार) हुआ करते थे। ये सेना के कर्तृ विदुषः। जानदारों का चुनाव मुल्तान के व्यक्तिगत दासों में से सर ए जानदारन के माध्यम से किया जाता था जो कि अधिकतर एक स्वतंत्र जन्मिit अमीर होता था। इनकी सख्या मुल्तान की इच्छा पर निर्भर थी परंतु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये अधिक सख्या में रहे होंगे क्योंकि मुस्ता व नूतबी जानदारों ने एतुतमिश के गद्दी प्राप्ति के समय काफी कठिनाइयाँ उपस्थित की थीं। इनके अनिर्दिष्ट स्थायी मना थी जिस वजहिस

तथा अस्थायी सेना को 'गैर वजहिस' कह कर पुकारा जाता था। प्रमीरों और इक्तादारों की सैनिक टुकड़ियां भी राज्य में विद्यमान थीं।

विभाग—इस समस्त सेना को हम अश्वारोही, हस्ति सेना व पैदल सेना में बांट सकते हैं। इन सबमें अश्वारोही सेना सबसे महत्वपूर्ण थी और उसकी समुचित व्यवस्था पर ही अधिक ध्यान दिया जाता था। दूसरा स्थान हस्ति-सेना का था जिसे सुल्तान एक मूल्यवान निधि मानते थे। पैदल सेना को निम्नतर माना जाता था और उनकी भूमिका आधुनिक काल के मजदूरों अथवा सफरमैना (Sappers) या खनिकों (Miners) से अधिक नहीं थी। संकटकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिये स्थानीय भर्ती कर ली जाती थी। सुल्तान सदैव ही अपने व्यक्तिगत निदेशन में अधिक सैनिकों को रखकर सेना को शक्तिशाली बनाने के लिये प्रयत्नशील रहते थे।

भर्ती—अमीर स्वयं अपनी टुकड़ियों की भर्ती करते थे। बुरगा खां को समाना और सुनम का इक्तादार नियुक्त करते समय बलबन ने आदेश दिया कि वह पुराने सैनिकों के भस्ते में वढोत्तरी कर दे तथा नये सैनिकों की भर्ती को दुगुना कर दे। उसे यह भी आदेश था कि वह सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति में सतर्क रहे। इस प्रकार की भर्ती की व्यवस्था लगभग समस्त सल्तन-युग में रही। सम्भवतः बलबन इसके दुष्परिणामों से भिन्न था, इसीलिये उसने स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु राज्य के समस्त महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने अत्यधिक विश्वासपात्रों की ही नियुक्ति किया था। अमीरों के द्वारा भर्ती तथा सैनिक टुकड़ियां उनके अन्तर्गत रखने की व्यवस्था बलबन के समय में सुचारु रूप में रही तथा समयानुकूल सिद्ध हुई। इस सेना ने एक ओर तो मंगोलों का सफलतापूर्वक विरोध किया तथा साथ ही केन्द्रीय सरकार को अनावश्यक व्यय के द्रोह से मुक्त रखा। क्योंकि यह सेना राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरी हुई थी, इसलिये समय-असमय इसको सरलता से एकत्रित कर किसी भी दिशा में आवश्यकतानुसार भेज सकना सम्भव था। बलबन ने एक समय समाना ने बुरगा खां, मुल्तान से शाहजादा मुहम्मद व दिल्ली से मलिक वारबक को मंगोलों के विरुद्ध संयुक्त अभियान करने के आदेश प्रदान किये थे। असाउद्दीन खल्जी के समय में भी हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं। मलिक काफूर द्वारा दक्षिण के दूसरे अभियान के समय मलिक और अमीर अपने-अपने घुड़सवार तथा पैदलों को लेकर चन्देरी के निकट उससे मिल गये जहाँ उनका पुनरावलोकन किया गया। निश्चित ही यह अमीरों द्वारा भर्ती किये गये सैनिकों की ओर इंगित करता है जिनका आरिज न पुनः निरीक्षण किया था।

सैनिक संगठन—मुहम्मद तुगलक की घुड़सवारों की संख्या लगभग 1 लाख थी। यह संख्या स्वयं सुल्तान तथा अमीरों के द्वारा भर्ती किये गये घुड़सवारों की है। क्योंकि यह सेना राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में बिखरी हुई थी और इसलिये यह

समस्त सेना केन्द्रीय सरकार क द्वारा भर्ती की गई हो, ऐसा निश्चित ही सम्भव नहीं है। फीरोज़ तुगलक के समय में सैनिकों की संख्या 90,000 थी, परन्तु यह संख्या केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत आरिज के विभाग में नामांकित (enrolled) सैनिकों की है और यह आवश्यक नहीं है कि स्वयं आरिज ने इनको भर्ती किया हो। सम्भवतः इसका कारण था कि राज्य की सीमाएँ काफी संकुचित हो चुकी थीं, इसलिए सैनिक संख्या में प्रचानक गिरावट हो गई।

सैनिक संगठन की ओर प्रथम बार बलबन ने ध्यान दिया। उसने आरिज की शक्ति व सम्मान में वृद्धि कर उनको मंत्री-पद प्रदान किया। आरम्भिक काल में केन्द्रीय सरकार केवल सैनिक अनुदानग्राही (grantee) का लेखा रखती थी। सैनिक विभाग इनकी कार्यक्षमता की जांच-पड़ताल नहीं करता था। बलबन ने आरिज का आदेश दिया कि वह शम्सी सैनिक अनुदानग्राही का विवरण प्रस्तुत किया करे। इसके अतिरिक्त वह और कुछ न कर सका।

अलाउद्दीन के सैनिक सुधारों के माथ ही हमें सेना के केन्द्रीयकरण के क्षेत्र में प्रभावकारी प्रमाण मिलते हैं। उनके सुधारों के फलस्वरूप एक ओर तो सैनिकों को नकद वेतन दिया जान लगा तथा दूसरी ओर उनको स्थायी आधार पर सेवारत किया गया। भर्ती के पहले आरिज के द्वारा उनका परीक्षण किया जाता था और उनके बाद उनके नाम आरिज द्वारा पंजीकृत कर लिये जाते थे। अलाउद्दीन ने घोड़ा की दागने की प्रथा को लागू किया जो कि आरिज के विभाग के द्वारा की जाती थी। तत्पश्चात् आरिज के विभाग के द्वारा ही सैनिकों की भर्ती की जाती थी तथा उनका लेखा-जोखा रखा जाता था। वह न केवल मुल्तान के अधीन रहने वाली सेना का ही हिसाब रखता था, अपितु राज्य के महत्वपूर्ण और सामरिक स्थानों पर रहे जान वाले सैनिकों का भी लेखा जोखा रखता था। बरनी के विवरण से इन तथ्यों की पुष्टि होती है।

सैनिकों के नामांकन की पद्धति समस्त सल्तनत-काल में सैनिक संगठन की एक विशिष्टता बनी रही। मुहम्मद तुगलक के राज्य-काल में आरिज के विभाग में लगभग 3,70,000 सैनिकों की भर्ती हुई। निश्चित ही यह संख्या केन्द्र में भर्ती की गई सेना की थी क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि मुहम्मद तुगलक की सम्पूर्ण सेना की संख्या 9,00,000 थी।¹ फीरोज़ तुगलक के शासन-काल में इस पद्धति का ह्याम हुआ। परिणामस्वरूप था तो अमीर अपने दास आदि को हाजरी के समय प्रस्तुत कर उनके वेतन, भत्ते आदि को प्राप्त कर लेते थे और फिर स्वयं इसका उपयोग करते थे अथवा घटिया अर्णों के घोड़ों को प्रस्तुत कर राज्य की घोखा देते थे। अवस्था इनकी दयनीय थी कि सैनिक, अतिरिक्त समय देने के बाद भी निरीक्षण से

1. इफिक्ट, बहो, भाग 3, पृ 576

अनुपस्थित रहते थे। इसके अतिरिक्त सेना में भ्रष्टाचार घर कर चुका था। इसका अनुमान इसी से आंका जा सकता है कि सुल्तान ने स्वयं एक टंक देकर सम्बन्धित अधिकारी से सैनिक के घोड़े की स्वीकृति करवाने की व्यवस्था की। स्वयं सुल्तान के द्वारा इस प्रकार से घूस देने के प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के आघार पर हम सहज ही में उसके राज्य-काल की सैनिक योग्यता का अनुमान लगा सकते हैं।

फ़ीरोज के समय में सैनिक सेवा को भी वंशानुगत कर दिया गया। अयोग्य और बूढ़ों को भी दया और सहानुभूति के कारण सैनिक-सेवा करने में अक्षम्य होने पर भी सेवा में बने रहने दिया। फ़ीरोज ने वहीं-सही सैनिक योग्यता को यह नियम बनाकर कि सैनिक के बूढ़ होने पर उसका पुत्र, पुत्र न होने पर उसका दामाद, दामाद न होने पर दास उसका स्थान प्राप्त करने का अधिकारी है, चौपट कर दिया। इस नियम से उसकी सैनिक पटुता और सैनिक शक्ति का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। सैनिक-संगठन की अन्त्येष्टि सैनिकों को जागीर के रूप में वेतन देकर पूरी कर दी गई। इसी अव्यवस्था ने सल्तनत की नींव हिला दी।

अधिकारी—सल्तनत की स्थापना का आघार क्योंकि शक्ति थी इसलिए राज्य का प्रत्येक अधिकारी सैनिक कोटि का ही था परन्तु यह आवश्यक नहीं था कि वह प्रत्यक्ष रूप से सेना से सम्बन्धित हो।

सेना का कोई स्थायी सेनापति नहीं था। सुल्तान ही स्वयं इसका अध्यक्ष व सेनापति था। प्रत्येक अभियान के समय एक सेनानायक की नियुक्ति की जाती थी और उसका कार्यकाल केवल अभियान की समाप्ति तक ही रहता था। बंगाल के विद्रोही तुगरिल खां के विरुद्ध अमीन खां को तथा देवगिरि और धारंगल के अभियान-हेतु मलिक काफूर को सेनापति नियुक्त किया गया था। जब कभी सेनापति को युद्ध-संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा जाता था, तो साधारणतया सुल्तान उसे एक लाल छतरी प्रदान करता था।

सुल्ताना रजिया के शासन-काल को छोड़कर सेनापति की नियुक्ति के सम्बन्ध में यही व्यवस्था बनी रही। सम्भवतः स्त्री होने के नाते उसे यह अरुचिकर लगा कि वह स्वयं सेनापति के पद का भार वहन करे और इसलिए उसने सर्वप्रथम मलिक सेफुद्दीन को और उसकी मृत्यु पर मलिक कुतुबुद्दीन को सेनापति के पद पर नियुक्त किया।

सेना के संगठन के लिए आरिज-ए-मुमालिक व नायब आरिज-ए-मुमालिक अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकारी थे। उन्हीं के द्वारा हाजिरी ली जाती थी, घोड़ों को दागा जाता था और अन्य प्रकार की व्यवस्थायें की जाती थीं। अलाउद्दीन नायब आरिज को सदैव ही अभियानों के साथ भेजता था। उसका काम रसद आदि की

व्यवस्था करना सेना के प्रशासन को देखना तथा हाथिया और लूट के माल को प्राप्त करना था। सुल्तान को लूट का हिसाब देने के लिए सम्पत्ति-सूची (Inventory) बनाना भी उसी का काम था। यह निश्चित ही एक महत्वपूर्ण कार्य रहा होगा क्योंकि इसी में से राज्य के लिए खम्स वसूल किया जाता था तथा शेष सैनिकों में बांट दिया जाता था।

भारिज के पश्चात् अमीर आखूर भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। अमीर आखूर के पद पर किसी अत्यधिक विश्वासपात्र अथवा सम्बन्धी को ही नियुक्त किया जाता था। कुतुबुद्दीन, मुहम्मद गौरी का, अलमास बेग, अलाउद्दीन का (अलाउद्दीन का भ्राता) व जूना खा सब ही अमीर आखूर के पद पर रहे थे। अमीर आखूर अधिकतर राजधानी में सुल्तान के साथ रहता था और निश्चित रूप से वह एक योग्य व्यक्ति ही रहा होगा, क्योंकि ममस्त सल्तनतकाल में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। डा डे का मत है कि उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के आधार पर यह स्वीकार करना कि वह केवल सुल्तानों की घुड़माल का निरीक्षक मात्र था अमात्मक होगा।

वेतन—जहाँ तक सैनिक अधिकारियों तथा सैनिकों के वेतन का प्रश्न है यह स्वीकार करना कि समस्त युग में वेतन स्थिर रहे होंगे नितान्त असम्भव है। राज्य की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति ने स्वाभाविक रूप से वेतन निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। इसके अनिश्चित सैनिकों की स्वीकृति भी इसमें निहित थी। सल्तनत का स्वरूप सैनिक होने के कारण सैनिकों को संतुष्ट रखना भी राज्य के लिए उपादेय था।

भारम्भिक काल में स्थिति अधिक टावाटोल रही होगी, क्योंकि वह समय सल्तनत की स्थापना का काल था और क्योंकि राज्य की स्थापना केवल सैनिक शक्ति पर ही सम्भव थी इसलिए सैनिकों को अधिक वेतन देकर तथा लूट के माल में पूरी तरह भागीदार बनाकर उनको राज्य के प्रति स्वामिभक्त बनाये रखना आवश्यक था। समकालीन इतिहासकार इस सम्बन्ध में पूर्णतया मौन हैं। इसका कारण सम्भवतः यह हो सकता है कि मुस्लिम राज्य में प्रत्येक मुसलमान आर्थिक रूप में राज्य की सेना का सदस्य समझा जाता था और ऐसी स्थिति में राज्य की सैनिक रूप में सहायता करना उसका स्वाभाविक धर्म था। फिर भारत में तुर्कों की सख्या ही नगण्य थी और प्रत्येक तुर्क राज्य स्थापना के युग में स्वयं को लूट के माल में भागीदार समझता था और क्योंकि खम्स लेने के पश्चात् भी उसे लूट के माल में से ठोस धन-राशि प्राप्त हो जाती रही होगी, इसलिए ममकालीन लेखकों ने वेतन के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी है। हमें इल्तुतमिश के समय के बारे में केवल यह संकेत प्राप्त होता है कि उसने उदारता से सैनिकों को उनके दैनिक वेतन से अधिक ही दिया। इल्तुतमिश की परिस्थितियों में यह आवश्यक भी था क्योंकि उसे एक

और तो सजातीय तुर्कों और दूसरी ओर भारतीय शत्रुओं का सफलता से विरोध कर सल्तनत की आधारशिला रखनी थी। इल्तुतमिश ने इसी आधार पर सैनिकों के वेतन का भुगतान नकद में न कर राजस्व-प्रावंटन (Assignment) के रूप में किया था।

बलबन के सम्मुख जब राज्य-संगठन का प्रश्न आया तो उसने यह अनुभव किया कि दोआब में लगभग दो हजार ऐसे अश्वारोही हैं जिन्हें कि इल्तुतमिश के द्वारा गाँव प्रदान किये गये थे, परन्तु सुल्तान की मृत्यु के पश्चात् वे राज्य-सेवा से विमुख हो गये हैं। बलबन इस अव्यवस्था को समाप्त करने का इच्छुक था परन्तु कोतवान फलरुद्दीन के सुझाव पर वह कोई परिवर्तन करने में असमर्थ रहा। राजस्व-प्रावंटन की यह नीति अलाउद्दीन खल्जी के समय तक चलती रही।

उसने राजस्व-प्रावंटन की अपेक्षा सैनिकों का वेतन नकद में भुगतान करने की नीति अपनाई। समकालीन इतिहासकार इस सम्बन्ध में मौन हैं कि अलाउद्दीन के पहले राजस्व-प्रावंटन के साथ ही नकद वेतन भी दिया जाता था अथवा नहीं? यह कहना भी कठिन है कि यह पद्धति पूर्ण रूप से नवीन थी अथवा नहीं? बरनी ने अलाउद्दीन खल्जी के सैनिक सुधारों की विवेचना करते हुए पहली बार सैनिकों को नकद वेतन देने का वर्णन किया है।

यह नकद वेतन भी केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा भर्ती किये गये सैनिकों को ही दिया जाता था जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में थे। इस्लामों में रहने वाले सैनिकों को अलाउद्दीन के समय में भी राजस्व-प्रावंटन के रूप में वेतन का भुगतान किया जाता रहा।

घुड़सवार सैनिकों के वेतनमान के सम्बन्ध में मतभेद है। डॉ० कुरेशी ने फरिश्ता के विवरण के आधार पर सैनिकों के तीन विभिन्न वेतनमान स्वीकार किये हैं। उनके अनुसार मुरातिब, सवार व दो-अस्पा सैनिकों को 234, 156 व 78 टंक प्रतिवर्ष दिये जाते थे। बरनी को उद्धरित करते हुए उन्होंने लिखा है कि सवार दो-अस्पा से श्रेष्ठ था क्योंकि सवार अपने पराक्रम से एक सौ मंगोलों को खदेड़ सकता था, जबकि दो-अस्पा केवल दस मंगोलों को बन्दी बनाने में समर्थ था।

डॉ० कुरेशी की इस मान्यता को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। सर्वप्रथम ऐसा प्रमाणित करना सम्भव नहीं हो पाया है जिसके आधार पर यह स्वीकार किया जा सके कि मुरातिब सैनिक सेना में एक वरिष्ठ व श्रेष्ठ अधिकारी था। यदि ऐसा होता तो बरनी निश्चित ही इस ओर संकेत करता अथवा सेना में उसके पद की विवेचना करता। इसके विपरीत यह सत्य सत्यता से अधिक मेल खाता है कि मुरातिब सैनिक एक साधारण सैनिक (अहल-ए-जिहाद) से अधिक न था, क्योंकि दोनों को ही प्रति वर्ष 234 टंक वेतन के रूप में प्राप्त होते थे। साथ ही बरनी ने कहीं पर भी विवरण नहीं दिया है कि दो-अस्पा निम्नतम वेतनमान का सैनिक था अथवा सवार द्वितीय वेतनमान में था। बरनी ने 'सवार' शब्द का प्रयोग

केवल घुड़सवार के सन्दर्भ में ही किया है। उसने विशेष रूप से कहीं भी यह लेख नहीं किया कि 'सवार' दो-अस्पा से श्रेष्ठ था। वह यह प्रकट करना चाहता था कि भारतीय सैनिक इतना प्रबल हो गया था कि एक दो-अस्पा सैनिक दस युद्ध-बन्दी बना सकता था और एक घुड़सवार 100 मंगोलों को खदेड़ सकता था। साधारण-तया 10 को युद्ध-बन्दी बनाना, 100 को खदेड़ने की अपेक्षा अधिक कठिन है। वरनी का वर्णन भारतीय सैनिक की श्रेष्ठता को निश्चयपूर्वक स्थापित करने का एक प्रतिशयोक्तिपूर्ण ढंग है और ऐसी स्थिति में उसके शाब्दिक अर्थ को स्वीकार कर लेना उचित नहीं होगा।

डॉ० लाल के अनुसार अलाउद्दीन एक मुरानिक सैनिक को प्रतिवर्ष 234 टक पेटन देता था। सरकारी आधार पर मुरानिक सैनिक वह था जो नियमित रूप से सैनिक हो, जिसको दीवान-ए आरिज ने निरीक्षण कर भर्ती किया हो और जिसके वेतन का भुगतान सीपा केन्द्रीय खजाने से किया जावे। ऐसे सैनिक का वेतन मुल्तान ने 234 टक प्रतिवर्ष निश्चित किया था। स्वाभाविक रूप में ऐसे सैनिक से एक घोड़ा रखने की अपेक्षा की जाती थी, परन्तु यदि उसके पास एक अतिरिक्त घोड़ा होता था तो ऐसी स्थिति में उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाना निश्चित था और इस अतिरिक्त घोड़े के लिये उसे 78 टक प्रतिवर्ष और दिये जाते थे। सरकारी तौर पर इसे 'दो-अस्पा' कहते थे। इस प्रकार से जिस घुड़सवार के पास दो घोड़े होते थे उसे 312 टक प्रतिवर्ष मिलते थे। 234 टक उसका व्यक्तिगत वेतन तथा 78 टक एक अतिरिक्त घोड़ा रखने के लिए थे। क्योंकि उसे अतिरिक्त घोड़े के लिए भत्ता मिलता था, इसलिए मुल्तान का यह आग्रह था कि सैनिक एक अतिरिक्त घोड़ा रखे। साधारण सैनिक जिसको 234 टक प्रतिवर्ष मिलते थे उससे केवल एक घोड़ा रखने की ही आशा की जाती थी और तकनीकी आधार पर उसे 'यक-अस्पा' पुकारते थे। यह स्पष्ट है कि 'यक-अस्पा' को कोई भत्ता नहीं दिया जाता था।

इस तथ्य की पुष्टि वरनी के विविध लेखों से होती है। वरनी ने लिखा है कि सैनिक का वेतन तथा दो अस्पा को दिया जाने वाला भत्ता उसके निर्वाह के लिये पर्याप्त होगा। इसी प्रकार काजी मुगीमुद्दीन और अलाउद्दीन के बीच हुए वार्तालाप से भी यही भान होता है, क्योंकि काजी मुगीमुद्दीन के अनुसार मुल्तान को एक साधारण सैनिक की तरह जीवन यापन करना चाहिए तथा स्वयं और अपने परिवार पर केवल 234 टक प्रतिवर्ष ही व्यय करना चाहिए।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक घुड़सवार सैनिक को प्रतिवर्ष 234 टक अथवा प्रतिमाह साढ़े उन्नीस टक मिलते थे और एक अतिरिक्त घोड़ा रखने पर साढ़े छ टक प्रति माह और दिया जाता था।

सैनिक का वेतन निश्चित ही अपर्याप्त था परन्तु अलाउद्दीन सेना को सतुष्ट रखने के लिए विशेष रूप से जागरूक था। वाग्दल के अभियान पर जाते समय उसने मलिक ताजुद्दीन काफूर को जो अनुदेग दिये थे वे उसकी इस मनोभावना को

प्रमाणित करते हैं। अलाउद्दीन इससे अधिक वेतन देने में असमर्थ था अपितु वह राजस्व-आवंटन के रूप में भी वेतन चुकाने के प्रति तत्पर नहीं था। अतएव उसने जीवन की आवश्यकताओं को सस्ती बना दिया, बाजार-नियंत्रण किया तथा अनेकों आर्थिक सुधारों को लागू किया जिससे कि सैनिक नाम-नात्र के वेतन में जीवन निर्वाह कर सके। अलाउद्दीन के पास इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प भी नहीं था, परन्तु इसके बाद भी उसकी सफलता इसमें निहित है कि वह अपने सैनिकों को सन्तुष्ट रख उनसे अपनी विजय-पिपासा को तृप्त करवा पाया।

अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही उसकी समस्त व्यवस्था का अंत हो गया। गयासुद्दीन तुगलक के समय में दिये जाने वाले वेतन की ममुचित जानकारी प्राप्त नहीं है। परन्तु इतना स्पष्ट है कि सैनिकों को अलाउद्दीन के समय से अधिक वेतन दिया जाता था। उसने अधिकारियों को यह आदेश दे रखा था कि वे सैनिकों के वेतन से किसी प्रकार की कटौती न करें, अपितु अपनी आय में से भी कुछ दें। इससे यह आभास होता है कि इत्तादार ही स्वयं अपने अधीन सैनिकों का वेतन-भुगतान करते थे, यद्यपि सैनिकों का वेतन केन्द्रीय सरकार की ओर से निश्चित किया जाता था। इसके अतिरिक्त यह इस बात को भी प्रमाणित करता है कि इत्तादार सैनिकों को निश्चित वेतन से कम देते थे और केन्द्र ने उसको पूरा वेतन चुकाने के आदेश दिये थे। मुहम्मद तुगलक के समय में सैनिकों को भोजन, परिधान (ड्रेस) व चारे के अतिरिक्त 500 टंक दिये जाते थे। यह स्पष्ट नहीं है कि भोजन आदि युद्ध-काल ही में दिये जाते थे अथवा सैनिक शान्ति-काल में भी इनके पाने के अधिकारी थे। यह वेतन राजस्व आवंटन में न दिया जाकर खजाने से दिया जाता था। फीरोज तुगलक ने समस्त पुराने, कठोर नियमों को तिलांजलि दे दी और इस तरह से सल्तनत को द्रुतगति से पतन की ओर अग्रसर किया।

अमीरों आदि के वेतन के सम्बन्ध में मसालिक-उल-अवसार से जानकारी मिलती है। इसके अनुसार एक खान को एक लाख टंक, एक मलिक को 50 से 60 हजार टंक, एक अमीर को 30 से 40 हजार टंक, एक सिपहसालार को 20 हजार टंक व साधारण अधिकारियों को 1 से 10 हजार टंक प्रतिवर्ष मिलते थे।¹ इनको इतनी आय की भूमि प्रदान कर दी जाती थी। यह उनका व्यक्तिगत वेतन था जिसमें सैनिकों का वेतन सम्मिलित नहीं किया गया था। इस नीति के अन्तर्गत अमीर को साधारणतया ऐसी भूमि प्राप्त होती थी जिसकी आय उसके निर्धारित वेतन से अधिक होती थी और वह लाभ का भागीदार होता था। परन्तु यह लाभार्थ उस स्थिति में नगण्य रह जाता था जबकि अमीर की नियुक्ति के स्थान पर ही उसकी प्राप्त भूमि न हो। ऐसी स्थिति में स्वयं अमीर अपने कारिन्दों के द्वारा ऐसी भूमि से आय एकत्रित करवाता था।

साज-सज्जा—घुड़सवार सैनिकों की वेशभूषा काठी और शस्त्र तुर्कों आदर्शों पर आधारित थे। आरम्भिक सुल्तानों के द्वारा मुद्रित अनेक सिक्कों से इसकी पुष्टि होती है। घोड़े पर एक स्पात की झूल लटकी होती थी। बारबोसा के अनुसार यह इतनी हल्की थी कि घोड़े चौगान के खेल में भाग लेने में समर्थ थे। प्रत्येक सैनिक अपनी सुरक्षा-हेतु कंधे पर शिर रक्षक से सुसज्जित रहता था। कई घुड़सवार ह्र्द की बण्डी भी पहने रहते थे। प्रत्येक सैनिक के पास दो तलवारें एक खजर एक तुर्की कमान और अनेक अछठी किस्म के तीर हुआ करते थे। काठी से लगी हुई तलवार रकाव की और दूसरी तरकश की तलवार कहलाती थी। यद्यपि बारबोसा ने दिल्ली के घुड़सवारों का वर्णन नहीं दिया है परन्तु वह उनकी चतुरता युद्ध में तत्परता तथा अश्वों की प्रशंसा करता है।

घुड़सवारों के पश्चात् सल्तनत काल में हस्ति सेना महत्वपूर्ण थी। सुल्तान हस्ति सेना के प्रति जागरूक थे इसका अनुमान इसी से आया जा सकता है कि बनबन एक हाथी को 500 घुड़सवार सैनिकों के समान प्रभावक मानता था। अपने पुत्र बुगरा खा को लखनौती में नियुक्त करते समय उसने उसे वहाँ से हाथी प्राप्त करने की सलाह दी थी। सुल्तान की अनुमति के बिना किसी भी अमीर को हाथी रखने की आज्ञा नहीं थी क्योंकि ऐसे शक्तिशाली स्रोत का सरलता से दुरुपयोग किया जा सकता था। सुल्तान स्वयं हाथियों को अधिक मात्रा में रखते थे इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मुहम्मद तुगलक के पास लगभग 3000 हाथी थे। उसके विद्यालय साम्राज्य को देखते हुए यह संख्या अधिक नहीं थी।¹ जब फीराज तुगलक ने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया तो उसकी सेना में 470 हाथी थे।

हाथी युद्ध के लिए प्रशिक्षित किये जाते थे और युद्ध क्षेत्र में सैनिकों और यादार्थों पर प्रहार करते थे। एक हाथी अनेक शस्त्र सैनिकों को मार जाता था। हाथियों पर लकड़ियाँ के बने छोटे दुग-समान ढाँचे होते थे जिनमें तीन से चार शस्त्र सैनिक स्थान ले सकते थे और वे वहाँ से शत्रु पर प्रहार करते थे। इसके अतिरिक्त हाथियों को दुग तोड़ने और नदी के प्रवाह को रुकाने के लिए काम में लिया जाता था जिससे कि सैनिकों के लिए नदी पार करना सरल हो सके।

युद्ध के समय हाथियों पर घातु की झूल डाली जाती थी तथा इनकी सूँठ को घातु से ढक दिया जाता था जिससे शत्रुओं के प्रहार का कोई प्रभाव न पड़ सके। उनकी देखभाल के लिए राज्य में एक शहना ए फील नामक अधिकारी होता था। साधारणतया युद्ध के समय में दक्षिण व दक्षिण-पश्चिम भाग के लिए अलग अलग शहना हुआ करते थे परन्तु कभी-कभी एक ही शहना दोनों भागों के लिए नियुक्त कर लिया जाता था।

¹ इन्विस्ट वही भाग 3 प 576-77

सुल्तान पैदल-सेना भी रखते थे जिन्हें 'पायक' कहा जाता था। वे अधिकतर हिन्दू, दास अथवा निम्न-उत्पत्ति के व्यक्ति थे जो रोजगार के इच्छुक थे परन्तु धोड़े जाने में असमर्थ थे। इसलिए इन्हें साधारण कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता था—जैसे व्यक्तिगत संरक्षक अथवा द्वारपाल आदि। अपनी इस दीन-हीन अथवा साधारण स्थिति के बाद भी इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग लिया। अतकला के आकस्मिक आक्रमण से अलाउद्दीन की रक्षा इन्हीं सैनिकों ने की थी।

इनका अनेक युद्धों में भाग लेने का वर्णन मिलता है परन्तु जिन अभियानों में सैन्य-संभालन की गति द्रुत होती थी उनमें इनका उपयोग सम्भव नहीं था। कभी-कभी सैनिकों की न्यूनता होने पर पायकों को राज्य की ओर से धोड़ा देकर युद्ध-स्थल में भेज दिया जाता था।

शस्त्र—नैफथा और यूनान के अग्नि-शस्त्रों की जानकारी प्राचीन समय से ही थी। आग-लगाऊ-बाण, भाले व दाह्य-पदार्थ शत्रु पर फेंके जाते थे। तैमूर के विरुद्ध दिल्ली सेना ने हथगोलों तथा अग्नि-बाणों का प्रयोग किया था। 'कुशकनजीर' शब्द के 13वीं शताब्दी में प्रयोग किये जाने से ऐसा आभास होता है कि यह तोप का अपरिष्कृत रूप था। 'संग-ए-भगरिबि' शब्द के प्रयोग से भी इस बात की पुष्टि होती है कि अलाउद्दीन के समय में तोपखाने का प्रयोग किया जाने लगा था, यद्यपि इस दिशा में कोई अधिक उन्नति नहीं हो पाई थी। प्रांतीय राज्यों—गुजरात व दक्षिण—में इसका समुचित विकास हो पाया था।

दुर्ग की प्राचीर को तोड़ने अथवा दाहक-पदार्थों को फेंकने के लिए विभिन्न यान्त्रिक उपायों को प्राचीन समय से ही प्रयुक्त किया जाता रहा है। समकालीन इतिहासकारों ने सल्तनतकाल में प्रयुक्त अनेकों मशीनों का वर्णन किया है, परन्तु उन्होंने उनका विवरण नहीं दिया है, जिससे एक प्रकार की मशीनों का दूसरों से प्रभेद करना अत्यधिक कठिन है। मगरिबी का प्रयोग सम्भवतः तोप के रूप में किया जाता था। मन्जनिक का प्रयोग पत्थर अथवा नैफथा के रूप में किया जाता था। इससे ठीक-ठीक निशाना लगाना सम्भव था इसलिए इसे दुर्ग की मनिहारों और मुंड़ेरों को तोड़ने में काम लिया जाता था। प्रक्षेपक (Peojectiles) साधारणतया भारी होते थे और गति से फेंके जा सकते थे। ये दुर्ग की प्राचीर को भेदने में काम आते थे।

ये यान्त्रिक सुबाह्य तथा स्थिर हुआ करते थे। 'गरगच' एक सुबाह्य मंचान था जिसे ऊंचा करके दुर्ग की प्राचीर के बराबर ले जाया जाता था जिससे दुर्ग पर आक्रमण करने में सुविधा हो जाती थी। 'सावत' एक ऐसा ढंका हुआ स्थान होता था जिससे कि शत्रु के प्रक्षेपणास्त्रों से सैनिकों की रक्षा की जा सके। 'पाशेब' एक प्रकार से मिट्टी के मंचान के समरूप था जिसे दुर्ग की प्राचीर की ऊँचाई के बराबर बनाया जाता था और इस पर आग तथा पत्थर फेंकने की मशीन रखी जाती थी।

कभी-कभी ये इतने बड़े होते थे कि इस पर 100 सैनिक साधारणता एक साथ चल सकते थे।

सुरग बनाकर दुर्ग की प्राचीर को तोड़ने की व्यवस्था भी प्रचलित थी, जिसमें किसी दीवार के नीचे एक लम्बा खड़ा खोदकर उसमें दाह्य-पदार्थ भर दिये जाते थे और फिर इसमें आग लगाकर दुर्ग में दराहँ करन प्रथवा प्राचीर को तोड़ने का काम लिया जाता था। दुर्ग के खन्दक को भरने के लिए बालू से भरे हुए बोरो का उपयोग किया था।

दुर्ग—दुर्ग इस काल में सैनिक शक्ति के महत्वपूर्ण साधन थे और राज्य की सुरक्षा के लिए उपयोगी स्वीकार किये जाते थे। सल्तनत-काल में इनकी महत्ता और अधिक थी क्योंकि मंगोलों के निरन्तर आक्रमणों से राज्य की रक्षा के उत्तरदायित्व ने अधिक भयानक रूप ले लिया था। बलबन ने इसी समस्या के समाधान-हेतु उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर कम्पिल, पटियाली और भोजपुर के स्थानों पर दुर्गों का निर्माण कर इनमें शक्तिशाली रक्षक-सेना (Garrison) रखी थी। सम्भवत बलबन की इसी सफल नीति से प्रभावित हो अलाउद्दीन खल्जी ने 1303 ई के मंगोल आक्रमण के पश्चात्, इन दुर्गों के पुन जीर्णोद्धार की आज्ञा दी तथा नये दुर्गों के निर्माण कराने की व्यवस्था की। दुर्गों की महत्ता अत्यधिक थी इसलिए इनकी मोन्माह देखभाल की जाती थी।

प्रत्येक दुर्ग का एक आदेशक (Commandant) हुआ करता था जिसकी साधारणतया कोतवाल की सजा से सम्बोधित किया जाता था। वह दुर्ग की कुजियों को स्वयं रखता था। परन्तु हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जबकि 'आदेशक' व कोतवाल दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति हुआ करते थे—जैसे जब मंगूधा मंगोल ने उच्छ के दुर्ग (643 हिजरी) पर घेरा डाला था तब आदेशक और कोतवाल दो भिन्न व्यक्ति थे। परन्तु इस अपवाद के प्रतिरिक्त एक ही व्यक्ति आदेशक व कोतवाल का कार्य करता था।

दुर्गों में अनेक 'मुफरिद' हुआ करते थे। उनके स्वरूप को निश्चित करना कठिन है और सम्भवत ये अभियन्ता (इन्जीनियर) हुआ करते थे जो दुर्ग की मरम्मत कराने प्रथवा घेरे के शस्त्रों को सम्भालने में प्रवीण थे। इसके प्रतिरिक्त प्रत्येक दुर्ग में एक काजी तथा भीरबाद हुआ करता था। क्योंकि दोनों का कार्य-क्षेत्र एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न था इसलिए दोनों के बीच कोई टकराव की समस्या नहीं थी।

दुर्गों की अत्यधिक विश्वासपात्र व योग्य मलिकों को अधीन रखा जाता था। रक्षक-सेना (Garrison) के भरण-पोषण के लिए कृषि-योग्य भूमि सलतन की जाती थी। अलाउद्दीन ने योग्य अभियन्ताओं की नियुक्ति, शस्त्र, अनाज व चारे से कोठारों को परिपूर्ण रखने व मज्जिनिक आदि के निर्माण की आज्ञा प्रदान कर रखी थी।

अधिकतर दुर्गों में एक गुप्त मार्ग का निर्माण किया जाता था जिससे कि संकट-कालीन स्थिति में उससे निकलना सम्भव हो सके।

युद्ध-संगठन—युद्ध के समय में रसद आदि की व्यवस्था बंजारों के द्वारा की जाती थी। सल्तनत-काल में इनकी संख्या अर्धशती थी और इनका पेशा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनाज पहुँचाना था। आकर्षक भावों के कारण ये बंजारे इसके प्रति अधिक लालायित थे। राज्य की सीमाओं में आक्रमणकारी सेना राजकीय सहायता पर निर्भर रह सकती थी अथवा करद राज्यों के सरदार अपने-अपने प्रदेशों से अनाज की व्यवस्था करते थे परन्तु शत्रु-राज्य में बंजारों पर ही निर्भर रहना पड़ना था।

सुल्तानों ने परम्परागत युद्ध-नीति को अपनाया। युद्ध-क्षेत्र को चुनते समय भू-भाग, वायु तथा सूर्य का पूरा ध्यान रखा जाता था। सेना को मध्य, उत्तर, दक्षिण भागों व हरावल तथा चन्दावल के रूप में आयोजित किया जाता था। इनके अतिरिक्त दो पार्श्व या बाजू के दल होते थे। यदि सुल्तान स्वयं युद्ध का संचालन करता तो वह मध्य में उलेमा-वर्ग से घिरा हुआ रहता था। उसके आगे तथा पीछे घनुर्घारी हुआ करते थे। सबसे आगे की पंक्ति में लोहे की भूमर से सुरक्षित हाथियों की टुकड़ी होती थी, जिन पर होदों में बैठे हुये योद्धा हुआ करते थे। हाथियों के पश्चात् घुड़सवार हुआ करते थे तथा उनके पीछे पैदल सैनिक रहते थे। इनके बीच खाली जगह छोड़ दी जाती थी जिससे कि घुड़सवार सेना इसमें से निकलकर शत्रु पर आक्रमण कर सके।

बजीक (स्काउट) सेना के एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। इनको शत्रु की गतिविधियों की टाहू लगाने तथा सूचनाएं लाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। इनको यह आदेश था कि वे एक समूह में न घूमें, परन्तु फिर भी एक-दूसरे की पहुँच में हों, युद्ध न करें परन्तु फिर भी स्वयं की रक्षा करने में समर्थ हों तथा आक्रमण के शिकार होने पर भाग सकें। वास्तव में वे एक प्रकार से सेना की आंखों के समान कार्य करते थे। इनको किसी प्रकार से सेना के गुप्तचर समझना आन्ति होगी क्योंकि इनका कार्य शत्रु से घुल-मिलकर उनकी गुप्त बातों की जानकारी करना था। गुप्तचर बजीक की तरह सैनिक नहीं थे अपितु वे अनेक छद्मवेश धारण कर शत्रु की गुप्त बातों की जानकारी करते थे।

मुस्लिम सेनाओं के साथ प्राचीन काल से ही अस्पताल गाड़ी तथा जहमी सैनिकों के लिए अस्पताल (चिकित्सालय) की व्यवस्था रही थी और सुल्तानों ने उसी परम्परा को बनाये रखा।

सेना के साथ सदैव ही बाघकर भी रहते थे। फीरोज तुगलक ने इसने बड़े ढोलों का निर्माण कराया था जिनको हाथियों पर ले जाया जाता था। सेना के साथ बड़े-बड़े ध्वज भी रहते थे। सुल्तानों के पास मुख्यतः दो प्रकार के ध्वज थे।

(1) दायें पक्ष की ओर काले रंग का ध्वज जो अब्बासिद खलीफाओं का प्रतीक था तथा (2) बायें पक्ष की ओर लाल रंग का ध्वज जो गोर का प्रतीक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के ध्वज पर नख-उदित चन्द्रमा, परदार सर्प अथवा सिंह की आकृति प्रकृत रहती थी। ये ध्वज इतने विशाल तथा भारी होते थे कि इन्हें हाथियों पर ही ले जाना सम्भव था। फीरोज तुगलक के ध्वज पर भी परदार सर्प प्रकृत रहता था। अमीरों के भी अपने ध्वज होते थे। गियासुद्दीन तुगलक ने जब तामिळुद्दीन तुगलक से युद्ध किया उस समय उसके ध्वज पर एक मछली की आकृति थी। सम्भवतः सल्तनत काल में माही-मदानक की ये प्रथम अभिव्यक्ति है। मुहम्मद तुगलक के समय में एक खान को 7 व एक अमीर को 3 ध्वज से जाने की अनुमति थी। जब फीरोज तुगलक ने बगाल में गंगानदी के विरुद्ध युद्ध किया उस समय उसकी सेना में समस्त ध्वजों की सहायता लगभग 500 थी।

सैनिक सुस्पष्ट ड्रेस पहनते थे जिससे कि मित्र तथा शत्रु के बीच विभेद किया जा सके। सैनिकों को प्रस्त्र-शस्त्र देने अथवा टूटे-फूटे शस्त्रों को बदलन के लिए एक अलग से विभाग था। राजकीय हथियारों को रखने के लिए भी अलग विभाग था, जिसे "कुखानह" कहा जाता था। प्रत्येक सेना के साथ एक साहिब-ए-बरीद ए लश्कर भेजा जाता था जो केन्द्र को सूचना भेजने के लिए उत्तरदायी था।

इस प्रकार सैनिक व्यवस्था मुख्य रूप से परम्परागत मुस्लिम पद्धति पर आधारित थी परन्तु इस व्यवस्था ने लगभग 300 वर्ष तक अपने समुचित उत्तर-दायित्व को निभाया जिनसे यह स्पष्ट है कि यह व्यवस्था अत्यन्त अनुकूल थी अथवा जिन प्रतिद्वन्द्वियों के विरुद्ध इसका उपयोग किया गया उनकी व्यवस्था इससे भी निम्न-स्तर की थी। ऐसी ही स्थिति में सेना का सफल होना सम्भव था। सेना की युद्ध-नीति में वे तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं जो भविष्य में बाबर ने इब्राहीम लोदी के विरुद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाये थे। सेना का विभाजन तथा युद्ध नीति भी मुस्लिम पद्धति पर ही आधारित थी। इस पद्धति ने सल्तनत-काल की आवश्यकताओं के सर्वम में उचित भूमिका निभाई।

भू-राजस्व

इस्लामी मान्यता—समस्त मुस्लिम विधिवेत्ताओं ने यद्यपि राजस्व सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए एक ही प्रकार के मूल स्रोतों को अपना आधार बनाया परन्तु फिर भी जिन सिद्धान्तों को उन्होंने प्रस्तुत किया है वे महत्वपूर्ण विषयों पर एक-दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं। भारतीय इतिहास के मुस्लिम युग में हुनोकी विचार-धारा का प्राबल्य रहा और इमी के सिद्धान्त राज्य की नीति-निर्धारित करने की आधारभूत बन रहे।

मुस्लिम विधिवेत्ताओं ने मुस्लिम राज्य के समस्त राजस्व को दो भागों में विभाजित किया है—(1) धार्मिक तथा (2) धर्म निरपेक्ष। धार्मिक राजस्व के

अन्तर्गत जकात का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में किया है। धर्म-निरपेक्ष करों में भू-राजस्व अथवा खिराज से राज्य को समुचित आय थी। तुर्भाग्य से 1205 ई. तक के काल के राजस्व सम्बन्धी ज्ञान के लिए हमारे पास अत्यन्त ही अपर्याप्त सामग्री है क्योंकि समकालीन इतिहासकारों ने केवल राजनीतिक घटनाओं का ही उल्लेख किया है। उन्होंने आकस्मिक ही दूसरे विषयों के सम्बन्ध में अनियमित टिप्पणियाँ लिखी हैं। ऐसी स्थिति में भुगलों के पूर्व की राजस्व-व्यवस्था का अध्ययन केवल स्थूल अथवा अपूर्ण ही हो सकता है।

खिराज जिसका अर्थ शुल्क अथवा कर है, धीरे-धीरे भू-राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। इस्लामी साम्राज्य के विकास के आरम्भिक काल में यह केवल पराजितों से ही उगाहा जाता था और कभी-कभी ये प्रतिव्यक्ति कर (Capitation-tax) को सम्बोधित करता था। मूलतः मुसलमान 'उख' (Ushr) का भुगतान करते थे तथा खिराज से उन्हें विमुक्त कर दिया जाता था। परन्तु ईरान की विजय के पश्चात् इस्लाम धर्म को अंगीकार करने के पश्चात् भी इन नये धर्म-परिवर्तित लोगों से खिराज वसूल किया जाने लगा, जो प्रारम्भिक मान्यता से विल्कुल विपरीत था। इसी के पश्चात् यह नियम लागू किया गया कि खिराज की भूमि धर्म-परिवर्तन के पश्चात् भी खिराज की भूमि ही समझी जावेगी। इस नियम ने स्वाभाविक रूप से मुस्लिम वर्ग को प्रभावित किया। क्योंकि एक ओर तो उन्हें बाध्य रूप में 'उख' का भुगतान करना पड़ता था और दूसरी ओर उन पर खिराज का अतिरिक्त भार पड़ गया था। इसलिए अबू हनीफ ने यह निश्चित किया कि एक ही भूमि के टुकड़े से खिराज और 'उख' नहीं लिए जायेंगे। परन्तु जान-बूझकर भूमि पर लेती न करने की स्थिति में खिराज से विमुक्त नहीं किया जाता था।

खिराज को दो भागों में बांटा गया है—(1) अनुपातिक (Proportional) व (2) स्थिर। अनुपातिक का अर्थ है भूमि की उपज का एक अनुपात वसूल करना जो $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ तथा $\frac{1}{5}$ भी हो सकता था। स्थिर खिराज का अर्थ भूमि के टुकड़े अथवा प्रति दृक्ष पर निश्चित राजस्व था। इसका अर्थ है कि राजस्व निर्धारण की दो पद्धतियाँ प्रचलित थीं जिसके अन्तर्गत या तो भूमि की उपज के आधार पर राजस्व निर्धारण अथवा जोती हुई भूमि पर राजस्व निर्धारण करना था।

भूमि की नाप जरीव द्वारा कर उसकी प्रकृति अथवा कोटि का अनुमान मुख्यतः तीन आधारों पर निश्चित कर लिया जाता था—(1) भूमि की उपज देने की क्षमता, (2) बोयी गई फसल तथा (3) सिंचाई की व्यवस्था अर्थात् भूमि प्राकृतिक अथवा कृत्रिम सिंचाई पर निर्भर है। राजस्व का नकद में भुगतान करने की स्थिति में इस पर भी ध्यान दिया जाता था कि भूमि तथा बाजार के बीच कितनी दूरी है क्योंकि ऐसी स्थिति में कृषक को राजस्व देने के लिए अपनी उपज को बेचने-हेतु बाजार में ले जाना आवश्यक था। कोई व्यक्ति जिसके पास खिराजी

भूमि थी वयस्क अथवा अश्वयस्क स्त्री अथवा पुरुष, दास अथवा स्वतन्त्र व्यक्ति, काफिर तथा मुसलमान को खिराज कर में मुक्ति नहीं दी जा सकती थी।

दास वशीय भू-राजस्व व्यवस्था—दिल्ली-सल्तनत के स्थापकों को वित्तीय कार्यों में अनुभव नहीं था। वे मुख्यतः सैनिक थे और प्रशासकीय कार्यों की तुलना में युद्धों तथा विजयों में अधिक रुचि रखते थे। भू-राजस्व के क्षेत्र में उनका ज्ञान अत्यधिक सीमित था और इसी कारण राजस्व की सम्पूर्ण व्यवस्था मुस्लिमों के दृष्टिकोण, व्यक्तित्व व उनके उद्देश्यों के आधार पर परिवर्तित होती रही। यदि इन परिवर्तित व्यवस्थाओं में कोई एक तत्व सामान्य रूप से मान्य था तो वह केवल मुस्लिम वित्त सिद्धान्त तथा गजनी के शासकों की नीति ही थी।

इस्लाम के विधिवेत्ताओं ने नितान्त सूक्ष्मता और प्रवीणता से वित्त-व्यवस्था को विकसित रूप प्रदान किया था। खलीफा उमर से लेकर यह प्रक्रिया अब्बासिद खलीफाओं तक चलती रही, दूसरी तथा तीसरी हिजरी तक वित्त और कर-व्यवस्था में सम्बन्धित अपार साहित्य की रचना हो चुकी थी। इसमें वित्त और राजस्व के विभिन्न मदों का विस्तार वर्णन किया था। इसी के आधार पर आरम्भिक विजेताओं ने राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया।

गजनी शासकों के समय में वजीर के अधीन केन्द्रीय वित्त-विभाग के होन के प्रमाण मिलते हैं। स्वयं सुल्तान अथवा केन्द्रीय प्रशासन द्वारा स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जो कि किसी प्रान्त अथवा जिले के राजस्व का देनभाल करते थे। हमें यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस आधार पर प्रान्त अथवा जिले का राजस्व निर्धारित किया जाता था। परन्तु हमारा ऐसा अनुमान है कि सल्तनतबानीन शासकों ने पुराने लेखों को ही आधार बनाया था क्योंकि गजनी शासकों के समय में भूमि के नापने का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है।

इन पुराने लेखों के आधार पर ही वजीर प्रान्तों व जिलों से राजस्व वसूल करता था। यह आवश्यक नहीं था कि यह केवल नकद रूप में दिया जावे क्योंकि हमारे पास हीरे-मोती, कपड़ा आदि के रूप में भी राजस्व चुकाने के प्रमाण हैं। प्रत्येक प्रान्तीय अधिकारी की स्वाभिमानिता इसी पर आती जाती थी कि वह खिराज तथा शेंट के रूप में कितना धन प्रेषित करता है। वे अधिकारी जो राजस्व भेजने में किसी कारण अक्षम रहते थे उनको दुश्मनों का सामना करना पड़ता था। प्रान्तीय अधिकारी स्वयं केन्द्र को राजस्व भेज देते थे परन्तु विलम्ब की स्थिति में केन्द्र के द्वारा एक एजेंट भेजकर शीघ्र राजस्व भेजने के आदेश दिये जाते थे। यदि कोई गम्भीर अस्त-व्यस्तता होती तो स्वयं वजीर इसको ठीक करने के लिए भी चला जाता था। समस्त सुगठान खजाने में किया जाता था और खजाने का अधिकारी उसकी जाच-पड़ताल कर एक रसीद दे दिया करता था।

यद्यपि यह ठीक है कि राजस्व को वसूल करने में कठोरता से काम लिया जाता था परन्तु जब कभी कोई प्राकृतिक प्रकोप की समस्या सम्मुख आती तो राज्य हर सम्भव सहायता करने के लिए भी तत्पर रहता था ।

गजनवी शासकों की ये व्यवस्था गौरी शासकों के समय में भी चलती रही । मुहम्मद गौरी ने विभिन्न स्थानों पर गवर्नरों की नियुक्ति की जो सैनिक व प्रशासनिक अधिकारों का उपभोग करते थे । स्वतन्त्र-प्रभुसत्ता-सम्पन्न शासकों के उद्भव के पश्चात् स्वाभाविक रूप में परिवर्तन आना आवश्यक था और तत्पश्चात् ही एक निश्चित पद्धति ने जन्म लिया ।

जिस प्रकार से मुहम्मद गौरी ने विभिन्न भू-भागों को अपने अधिकारियों को सौंपा था ठीक उसी प्रकार दास-वंश के सुल्तानों ने अपने अधिकारियों और अनुयायियों को विभिन्न भू-भाग सौंपे जिनको 'इक्ता' कहते थे । इनका अधिकारी 'मुक्ति' था । मुस्लिम विधि के अनुसार वह पूर्ण रूप से भूमि का स्वामी नहीं था अपितु उसे निश्चित और सीमित आधार पर किसी भी प्रदेश की शासन-व्यवस्था को गठित करने के लिए स्वामित्व प्रदान किया जाता था । साधारणतया किसी योग्य सैनिक को कुछ वर्षों के लिए इक्ता दिया जाता था, परन्तु किसी भी स्थिति में इक्ता वंशानुगत नहीं हो सकता था । हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जबकि मुक्ति को पदच्युत अथवा स्थानान्तरण कर दिया गया था जिससे इक्ता के वंशानुगत न होने की प्रामाणिकता और अधिक स्पष्ट हो जाती है ।¹

इक्ता की विशेषता यह भी थी कि केवल दरिद्रता के आधार के अतिरिक्त "टिथी" (Tithe) भूमि में से इक्ता प्रदान नहीं किया जा सकता था । यदि 'टिथी' भूमि का स्वामी किसी प्रकार से "टिथी" (10 भाग) देने में असमर्थता प्रकट करे तो मुक्ति उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता था । इसी कारण समस्त सल्तनत काल में हमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, जबकि किसी सैनिक अधिकारी को "टिथी" की भूमि इक्ता के रूप में प्रदान की गई हो । इसलिए केवल खिराज की भूमि में से ही सैनिकों को इक्ता प्रदान किये जाते थे ।

इक्ता दो प्रकार के थे—छोटे तथा बड़े । छोटे इक्ता वे थे जिनका क्षेत्रफल एक ग्राम के समान था जबकि बड़े इक्ता एक प्रदेश के सदृश्य थे । यूरोपीय विद्वानों ने इक्ता का अर्थ 'सैनिक जागीर' के रूप में लिया है परन्तु इस युग में यह सूबे के पर्यायवाची के रूप में ही समझा जाता था और भविष्य का सूबेदार ही इस युग का मुक्ति था । जिस प्रकार सुल्तान की निरंकुशता पर उलेमाओं की मंत्रणा तथा परम्परायें अंकुश-समान थीं, उसी प्रकार मुक्तियों की स्वतन्त्रता पर स्थानीय शासन की प्रचलित परम्परायें अंकुश का कार्य करती थीं ।

इक्तादार से यह आशा की जाती थी कि वह अपने भू-भाग से राजस्व एकत्रित कर, स्वयं के निर्धारित धन की कटौती कर शेष केन्द्रीय राजकोष में जमा करे। मुस्लिम विधि के अनुसार यदि इक्ता से प्राप्त आय निर्धारित आय से कम बसूल होती थी तो वह केन्द्रीय सरकार से इस घाटे की पूर्ति करवाने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में उसके राजस्व एकत्रित करने के अधिकार को समस्या के हल होने तक निलम्बित कर दिया जाता था। क्योंकि उस युग में केन्द्रीय सरकार को कार्य-गति अत्यन्त धीमी थी, फलस्वरूप कोई भी मुक्ति इस प्रकार के झूठ को मोल लेने के लिए तत्पर नहीं था और इसीलिए वह निर्धारित आय से अधिक बसूल करने के लिए प्रयत्नशील रहता था। इस अधिक आय से वो सङ्कटकालीन स्थिति का सामना करने में भी समर्थ हो सकता था।

प्रायः मुक्ति केन्द्रीय सरकार से इक्ता की वास्तविक आय को छुपाने का प्रयास करता था, क्योंकि अधिक प्राप्ति की दशा में केन्द्रीय सरकार इस अधिक आय को हथियाने के लिए उत्सुक रहती थी। इस प्रकार की परिस्थिति में केन्द्रीय सरकार और मुक्ति के बीच एक सतत तनाव बना रहता था। केन्द्रीय सरकार अधिशेष को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहती थी और मुक्ति यह दर्शाने के लिए प्रयत्नशील रहता था कि अधिशेष राशि प्राप्त ही नहीं हुई है और अगर हुई भी है तो वह केवल नाममात्र की है। इससे एक ऐसे वातावरण को प्रोत्साहन मिलता था जिसमें मन्देह और बेईमानी पनपती थी, जो राज्य के लिए घातक थी।

इक्ता की अतिरिक्त भूमि के एक अन्य वर्ग को खालसा भूमि कहते थे। यह भूमि किसी व्यक्ति-विशेष की न होकर राज्य की थी जिसके निरोक्षण का कार्य प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधीन था। सरकार आमीलो के द्वारा इसकी व्यवस्था करवाती थी। इस वर्ग की भूमि के लिए केन्द्रीय सरकार के द्वारा राजस्व निश्चित किया जाता था।

तीसरे प्रकार की भूमि वह थी जो अधीन हिन्दू शासकों के अधिकार में थी और जिनसे राज्य प्रतिवर्ष एक निश्चित धन-राशि प्राप्त करने का अधिकारी था। ये राज्य अपने-अपने क्षेत्र में स्वायत्त शासन के अधिकारों का उपयोग उस समय तक करते रहते थे जब तक कि वे सन्धि की शर्तों का निर्वाह करते रहे अथवा सुल्तान उन प्रदेशों के संयोजन का विचार न करे। केन्द्रीय सरकार के द्वारा पारित नियम अथवा सुधार इन पर लागू न थे। भूमि के स्थानीय स्वामी, जमींदार के अतिरिक्त किसी अन्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। यह व्यवस्था केवल केन्द्रीय सरकार तथा जमींदार अथवा सुल्तान के मध्य ही थी।

भू राजस्व के सम्बन्ध में हम प्रथम विवरण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का प्राप्त है जिसमें उसने शरा द्वारा निर्धारित करों के अतिरिक्त ममस्त करों के उन्मूलन का आदेश दिया था। यद्यपि फखरुद्दीन मुबारकशाह ने इसका कोई विस्तृत वर्णन नहीं दिया है परन्तु फिर भी यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि उन्मूलन का ये

आदेश केवल "टिथी" भूमि पर ही लागू किया गया होगा। इस विवरण के आधार पर जो राजस्व प्राप्त होता था वह "सदकाह" के अन्तर्गत आता था। इससे दो निष्कर्ष स्पष्ट हैं—

- (1) यह राज्य के कुछ ही भागों पर लागू किया गया था तथा यह शुद्ध रूप से धार्मिक-कर था जिसका लाभ केवल इस्लाम-समर्थकों को ही प्राप्त था;
- (2) यह भूमि पर न होकर उपज पर कर था।

हम यह प्रमाणिकरूप से नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से लागू किया भी गया था अथवा नहीं, क्योंकि समस्त सल्तनत-काल में अनेकों बार इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किये गये, परन्तु उन्हें कभी भी सफलता के साथ लागू नहीं किया गया। परन्तु यह कम से कम कुतुबुद्दीन ऐबक की स्पष्ट नीति को बताती है। यह दर्शाती है कि वह उदारता से एकुविधि का पालन करने के लिए तत्पर था। क्योंकि इस्लामी विधि के अनुसार उच्चतम कर प्राप्ति की सीमा उपज का आधा भाग था, इसलिये ये स्वाभाविक है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने निश्चित ही इससे कम कर लगाया होगा।

इल्तुतमिश ने राजस्व की ओर कोई रुचि न दिखाई और समकालीन इतिहासकारों ने इसलिए उसका कोई वर्णन नहीं दिया है। उसे धन की अधिक आवश्यकता अनुभव न हो रही थी और उसकी विजयों ने उसके कोष को परिपूर्ण कर रखा था। बलवन के राज्याभियेक के समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने सैनिकों व ग्रामीरों को उनके वेतन के बदले कुछ भू-प्रदेश दे रखे थे।

बलवन जो 13वीं शताब्दी के अधिकतर भाग में सुल्तान रहा, उसे मंगोल आक्रमणकारियों की कठोर समस्या का सामना करना पडा था। उसके लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी सैनिक शक्ति को दृढ़ करे तथा राज्य विस्तार व विजय-नीति का परित्याग करे।

उसके समय में अधिकतर भूमि मुक्तियों के आधीन थी। बलवन इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं था। परन्तु फिर भी वह इसमें परिवर्तन लाने में असमर्थ था। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात् राज्य में व्याप्त अव्यवस्था के आधार पर दोआब तथा दूसरे भागों में मुक्तियों ने इत्ता को वंशानुगत बना लिया था। मूल मुक्तियों की मृत्यु पर उनकी विधवाओं और कभी-कभी दासों ने इन पर अपना प्रभावपूर्ण अधिकार जमा लिया था और राज्य की किसी भी प्रकार की सेवा किये दंगर वे राजस्व का उपयोग कर रहे थे। यह स्पष्टतः इस्लामी विधि के विरुद्ध था और इसलिये राज्य के लिए अहितकर था। बलवन ने इत्ताओं की जानकारी कर ऐसे इत्ता जिनके मुक्ति भर चुके थे अथवा सैनिक सेवा के लिए सर्वथा अयोग्य थे,

उन्हें खालसा भूमि में सम्मिलित करने का प्रयास किया। वह विधवाओं और अनाथों को इसके बदले में उनकी आवश्यकतानुसार कुछ धन देने की भी तत्पर था, परन्तु बलबन के इस सुधार का विरोध इस आधार पर किया गया कि मुक्तियों को इत्ता इनाम के रूप में दिये गये थे और उनसे इन्हें छीनना उनके सर्वनाश की आमन्त्रित करना था। बलबन दिल्ली के कोतवाल फकरुद्दीन की प्रार्थना पर कोई मन्त्रिय परिवर्तन करने में असमर्थ रहा। वास्तविकता यह थी कि बलबन के इस सुधार की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि वह सम्भवतः उसका सामना करने में असमर्थ था और इसलिए उसे ममर्षण करना पड़ा। परन्तु जैसा कि डा. त्रिपाठी¹ का मत है, "सुल्तान का यह रवैया दूसरों के लिए एक चेनावनी सिद्ध हुआ और सम्भवतः कुछ समय के लिए उसने इत्ता को वशानुगत करने पर रोक लगा दी।"

इस प्रयास में असफल होने पर बलबन ने शासन की कसने तथा घाय और उसके स्रोतों पर कठोर नियन्त्रण करने की नीति अपनाई। उसने ऐसे पदाधिकारियों की अपदस्थ कर दिया जो उसके विश्वास-पात्र न थे। उसने उनके स्थान पर विश्वसनीय व स्वामिमत्त अधिकारियों की नियुक्ति की। इल्तुतमिश की तरह उसने राज्य के महत्वपूर्ण अंशों को अपने पुत्रों के अधीन रखा। इस प्रकार सुल्तान, समाता, अरब व बगाल के इत्ता उसके पुत्रों के अधीन हो गये। इसी के अन्तर्गत बलबन का ज्येष्ठ पुत्र प्रतियर्ष खजाना लेकर दरवार में उपस्थित होता था।

इसके अतिरिक्त उसने महत्वपूर्ण इत्ताओं में 'स्वाजा' नामक अधिकारी की नियुक्ति की। वह वजीर की सिफारिश पर सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता था। वह निश्चित ही एक प्रशासनिक अधिकारी था जो हिसाब का लेखा-जोखा रखने में अत्यन्त प्रवीण होता था। यद्यपि मुक्ति इत्ता का प्रमुख अधिकारी था और स्वाजा उसके अधीन था परन्तु क्योंकि वह केन्द्र के प्रति उत्तरदायी था, इसलिए वह मुक्ति पर अकुश गमान कार्य करता था। स्वाजा तथा मुक्ति की सांठ-गाठ को रोकने के लिए एक और बलबन ने गुप्तचरों की नियुक्ति की थी, जो सुल्तान को हर सम्भव जानकारी देते थे, और दूसरी ओर इत्ता को प्राप्त करने के लिए अनेक लोलुप प्रतिद्वन्दी हुआ करते थे जो मुक्ति की कमियों की सुल्तान तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे।

इत्ताओं के अतिरिक्त 'इनाम', 'मिन्क' आदि के रूप में भी भूमि दी जाती थी। ये इनाम अथवा भेंट के रूप में दी जाती थी और वशानुगत होती थी। सैद्धान्तिक आधार पर सुल्तान प्रतिस्हरण (Revoke) कर सकता था परन्तु व्यावहारिक रूप में ऐसा नहीं होता था और विशेषकर उन भूमियों के सम्बन्ध में जो कि स्वयं सुल्तान ने प्रदान की हों।

दास वंश के समय में 'खत्त' तथा 'कस्वा' नामक छोटे भाग भी थे जिनमें कारकून, मुतसर्फ, चौधरी व मुकद्दम नामक अधिकारी हुआ करते थे। मुतसर्फ व कारकून राजस्व विभाग के कार्य से सम्बन्धित अधिकारी थे और ऐसा अनुभव होता है कि वे कृषकों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में नहीं थे। चौधरी तथा मुकद्दमों के माध्यम से वे कृषकों के साथ सम्पर्क रखते थे।

जहाँ तक भूमि-कर आंकने का प्रश्न है बलवन के सम्मुख तीन पद्धतियाँ थीं—(1) नपाई, (2) बटाई तथा (3) कम्पाउन्डिंग। हमें यह निश्चित जानकारी है कि अलाउद्दीन खल्जी के पहले भूमि को नपवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।¹ इसलिए बलवन के राज्यकाल में इस पद्धति पर भूमि-कर निर्धारित करने की कोई सम्भावना नहीं थी।

हमें यह भी जानकारी है कि दास वंश के कार्यालय में इक्ता साधारण रूप में विद्यमान थे। मोरलैंड के अनुसार इक्ता भूमि का वह भाग जो सैनिक सेवा के लिए दिया गया हो। मोरलैंड ने इक्ता को ऐसी भूमि का टुकड़ा भी स्वीकार किया है जो लगान के समर्पण के बदले दिया गया हो। दोनों ही विवेचनाओं को एक साथ ध्यान में रखने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि इक्ता भूमि का ऐसा टुकड़ा था जिसका राजस्व, प्राप्तकर्ता के वेतन के बराबर होता ही था।

इसके अतिरिक्त इक्ता शब्द मूल (तत्सम) शब्द 'किता' से बना है जिसका अर्थ 'भाग' अथवा 'भागों' में बांटने के लिए किया जाता है। इस आधार पर इक्ता पद्धति का अर्थ है कि कृषक उपज का एक निश्चित भाग सुल्तान को देने के लिए बाध्य था। 13वीं शताब्दी में किसी प्रकार से Compounding की पद्धति नहीं थी और इसलिए इक्ताओं में जो भू-राजस्व की पद्धति लागू थी उसे हम विश्वासपूर्वक Farming तथा Compounding का सम्मिश्रण कह सकते हैं।

समस्त सल्तनत काल में चौधरी व मुकद्दम हुआ करते थे जो राज्य अथवा मुक्ति को प्रति वर्ष निश्चित कर चुकाने पर भूमि को अपने अधिकार में ले लिया करते थे और वे स्वयं इस भूमि को कृषकों को देकर उनसे अधिक धन राजस्व के रूप में लेकर लाभ का स्वयं उपभोग करते थे। इस प्रकार की पद्धति निश्चित ही फार्मिंग Farming थी। दूसरी ओर चौधरी व मुकद्दम कृषकों से समझौता कर एक निश्चित भू-भाग से उपज का एक विशिष्ट भाग बसूल कर लिया करते थे और ऐसी स्थिति में जैसा कि डा. डे का मत है कि यह Compounding के अतिरिक्त कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती थी। Compounding पद्धति में क्योंकि समस्त भार कृषकों पर ही पड़ना था (जो बलवन को अहचिकर था) इसलिए बलवन ने इन दोनों पद्धतियों को मिलाकर भू-राजस्व की व्यवस्था की थी।

खातसा भूमि से भू-राजस्व घाकने के लिये बलबन ने बटाई पद्धति को आधार बनाया जो उस युग में सबसे अधिक सुरक्षित समझी जाती थी ।

जहाँ तक राज्य के भाग का प्रश्न है समकालीन इतिहासकार पूर्णतया मीन हैं । वे केवल यह स्वीकार करते हैं कि अलाउद्दीन खल्जी ने इस्लामी विधि के अन्तर्गत अधिकतम पचास प्रतिशत भूमि-कर वसूल किया था । इसके आधार पर बलबन के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रतिशत त्रिकालना सम्भव नहीं है, परन्तु इतना अवश्य है कि उसने मंगोलो के भय के कारण तथा उनके विरुद्ध सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए इस्लामी विधि के अन्तर्गत अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास किया होगा । परन्तु यह किसी प्रकार से भी अलाउद्दीन द्वारा वसूल किये जाने वाले भू-राजस्व के प्रतिशत के बराबर नहीं हो सकता । यदि ऐसा होना तो समकालीन लेखक इस ओर सकेत अवश्य करते ।

बलबन की मृत्यु और खल्जियों के उत्थान के बीच सम्भवतः यही व्यवस्था चलती रही और भू-राजस्व अधिकारियों ने शासकों की दीन-हीन अवस्था का लाभ उठाकर अधिक से अधिक धन हड़पने का प्रयास किया ।

खल्जी-वर्गीय भू-राजस्व व्यवस्था—अलाउद्दीन खल्जी अपने चाचा जनालु-द्दीन की अपेक्षा अधिक बठोर शासक था । वह शासन-व्यवस्था को भूकम्प कर उसे निपुण व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उत्सुक था । आन्तरिक विशोह, विदेशी दबाव ने उसका ध्यान शासन-पद्धति की ओर आकर्षित किया और उसे राजस्व व सैनिक विभागों में सुधार हेतु प्रेरित किया । इसके अनिश्चित इत्तादारी व्यवस्था राज्य के लिए अधिक अहितकर सिद्ध हो रही थी, क्योंकि राज्य और हुएकों को जोड़ने वाला बर्ग अपने अधिकार-क्षेत्र में लगातार बढ़ती जाती जा रहा था और राज्य को इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था ।

अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था इतनी व्यापक थी कि इसमें समस्त वर्ग के नाशकारों को प्रभावित किया । उसके पहले राज्य की भूमि का एक बड़ा भाग मिल्क, (राज्य द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति) इनाम, इदारत (पेशानों) तथा वकफ आदि के रूप में केवल मुस्लिम वर्ग को दी गई थी । यद्यपि कानूनी रूप में इनको पुनर्ग्रहण करने में कोई गम्भीर कठिनाई नहीं थी, परन्तु बलबन के समय में उन्हें प्राप्त करने के प्रयास के विरुद्ध रोष प्रकट किया गया था । इस प्रकार की भूमि की पुनः प्राप्ति करना संकटकीय था । परन्तु अलाउद्दीन ने अपने अधिकारी-वर्ग में विचार-त्रिनिमय कर यह निश्चय किया कि ऐसी समस्त भूमि को राज्य के प्रभाव-क्षेत्र के अन्तर्गत कर देने राज्य के लिए घाय का साधन बनाया जावे । साम्प्रदायिक भावनाओं में प्रभावित हो, बलबन ने विरुद्ध उनमें समस्त ऐसी भूमि का हारण कर लिया । बरनो के अनुसार उनमें ऐसी समस्त भूमि को हस्तान्तरित कर दिया था परन्तु परवर्ती इतिहासकारों के लेखन से इसकी पुष्टि नहीं होती । तागीस-ए-फीरोजशाही

में अनेक ऐसे विवरण हैं जिनमें अलाउद्दीन के समय से चली आ रही इस प्रकार की भूमि का वर्णन है। डा. त्रिपाठी ने इस सन्दर्भ में लिखा है कि अपने ऐसी समस्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर इनके उपभोक्ताओं से इन्हें ले लिया और पुनः अपनी शर्तों पर ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जो राज्य-सेवा के लिए तत्पर थे। इस प्रकार राज्य के एकाधिकार की पुनः स्थापना की। मुस्लिम-वर्ग को निश्चित ही इस परिवर्तन के फलस्वरूप अधिक हानि उठानी पड़ी होगी और बरनी की अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में वे नितान्त धनहीन हो गये थे।

तत्पश्चात् अलाउद्दीन का ध्यान उन हिन्दू भूमिपतियों की ओर आकर्षित हुआ जिन्होंने राज्य को एक अनुवन्धित राजस्व की राशि देने के आधार पर भूमि प्राप्त की थी। इस सन्दर्भ में सुधार उस वर्ग से सम्बन्धित थे जो राज्य और कृषकों के मध्य राजस्व एकत्रित करने वाले अथवा स्वयं कृषक थे। इनको मुकद्दम (मुखिया), खूत, (स्वयं कृषक) तथा चौधरी (राजस्व एकत्रित करने वाले) की संज्ञा से सम्बोधित किया जाता था। ये इनाल के रूप में राजस्व एकत्रित करते थे जिसके लिए इनको विशेष सुविधाएँ प्राप्त थीं। राजस्व को एकत्रित करने के बदले में इन्हें न केवल इनकी देव-राशि प्रदान की जाती थी, अपितु इन्हें भूमि व चरागाह रखने के लिए विशेष सुविधाएं भी दी जाती थीं, क्योंकि ये वंशानुगत चले आ रहे थे और साथ ही क्योंकि इनका राजस्व-सम्बन्धी समस्याओं पर एकाधिकार था इसलिए अपनी इन विशेषताओं का लाभ उठाकर तथा केन्द्र की शक्तिहीनता का दुरुपयोग कर वे अत्यधिक धन को प्रबंध रूप में हथिया लेते थे और इस प्रकार राज्य की हानि उठानी पड़ती थी। वे राज्य को खिराज, करी व चराई आदि कर देना भी टाल देते थे। फलस्वरूप वे तुलनात्मक आधार पर अधिक सम्पन्न थे। बरनी की अति-रंजित शैली के पश्चात् भी इस विवेचन में सत्यता का काफी अंश है कि, "वे अच्छे घोड़ों पर सवार होते थे, रुचिकर वस्त्र धारण करते थे, ईरानी धनुषों का प्रयोग करते थे, शिकार अथवा आपस में युद्ध करने में व्यस्त रहते थे तथा शराब आदि की प्रावर्त करते थे। वे खिराज, जजिया, मकान अथवा चराई कर भी न देते थे और इसके अतिरिक्त वे राजस्व एकत्रित करने के लिये धन प्राप्त करते थे।" वे आमंत्रित किये जाने पर अथवा बगैर बुलाये राजस्व-विभाग में उपस्थित नहीं होते थे और विभाग के अधिकारियों का निरादर करते थे।

जब अलाउद्दीन ने मुस्लिम वर्ग को विशिष्ट सुविधाओं से वंचित करने में कोई हिवकिवाहूट न दिखाई तो कोई कारण नहीं था कि वह हिन्दू अधिकारियों पर कृपा करता। राजस्व में हानि के अतिरिक्त उनके आपस के भगड़े अनेकों राज-नैतिक अव्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार राजनैतिक तथा वित्तीय आधार पर उनके प्रति कार्यवाही करना आवश्यक था। अलाउद्दीन द्वारा खूत, चौधरी तथा मुकद्दमों को जो लगान सम्बन्धी सुविधाएँ दी गई थीं उन सब को रद्द कर दिया

और दूसरे वर्ग के भूस्वामियों के समान ही उनके साथ व्यवहार करने के आदेश दिये। किसी भी हिन्दू अथवा मुसलमान को खिराज के भुगतान के क्षेत्र में कोई विशेष सुविधा का उपभोग करने से वंचित कर दिया। इस प्रकार से हिन्दू तथा मुसलमान अनुचित सुविधाओं के उपयोग के आधार पर अनुपातिक रूप से प्रभावित हुए। भू-राजस्व के क्षेत्र में हिन्दुओं का बहुमत था और वे सुविधाओं का उपभोग काफी समय में करते चले आ रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप में उनका इन सुधारों से प्रभावित होना निश्चित था। सर वूलजले हेग ने ठीक ही लिखा है, "सम्पूर्ण राज्य में हिन्दुओं को निर्धनता तथा पीड़ा के निम्नतर स्तर पर पहुँचा दिया और यदि कोई एक वर्ग अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक दयनीय स्थिति में था तो वह पतृक आधार पर निर्धारित करने और उसे वसूल करने वाले अधिकारियों का था जो पहले सबसे अधिक सम्मानित थे।" हिन्दुओं की सम्पन्नता नष्ट अवश्य हो गई परन्तु फिर भी बरनी का यह कथन कि, "निर्धनता के कारण धन हेतु खूतो और मुवद्दमों की स्त्रियाँ मुसलमानों के घरों में काम करने जाने लगीं" अनिर्जित प्रतीत होता है।

अलाउद्दीन ने न तो "इक्ता" और न ही "खूत" पद्धति का उन्मूलन किया और न ही इनकी प्रतिस्थापना किसी दूसरी पद्धति से सम्भव ही थी। उसका एक मात्र उद्देश्य उन सब सुविधाओं को रद्द करना था जिनका इस वर्ग के द्वारा सरकार की क्षमता पर उपयोग किया जाता रहा था और जिसके कारण राजस्व एकत्रित करने में कठिनाई के साथ ही अनेक अव्यवस्थायें उत्पन्न होती रही थी। खूत उसी प्रकार से अपना भाग प्राप्त करते रहे परन्तु इसके अनिर्जित साधारण रूपों की तरह उन्हें भी भू-राजस्व, मकान तथा चराई कर का भुगतान करना पड़ा।

राज्य की बढ़ती हुई माँगों की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन ने मुस्लिम विधि में मान्य उच्चतम कर को वसूल करने की नीति अपनाई। उसने पैदावार का पचरम प्रतिशत भू-राजस्व के रूप में वसूल करना आरम्भ किया। समकालीन लेखकों के आधार पर हम पिछले सुल्तानों के द्वारा भू-राजस्व में अलाउद्दीन द्वारा प्राप्त राजस्व की तुलना करने में असमर्थ हैं क्योंकि सही आँकड़े प्राप्त करना सम्भव नहीं हो पाया है। यह सम्भावना अधिक है कि इल्तुतमिश और बलबन के राज्यकाल से भू-राजस्व में वृद्धि करने की प्रवृत्ति विद्यमान थी परन्तु इसके पश्चात् भी अलाउद्दीन ने जितनी कठोरता से भू-राजस्व में बढ़ोतरी की थी उतनी बढ़ोतरी पिछले सुल्तानों के समय में नहीं हुई थी। इसका औचित्य सम्भवतः सेना की कार्यकुशलता और समय की माँग में ही निहित था।

अलाउद्दीन ने भू-राजस्व के क्षेत्र में पहली बार पैमाइश (नाप) के आधार पर राजस्व निर्धारित करने की नीति लागू की। यद्यपि यह पद्धति दक्षिण भारत में लागू थी तथा उत्तरी भारत के हिन्दू शासक भी इससे परिचित थे परन्तु यह निश्चय

रूप से कहना अत्यन्त कठिन है कि उत्तरी भारत में इसका प्रचलन किस सीमा तक था। मुस्लिम विधि भी कर-निर्धारण में पैमाइश को महत्वपूर्ण अंग मानती थी। परन्तु कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जलालुद्दीन खल्जी के काल तक तुर्क शासकों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अमील, कारकून आदि कर्मचारियों की सहायता से ही राजस्व वसूल किया जाता रहा। अलाउद्दीन सल्तनत युग का प्रथम शासक था जिसने पैमाइश की पद्धति को अधिक महत्व दिया।

राजस्व वसूल करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि राजस्व को आंकने तथा उसे वसूल करने की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई थी इसीलिये कृपकों पर बकाया राशि रह जाया करती थी। अलाउद्दीन ने इस हेतु 'मुस्तकहराज' नामक अधिकारी की नियुक्ति की जिसका एकमात्र कार्य इस बकाया की राशि को वसूल करना था। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग में और विशेषकर निम्न स्तर के अधिकारियों में घूस व बेईमानी अत्यधिक घर कर चुकी थी जिससे राज्य को हानि उठानी पड़ती थी। इस क्षेत्र में अलाउद्दीन ने दो युक्तियाँ अपनाईं। एक ओर तो उसने निम्न स्तर के अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जिससे कि वे सम्मानित रूप में जीवन-यापन करने में समर्थ हों सकें और घूस आदि लेने के प्रति लालायित न हों और दूसरी ओर उसने गवन तथा घूस के आधार पर अधिकारियों को कठोरतम दण्ड देने की नीति अपनाई। बरनी के अनुसार लगभग दस हजार अधिकारियों को इसके अन्तर्गत दण्डित किया गया। इससे घूस और बेईमान अत्यधिक कम हो गई तथा राजकोष को अधिक राजस्व प्राप्त होने लगा। बरनी¹ ने लिखा है कि, "पांच सौ अथवा एक हजार टंक के लिये लगान अधिकारी को वर्षों तक कारागृह में रहना पड़ता था। कोई अधिकारी किसी से एक टंक भी रिश्वत लेने का साहस नहीं कर सकता था। प्रजा भी इतनी भयभीत थी कि एक साधारण लगान अधिकारी बारह खूत और चौबरियों से लगान वसूल करने में समर्थ था। साधारण लोग लगान अधिकारियों से इतनी घृणा करते थे कि कोई भी व्यक्ति उनसे अपनी पुत्री का विवाह करने को तत्पर नहीं था।"

अलाउद्दीन के भू-राजस्व सम्बन्धी सुधारों में उसके द्वारा पटवारियों के लेखे का निरीक्षण करना भी एक महत्वपूर्ण कदम था। यद्यपि यह ठीक है कि ऐसे लेखों का कार्यक्षेत्र अत्यधिक सीमित था और इन लेखों को ढूँढ निकालना भी दुष्कर था, परन्तु फिर भी यही लेख ऐसे थे जिनके आधार पर एक व्यवस्थित प्रणाली आकारित की जा सकती थी। इसके साथ ही अलाउद्दीन प्रथम शासक था जिसने इन आधार-भूत लेखों को ढूँढ निकालने का प्रयास किया था।

भूमि-कर के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने आवास-कर व चराई-कर भी लागू किये। बरनी के अनुसार सुल्तान ने समस्त दुवारू पशुओं पर कर लगाया था।

1. बरनी, तारीख-ए-फीरोजशाही, पृ. 296

फरिश्ता के अनुसार दो जोड़ी बैल, एक जोड़ी भैंस, दो गायें तथा दस बकरियाँ इस बर से मुक्त थीं। पशुओं की इस सख्या के ऊपर यदि कोई दुपारू पशु चारागाहों में भेजता था तब ही उससे बर वसूल किया जाता था। स्वाभाविक रूप से वे पशु जो चारागाहों में न भेजे जाते थे, अपितु घर पर ही जिनकी व्यवस्था की जाती थी वे इस बर से निश्चिन्त ही मुक्त रहे होंगे।

चराई-कर लागू करने से भास के भावों में अथवा ही वृद्धि हुई होगी और अलाउद्दीन ने इसनिये पशुओं पर लगाये जाने वाले बर को रद्द कर दिया परन्तु चराई बर अथावत बना रहा। चराई-कर की अपेक्षा पशुओं पर लगाये जाने वाले कर को रद्द करने का सम्भवतः यह कारण था कि वह इस आघार पर कृषि योग्य भूमि को चारागाह के रूप में परिवर्तित होने से बचा सकता था। इस प्रकार की बेईमानी खून और मुकद्दम आदि किया करते थे और अलाउद्दीन इसको रोक कर राज्य की भूमि से प्राप्त आय को बढ़ाने के लिए उत्सुक था।

दरनी के विवरण से ऐसा आभास लगता है कि ये मुघार समस्त राज्य में लागू नहीं किये गये थे। केवल लाहौर, दीपातपुर, समाना, मुनम, दिल्ली, बयाना, अफगानपुर, अमरोहा, कटेहर, भैत, देवाड़ी व नागौर में ही इन मुघारों की लागू किया गया था। नीचला दोघाब, अथवा, गोरखपुर, बिहार, बंगाल, मालवा आदि इन मुघारों के कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थे।

बर को अलाउद्दीन नकद के रूप में लेने के लिये इच्छुक नहीं था। अलाउद्दीन के बाजार-नियन्त्रण की सफलता के लिये आवश्यक था कि कृषक भूमि-बर उपज के रूप में दें। इसलिये उसने आदेश दिये थे कि दोघाब में स्थित समस्त खालसा भूमि का लगान उपज के रूप में वसूल किया जावे तथा शहर-ए-नू व उसके समीपवर्ती प्रदेशों में लगान की वसूली उपज अथवा नकद में वसूल की जावे।

अलाउद्दीन की भूमि-बर की कठोर आलोचना की गई है। बर अत्यधिक था यह पूर्णतया स्पष्ट है और इससे समाज के प्रायेक वर्ग को—कृषक, भू-स्वामी, व्यापारी आदि सब ही को इसका भार बहन करना पड़ा। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में जहाँ भूमि-बर ही आय का प्रमुख साधन हो, वहाँ उम बर में बढ़ोतरी करने पर स्वाभाविक रूप से समस्त वर्गों का प्रभावित हो जाना निश्चित है। यहाँ यह जान लेना भी उचित होगा कि अलाउद्दीन बाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा के लिये अत्यधिक धन खर्च के लिये बाध्य था और उसे किसी न किसी साधन से धन जुटाने की आवश्यकता थी। परन्तु यह कहना कि भूमिकर को बढ़ाकर वह हिन्दू वर्ग की कम्मर तोड़ने पर उद्यत था, मात्र अतिशयोक्ति है। समस्त वर्गों पर ही इस बड़े द्रुपे भू-राजस्व का प्रभाव पड़ा और क्योंकि कृषक व भू-स्वामी अधिकतर हिन्दू ही थे, इसलिए इस वर्ग पर इस बढ़ोतरी का अधिक प्रभाव पड़ना एक साधारण सी बात थी। इसके अनिश्चित खून और मुकद्दम क्योंकि हिन्दू थे, इसलिए उनकी स्थिति भी

दयनीय हो जाना एक निश्चित परिणाम था। परन्तु भू-राजस्व में बढ़ोतरी करना भी आवश्यक था क्योंकि आन्तरिक विद्रोहों को कुचलने के मूल्य के रूप में तथा बाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा के लिये प्रत्येक वर्ग का इसमें योगदान अवश्यम्भावी था। इसके विपरीत यह भी मत कुछ ग्रंथों तक उचित है कि भू-राजस्व में बढ़ोतरी के बाद भी कृषकों की आर्थिक स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि न तो कृषक अपनी भूमि छोड़ कर ही भागे और न ही कर बढ़ोतरी के विरुद्ध कोई विद्रोह ही हुए। अप्रत्यक्ष रूप से कृषक कुछ ग्रंथों में इस आधार पर सन्तुष्ट थे कि उन पर अत्याचार करने वाले खूत और मुकद्दमों की स्थिति उनसे कहीं अधिक दयनीय हो गई थी। परन्तु यह सन्तुष्टि केवल मनोवैज्ञानिक ही थी और स्थायी रूप से इससे सन्तोष मिलना सम्भव नहीं था। कृषक जो भूमि की उपज का पचास प्रतिशत भूमि-कर के रूप में देता था और उसके पश्चात् भी उसे अनेक प्रकार के कर देने के लिये बाध्य किया जाता था, ऐसी स्थिति में कर-चुकाने के पश्चात् भरण-पोषण के लिये उसके पास नाम-मात्र की ही राशि बचती होगी। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि केवल एक मुलावा मात्र थी जिससे अधिक समय तक सन्तुष्ट रहना सम्भव नहीं था। अतः यह स्वीकार करना अधिक उचित होगा कि बड़ा हुआ राजस्व सर्व-साधारण के हित में नहीं था। डा. ताराचन्द्र का मत अधिक न्यायसंगत प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था आत्मघातक सिद्ध हुई क्योंकि इसने सोने के अण्डे देने वाली मुर्गी का ही अन्त कर दिया। इसने उत्पादन-वृद्धि व कृषि में सुधार को किसी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं किया। सम्भवतः अलाउद्दीन की कठोर व्यवस्था उसके साथ ही समाप्त हो गई क्योंकि न तो सर्वसाधारण को इससे सहानुभूति थी और न ही इसमें उनकी सम्पन्नता की सुरक्षा थी। इसलिये यद्यपि उसकी इस व्यवस्था ने उसके उद्देश्यों की पूर्ति अवश्य की परन्तु यह किसी प्रकार से स्थायी नहीं बन सकी।

तुगलक-वंशीय भू-राजस्व व्यवस्था—गयासुद्दीन ने राज्यकाल के आरम्भिक वर्षों में राजस्व-सम्बन्धी व्यवस्था की ओर कोई ध्यान न दिया। परिस्थितियों की प्रतिकूलता तथा अपनी स्थिति को देखकर उसने यह उचित नहीं समझा कि मुबारक शाह की नीति में शीघ्र ही कोई आमूल-चूल परिवर्तन किया जावे। सत्ता-प्राप्ति में उसे सैनिक-वर्ग की सहायता प्राप्त हुई थी इसलिये सैनिकों को प्रसन्न रखना आवश्यक था। ऐसा न करने पर पुनः विद्रोह और उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया जा सकता था। सैनिकों को सन्तुष्ट रखने के लिये उसने उन्हें पुनः इत्ता दिये तथा राजस्व-प्राप्ति में भी अतिसेवन की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त गयासुद्दीन एक वित्त विशेषज्ञ न होकर प्रथमतः एक सैनिक ही था। उसमें अलाउद्दीन की कठोरता की अपेक्षा संतुलन अधिक था।

इस साधारण नीति के अनुसरण तथा जनसाधारण की सहानुभूति प्राप्त करने हेतु उसने अलाउद्दीन की पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। अलाउद्दीन की नीति का प्रमुख दोष था कि वह बगैर किसी तर्क अथवा विचार के निर्धारित

राजस्व को एकत्रित करने पर अधिक बल देता था। गयासुद्दीन ने इस नीति को अनौचित्यपूर्ण माना और आदेश दिया कि फसलो के आकस्मिक खराब हो जाने भयवा प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में उचित छूट दी जावे। गयासुद्दीन की इस विवेकपूर्ण नीति ने एक और तो कृपका पर बकाया की राशि को 'यूनतम' कर दिया और दूसरी ओर उसे नीति का भागो भी बनाया। डा. त्रिपाठी¹ का मत है कि गयासुद्दीन की इस नीति ने सल्तनतकालीन भू राजस्व व्यवस्था को उपयोगिता के उम उच्चतम शिखर तक पहुँचा दिया जो कि सूर भयवा मुगल वश में भी प्राप्त नहीं हो सकी।¹ यदि गयासुद्दीन स पैमाइश की पद्धति को अपनाया होता भयवा इत्ता देने की प्रथा को पुनर्जीवित नहीं किया होता भयवा मुस्लिमों के प्रति उदासीनता न प्रदर्शित की होती तो संभवत उसकी नीति सवश्रेष्ठ होती। परंतु इसके बाद भी कृपि को हानि होने की स्थिति में छूट देने के सिद्धान्त की स्वीकार कर गयासुद्दीन ने शाही राजस्व नीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

गयासुद्दीन भू राजस्व को बढ़ाने की दिशा में पीछे नहीं था परंतु अला उद्दीन के विरोध में वह बवल क्रमिक बढ़ोतरी का पक्षपाती था। यह अविश्वसनीय है कि उसने उपज का केवल $\frac{1}{10}$ भयवा $\frac{1}{11}$ भाग भू राजस्व के रूप में स्वीकार किया क्योंकि वहीं पर भी हिंदू भयवा मुस्लिम विधि ने इस प्रकार के सौम्य विचार की अनुमति भयवा सिफारिश नहीं की। इसके अतिरिक्त गयासुद्दीन को परिस्थिति-वश एक शक्तिशाली सेना को रखने तथा सैनिकों को प्रसन्न मुद्रा में रखने की भी आवश्यकता का आभास था। गयासुद्दीन इतना बुद्धिहीन नहीं था कि वह भू राजस्व को इन परिस्थितियों में इतना कम कर देता।

बरनी का विवरण क्योंकि अस्पष्ट है इसलिए यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई है। परंतु यदि इस काल की राजस्व व्यवस्था का ममुचित अध्ययन किया जावे तो यह भ्रान्ति स्वय ही समाप्त हो जाती है। केन्द्रीय सरकार व्यक्तिगत कृपकों से सम्पर्क रखने की अपेक्षा मुस्लिमों के माध्यम में ही भू राजस्व वसूल करती थी। साधारण स्थिति में कोई भी शक्ति अपने दत्ता पर एकदम बढ़ोतरी की नीति का समर्थक नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसी स्थिति में उसकी भाय बढ़ोतरी के कारण एकदम कम हो जाती जो कि उनके लिये घातक थी। एकदम बढ़ोतरी को स्वीकार करना उसके लिय सम्भव नहीं था। दूसरी ओर स्वय गयासुद्दीन अमानुषिक बढ़ोतरी की अपेक्षा उत्तरोत्तर बढ़ोतरी का समर्थक था। अधिक संभावना यह प्रतीत होती है कि उसने इत्ता क राजस्व में किसी एक वर्ष में $\frac{1}{10}$ भयवा $\frac{1}{11}$ प्रतिशत की बढ़ोतरी के आदेश दिए हैं।

इसके अतिरिक्त गयासुद्दीन द्वारा किये गये सुधारों में एक महत्वपूर्ण आदेश यह भी था कि 'भविष्य में भू राजस्व की माग पूर्णतया 'हामिल' पर ही आधारित

हो। इससे पहले सरकारी मांग केवल प्राप्त राजकीय आंकड़ों पर आधारित थी जो कि परम्परागत निर्धारण अथवा अनुमान पर आधारित थी। समय के अनुसार मूल्यों तथा उपज के घट-वढ़ के कारण ये आंकड़े न केवल अनुपयोगी अपितु हानिकारक हो चुके थे। "हासिल" के आधार पर भू-राजस्व को निर्धारित करने की गयासुद्दीन की नीति बुद्धिमतापूर्ण तथा न्यायसंगत थी। इससे मुक्ति अनुमानिक उपज के आधार पर जो अधिक राजस्व देते थे उसकी चिन्ता से मुक्त हो गये तथा साधारण कृषक पर की जाने वाली मांग को यथा-सम्भव न्यूनतम कर दिया गया।

मुक्ति, मुतसरफ व कारकून वर्ग के प्रति वह कृपालु था। यद्यपि अलाउद्दीन के कठोर नियमों ने धूस और देशमानी को अवश्य ही कम कर दिया परन्तु निष्कपट अथवा सच्चरित्र अधिकारियों के लिये यह कठोर था। क्योंकि राज्य द्वारा निश्चित कर उगाहने में उन्हें उचित व अनुचित कार्यों का आश्रय लेना पड़ता था। गयासुद्दीन ने इस कठोरता का अनुभव किया और वह आदेश दिया कि कारकून व मुतसरफ के हिस्सों में यदि थोड़ा अन्तर हो तो उस ओर कोई ध्यान न दिया जावे। इसका यह अर्थ नहीं था कि उसने इन दोनों अधिकारियों को घन गवन करने अथवा 'जमा' के अतिरिक्त अधिक भाग लेने के लिये अनुमति दे दी हो। इसी प्रकार से अमीरों और मलिकों को भी चार से पांच प्रतिशत हथियाने पर उन्हें उत्पीड़ित नहीं किया जाता था।

खूतों को वह उनके पुराने अधिकारों का उपभोग करने के लिये तत्पर था। वह उन्हें भू-राजस्व तथा चराई-कर से मुक्त करने को तत्पर था, यदि वे कृषकों से राज्य द्वारा निर्धारित करों के अतिरिक्त और कोई मांग न करें। उसका यह विचार था कि यदि खूतों के साथ साधारण अधिकारियों के समरूप व्यवहार किया गया तो वे अपने कार्य में रुचि नहीं लेवेंगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि उनके उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण हैं इसलिये उनको विशेष सुविधायें प्रदान करना न्यायोचित है। हिन्दुओं के प्रति वह सीम्य नीति का पालन करने का समर्थक था जिससे कि वे कर के भार से अधिक बोझिल न हों और इस कारण खेतों-घाड़ी न छोड़ दें। यदि कोई खूत कृषकों से अधिक कर प्राप्त कर लेता था तो वह कठोर दण्ड का भागी होता था, परन्तु साधारण कठोरता से कर बसूल करने के लिये अधिकारी क्षम्य था। अपनी उदार तथा मध्यम-मार्गी नीति से सुस्तान कृषकों, लगान अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को सुखी व सन्तुष्ट बनाने में सफल हुआ तथा साथ ही राज्य में कृषि-योग्य भूमि में वृद्धि करने के साथ ही आय बढ़ा सका।

मुहम्मद तुगलक के आरम्भिक वर्षों में गयासुद्दीन के समय के नियम पूर्ववत् लागू रहे। वह स्वयं भू-राजस्व में रुचि रखता था, इसलिए उसने अनेकों अध्यादेश लागू किये। उसने सर्वप्रथम खूतों की आय-व्यय का एक रजिस्टर बनवाया और सूबेदारों को नियमित रूप से अपने आबीन प्रदेश की आय-व्यय का हिसाब भेजने के

आदेश दिये। सम्भवत उसका उद्देश्य था कि ममस्त राज्य में एक ही प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था स्थापित हो तथा किसी भी गांव से लगान वसूली छूट न पाये। परन्तु इसके बाद भी यह जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि सुल्तान ने इन रजिस्टर का उपयोग विभिन्ननामों को समाप्त करने में किस प्रकार किया।

उसके आरम्भिक वर्षों में भू राजस्व का काम इतनी सुगमता से चलता रहा कि बंगाल और गुजरात जैसे दूरस्थ सूबों से भी राजस्व नियमित रूप से जमा होना लगा। बरनी उसकी इस व्यवस्था की प्रशंसा करता है। स्वयं सुल्तान भी राजस्व विभाग की कार्य-वृद्धि से सन्तुष्ट था। उसने यह उचित समझा कि भू राजस्व की दरों में बढ़ोतरी की जावे और ममस्त ऐसे प्रदेश जो तुलनात्मक आधार पर अधिक उपजाऊ है उनसे अधिक राजस्व प्राप्त किया जाये।

राजस्व की बढ़ोतरी का प्रयोग को कार्यान्वित करने के लिये दोघाब का प्रदेश अति उपयुक्त था। यह प्रदेश केन्द्र के निकट था तथा इसमें सिंचाई की उचित व्यवस्था थी। क्योंकि भू-राजस्व पहले से ही अधिक भारपूर्ण था, इसलिये उसने कुछ प्रबन्धों लागू करने की योजना बनाई जिसमें कि राजस्व में 5 में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सके। यदि बरनी न इन प्रबन्धों की सूची दी होती तो सम्भवत उसकी नीति का मूल्यांकन करना सरल होता। तारीख-ए-मुबारकशाही का कहना है कि सुल्तान ने आवास-कर व चराई-कर लागू किये जिसके लिए मकानों को सहायक किया गया तथा पशुओं को दायर गया। सुल्तान का उद्देश्य पुनः अना-वृद्धि की नीति को एक सीमित क्षेत्र पर लागू करने से अधिक न था।

कर की वृद्धि करने में सम्बन्ध में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। डा. मेहवी हुसैन के अनुसार सुल्तान को बाध्य होकर कर बढ़ाना पड़ा था, क्योंकि खुदायान की विजय के लिए संगठित सेना को धरखास्त करने के कारण कृषकों की मन्था में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई थी। डा. ईश्वरी प्रसाद के अनुसार कर में वृद्धि नवीन योजनाओं को और विशेषतया बारजाल के अभियान को सफल बनाने के लिए की गई थी। बदायूनी का कथन है कि कर की वृद्धि का कारण दोघाब की प्रजा को दण्डित करना था जो सर्वद्वेषी तुर्कों का विरोध करती चली आ रही थी। इसलिए उनकी नियन्त्रण में रखने के लिये यह कर लागू किया गया था। वास्तविकता कुछ भी रही हो परन्तु इतना निश्चित है कि कर में वृद्धि हुई थी।

सुल्तान की इन कर-वृद्धि का दोघाब में कठोर विरोध हुआ। यह कहा जाता है कि 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि ममस्त कठिनाई उत्पन्न करने में असमर्थ थी। अलाउद्दीन खल्जी के समय से ही कर की दरें अत्यधिक थीं और आवास-कर व चराई कर उसी समय से अभिन्न थे, परन्तु जनसाधारण ने केवल इसलिये इनको स्वीकार किया था कि मंगोलों का आतंक उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने राज्य के किसी एक अथवा दूसरे भाग में किसी भी प्रकार

का विभेद किये बगैर कर लागू किये थे। परन्तु मुहम्मद तुगलक ने दोआब को ही कर-वृद्धि के लिये चुना और वो भी एक ऐसे समय में जबकि विदेशी आक्रमण की कोई सम्भावना नहीं थी। मुहम्मद तुगलक का ऐसे करों को पुनर्लागू करना और ऐसी स्थिति में जब कि जनता पुगाने करों के प्रभावों के दुष्परिणामों से मुक्त भी नहीं हो पाई थी, निश्चित ही यह उनके असन्तोष को प्रोत्साहित कर विद्रोह करने के लिये सहायक सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त एक निर्बल तथा अशक्त जनता पर 5 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी किसी प्रकार से नगण्य नहीं कही जा सकती। रही-सही कसर दुर्भिक्ष ने पूरी कर दी।

कर में वृद्धि के कारण दोआब के कृषकों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई और अधिकारियों ने जिस कठोरता से करों को वसूल किया उससे कृषकों में और अधिक अधीरता फैली। स्थिति-गम्भीर से गम्भीरतर होती चली गयी। अधिकारियों के क्रूर व्यवहार से तंग आकर कृषकों ने अपने गांव व खेत छोड़ दिये तथा वे भाग खड़े हुए। सुल्तान अपनी विफलता को अनुभव कर अत्यधिक क्रोधित हुआ और जैसा कि समकालीन लेखक बरनी के विवरण से स्पष्ट है कि, "लगान वसूली की असफलता से रुष्ट होकर सुल्तान ने हिन्दुओं का जंगली पशुओं की तरह शिकार किया जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गये।"

सुल्तान ने अकाल की विभीषिका को दूर करने के लिए अनेक उपाय अपनाये। उसने बीज, बंस आदि के लिए कृषकों को धन दिया परन्तु समस्या इतनी भीषण थी कि कृषकों ने जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त करने में इसे व्यय कर दिया। सुल्तान ने अकाल का कारण जल की अत्यधिक कमी को जानकर कुए खुदवाने के आदेश दिये। उसने यह भी विकल्प दिया कि पीड़ित परिवार संकट के समय के लिए दूसरे प्रदेशों में निवास-हेतु, चले जावें। सुल्तान ने सहायता हेतु दो करोड़ टंक की राशि भी इस हेतु खर्च की। निश्चित ही ऐसे कुसमय में कोप पर अधिक भार पड़ा होगा और राज्य की आर्थिक स्थिति और अधिक दयनीय हो गई होगी।

मुहम्मद तुगलक ने इस अकाल से यह अनुभव किया कि केवल एक ही प्रदेश पर निर्भर रहने के भयंकर परिणाम हो सकते हैं और इसलिये दूसरे प्रान्तों की भूमि को भी उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जावे। इस उद्देश्य के अन्तर्गत उसने 'दीवानेकोही' नामक विभाग की स्थापना की। इस विभाग का एकमात्र कार्य राजकीय देखरेख और आर्थिक सहायता से अर्ध-उपजाऊ भूमि को कृषि-योग्य बनाने का था। प्रयोग के लिये एक विस्तृत 60 वर्ग मील की भूमि का टुकड़ा चुना गया जिस पर दो वर्षों में 70 लाख टंक व्यय किये गये। इस पर फसलों के चक्रानुसरण (Rotation) द्वारा विभिन्न फसलें उगाने का प्रयत्न किया गया। भूमि गरीबों को अथवा जिन्हें आवश्यकता थी उन्हें दी गई और राज्य की ओर से अनेक अधिकारी इसके निरीक्षण हेतु नियुक्त किये गये।

यह प्रयोग यद्यपि दृष्टिकर था, परन्तु इसे व्यवहारता ही मिली। इसके लिये अनेक कारण उत्तरदायी थे—जैसे कि यह प्रयोग पूर्णतः नवीन था जिसके लिये पूर्ववर्ती (Precedent) उदाहरण नहीं था, प्रयोग के लिये धुली गई भूमि उपजाऊ नहीं थी तथा तीन वर्षों का प्रयोग-समय इसके लिये अपर्याप्त कम था। इसके ऐतिहासिक अभिकारियों ने ईमानदारी से काम नहीं किया तथा कृषकों ने धन का उपयोग अपने निर्वात को सुधारने में किया।

अलाउद्दीन की तरह मुहम्मद तुगलक भी नपाई की पद्धति में विश्वास करता था। नपाई की पद्धति कृषकों को न ही अलाउद्दीन के समय में दृष्टिकर लगी थी और न ही इस काल में भी वो इसको उचित स्वीकार करते थे, परन्तु मुहम्मद तुगलक इसके प्रति इतना उत्सुक था कि खोसाइ में रहते इस पद्धति को लागू किया। यह स्पष्ट नहीं है कि अनेक कठिनाइयों के बाव भी उसने इसका परिष्कार किया था अथवा नहीं।

मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के समय राज्य की वित्तीय व राजस्व व्यवस्था, राजनैतिक स्थिति के अनुकूल ही मौखिक थी। इसलिये उसके उत्तराधिकारी पीरोज़ तुगलक का प्रथम दायित्व था कि वह अभिकारियों और जनसाधारण में राज्य के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न करे जिससे कि वे सामान्य जीवन शायित्त करने में समर्थ हो सकें। जन-साधारण बहोर कर व शासन की व्यवस्था तथा प्राकृतिक प्रकोप से भाग्य दुर्लभ थे, और इसलिये पीरोज़ ने यदि मुहम्मद तुगलक की नीति का ही पालन किया होता तो यह उसकी विगतल मूल होती। परिस्थिति-युक्त तथा अपने लक्ष स्वभाव के कारण उसने आरम्भ में ही एक हजार व सोम्य नीति को प्रवर्धना।

पीरोज़ ने सर्वप्रथम जनसाधारण को दिने गमे ऋण को रद्द कर दिया जो लगभग दो करोड़ था। ऐसे समय में जब राज्य धराल श्रुत था तथा विभिन्न मुल्तान द्वारा धन का अव्यय किया गया था, इतनी बड़ी राशि को रद्द करना मरम नहीं था, परन्तु जनसाधारण की सद्भावनाओं को विहित करने तथा सरकार के सद् निश्चय की अभिव्यक्ति के लिये यह आवश्यक था। यह ठीक है कि सम्भवतः पीरोज़ अस्त कृषकों से इस ऋण को वसूल करने में असमर्थ रहता, परन्तु इतना धन भी दूरदर्शिता से मात्र लेकर उसने एक अभिभाव को बरदान में बदल दिया और फिर कभी अपने समस्त राज्यकाल में इसको बहूत करने के सम्भव में भोव बिचार भी नहीं किया।

राज क्षमा (Amnesty) उस समय और भी अधिक प्रभावपूर्ण प्रचलित हुई जब उसने वजीर के द्वारा दो गई समस्त भेंटों को, जो उसने मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के पश्चात् (उसके पुत्र के पक्ष को प्रकट बनाने के लिये) बांटी थी, वसूल करने की घोषणा की थी। अलाउद्दीन और गयामुद्दीन तुगलक के समय में इस प्रकार

की दी गई भेंटें पुनः बसूल की गई थीं, और यदि फीरोज चाहता तो उसको इन्हें पुनः प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इनका समस्त लेखा जोखा पूर्णतया सुरक्षित था, परन्तु फीरोज ने इनको भी रद्द कर दिया।

अधिकारी वर्ग के विश्वास को जीतने के लिये उसने उनका वेतन बढ़ा दिया तथा हिसाब व 'मतालवा' प्रस्तुत करते समय जो उन्हें यातनायें दी जाती थीं उनका निषेध कर दिया। गुप्तचर जो उनकी गतिविधियों की जानकारी देने के लिये नियुक्त किये गये थे उन्हें भी हटा दिया गया।

फीरोज को सत्ता प्राप्ति में उलेमा वर्ग से सहयोग प्राप्त हुआ था, इसलिये वह उन्हें संतुष्ट रखने का इच्छुक था। पिछले पचास वर्षों से उलेमा वर्ग के प्रति उदासीनता की नीति अपनाई गई थी, जिसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप वे सल्तनत के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते थे। क्योंकि इस वर्ग का जनसाधारण पर सक्रिय प्रभाव था तथा इनसे विद्वेष मोल लेना राज्य के लिये, फीरोज के अनुसार उचित नहीं था, इसलिये उसने उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने उनकी शिकायतों को दूर कर उनसे मेल-मिलाप की नीति आरम्भ की। उनको दिये गये समस्त अनुदान जो रद्द कर दिये गये थे, उसने उन्हें पुनः वापिस लौटा दिया। ऐसी समस्त भूमि जो खालसा के अन्तर्गत ले ली गई थी उसे भी वापिस दे दिया गया। डॉ. त्रिपाठी के अनुसार दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने उलेमा वर्ग के प्रति इतनी नम्र व उदार नीति नहीं अपनाई थी।

फीरोज की यह नीति कुछ समय के लिये राजनैतिक लाभों से परिपूर्ण थी, परन्तु एक खाली खजाने के लिए अनर्थकारी थी। इस नीति ने यद्यपि फीरोज को लोकप्रिय बना दिया, परन्तु राज्य के साधारण लाभों की प्राप्ति के संदर्भ में इस नीति की उपयोगिता संदेहास्पद है। तत्कालीन समस्या थी कि राज्य में शान्ति व व्यवस्था किसी भी मूल्य पर स्थापित की जावे और फीरोज सफल हुआ।

इसके पश्चात् फीरोज ने राजस्व-सम्बन्धी मामलों को और ध्यान दिया। वह इस बात को जानने का इच्छुक था कि राज्य की कुल आय कितनी है जिससे कि उसके अनुरूप आवश्यक खर्च में कटौती की जावे। पिछली 'जमा' का लेखा-जोखा पुराना हों चुका था और इसलिये उसने ख्वाजा हुसामुद्दीन को नये 'जमा' का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त किया। उसने 6 वर्ष के अथक परिश्रम के पश्चात् राज्य के राजस्व को 6 करोड़ 75 लाख टंक निश्चित किया। फीरोज के समस्त राज्यकाल में यही 'जमा' स्वीकार किया जाता रहा। 'जमा' निर्धारित करने में पैमाइश की अपेक्षा अनुमान को आधार बनाया गया और राजस्व विभाग के पुराने लेखे की सहायता ली गई। यद्यपि ये पद्धति वैज्ञानिक नहीं थी, परन्तु फिर भी फीरोज के सम्पूर्ण राज्यकाल में इसी को अपनाया जाता रहा। इस आधारभूत दाय

के होते हुए भी स्थायी रूप में राजस्व को निश्चित करना फीरोज की एक महान उपलब्धि थी।¹

फीरोज की इस 'जमा' की विशेषता थी कि इसमें विभिन्न छद्मवादों की गणना भ्रमवादों की सूची में नहीं ली जा रही थी। फीरोज ने स्वयं ऐसे 24 छद्मवादों की सूची बताई है और इस प्रकार के दूसरे छद्मवाद भी थे। हम यह जानने में असमर्थ हैं कि वास्तव में कितने-कितने छद्मवादों को समाप्त कर दिया गया था भ्रमवाद इनमें से कौन से राज्य के लिए समुचित धन जुटाने में समर्थ थे। हम केवल यह कह सकते हैं कि इनमें आवास-कर व चराई-कर राजस्व के लिए निश्चित ही महत्वपूर्ण साधन थे।

फीरोज के राज्य-काल में लगान उपज का 1/3 से 1/5 भाग तक लिया जाता था, परन्तु राजस्व एकत्रित करने के क्षेत्र में फीरोज ने मुहम्मद तुगलक की नीति की अपेक्षा गयासुद्दीन की नीति को लागू करना अधिक उपयोगी स्वीकार किया। उसने आदेश दिये कि खराज और जजिया 'हाबिल' के अनुसार लागू किये जावें तथा इनके अनिश्चित रूपों से और कुछ न वसूल किया जावे।

फीरोज का सबसे महत्वपूर्ण व स्थायी योगदान उसकी नहरों के निर्माण की नीति थी, जिससे कि पूर्वी पंजाब का वो भाग जहाँ जल की कमी के कारण उपज उगाना सम्भव नहीं था, उपजाऊ बन सका। नहरों का निर्माण उसकी राजस्व नीति का एक भ्रम बन गई। इसके अन्तर्गत उसने पाच बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इनमें से एक 150 मील लम्बी थी जो यमुना से हिमाचल तक जाती थी। दूसरी 96 मील लम्बी थी जो मत्तलज से घाघरा तक जाती थी, तीसरी नहर सिरमोर की पहाड़ियों से लेकर हर्षी तक जाती थी, चौथी घाघरा से फिरोजाबाद तक और पाचवी यमुना से फिरोजाबाद तक जाती थी। इन नहरों का महत्व इसी से स्पष्ट है कि इनमें से केवल दो नहरों—रजीवाब व अलागखानी से लगभग 160 मील की भूमि लाभान्वित थी।

फीरोज की यह नीति लाभदायक सिद्ध हुई। कृषि-योग्य भूमि में बढ़ोतरी हुई व राज्य में सब और सम्पन्नता दिखाई देने लगी। नहरों के किनारों पर अनेकों नई बस्तियाँ बस गईं। अनेकों दोघाब में लगभग 52 नई आबादियाँ दिखाई देने लगीं। अफ्रीक ने लिखा है कि "एक गाँव भी अब उजाड़ नहीं रहा और न ही एक वर्ग गज भूमि बर्बाद जुती हुई रही। जीवन की आवश्यकतायें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थीं और फीरोज के सम्पूर्ण राज्यकाल में, बिना किसी प्रयत्न के, अनाज के मुख्य अलाउद्दीन के समान ही मस्त बन रहे।" समरुदह तथा खरला से लेकर कौल तक खेत लहलहाने लगे।

1 ए. एन. श्रीवास्तव, दिल्ली सल्तनत, पृ. 203

इसके अतिरिक्त फीरोज ने सिंचाई कर लागू कर राजस्व में वृद्धि की। मुहम्मद तुगलक दोआब में केवल 5 से 10 प्रतिशत कर में बढ़ोतरी कर वहां की प्रजा का कोप-भाजक बना था, परन्तु फीरोज ने सिंचाई कर के रूप में उपज का 1/10 भाग बढ़ाकर भी प्रजा की सहानुभूति व विश्वास प्राप्त किया।

इसके अतिरिक्त डा. त्रिपाठी के अनुसार राज्य को यह लाभ भी हुआ कि इसके पश्चात दिल्ली का प्रदेश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो गया, जिसके कि संकट की स्थिति में दिल्ली प्रदेश स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था। इस प्रकार उसने दिल्ली की उस भयानक प्रकोप से रक्षा के लिये साधन जुटाये जिसका अनुभव मुहम्मद तुगलक के समय में पड़े अकाल के फलस्वरूप हुआ था। फीरोज की इसी नीति के अन्तर्गत दिल्ली के आसपास लगभग 1200 फलों के बाड़े लगाये गये जिनसे राजस्व के रूप में प्रति वर्ष 1 लाख 80 हजार टंक प्राप्त होते थे।

फीरोज की भू-राजस्व नीति में मुख्यतः दो दोष थे। उसने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को और अधिक विकसित किया। यद्यपि यह ठीक है कि ठेकेदारी प्रथा पूर्व सुल्तानों के समय में भी विद्यमान थी, परन्तु वह पूर्व सुल्तानों की अपेक्षा इस क्षेत्र में अधिक उदार था। उसकी इस नीति की विशेषता थी कि उसने प्रान्तों के राजस्व को भी ठेकेदारी पद्धति के आधार पर सरकारी अधिकारियों को देना आरम्भ कर दिया। ठेकेदार भू-राजस्व के अधिकार को प्राप्त करने के लिये ऊंची बोली बोलते थे, जिसका भार स्वाभाविक रूप में कृषकों पर ही पड़ता था। गुजरात की नियावत के लिये अदु राजा जियाउलमुल्क व शम्सी दमगानी प्रतिद्वन्दी थे। दमगानी से गुजरात के औसत राजस्व के अतिरिक्त 40 लाख टंक, कुछ सौ हाथी, दो सौ अरबी घोड़े व चार हजार हिन्दू व अदीसीनियन दास मँट देने का प्रस्ताव रखता। क्योंकि अदु राजा को यह स्वीकार नहीं था, इसलिये गुजरात के राजस्व-वसूली का कार्य दमगानी को सौंपा गया। स्वाभाविक था कि उसने अत्यधिक राजस्व देकर अधिकार कर प्राप्त किया था, इसलिये इस अतिरिक्त भार के भागी एकमात्र कृषक ही रहे होंगे।

इसके अतिरिक्त फीरोज जागीर प्रदान करने में भी बड़ा उदार था। जागीर केवल राज्य के बड़े पदाधिकारियों को ही नहीं अपितु सभी सैनिक व प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदान की जाती थी। बजौर को 13 लाख टंक प्रति वर्ष की आय की जागीर दी गई थी। इसमें से अनेक लोग जागीरों को बैंकर अथवा साहूकारों से हाथ वेच दिया करते थे और बैंकर इससे लगभग 17 प्रतिशत तक लाभ उठाते थे। इसकी हानियां स्पष्ट थीं। एक और तो जागीर प्राप्तकर्ता परेशानी से मुक्त हो जाता था, बैंकर उसका लाभ उठाता था, परन्तु हर स्थिति में राज्य नुकसान का भागीदार होता था। बैंकरों से यह आशा नहीं थी कि वे कृषकों अथवा राज्य के हितों का ध्यान रखेंगे।

फीरोज की नीति में दूसरा दोष जजिया के प्रचलन में बढोतरी करना था। यह ठीक है कि जजिया का उन्मूलन कभी नहीं किया गया था, परन्तु धीरे-धीरे यह अप्रचलित होता जा रहा था, दिल्ली के योग्यतम सुल्तान जजिया की उपेक्षा कर केवल लौकिक अथवा धर्म-निरपेक्ष करों को वसूल करने के प्रति ही रुचि रखते थे। यद्यपि यह कर हिन्दुओं में अत्यन्त अलोकप्रिय था तथा इसमें अनेकों दूसरी कठिनाइयाँ भी थीं परन्तु धार्मिक प्रवृत्ति का होने के नाते फीरोज ने इसे लागू किया। यह राज्य के लिये हितकर मित्र नहीं हुआ।

लोदी वंशीय भू-राजस्व व्यवस्था—फीरोज की मृत्यु के पश्चात् दिल्ली सल्तनत में अन्त-व्यस्तता व्याप्त हो गई। उत्तरी-भारत तथा राजपूताना में हिन्दू शासकों का उदय, पंजाब में खोखरो का उदयान और तैमूर के आक्रमण ने सल्तनत की शक्ति और सम्मान को प्रभावपूर्ण घायात पहुँचाया। ऐसी स्थिति में भू-राजस्व व्यवस्था को अधुण्य रखना नितान्त असम्भव था। केन्द्रीय सरकार की शक्तिहीनता के साथ ही प्रशासकीय व्यवस्था भी शिथिल पड़ गई। परन्तु परिपाटियों और सस्याओं का अन्त इतना सरल नहीं था और स्थानीय अधिकारी अपनी योग्यता-नुसार कार्य चलाते रहे। ऐसे समय सुधार का सोचना सम्भव ही नहीं था।

लोदी वंश की स्थापना के बाद ही दिल्ली-सल्तनत के लिए अपनी गतिहीनता की स्थिति से मुक्त होना सम्भव था। परन्तु दुर्भाग्य से न तो लोदी शासकों में किसी प्रकार की शासकीय योग्यता थी और न ही वे इस और आकर्षित ही थे। उनके विचार, उनकी सस्यायें अनेक क्षेत्रों में तुर्क शासकों से भिन्न थीं। इसके अतिरिक्त वे सैनिक गतिविधियों में अधिक व्यस्त थे जो कि उनके लिए आवश्यक थी।

बहुल लोदी ने समस्त प्रदेश, इत्ताओं में विभाजित कर दिया और इन इत्ताओं को अफगान सरदारों में बाँटकर उन्हें सन्तुष्ट रखने की नीति अपनाई। ये अफगान सरदार जब तक स्थानीय एजेन्सियों के माध्यम से राजस्व एकत्रित करते रहे तब तक उन्होंने भू-राजस्व की ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा। सम्भवतः न तो उनमें इन्तान, न ही समय और न ही इतनी योग्यता थी कि वे किसी ऐसे मामले में हस्तक्षेप करते जिसमें उनकी रुचि ही नहीं थी।

सिकन्दर लोदी के राज्यास्त होने तक परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन आ चुका था। जोधपुर के प्रतिद्वन्द्वी राज्य का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, हिन्दू शासकों को लोदी शक्ति का आभाव हो गया था तथा मध्य पंजाब से खोखरो का सकट लुप्तप्राय हो चुका था। धौलपुर, मर्दल, उगगिर, नरवर व नागीर विजित कर लिये गये थे। इसके अनिश्चित अफगानों के प्रति सिकन्दर लोदी का दृष्टिकोण बहुल लोदी से बिल्कुल भिन्न था। इन बदली हुई परिस्थितियों में भू-राजस्व की ओर ध्यान देना सम्भव हो सका।

उसने समस्त सूबेदार और जागीरदारों को यह आदेश भेजा कि वे अपने प्रदेश की आय व व्यय का विवरण प्रस्तुत करें। जिन्होंने इस आज्ञा का पालन करने

में आनाकानी दिखाई, सिकन्दर ने उन्हें दण्डित कर राज्य का गवत क्रिया हुआ घन उनसे वसूल किया ।

परन्तु सिकन्दर लोदी का महत्वपूर्ण योगदान अनाज पर से जकात-कर की समाप्ति थी । क्योंकि राज्य के कुछ भाग भयंकर प्रकाल से ग्रस्त थे और सिकन्दर की इच्छा थी कि अनाज बाहर से कम मूल्य पर प्राप्त हो सके इसीलिए उसने इस कर को रद्द कर दिया । सिकन्दर ने पुनः अपने राज्यकाल में इसको लागू नहीं किया ।

सिकन्दर लोदी की दूसरी उपलब्धि थी कि उसने भूमि की पैमाइश के लिए एक 41 अंगुल के गज का निर्माण करवाया । यही गज शेरशाह व उसके पश्चात अकबर के शासन काल के 31 वें वर्ष तक मानदण्ड बना रहा ।

इब्राहीम लोदी एक दुष्ट-प्रतिज्ञ, भ्रोजस्वी, कर्मठ व उच्चाकांक्षी शासक था और सम्भवतः वह शासन की गति को तीव्र करता, परन्तु उसके भाग्य में अधिक समय तक शासन करना नहीं लिखा था । परन्तु इसके बाद भी उसने एक अपूर्व प्रयोग किया । उसने आदेश दिया कि कृषकों से उपज के रूप में ही भू-राजस्व वसूल किया जावे । अलाउद्दीन के पश्चात वह प्रथम शासक था जिसने इस प्रकार की व्यवस्था की थी । यद्यपि इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि भूमि से होने वाली समस्त उपज पर यह नियम लागू किया गया था परन्तु सामान्य बुद्धि के आधार पर सञ्चियों तथा फल-फूल आदि पर इसे लागू करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

इब्राहीम द्वारा इस नीति को लागू करने में क्या उद्देश्य रहे थे इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है । यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि राजस्व को एकजित करने के लिए एक ही मापदण्ड को लागू करने की इच्छा से अथवा सामान्य रूप से चांदी की कमी के कारण यह इसके लिए प्रेरित हुआ था । इस नीति का लाभप्रद परिणाम निकला और अनाज तथा आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आ गई । यह सम्भव है कि सरकारी कर्मचारी जो इत्ता के स्वामी होने के कारण राजस्व, उपज के रूप में एकजित करते थे और क्योंकि उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए नकद धन की आवश्यकता होती थी, इसलिए वे अपने भाग की उपज को शीघ्रातिशीघ्र बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे । इन अधिकारियों में प्रतिस्पर्धा अधिक व्याप्त थी । इसी प्रतिस्पर्धा में नकद-प्रति हेतु अनाज कम मूल्य पर बेच दिया जाता था । यदि सरकारी कर्मचारियों की यह दशा थी तो साधारण कृषकों के लिए इस नीति को अपनाना और भी अधिक उचित था और इसीलिए वस्तुओं का मूल्य कम हो गया था ।

ध्याय-व्यवस्था

भूमिका—सभ्यता के उद्भव काल से जब समाज शर्तः-शर्तः अपने मूर्त-रूप की ओर अग्रसर हो रहा था तभी से मनुष्य को दुराचारियों के विरुद्ध आश्रय की

आवश्यकता अनुभव हुई। न केवल जीवन व सम्पत्ति अपितु सामाजिक और व्यक्तिगत भगडों का निराकरण तथा विरोधी दायित्वों का न्यायिक हल आवश्यक था और इसी कारण न्याय की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता अनुभव हुई। मुस्लिम नीति-विज्ञों के अनुसार शक्तिहीन और दुराचारियों को दण्डित करना मात्र ही न्याय का अन्तिम उद्देश्य नहीं है, अपितु भू-भाग पर शान्ति-स्थापना, समाज का यथोचित विकास, मनुष्य-मात्र में सौहार्द की भावना उत्पन्न करना तथा सामाजिक स्वार्थों के बीच सामंजस्य उत्पन्न करना, न्याय के प्रमुख चार स्तम्भ हैं।

इस्लामी कानून के चार स्रोत मान जाते हैं—कुरान, हदीस, इज्मा व क्याम। कुरान मुहम्मद साहब की पैगम्बर के अधिकार से मुक्त करने के पश्चात वे देवीप्रकाशन हैं जो ईश्वर की आज्ञाएँ अथवा इच्छाएँ हैं और इसीलिए मुस्लिम-धर्म इसे शाश्वत और धर्मशोधनीय मानते हैं। इस्लामी व्यवस्था में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केवल ईश्वर (खुदा) को ही है और इसलिए कुरान जो कि ईश्वरप्रदत्त है इस्लामी कानून का मुख्य और आधारभूत स्रोत है। कुरान के पश्चात हदीस अथवा सुनाह (पैगम्बर की रीतियाँ और परम्पराएँ) दूसरा प्रमुख आधार है। बहुधा धर्मका बार ऐसी परिस्थिति सम्मुख आई जब कुरान से उनका समाधान निकालना सम्भव नहीं था अथवा कुरान पूर्णतया मौन था अथवा कुरान में उनकी कोई व्याख्या नहीं थी। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि बढ़ते हुए मुस्लिम समाज और साम्राज्य के सम्मुख नवीन समस्याएँ आई और उनके लिए नये समाधान की आवश्यकता अनुभव हुई। ऐसे अवसरों पर पैगम्बर द्वारा दी गई आज्ञा अथवा मर्यादा कुरान जैसी ही पवित्र समझी जाने लगी, किन्तु इनसे भी समस्या का पूरा समाधान नहीं निकल पाया और इसीलिए स्मृतिज अथवा कानूनों में प्रवीण लोगों को मुस्लिम समाज के हित-हेतु कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया। इस मान्यता पर कि यह कानून वे हैं जो ईश्वर बनाने का इच्छुक था। कानून के दस स्रोत को इज्मा की सजा दी गई, क्याम अथवा सादुश्व दिवाकर व्यापक में ब्याय्य का तर्क निकालने की व्यवस्था इस्लाम में काफी समय से प्रचलित थी। दस क्षेत्र में अबू हनीफ (688-766 ई.) द्वारा प्रतिपादित हनीफी विचारधारा के धर्मशास्त्र सम्बन्धी विचार अग्रगण्य थे जिससे क्यास को प्रथम बार प्राथमिकता दी गई। हनीफी के पश्चात मन्जिकी विचारधारा थी जिसकी स्थापना मन्जिक इब्न हुसैन ने (715-75 ई.) की थी। तीसरी और चौथी विचारधारा—शफी तथा हवली के सम्थापक अल-शफी (726-820 ई.) व अहमद बिन-हनुबल (780-855 ई.) थे। इन समस्त न्याय-शास्त्रियों ने केवल उन्हीं बातों का स्पष्टीकरण दिया जो कुरान और हदीस पर आधारित थी। कुरान अथवा पैगम्बर की उक्तियों के मौन होने पर उन्होंने कोई नये सिद्धान्त के प्रतिपादन की धृष्टता नहीं की क्योंकि किसी को भी इस्लामी विधि में परिवर्तन करने का न तो अधिकार था और न ही ये परिवर्तन किसी प्रकार से मान्य

थे। परन्तु ये अपरिवर्तनशील कठोरता इस आधार पर कम हो गई कि कभी-कभी मुस्लिम न्यायशास्त्रियों ने शासकों द्वारा बनाये गये कानून को विधि-सम्पन्न मान लिया, जैसा कि मुहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ई. में सिन्ध और मुल्तान में हिन्दुओं को भी ईसाइयों और यजुर्विदियों की तरह जिम्मी मानना आरम्भ कर दिया और अबू हनीफा ने इसकी पुष्टि भी कर दी।

इस्लामी धर्मशास्त्र सम्बन्धी कानून केवल मुसलमानों पर ही लागू है और इस आधार पर जिम्मियों पर यह लागू नहीं किया जा सकता। परन्तु साधारणतया कानून के दो भाग हैं—धार्मिक व धर्म-निरपेक्ष। जिम्मी लोगों पर धर्म-निरपेक्ष कानून ही लागू होते हैं जो कि साधारणतया सब ही देशों में एक समान हैं। इनको हम चार विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं—(1) दीवानी कानून—जिसके अन्तर्गत इस्लाम के धार्मिक कानून केवल मुस्लिम वर्ग पर लागू थे और वाणिज्य व्यापार आदि सम्बन्धित कानून मुस्लिम व गैर-मुस्लिम वर्ग पर एक समान रूप से लागू थे; (2) भूमि-सम्बन्धी कानून, जिसमें धरतियों की कर-व्यवस्था को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन करके मुस्लिम और गैर-मुस्लिम वर्ग पर लागू किया गया; (3) गैर-मुस्लिमों के धार्मिक तथा व्यक्तिगत कानून, जिसके अन्तर्गत हिन्दुओं और गैर-मुस्लिमों पर उनके धार्मिक व व्यक्तिगत कानून को लागू किया गया और जहाँ कहीं भी हिन्दुओं के मध्य कोई व्यक्तिगत कानून को लेकर विवाद खड़ा हो पाता वहाँ विद्वान, पण्डितों की सहायता से विवाद का निराय किया जाता था तथा (4) इस्लामी फौजदारी कानून के अन्तर्गत कानूनों का वह भाग जो धार्मिक कानूनों के उल्लंघन से सम्बन्धित था और जो केवल मुसलमानों पर लागू था और शरियत के अनुसार ऐसे अपराधों के लिए गैर-मुस्लिम को दण्डित नहीं किया जा सकता था। इसका दूसरा भाग जो साधारणतया प्रत्येक राष्ट्र में अपराध स्वीकार किया जाता है वह समान रूप से मुस्लिम व गैर-मुस्लिम वर्ग पर लागू किया जाता था; जैसे हत्या, चोरी, डकैती आदि अपराधों में दण्ड व्यवस्था दोनों वर्गों के लिए समान थी।

प्रथम चार खलीफाओं ने न्याय-व्यवस्था सम्बन्धी अपने उत्तरदायित्व को निभाया परन्तु जैसे-जैसे खलीफात की भौगोलिक सीमाओं में वृद्धि हुई उसी अनुपात में व्यक्तिगत रूप से अपने इस उत्तरदायित्व को निभाना उनके लिए अधिक दुष्कर दिखाई देने लगा तथा प्रान्तीय गवर्नरों को वे अधिकार हस्तान्तरित कर दिये गये। वे खलीफा के नाम पर इस कार्य को करने लगे, यद्यपि खलीफा स्वयं राजधानी के निकटवर्ती प्रदेशों में इस कार्य को सम्पन्न करते रहे। दिल्ली के सुल्तानों ने इस नीति का अक्षरशः पालन किया। स्वयं सुल्तान राजधानी में काजियों और मुफ्तियों की सहायता से न्याय करता रहा और प्रान्तीय गवर्नर अपने-अपने क्षेत्र में इस उत्तरदायित्व को निभाते रहे। सल्तनत काल में काजी और मुफती अत्यधिक प्रभावशाली

हो गये क्योंकि इस काल के अधिकतर सुल्तान निरक्षर थे और धार्मिक कानूनों को समझने अथवा उनकी व्याख्या करने में असमर्थ थे। काजी और मुफ्ती विधि में अधिक निपुण थे और इसलिए सुल्तानों को उनकी सहायता पर निर्भर रहना आवश्यक हो गया था। समय के साथ ही काजी और मुफ्ती का वर्ग वशानुपत हो गया, जिनको विधि के समझने व उसकी व्याख्या करने का अधिक सामर्थ्य और सूझबूझ थी।

इस्लामी विधि—सुल्तानों ने इस्लामी विधि के प्रति सहज ही में पूर्ण सम्मान दर्शाया था और उसका पूर्ण रूप से पालन किया। सम्पत्ति, तलाक, अथवा विवाह के कानून जो मुसलमानों के धार्मिक विश्वास के अंग थे वे पूरी तरह अपरिवर्तनशील रहे। इस्लामी विधि-पारमर्तो का कोई भी निर्णय इतना प्रमाणिक नहीं माना जाता था कि वह कोई कानून स्थापित करे अथवा इस्लामी नियम को स्पष्ट करे अथवा कुरान के किसी स्पष्ट मन्तव्य को कोई नया रूप दे अथवा उसके स्पष्ट मन्तव्य को किसी ऐसे मन्तव्य में पूरा करे जिसके बारे में उसमें विशेष रूप से कुछ उल्लेख न हो।¹ सैद्धांतिक रूप से यह माग्य रहा परन्तु व्यवहारिक रूप में न केवल गैर-मुस्लिमों के प्रति नियमों में संशोधन किया गया अपितु अपराध-नियमों में भी परिवर्तन किये गये। अलाउद्दीन खलजी व मुहम्मद तुगलक के समय में किये गये परिवर्तन इसके प्रमाण हैं।

सुल्तानों ने समुचित न्याय की ओर विशेष ध्यान दिया और वे सदैव इस बात के लिए उत्सुक रहे कि राज्य के नियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन न करने दिया जावे। कुतुबुद्दीन ऐबक यद्यपि भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करने में व्यस्त था, परन्तु फिर भी अपने राज्य में उचित न्याय के प्रति भी जागरूक था। हुसैन निजामी ने लिखा है कि, "उसने न्याय रूपी वैभव से कलह रूपी ज्वाला को शान्त कर दिया तथा निर्दयता रूपी अंधकार का धुआँ पृथ्वी पर लुप्त हो गया। ऐसी निष्पक्षता से उसने न्याय-पद्धति अपनायी कि भेदिया और दबरी एक ही घाट पर पानी पीते थे तथा घोरी आदि के अपराध जो पहले साधारण रूप से घटित होते थे समाप्त हो गये।"² यद्यपि हुसैन निजामी ने इस कथन में अतिशयोक्ति दिखलाई देली है परन्तु कम से कम यह नुतुबुद्दीन की न्याय के प्रति भावना की झलक है।

व्यवस्था—सुल्तान इत्तुतमिश ने जो वास्तविक रूप में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, न्याय के क्षेत्र में अपने स्वामी कुतुबुद्दीन की नीति का पालन किया तथा न्याय करते समय सशक्त अथवा शक्तिहीन के बीच कोई भेदभाव न किया। स्वभाव से वह क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था इसलिए उसके राज्य-काल में 'शरा' का प्रशासन में साधारण रूप से और न्याय के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रभाव रहा।

1. न. व. एन मरकार, मुगल ऐतिहासिक, पृ. 100

2. इतिवट एड्ड हाउस, (मनुस्क्रिप्ट, राजस मुस्लिम), पृ 217

बलबन ने सुल्तान के चार प्रमुख कार्यों में से एक कार्य न्याय को बताया। उसके अनुसार जब तक बादशाह न्याय के विषय में पूर्णतया प्रयत्न नहीं करता और पूरी तरह न्याय नहीं करता तब तक अन्याय और अत्याचार से उसका देशमुक्त नहीं हो सकता। जब तक बादशाह अपने वैभव, ऐश्वर्य तथा आतंक से अत्याचारियों के अत्याचार का अन्त नहीं करता है, तब तक पूर्णतया न्याय होना सम्भव नहीं है। न्याय करते समय वह अपने भाइयों, पुत्रों, निकटवर्ती तथा विश्वासपात्रों का भी पक्षपात न करता था। यदि उसका कोई भी निकटतम सम्बन्धी कोई अत्याचार करता और न्यायधीन उसे क्षमा कर देते तो उसके हृदय को उस समय तक शान्ति न मिलती तब तक कि वह, जिस पर अन्याय किया गया है, उसका बदला अपने विश्वासपात्र से न ले लेता।¹ पीड़ितों और असहायों का तो वह मां-बाप था क्योंकि उसके पुत्रों, सम्बन्धियों, विश्वासपात्रों आदि को न्याय के विषय में पूर्ण जानकारी थी इसलिए वे साहस नहीं कर पाते थे कि वे अपने दास-दासी अथवा आधीन कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करें। बदायूँ के इक्तादार (सूबेदार) मलिक बकदर को जन-साधारण के सम्मुख इसलिए कोड़ों से पीटा गया कि उसने अपने एक दास को कोड़ों से पीटकर मार दिया था। बदायूँ के वरीदों को फाँसी की सजा दी गई क्योंकि वे इस अन्याय की सूचना सुल्तान को न दे सके थे। इसी प्रकार अथवा के इक्तादार हेवतख़ा को अपने एक दास को जान से मारने के अपराध में 500 कोड़े लगवाये जाने की आज्ञा दी गई। उसने बड़ी ही कठिनाई से भूतक दास की विधवा को 20,000 टंक देकर मुक्ति पाई। ये उदाहरण उसकी न्याय के प्रति निष्पक्षता की प्रमांनित करते हैं। प्रो. हबीबुल्ला बलबन के न्याय की प्रशंसा करते हैं और निस्सन्देह बलबन जन-साधारण के प्रति न्यायपूर्ण था। परन्तु प्रभावशाली सरदारों के प्रति इस प्रकार के व्यवहार का कारण तो उनके प्रभाव और सम्मान को नष्ट करना हो सकता है अन्य कुछ नहीं। बलबन अपने और अपने वंश की सुरक्षा और सम्मान के लिए किसी भी साधन को अपनाएने में नहीं हिचकता था। डा. के. ए. निजामी भी इस बात को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि, "यद्यपि व्यक्ति और व्यक्ति के भ्रगडों के सम्बन्ध में बलबन न्यायपूर्ण था, परन्तु जब कभी किसी एक व्यक्ति और राज्य के बीच टकराव हुआ अथवा जब कभी उसके व्यक्तिगत या वंश से सम्बन्धित प्रश्न सामने आया उसने न्याय और निष्पक्षता के सभी सिद्धान्तों को त्याग दिया।"

बलबन ने न्याय-हेतु अपने राज्यकाल में विलायत और इक्ता में वरीद की नियुक्ति की जो उसके अत्यन्त विश्वासपात्र थे और जिनका एकमात्र उत्तरदायित्व केवल बलबन को अपने प्रदेश की घटनाओं से अवगत कराना था। यदि कोई वरीद इसमें असावधानी दिखलाता तो वह उसे कभी भी क्षमा नहीं करता था।

1. फतवाये जहांगीरी, पृ. 44-45

मुल्तान बनने के अवसर पर जलालुद्दीन खलजी की अवस्था लगभग 70 वर्षों की और वृद्धावस्था की दुर्बलतामें उसके चरित्र में प्रकट होने लगी थी। वृद्धावस्था के कारण ही वह अपराधियों को कठोर दण्ड देने में हिचकता था। दिल्ली में एक हजार ठग और चोर पकड़कर मुल्तान के सम्मुख लाये गये परन्तु उसने दण्ड देने की प्रपेक्षा उन्हें नाब में बँटाकर सखनीती की और भिजवा दिया और ये भादेश दिया कि वे वहीं निवास करें तथा दिल्ली की ओर फिर न आयें। ऐसी उदारता निश्चय ही महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन पैदा करने वाली थी। एक व्यक्ति को दृष्टि से उसकी ये दयालुता और उदारता प्रगमनीय ही सकती है, परन्तु उसने मुल्तान की योग्यता और उसके निष्पन्न न्याय के सम्बन्ध में जो मान्यतायें ही सकती थीं उनमें अविश्राम उत्पन्न कर दिया। यह मान लेना कि माधारण अपराधी इस क्षमा की नीति की उपयोगिता को जानकर और शर्म अनुभव कर किसी प्रकार की सुधारामक प्रवृत्ति को दिव्यायोग उम युग में नितान्त असम्भव था।¹

खलजुद्दीन खलजी एक दृढ़, कर्मठ व सामान्य बुद्धि वाला मुल्तान था और अपने चाचा की उदार नीति के परिणामों को देखकर वह इनके लिए कटिबद्ध था कि उसे उस व्यवस्था में आमूल-मूल परिवर्तन करना है। अपने राज्याभिषेक के समय उसने अनुभव किया था कि अपराधों की मात्रा द्रुतगति से बढ़नी चली जा रही है जिससे राज्य में शान्ति और सुरक्षा जैसी कोई भावना ही केप नहीं बची है और इसलिए वह क्रूरता से इस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ था और इमीलिए वह बड़े और छोटे, प्रशक्त और शक्तिशाली के बीच बगैर भेदभाव किये हुये कठोरतम दण्ड देने के लिए तैयार रहता था। वह बलबन की तरह दम दान की ओर कोई ध्यान देने को तैयार न था कि अपराधी महत्वपूर्ण व्यक्ति है अथवा माधारण नागरिक, कोई राज्य का अधिकारी है अथवा माधारण व्यक्ति है। उसने कभी इस दान पर भी ध्यान नहीं दिया कि उसके दण्ड इस्लामी कानून के विरुद्ध है अथवा नहीं। मुल्तान के अधिकारों पर वह धर्म का प्रकुण सहन करने को तैयार नहीं था। उसका न्याय व उसकी नीति केवल कल्याणकारी राज्य की परिधि में घूमती थी। उसके अनुसार एक माफ-सुपरे प्रशासन के नियम व कानून पूर्णतया शासन के निर्णय पर निर्भर होने चाहिए और उनका पैगम्बरों से कोई सम्बन्ध नहीं है। काजी मुगीमुद्दीन से उसने कहा था, "मौलाना मुगीस, न मुझे कुछ ज्ञान है और न मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है तब भी मैं मुसलमान पैदा हुआ था तथा मेरे पूर्वज पीढ़ियों से मुसलमान रहे हैं। उन विद्रोहों को रोकने के लिए जिनमें हजारों जीवन नष्ट हो जाते हैं, अपनी प्रजा को ऐसे आदेश देना हूँ जो कि मैं उनकी और राज्य की भलाई के लिए लाभदायक समझता हूँ " मैं ऐसे आदेश देना हूँ, जो मैं राज्य के लिए लाभदायक और परिस्थितियों के अनुकूल समझता हूँ, मैं नहीं जानता कि 'शरा'

उनकी आज्ञा प्रदान करता है अथवा नहीं। मैं नहीं जानता कि 'भ्रान्तिम निर्णय के दिन' खुदा मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा।" इसका यह अर्थ नहीं कि वह इस्लामी कानूनों को रद्द करने के लिए अत्यधिक आतुर था, अपितु उसने काजियों और मुफ्तियों को मुसलमानों के व्यक्तिगत मामलों में शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार काम करने की छूट दी थी, परन्तु इसके अतिरिक्त उसकी न्याय व्यवस्था और उसके न्याय का मापदण्ड केवल कल्याणकारी राज्य ही था और इस क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को सहन करने के लिए तत्पर न था। उसने न्याय के क्षेत्र में न तो इस्लाम के सिद्धान्तों का सहारा लिया, न ही काजी वर्ग से सलाह ली और न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। इसी कारण डॉ० ए. एल. श्रीवास्तव ने लिखा है कि इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित किया और ऐसे तत्त्वों को जन्म दिया जिनमें कम से कम सिद्धान्ततः तो राज्य असांख्यिक आधार पर खड़ा हो सकता था। निस्सन्देह अलाउद्दीन पूर्ण मुसलमान था और इस्लाम धर्म के कानूनों का विरोध न करना था, परन्तु बदली हुई परिस्थितियों में आवश्यक था कि उसमें वह कोई परिवर्तन करे यहाँ तक कि दण्ड देते समय वह निर्धारित सीमाओं का भी उल्लंघन कर लेता था। परन्तु यहाँ वह जान लेना आवश्यक है कि इस प्रकार के दण्ड पाने के अपराधी धार्मिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले नहीं अपितु वो व्यक्ति थे जिन्होंने अलाउद्दीन द्वारा प्रतिपादित राजकीय नियमों को तोड़ा था।

अलाउद्दीन ने बलवन की तरह एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की। 'बरीद' (गुप्तचरों का अधिकारी) और 'मूनीहिस्त' (गुप्तचर) अमीरों के घरों, दफ्तरों, प्रान्तीय राजधानियों और बाजारों में नियुक्त किये गये जो सुल्तान को प्रत्येक बात और घटना की सूचना देते थे। अलाउद्दीन का गुप्तचर-विभाग इतना अधिक सफल हुआ कि बड़े से बड़े सरदार भी उससे आतंकित थे और बरनी के कथन को यदि स्वीकार किया जावे तो "अमीरों ने भय से 'हजार सित्तन' (खुले मैदानों) में जोर से बोलना बन्द कर दिया था और यदि उन्हें कुछ कहना ही होता था तो वे संकेतों द्वारा या फुसफुसाकर प्रगट करते थे। गुप्तचरों की गतिविधियों के कारण वे रात-दिन अपने घरों में काँपते रहते थे। अलाउद्दीन इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इतनी कठोरतापूर्वक न्याय करता था कि राज्य में खोरी व डकैती का नामोनिशान ही मिट गया।¹

सुल्तान स्वयं न्याय की मुख्य अदालत था। उसके पश्चात् न्याय विभाग का मुख्य अधिकारी मुफती सद्दे-जहाँ-शाजी उलकुजात था। वह साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश था जिसके अधीन नायब काजी होता था, जो मुफती की सहायता से न्याय किया करता था। मुफती कानून का जानकार था और वही उसकी व्याख्या

1. बरनी, तारीख-ए-फीरोजशाही, पृ. 284

भी करता था। अमीर-ए-दादबेग-ए-हजरत सहायता प्रदान करता था। उसका कार्य दरबार में ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों को प्रस्तुत करना होता था जिन पर अभियोग चल रहे हों पर काजियों द्वारा नियन्त्रण में न आ रहे हों। प्रान्तों की न्याय व्यवस्था भी इसी प्रकार थी। वहाँ की न्याय व्यवस्था में सूबेदार, काजी तथा अन्य अधिकारी कार्य करते थे। बड़े नगरों में अमीर-ए-दाद न्याय व्यवस्था करते थे।

इन अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के उच्च अधिकारी, सेनापति और राजकुमार ऐसे मामलों का निर्णय किया करते थे जिनमें कानून के दक्षज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं थी। न्याय द्रुत था और क्योंकि उस समय वकील नहीं होते थे इसलिए न्यायाधीश "क्याक" अथवा व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर गवाहों को सुनकर निर्णय कर दिया करते थे।

जियाउद्दीन बरनी सुल्तान की न्याय व्यवस्था से सतुष्ट नहीं था। उसके अनुसार प्रथम काजी-ए-मुनालिक सदर जहान सदरूदी यद्यपि अत्यन्त अनुभवी व न्यायिक शक्ति से परिपूर्ण था परन्तु उसमें ज्ञान की न्यूनता थी। बयाना का मुख्य न्यायाधीश मोलाना जियाउद्दीन और उसके नायब जलाउद्दीन में वह गौरव नहीं था जो राजधानी के मुख्य न्यायाधीश में होना आवश्यक था। काजी भीलवी हमीदुद्दीन मुल्तानी पूर्णतया अनुपपुक्त था और इस प्रकार से हमीदुद्दीन के होते हुए न्यायाधीशों का सम्पूर्ण सम्मान व यश धूल में मिल गया था।¹ बरनी के असंतुष्ट होने का कारण बताते हुए ३१० के एस. सात ने लिखा है कि बरनी के चाचा मलिक अलाउद्दुल्क को जो कानून का अज्ञात ज्ञाता था, अलाउद्दीन ने कोई पद नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त काजी धार्मिक कट्टरता के सिद्धान्त को मानते थे, परन्तु अलाउद्दीन ने दस और कोई ध्यान नहीं दिया और वो उलेमाओं को भी कठोरता से दृष्टिदल करता था। ऐसी स्थिति में बरनी का न्यायाधीशों के प्रति निरुत्साहित हो जाना और न्याय व्यवस्था की आलोचना करना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार से मिस्र में आये हुए धर्मशास्त्री मोलाना शमुद्दीन तुर्क की आलोचना भी पक्षपातपूर्ण मालूम पड़ती है। मोलाना ने अलाउद्दीन को लिखा था कि "वाले बेहरे के साम्यहीन मूलक घृणित पुस्तकों के साथ मस्जिदों में बैठते थे और वे ही वादी तथा प्रतिवादी दोनों को धोखा देकर धन प्राप्त करते थे परन्तु राजधानी के काजी ने इन सारी बातों की जानकारी सुल्तान को नहीं दी थी।"² मोलाना ने यह सब सम्भवतः इसलिए लिखा कि उसे काजी हमीदुद्दीन से व्यक्तिगत रूप में ईर्ष्या थी। इसके विरोध में ३१० के एस सात का मत है कि अलाउद्दीन के समय में काजियों को अत्यधिक सम्मान मिला था और वे राज्य के शक्तिशाली अधिकारी को भी दृष्टिदल करने में नम्र थे। सुल्तान अलाउद्दीन इस बात के लिए सतर्क था कि काजी अपने कार्य और

1. वही, पृ. 253

2. के. एस सात, अफ़्सीवश का इतिहास, पृ. 162

यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उचित व्यवहार करें। अलाउद्दीन स्वयं भी किसी प्रकार दण्ड देने में हिचकता नहीं था और उसने एक काजी को शराब पीने पर दण्डित किया भी था। इस आधार पर यह संभव हो सकता है कि दूरस्थ प्रदेशों में जो काजी लोग अपने पद की मर्यादा को न रख पाये हों परन्तु इतना निश्चित है कि न्यायपालिका सामान्यतः निष्पक्ष थी।¹

गियासुद्दीन तुगलक एक अनुभवी प्रशासक व योग्य सैनिक था। ऐसे समय में जबकि अलाउद्दीन के राज्यकाल के समस्त नियमों का उल्लंघन हो चुका हो उसने यह अनुभव किया कि सुल्तान का पहला कर्तव्य शासकीय कार्या को व्यवस्थित करना है। प्रशासन को व्यवस्थित करने पर उसने अपना ध्यान न्याय की ओर लगाया। अपने राज्यकाल में उसने 'शरा' पर आधारित दीवानी कानूनों की संहिता तैयार की। यह संहिता दिल्ली के सुल्तानों की परम्पराओं पर आधारित थी। उससे केवल हमें यह आभास होता है कि गियासुद्दीन दीवानी मामलों के क्षेत्र में उचित न्याय करने के लिए उत्सुक था।

मुहम्मद तुगलक अपने पिता की तरह न्याय करने के क्षेत्र में उत्साही था। बदाउनी के अनुसार मुहम्मद तुगलक सदैव ही दण्डादेश देने के पहले चार मुफ्तियों की सलाह लेता था। बदाउनी के अनुसार उसने अपने महल में चार मुफ्तियों के लिए अलग-अलग स्थल सुरक्षित कर रखे थे और इस बात के लिए सदैव सतर्क रहता था कि वे अपने स्थानों पर सदैव उपस्थित रहें जिससे कि जब कभी कोई अपराधी उसके सम्मुख प्रस्तुत किया जावे तो वे मुफ्तियों से वाद-विवाद कर कानून के अनुसार उसका दण्ड निर्धारित कर सके। वह अक्सर इन मुफ्तियों से कहा करता था कि वे सदैव इस बात के लिए सतर्क रहें कि वे तिल मात्र भी सत्य कहने में न झिझकें क्योंकि अगर वे कानून के निरीक्षण में अपराधी वरतेगे तो वे अपराधी की हत्या के लिए उत्तरदायी समझे जायेंगे। यदि वाद-विवाद के बाद अपराध सिद्ध हो जाता तो वो आधी रात्रि के समय भी अपराधियों को दण्डित करने का आदेश दे देता था।

मुहम्मद तुगलक के कथन से यह स्पष्ट होता है कि वह न्याय के सम्बन्ध में सतर्क था। वह उस समय तक जब तक कि समस्त मामले की पूरी छानबीन न कर ले, दण्ड की घोषणा नहीं करता था। निर्णय लेने के पहले वह मुफ्तियों से पूर्ण मंत्रणा करता था और यदि कोई श्रुतिपूर्ण निर्णय यदा-कदा ले लिया जावे तो उसका पूर्ण दायित्व इन्हीं लोगों पर था। उसने न केवल सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित किया अपितु न्याय पद्धति की देखभाल भी की।

न्याय की उमंग अथवा उत्साह में उसने अपने पूर्वज शासकों को पीछे छोड़ दिया और स्वयं को राज्य के साधारण कानूनों के अन्तर्गत ही समझा और यह

घादशं उपस्थित किया कि सुल्तान भी इन्हीं कानूनों के अन्तर्गत घाता है जो कि साधारण लोगों पर लागू होते हैं। एक अवसर पर सुल्तान एक साधारण व्यक्ति की भानि काजी के न्यायालय में उपस्थित हुआ। उसे पहले ही आदेश भेज दिया था कि न्यायालय में वह उसके साथ एक साधारण व्यक्ति की भानि ही व्यवहार करे। उमन काजी को नियाय की शिरोघाय किया। इसी प्रकार एक अन्य अवसर पर वह अपन अधिकारी से 21 वैत खाना है। वही सुल्तान अय अनेक अवसरों पर साधारण से साधारण अपराधों के लिए मृत्यु दण्ड देता है अथवा दण्ड देने में क्रूरता और बर्बरता का परिचय देता है। सम्भवतः लगानार अमफलताओं ने उसमें मनुष्यत्व का भावना समाप्त कर दी थी और वह कठोर व साधारण अपराधों में भेद करने में असमर्थ हो गया था। उसके स्वयं के शब्दों में मैं सदेह तथा विद्रोह अव्यवस्था और पदयन्त्र की आजागी के आचार पर कठोर दण्ड देता हूँ। मैं आना की लेशमात्र भी अवज्ञा होने पर उन्हें मृत्यु दण्ड देता हूँ और मैं तब तक इसी प्रकार कठोर दण्ड देता रहूँगा जब तक कि या तो मैं स्वयं नष्ट नहीं हो जाता अथवा प्रजा ठीक नहीं हो जाती तथा विद्रोहों और आजागी अवहेलना करना नहीं छोड़ देती।' इसे न्याय का किसी प्रकार का धीव्रत्व मानना सम्भव नहीं है। परन्तु इसके बाद भी यह कहना पडगा कि न्याय विभाग जिस पर एकमात्र उमन का वर्क का एकाधिपत्य था उसे उसने समाप्त कर दिया। उसने अय व्यक्तियों का भी काजी के पद पर नियुक्त किया और काजी के लिये नियाय की भी वह ठीक नहीं मानता था उस बदल देता था। यदि किसी धार्मिक व्यक्ति पर भी किसी प्रकार का अपराध सिद्ध हो जाता तो वह उसे दण्डित करने में चूकता न था। इसी कारण मुसलमान धार्मिक वर्ग उसके विरुद्ध हो गया और उसने विरुद्ध असंतोष का कारण बना।

फीरोजशाह तुगलक 'शरा' के प्रति अधिक कठोर था और ऐसे समस्त दण्ड जा 'शरा' में वर्जित थे उमन उन्हें नियेष कर दिया। इतिहासकार यह मानते हैं कि फीरोज तुगलक हिन्दुओं के प्रति आनुपातिक रूप से अधिक कठोर था परन्तु मुस्लिमों के प्रति भी उतना ही कठोर था जितना कि वह हिन्दुओं के प्रति था। दीवानी कानून के क्षेत्र में उसने अपने पूर्वजों की परम्परा को बनाये रखा।

लोगों सुल्तान दरबार ए आम में सप्ताह में कुछ निश्चित दिन न्यायालय लगाकर न्याय करते थे। एक मात्र सिवन्दर लोदी प्रतिदिन न्याय करता था। उस समय में सुल्तान का न्यायालय अफीन कोर्ट के साथ ही आरम्भिक मुकदमों की भी सुनवाई करता था। सुल्तान की व्यस्तता में अथवा उसकी अनुपस्थिति में वकील न्याय करते थे। जटिल और पेचीदा फौजदारी तथा न्यायिक मुकदमों की सुनवाई स्वयं सुल्तान ही करता था। सिवन्दर लोदी जो पेचीदा मुकदमों की निपटाने में अत्यन्त दक्ष था उमन एक बार एक विशेष अदानत की रचना की थी जिसमें राज्य के समस्त मुस्लिम विद्वान उपस्थित थे। इसने सम्मुख बोधन आक्षेप का मुकदमा

रखा गया जिसका कि ये अपराध था कि उसने मुसलमानों से कहा था कि "हिन्दू तथा इस्लाम धर्म दोनों ही सच्चे धर्म हैं। सुल्तान ने इस सम्बन्ध में इन विद्वानों के परामर्श पर दोषन को दण्डित किया था। इसके पश्चात् शासन की अवस्था जो पहले से ही पतनोन्मुख थी और अधिक पतनशील हो गई और प्रशासन की अव्यवस्था के साथ ही न्याय व्यवस्था भी बिगड़ गई।

सुल्तानतकाल में न्याय की व्यवस्था साधारण थी। धर्म-सम्बन्धी न्यायालयों को दीवानी और फौजदारी न्यायालयों से पृथक रखा था। दीवानी और फौजदारी मुकदमों में सुल्तान सबसे बड़ा न्यायाधीश था। सुल्तान मूल तथा अपील के मुकदमों का निर्णय कर सकता था और कानून की व्याख्या करने के लिए दो मुफती होते थे। सुल्तान के पश्चात् काजी-उल-कुजात का न्यायालय था जो कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था, परन्तु 1248 ई. में सदरे-जहाँन के न्यायालय के निर्माण से काजी-उल-कुजात की महत्ता घट गई और वस्तुतः सदरे-जहाँन ही राज्य का मुख्य न्यायाधीश बन गया। सुल्तान की अनुपस्थिति में वही मूल मुकदमों को सुनने का अधिकारी हो गया। सदरे-ए-जहाँन ही काजियों का चयन करता था और उसी के द्वारा उनकी नियुक्ति भी होती थी। सदरे-जहाँन के नये पद की व्यवस्था का एक मात्र उद्देश्य यही था कि वह धर्म सम्बन्धी न्यायालयों अथवा वहाँ की व्यवस्था पर अधिक ध्यान दे इसलिए न्याय सम्बन्धी कार्य अधिकतर काजी-उल-कुजात की ही करने पड़ते थे। इस नयी व्यवस्था से अनेकों उलझनों उत्पन्न हो गईं और सम्भवतः अलाउद्दीन ने इन्हीं का निराकरण करने के लिए पुनः सदरे-ए-जहाँन व काजी-उल-कुजात के पद को एक कर काजी सदरुद्दीन गारिफ को इस पद पर नियुक्त किया। सुल्तान फीरोज शुभलक के समय में पुनः इन्हें अलग-अलग कर दो भिन्न व्यक्तियों की इन पदों पर नियुक्ति की गई।

सदरे-ए-जहाँन शिक्षण संस्थाओं, न्याय अधिकारियों तथा वक्फ और इनाम, गरीबों तथा विद्वानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। सदरे-ए-जहाँन के नये पद की उत्पत्ति के बाद भी न्याय सम्बन्धी कार्य अधिकतर काजी-उल-कुजात के द्वारा ही किये जाते रहे, क्योंकि सदरे-ए-जहाँन का कार्य-क्षेत्र अत्यधिक व्यापक था और इसलिए उसे राजधानी से काफी समय तक अनुपस्थित रहना पड़ता था। काली-उल-कुजात की सहायता के लिए एक अथवा दो काजी हुआ करते थे। काजी-उल-कुजात इनकी सहायता से प्रांतीय न्यायालयों की अपीलों के प्रतिरिक्त समस्त दीवानी और फौजदारी मुकदमों का न्याय करता था। ऐसे उत्तरदायी पद के लिए स्वाभाविक रूप से उसका न्याय और कानून के क्षेत्र में पारंगत होना एक मान्य धारणा थी और ऐसा अनुभव होता है कि साधारण नागरिकों को एक अनुचित और अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति पर आपत्ति करने का अधिकार था। काजी-उल-कुजात स्वयं सुल्तान के द्वारा नियुक्ति किया जाता था और वह उसके प्रति ही उत्तरदायी था। सुल्तान ही उसे अपदस्थ कर सकता था।

काजी-उल-कुजात के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य न्याय मन्वन्धी व्यवस्था करना था, परन्तु इसके प्रतिरिक्त वह सुल्तान को राज्याभियेक की शपथ भी दिलाया करता था और राज्य के नियमों को बनाने में सुल्तान का सहायक था। कुछ काजी-उल-कुजात निर्भीक व्यक्ति थे, जो सुल्तान की मान्यताओं के विरोध में भी कानूनों के आधार पर निर्णय देने का साहस रखते थे।

काजी-उल-कुजात के न्यायालय के साथ मुफती दृष्टा करते थे जो मुकदमों को सुनने प्रथवा विचार-विनिमय करने में उसके अत्यधिक सहायक थे। मुफती विधि को जानने वाले पारंगत विद्वान होते थे और उनके द्वारा दिया गया विधि का विवेचन न्यायाधीश को मान्य होता था। विविध और विभिन्न मतों के होने पर सुल्तान से मलाह ली जाती थी। सुल्तान संद्धान्त्रिक रूप में इनकी नियुक्ति करता था, परन्तु वास्तविक रूप में इनका चयन काजी-उल-कुजात के द्वारा ही होता था। कभी भी जब कोई मुकदमा हिन्दू व्यक्तिगत कानूनों के अन्तर्गत दीवानी क्षेत्र में आता या तो कानून की व्याख्या "पण्डित" के द्वारा की जाती थी और उसकी स्थिति मुफती-समान ही होती थी।

मुहत्तसिब—न्याय-प्रशासन के क्षेत्र में मुहत्तसिब का भी अपनी एक विशिष्ट स्थान था। वह एक तरह से पुलिस-मुखिया की भाँति था और मार्वाजनीक रूप में लोगों के नैतिक आचरण पर दृष्टि रखता था। डा कुरेशी के अनुसार वह सार्व-जनिक शालीनता तथा शक्तिशाली के विरुद्ध शक्तिहीन के अधिकारों का संरक्षक था।¹ सार्वजनिक नमाजों का विधिवत् संचालन देखना, सार्वजनिक रूप में मद्य आदि का उत्पादन तथा बिक्री को रोकना, मार्वाजनीक स्वानों पर मद्य-निषेध देखना तथा राज्य में बेईमानी और घोला-घड़ी को रोकना उसके मुख्य कर्तव्य थे। वह जुए, बंद-कानूनी विवाहों तथा भ्रष्टीलताओं को रोकता था। सेवकों को उनके स्वामियों द्वारा अधिक कार्य लेने से रक्षा करता था तथा अपविद्ध शिशुओं (foundling) के पालन-पोषण की व्यवस्था करता था। यात्रियों के लिये सुविधा जुटाना तथा सार्वजनिक भवनों की साज-सजाल रखना उनका उत्तरदायित्व था। आम रास्तों की देखभाल करना तथा लदी हुई नावों को देखना जिससे कि वे अधिक बोझ न भर सकें तथा सुरक्षित हों उनका कर्तव्य था। क्षति-ग्रस्त भवनों को गिराने की आज्ञा देना, बाजारों, सरायों, खानकाहों आदि की व्यवस्था बही करना था। डा कुरेशी का मत है कि सक्षिप्न में नागरिक जीवन को निर्विघ्न रूप से चलाने के लिये वह उत्तरदायी था।

मुहत्तसिबों को अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिये राज्य की ओर से एक नागरिक टुकड़ी की व्यवस्था की गई थी। घासिक आधार पर नैतिक मापदण्डों

1. आई एच. कुरेशी, वही, पृ. 164

को बनाये रखने के अतिरिक्त यह अनुभव किया जाने लगा कि मुसलमानों को यदि नैतिक और आत्मिक नियमों को मानने में यदि ढील दी गयी तो यह सल्तनत के लिये घातक होगी, इसलिये प्रत्येक नगर में मुहत्तसिब की नियुक्ति की गई। इन इन मुहत्तसिब को एक अच्छी सरकार के लिये पहली आवश्यकता मानता था और गया-सुद्दीन तुगलक मुहत्तसिबों की कार्यक्षमता को पूर्ण रखता था। मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में मुहत्तसिब एक उच्च अधिकारी था जिसको 8000 टंक वेतन मिलता था। फीरोज तुगलक ने मुहत्तसिबों की जुम्मेदारियों को और अधिक विस्तृत तथा कठोर बना दिया था।

परन्तु इस सब के बाद भी यह स्वीकार करना कि सुल्तानों ने 'शरा' का पालन करवाने के लिये ही इन्हें नियुक्त किया था, अधिक उचित नहीं होगा। प्रत्येक सुल्तान इसके लिए अधिक उत्सुक था कि वह राज्य की सम्पन्नता को बनाये रखे क्योंकि इसी में उसकी स्वयं की सम्पन्नता भी निहित थी। इस आधार पर सुल्तान राज्य और स्वयं के विरोधी तत्वों को जड़-मूल से कुचल देने के लिए उद्यत थे। इसी कारण उन्होंने ऐसे समस्त स्थानों पर जहाँ मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी, मुहत्तसिबों की नियुक्ति की जिससे कि वे इन मुस्लिम बहुसंख्यक स्थानों में समस्त सूचनाएँ प्राप्त करते रहें जो उनके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती थीं, क्योंकि यही स्थान सुल्तान के विरुद्ध पड़यन्त्र के अखाड़े थे। सुल्तानों ने मुसलमानों के साधारण जीवन को शरा के अनुसार चलाने की अपेक्षा स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिये ही मुहत्तसिबों की नियुक्ति की थी। इस प्रकार धर्म की आड़ में स्वयं को धराने वाले खतरों से बचाना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। हिन्दू बहुमत वस्तियों में मुहत्तसिबों की नियुक्ति न तो शरा के अनुसार आवश्यक थी और न ही भौतिक आधार पर सम्भव, क्योंकि हिन्दू, सुल्तानों के प्रति उदासीन थे और जब तक उन्हें अत्यधिक परेजान न किया जावे तब तक निष्क्रिय थे। यदि शरा के नियमों को लागू करना ही अलाउद्दीन खल्जी का उद्देश्य होता तो राज्य में मद्य-निषेध के वाद भी वह स्वयं ख्वाजा रशिदुद्दीन को शराब की दावत पर आमन्त्रित नहीं करता।¹ उसने यदि शराब पीने को इस्लामी कानून के विरोध में बताया तो ये केवल इसलिये कि इस प्रकार की शमीरों की दावतें राज्य के लिए पड़यन्त्र की गढ़ थीं। इस प्रकार यद्यपि मुहत्तसिब न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, और वह लोक-नैतिकता को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी था, फिर भी उसके कार्य का स्वरूप पुलिस अधिकारी जैसा था। वह धाराबहारिक रूप में सुल्तान की राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति ही था।

पुलिस—आरम्भ से ही सुल्तान राज्य में सूरक्षा के प्रति सचेत थे। साधारणतया पुलिस के कार्य कोतवाल किया करता था और प्रत्येक शहर में इसलिए

एक कोतवाल की नियुक्ति की जाती थी। दिल्ली का कोतवाल अधिकतर कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो होता था और सुल्तान मार्गजनिक नीति के सम्बन्ध में उसके साथ सेना हिनकर समझता था। बलबन के समय में दिल्ली का कोतवाल मलिक फखरुद्दीन, बलबन को सलाह देता था। कोतवाय, अला-उल-मुल्क, की सलाह पर ही अलाउद्दीन नये धर्म की स्थापना तथा विजय-विजय की काल्पनिक योजनाओं की सम्भारित प्रयत्नता से मन्तुष्ट हो, उन्हें त्यागने के लिये तैयार हो गया था।

मुख्य रूप से कोतवाल अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने, अपराधों को रोकने तथा अपराधियों को बन्दी बनाने के लिए उत्तरदायी था। इसके अन्तर्गत वह अपने अधीन सैनिकों को, क्षेत्र के विभिन्न भागों की रात को गश्त लगाने के लिये नियुक्ति करता था। असह-अलग भागों के निवासियों के साथ मिलकर वह प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति को बाईन बनाता था, जिसमें कि उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपराधियों को अपने यहां शरण न दे। वह प्रत्येक क्षेत्र में अपने और जाने वाले नवागन्तुकों में सम्बन्धित एक रजिस्टर रखता था। वह प्रत्येक क्षेत्र के निवासियों की गतिविधियों से पूर्णतया परिचित रहता था तथा उनकी आजीविका के सम्बन्ध में भी उसे पूरी जानकारी रहती थी।

फौजदारी कानून अधिक कठोर था और दण्ड प्रायधिक निवारक थे। कभी-कभी विद्रोह अथवा असम्मानजनक व्यवहार पर अपराधी को शहर में घुमाया जाता था। क्योंकि विद्रोही की सम्पत्ति का निर्णय सुल्तान पर निर्भर था, इसलिए विद्रोही सोच-समझकर ही इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए तैयार होता था। अलाउद्दीन ने प्रथम बार यन्त्रणा देकर अपराधियों से अपराध स्वीकार करने की नीति आरम्भ की थी। इसी प्रकार अपराधी के परिवार को दण्डित करने की नीति भी प्रथम बार उसने ही अपनाई थी। फीरोज़ तुगलक ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

प्रांतीय अदालतें—प्रांतीय अदालतें चार प्रकार की होती थीं—(1) सूबेदार की अदालत, (2) काजी-ए-मुबा की अदालत, (3) दीवान-ए-मुबा की अदालत, (4) सदर-ए-मुबा की अदालत। सूबेदार क्योंकि प्रान्त में सुल्तान का प्रतिनिधि था इसलिए इस आधार पर उसका न्यायालय प्रान्त में उच्चतम था। वह मूल मुकदमों की सुनवाई अर्थात् ही करता था, परन्तु अधीन के मुकदमों में काजी ए-मुबा तथा दूसरी की सहायता लेता था। सूबे की मसल न्यायालयों के विरुद्ध उसकी अदालत में अपील की जा सकती थी और वहाँ से निर्णय होने के पश्चात् उसके निर्णय के विरुद्ध भी केन्द्रीय न्यायालय में अपील की जा सकती थी।

उसकी अदालत के पश्चात् काजी-ए-मुबा की अदालत होती थी। क्योंकि सूबेदार प्रान्त का प्रशासनिक अधिकारी था, इसलिए वह प्रशासन में अधिक व्यस्त रहने के कारण न्यायाधीश के उत्तरदायित्व की निभाने के लिये बहुत ही कम समय निकाल पाता था। इसी कारण काजी-ए-मुबा को न्यायालय का अधिकतर कार्य

सिफारिश पर सदर-ए-जहाँन परगनों तथा शिकों में काजी की नियुक्ति करता था। सम्भवतः सल्तनत काल में शिक एक निश्चित उपखण्ड नहीं था और सूबे के सदृश्य था, इसलिये इसकी न्याय व्यवस्था मोटे रूप से सूबे के ही समान थी। परगने में काजी दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता था और यदा कदा वो धार्मिक मुकदमों को भी सुन लेता था। शिकों में वह काजी, कोतवाल व ग्राम पंचायत के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता था, परन्तु परगने में उसे ये अधिकार नहीं दिया गया था। फौजदार परगने के प्रत्येक फौजदारी मुकदमे की सुनवाई करता था। उसके प्रमुख कर्तव्यों में परगने में शान्ति व्यवस्था तथा कानून को बनाये रखना था। वह इस कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहता था, इसलिये उसे अपने क्षेत्र के मुकदमों की सुनने का बड़ा समय मिलता था। उसके निर्णय के विरोध में प्रान्तीय गवर्नर के न्यायालय में अपील की जा सकती थी। ग्रामीण भू-राजस्व सम्बन्धी विवादों को देखता था और उसके निर्णय के विरोध में दीवान-ए-सूबा के न्यायालय में अपील की जा सकती थी। ग्राम पंचायतें सल्तनत काल में न्याय की अन्तिम कड़ी थीं, और देहाती जीवन में उनका अत्यधिक महत्व था।

दण्ड विधान—यह अत्यन्त कठिन है कि हम निदिष्ट दण्ड विधान की अनुक्रमिका बना सकें, परन्तु विभिन्न समयों पर विभिन्न अपराधों के लिये दिये दण्ड के आधार पर हम सहज में उस समय में प्रचलित दण्डों की जानकारी कर सकते हैं। बलबन के समय में मलिक बकबक को दिये गये दण्ड से हम यह अनुमान लगाते हैं कि किसी व्यक्ति को हत्या स्वरूप, चाहे वह साधारण नौकर ही क्यों न हो, मृत्यु दण्ड दिया जाता था। अलाउद्दीन खल्जी व काजी मुगीसुद्दीन के वार्तालाप से यह स्पष्ट है कि घूसखोरी, बेईमानी आदि के लिये राजस्व अधिकारियों को चाबुक मारे जाते थे, दुल्की चलना पड़ता था और यहाँ तक कि उन्हें बन्दीगृह में डाल दिया जाता था, परन्तु समरूप अपराध के लिये सरकारी कर्मचारियों का अंग-भंग कर दिया जाता था। साधारण रूप में शिरच्छेद, अंगभंग व अपराधी को हथकड़ी आदि पहनायी जाती थी। कोड़े लगाना भी प्रचलित था और एक बार एक व्यक्ति को एक हजार कोड़े की मार का दण्ड मिला था।

अलाउद्दीन अपराधी को दण्ड देने में अत्यधिक निष्ठुर था। शहर में शराब की तत्करी अथवा सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर वह शराबी को बन्दी बनाकर घृणित कुर्तों में रखता था जो इसके लिये विशेष रूप से तैयार किये गये थे। यह कुर्तें इतने भयानक थे कि कुछ बन्दी तो इसमें ही मर जाते थे, और जो बच जाते थे उनका स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो जाता था। बेईमान व्यापारी द्वारा कम तोलकर देने पर उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाता था। घोड़ों के दलाल यदि सुल्तान अलाउद्दीन की आज्ञा भंग करने के अपराधी होते तो उन्हें दूरस्थ दुर्गों में भेज दिया जाता था। सियारूख ओलिया के लेखक अमीर खुदं ने लिखा है कि एक बार मुहम्मद तुगलक ने देवगिरि के निकट मावसी जंत में सियाल अलाव को

बंदी बनाकर भजा इससे जीवित निकल आना सम्भव न था क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक जूहे व साप थे। व्यभिचार के लिए ग्यार मार मार कर मारना तथा मान की नाक पर मृतक शरीर की बर्द दिना तक टाक कर पूरे शहर में घुमाना साधारण दण्ड थे।

मुहम्मद तुगलक के समय में तबतक मान अपराधों के लिए मृत्यु दण्ड दिया जाता था। स्वयं त्यागी विशेषकर जा इस्लाम के मन्चे धर्म की छोड़ें जानबूझकर हत्या विवाहित स्त्री व साधु व्यभिचार शासन के विरुद्ध पदपत्र विद्रोह का नृस्य करना विशेषिया की महायत्ना देना शत्रु पक्ष में मिल जाना अथवा उन्हें किसी प्रकार की सहायता करना जो कि राज्य व लिए घातक हो। फीरोज तुगलक ने फतुहात ए फीरोजशाही में लिखा है कि उसके पहले शासकों ने भग भग करने और बठोर यातनाएँ देने की नीति अपनाई थी जिससे कि नायरिका के हृदय में राज्य व प्रति भय उत्पन्न हो जावे और राजाशाहों का कठोरता से पालन करवाया जा सके। उसने एसे दण्डों की सूची भी दी है जो उसने अपने राज्य-काल में निषेध किये थे। इस सूची से यह जानकारी मिल सकती है कि विद्यने समय में किस प्रकार के दण्ड साधारण रूप में प्रचलित थे। फीरोज के पहले अपराध स्वोकार करवाने के लिये भी अत्यधिक पीटा दी जाती थी। इन आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सल्तनत काल में दण्ड अशिष्ट व निर्दयतापूर्ण थे।

इन तथ्यों के आधार पर हम यह परिणाम निकालते हैं कि न्याय और दण्ड व्यवस्था मध्ययुग की परिस्थितियों व अनुसार साधारण थी और सम्पूर्ण सल्तनतकाल में केवल कुछ व्यवस्था सम्बन्धी परिवर्तनों के अतिरिक्त न्याय का स्वरूप स्वयं सुल्तान के धार्मिक विचारों पर आधारित था। सम्पूर्ण सल्तनत काल में किमा भी सुल्तान ने धर्म निरपेक्ष आयातों की स्थापना अथवा उसी आधार पर दण्ड-व्यवस्था और कानून को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया और ऐसी स्थिति में मर्ज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुसंख्यक प्रजा की स्थिति कौसी दयनाय रही होगी।

कर व्यवस्था तथा मुद्रा

एक ठोस वित्त व्यवस्था की आवश्यकता राज्य व उद्भव से ही अनुभव की जाती रही है। इसकी व्यवस्था की स्थिति में राज्य का दियानिया हाना सुनिश्चन है और एक दिवालिया राज्य स्वयं व अस्तित्व का बनाय रखने में निरानुभव अक्षम है। अति प्राचीनकाल में ही इस आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा है और उसी के अनुरूप इनकी व्यवस्थित करने का निरंतर प्रयास किया जाता रहा है।

मुस्लिम विधि व शाखा (ज़रिफ्ट) के इस सम्बन्ध में आधारभूत स्रोत यद्यपि एक ही थे परन्तु फिर भी उन्होंने प्रभुत सनस्यारों व विभिन्न और कभी कभी

विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। भारत का यह सौभाग्य था कि यहाँ पर हनीफी विचारधारा को ही सर्वधिकता प्राप्त हुई और समस्त सुस्लिम युग में यही राज्य-धर्म के रूप में बनी रही।¹

मुल्तानों ने वित्त व्यवस्था का आधार धारा व धरवासिद खलीफाओं की परम्पराओं को स्वीकार किया। क्योंकि हिन्दू वित्त-व्यवस्था किसी प्रकार से अधिक भिन्न नहीं थी इसलिये हिन्दुओं को केवल छोटे-मोटे परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को समायोजित करने में किसी विशेष कठिनाई का अनुभव न करना पड़ा।

मुस्लिम विधि-वेत्ताओं ने मुस्लिम राज्य की आय के साधनों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है—धार्मिक तथा धर्म-निरपेक्ष। प्रथम-श्रेणी में वे कर थे जिनको केवल मुस्लिम धर्म से ही वसूल किया जाता था और जिनको सामूहिक रूप में जकान की संज्ञा दी गई है। ऐसा स्वीकार किया जाता था कि एक मुस्लिम निर्धन तथा दरिद्र के साथ अपनी सम्पत्ति के बंटवारे से स्वयं को लालच और वन लोलुपता के अभिशाप से मुक्त करने में समर्थ हो सकेगा। हनीफी विचारधारा के विधि-वेत्ताओं ने जकात की परिभाषा करते हुए लिखा है कि कानूनी रूप में निश्चित की हुई अपनी सम्पत्ति के भाग को निर्धन मुसलमानों में दया के आधार पर बांटना जिससे कि दाता स्वयं को किसी लाभ का आकांक्षी न माने, जकात है।

जकात तथा सदाक—धार्मिक करों के रूप में जकात और सदाक में अक्सर भ्रंति हो जाती है। वास्तविक रूप में सदाक एक विशिष्ट वर्ग है जिसके अन्तर्गत जकात एक अंग है। अधिक स्पष्ट रूप में जकात भी सदाक है परन्तु एकमात्र सदाक जो कि अनिवार्य है, जकात है। परन्तु शफी और मबादी विचारधारा के विधिवेत्ता दोनों में किसी प्रकार का मतभेद स्वीकार न कर इनको एक ही स्वीकार करते हैं। जकात के अधीन सम्पत्ति को पुनः स्पष्ट और अस्पष्ट भागों में विभाजित किया जा सकता है। जकात केवल एक निश्चित तथा न्यूनतम भाग पर ही लगाया जा सकता है, जिसे "निसाब" की संज्ञा से सम्बोधित किया जाता है। निसाब के तीन विशिष्ट तत्व हैं:—

- (1) इस पर स्वामी का पूर्णधिकार हो।
- (2) यह जीवन की मौलिक आवश्यकताओं से अधिक हो तथा
- (3) अरुण-मुक्त हो। इस आधार पर जीवन की मूलभूत आवश्यकतायें जकात से मुक्त थीं। मकान, सवारी, कृषि के काम में लाये जाने वाले पशु, पठन-पाठन के उपयोग में आने वाली पुस्तकें, परिवार के भरण-पोषण के लिये अन्न तथा सम्बन्धित वस्तुयें, सेवा-कार्य के लिये रखे हुए दास, सजावट तथा सुख के लिये उपयोगी परन्तु

आवश्यक वस्तुमें इसका अन्तर्गत नहीं आती थी। इस आधार पर सोना, चांदी तथा व्यापार की वस्तुओं पर ही जकात कर वसूल किया जा सकता था।

इसके अनिश्चित जकात कर दाता की तीन आवश्यक शर्तों की पूर्ति करना भी आवश्यक था जिनकी अनुपस्थिति में जकात नहीं लिया जा सकता था। वे निम्न थीं¹—

- (1) परिपक्वता तथा बुद्धि अथवा युक्ति क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में उत्तरदायित्व को अनुभव करना संभव नहीं है,
- (2) एक स्वतन्त्र व्यक्ति क्योंकि दास सम्पत्ति रखने के अधिकार से वंचित है तथा
- (3) राज्य का इस्लामी रूप क्योंकि जकात का चुवाना एक उपासना है जो कि केवल मुसलमानों के द्वारा ही सम्पन्न की जा सकती है।

बा० कुरैशी ने लिखा है कुछ मुसलमान इस कर से स्वयं को बचाने के निवेदन के अन्त होने के पूर्व ही अपनी समस्त सम्पत्ति को अपनी पत्नी अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम कर दिया करते थे और अगले वर्ष के मारगम में पुनः उसे अपने पक्ष में कर लिया करते थे। परन्तु यह कार्य निन्दनीय था क्योंकि जकात का फल केवल उन्हीं दाताओं को प्राप्त होता है जो कि इसके महत्व को स्वीकार करते हों।²

कर की वसुली—यह कर सम्पत्ति का ढाई प्रतिशत होता था और मुस्लिम विधि-वेत्ताओं के अनुसार धार्मिक कृत्यों, सम्पत्ति-हीन मुसलमान, फकीर, जिहाद (धर्म युद्ध) और कर्जदार आदि मदों पर इसे व्यय किया जा सकता था।

जहाँ तक इस कर के एकत्रित करने का प्रश्न था इमाम को शक्ति से इस उगाहने का अधिकार न था। यदि वह इस प्रकार से उगाहता है तो मुसलमान ईश्वर के प्रति जकात की शुका कर अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के कार्य से उन्मुक्त नहीं हो सकता। इस्लामी विचारधारा के विद्वानों ने इसको एकत्रित करने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा है क्योंकि राज्य ही सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। जकात, दृष्ट अथवा प्रत्यक्ष सम्पत्ति पर निश्चित दर के आधार पर राज्य द्वारा उगाहा जाता था। अदृष्ट सम्पत्ति पर स्वयं सम्पत्ति-धारक द्वारा अपने विवेक व निरुपेक्ष के अनुसार दान कर दिया जाता था।

अन्य कर—आयात-निर्यात सम्बन्धी वस्तुओं से कर उगाहने के सम्बन्ध में यह नियम बनाया गया कि वस्तुओं के मूल्य का दो प्रतिशत मुसलमान व्यापारियों

1 यू एन ड, वही, प 106

2 आई एच. यूरेन, वही, पृ 95-96

से तथा चार प्रतिशत हिन्दू व्यापारियों में वसूल किया जावे। घोड़ों पर आयात कर पांच प्रतिशत था। परन्तु गैर-मुसलमानों से यह दस प्रतिशत वसूल किया जाता था। इब्न बतूता¹ के अनुसार सुल्तान आयात कर के रूप में एक चौथाई वसूल करता था परन्तु मुहम्मद तुगलक ने पुनः इसे घटाकर इस्लामी मान्यताओं के आधार पर निश्चित किया था। सम्भवतः राज्य की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण ही इस प्रकार की बढ़ोत्तरी की गई हो परन्तु जब यह अनुभव किया गया कि राज्य की आय व्यापारियों की वेईमानी के कारण और घट गई है तो पुनः इसे कानूनी अनुपात में निश्चित कर दिया गया। सिकन्दर लोदी के समय में अनाज की कमी के कारण, अनाज पर लगाये जाने वाले कर को समाप्त कर दिया गया था और बाद में सुल्तानों ने इसे पुनः लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया। कुछ सुल्तान इस कर से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने दांगानह नाम का एक और कर लागू किया जिसका फीरोज तुगलक द्वारा रद्द करे हुए करों की सूची में उल्लेख है। जकात की वसूली के लिये अधिकारियों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं को सराय-ए-आदिल पर कूता जात था, तत्पश्चात् उन्हें दरिया अथवा खजाने में पुनः भार की जानकारी के लिए ले जाया जाता था। यहाँ पर कूते हुए अथवा अनुमानित मूल्य पर प्रति टंक एक दाम अतिरिक्त लगाया जाता था।

घर्म निरपेक्ष कर (खम्स)—घर्म निरपेक्ष अथवा सांसारिक करों में खम्स, खिराज व जजिया आय के प्रमुख साधन थे। युद्ध में प्राप्त लूट के माल को 'खम्स गनीम' कहते थे। शरा के अनुसार समस्त लूट की प्राप्ति में से 1/5 भाग राज्य का तथा शेष 4/5 भाग सैनिकों साम्यिक रूप में बांट देने के आदेश हैं। सुल्तान अथवा सेनापति के लिए यह न्यायोचित था कि वह बटवारे के पहले स्वयं के लिये एक पशु, तलवार अथवा कोई एक वस्तु जो उसे अधिक रुचिकर हो चुन ले। सुल्तान द्वारा इस चुनी हुई वस्तु को "सफीयाह" कहते थे तथा बंटवारे के समय उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता था। राज्यकोष में जमा होने वाले भाग को कानूनी रूप में खम्स कहते थे। अलाउद्दीन ने इस नियम को उलट दिया। इसके अन्तर्गत 1/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था तथा शेष 4/5 वह स्वयं राज्यकोष के लिए सुरक्षित रख लेता था। सम्भवतः अलाउद्दीन ने अपनी विजय-योजनाओं में धन की पूर्ति के लिये ही इस प्रकार की नीति उसने अपनाई हो। फीरोज शाह तुगलक के समय तक यह नियम इसी रूप में बना रहा और उलेमाओं द्वारा इसको शरा-विरोधी घोषित करने पर उसने पुनः पुराने नियम को लागू कर दिया। लूट के विभाजन के समय एक धुड़सवार को पायक अथवा पैदल सैनिक की तुलना में दो अथवा तीन गुना दिया जाता था।

उत्तरवासीन सल्तनत काल में गढ़ हुए धन को भी खम्स की श्रेणी में स्वीकार किया जाने लगा। यह स्वीकार किया जाता था कि ये धन पहले काफिरा (हिन्दुओं) का था जो कि विजय के फलस्वरूप इस्लाम के अधिकार क्षेत्र में है। कौटिल्य के अनुसार समस्त गढ़े हुए धन का स्वामी राज्य ही था। सल्तनत काल में राज्य हिन्दू तथा मुसलमान दोनों से ही गढ़ा धन प्राप्त करता था। इसका अतगत गढ़ हुए धन को खोज निकालने वाला स्वयं के लिए 4/5 भाग रखकर शेष 1/5 भाग राज्य को प्रदान करता था। यदि गढ़ा धन किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हूब निकाला गया हो जो स्वयं उस भूमि का स्वामी नहीं हो तो ऐसी स्थिति में भूमि का स्वामी 4/5 भाग तथा राज्य 1/5 भाग का अधिकारी था।

गढ़े हुए प्राप्त सिक्का पर भी राज्य बर लेता था। ऐसे सिक्के जा कि मुस्लिम विजय के पहले ढाले गये हों (रिकाज) राज्य उनके मिलने पर 1/5 भाग प्राप्त करता था। इसके लिए यह नब प्रस्तुत किया जाता है कि यदि यह धन गढ़ा हुआ नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से यह खम्स के अतगत आता। सिक्कादार लोगोंने दो बार ऐसे प्राप्त सिक्का से राजकीय भाग लेने से मना कर दिया क्योंकि उन पर इस्लामी अनुश्रुतियाँ अर्जित थीं।

सल्तनत काल में किसी मुसलमान की इच्छा-पत्रहीन (Intestate) मृत्यु होने पर अथवा उसके वारिस न होने पर समस्त सम्पत्ति का अधिकार एकमात्र राज्य ही होता था परन्तु सभ परिस्थितियों में हिन्दू की मृत्यु होने पर उसकी सम्पत्ति उनके समुदाय का हस्तांतरित कर दी जाती थी।

इसके अतिरिक्त राज्य को पेशकश भेंट आदि से भी प्राय होती थी। सम्पूर्ण मध्ययुग में ऐसा माना जाता था कि सुल्तान अथवा बादशाह के सम्मुख भेंट लेकर उपस्थित होना सामान्य निष्ठता है। इसलिये सुल्तान से मिलने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने पद तथा सम्मान के अनुसार सुल्तान को कुछ भेंट प्रस्तुत करता था जिसे साधारणतया 'पेशकश' कहा जाता था। सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इस प्रकार से पेशकश स्वीकार करने का हम प्रमाण मिलता है। उस समय से लेकर फीरोज तुगलक के समय तक पेशकश किसी न किसी रूप में प्रस्तुत की जाती रही। फीरोज ने इसे शरा विरोधी मानकर यह आदेश दिया कि अमीर द्वारा पेशकश के मुख्य को उस पर चढ़ हुए बकाया के अधीन पकता कर दिया जावे।

सल्तनत काल में हम इस प्रकार की भेंट के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जब किसी प्रांतीय गवर्नर सुल्तान से मिलने उपस्थित होते तो वे बहुसूय भेंट प्रस्तुत करते थे। शाहजादा बुगरा या न अपना पिता और सुल्तान बलबन से मिलते समय हाथी प्रस्तुत किये थे। इब्न बतूता के अनुसार मुहम्मद तुगलक के वज़ीर ने सान और चांती के थाला का माणिक आदि न भरकर सुल्तान को प्रस्तुत किये थे। सुल्तान उनका सम्मानित करने के लिये कभी-कभी उनसे बगलगीर होता था।

खिराज—खिराज भूमि कर था जो विभिन्न सुल्तानों के द्वारा खेती की उपज पर वसूल किया जाता था, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। भूमि-कर के अतिरिक्त राज्य की आय के अनेकों साधन थे। सल्तनत काल में अनेक चुंगी लगाई गई परन्तु इनसे राज्य को कोई अधिक आय नहीं थी। अलाउद्दीन ने भूमि-कर के अतिरिक्त मकान-कर, चरागाह-कर को लागू किया था। यह जानना अत्यधिक कठिन है कि मुस्लिम शासन के आरम्भिक काल में और कौनसी चुंगी लगी हुई थी क्योंकि समकालीन इतिहासकार प्रशासकीय व्यवस्था के प्रति उदासीन थे और इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में इसका कहीं विवरण नहीं दिया है। अफीफ और फीरोज शाह द्वारा रचित ग्रन्थों के अध्ययन से केवल यह जानकारी प्राप्त हो पाई है कि फीरोज ने जरा-विरोधी होने के आघार पर किन्हीं चुंगी करों को समाप्त किया था। परन्तु दोनों ही इसको स्वीकार करते हैं कि भूत में ये चुंगी कर लागू थे। अफीफ की सूची में निम्न कर दिल्ली में लागू थे—

1. किरा-जमीन—यह मकानों व दुकानों पर लगाई गई चुंगी थी जो कि गरीब और विधवाओं तक से प्राप्त की जाती थी। राज्य को इससे 150,000 टंक की वार्षिक आय थी।

2. जजारी—यह कसाइयों पर प्रत्येक पशु के बंध पर 12 जीतल प्रति पशु के हिसाब से वसूल की जाती थी।

3. दनगान—यह आधुनिक नाका-चुंगी के समान थी। शहर में आने वाली वस्तुओं पर एक निश्चित स्थान पर उनके भार के अनुसार यह वसूल की जाती थी।

ये 1375 ई. में समाप्त की गई। अफीफ के अनुसार इन चुंगी-करों को समाप्त कर राज्य को लगभग 30 लाख टंक प्रतिवर्ष की हानि उठानी पड़ी थी।

फतूहात-ए-फीरोजशाही में राज्य द्वारा उन्मूलित चुंगी करों का विवरण मिलता है। इनमें प्रमुख इस प्रकार हैं—

1. जजारी (कसाइयों पर कर),
2. अमीरी तरब (बैश्याओं पर कर),
3. गुल फरोशी (फूल बेचने पर कर),
4. जजिया तम्बूल (पान बेचने पर कर),
5. चुंगी गल्ला (अनाज पर कर),
6. नीलगरी (नील रर कर),
7. माही फरोश (मछली बेचने पर कर),
8. साबुन गिरी (साबुन बनाने पर कर),
9. रोमन गिरी (तेल बनाने पर कर),
10. कित्तवी (लेखक पर कर),
11. दाद बेनी (कोर्ट फीस), छत्ताह (भवन निर्माण पर कर) आदि।

जजिया—धर्म-निरपेक्ष अथवा सासारिक करो मे जजिया कर अत्यधिक विवादास्पद है। विभिन्न लेखको न इसकी विभिन्न तरह से व्याख्या की है। क्योंकि यह सुल्तान के धार्मिक उत्तरदायित्वो का एक भग था जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त थी, इसलिए विस्तार मे इसका अध्ययन करना न्यायोचित लगता है।

प्रारम्भिक अवस्था मे पैगम्बर ने मुस्लिम राज्य मे गैर-मुस्लिमो के निवास की कमी कल्पना भी नहीं की थी। परन्तु जैसे-जैसे इस्लाम की सत्ता धरब के महस्यल से निकल कर ईसाई प्रदेशो को अपने अधीन करने मे समय हुई वैसे ही वैसे उनके सम्मुख इन नव-विजित प्रदेशो के निवासियो के साथ किये जाने वाले व्यवहार की कठिन समस्या विकट रूप मे उपस्थित हुई क्योंकि यह असम्भव था कि समस्त जनता से या तो इस्लाम स्वीकार कराया जावे अथवा उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जावे। इसलिये इसके समाधान मे ईश्वरीय आज्ञाओ की सहायता ली गई। इनके अनुसार गैर-मुसलमान, जो कि मुस्लिम राज्य के नागरिक हों, राज्य की सुरक्षा मे अपने जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिये कुछ मूल्य चुकाये अथवा जिम्मी की स्थिति को स्वीकार कर लें जिसमे उनका जीवन एक अनुबन्ध (ठैका) के आधार पर राज्य द्वारा मान्य होगा। इस आधार पर जजिया केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू किया गया जिनको जिम्मी स्वीकार कर लिया गया है। आवश्यक नहीं था कि यह प्रत्येक गैर-मुसलमान पर लागू किया जावे।

जजिया शब्द "जजा" (मुघ्रावजा) से उद्धरित है जिसका अर्थ है मुघ्रावजा। वास्तविक रूप मे यह एक ऐसा कर था जिसको जिम्मीओ से उनके अविश्वास के आधार पर तथा अपमानित करने के लिये वसूल किया जाता था अथवा दया के आधार पर मुगलमानो द्वारा सुरक्षा-द्वेषु वसूल किया जाने वाला कर था। अघनाईड्स¹ ने लिखा है कि, "ऐसो से युद्ध करो जिनको एक धर्म-ग्रन्थ प्रदान नहीं किया गया है और वे जो ईश्वर अथवा न्याय मे विश्वास करते हैं, " उस समय तब तक कि वे स्वयं अपमानित होने के लिये अपने हाथो जजिया का भुगतान न करें।" जजिया देने पर जिम्मी दो अधिकारो का हकदार हो जाता था।

1 उत्पीडन से मुक्ति तथा,

2 सुरक्षा। प्रथम अधिकार के अन्तर्गत वह सुरक्षित (अमीन) और दूसरे के अन्तर्गत वे रक्षितों (महूर) की श्रेणी मे आ जाते थे।

हनीफा विधि-वेत्ताओ के अनुसार इस कर को जजिया इसलिये कहा जाता है कि जिम्मी मृत्यु के लिये यह जजा (मुघ्रावजा) चुकता है। दूसरे विधि-वेत्ताओ के अनुसार काफिर (जो मुस्लिम राज्य का निवासी हो) का मानमर्दन करने, अविश्वास स्वरूप दण्डित करने तथा इस्लाम की श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए जजिया

1 एन पी अघनाईड्स, विधरीय आफ इन्डियन कायनेन्स, पृ. 398

वसूल किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रत्येक मुसलमान के लिए इस्लाम की रक्षा हेतु राज्य की सैनिक सेवा करना अनिवार्य है और सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि होने के नाते मुसलमानों से इस सेवा को प्राप्त करने का अधिकार था परन्तु जिम्मी क्योंकि इस्लाम के अनुयायी नहीं थे इसलिए वे इस सेवा के उपयुक्त पात्र नहीं थे और इसलिए उनका साधारणतया रुकान शत्रु-पक्ष के प्रति होगा। इस सेवा के बदले में उन्हें राज्य को कुछ धन देना चाहिए जिससे कि यह धन उन मुस्लिम सैनिकों पर व्यय किया जा सके जो इस उत्तरदायित्व का वहन करते हैं और इसलिये यह कर जजिया के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। परन्तु इस प्रतिज्ञप्ति (Proposition) में सबसे बड़ी कमी है कि वे हिन्दू जिन्होंने मुस्लिम शासकों के पक्ष में युद्ध किया, उन्हें भी क्योंकर जजिया कर से मुक्त नहीं किया गया ?

डा. कुरैशी के अनुसार कतिपय विद्वानों का यह मत है कि मुस्लिम राज्य में गैर-मुस्लिम से जीवन रक्षा के अधिकार को प्राप्त करने हेतु जजिया वसूल किया जाता था अनुचित है क्योंकि अगर ऐसा होता तो औरतों और बच्चों से भी यह कर वसूल किया जाना चाहिये था, परन्तु ऐसा किसी भी समय प्रचलित नहीं हुआ। समुचित रूप में इसका उत्तर देना यद्यपि सम्भव नहीं है परन्तु इतना अवश्य है कि बालकों पर यह कर केवल चौदह वर्ष की आयु तक ही लागू नहीं था। इसके साथ ही इसका भी कोई सन्तोषपूर्ण उत्तर देना सम्भव नहीं दीखता कि क्योंकर पागल, बूढ़, भिखारी, साधु-सन्यासी और ब्राह्मणों को इससे मुक्त कर दिया गया था। डा. कुरैशी इस कर के औचित्य को दर्शाने के लिए यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि राजपूताने के राज्यों में भी इसी प्रकार का कर वसूल किया जाता था, अथवा हिन्दू राजाओं के समय में भी किसी न किसी रूप में यह कर विद्यमान था जैसे कन्नौज के गडखर वंश ने राज्य में रहने वाले हिन्दू व मुसलमानों से यह कर वसूल किया था। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर डा० कुरैशी का यह मत ठीक है परन्तु राजपूताने में शत्रु से और विशेषकर मरहठों से राज्य की रक्षा के लिए 'गनीम' नामक कर वसूल किया जाता था जिससे कि मरहठों को 'पेशकश' के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि का भुगतान किया जा सके। इसमें धर्म की रक्षा करने अथवा किसी वर्ग-विशेष से ही कर को उगहाने का प्रश्न नहीं था। राज्य ही सर्वोपरि था और क्योंकि राज्य शक्तिहीन था इसलिये राज्य की रक्षा-हेतु समस्त नागरिकों को वर्ग-भेद मिटाकर, कर देने के लिये बाध्य किया जाता था। इसी प्रकार कन्नौज के शासकों ने भी राज्य के प्रत्येक नागरिक से शत्रुओं के विरुद्ध रक्षा करने हेतु कर प्राप्त किया था। इन करों में न तो किसी प्रकार की धर्मांधता थी और न ही इन्हें किसी विशेष वर्ग पर ही लागू किया गया था। ऐसी स्थिति में इन करों को जजिया के अनुरूप स्वीकार करना न्यायसंगत नहीं होगा।

प्रो० पी शरण¹ ने मौनवी मुहम्मद अली के विचारों को (जो पवित्र कुरान के अध्याय 2, पद्य 190) उद्धृत करते हुए लिखा है कि, "मुसलमानों को जो युद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई है उसमें यह शर्त निहित है कि शत्रु मुसलमानों को नष्ट करने के लिए प्रथम प्रहार करे।" पंगम्बर न कभी भी इन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया। युद्ध का आदेश इन आधार पर केवल आत्म-रक्षा तथा धार्मिक उत्पीड़न को रोकने के लिये दिया गया था।

जिन परिस्थितियों में गैर-मुसलमानों से युद्ध करना अथवा जजिया लगाना मान्य है उन परिस्थितियों का अध्ययन करने से ऐसा अनुभव होता है कि जिन विधिवेत्ताओं ने पंगम्बर की नियेषाज्ञाओं को प्रतिपादित किया अथवा उन्हें प्रस्तुत किया (जिमके अन्नगंत समस्त गैर मुसलमानों पर चाहे वे शान्तिप्रिय ही बयो न हों युद्ध करने का अधिकार देकर) निश्चित ही पवित्र कुरान व पंगम्बर के प्रति घोर अन्याय किया है। यदि इसके पश्चात् भी नियेषाज्ञायें समस्त विरोधी गैर-मुसलमानों पर लागू की जावें तब भी इनमें उक्त अर्थ को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है जो बयाना के काजी मुगीमुद्दीन ने कर अधिकांश का दी थीं। गैर-अधिकारियों को जिम्मे के मुह में धूकने का विशेषाधिकार केवल मुगीमुद्दीन और उनके वर्ग की विदग्ध (ingenious) कल्पना का ही परिणाम है। यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अल्लू हनीफ ने जिम्मेवो की कर देते समय अपमानित करने को सकेन दिया है परन्तु इसका अर्थ निश्चित ही वह नहीं है जो काजी मुगीमुद्दीन ने प्रतिपादित किया था।

इस प्रकार से जजिया की उत्पत्ति तथा पंगम्बर द्वारा गैर-मुसलमानों के प्रति किये जाने व्यवहार से सम्बन्धित नियेषाज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि इन अनपकारक नियेषाज्ञाओं को या तो गलत ढंग से समझा गया है, अथवा अधिकतर मुसलमान शासकों द्वारा अपने राजनैतिक उद्देश्यों की अथवा साम्राज्यवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कपटपूर्ण ढंग से प्रयुक्त किया है और उनके दम अधार्मिकता तथा अनुचित कार्य में धर्मनवशों ने अपने स्वार्थ हेतु न केवल सहायता की अर्थात् उनको पूर्णतया बहकाया।

जजिया को साधारणतया दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

1 सन्धि द्वारा जजिये की राशि को निश्चित करना जिममें बाद में किसी प्रकार से रद्दोबदल नहीं किया जा सकता था। इस सम्बन्ध में हनीफी व शफीटी विचारधारा के मानने वालों की ऐसी मान्यता है कि यह प्रति व्यक्ति एक दीनार से कम नहीं होना चाहिए। ईमाम इस प्रकार के जजिया की शर्तों को निश्चित करने के लिए प्राधिकृत है।

2. दूसरी प्रकार का जजिया वह है जो कि विजेताओं द्वारा पराजितों पर लागू किया जाता है और इसके लिये ईमाम प्राधिकृत है। इस श्रेणी में आरम्भिक दर 48, 24 तथा 12 दिरहाम धनवान, मध्यमवर्गी व गरीब वर्ग से क्रमशः वसूल करने का प्रावधान था। यह जानकारी हमें सुलभ नहीं हो पाई है कि धनवान, मध्यमवर्ग व गरीबों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था।

जजिया वर्ष के आरम्भ होते ही देय हो जाता था परन्तु इसकी वसूली के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं। अबू हनीफ के अनुसार इसे वर्ष के अन्त में दो-तीन दिन पूर्व एकत्रित किया जावे परन्तु दूसरे विचारकों के अनुसार प्रत्येक दो अथवा तीन मास के बाद इसे एकत्रित किया जावे। मृत्यु, इस्लाम स्वीकार करने अथवा साल के अन्त तक इसको वसूल न कर पाने की स्थिति में यह रद्द समझा जाता था। अबू हनीफ की इस अन्तिम शर्त को दूसरे विचारक स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं हैं।

जजिया के भुगतान की विधि में भी मत-मतान्तर है, केवल अबू हनीफ की विचारधारा के विद्वानों को छोड़कर सब एकमत हैं कि जब जिम्मी जजिये का भुगतान करने प्रस्तुत हो तो वह स्वयं खड़ा रहे तथा जजिया प्राप्त करने वाला अधिकारी बैठने की स्थिति में रहे। जजिया भुगतान करने की प्रक्रिया में जिम्मी की भर्त्सना की जावे तथा उसको अपमानित अथवा लज्जित किया जावे। व्यक्तिगत रूप से अपमानित अथवा मानमर्दन करना जजिया के भुगतान का एक आवश्यक अंग था। इसलिए इसका व्यक्तिगत रूप में ही भुगतान करना आवश्यक था। इसीलिए प्रतिनिधि मुहत्तार (proxy) के माध्यम से यह स्वीकार नहीं किया जाता था।

सुल्तानों ने अपनी गैर-मुस्लिम जनता से इस कर को प्राप्त किया। हमारे पास समुचित रूप से यह जानकारी नहीं है कि इस कर के अन्तर्गत राज्य को वार्षिक आधार पर कितना धन प्राप्त होता था परन्तु क्योंकि भारत में हिन्दू अत्यधिक बहुमत में थे इसलिये स्वाभाविक रूप से राज्य को इससे पर्याप्त आय प्राप्त होती रही होगी। हमें यह भी जानकारी नहीं है कि विभिन्न सुल्तानों ने किस दर से इसको लागू किया था परन्तु अफीफ के अनुसार फीरोज तुगलक ने अमीर मध्यम व गरीब वर्ग से क्रमशः 40, 20 व 10 टंक प्रति व्यक्ति लिया था। स्त्रियाँ, दास व 14 वर्ष से कम आयु के बालक इससे मुक्त थे। अन्धे, लूले-लगड़े व पागल, धनवान होने की स्थिति में इस कर के भुगतान के लिए उपयुक्त समझे जाते थे।

ब्राह्मण, मठवासी तथा पुरोहितों के रूप में फीरोज तुगलक के काल के पहले इस कर से मुक्त परन्तु फीरोज ने उलेमाओं से विचार-विमर्श कर और यह मानकर कि वे मठवासी और पुरोहित जो स्वयं को अनन्य रूप में धार्मिक अनुष्ठानों में अर्पित नहीं करते हैं, ब्राह्मण समझे जाने योग्य नहीं हैं इसलिए उन पर भी इस कर

को लागू कर दिया। इसमें राज्य में बड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई परन्तु फीरोज कर प्राप्त करने के लिये दृढ़ रहा। अतः दिल्ली के धनी हिन्दुओं ने ब्राह्मणों की धार से इस कर का मुगतान करने का भार वहन किया। इस घटना से यह सम्भावना प्रतीत होती है कि जजिया केवल दिल्ली के ब्राह्मणों से ही उगाहने की नीति अपनाई गई थी क्योंकि सम्पूर्ण राज्य के ब्राह्मणों की धार से दिल्ली के धनी हिन्दुओं द्वारा इस कर के मुगतान करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस घटना से यह भी सम्भावना लगती है कि जजिया केवल नगरीय ही बसूल किया जाता था क्योंकि यहाँ मुत्तान तथा राज्य के प्रशासन की पकड़ पूर्ण थी। गावों में इस कर को बसूल करने की स्थिति में भीपण विद्रोह की प्रबल आशंका बनी रहती थी।

अफीफ के अनुसार फीरोज तुगलक ने तदन्तर धनी ब्राह्मणों पर कर को घटाकर केवल 10 टक कर दिया। हा कुरेशी¹ के अनुसार समस्त सल्तनत का न केवल यही एक मात्र घटना है जबकि इस कर के प्रति रोष प्रकट किया गया और इस आधार पर उनकी मान्यता है कि इसका निर्धारण सौम्य था।

कुछ विद्वानों के अनुसार अलाउद्दीन खल्जी ने न तो हिन्दुओं को जिम्मी स्वीकार किया और न ही उनसे जजिया बसूल किया परन्तु समकालीन लेखकों ने कहीं पर भी इसको समाप्त करने का उल्लेख नहीं किया है और न ही अलाउद्दीन ने काजी मुगीमुद्दीन द्वारा हिन्दुओं के लिये जिम्मी शब्द के प्रयोग करने का कोई विरोध हा किया था। इससे हम यह निर्णय नहीं ले सकते कि अलाउद्दीन जजिया-विरोधी प्रथवा धर्म-निरपेक्ष विचारों का समर्थक था।

प्राधुनिक युग में जजिया के औचित्य को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के तर्कों को प्रस्तुत करना एक सामान्य मान्यता बन गई है। व्यावहारिक रूप में यह उचित भी है परन्तु सैद्धान्तिक आधार पर इतिहास को झुंटाकर तथा उसकी घटनाओं को परिवर्तित कर सामने रखना इतिहास के प्रति अन्याय है। प्राधुनिक बुद्धिजीवियों ने जजिया कर का मुगतान करते समय जो प्रताड़ना और मानमर्दन हिन्दुओं को सहन करने के लिए बाध्य किया जाता था उसे पूरी तरह से मुला दिया है। समस्त गैर-मुस्लिमों से धर्म के स्वतन्त्र पालन के आधारभूत और मानवीय अधिकार को छीनकर निश्चित ही सन्तनत काल का जो स्वरूप हमारे सम्मुख उभर कर धाना है उसे साम्प्रदायिक राज्य के अनिर्दिष्ट किमी प्रकार की दूमरी सजा देना सम्भव नहीं जान पड़ता। सुल्तानों ने इस अनुचित कर को लागू कर स्वयं अपने हाथों सल्तनत की बन्न खोदन में सक्रिय सहयोग किया।

मुद्रा—राज्य में व्यापार और उद्योग के समुचित विकास के लिए एक ठोस मुद्रा नीति की आवश्यकता प्राचीन समय में ही अनुभव की जाती रही है।

¹ आई एच कुरेशी बही, पृ 97

विनिमय की व्यवस्था के साथ भी इसकी आवश्यकता इससे अनुभव की जा सकती है कि ईसा की दूसरी शताब्दी पूर्व से ही हमें मुद्रा अथवा सिक्कों के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। परन्तु उस समय में यह स्वीकार करना कि सिक्कों को वैज्ञानिक आधार पर ढाला जाता रहा होगा नितान्त असम्भव है। उद्योग और व्यापार के विकास के साथ ही सिक्कों के प्रचलन और प्रमाणिकता की कमी अधिक अग्रसरने लगी और इसलिए समय-समय पर सिक्कों के क्षेत्र में विभिन्न शासकों ने अपनी हवि के अनुसार विभिन्न प्रयोग किये तथा इनको व्यवस्थित करने का समुचित प्रयास किया।

तुर्की विजेताओं ने एकदम एक नवीन मौद्रिक पद्धति को धारम्भ किया हो, ऐसा स्वीकार करना सम्भव नहीं है। उन्होंने उपयोग के लिए उस समय में प्रचलित सिक्कों को ही रूपान्तरित कर लिया। पिछले समय के मिश्रित धातु के सिक्के जिनको "देहली वाला" के नाम से सम्बोधित किया जाता था वे ही प्रचलित रहे और यद्यपि उनमें रूपान्तरण होता रहा परन्तु यह अत्यधिक क्रमिक व धीरे-धीरे हुआ। हिन्दू सिक्कों का परिष्कृत अथवा योजना और रचना उसी प्रकार से बनी रही। तुर्की राज्य की स्थापना के लगभग 60 वर्ष पश्चात् बलबन ने प्रथम बार पुरानी रचना, जिसमें एक सांड तथा अश्वरोही अंकित था, के स्थान पर सुल्तान का नाम देवनागरी लिपि में अंकित करवाया। इसलिये तुर्की राज्य की स्थापना के धारम्भिक काल में यह "देहली वाला" नामक सिक्का ही साधारण रूप से प्रचलित रहा। सिराज के अनुसार इसी दूधित सिक्के को जिसको कुछ समय पश्चात् जीतल की संज्ञा दी गई, का सर्व्व ही प्रयोग किया जाता रहा। तत्पश्चात् जीतल ही साधारण मुद्रा स्वीकार की जाने लगी और "देहली वाला" का प्रचलन समाप्त हो गया। यल्दीज ने अपने अल्पकालीन शासन में भी इसी प्रकार की मुद्रा को ढलाया था।

स्वर्ण मुद्रा के क्षेत्र में भी महमूद के शासनकाल तक नव स्थापित शासन की मुद्रा सम्बन्धी विशिष्ट विशेषतायें सुस्पष्ट नहीं हो पायी थीं। मुहम्मदुद्दीन के समय की जो तीन स्वर्ण मुद्रायें प्राप्त हैं वे पूर्णतया हिन्दू शासकों की नकलभात्र हैं यहाँ तक कि लक्ष्मी की आकृति की भी हूबहू नकल है। इनमें केवल शासक का नाम ही इनकी अभिन्नता का परिचायक है। यहाँ तक कि तीसरी मुद्रा जो उत्तरी भारत में प्रचलित थी तथा जो दीनार के आधार पर ढाली गई थी एक संस्मारक के रूप में प्रचलित की गई थी। उस पर भी चौहानों की मुद्रा के अनुसार एक धुइसवार का चित्र अंकित है तथा देवनागरी में 15 अनुश्रुति अंकित हैं। इस प्रकार की स्वर्ण मुद्रायें इब्नुतमिश के द्वारा ढलवाई गईं और केवल कलमा और खलीफा के नाम के अतिरिक्त इनमें गजनी के दनारी से निम्नतम सादृश्य है। इस काल की ताम्बे की मुद्रा पुराने "देहली वाला" मुद्रा के सदृश थी और सम्भवतः इन्हें "अदल" की संज्ञा दी गई थी।

इल्तुतमिश के द्वारा चादी के सिक्के के ढालने के साथ ही इन्हो मुस्लिम मोड्रिक पद्धति का प्रारम्भण स्वीकार किया जाता है। इस सिक्के को टक की सजा से सम्बोधित किया गया। इमाम तथा दिरहाम में केवल रूप और अनुश्रुति के अनिरीक्त किसी प्रकार का मूलभूत सामिप्य नहीं है। टक में 1 तोला अथवा 96 रनि चादी रखने का विचार किया गया तो कि 1728 ग्रैन के बराबर था। न कि 175 ग्रैन जैसा फामस ने अमवश आका है। उत्तरवर्ती सोने के टक को भी इसी मानदण्ड के आधार पर व्यवस्थित किया गया।

फारसी अनुश्रुति तथा कलमा और सुल्तान की उपाधियों को इस पर अंकित करने के साथ ही टक दिल्ली सल्तनत की मानक मोड्रिक इकाई स्वीकार की जान लगी। इसके मुख पर खलीफा के नाम के अंकित होना पर प्रयोगात्मक स्थिति की समाप्ति हो गई। सम्भवत इम प्रकार की स्पष्ट मुद्रा 1225 ई में पहली बार मुद्रित हुई जिसमें सुल्तान को खलीफा का नायब सम्बोधित किया गया था। 1230-31 ई से खलीफा का नाम नियमित रूप से सिक्का पर अंकित किया जाने लगा। इसी वर्ष सुल्तान इल्तुतमिश का खलीफा द्वारा प्रतिष्ठापन हुआ और सम्भवत इसी का कीर्तिमान करने हेतु इल्तुतमिश ने एक अदिनाकित (undated) मुद्रा को प्रचलित किया जिसमें कलमा तथा खलीफा का नाम अंकित था।

टक के अम विकास की खोज में अधिकतर लेखको न केवल दिल्ली स्थित टकघार का ही लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है और बगान की टकघार का योगदान का कोई उल्लेख नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि खानौरी के शासक गियासुद्दीन एवाज न जो 1219 ई में सिक्का को प्रचलित किया था वह इल्तुतमिश द्वारा 1234 ई में अलग गये सिक्का के सादृश्य है। एवाज के 1221 ई तथा 1222 ई में सिक्को में खलीफा का नाम तथा 172 ग्रैन का मानक भार भी रखा गया था। एवाज की उपाधियों के साथ ही इसमें मुद्रित होने का वष तथा मास भी अंकित है जो कि इसकी अद्वितीय विशेषता है। फामस के अनुसार खलीफा द्वारा प्रतिष्ठापन के स्मरणोत्सव (Commemoration) के तिय ही अम ढाला गया था।

इल्तुतमिश का निम्न मूल्यवर्ग के सिक्का को जिनको जीतल की सजा दी गई मण्डित कर उन्हें टक के मूल्य के अनुसार समायाजत करने का अर्थ है। जीतल में पुराने देहली वाला सिक्का का तुलना में चादा के भार को कम रखने की व्यवस्था जान बूझकर की गई थी। फामस आदि के अनुसार टक की तुलना में इसका मूल्य 1/48 था। इस आधार पर महुमूद बनवन तथा ककूवाड के द्वारा प्रचलित माशा जिसका भार 144 ग्रैन था चार जीतल के मूल्य के समरूप होगा। बनवन के समय से एक मिश्रित धातु का सिक्का जिसमें चादी का अंश दहली बाना में कम परंतु जीतल में अधिक था सम्भवत इसी उद्देश्य में प्रचलित किया गया था कि यह मोड्रिक व्यवस्था में एक हीसत सिक्का के रूप में बना रह। इसका

मूल्य टंक की तुलना में $1/24$ था। इस मूल्य के आघार पर यह और अधिक प्रमाणित हो जाता है कि टंक में 48 जीतल ही हुआ करते थे।

जहां तक ताम्बे के सिक्कों का जीतल और टंक से मूल्य आंकने का प्रश्न है हमारा ज्ञान केवल अनुमान पर आधारित है क्योंकि हमें इसके मूल्यवर्ग (denomination) की जानकारी नहीं है। इनमें से कुछ पर "अदल" अंकित है परन्तु बाद में चांदी के सिक्कों पर भी इस प्रकार "अदल अंकित मिलता है। 14वीं शताब्दी में मुहम्मद तुगलक द्वारा "फल्स" नामक सिक्का भी मिलता है जो जीतल का $1/4$ भाग था। इसके अतिरिक्त दूसरी कठिनाई यह है कि ताम्बे के सिक्कों का भार 12 से लेकर 71 ग्रेन के बीच अदल-अदल होता रहा और ऐसी स्थिति में उसका टंक की तुलना में वास्तविक मूल्य आंकना तर्क संगत न होगा।

इल्लुतमिश के कुछ अदल का भार केवल 8 ग्रेन ही है और सम्भवतः इनका उच्च मूल्य के सिक्कों से कोई सम्बन्ध नहीं था। उनका महत्व केवल तार्किक धातु पर ही आधारित था। विभिन्न भारों के ताम्बे के सिक्कों का वर्गीकरण करने यह अनुभव होता है कि इनको भी चांदी के टंक के अनुसार श्रेणीकृत किया गया था। इस समय के 49, 36, 24, 18 व 12 ग्रेन के ताम्बे के प्राप्य सिक्कों को 72 ग्रेन फाल्स के ताम्बे के सिक्कों के अनुपात में $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12}$ व $\frac{1}{24}$ के उपभागों में विभाजित किया गया था। इसी प्रकार से 172 ग्रेन चांदी के टंक को भी उपभागों में विभाजित किया गया था और 86.4, 57.6, 28.8 व 14.4 ग्रेन के सिक्कों का मूल्य टंक के अनुपात में $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ व $\frac{1}{12}$ था। इसी प्रकार से सोने के सिक्कों को भी उपभागों में विभाजित कर चांदी के सिक्कों के साथ उनका अनुपात निश्चित किया गया था।

आरम्भिक सिक्कों पर टंकसाल का नाम अंकित नहीं रहता था। इल्लुतमिश ने प्रथम बार टंक पर टंकसाल का नाम अंकित करने की व्यवस्था की थी। उसके दो चांदी के टंक पर नागौर आदि का नाम अंकित है। दिल्ली की टंकसाल का नाम पहली बार 1230-31 ई. में एक टंक पर प्राप्त होता है। 1235 ई. के एक चांदी के टंक पर लखनौती की टंकसाल का नाम विवादास्पद है। 1226 ई. में रजिया द्वारा लखनौती की टंकसाल से टंक को ढलवाने के स्पष्ट प्रमाण हैं। बलबन ने अनेकों टंकसाल स्थापित कीं जिनमें से सुल्तानतुर व अलवर की टंकसालों के प्रमाण प्राप्त होते हैं।

13वीं शताब्दी के प्रचलित सिक्कों के पारस्परिक सम्बन्धों के लिए प्रो. हबीबुल्ला¹ द्वारा प्रस्तुत की गई तालिका अधिक उपयोगी है। इसके अनुसार—

1. ए. बी. एन. हबीबुल्ला, वही, पृ. 291

36 ग्रैन ताम्बे का सिक्का	= 1 Fals or Adl
4 फाल्स	= 1 Billion Jital
48 जीतल	= 1 silver tankah of 172 8 gr
10 टक (चादी)	= 1 Gold tankah
इसी प्रकार	
1 टक (चादी)	= 2,86 4 gr $\frac{3}{4}$ Tankah coins
	= 3, 57 6 gr Four-masha coins
	= 6 double mashas
	= 12 mashas (14.4 gr. silver)
	= 16 three-Jital pieces
	= 24 double Jitals
	= 192 fals
	= 288, 48 gr copper coins
	= 384 half fals

लोदी काल में बहुसोल लोदी ने "बहुसोली" नामक सिक्का चलाया था जो कि शेरशाह के 'दाम' के अनुसार ही टक का 1/40 भाग माना जाता था। मिकन्दर लोदी ने भी ताम्बे का सिक्का डलवाया था जो चादी के सिक्के का 1/20वा भाग होना था। यह अकबर द्वारा चलाये गये दाम का अग्रगामी था। सल्तनत युग के सिक्कों की यह विशेषता रही कि इनका महत्व सांकेतिक न होकर केवल मौद्रिक था। राज्य सर्वेक्ष इसके लिये प्रयत्नशील था कि सिक्कों की शुद्धता तथा भार को बनाये रखा जावे। समस्त सल्तनत युग में अलाउद्दीन खल्जी ही ऐसा शासक था जो सिक्कों में खोट मिलाने की नीति को स्वीकार करता था, अन्यथा सुल्तानों ने सिक्कों में घातु की शुद्धता को बनाये रखा। अलाउद्दीन ने इसी नीति के आधार पर चादी के टक का भार 175 ग्रैन की अपेक्षा 140 ग्रैन रखा।

मुख्य स्रोतों का सर्वेक्षण

प्रसिद्ध इतिहासकार गोथे ने लिखा है कि, “मैं एक ऐसे समय की अनुभूति करना हूँ जब इतिहास आँखों देखी घटनाओं के आधार पर लिखा जावेगा।” सौभाग्य से सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी इस कसौटी पर बड़ी खरी उतरती है, क्योंकि अनेकों लेखक ऐसे थे जिन्होंने या तो आँखों देखी घटनाओं का वर्णन किया अथवा विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त की थी। मुसलमान उब्बकोटि के इतिहासकार थे और हिन्दुओं ने इतिहास-रचना के प्रथम पाठ उन्हीं से सीखे हैं जिसकी पुष्टि अलखरनी के वर्णन से ही जाती है, परन्तु इसके बाद भी उनके सामने एक बड़ी दुविधा थी कि वे एक ऐसे देश के बारे में लिख रहे थे जो उनका अपना नहीं था और फिर एक ऐसी जाति के बारे में विवरण दे रहे थे जो सम्भवतः आचार-विचार, उनकी सम्यता और उनके मापदण्डों के प्रतिकूल पड़ती थी। ऐसी स्थिति में अपनी विषयनिष्ठता (Objectivity) को बनाये रखना उनके लिये कठिन था। अपने एक विशेष दृष्टिकोण को दर्शाने के लिये उन्होंने एक और तो अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण दिया और दूसरी ओर अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर उसमें अस्पष्टता और सन्देह की गुंजाइश छोड़ दी। यदि यहीं तक होता तो भी वे क्षम्य थे, परन्तु उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उपलब्ध सामग्री का किस प्रकार उपयोग किया जावे अथवा सामग्री को क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जावे। परिणामस्वरूप वे इतिहासकार की अपेक्षा वृत्तान्तकार अधिक रहे। उन्होंने घटनाओं के कारणों और प्रभावों के परिणामों में तालमेल बैठाने का कोई प्रयास नहीं किया इसीलिये उनका विवेचन विश्वसनीय नहीं हो पाया। परन्तु इन कमियों के बाद भी हमारे पास सल्तनतकालीन इतिहास को जानने के आधार-भूत स्रोत बहुत ही कम हैं, अतएव हमें जाने-अनजाने में इनकी सहायता लेनी ही पड़ेगी।

मिनहाज-उस-सिराज व तबकात-ए-नासिरी

तबकात-ए-नासिरी में आदम से लेकर नासिरुद्दीन महमूद के राज्यकाल के 1260 ई. तक के इतिहास का उल्लेख मिलता है। उसने इसे सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित की थी। सम्पूर्ण रचना को उसने 23 तबकों (अध्यायों) में बाँटा है

जिनमें अंतिम चार अध्यायों में भारत के इतिहास का विवरण मिलता है। सुल्तान इल्तुतमिश के राज्यकाल से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्यकाल के पंद्रहवें वर्ष तक का हान उसने स्वयं की जानकारी के आधार पर लिखा है। वह देहली के मुख्य मंदिरों का अध्ययन था इसलिये उस राज्य की समस्त घटनाओं की अच्छी जानकारी थी। अतः प्राथमिक काल में वह शाही सेना के साथ था इसलिये उसने उनका बड़ा ही रोचक वर्णन दिया है। खानियर विजय (1231 ई.) के समय उसने ईद गढ़ का मन्नाज़ पढ़ी थी और सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे खिलज़त प्रदान कर उसका सम्मान किया था।

मिनहाज स्वयं अमीर था इसलिये समकालीन अमीरों और मन्तवियों से उसके घनिष्ठ सम्बन्ध था। इसी कारण वह अपनी रचना में मन्तवियों और अमीरों के संगठन तथा स्वरूप का वर्णन कर पाया है। उसने अपने समय की अनेक ऐसी घटनाओं का वर्णन दिया है जो दूसरे स्रोतों में मुश्किल से मिल पाती हैं।

ग्रन्थ का विश्लेषण—मिनहाज की रचना में उत्तरी भारत में मुस्लिम प्राधिपत्य का अच्छा वर्णन मिलता है। यह इसलिये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह एक समकालीन लेखक था। अधिकतर यह सुल्तानों उनके सैनिक अधिकारियों और अमीरों का इतिहास है जिसमें लेखक ने समकालीन समाज की सामाजिक व धार्मिक स्थिति को दर्शाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। इसके साथ ही मिनहाज ने न तो अपने आचार-भूत स्रोतों का ही विवरण दिया है और न ही उसने घटनाओं को काल क्रम के अनुसार ही लिखा है। परन्तु ज्ञान होना ही हम यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अमीरों की तुलना में उसने घटनाओं को अनुसूचित रूप से प्रस्तुत किया है।

उसने घटनाओं का वर्णन एक नहीं अनेक बार किया है। सम्भवतः इसका कारण था कि एक बार तो सुल्तानों का विवरण देते हुए वह अमीरों के योगदान अथवा विरायत का वर्णन करता है और दूसरी बार जब वह अमीरों-सम्बन्धित विवरण लिखता है तो पुनः उन घटनाओं को दोहराता है। इस दोहराने में मिनहाज की विशयता है कि घटनाओं के विवरण में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आता है।

मिनहाज ने घटनाओं का वर्णन पूरातया निष्पक्षता से नहीं किया है। इसमें उसके सामने दो कठिनाइयाँ थीं। प्रथमतः वह काज़ी वगैरे सम्बन्धित था और दूसरे वह तुर्क देश का था। ताजिकों के सत्ता प्राप्त करने पर स्वभाविक रूप से उस कुछ समय के लिये द्वेष देखने पड़े और ऐसी स्थिति में रोष उत्पन्न हो जाना साधारण सी बात थी। तुर्कों के सत्तारूढ़ होने पर वह पुनः अपने सम्मान को प्राप्त कर सका और इसीलिये ताजिकों सम्बन्धी उनका वर्णन पूर्ण विश्वसनीय नहीं हो सका। उसका विश्वास था कि उच्च पदा के दावतार एकमात्र तुर्क हैं।

इसीलिये उसके विवरण में एमादुद्दीन रंहान के प्रति जो विवरण मिलता है वह उसके ताजिक-विरोधी विचारों का प्रमाण है। मिनहाज अपने समय के दूषित वातावरण से ऊपर न उठ पाया, यद्यपि वह अद्वितीय विद्वान था।

मिनहाज ने घटनाओं का विवरण भी बड़ा ही संक्षिप्त दिया है और कहीं-कहीं तो वर्णन इतना संक्षिप्त है कि उससे किसी प्रकार का परिणाम निकालना भी सम्भव नहीं है। इल्तुतमिश के द्वारा राजपूताना में जो कर्ियवाहियाँ की गईं, मिनहाज के वर्णन से उनसे कोई मार नहीं निकाला जा सकता है, यद्यपि वह समकालीन था। हमारे मानने कठिनाई यह है कि कोई ऐसा ग्रन्थ भी नहीं मिल पाता है जिससे उसके द्वारा छोड़े गये रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सके।

मिनहाज ने अपनी रचना में मुईजुद्दीन बहरामशाह के सिंहासनारोहण की बधाई तथा नासिरुद्दीन के गद्दी पर बैठते समय जिन कविताओं की रचना की थी, उन्हें भी इसमें लिख दिया है।

मिनहाज के ग्रन्थ की महत्ता इसलिये बढ़ जाती है कि इस काल के इतिहास को जानने के लिये वह एकमात्र इतिहासकार है। बाद के इतिहासकारों ने उसके ग्रन्थ को आधार मानकर अपने ग्रन्थों में उसको उद्धरित किया है। उसकी विशेषता है कि उसने हसन निजामी की तरह अलंकारिक भाषा का उपयोग नहीं किया है।

अमीर खुसरो

खुसरो का जीवन—दिल्ली सल्तनत के इतिहासकारों में अमीर खुसरो का प्रमुख स्थान है। उसका जन्म 1252 ई. में पटियाली (उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित) में एक तुर्क परिवार में हुआ था। उसका पूरा नाम अबुल हसन यामिन-उद-दीन खुसरो था, परन्तु वह अधिकतर अमीर खुसरो के नाम से ही जाना जाता है। उसका पिता अमीर जंफुद्दीन महमूद सुल्तान इल्तुतमिश व उसके उत्तराधिकारियों के समय में उच्च पदों पर आसीन था। उसकी माता बलबन के एक उच्चाधिकारी की पुत्री थी। अमीर खुसरो को बचपन से ही फारसी में कविता रचने का चाव था। उसने आठ वर्ष की अवस्था में ही अपनी पहली कविता लिख ली थी।

सुल्तान बलबन के राज्यकाल (1266-86 ई.) में वह, उसके पुत्र बुरखाना, जो समाना का इत्तादार था, की सेवा में था। फिर उसके बाद लगभग पांच वर्ष तक वह बलबन के बड़े लड़के मुहम्मद के 'नदीम' के रूप में रहा। अपनी साहित्यिक रुचि के कारण उसे दोनों का ही संरक्षण प्राप्त होता रहा। जब 1284-85 ई. में मुहम्मद मंगोलों के हाथों मारा गया तो उसे भी मंगोलों ने बन्दी बना लिया। किसी तरह से मंगोलों के चंगुल से भाग कर वह बलबन के दरबार में पहुँचा। मुहम्मद की मृत्यु पर उसने बलबन के सम्मुख एक मसनवी पढ़ी। सुल्तान कंकूबाद (1287-89 ई.) के राज्यकाल में वह अमीर हातिमखाँ की सेवा में था। इसी

समय उसने पिता-पुत्र (बुगराखा व कंकूबाद) का मिलन देखा और उस पर एक कविता भी रची ।

कंकूबाद की मृत्यु के बाद वह जलालुद्दीन खल्जी के समय में 'किताबदार' (पुस्तकालय का अध्यक्ष) नियुक्त किया गया । सुल्तान ने उसे हर प्रकार से प्रोत्साहित किया । जियाउद्दीन खल्जी व मुबारकशाह के समय में भी वह सुल्तानों का संरक्षण पाना रहा । गयामुद्दीन तुगलक (1320-25 ई.) के समय में भी उसे राजकीय संरक्षण मिलता रहा । 1325 ई. में अपने गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उसकी भी मृत्यु हो गई और उसे शेख की कब्र के पास ही दफना दिया गया ।

इस प्रकार जियाउद्दीन बरनी के विरोध में उसे भ्राजिवन राजकीय संरक्षण मिलता रहा । दिल्ली के छ सुल्तानों का संरक्षण मिलने तथा ग्रामीरों और शेख निजामुद्दीन औलिया से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण खुसरो को राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने का अच्छा अवसर मिल सका ।

ग्रामीर खुसरो ने बड़ी ही सहायता से अपनी रचनाओं को लिखा है । उसकी रचनाओं के बारे में अनेक मत हैं । समकालीन लेखक बरनी इन बारे में मौन हैं और नफाजत-उल-उन्स के लेखक के अनुसार उनकी रचनाओं की संख्या 99 है । डा. बाह्रिद मिर्जा¹ ने लिखा है कि खुसरो ने एक बार स्वयं अपने छंदों की रचना की संख्या चार हजार से अधिक बताई थी । इन ग्रावणों को स्वीकार करना कठिन है क्योंकि खुसरो की जीवनी लिखने वाले किसी लेखक ने भी इन रचनाओं की सूची को नहीं दिया है । डा. मिर्जा² इस प्रतिशयोक्ति-पूर्ण संख्या को मानने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि खुसरो ने स्वयं अपनी रचनाओं के सम्बन्ध में 'बेट' शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ एक छन्द से लेकर एक काव्य तक हो सकता है । दूसरे उसने अपने बारे में उपर्युक्त कथन अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले कहा था और हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि वह जीवन के अन्त तक लिखता ही रहा और ऐसी स्थिति में किसी दूसरे के द्वारा ही उसकी रचनाओं की संख्या देना अधिक न्यायोचित होता । खुसरो क्योंकि बड़ा ही लोकप्रिय कवि रहा था, यहाँ तक कि गन्दी गलियों में गोली खेलने वाले लडकों को भी उसके नाम की जानकारी थी, इसलिये बड़े आदमियों के साथ साधारण रूप से जो दन्तकथाएँ जोड़ दी जाती हैं वही खुसरो के साथ भी जुड़ गई, जिससे कि उसे महान् से महानतम दर्शाया जा सके । ऐसी अनेक रचनाएँ हैं जिनको खुसरो ने नहीं लिखा परन्तु फिर भी वे खुसरो के नाम के साथ जुड़ गईं जैसे "चार दरवेश" ।

1. बाह्रिद दिर्ज—द एरफ एण्ड बरबं आफ अमीर खुसरो पृ. 142

2 वही

साहित्यिक रचनाएँ—(1) खुसरो ने पाँच 'दीवान' की रचना की। इनमें विभिन्न विषयों पर उसके छन्द हैं। दूसरे दीवान में बलबन, उसके पुत्र मुहम्मद व अन्य अमीरों से सम्बन्धित छन्द हैं और अन्तिम दीवान में उसके जीवन के अन्तिम वर्षों में लिखे गये छन्द मिलते हैं—(2) (अ) लम्सा, मतल-उल-अनवार (1298-99 ई.), (ब) शिरीं व खुसरां, (स) मजनु-लैला (1299-1300 ई.), (द) ऐन-ए-सिकन्दरी (1299-130 ई.), (य) हरत-वहिप्त (1301-02 ई.), (3) एजाज खुशरवी (1283-1320 ई.) व (4) अफजालुल फवाइद।

ऐतिहासिक रचनाएँ—किरानुस्सादेन की रचना 1289 ई. में की गई। इसमें उसने बुगराखां व उसके पुत्र कंकूबाद के स्मरणीय मिलन का वर्णन किया है। बुगराखां और कंकूबाद के चरित्र की भाँकियों के अतिरिक्त इसमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन भी मिलता है। सुल्तान कंकूबाद के समय में अमीरों द्वारा शक्ति हथियाने तथा अमीरों और राज्य के पदाधिकारियों के पारस्परिक व्यवहार का बड़ा ही विस्तृत वर्णन उसने इस ग्रन्थ में किया है।

मिफताहुल फुतूह की रचना 1291 ई. में की गई। इसमें उसने सुल्तान जलालुद्दीन खल्जी के राज्याभिषेक के प्रथम वर्ग की विजयों का वर्णन किया है। मलिक छज्जू के विद्रोह और भायन की विजय के सम्बन्ध में भी इससे जानकारी मिलती है।

आशिका ग्रथवा देवलरानी-खिज्रखां की रचना 1316 ई. में की गई। इसमें गुजरात के राजा करन की पुत्री देवल देवी व अलाउद्दीन के बड़े लड़के खिज्रखां के प्रेम की कथा का उल्लेख है। खिज्रखां के साथ अलपखां की पुत्री के विवाह के वर्णन में खुसरो ने उस समय की वैवाहिक-विधि, प्रथाओं का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। इसमें उसने उस समय के खेल-प्रमाशों, नाच-गातों, बरात के जलूस तथा अन्य दूसरी रस्मों का भी बड़ा ही सजीव विवरण दिया है। उच्च-वर्ग की सामाजिक मान्यताओं की जानकारी के लिये यह रचना अत्यन्त सहायक है। कन्या-जन्म के अवसर पर स्वयं अमीर खुसरो कितना अधिक खिन्न था, इसकी जानकारी इससे मिल पाती है। गयासुद्दीन तुगलक के समय में उसने इसमें कुछ और छन्द जोड़ दिये जिनमें खिज्रखां की हत्या, मलिक काफूर की नृशंसता और भारत की सुन्दरताओं का वर्णन है।

नूह सिपेहर की रचना 1318 ई. में की गई। इसके नौ भागों में 4,509 छन्द हैं। क्योंकि यह रचना नौ भागों में विभाजित है इसीलिये खुसरो ने इसका नाम नूह सिपेहर रक्खा। पहले दो भागों में सुल्तान मुबारक शाह (1316-20 ई.) की विजयों और उसके द्वारा निर्मित भवनों का वर्णन है। तीसरे भाग में भारत के गौरव और वैभव की प्रशंसा की है तथा यहाँ की जलवायु, पशु-पक्षी, फल-फूल और

भाषामो का बड़ा ही सजीव वर्णन दिया है। चौथे भाग में शासक, धर्म और वंश के लिये कुछ दृष्टान्त हैं। पाचवें भाग में शाही शिकार और भारत की गीत श्रुति का वर्णन है। छठे व सातवें भाग में सुल्तान मुबारक शाह के पुत्र उत्पन्न होने तथा नौरोज के उत्सव का वर्णन है। आठवें भाग में चौगान के खेल तथा नवें में समकालीन कवियों और उनकी रचनाओं का वर्णन मिलता है।

शजाइनुलफ़तूह की रचना 1311-12 ई. में की गई। डॉ. रिजवी¹ का यह मत है कि उसने यह में अपनी योग्यता बनाने के लिये ही इसकी रचना की थी, क्योंकि इसके प्रतिरिक्त सभी रचनाएँ पद्य में हैं। उसे यह शय सुल्तान अलाउद्दीन को प्रस्तुत करना था, इसलिए वह खुलकर अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाया है। मलिक काफूर से अपसन्न होने पर भी वह इसमें उसकी प्रशंसा करता है।

सुल्तान अलाउद्दीन के सुधारों का वर्णन उसने इस प्रकार किया है कि बरनी के विवरण को कई जगहों पर इसमें प्रामाणिकता प्राप्त हो जाती है। खुरो ने कुतलुग खाजा, मल्दी तथा तरगी के आक्रमणों का वर्णन नहीं किया है, सम्भवतः इसलिये कि सुल्तान अलाउद्दीन को इसमें बड़े सक्तों का सामना करना पड़ा था। परन्तु जब वह अलाउद्दीन की उत्तरी भारत की विजयों का वर्णन लिखता है तो वह किनो पर पहुँचने की तारीखा, आक्रमण के ढंगों, किले वालों के प्रतिरक्षण तथा शाही सेना के उत्साह आदि का मार्मिक विवरण देता है। इसी तरह में दक्षिण के अभियानों के बारे में भी वह साधारण स्थानों के नाम, आक्रमण और विजय का उल्लेख, विजय-प्राप्ति की तारीखों और सूट के माल का विषय विवरण देता है। युद्ध-वर्णन में उसने घटनाओं का उल्लेख बड़े ही निष्पक्ष भाव से किया है और ऐसा अनुभव होने लगता है जैसे वह स्वयं युद्ध कला में निपुण था।

तुगलकनामा उसकी अन्तिम मनसूबी है। इसे उसने अपने अन्तिम वर्षों में लिखा था। खुरोला पर गयासुद्दीन तुगलक की विजय का वर्णन इसमें मिलता है। मनसूबी के आरम्भ में सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारकशाह स्वल्जी की विलासप्रियता, खुरोला की पदोन्नति और उनका अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात का उल्लेख मिलता है।

धर्म और खुरो ने इसमें सरल भाषा में अधिकांश से अधिकांश ऐतिहासिक तथ्यों की देने का प्रयत्न किया है। इसी से यह जानकारी मिलती है कि खुरो की पराजय सयोग-वश ही हुई अन्यथा गाजी मलिक (गयासुद्दीन तुगलक) पूर्णतया पराजित हो गया था। गाजी मलिक की विजय के बाद खुरो ने बड़ा-बड़ा कर उसकी प्रशंसा की है।² यह सम्भवतः यह मूल बात है कि खुरोला की पराजय उसके साथ किये गये विश्वासघात और कुशल सेना-नायकों की कमी के कारण हुई थी। उनमें खुरोला की अज्ञानियों को छिपाकर उस पर अनेक प्रकार के आरोप लगाये हैं।

1. ए. ए. रिजवी—वर्तमानकालीन भारत, दो खण्ड।

उसकी रचनाओं में कमियों के वाद भी उनका ऐतिहासिक महत्त्व कम नहीं है क्योंकि वह समकालीन दरबारी था जिसे हम अलाई राज्य का शाही इतिहासकार भी कह सकते हैं।

इतिहासकार के रूप में खुसरो—अमीर खुसरो ने पांच दीवान, चार ऐतिहासिक मनसबों और दो गद्य में रचनाएं लिखीं परन्तु इसके वाद भी उसके इतिहासकार होने में कुछ संदेह है। इसका प्रमुख कारण है कि आधुनिक युग की इतिहास की मान्यताएं मध्यकालीन मान्यताओं से बिल्कुल भिन्न हैं। मध्यकाल में इतिहास-लेखन की एक विशेष शैली थी जिसमें वाक्पटुता और पद्य का अपना स्थान था। घटनाओं का एक शुष्क रूप में वर्णन करना मध्यकालीन इतिहास-लेखन की अन्य विशेषता थी। आधुनिक युग में इतिहास ने एक व्यापक रूप ले लिया है। कुछ लोग आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को अधिक महत्त्व देते हैं तो दूसरे राज्य और राजनीति अथवा सरकार और शासन को इतिहास का महत्त्वपूर्ण अंग मानते हैं, परन्तु ये सभी यह स्वीकार करते हैं कि इतिहासकार के लिये कारण और परिणामों को दर्शाना अत्यधिक आवश्यक है। इतिहासकार को यह दृढ़ निकालना है कि किसी विशेष घटना के लिये कौन-कौन से तत्व उत्तरदायी थे। बकील की तरह उसका काम किसी तथ्य को सही अथवा गलत साबित करना नहीं है, अपितु उसे एक न्यायाधीश और जुरी की तरह कार्य करते हुए सम्पूर्ण स्थिति का समस्त प्राप्य सामग्री के आधार पर निरूपण करना है।

इस कसौटी पर खुसरो को यदि कया जावे तो पीटर हार्डी¹ के अनुसार उसने कविता की रचना अवश्य की है, इतिहास की नहीं। उनके अनुसार इतिहासकार का काम भूत का पुनर्निर्माण है जिससे वर्तमान और भविष्य को समझना सरल हो सके। परन्तु अमीर खुसरो के लिये भूत का महत्त्व नगण्य था और यदि उसने भूत को चित्रित किया भी तो केवल इनाम-इकराम प्राप्त करने अथवा सुल्तानों को प्रसन्न करने के लिये ही किया है। उसकी समस्त ऐतिहासिक रचनाओं में कोई क्रम-बद्धता नहीं मिलती है। उसमें वाक्पटुता, अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण, कवि-कल्पना और बनावटी कुशाग्रता ही अधिक है। इतिहासकार व्यक्तियों की अपेक्षा समूह से अधिक सम्बद्ध है, और उसके लिये ईश्वर-प्रदत्त कारण कोई महत्त्व नहीं रखते हैं। प्रो. हार्डी के इन विचारों का विरोध डा. सैयद हमान असकरी ने किया है और उन्होंने खुसरो को एक इतिहासकार दमाने का प्रयास किया है। हमें इन विरोधी विचारों को आंकना आवश्यक है।

डा. असकरी यह स्वीकार करते हैं कि इन विचारों की उपयुक्तता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, यदि हम 13 वीं शताब्दी के वातावरण को मूल

1. पी. हार्डी—हिस्टोरियन्स ऑफ मेडिवाल इंडिया, पृ. 43

जावें जिसमें खुसरो रहा था। उसका मूल्यांकन मुख्यरूप में एक साहित्यकार के रूप में किया गया है और निश्चित ही वह इस क्षेत्र में अद्वितीय था, परन्तु उसके बाद भी आधुनिक मापदण्डों के आधार पर यह मान लेना कि उसमें ऐतिहासिक महत्व की कोई सामग्री नहीं है उचित नहीं होगा। अपनी स्थिति और राजकीय क्षेत्रों में सम्बन्धों के कारण उसे अनेक घटनाओं को स्वयं देखने व सुनने का अवसर प्राप्त था। परन्तु इतिहास न तो उसकी पहली रुचि थी और न ही उसने कहीं इतिहासकार होने का दावा ही किया है। धर्म, कला और साहित्य के प्रति उसका लगाव अत्यधिक था और उसने कभी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया है तो केवल अपनी रचनाओं को सुल्तानों को प्रस्तुत करने को किया है, अथवा दूसरे के पुस्तकों पर किन्हीं घटनाओं का उल्लेख कर दिया है। इसीलिये उसने घटनाओं का चयन मनमाने ढंग से किया है और क्योंकि वह उस समय की राजनीति में स्वयं को फसाना नहीं चाहता था इसलिये वह विवादग्रस्त घटनाओं से दूर ही रहा है। हमें तो यह भी अनुभव होता है कि घटनाओं को चुनने की स्वतन्त्रता भी उसे नहीं थी। इसीलिये उसने अलाउद्दीन राल्जी व उसके उत्तराधिकारी की अत्यधिक प्रशंसा की है और अलाउद्दीन द्वारा जलालुद्दीन के बंध की घटना अथवा कुतलुग ख्वाजा और तार्गी द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन को दिये गये कष्टों को छिपाया है। सम्भवतः वह मनुष्य मात्र में केवल गुणों की ही देखता था और यह भूल गया था कि मनुष्य गुण व भवगुण का सम्मिलित रूप है। डा. अस्फरी¹ का कहना है कि हम खुसरो का समस्त घटनाओं का सही रूप में निरूपण न करने के लिए माफ तो नहीं कर सकते, परन्तु उसकी परिस्थितियों को देखते हुए हम उस पर जान-बूझकर घटनाओं को तोड़ने-मरोड़ने का आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। उसने शूशरव खा और गाजी मलिक (गयासुद्दीन तुगलक) के बीच हुए युद्ध का जो वर्णन किया है उससे उसकी सत्यता और निष्पक्षता आती जा सकती है। गाजी मलिक की खिन्नता का जो वर्णन (शूशरवखा के युद्ध के समय) उसने दिया है वह बरनी में भी नहीं मिलता है। बरनी ने यद्यपि कुतुबुद्दीन मुबारकशाह खल्जी के चरित्र को बड़े ही नग्न रूप में प्रस्तुत किया है परन्तु अमीर खुसरो ने यही ही शांलीनता से यह कहकर कि सुरा और सुन्दरी में लिप्त शासक राज्य करने के योग्य नहीं है, सम्भवतः उसके चरित्र के सम्बन्ध में सब कुछ ही कह दिया है। ऐसे चरित्र-चित्रण को हम दुच्छ अथवा रूढ़िवादी नहीं कह सकते हैं।

इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो की रचनाओं में ऐतिहासिक सामग्री है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्वयं बरनी भी अनेक स्थानों पर उसे उद्धृत करता है। बरनी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बहुत कम जानकारी देता

है, परन्तु खुसरो की रचनाओं में यह अत्यधिक है। इसी प्रकार अलाउद्दीन द्वारा रसखम्भौर पर आक्रमण का वर्णन भी खुसरो ने खुल कर किया है।

अमीर खुसरो पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उसके द्वारा दिया गया भौगोलिक अथवा स्थान-वर्णन उपयोगी नहीं है। खुसरो ने दिल्ली की मस्जिदों व मीनारों, हीज-ए-गम्सी, गहर-ए-नू, रोजा-ए-बाग तथा दिल्ली की किलेबन्दी का जो वर्णन दिया है वह निश्चित ही इस आरोप का खंडन करता है। दिल्ली से अवध, दीपालपुर से दिल्ली के अभियानों में उसने जो सेना के विभिन्न स्थानों पर डेरा डालने का विवरण दिया है वह उपयोगी है। अलाउद्दीन के उत्तरी और दक्षिण भारत के अभियानों में उसने तिथियाँ और अनेक स्थानों के नाम दिये हैं परन्तु फिर भी वे इतिहासकार के मापदण्ड पर सरे नहीं उतरते हैं। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसके द्वारा दिये गये अनेक स्थलों के नाम बदल चुके हैं और उनको आज पहचानना कठिन है।

इसी तरह से यह मान लेना कि उसके विवरण में सामाजिक व आर्थिक स्थितियों का वर्णन नहीं मिलता है ज्यादा उचित नहीं होगा। खुसरो ने दरवारी साज-सज्जा, अमीरों के विलास-प्रिय जीवन व यहाँ की सामाजिक मान्यताओं का विशद वर्णन किया है। लिख खाँ के साथ अलप खाँ की पुत्री के विवाह के वर्णन में खुसरो ने उस समय की वैवाहिक-विधि आदि का विस्तार से वर्णन दिया है। नगर-वासियों के उत्साह, बाजों, खेल-तमाशों, नाच-गानों, बरात के जलूस, निकाह, विदा व उससे सम्बन्धित अन्य रस्में आदि का उसने बड़ा ही सजीव वर्णन दिया है।¹ वह यहाँ के विज्ञान, धर्म व भाषाओं के बारे में भी समुचित जानकारी देता है तथा जलवायु, पशु-पक्षी, फल-फूल आदि के बारे में उसके ग्रन्थ में कम जानकारी नहीं है।² वह भारत को स्वर्ग समान मानता है और इस सम्बन्ध में सात तक देता है। इन स्थितियों का वर्णन करने में खुसरो की यह नलत धारणा रही कि समाज केवल उच्च व अमीर-वर्ग से ही बना है और इसलिये उसने निम्न वर्ग के बारे में जानकारी नहीं दी, जो जरूरी थी।

खुसरो ने अनेक घटनाओं का कारण ईश्वरीय इच्छा बताई है। सम्भवतः इसका कारण था कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का भक्त था और स्पष्ट बात कहने की अपेक्षा उसे वह ईश्वरीय-इच्छा का रूप दे देता था। इसके अतिरिक्त 13 वीं शताब्दी में इस प्रकार से लिखना बड़ी ही साधारण बात थी। खुसरो की इस प्रवृत्ति को आज के इतिहासकार के आस्तिक अथवा नास्तिक दृष्टिकोण के आधार पर ही आंका जा सकता है। मार्क्सवाद और

1. सैयद. ए. ए. रिजवी, छलजी कालीन भारत (ममीशा)

2. वाहिद मिर्जा—द लाइफ एण्ड वयर्स ऑफ अमीर खुसरो, पृ.181-89

भौतिकवाद के इस युग में हम खुसरो के विचारों से सहमत होने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इसीलिये पश्चिम के इतिहासकारों के लिये यह बात गले उतरना सम्भव नहीं है। भारत में भी हम आज अपनी मजबूरियों और शक्तिहीनता को ईश्वरीय-इच्छा का जामा पहना देते हैं। खुसरो का यह तर्क हमारे लिए भी मानना कठिन है।

इन सब के बाद भी खुसरो में अग्न्य समकालीन इतिहासकारों की तरह गुण व भ्रवगुण थे। यह ठीक है कि उसकी भाषा बनावटी थी, उसकी शैली अधिक स्पष्ट नहीं थी अथवा उसने कई ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं किया है जिनकी उसे जानकारी थी तथा सुतानों के दुर्गुणों को छिपाने का प्रयास किया है, परन्तु फिर भी उसमें 13 वीं शताब्दी के इतिहास-लेखन के तत्व तो थे। आज के इतिहास-लेखन के मापदण्ड पर उसका मूल्यांकन करना उसके प्रति अन्याय होगा। वह कवि क माय ही इतिहासकार भी था।¹

जियाउद्दीन बरनी

बरनी का जीवन—मौलाना बरनी का जन्म 1286 ई में सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के काल में हुआ था। ननिहाल की ओर से वह कंयल के संव्यदों से सम्बन्धित था। उसका नाना सिपहसालार हुसामुद्दीन बलबन का बड़ा विश्वास-पात्र था। उसका पिता मुइजुन मुल्क कंयल के प्रसिद्ध परिवार संयद जलालुद्दीन कंयली का ध्योता था। संयद परिवार न केवल एक अत्यन्त सम्पन्न अथिबु प्रनिष्ठा-प्राप्त परिवार था जो अपनी विद्वता व सज्जनता के लिये प्रसिद्ध था। बरनी की बुद्धिजीवी प्रवृत्तियां उसे इसी परिवार से विरासत में मिली थीं। बरनी का पिता मुइजुन मुल्क जलालुद्दीन खल्जी के राज्यकाल में अरकली खा का 'नायब' था। अलाउद्दीन के राज्यकाल में भी उसने अपनी उच्च स्थिति को बनाये रखा तथा वह उम समय का एक शक्तिशाली अधिकारी बना रहा। अमीर, मलिक व उच्च पदाधिकारी सर्व ही उसके हाते रहते थे। बरनी का चाचा अलाउलमुल्क, अलाउद्दीन का विश्वासपात्र था। देवगिरी की विजय पर जाते समय उसने अलाउलमुल्क को कडा के अपने इत्ता का नायब नियुक्त किया था। सुल्तान बनने पर उसने उसे कडा और अवध का सूबेदार नियुक्त किया था, परन्तु क्योंकि वह अधिक धृष्ट व कमजोर था, इसलिए उसे वहा से बुलबुलर दिल्ली का कोतवाल बना दिया था। मगोलों का विरोध करने के लिये जब अलाउद्दीन ने सीरी में डेरे लगाये तो उसने दिल्ली का शासन अलाउलमुल्क के हाथों में छोड़ दिया था। अलाउद्दीन समय-समय पर अपने कोतवाल से विभिन्न विषयों पर सलाह लिया करता था। इस प्रकार बरनी के पूर्ववत् खलिजों के समय में ऊँचे-ऊँचे पदों पर आसीन थे और बरनी का सोभाग्य था कि

1. संयद हसन अयबरी—वही, पृ. 34-35

वह एक ऐसे सम्मानित और सम्पन्न वंश से सम्बन्धित था। वरनी के पूर्वज क्योंकि बारां (बुलन्द शहर) के थे इसलिये उसका उपनाम (Surname) वरनी पड़ गया।

वरनी ने अपनी आरम्भिक शिक्षा दिल्ली में प्राप्त की। मंगोलों के भय के कारण एशिया के विद्वान, सूफी सन्त आदि ने क्योंकि दिल्ली में शरण ले ली थी इसलिये वरनी को इनकी संगति का लाभ मिल सका। अमीर खुसरो उसका मित्र या और जेख निजामुद्दीन औलिया का वह भक्त था। अन्य समकालीन विद्वानों और कलाकारों से भी वह भली प्रकार परिचित था।

वरनी ने खल्जियों के समय में सत्ता और शक्ति का उपभोग किया। मुहम्मद तुगलक के समय में वह लगभग 17 वर्ष व 3 माह तक 'नदीम' के पद पर रहा।¹ सुल्तान उससे प्रसन्न था और उसकी विद्वता तथा इतिहास में माहिती के कारण उससे सलाह लिया करता था।² सुल्तान ने समय-समय पर वरनी को न केवल सम्मानित किया अपितु उसे धन भी दिया। स्वयं वरनी लिखता है कि, "सुल्तान (मुहम्मद तुगलक) ने मुझे आश्रय प्रदान किया, वह मेरा पोषक है, उसके द्वारा जो इनाम-इकराम मुझे प्राप्त हो चुके हैं, इतने न इससे पूर्व मैंने देखे और न इसके उपरान्त स्वप्न में भी देखूंगा।" सुल्तान ने विद्वानों, सूफियों और आलिमों से सम्पर्क स्थापित करने में उसकी सेवाओं का लाभ उठाया। वरनी के प्रभुत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य के अमीर और अधिकारी सुल्तान को उसके द्वारा ही अपने प्रायःना-पत्र प्रेषित किया करते थे। फीरोजशाह, मलिक कबीर और अहमद ब्रयाज ने देवगिरि की विजय की बधाई उसी के द्वारा सुल्तान को भेजी थी।

अपने अन्तिम दिनों में वरनी दिल्ली के निकट ग्वासपुर में रहने लगा। सुल्तान फीरोजशाह तुगलक का विश्वास उसने खो दिया और स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि सुल्तान ने उसे 1353 ई. में कुछ दिनों के लिये बन्दीशुह में डाल दिया। सुल्तान से उसे न तो कोई सम्मान ही मिला और न ही सम्पदा। जीवन की संघ्या में उसने मात्र अपनी स्मृति के आधार पर 'तारीख-ए-फीरोजशाही' की रचना की जिससे कि वह फीरोज का विश्वास जीत सके और उसे ही वह अर्पित भी की, परन्तु वरनी अपने उद्देश्य की प्राप्ति में पूरी तरह असफल रहा। अपने जीवन के 73 वर्षों में उसने खट्टे-मीठे का पूरी तरह रस लिया और अन्त में 1359 ई. में अत्यन्त दरिद्र अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। स्थिति इतनी खराब थी कि उसके अन्तिम संस्कार के लिये एक चटाई से अधिक नहीं जुटा पाया गया। निजामुद्दीन औलिया के कब्रिस्तान में उसे उसके पिता की कब्र के पंगायत दफना दिया गया।

1. मोहियुल हसन—हिस्टोरियन्ट आफ मेडिवल इण्डिया, पृ. 39

2. वही

बरनी की रचनाओं में उनकी इस घोर दरिद्रता तथा नैराश्रय और हार की स्पष्ट झलक है।

बरनी का चरित्र—बरनी लगभग 73 वर्ष तक जीवित रहा और अपनी विद्रता के कारण स्याति पा सका। अपने इसी अद्वितीय गुण के कारण वह अमीर खुसरो और अमीर हुसैन से निकटता के सम्बन्ध बना सका। इन कवियों और सूफियों की सगति के बाद भी वह अपनी धार्मिक कट्टरता से मुक्त न हो सका। उसका विचार था कि सुन्नियों के अतिरिक्त किसी दूसरे समुदाय को सम्मानित जीवन बिताने का अधिकार नहीं है। वह हिन्दू-विरोधी था और इसीलिये उनमें अपनी रचनाओं में हिन्दू-विरोधी नीतियों का जमकर आह्वान किया है, यद्यपि अपने विचारों को मुल्तानों के माध्यम से रक्खा है। अलाउद्दीन खल्जी व काजी मुगमुद्दीन के बीच वार्तालाप बरनी के अपने मस्तिष्क की उपज है जो उसके गोचने-समझने के ढंग को प्रमाणित करता है।

बरनी की रचनायें—फतवा-ए-जहादारी और तारीख-ए-बरमकिया के अतिरिक्त बरनी ने छ जिल्द और लिथी हैं। उसकी रचनायें इस प्रकार हैं—

सन्-ए-मोहम्मदी, सलात-ए-कबीर, इनायतनाम -ए-इलाही, मासिर-ए-सादन, तारीख-ए-फीरोजशाही व हमरत नामा।

सनान-ए-कबीर, इनायतनामा-ए-इलाही व मासिर-ए-सादन अभी तक नहीं मिल पाये हैं, परन्तु इसके बाद भी तारीख-ए-फीरोजशाही व फतवा-ए-जहादारी उसके प्रमुख ग्रन्थ हैं।

तारीख-ए-फीरोजशाही की रचना उसने अपने जीवन की सध्या में की (1358 ई) जबकि वह बाने-बाने की मोहनाज था। फीरोज के आश्रय को प्राप्त करने के लिये ही उसने इसे उसे समर्पित की परन्तु दुर्भाग्य ने उसका माय न छोड़ा और दरवार तथा अमीरों के पङ्कतियों के कारण वह व्यक्तिगत रूप में मुल्तान को अपनी ये रचना प्रस्तुत न कर सका।

तारीख-ए-फीरोजशाही—बलवन के शासन काल से प्रारम्भ होकर यह मुल्तान फीरोजशाह तुगलक के प्रथम छ वर्षों का विवरण देती है। बरनी ने अपने इस ग्रन्थ में 'तबक़ात-ए-नासिरी' में दिये गये विवरण की और कोई ध्यान नहीं दिया है। बलवन और अलाउद्दीन खल्जी के समय की घटनाओं का उसने विस्तार से वर्णन किया है। बलवन के विषय में उसने अपने नाना, सिपहसालार हुसामुद्दीन से काफी कुछ सुना था और वह स्वीकार करता है कि ये समस्त विवरण उसी पर आधारित हैं। मुल्तान कंकूबाद का वृत्तान्त उसे अपने पिता और शिक्षकों में सुना था और बरनी को ये स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं है। मुल्तान जलालुद्दीन खल्जी से लेकर फीरोज के प्रथम छ वर्षों का विवरण उसने स्वयं देखी हुई घटनाओं के प्राधार पर लिखा है। यह बात बिलकुल भ्रमलग है कि इन घटनाओं

और नीतियों को बरनी की अपनी मान्यताओं ने बुरी तरह रंग दिया। उसने 1358 ई. में इसे लिखी थी।

'तारीख-ए-फीरोजशाही' के सम्बन्ध में बरनी स्वयं लिखता है कि, "यह एक ठोस रचना है जिसमें अनेको गुण सम्मिलित हैं। जो इसे इतिहास समझ कर ही पढ़ेंगे, उनको इसमें राजाओं और मलिकों का वर्णन मिलेगा। यदि पाठक इसमें प्रशासन के नियम और आज्ञापालन कराने के साधन टटोलेंगे तो इनका भी इसमें अभाव नहीं है। यदि पाठक यह देखना चाहें कि सुल्तानों और प्रशासकों के लिये इसमें क्या चेतावनी है, तो वे भी जितनी पूर्ण रूप में इसमें मिलेंगी अन्यत्र नहीं मिलेंगी। और क्योंकि मैंने जो कुछ लिखा है वह सही और सच्चा है इसलिये यह इतिहास विश्वास-योग्य है। इसके साथ ही मैंने बहुत ही कम शब्दों में अत्यधिक अर्थ भर दिया है इसलिये मेरा यह उदाहरण अनुकरणीय है।"¹

'तारीख-ए-फीरोजशाही' के सम्बन्ध में बरनी के इन विचारों को बगैर जिरह के स्वीकार करना सम्भव नहीं है और इसी के बाद उसके ग्रन्थ की निष्पक्ष रूप से उपयोगिता को आंका जा सकता है। हमें यह जानना पड़ेगा कि बरनी के इतिहास के बारे में क्या मान्यताएँ थीं, उसने सामग्री को किस प्रकार जुटाया, उसे किस प्रकार से आंका और फिर उसकी किस प्रकार से व्याख्या की? उसके विचारों में कौन-कौन से व्यक्तिनिष्ठ तत्व थे और उन्होंने उसके सामग्री-संकलन, चुनाव और व्याख्या को किस प्रकार किस हद तक प्रभावित किया? इन्हीं आधारों पर बरनी के ग्रन्थ की उपयोगिता निश्चित की जा सकेगी।

इतिहास के विषय में उसके विचार व उससे होने वाले सम्भावित लाभ तारीख-ए-फीरोजशाही की भूमिका में विस्तार से मिलते हैं। मध्यकालीन उलेमा-धर्म की तरह उसने प्रत्येक ज्ञान-विज्ञान का एकमात्र स्रोत पवित्र कुरान को माना है। मुसलमानों में इतिहास के प्रति जागरूकता भी वह कुरान की देन ही मानता है जिसमें, मनुष्य-आद्य को उन घटनाओं और सम्यताओं से सीखने की ओर इशारा किया गया है जो किसी समय समस्त संसार पर हावी थीं। बरनी के विचारों के इस आधार को ढूँढ निकालना कठिन नहीं है क्योंकि मध्यकालीन शिक्षा-पद्धति धर्म-पेक्षित थी और फिर बरनी उलेमा-धर्म से ही सम्बन्धित था और इसीलिये उसे मौलाना जियाउद्दीन बरनी की संज्ञा से सम्बोधित किया जाना था, जो स्पष्टतः उसके धार्मिक झुकाव को बताती है।

बरनी इतिहास को मानव-व्यतिथियों की एक चित्रावली (दृश्यपटल) मानता है जो अनेक कठिनाइयों और जिन्दगी के सफर में उसे की हुई गलतियों से आगाह करता है। राज्यों के उत्थान और पतन के कारण सावधानी से इसका अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाते हैं। मानवीय व्यवहार को समझने में यह, वह

मूकमदृष्टि देता है जिससे अच्छे और बुरे, शत्रु व मित्र में भेद किया जा सके। यह मनुष्य को यथार्थवादी बनाता है क्योंकि वह पुराने अनुभवों से कुछ सीखता है। बरनी के अनुसार एक साधारण मनुष्य भी जब यह जान लेता है कि पंगम्बरों और देव-दूतों को भी किस प्रकार की यातनायें सहन करनी पड़ी तो स्वाभाविक रूप में उसमें सहनशीलता की शक्ति बढ़ जाती है। परन्तु दुर्भाग्य यह था कि ये सब जानते हुये भी बरनी अपने दुर्दिनों से इस आघार पर स्वयं को सन्तुष्ट नहीं कर पाया।

इसके अतिरिक्त बरनी के इतिहास-लेखन के दो और मूल आघार हैं। प्रथमतः उसके अनुसार इतिहास की आधारशिला एकमात्र सत्यता है। एक इतिहासकार को अपने कथन में सच्चा अथवा यथातथ्य होना चाहिये तथा मिथ्या-वर्णन, अनिश्चयोक्तिपूर्ण वर्णन व चाटुकारिता से दूर रहना चाहिये। गलत-कथन इतिहासकार की छवि का कलंकित करते हैं तथा उसकी रचना की महत्ता को घटाते हैं। इसके अतिरिक्त वह दूसरी दुनियाँ में स्वर्ग (जन्नत) का अधिकारी नहीं रह जाता है। इस आघार पर प्रो० निजामी¹ की धारणा है कि बरनी की लेखनी व्यावहारिक और धार्मिक सोच-विचार में बड़ी हुई है। इस व्यावहारिकता का विवरण बरनी के शब्दों में ही देना अधिक उचित होगा। उसने लिखा है कि, "इतिहास की रचना करते समय सबसे बड़ी शर्त जो इतिहासकार के लिये उसकी धर्मनिष्ठता की दृष्टि से आवश्यक है, वह यह कि बादशाहों की प्रतिष्ठा, गुणों, उत्तम बातों आदि का उल्लेख करे। जैसे यह भी चाहिये कि उनकी बुरी बातों और अनाचार को न छिपाए, इतिहास को लिखते समय पक्षपात न करे। यदि उचित समझे तो स्पष्ट अर्थवा सकेत या इशारे से बुद्धिमानों और ज्ञानवान् व्यक्तियों को मचेत कर दे। यदि भय के कारण अपने समकालीन बादशाह के विरुद्ध कुछ लिखना सम्भव न हो तो इसके लिये वह अपने आप को विवश समझ सकता है, किन्तु पिछले लोगों के विषय में उसे सच-सच लिखना चाहिये। * * * * वह किसी की अच्छाई या बुराई सत्य के विपरीत न लिखे।"

डा० रिजवी यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बरनी ने तारोख-ए-फीरोज़ शाही में इस नियम के पालन करने का प्रयत्न किया है परन्तु कुछ ही पक्तियों के बाद वे स्वयं लिखते हैं² कि, "लोगों के गुणों की प्रशंसा और दोषों का उल्लेख करते समय वह इनका उल्थाहित हो जाता है कि अपने ही निर्धारित किए हुए नियमों की उपेक्षा करने लगना है।" डा रिजवी मनोविज्ञान के साधारण नियम में कुछ अपरिचित लगने हैं जिनके अनुसार मनुष्य का मूल्यांकन केवल प्रसाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है—अति हर्ष अथवा अति-दुःख। साधारण परिस्थितियों में मनुष्य के गुण अथवा दुर्गुण अपनी प्राकृतिक स्थिति से मुक्त नहीं हो

1 के ए निजामी, त्रियाददीन बरनी (हिस्टारियन्स ऑफ मेडियल इण्डिया), पृ. 37

2 एच ए रिजवी, तुगलकवालीन भारत, भाग 1, पृ 5 (समीक्षा)

3. बही

पाते हैं, इसलिये साधारण परिस्थितियों में मनुष्य, मात्र मनुष्य है. इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। दूसरी ओर व्यावहारिकता और सत्य एक दूसरे के पूरक न होकर परस्पर विरोधी हैं। इलियट एण्ड डाउसन की टिप्पणी को यहां देना अधिक उचित होगा। उन्होंने लिखा है कि, "बरनी अपने समकालीन शासकों के आदेश से और उनके सामने लिखा करता था, इसलिये वह ईमानदार इतिहासकार नहीं है। बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं बिल्कुल छोड़ दी गई हैं या उनको साधारण मानकर थोड़ा सा स्पर्श किया है। अलाउद्दीन के राज्यकाल में मुगलों के कई आक्रमण हुये, परन्तु उसने उनका उल्लेख नहीं किया है। मुहम्मद तुगलक ने भीपण हत्या और बेईमानी से राज्य प्राप्त किया था परन्तु इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है।.....बरनी ने इतिहास में सुल्तान की स्तुति सी की है।"

(प्रो. निजामी के अनुसार बरनी का दूसरा मूलभूत विचार यह है कि वह इतिहास तथा 'इल्म-ए-हदीस' को जुड़वां मानता है। बरनी ने जिस प्रकार 'इल्म-ए-तदारिख' व 'इल्म-ए-हदीस' के बीच अभिन्नता बताई है, उससे डा. हार्डी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बरनी की इतिहास की पकड़ धर्मविज्ञान (Theology) से बंध गई है। प्रो. निजामी इसे स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि बरनी ने जो हदीस और इतिहास में अभिन्नता बताई है वह हदीस के धर्मविज्ञान का अंग न होकर 'उसूल-ए-असनद' से सम्बन्धित है जो आधुनिक इतिहास-लेखन की एक आवश्यक मांग अथवा अपेक्षा है। इसके अनुसार प्रत्येक घटना को उसके कर्ता अथवा दृष्टा के आधार पर ही देखना चाहिये और फिर घटना को कर्ता अथवा दृष्टा के चरित्र, परिस्थिति के आधार पर ही आंकना चाहिये। हदीस का यह मूल आधार है और इसीलिये बरनी ने हदीस व इतिहास में अभिन्नता बताई है। सिद्धान्तिक आधार पर प्रो. निजामी की बात मान्य है परन्तु जब बरनी हिन्दुओं की राज्य में स्थिति अथवा जजिये के सम्बन्ध में बात करता है तो वह इस सिद्धान्त को ताक में रख देता है।

केवल इन दो आधारों पर बरनी की तारीख-ए-फीरोजशाही को आंकना तथा उनसे परिणाम निकालना सम्भव नहीं है। इसके लिए यह जरूरी है कि हम उसके सामाजिक वातावरण व मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को देखें, तब ही कोई ठोस निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

बरनी एक कुलीन परिवार से सम्बन्धित था, जिसने इल्वारी, खल्जी और तुगलक वंशों के समय में सत्ता और सम्मान का उपभोग किया था। कई पीढ़ियों तक इसके उपभोग ने बरनी में एक वर्गचेतना को जन्म दे दिया था जिसकी पूर्ति समकालीन विद्वानों की संगति ने पूरी कर दी थी। अमीर खुसरो, अमीर हुसन ने इसको और अधिक मांज दिया था। खल्जी शासकों के समय के लगभग 46 विद्वान उसके शिक्षक रहे थे और इन सब तत्वों ने मिलकर बरनी को यह अनुभव करा

दिया था कि वह समाज के उच्चतम स्तर से सम्बन्धित है। यह ठीक है कि वह शेर निजामुद्दीन औत्रिया जैसे एक साधारण वर्ग के आदमी के सम्पर्क में भी आया था परन्तु यह केवल अपने अन्तिम समय में जब वह निराशा और कुण्ठा से जकड़ गया था और आत्मिक शान्ति की तलाश में था।

इस वर्गचेतना ने उसमें धीरे धीरे एक मनोग्रन्थि को जन्म दिया जिसने समाज के निम्न-वर्ग के प्रति उसको अत्यधिक कटु बना दिया। इस आधार पर प्रो निजामी का कहना है कि बरनी को ये कटुता धार्मिक अथवा सामाजिक आधार पर न होकर राजनैतिक आधार पर है। जब उसने देखा कि लहड़ा, नजब, मनवा व पीरा जैसे साधारण वर्ग के लोग मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा सम्मानित पदा पर नियुक्त कर दिये गये हैं और वे स्वयं को कुलीन मानकर पुराने कुलीन वर्ग से बराबरी कर रहे हैं तो बरनी यह सहन न कर सका। यह ठीक है कि उसकी स्थिति दुःख और मुनिश्चित थी परन्तु वह अपनी आँखों के सामने कुलीन वर्ग की टहती दीवारा को नहीं देख सकता था। मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के साथ ही घटना चक्र अपनी तेजी से चला कि 'रात को वह अमीर के रूप में सोया था, परन्तु सुबह फकीर के रूप में जागा। बरनी ने मुहम्मद तुगलक की सिन्ध में मृत्यु पर ख्वाजा जहाँग का पक्ष लेकर अपने सब करे घरे पर पानी फेर दिया। यद्यपि बरनी फीरोज के हस्तक्षेप से बच अवश्य गया परन्तु उसकी सम्पत्ति सम्मान और प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। वह निखता है 'ईश्वर ने मुझ धारम्भ में सम्मानित किया परन्तु अन्त में कलकित किया।' बरनी का जीवन की यह अत्यन्त दुःखान्त स्थिति थी। तीन पीढियों तक 'अमीर' तथा मुहम्मद तुगलक का 'बंदी' रहने के बाद बरनी इन दिनों को जब उसके साधियों, मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया हो सहन नहीं कर सकता था। हतोत्साहित हो उसने लिखा है कि, "बिडिया और मछलिया भी अपने परो में खुश हैं परन्तु मैं नहीं।" इन सब के ऊपर खान ए-जहा मकबूल, जो कि एक भारतीय मुसलमान था, राज्य का कारण बन गया था और पुराने कुलीन वर्ग की जड़ों को खोखला कर रहा था। बरनी के लिये यह असहनीय था। इसीलिये उसने लिखा कि निम्न वर्ग को शिना में बहित रखा जावे, क्योंकि यह उह राज्य के उच्च पदा के लिये प्रत्याशी बनाती है। उह सतत् ज्ञान से दूर रखा जावे। इस तरह धीरे धीरे उसमें निम्न वर्ग के लिए घृणा और कुण्ठा पैदा हो जाती है और यह उस प्रतिश्रिया का फल है जिसमें कि वह जी रहा था। इस तरह से उसकी धर्मागत एक विफल, कुण्ठित और हतोत्साहित व्यक्ति की आँखें थीं। यह जानत हुए कि इस्लाम के सिद्धान्तों के आधार पर निम्न वर्ग और कुलीन वर्ग में जन्मित धारणाओं को उचित ठहराना सम्भव न होगा, उसने इसे 'धर्म' और 'काफिर' का स्वरूप देने की कोशिश की। वह यह जानता था कि इस्लाम में परिवर्तित लोगो को

काफिर कहना उचित नहीं होगा इसीलिए उसने लिखा कि निम्न-वर्ग का धर्म-परिवर्तन संभव ही प्रबूरा रहता है क्योंकि, वे कभी भी वे असली मुसलमान नहीं हो सकते ।

वरनी की इन परिस्थितियों के बाद अधिक अच्छा होगा कि हम यह देखें कि इतिहास के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण था । वरनी ने इतिहास में अपने उत्थान और पतन के कारणों को ढूँढना चाहा और इसीलिये उसके विवरण में आत्मपरकता (Subjectivity) था गई है । अपनी निरापद स्थिति के लिये वह सुल्तानों और मलिकों को उत्तरदायी मानता है । बलवन के समय की कोई अप्रिय घटना यदि उसके जीवन से मेल खाती दिखती है तो वह बलवन को छोड़ अपनी बातों को लिखने लगता है । इसी तरह जलालुद्दीन खल्जी की व्यक्तिगत महफिलों का वर्णन करते हुये वह अपने दुःखों को याद करता हुआ उन पर आसू बहाने लगता है और प्रसंग को भूल जाता है । जीवन की असफलता का बोझ उस पर इतना अधिक है कि वह तनिक सी उसने जना पर भड़क उठता है और ऐतिहासिक सामग्री को अपने तैराशय-जीवन की गुत्थियों के स्पष्टीकरण में भोंक देता है । ऐसे मानसिक और भावावेश में लिखी हुई रचना में आत्म-परकता का धा जाना नितान्त स्वाभाविक है । इसलिये वह मुहम्मद तुगलक की प्रत्येक नीति की आलोचना करता है, परन्तु जब वह उसकी मृत्यु का विवरण देता है तो गद्गद हो जाता है और बड़े ही मार्मिक ढंग से उसे प्रस्तुत करता है । मुहम्मद तुगलक के पहले भी अनेक सुल्तान उससे भी अधिक विषम परिस्थितियों में मरे परन्तु वरनी ने उनके बारे में कोई हृदय-विदारक विवरण नहीं दिया । दूसरी ओर मुहम्मद तुगलक की मृत्यु पर, जिस प्रकार का दृष्टिकोण उसने उसके लिये अपना रखा था, उसे राहत मिलनी चाहिये थी परन्तु मुहम्मद तुगलक की मृत्यु में वह अपनी स्थिति, सम्पदा और सम्मान का अन्त देख रहा था, इसलिये वह खूब दुःखी हुआ । मुहम्मद तुगलक का समस्त विवरण वरनी की इस बदलती हुई मनोवैज्ञानिक स्थिति का प्रतिरूप है । इस आधार पर सुल्तान के चरित्र में विरोधी गुणों का सम्मिश्रण न होकर वरनी के व्यक्तित्व में विरोधाभास था । जब वह सुल्तान की प्रशंसा पर उतरता है तो वह उसे आसमान पर चढ़ा देता है परन्तु जब वह उसकी बुराई करने लगता है तो प्रत्येक शब्द अपने रक्त से लिखता है । प्रो. निजामी ने लिखा है कि, "जब वरनी अपने वर्तमान में है, उसे मुहम्मद तुगलक से स्नेह है परन्तु मृत में उसके लिये उसके पास घृणा के अतिरिक्त कुछ नहीं ।" स्नेह और घृणा इस प्रकार से वरनी की मनोवशा बन गई । इतिहासकार की इस मनोवशा को समझने के साथ ही उसके द्वारा दिया गया विवरण भी स्पष्ट हो जाता है ।

वरनी, प्रो. निजामी के अनुसार एक ईमानदार इतिहासकार है । उसने तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने अथवा उन्हें ढकाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है, चाहे वे उसके

अनुकूल हो प्रथवा नहीं। वह स्वीकार करता है कि उसकी यह हिम्मत न हुई कि वह मुहम्मद तुगलक के मम्सुख तथ्या को रख सके इसलिये वह डोगी होने का दोषी है परन्तु मल्लाहदीन के पडमन्त्रकारी क्रियान्वलापा का विवरण देने हुये उसने कभी भी अपन चाचा मल्लाह उल मुल्क को निर्दोष दिवाने का प्रयत्न नहीं किया। उसने उन्हीं घटनाओं का विवरण दिया जो उसकी स्मृति में थी और स्मृति में वे ही घटनाएँ थीं जिनसे उस पर किसी प्रकार का प्रभिट प्रभाव छोड़ा था परन्तु उसने इनसे घटनाओं को चुन चुन कर किसी ऐसे मिद्दान्त को प्रतिपादित करने का प्रयत्न नहीं किया जो उसे रुचिकर हो। यह ठीक है कि बरनी ने घटनाक्रम को तिविधार नहीं लिखा परन्तु बरनी का उद्देश्य सूचीपत्र बनाने की अपेक्षा उस युग प्रवृत्तियाँ की एक भाँकी प्रस्तुत करना था। बरनी का विवरण उस समय अधिक जानदार हो जाता है जबकि घटनाक्रम दूसरे साधनों से उपलब्ध है। बरनी, मिनहाज उस सिराज की तरह इल्तुतमिश के अभियानों का वर्णन नहीं करता, (उसका क्षेत्र में भी नहीं था) परन्तु जब भी वह बलबन के सन्दर्भ में इल्तुतमिश की बात करता है तो वह उस युग की प्रवृत्तियों को एकदम स्पष्ट कर देता है। मिनहाज इल्तुतमिश के अपने विरोधियों के विरुद्ध किये गये अभियानों का सम्बन्ध-बौद्धा विवरण देता है परन्तु वह यह बताने में असमर्थ रहता है कि किस प्रकार इल्तुतमिश ने 'मुद्जी' और 'कुतबी गुलामो' का अन्त किया। जब बरनी यह कहना है कि इल्तुतमिश दरबार में ये कहा करता था कि, "जब मैं इन अमीरों का खडे हुये देखता हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि तस्व स उतर कर इनके हाथ पर घूम लूँ", तो सम्भवतः वह समकालीन लेखकों की अपेक्षा उस समय की स्थिति और इल्तुतमिश की नीति को अधिक स्पष्ट कर देता है। इसी प्रकार मिनहाज के पृच्छा में वही दू होने पर भी नहीं मिल पाता है कि कौन कौन सी ऐसी सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ थीं जो मध्य-युग में एक महान्तम राज्य की स्थापना के समय क्रियाशील थीं परन्तु बरनी जब खन्जी साम्राज्यवाद की विवेचना करता है तो वो उस युग की समस्त प्रवृत्तियों को देन में अमीर खुमरो से भी आगे निकल जाता है।

डा. हार्डी¹ के अनुसार बरनी इतिहास का धर्मविज्ञान का एक अंग मानता है और भूत को अवगुणों सद्गुणों के बीच एक मध्यम मानता है परन्तु प्रो. निजामी इसको स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने बरनी की इस विवेचना को आधार बनाया है कि उसने शरियत की प्रथा 'जवाबीत' को लागू करने का मकदद दिया है। उन्हीं के अनुसार बरनी निश्चित ही विद्वान (आलिम) था परन्तु उसकी तुलना संय्यद मुहद्दीन मुबारक प्रथवा काजी मुगीमुद्दीन से नहीं की जा सकता क्योंकि उसमें वास्तविकता प्रथवा अननियत का समझने की शक्ति अधिक था। प्रा. निजामी के

इस कथन से ही बरनी के सम्बन्ध में प्रो. हार्डी का मत अधिक वजनदार हो जाता है ।

तारीख-ए-फीरोजशाही लिखते समय बरनी के पास पुरानी टिप्पणियाँ थीं अथवा नहीं, इसके सम्बन्ध में प्रो. मुहम्मद हबीब का मत¹ है कि म्बरखु-शक्ति, कागज़ और कलम के अतिरिक्त उसके पास कुछ नहीं था । तारीख के अधिकतर भाग के लिये यह मत ठीक है परन्तु इसके साथ ही बरनी ने तारीख में कहीं-कहीं प्रमुख अधिकारियों, गवर्नरों की जो सूची दी है उससे ऐसा आभास होता है कि उसके पास कुछ टिप्पणियाँ अवश्य थीं ।

बरनी ने पहले 'तारीख-ए-फीरोजशाही' लिखी अथवा 'फतवा-ए-जहाँदारी' एक विवादास्पद विषय है । इसके उत्तर पर ही यह निर्भर होगा कि बरनी क्या राजनैतिक दार्शनिक था जो इतिहासकार हो गया अथवा इतिहासकार, राजनैतिक दार्शनिक बन गया जिसने अपने विचारों के आधार पर इतिहास को लिखा । विषय, शैली आदि से ऐसा लगता है कि 'फतवा-ए-जहाँदारी' की रचना तारीख के बाद की गई थी ।

बरनी ने तारीख की रचना क्यों की, इसके बारे में अधिकतर यह मान्यता है कि वह फीरोज को प्रसन्न कर पुनः अपने सम्मान और सम्पदा को प्राप्त करना चाहता था । प्रो. निजामी इस उद्देश्य को मानने के लिए तैयार नहीं है । उनका कहना है कि स्वयं को अमर करने तथा अपनी दुःखी आत्मा की सन्तुष्टि के लिये ही उसने इसकी रचना की थी । उनका यह मत अधिक उचित नहीं है क्योंकि बरनी की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी और वह प्रत्येक आधार पर दीन-हीन ही था ।

सम्भवतः तारीख-ए-फीरोजशाही एक नहीं अपितु दो पुस्तकें हैं । ऐसा लगता है कि बरनी, बलबन से लेकर मुहम्मद तुगलक तक का विवरण एक भाग में और फीरोज का विवरण दूसरे भाग में लिखना चाहता था । वह दूसरा भाग पूरा न कर सका, इसलिये उसने समस्त लेखों की तारीख के अन्तगंत ही रख दिया । बरनी के दोनों भाग एक दूसरे से विस्कुल भिन्न हैं । पहले भाग में वह अत्यन्त कटु आलोचक और कभी-कभी बहुत ही तीखे रूप में उभरता है परन्तु दूसरे भाग में वह एक निर्लज्ज चाटुकार ही दीखता है । इस के अतिरिक्त बरनी ने जो फीरोज से सम्बन्धित विषय-वस्तु की सम्भावित योजना दी है उससे भी यह प्रमाणित हो जाता है कि बरनी तारीख को दो भागों में ही लिखना चाहता था ।

विषय-वस्तु—बरनी ने खलिज्यों का विवरण दिया है जो उसने स्वयं देखा था अथवा अत्यन्त विश्वसनीय लोगों से सुना था । उसके द्वारा अलाउद्दीन खल्जी का दिया गया विवरण यद्यपि विश्वसनीय है परन्तु उसने सुल्तान के दरबार और हरम

1. मुहम्मद हबीब, द पोलिटिकल विपरी आफ द देहली सल्तनत, पृ. 126

की गुप्त गोष्ठियों का जो वर्णन दिया है उस पर उन समय तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी पुष्टि किसी अन्य ऐतिहासिक स्रोत से न हो जाये। अलाउद्दीन की जो बातें मुगीसुद्दीन अथवा अलाउलमुल्क से हुई वे बरनी के अपने विचार हैं क्योंकि अलाउद्दीन के राज्यकाल में बरनी सुल्तान का उतना अधिक विश्वासपात्र नहीं था जितना कि मुहम्मद तुगलक के समय में था।

बरनी ने अलाउद्दीन के समय की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है जो अन्य किसी समकालीन ग्रन्थ में नहीं मिलती हैं। अमीर खुसरौ ने जो बाजार-नियन्त्रण तथा मगोला के आक्रमणों को छोड़ दिया है उसकी पूर्ति बरनी के विवरण से होती है। बाजार नियन्त्रण का जो विस्तृत वर्णन करता है और सम्भवन एक ही वाक्य में वह उस समय की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट कर देता है। वह लिखता है कि, "एक ऊट एक दाम में खरीदा जा सकता है, परन्तु एक दाम कड़ा से घाये।" बरनी ने हिन्दुओं के बारे में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विवरण दिया है और सम्भवन, वह हिन्दुओं से इतना अधिक कुटिल था कि दिये गये विवरण के अतिरिक्त उससे और कुछ आशा करना भी निरर्थक थी। श्री मुहम्मद हबीब का यह मन अधिक उचित लगता है कि "जब वह हिन्दुओं से सम्बन्धित बात करे तो बरनी विश्वास के योग्य नहीं है।" बरनी का सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारकशाह के समय का विवरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके समय का विवरण हमें अमीर खुसरौ से नहीं मिल पाता है। उसका इस समय का विवरण इसीलिए भी रोचक है कि उसे कुतुबुद्दीन मुबारकशाह से बड़ी सहानुभूति थी।

ग्यासुद्दीन तुगलक के सम्बन्ध में लिखते समय उसने उसकी धर्मनिष्ठता, न्यायप्रियता, सेना-प्रबन्ध, लोकोपकारी-कार्य, कर वसूली, दान-पुण्य, सयम आदि के बारे में जानकारी दी है। उसने सुल्तान की कटु आलोचना करने वालों की मर्सेना की है। उसने उलूगखा (मुहम्मद तुगलक) की दक्षिण-विजय का हाल बड़े ही संक्षेप में लिखा है, और आजनगर की विजय का हाल केवल दो पंक्तियों में ही समाप्त कर दिया है। इसी प्रकार उसने मगोलों के आक्रमण का हाल भी बहुत ही संक्षेप में लिखा है। उसने जान बूझकर गुजरान पर शाहदी के आक्रमण का वर्णन नहीं दिया है। सम्भवतः वह पराधीन जाति की विजय, जिन्हें वह नीच समझता था, लिखने योग्य नहीं मानता था। उसने अफगानपुर में सम्बन्धित ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का इतना कम विवरण दिया है कि स्वयं ही उस पर शक उत्पन्न होती है। वह (उलूगखा) मुहम्मद तुगलक के प्रतिद्वन्द्व मन्थ को बोलने का माह्न न कर सका।

बरनी के मुहम्मद तुगलक के विवरण को पाँच भागों में बाटा जा सकता है—(1) सुल्तान के चरित्र की समीक्षा, (2) आरम्भिक शासन प्रबन्ध, (3) सुल्तान की योजनाएँ, (4) राज्य में अशान्ति व (5) अशान्ति की खलीफा से सम्बन्ध।

बरनी ने सुल्तान के गुरा और दोषों का विशद वर्णन दिया है। वह उसकी विद्वता, बुद्धिमता, योग्यता, धर्मनिष्ठता से बहुत प्रभावित था, परन्तु वह उसके द्वारा निर्दोष हत्याओं से बड़ा क्षुब्ध था। उसने लिखा है कि, "सुल्तान ने निरपराध मुसलमानों का रक्त इतनी क्रूरता से बहाया कि सर्वदा उसके महल के दरवाजे से बहता हुआ खून का दरिया देखा जाता था।" उसने सुल्तान की इस क्रूरता के कारणों की भी व्याख्या की है।

उसने सुल्तान के आरम्भिक शासन प्रबन्ध के सम्बन्ध में केवल खराब की बसूली का उल्लेख किया है। उसने सुल्तान की छः योजनाओं का वर्णन दिया है— (1) दोआब में कर-वृद्धि, (2) राजधानी परिवर्तन, (3) ताँबे की मुद्रा, (4) खुरासान विजय, (5) सैनिकों की भर्ती व (6) कराजिल पर आक्रमण। बरनी ने इन योजनाओं का उल्लेख क्रम से नहीं किया है तथा वस्तुस्थिति यह है कि पाँचवीं व छठी योजनाएं एक ही हैं। इसी प्रकार बरनी ने सुल्तान के समय में हुये उपद्रवों को भी क्रम से नहीं लिखा है। वास्तविकता यह है कि खल्जी शासकों के समय को छोड़कर उसका कालक्रम अत्यधिक दोषपूर्ण है। मुहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं को उसने इस प्रकार से उलझा दिया है कि अनेक ऐसी घटनाएँ जो उसके राज्यकाल के आरम्भिक वर्षों में हुई थी, ऐसा मालूम पड़ता है कि राज्यकाल के अन्त में हुई हों। इन घटनाओं को कालानुसार जमाना अत्यन्त कठिन है। उसने स्वयं लिखा है कि, "मैंने इस इतिहास में सुल्तान मुहम्मद तुगलक के शासन के सिद्धान्तों का वर्णन किया है और घटनाओं के क्रम की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।" इसलिये बरनी के द्वारा सुल्तान का विवरण बहुत ही उलझा हुआ है। आश्चर्य की बात है कि मुहम्मद तुगलक के समस्त शासनकाल में उसने केवल चार तिथियाँ ही दी हैं।

बरनी ने मुहम्मद तुगलक के समय के विद्रोहों का वर्णन दिया है और विशेषकर दोआब के विद्रोहों के कारणों की भी विवेचना की है, परन्तु उसने बहाउद्दीन गुर्गासिप व मसूद खां (सुल्तान का सौतेला भाई) के विद्रोहों का कहीं भी विवरण नहीं दिया है।

बलीफा के प्रति सुल्तान की श्रद्धा, बिनअत्ता पर बरनी को बड़ा आश्चर्य होता है। वह इस बात से भी बड़ा स्तम्भित है कि सुल्तान विदेशियों के प्रति क्योंकर उदार है ?

बरनी ने तारीख में ग्यारह अध्यायों में फीरोज का विवरण दिया है। वास्तव में उसने 101 अध्याय में इस विवरण को देने की योजना बनाई थी, परन्तु अपनी वृद्धावस्था और दरिद्रता के कारण वह इसे कार्यान्वित न कर सका। उसने इन ग्यारह अध्यायों में फीरोज के समय की प्रमुख घटनाओं का ही वर्णन किया है। उसने फीरोज के जन-कल्याणकारी कार्यों की बड़ी प्रशंसा की है तथा उसके द्वारा निर्मित नहरों और कृषि-सुधार सम्बन्धी नीतियों का विस्तार से वर्णन दिया है।

फतवा-ए-जहादारी—इस रचना में बरनी ने आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन किया है जिसे उसके अनुसार प्रत्येक मुसलमान शासक को अपनाना चाहिए। विश्व की रचना से लेकर वह पैगम्बर की शिक्षाओं का वर्णन करता है। वह इस्लाम का प्रचार करने तथा हिन्दुओं की समाप्ति के लिये अनेक उपायों को बताता है। उसके अनुसार सुन्नी पक्ष की रक्षा के लिये सुल्तान को राज्य के प्रत्येक साधन का उपयोग करना चाहिये।

फतवा ए-जहादारी को मोटे रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है—शासन प्रबंध के आदर्श तथा सिद्धांत व इतिहास से दृष्टान्त। बरनी ने लिखा है कि महमूद गजनवी एक आदर्श शासक था जिसमें शासक के समस्त गुण मौजूद थे। दूसरे मुस्लिम शासकों को उसका अनुकरण करना चाहिये।

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में बरनी फतवा ए-जहादारी में भी अलाउद्दीन के द्वारा प्रतिपादित आर्थिक नियमों को स्वीकार करता है। उसके अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल्य राज्य के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिये तथा किसी को भी निश्चित मूल्य से अधिक पर वस्तुओं को बेचने की अनुमति नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिन्दुओं ने व्यापार पर एकाधिकार कर रखा था इसलिये बरनी कहीं कहीं यह संकेत देता है कि हिन्दू व्यापारियों की सम्पत्ति छीन लेना चाहिये व उनके सामाजिक आधार पर अपमानित करना चाहिये। ब्राह्मणों के सम्बन्ध में भी बरनी के यही विचार हैं।

बरनी की शैली—भूमिका को छोड़कर बरनी की लेखन शैली स्पष्ट, सीधी तथा सुबोध है। यद्यपि उमने फारसी में अपने ग्रन्थों की रचना की है परन्तु फिर भी उसने अनेक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है जैसे चराई, छप्पर, मड़ी, दोनक चाकर चौकी आदि। कभी-कभी उसकी भाषा टूट सी जाती है और फिर उसमें कोई स्पष्ट अर्थ निकालना काफी कठिन हो जाता है।

बरनी इतनी सुबद्धता से घटनाओं का विवरण देता है कि पाठक मजबूर होकर उसकी बात मानने लगता है। बाजी मुंगुसुद्दीन और अलाउद्दीन के बीच कुतुबुद्दीन मुबारकशाह के बीच हुई वाद-चीत को बरनी ने इस तरह से लिखा है जैसे वह इस वार्ता में स्वयं उपस्थित हो। कुतुबुद्दीन मुबारकशाह के वध की रात्रि का वर्णन उमने इस प्रकार किया है जैसे वह स्वयं उस समय उपस्थित हो।

बरनी न युद्धा दग्धार और अमीरों के वर्णन के अतिरिक्त सुल्तानों के समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति, राजस्व नियम व कर उगाहने की पद्धति की विस्तृत विवेचना की है। साधारण जीवन में काम आने वाली वस्तुओं खान पान, साज सज्जा वस्त्र व आहार के विवरण को भी उसकी रचनाओं में कमी नहीं है। अपने समय के विद्वानों कविता सूफियों तथा मदरसों का भी विवरण बरनी ने भरपूर किया है। इसी कारण मध्यकालीन इतिहासकारों में उसका प्रमुख स्थान है।

वरनी की कमियाँ—वरनी के इतिहास-लेखन में अनेक कमियाँ हैं। (1) वे घटनाएँ जो वरनी की रचि की नहीं थीं उसने उनका अत्यन्त सूक्ष्म वर्णन दिया है और वे घटनाएँ जो उसको रचिकर लगीं उनका विस्तार से वर्णन किया है। युद्ध, सैनिक गतिविधियाँ, विजयें आदि का वर्णन उसने बहुत ही थोड़े में किया है। उसकी रचि और अरुचि उसके द्वारा दिये गये विवरण से स्पष्ट हो जाती है। जब वह किसी की प्रशंसा करने पर उतारू होता है तो वह उसे आसमान की बुलंदियों तक बढ़ा देता है और यदि वो बुराई करने पर उतर जावे तो हूँ-हूँ कर उसकी कमियाँ निकालता है। फीरोज तुगलक की प्रशंसा करते समय वह लिखता है कि, "उस जैसा शासक मुहम्मद गोरी के बाद कोई नहीं हुआ।" ख्वाजा जहाँ के प्रति वह अपना रोप छिपाने में असमर्थ रहा और इसीलिये उसने अनेक प्रकार के कलंक उन पर लगाये। अपनी इन प्रवृत्तियों के बाद भी वरनी ने जो चरित्र-चित्रण किया है वह निश्चित ही उत्तम है। वह एक दार्शनिक-कम इतिहासकार है न कि विशुद्ध इतिहासकार, यद्यपि उसकी स्मरण-शक्ति आश्चर्यजनक थी।

(2) वरनी ने कालक्रम की ओर बहुत कम ध्यान दिया है। मुहम्मद तुगलक के विवरण को पढ़ने के बाद पाठक भ्रम में पड़ जाता है कि कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी बाद में? उसने घटनाओं को मात्र स्मरण-शक्ति से लिखा था और इसलिये वह घटनाचक्र को सही रूप में नहीं दे पाया। मुहम्मद तुगलक के समय की वह केवल चार तिथियाँ ही देता है। वह उस समय के अनेक विद्रोहों का वर्णन करता है, परन्तु न तो वह उनकी ठीक तिथि ही देता है और न ही उनका सम्पूर्ण विवरण। उसने बहाउद्दीन गुर्साँव व मसूदखा के विद्रोहों का वर्णन नहीं दिया यद्यपि ये आरम्भिक और महत्वपूर्ण विद्रोह थे।

(3) वरनी की रचनाओं में व्यवस्था की कमी है। कभी-कभी वह पैराग्राफ बनाता है और अपनी सम्पूर्ण विषय वस्तु को भिन्न-भिन्न शीर्षकों में बाँटता है परन्तु इसके बाद भी उसके लेखन में कोई सुधार नहीं आ पाता है। जब वह दक्षिण की घटनाओं का वर्णन करता है तो पूरी तरह से उत्तर भारत को मूल जाता है, इसलिये 1308 से 1313 ई. तक की उत्तर-भारत की घटनाएँ उसके विवरण में डूँढने पर भी नहीं मिलती हैं।

(4) वरनी उलेमा-वर्ग से सम्बन्धित था और इसलिये उसका समस्त दृष्टिकोण उन्हीं के रंग में रंगा दिखाई पड़ता है। उसने घटनाओं को धर्म रूपी चश्मे से देखा और स्वाभाविक था कि ऐसी स्थिति में उसके निर्याण एक-पक्षीय थे। उसने लिखा है कि अलाउद्दीन के समय में हिन्दू संसार में पायी जाने वाली 72 जातियों में सबसे निकृष्ट थे। वरनी प्रत्येक चीज को 'शरा' की तराजू में तोलता है जो वरनी जैसे इतिहासकार के लिए उचित नहीं थी। हमें केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि वरनी के समय में धर्म-निरपेक्षता का कहीं नामों-निशान भी नहीं था।

(5) बरनी ने मोटे रूप से मुल्तान तथा घमीरो को ही इतिहास की विषय-दस्तु मान लिया और इसलिये उसके विवरण में साधारण मनुष्यों का जीवन, उनके आचार-विचार कोई स्थान न पा सके। इसके साथ ही बरनी ने केवल उन घटनाओं का विश्लेषण किया है जिनमें उसकी रुचि थी भयवा जिनसे वह अधिक जुड़ा हुआ था। इसलिये उसका मूल्यांकन बगैर उचित और निष्पक्ष जाच-पड़ताल के बिना मानना सम्भव नहीं है।

(6) बरनी ने बड़ा विरोधाभासी विवरण दिया है। समकालीन होने के नाते उसने अनेक घटनाओं के विभिन्न पहलुओं को देखा परन्तु वह उनका व्यवस्थित वर्णन नहीं कर पाया। उसने अलाउद्दीन खल्जी को अत्यधिक प्रशंसा की परन्तु साथ ही उसने उसे साखण्डी भी दिखाया। ऐसी स्थिति में हम यह जानने में असमर्थ रह जाते हैं कि बरनी उसे उदार, उपकारी शासक बताना चाहता है भयवा एक तानाशाह ?

(7) बरनी ने बहुत सी घटनाएँ और नीतियाँ वार्तालाप के रूप में लिखी हैं जैसा कि पिछले पृष्ठों में बताया गया है। डॉ० हार्डी इस आधार पर उसकी कटु आलोचना करते हैं क्योंकि बरनी के पास न तो कोई टेप या धोर न ही बरनी सचिव ही था कि वह एक-एक शब्द को लिख सकता। डॉ० हार्डी की यह आलोचना ठीक है परन्तु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वार्तालाप की यह शैली मध्य-युग में यही मान्य थी और बरनी इसका अपवाद न था। दूसरे बरनी के सम्पर्क प्रभाव-शाली घमीरो और दरबारियों से थे और सम्भवतः उन्हीं से उसने जानकारी प्राप्त की होगी।

इन सब कमियों के बाद भी बरनी की रचनाओं का काफी महत्व है। समकालीन इतिहासकारों की तुलना में वह अधिक विश्वसनीय है और विशेषकर खल्जी काल के लिये उसका विवरण अधिक मान्य है। बाद के इतिहासकारों ने उसके विवरण का सुलवर प्रयोग किया है।

शम्स सिराज अफीफ

जीवन व रचनाएँ—शम्स सिराज अफीफ का जन्म 1350 ई. में अन्नूर में हुआ था। उसके प्रितामह सादुलमुन्क गिहाब अफीफ की फीरोजपुर के निजट अन्नूर नामक स्थान पर गयामुद्दीन तुगलक ने राजस्व अधिकारी का पद दिया था। उसने ही राज्य से रणमन भट्ट की पुत्री का विवाह करवाया था जिनके गर्भ में मुल्तान फीरोजशाह का जन्म हुआ था। अफीफ का पिता सिराजुद्दीन फीरोजशाह के दरबार में अनेक पदों पर कार्य कर चुका था। सम्भवतः शम्स सिराज अफीफ दीवान-ए-बजारत में काम करता था। वह मुल्तान फीरोज तुगलक का समकालीन था तथा उसका विश्वासपात्र था। इसीलिये मुल्तान तक उसकी पहुँच थी। वह मुल्तान के साथ शिकार खेलने जाता था और अन्नूर दरबार में उपस्थित रहता

था। उसने इसी आधार पर अमीरों और प्रशासन सम्बन्धी बातों का विस्तृत विवरण दिया।

अफीफ ने तारीख-ए-फीरोजशाही के अतिरिक्त चार अन्य ग्रंथों की रचना की थी परन्तु उनमें से अब कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। डा. अतहर अब्बास रिजवी की मान्यता है कि उसके चार ग्रन्थ कोई स्वतन्त्र कृति नहीं थे अपितु उसने दिल्ली के तुर्क सुल्तानों के बारे में अनेक जिल्दों की एक विस्तृत रचना की थी जिसमें उसने खल्जी और तुगलक सुल्तानों का वर्णन लिखा था।

तारीख-ए-फीरोजशाही की रचना लगभग 1411-12 ई. में की गई थी। बरनी का इतिहास जहां पर समाप्त होता है तारीख-ए-फीरोजशाही वहीं से आरम्भ होती है। इसमें केवल फीरोजशाह का इतिहास ही है। यह पांच भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग में 18 अध्याय हैं, परन्तु अन्तिम भाग के केवल 15 अध्याय ही मिल पाये हैं। कुल मिलाकर इसमें 90 अध्याय होते हैं जो 1388 ई. तक का विवरण देते हैं।

अफीफ ने फीरोज तुगलक के चरित्र का विस्तृत वर्णन किया है परन्तु उसने सर्वत्र ही फीरोज के गुणों की प्रशंसा की है और उसके दुर्गुणों को किसी न किसी आधार पर छिपाने का प्रयास किया है। वह फीरोज की राजगद्दी का अपहरण-कर्ता नहीं मानता है अपितु वह उसे उसका न्यायोचित अधिकारी स्वीकार करता है। वह लिखता है कि फीरोज का गद्दी पर बैठना नियत था क्योंकि चार विभिन्न संतों ने विभिन्न समयों पर इस प्रकार की भविष्यवाणी की थी। उसने लिखा है कि "सुल्तान बहुत ही दयालु और धर्म-परायण व्यक्ति था। वह अक्सर अपराधियों को क्षमा कर दिया करता था और दरिद्रों के लिये उसने अनेक संस्थाएं राज्य के अनेक भागों में खोली थीं। सुल्तान मुसलमानों का बड़ा शुभचिन्तक था।" अफीफ की रचना को ध्यान से पढ़ने पर सुल्तान की कई कमजोरियां सामने आ जाती हैं जैसे कि उसमें सैनिक गुणों का अभाव था अथवा उसके द्वारा किये गये अभियान असफल ही रहे। बंगाल के अभियान से वह यह बहाना करके लौट आया कि इसमें असंख्य मुसलमानों का रक्त बहेगा और दक्षिण के प्रदेशों को उसने पुनः जीतने का कोई प्रयास ही नहीं किया। हिन्दुओं के विरुद्ध अभियान करते समय वह अपनी किभक को अलग रख निर्मम व्यवहार करता था जैसा कि जाजनगर के अभियान से सिद्ध होता है।

अफीफ ने सुल्तान के शासन प्रबन्ध का भी वर्णन किया है। केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत विभिन्न विभागों और राज्य के 36 'कारखानों' का वर्णन केवल उसी से प्राप्त होता है। फीरोज के द्वारा जो नई नई व्यवस्था स्थापित की गई थी अथवा नहरों और नहरों का निर्माण जो उसके समय में हुआ था वह अफीफ ने विस्तार से लिखा है। उसने फीरोज के समय की टूटती हुई शासन-व्यवस्था का

भी वर्णन किया है और छोटे तथा बड़े कर्मचारियों में रिश्तत लेने की आम प्रथा की भरसना की है। स्वयं फीरोज के द्वारा सैनिक को अपना घोड़ा पास कराने के लिये एक टुक रिश्तत के रूप में अधिकारी का देन का विवरण भी अफीफ ने ही दिया है। फीरोज द्वारा रखे गये गुलामों और उनकी देख रेख की व्यवस्था का वर्णन भी अफीफ ने ही किया है।

सुल्तान के धार्मिक जीवन व उसकी धार्मिक भावनाओं का विवरण भी अफीफ की रचना में खूब मिलता है। उसने लिखा है कि किस प्रकार फीरोज अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्लाम के नियमों का पालन करता था। वह इन्हीं नियमों को पूरी तरह से अपना जनता पर भी थोपना चाहता था। वह पहला शासक था जिसने दिल्ली के ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया। उसने ब्राह्मणों के द्वारा जजिया के विरोध में प्रदर्शन करने के बाद भी उसे माफ नहीं किया। उसने दिल्ली के एक ब्राह्मण का उल्लेख किया है जिसको सुल्तान ने केवल इसलिये जिंदा जलवा दिया कि वह इस्लाम और हिन्दू धर्म को समान मानता था तथा इस्लाम स्वीकार करने के लिये तत्पर न था। वह मुसलमानों के दूसरे सम्प्रदायों जैसे—शिवा, इस्माइली आदि से भी घृणा करता था। सुन्नी मुसलमान स्त्रियों के लिये उसने कठोर नियमों को लागू किया था। वह इस बात को जानने के लिये सतत प्रयत्नशील रहता था कि मुसलमान इस्लाम के नियमों का पालन कर रहे हैं। शरा के विरुद्ध जितने कर से उमन उन्हें समाप्त कर दिया तथा जकात कर को कठोरता से वसूल करना शुरू किया। यद्यपि अफीफ ने सुल्तान फीरोज को एक कट्टर सुन्नी मुसलमान दर्शने का नरसक प्रयास किया है परन्तु इसके बाद भी समकालीन इतिहास से फीरोज का पालण्डी व्यवहार स्पष्ट हो जाता है।

रचना के अन्तिम भाग में वह अमीरा के सम्बन्ध में जानकारी देता है। वह उनकी शान शोकात व फिजूल खर्चों के बारे में उनकी भरसना करता है। वह यह स्वीकार करता है कि जन-साधारण की तुलना में उनकी धार्मिक स्थिति काफी अच्छी थी। साधारण वर्ग की धार्मिक स्थिति अधिक सतोपजनक नहीं थी।

अफीफ ने लिखा है कि समाज में अनेक कुप्रथाएँ मौजूद थीं। दहेज प्रथा के उसने अनेक उदाहरण दिये हैं। वह लिखता है कि स्त्रियों की स्थिति उगानार गिरती जा रही थी और क्रिया का उत्पन्न होना अप्रिय माना जाता था। अफीफ ने लिखा है फीरोज ने मध्यमवर्गीय मुसलमानों की लड़कियों के विवाह के लिये धन देकर किस प्रकार उनके सक्ता को दूर किया था। उसने इसने लिये 'दीवान-ए खैरात' नामक विभाग की स्थापना की थी। मुसलमानों को काय दिलाने के लिये उसने इसी प्रकार से एक रोजगार दफ्तर भी स्थापना की थी। इस प्रकार अफीफ ने फीरोज के समय के हर पहलू की जानकारी देकर इतिहास लेखन और ज्ञान में योगदान दिया है।

अफीफ की कमियाँ—अफीफ की सबसे बड़ी कमी है कि उसने घटनाओं को इस्लाम के संदर्भ में देखा है। उसने घटनाओं का विवरण अपने धार्मिक दृष्टिकोण से ही किया है। वह सुल्तान को एक आदर्श मुस्लिम शासक बताता है और उसकी धार्मिक कट्टरता का पक्षपाती है। फीरोज की स्तुति करने में वह इतना अधिक खो जाता है कि न केवल वह उसके दुर्गुणों को मुला देता है अपितु उनको किसी न किसी आघार पर उचित साबित करने की कोशिश करता है। फीरोज का बंगाल का अभियान उसकी सैनिक अयोग्यता तथा भीरु होने के कारण असफल हुआ, परन्तु अफीफ यह विश्वास दिलाना चाहता है कि इस अभियान की असफलता उसके धार्मिक दृष्टिकोण के कारण हुई। वह फीरोज की उदार नीति, उसकी दानवीरता तथा उसकी दयालु प्रवृत्ति की अत्यधिक प्रशंसा करता है। परन्तु यह भूल जाता है कि सुल्तान की इस नीति ने प्रशासन को कितना अधिक गतिहीन बना दिया था। उसकी नीति के कारण ही रिष्वत और घूसखोरी प्रशासन का एक मूलभूत आधार बन गई थी।

अफीफ इतिहासकार की निष्पक्षता को भूल जाता है और उनके विश्लेषण में अपनी मान्यताओं को ठूस देता है। उसके साथ ही वह अपना विवरण काव्यमयी भाषा में लिखता है जिससे किसी प्रकार का निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। इन दोषों के होते हुए भी उसने जो फीरोज तुगलक का विस्तारपूर्ण वर्णन दिया है उसकी उपेक्षा करना सम्भव नहीं है।

कृताज्ञा अल्लु खफ़्त—एसामी—फुतुहुस्सलातीन

आरम्भिक जीवन—कृताज्ञा अबद मलिक एसामी का जन्म 1311 ई. के लगभग हुआ था। उसके पूर्वजों में से सबसे पहले फखरुलमुल्क एसामी इस्तुतमिश के राज्य-काल में दिल्ली पहुंचा और तभी से यह परिवार दिल्ली सुल्तानों की सेवा में बना रहा। इस्तुतमिश ने फखरुलमुल्क एसामी को अपना बजीर बनाया। उसके वंशज दिल्ली सुल्तानों के समय में खास हाजिव तथा सिपहसालार के पद पर रहे। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के राज्य-काल में (1327 ई.) एसामी को अपने दादा के साथ दिल्ली से देवगिरि जाना पड़ा। उसके दादा इब्नुद्दीन की रास्ते ही में मृत्यु हो गई। एसामी 40 वर्ष की आयु तक दौलताबाद रहाप रन्तु वह स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार न ढाल सका। उसने हज़ करने का विचार किया परन्तु अपनी आयु के कारण वह न जा सका। तत्पश्चात् उसने स्वयं को इतिहास-लेखन में लगा दिया। यद्यपि वह मूलतया एक कवि था, परन्तु उसमें इतिहास को शुद्ध एवं तिथिक्रम से लिखने की आश्चर्यजनक क्षमता थी।

विषय-वस्तु—महमूद गजनवी से लेकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक तक के राज्यकाल का पद्य में विवरण उसने इसमें दिया है। 10 दिसम्बर, 1349 ई. को आरम्भ कर 14 मई, 1349 अर्थात् 5 मास व 9 दिन में उसने इसे लिखकर

पूरा किया था। बहमनी वंश के संस्थापक सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन का उसे मरक्षण प्राप्त था। उसने अपने ग्रन्थ की रचना फिरदौसी के 'शाहनामा' के आधार पर की है। प्रो० मैहवी हुसैन का मत है कि वह अपने युग का श्रेष्ठ महाकाव्य-लेखक है।

एसामी ने अपनी रचना में अलाउद्दीन खल्जी का जो वर्णन दिया है, वह अधिकतर विश्वास के योग्य है। उसने लिखा है कि, "मैंने जो कुछ लोगों से सुना एवं पुस्तकों में पाया उसे इस रचना में लिखा है। पुरानी कहानियों की सत्यता को आकने में मैंने बड़ा परिश्रम किया है।" इस आधार पर उसके जानकारी के क्षेत्र अच्छे थे। उसने अलाउद्दीन के समय में होने वाले मंगोल-प्राक्रमणों के सम्बन्ध में अनेक नये तथ्य दिये हैं। 1296 ई. में अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान और रणथम्भौर पर अलाउद्दीन के प्राक्रमण का उसने विस्तार में वर्णन किया है। वह युद्ध-सम्बन्धी विवरण तो बड़ी सतर्कता में देता है परन्तु अलाउद्दीन के प्रशासनिक व आर्थिक सुधारों के प्रति वह अधिक जानकारी नहीं दे पाता है।

ग्यासुद्दीन तुगलक के राज्यकाल की घटनाओं का विवरण उसने विस्तार में किया है। उलूगखा (मुहम्मद तुगलक) के तैलगाना पर प्राक्रमण के सम्बन्ध में उसने अनेक नई घटनाओं का उल्लेख किया है जिनकी जानकारी सम्भवतः उसे दक्षिण से ही मिली होगी। उलूगखा द्वारा जाजनगर पर किये गये प्राक्रमण व मंगोलों की चर्चा भी उसने विस्तार से की है। गुजरात पर शाही दादर के प्राक्रमण, पराश्रों की वीरता तथा शाही की हत्या का जो विवरण एसामी ने दिया है, वह बरनी में नहीं मिल पाता है। एसामी के विवरण से ग्यासुद्दीन तुगलक के धान और मयम की प्रवृत्ति प्रमाणित नहीं हो पाई है यद्यपि बरनी ने इन सम्बन्ध में सुल्तान की अत्यधिक प्रशंसा लिखी है।

मुहम्मद तुगलक के बारे में उसका विवरण पक्षपातपूर्ण है। उसे तथा उसके परिवार को राजधानी-परिवर्तन के समय अनेक कष्ट भोगने पड़े थे इसलिये वह सुल्तान का कटु-आलोचक बन गया और उसके विरुद्ध उसने अत्याधुनिक दोषारोपण किये हैं। उसने मुहम्मद तुगलक को नीच, कमीना और पाषण्डी बताया है। वह लिखता है कि सुल्तान, ग्यासुद्दीन की मृत्यु पर प्रसन्न था तब गद्दी पर बैठते समय उसने लोगों से कुशल प्रशासन के लिये-चौड़े वायदे किये थे जिन्हें वो कार्यान्वित करने में असफल रहा। शासन-प्राप्ति पर उसका चरित्र बिलकुल बदल गया और वह क्रूर तथा अत्याचारी बन गया। जहाँ कहीं भी सुल्तान का नाम आता है, एसामी का क्रोध उबन पड़ता है और वह फिर मानाने लायक शब्दों का शुरु कर देता है। वह प्रत्येक विद्रोह का समर्थन करता है तथा प्रत्येक विद्रोही की प्रशंसा करता है। वह बहाउद्दीन गुर्नासि (1326-27 ई.) के विद्रोह का वर्णन करता है, सुल्तान के द्वारा दिये गये अमानवीय दण्ड की आलोचना करता है और विद्रोह को उचित ठहराने

का प्रयास करता है। तबि के सिक्कों का वर्णन करते हुये वह लोहे तथा चमड़े के सिक्कों के कुप्रभाव की भी चर्चा करता है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का वह बड़ा ही पक्षपातपूर्ण विवरण देता है और सुल्तान के द्वारा दी गई अमानवीय यातनाओं के बारे में अनेकों कहानियों कहता है। दुर्भाग्य से इन कहानियों की पुष्टि इब्नबतूता के वर्णन से नहीं होती है। एसामी ने सुल्तान के द्वारा इस्लाम विरोधी कार्यवाहियों की निन्दा की है। इस सन्दर्भ में ईद की नमाज बन्द कराने से सम्बन्धित आदेश की उसने चर्चा की है। एसामी के इस विवरण को स्वीकार करना सम्भव नहीं है क्योंकि इब्नबतूता ने इसके अनुकूल विवरण दिया है और उसने सुल्तान की धार्मिक प्रवृत्ति की प्रशंसा की है। प्रत्येक वर्ष जो ईद के अवसर पर समारोह किये जाते थे उसका विवरण भी इब्नबतूता से मिल पाया है। सम्भवतः एसामी को मुल्तान के हाथों जो यातनायें मिलीं उनसे क्रुद्ध हो उसने ऐसा लिखा हो। इसके साथ ही एसामी यह भी भूल जाता है कि सुल्तान ने सम्भवतः यह सब बातें प्रबन्दासी खलीफा द्वारा अधिकार-पत्र प्राप्त करने के पहले की हों क्योंकि वह यह दर्शाना चाहता था कि खिलजत प्राप्त करने के बाद वह कितना अधिक सच्चा मुसलमान बन गया है।

एसामी की रचना का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग दक्षिण के इतिहास की जानकारी का है। सुल्तान ने दैवगिरि के शासन-सम्बन्धी सभी अधिकार अपने गुरु कुतलुगखां को प्रदान कर दिये थे। कुतलुगखां के गुणों से लेखक बहुत प्रभावित था और बरनी ने भी उसके गुणों की प्रशंसा की है। कुतलुगखां ने दक्षिण में जिन विद्रोहों को दबाया, एसामी ने बड़ी ही निष्पक्षता से उनका विवरण दिया है। हसन कांगू के समय का बहमनी राज्य का विवरण भी एसामी ने बड़ी सजीवता से किया है।

एसामी और बरनी दोनों ही समकालीन लेखक थे परन्तु ऐसा लगता है कि वे कभी एक दूसरे से नहीं मिले। अधिक सम्भावना यह है कि दोनों ही एक दूसरे से अपरिचित थे। एसामी ने अनेक स्वधों पर बरनी के विवरण को न केवल आगे बढ़ाया है अपितु संपूरक के रूप में भूमिका निभाई है। बाद के इतिहासकारों ने जैसे निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी व फरिश्ता आदि ने एसामी के विवरण का खूब उपयोग किया है।

लेखन शैली—एसामी ने रुचिकर और बड़ी ही स्पष्ट शैली में अपने ग्रन्थ की रचना की है। परन्तु इसके बाद भी उसकी भाषा अतिशयोक्तियों से पूर्ण है। उसने जो अनेक कहानियां अपनी रचना में दी हैं उनसे इसकी पुष्टि हो जाती है। इसके अतिरिक्त एसामी ने कहीं पर भी अपनी जानकारी के स्रोतों का वर्णन नहीं किया है, और यह स्पष्ट है कि अपनी रचना के पहले उसने निश्चित ही कुछ स्रोतों का अध्ययन किया होगा। परन्तु एसामी की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह सुल्तान

मुहम्मद तुगलक के प्रति पक्षपाती थी। इसलिये अनेक स्थलों पर उसकी रचना में अनिश्चयता दिखती है जो यह स्पष्ट कर देती है कि वह सुल्तान से कितना अधिक पूर्वाग्रही था। एसामी अलाउद्दीन की अत्यधिक प्रशंसा करता है परन्तु मुहम्मद तुगलक की वह उतनी ही भत्सना करता है।

एसामी की कमियाँ—एसामी इतिहास की घटनाओं को मानवीय शक्तियों से परे की बात मानता है और उसका यह मत कि सब कुछ ही ईश्वरीय इच्छा से होता है यह बताता है कि उसमें विश्लेषण के गुणों का अभाव था। वह परिणामों की कारणों से जोड़ने में असमर्थ रहा है। इसके बाद भी उसकी रचना का महत्व कम नहीं है क्योंकि वो एक ऐसा लेखक था जो, सल्तनत-कालीन दरबार की चकाचौंध से दूर था और दिल्ली से दूर रहकर वह अपने विचारों को खुले रूप में लिख सकता था। सुल्तान से सम्मान प्राप्त करने अथवा उसके द्वारा दण्डित किये जाने का भय उसे न था। उसने अपनी रचना बहमनी राज्य के शासक सुल्तान अलाउद्दीन बहमान शाह के संरक्षण में लिखी और उसे ही वह समर्पित भी की। मुहम्मद तुगलक के सन्दर्भों को छोड़कर एसामी को एक तटस्थ इतिहासकार माना जा सकता है।

इब्ने बतूता-रेहला

उसका जीवन—इब्ने बतूता (शैख फकीह अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्ने (पुत्र) अब्दुल्लाह इब्ने मुहम्मद इब्ने इब्राहीम) तानजीर निवासी था। वह पूर्व के देशों में शम्सुद्दीन के नाम से भी पुकारा जाता था। वह अरब यात्रियों की शृंखला की एक कड़ी था जिन्होंने भारत की यात्रा के सम्बन्ध में अपना विवरण छोड़ा है।

21 वर्ष की आयु में 14 जून 1325 ई. को वह तानजीर से मक्का के लिये रवाना हुआ, जहाँ वह 27 अक्टूबर 1327 को पहुँचा। अगले सात वर्ष वह अरब और अफ्रीका के प्रदेशों की यात्रा करता हुआ मिनम्बर 1333 ई. में सिन्ध पहुँचा। मार्च 1334 ई. में बतूता दिल्ली पहुँचा और सुल्तान मुहम्मद तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रभावित हो उसे दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया, जिस पर वह लगभग आठ वर्ष तक बना रहा। दिल्ली में वह मौलाना बदरुद्दीन के नाम में जाना जाता था। दुर्भाग्य-वश उसने मुहम्मद तुगलक का विश्वास खो दिया, परिणाम-स्वरूप उसे बन्दी बना लिया गया, परन्तु अनुनय विनय के बाद उसे मुक्त कर दिया गया। भारत में रहने समय वह बड़े मुक्त रूप से यहाँ के लोगों में मिला-जुला, विवाह किये और सरल ढंग से जीवन-यापन करता रहा। यहाँ रहते समय दरबारियों और सुल्तान से उसके घनिष्ठ सम्बन्ध रहे। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ई. में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। परन्तु रास्ते ही में उसका जहाज क्षतिग्रस्त हो गया और दिल्ली आने की अपेक्षा वह श्रीलंका के पूर्वी प्रदेशों की ओर चला गया। 1345 ई. में वह मद्रुरा लौट आया। उसने इस बीच भारत

के अनेक स्थानों की यात्रा की और उनका विवरण उसने दिया है। अगस्त 1346 ई. में वह पुनः चीन के लिए रवाना हुआ और अनेक देशों का भ्रमण करता हुआ अन्त में 1353 ई. में मोरक्को पहुँच गया। मोरक्को के सुल्तान अबू इनन मरीनी के संरक्षण में उसने अपनी यात्राओं का वर्णन अबू अब्दुल्ला मुहम्मद को लिखवाया जिसने इसको सम्पादित कर इसे 'रेहला' की संज्ञा दी।

रेहला (यात्राएँ)—वत्सूता भारत में 14 वर्ष रहा जिसमें से आठ वर्ष दिल्ली में ही बिताये। वह एक विद्वान था और विशेषकर विधि तथा धर्मविज्ञान में अधिक रुचि रखता था, उसे क्योंकि सुल्तान मुहम्मद तुगलक का विश्वास प्राप्त था इसलिए अनेक घटनाओं को स्वयं देखने अथवा उनकी सत्यता तक पहुँचने की सुविधा उसे प्राप्त थी। दरनी की तुलना में नई और सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा होने के कारण उसने रेहला में उसके राज्यकाल की अनेक घटनाओं का विवरण दिया है। विदेशी होने के कारण वह शाही इतिहासकार पर पढ़ने वाले दवावों से मुक्त था और स्वतन्त्र रूप से लिखने में समर्थ था।

रेहला में उसने सुल्तान मुहम्मद तुगलक के पहले के सुल्तानों का संक्षिप्त में वर्णन किया है। अलाउद्दीन खल्जी की मृत्यु के 17 वर्ष बाद वह भारत आया था इसलिये अवश्य ही उसे कुछ ऐसे व्यक्ति मिलें होंगे जिन्होंने उस समय की घटनाओं को स्वयं देखा होगा। इसलिये समकालीन इतिहासकारों की अपेक्षा उसका विवरण अधिक विश्वसनीय है।

रेहला में न केवल महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का ही वर्णन है अपितु सामाजिक, आर्थिक व अन्य संस्थाओं का भी खुलकर विवरण मिलता है। इसलिये डा. महदी हुसैन¹ रेहला को 'इतिहास की खान' मानते हैं।

इब्न बत्सूता का भारत-वर्णन

भौगोलिक वर्णन—वत्सूता ने यहाँ के स्थानों, नदियों, पहाड़ों, वनस्पति आदि का जो विवरण दिया है, उससे ऐसा लगता है कि उसकी जानकारी पुस्तकों के अध्ययन की अपेक्षा स्वयं के अवलोकन और अनुभव पर आधारित थी। वह जहाँ भी पहुँचा उसने वही ही गम्भीरता और गहन दृष्टि से उस जगह का अध्ययन किया। दिल्ली की चहार-दीवारी, विभिन्न द्वार, जामा मस्जिद, कब्रों तथा शहर के बाहर के दो बड़े हावों का उसने बड़ा ही विशद वर्णन किया है।

सामाजिक दशा—इब्न बत्सूता ने हिन्दुओं में प्रचलित जाति-व्यवस्था का वर्णन किया है। ब्राह्मण व क्षत्रिय उच्च वर्ग के थे जो मांस-भक्षण से दूर थे। चावल व शाक आदि ही उनके मुख्य भोजन-पदार्थ थे। हिन्दू लोग गाय को अत्यधिक सम्मान देते थे। वे अधिकतर शान्तिप्रिय व्यवसाय करते थे। कुछ हिन्दू सुल्तान की सेना में भी भर्ती किये जाते थे। दक्षिण भारत में हिन्दू तथा मुसलमानों में

1. महदी हुसैन—द रेहला आफ इब्न बत्सूता, पृ. XVIII

विभेद करत दृष्टे समन लिखा है कि वहाँ मुसलमानों को हिन्दू पदों में जाने बंधवा उनका वर्तनी का उपयोग करने की मुक्ति नहीं थी। यदि कोई हिन्दू अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार कर लेता तो उसे मुस्लिम के सम्मिलित में जाया जाता था जो उसे एक अच्छी योजना तथा उसकी स्थिति में अनुसार उपहार देता था। वह हिन्दुओं के धार्मिक अनुष्ठानों को मानने की प्रणाम करता है। मुसलमान अपनी धार्मिक विधि मानने के लिये अधिक संतुष्ट नहीं थे। राज्य मुसलमानों में शक्ति की प्राप्ति मानवान के लिये प्रयत्नशील रहना था। सुम्पद सुगतक न तो मुसलमानों की इमतिथि ग्राह्य दत्त दिया बल्कि न सामूहिक नशादा की उपाय करते थे।

विद्यालय ब्राह्मणों की शिक्षा को मुस्लिम प्रभावित करवाना देता था। हिन्दू धर्मियों का बहुत आदर करते थे। वस्तुतः हिन्दुओं के नैतिक चरित्र में उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित था। वे दान धारि देने के लिये सर्वत्र उत्तर रहते थे।

पेश भुजा तथा खान-दान—हिन्दू और मुसलमान दोनों ही संपेद कपड़े पहनते थे और सफेद चादरों का ही प्रयोग करते थे। लाले में अधिकतर नेत्र, चावल, मूँग, उदक और जो का अधिक प्रयोग किया जाता था। मोठ पशुओं को ही जाती थी। उमन भवतिथी (रोटिया) की बड़ी प्रणाम की है। पराठा, तिजिना मवाज मुगं पुमान्तक व मसोमी की भी उमन प्रणाम की है। पत्तो व मन्त्रक व धाम अमूर, धवार नरियल व नारंगी के मन्त्रक और लवक दलिक प्रयोग व सम्बन्ध में भी लिखा है। अनेक विप्लवों का भी वर्णन उमने किया है। लाले के बाद पान का प्रयोग ही किया करते थे। उमन लिखा है कि पान प्रस्तुत करना बड़ा ही सम्मानजनक माना जाता था। अधिकतर भारतीय मोठ समय पाठा को धपल बिल्लर के पास रखकर ही खोले थे और जिमी को मध्य मोठ सुन्दने पर ला लिया करते थे।

वस्तुतः न सरकारी और गैर सरकारी दावता का बड़ा ही विवाद वर्णन किया है। सरकारी दावतो में वह स्वयं उपस्थित रहता था और इमतिथि वर उनका एक सजीव लिपि दे पाया है। उसका अनुसार सरकारी दावता में वर्तनी-वर्ती पचास प्रकार के अलग अलग व्यक्तन बनाये जाते थे। मुस्लिम कभी भी दावता मोहन नहीं करता था। अधिकतर अन्ध शरीर उमक साथ ही मोहन करते थे। वस्तुतः वे मोहन को परोपने का विवरण लिखा है। उमन लिखा है कि बिना प्रकार सुधा की छुट्टि के लिये अन्ध प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता था। मुस्लिम यदि एक व्यक्तन में से दूसरी बार से से ती दावता अर्थ था कि वह व्यक्तन मुस्लिम की अधिक पसन्द था।

लिपियों की स्थिति—वस्तुतः न 14वीं शताब्दी की लिपि का वर्णन किया है।

हिन्दू स्त्रियों की पतिव्रता से वह अत्यधिक प्रभावित था।¹ मालवा व मराठा स्त्रियों की सुन्दरता की उसने प्रशंसा की है। उत्तरी भारत में पर्दे की प्रथा प्रचलित थी और यह सामाजिक श्रेष्ठता की प्रतीक थी। सती-प्रथा व बहुपत्नी-प्रथा प्रचलित थी। वतूता ने स्वयं एक स्त्री को सती होते देखा था और उसने उसका विशद् विवरण दिया है।²

दास-प्रथा समाज में प्रचलित थी। वतूता ने स्त्री दासियों का वर्णन किया है। वह उन्हें अत्यधिक चाहता था और अपनी पत्नियों के होने न होने पर वह उन्हें सदैव साथ रखता था। स्त्री-दासी से उसके एक लड़की भी उत्पन्न हुई थी। वगैर स्त्री-दासी के वह यात्रा नहीं करता था। उसने लिखा है कि मुस्लिम दासियों को कुरान कण्ठस्थ था, वे अच्छी तैराक व घुड़सवार थीं तथा रमजान व नमान नियमित रूप से पढ़ती थीं। मुसलमानों में तलाक की प्रथा थी। स्वयं वतूता ने अपनी पत्नी को तलाक दिया था।

मनोरंजन तथा आमोद-प्रमोद—वतूता ने अनेक प्रकार के मनोरंजनों का वर्णन किया है। साधारण लोगों को जादू-टोने में विश्वास था। हिन्दू और मुसलमान जोगियों का बड़ा आदर करते थे। उसने अनेक ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जिनसे वह अनुमान लगाया जा सकता है कि साधारण वर्ग पर जोगियों का कितना अधिक प्रभाव था। उसने लिखा है कि सुल्तान के अभियानों से लौटने पर अनेक प्रकार के मनोरंजन आयोजित किये जाते थे।

आत्मिक तथा सूफी सन्त—वतूता ने अपनी यात्रा के विवरण में जिन सूफी सन्तों से भेंट की उनका वर्णन दिया है। उसके अनुसार वे आदर्श जीवन व्यतीत करते थे और आलौकिक शक्ति से पूर्ण थे। समस्त लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव था और सब ही उनसे दया, धर्म व आत्मिक शान्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते थे। स्वयं वतूता सूफी सन्तों से प्रभावित था। उसे शैल अलाउद्दीन से प्रेरणा मिली थी।

आर्थिक दशा (व्यापार व वाणिज्य)—वतूता के अनुसार अनेक क्षेत्र अपनी विशेष उपज के लिए प्रसिद्ध थे। कोल (अलीगढ़) व सामर में श्याम, कन्नौज में नरस, धार में गेहूँ और सिरसा आदि में चावल बहुतायत से होते थे। मलाबार के किनारे पर चावल, काली-मिर्च आदि होते थे।

कालीकट, केम्बे, याना व सन्दापुर विदेशी व्यापार के प्रमुख बन्दरगाह थे। कालीकट के बन्दरगाह की भव्यता से वह अधिक प्रभावित था। इन बन्दरगाहों से विदेशों को वस्तुएं निर्यात की जाती थीं। रुई, गेहूँ, चावल, मसाले, नारियल व अन्य वस्तुएं ईरान, खुरासान व अरब के प्रदेशों को भेजी जाती थीं। इनके बदले में घोड़े, सोना-चांदी तथा चीनी-मिट्टी के बर्तन आयात किये जाते थे। घोड़ों का व्यापार बड़ा ही लाभपूर्ण था। एक घटिया नस्ल का घोड़ा लगभग एक सौ चांदी

1. इन्व वतूता, रेहता (अनुवादित, बड़ोदा 1976) पृ. 170

2. वही: पृ. 22

के टके में खरीदा जा सकता था। अश्ली मसल के घोट्टे एक हजार से चार हजार चादो के टके में मिलता था। हिन्दू व मुसलमान व्यापारियों के बीच भेद विभाजित था।

बहुता ने समुद्री डाकूओं का बर्णन किया है। ये व्यापारियों के जहाजों को लूट लिया करते थे परन्तु किसी को भी हानि नहीं करते थे। स्वयं बहुता इनका एक बार सिकार हुआ था।

शिक्के—उसने समय में चादी और सोने के टका प्रयुक्त थे। चादी का टका दीनार कहलाता था। पही दीनार फेरशाह यूरो के समय में दिया जाता जाने लगा। सुल्तान मुहम्मद तुघलक ने 140 ग्राम का एक चादी का टका चलता था। सोने के सिक्के को भी टका कहते थे। इसका भार 175 ग्राम था। चादी तथा सोने के टका में विनिमय का अनुपात 10 था।

सोल व माय—मेर और इन साधारण रूप से सोने की इकाई थे। एक मन दिल्ली में 14 सेर के बराबर था। लम्बाई प्रादि को नापने में परा, फरस्य प्रादि का उपयोग किया जाता था। फरस्य लगभग 18,000 मुट के बराबर था।

डाक व्यवस्था—बहुता यहाँ की डाक-व्यवस्था से आश्चर्यचकित था। डाक का तो सूत्रधारों प्रभवा हरकारों द्वारा से जाई जाती थी। समस्त राज्य में डाक-पोतियों का जाल बिछा हुआ था। डाक से जाने वाली के सिधे सरायों प्रादि की व्यवस्था थी। डाक बहुत ही तेजी से जाई जाती थी, बहुत तक कि विदेश के राज्यों में सुल्तान को प्रतिदिन विदेशियों और भगोरो की गतिविधियों की खबरें मिल जाती थी।

अन्वयुता ने ज्ञान के प्रयोज्य पहुँच का भी बर्णन किया है। उसने सुल्तान मुहम्मद बिन तुघलक, उसके बन्धु, उसेमा-बर्ग, मेना, न्याय व्यवस्था और यहाँ तक कि प्रांतीय शासन-व्यवस्था का विमल बर्णन दिया है। उसने अपने समय में हुए विदेशों को भी जानकारी दी है।

बहुता की कविता—(1) बहुता के मोक्ष कवोच भाषा में ही गुप्त रूप से इसलिए उसने अपने अनुभवों को ही लिखवाया। स्वाभाविक है कि उसका विवरण जो हमें प्राप्त है वह उसके द्वारा दिये गये दशासन (Dictation) का संक्षिप्त रूप है। (2) दूसरे संभवतः इतिहासकारों की तरह बहुता को पारसो ब्रह्म प्राणी थी और हिन्दुत्वानी से भी वह पचमिन्न था। इनके माय ही विदेशी होने के नाते वह अल-समुह में शुभकर शुभ-मिन भी नहीं मन्ना था। (3) उसके घटनाओं की काव्यमानुसार नहीं दिया है और साथ ही बट बजार में प्रचलित कथकों से भी विश्वास करता था। इसलिये उसने उसको कल्पनाओं में मिला दिया है।

इनके बाद भी यह मानना पड़ेगा कि उसकी रचना बहुत महत्वपूर्ण है। उसने सरल और साधारण भाषा में लिखवाया है तथा उसकी रचना में अतिशयि भाषा का ब्रह्म से ब्रह्म प्रयोग है। बाद के इतिहासकारों ने उसको रचयों का अन्वयुता बनाया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Abdul Halim : History of the Lodi Sultans of Agra and Delhi.
2. Aghnides, Nicholas P. : Muhammadan Theories of Finance.
3. Ahmad, M. B. : The Administration of Justice in Medieval India.
4. Ahluwalia, M. S. : Muslim Expansion in Rajasthan.
5. Ameer Ali : The Spirit of Islam.
6. Arnold, W. : The Caliphate.
7. Ashok, K. Srivastava : India as Described by The Arab Travellers.
8. Baksh, S. Khuda : Politics in Islam.
9. Baksh, S. Khuda : Studies : Indian and Islamic.
10. Basu, K. K. : Eng. Tr. of Tarikh-i-Mubarkshahi.
11. Barthold, W. : Turkistan down to the Moghal Invasion.
12. Baylay, Sir, E. C. : Local Muhammadan Dynsties.
13. Bhandarkar, R. G. : Early History of the Deccan.
14. Carl Brocket Mann : History of the Islamic People.
15. Carpenter, J. E. : Theoism in Medieval India.
16. Commissariate, M.S. : History of Gujrat, Vol. I.
17. Crook, W. : Herkelot's Islam in India.
18. Cunningham, A. : Reports of the Archaeological Survey of India.
19. Das Gupta, J. N. : Bengal in the Sixteenth Century.
20. Day, U. N. : The Administrative System of Delhi Sultanate.
21. Day, U. N. : Medieval India.
22. Dorn, R. : History of the Afghans.
23. Elliot and Dowson : History of India as told by its own Historians Vols. II, III and IV.
24. Encyclopaedia of Islam :
25. Enam, M.A. : Decisive Moments in the History of Islam.

- 26 Farquhar, V N An outline of Religious literature of India
- 27 Ghoshal, U N. · Agrarian System in Ancient India
- 28 Grewal, J S : Medieval India
- 29 Habib Mohammed Life and Works of Hazrat Amir Khusrau
- 30 Habib Mohammed · Introduction to Vol II of Elliot and Dowson.
- 31 Habia and Nizami Dilli Sultanat (Tr)
- 32 Habibullah, A B M · Foundation of Muslim Rule in India
- 33 Haig, Sir Wolseley The Cambridge History of India, Vol. III.
34. Havel, E B A Short History of India
- 35 Hitti, P K. · History of the Arabs
- 36 Hodiwala, S H : Studies in Indo-Muslim History.
- 37 Hughes, T.P · Dictionary of Islam
- 38 Husain, A M Rise and Fall of Muhammed-bin-Tughluq
- 39 Husain, Wabed · Administration of Justice
- 40 Ishwari Prasad : History of Qaraunat Turks.
- 41 Lal, K S : History of the Khaljis
- 42 Lal, K S : Growth of Muslim population in Medieval India
- 43 Lanepoole, S. : Muhammadan Dynasties
44. Law, N.N : Promotion of Learning under Muhammadan Rule.
- 45 Law, N N. : Studies in Indian History and Culture.
- 46 Levy, R. : The Sociology of Islam, Vol I.
47. Mirza Wahid : The Life and Works of Amir Khusrau
- 48 Moreland, W H : The Agrarian System of Muslim India
49. Moreland, W.H. · India at the Death of Akbar.
- 50 Muir, Sir W : The Caliphate—Its Rise, Decline and Fall.
- 51 Majumdar, R C. : The Delhi Sultanate.
- 52 Nizami, K A. : Studies in Medieval Indian History.
- 53 Nizami, K A : *Some Aspects of Religion and Politics in India during the Thirteenth Century.*
- 54 Nigam, S B.P. : Nobility under the Sultans of Delhi (1206-1398 A D)
- 55 Panday, A.B : The First Afghan Empire in India
- 56 Qureshi, I H · The Administration of the Sultanate of Delhi

57. Rahim, Abdur : Principles of Muhammadan Jurisprudence.
58. Rees, J.D. : The Muhammadans.
59. Sahu, K.P. : Some Aspects of North-Indian Social Life.
60. Saran, P. : Studies in Medieval Indian History.
61. Saran, P. : Islamic Polity.
62. Sarkar, Jagdish Narain : History of History Writing in Medieval India.
63. Sircar, D.C. : Studies in the Religious Life of Ancient and Medieval India.
64. Smith, V.A. : The Oxford History of India.
65. Sharma, S.R. : The Crescent in India.
66. Tripathi, R.P. : Some Aspects of Muslim Administration.
67. Topa, Ishwar : Politics in Pre-Mughal India.
68. Tritton, A.S. : The Caliphs and their Non-Muslim Subjects.
69. Vaidya, C.V. : History of Medieval Hindu India.
70. अक्षयविहारी पाण्डेय : पूर्व मध्यकालीन भारत
71. आर. के. सक्सेना : अमोर तीमूर की आत्मकथा
72. आर. के. सक्सेना : तारीख-ए-किला रणवम्भौर
73. आर. के. सक्सेना : सल्तनतकालीन शासन-प्रणाली
74. आर. के. सक्सेना : मुगल शासन-प्रणाली
75. आर. के. सक्सेना : मध्यकालीन इतिहास की संस्थाएँ
76. इलियट एण्ड हाउसन : भारत का इतिहास भाग 2, 3 व 4
77. एस. आर. शर्मा : भारत में मुस्लिम शासन का इतिहास
78. मोरलैण्ड, हब्ल्यू.एच. : मुस्लिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था
79. सैयद अतहर अब्बास रिजवी : आदि तुर्ककालीन भारत
80. सैयद अतहर अब्बास रिजवी : खल्जीकालीन भारत
81. सैयद अतहर अब्बास रिजवी : तुगलुककालीन भारत, भाग 1 व 2
82. सैयद अतहर अब्बास रिजवी : उत्तर तैमूरकालीन भारत, भाग 1 व 2